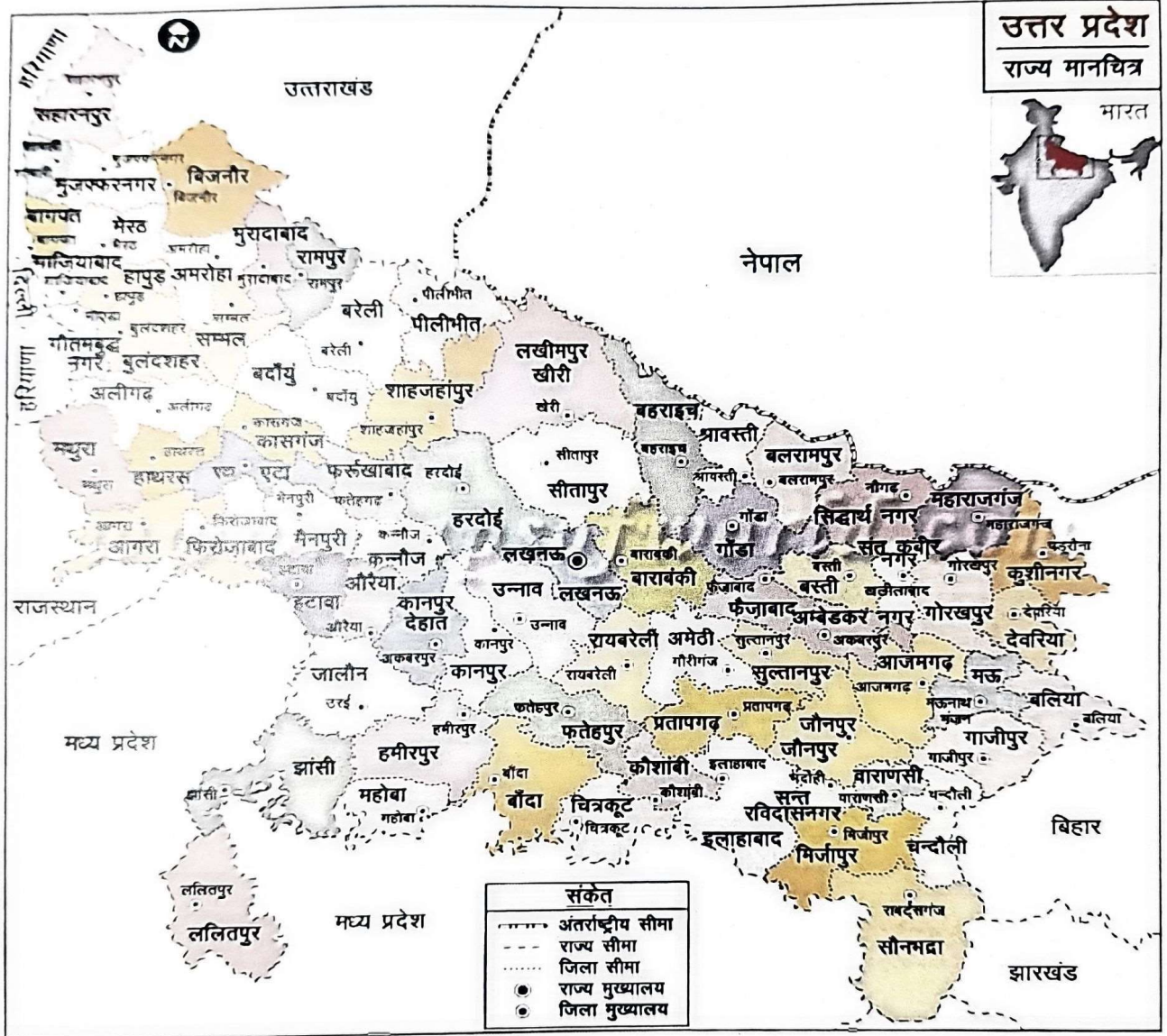


निदेशक सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा निदेशालय उ०प्र० लखनऊ ।



**त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का
वार्षिक प्रतिवेदन
वर्ष 2020-2021
भाग-4**

जनपद — आजमगढ़

जनपद — आजमगढ़

ग्राम पंचायत — बैशपुर

सम्भाग - आजमगढ़

विकास खण्ड — अतरौलिया

लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -1

वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत द्वारा ई-ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार चतुर्थ/पंचम राज्य वित्त अनुदान मद से धनराशि रुपया 391725.00 का व्यय दर्शित किया गया है। किन्तु वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति यथा बिल/वाउचर मस्टररोल, ट्रान्सफर विवरण, मूल पत्रावली, अनुमोदित कार्य योजना, कार्यवाही रजिस्टर, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, प्रमाणित कैश बुक, बैंक पास बुक स्वीकृत योजना मानचित्र, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, वर्क आईडी, कार्य की त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, सामग्री क्रय हेतु नियमानुसार कोटेशन टेन्डर आमंत्रित एवं स्वीकृति करने की पत्रावली कार्य की माप पुस्तिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित व्यय धनराशि की पुष्टि न की जा सकी।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह सम्प्रेक्षा दल को व्यय सम्बन्धी समस्त वाउचर एवं नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये।" तथा लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।

उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित व्यय धनराशि रुपया 391725.00 गबन की श्रेणी में आता है। उक्त धनराशि की नियमानुसार वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री विदेशी, तत्कालीन ग्राम पंचायत वि० अधिकारी श्री राजकुमार एवं तत्कालीन प्रशासक श्री बाबूराम यादव से किये जाने हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

चूंकि बैंक पासबुक तथा मूल कैश बुक लेखा लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। अतः ग्राम निधि प्रथम से किया गया आहरण यदि ई -ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय से भिन्न है, तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि प्रथम से किये गए वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर -2

वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत द्वारा ई-ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार चौदहवें पन्द्रहवें केन्द्रीय वित्त अनुदान मद से धनराशि रुपया 965758.00 का व्यय दर्शित किया गया है। किन्तु वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति यथा बिल/वाउचर मस्टररोल, ट्रान्सफर विवरण मूल पत्रावली अनुमोदित कार्य योजना कार्यवाही रजिस्टर, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, प्रमाणित कैश बुक, बैंक पास बुक स्वीकृत योजना मानचित्र, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, वर्क आईडी, कार्य की त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, सामग्री क्रय हेतु नियमानुसार कोटेशन / टेन्डर आमंत्रित एवं स्वीकृति करने की पत्रावली, कार्य की माप पुस्तिका, परिसम्पत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित व्यय धनराशि की पुष्टि न की जा सकी।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह सम्प्रेक्षा दल को व्यय सम्बन्धी समस्त वाउचर एवं नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" तथा लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।

उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित व्यय धनराशि रुपये 965758.00 गबन की श्रेणी में आता है। उक्त धनराशि की नियमानुसार वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री विदेशी, तत्कालीन ग्राम पं०/ वि० अधिकारी श्री राजकुमार एवं तत्कालीन प्रशासक श्री बाबूराम यादव से किये जाने हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाजा जाता है।

चूंकि बैंक पासबुक तथा मूल कैश बुक लेखा लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम् से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। अतः ग्राम निधि प्रथम् से किया गया आहरण यदि ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय से भिन्न है, तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि प्रथम् से किये गए वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2- ग्राम पंचायत -बिहराबुजुर्ग विकास खण्ड -अहिरोला लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -3

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (चतुर्थ/पंचम राज्य वित्त मद) से रुपये 36814-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल / मस्टर रोल / ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/ टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षा दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार 'यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।' के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज /प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 36814-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 18407-00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राजेश कुमार से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 18407-00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं / वि.अधिकारी) श्री नीरज से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

प्रस्तर -4

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (चैदहवाँ/ पन्द्रहवाँ केन्द्रीय वित्त मद) से रुपये 362009-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/ मस्टर रोल ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भसे पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क' के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज्य /प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 362009-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 181004-50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राजेश कुमार से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 181004-50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं / वि.अधिकारी) श्री नीरज से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

3-ग्राम पंचायत -बसही इकबालपुर विकास खण्ड -लालगंज लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -5

पंचायतराज अनुभाग-1 के आदेश सख्या 3-2016 / 3038 /33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के बिंदु 2अ के अनुसार ग्राम प्रधान का मानदेय 2500 रुपये से बढ़ा कर रुपये 3500 मासिक किया गया जिसका भुगतान ग्राम निधि प्रथम से किया जा रहा है लेकिन मासिक भुगतान हेतु पंजिका का निर्माण नहीं किया जा रहा है फलतः आलोच्य वर्ष के साथ पूर्व के वर्षों में दिए गए मानदेय और बकाया मानदेय की पुष्टि नहीं किया जा सका. इस सन्दर्भ में मानदेय दिए जाने में दुहराव संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है. विभागीय अधिकारियों का ध्यान मानदेय पंजिका के रखरखाव की ओर आकृष्ट किया जाता है.। इस संदर्भ में यह भी आपत्तिजनक रहा किए मानदेय भुगतान नियमित रूप से माहवार न करके एक, दो या तीन बार में एकमुश्त किया गया ।

यथा

क्रम सं.	दिनांक	धनराशि
1.	05.10.2020	42000.00
2.	17.08.2020	42000.00
	योग -	84000.00

4-ग्राम पंचायत -पकड़ी खुर्द विकास खण्ड -लालगंज लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21**प्रस्तर -6**

पंचायतराज अनुभाग-1 के आदेश सख्या 3-2016 / 3038 /33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के बिंदु 23 के अनुसार ग्राम प्रधान का मानदेय 2500 रुपये से बढ़ा कर रुपये 3500 मासिक किया गया जिसका भुगतान ग्राम निधि प्रथम से किया जा रहा है, लेकिन मासिक भुगतान हेतु पंजिका का निर्माण नहीं किया जा रहा है फलतः आलोच्य वर्ष के साथ पूर्व के वर्षों में दिए गए मानदेय और बकाया मानदेय की पुष्टि नहीं किया जा सका. इस सन्दर्भ में मानदेय दिए जाने में दुहराव संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है. विभागीय अधिकारियों का ध्यान मानदेय पंजिका के रखरखाव की ओर आकृष्ट किया जाता है.

इस संदर्भ में यह भी आपत्तिजनक रहा किए मानदेय भुगतान नियमित रूप से माहवार न करके एक, दो या तीन बार में एकमुश्त किया गया । **यथा**

क्रम सं.	दिनांक	धनराशि
1.	24.08.2020	21000.00
2.	25.02.2021	21000.00
	योग -	42000.00

5-ग्राम पंचायत -फखरुद्दीनपुर विकास खण्ड -लालगंज लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21**प्रस्तर -7**

पंचायतराज अनुभाग-1 के आदेश सख्या 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के बिंदु 23 के अनुसार ग्राम प्रधान का मानदेय 2500/- रुपये से बढ़ा कर रुपये 3500/-मासिक किया गया जिसका भुगतान ग्राम निधि प्रथम से किया जा रहा है लेकिन मासिक भुगतान हेतु पंजिका का निर्माण नहीं किया जा रहा है फलतः आलोच्य वर्ष के साथ पूर्व के वर्षों में दिए गए मानदेय और बकाया मानदेय की पुष्टि नहीं किया जा सका. इस सन्दर्भ में मानदेय दिए जाने में दुहराव संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है. विभागीय अधिकारियों का ध्यान मानदेय पंजिका के रखरखाव की ओर आकृष्ट किया जाता है.

इस संदर्भ में यह भी आपत्तिजनक रहा कि, मानदेय भुगतान नियमित रूप से माहवार न करके एक, दो या तीन बार में एकमुश्त किया गया।

यथा

क्रम सं.	दिनांक	धनराशि
1.	06.07.2020	24500.00
2.	06.07.2020	17500.00
	योग -	42000.00

6-ग्राम पंचायत -बहादुरपुर विकास खण्ड -लालगंज लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21**प्रस्तर -8**

पंचायतराज अनुभाग-1 के आदेश सख्या 3-2016 / 3038 /33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के बिंदु 23 के अनुसार ग्राम प्रधान का मानदेय 2500 रुपये से बढ़ा कर रुपये 3500. मासिक किया गया जिसका भुगतान ग्राम निधि प्रथम से किया जा रहा है लेकिन मासिक भुगतान हेतु पंजिका का निर्माण नहीं किया जा रहा है फलतः आलोच्य वर्ष के साथ पूर्व के वर्षों में दिए गए मानदेय और बकाया मानदेय की पुष्टि नहीं किया जा सका. इस सन्दर्भ में मानदेय दिए जाने में दुहराव संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है. विभागीय अधिकारियों का ध्यान मानदेय पंजिका के रखरखाव की ओर आकृष्ट किया जाता है.

इस संदर्भ में यह भी आपत्तिजनक रहा कि मानदेय भुगतान नियमित रूप से माहवार न करके एक, दो या तीन बार में एकमुश्त किया गया

यथा

क्रम सं.	दिनांक	धनराशि
1.	03/11/20	45500.00
	योग -	45500.00

7-ग्राम पंचायत - कुकुडीपुर विकास खण्ड - सठियांव लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -9

राज्य कि आयोग से व्यय धनराशि के संदर्भ में ग्राम पंचायत कुकुडीपुरके वर्ष 2020-2021 की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि राज्य वित्त आयोग से प्राप्त (रु० 115293.00) के आधार पर सम्पन्न की गयी है वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक व्यय गयी धनराशि उपलब्ध ही नहीं है या बार-बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

(1) 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोन वाली तथा लिखित रूप से बार -बार ग्राम पंचायत के सचिव से अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारियों के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठया गया ।

(2) सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को दिनांक 22-12-2021 24-03-2022 को इस सम्बन्ध में कई पत्र के माध्यम से (कांपी सलगन ऑडिट के यथास्थिति और प्रगति की सूचना दी गयी लेकिन आप के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठया गया ।

(अ) शासनदेश संख्या ऑडिट -2953/2009-101(84) दिनांक 7 अक्टूबर 2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है।

(ब) शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 के माध्यम से विभिन्न स्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4 घ में स्पष्ट निर्देश है कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जाएगी और जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी. लेकिन अपने कार्यालय में इसे उपलब्ध नहीं कराया गया।

अभिलेखों के आभाव में धनराशि का अपहरण अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यापन की जाँच न की जा सकी। पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8 क के बिंदु 87 के अनुसार प्रावधान है कि यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की आएगी।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु० 115293.00 गबन के श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली ग्राम पंचायत प्रधान श्री उमेश चन्द्र व ग्राम पंचायत सचिव श्री रामकेश सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -10

ग्राम पंचायत कुकुडीपुरके वर्ष 2019-2020 के लेखा परीक्षा प्रिवासाफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि : 14/15 वित्त आयोग से प्राप्त (रुपया 85135.00) के आधार पर सम्पन्न की गयी है, वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक व्यय की धनराशि के सापेक्ष उपलब्ध ही नहीं है या बार-बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गए हैं

(1) 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार बार: ग्राम पंचायत के सचिव से अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारियों के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठया गया।

(2) सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को दिनांक 22-12-2021, 24-03-2022 को इस सम्बन्ध में कई पत्र के माध्यम से (कापी संलग्न ऑडिट के यथास्थिति और प्रगति की सूचना दी गयी लेकिन आप के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठया गया ।

(अ) शासनदेश संख्या ऑडिट -2953/2009-101 (64) दिनांक 7 अक्टूबर 2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है।

(ब) शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 के माध्यम से विभिन्न स्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4 ध में स्पष्ट निर्देश है कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जाएगी और जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी, लेकिन अपने कार्यालय से इसे उपलब्ध नहीं कराया गया ।

अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यापन की जाँच न की जा सकी। पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8 क के बिंदु 87 के अनुसार प्रावधान है कि यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली याम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 85135.00 गबन के बेणी में आती है। जिसकी वसूली ग्राम पंचायत प्रधान श्री उमेशचन्द्र व ग्राम पंचायत सचिव श्री रामकेश सिंह से किया जाना अपेक्षित है ।

8-ग्राम पंचायत – कसबा सराय विकास खण्ड - सठियांव लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -11

राज्य वित्त आयोग से व्यय धनराशि के संदर्भ में ग्राम पंचायत कसबा सराय के वर्ष 2020-2021 की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि राज्य वित्त आयोग से प्राप्त (रु0 680921.00) के आधार पर सम्पन्न की गयी है वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक व्यय गयी धनराशि उपलब्ध ही नहीं है या बार-बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

(1) 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोन वार्ता तथा लिखित रूप से बार -बार ग्राम पंचायत के सचिव से अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारियों के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठया गया ।

2) सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को दिनांक 22-12-2021, 24-03-2022 की इस सम्बन्ध में कई पत्र के माध्यम से (कापी संलग्न ऑडिट के यथास्थिति और प्रगति की सूचना दी गयी लेकिन आप के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठया गया।

(अ) शासनदेश संख्या ऑडिट -2953/2009-101 (64) दिनांक 7 अक्टूबर 2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ लेखा परीक्षा दल को संगत

अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है।

(ब) शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 के माध्यम से विभिन्न स्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4 घ में स्पष्ट निर्देश है कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जाएगी और जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी, लेकिन अपने कार्यालय से इसे उपलब्ध नहीं कराया गया।

अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यापन की जाँच न की जा सकी। पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8 क के बिंदु 87 के अनुसार प्रावधान है कि यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 680921.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली ग्राम पंचायत प्रधान श्री इस्माइल फारुख व ग्राम पंचायत सचिव श्री विनय सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -12

14 वें वित्त आयोग से व्यय धनराशि के संदर्भ में ग्राम पंचायत कसबा सराय के वर्ष 2020-2021 के लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि 14 वें वित्त आयोग से प्राप्त (रु0 1568480.00 के आधार पर संपन्न की गयी है वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक व्यय की धनराशि के सापेक्ष उपलब्ध ही नहीं है या बार-बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गए हैं

(1)1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोन वार्ता तथा लिखित रूप से बार -बार ग्राम पंचायत के सचिव से अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारियों के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठया गया ।

(2) सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) की दिनांक 22-12-2021 24-03-2022, को इस सम्बन्ध में कई पत्र के माध्यम से (काँपी संलग्न ऑडिट के यथास्थिति और प्रगति की सूचना दी गयी लेकिन आप के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठया गया ।

(अ) शासनदेश संख्या-ऑडिट-2953/2000-101 (64) दिनांक 7 अक्टूबर 2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है।

(ब) शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 के माध्यम से विभिन्न स्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4 घ में स्पष्ट निर्देश है कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जाएगी और जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी, लेकिन अपने कार्यालय से इसे उपलब्ध नहीं कराया गया।

अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यापन की जाँच न की जा सकी। पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8 क के बिंदु 87 के अनुसार प्रावधान है कि यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी ।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि (रु0 1568480.00) गबन के श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली ग्राम पंचायत प्रधान श्री इस्माइल फारुख व ग्राम पंचायत सचिव श्री विनय सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

9-ग्राम पंचायत – नरेहथा विकास खण्ड - जहानागंज लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -13

आलोच्य वर्ष में गा.पं.द्वारा विभिन्न स्थानों पर भूमिगत नाली निर्माण कार्य हेतु रु.100999.00 का ब्रूम पाइप क्रय किया जाना दर्शित है, परंतु सम्बंधित मजदूरी का अंकन कैशबुक में नहीं किया गया है। जिसके अभाव में उक्त कार्य का होना ही संदिग्ध प्रतीत होता है। क्रय की गयी सामग्री के सापेक्ष कोई वाउचर भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड- 8क के अनुसार दर्शाये गये व्यय से सम्बंधित वाउचर उपलब्ध न कराया जाना गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त धनराशि की वसूली श्रीमती रीता (ग्राम पंचायत सचिव) तथा श्रीमती चनरमी (ग्राम प्रधान) से की जानी अपेक्षित है।

10-ग्राम पंचायत – बड़ौरा खुर्द विकास खण्ड - जहानागंज लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -14

आलोच्य वर्ष में गा.पं. द्वारा विभिन्न स्थानों पर हैंडपम्प रिबोर कार्य पर रु. 235740.00 का व्यय दर्शित है। क्रय की गयी सामग्री के सापेक्ष कोई वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड 8-क के अनुसार दर्शाये गये व्यय से सम्बंधित वाउचर उपलब्ध न कराया जाना गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त धनराशि की वसूली श्रीमती रीता (ग्राम पंचायत सचिव) तथा श्रीमती सविता (ग्राम प्रधान) से की जानी अपेक्षित है।

11-ग्राम पंचायत – चक्रपानपुर विकास खण्ड - जहानागंज लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -15

आलोच्य वर्ष में गा.पं. द्वारा विभिन्न स्थानों पर हैंडपम्प रिबोर कार्य पर रु. 94285.00 का व्यय दर्शित है। क्रय की गयी सामग्री के सापेक्ष कोई वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड 8-क के अनुसार दर्शाये गये व्यय से सम्बंधित वाउचर उपलब्ध न कराया जाना गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त धनराशि की वसूली श्री संजय (ग्राम पंचायत सचिव) तथा श्री अलगू (ग्राम प्रधान) से की जानी अपेक्षित है।

12-ग्राम पंचायत – जलालपुर विकास खण्ड - जहानागंज लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -16

आलोच्य वर्ष में गा.पं. द्वारा विभिन्न स्थानों पर भूमिगत नाली निर्माण कार्य हेतु रु.147116.00 का ब्रूम पाइप क्रय किया जाना दर्शित है परंतु सम्बंधित मजदूरी का अंकन कैशबुक में नहीं किया गया है जिसके अभाव में उक्त कार्य का होना ही संदिग्ध प्रतीत होता है। क्रय की गयी सामग्री के सापेक्ष कोई वाउचर भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8-क के अनुसार दर्शाये गये व्यय से सम्बंधित वाउचर उपलब्ध न कराया जाना गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त धनराशि की वसूली श्रीमती रीता (ग्राम पंचायत सचिव) तथा श्री वीरेंद्र (ग्राम प्रधान) से की जानी अपेक्षित है।

13-ग्राम पंचायत – मकबूलपुर उर्फ रामनगर विकास खण्ड - तरवाँ लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -17

वर्ष 20-21 में ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ / पंचम राज्य वित्त के अंतर्गत प्रिया साफ्ट के अनुसार रु0 330113=00 व्यय किया गया है किन्तु व्यय के सापेक्ष कोई भी अभिलेख / व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के अनुसार समस्त व्यय को गबन मानते हुए रु0 330113-00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती विद्यावती देवी ग्रा०प०अधि० श्री विवेक कुमार से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -18

वर्ष 20-21 में ग्राम पंचायत चौदहवा/पन्द्रहवा वित्त के अंतर्गत प्रिया साफ्ट के अनुसार ₹0 775021=00 व्यय किया गया है किन्तु व्यय के सापेक्ष कोई भी अभिलेख / व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के अनुसार समस्त व्यय को गबन मानते हुए ₹0 775021=00 वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती विद्यावती देवी व गा०प०अधि० श्री विवेक कुमार से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

14-ग्राम पंचायत – परसीनिया

विकास खण्ड - तरवाँ

लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -19

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 20-21 में दिनांक 15.10.2021 को ग्रामनिधि-1 कैशबुक में प्रा०वि० पर शौचालय मरम्मत एवं अन्य कार्य दर्शित है। जिस पर ₹0 133689.00 की सामग्री, ₹0 50632.00 का बिल्डिंग मैटेरियल्स एवं ₹0 25830.00 ईट पर व्यय किया गया। किन्तु व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के अनुसार समस्त व्यय को गबन मानते हुए ₹0 210151-00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता व गा०प०अधि० श्री विनोद कुमार से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

15-ग्राम पंचायत – हत्वा खालसा

विकास खण्ड - मेंहनगर

लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -20

वर्ष 20-21 में ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ / पंचम राज्य वित्त के अंतर्गत प्रिया साफ्ट के अनुसार ₹0 779237=00 व्यय किया गया है किन्तु व्यय के सापेक्ष कोई भी अभिलेख / व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के अनुसार समस्त व्यय को गबन मानते हुए ₹0 779237=00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री रामअवध यादव व गा०प०अधि० श्री सूरज कुमार से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -21

वर्ष 20-21 में ग्राम पंचायत चौदहवा/पन्द्रहवा वित्त के अंतर्गत प्रिया साफ्ट के अनुसार ₹0 973044-00 व्यय किया गया है किन्तु व्यय के सापेक्ष कोई भी अभिलेख / व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के अनुसार समस्त व्यय को गबन मानते हुए ₹0 973044-00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री रामअवध यादव व गा०प०अधि० श्री सूरज कुमार से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -22

वर्ष 20-21 में ग्राम पंचायत राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत प्रिया साफ्ट के अनुसार ₹0 1182228=00 व्यय किया गया है किन्तु व्यय के सापेक्ष कोई भी अभिलेख / व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के अनुसार समस्त व्यय को गबन मानते हुए ₹0 1182228=00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री रामअवध यादव व गा०प०अधि० श्री सूरज कुमार से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

6-ग्राम पंचायत – हत्वा आड़मा

विकास खण्ड - मेंहनगर

लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -23

वर्ष 20-21 में ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ / पंचम राज्य वित्त के अंतर्गत प्रिया साफ्ट के अनुसार ₹0 483708=00 व्यय किया गया है किन्तु व्यय के सापेक्ष कोई भी अभिलेख / व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के अनुसार समस्त व्यय को गबन मानते हुए ₹0 483708-00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री रामनाथ व गा०प०अधि० श्री सूरज कुमार से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -24

वर्ष 20-21 में ग्राम पंचायत चौदहवा/पन्द्रहवा वित्त के अंतर्गत प्रिया साफ्ट के अनुसार रू0 418193-00 व्यय किया गया है किन्तु व्यय के सापेक्ष कोई भी अभिलेख / व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के अनुसार समस्त व्यय को गबन मानते हुए रू0 418193-00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री रामनाथ व ग्रा०प०अधि० श्री सूरज कुमार से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

17-ग्राम पंचायत – रसूलपुर विकास खण्ड - मेंहनगर लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -25

वर्ष 20-21 में ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ / पंचम राज्य वित्त के अंतर्गत प्रिया साफ्ट के अनुसार रू0 703761=00 व्यय किया गया है किन्तु व्यय के सापेक्ष कोई भी अभिलेख / व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के अनुसार समस्त व्यय को गबन मानते हुए रू0 703761=00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री पप्पू यादव व ग्रा०प०अधि० श्री सूरज कुमार से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -26

वर्ष 20-21 में ग्राम पंचायत चौदहवा/पन्द्रहवा वित्त के अंतर्गत प्रिया साफ्ट के अनुसार रू0 1327479-00 व्यय किया गया है किन्तु व्यय के सापेक्ष कोई भी अभिलेख / व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के अनुसार समस्त व्यय को गबन मानते हुए रू0 1327479-00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री पप्पू यादव व ग्रा०प०अधि० श्री सूरज कुमार से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

18-ग्राम पंचायत – शेखोदासपुर विकास खण्ड - मेंहनगर लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -27

वर्ष 20-21 में ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ / पंचम राज्य वित्त के अंतर्गत प्रिया साफ्ट के अनुसार रू0 820307-00 व्यय किया गया है किन्तु व्यय के सापेक्ष कोई भी अभिलेख / व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के अनुसार समस्त व्यय को गबन मानते हुए रू0 820307-00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राजाराम व ग्रा०प०अधि० श्री सूरज कुमार से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -28

वर्ष 20-21 में ग्राम पंचायत चौदहवा / पन्द्रहवा वित्त के अंतर्गत प्रिया साफ्ट के अनुसार रू0 683005=00 व्यय किया गया है किन्तु व्यय के सापेक्ष कोई भी अभिलेख / व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के अनुसार समस्त व्यय को गबन मानते हुए रू0 683005=00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राजाराम व ग्रा०प०अधि० श्री सूरज कुमार से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

19-ग्राम पंचायत – अनन्तपुर विकास खण्ड – अतरौलिया लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -29

वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत द्वारा ई-ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार चतुर्थ/पंचम राज्य वित्त अनुदान मद से धनराशि रुपया 376554.00 का व्यय दर्शित किया गया है। किन्तु वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणों की मूल प्रति यथा बिल/याउचर मस्टररोल, ट्रान्सफर विवरण, मूल पत्रावली, अनुमोदित कार्य योजना, कार्यवाही रजिस्टर, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, प्रमाणित कैश बुक, बैंक पास बुक स्वीकृत योजना मानचित्र स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, वर्क आई०डी०, कार्य की त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, सामग्री क्रय हेतु नियमानुसार कोटेशन टेन्डर

आमंत्रित एवं स्वीकृति करने की पत्रावली, कार्य की माप पुस्तिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित व्यय धनराशि की पुष्टि न की जा सकी।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह सम्प्रेक्षा दल को व्यय सम्बन्धी समस्त वाउचर एवं नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" तथा लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।

उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित व्यय धनराशि रुपया 376554.00 गबन की श्रेणी में आता है। उक्त धनराशि की नियमानुसार वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुशीला तत्कालीन ग्राम पं०/ वि० अधिकारी श्री राजकुमार एवं तत्कालीन प्रशासक श्री बाबूराम यादव से किये जाने हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

चूंकि बैंक पासबुक तथा मूल कैश बुक लेखा लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। अतः ग्राम निधि प्रथम से किया गया आहरण यदि ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय से भिन्न है, तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि प्रथम से किये गए वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर -30

वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत द्वारा ई-ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार चौदहवें पन्द्रहवें केन्द्रीय वित्त अनुदान मद से धनराशि रुपया 1054314.00 का व्यय दर्शित किया गया है। किन्तु वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति यथा बिल/वाउचर मस्टररोल, ट्रान्सफर विवरण मूल पत्रायली अनुमोदित कार्य योजना, कार्यवाही रजिस्टर, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, प्रमाणित कैश बुक, बैंक पास बुक स्वीकृत योजना मानचित्र, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, वर्क आई०डी०, कार्य की त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, सामग्री क्रय हेतु नियमानुसार कोटेशन टेन्डर आमंत्रित एवं स्वीकृति करने की पत्रावली कार्य की माप पुस्तिका, परिसम्पत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित व्यय धनराशि की पुष्टि न की जा सकी।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि यह सम्प्रेक्षा दल को व्यय सम्बन्धी समस्त वाउचर एवं नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" तथा लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।

उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित व्यय धनराशि रुपया 1054314.00 गबन की श्रेणी में आता है। उक्त धनराशि की नियमानुसार वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुशीला तत्कालीन ग्राम पं०/ वि० अधिकारी श्री राजकुमार एवं तत्कालीन प्रशासक श्री बाबूराम यादव से किये जाने हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

चूंकि बैंक पासबुक तथा मूल कैश बुक लेखा लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। अतः ग्राम निधि प्रथम से किया गया आहरण यदि ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय से भिन्न है, तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि प्रथम से किये गए वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर -31

वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत द्वारा ई-ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार चतुर्थ/पंचम राज्य वित्त अनुदान मद से धनराशि रुपया 32644.00 का व्यय दर्शित किया गया है। किन्तु वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति यथा बिल/वाउचर, मस्टररोल, ट्रान्सफर विवरण, मूल पत्रावली, अनुमोदित कार्य योजना, कार्यवाही रजिस्टर, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, प्रमाणित कैश बुक, बैंक पास बुक स्वीकृत योजना मानचित्र, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, वर्क आई०डी०, कार्य की त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, सामग्री क्रय हेतु नियमानुसार कोटेशन / टेन्डर आमंत्रित एवं स्वीकृति करने की पत्रावली कार्य की माप पुस्तिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित व्यय धनराशि की पुष्टि न की जा सकी।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह सम्प्रेक्षा दल को व्यय सम्बन्धी समस्त वाउचर एवं नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" तथा लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।

उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित व्यय धनराशि रुपया 32644.00 गबन की श्रेणी में आता है। उक्त धनराशि की नियमानुसार वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती इन्द्रावती तत्कालीन ग्राम पं०/ वि० अधिकारी श्री राजकुमार एवं तत्कालीन प्रशासक श्री बाबूराम यादव से किये जाने हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

चूंकि बैंक पासबुक तथा मूल कैश बुक लेखा लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। अतः ग्राम निधि प्रथम से किया गया आहरण यदि ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय से भिन्न है, तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि प्रथम से किये गए वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर -32

वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत द्वारा ई-ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार चौदहवें पन्द्रहवें केन्द्रीय वित्त अनुदान मद से धनराशि रुपया 656096.00 का व्यय दर्शित किया गया है। किन्तु वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति यथा बिल/वाउचर, मस्टररोल, ट्रान्सफर विवरण, मूल पत्रावली, अनुमोदित कार्य योजना, कार्यवाही रजिस्टर, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, प्रमाणित कैश बुक, बैंक पास बुक, स्वीकृत योजना मानचित्र, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, वर्क आई०डी०, कार्य की त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, सामग्री क्रय हेतु नियमानुसार कोटेशन / टेन्डर आमंत्रित एवं स्वीकृति करने की पत्रावली, कार्य की माप पुस्तिका, परिसम्पत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित व्यय धनराशि की पुष्टि न की जा सकी।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-7 के अनुसार " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह सम्प्रेक्षा दल को व्यय सम्बन्धी समस्त वाउचर एवं नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" तथा लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार, यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध

नहीं कराया जाता है, तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।

उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित व्यय धनराशि रुपया 656096.00 गबन की श्रेणी में आता है। उक्त धनराशि की नियमानुसार वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती इन्द्रावती तत्कालीन ग्राम पं०/ वि० अधिकारी श्री राजकुमार एवं तत्कालीन प्रशासक श्री बाबूराम यादव से किये जाने हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

चूँकि बैंक पासबुक तथा मूल कैश बुक लेखा लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। अतः ग्राम निधि प्रथम से किया गया आहरण यदि ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय से भिन्न है, तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि प्रथम से किये गए वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

21-ग्राम पंचायत – मुण्डेरा विकास खण्ड – अतरौलिया लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -33

वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत द्वारा ई-ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार चतुर्थ/पंचम राज्य वित्त अनुदान मद से धनराशि रुपया 453634.00 का व्यय दर्शित किया गया है। किन्तु वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति यथा बिल/वाउचर मस्टररोल, ट्रान्सफर विवरण, मूल पत्रावली, अनुमोदित कार्य योजना, कार्यवाही रजिस्टर, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, प्रमाणित कैश बुक, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, वर्क आई०डी०, कार्य की त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, सामग्री क्रय हेतु नियमानुसार कोटेशन टेन्डर आमंत्रित एवं स्वीकृति करने की पत्रावली कार्य की माप पुस्तिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित व्यय धनराशि की पुष्टि न की जा सकी।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रचन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह सम्प्रेक्षा दल को व्यय सम्बन्धी समस्त वाउचर एवं नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" तथा लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार, यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।

उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित व्यय धनराशि रुपया 453634.00 गबन की श्रेणी में आता है। उक्त धनराशि की नियमानुसार वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती गीता तत्कालीन ग्राम पं०/ वि० अधिकारी श्री राजकुमार एवं तत्कालीन प्रशासक श्री बाबूराम यादव से किये जाने हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

चूँकि बैंक पासबुक तथा मूल कैश बुक लेखा लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। अतः ग्राम निधि प्रथम से किया गया आहरण यदि ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय से भिन्न है, तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि प्रथम से किये गए वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर -34

वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत द्वारा ई-ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार चौदहवें / पन्द्रहवें केन्द्रीय वित्त अनुदान मद से धनराशि रुपया 887325.00 का व्यय दर्शित किया गया है। किन्तु वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति यथा बिल/वाउचर, मस्टररोल, ट्रान्सफर विवरण मूल पत्रावली अनुमोदित कार्य योजना कार्यवाही रजिस्टर, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, प्रमाणित कैश बुक, बैंक पास बुक, स्वीकृत योजना मानचित्र, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक

स्वीकृति की पत्रावली, वर्क आई०डी०, कार्य की त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, सामग्री क्रय हेतु नियमानुसार कोटेशन / टेन्डर आमंत्रित एवं स्वीकृति करने की पत्रावली कार्य की माप पुस्तिका, परिसम्पत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित व्यय धनराशि की पुष्टि न की जा सकी।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-7 के अनुसार, ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह सम्प्रेक्षा दल को व्यय सम्बन्धी समस्त वाउचर एवं नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" तथा लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर - 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।

उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित व्यय धनराशि रुपया 887325.00 गबन की श्रेणी में आता है। उक्त धनराशि की नियमानुसार वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती गीता तत्कालीन ग्राम पं०/ वि० अधिकारी श्री राजकुमार एवं तत्कालीन प्रशासक श्री बाबूराम यादव से किये जाने हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

चूँकि बैंक पासबुक तथा मूल कैश बुक लेखा लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। अतः ग्राम निधि प्रथम से किया गया आहरण यदि ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय से भिन्न है, तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि प्रथम से किये गए वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

22- ग्राम पंचायत -चतुरपुर खास विकास खण्ड - अतरौलिया लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -35

वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत द्वारा ई-ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार चतुर्थ/पंचम राज्य वित्त अनुदान मद से धनराशि रुपया 574247.00 का व्यय दर्शित किया गया है। किन्तु वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति यथा बिल/वाउचर, मस्टररोल, ट्रान्सफर विवरण, मूल पत्रावली, अनुमोदित कार्य योजना, कार्यवाही रजिस्टर, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, प्रमाणित कैश बुक, बैंक पास बुक स्वीकृत योजना मानचित्र स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, वर्क आई०डी०, कार्य की त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, सामग्री क्रय हेतु नियमानुसार कोटेशन टेन्डर आमंत्रित एवं स्वीकृति करने की पत्रावली कार्य की माप पुस्तिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित व्यय धनराशि की पुष्टि न की जा सकी।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह सम्प्रेक्षा दल को व्यय सम्बन्धी समस्त वाउचर एवं नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" तथा लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार, यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।

उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित व्यय धनराशि रुपया 574247.00 गबन की श्रेणी में आता है। उक्त धनराशि की नियमानुसार वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री संजय तत्कालीन ग्राम पं०/ वि० अधिकारी श्री राजकुमार एवं तत्कालीन प्रशासक श्री बाबूराम यादव से किये जाने हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

चूँकि बैंक पासबुक तथा मूल कैश बुक लेखा लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। अतः ग्राम निधि प्रथम से किया गया आहरण यदि ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर

दर्शित व्यय से भिन्न है, तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि प्रथम् से किये गए वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर -36

वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत द्वारा ई-ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार चौदहवें / पन्द्रहवें केन्द्रीय वित्त अनुदान मद से धनराशि रुपया 436035.00 का व्यय दर्शित किया गया है। किन्तु वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति यथा बिल/वाउचर मस्टररोल, ट्रान्सफर विवरण मूल पत्रावली, अनुमोदित कार्य योजना कार्यवाही रजिस्टर, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, प्रमाणित कैश बुक, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन • सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, वर्क आई०डी०, कार्य की त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, सामग्री क्रय हेतु नियमानुसार कोटेशन / टेन्डर आमंत्रित एवं स्वीकृति करने की पत्रावली कार्य की माप पुस्तिका, परिसम्पत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित व्यय धनराशि की पुष्टि न की जा सकी।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार" ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह सम्प्रेक्षा दल को व्यय सम्बन्धी समस्त वाउचर एवं नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" तथा लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।

उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित व्यय धनराशि रुपया 436035.00 गबन की श्रेणी में आता है। उक्त धनराशि की नियमानुसार वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री संजय तत्कालीन ग्राम पं०/ वि० अधिकारी श्री राजकुमार एवं तत्कालीन प्रशासक श्री बाबूराम यादव से किये जाने हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

चूँकि बैंक पासबुक तथा मूल कैश बुक लेखा लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। अतः ग्राम निधि प्रथम् से किया गया आहरण यदि ई -ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय से भिन्न है, तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि प्रथम से किये गए वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

23- ग्राम पंचायत -चतुरपुर मधई पट्टी विकास खण्ड – अतरौलिया लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -37

वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत द्वारा ई-ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार चतुर्थ/पंचम राज्य वित्त अनुदान मद से धनराशि रुपया 290561.00 का व्यय दर्शित किया गया है। किन्तु वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति यथा बिल/वाउचर मस्टररोल, ट्रान्सफर विवरण, मूल पत्रावली, अनुमोदित कार्य योजना, कार्यवाही रजिस्टर, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, प्रमाणित कैश बुक, बैंक पास बुक, स्वीकृत योजना मानचित्र, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, वर्क आई०डी०, कार्य की त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, सामग्री क्रय हेतु नियमानुसार कोटेशन टेन्डर आमंत्रित एवं स्वीकृति करने की पत्रावली कार्य की माप पुस्तिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित व्यय धनराशि की पुष्टि न की जा सकी।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि यह सम्प्रेक्षा दल को व्यय सम्बन्धी समस्त वाउचर एवं नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" तथा लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध

नहीं कराया जाता है. तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।

उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित व्यय धनराशि रुपया 290561.00 गबन की श्रेणी में आता है। उक्त धनराशि की नियमानुसार वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री कमलेश व तत्कालीन ग्राम पं०/ वि० अधिकारी श्री राजकुमार एवं तत्कालीन प्रशासक श्री बाबूराम यादव से किये जाने हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

चूँकि बैंक पासबुक तथा मूल कैश बुक लेखा लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। अतः ग्राम निधि प्रथम से किया गया आहरण यदि ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय से भिन्न है, तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि प्रथम से किये गए वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर -38

वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत द्वारा ई-ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार चौदहवें / पन्द्रहवें केन्द्रीय वित्त अनुदान मद से धनराशि रुपया 901846.00 का व्यय दर्शित किया गया है। किन्तु वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति यथा बिल/वाउचर मस्टररोल, ट्रान्सफर विवरण मूल पत्रावली अनुमोदित कार्य योजना कार्यवाही रजिस्टर, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, प्रमाणित कैश बुक, बैंक पासबुक स्वीकृत योजना मानचित्र, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, वर्क आई०डी०, कार्य की त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, सामग्री क्रय हेतु नियमानुसार कोटेशन / टेन्डर आमंत्रित एवं स्वीकृति करने की पत्रावली, कार्य की माप पुस्तिका, परिसम्पत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित व्यय धनराशि की पुष्टि न की जा सकी।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-7 के अनुसार, ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह सम्प्रेक्षा दल को व्यय सम्बन्धी समस्त वाउचर एवं नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" तथा लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार, यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।

उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित व्यय धनराशि रुपया 901846.00 गबन की श्रेणी में आता है। उक्त धनराशि की नियमानुसार वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री कमलेश व तत्कालीन ग्राम पं०/ वि० अधिकारी श्री राजकुमार एवं तत्कालीन प्रशासक श्री बाबूराम यादव से किये जाने हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

चूँकि बैंक पासबुक तथा मूल कैश बुक लेखा लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। अतः ग्राम निधि प्रथम से किया गया आहरण यदि ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय से भिन्न है, तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि प्रथम से किये गए वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

24- ग्राम पंचायत -थिरई पट्टी विकास खण्ड – अतरौलिया लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -39

वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत द्वारा ई-ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार चतुर्थ/पंचम राज्य वित्त अनुदान मद से धनराशि रुपया 461910.00 का व्यय दर्शित किया गया है। किन्तु वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति यथा बिल/वाउचर, मस्टररोल, ट्रान्सफर विवरण, मूल पत्रावली, अनुमोदित कार्य योजना, कार्यवाही रजिस्टर, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, प्रमाणित कैश बुक, बैंक पासबुक स्वीकृत योजना

मानचित्र स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, वर्क आई०डी०, कार्य की त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, सामग्री क्रय हेतु नियमानुसार कोटेशन / टेन्डर आमंत्रित एवं स्वीकृति करने की पत्रावली कार्य की माप पुस्तिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित व्यय धनराशि की पुष्टि न की जा सकी।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह सम्प्रेक्षा दल को व्यय सम्बन्धी समस्त वाउचर एवं नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" तथा लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।

उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित व्यय धनराशि रुपया 461910.00 गबन की श्रेणी में आता है। उक्त धनराशि की नियमानुसार वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती गीता व तत्कालीन ग्राम पं०/ वि० अधिकारी श्री राजकुमार एवं तत्कालीन प्रशासक श्री बाबूराम यादव से किये जाने हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

चूँकि बैंक पासबुक तथा मूल कैश बुक लेखा लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। अतः ग्राम निधि प्रथम से किया गया आहरण यदि ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय से भिन्न है, तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि प्रथम से किये गए वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर -40

वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत द्वारा ई-ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार चौदहवें / पन्द्रहवें केन्द्रीय वित्त अनुदान मद से धनराशि रुपया 606640.00 का व्यय दर्शित किया गया है। किन्तु वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणों की मूल प्रति यथा बिल/वाउचर मस्टररोल, ट्रान्सफर विवरण मूल पत्रावली अनुमोदित कार्य योजना, कार्यवाही रजिस्टर, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, प्रमाणित कैश बुक, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, वर्क आई०डी०, कार्य की त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, सामग्री क्रय हेतु नियमानुसार कोटेशन / टेन्डर आमंत्रित एवं स्वीकृति करने की पत्रावली कार्य की माप पुस्तिका, परिसम्पत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित व्यय धनराशि की पुष्टि न की जा सकी।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह सम्प्रेक्षा दल को व्यय सम्बन्धी समस्त वाउचर एवं नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" तथा लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार, यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।

उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित व्यय धनराशि रुपया 606640.00 गबन की श्रेणी में आता है। उक्त धनराशि की नियमानुसार वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती गीता व तत्कालीन ग्राम पं०/ वि० अधिकारी श्री राजकुमार एवं तत्कालीन प्रशासक श्री बाबूराम यादव से किये जाने हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

चूँकि बैंक पासबुक तथा मूल कैश बुक लेखा लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। अतः ग्राम निधि प्रथम से किया गया आहरण यदि ई -ग्राम स्वराज पोर्टल पर

दर्शित व्यय से भिन्न है, तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि प्रथम से किये गए वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

25- ग्राम पंचायत – सिपार पट्टी विकास खण्ड – अतरौलिया लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -41

वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत द्वारा ई-ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार चतुर्थ/पंचम राज्य वित्त अनुदान मद से धनराशि रुपया 262634.00 का व्यय दर्शित किया गया है। किन्तु वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति यथा बिल/वाउचर मस्टररोल, ट्रान्सफर विवरण, मूल पत्रावली, अनुमोदित कार्य योजना, कार्यवाही रजिस्टर, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, प्रमाणित कैश बुक, बैंक पास बुक स्वीकृत योजना मानचित्र स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, वर्क आई०डी०, कार्य की त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, सामग्री क्रय हेतु नियमानुसार कोटेशन / टेन्डर आमंत्रित एवं स्वीकृति करने की पत्रावली कार्य की माप पुस्तिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित व्यय धनराशि की पुष्टि न की जा सकी।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह सम्प्रेक्षा दल को व्यय सम्बन्धी समस्त वाउचर एवं नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये।" तथा लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।

उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित व्यय धनराशि रुपया 262634.00 गबन की श्रेणी में आता है। उक्त धनराशि की नियमानुसार वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अनिल कुमार व तत्कालीन ग्राम पं०/ वि० अधिकारी श्री राजकुमार एवं तत्कालीन प्रशासक श्री बाबूराम यादव से किये जाने हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

चूँकि बैंक पासबुक तथा मूल कैश बुक लेखा लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। अतः ग्राम निधि प्रथम से किया गया आहरण यदि ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय से भिन्न है, तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि प्रथम से किये गए वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर -42

वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत द्वारा ई-ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार चौदहवें / पन्द्रहवें केन्द्रीय वित्त अनुदान मद से धनराशि रुपया 594614.00 का व्यय दर्शित किया गया है। किन्तु वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति यथा बिल/वाउचर, मस्टररोल, ट्रान्सफर विवरण, मूल पत्रावली, अनुमोदित कार्य योजना, कार्यवाही रजिस्टर, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, प्रमाणित कैश बुक, बैंक पासबुक स्वीकृत योजना मानचित्र, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, वर्क आई०डी०, कार्य की त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, सामग्री क्रय हेतु नियमानुसार कोटेशन / टेन्डर आमंत्रित एवं स्वीकृति करने की पत्रावली, कार्य की माप पुस्तिका, परिसम्पत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित व्यय धनराशि की पुष्टि न की जा सकी।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार, " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि यह समीक्षा दल को व्यय सम्बन्धी समस्त वाउचर एवं निगमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये।" तथा लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार, यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध

नहीं कराया जाता है, तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।

उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित व्यय धनराशि रुपया 594614.00 गबन की श्रेणी में आता है। उक्त धनराशि की नियमानुसार वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अनिल कुमार व तत्कालीन ग्राम पं०/ वि० अधिकारी श्री राजकुमार एवं तत्कालीन प्रशासक श्री बाबूराम यादव से किये जाने हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

चूँकि बैंक पासबुक तथा मूल कैश बुक लेखा लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। अतः ग्राम निधि प्रथम से किया गया आहरण यदि ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय से भिन्न है, तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि प्रथम से किये गए वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

26-ग्राम पंचायत – छितौनी खास

विकास खण्ड – अतरौलिया लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -43

वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत द्वारा ई-ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार चतुर्थ/पंचम राज्य वित्त अनुदान मद से धनराशि रुपया 762287.00 का व्यय दर्शित किया गया है। किन्तु वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति यथा बिल/वाउचर मस्टररोल, ट्रान्सफर विवरण, मूल पत्रावली, अनुमोदित कार्य योजना, कार्यवाही रजिस्टर, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, प्रमाणित कैश बुक, बैंक पास बुक स्वीकृत योजना मानचित्र, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, वर्क आई०डी०, कार्य की त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, सामग्री क्रय हेतु नियमानुसार कोटेशन / टेन्डर आमंत्रित एवं स्वीकृति करने की पत्रावली, कार्य की माप पुस्तिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित व्यय धनराशि की पुष्टि न की जा सकी।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह सम्प्रेक्षा दल को व्यय सम्बन्धी समस्त वाउचर एवं नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" तथा लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।

उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित व्यय धनराशि रुपया 762287.00 गबन की श्रेणी में आता है। उक्त धनराशि की नियमानुसार वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती विमलेश व तत्कालीन ग्राम पं०/ वि० अधिकारी श्री राजकुमार एवं तत्कालीन प्रशासक श्री बाबूराम यादव से किये जाने हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

चूँकि बैंक पासबुक तथा मूल कैश बुक लेखा लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। अतः ग्राम निधि प्रथम से किया गया आहरण यदि ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय से भिन्न है, तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि प्रथम से किये गए वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर -44

वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत द्वारा ई-ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार चौदहवें / पन्द्रहवें केन्द्रीय वित्त अनुदान मद से धनराशि रुपया 686453.00 का व्यय दर्शित किया गया है। किन्तु वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति यथा बिल/वाउचर, मस्टररोल, ट्रान्सफर विवरण, मूल पत्रावली अनुमोदित

कार्य योजना कार्यवाही रजिस्टर, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, प्रमाणित कैश बुक, बैंक पास बुक स्वीकृत योजना मानचित्र, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, वर्क आई०डी०, कार्य की त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, सामग्री क्रय हेतु नियमानुसार कोटेशन / टेन्डर आमंत्रित एवं स्वीकृति करने की पत्रावली, कार्य की माप पुस्तिका, परिसम्पत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित व्यय धनराशि की पुष्टि न की जा सकी

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह सम्प्रेक्षा दल को व्यय सम्बन्धी समस्त वाउचर एवं नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" तथा लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार, यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।

उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित व्यय धनराशि रुपया 686453.00 गबन की श्रेणी में आता है। उक्त धनराशि की नियमानुसार वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती विमलेश व तत्कालीन ग्राम पं०/ वि० अधिकारी श्री राजकुमार एवं तत्कालीन प्रशासक श्री बाबूराम यादव से किये जाने हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

चूँकि बैंक पासबुक तथा मूल कैश बुक लेखा लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। अतः ग्राम निधि प्रथम से किया गया आहरण यदि ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय से भिन्न है, तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि प्रथम से किये गए वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों को ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

27-ग्राम पंचायत – भैरोपुर दरगाह विकास खण्ड – अहिरौला लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -45

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (4/5 वां राज्य वित्त मद) से रुपये 510435-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल / मस्टर रोल / ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/ टेन्डर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भसे पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय /अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षा दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज्य /प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय

की धनराशि रुपये 510435-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 255217-50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री जय प्रकाश से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 255217-50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री नीरज से वसूली तिथि तक सुसंगत व्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -46

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (14/15 वां केन्द्रीय वित्त मद) से रुपये 492440-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/ मस्टर रोल ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/ टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि 'ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये' के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार 'यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।' के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज्य प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 492440-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 246220-00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री जय प्रकाश से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 246220-00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री नीरज से वसूली तिथि तक सुसंगत व्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

28-ग्राम पंचायत – मिश्रौली विकास खण्ड – अहिरौला लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -47

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (मनरेगा की ऑफिसियल वेबपोर्टल पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) रुपये 2093000-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल / मस्टर रोल / ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/ टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा

मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8'क' के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध (मनरेगा की ऑफिसियल वेबपोर्टल पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 2093000-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 1046500-00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती संगीता से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 1046500-00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं. /वि.अधिकारी) श्री राजेश वर्मा से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

प्रस्तर -48

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (4/5 वां राज्य वित्त मद) से रुपये 703204-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणों की मूल प्रति (बिल / मस्टर रोल / ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी ।" के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज /प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 703204-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 351602-00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती संगीता से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 351602-00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि. अधिकारी) श्री राजेश वर्मा से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

29- ग्राम पंचायत -फरीदपुर विकास खण्ड – अहिरोला लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -49

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (चतुर्थ/पंचम राज्य वित्त मद) से रुपये 370062-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणों की मूल प्रति (बिल / मस्टर रोल ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से

पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दयित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार 'यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज्य /प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 370062-00 में से पचास प्रतिशत (30%) धनराशि रुपये 185031-00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री बंटी सिंह से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 185031-00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./ वि.अधिकारी) श्री अंचल सिंह से वसूली तिथि तक सुसंगत व्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

प्रस्तर -50

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियाँ के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (चैदहवाँ/ पन्द्रहवाँ केन्द्रीय वित्त मद) से रुपये 832859-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल / मस्टर रोल ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दयित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज्य प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 832859-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 416429-00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री बंटी सिंह से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 416429-00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./ वि. अधिकारी) श्री अंचल सिंह से वसूली तिथि तक सुसंगत व्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

प्रस्तर -51

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (चतुर्थ/पंचम राज्य वित्त मद) से रुपये 499768-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल / मस्टर रोल / ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/ टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव से उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज /प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 499768-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 249884-00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती चिनौता से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 249884-00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री वीरेंद्र यादव से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

प्रस्तर -52

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (चैदहवाँ/ पन्द्रहवाँ केन्द्रीय वित्त मद) से रुपये 894903-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल / मस्टर रोल ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/ टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार 'यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की

वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज्य /प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 894903-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 447451-50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती चिनौता से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 447451-50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री वीरेंदर यादव से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

31-ग्राम पंचायत -पीथापुर विकास खण्ड - अहिरौला लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -53

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (मनरेगा की ऑफिसियल वेबपोर्टल पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) रुपये 986000-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल / मस्टर रोल ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दयित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार 'यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध (मनरेगा की ऑफिसियल वेबपोर्टल पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 986000-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 493000-00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती अनरमा से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 493000-00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं. /वि. अधिकारी) श्री राम पलट से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

प्रस्तर -54

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (ई ग्राम स्वराज/पियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (चैदहवाँ/ पन्द्रहवाँ राज्य वित्त मद) से रुपये 482867-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिला मस्टर रोल (ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव से उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दयित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8'क' के अनुसार 'यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज्य / प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 482867-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 241433-50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती अनरमा से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 241433-50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./ वि.अधिकारी) श्री राम पलट से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

प्रस्तर -55

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (चैदहवाँ/ पन्द्रहवाँ केन्द्रीय वित्त मद) से रुपये 1082194-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल / मस्टर रोल ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र व आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दयित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8'क' के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 1082194-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 541097-00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती अनरमा से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 541097-00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./ वि.अधिकारी) श्री राम पलट से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

32-ग्राम पंचायत -नायपुर विकास खण्ड - अहिरौला लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -56

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (चतुर्थ/पंचम राज्य वित्त मद) से रुपये 70084-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल / मस्टर रोल / ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और

प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दयित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज्य प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 70084-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 35042-00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री विजय से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 35042-00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./ वि. अधिकारी) श्री नीरज से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

प्रस्तर -57

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (चैदहवों/ पन्द्रहवों केन्द्रीय वित्त मद) से रुपये 316335-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल / मस्टर रोल ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दयित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज्य /प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 316335-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 158167-50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री विजय से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 158167-50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री नीरज से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

प्रस्तर -58

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (चतुर्थ/पंचम राज्य वित्त मद) से रुपये 301030-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल / मस्टर रोल / ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/ टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 301030-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 150515-00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री असरान से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 150515-00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./ वि. अधिकारी) श्री वीरेंद्र यादव से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

प्रस्तर -59

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (चैदहवाँ/ पन्द्रहवाँ केन्द्रीय वित्त मद) से रुपये 1346461-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल / मस्टर रोल ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। उक्त नियमानुसार

प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज्य / प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 1346461-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 673230-50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री असरान से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 673230-50 सचिव ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./ वि. अधिकारी) श्री वीरेंदर यादव से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

34- ग्राम पंचायत – धरौली विकास खण्ड - अहिरौली लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -60

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (चतुर्थ/पंचम राज्य वित्त मद) से रुपये 358750-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/मस्टर रोल / ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/ टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकती। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकती।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज्य / प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 358750-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 179375-00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती किस्मती से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 179375-00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./ वि. अधिकारी) श्री विजय चन्द से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

प्रस्तर -61

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (चैदहवों/ पन्द्रहवों केन्द्रीय वित्त मद) से रुपये 977491-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/मस्टर रोल / ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/ टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकती। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकती।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दयित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज्य / प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 977491-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 488745-00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती किस्मती से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 488745-00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री विजय चन्द से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

35- ग्राम पंचायत – उदैना विकास खण्ड - अहिरौला लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -62

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (चतुर्थ/पंचम राज्य वित्त मद) से रुपये 124836-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल / मस्टर रोल / ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/ टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भसे पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दयित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज्य / प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 124836-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 62418-00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री खरपत्तू से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 62418-00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री राम पलट से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

प्रस्तर -63

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (चैदहवाँ/ पन्द्रहवाँ केन्द्रीय वित्त मद) से रुपये 733875-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल / मस्टर रोल ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय

और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दयित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज्य /प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 733875-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 366937-50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री खरपत्तू से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 366937-50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./ वि.अधिकारी) श्री राम पलट से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

36- ग्राम पंचायत - चितौना अछेपुर विकास खण्ड - अहिरौला लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -64

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (चतुर्थ/पंचम राज्य वित्त मद) से रुपये 285244-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल / मस्टर रोल / ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/ टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दयित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज्य प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 285244-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 142622-00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री विनोद से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 142622-00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./ वि. अधिकारी) श्री नीरज से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

प्रस्तर -65

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (चैदहवाँ/ पन्द्रहवाँ केन्द्रीय वित्त मद) से रुपये 362385-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल / मस्टर रोल ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियाँ व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/ टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज्य /प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 362385-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 181192-50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री विनोद से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 181192-50 सचिव ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./ वि.अधिकारी) श्री नीरज से वसूली तिथि तक सुसंगत व्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

37- ग्राम पंचायत – कोठा मठ भौटौली विकास खण्ड - अहिरौला लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -66

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (चतुर्थ/पंचम राज्य वित्त मद) से रुपये 324882-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल / मस्टर रोल / ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियाँ व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। उक्त नियमानुसार

प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज्य प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 324882-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 162441-00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अरुण से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 162441-00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./ वि.अधिकारी) श्री नीरज से वसूली तिथि तक सुसंगत व्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

प्रस्तर -67

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (चैदहवाँ/ पन्द्रहवाँ केन्द्रीय वित्त मद) से रुपये 585168-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/ मस्टर रोल / ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज्य प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 585168-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 292584-00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अरुण से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 292584-00 सचिव ग्राम पंचायत (ग्रा.पं. /वि. अधिकारी) श्री नीरज से वसूली तिथि तक सुसंगत व्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

38-ग्राम पंचायत -हसनाडीह विकास खण्ड – अहिरौला लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -68

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (चतुर्थ/पंचम राज्य वित्त मद) से रुपये 468516-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल / मस्टर रोल ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना / अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दयित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार 'यदि दशांये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज्य / प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 468516-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 234258-00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राम उदय से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 234258-00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री वीरेंदर यादव से वसूली तिथि तक सुसंगत व्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

प्रस्तर - 69

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (चैदहवाँ/ पन्द्रहवाँ केन्द्रीय वित्त मद) से रुपये 1401886-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/ मस्टर रोल ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना। अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशनॉटेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दयित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार 'यदि दशांये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज्य / प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 1401886-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 700943-00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राम उदय से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 700943-00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री वीरेंदर यादव से वसूली तिथि तक सुसंगत व्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

39- ग्राम पंचायत -खुरासो विकास खण्ड - अहिरौला लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -70

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (चतुर्थ/पंचम राज्य वित्त मद) से रुपये 577523-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और

प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दयित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार 'यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज्य प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 577523-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 288761-50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री उमाशंकर से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 288761-00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./ वि. अधिकारी) श्री हरेन्द्र यादव से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

प्रस्तर-71

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (ई ग्राम स्वराज/प्रयासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (चैदहवों/ पन्द्रहवों केन्द्रीय वित्त मद) से रुपये 1493984-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/ मस्टर रोल ट्रांसफर विवरण), मूल पावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना। अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री करा हेतु यथावश्यक कोटेशन टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की विस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दयित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार 'यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज्य प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 1493984-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 746992-00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री उमाशंकर से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 746992-00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./ वि.अधिकारी) श्री हरेन्द्र यादव से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (मनरेगा की ऑफिसियल वेबपोर्टल पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) रुपये 2301000-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणों की मूल प्रति (बिल / मस्टर रोल / ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की भाप पुस्तिका, कार्यपूति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8'क' के अनुसार 'यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध (मनरेगा की ऑफिसियल वेबपोर्टल पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 2301000-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 1150500-00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री उमाशंकर से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 1150500-00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री हरेन्द्र यादव से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

40- ग्राम पंचायत - पारामिसौलली विकास खण्ड - अहिरौला लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -73

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (चतुर्थ/पंचम राज्य वित्त मद) से रुपये 1240128-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणों की मूल प्रति (बिल / मस्टर रोल / ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भसे पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश दद्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की

वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज्य / प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दूशित व्यय की धनराशि रुपये 1240128-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 620064-00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री ब्रिजेश से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 620064-00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि. अधिकारी) श्री राजेश वर्मा से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

प्रस्तर -74

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (चैदहवाँ/ पन्द्रहवाँ केन्द्रीय वित्त मद) से रुपये 368137-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/ मस्टर रोल ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार 'यदि दशाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दशाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज्य / प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 368137-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 184068-50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री ब्रिजेश से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 184068-50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./ वि. अधिकारी) श्री राजेश वर्मा से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

41- ग्राम पंचायत – सीरपति विकास खण्ड - अहिरौला लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -75

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (चतुर्थ/पंचम राज्य वित्त मद) से रुपये 30082-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल / मस्टर रोल ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि 'ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार 'यदि दशांगे गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दशाईं गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। के अंतर्गत अधिभार गॉन्ग है। उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध (के ग्राम स्वराज्य / प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 30082-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 15041-00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री जय प्रकाश से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 15041-00 सचिव ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./ वि. अधिकारी) श्री विजय चन्द से वसूली तिथि तक सुसंगत व्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

प्रस्तर -76

साम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (ई ग्राम स्वराज प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (चैदहवाँ/ पन्द्रहवाँ केन्द्रीय वित्त मद) से रुपये 519701-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त निगमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिला मस्टर रोल ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र /आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशनॉटेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि 'ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार 'यदि दशांगे गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दशाईं गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज्य प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 519701-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 259850-50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री जय प्रकाश से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 259850-50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री विजय चन्द से वसूली तिथि तक सुसंगत व्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

42 - ग्राम पंचायत -कोराघाटम विकास खण्ड - अहिरौला लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -77

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (चतुर्थ/पंचम राज्य वित्त मद) से रुपये 445001-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और

प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दयित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि की गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज्य प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 445001-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 222500-50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री संतोष से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 222500-50 सचिव ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री सुरेश कुमार से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -78

ग्राम पंचायत एवारा वर्ष-2020-21 में (है ग्राम स्वराज/पियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (चैदहवों/ पन्द्रहवों केन्द्रीय वित्त मंद) से रुपये 1693716-00 कर व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त निगमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिता मस्टर रोल ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विक्रस योजना। अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबती, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की परवलियों, सामग्री क्रय हेतु मथावश्यक क्रेटेशन टैडर आमषित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश दद्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दयित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8'क' के अनुसार 'यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज्य प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 1693716-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 846858-00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री संतोष से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 846858-00 सचिव ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री सुरेश कुमार से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (मनरेगा की ऑफिसियल वेबपोर्टल पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) रुपये 639000-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल / मस्टर रोल ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना। अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियाँ व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री कय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8'क' के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध (मनरेगा की ऑफिसियल वेबपोर्टल पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 639000-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 319500-00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री संतोष से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 319500-00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री सुरेश कुमार से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

43 - ग्राम पंचायत -कुश्महारा विकास खण्ड - अहिरोला लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -80

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) बाम निधि प्रथम के (चतुर्थ/पंचम राज्य वित्त मद) से रुपये 691388-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल) मस्टर रोल / ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियाँ व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/ टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भसे पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी । बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी ।

मूल अभिलेखों के अभाव में उका स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा निगमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई

वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य ही उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध (ई बाम स्वराज्य / प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 691388-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 345694-00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती नीलम से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 345694-00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./ वि. अधिकारी) श्री विजय चन्द से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

प्रस्तर -81

बाम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) बाम निधि प्रथम के (चैदहवाँ/ पन्द्रहवाँ केन्द्रीय वित्त मद) से रुपये 1768475-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिला मस्टर रोल ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना। अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र /आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी बाम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार 'यदि दशाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज्य / प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 1768475-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 884237-00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती नीलम से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 884237-00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./ वि.अधिकारी) श्री विजय चन्द से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

44-ग्राम पंचायत -सतुवहिया विकास खण्ड – अहिरौला लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -82

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (चतुर्थ/पंचम राज्य वित्त मद) से रुपये 225523-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/मस्टर रोल ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/ टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दयित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 'क' के अनुसार 'यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज्य प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 225523-00 में ही पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 112761-50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रशीद से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 112761-50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./ वि. अधिकारी) श्री हरेन्द्र यादव से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

प्रस्तर -83

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (हैं ग्राम स्वराज/पियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (चैदहवाँ/ पन्द्रहवाँ केन्द्रीय वित्त मद) से रुपये 1254816-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल) मस्टर रोल ट्रांसफर विवरण), मूल पावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना। अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र /आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिकर, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से कस्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दयित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार 'यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज्य चियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 1254816-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 627408-00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रशीद से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 627408-00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./ वि. अधिकारी) श्री हरेन्द्र यादव से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

प्रस्तर -84

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (मनरेगा की ऑफिसियल वेबपोर्टल पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) रुपये 1176000-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/ मस्टर रोल ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु

यथावश्यक कोटेशन टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दयित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 'क' के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध (मनरेगा की ऑफिसियल वेबपोर्टल पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 1176000-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 588000-00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रशीद से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 588000-00 सचिव ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./ वि. अधिकारी) श्री हरेन्द्र यादव से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

45- ग्राम पंचायत -बनरहीया विकास खण्ड - अहिरौला लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -85

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (चतुर्थ/पंचम राज्य वित्त मद) से रुपये 985743-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/ मस्टर रोल / ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भसे पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय / अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दयित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार 'यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज / प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 985743-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 492871-50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रानायाजय से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 492871-50 सचिव ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./ वि. अधिकारी) श्री राजेश वर्मा से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (चैदहवाँ/ पन्द्रहवाँ केन्द्रीय वित्त मद) से रुपये 428141-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल / मस्टर रोल/ ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन, टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क' के अनुसार 'यदि दशाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दशाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज्य / प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 428141-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 214070-50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राजायांजय से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 214070-50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्र.पं./ वि. अधिकारी) श्री राजेश वर्मा से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

46- ग्राम पंचायत -सकरकोल विकास खण्ड - अहिरौला लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -87

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (चतुर्थ/पंचम राज्य वित्त मद) से रुपये 663014-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल / मस्टर रोल / ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/ टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल की व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 का के अनुसार 'यदि दशाये गए व्यय के संबंध में

कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दशाईं गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 663014-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 331507-00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सतेन्द्र सिंह से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 331507-00 सचिव ग्राम पंचायत (ग्रा. पं./ वि. अधिकारी) श्री संतोष यादव से वसूली तिथि तक सुसंगत व्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

प्रस्तर -88

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (ई ग्राम स्वराज प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (चैदहवाँ/ पन्द्रहवाँ केन्द्रीय वित्त मद) से रुपये 455697-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल/ मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन ,टेडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों , कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव से उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि 'ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार 'यदि दशाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दशाईं गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज / प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 455697-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 227848-50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सतेन्द्र सिंह से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 227848-50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./ वि. अधिकारी) श्री संतोष यादव से वसूली तिथि तक सुसंगत व्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

47-ग्राम पंचायत -बरामदपुर विकास खण्ड - अहिरौला लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -89

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (चतुर्थ/पंचम राज्य वित्त मद) से रुपये 396748-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दयित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8'क' के अनुसार 'यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुगे इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज्य प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 396748-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 198374-00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती संगीता से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 198374-00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.प./ वि. अधिकारी) श्री सुरेश कुमार से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

प्रस्तर -90

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-31 में (है ग्राम स्वराज/ प्रिया साफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (चैदहवाँ/ पन्द्रहवाँ केन्द्रीय वित्त मद) से रुपये 644457-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको बी मूल प्रति (बिल/ मस्टर रोल / ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना। अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन, टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय / अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दयित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8'क' के अनुसार 'यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुने इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज्य प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 644457-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 322228-00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती संगीता से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 322228-00 सचिव ग्राम पंचायत (ग्रा.प./ वि.अधिकारी) श्री सुरेश से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

प्रस्तर -91

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (मनरेगा की ऑफिसियल वेबपोर्टल पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) रुपये 1265000-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल / मस्टर रोल/ ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियाँ व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र /आरेख, स्वीकृत / विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप

पुस्तिका, कार्यपूति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दयित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार 'यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध (मनरेगा की ऑफिसियल वेबपोर्टल पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 1265000-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 632500-00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती संगीता से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 632500-00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.प./वि.अधिकारी) श्री सुरेश से वसूली तिथि तक सुसंगत व्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

48-ग्राम पंचायत -पूरा दूबे विकास खण्ड अहिरौला लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -92

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (चतुर्थ/पंचम राज्य वित्त मद) से रुपये 420343-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना / अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/ टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी । बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दयित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार 'यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज्य प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 420343-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 210171-50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री हरी प्रसाद से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 210171-50 सचिव ग्राम पंचायत (ग्रा.प./ वि.अधिकारी) श्री सुरेश कुमार से वसूली तिथि तक सुसंगत व्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -93

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (है ग्राम स्वराज प्रिया साफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (चैदहवाँ/ पन्द्रहवाँ केन्द्रीय वित्त मद) से रुपये 1637870-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकी की मूल प्रति (बिल / मस्टर रोल/ ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही , बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र /आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों , सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों , कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की फोटोग्राफ), सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका , परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय / अनुदान कर उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज्य प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 1637870-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 818935-00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री हरी प्रसाद से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 818935-00 सचिव ग्राम पंचायत (ग्रा.पं. /वि. अधिकारी) श्री सुरेश कुमार से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

प्रस्तर -94

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (मनरेगा की ऑफिसियल वेबपोर्टल पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) रुपये 964000-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/ मस्टर रोल/ ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार 'यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध (मनरेगा की ऑफिसियल वेबपोर्टल पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित

व्यय की धनराशि रुपये 964000-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 482000-00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री हरी प्रसाद से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 482000-00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./ वि.अधिकारी) श्री सुरेश कुमार से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

49- ग्राम पंचायत -रसूलपुर अहमदअली विकास खण्ड - अहिरौला लेखा परीक्षा वर्ष - 2020-21

प्रस्तर -95

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (चतुर्थ/पंचम राज्य वित्त मद) से रुपये 192712-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/मस्टर रोल/ ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/ टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार 'यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।' के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज्य प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 192712-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 96356-00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अशोक कुमार से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 96356-00 सचिव ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./ वि. अधिकारी) श्री सुरेश कुमार से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -96

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (है ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (चैदहवों/ पन्द्रहवों केन्द्रीय वित्त मद) से रुपये 604122.00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल / मस्टर रोल/ ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना। अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा

मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार 'यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज्य प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 604122-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 302061-00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अशोक कुमार से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 302061-00 सचिव ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./ वि. अधिकारी) श्री सुरेश कुमार से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

प्रस्तर -97

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (मनरेगा की ऑफिसियल वेबपोर्टल पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) रुपये -1015000.00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/ मस्टर रोल/ ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना / अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध (मनरेगा की ऑफिसियल वेबपोर्टल पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 1015000-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 507500-00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अशोक कुमार से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 507500-00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं. /वि. अधिकारी) श्री सुरेश कुमार से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

50-ग्राम पंचायत -देवहट्टाबालेपट्टी विकास खण्ड - अहिरौला लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -98

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (चतुर्थ/पंचम राज्य वित्त मद) से रुपये 69977-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल / मस्टर रोल / ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की

प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज्य प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 69977-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 34988-50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रणजीत से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 34988-50-00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं. /वि. अधिकारी) श्री विजय चन्द्र से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

प्रस्तर -99

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (चैदहवों/ पन्द्रहवों केन्द्रीय वित्त मद) से रुपये 709804-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल / मस्टर रोल/ ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज्य /प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 709804-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 354902-00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रणजीत से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 354902-00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री विजय चन्द्र से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

51-ग्राम पंचायत – गजही विकास खण्ड - अहिरौला लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -100

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (चतुर्थ/पंचम राज्य वित्त मद) से रुपये 1113025-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय

के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल / मस्टर रोल / ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज्य / प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 1113025-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 556512-50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 556512-50 सचिव- ग्राम पंचायत (गा.पं./ वि.अधिकारी) श्री विजय चन्द से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

प्रस्तर -101

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (चैदहवाँ/ पन्द्रहवाँ केन्द्रीय वित्त मद) से रुपये 1309661-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल / मस्टर रोल / ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज्य / प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 1309661-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 654830-50 तत्कालीन ग्राम प्रधान

श्रीमती उर्मिला से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 654830-50 सचिव ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री विजय चन्द से वसूली तिथि तक सुसंगत व्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

52-ग्राम पंचायत – शमशाबाद विकास खण्ड - अहिरौला लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -102

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के चतुर्थ/पंचम राज्य वित्त मद) से रुपये 883615-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाला है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज्य /प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 883615-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 441807-50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती नसरीन से लथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 441807-50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./ वि. अधिकारी) श्री हरेन्द्र यादव से वसूली तिथि तक सुसंगत व्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

प्रस्तर -103

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (चैदहवाँ/ पन्द्रहवाँ केन्द्रीय वित्त सद) से रुपये 739627-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/ मस्टर रोल/ ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/ टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि 'ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा

कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार 'यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज्य प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 739627-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 369813-50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती नसरीन से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 369813-50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./ वि.अधिकारी) श्री हरेन्द्र यादव से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

प्रस्तर -104

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (मनरेगा की ऑफिसियल वेबपोर्टल पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) रुपये 3435000-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल / मस्टर रोल / ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना / अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दयित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध (मनरेगा की ऑफिसियल वेबपोर्टल पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 3435000-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 1717500-00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती नसरीन से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 1717500-00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा .पं / वि.अधिकारी) श्री हरेन्द्र यादव से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं ।

53-ग्राम पंचायत -कन्दरी अतईपुर विकास खण्ड - अहिरौला लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -105

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (चतुर्थ/पंचम राज्य वित्त मद) से रुपये 1068316-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल / मस्टर रोल / ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की

प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दयित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज्य /प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 1068316-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 534158-00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मिठाई लाल से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 534158-00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./ वि. अधिकारी) श्री सुरेश कुमार से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जानी चाहिए।

प्रस्तर -106

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (चैदहवाँ/ पन्द्रहवाँ केन्द्रीय वित्त मद) से रुपये 418595-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल / मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/ टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी ।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दयित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज्य प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 418595-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 209297-50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मिठाई लाल से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 209297-50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री सुरेश कुमार से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जानी चाहिए।

प्रस्तर -107

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (मनरेगा की ऑफिसियल वेबपोर्टल पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) रुपये 545000-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल / मस्टर रोल / ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/ टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध (मनरेगा की ऑफिसियल वेबपोर्टल पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 545000-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 272500-00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मिठाई लाल से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 272500-00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं /वि.अधिकारी) श्री सुरेश कुमार से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

54-ग्राम पंचायत – बरईपुर विकास खण्ड - अहिरौला लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -108

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (चतुर्थ/पंचम राज्य वित्त मद) से रुपये 647124-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल / मस्टर रोल / ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'साम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "साम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दयित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज्य प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 647124-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 323562-00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राज नारायण से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 323562-00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं. / वि.अधिकारी) श्री नीरज से वसूली तिथि तक सुसंगत व्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

प्रस्तर -109

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (चैदहवाँ/ पन्द्रहवाँ केन्द्रीय वित्त मद) से रुपये 582829-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल / मस्टर रोल/ ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/ टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दयित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज्य / प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 582829-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 291414-50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राज नारायण से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 291414-50-00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./ वि. अधिकारी) श्री नीरज से वसूली तिथि तक सुसंगत व्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

55-ग्राम पंचायत – सुखीपुर विकास खण्ड - अहिरौला लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -110

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (चतुर्थ/पंचम राज्य वित्त मद) से रुपये 492232-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/ मस्टर रोल / ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और

प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/ टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि 'ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दयित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करारी के विपरीत रहा। उक्त संख्या मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार 'यदि दशांये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।' के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज्य प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 492232-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 246116-00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती विभा से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 246116-00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./ वि. अधिकारी) श्री अंचल सिंह से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

प्रस्तर -111

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (चैदहवों/ पन्द्रहवों केन्द्रीय वित्त मद) से रुपये 292424-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल / मस्टर रोल / ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना / अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियाँ व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दयित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार 'यदि दशांये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।' के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज्य / प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 292424-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 146212-00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती विभा से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 146212-00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं. / वि.अधिकारी) श्री अंचल सिंह से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

प्रस्तर -112

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (चतुर्थ/पंचम राज्य वित्त मद) से रुपये 432717-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल / मस्टर रोल / ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/ टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकती। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकती।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय / अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 432717-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 216358-50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती असरा से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 216358-50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं. / वि.अधिकारी) श्री नीरज से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

प्रस्तर -113

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (चैदहवाँ/ पन्द्रहवाँ केन्द्रीय वित्त मद) से रुपये 545029-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/ मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकती। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकती।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। उक्त नियमानुसार

प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज्य/प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 545029-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 272514-50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती असरा से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 272514-50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./ वि.अधिकारी) श्री नीरज से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

57-ग्राम पंचायत –पावनी कलाँ विकास खण्ड -पल्हना लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -114

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (चतुर्थ/पंचम राज्य वित्त मद) से रुपये 444980-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/मस्टर रोल/ ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/ टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकती। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकती।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज्य /प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 444980-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 222490-00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री ज्योतिर्मय से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 222490-00 सचिव ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./ वि. अधिकारी) श्री प्रवण सिंह से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -115

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (ई ग्राम स्वराज प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (चैदहवों/ पन्द्रहवों केन्द्रीय वित्त मद) से रुपये 2332200-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल / मस्टर रोल / ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना। अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मान्यिका आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ, सामग्री कुप्य हेतु यथावश्यक कोटेशन टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकती । बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकती।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दयित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज्य प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 2332200-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 1166100-00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री ज्योतिमय से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 1166100-00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं. / वि.अधिकारी) श्री प्रवण सिंह से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

58-ग्राम पंचायत – असौसा विकास खण्ड -पल्हना लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर – 116

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (मनरेगा की ऑफिसियल वेबपोर्टल पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) रुपये 788000-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल / मस्टर रोल / ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/ टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दयित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय के प्रस्तर का के अनुसार 'यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (मनरेगा की ऑफिसियल वेबपोर्टल पर अपनीज प्रविष्टियों के अनुसार दर्शित राय की धनराशि रुपये 788000-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 394000-00 तत्कालीन साम प्रधान श्रीमती सुनीता से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि उपाये 394000-00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./ वि. अधिकारी) श्री प्रवण सिंह से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

प्रस्तर -117

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (है ग्राम स्वराज/प्रियाशाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के चतुर्थ/पंचम राज्य वित्त मद) से रुपये 664456-00 का समय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल / ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक,

स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों , सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेण्डर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों , कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका , परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दशित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायती में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दयित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार यदि दशाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज्य /त्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 664456-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 332228-00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुमित्रा से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 332228-00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं/वि अधिकारी) श्री प्रवण सिंह से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

प्रस्तर - 118

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (है ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (चैदहवाँ/ पन्द्रहवाँ केन्द्रीय वित्त मद) से रुपये 2799137-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/ मस्टर रोल / ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियाँ व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों , सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों , कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दशित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दयित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार 'यदि दशाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज्य प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 2799137-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 1399568-50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुमित्रा से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 1399568-50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं. / वि.अधिकारी) श्री प्रवण सिंह से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

प्रस्तर -119

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (मनरेगा की ऑफिसियल वेबपोर्टल पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) रुपये 1276000-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल / मस्टर रोल / ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना / अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषवही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकती। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकती।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (मनरेगा की ऑफिसियल वेबपोर्टल पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 1276000-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 638000-00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती विमला से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 638000-00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं. / वि.अधिकारी) श्री प्रवण सिंह से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

प्रस्तर -120

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (ई ग्राम स्वराज/ प्रिवासष्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (चतुर्थ/पंचम राज्य वित्त मद) से रुपये 608931-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल / मस्टर रोल / ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना / अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषवही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/ आरेख स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकती। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने में वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकती।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि की गबन मानते हुये इस धनराशि की

वसूली ग्राम -प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज्य / प्रिवासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 608931-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 304465-50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती विमला से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 304465-50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./ वि. अधिकारी) श्री प्रवण सिंह में वसूली तिथि तक सुसंगत व्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

प्रस्तर - 121

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (चैदहवाँ/ पन्द्रहवाँ केन्द्रीय वित्त मद) ने रुपये 894161-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल / मस्टर रोल / ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना / अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यबाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही , बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/ टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 "क" के अनुसार "यदि दर्शाया गया व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज्य / प्रिवासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 894161-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 447080-50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती विमला से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 447080-50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री प्रवण सिंह से वसूली तिथि तक सुसंगत व्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

60-ग्राम पंचायत -सुल्तानपुर नवापुरा विकास खण्ड -पल्हना लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -122

ग्राम पंचायत सुल्तानपुर नवापुरा की वित्तीय वर्ष 2020-21 की केन्द्रीय वित्त की कोषबही की जाँच में पाया गया जिसमें निम्न भुगतान किया गया है -

- 1- दिनांक 22-12-2020 को में रुद्रा ईट उद्योग भरथीपुर पल्हना रुपया -2600.00
- 2- दिनांक 22-12-2020 को में सिंह बिल्डिंग मेटेरियल भरथीपुर पल्हना रुपया-44800.00
- 3- दिनांक 22-12-2020 सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य की मजदूरी -15840.00

योग-63240.00

पुनः दिनांक 26-02-2021 को जो उपरोक्त भुगतान किया गया था उसको दुबारा भुगतान कर दिया गया इस प्रकार जाँच कर रुपया 63240.00 की वसूली प्रशासक श्री राजकुमार बत्रा व ग्रा.पं./वि. अं- श्री श्रवण कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

61-ग्राम पंचायत – भीखमपुर विकास खण्ड -पल्हना लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -123

ग्राम पंचायत भीखमपुर की वित्तीय वर्ष 2020-21 की राज्य वित्त की कोषवही की जाँच में पाया गया कि दिनांक 27-04-2020 को कोविड-19 दवा आदि छिड़काव हेतु रुपया 5000.00 का भुगतान फर्म को नहीं करके किसी व्यक्ति शामू / वनवारी को किया गया है, इसी प्रकार दिनांक 08-10-2020 को प्रधान के मानदेय का भुगतान रुपया 35000.00 का भी भुगतान शामू /वनवारी को किया गया है, जिसकी पुष्टि ऑनलाइन पेमेंट से हुई है।

अतः उपरोक्त दोनों भुगतान सम्बंधित फर्म व प्रधान को न करके गंभीर अनियमितता की गयी जिस पर आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

62-ग्राम पंचायत – इमिलिया विकास खण्ड -अजमतगढ़ लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -124

वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत द्वारा ई-ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार चौदहवें पन्द्रहवें केन्द्रीय वित्त अनुदान मद से धनराशि रुपया 422773.00 का व्यय दर्शित किया गया है। किन्तु वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति यथा बिल/वाउचर, मस्टररोल, ट्रान्सफर विवरण मूल पत्रावली अनुमोदित कार्य योजना कार्यवाही रजिस्टर, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, प्रमाणित कैश बुक, बैंक पास बुक स्वीकृत योजना मानचित्र, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, वर्क आई०डी०, कार्य की त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, सामग्री क्रय हेतु नियमानुसार कोटेशन टेन्डर आमंत्रित एवं स्वीकृति करने की पत्रावली कार्य की माप पुस्तिका, परिसम्पत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित व्यय धनराशि की पुष्टि न की जा सकी।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह सम्प्रेक्षा दल को व्यय सम्बन्धी समस्त वाउचर एवं नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" तथा लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।

उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित व्यय धनराशि रुपया 422773.00 गबन की श्रेणी में आता है। उक्त धनराशि की नियमानुसार वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रिकू देवी, तत्कालीन ग्राम पं०/ वि० अधिकारी श्री मनीष कुमार यादव से किये जाने हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

चूँकि बैंक पासबुक तथा मूल कैश बुक लेखा लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। अतः ग्राम निधि प्रथम से किया गया आहरण यदि ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय से भिन्न है, तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि प्रथम से किये गए वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

63-ग्राम पंचायत – पचखोरा विकास खण्ड – बिलरियागंज लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -125

आलोच्य वर्ष में रु.2339523.00का व्यय प्रियासाफ्ट के अनुसार किया गया है। किंतु किये गये व्यय के सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-8क के अनुसार किये गये व्यय से सम्बंधित वाउचर उपलब्ध न कराया जाना गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त धनराशि की वसूली श्री सत्यप्रताप (ग्राम सचिव) और श्री अरुण (ग्राम प्रधान) से की जानी अपेक्षित है।

लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -126

आलोच्य वर्ष में गा.पं.द्वारा रु 93331.00.का व्यय विज्ञापन हेतु दर्शित है। उक्त से सम्बंधित कोई वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 8-क के अनुसार दर्शाये गये व्यय से सम्बंधित वाउचर उपलब्ध न कराया जाना गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त धनराशि की वसूली श्री बबलू (ग्राम सचिव) तथा श्रीमती सरिता. (ग्राम प्रधान) से की जानी अपेक्षित है।

65-ग्राम पंचायत –कादीपुर तिवारी विकास खण्ड – बिलरियागंज लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -127

आलोच्य वर्ष में रु.911462.00 का व्यय प्रियासाफ्ट के अनुसार किया गया है। किंतु किये गये व्यय के सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-8क के अनुसार किये गये व्यय से सम्बंधित वाउचर उपलब्ध न कराया जाना गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त धनराशि की वसूली श्री सत्यप्रताप (ग्राम सचिव) और श्रीमती आरती (गा. प्रधान) से की जानी अपेक्षित है।

66-ग्राम पंचायत –जेहरा पिपरी विकास खण्ड – बिलरियागंज लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -128

आलोच्य वर्ष में रु.1320132.00 का व्यय प्रियासाफ्ट के अनुसार किया गया है। किंतु किये गये व्यय के सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-8क के अनुसार किये गये व्यय से सम्बंधित वाउचर उपलब्ध न कराया जाना गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त धनराशि की वसूली श्री सत्यप्रताप (ग्राम सचिव) और श्री सर्वेश (गा. प्रधान) से की जानी अपेक्षित है।

67-ग्राम पंचायत –हसनपुर विकास खण्ड – बिलरियागंज लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -129

आलोच्य वर्ष में रु.1661183.00 का व्यय प्रियासाफ्ट के अनुसार किया गया है। किंतु किये गये व्यय के सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-8क के अनुसार किये गये व्यय से सम्बंधित वाउचर उपलब्ध न कराया जाना गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त धनराशि की वसूली श्री सत्यप्रताप (ग्राम सचिव) और श्री वीरेंद्र (गा. प्रधान) से की जानी अपेक्षित है।

68-ग्राम पंचायत –भवनपुर विकास खण्ड – बिलरियागंज लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर - 130

आलोच्य वर्ष में रु.975325.00 का व्यय प्रियासाफ्ट के अनुसार किया गया है। किंतु किये गये व्यय के सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-8क के अनुसार किये गये व्यय से सम्बंधित वाउचर उपलब्ध न कराया जाना गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त धनराशि की वसूली श्री सत्यप्रताप (ग्राम सचिव) और श्रीमति सुनीता (गा. प्रधान) से की जानी अपेक्षित है।

69-ग्राम पंचायत –मादेपुर विकास खण्ड – कोयलसा लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर - 131

ग्राम पंचायत -मादेपुर के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि राज्य वित्त आयोग से प्राप्त रु० 383556.00 के आधार पर संपन्न की गयी है।

1-वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा इस व्यय धनराशि राज्य वित्त आयोग से प्राप्त रु० 383556.00 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक और अभिलेख जैसे कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आइ० डी०, एम०बी०, कैशबुक, बिल, बाउचर, मास्टर रोल, स्टॉक रजिस्टर, अचल संपत्ति रजिस्टर, सार्वजनिक कार्य रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, ग्राम पंचायत समितियों जैसे निर्माण समिति और नियोजन समिति की संस्तुति, कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ

आदि बार-2 मांगे जाने पर भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए हैं। जिससे प्रिया सॉफ्ट पर दर्शित व्यय रु० 383556.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा-8 (क) में प्रवाधान है कि, "यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक और अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी समस्त व्यय धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-09 के अंतर्गत गबन का मुकदमा चलाया जा सकेगा ।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत मादेपुर में राज्य वित्त की व्यय दर्शित धनराशि रु० 383556.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधा-आधा ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती भानमती से व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव कु० कंचन वर्मा से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -132

ग्राम पंचायत मादेपुर के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त रु० 1424380.00 के आधार पर संपन्न की गयी है।

2-वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा इस व्यय धनराशि केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त रु० 1424380.00 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक और अभिलेख जैसे कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आइंडी०, एम०बी०, कैशबुक, बिल, बाउचर, मास्टर रोल, स्टाक रजिस्टर, अचल संपत्ति रजिस्टर, सार्वजनिक कार्य रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, ग्राम पंचायत समितियों जैसे निर्माण समिति और नियोजन समिति की संस्तुति, कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि बार-2 मांगे जाने पर भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए हैं। जिससे प्रिया सॉफ्ट पर दर्शित व्यय रु० 1424380.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा-8 (क) में प्रवाधान है कि, "यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक और अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी समस्त व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-09 के अंतर्गत गबन का मुकदमा चलाया जा सकेगा ।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत मादेपुर में केन्द्रीय वित्त की व्यय दर्शित धनराशि रु० 1424380.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधा आधा ग्राम पंचायत प्रधान- श्रीमती भानमती से व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव कु० कंचन वर्मा से किया जाना अपेक्षित है।

70-ग्राम पंचायत – मखनहाँ

विकास खण्ड – कोयलसा लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -133

1-ग्राम पंचायत मखनहाँ के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि राज्य वित्त आयोग से प्राप्त रु० 25581.00 के आधार पर संपन्न की गयी है।

2-वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा इस व्यय धनराशि राज्य वित्त आयोग से प्राप्त रु० 25581.00 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक और अभिलेख जैसे कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आइंडी०, एम०बी०, कैशबुक, बिल, बाउचर, मास्टर रोल, स्टाक रजिस्टर, अचल संपत्ति रजिस्टर, सार्वजनिक कार्य रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, ग्राम पंचायत समितियों जैसे निर्माण समिति और नियोजन समिति की संस्तुति, कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि बार-2 मांगे जाने पर भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए हैं । जिससे प्रिया सॉफ्ट पर दर्शित व्यय रु० 25581.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा-8 (क) में प्रवाधान है कि, "यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक और अभिलेख

उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी समस्त व्यय धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-09 के अंतर्गत गबन का मुकदमा चलाया जा सकेगा ।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत मखनहाँ में राज्य वित्त की व्यय दर्शित धनराशि रु० 25581.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधा-आधा ग्राम पंचायत प्रधान मुहमद नजीर से व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव कु० कंचन वर्मा से किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर -134

1-ग्राम पंचायत मखनहाँ के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त रु० 1659537.00 के आधार पर संपन्न की गयी है।

2-वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा इस व्यय धनराशि केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त रु० 1659537.00 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक और अभिलेख जैसे कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आइंडी०, एम०बी०, कैशबुक, बिल, बाउचर, मास्टर रोल, स्टाक रजिस्टर, अचल संपत्ति रजिस्टर, सार्वजनिक कार्य रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, ग्राम पंचायत समितियों जैसे निर्माण समिति और नियोजन समिति की संस्तुति, कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि बार-2 मांगे जाने पर भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए हैं। जिससे प्रिया सॉफ्ट पर दर्शित व्यय रु० 1659537.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा-8 (क) में प्रावधान है कि, "यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक और अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी समस्त व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-09 के अंतर्गत गबन का मुकदमा चलाया जा सकेगा।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत मखनहाँ में केन्द्रीय वित्त की व्यय दर्शित धनराशि रु० 1659537.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधा आधा ग्राम पंचायत प्रधान- मुहमद नजीर से व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव कु० कंचन वर्मा से किया जाना अपेक्षित है।

71-ग्राम पंचायत – अतरैठ विकास खण्ड – कोयलसा लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -135

1-ग्राम पंचायत अतरैठ के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि राज्य वित्त आयोग से प्राप्त रु० 397892.00 के आधार पर संपन्न की गयी है।

2-वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा इस व्यय धनराशि राज्य वित्त आयोग से प्राप्त रु० 397892.00 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक और अभिलेख जैसे कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आइंडी०, एम०बी०, कैशबुक, बिल, बाउचर, मास्टर रोल, स्टाक रजिस्टर, अचल संपत्ति रजिस्टर, सार्वजनिक कार्य रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, ग्राम पंचायत समितियों जैसे निर्माण समिति और नियोजन समिति की संस्तुति, कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि बार-2 मांगे जाने पर भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए हैं। जिससे प्रिया सॉफ्ट पर दर्शित व्यय रु० 397892.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा-8 (क) में प्रावधान है कि, "यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक और अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी समस्त व्यय धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-09 के अंतर्गत गबन का मुकदमा चलाया जा सकेगा ।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत अतरैठ में राज्य वित्त की व्यय दर्शित धनराशि रु० 397892.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधा-आधा ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती लालती मौर्या से व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव कु० कंचन वर्मा से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -136

1-ग्राम पंचायत अतरैठ के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त रु० 6320367.00 के आधार पर संपन्न की गयी है।

2-वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा इस व्यय धनराशि केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त रु० 6320367.00 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक और अभिलेख जैसे कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आइन्डी०, एम०बी०, कैशबुक, बिल, बाउचर, मास्टर रोल, स्टाक रजिस्टर, अचल संपत्ति रजिस्टर, सार्वजनिक कार्य रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, ग्राम पंचायत समितियों जैसे निर्माण समिति और नियोजन समिति की संस्तुति, कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि बार-2 मांगे जाने पर भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए हैं। जिससे प्रिया सॉफ्ट पर दर्शित व्यय रु० 6320367.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा-8 (क) में प्रवाधान है कि, "यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक और अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी समस्त व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-09 के अंतर्गत गबन का मुकदमा चलाया जा सकेगा।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत अतरैठ में केन्द्रीय वित्त की व्यय दर्शित धनराशि रु० 6320367.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधा-आधा ग्राम पंचायत प्रधान- श्रीमती लालती मौर्या से व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव कु० कंचन वर्मा से किया जाना अपेक्षित है।

72-ग्राम पंचायत –पटाधन विकास खण्ड – कोयलसा लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -137

1-ग्राम पंचायत पटाधन के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि राज्य वित्त आयोग से प्राप्त रु० 52793.00 के आधार पर संपन्न की गयी है।

2-वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा इस व्यय धनराशि राज्य वित्त आयोग से प्राप्त रु० 52793.00 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक और अभिलेख जैसे कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आइन्डी०, एम०बी०, कैशबुक, बिल, बाउचर, मास्टर रोल, स्टाक रजिस्टर, अचल संपत्ति रजिस्टर, सार्वजनिक कार्य रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, ग्राम पंचायत समितियों जैसे निर्माण समिति और नियोजन समिति की संस्तुति, कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि बार-2 मांगे जाने पर भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए हैं। जिससे प्रिया सॉफ्ट पर दर्शित व्यय रु० 52793.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा-8 (क) में प्रवाधान है कि, "यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक और अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी समस्त व्यय धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-09 के अंतर्गत गबन का मुकदमा चलाया जा सकेगा।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत पटाधन में राज्य वित्त की व्यय दर्शित धनराशि रु० 52793.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधा-आधा ग्राम पंचायत प्रधान श्री देवेन्द्रनाथ यादव से व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव कु० कंचन वर्मा से किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर - 138

1-ग्राम पंचायत पटाधन केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त रु० 2747580.00 के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि केन्द्रीय वित्त आयोग के आधार पर संपन्न की गयी है।

2-वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा इस व्यय धनराशि; केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त रु० 2747580.00 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक और अभिलेख जैसे कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आइन्डी०, एम०बी०, कैशबुक, बिल, बाउचर, मास्टर रोल, स्टाक रजिस्टर, अचल संपत्ति रजिस्टर, सार्वजनिक कार्य रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, ग्राम पंचायत समितियों जैसे निर्माण समिति और नियोजन समिति की संस्तुति, कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि बार-2 मांगे जाने पर भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए हैं। जिससे प्रिया सॉफ्ट पर दर्शित व्यय रु० 2747580.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा-8 (क) में प्रवाधान है कि, "यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक और अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी समस्त व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-09 के अंतर्गत गबन का मुकदमा चलाया जा सकेगा ।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत पटाधन में केन्द्रीय वित्त की व्यय दर्शित धनराशि रु० 2747580.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधा आधा ग्राम पंचायत प्रधान-श्री देवेन्द्रनाथ यादव से व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव कु० कंचन वर्मा से किया जाना अपेक्षित है।

73-ग्राम पंचायत – धनघटा विकास खण्ड – कोयलसा लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -139

1-ग्राम पंचायत धनघटा के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि राज्य वित्त आयोग से प्राप्त रु० 14100.00के आधार पर संपन्न की गयी है।

2-वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा इस व्यय धनराशि राज्य वित्त आयोग से प्राप्त रु० 14100.00 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक और अभिलेख जैसे कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, ना. स्टीमेट, स्टीमेट, व वर्क आइन्डी०, एम०बी०, कैशबुक, बिल, बाउचर, मास्टर रोल, स्टाक रजिस्टर, अचल संपत्ति रजिस्टर, सार्वजनिक कार्य रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, ग्राम पंचायत समितियों जैसे निर्माण समिति और नियोजन समिति की संस्तुति, कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि बार-2 मांगे जाने पर भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए हैं। जिससे प्रिया सॉफ्ट पर दर्शित व्यय रु० 14100.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा-8 (क) में प्रवाधान है कि, "यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक और अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी समस्त व्यय धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-09 के अंतर्गत गबन का मुकदमा चलाया जा सकेगा।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत धनघटा में राज्य वित्त की व्यय दर्शित धनराशि रु० 14100.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधा-आधा ग्राम पंचायत प्रधान श्री देवानंद से व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव कु० कंचन वर्मा से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -140

1-ग्राम पंचायत धनघटा के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त रु० 293560.00 के आधार पर संपन्न की गयी है।

2-वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा इस व्यय धनराशि केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त रु० 293560.00 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक और अभिलेख जैसे कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आइंडी०, एम०बी०, कैशबुक, बिल, बाउचर, मास्टर रोल, स्टाक रजिस्टर, अचल संपत्ति रजिस्टर, सार्वजनिक कार्य रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, ग्राम पंचायत समितियों जैसे निर्माण समिति और नियोजन समिति की संस्तुति, कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि बार-2 मांगे जाने पर भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए हैं। जिससे प्रिया सॉफ्ट पर दर्शित व्यय रु० 293560.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा-8 (क) में प्रवाधान है कि, "यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक और अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी समस्त व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-09 के अंतर्गत गबन का मुकदमा चलाया जा सकेगा ।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत धनघटा में केन्द्रीय वित्त की व्यय दर्शित धनराशि रु० 293560.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधा आधा ग्राम पंचायत प्रधान श्री देवानंद से व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव कु० कंचन वर्मा से किया जाना अपेक्षित है।

74-ग्राम पंचायत –केशवपुर विकास खण्ड – कोयलसा लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -141

1-ग्राम पंचायत केशवपुर के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि राज्य वित्त आयोग से प्राप्त रु० 293024.00 के आधार पर संपन्न की गयी है।

2-वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा इस व्यय धनराशि राज्य वित्त आयोग से प्राप्त रु० 293024.00 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक और अभिलेख जैसे कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आइंडी०, एम०बी०, कैशबुक, बिल, बाउचर, मास्टर रोल, स्टाक रजिस्टर, अचल संपत्ति रजिस्टर, सार्वजनिक कार्य रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, ग्राम पंचायत समितियाँ जैसे निर्माण समिति और नियोजन समिति की संस्तुति, कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि बार-2 मांगे जाने पर भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए हैं। जिससे प्रिया सॉफ्ट पर दर्शित व्यय रु० 293024.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा-8 (क) में प्रवाधान है कि, "यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक और अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी समस्त व्यय धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-09 के अंतर्गत गबन का मुकदमा चलाया जा सकेगा ।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत केशवपुर में राज्य वित्त की व्यय दर्शित धनराशि रु० 293024.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधा-आधा ग्राम पंचायत प्रधान- श्री नागेन्द्र निषाद से व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अजय यादव से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -142

1-ग्राम पंचायत केशवपुर के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त रु० 447344.00 के आधार पर संपन्न की गयी है।

2-वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा इस व्यय धनराशि केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त रु० 447344.00 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक और अभिलेख जैसे कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आइन्डी०, एम०बी०, कैशबुक, बिल, बाउचर, मास्टर रोल, स्टाक रजिस्टर, अचल संपत्ति रजिस्टर, सार्वजनिक कार्य रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, ग्राम पंचायत समितियों जैसे निर्माण समिति और नियोजन समिति की संस्तुति, कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि बार-2 मांगे जाने पर भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए हैं। जिससे प्रिया सॉफ्ट पर दर्शित व्यय रु० 447344.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा-8 (क) में प्रवाधान है कि, "यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक और अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी समस्त व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-09 के अंतर्गत गबन का मुकदमा चलाया जा सकेगा।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत केशवपुर में केन्द्रीय वित्त की व्यय दर्शित धनराशि रु० 447344.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधा आधा ग्राम पंचायत प्रधान श्री नागेन्द्र निषाद से व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अजय यादव से किया जाना अपेक्षित है।

75-ग्राम पंचायत – बड़ागाँव

विकास खण्ड – कोयलसा लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -143

1-ग्राम पंचायत-बड़ागाँव के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि राज्य वित्त आयोग से प्राप्त रु० 178411.00 के आधार पर संपन्न की गयी है।

2-वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा इस व्यय धनराशि राज्य वित्त आयोग से प्राप्त रु० 178411.00 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक और अभिलेख जैसे कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आइन्डी०, एम०बी०, कैशबुक, बिल, बाउचर, मास्टर रोल, स्टाक रजिस्टर, अचल संपत्ति रजिस्टर, सार्वजनिक कार्य रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, ग्राम पंचायत समितियों जैसे निर्माण समिति और नियोजन समिति की संस्तुति, कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि बार-2 मांगे जाने पर भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए हैं। जिससे प्रिया सॉफ्ट पर दर्शित व्यय रु० 178411.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा-8 (क) में प्रवाधान है कि, "यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक और अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी समस्त व्यय धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-09 के अंतर्गत गबन का मुकदमा चलाया जा सकेगा।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत बड़ागाँव में राज्य वित्त की व्यय दर्शित धनराशि रु० 178411.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधा-आधा ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती अनीता से व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव- श्री देवेन्द्र तिवारी से किया जाना अपेक्षित है

प्रस्तर -144

1-ग्राम पंचायत- बड़ागाँव के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त 1106607.00 के आधार पर संपन्न की गयी है।

2-वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा इस व्यय धनराशि; केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त रु० 1106607.00 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक और अभिलेख जैसे कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आइन्डी०, एम०बी०,

कैशबुक, बिल, बाउचर, मास्टर रोल, स्टॉक रजिस्टर, अचल संपत्ति रजिस्टर, सार्वजनिक कार्य रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, ग्राम पंचायत समितियों जैसे निर्माण समिति और नियोजन समिति की संस्तुति, कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि बार-2 मांगे जाने पर भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए हैं। जिससे प्रिया सॉफ्ट पर दर्शित व्यय रु० 1106607.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा-8 (क) में प्रवाधान है कि, "यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक और अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी समस्त व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-09 के अंतर्गत गबन का मुकदमा चलाया जा सकेगा।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत बड़ागांव में केन्द्रीय वित्त की व्यय दर्शित धनराशि रु० 1106607.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधा आधा ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती अनीता से व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री देवेन्द्र तिवारी से किया जाना अपेक्षित है।

76-ग्राम पंचायत – कबीरुद्दीनपुर विकास खण्ड – कोयलसा लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21
प्रस्तर -145

1-ग्राम पंचायत-कबीरुद्दीनपुर के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि राज्य वित्त आयोग से प्राप्त रु० 377367.00 के आधार पर संपन्न की गयी है।

2-वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा इस व्यय धनराशि राज्य वित्त आयोग से प्राप्त रु० 377367.00 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक और अभिलेख जैसे कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आइंडी० एम०बी०, कैशबुक, बिल, बाउचर, मास्टर रोल, स्टॉक रजिस्टर, अचल संपत्ति रजिस्टर, सार्वजनिक कार्य रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, ग्राम पंचायत समितियों जैसे निर्माण समिति और नियोजन समिति की संस्तुति, कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि बार-2 मांगे जाने पर भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए हैं। जिससे प्रिया सॉफ्ट पर दर्शित व्यय रु० 377367.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा-8 (क) में प्रवाधान है कि, "यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक और अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी समस्त व्यय धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-09 के अंतर्गत गबन का मुकदमा चलाया जा सकेगा।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत कबीरुद्दीनपुर में राज्य वित्त की व्यय दर्शित धनराशि रु० 377367.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधा-आधा ग्राम पंचायत प्रधान- श्रीमती कलावती से व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव- श्री देवेन्द्र तिवारी से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -146

1-ग्राम पंचायत-कबीरुद्दीनपुर के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि : केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त रु० 1850187.00 के आधार पर संपन्न की गयी है।

2-वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा इस व्यय धनराशि केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त रु० 1850187.00 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक और अभिलेख जैसे कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आइंडी० एम०बी०, कैशबुक, बिल, बाउचर, मास्टर रोल, स्टॉक रजिस्टर, अचल संपत्ति रजिस्टर, सार्वजनिक कार्य रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, ग्राम पंचायत समितियों जैसे निर्माण समिति और नियोजन समिति की संस्तुति, कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि बार-2 मांगे जाने पर भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए हैं। जिससे प्रिया सॉफ्ट पर दर्शित व्यय रु० 1850187.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा-8 (क) में प्रवाधान है कि, "यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी समस्त व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-09 के अंतर्गत गबन का मुकदमा चलाया जा सकेगा ।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत कबीरुद्दीनपुर में केन्द्रीय वित्त की व्यय दर्शित धनराशि रु०1850187.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधा-आधा ग्राम पंचायत प्रधान- श्रीमती कलावती से व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री देवेन्द्र तिवारी से किया जाना अपेक्षित है।

77-ग्राम पंचायत – डोमनपुर

विकास खण्ड – कोयलसा लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -147

ग्राम पंचायत डोमनपुर के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में प्रिया सॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि राज्य वित्त आयोग से प्राप्त रु० 35823.00 के आधार पर संपन्न किया गया है। वास्तव में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा व्यय की गयी इस धनराशि रु० 35823.00 के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और व्यय प्रमाणक यथा बिल, बाउचर, एम बी तथा स्टाक रजिस्टर लेखा परीक्षा में बार बार मांगे जाने पर भी प्रस्तुत नहीं किया गया । उत्तर प्रदेश पंचायती राज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु संख्या 8(क) के अनुसार किये गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत करना आवश्यक है। व्यय प्रमाणकों के आभाव में धन का आहरण करके अपहरण किया गया है।

इस प्रकार राज्य वित्त से कुल रु० 35823.00 व्यय किया गया है, जिसके सापेक्ष कोई भी अभिलेख अथवा व्यय प्रमाणक यथा बिल बाउचर एम बी तथा स्टाक रजिस्टर लेखा परीक्षा में बार बार मांगे जाने पर भी प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त व्यय की धनराशि रु० 35823.00 अपहरण की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित आधी आधी धनराशि को तत्कालीन प्रधान- श्री चंद्रधारी यादव और ग्राम पंचायत सचिव श्री देवेन्द्र तिवारी से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -148

ग्राम पंचायत डोमनपुर के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त रु० 2113441.00 के आधार पर संपन्न किया गया है। वास्तव में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा व्यय की गयी इस धनराशि रु० 2113441.00 के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और व्यय प्रमाणक यथा बिल, बाउचर, एम बी तथा स्टाक रजिस्टर लेखा परीक्षा में बार बार मांगे जाने पर भी प्रस्तुत नहीं किया गया । उत्तर प्रदेश पंचायती राज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु संख्या 8 (क) के अनुसार किये गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत करना आवश्यक है। व्यय प्रमाणकों के आभाव में धन का आहरण करके अपहरण किया गया है ।

इस प्रकार चौदहवें वित्त से कुल रु० 2113441.00 व्यय किया गया है, जिसके सापेक्ष कोई भी अभिलेख अथवा व्यय प्रमाणक यथा बिल बाउचर एम बी तथा स्टाक रजिस्टर लेखा परीक्षा में बार बार मांगे जाने पर भी प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त व्यय की धनराशि रु० 2113441.00 अपहरण की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित आधी -आधी धनराशि को तत्कालीन प्रधान-श्री चंद्रधारी यादव और ग्राम पंचायत सचिव-श्री देवेन्द्र तिवारी से किया जाना अपेक्षित है।

78-ग्राम पंचायत – लालापट्टी

विकास खण्ड – कोयलसा लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -149

ग्राम पंचायत लालापट्टी के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में प्रिया सॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि राज्य वित्त आयोग से प्राप्त रु० 48493.00 के आधार पर संपन्न किया गया है। वास्तव में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा व्यय

की गयी इस धनराशि रु० 48493.00 के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और व्यय प्रमाणक यथा बिल बाउचर, एम बी तथा स्टाक रजिस्टर लेखा परीक्षा में बार बार मांगे जाने पर भी प्रस्तुत नहीं किया गया | उत्तर प्रदेश पंचायती राज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु संख्या 8(क) के अनुसार किये गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत करना आवश्यक है । व्यय प्रमाणकों के आभाव में धन का आहरण करके अपहरण किया गया है।

इस प्रकार राज्य वित्त से कुल रु० 48493.00 व्यय किया गया है, जिसके सापेक्ष कोई भी अभिलेख अथवा व्यय प्रमाणक यथा बिल बाउचर एम बी तथा स्टाक रजिस्टर लेखा परीक्षा में बार बार मांगे जाने पर भी प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त व्यय की धनराशि रु० 48493.00 अपहरण की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित आधी आधी धनराशि को तत्कालीन प्रधान श्रीमती भवनी देवी और ग्राम पंचायत सचिव श्री देवेन्द्र तिवारी से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -150

ग्राम पंचायत लालापट्टी के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त रु० 828531.00 के आधार पर संपन्न किया गया है। वास्तव में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा व्यय की गयी इस धनराशि रु० 828531.00 के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और व्यय प्रमाणक यथा बिल बाउचर, एम बी तथा स्टाक रजिस्टर लेखा परीक्षा में बार बार मांगे जाने पर भी प्रस्तुत नहीं किया गया || उत्तर प्रदेश पंचायती राज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु संख्या 8 (क) के अनुसार किये गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत करना आवश्यक है। व्यय प्रमाणकों के आभाव में धन का आहरण करके अपहरण किया गया है।

इस प्रकार चौदहवें वित्त से कुल रु० 828531.00 व्यय किया गया है, जिसके सापेक्ष कोई भी अभिलेख अथवा व्यय प्रमाणक यथा बिल बाउचर, एम बी तथा स्टाक रजिस्टर लेखा परीक्षा में बार बार मांगे जाने पर भी प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त व्यय की धनराशि रु० 828531.00 अपहरण की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित आधी -आधी धनराशि को तत्कालीन प्रधान श्रीमती भवनी देवी और ग्राम पंचायत सचिव श्री देवेन्द्र तिवारी से किया जाना अपेक्षित है।

79-ग्राम पंचायत -बेमुडीह किशुनदेवपट्टी विकास खण्ड - कोयलसा लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -151

ग्राम पंचायत- बेमुडीह किशुनदेवपट्टी के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में प्रिया सॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि : राज्य वित्त आयोग से प्राप्त रु० 298573.00 के आधार पर संपन्न किया गया है। वास्तव में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा व्यय की गयी इस धनराशि रु० 298573.00 के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और व्यय प्रमाणक यथा बिल बाउचर एम बी तथा स्टाक रजिस्टर लेखा परीक्षा में बार बार मांगे जाने पर भी प्रस्तुत नहीं किया गया । उत्तर प्रदेश पंचायती राज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु संख्या 8 (क) के अनुसार किये गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत करना आवश्यक है । व्यय प्रमाणकों के आभाव में धन का आहरण करके अपहरण किया गया है।

इस प्रकार राज्य वित्त से कुल रु० 298573.00 व्यय किया गया है, जिसके सापेक्ष कोई भी अभिलेख अथवा व्यय प्रमाणक यथा बिल बाउचर, एम बी तथा स्टाक रजिस्टर लेखा परीक्षा में बार बार मांगे जाने पर भी प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त व्यय की धनराशि रु० 298573.00 अपहरण की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित आधी -आधी धनराशि को तत्कालीन प्रधान- श्री संदीप कुमार यादव और ग्राम पंचायत सचिव श्री देवेन्द्र तिवारी से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -152

ग्राम पंचायत- बेमुडीह किशुनदेवपट्टी के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त रु० 2250820.00 के आधार पर संपन्न किया गया है। वास्तव में ग्राम पंचायत

सचिव द्वारा व्यय की गयी इस धनराशि रु० 2250820.00 के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और व्यय प्रमाणक यथा बिल बाउचर, एम वी तथा स्टाक रजिस्टर लेखा परीक्षा में बार बार मांगे जाने पर भी प्रस्तुत नहीं किया गया ।। उत्तर प्रदेश पंचायती राज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु संख्या 8 (क) के अनुसार किये गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत करना आवश्यक है । व्यय प्रमाणको के आभाव में धन का आहरण करके अपहरण किया गया है।

इस प्रकार चौदहवें वित्त से कुल रु० 2250820.00 व्यय किया गया है, जिसके सापेक्ष कोई भी अभिलेख अथवा व्यय प्रमाणक यथा बिल, बाउचर एम वी तथा स्टाक रजिस्टर लेखा परीक्षा में बार बार मांगे जाने पर भी प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त व्यय की धनराशि रु० 2250820.00 अपहरण की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित आधी आधी धनराशि को तत्कालीन प्रधान-श्री संदीप कुमार यादव और ग्राम पंचायत सचिव- श्री देवेन्द्र तिवारी से किया जाना अपेक्षित है।

80-ग्राम पंचायत –देवरियाँ विकास खण्ड – कोयलसा लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21
प्रस्तर -153

ग्राम पंचायत- देवरियाँ के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में प्रिया सॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि राज्य वित्त आयोग से प्राप्त रु० 621482.00 के आधार पर संपन्न किया गया है। वास्तव में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा व्यय की गयी इस धनराशि रु० 621482.00 के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और व्यय प्रमाणक यथा बिल बाउचर, एम वी तथा स्टाक रजिस्टर लेखा परीक्षा में बार बार मांगे जाने पर भी प्रस्तुत नहीं किया गया ।। उत्तर प्रदेश पंचायती राज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु संख्या 8 (क) के अनुसार किये गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत करना आवश्यक है। व्यय प्रमाणको के आभाव में धन का आहरण करके अपहरण किया गया है।

इस प्रकार राज्य वित्त से कुल रु० 621482.00 व्यय किया गया है, जिसके सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में बार बार मांगे जाने पर भी प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त व्यय की धनराशि रु० 621482.00 अपहरण की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित आधी आधी धनराशि को तत्कालीन प्रधान- श्रीमती मीरा और ग्राम पंचायत सचिव श्री अरविन्द यादव से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -154

ग्राम पंचायत देवरियों के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त रु० 1160653.00 के आधार पर संपन्न किया गया है। वास्तव में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा व्यय की गयी इस धनराशि रु० 1160653.00 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में बार बार मांगे जाने पर भी प्रस्तुत नहीं किया गया । उत्तर प्रदेश पंचायती राज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु संख्या 8 (क) के अनुसार किये गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत करना आवश्यक है । व्यय प्रमाणको के आभाव में धन का आहरण करके अपहरण किया गया है ।

इस प्रकार चौदहवें वित्त से कुल रु० 1160653.00 व्यय किया गया है, जिसके सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में बार बार मांगे जाने पर भी प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त व्यय की धनराशि रु० 1160653.00 अपहरण की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित आधी आधी धनराशि को तत्कालीन प्रधान-श्रीमती मीरा और ग्राम पंचायत सचिव श्री अरविन्द यादव से किया जाना अपेक्षित है।

81-ग्राम पंचायत –धनेजपाण्डे विकास खण्ड – कोयलसा लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21
प्रस्तर -155

ग्राम पंचायत- धनेजपाण्डेय के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में प्रिया सॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि, राज्य वित्त आयोग से प्राप्त रु० 129355.00 के आधार पर संपन्न किया गया है। वास्तव में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा व्यय की गयी इस धनराशि रु० 129355.00 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में बार बार मांगे

जाने पर भी प्रस्तुत नहीं किया गया ।। उत्तर प्रदेश पंचायती राज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु संख्या 8 (क) के अनुसार किये गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत करना आवश्यक है। व्यय प्रमाणको के अभाव में धन का आहरण करके अपहरण किया गया है।

इस प्रकार राज्य वित्त से कुल रु० 129355.00 व्यय किया गया है, जिसके सापेक्ष कोई भी अभिलेख अथवा व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में बार बार मांगे जाने पर भी प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त व्यय की धनराशि रु० 129355.00 अपहरण की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित आधी आधी धनराशि को तत्कालीन प्रधान- श्री जितेन्द्र प्रसाद और ग्राम पंचायत सचिव श्री देवेन्द्र तिवारी से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -156

ग्राम पंचायत - धनेजपाण्डेय के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त रु० 874140.00 के आधार पर संपन्न किया गया है। वास्तव में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा व्यय की गयी इस धनराशि रु० 874140.00 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में बार बार मांगे जाने पर भी प्रस्तुत नहीं किया गया ।। उत्तर प्रदेश पंचायती राज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु संख्या 8(क) के अनुसार किये गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत करना आवश्यक है । व्यय प्रमाणको के अभाव में धन का आहरण करके अपहरण किया गया है।

इस प्रकार चौदहवें वित्त से कुल रु० 874140.00 व्यय किया गया है, जिसके सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में बार बार मांगे जाने पर भी प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त व्यय की धनराशि रु० 874140.00 अपहरण की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित आधी आधी धनराशि को तत्कालीन प्रधान- श्री जितेन्द्र प्रसाद और ग्राम पंचायत सचिव श्री देवेन्द्र तिवारी से किया जाना अपेक्षित है।

82-ग्राम पंचायत –टहर किशुनदेवपुर विकास खण्ड – कोयलसा लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -157

ग्राम पंचायत- टहर किशुनदेवपुर के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में प्रिया सॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि राज्य वित्त आयोग से प्राप्त रु० 544696.00 के आधार पर संपन्न किया गया है। वास्तव में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा व्यय की गयी इस धनराशि रु० 544696.00 के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और व्यय प्रमाणक यथा बिल बाउचर, एम. बी तथा स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में बार बार मांगे जाने पर भी प्रस्तुत नहीं किया गया । उत्तर प्रदेश पंचायती राज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु संख्या 8 (क) के अनुसार किये गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत करना आवश्यक है। व्यय प्रमाणको के अभाव में धन का आहरण करके अपहरण किया गया है ।

इस प्रकार राज्य वित्त से कुल रु० 544696.00 व्यय किया गया है. जिसके सापेक्ष कोई भी अभिलेख अथवा व्यय प्रमाणक यथा बिल बाउचर एम बी तथा स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में बार बार मांगे जाने पर भी प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त व्यय की धनराशि रु० 544696.00 अपहरण की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित आधी आधी धनराशि को तत्कालीन प्रधान श्रीमती कैलाशी और ग्राम पंचायत सचिव श्री देवेन्द्र तिवारी से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -158

ग्राम पंचायत -टहर किशुनदेवपुर के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि : चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त रु० 3247008.00 के आधार पर संपन्न किया गया है। वास्तव में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा व्यय की गयी इस धनराशि रु० 3247008.00 के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और व्यय प्रमाणक यथा बिल बाउचर एम बी तथा स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में बार बार मांगे जाने पर भी प्रस्तुत नहीं किया गया । उत्तर प्रदेश पंचायती राज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु संख्या 8 (क) के अनुसार किये गए व्यय के सापेक्ष, व्यय प्रमाणक प्रस्तुत करना आवश्यक है । व्यय प्रमाणको के अभाव में धन का आहरण करके अपहरण किया गया है

इस प्रकार चौदहवे वित्त से कुल रु० 3247008.00 व्यय किया गया है, जिसके सापेक्ष कोई भी अभिलेख अथवा व्यय प्रमाणक यथा बिल बाउचर एम बी तथा स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में बार बार मांगे जाने पर भी प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त व्यय की धनराशि रु० 3247008.00 अपहरण की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित आधी आधी धनराशि को तत्कालीन प्रधान श्रीमती कैलाशी और ग्राम पंचायत सचिव श्री देवेन्द्र तिवारी से किया जाना अपेक्षित है।

83-ग्राम पंचायत - भैंसासुर चकरजई विकास खण्ड - कोयलसा लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -159

ग्राम पंचायत -भैंसासुर चकरजई के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में प्रिया सॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि राज्य वित्त आयोग से प्राप्त 95217.00 के आधार पर संपन्न किया गया है। वास्तव में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा व्यय की गयी इस धनराशि रु० 95217.00 के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और व्यय प्रमाणक यथा बिल बाउचर, एम बी तथा स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा से हर बार मांगे जाने पर भी प्रस्तुत नहीं किया गया । उत्तर प्रदेश पंचायती राज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु संख्या 8 (क) के अनुसार किये गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत करना आवश्यक है। व्यय प्रमाणको के अभाव में धन का आहरण करके अपहरण किया गया है।

इस प्रकार राज्य वित्त से कुल रु० 95217.00 व्यय किया गया है, जिसके सापेक्ष कोई भी अभिलेख अथवा व्यय प्रमाणक यथा बिल बाउचर एम बी तथा स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में बार बार मांगे जाने पर भी प्रस्तुत नहीं किया गया । उक्त व्यय की धनराशि रु० 95217.00 अपहरण की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित आधी आधी धनराशि को तत्कालीन प्रधान- श्रीमती सुभावती और ग्राम पंचायत सचिव श्री केशव यादव से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -160

ग्राम पंचायत -भैंसासुर चकरजई के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि चौदहवे वित्त आयोग से प्राप्त 1063847.00 के आधार पर संपन्न किया गया है। वास्तव में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा व्यय की गयी इस धनराशि रु० 1063847.00 के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और व्यय प्रमाणक यथा बिल बाउचर, एम बी तथा स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में बार बार मांगे जाने पर भी प्रस्तुत नहीं किया गया । उत्तर प्रदेश पंचायती राज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु संख्या 8 (क) के अनुसार किये गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत करना आवश्यक है। व्यय प्रमाणकों के अभाव में धन का आहरण करके अपहरण किया गया है ।

इस प्रकार चौदहवे वित्त से कुल रु० 1063847.00 व्यय किया गया है, जिसके सापेक्ष कोई भी अभिलेख अथवा व्यय प्रमाणक यथा बिल बाउचर, एम बी तथा स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में बार बार मांगे जाने पर भी प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त व्यय की धनराशि रु० 1063847.00 अपहरण की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित आधी आधी धनराशि को तत्कालीन प्रधान-श्रीमती सुभावती और ग्राम पंचायत सचिव श्री केशव यादव से किया से किया जाना अपेक्षित है ।

84-ग्राम पंचायत - भेदौरा मोलनापुर विकास खण्ड - कोयलसा लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -161

ग्राम पंचायत- भेदौरा मोलनापुर के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में प्रिया सॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि राज्य वित्त आयोग से प्राप्त रु० 206165.00 के आधार पर संपन्न किया गया है। वास्तव में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा व्यय की गयी इस धनराशि रु० 206165.00 के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और व्यय प्रमाणक यथा बिल बाउचर एम बी तथा स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में बार बार मांगे जाने पर भी प्रस्तुत नहीं किया गया ।। उत्तर प्रदेश पंचायती राज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु संख्या 8 (क) के अनुसार किये गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत करना आवश्यक है । व्यय प्रमाणको के अभाव में धन का आहरण करके अपहरण किया गया है।

इस प्रकार राज्य वित्त से कुल रु० 206165.00 व्यय किया गया है, जिसके सापेक्ष कोई भी अभिलेख अथवा व्यय प्रमाणक यथा बिल बाउचर ,एम बी तथा स्टाक रजिस्टर लेखा परीक्षा में बार बार मांगे जाने पर भी प्रस्तुत नहीं किया गया । उक्त व्यय की धनराशि रु० 206165.00 अपहरण की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित आधी आधी धनराशि को तत्कालीन प्रधान श्री बिहारी और ग्राम पंचायत सचिव श्री केशव यादव से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -162

ग्राम पंचायत भेदौरा मोलनापुर के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि चौदहवे वित्त आयोग से प्राप्त रु० 1618228.00 के आधार पर संपन्न किया गया है। वास्तव में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा व्यय की गयी इस धनराशि रु० 1618228,00 के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और व्यय प्रमाणक यथा बिल बाउचर ,एम बी तथा स्टाक रजिस्टर लेखा परीक्षा में बार बार मांगे जाने पर भी प्रस्तुत नहीं किया गया । उत्तर प्रदेश पंचायती राज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु संख्या 8 (क) के अनुसार किये गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत करना आवश्यक है । व्यय प्रमाणको के अभाव में धन का आहरण करके अपहरण किया गया है।

इस प्रकार चौदहवे वित्त से कुल रु० 1618228.00 व्यय किया गया है, जिसके सापेक्ष कोई भी अभिलेख अथवा व्यय प्रमाणक यथा बिल बाउचर ,एम बी तथा स्टाक रजिस्टर लेखा परीक्षा में बार बार मांगे जाने पर भी प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त व्यय की धनराशि रु० 1618228.00 अपहरण की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित आधी-आधी धनराशि को तत्कालीन प्रधान-श्री बिहारी और ग्राम पंचायत सचिव श्री केशव यादव से किया जाना अपेक्षित है ।

85-ग्राम पंचायत –भीलमपुर विकास खण्ड – महाराजगंज लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -163

1-ग्राम पंचायत- भीलमपुर के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि राज्य वित्त आयोग से प्राप्त रु० 243491.00 के आधार पर संपन्न की गयी है।

2- 05-अक्टूबर -2021 (जबसे ग्राम पंचायत भीलमपुर का ऑनलाइन ऑडिट कार्यक्रम लगा तब से 31 मार्च 2022 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और ऑनलाइन इन्टीमेशन लेटर स्वीकार करने के पूर्व एवं पश्चात मौखिक और टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार-बार पत्राचार के माध्यम से ग्राम पंचायत सचिव/प्रधान से ग्राम पंचायत के अभिलेखों की मांग किये जाने के बाद भी, अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।

3- इस सम्बन्ध सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को को कई पत्र के माध्यम से (कॉपी संलग्न) आडिट के यथास्थिति और प्रगति की सूचना दी गयी। जिसके बाद भी ग्राम पंचायत भीलमपुर के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु अप्रस्तुत रहे। उल्लेखनीय है कि

(अ)-शासनादेश संख्या- आडिट-2953/2009-101(64)/2007 दिनांक 7 अक्टूबर 2009 के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की आडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल की संगल अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है।

(ब) शासनादेश संख्या-838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिन्दु 4घ में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के कार्यालय में रखी जायेगी और जिम्मेदारी इनकी ही होगी। लेकिन अपने कार्यालय से इसे उपलब्ध नहीं कराया गया ।

(स) उ०प्र०पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम-199 के अंतर्गत आम रोकड बहीं (रूप पत्र-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी ए० डी० ओ० (पं) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है। परन्तु ऐसा न कर अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर किया गया होला तो कार्ययोजना के अनुसार उपभोग धनराशि के सम्बन्ध में संगत अभिलेख बनाए गए होते । लेकिन अभिलेख प्रस्तुत नहीं होने से वस्तुस्थिति कुछ अलग ही प्रतीत होती है।

(द)-कार्ययोजना में शामिल कराये जाने वाले प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की संपादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है। कार्य पूर्ण हो जाने के बाद माध्यम से जिला सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाणपत्र और कृत कार्य की प्रगति की सूची आप के माध् पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी आडिट हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया ।

4-खंड विकास अधिकारी जो कि विकासखंड के सभी ग्राम पंचायतों के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को भी इस सम्बन्ध में आडिट की प्रगति और सहयोग न किये जाने की सूचना दी गयी और प्रत्येक मीटिंग में मौखिक रूप से इस तथ्य को अवगत कराया गया । लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाये गये। उल्लेखनीय है कि आयुक्त ग्राम विकास के द्वारा समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित पत्रांक संख्या-269/संप्रेक्षा/आ०रि०/08-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारियों सहित सम्बंधित अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बंधित संगत अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियाँ एवं पंचायतों को संप्रेक्षा कार्य संपन्न कराये जाने हेतु उपलब्ध कराये जाने के कड़े निर्देश दिए गये हैं।

5- पंचायती राज समिति के निर्देश के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिलाधिकारी को प्रेषित पत्रांक संख्या-1/शा०/140/2016-1/272/2018 लखनऊ दिनांक 5 मई 2017 में जिसे समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, समस्त मंडलीय उप निदेशक पंचायत, समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है, में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के समक्ष समस्त अभिलेख के साथ उपस्थित होकर आडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोके जाने के स्पष्ट आदेश दिए गए हैं।

6-वित्त आडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रेवेन्यू) के पत्रांक संख्या-वि०आअ०प्र० (सि०/२०) दस-10 (45) 12 दिनांक 4 मई 2012 में मुख्य सचिव के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु-3 के अनुसार लेखा परीक्षा दल के किये गए अनुरोध को यथासंभव पूरे तौर पर शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए । उक्त का अनुपालन न किये जाने की दशा में विभागाध्यक्ष कार्यालयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासनके संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे ।

उपर्युक्त आदेश/निर्देश के बाद भी सक्षम अधिकारी के द्वारा वर्तमान सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी । इसका तात्पर्य यह है कि ग्राम पंचायत सचिव द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और चतुर्थ/पंचम राज्य वित्त और चौदहवें/पंद्रहवें वित्त आयोग की गाइड लाइन के पालन किये बिना धन का आहरण कर अपहरण कर लिया गया है।

7-वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा इस व्यय धनराशि राज्य वित्त आयोग से प्राप्त रु० 243491.00 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक और अभिलेख जैसे कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आइ०डी०, एम०बी०, कैशबुक, बिल, बाउचर, मास्टर रोल, स्टाक रजिस्टर, अचल संपत्ति रजिस्टर, सार्वजनिक कार्य रजिस्टर कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर , ग्राम पंचायत समितियाँ जैसे निर्माण समिति और नियोजन समिति की संस्तुति, कार्य का विस्तरीय फोटोग्राफ आदि बार 2 मांगे जाने पर भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए हैं । जिससे प्रिया सॉफ्ट पर दर्शित व्यय क० 243491.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध लखा मनुजल के अध्याय की धारा-8 (क) में प्रवाधान है कि, "यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक और अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी समस्त व्यय धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की

वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ - साथ जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-09 के अंतर्गत गबन का मुकदमा चलाया जा सकेगा।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत-भीलमपुर में राज्य वित्त की व्यय दर्शित धनराशि रु० 243491.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधा-आधा ग्राम पंचायत प्रधान श्री राजमंगल से व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री रमेश सोनकर से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -164

1- ग्राम पंचायत -भीलमपुर के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त रु० 634993.00 के आधार पर संपन्न की गयी है।

2 -27-नवम्बर 2021 (जबसे ग्राम पंचायत भीलमपुर का ऑनलाइन ऑडिट कार्यक्रम लगा लग तब) से 31 मार्च 2022 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और ऑनलाइन इन्टीमेशन लेटर स्वीकार करने के पूर्व एवं पश्चात मौखिक और टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार-बार पत्राचार के माध्यम से ग्राम पंचायत सचिव/प्रधान से ग्राम पंचायत के अभिलेखों की मांग किये जाने के बाद भी, अभिलेख लेखा परीक्षा में अपस्तुत रहे।

3- इस सम्बन्ध सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को को कई पत्र के माध्यम से (कॉपी संलग्न) आडिट के यथास्थिति और प्रगति की सूचना दी गयी | जिसके बाद भी ग्राम पंचायत भीलमपुर के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु अप्रस्तुत रहे। उल्लेखनीय है कि

(अ)-शासनादेश संख्या- आडिट-2953/2009-101(64)/2007 दिनांक 7 अक्टूबर 2009 के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की आडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है।

(ब) शासनादेश संख्या-838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिन्दु 4घ में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के कार्यालय में रखी जायेगी और जिम्मेदारी इनकी ही होगी। लेकिन अपने कार्यालय से इसे उपलब्ध नहीं कराया गया ।

(स)उ०प्र०पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम-म-199 के अंतर्गत आम रोकड़ बही (रूप पत्र-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी ए० डी० ओ० (पं) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है। परन्तु ऐसा न कर अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर किया गया होता तो कार्ययोजना के अनुसार उपभोग धनराशि के सम्बन्ध में संगत अभिलेख बनाए गए होते। लेकिन अभिलेख प्रस्तुत नहीं होने से वस्तुस्थिति कुछ अलग ही प्रतीत होती है।

(द)-कार्ययोजना में शामिल कराये जाने वाले प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की संपादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश हैं। कार्य पूर्ण हो जाने के बाद सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाणपत्र और कुल कार्य की प्रगति की सूची आप के माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है। लेकिन इसको भी आडिट डिट हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।

4-खंड विकास अधिकारी जो कि विकास खंड के सभी ग्राम पंचायतों के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को भी इस सम्बन्ध में आडिट की प्रगति और सहयोग न किये जाने की सूचना दी गयी और प्रत्येक मीटिंग में मौखिक रूप से इस तथ्य को अवगत कराया गया। लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाये गये । उल्लेखनीय है कि आयुक्त ग्राम विकास के द्वारा समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित पत्रांक संख्या- 269/संप्रेक्षा/आ०रि०/08-09 दिनांक दिन 15 जनवरी 2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारियों

सहित सम्बंधित अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बंधित संगत अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियों एवं पंचायतों को संप्रेषण कार्य संपन्न कराये जाने हेतु उपलब्ध कराये जाने के कड़े निर्देश दिए गये हैं।

5-पंचायती राज समिति के निर्देश के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिलाधिकारी को प्रेषित पत्रांक संख्या-1/शा०/140/2016-1/272/20 लखनऊ दिनांक 5 मई 2017 में जिसे समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, समस्त मंडलीय उपनिदेशक पंचायत, समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है, में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के समक्ष समस्त अभिलेख के साथ उपस्थित होकर आडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोके जाने के स्पष्ट आदेश दिए गए हैं।

6-वित्त आडिट प्रकोष्ठ (सिविल रेवेन्यू के पत्रांक संख्या-वि०आअ०प्र० (सि०/२०) दस-10(45) 12 दिनांक 4 मई 2012 में मुख्य सचिव के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु-3 के अनुसार लेखा परीक्षा दल के किये गए अनुरोध को यथासंभव पुरे तौर पर शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए। उक्त का अनुपालन न किये जाने की दशा में विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे।

उपर्युक्त आदेश/निर्देश के बाद भी सक्षम अधिकारी के द्वारा वर्तमान सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध अभिलेख प्रस्तुत न जाने पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इसका तात्पर्य यह है कि ग्राम पंचायत सचिव द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और चतुर्थ /पंचम राज्य वित्त और चौदहवें /पन्द्रहवें वित्त आयोग की गाइड लाइन के पालन किये बिना धन का आहरण कर अपहरण कर लिया गया है।

7-वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा इस व्यय धनराशि केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त रु० 634993.00 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक और अभिलेख जैसे कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आइंडी०, एम०बी०, कैशबुक, बिल, ब बाउचर, पर, मास्टर म रोल, स्टाक रजिस्टर, अचल संपत्ति रजिस्टर, सार्वजनिक कार्य रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, ग्राम पंचायत समितियों जैसे निर्माण समिति और नियोजन समिति की संस्तुति, कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि बार 2 मांगे जाने पर भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए हैं। जिससे प्रिया सॉफ्ट पर दर्शित व्यय रु० 634993.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा-8 (क) में प्रवाधान है कि. "यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक और अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी समस्त व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-09 के अंतर्गत गबन का मुकदमा चलाया जा सकेगा।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत भीलमपुर में केन्द्रीय वित्त की व्यय दर्शित धनराशि रु० 634993.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधा आधा ग्राम पंचायत प्रधान श्री राजमंगल से व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री रमेश सोनकर से किया जाना अपेक्षित है।

86-ग्राम पंचायत - नौबरार त्रिपुरार खालसा विकास खण्ड - महाराजगंज लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -165

1-ग्राम पंचायत-नौ० त्रि० पुर खालसा के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि राशि राज्य वित्त आयोग से प्राप्त रु० 1097172.00 के आधार पर संपन्न की गयी है।

2- 27-नवम्बर -2021 (जबसे ग्राम पंचायत नौ० त्रि० पुर खालसा का ऑनलाइन ऑडिट कार्यक्रम लगा तब) से 31-मार्च 2022 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और ऑनलाइन इन्टीमेशन लेटर स्वीकार करने के पूर्व एवं पश्चात मौखिक और टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार-बार पत्राचार के माध्यम से ग्राम पंचायत सचिव/प्रधान से ग्राम पंचायत के अभिलेखों की मांग किये जाने के बाद भी, अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।

3- इस सम्बन्ध सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को कोई पत्र के माध्यम से (कॉपी संलग्न) आडिट के यथास्थिति और प्रगति की सूचना दी गयी। जिसके बाद भी ग्राम पंचायत नौ त्रिपुर खालसा उल्लेखनीय है कि के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु अप्रस्तुत रहे।

(अ)-शासनादेश संख्या- आडिट-2953/2009-101(64)/2007 दिनांक 7 अक्टूबर 2009 के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की आडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है।

(ब) शासनादेश संख्या-838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिन्दु 4 घ में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के कार्यालय में रखी जायेगी और जिम्मेदारी इनकी ही होगी। लेकिन अपने कार्यालय से इसे उपलब्ध नहीं कराया गया ।

(स) उ०प्र०पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम-199 के अंतर्गत आम रोकड़ बही (रूप पत्र-6) का तीन माह में एक बार नियत ऐसा न कर प्राधिकारी ए० डी० ओ० (पं) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है। परन्तु ऐसे अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर किया गया होता तो कार्ययोजना के अनुसार उपभोग धनराशि के सम्बन्ध में संगत गत अभिलेख बनाए गए होते। लेकिन अभिलेख प्रस्तुत नहीं होने से वस्तुस्थिति कुछ अलग ही प्रतीत होती है।

(द)-कार्ययोजना में शामिल कराये जाने वाले प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की संपादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश हैं। कार्य पूर्ण हो जाने के बाद सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाणपत्र और कृत कार्य की प्रगति की सूची आप के माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी आडिट हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।

4-खंड विकास अधिकारी जो कि विकासखंड के सभी ग्राम पंचायतों के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को भी इस सम्बन्ध में आडिट की प्रगति और सहयोग न किये जाने की सूचना दी गयी और प्रत्येक मीटिंग में मौखिक रूप से इस तथ्य को अवगत कराया गया । लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाये गये । उल्लेखनीय है कि आयुक्त ग्राम विकास के द्वारा समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित पत्रांक संख्या-269/संप्रेक्षा/आ०रि०/08-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारियों सहित सम्बंधित अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बंधित संगत अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियाँ एवं पंचायतों को संप्रेक्षा कार्य संपन्न कराये जाने हेतु उपलब्ध कराये जाने के कड़े निर्देश दिए गये हैं।

5-पंचायती राज समिति के निर्देश के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिलाधिकारी को प्रेषित पत्रांक संख्या-1/शा०/140/2016-1/272/2018 लखनऊ दिनांक 5 मई 2017 में जिसे समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, समस्त मंडलीय उप निदेशक पंचायत, समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है, में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के समक्ष समस्त अभिलेख के साथ उपस्थित होकर आडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोके जाने के स्पष्ट आदेश दिए गए हैं।

6-वित्त आडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रेवेन्यू) (सि न्यू) के पत्रांक संख्या-वि०आअ०प्र० (सि०/रे०) दस-10 (45) 12 दिनांक 4 मई 2012 में मुख्य सचिव के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु-3 के अनुसार लेखा परीक्षा दल के किये गए अनुरोध को यथासंभव पुरे तौर पर शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए । उक्त का अनुपालन न किये जाने की दशा में विभागाध्यक्ष कार्यालयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे ।

उपर्युक्त आदेश/निर्देश के बाद भी सक्षम अधिकारी के द्वारा वर्तमान सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इसका तात्पर्य यह है कि ग्राम पंचायत सचिव द्वारा धनराशि का

वित्तीय नियमों और चतुर्थ/पंचम राज्य वित्त और चौदहवें पंद्रहवें वित्त आयोग की गाइड लाइन के पालन किये बिना धन का आहरण कर अपहरण कर लिया गया है।

7-वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा इस व्यय धनराशि राज्य वित्त आयोग से प्राप्त रु० 1097172.00 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक और अभिलेख जैसे कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आइंडी०, एम०बी०, कैशबुक, बिल, बाउचर, मास्टर रोल, स्टॉक रजिस्टर, अचल संपत्ति रजिस्टर, सार्वजनिक कार्य रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, ग्राम पंचायत समितियों जैसे निर्माण समिति और नियोजन समिति की संस्तुति, कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि बार-2 मांगे जाने पर भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए हैं। जिससे प्रिया सॉफ्ट पर दर्शित व्यय रु० 1097172.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा-8 (क) में प्रवाधान है कि, "यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक और अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी समस्त व्यय धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-09 के अंतर्गत गबन का मुकदमा चलाया जा सकेगा।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत नौ० त्रि० पुर खालसा में राज्य वित्त की व्यय दर्शित धनराशि रु० 1097172.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधा-आधा ग्राम पंचायत प्रधान श्री अयोध्या से व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री चंद्रेश गौतम से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -166

1-ग्राम पंचायत नौ०त्रि०पुर खालसा के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त रु० 3124696.00 के आधार पर संपन्न की गयी है।

2-27-नवम्बर -2021 (जबसे ग्राम पंचायत नौ०त्रि०पुर खालसा का ऑनलाइन ऑडिट कार्यक्रम लगा तब) से 31 मार्च 2022 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और ऑनलाइन इन्टीमेशन लेटर स्वीकार करने के पूर्व एवं पश्चात मौखिक और टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार-बार पत्राचार के माध्यम से ग्राम पंचायत सचिव/प्रधान से ग्राम पंचायत के अभिलेखों की मांग किये जाने के बाद भी, अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।

3- इस सम्बन्ध सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को को कई पत्र के माध्यम से (कॉपी संलग्न) आडिट के यथास्थिति और प्रगति की सूचना दी गयी। जिसके बाद भी ग्राम पंचायत नौ० त्रि०पुर खालसा के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु अप्रस्तुत रहे। उल्लेखनीय है कि

(अ)-शासनादेश संख्या- आडिट-2953/2009-101(64)/2007 दिनांक 7 अक्टूबर 2009 के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की आडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है।

(ब) शासनादेश संख्या-838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिन्दु 4घ में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के कार्यालय में रखी जायेगी और जिम्मेदारी इनकी ही होगी। लेकिन अपने कार्यालय से इसे उपलब्ध नहीं कराया गया।

(स) उ०प्र०पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम-199 के अंतर्गत आम रोकड बही (रूप पत्र-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी ए० डी० ओ० (पं) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है। परन्तु ऐसा न कर अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर किया गया होता तो कार्ययोजना के अनुसार

उपभोग धनराशि के सम्बन्ध में संगत अभिलेख बनाए गए होते | लेकिन अभिलेख प्रस्तुत नहीं होने से वस्तुस्थिति कुछ अलग ही प्रतीत होती है।

(द)-कार्ययोजना में शामिल कराये जाने वाले प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की संपादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है। कार्य पूर्ण हो जाने के बाद सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाणपत्र और कृत कार्य की प्रगति की सूची आप के माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है। लेकिन इसको भी आडिट हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया ।

4-खंड विकास अधिकारी जो कि विकासखंड के सभी ग्राम पंचायतों के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को भी इस सम्बन्ध में आडिट की प्रगति और सहयोग न किये जाने की सूचना दी गयी और प्रत्येक मीटिंग में मौखिक रूप से इस तथ्य को अवगत कराया गया। लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाये गये। उल्लेखनीय है कि आयुक्त ग्राम विकास के द्वारा समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित पत्रांक संख्या-269/संप्रेक्षा/आ०रि०/08-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारियों सहित सम्बंधित अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बंधित संगत अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियों एवं पंचायतों को संप्रेक्षा कार्य संपन्न कराये जाने हेतु उपलब्ध कराये जाने के कड़े निर्देश दिए गये हैं।

5-पंचायती राज समिति के निर्देश के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिलाधिकारी को प्रेषित पत्रांक संख्या-1/शशा०/140/2016-1/272/2018 लखनऊ दिनांक 5 मई 2017 में जिसे समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, समस्त मंडलीय उप निदेशक पंचायत, समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है, में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के समक्ष समस्त अभिलेख के साथ उपस्थित होकर आडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोके जाने के स्पष्ट आदेश दिए गए हैं।

6-वित्त आडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रेवेन्यू) के पत्रांक संख्या-वि० आअ०प्र० (सि०/२०) दस-10 (45) 12 दिनांक 4 मई 2012 में मुख्य सचिव के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु-3 के अनुसार लेखा परीक्षा दल के किये गए अनुरोध को यथासंभव पुरे तौर पर शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए। उक्त का अनुपालन न किये जाने की दशा में विभागाध्यक्ष कार्यालयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे ।

उपर्युक्त आदेश/निर्देश के बाद भी सक्षम अधिकारी के द्वारा वर्तमान सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इसका तात्पर्य यह है कि ग्राम पंचायत सचिव द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और चतुर्थ/पंचम राज्य वित्त और चौदहवे पंद्रहवे वित्त आयोग की गाइड लाइन के पालन किये बिना धन का आहरण कर अपहरण कर लिया गया है।

7-वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा इस व्यय धनराशि केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त रु० 3124696.00के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक और अभिलेख जैसे कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आइंडी०, एम०बी०, कैशबुक, बिल, बाउचर, मास्टर रोल, स्टॉक रजिस्टर, अचल संपत्ति रजिस्टर, सार्वजनिक कार्य रजिस्टर कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, ग्राम पंचायत समितियों जैसे निर्माण समिति और नियोजन समिति की संस्तुति, कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि बार-2 मांगे जाने पर भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए हैं। जिससे प्रिया सॉफ्ट पर दर्शित व्यय रु० 3124696.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा-8 (क) में प्रवाधान है कि, "यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक और अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी समस्त व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-09 के अंतर्गत गबन का मुकदमा चलाया जा सकेगा ।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत नौ.त्रि 0 पुर खालसा में केन्द्रीय वित्त की व्यय दर्शित धनराशि रु0 3124696.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधा आधा ग्राम पंचायत प्रधान श्री अयोध्या से व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री चंद्रेश गौतम से किया जाना अपेक्षित है।

87-ग्राम पंचायत –देवारा तुर्कचारा विकास खण्ड – महाराजगंज लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -167

1-ग्राम पंचायत- देवारा तुर्कचारा के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि राज्य वित्त आयोग से प्राप्त रु० 454011.00 के आधार पर संपन्न की गयी है।

2- 26-अक्टूबर -2021 (जबसे ग्राम पंचायत देवारा तुर्कचारा का ऑनलाइन ऑडिट कार्यक्रम लगा तब से 31-मार्च 2022 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और ऑनलाइन इन्टीमेशन लेटर स्वीकार करने के पूर्व एवं पश्चात मौखिक और टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार-बार पत्राचार के माध्यम से ग्राम पंचायत सचिव/प्रधान से ग्राम पंचायत के अभिलेखों की मांग किये जाने के बाद भी, अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।

3- इस सम्बन्ध सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को को कई पत्र के माध्यम से (कॉपी संलग्न) आडिट के यथास्थिति और प्रगति की सूचना दी गयी । जिसके बाद भी ग्राम पंचायत देवारा तुर्कचारा के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु अप्रस्तुत रहे। उल्लेखनीय है कि

(अ)-शासनादेश संख्या- आडिट-2953/2009-101(64)/2007 दिनांक 7 अक्टूबर 2009 के द्वारा विस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की आडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है।

(ब) शासनादेश संख्या-838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिन्दु 4घ में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के कार्यालय में रखी जायेगी और जिम्मेदारी इनकी ही होगी। लेकिन अपने कार्यालय से इसे उपलब्ध नहीं कराया गया।

(स)उ०प्र०पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम-199 के अंतर्गत आम रोकड बही (रूप पत्र-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी ए० डी० ओ० (पं) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है। परन्तु ऐसा न कर अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर किया गया होता तो कार्ययोजना के अनुसार उपभोग धनराशि के सम्बन्ध में संगत अभिलेख बनाए गए होते । लेकिन अभिलेख प्रस्तुत नहीं होने से वस्तुस्थिति कुछ अलग ही प्रतीत होती है।

(द)-कार्ययोजना में शामिल कराये जाने वाले प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की संपादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश हैं। कार्य पूर्ण हो जाने के बाद सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाणपत्र और कृत कार्य की प्रगति की सूची आप के माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी आडिट हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया ।

4-खंड विकास अधिकारी जो कि विकासखंड के सभी ग्राम पंचायतों के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को भी इस सम्बन्ध में आडिट की प्रगति और सहयोग न किये जाने की सूचना दी गयी और प्रत्येक मीटिंग में मौखिक रूप से इस तथ्य को अवगत कराया गया। लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाये गये। उल्लेखनीय है कि आयुक्त ग्राम विकास के द्वारा समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित पत्रांक संख्या- 269/संप्रेक्षा/आ०रि०/08-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारियों सहित

सम्बंधित अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बंधित संगत अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियाँ एवं पंचायतों को संप्रेक्षा कार्य संपन्न कराये जाने हेतु उपलब्ध कराये जाने के कड़े निर्देश दिए गये हैं।

5-पंचायती राज समिति के निर्देश के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिलाधिकारी को प्रेषित पत्रांक संख्या-1/शा०/140/2016-1/272/2018 लखनऊ दिनांक 5 मई 2017 में जिसे समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, समस्त मंडलीय उप निदेशक पंचायत, समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है, में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के समक्ष समस्त अभिलेख के साथ उपस्थित होकर आडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोके जाने के स्पष्ट आदेश दिए गए हैं।

6-वित्त आडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रेवेन्यू) के पत्रांक संख्या-वि०आअ०प्र० (सि०/२०) दस-10 (45) 12 दिनांक 4 मई 2012 में मुख्य सचिव के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु-3 के अनुसार लेखा परीक्षा दल के किये गए अनुरोध को यथासंभव पुरे तौर पर शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए। उक्त का अनुपालन न किये जाने की दशा में विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासनके संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे।

उपर्युक्त आदेश/निर्देश के बाद भी सक्षम अधिकारी के द्वारा वर्तमान सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इसका तात्पर्य यह है कि ग्राम पंचायत सचिव द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और चतुर्थ/पंचम राज्य वित्त और चौदहवे पंद्रहवे वित्त आयोग की गाइड लाइन के पालन किये बिना धन का आहरण कर अपहरण कर लिया गया है।

7-वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा इस व्यय धनराशि राज्य वित्त आयोग से प्राप्त रु० 454011.00 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक और अभिलेख जैसे कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आर्डर, एम०बी०, कैशबुक, बिल, बाउचर, मास्टर रोल, स्टॉक रजिस्टर, अचल संपत्ति रजिस्टर, सार्वजनिक कार्य रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, ग्राम पंचायत समितियाँ जैसे निर्माण समिति और नियोजन समिति की संस्तुति, कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि बार-2 मांगे जाने पर भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए हैं। जिससे प्रिया सॉफ्ट पर दर्शित व्यय रु० 454011.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा-8(क) में प्रवाधान है कि, "यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक और अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी समस्त व्यय धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-09 के अंतर्गत गबन का मुकदमा चलाया जा सकेगा।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत देवारा तुरकचारा में राज्य वित्त की व्यय दर्शित धनराशि रु० 454011.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधा-आधा ग्राम पंचायत प्रधान- श्रीमती आशा से व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री रमेश सोनकर से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -168

1- ग्राम पंचायत -देवारा तुरकचारा के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त रु 1680873.00 के आधार पर संपन्न की गयी है।

2- 26-अक्टूबर -2021 (जबसे ग्राम पंचायत देवारा तुरकचारा का ऑनलाइन ऑडिट कार्यक्रम लगा तब) से 31 मार्च 2022 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और ऑनलाइन इन्टीमेशन लेटर स्वीकार करने के पूर्व एवं पश्चात मौखिक और टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार-बार पत्राचार के माध्यम से ग्राम पंचायत सचिव/प्रधान से ग्राम पंचायत के अभिलेखों की मांग किये जाने के बाद भी, अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।

3- इस सम्बन्ध सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को को कई पत्र के माध्यम से (कॉपी संलग्न) आडिट के यथास्थिति और प्रगति की सूचना दी गयी। जिसके बाद भी ग्राम पंचायत देवारा तुर्रुचारा के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु अप्रस्तुत रहे । उल्लेखनीय है कि

(अ)-शासनादेश संख्या- आडिट-2953/2009-101(64)/2007 दिनांक 7 अक्टूबर 2009 के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की आडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है।

(ब) शासनादेश संख्या-838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिन्दु 4 घ में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के कार्यालय में रखी जायेगी और जिम्मेदारी इनकी ही होगी। लेकिन अपने कार्यालय से इसे उपलब्ध नहीं कराया गया ।

(स) उ०प्र० पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम-199 के अंतर्गत आम रोकड़ बही (रूप पत्र-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी ए० डी० ओ० (पं) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है। परन्तु ऐसा न कर अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर किया गया होता तो कार्ययोजना के अनुसार उपभोग धनराशि के सम्बन्ध में संगत अभिलेख बनाए गए होते । लेकिन अभिलेख प्रस्तुत नहीं होने से वस्तुस्थिति कुछ अलग ही प्रतीत होती है।

(द)-कार्ययोजना में शामिल कराये जाने वाले प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की संपादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश हैं। कार्य पूर्ण हो जाने के बाद सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाणपत्र और कृत कार्य की प्रगति की सूची आप के माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है। लेकिन इसको भी आडिट हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।

4-खंड विकास अधिकारी जो कि विकासखंड के सभी ग्राम पंचायतों के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को भी इस सम्बन्ध में आडिट की प्रगति और सहयोग न किये जाने की सूचना दी गयी और प्रत्येक मीटिंग में मौखिक रूप से इस तथ्य को अवगत कराया गया । लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाये गये। उल्लेखनीय है कि आयुक्त ग्राम विकास के द्वारा समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित पत्रांक संख्या-269/संप्रेक्षा/आ०रि०/08-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारियों सहित सम्बंधित अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बंधित संगत अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियाँ एवं पंचायतों को संप्रेक्षा कार्य संपन्न कराये जाने हेतु उपलब्ध कराये जाने के कड़े निर्देश दिए गये हैं। 5-पंचायती राज समिति के निर्देश के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिलाधिकारी को प्रेषित पत्रांक संख्या 1/शा०/140/2016-1/272/2018 लखनऊ दिनांक 5 मई 2017 में जिसे समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, समस्त मंडलीय उप निदेशक पंचायत, समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है, में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के समक्ष समस्त अभिलेख के साथ उपस्थित होकर आडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोके जाने के स्पष्ट आदेश दिए गए हैं

6-वित्त आडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रैवेन्यू) के पत्रांक संख्या-वि०आअ०प्र० (सि०/२०) दस-10 (45) 12 दिनांक 4 मई 2012 में मुख्य सचिव के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु-3 के अनुसार लेखा परीक्षा दल के किये गए अनुरोध को यथासंभव पुरे तौर पर शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए। उक्त का अनुपालन न किये जाने की दशा में विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे ।

उपर्युक्त आदेश/निर्देश के बाद भी सक्षम अधिकारी के द्वारा वर्तमान सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इसका तात्पर्य यह है कि ग्राम पंचायत सचिव द्वारा धनराशि का

वित्तीय नियमों और चतुर्थ/पंचम राज्य वित्त और चौदहवें पंद्रहवें वित्त आयोग की गाइड लाइन के पालन किये बिना धन का आहरण कर अपहरण कर लिया गया है।

7-वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा इस व्यय धनराशि केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त रु० 1680873.00 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक और अभिलेख जैसे कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आइन्डी०, एम०बी०, कैशबुक, बिल, बाउचर, मास्टर रोल, स्टॉक रजिस्टर, अचल संपत्ति रजिस्टर, सार्वजनिक कार्य रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, ग्राम पंचायत समितियों जैसे निर्माण समिति और नियोजन समिति की संस्तुति, कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि बार-2 मांगे जाने पर भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए हैं। जिससे प्रिया सॉफ्ट पर दर्शित व्यय रु० 1680873.00 की पुष्टि नहीं की जा सकती।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा-8 (क) में प्रवाधान है कि, "यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक और अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी समस्त व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-09 के अंतर्गत गबन का मुकदमा चलाया जा सकेगा।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत देवारा तुरकचारा में केन्द्रीय वित्त की व्यय दर्शित धनराशि रु० 1680873.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधा आधा ग्राम पंचायत प्रधान- श्रीमती आशा से व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री रमेश सोनकर से किया जाना अपेक्षित है।

88-ग्राम पंचायत -नरोत्तमपुर पटवारी विकास खण्ड - महाराजगंज लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -169

1-ग्राम पंचायत- नरोत्तमपुर पटवारी के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि राज्य वित्त आयोग से प्राप्त रु० 424517.00 के आधार पर संपन्न की गयी है।

2- 25-नवम्बर -2021 (जबसे ग्राम पंचायत नरोत्तमपुर पटवारी का ऑनलाइन ऑडिट कार्यक्रम लगा तब से 31-मार्च 2022 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और ऑनलाइन इन्टीमेशन लेटर स्वीकार करने के पूर्व एवं पश्चात मौखिक और टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार-बार पत्राचार के माध्यम से ग्राम पंचायत सचिव/प्रधान से ग्राम पंचायत के अभिलेखों की मांग किये जाने के बाद भी, अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।

3- इस सम्बन्ध सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) की को कई पत्र के माध्यम से (कॉपी संलग्न) आडिट के यथास्थिति और प्रगति की सूचना दी गयी। जिसके बाद भी ग्राम पंचायत नरोत्तमपुर पटवारी के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु अप्रस्तुत रहे। उल्लेखनीय है कि

(अ)-शासनादेश संख्या- आडिट-2953/2009-101(64)/2007 दिनांक 7 अक्टूबर 2009 के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की आडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है।

(ब) शासनादेश संख्या-838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिन्दु 4घ में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के कार्यालय में रखी जायेगी और जिम्मेदारी इनकी ही होगी। लेकिन अपने कार्यालय से इसे उपलब्ध नहीं कराया गया।

(स) उ०प्र०पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम-199 के अंतर्गत आम रोकड़ बही (रूप पत्र-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी ए० डी० ओ० (पं) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है। परन्तु ऐसा न कर अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर किया गया होता तो कार्ययोजना के अनुसार उपभोग धनराशि के सम्बन्ध में संगत अभिलेख बनाए गए होते। लेकिन अभिलेख प्रस्तुत नहीं होने से वस्तुस्थिति कुछ अलग ही प्रतीत होती है।

(द)-कार्ययोजना में शामिल कराये जाने वाले प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की संपादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत)

को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है। कार्य पूर्ण हो जाने के बाद सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाणपत्र और कृत कार्य की प्रगति की सूची आप के माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी आडिट हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया ।

4-खंड विकास अधिकारी जो कि विकासखंड के सभी ग्राम पंचायतों के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को भी इस सम्बन्ध में आडिट की प्रगति और सहयोग न किये जाने की सूचना दी गयी और प्रत्येक मीटिंग में मौखिक रूप से इस तथ्य को अवगत कराया गया । लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाये गये । उल्लेखनीय है कि आयुक्त ग्राम विकास के द्वारा समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित पत्रांक संख्या-269/संप्रेशा/आ०रि०/08-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारियों सहित सम्बंधित अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बंधित संगत अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियाँ एवं पंचायतों को संप्रेशा कार्य संपन्न कराये जाने हेतु उपलब्ध कराये जाने के कड़े निर्देश दिए गये हैं।

5- पंचायती राज समिति के निर्देश के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिलाधिकारी को प्रेषित पत्रांक संख्या-1/शा०/140/2016-1/272/2018 लखनऊ दिनांक 5 मई 2017 में जिसे समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, समस्त मंडलीय उप निदेशक पंचायत, समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है, में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के समक्ष समस्त अभिलेख के साथ उपस्थित होकर आडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोके जाने के स्पष्ट आदेश दिए गए हैं।

6-वित्त आडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रेवेन्यू) के पत्रांक संख्या-वि०आअ०प्र० (सि०/२०) दस-10 (45) 12 दिनांक 4 मई 2012 में मुख्य सचिव के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु-3 के अनुसार लेखा परीक्षा दल के किये गए अनुरोध को यथासंभव पुरे तौर पर शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए । उक्त का अनुपालन न किये जाने की दशा में विभागाध्यक्ष कार्यालयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासनके संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे ।

उपर्युक्त आदेश/निर्देश के बाद भी सक्षम अधिकारी के द्वारा वर्तमान सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी । इसका तात्पर्य यह है कि ग्राम पंचायत सचिव द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और चतुर्थ/पंचम राज्य वित्त और चौदहवे/पंद्रहवे वित्त आयोग की गाइड लाइन के पालन किये बिना धन का आहरण कर अपहरण कर लिया गया है।

7-वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा इस व्यय धनराशि राज्य वित्त आयोग से प्राप्त रु० 424517.00 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक और अभिलेख जैसे कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आइंडी०, एम०बी०, कैशबुक, दिल, बाउचर, मास्टर रोल, स्टॉक रजिस्टर, अचल संपत्ति रजिस्टर, सार्वजनिक कार्य रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, ग्राम पंचायत समितियाँ जैसे निर्माण समिति और नियोजन समिति की संस्तुति, कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि बार-2 मांगे जाने पर भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए हैं। जिससे प्रिया सॉफ्ट पर दर्शित व्यय रु० 424517.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा-8 (क) में प्रवाधान है कि, 'यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक और अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी समस्त व्यय धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-09 के अंतर्गत गबन का मुकदमा चलाया जा सकेगा ।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत नरोत्तमपुर पटवारी में राज्य वित्त की व्यय दर्शित धनराशि रु० 424517.00 गबन की श्रेणी में आली है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधा-आधा ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती विन्जना से व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री राजू सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -170

1-ग्राम पंचायत -नरोत्तमपुर पटवारी के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त रु० 706014.00 के आधार पर संपन्न की गयी है।

2- 25-नवम्बर -2021 (जबसे ग्राम पंचायत नरोत्तमपुर पटवारी का ऑनलाइन ऑडिट कार्यक्रम लगा तब) से 31 मार्च 2022 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और ऑनलाइन इन्टीमेशन लेटर स्वीकार करने के पूर्व एवं पश्चात मौखिक और टेलीफोनिक वार्ता लथा लिखित रूप से बार-बार पत्राचार के माध्यम से ग्राम पंचायत सचिव/प्रधान से ग्राम पंचायत के अभिलेखों की मांग किये जाने के बाद भी, अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे ।

3- इस सम्बन्ध सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को को कई पत्र के माध्यम से (कॉपी संलग्न) आडिट के यथास्थिति और प्रगति की सूचना दी गयी। जिसके बाद भी ग्राम पंचायत नरोत्तमपुर पटवारी के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु अप्रस्तुत रहे। उल्लेखनीय है कि

(अ)-शासनादेश संख्या- आडिट-2953/2009-101(64)/2007 दिनांक 7 अक्टूबर 2009 के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की आडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है।

(ब) शासनादेश संख्या-838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिन्दु 4घ में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के कार्यालय में रखी जायेगी और जिम्मेदारी इनकी ही होगी। लेकिन अपने कार्यालय से इसे उपलब्ध नहीं कराया गया ।

(स) उ०प्र० पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम-199 के अंतर्गत आम रोकड़ बही (रूप पत्र-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी ए० डी० ओ० (पं) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है। परन्तु ऐसा न कर अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर किया गया होता तो कार्ययोजना के अनुसार उपभोग धनराशि के सम्बन्ध में संगत अभिलेख बनाए गए होते। लेकिन अभिलेख प्रस्तुत नहीं होने से वस्तुस्थिति कुछ अलग ही प्रतीत होती है।

(द)-कार्ययोजना में शामिल कराये जाने वाले प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की संपादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश हैं। कार्य पूर्ण हो जाने के बाद सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाणपत्र और कृत कार्य की प्रगति की सूची आप के माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है। लेकिन इसको भी आडिट हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया ।

4-खंड विकास अधिकारी जो कि विकासखंड के सभी ग्राम पंचायतों के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को भी इस सम्बन्ध में आडिट की प्रगति और सहयोग न किये जाने की सूचना दी गयी और प्रत्येक मीटिंग में मौखिक रूप से इस तथ्य को अवगत कराया गया । लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाये गये। उल्लेखनीय है कि आयुक्त ग्राम विकास के द्वारा समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित पत्रांक संख्या-269/संप्रेक्षा/आ०रि०/08-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारियों सहित सम्बंधित अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बंधित संगत अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियाँ एवं पंचायतों को संप्रेक्षा कार्य संपन्न कराये जाने हेतु उपलब्ध कराये जाने के कड़े निर्देश दिए गये हैं। 5-पंचायती राज समिति के निर्देश के क्रम में निर्देशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिलाधिकारी को प्रेषित पत्रांक संख्या-1/शा/140/2016-1/272/2018 लखनऊ दिनांक 5 मई 2017 में जिसे समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, समस्त मंडलीय उप निदेशक पंचायत, समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है, में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के समक्ष समस्त अभिलेख के साथ उपस्थित होकर आडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोके जाने के स्पष्ट आदेश दिए गए हैं।

6-वित्त आडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रेवेन्यू) के पत्रांक संख्या-वि० आअ०प्र० (सि०/३०) दस-10 (45) 12दिनांक 4 मई 2012 में मुख्य सचिव के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु-3 के अनुसार लेखा परीक्षा दल के किये गए अनुरोध को यथासंभव पुरे तौर पर शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए । उक्त का अनुपालन न किये जाने की दशा में विभागाध्यक्ष कार्यालयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे ।

उपर्युक्त आदेश/निर्देश के बाद भी सक्षम अधिकारी के द्वारा वर्तमान सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इसका तात्पर्य यह है कि ग्राम पंचायत सचिव द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और चतुर्थ/पंचम राज्य वित्त और चौदहवे/पंद्रहवे वित्त आयोग की गाइड लाइन के पालन किये बिना धन का आहरण कर अपहरण कर लिया गया है।

7-वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा इस व्यय धनराशि केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त रु० 706014.00 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक और अभिलेख जैसे कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आइन्डी०, एम०बी०, कैशबुक, बिल, बाउचर, मास्टर रोल, स्टॉक रजिस्टर, अचल संपत्ति रजिस्टर, सार्वजनिक कार्य रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, ग्राम पंचायत समितियाँ जैसे निर्माण समिति और नियोजन समिति की संस्तुति, कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि बार-2 मांगे जाने पर भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए हैं। जिससे प्रिया सॉफ्ट पर दर्शित व्यय रु० 706014.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा-8 (क) में प्रवाधान है कि, "यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक और अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी समस्त व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-09 के अंतर्गत गबन का मुकदमा चलाया जा सकेगा।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत नरोत्तमपुर पटवारी में केन्द्रीय वित्त की व्यय दर्शित धनराशि रु०706014.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधा आधा ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती विन्जना से व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री राजू सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

89-ग्राम पंचायत –नौबरार तुर्कचारा विकास खण्ड – महाराजगंज लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -171

1-ग्राम पंचायत- नौबरार तुर्कचारा के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि राज्य वित्त आयोग से प्राप्त रु० 1251847.00 के आधार पर संपन्न की गयी है।

2- 26-नवंबर -2021 (जबसे ग्राम पंचायत नौबरार तुर्कचारा का ऑनलाइन ऑडिट कार्यक्रम लगा तब) से 31 मार्च 2022 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और ऑनलाइन इन्टीमेशन लेटर स्वीकार करने के पूर्व एवं पश्चात मौखिक और टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार-बार पत्राचार के माध्यम से ग्राम पंचायत सचिव/प्रधान से ग्राम पंचायत के अभिलेखों की मांग किये जाने के बाद भी, अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।

3- इस सम्बन्ध सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को कोई पत्र के माध्यम से (काँपी संलग्न) आडिट के यथास्थिति और प्रगति की सूचना दी गयी। जिसके बाद भी ग्राम पंचायत नौबरार तुर्कचारा के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु अप्रस्तुत रहे। उल्लेखनीय है कि

(अ)-शासनादेश संख्या- आडिट-2953/2009-101(64)/2007 दिनांक 7 अक्टूबर 2009 के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की आडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है।

(ब) शासनादेश संख्या-838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिन्दु 4थ में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के कार्यालय में रखी जायेगी और जिम्मेदारी इनकी ही होगी। लेकिन अपने कार्यालय से इसे उपलब्ध नहीं कराया गया।

(स) उ०प्र० पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम 199 के अंतर्गत आम रोकड़ बही (रूप पत्र-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी ए० डी० ओ० (पं) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है। परन्तु ऐसा न कर अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर किया गया होता तो कार्ययोजना के अनुसार उपभोग धनराशि के सम्बन्ध में संगत अभिलेख बनाए गए होते। लेकिन अभिलेख प्रस्तुत नहीं होने से वस्तुस्थिति कुछ अलग ही प्रतीत होती है।

द)-कार्ययोजना में शामिल कराये जाने वाले प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की संपादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है। कार्य पूर्ण हो जाने के बाद सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाणपत्र और कृत कार्य की प्रगति की सूची आप के माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी आडिट हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।

4-खंड विकास अधिकारी जो कि विकासखंड के सभी ग्राम पंचायतों के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को भी इस सम्बन्ध में आडिट की प्रगति और सहयोग न किये जाने की सूचना दी गयी और प्रत्येक मीटिंग में मौखिक रूप से इस तथ्य को अवगत कराया गया। लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाये गये। उल्लेखनीय है कि आयुक्त ग्राम विकास के द्वारा समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित पत्रांक संख्या-269/संप्रेक्षा/आ०रि०/08-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारियों सहित सम्बंधित अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बंधित संगत अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियाँ एवं पंचायतों को संप्रेक्षा कार्य संपन्न कराये जाने हेतु उपलब्ध कराये जाने के कड़े निर्देश दिए गये हैं।

5- पंचायती राज समिति के निर्देश के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिलाधिकारी को प्रेषित पत्रांक संख्या-1/शा०/140/2016-1/272/2018 लखनऊ दिनांक 5 मई 2017 में जिसे समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, समस्त मंडलीय उप निदेशक पंचायत, समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है, में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के समक्ष समस्त अभिलेख के साथ उपस्थित होकर आडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोके जाने के स्पष्ट आदेश दिए गए हैं

6-वित्त आडिट प्रकोष्ठ (सिविल रेवेन्यू) के पत्रांक संख्या-वि० आ०प्र० (सि०/२०) दस-10 (45) 12 दिनांक 4 मई 2012 में मुख्य सचिव के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु-3 के अनुसार लेखा परीक्षा दल के किये गए अनुरोध को यथासंभव पुरे तौर पर शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए। उक्त का अनुपालन न किये जाने की दशा में विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासनके संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे।

उपर्युक्त आदेश/निर्देश के बाद भी सक्षम अधिकारी के द्वारा वर्तमान सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इसका तात्पर्य यह है कि ग्राम पंचायत सचिव द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और चतुर्थ पंचम राज्य वित्त और चौदहवे पंद्रहवे वित्त आयोग की गाइड लाइन के पालन किये बिना धन का आहरण कर अपहरण कर लिया गया है।

7-वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा इस व्यय धनराशि राज्य वित्त आयोग से प्राप्त रु० 1251847.00 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक और अभिलेख जैसे कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आइंडी०, एम०बी०, कैशबुक, बिल, बाउचर, मास्टर रोल, स्टाक रजिस्टर, अचल संपत्ति रजिस्टर, सार्वजनिक कार्य रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर ग्राम पंचायत समितियाँ जैसे निर्माण समिति और नियोजन समिति की संस्तुति, कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि बार-2 मांगे जाने पर भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए हैं। जिससे प्रिया सॉफ्ट पर दर्शित व्यय रु० 1251847.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा-8 (क) में प्रवाधान है कि, 'यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक और अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी समस्त व्यय धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-09 के अंतर्गत गबन का मुकदमा चलाया जा सकेगा।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत नौबरार तुर्कचारा में राज्य वित्त की व्यय दर्शित धनराशि रु० 1251847.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधा-आधा ग्राम पंचायत प्रधान- श्रीमती जानमती से व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री रमेश सोनकर से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -172

1-ग्राम पंचायत नौबरार तुर्कचारा के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त रु० 1990699.00 के आधार पर संपन्न की गयी है।

2- 26-नवम्बर -2021 (जबसे ग्राम पंचायत नौबरार तुर्कचारा का ऑनलाइन ऑडिट कार्यक्रम लगा तब) से 31 मार्च 2022 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और ऑनलाइन इन्टीमेशन लेटर स्वीकार करने के पूर्व एवं पश्चात मौखिक और टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार-बार पत्राचार के माध्यम से ग्राम पंचायत सचिव/प्रधान से ग्राम पंचायत के अभिलेखों की मांग किये जाने के बाद भी, अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।

3- इस सम्बन्ध सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को को कई पत्र के माध्यम से (कॉपी संलग्न) आडिट के यथास्थिति और प्रगति की सूचना दी गयी। जिसके बाद भी ग्राम पंचायत नौबरार तुर्कचारा के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु अप्रस्तुत रहे। उल्लेखनीय है कि

(अ)-शासनादेश संख्या- आडिट-2953/2009-101(64)/2007 दिनांक 7 अक्टूबर 2009 के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की आडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है।

(ब) शासनादेश संख्या-838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिन्दु 4थ में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के कार्यालय में रखी जायेगी और जिम्मेदारी इनकी ही होगी लेकिन अपने कार्यालय से इसे उपलब्ध नहीं कराया गया।

(स) उ०प्र० पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम-199 के अंतर्गत आम रोकड़ बही (रूप पत्र-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी ए० डी० ओ० (पं) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है। परन्तु ऐसा न कर अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर किया गया होता तो कार्ययोजना के अनुसार उपभोग धनराशि के सम्बन्ध में संगत अभिलेख बनाए गए होते। लेकिन अभिलेख प्रस्तुत नहीं होने से वस्तुस्थिति कुछ अलग ही प्रतीत होती है।

(द)-कार्ययोजना में शामिल कराये जाने वाले प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की संपादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है। कार्य पूर्ण हो जाने के बाद सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाणपत्र और कृत कार्य की प्रगति की सूची आप के माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है। लेकिन इसको भी आडिट हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।

4-खंड विकास अधिकारी जो कि विकासखंड के सभी ग्राम पंचायतों के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को भी इस सम्बन्ध में आडिट की प्रगति और सहयोग न किये जाने की सूचना दी गयी और प्रत्येक मीटिंग में मौखिक रूप से इस तथ्य को अवगत कराया गया। लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाये गये। उल्लेखनीय है कि आयुक्त ग्राम विकास के द्वारा समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित पत्रांक संख्या-269/संप्रेक्षा/आ०रि०/08-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारियों सहित सम्बंधित अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बंधित संगत अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियाँ एवं पंचायतों को संप्रेक्षा कार्य संपन्न कराये जाने हेतु उपलब्ध कराये जाने के कड़े निर्देश दिए गये हैं।

5-पंचायती राज समिति के निर्देश के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिलाधिकारी को प्रेषित पत्रांक संख्या-1/शा०/140/2016-1/272/2018 लखनऊ दिनांक 5 मई 2017 में जिसे समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, समस्त मंडलीय उप निदेशक पंचायत, समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है, में

मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के समक्ष समस्त अभिलेख के साथ उपस्थित होकर आडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोके जाने के स्पष्ट आदेश दिए गए हैं।

6-वित्त आडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रेवेन्यू) के पत्रांक संख्या-वि०आअ०प्र० (सि०/२०) दस-10 (45) 12 दिनांक 4 मई 2012 में मुख्य सचिव के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु-3 के अनुसार लेखा परीक्षा दल के किये गए अनुरोध को यथासंभव पुरे तौर पर शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए। उक्त का अनुपालन न किये जाने की दशा में विभागाध्यक्ष कार्यालयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे।

उपर्युक्त आदेश/निर्देश के बाद भी सक्षम अधिकारी के द्वारा वर्तमान सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इसका तात्पर्य यह है कि ग्राम पंचायत सचिव द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और चतुर्थ/पंचम राज्य वित्त और चौदहवे/पंद्रहवे वित्त आयोग की गाइड लाइन के पालन किये बिना धन का आहरण कर अपहरण कर लिया गया है।

7-वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा इस व्यय धनराशि केन्द्रीय वित्तआयोग से प्राप्त रु० 1990699.00 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक और अभिलेख जैसे कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आइंडी०, एम०बी०, कैशबुक, बिल, बाउचर, मास्टर रोल, स्टॉक रजिस्टर, अचल संपत्ति रजिस्टर, सार्वजनिक कार्य रजिस्टर कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, ग्राम पंचायत समितियों जैसे निर्माण समिति और नियोजन समिति की संस्तुति, कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि बार-2 मांगे जाने पर भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए हैं। जिससे प्रिया सॉफ्ट पर दर्शित व्यय रु० 1990699.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा-8 (क) में प्रवाधान है कि, "यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक और अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी समस्त व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-09 के अंतर्गत गबन का मुकदमा चलाया जा सकेगा।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत नौबरार तुर्कचारा में केन्द्रीय वित्त की व्यय दर्शित धनराशि रु० 1990699.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधा-आधा ग्राम पंचायत प्रधान-श्रीमती जानमती से व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री रमेश सोनकर से किया जाना अपेक्षित है।

90-ग्राम पंचायत -परसमनपुर विकास खण्ड -महाराजगंज लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -173

1- ग्राम पंचायत परसमनपुर के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि राज्य वित्त आयोग से प्राप्त रु० 309344.00 के आधार पर संपन्न की गयी है।

2. 29-मार्च -2021 (अबसे शाम पंचायत परसमनपुर का ऑनलाइन ऑडिट कार्यक्कम लगा तब से 31 मार्च 2022 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और ऑनलाइन इन्टीमेशन लेटर स्वीकार करने के पूर्व एवं पश्चात मौखिक और टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार-बार पंचायत के माध्यम से ग्राम पंचायत सचिव प्रधान से ग्राम पंचायत के अभिलेखों की मांग किये जाने के बाद भी, अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।

3- इस सम्बन्ध सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को को कई पत्र के माध्यम से (कॉपी संलग्न) आडिट के यथास्थिति और प्रगति की सूचना दी गयी। जिसके बाद भी ग्राम पंचायत -परसमनपुर के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु अप्रस्तुत रहे। उल्लेखनीय है कि

(अ) शासनादेश संख्या- आडिट-2953/2009-101(64)/2007 दिनांक 7 अक्टूबर 2009 के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की आडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) की नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है।

(ब) शासनादेश संख्या-838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिन्दु 4ध में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के कार्यालय में रखी जायेगी और जिम्मेदारी इनकी ही होगी। लेकिन अपने कार्यालय से इसे उपलब्ध नहीं कराया गया ।

(स) उ० प्र०पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम-199 के अंतर्गत आम रोकड़ बही (रूप पत्र-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी ए० डी० ओ० (पं) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है। परन्तु ऐसा न कर अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर किया गया होता तो कार्ययोजना के अनुसार उपभोग धनराशि के सम्बन्ध में संगत अभिलेख बनाए गए होते। लेकिन अभिलेख प्रस्तुत नहीं होने से वस्तुस्थिति कुछ अलग ही प्रतीत होती है।

(द)-कार्ययोजना में शामिल कराये जाने वाले प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की संपादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश हैं। कार्य पूर्ण हो जाने के बाद सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाणपत्र और कृत कार्य की प्रगति की सूची आप के माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी आडिट हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया ।

4-खंड विकास अधिकारी जो कि विकासखंड के सभी ग्राम पंचायतों के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को भी इस सम्बन्ध में आडिट की प्रगति और सहयोग न किये जाने की सूचना दी गयी और प्रत्येक मीटिंग में मौखिक रूप से इस तथ्य को अवगत कराया गया । लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाये गये । उल्लेखनीय है कि आयुक्त ग्राम विकास के द्वारा समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित पत्रांक संख्या-269/संप्रेक्षा/आ०रि०/08-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारियों सहित सम्बंधित अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बंधित संगत अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियों एवं पंचायतों को संप्रेक्षा कार्य संपन्न कराये जाने हेतु उपलब्ध कराये जाने के कड़े निर्देश दिए गये हैं।

5- पंचायती राज समिति के निर्देश के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिलाधिकारी को प्रेषित पत्रांक संख्या-1/शा०/140/2016-1/272/2018 लखनऊ दिनांक 5 मई 2017 में जिसे समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, समस्त मंडलीय उप निदेशक पंचायत, समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है, में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के समक्ष समस्त अभिलेख के साथ उपस्थित होकर आडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोके जाने के स्पष्ट आदेश दिए गए हैं।

6-वित्त आडिट प्रकोष्ठ (सिविल रेवेन्यू) के पत्रांक संख्या-वि० आ०प्र० (सि०/३०) दस-10 (45) 12दिनांक 4 मई 2012 में मुख्य सचिव के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु-3 के अनुसार लेखा परीक्षा दल के किये गए अनुरोध को यथासंभव पुरे तौर पर शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए । उक्त का अनुपालन न किये जाने की दशा में विभागाध्यक्ष कार्यालयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासनके संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे ।

उपर्युक्त आदेश/निर्देश के बाद भी सक्षम अधिकारी के द्वारा वर्तमान सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इसका तात्पर्य यह है कि ग्राम पंचायत सचिव द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और चतुर्थ/पंचम राज्य वित्त और चौदहवे/पंद्रहवे वित्त आयोग की गाइड लाइन के पालन किये बिना धन का आहरण कर अपहरण कर लिया गया है।

7-वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा इस व्यय धनराशि राज्य वित्त आयोग से प्राप्त रु० 309344.00 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक और अभिलेख जैसे कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आइन्डी०, एम०वी०, कैशबुक, बिल, बाउचर, मास्टर रोल, स्टॉक रजिस्टर, अचल संपत्ति रजिस्टर, सार्वजनिक कार्य रजिस्टर कार्यपूति प्रमाण-पत्र, ग्राम पंचायत समितियों जैसे निर्माण समिति और नियोजन समिति की संस्तुति, कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि बार 2 मांगे जाने पर भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए हैं। जिससे प्रिया सॉफ्ट पर दर्शित व्यय रु० 309344.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा- 8 (क) में प्रवाधान है कि, 'यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक और अभिलेख

उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी समस्त व्यय धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-09 के अंतर्गत गबन का मुकदमा चलाया जा सकेगा ।

उक्त प्रावधान के आलोक में बाम पंचायत परसमनपुर में राज्य वित्त की व्यय दर्शित धनराशि रु० 309344.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधा-आधा ग्राम पंचायत प्रधान श्री कृष्ण मणि से व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री राजू सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -174

1-ग्राम पंचायत परसमनपुर के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त रु० 1085106.00 के आधार पर संपन्न की गयी है।

2-29-मार्च -2021 (जबसे ग्राम पंचायत परसमनपुर का ऑनलाइन ऑडिट कार्यक्रम लगा तब) से 31 मार्च 2022 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और ऑनलाइन इन्टीमेशन लेटर स्वीकार करने के पूर्व एवं पश्चात मौखिक और टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार-बार पत्राचार के माध्यम से ग्राम पंचायत सचिव/प्रधान से ग्राम पंचायत के अभिलेखों की मांग किये जाने के बाद भी, अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे ।

3- इस सम्बन्ध सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को को कई पत्र के माध्यम से (कॉपी संलग्न) आडिट के यथास्थिति और प्रगति की सूचना दी गयी। जिसके बाद भी ग्राम पंचायत परसमनपुर के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु अप्रस्तुत रहे। उल्लेखनीय है कि

(अ)-शासनादेश संख्या- आडिट-2953/2009-101(64)/2007 दिनांक 7 अक्टूबर 2009 के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की आडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है।

(ब) शासनादेश संख्या-838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिन्दु 4घ में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के कार्यालय में रखी जायेगी और जिम्मेदारी इनकी ही होगी। लेकिन अपने कार्यालय से इसे उपलब्ध नहीं कराया गया ।

(स) उ०प्र०पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम-199 के अंतर्गत आम रोकड़ बही (रूप पत्र-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी ए० डी० ओ० (पं) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है। परन्तु ऐसा न कर अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर किया गया होता तो कार्ययोजना के अनुसार उपभोग धनराशि के सम्बन्ध में संगत अभिलेख बनाए गए होते। लेकिन अभिलेख प्रस्तुत नहीं होने से वस्तुस्थिति कुछ अलग ही प्रतीत होती है।

(द)-कार्ययोजना में शामिल कराये जाने वाले प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की संपादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है। कार्य पूर्ण हो जाने के बाद सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाणपत्र और कुल कार्य की प्रगति की सूची आप के माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है। लेकिन इसको भी आडिट हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।

4-खंड विकास अधिकारी जो कि विकासखंड के सभी ग्राम पंचायतों के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं की भी इस सम्बन्ध में आडिट की प्रगति और सहयोग न किये जाने की सूचना दी गयी और प्रत्येक मीटिंग में मौखिक रूप से इस तथ्य को अवगत कराया गया । लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाये गये। उल्लेखनीय है कि आयुक्त ग्राम विकास के द्वारा समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित पत्रांक संख्या- 269/संप्रेक्षा/आ०रि०/08-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारियों सहित सम्बंधित अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बंधित संगत अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियों एवं पंचायतों की संप्रेक्षा कार्य संपन्न कराये जाने हेतु उपलब्ध कराये जाने के कड़े निर्देश दिए गये हैं।

5-पंचायती राज समिति के निर्देश के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिलाधिकारी को प्रेषित पत्रांक संख्या-1/शा०/140/2016-1/272/2018 लखनऊ दिनांक 5 मई 2017 में जिसे समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, समस्त मंडलीय उप निदेशक पंचायत, समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है, में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के समक्ष समस्त अभिलेख के साथ उपस्थित होकर आडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोके जाने के स्पष्ट आदेश दिए गए हैं।

6-वित्त आडिट प्रकोष्ठ (सिविल रेवेन्यू) के पत्रांक संख्या-वि०आअ०प्र० (सि०/२०) दस-10 (45) 12 दिनांक 4 मई 2012 में मुख्य सचिव के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु-3 के अनुसार लेखा परीक्षा दल के किये गए अनुरोध को यथासंभव पुरे तौर पर शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए। उक्त का अनुपालन न किये जाने की दशा में विभागाध्यक्ष कार्यालयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे।

उपर्युक्त आदेश/निर्देश के बाद भी सक्षम अधिकारी के द्वारा वर्तमान सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इसका तात्पर्य यह है कि ग्राम पंचायत सचिव द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और चतुर्थ/पंचम राज्य वित्त और चौदहवे/पंद्रहवे वित्त आयोग की गाइड लाइन के पालन किये बिना धन का आहरण कर अपहरण कर लिया गया है।

7-वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा इस व्यय धनराशि केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त रु० 1085106.00 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक और अभिलेख जैसे कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आइंडी०, एम०बी०, कैशबुक, बिल, बाउचर, मास्टर रोल, स्टाक रजिस्टर, अचल संपत्ति रजिस्टर, सार्वजनिक कार्य रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, ग्राम पंचायत समितियों जैसे निर्माण समिति और नियोजन समिति की संस्तुति, कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि बार-2 मांगे जाने पर भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए हैं। जिससे प्रिया सॉफ्ट पर दर्शित व्यय रु० 1085106.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा-8 (क) में प्रवाधान है कि, "यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक और अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी समस्त व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-09 के अंतर्गत गबन का मुकदमा चलाया जा सकेगा।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत परसमनपुर में केन्द्रीय वित्त की व्यय दर्शित धनराशि रु० 1085106.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधा आधा ग्राम पंचायत प्रधान- श्री कृष्ण मणि से व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव- श्री राजू सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

91-ग्राम पंचायत -कूडिहर विकास खण्ड - ठेकमा लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -175

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (चतुर्थ/पंचम राज्य वित्त मद) से रुपये 73460.00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल / मास्टर रोल / ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना / अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/ टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव से उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दयित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 73460.00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 36730-00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रामअधार से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 36730-00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./ वि.अधिकारी) श्री परमानन्द पाण्डेय से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही की जानी चाहिए।

प्रस्तर -176

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के चैदहवाँ/ पन्द्रहवाँ केन्द्रीय वित्त मद) से रुपये 985375-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल / मस्टर रोल/ ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दयित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 985375-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 492687.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राम अधार से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 492687.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./ वि. अधिकारी) श्री परमानन्द पाण्डेय से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट में दर्शित व्यय से

भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जानी चाहिए।

92-ग्राम पंचायत -गोनहरा विकास खण्ड - ठेकमा लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -177

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (चतुर्थ/पंचम राज्य वित्त मद) से रुपये 295101-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल / मस्टर रोल / ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/ टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायती में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल इस प्रकार अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को मैनुअल के के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत में की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 295101.00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 147550.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सन्दीप से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 147550-50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./ वि. अधिकारी) श्री परमानन्द पाण्डेय से वसूली तिथि तक सुसंगत व्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही की जानी चाहिए।

प्रस्तर -178

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (चैदहवों/ पन्द्रहवों केन्द्रीय वित्त मद) से रुपये 489965-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल / मस्टर रोल / ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति

पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकती। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकती।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दयित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 489965.00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 244982.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सन्दीप से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 244982.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./ वि. अधिकारी) श्री परमानन्द पाण्डेय से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जानी चाहिए।

93-ग्राम पंचायत -असवनिया विकास खण्ड - ठेकमा लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -179

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (चतुर्थ/पंचम राज्य वित्त मद) से रुपये 162797.00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल / मस्टर रोल / ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/ टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकती। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकती।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दयित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार 'यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 162797.00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 81398.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती राजदेई से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 81398.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./ वि. अधिकारी) श्री परमानन्द पाण्डेय से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही की जानी चाहिए।

प्रस्तर -180

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (चैदहवाँ/ पन्द्रहवाँ केन्द्रीय वित्त मद) से रुपये 2605610.00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल / मस्टर रोल / ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी। मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा पबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार 'यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/ प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 2605610.00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 1302805.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती राजदेई से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 1302805-00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं/ वि. अधिकारी) श्री परमानन्द पाण्डेय से वसूली तिथि तक सुसंगत व्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं। बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जानी चाहिए।

94-ग्राम पंचायत – गौरी विकास खण्ड – अहिरौला लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -181

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (मनरेगा की ऑफिसियल वेबपोर्टल पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) रुपये 1511000-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल / मस्टर रोल / ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से

उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दयित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध (मनरेगा की ऑफिसियल वेबपोर्टल पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 1511000-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 755500-00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री शैलेश से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 755500-00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./ वि. अधिकारी) श्री राम पलट से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

प्रस्तर -182

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (ई ग्राम स्वराज/पियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (चतुर्थ/पंचम राज्य वित्त मद) से रुपये 288655-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणवकों की मूल प्रति (बिल/ मस्टर रोल/ ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दयित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज्य प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 288655-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 144327-00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री शैलेश से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 144327-00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./ वि. अधिकारी) श्री राम पलट से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

प्रस्तर -183

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (चैदहवों/ पन्द्रहवों केन्द्रीय वित्त मद) से रुपये 1899612.00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल/मस्टर रोल/ ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/

अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/ टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दयित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज्य प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 1899612-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 949806-00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री शैलेश से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 949806-00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./ वि.अधिकारी) श्री राम पलट से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

95-ग्राम पंचायत -सिफाह विकास खण्ड - अहिरौला लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -184

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (मनरेगा की ऑफिसियल वेबपोर्टल पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) रुपये 670000-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणों की मूल प्रति (बिल / मस्टर रोल / ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दयित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार 'यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध (मनरेगा की ऑफिसियल वेबपोर्टल पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 670000-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 335000-00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती चन्द्रावती से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 335000-00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./ वि.अधिकारी) श्री राम पलट से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (चतुर्थ/पंचम राज्य वित्त मद) से रुपये 904916-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/मस्टर रोल / ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकती। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकती।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8'क' के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज्य /प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 904916-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 452458-00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती चन्द्रावती से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 452458-00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./ वि. अधिकारी) श्री राम पलट से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

प्रस्तर -186

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (ई ग्राम स्वराज प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (चैदहवाँ/ पन्द्रहवाँ केन्द्रीय वित्त मद) से रुपये 1341999-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/ मस्टर रोल / ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना। अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकती। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकती।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये' के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8'क' के अनुसार 'यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज्य प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय

की धनराशि रुपये 1341999-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 670999-50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती चन्द्रावती से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 670999-50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि. अधिकारी) श्री राम पलट से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

96-ग्राम पंचायत -अशरफपुर विकास खण्ड - अहिरौला लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -187

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियाँ के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (चतुर्थ/पंचम राज्य वित्त मद) से रुपये 89589-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल / मस्टर रोल / ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/ टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार "यदि दशौंचे गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज / प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 89589-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 44794-50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सविता से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 44794-50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./ वि. अधिकारी) श्री राम पलट से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

प्रस्तर -188

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियाँ के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (चैदहवों/ पन्द्रहवों केन्द्रीय वित्त मद) से रुपये 629217-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल / मस्टर रोल / ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/ टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी। मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा

कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज्य / प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 629217-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 314608-50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सविता से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 314608-50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./ वि.अधिकारी) श्री राम पलट से वसूली तिथि तक सुसंगत व्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

97-ग्राम पंचायत -कल्याणपुर विकास खण्ड - अहिरौला लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -189

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (चतुर्थ/पंचम राज्य वित्त मद) से रुपये 686803-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/ मस्टर रोल / ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना / अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/ टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार 'यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज्य त्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 686803-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 343401-50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रिमा से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 343401-50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./ वि. अधिकारी) श्री राम पलट से वसूली तिथि तक सुसंगत व्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

प्रस्तर-190

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (है ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (चैदहवों/ पन्द्रहवों केन्द्रीय वित्त मद) से रुपये 2838404-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल / मस्टर रोल / ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/ टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति

पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकती। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकती। मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दयित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज्य / प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 2838404-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 1419202-00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रिमा से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 1419202-00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./ वि.अधिकारी) श्री राम पलट से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

98-ग्राम पंचायत -खजुरी विकास खण्ड - अहिरौला लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -191

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (मनरेगा की ऑफिसियल वेबपोर्टल पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) रुपये 1880000-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल / मस्टर रोल / ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकती। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकती।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दयित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध (मनरेगा की ऑफिसियल वेबपोर्टल पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 1880000-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 940000-00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रेखा से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 940000-00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि. अधिकारी) श्री राम पलट से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

प्रस्तर -192

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (ई ग्राम स्वराज्य/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (चतुर्थ/पंचम राज्य वित्त मद) से रुपये 657742-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल / मस्टर रोल / ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित

कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकती। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकती।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दयित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार 'यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।' के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज्य / प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 657742-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 328871-00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रेखा से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 328871-00 सचिव ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./ वि. अधिकारी) श्री राम पलट से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

प्रस्तर -193

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (चैदहवाँ/ पन्द्रहवाँ केन्द्रीय वित्त मद) से रुपये 951855-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/ मस्टर रोल / ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विवास योजना। अनुगोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन /टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकती। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकती।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायती में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दयित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार 'यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज्य प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 951855-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 475927-50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रेखा से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 475927-50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./ वि.अधिकारी) श्री राम पलट से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

99-ग्राम पंचायत -साहुवल विकास खण्ड - अहिरौला लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -194

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (मनरेगा की ऑफिसियल वेबपोर्टल पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) रुपये 763000.00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल / मस्टर रोल / ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना / अनुमोदित कार्य योजनासंबन्धित प्रमाणित, समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर कोषबही बैंक पासबुक स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 'क' के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में ऑफिसियल हि रुपये कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत से की जाएगी। के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध (मनरेगा की ऑफिसियल वेबपोर्टल पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 763000-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रु0 381500.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती वन्दना से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुप 381500-00 सचिव ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./ वि. अधिकारी) श्री राम पलट से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -195

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (चतुर्थ/पंचम राज्य वित्त मद) से रुपये 397681.00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल / मस्टर रोल / ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क' के अनुसार 'यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि की गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज / प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय

की धनराशि रुपये 397681-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 198840-50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती वन्दना से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 198840-50 सचिव ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./ वि. अधिकारी) श्री राम पलट से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

प्रस्तर -196

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (चैदहवाँ/ पन्द्रहवाँ केन्द्रीय वित्त मद) से रुपये 1554430-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल/ मस्टर रोल / ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/ टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8'क' के अनुसार 'यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज्य प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 1554430-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 777215-00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती वन्दना से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 777215-00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./ वि. अधिकारी) श्री राम पलट से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

100-ग्राम पंचायत -नरफोरा विकास खण्ड - अहिरौला लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -197

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (चतुर्थ/पंचम राज्य वित्त मद) से रुपये 271568-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/ मस्टर रोल / ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/ टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा

कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार 'यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली साम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज्य त्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 271568-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 135784-00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री प्रेम सागर से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 135784-00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./ वि. अधिकारी) श्री राम पलट से वसूली तिथि तक सुसंगत व्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

प्रस्तर -198

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (है ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियाँ के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (चैदहवाँ/ पन्द्रहवाँ वां केन्द्रीय वित्त मद) से रुपये 1315274-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/ मस्टर रोल / ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना। अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियाँ व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/ आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/ टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी। मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज्य /प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 1315274-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 657637-00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री प्रेम सागर से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 657637-00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./ वि. अधिकारी) श्री राम पलट से वसूली तिथि तक सुसंगत व्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

101-ग्राम पंचायत -हंसापुर कला विकास खण्ड - अहिरोला लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -199

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (चतुर्थ/पंचम राज्य वित्त मद) से रुपये 384889-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/ मस्टर रोल / ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक

रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकती। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकती।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज्य /प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 384889-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 192444-50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मूर्ति देवी से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 192444-50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./ वि. अधिकारी) श्री संतोष से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

प्रस्तर -200

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (चैदहवाँ/ पन्द्रहवाँ केन्द्रीय वित्त मद) से रुपये 291767-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/ मस्टर रोल / ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकती। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकती।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार 'यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज्य प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 291767-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 145883-50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मूर्ति देवी से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 145883-50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./ वि.अधिकारी) श्री संतोष से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

102-ग्राम पंचायत -पुरा कोदई विकास खण्ड - अहिरौला लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -201

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (चतुर्थ/पंचम राज्य वित्त मद) से रुपये 384143-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल / मस्टर रोल / ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित

कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकती। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकती।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दयित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज्य /प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 384143-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 192071-00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मुनेसरी से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 192071-00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./ वि. अधिकारी) श्री राजेश वर्मा से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

प्रस्तर -202

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (चैदहवाँ/ पन्द्रहवाँ केन्द्रीय वित्त मद) से रुपये 329288-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/ मस्टर रोल / ट्रांसफर वितरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/ टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकती। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकती।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दयित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज्य /प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 329288-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 164644-00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मुनेसरी से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 164644-00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./ वि. अधिकारी) श्री राजेश वर्मा से वसूली तिथि तक सुसंगत व्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

प्रस्तर -203

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (चतुर्थ/पंचम राज्य वित्त मद) से रुपये 737424-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल / मस्टर रोल / ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/ टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज /प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 737424-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 368712-00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री दीलीप से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 368712-00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं. /वि. अधिकारी) श्री सन्तोष यादव से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -204

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (चैदहवों/ पन्द्रहवों केन्द्रीय वित्त मद) से रुपये 751615-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/ मस्टर रोल / ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार

प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज्य /प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 751615-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 375807-50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री दीलीप से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 375807-50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./ वि.अधिकारी) श्री सन्तोष यादव से वसूली तिथि तक सुसंगत व्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

104-ग्राम पंचायत – मोलनापुर विकास खण्ड - अहिरोला लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -205

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (ई ग्राम स्वराज्य/प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (चतुर्थ/पंचम राज्य वित्त मद) से रुपये 693504-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल / मस्टर रोल / ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकती। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकती।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज्य /प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 693504-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 346752-00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री शंकर से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 346752-00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./ वि. अधिकारी) श्री अंचल सिंह से वसूली तिथि तक सुसंगत व्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

प्रस्तर -206

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (ई ग्राम स्वराज्य/प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (चैदहवाँ/ पन्द्रहवाँ केन्द्रीय वित्त मद) से रुपये 340309-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल / मस्टर रोल / ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियाँ व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकती। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकती। मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा

कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार 'यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।' के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज्य प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 340309-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 170154-50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री शंकर से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 170154-50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./ वि. अधिकारी) श्री अंचल सिंह से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

105-ग्राम पंचायत – कोल पाण्डेय विकास खण्ड – पल्हनी लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21
प्रस्तर -207

मैनुअल कैश बुक / बैंक पासबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में ऑनलाइन डाटा एवं मैनुअल कैश बुक / बैंक पासबुक अंतर निम्नानुसार रहा

क्रमांक	विवरण	आय	व्यय
1	2	3	4
1.	कैश बुक के अनुसार	2081961.40	1178634.00
2.	बैंक पासबुक के अनुसार		
3.	प्रिया सॉफ्ट के अनुसार	2177604.00	1270804.00
4.	अंतर (क्रमांक 01 व 02) में		
5.	अंतर (क्रमांक 01 व 03) में	- 95642.60	- 92170.00

इस प्रकार आय , व्यय के अंतर का कुल योग 187812.60 का रहा । जिसकी जिम्मेदारी ग्राम प्रधान -श्री राजकरन व ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती आशा देवी की रही ।

अंतर का कारण – 1. ऑनलाइन डाटा फीडिंग में विशेष सावधानी , सतर्कता व निगरानी हेतु अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

106-ग्राम पंचायत – नीवी विकास खण्ड – पल्हनी लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21
प्रस्तर -208

मैनुअल कैश बुक / बैंक पासबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में ऑनलाइन डाटा एवं मैनुअल कैश बुक / बैंक पासबुक अंतर निम्नानुसार रहा

क्रमांक	विवरण	आय	व्यय
1	2	3	4
1.	कैश बुक के अनुसार	3140743.50	2447797.00
2.	बैंक पासबुक के अनुसार		
3.	प्रिया सॉफ्ट के अनुसार	3738889.50	2549922.00
4.	अंतर (क्रमांक 01 व 02) में		
5.	अंतर (क्रमांक 01 व 03) में	- 598146.00	- 102125.00

इस प्रकार आय , व्यय के अंतर का कुल योग 700271.00 का रहा । जिसकी जिम्मेदारी ग्राम प्रधान – श्रीमती बालिका राय व ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती सुमन यादव की रही ।

अंतर का कारण – 1. ऑनलाइन डाटा फीडिंग में विशेष सावधानी , सतर्कता व निगरानी हेतु अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

प्रस्तर -209

पंचायतराज अनुभाग-1 के आदेश सख्या 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के बिंदु 2अ के अनुसार ग्राम प्रधान का मानदेय 2500/- रुपये से बढ़ा कर रुपये 3500/- मासिक किया गया जिसका भुगतान ग्राम निधि प्रथम से किया जा रहा है लेकिन मासिक भुगतान हेतु पंजिका का निर्माण नहीं किया जा रहा है फलतः आलोच्य वर्ष के साथ पूर्व के वर्षों में दिए गए मानदेय और बकाया मानदेय की पुष्टि नहीं किया जा सका. इस सन्दर्भ में मानदेय दिए जाने में दुहराव संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है. विभागीय अधिकारियों का ध्यान मानदेय पंजिका के रखरखाव की ओर आकृष्ट किया जाता है.

इस संदर्भ में यह भी आपत्तिजनक रहा कि, मानदेय भुगतान नियमित रूप से माहवार न करके एक, दो या तीन बार में एकमुश्त किया गया ।

यथा

क्रमांक	दिनांक	धनराशि
1.	22.4.20	28000.00
2.	3.8.20	14000.00
	योग	42000.00

107-ग्राम पंचायत – गेलवारा विकास खण्ड – पल्हनी लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -210

मैनुअल कैश बुक / बैंक पासबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में ऑनलाइन डाटा एवं मैनुअल कैश बुक / बैंक पासबुक अंतर निम्नानुसार रहा

क्रमांक	विवरण	आय	व्यय
1	2	3	4
1.	कैश बुक के अनुसार	4429540.80	3305849.00
2.	बैंक पासबुक के अनुसार		
3.	प्रिया सॉफ्ट के अनुसार	4460373.00	3336682.00
4.	अंतर (क्रमांक 01 व 02) में		
5.	अंतर (क्रमांक 01 व 03) में	- 30832.20	- 3336197.00

इस प्रकार आय , व्यय के अंतर का कुल योग 3367029.20 का रहा । जिसकी जिम्मेदारी ग्राम प्रधान – श्री सिद्धार्थ व ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती सुमन यादव की रही ।

अंतर का कारण – 1. ऑनलाइन डाटा फीडिंग में विशेष सावधानी , सतर्कता व निगरानी हेतु अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

प्रस्तर -211

पंचायतराज अनुभाग-1 के आदेश सख्या 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के बिंदु 2अ के अनुसार ग्राम प्रधान का मानदेय 2500/- रुपये से बढ़ा कर रुपये 3500/- मासिक किया गया जिसका भुगतान ग्राम निधि प्रथम से किया जा रहा है लेकिन मासिक भुगतान हेतु पंजिका का निर्माण नहीं किया जा रहा है फलतः आलोच्य वर्ष के साथ पूर्व के वर्षों में दिए गए मानदेय और बकाया मानदेय की पुष्टि नहीं किया जा सका. इस सन्दर्भ में मानदेय दिए जाने में दुहराव संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है. विभागीय अधिकारियों का ध्यान मानदेय पंजिका के रखरखाव की ओर आकृष्ट किया जाता है.

इस संदर्भ में यह भी आपत्तिजनक रहा कि, मानदेय भुगतान नियमित रूप से माहवार न करके एक, दो या तीन बार में एकमुश्त किया गया ।

यथा

क्रमांक	दिनांक	धनराशि

1.	23.12.20	14000.00
2.	23.09.20	10500.00
	योग	24500.00

108-ग्राम पंचायत – मुंडा विकास खण्ड – पल्हनी लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21
प्रस्तर -212

मैनुअल कैश बुक / बैंक पासबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में ऑनलाइन डाटा एवं मैनुअल कैश बुक / बैंक पासबुक अंतर निम्नानुसार रहा

क्रमांक	विवरण	आय	व्यय
1	2	3	4
1.	कैश बुक के अनुसार	3121781.20	1833950.00
2.	बैंक पासबुक के अनुसार		
3.	प्रिया सॉफ्ट के अनुसार	3656990.00	2176067.00
4.	अंतर (क्रमांक 01 व 02) में		
5.	अंतर (क्रमांक 01 व 03) में	- 535208.80	- 1832449.00

इस प्रकार आय , व्यय के अंतर का कुल योग **2367757.80** का रहा । जिसकी जिम्मेदारी ग्राम प्रधान -श्रमती उषा सोनकर व ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती सुमन यादव की रही ।

अंतर का कारण – 1. ऑनलाइन डाटा फीडिंग में विशेष सावधानी , सतर्कता व निगरानी हेतु अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

प्रस्तर -213

पंचायतराज अनुभाग-1 के आदेश सख्या 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के बिंदु 2अ के अनुसार ग्राम प्रधान का मानदेय 2500/- रुपये से बढ़ा कर रुपये 3500/- मासिक किया गया जिसका भुगतान ग्राम निधि प्रथम से किया जा रहा है लेकिन मासिक भुगतान हेतु पंजिका का निर्माण नहीं किया जा रहा है फलतः आलोच्य वर्ष के साथ पूर्व के वर्षों में दिए गए मानदेय और बकाया मानदेय की पुष्टि नहीं किया जा सका. इस सन्दर्भ में मानदेय दिए जाने में दुहराव संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है. विभागीय अधिकारियों का ध्यान मानदेय पंजिका के रखरखाव की ओर आकृष्ट किया जाता है.

इस संदर्भ में यह भी आपत्तिजनक रहा कि, मानदेय भुगतान नियमित रूप से माहवार न करके एक, दो या तीन बार में एकमुश्त किया गया ।

यथा

क्रमांक	दिनांक	धनराशि
1.	26.08.20	24500.00
2.	19.12.20	17500.00
	योग	42000.00

109-ग्राम पंचायत – भदुली विकास खण्ड – पल्हनी लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21
प्रस्तर -214

मैनुअल कैश बुक / बैंक पासबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में ऑनलाइन डाटा एवं मैनुअल कैश बुक / बैंक पासबुक अंतर निम्नानुसार रहा

क्रमांक	विवरण	आय	व्यय
1	2	3	4
1.	कैश बुक के अनुसार	3112408.10	2460236.00
2.	बैंक पासबुक के अनुसार		
3.	प्रिया सॉफ्ट के अनुसार	2825681.50	1690916.00
4.	अंतर (क्रमांक 01 व 02) में		
5.	अंतर (क्रमांक 01 व 03) में	286726.60	769320.00

इस प्रकार आय , व्यय के अंतर का कुल योग **1056046.60** का रहा । जिसकी जिम्मेदारी ग्राम प्रधान -श्री विनोद व ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती सुमन यादव की रही ।

अंतर का कारण – 1. ऑनलाइन डाटा फीडिंग में विशेष सावधानी , सतर्कता व निगरानी हेतु अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

प्रस्तर -215

पंचायतराज अनुभाग-1 के आदेश सख्या 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के बिंदु 2अ के अनुसार ग्राम प्रधान का मानदेय 2500/- रुपये से बढ़ा कर रुपये 3500/- मासिक किया गया जिसका भुगतान ग्राम निधि प्रथम से किया जा रहा है लेकिन मासिक भुगतान हेतु पंजिका का निर्माण नहीं किया जा रहा है फलतः आलोच्य वर्ष के साथ पूर्व के वर्षों में दिए गए मानदेय और बकाया मानदेय की पुष्टि नहीं किया जा सका. इस सन्दर्भ में मानदेय दिए जाने में दुहराव संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है. विभागीय अधिकारियों का ध्यान मानदेय पंजिका के रखरखाव की ओर आकृष्ट किया जाता है.

इस संदर्भ में यह भी आपत्तिजनक रहा कि, मानदेय भुगतान नियमित रूप से माहवार न करके एक, दो या तीन बार में एकमुश्त किया गया ।

यथा

क्रमांक	दिनांक	धनराशि
1.	14.07.20	21000.00
2.	28.12.20	17500.00
	योग	38500.00

110 -ग्राम पंचायत – एकरामपुर विकास खण्ड – पल्लनी लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -216

मैनुअल कैश बुक / बैंक पासबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में ऑनलाइन डाटा एवं मैनुअल कैश बुक / बैंक पासबुक अंतर निम्नानुसार रहा

क्रमांक	विवरण	आय	व्यय
1	2	3	4
1.	कैश बुक के अनुसार	2236272.25	1362906.00
2.	बैंक पासबुक के अनुसार		
3.	प्रिया सॉफ्ट के अनुसार	3180492.25	1813850.00
4.	अंतर (क्रमांक 01 व 02) में		
5.	अंतर (क्रमांक 01 व 03) में	- 944220.00	- 450944.00

इस प्रकार आय , व्यय के अंतर का कुल योग **1395164.00** का रहा । जिसकी जिम्मेदारी ग्राम प्रधान -अंशुजा मौर्या व ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती आशा देवी की रही ।

अंतर का कारण – 1. ऑनलाइन डाटा फीडिंग में विशेष सावधानी , सतर्कता व निगरानी हेतु अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

प्रस्तर -217

पंचायतराज अनुभाग-1 के आदेश सख्या 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के बिंदु 2अ के अनुसार ग्राम प्रधान का मानदेय 2500/- रुपये से बढ़ा कर रुपये 3500/- मासिक किया गया जिसका भुगतान ग्राम निधि प्रथम से किया जा रहा है लेकिन मासिक भुगतान हेतु पंजिका का निर्माण नहीं किया जा रहा है फलतः आलोच्य वर्ष के साथ पूर्व के वर्षों में दिए गए मानदेय और बकाया मानदेय की पुष्टि नहीं किया जा सका. इस सन्दर्भ में मानदेय दिए जाने में दुहराव संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है. विभागीय अधिकारियों का ध्यान मानदेय पंजिका के रखरखाव की ओर आकृष्ट किया जाता है.

इस संदर्भ में यह भी आपत्तिजनक रहा कि, मानदेय भुगतान नियमित रूप से माहवार न करके एक, दो या तीन बार में एकमुश्त किया गया ।

यथा

क्रमांक	दिनांक	धनराशि
1.	17.10.20	24500.00
	योग	24500.00

111 -ग्राम पंचायत – कोडरअजमतपुर विकास खण्ड – पल्लनी लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर - 218

मैनुअल कैश बुक / बैंक पासबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में ऑनलाइन डाटा एवं मैनुअल कैश बुक / बैंक पासबुक अंतर निम्नानुसार रहा

क्रमांक	विवरण	आय	व्यय
1	2	3	4
1.	कैश बुक के अनुसार	935717.16	576267.00
2.	बैंक पासबुक के अनुसार		
3.	प्रिया सॉफ्ट के अनुसार	1267279.16	915493.00
4.	अंतर (क्रमांक 01 व 02) में		
5.	अंतर (क्रमांक 01 व 03) में	- 331562.00	- 339226.00

इस प्रकार आय , व्यय के अंतर का कुल योग **670788.00** का रहा । जिसकी जिम्मेदारी ग्राम प्रधान – श्री सुनील व ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती आशा देवी की रही ।

अंतर का कारण - 1. ऑनलाइन डाटा फीडिंग में विशेष सावधानी , सतर्कता व निगरानी हेतु अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

प्रस्तर - 219

पंचायतराज अनुभाग-1 के आदेश सख्या 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के बिंदु 2अ के अनुसार ग्राम प्रधान का मानदेय 2500/- रुपये से बढ़ा कर रुपये 3500/- मासिक किया गया जिसका भुगतान ग्राम निधि प्रथम से किया जा रहा है लेकिन मासिक भुगतान हेतु पंजिका का निर्माण नहीं किया जा रहा है फलतः आलोच्य वर्ष के साथ पूर्व के वर्षों में दिए गए मानदेय और बकाया मानदेय की पुष्टि नहीं किया जा सका. इस सन्दर्भ में मानदेय दिए जाने में दुहराव संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है. विभागीय अधिकारियों का ध्यान मानदेय पंजिका के रखरखाव की ओर आकृष्ट किया जाता है.

इस संदर्भ में यह भी आपत्तिजनक रहा कि, मानदेय भुगतान नियमित रूप से माहवार न करके एक, दो या तीन बार में एकमुश्त किया गया ।

यथा

क्रमांक	दिनांक	धनराशि
1.	18.11.20	21000.00
	योग	21000.00

112 -ग्राम पंचायत - बागलखराव विकास खण्ड - पल्हनी लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -220

मैनुअल कैश बुक / बैंक पासबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में ऑनलाइन डाटा एवं मैनुअल कैश बुक / बैंक पासबुक अंतर निम्नानुसार रहा

क्रमांक	विवरण	आय	व्यय
1	2	3	4
1.	कैश बुक के अनुसार	1164575.60	589050.00
2.	बैंक पासबुक के अनुसार	1164575.60	589050.00
3.	प्रिया सॉफ्ट के अनुसार	1510215.60	1001021.00
4.	अंतर (क्रमांक 01 व 02) में	00.00	-35264
5.	अंतर (क्रमांक 01 व 03) में	- 345640.00	- 411971

इस प्रकार आय , व्यय के अंतर का कुल योग **792875.00** का रहा । जिसकी जिम्मेदारी ग्राम प्रधान -श्रीमती सना परवीन व ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती आशा देवी की रही ।

अंतर का कारण - 1. ऑनलाइन डाटा फीडिंग में विशेष सावधानी , सतर्कता व निगरानी हेतु अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

प्रस्तर -221

पंचायतराज अनुभाग-1 के आदेश सख्या 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के बिंदु 2अ के अनुसार ग्राम प्रधान का मानदेय 2500/- रुपये से बढ़ा कर रुपये 3500/- मासिक किया गया जिसका भुगतान ग्राम निधि प्रथम से किया जा रहा है लेकिन मासिक भुगतान हेतु पंजिका का निर्माण नहीं किया जा रहा है फलतः आलोच्य वर्ष के साथ पूर्व के वर्षों में दिए गए मानदेय और बकाया मानदेय की पुष्टि नहीं किया जा सका. इस सन्दर्भ में मानदेय दिए जाने में दुहराव संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है. विभागीय अधिकारियों का ध्यान मानदेय पंजिका के रखरखाव की ओर आकृष्ट किया जाता है.

इस संदर्भ में यह भी आपत्तिजनक रहा कि, मानदेय भुगतान नियमित रूप से माहवार न करके एक, दो या तीन बार में एकमुश्त किया गया ।

यथा

क्रमांक	दिनांक	धनराशि
1.	28.07.20	21000.00
	योग	21000.00

113 -ग्राम पंचायत – कोल बाजबहादुर विकास खण्ड – पल्हनी लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21
प्रस्तर -222

मैनुअल कैश बुक / बैंक पासबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में ऑनलाइन डाटा एवं मैनुअल कैश बुक / बैंक पासबुक अंतर निम्नानुसार रहा

क्रमांक	विवरण	आय	व्यय
1	2	3	4
1.	कैश बुक के अनुसार	3094502.44	2572942.80
2.	बैंक पासबुक के अनुसार		
3.	प्रिया सॉफ्ट के अनुसार	383581.38	2317566.74
4.	अंतर (क्रमांक 01 व 02) में		
5.	अंतर (क्रमांक 01 व 03) में	2710921.06	255376.06

इस प्रकार आय , व्यय के अंतर का कुल योग **2966297.12** का रहा । जिसकी जिम्मेदारी ग्राम प्रधान – श्री विनोद यादव व ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती आशा देवी की रही ।

अंतर का कारण – 1. ऑनलाइन डाटा फीडिंग में विशेष सावधानी , सतर्कता व निगरानी हेतु अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

114 -ग्राम पंचायत – पल्हनी विकास खण्ड – पल्हनी लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21
प्रस्तर - 223

मैनुअल कैश बुक / बैंक पासबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में ऑनलाइन डाटा एवं मैनुअल कैश बुक / बैंक पासबुक अंतर निम्नानुसार रहा

क्रमांक	विवरण	आय	व्यय
1	2	3	4
1.	कैश बुक के अनुसार	8277628.20	6501609.00
2.	बैंक पासबुक के अनुसार		
3.	प्रिया सॉफ्ट के अनुसार	11005491.00	7091178.00
4.	अंतर (क्रमांक 01 व 02) में		
5.	अंतर (क्रमांक 01 व 03) में	- 2727862.80	- 589569.00

इस प्रकार आय , व्यय के अंतर का कुल योग **3317431.80** का रहा । जिसकी जिम्मेदारी ग्राम प्रधान – श्रीमती रीना व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विनीत राय की रही ।

अंतर का कारण - 1. ऑनलाइन डाटा फीडिंग में विशेष सावधानी , सतर्कता व निगरानी हेतु अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

115-ग्राम पंचायत -भादों विकास खण्ड - मार्टिनगंज लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -224

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (चतुर्थ/पंचम राज्य वित्त मद) से रुपये 793568-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/ मस्टर रोल / ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भसे पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज्य / प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 793568-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 396784-00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती गजाला से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 396784-00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./ वि.अधिकारी) श्री मिथिलेश कुशवाहा से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

प्रस्तर -225

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (चैदहवाँ/ पन्द्रहवाँ केन्द्रीय वित्त मद) से रुपये 7416540-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल / मस्टर रोल / ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी । बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दयित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज्य / प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 7416540-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 3708270-50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती गजाला से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 3708270-00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./ वि.अधिकारी) श्री मिथिलेश कुशवाहा से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं ।

116-ग्राम पंचायत -रंगडीह विकास खण्ड - मार्टिनगंज लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -226

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (चतुर्थ/पंचम राज्य वित्त मद) से रुपये 390941-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल / मस्टर रोल / ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी । बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दयित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी ।" के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज्य / प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 390941-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 195470-50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री ललन से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 195470-50 सचिव-ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./ वि. अधिकारी) श्री मोती लाल से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

प्रस्तर -227

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (चैदहवाँ/ पन्द्रहवाँ केन्द्रीय वित्त मद) से रुपये 3393535-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल / मस्टर रोल / ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक

पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकती। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकती।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दयित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज्य /प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 3393535-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 1696767-50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री ललन से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 1696767-50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री मोती लाल से वसूली तिथि तक सुसंगत व्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

117-ग्राम पंचायत -हैदराबाद विकास खण्ड – मार्टिनगंज लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -228

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (चतुर्थ/पंचम राज्य वित्त मद) से रुपये 556182-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल / मस्टर रोल / ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकती। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकती।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दयित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज्य/प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 556182-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 278091-00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री महेन्द्र से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 278091-00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री रतिभान यादव से वसूली तिथि तक सुसंगत व्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

प्रस्तर -229

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (चैदहवाँ/ पन्द्रहवाँ केन्द्रीय वित्त मद) से रुपये 890657-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल / मस्टर रोल / ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी। मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज / प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 890657-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 445328-50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री महेन्द्र से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 445328-50 सचिव ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./ वि.अधिकारी) श्री रतिभान यादव से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

118-ग्राम पंचायत -नोनारी विकास खण्ड - मार्टिनगंज लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -230

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (चतुर्थ/पंचम राज्य वित्त मद) से रुपये 862103-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल / मस्टर रोल / ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना / अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/ टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। उक्त नियमानुसार

प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज्य /प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 862103-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 431051-50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती अनवरी से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 431051-50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./ वि. अधिकारी) श्री मोती लाल से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

प्रस्तर -231

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (ई ग्राम स्वराज्य/प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (चैदहवों/ पन्द्रहवों वां केन्द्रीय वित्त मद) से रुपये 2434985-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/ मस्टर रोल / ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना / अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी। मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज्य प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 2434985-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 1217492-50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती अनवरी से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 1217492-50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./ वि.अधिकारी) श्री मोती लाल से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

119-ग्राम पंचायत -जल्दीपुर विकास खण्ड – पवई लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -232

ग्राम पंचायत जल्दीपुर के वर्ष-2020-21 की लेखा परीक्षा में प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि 4/5 राज्य वित्त आयोग में प्राप्त रुपये 83881.00 के आधार पर सम्पन्न की गयी है वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष उपलब्ध ही नहीं है या बार- बार मांग के प्रस्तुत नहीं किये गए हैं।

1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप में बार-बार ग्राम पंचायत सचिव / प्रधान से अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण त्रिषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारियों के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया।

2-महायक विकास अधिकारी (पंचायत) को दिनांक 02-12-2021,01-02-2022,25-03-2022 को इस सम्बन्ध में कई पत्र के माध्यम से (काँपी संलग्न) ऑडिट के यथा स्थिति और प्रगति की सूचना दी गयी लेकिन आप के द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया, उल्लेखनीय है की -

(अ) -गासनादेश संख्या-ऑडिट 2953/2009-101 (64)/2007 दिनांक 7 अक्टूबर 2009 के माध्यम में विस्तरीय पंचायत संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा

दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है।

3- खंड विकास अधिकारी जो की विकास खंड के ग्राम पंचायत के भौतिक और वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को भी इस सम्बन्ध में आडिट की प्रगति और सहयोग न किये जाने की सूचना दी गयी और प्रत्येक मीटिंग में मौखिक रूप से अवगत कराया गया। लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाये गये, उल्लेखनीय है कि आयुक्त ग्राम विकास के द्वारा समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित पत्रांक 269/सम्प्रेक्षा/ आ० रि०/ दिनांक 08/09,15 जनवरी 2009 के माध्यम में समस्त खंड विकास अधिकारी सहित सम्बन्धित अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बंधित संगन अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितिया एवं पंचायत को सम्प्रेक्षा कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु उपलब्ध कराये जाने के कड़े निर्देश दिए गये हैं।

4- पंचायत राज्य समिति के निर्देश के क्रम में निदेशक पंचायत राज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्रांक संख्या 1/शा0/140/2016-1/272/2018 लखनऊ दिनांक 05 मई 2017 में जिसे समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी राज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित में जिसे समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, समस्त मण्डली उपनिदेशक पंचायत, समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है, में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के समक्ष समस्त अभिलेख के साथ उपस्थित होकर आडिट न कराये जाने के समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के स्पष्ट आदेश दिए गये हैं।

ग्राम पंचायत के द्वारा प्रियासाफ्ट पर उक्त अंकित/व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका कार्ययोजना स्टीमेट, चर्क आई० डी०, एम् ० बी०, कैशबुक, पासबुक, बिल/बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टरी आफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियामाफ्ट के 8 प्रपत्र प्रतिया व भुगतान लेखा, समेकित सार बैंक समाधान विवरण प्राप्ति व भुगतान योग विवरण स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल संपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं हैं। किसी भी कार्य का त्रिस्तरी फोटोग्राफ नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। संभव है की बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के मृत्यता की जाँच न की जा सकी। पंचायती राज विभाग उ प्र द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त व लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत में की जाएगी और वसूली के साथ माथ जिला पंचायत अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 09 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

उक्त प्रावधान के अलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु 83881.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिनकी वसूली अद्यतन व्याज सहित आधी आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री शेखर से रुपये 41940.50 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती खुशबु सिंह से रुपये 41940.50 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -233

ग्राम पंचायत जल्दीपुर के वर्ष 2020-2021 की लेखा परीक्षा प्रियासाफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि 15वें वित्त आयोग से प्राप्त (रुपया 308868.00) के आधार पर सपत्र की गयी है। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष उपलब्ध ही नहीं है या बार बार मांग के प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक बार्ता तथा लिखित रूप में बार-बार ग्राम पंचायत सचिव / प्रधान से अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारियों के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया।

2-सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को दिनांक 02-12-2021,01-02-2022.25-03-2022 को इस सम्बन्ध में कई पत्र के माध्यम (कॉपी संलग्न) ऑडिट के यथा स्थिति और प्रगति की सूचना दी गयी लेकिन आप के द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया , उल्लेखनीय है कि -

अ) -शासनादेश संख्या-ऑडिट 2953/2009-101(64)/2007 दिनांक 7 अक्टूबर 2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है.

3- खंड विकास अधिकारी जो की विकासखंड के ग्राम पंचायत के भौतिक और वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते है को भी इस सम्बन्ध में आडिट की प्रगति और सहयोग न किये जाने की सूचना दी गयी और प्रत्येक मीटिंग में मौखिक रूप में अवगत कराया गया, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाये गये उल्लेखनीय है कि आयुक्त ग्राम विकास के द्वारा समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित पत्रांक 269/सम्प्रेक्षा/ आ० रि०/ दिनांक 08/09,15 जनवरी 2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारी सहित सम्बन्धित अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बंधित संगत अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितिया एव पंचायत को सम्प्रेक्षा कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु उपलब्ध कराये जाने के कड़े निर्देश दिए गये है।

4- पंचायत राज्य समिति के निर्देश के क्रम में निदेशक पंचायत राज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्रांक संख्या 1/शा0/140/2016-1/272/2018 लखनऊ दिनांक 05 मई 2017 में जिसे समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी , समस्त मण्डली उपनिदेशक पंचायत, समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है, में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के समक्ष समस्त अभिलेख के साथ उपस्थित होकर आडिट न कराये जाने के समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के स्पष्ट आदेश दिए गये है.

ग्राम पंचायत के द्वारा प्रियासाफ्ट पर उक्त अंकित/व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका कार्ययोजना स्टीमेट, वर्क आई० डी०, एम ० वी०, कैशबुक, पासबुक, विल/बाउचर, मस्टररोल , कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टरी आफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे-नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति , प्रियामाफ्ट के 8 प्रपत्र- प्राप्ति या व भुगतान लेखा, समेकित सार बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल संपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरी फोटोग्राफ नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी । संभव है की बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जाँच न की जा सकी। पंचायती राज विभाग उ प्र द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त व लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी और वसूली के साथ -साथ जिला पंचायत अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 09 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु 308868.00 गबन की श्रेणी में आती है |जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित आधी आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री शेखर से रुपये 154438.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती खुशबु सिंह से 154438.00 किया जाना अपेक्षित है।

120 -ग्राम पंचायत -बस्ती चक गुलरा विकास खण्ड – पवई लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -234

ग्राम पंचायत बस्ती चक गुलरा के वर्ष-2020-21 की लेखा परीक्षा में प्रियासाफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि 4/5 राज्य वित्त आयोग में प्राप्त रुपये 639078.00 के आधार पर सम्पत्र की गयी है वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष उपलब्ध ही नहीं है या बार- बार मांग के प्रस्तुत नहीं किये गए है।

1- अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप में बार-बार ग्राम पंचायत सचिव / प्रधान से अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारियों के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया।

2-सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को दिनांक 02-12-2021,01-02-2022,25-03-2022 को इस सम्बन्ध में कई पत्र के माध्यम से (कॉपी संलग्न) ऑडिट के यथा स्थिति और प्रगति की सूचना दी गयी लेकिन आप के द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया उल्लेखनीय है की -

अ) - शासनादेश संख्या-ऑडिट 2953/2009-101(64)/2007 दिनांक 7 अक्टूबर 2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है.

3- खंड विकास अधिकारी जो की विकासखंड के ग्राम पंचायत के भौतिक और वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते है को भी इस सम्बन्ध में आडिट की प्रगति और सहयोग न किये जाने की सूचना दी गयी और प्रत्येक मीटिंग में मौखिक रूप में अवगत कराया गया, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाये गये उल्लेखनीय है कि आयुक्त ग्राम विकास के द्वारा समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित पत्रांक 269/सम्प्रेक्षा/ आ० रि०/ दिनांक 08/09,15 जनवरी 2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारी सहित सम्बन्धित अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बंधित संगत अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितिया एव पंचायतों को सम्प्रेक्षा कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु उपलब्ध कराये जाने के कड़े निर्देश दिए गये है।

4- पंचायत राज्य समिति के निर्देश के क्रम में निदेशक पंचायत राज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्रांक संख्या 1/शा0/140/2016-1/272/2018 लखनऊ दिनांक 05 मई 2017 में जिसे समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी , समस्त मण्डलीय उपनिदेशक पंचायत, समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है, में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के समक्ष समस्त अभिलेख के साथ उपस्थित होकर आडिट न कराये जाने के समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के स्पष्ट आदेश दिए गये है ।

ग्राम पंचायत के द्वारा प्रियासाफ्ट पर उक्त अंकित/व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना स्टीमेट, वर्क आई० डी०, एम् ० बी०, कैशबुक, पासबुक, बिल/बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टरी आफ वर्क्स विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासाफ्ट के 8 प्रपत्र – प्राप्तियाँ व भुगतान लेखा, समेकित सार बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल संपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरी फोटोग्राफ नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी । संभव है की बैंक खाते में धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जाँच न की जा सकी। पंचायती राज विभाग उ प्र द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त व लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी और वसूली के साथ -साथ जिला पंचायत अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 09 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

उक्त प्रावधान के अलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि के 639078.0 गबन की श्रेणी में आती है |जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित आधी आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री राधेश्याम चौरसिया से रुपये 319539.00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती खुशबु सिंह से रुपये 319539.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -235

ग्राम पंचायत बस्ती चक गुलरा के वर्ष 2020-2021 की लेखा परीक्षा प्रियासाफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि 15वें वित्त आयोग से प्राप्त (रुपया 720163.00) के आधार पर सपत्र की गयी है। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष उपलब्ध ही नहीं है या बार बार मांग के प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक बार्ता तथा लिखित रूप में बार-बार ग्राम पंचायत सचिव / प्रधान से अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारियों के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया।

2-सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को दिनांक 02-12-2021, 01-02-2022, 25-03-2022 को इस सम्बन्ध में कई पत्र के माध्यम (कांपी संलग्न) ऑडिट के यथा स्थिति और प्रगति की सूचना दी गयी लेकिन आप के द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया, उल्लेखनीय है कि -

अ) -शासनादेश संख्या-ऑडिट 2953/2009-101(64)/2007 दिनांक 7 अक्टूबर 2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है।

3- खंड विकास अधिकारी जो की विकासखंड के ग्राम पंचायत के भौतिक और वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को भी इस सम्बन्ध में ऑडिट की प्रगति और सहयोग न किये जाने की सूचना दी गयी और प्रत्येक मीटिंग में मौखिक रूप में अवगत कराया गया, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाये गये उल्लेखनीय है कि आयुक्त ग्राम विकास के द्वारा समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित पत्रांक 269/सम्प्रेक्षा/ आ० रि०/ दिनांक 08/09, 15 जनवरी 2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारी सहित सम्बन्धित अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बंधित संगत अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितिया एव पंचायतों को सम्प्रेक्षा कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु उपलब्ध कराये जाने के कड़े निर्देश दिए गये हैं।

4- पंचायत राज्य समिति के निर्देश के क्रम में निदेशक पंचायत राज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्रांक संख्या 1/शा०/140/2016-1/272/2018 लखनऊ दिनांक 05 मई 2017 में जिसे समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, समस्त मण्डलीय उपनिदेशक पंचायत, समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है, में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के समक्ष समस्त अभिलेख के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने के समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के स्पष्ट आदेश दिए गये हैं।

ग्राम पंचायत के द्वारा प्रियासाफ्ट पर उक्त अंकित/व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका कार्ययोजना स्टीमेट, वर्क आई० डी०, एम ० वी०, कैशबुक, पासबुक, विल/बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टरी आफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे-नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियामाफ्ट के 8 प्रपत्र- प्राप्ति या व भुगतान लेखा, समेकित सार बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल संपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं हैं। किसी भी कार्य का त्रिस्तरी फोटोग्राफ नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। संभव है की बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जाँच न की जा सकी। पंचायती राज विभाग उ प्र द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त व लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 09 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु० 720163.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित आधी आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री राधेश्याम

चौरसिया से रुपये 360081.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती खुशबु सिंह से रु0 360081.50 किया जाना अपेक्षित है।

121 -ग्राम पंचायत -पवई विकास खण्ड – पवई लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -236

ग्राम पंचायत पवई के वर्ष-2020-21 की लेखा परीक्षा में प्रियासाफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि 4/5 राज्य वित्त आयोग में प्राप्त रुपये 594489.00 के आधार पर सम्पन्न की गयी है वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष उपलब्ध ही नहीं है या बार- बार मांग के प्रस्तुत नहीं किये गए हैं।

1- अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप में बार-बार ग्राम पंचायत सचिव / प्रधान से अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारियों के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया।

2-सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को दिनांक 02-12-2021,01-02-2022,25-03-2022 को इस सम्बन्ध में कई पत्र के माध्यम से (कॉपी संलग्न) ऑडिट के यथा स्थिति और प्रगति की सूचना दी गयी लेकिन आप के द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया उल्लेखनीय है कि -

अ) -शासनादेश संख्या-ऑडिट 2953/2009-101(64)/2007 दिनांक 7 अक्टूबर 2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है.

3- खंड विकास अधिकारी जो की विकासखंड के ग्राम पंचायत के भौतिक और वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को भी इस सम्बन्ध में आडिट की प्रगति और सहयोग न किये जाने की सूचना दी गयी और प्रत्येक मीटिंग में मौखिक रूप में अवगत कराया गया, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाये गये उल्लेखनीय है कि आयुक्त ग्राम विकास के द्वारा समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित पत्रांक 269/सम्प्रेक्षा/ आ० रि०/ दिनांक 08/09,15 जनवरी 2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारी सहित सम्बन्धित अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बंधित संगत अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितिया एव पंचायतों को सम्प्रेक्षा कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु उपलब्ध कराये जाने के कड़े निर्देश दिए गये हैं।

4- पंचायत राज्य समिति के निर्देश के क्रम में निदेशक पंचायत राज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्रांक संख्या 1/शा0/140/2016-1/272/2018 लखनऊ दिनांक 05 मई 2017 में जिसे समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी , समस्त मण्डलीय उपनिदेशक पंचायत, समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है, में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के समक्ष समस्त अभिलेख के साथ उपस्थित होकर आडिट न कराये जाने के समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के स्पष्ट आदेश दिए गये हैं ।

ग्राम पंचायत के द्वारा प्रियासाफ्ट पर उक्त अंकित/व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना स्टीमेट, वर्क आई० डी०, एम् ० बी०, कैशबुक, पासबुक, बिल/बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टरी आफ वर्क्स विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासाफ्ट के 8 प्रपत्र – प्राप्तियाँ व भुगतान लेखा, समेकित सार बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल संपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं हैं। किसी भी कार्य का त्रिस्तरी फोटोग्राफ नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी । संभव है की बैंक खाते में धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जाँच न की जा सकी। पंचायती राज विभाग 3 प्र द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त व लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम

प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 09 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 594489.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित आधी आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री मोतीलाल से रुपये 297244.50 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती खुशबु सिंह से रुपये 297244.50 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -237

ग्राम पंचायत पवई के वर्ष 2020-2021 की लेखा परीक्षा प्रियासाफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि 15वें वित्त आयोग से प्राप्त (रुपया 1990959.00) के आधार पर सम्पन्न की गयी है। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष उपलब्ध ही नहीं है या बार बार मांग के प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक बार्ता तथा लिखित रूप में बार-बार ग्राम पंचायत सचिव / प्रधान से अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारियों के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया।

2-सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को दिनांक 02-12-2021, 01-02-2022, 25-03-2022 को इस सम्बन्ध में कई पत्र के माध्यम (कॉपी संलग्न) ऑडिट के यथा स्थिति और प्रगति की सूचना दी गयी लेकिन आप के द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया, उल्लेखनीय है कि -

अ) -शासनादेश संख्या-ऑडिट 2953/2009-101(64)/2007 दिनांक 7 अक्टूबर 2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है।

3- खंड विकास अधिकारी जो की विकासखंड के ग्राम पंचायत के भौतिक और वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को भी इस सम्बन्ध में ऑडिट की प्रगति और सहयोग न किये जाने की सूचना दी गयी और प्रत्येक मीटिंग में मौखिक रूप में अवगत कराया गया, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाये गये उल्लेखनीय है कि आयुक्त ग्राम विकास के द्वारा समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित पत्रांक 269/सम्प्रेक्षा/ आ० रि०/ दिनांक 08/09, 15 जनवरी 2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारी सहित सम्बन्धित अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बंधित संगत अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितिया एव पंचायतों को सम्प्रेक्षा कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु उपलब्ध कराये जाने के कड़े निर्देश दिए गये हैं।

4- पंचायत राज्य समिति के निर्देश के क्रम में निदेशक पंचायत राज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्रांक संख्या 1/शा0/140/2016-1/272/2018 लखनऊ दिनांक 05 मई 2017 में जिसे समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, समस्त मण्डलीय उपनिदेशक पंचायत, समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है, में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के समक्ष समस्त अभिलेख के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने के समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के स्पष्ट आदेश दिए गये हैं।

ग्राम पंचायत के द्वारा प्रियासाफ्ट पर उक्त अंकित/व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका कार्ययोजना स्टीमेट, वर्क आई० डी०, एम० वी०, कैशबुक, पासबुक, विल/बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टरी आफ वर्क्स, विभिन्न समितियाँ जैसे-नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियामाफ्ट के 8 प्रपत्र- प्राप्ति व भुगतान लेखा, समेकित सार बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल संपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं हैं। किसी भी कार्य का त्रिस्तरी फोटोग्राफ नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। संभव है की बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जाँच न की जा सकी। पंचायती राज विभाग उ प्र द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त व लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 09 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 1990959.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित आधी आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री मोतीलाल में रुपये 995479.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती खुशबु सिंह से रु0 995479.00 किया जाना अपेक्षित है।

122-ग्राम पंचायत -शाहमर्दानपुर

विकास खण्ड – पवई लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -238

ग्राम पंचायत शाहमर्दानपुर के वर्ष-2020-21 की लेखा परीक्षा में प्रियासाफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि 4/5 राज्य वित्त आयोग में प्राप्त रुपये 85097.00 के आधार पर सम्पत्र की गयी है वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष उपलब्ध ही नहीं है या बार- बार मांग के प्रस्तुत नहीं किये गए हैं।

1- अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप में बार-बार ग्राम पंचायत सचिव / प्रधान से अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारियों के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया।

2-सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को दिनांक 02-12-2021,01-02-2022,25-03-2022 को इस सम्बन्ध में कई पत्र के माध्यम से (कॉपी संलग्न) ऑडिट के यथा स्थिति और प्रगति की सूचना दी गयी लेकिन आप के द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया उल्लेखनीय है कि -

अ) -शासनादेश संख्या-ऑडिट 2953/2009-101(64)/2007 दिनांक 7 अक्टूबर 2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है.

3- खंड विकास अधिकारी जो की विकासखंड के ग्राम पंचायत के भौतिक और वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को भी इस सम्बन्ध में आडिट की प्रगति और सहयोग न किये जाने की सूचना दी गयी और प्रत्येक मीटिंग में मौखिक रूप में अवगत कराया गया, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाये गये उल्लेखनीय है कि आयुक्त ग्राम विकास के द्वारा समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित पत्रांक 269/सम्प्रेक्षा/ आ० रि०/ दिनांक 08/09,15 जनवरी 2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारी सहित सम्बन्धित अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बंधित संगत अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितिया एव पंचायतों को सम्प्रेक्षा कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु उपलब्ध कराये जाने के कड़े निर्देश दिए गये हैं।

4- पंचायत राज्य समिति के निर्देश के क्रम में निदेशक पंचायत राज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्रांक संख्या 1/शा0/140/2016-1/272/2018 लखनऊ दिनांक 05 मई 2017 में जिसे समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी , समस्त मण्डलीय उपनिदेशक पंचायत, समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है, में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के समक्ष समस्त अभिलेख के साथ उपस्थित होकर आडिट न कराये जाने के समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के स्पष्ट आदेश दिए गये हैं ।

ग्राम पंचायत के द्वारा प्रियासाफ्ट पर उक्त अंकित/व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना स्टीमेट, वर्क आई० डी०, एम् ० बी०, कैशबुक, पासबुक, बिल/बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, प्रधान

मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टरी आफ वर्क्स विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासाप्ट के 8 प्रपत्र - प्राप्ति व भुगतान लेखा, समेकित सार बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल संपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरी फोटोग्राफ नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। संभव है की बैंक खाते में धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जाँच न की जा सकी। पंचायती राज विभाग उ प्र द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त व लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 09 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु 85097.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी बसूली अद्यतन व्याज सहित आधी आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री लालजीत से रुपये 42548.50 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती खुशबु सिंह से रुपये 42548.50 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर - 239

ग्राम पंचायत शाहमर्दानपुर के वर्ष 2020-2021 की लेखा परीक्षा प्रियासाप्ट पर अंकित व्यय धनराशि 15वें वित्त आयोग से प्राप्त (रुपया 220056.00) के आधार पर सम्पन्न की गयी है। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष उपलब्ध ही नहीं है या बार बार मांग के प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप में बार-बार ग्राम पंचायत सचिव / प्रधान से अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारियों के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया।

2-सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को दिनांक 02-12-2021, 01-02-2022, 25-03-2022 को इस सम्बन्ध में कई पत्र के माध्यम (कॉपी संलग्न) ऑडिट के यथा स्थिति और प्रगति की सूचना दी गयी लेकिन आप के द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया, उल्लेखनीय है कि -

अ) -शासनादेश संख्या-ऑडिट 2953/2009-101(64)/2007 दिनांक 7 अक्टूबर 2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है।

3- खंड विकास अधिकारी जो की विकासखंड के ग्राम पंचायत के भौतिक और वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को भी इस सम्बन्ध में ऑडिट की प्रगति और सहयोग न किये जाने की सूचना दी गयी और प्रत्येक मीटिंग में मौखिक रूप में अवगत कराया गया, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाये गये उल्लेखनीय है कि आयुक्त ग्राम विकास के द्वारा समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित पत्रांक 269/सम्प्रेक्षा/ आ० रि०/ दिनांक 08/09, 15 जनवरी 2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारी सहित सम्बन्धित अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बंधित संगत अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितिया एव पंचायतों को सम्प्रेक्षा कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु उपलब्ध कराये जाने के कड़े निर्देश दिए गये हैं।

4- पंचायत राज्य समिति के निर्देश के क्रम में निदेशक पंचायत राज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्रांक संख्या 1/शा०/140/2016-1/272/2018 लखनऊ दिनांक 05 मई 2017 में जिसे समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, समस्त मण्डलीय उपनिदेशक पंचायत, समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया

गया है, मैं मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के समक्ष समस्त अभिलेख के साथ उपस्थित होकर आडिट न कराये जाने के समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के स्पष्ट आदेश दिए गये हैं।

ग्राम पंचायत के द्वारा प्रियासाफ्ट पर उक्त अंकित/व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका कार्ययोजना स्टीमेट, वर्क आई० डी०, एम ० वी०, कैशबुक, पासबुक, विल/बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टरी आफ वर्क्स, विभिन्न समितियाँ जैसे-नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियामाफ्ट के 8 प्रपत्र- प्राप्ति याँ व भुगतान लेखा, समेकित सार बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल संपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं हैं। किसी भी कार्य का त्रिस्तरी फोटोग्राफ नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। संभव है की बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जाँच न की जा सकी। पंचायती राज विभाग 5 प्र द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त व लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 09 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु 220056.00 गवन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित आधी आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री लालजीत से रुपये 110028.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती खुशबु सिंह से रु 110028.00 किया जाना अपेक्षित है।

123-ग्राम पंचायत – बगई कपूर विकास खण्ड – हरैया लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -240

ग्राम पंचायत बगई कपूर के वर्ष-2020-21 की लेखा परीक्षा में प्रियासाफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि 4/5 राज्य वित्त आयोग में प्राप्त रुपये 43191.00 के आधार पर सम्पत्र की गयी है वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष उपलब्ध ही नहीं है या बार- बार मांग के प्रस्तुत नहीं किये गए हैं।

1- अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप में बार-बार ग्राम पंचायत सचिव / प्रधान से अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारियों के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया।

2-सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को दिनांक 02-12-2021,01-02-2022,25-03-2022 को इस सम्बन्ध में कई पत्र के माध्यम से (कॉपी संलग्न) ऑडिट के यथा स्थिति और प्रगति की सूचना दी गयी लेकिन आप के द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया उल्लेखनीय है कि -

अ) -शासनादेश संख्या-ऑडिट 2953/2009-101(64)/2007 दिनांक 7 अक्टूबर 2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है।

3- खंड विकास अधिकारी जो की विकासखंड के ग्राम पंचायत के भौतिक और वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को भी इस सम्बन्ध में ऑडिट की प्रगति और सहयोग न किये जाने की सूचना दी गयी और प्रत्येक मीटिंग में मौखिक रूप में अवगत कराया गया, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाये गये उल्लेखनीय है कि आयुक्त ग्राम विकास के द्वारा समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित पत्रांक 269/सम्प्रेक्षा/ आ० रि०/ दिनांक 08/09,15 जनवरी 2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारी सहित सम्बन्धित अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बंधित संगत अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियाँ एवं पंचायतों को सम्प्रेक्षा कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु उपलब्ध कराये जाने के कड़े निर्देश दिए गये हैं।

4- पंचायत राज्य समिति के निर्देश के क्रम में निदेशक पंचायत राज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्रांक संख्या 1/शा0/140/2016-1/272/2018 लखनऊ दिनांक 05 मई 2017 में जिसे समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी , समस्त मण्डलीय उपनिदेशक पंचायत, समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है, में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के समक्ष समस्त अभिलेख के साथ उपस्थित होकर आडिट न कराये जाने के समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के स्पष्ट आदेश दिए गये हैं ।

ग्राम पंचायत के द्वारा प्रियासाफ्ट पर उक्त अंकित/व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना स्टीमेट, वर्क आर्डर डी०, एम् ० बी०, कैशबुक, पासबुक, बिल/बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूति प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टरी आफ वर्क्स विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासाफ्ट के 8 प्रपत्र – प्राप्ति, व भुगतान लेखा, समेकित सार बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल संपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं हैं। किसी भी कार्य का त्रिस्तरी फोटोग्राफ नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी । संभव है की बैंक खाते में धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जाँच न की जा सकी। पंचायती राज विभाग उ प्र द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त व लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी और वसूली के साथ -साथ जिला पंचायत अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 09 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु 43191.00 गवन की श्रेणी में आती है । जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित आधी आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री कलीम अहमद से रुपये 21595.50 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री संजय सिंह से रुपये 21595.50 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -241

ग्राम पंचायत बगई कपूर के वर्ष 2020-2021 की लेखा परीक्षा प्रियासाफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि 15वें वित्त आयोग से प्राप्त (रुपया 709494.00) के आधार पर सपत्र की गयी है। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष उपलब्ध ही नहीं है या बार बार मांग के प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलेफोनिक बार्ता तथा लिखित रूप में बार-बार ग्राम पंचायत सचिव / प्रधान से अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारियों के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया।

2-सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को दिनांक 02-12-2021,01-02-2022.25-03-2022 को इस सम्बन्ध में कई पत्र के माध्यम (कॉपी संलग्न) ऑडिट के यथा स्थिति और प्रगति की सूचना दी गयी लेकिन आप के द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया , उल्लेखनीय है कि -

अ) -शासनादेश संख्या-ऑडिट 2953/2009-101(64)/2007 दिनांक 7 अक्टूबर 2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है.

3- खंड विकास अधिकारी जो की विकासखंड के ग्राम पंचायत के भौतिक और वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को भी इस सम्बन्ध में आडिट की प्रगति और सहयोग न किये जाने की सूचना दी गयी और प्रत्येक

मीटिंग में मौखिक रूप में अवगत कराया गया, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाये गये उल्लेखनीय है कि आयुक्त ग्राम विकास के द्वारा समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित पत्रांक 269/सम्प्रेक्षा/ आ० रि०/ दिनांक 08/09,15 जनवरी 2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारी सहित सम्बन्धित अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बन्धित संगत अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितिया एव पंचायत को सम्प्रेक्षा कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु उपलब्ध कराये जाने के कड़े निर्देश दिए गये हैं।

4- पंचायत राज्य समिति के निर्देश के क्रम में निदेशक पंचायत राज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्रांक संख्या 1/शा0/140/2016-1/272/2018 लखनऊ दिनांक 05 मई 2017 में जिसे समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी , समस्त मण्डलीय उपनिदेशक पंचायत, समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है, में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के समक्ष समस्त अभिलेख के साथ उपस्थित होकर आडिट न कराये जाने के समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के स्पष्ट आदेश दिए गये हैं।

ग्राम पंचायत के द्वारा प्रियासाफ्ट पर उक्त अंकित/व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका कार्ययोजना स्टीमेट, वर्क आई० डी०, एम ० वी०, कैशबुक, पासबुक, विल/बाउचर, मस्टररोल , कार्यपूति प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टरी आफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे-नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति , प्रियामाफ्ट के 8 प्रपत्र- प्राप्ति व भुगतान लेखा, समेकित सार बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल संपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरी फोटोग्राफ नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी । संभव है की बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जाँच न की जा सकी। पंचायती राज विभाग उ प्र द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त व लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी और वसूली के साथ -साथ जिला पंचायत अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 09 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु 709494.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित आधी - आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री कलीम अहमद से रुपये 354747.00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री संजय सिंह से रु0 354747.00 किया जाना अपेक्षित है।

124-ग्राम पंचायत – कराखिया रस्तम सराय विकास खण्ड – हरैया लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -242

ग्राम पंचायत कराखिया रस्तम सराय के वर्ष-2020-21 की लेखा परीक्षा में प्रियासाफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि 4/5 राज्य वित्त आयोग से प्राप्त रुपये 35582.00 के आधार पर सम्पत्र की गयी है वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष उपलब्ध ही नहीं है या बार- बार मांग के प्रस्तुत नहीं किये गए हैं।

1- अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप में बार-बार ग्राम पंचायत सचिव / प्रधान से अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारियों के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया।

2-सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को दिनांक 02-12-2021,01-02-2022,25-03-2022 को इस सम्बन्ध में कई पत्र के माध्यम से (काँपी संलग्न) ऑडिट के यथा स्थिति और प्रगति की सूचना दी गयी लेकिन आप के द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया उल्लेखनीय है कि -

अ) -शासनादेश संख्या-ऑडिट 2953/2009-101(64)/2007 दिनांक 7 अक्टूबर 2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है.

3- खंड विकास अधिकारी जो की विकासखंड के ग्राम पंचायत के भौतिक और वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को भी इस सम्बन्ध में ऑडिट की प्रगति और सहयोग न किये जाने की सूचना दी गयी और प्रत्येक मीटिंग में मौखिक रूप में अवगत कराया गया, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाये गये उल्लेखनीय है कि आयुक्त ग्राम विकास के द्वारा समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित पत्रांक 269/सम्प्रेक्षा/ आ० रि०/ दिनांक 08/09,15 जनवरी 2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारी सहित सम्बन्धित अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बंधित संगत अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितिया एव पंचायतों को सम्प्रेक्षा कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु उपलब्ध कराये जाने के कड़े निर्देश दिए गये हैं।

4- पंचायत राज्य समिति के निर्देश के क्रम में निदेशक पंचायत राज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्रांक संख्या 1/शा०/140/2016-1/272/2018 लखनऊ दिनांक 05 मई 2017 में जिसे समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी , समस्त मण्डलीय उपनिदेशक पंचायत, समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है, में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के समक्ष समस्त अभिलेख के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने के समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के स्पष्ट आदेश दिए गये हैं ।

ग्राम पंचायत के द्वारा प्रियासाफ्ट पर उक्त अंकित/व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना स्टीमेट, वर्क आई० डी०, एम् ० बी०, कैशबुक, पासबुक, बिल/बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टरी आफ वर्क्स विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासाफ्ट के 8 प्रपत्र – प्राप्तियाँ व भुगतान लेखा, समेकित सार बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल संपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं हैं। किसी भी कार्य का त्रिस्तरी फोटोग्राफ नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी । संभव है की बैंक खाते में धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जाँच न की जा सकी। पंचायती राज विभाग उ प्र द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त व लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी और वसूली के साथ -साथ जिला पंचायत अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 09 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु 35582.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित आधी- आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती मंजू सिंह से रुपये 17791.00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री संजय सिंह से रुपये 17791.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -243

ग्राम पंचायत कराखिया रुस्तम सराय के वर्ष 2020-2021 की लेखा परीक्षा प्रियासाफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि 15वें वित्त आयोग से प्राप्त (रुपया 701857.00) के आधार पर सपत्र की गयी है। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष उपलब्ध ही नहीं है या बार बार मांग के प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक बार्ता तथा लिखित रूप में बार-बार ग्राम पंचायत सचिव / प्रधान से अभिलेख प्रस्तुत करने की

माग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारियों के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया।

2-सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को दिनांक 02-12-2021, 01-02-2022, 25-03-2022 को इस सम्बन्ध में कई पत्र के माध्यम (कॉपी संलग्न) ऑडिट के यथा स्थिति और प्रगति की सूचना दी गयी लेकिन आप के द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया , उल्लेखनीय है कि -

अ) -शासनादेश संख्या-ऑडिट 2953/2009-101(64)/2007 दिनांक 7 अक्टूबर 2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है.

3- खंड विकास अधिकारी जो की विकासखंड के ग्राम पंचायत के भौतिक और वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को भी इस सम्बन्ध में आडिट की प्रगति और सहयोग न किये जाने की सूचना दी गयी और प्रत्येक मीटिंग में मौखिक रूप में अवगत कराया गया, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाये गये उल्लेखनीय है कि आयुक्त ग्राम विकास के द्वारा समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित पत्रांक 269/सम्प्रेक्षा/ आ० रि०/ दिनांक 08/09,15 जनवरी 2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारी सहित सम्बन्धित अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बंधित संगत अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितिया एव पंचायतों को सम्प्रेक्षा कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु उपलब्ध कराये जाने के कड़े निर्देश दिए गये हैं।

4- पंचायत राज्य समिति के निर्देश के क्रम में निदेशक पंचायत राज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्रांक संख्या 1/शा०/140/2016-1/272/2018 लखनऊ दिनांक 05 मई 2017 में जिसे समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी , समस्त मण्डलीय उपनिदेशक पंचायत, समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है, में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के समक्ष समस्त अभिलेख के साथ उपस्थित होकर आडिट न कराये जाने के समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के स्पष्ट आदेश दिए गये हैं.

ग्राम पंचायत के द्वारा प्रियासाफ्ट पर उक्त अंकित/व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका कार्ययोजना स्टीमेट, वर्क आई० डी०, एम ० वी०, कैशबुक, पासबुक, विल/बाउचर, मस्टररोल , कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टरी आफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे-नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति , प्रियामाफ्ट के 8 प्रपत्र- प्राप्ति व भुगतान लेखा, समेकित सार बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल संपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं हैं। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी । संभव है की बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जाँच न की जा सकी। पंचायती राज विभाग 5 प्र द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त व लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी और वसूली के साथ -साथ जिला पंचायत अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 09 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु 701857.00 गबन की श्रेणी में आती है | जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित आधी- आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती मंजू सिंह से रुपये 350928.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री संजय सिंह से रु 350928.50 किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत बनहरा के वर्ष-2020-21 की लेखा परीक्षा में प्रियासाफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि 4/5 राज्य वित्त आयोग से प्राप्त रुपये 244438.00 के आधार पर सम्पन्न की गयी है वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष उपलब्ध ही नहीं है या बार- बार मांग के प्रस्तुत नहीं किये गए हैं।

1- अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप में बार-बार ग्राम पंचायत सचिव / प्रधान से अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारियों के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया।

2-सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को दिनांक 02-12-2021,01-02-2022,25-03-2022 को इस सम्बन्ध में कई पत्र के माध्यम से (कॉपी संलग्न) ऑडिट के यथा स्थिति और प्रगति की सूचना दी गयी लेकिन आप के द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया उल्लेखनीय है कि -

अ) -शासनादेश संख्या-ऑडिट 2953/2009-101(64)/2007 दिनांक 7 अक्टूबर 2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है.

3- खंड विकास अधिकारी जो की विकासखंड के ग्राम पंचायत के भौतिक और वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को भी इस सम्बन्ध में ऑडिट की प्रगति और सहयोग न किये जाने की सूचना दी गयी और प्रत्येक मीटिंग में मौखिक रूप में अवगत कराया गया, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाये गये उल्लेखनीय है कि आयुक्त ग्राम विकास के द्वारा समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित पत्रांक 269/सम्प्रेक्षा/ आ० रि०/ दिनांक 08/09,15 जनवरी 2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारी सहित सम्बन्धित अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बंधित संगत अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितिया एव पंचायतों को सम्प्रेक्षा कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु उपलब्ध कराये जाने के कड़े निर्देश दिए गये हैं।

4- पंचायत राज्य समिति के निर्देश के क्रम में निदेशक पंचायत राज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्रांक संख्या 1/शा०/140/2016-1/272/2018 लखनऊ दिनांक 05 मई 2017 में जिसे समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी , समस्त मण्डलीय उपनिदेशक पंचायत, समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है, में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के समक्ष समस्त अभिलेख के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने के समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के स्पष्ट आदेश दिए गये हैं ।

ग्राम पंचायत के द्वारा प्रियासाफ्ट पर उक्त अंकित/व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना स्टीमेट, वर्क आई० डी०, एम् ० बी०, कैशबुक, पासबुक, बिल/बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूति प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टरी आफ वर्क्स विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासाफ्ट के 8 प्रपत्र – प्राप्ति, व भुगतान लेखा, समेकित सार बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल संपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं हैं। किसी भी कार्य का त्रिस्तरी फोटोग्राफ नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी । संभव है की बैंक खाते में धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जाँच न की जा सकी। पंचायती राज विभाग उ प्र द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त व लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी और वसूली के साथ -साथ जिला पंचायत अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 09 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु 244438.00 गबन की श्रेणी में आती है । जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित आधी- आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री राजेश यादव से

रुपये 122219.00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री संजय सिंह से रुपये 122219.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -245

ग्राम पंचायत बनहरा के वर्ष 2020-2021 की लेखा परीक्षा प्रियासापट पर अंकित व्यय धनराशि 15वें वित्त आयोग से प्राप्त (रुपया 560780.00) के आधार पर सपत्र की गयी है। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष उपलब्ध ही नहीं है या बार बार मांग के प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक बार्ता तथा लिखित रूप में बार-बार ग्राम पंचायत सचिव / प्रधान से अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारियों के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया।

2-सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को दिनांक 02-12-2021,01-02-2022.25-03-2022 को इस सम्बन्ध में कई पत्र के माध्यम (कॉपी संलग्न) ऑडिट के यथा स्थिति और प्रगति की सूचना दी गयी लेकिन आप के द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया , उल्लेखनीय है कि -

अ) -शासनादेश संख्या-ऑडिट 2953/2009-101(64)/2007 दिनांक 7 अक्टूबर 2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है.

3- खंड विकास अधिकारी जो की विकासखंड के ग्राम पंचायत के भौतिक और वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को भी इस सम्बन्ध में आडिट की प्रगति और सहयोग न किये जाने की सूचना दी गयी और प्रत्येक मीटिंग में मौखिक रूप में अवगत कराया गया, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाये गये उल्लेखनीय है कि आयुक्त ग्राम विकास के द्वारा समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित पत्रांक 269/सम्प्रेक्षा/ आ० रि०/ दिनांक 08/09,15 जनवरी 2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारी सहित सम्बन्धित अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बंधित संगत अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितिया एव पंचायतों को सम्प्रेक्षा कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु उपलब्ध कराये जाने के कड़े निर्देश दिए गये हैं।

4- पंचायत राज्य समिति के निर्देश के क्रम में निदेशक पंचायत राज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्रांक संख्या 1/शा०/140/2016-1/272/2018 लखनऊ दिनांक 05 मई 2017 में जिसे समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी , समस्त मण्डलीय उपनिदेशक पंचायत, समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है, में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के समक्ष समस्त अभिलेख के साथ उपस्थित होकर आडिट न कराये जाने के समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के स्पष्ट आदेश दिए गये हैं.

ग्राम पंचायत के द्वारा प्रियासापट पर उक्त अंकित/व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका कार्ययोजना स्टीमेट, वर्क आई० डी०, एम ० वी०, कैशबुक, पासबुक, विल/बाउचर, मस्टररोल , कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टरी आफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे-नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति , प्रियामाफ्ट के 8 प्रपत्र- प्राप्ति या व भुगतान लेखा, समेकित सार बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल संपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं हैं। किसी भी कार्य का त्रिस्तरी फोटोग्राफ नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी । संभव है की बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायती राज विभाग उ प्र द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त व लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम

प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 09 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु 560780.00 गवन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित आधी - आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री राजेश यादव से रुपये 280390.00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री संजय सिंह से रु 280390.00 किया जाना अपेक्षित है।

126-ग्राम पंचायत – महाजी सिन्धवारा विकास खण्ड – हरैया लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -246

ग्राम पंचायत महाजी सिन्धवारा के वर्ष-2020-21 की लेखा परीक्षा में प्रियासाफ्ट पर अंकित व्यय धनराजि 4/5 राज्य वित्त आयोग से प्राप्त रुपये 30520.00 के आधार पर सम्पत्र की गयी है वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष उपलब्ध ही नहीं है या बार- बार मांग के प्रस्तुत नहीं किये गए हैं।

1- अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप में बार-बार ग्राम पंचायत सचिव / प्रधान से अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारियों के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया।

2-सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को दिनांक 02-12-2021,01-02-2022,25-03-2022 को इस सम्बन्ध में कई पत्र के माध्यम से (कॉपी संलग्न) ऑडिट के यथा स्थिति और प्रगति की सूचना दी गयी लेकिन आप के द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया उल्लेखनीय है कि -

अ) -शासनादेश संख्या-ऑडिट 2953/2009-101(64)/2007 दिनांक 7अक्टूबर 2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है.

3- खंड विकास अधिकारी जो की विकासखंड के ग्राम पंचायत के भौतिक और वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को भी इस सम्बन्ध में आडिट की प्रगति और सहयोग न किये जाने की सूचना दी गयी और प्रत्येक मीटिंग में मौखिक रूप में अवगत कराया गया, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाये गये उल्लेखनीय है कि आयुक्त ग्राम विकास के द्वारा समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित पत्रांक 269/सम्प्रेक्षा/ आ० रि०/ दिनांक 08/09,15 जनवरी 2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारी सहित सम्बन्धित अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बंधित संगत अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितिया एव पंचायतों को सम्प्रेक्षा कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु उपलब्ध कराये जाने के कड़े निर्देश दिए गये हैं।

4- पंचायत राज्य समिति के निर्देश के क्रम में निदेशक पंचायत राज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्रांक संख्या 1/शा0/140/2016-1/272/2018 लखनऊ दिनांक 05 मई 2017 में जिसे समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी , समस्त मण्डलीय उपनिदेशक पंचायत, समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है, में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के समक्ष समस्त अभिलेख के साथ उपस्थित होकर आडिट न कराये जाने के समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के स्पष्ट आदेश दिए गये हैं ।

ग्राम पंचायत के द्वारा प्रियासाफ्ट पर उक्त अंकित/व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना स्टीमेट, वर्क आई० डी०, एम् ० बी०, कैशबुक, पासबुक, बिल/बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टरी आफ वर्क्स विभिन्न समितियाँ जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासाफ्ट के 8 प्रपत्र – प्राप्तियाँ व भुगतान लेखा, समेकित सार बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल संपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं हैं। किसी भी कार्य का त्रिस्तरी फोटोग्राफ नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी । संभव है की बैंक खाते में धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जाँच न की जा सकी। पंचायती राज विभाग उ प्र द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त व लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 09 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु 30520.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती पूनम यादव सिंह से रुपये 15260.00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री संजय सिंह से रुपये 15260.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -247

ग्राम पंचायत महाजी सिन्धवारा के वर्ष 2020-2021 की लेखा परीक्षा प्रियासापट पर अंकित व्यय धनराशि 15वें वित्त आयोग से प्राप्त (रुपया 258730.00) के आधार पर सपत्र की गयी है। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष उपलब्ध ही नहीं है या बार बार मांग के प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप में बार-बार ग्राम पंचायत सचिव / प्रधान से अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारियों के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया।

2-सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को दिनांक 02-12-2021, 01-02-2022, 25-03-2022 को इस सम्बन्ध में कई पत्र के माध्यम (कॉपी संलग्न) ऑडिट के यथा स्थिति और प्रगति की सूचना दी गयी लेकिन आप के द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया, उल्लेखनीय है कि -

अ) -शासनादेश संख्या-ऑडिट 2953/2009-101(64)/2007 दिनांक 7 अक्टूबर 2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है।

3- खंड विकास अधिकारी जो की विकासखंड के ग्राम पंचायत के भौतिक और वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को भी इस सम्बन्ध में आडिट की प्रगति और सहयोग न किये जाने की सूचना दी गयी और प्रत्येक मीटिंग में मौखिक रूप में अवगत कराया गया, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाये गये उल्लेखनीय है कि आयुक्त ग्राम विकास के द्वारा समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित पत्रांक 269/सम्प्रेक्षा/ आ० रि०/ दिनांक 08/09, 15 जनवरी 2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारी सहित सम्बन्धित अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बंधित संगत अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितिया एव पंचायतों को सम्प्रेक्षा कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु उपलब्ध कराये जाने के कड़े निर्देश दिए गये हैं।

4- पंचायत राज्य समिति के निर्देश के क्रम में निदेशक पंचायत राज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्रांक संख्या 1/शा०/140/2016-1/272/2018 लखनऊ दिनांक 05 मई 2017 में जिसे समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, समस्त मण्डलीय उपनिदेशक पंचायत, समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है, में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के समक्ष समस्त अभिलेख के साथ उपस्थित होकर आडिट न कराये जाने के समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के स्पष्ट आदेश दिए गये हैं।

ग्राम पंचायत के द्वारा प्रियासापट पर उक्त अंकित/व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका कार्ययोजना स्टीमेट, वर्क आई० डी०, एम० वी०, कैशबुक, पासबुक, विल/बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टरी आफ वर्क्स, विभिन्न समितियाँ जैसे-नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियामाफ्ट के 8 प्रपत्र- प्राप्ति व भुगतान लेखा, समेकित सार बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल संपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि

अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरी फोटोग्राफ नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। संभव है की बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जाँच न की जा सकी। पंचायती राज विभाग उ प्र द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त व लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 09 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि ₹0 258730.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित आधी- आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती पूनम यादव से रुपये 129365.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री संजय सिंह से ₹0 129365.00 किया जाना अपेक्षित है।

127-ग्राम पंचायत -बाँकीपुर विकास खण्ड -रानी की सराय लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -248

पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-"ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। "परन्तु लेखा परीक्षा में कतिपय कार्यों/मदों/ से सम्बन्धित पत्रावलि(यां) प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति, मापी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र व्यय प्रमाणक आदि प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में दर्शित व्यय का विवरण निम्नवत है :-

दिनांक	परियोजना /कार्य का नाम	व्यय धनराशि
04.07.2020	कोविड 19 दवा छिड़काव हेतु भुगतान स्वतंत्र इंटर प्राइजेज	8435.00
04.07.2020	कोविड 19 दवा छिड़काव हेतु मशीन क्रय भुगतान मौर्य खाद बीज भंडार	3600.00
28.08.2020	मानदेय प्रधान 01/2020 से 07/2020	24500
19.09.2020	सामुदायिक मिलन केंद्र का मरम्मत पर मजदूरी भुगतान	74307.00
19.09.2020	उक्त कार्य पर ईंट व ईंट गिट्टी क्रय भुगतान राजेन्द्र सिंह ब्रिक्स	36751.00
19.09.2020	उक्त कार्य पर सामग्री क्रय भुगतान कृष्णा ट्रेडर्स	81967.00
19.09.2020	उक्त कार्य पर सामग्री पेन्ट संमोसन आदि का भुगतान	27891.00
01.10.2020	सामुदायिक शौचालय निर्माण पर मजदूरी भुगतान	25243.00
01.10.2020	उक्त कार्य पर ईंट क्रय भुगतान राजेन्द्र सिंह ब्रिक्स	87540.00
01.10.2020	उक्त कार्य पर टाइल्स समरसेबल आदि का भुगतान जायसवाल कृषि फर्म को	84535.00
01.10.2020	उक्त कार्य हेतु पेन्ट कमोड बेसिन आदि का भुगतान जायसवाल पेन्ट हाउस को	49163.00
03.10.2020	उक्त कार्य पर अवशेष मजदूरी	17286.00
03.10.2020	उक्त कार्य पर सामग्री क्रय भुगतान कृष्णा ट्रेडर्स	99257.00
02.11.2020	इंटरलाकिंग से हरिकेश के मकान तक खड्जा निर्माण मजदूरी भुगतान	6633.00

02.11.2020	उक्त कार्य पर ईट क्रय भुगतान राजेन्द्र सिंह ब्रिक्स	22955.00
02.11.2020	दिनेश के घर से भूमिगत नाली निर्माण मजदूरी भुगतान	7206.00
02.11.2020	उक्त कार्य पर ईट व गिट्टी क्रय भुगतान राजेन्द्र सिंह ब्रिक्स	8001.00
02.11.2020	उक्त कार्य पर सामग्री क्रय भुगतान कृष्णा ट्रेडर्स	41337.00
02.11.2020	05 अदद हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय भुगतान चौहान कंस्ट्रक्शन	18475.00
24.11.2020	खड़जा से मोहन के घर तक खड़जा निर्माण मजदूरी भुगतान	3618.00
24.11.2020	उक्त कार्य पर ईट क्रय भुगतान राजेन्द्र सिंह ब्रिक्स	22167.00
24.11.2020	कोविड 19 दवा छिड़काव हेतु भुगतान सनसाइन इण्डिया कंस्ट्रक्शन	3326.00
05.12.2020	जूनियर हाई स्कूल से सेठवल सरहद तक खड़जा मरम्मत पर मजदूरी भुगतान	19899.00
05.12.2020	उक्त कार्य पर ईट क्रय भुगतान राजेन्द्र सिंह ब्रिक्स	20034.00
19.12.2020	मानदेय प्रधान 08/2020 से 11/2020 तक	14000.00
19.12.2020	मेनरोड से जगमोहन के घर तक इंटरलाकिंग कार्य पर इंटरलाकिंग ईट कय	109268.00
19.12.2020	उक्त कार्य पर ईट व गिट्टी क्रय भुगतान राजेन्द्र सिंह ब्रिक्स	31552.00
19.12.2020	उक्त कार्य पर सामग्री क्रय भुगतान कृष्णा ट्रेडर्स	23380.00
19.12.2020	उक्त कार्य पर मजदूरी भुगतान	15819.00
21.12.2020	मेनरोड से रमाशंकर के घर तक इंटरलाकिंग कार्य सामग्री कय कृष्णा ट्रेडर्स	12204.00
22.12.2020	उक्त कार्य पर मजदूरी भुगतान	6546.00
22.12.2020	उक्त कार्य पर सीमेंटेड ईट कय भुगतान आर एस इंटरलाकिंग	77337.00
22.12.2020	उक्त कार्य पर ईट व गिट्टी क्रय भुगतान राजेन्द्र सिंह ब्रिक्स	11243.00
29.12.2020	मेनरोड से वीरेंद्र के घर तक इंटरलाकिंग कार्य पर मजदूरी भुगतान	10608.00
29.12.2020	उक्त कार्य पर सामग्री क्रय भुगतान कृष्णा ट्रेडर्स	12737.00
29.12.2020	उक्त कार्य पर ईट व गिट्टी क्रय भुगतान राजेन्द्र सिंह ब्रिक्स	14133.00
29.12.2020	उक्त कार्य पर सीमेंटेड ईट क्रय भुगतान आर एस इंटरलाकिंग	81184.00
29.12.2020	कुर्सी मेज क्रय भुगतान सन साइन इण्डिया कंस्ट्रक्शन	18000.00
29.12.2020	कोविड' 19 के तहत दवा मास्क सेनेटाइजर क्रय भुगतान सनसाइन इण्डिया	16710.00

03.10.2020	कोविड' 19 के तहत मास्क क्रय भुगतान सनसाइन इण्डिया कंस्ट्रक्शन	1000.00
07.12.2020	मोनू सिंह के बाग से सतोईया पोखरी तक भूमिगत नाली मजदूरी भुगतान	39273.00
07.12.2020	उक्त कार्य पर ईट व गिट्टी क्रय भुगतान राजेन्द्र सिंह ब्रिक्स	75379.00
07.12.2020	उक्त कार्य पर ब्लूम पाइप का भुगतान एकता सीमेंट कंक्रीट उद्योग को	36320.00
07.12.2020	उक्त कार्य पर सामग्री क्रय भुगतान कृष्णा ट्रेडर्स	98140.00
19.03.2021	दिव्यांग शौचालय निर्माण हेतु मजदूरी भुगतान	10077.00
19.03.2021	उक्त कार्य पर ईट क्रय भुगतान राजेन्द्र सिंह ब्रिक्स	21155.00
19.03.2021	उक्त कार्य पर सामग्री क्रय भुगतान कृष्णा ट्रेडर्स	33689.00
	बैंकिंग चार्ज	70.80
योग -		1563950.80

इस प्रकार उक्त कार्यों से संबंधित पत्रावलियाँ एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रु० 1563950.80 लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क के अनुसार अधिभार योग्य है जिसके लिये ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती वंदना सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री हरेन्द्र उत्तरदायी हैं। अतः उपरोक्त दर्शित धनराशि रु० 1563950.80 की वसूली ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती वंदना सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री हरेन्द्र से अद्यावधिक ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

128-ग्राम पंचायत -बस्ती विकास खण्ड -रानी की सराय लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -249

पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-"ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। "परन्तु लेखा परीक्षा में कतिपय कार्यों/मदों/ से सम्बन्धित पत्रावलियाँ) प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति, मापी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र व्यय प्रमाणक आदि प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में दर्शित व्यय का विवरण निम्नवत है :-

दिनांक	परियोजना /कार्य का नाम	व्यय धनराशि
07.07.2020	कोविड 19 दवा छिड़काव हेतु भुगतान सन साइन ट्रेडर्स	8435.00
25.09.2020	कोविड 19 दवा छिड़काव हेतु मशीन क्रय भुगतान मौर्य खाद बीज भंडार	3600.00
25.09.2020	मानदेय प्रधान 01/2020 से 08/2020	28000.00
05.12.2020	नहर से शिवबचन के घर तक इंटरलाकिंग कार्य पर मजदूरी	19095.00
05.12.2020	उक्त कार्य पर ईट क्रय भुगतान नर्वदा ईट	34072.00
05.12.2020	उक्त कार्य पर सामग्री क्रय भुगतान मुलायम बिल्डिंग मैट0	26125.00
05.12.2020	उक्त कार्य पर सीमेंटेड ईट क्रय भुगतान आर एस इंटरलाकिंग	109032.00

05.12.2020	मानदेय प्रधान 04 माह	14000.00
19.12.2020	सामुदायिक शौचालय हेतु समरसेबल क्रय का भुगतान भरत चौहान	30680.00
19.12.2020	उक्त कार्य पर सामग्री क्रय भुगतान मुलायम बिल्डिंग मैट0	102076.00
19.12.2020	उक्त कार्य पर ईट क्रय भुगतान नर्वदा ईट	77334.00
19.12.2020	उक्त कार्य पर टाइल्स आदि का भुगतान अनुराग ट्रेडर्स	97993.00
19.12.2020	उक्त कार्य पर मजदूरी भुगतान	36978.00
29.12.2020	कोविड 19 दवा आदि हेतु भुगतान सन साइन ट्रेडर्स	17920.00
24.02.2021	प्राथमिक विद्यालय के बिजली बिल का भुगतान	29239.00
03.10.2020	03 अदद हैण्डपम्प रिबोर पर व्यय भुगतान भरत कांटेक्टर व सप्लायर	95361.00
13.11.2020	05 अदद हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय भुगतान भरत कांटेक्टर व सप्लायर	19856.00
13.11.2020	काली स्थान पर हैण्डपम्प रिबोर पर व्यय भुगतान भरत कांटेक्टर व सप्लायर	32000.00
05.12.2020	राजाराम के घर से प्यारे के घर तक इंटरलाकिंग भुगतान आर एस इंटरलाकिंग	80004.00
19.12.2020	उक्त कार्य पर ईट व गिट्टी क्रय भुगतान नर्वदा ईट	16936.00
19.12.2020	उक्त कार्य पर सामग्री क्रय भुगतान मुलायम बिल्डिंग मैट0	14657.00
19.12.2020	उक्त कार्य पर मजदूरी भुगतान	11484.00
31.03.2021	दिव्यांग शौचालय निर्माण हेतु मजदूरी भुगतान	8871.00
31.03.2021	उक्त कार्य पर सामग्री क्रय भुगतान मुलायम बिल्डिंग मैट0	40667.00
31.03.2021	उक्त कार्य पर ईट क्रय भुगतान नर्वदा ईट	12368.00
	योग -	966783.00

इस प्रकार उक्त कार्यों से संबंधित पत्रावलियाँ एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रु० 966783.00 लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क के अनुसार अधिभार योग्य है जिसके लिये ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती वंदना सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री चंद्र प्रकाश उत्तरदायी हैं। अतः उपरोक्त दर्शित धनराशि रु० 966783.00 की वसूली ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती वंदना सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री चंद्र प्रकाश से अद्यावधिक ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

129-ग्राम पंचायत -दिलौरी विकास खण्ड -रानी की सराय लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -250

पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-"ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। "परन्तु लेखा परीक्षा में कतिपय कार्यों/मदों/ से सम्बन्धित पत्रावलियाँ) प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति, मापी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र व्यय प्रमाणक आदि प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में दर्शित व्यय का विवरण निम्नवत है :-

दिनांक	परियोजना /कार्य का नाम	व्यय धनराशि
16.07.2020	कोविड 19 दवा छिड़काव हेतु भुगतान	8435.00
10.08.2020	कोविड 19 दवा आदि क्रय हेतु भुगतान विश्वकर्मा ट्रेडर्स	41565.00
25.09.2020	मानदेय प्रधान	24500.00
24.09.2020	हैण्डपम्प मरम्मत भुगतान आदित्य कांटेक्टर	36968.00
08.10.2020	सामुदायिक शौचालय निर्माण पर ईट क्रय भुगतान राजेन्द्र सिंह बी के ओ	98920.00
08.10.2020	सामुदायिक शौचालय निर्माण सामग्री क्रय भुगतान वेलकम बिल्डिंग मेटेरियल	90933.00
10.11.2020	सामुदायिक शौचालय निर्माण सामग्री क्रय भुगतान वेलकम बिल्डिंग मेटेरियल	93211.00
10.11.2020	उक्त कार्य पर ईट क्रय भुगतान राजेन्द्र सिंह बी के ओ	5313.00
02.12.2020	खड़जा मरम्मत कार्य मजदूरी भुगतान पिछले वित्तीय वर्ष का	24802.00
05.12.2020	सामुदायिक शौचालय पर समरसेबल आदि का भुगतान कृष्णा डेयरी व सप्लायर	50000.00
19.12.2020	मानदेय प्रधान	10500.00
21.12 2021	हैण्डपम्प रिबोर 07 अदद भुगतान कृष्णा डेयरी व सप्लायर	176250.00
20.03 2021	खड़जा मरम्मत रामबचन के घर से बलिराम के घर तक मजदूरी भुगतान	30954.00
20.03 2021	उक्त कार्य पर ईट क्रय भुगतान राजेन्द्र सिंह बी के ओ	41136.00
20.03 2021	नरेंद्र के घर से खड़जा तक इंटरलाकिंग कार्य पर मजदूरी भुगतान	21105.00
20.03.2021	उक्त कार्य पर ईट क्रय भुगतान राजेन्द्र सिंह बी के ओ	42740.00
28.03 2021	उक्त कार्य पर सीमेंटेड ईट क्रय का भुगतान अनन्या सीमेंट ईट उद्योग	122943.00
28.03 2021	उक्त कार्य पर मजदूरी भुगतान	5529.00
	योग -	925804.00

इस प्रकार उक्त कार्यों से संबंधित पत्रावलियाँ एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रु0 925804.00 लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क के अनुसार अधिभार योग्य है जिसके लिये ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी श्री यशवंत कुमार ग्राम प्रधान श्री राजेश तिवारी एवं प्रशासक ग्राम पंचायत श्री सुनील कुमार मिश्र उत्तरदायी हैं। अतः उपरोक्त दर्शित धनराशि रु0 925804.00 की वसूली ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी श्री यशवंत कुमार ग्राम प्रधान श्री राजेश तिवारी एवं प्रशासक ग्राम पंचायत श्री सुनील कुमार मिश्र से अद्यावधिक ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

130-ग्राम पंचायत -टेकमलपुर विकास खण्ड -रानी की सराय लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

पस्तर -251

पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-"ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। "परन्तु लेखा परीक्षा में कतिपय कार्यों मर्दों/ से सम्बन्धित पत्रावलियाँ) प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति, मापी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र व्यय प्रमाणक आदि प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में दर्शित व्यय का विवरण निम्नवत है :-

दिनांक	परियोजना /कार्य का नाम	व्यय धनराशि
27.07.2020	कोविड 19 दवा छिड़काव हेतु भुगतान सनसाइन ट्रेडर्स	8435.00
27.07.2020	कोविड 19 दवा छिड़काव हेतु मशीन क्रय भुगतान मौर्य खाद बीज भंडार	3600.00
21.09.2020	सा0 शौ0 निर्माण पर सीमेंट,बालू,गिट्टी आदि का भुगतान मे0 बंशराज एण्ड संस को	95423.00
21.09.2020	सा0 शौ0 निर्माण पर प्लम्बर टाइल्स व अन्य सामग्री क्रय उमा बि0 मै0	98547.00
21.09.2020	सा0 शौ0 निर्माण पर समरसेबल क्रय भुगतान अनुराग ट्रेडर्स को	30680.00
21.09.2020	सा0 शौ0 निर्माण पर ईट व गिट्टी क्रय भुगतान नर्वदा ईट	77979.00
21.09.2020	सामुदायिक शौचालय निर्माण पर मजदूरी भुगतान	48961.00
29.07.2020	प्रधान मानदेय 06/2019 से 05/2020 तक (10/19 की कोषबही में 09/19 का मानदेय दिया जा चुका है)	42000.00
17.10.2020	प्रधान मानदेय 06/2020 से 09/2020	14000.00
23.12.2020	सुधिराम के घर से सेमरहा सरहद तक खड़जा मरम्मत मजदूरी भुगतान	14673.00
24.12.2020	सुधिराम के घर से सेमरहा सरहद तक खड़जा मरम्मत मजदूरी भुगतान	36984.00
24.12 2021	सुधिराम के घर से सेमरहा सरहद तक खड़जा मरम्मत ईट क्रय भुगतान	92657.00
28.12 2020	सुधिराम के घर से सेमरहा सरहद तक खड़जा मरम्मत मजदूरी भुगतान	36783.00
26.10 2020	04 अदद हैण्डपम्प रिबोर पर व्यय भुगतान रामपति ट्रेडर्स को	127000.00
31.10 2020	पंचम सिंह के घर से देवबरत के घर तक खड़जा मरम्मत मजदूरी	25527.00
31.10 2020	पंचम सिंह के घर से देवबरत के घर तक खड़जा मरम्मत ईट क्रय	30329.00
30.12 2020	खैरपुर सरहद से सुनील के खेत तक खड़जा निर्माण ईट क्रय	46467.00
30.12 2020	खैरपुर सरहद से सुनील के खेत तक खड़जा निर्माण मजदूरी	14070.00
	योग -	844115.00

इस प्रकार उक्त कार्यों से संबंधित पत्रावलियाँ एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रु0 844115.00 लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क के अनुसार अधिभार योग्य है जिसके लिये ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती वंदना सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री सुनील सोनकर उत्तरदायी हैं। अतः उपरोक्त दर्शित धनराशि रु0 844115.00 की वसूली ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती वंदना सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री सुनील सोनकर से अद्यावधिक ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

131-ग्राम पंचायत -चकखैरुल्लाह विकास खण्ड -रानी की सराय लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -252

पंचायती राज विभाग,उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-"ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।"परन्तु लेखा परीक्षा में कतिपय कार्यों / मदों से सम्बन्धित पत्रावलियाँ प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति, मापी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र व्यय प्रमाणक आदि प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में दर्शित व्यय का विवरण निम्नवत है :-

दिनांक	परियोजना/कार्य का नाम	व्यय धनराशि
08.07.2020	कोविड 19 दवा छिड़काव हेतु भुगतान	8435.00

08.07.2020	कोविड'19 दवा छिड़काव हेतु मशीन क्रय भुगतान मौर्य खाद बीज भंडार	3600.00
19.12.2020	कोविड'19 दीवाल लेखन पर व्यय हेतु भुगतान सनसाइन ट्रेडर्स	3326.00
22.09.2020	कोविड'19 मास्क ग्लव्स दवा आदि भुगतान सनसाइन ट्रेडर्स	17472.00
27.08.2020	मानदेय प्रधान 01/2020 से 07/2020	24500.00
19.12.2020	मानदेय प्रधान 08/2020 से 11/2020	14000.00
03.10.2020	सामुदायिक शौचालय पर ईट का भुगतान नर्वदा ईट उद्योग	90318.00
08.10.2020	सामुदायिक शौचालय पर मजदूरी भुगतान	32751.00
19.12.2020	सामुदायिक शौचालय पर सामग्री भुगतान भरत चौहान कंस्ट्रक्शन	30680.00
19.12.2020	सामुदायिक शौचालय पर मजदूरी भुगतान	5628.00
19.12.2020	सामुदायिक शौचालय प्लम्बर रंगाई व अन्य सामग्री भुगतान जे के इंटरप्रा0	97493.00
19.12.2020	सामुदायिक शौचालय पर अवशेष सामग्री भुगतान अभिषेक ट्रेडर्स	27375.00
03.10.2020	सामुदायिक शौचालय पर अवशेष सामग्री भुगतान अभिषेक ट्रेडर्स	64345.00
21.12.2020	मेन रोड से राजेश के घर तक खड़जा कार्य पर मजदूरी	9447.00
21.12.2020	मेन रोड से राजेश के घर तक खड़जा कार्य पर ईट क्रय नर्वदा ईट	27268.00
21.12.2020	हमीदपुर पुलिया से सुभाष के घर तक खड़जा पर मजदूरी	8643.00
21.12.2020	हमीदपुर पुलिया से सुभाष के घर तक खड़जा पर ईट क्रय नर्वदा ईट	26155.00
27.08.2020	10 अदद हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय भुगतान भरत चौहान कंस्ट्रक्शन	37900.00
	योग	529336.00

इस प्रकार उक्त कार्यों से संबंधित पत्रावलियाँ एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रु0 529336.00 लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क के अनुसार अधिभार योग्य है जिसके लिये ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती वंदना सिंह एवं ग्राम प्रधान श्रीमती पूजा देवी उत्तरदायी हैं। अतः उपरोक्त दर्शित धनराशि रु0 529336.00 की वसूली ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती वंदना सिंह एवं ग्राम प्रधान श्रीमती पूजा देवी से अद्यावधिक ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

132-ग्राम पंचायत - खैरपुर जगजीवन विकास खण्ड -रानी की सराय लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -253

पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-"ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। "परन्तु लेखा परीक्षा में कतिपय कार्यों /मदों से सम्बन्धित पत्रावलियाँ) प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति, मापी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र व्यय प्रमाणक आदि प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में दर्शित व्यय का विवरण निम्नवत है :-

दिनांक	परियोजना / कार्य का नाम	व्यय धनराशि
01.07.2020	25 अदद शोखपिट निर्माण पर मजदूरी भुगतान	46494.00
01.07.2020	उक्त कार्य पर ईट व गिट्टी क्रय भुगतान नर्वदा ईट	87625.00
01.07.2020	उक्त कार्य पर सामग्री क्रय भुगतान अभय बिल्डिंग मैटेरियल	81793.00
16.07.2020	04 अदद हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय भुगतान भरत चौहान कं0 को	26465.00
04.07.2020	कोविड के तहत दवा क्रय व छिड़काव	8435.00
23.07.2020	कोविड के तहत दवा क्रय व छिड़काव	3600.00
19.09.2020	सामुदायिक शौ0 निर्माण सामग्री क्रय भुगतान अभय बिल्डिंग मैटे0	97402.00
19.09.2020	उक्त कार्य पर समरसेबल वायरिंग आदि क्रय जे के इंटर प्राइजेज	144871.00
19.09.2020	उक्त कार्य पर ईट व गिट्टी क्रय भुगतान नर्वदा ईट	83331.00

19.09.2020	उक्त कार्य पर मजदूरी भुगतान	49162.00
19.09.2020	प्रधान मानदेय 01/2020 से 11/2020	38500.00
24.12.2020	पंचायत भवन पर हैंडपम्प निर्माण मजदूरी	8268.00
24.12.2020	पंचायत भवन पर हैंडपम्प निर्माण सामग्री क्रय भरत चौहान कं०	20493.00
28.12.2020	पंचायत भवन पर हैंडपम्प निर्माण अवशेष मजदूरी	11412.00
09.03.2021	03 अदद हैंडपम्प रिबोर पर व्यय भुगतान भरत चौहान कंस्ट्रू को	60163.00
09.03.2021	उक्त कार्य पर मजदूरी भुगतान	32283.00
02.11.2020	03 अदद हैंडपम्प रिबोर पर व्यय भुगतान भरत चौहान कंस्ट्रू को	197853.00
19.12.2020	मास्क क्रय सनसाइन कंस्ट्रू	1000.00
23.12.2020	पंचायत भवन पर समरसेबल ,वायरिंग आदि क्रय अभय बिल्डिंग मैटे०	188105.00
31.03.2021	दिव्यांग शौचालय निर्माण पर ईट व गिट्टी क्रय नर्वदा ईट	12368.00
31.03.2021	दिव्यांग शौचालय निर्माण पर मजदूरी भुगतान	8871.00
31.03.2021	दिव्यांग शौचालय निर्माण पर सामग्री क्रय भुगतान अभय बिल्डिंग मैटे०	40667.00
	योग -	1249161.00

इस प्रकार उक्त कार्यों से संबंधित पत्रावलियाँ एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रु० 1249161.00 लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क के अनुसार अधिभार योग्य है जिसके लिये ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती वंदना सिंह ग्राम प्रधान श्री संजय यादव एवं प्रशासक ग्राम पंचायत श्री सुनील कुमार मिश्र उत्तरदायी हैं। अतः उपरोक्त दर्शित धनराशि रु० 1249161.00 की वसूली ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती वंदना सिंह ग्राम प्रधान श्री संजय यादव एवं प्रशासक ग्राम पंचायत श्री सुनील कुमार मिश्र से अद्यावधिक ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

133-ग्राम पंचायत – कोठिया विकास खण्ड -रानी की सराय लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -254

पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-"ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। "परन्तु लेखा परीक्षा में कतिपय कार्यों /मदों से सम्बन्धित पत्रावलियाँ) प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति, मापी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र व्यय प्रमाणक आदि प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में दर्शित व्यय का विवरण निम्नवत है :-

दिनांक	परियोजना /कार्य का नाम	व्यय धनराशि
14.07.2020	मानदेय प्रधान 02/2019 से 03/2020 तक 14 माह	49000.00
16.12.2020	मानदेय प्रधान 04/2020 से 11/2020 तक 08 माह	28000.00
04.08.2020	कोविड 19 दवा छिड़काव हेतु मशीन क्रय भुगतान मौर्य खाद बीज भंडार	3600.00
22.09.2020	सामुदायिक शौचालय पर मजदूरी भुगतान	35364.00
22.09.2020	सामुदायिक शौचालय पर सीमेंट बालू आदि का भुगतान शिव शक्ति बि० मैटेरियल	75178.00

22.09.2020	सामुदायिक शौचालय पर ईट / गिट्टी आदि का भुगतान राजदेवी सिंह ईट	76757.00
10.11.2020	सामुदायिक शौचालय पर ईट/ गिट्टी आदि का भुगतान राजदेवी सिंह ईट	577.00
10.11.2020	सामुदायिक शौचालय पर मजदूरी भुगतान	2814.00
10.11.2020	शौचालय हेतु पलम्बर टाइल्स आदि समान क्रय भुगतान शिव शक्ति बि० मैटेरियल	162465.00
19.03.2021	दिव्यांग शौचालय निर्माण पर मजदूरी भुगतान	10077.00
19.03.2021	दिव्यांग शौचालय पर ईट का भुगतान राजदेवी सिंह ईट	21155.00
19.03.2021	दिव्यांग शौचालय पर सीमेंट बालू आदि का भुगतान शिव शक्ति बि० मैटेरियल	33689.00
	योग -	498676.00

इस प्रकार उक्त कार्यों से संबंधित पत्रवर्तियाँ एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रु० 498676.00 लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क के अनुसार अधिभार योग्य है जिसके लिये ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती वंदना सिंह ग्राम प्रधान श्री देवेन्द्र एवं प्रशासक ग्राम पंचायत श्री सुनील कुमार मिश्र उत्तरदायी हैं। अतः उपरोक्त दर्शित धनराशि रु० 498676.00 की वसूली ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती वंदना सिंह ग्राम प्रधान श्री देवेन्द्र एवं प्रशासक ग्राम पंचायत श्री सुनील कुमार मिश्र से अद्यावधिक ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

134-ग्राम पंचायत – कोटवाँ विकास खण्ड -रानी की सराय लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -255

पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-"ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। "परन्तु लेखा परीक्षा में कतिपय कार्यों / मदों से सम्बन्धित पत्रावलियाँ) प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति, मापी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र व्यय प्रमाणक आदि प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में दर्शित व्यय का विवरण निम्नवत है :-

दिनांक	परियोजना /कार्य का नाम	व्यय धनराशि
04.09.2020	कोविड 19 दवा, मास्क आदि का भुगतान	8435.00
11.09.2020	मानदेय प्रधान 04/2020 से 08/2020	17500.00
10.11.2020	हैण्डपम्प मरम्मत 08 अदद सामग्री क्रय भुगतान किसान हार्डवेयर	24680.00
10.11.2020	उपरोक्त कार्य पर मजदूरी भुगतान	8464.00
10.11.2020	समारु यादव के घर से पोखरी तक नाली मरम्मत व पटिया निर्माण मजदूरी भुगतान	4392.00
10.11.2020	उक्त कार्य पर सामग्री क्रय भुगतान अभिषेक ट्रेडर्स	14040.00
10.11.2020	मुंशीराम के घर खड़जा से राजकुमार के घर तक खड़जा निर्माण मजदूरी व्यय	21345.00

10.11.2020	उक्त कार्य पर ईट क्रय भुगतान जाय माँ शारदा ईट उद्योग	69840.00
01.10.2020	मानदेय प्रधान 09/2020 से 10/2020	7000.00
19.11.2020	सोख्ता निर्माण 10 अदद सामग्री क्रय भुगतान अभिषेक ट्रेडर्स	29597.00
19.11.2020	उक्त कार्य पर ईट व गिट्टी क्रय भुगतान जाय माँ शारदा ईट उद्योग	32235.00
19.11.2020	उक्त कार्य पर पाइप क्रय भुगतान किसान हार्डवेयर	4700.00
19.11.2020	उक्त कार्य पर मजदूरी भुगतान	19259.00
20.11.2020	टेण्डर प्रकाशन भुगतान कृष्ण कुमार गुप्ता को	7909.00
19.12.2020	सूर्यबली के घर से सुनील के घर तक इंटरलाकिंग कार्य मजदूरी भुगतान	16445.00
19.12.2020	उक्त कार्य पर सामग्री क्रय भुगतान अभिषेक ट्रेडर्स	29070.00
19.12.2020	उक्त कार्य पर ईट व गिट्टी क्रय भुगतान जय माँ शारदा ईट उद्योग	46394.00
19.12.2020	उक्त कार्य पर इंटरलाकिंग ईट क्रय भुगतान ओम ट्रेडर्स	62870.00
19.12.2020	अखिलेश के घर से रामबुझ के घर तक खड्जा निर्माण मजदूरी व्यय	15696.00
19.12.2020	उक्त कार्य पर ईट क्रय भुगतान जाय माँ शारदा ईट उद्योग	50752.00
19.12.2020	पिच रोड से मोती यादव के घर तक सी सी रोड निर्माण कार्य मजदूरी भुगतान	10164.00
19.12.2020	उक्त कार्य पर सामग्री क्रय भुगतान अभिषेक ट्रेडर्स	67773.00
19.12.2020	उक्त कार्य पर ईट व गिट्टी क्रय भुगतान जय माँ शारदा ईट उद्योग	12268.00
19.12.2020	प्रा0वि0 में किचन शेड कमरा व शौचालय में टाइल्स पर मजदूरी भुगतान	17756.00
19.12.2020	उक्त कार्य हेतु टाइल्स क्रय भुगतान हिंदुस्तान टाइल्स को	20491.00
19.12.2020	उक्त कार्य हेतु अवशेष टाइल्स क्रय भुगतान हिंदुस्तान टाइल्स को	51071.00
19.12.2020	उक्त कार्य हेतु दरवाजा,खिड़की बेलन आदि क्रय भुगतान किसान हार्डवेयर	20516.00
19.12.2020	उक्त कार्य पर सामग्री क्रय भुगतान अभिषेक ट्रेडर्स	13870.00
19.12.2020	उक्त कार्य पर ईट व गिट्टी क्रय भुगतान जय माँ शारदा ईट उद्योग	5093.00
19.12.2020	उक्त कार्य हेतु विंडो विथ आयरन फ्रेम क्रय भुगतान आदित्य कांटेक्टर	2106.00
19.12.2020	मानदेय प्रधान 11/2020	3500.00
19.12.2020	हैण्डपम्प मरम्मत 05 अदद सामग्री क्रय भुगतान किसान हार्डवेयर	14340.00
19.12.2020	उपरोक्त कार्य पर मजदूरी भुगतान	5290.00
23.12.2020	रामायण यादव के घर से धर्मेन्द्र के घर कोने तक इंटरलाकिंग कार्य मजदूरी भुगतान	4425.00
23.12.2020	उक्त कार्य पर इंटरलाकिंग ईट क्रय भुगतान ओम ट्रेडर्स	24874.00
23.12.2020	उक्त कार्य पर सामग्री क्रय भुगतान अभिषेक ट्रेडर्स	3062.00
23.12.2020	उक्त कार्य पर ईट व गिट्टी क्रय भुगतान जय माँ शारदा ईट उद्योग	8116.00
23.12.2020	बैच क्रय 08 अदद भुगतान आदित्य कांटेक्टर	75200.00
23.12.2020	हैण्डपम्प मरम्मत 03 अदद सामग्री क्रय भुगतान किसान हार्डवेयर	12065.00
23.12.2020	उपरोक्त कार्य पर मजदूरी भुगतान	3074.00
23.12.2020	आंगनवाड़ी केंद्र पर हैण्डपम्प स्थापना भुगतान रंपति ट्रेडर्स	35500.00
23.12.2020	सोख्ता निर्माण 12 अदद सामग्री क्रय भुगतान अभिषेक ट्रेडर्स	35308.00
23.12.2020	उक्त कार्य पर पाइप क्रय भुगतान किसान हार्डवेयर	2820.00
23.12.2020	उक्त कार्य पर ईट व गिट्टी क्रय भुगतान जाय माँ शारदा ईट उद्योग	38682.00
23.12.2020	उपरोक्त कार्य पर मजदूरी भुगतान	22959.00
19.12.2020	सोख्ता निर्माण 20 अदद सामग्री क्रय भुगतान अभिषेक ट्रेडर्स	59357.00

19.12.2020	उक्त कार्य पर पाइप क्रय भुगतान किसान हाईवेयर	9400.00
19.12.2020	उक्त कार्य पर ईट व गिट्टी क्रय भुगतान जाय माँ शारदा ईट उद्योग	64470.00
19.12.2020	उपरोक्त कार्य पर मजदूरी भुगतान	36910.00
23.12.2020	सोलर लाइट क्रय भुगतान	189320.00
23.12.2020	हैण्डपम्प रिबोर 02 अदद भुगतान रंपति ट्रेडर्स	61000.00
23.03.2021	दिव्यांग शौचालय निर्माण सामग्री क्रय भुगतान अभिषेक ट्रेडर्स	25256.00
23.03.2021	उक्त कार्य पर ईट क्रय भुगतान जाय माँ शारदा ईट उद्योग	13353.00
23.03.2021	उपरोक्त कार्य पर मजदूरी भुगतान	20430.00
23.03.2021	प्राथमिक विद्यालय पर वाटर सप्लाई भुगतान किसान हाईवेयर	46373.00
23.03.2021	उपरोक्त कार्य पर मजदूरी भुगतान	14764.00
23.03.2021	जूनियर विद्यालय पर टाइल्स भुगतान हिंदुस्तान ट्रेडर्स	124610.00
23.03.2021	उक्त कार्य पर ईट क्रय भुगतान जाय माँ शारदा ईट उद्योग	2954.00
23.03.2021	उक्त कार्य पर सामग्री क्रय भुगतान अभिषेक ट्रेडर्स	12399.00
23.03.2021	उपरोक्त कार्य पर मजदूरी भुगतान	2115.00
	योग -	1683657.00

इस प्रकार उक्त कार्यों से संबंधित पत्रावलियाँ एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रु० 1683657.00 लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क के अनुसार अधिभार योग्य है जिसके लिये ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी श्री सतीश कुमार सिंह ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता एवं प्रशासक ग्राम पंचायत श्री सुनील कुमार मिश्र उत्तरदायी हैं। अतः उपरोक्त दर्शित धनराशि रु० 1683657.00 की वसूली ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी श्री सतीश कुमार सिंह ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता एवं प्रशासक ग्राम पंचायत श्री सुनील कुमार मिश्र से अद्यावधिक ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

135-ग्राम पंचायत - ऊँजी विकास खण्ड -रानी की सराय लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -256

पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-"ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। "परन्तु लेखा परीक्षा में कतिपय कार्यों / मदों से सम्बन्धित पत्रावलियाँ) प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति, मापी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र व्यय प्रमाणक आदि प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में दर्शित व्यय का विवरण निम्नवत है :-

दिनांक	परियोजना /कार्य का नाम	व्यय धनराशि
07.07.2020	कोविड 19 दवा छिड़काव हेतु भुगतान स्वतंत्र इंटर प्राइजेज	8435.00
14.07.2020	सुरेन्द्र के घर से बालचंद्र के घर तक इंटरलाकिंग निर्माण मजदूरी	16881.00
14.07.2020	सुरेन्द्र के घर से बालचंद्र के घर तक इंटरलाकिंग निर्माण सामग्री क्रय शिवांश बिल्डिंग मै०	25903.00
14.07.2020	सुरेन्द्र के घर से बालचंद्र के घर तक इंटरलाकिंग निर्माण ईट /गिट्टी क्रय कार्तिकेय ईट	36256.00

14.07.2020	सुरेन्द्र के घर से बालचंद्र के घर तक इंटरलाकिंग निर्माण सीमेंटेड ईट क्रय आर एस	102424.00
14.07.2020	पलट के घर से कैलाश के घर तक इंटरलाकिंग निर्माण सामग्री क्रय शिवांश बिल्डिंग मै0	28475.00
14.07.2020	उक्त कार्य पर सीमेंटेड ईट क्रय आर एस इंटरप्राइजेज	103132.00
14.07.2020	उक्त कार्य पर ईट व गिट्टी क्रय भुगतान कार्तिकेय ईट उद्योग	33124.00
14.07.2020	उक्त कार्य पर मजदूरी	17943.00
23.07.2020	कोविड 19 मशीन का क्रय भुगतान मौर्य खाद बीज भंडार	3600.00
10.08.2020	04 अदद हैण्डपम्प रिबोर भुगतान आदित्य इंटरप्राइजेज	140000.00
26.08.2020	मानदेय प्रधान 07 माह का	24500.00
09.09.2020	प्राथमिक विद्यालय पर फर्श खिड़की दरवाजा आदि मरम्मत पर मजदूरी व्यय	17254.00
09.09.2020	उक्त कार्य पर ईट क्रय भुगतान कार्तिकेय ईट उद्योग	8778.00
09.09.2020	उक्त कार्य पर सामग्री क्रय सीमेंट बालू आदि	116415.00
17.09.2020	सामुदायिक शौचालय निर्माण पर मजदूरी भुगतान	25787.00
17.09.2020	उक्त कार्य पर सीमेंट बालू आदि क्रय भुगतान शिवांश बिल्डिंग मै0	50378.00
17.09.2020	उक्त कार्य पर ईट व गिट्टी क्रय भुगतान कार्तिकेय ईट उद्योग	57208.00
05.12.2020	शोभनाथ के घर से जगनन्दन के घर तक खड्जा निर्माण मजदूरी	7035.00
05.12.2020	उक्त कार्य पर ईट क्रय भुगतान नर्वदा ईट	22260.00
07.12.2020	रामबचन के घर से लालचन्द के घर तक इंटरलाकिंग कार्य मजदूरी व्यय	14010.00
07.12.2020	उक्त कार्य पर ईट क्रय भुगतान नर्वदा ईट	21409.00
07.12.2020	उक्त कार्य पर सीमेंटेड ईट क्रय आर एस इंटरप्राइजेज	87744.00
07.12.2020	उक्त कार्य पर सीमेंट बालू आदि क्रय भुगतान शिवांश बिल्डिंग मै0	16866.00
14.12.2020	मानदेय प्रधान 08/2020 से 11/2020 तक	14000.00
21.12.2020	शोभनाथ के घर से जगनन्दन के घर तक इंटरलाकिंग कार्य मजदूरी व्यय	14541.00
21.12.2020	उक्त कार्य पर सीमेंट बालू आदि क्रय भुगतान शिवांश बिल्डिंग मै0	19067.00
21.12.2020	उक्त कार्य पर सीमेंटेड ईट क्रय आर एस इंटरप्राइजेज	76582.00
21.12.2020	उक्त कार्य पर ईट व गिट्टी क्रय भुगतान नर्वदा ईट	29200.00
22.12.2020	सामुदायिक शौचालय निर्माण पर अवशेष मजदूरी भुगतान	9690.00
24.12.2020	रामधनी के मशीन से कंचन के ट्यूबेल तक इंटरलाकिंग कार्य मजदूरी व्यय	19614.00
24.12.2020	उक्त कार्य पर ईट व गिट्टी क्रय भुगतान नर्वदा ईट	40099.00
28.12.2020	उक्त कार्य पर सीमेंटेड ईट क्रय आर एस इंटरप्राइजेज	99120.00
28.12.2020	उक्त कार्य पर सीमेंट बालू आदि क्रय भुगतान शिवांश बिल्डिंग मै0	28407.00
28.12.2020	चन्द्रभान के खेत से शोभनाथ के घर होते हुए लालू के घर तक इंटरलाकिंग मजदूरी	12675.00
28.12.2020	उक्त कार्य पर सीमेंटेड ईट क्रय आर एस इंटरप्राइजेज	77880.00
28.12.2020	उक्त कार्य पर सीमेंट बालू आदि क्रय भुगतान शिवांश बिल्डिंग मै0	14874.00
28.12.2020	उक्त कार्य पर ईट व गिट्टी क्रय भुगतान नर्वदा ईट	22669.00
28.12.2020	05 अदद हैण्डपम्प मरम्मत भुगतान आदित्य इंटरप्राइजेज	20115.00

05.12.2020	सुभाष के घर से बाहर तक भूमिगत नाली ह्यूम पाइप क्रय एकता सीमेंट कंक्रीट	124094.00
05.12.2020	उक्त कार्य पर सीमेंट बालू आदि क्रय भुगतान शिवांश बिल्डिंग मै0	10504.00
05.12.2020	उक्त कार्य पर ईट व गिट्टी क्रय भुगतान नर्वदा ईट	9420.00
05.12.2020	उक्त कार्य पर मजदूरी भुगतान	15273.00
07.12.2020	जनार्दन के घर से बाबुराम के घर तक इंटरलाकिंग कार्य मजदूरी व्यय	17541.00
07.12.2020	उक्त कार्य पर सीमेंटेड ईट क्रय आर एस इंटरप्राइजेज	91568.00
07.12.2020	उक्त कार्य पर सीमेंट बालू आदि क्रय भुगतान शिवांश बिल्डिंग मै0	23534.00
07.12.2020	उक्त कार्य पर ईट व गिट्टी क्रय भुगतान नर्वदा ईट	30744.00
22.12.2020	सामुदायिक शौचालय निर्माण पर अवशेष ईट गिट्टी भुगतान नर्वदा ईट	20580.00
22.12.2020	उक्त कार्य पर प्लम्बर वायरिंग टाइल्स आदि का भुगतान अनुराग ट्रेडर्स को	96092.00
22.12.2020	उक्त कार्य पर समरसेबल का भुगतान आदित्य इंटरप्राइजेज को	30680.00
22.12.2020	उक्त कार्य पर सीमेंट बालू आदि क्रय भुगतान शिवांश बिल्डिंग मै0	32149.00
25.03.2021	प्राथमिक विद्यालय में कायाकल्प के तहत टाइल्स कार्य पर मजदूरी भुगतान	5511.00
25.03.2021	उक्त कार्य पर ईट व गिट्टी क्रय भुगतान नर्वदा ईट	11319.00
25.03.2021	उक्त कार्य पर सीमेंट बालू टाइल्स आदि क्रय भुगतान शिवांश बिल्डिंग मै0	195231.00
	बैंकिंग चार्ज	70.80
योग -		2198650.80

इस प्रकार उक्त कार्यों से संबंधित पत्रावलियाँ एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रु० 2198650.80 लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क के अनुसार अधिभार योग्य है जिसके लिये ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती वंदना सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री चंदन उत्तरदायी हैं। अतः उपरोक्त दर्शित धनराशि रु० 2198650.80 की वसूली ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती वंदना सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री चंदन से अद्यावधिक ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

136-ग्राम पंचायत – असनी विकास खण्ड -रानी की सराय लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -257

पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-"ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। "परन्तु लेखा परीक्षा में कतिपय कार्यों /मदों से सम्बन्धित पत्रावलियाँ) प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति, मापी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र व्यय प्रमाणक आदि प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में दर्शित व्यय का विवरण निम्नवत है :-

दिनांक	परियोजना /कार्य का नाम	व्यय धनराशि

13.07.2020	संदीप के घर से ओम प्रकाश के घर तक पटिया सहित नाली निर्माण मजदूरी व्यय	36990.00
13.07.2020	उक्त कार्य पर बिल्डिंग मटेरियल का भुगतान भैरव ट्रेडर्स को	84354.00
13.07.2020	उक्त कार्य पर ईट व ईट गिट्टी क्रय भुगतान ग्रामीण ईट ब्रिक्स	72607.00
13.07.2020	ओम प्रकाश के घर से पोखरी तक पटिया सहित नाली निर्माण मजदूरी व्यय	38655.00
13.07.2020	उक्त कार्य पर ईट व ईट गिट्टी क्रय भुगतान ग्रामीण ईट ब्रिक्स	71194.00
13.07.2020	उक्त कार्य पर बिल्डिंग मटेरियल का भुगतान भैरव ट्रेडर्स को	84086.00
15.07.2020	मानदेय प्रधान 01/2020 से 06/2020 तक	21000.00
15.07.2020	टेण्डर व्यय स्वतंत्र इंटर प्राइजेज	8435.00
25.08.2020	कोविड 19 हेतु मशीन क्रय भुगतान मौर्य खाद बीज भंडार	7200.00
26.08.2020	लैपटॉप प्रिंटर आदि क्रय भुगतान डायमंड स्टूडियो	49500.00
04.09.2020	सामुदायिक शौचालय हेतु सामग्री क्रय भुगतान भैरव ट्रेडर्स	119108.00
04.09.2020	उक्त कार्य पर ईट क्रय भुगतान ग्रामीण ईट	63302.00
05.09.2020	हैण्डपम्प रिबोर 06 अदद भुगतान आदित्य इंटर प्राइजेज	210420.00
05.09.2020	कोविड 19 हेतु सेनेटाइजर मास्क ब्लीचिंग पाउडर क्रय भुगतान आदित्य इंटर प्राइजेज	27042.00
17.09.2020	टेण्डर व्यय रणतुर्य हिन्दी दैनिक	6500.00
21.09.2020	सामुदायिक शौचालय बनवाने में मजदूरी का भुगतान	31149.00
12.10.2020	सामुदायिक शौचालय बनवाने में मजदूरी का भुगतान	14067.00
12.10.2020	उक्त कार्य पर ईट क्रय भुगतान ग्रामीण ईट	15876.00
12.10.2020	उक्त कार्य पर सामग्री क्रय भुगतान भैरव ट्रेडर्स	92567.00
15.10.2020	आंगनवाड़ी केंद्र पर हैंडपंप स्थापना भुगतान आदित्य इंटरप्राइजेज	39480.00
13.11.2020	मानदेय प्रधान 07/2020 से 10/2020 तक	14000.00
17.11.2020	पंचायत भवन हेतु बिल्डिंग मटेरियल क्रय भैरव ट्रेडर्स	273147.00
11.12.2020	आंगनवाड़ी केंद्र हेतु बिल्डिंग मटेरियल क्रय भैरव ट्रेडर्स	142772.00
18.12.2020	मानदेय प्रधान 11/2020	3500.00
09.03.2021	आंगनवाड़ी केंद्र हेतु मजदूरी भुगतान	24831.00
09.03.2021	आंगनवाड़ी केंद्र हेतु बिल्डिंग मटेरियल क्रय भैरव ट्रेडर्स	21710.00
09.03.2021	उक्त कार्य पर ईट क्रय भुगतान ग्रामीण ईट	19218.00
29.03.2021	प्रा0 पा0 कायाकल्प के तहत बेंच सेड क्रय भुगतान मे0 एम डी आर ट्रेडर्स गाजीपुर	193846.00
24.09.2020	हैण्डपम्प रिबोर भुगतान आदित्य इंटर प्राइजेज	141000.00
19.12.2020	हैण्डपम्प रिबोर भुगतान आदित्य इंटर प्राइजेज	68834.00
	योग -	1996390.00

इस प्रकार उक्त कार्यों से संबंधित पत्रावलियाँ एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रु० 1996390.00 लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क के अनुसार अधिभार योग्य है जिसके लिये ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी श्री ओम प्रकाश राम ग्राम प्रधान श्री पवन कुमार एवं प्रशासक ग्राम पंचायत श्री सुनील कुमार मिश्र उत्तरदायी हैं। अतः उपरोक्त दर्शित धनराशि रु० 1996390.00 की वसूली ग्राम पंचायत/ग्राम

विकास अधिकारी श्री ओम प्रकाश राम ग्राम प्रधान श्री पवन कुमार एवं प्रशासक ग्राम पंचायत श्री सुनील कुमार मिश्र से अद्यावधिक ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

137-ग्राम पंचायत – मसजिदिया विकास खण्ड -रानी की सराय लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -258

पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-"ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। "परन्तु लेखा परीक्षा में कतिपय कार्य / मदों से सम्बन्धित पत्रावलियां) प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति, मापी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र व्यय प्रमाणक आदि प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में दर्शित व्यय का विवरण निम्नवत है :-

दिनांक	परियोजना / कार्य का नाम	व्यय धनराशि
27.07.2020	टेण्डर व्यय रणतूर्य समाचार पत्र	6500.00
27.07.2020	मानदेय प्रधान 01/2020 से 06/2020	21000.00
14.08.2020	कोविड 19 के तहत सेनेटाइजर ब्लीचिंग पाउडर आदि क्रय भुगतान स्वतंत्र इंटर प्राइजेज	8435.00
03.09.2020	हैण्डपम्प मरम्मत 15 अदद भुगतान शारदा बिल्डिंग मेटेरियल	68400.00
04.09.2020	कोविड 19 दवा छिड़काव हेतु स्प्रे मशीन क्रय भुगतान मौर्य खाद बीज भंडार	3600.00
16.11.2020	सामुदायिक शौचालय निर्माण पर मजदूरी भुगतान	17393.00
16.11.2020	उक्त कार्य पर सामग्री का भुगतान माँ शारदा बिल्डिंग मेटेरियल	92573.00
16.11.2020	उक्त कार्य पर ईंट क्रय भुगतान आर एम ब्रिक्स फील्ड	15876.00
14.12.2020	रामबचन के खेत से रमेश के घर तक खड़जा निर्माण में मजदूरी भुगतान	28794.00
14.12.2020	उक्त कार्य पर ईंट क्रय भुगतान आर एम ब्रिक्स फील्ड	97960.00
15.12.2020	पिच रोड बाइपास से कैलाश के घर तक खड़जा निर्माण पर मजदूरी भुगतान	40923.00
15.12.2020	उक्त कार्य पर ईंट क्रय भुगतान आर एम ब्रिक्स फील्ड	75127.00
18.12.2020	मानदेय प्रधान 07/2020 से 11/2020 तक	17500.00
18.12.2020	कोविड 19 के तहत सेनेटाइजर ब्लीचिंग पाउडर आदि क्रय भुगतान सनसाइन इंटर प्राइजेज	20608.00
15.09.2020	सामुदायिक शौचालय निर्माण पर मजदूरी भुगतान	31062.00
15.09.2020	उक्त कार्य पर सामग्री का भुगतान माँ शारदा बिल्डिंग मेटेरियल	98654.00
15.09.2020	उक्त कार्य पर ईंट क्रय भुगतान आर एम ब्रिक्स फील्ड	63526.00
23.12.2020	स्कूल में खड़जा निर्माण कार्य पर ईंट क्रय भुगतान आर एम ब्रिक्स फील्ड	58766.00
02.11.2020	उक्त कार्य पर मजदूरी भुगतान	20598.00
18.03.2021	सामुदायिक शौचालय निर्माण पर मजदूरी भुगतान	14067.00
18.03.2021	उक्त कार्य पर सामग्री का भुगतान माँ शारदा बिल्डिंग मेटेरियल	39264.00
18.03.2021	सोख्ता गड्ढा निर्माण पर मजदूरी व्यय	15072.00
18.03.2021	उक्त कार्य पर सामग्री का भुगतान माँ शारदा बिल्डिंग मेटेरियल	38667.00
18.03.2021	उक्त कार्य पर ईंट क्रय भुगतान आर एम ब्रिक्स फील्ड	45884.00
	योग -	940249.00

इस प्रकार उक्त कार्यों से संबंधित पत्रावलियाँ एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रु० 940249.00 लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क के अनुसार अधिभार योग्य है जिसके लिये ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी श्री ओम प्रकाश राम ग्राम प्रधान श्री हंसराज यादव एवं प्रशासक ग्राम पंचायत श्री सुनील कुमार मिश्र उत्तरदायी हैं। अतः उपरोक्त दर्शित धनराशि रु० 940249.00 की वसूली ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी श्री ओम प्रकाश राम ग्राम प्रधान श्री हंसराज यादव एवं प्रशासक ग्राम पंचायत श्री सुनील कुमार मिश्र से अद्यावधिक ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

138-ग्राम पंचायत - मित्रसेनपुर विकास खण्ड -रानी की सराय लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -259

पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-"ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। "परन्तु लेखा परीक्षा में कतिपय कार्यों / मदों से सम्बन्धित पत्रावलियाँ) प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति, मापी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र व्यय प्रमाणक आदि प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में दर्शित व्यय का विवरण निम्नवत है :-

दिनांक	परियोजना / कार्य का नाम	व्यय धनराशि
07.09.2020	कोविड 19 दवा मास्क आदि का भुगतान	8435.00
28.09.2020	सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु सामग्री क्रय भुगतान आर के ट्रेडर्स	87688.00
28.09.2020	उक्त कार्य पर ईट क्रय भुगतान महावीर ईट भट्ठा	87217.00
12.10.2020	उपरोक्त कार्य पर मजदूरी भुगतान	20094.00
12.10.2020	मानदेय प्रधान 05 माह	17500.00
19.12.2020	पंचायत भवन निर्माण में सामग्री क्रय भुगतान आर के ट्रेडर्स	175748.00
19.12.2020	उक्त कार्य पर ईट क्रय भुगतान महावीर ईट भट्ठा	88244.00
19.12.2020	कोविड 19 के अन्तर्गत लिखे गये स्लोगन आदि का भुगतान	3326.00
21.12.2020	मानदेय प्रधान 03 माह	10500.00
21.12.2020	टेण्डर प्रकाशन रणतूर्य	6500.00
24.12.2020	सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु अवशेष सामग्री क्रय भुगतान आर के ट्रेडर्स	14224.00
24.12.2020	उक्त कार्य पर प्लम्बरिंग पेंट टंकी आदि क्रय भुगतान शर्मा मशीनरी स्टोर	87557.00
22.03.2021	प्रा० वि० कार्याकल्प हेतु ईट व गिट्टी क्रय भुगतान महावीर ईट भट्ठा	9247.00
05.10.2020	सेनेटाइजर क्रय	1000.00
24.12.2020	उक्त कार्य पर ईट क्रय भुगतान महावीर ईट भट्ठा	39060.00
24.12.2020	उक्त कार्य पर मजदूरी भुगतान	17196.00
24.12.2020	पंचायत भवन निर्माण में सांद्री क्रय भुगतान आर के ट्रेडर्स	60216.00
24.12.2020	उक्त कार्य पर ईट क्रय भुगतान महावीर ईट भट्ठा	67326.00
24.12.2020	उक्त कार्य पर मजदूरी भुगतान	15273.00
22.03.2021	प्रा० वि० कार्याकल्प हेतु ईट व गिट्टी क्रय भुगतान महावीर ईट भट्ठा	9247.00
22.03.2021	उक्त निर्माण में सामग्री क्रय भुगतान आर के ट्रेडर्स	144834.00
22.03.2021	उक्त कार्य पर मजदूरी भुगतान	19026.00

26.03.2021	दिव्यांग शौचालय निर्माण सामग्री क्रय भुगतान आर के ट्रेडर्स	30151.00
26.03.2021	उक्त कार्य पर ईट क्रय भुगतान महावीर ईट भट्ठा	13330.00
26.03.2021	उक्त कार्य पर सेनेट्री क्रय भुगतान शर्मा मशीनरी	8755.00
26.03.2021	उपरोक्त कार्य पर मजदूरी भुगतान	9200.00
	योग -	1050894.00

इस प्रकार उक्त कार्यों से संबंधित पत्रावलियाँ एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रु० 1050894.00 लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क के अनुसार अधिभार योग्य है जिसके लिये ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी श्री सतीश कुमार सिंह ग्राम प्रधान श्री कुंज बिहारी एवं प्रशासक ग्राम पंचायत श्री सुनील कुमार मिश्र उत्तरदायी हैं। अतः उपरोक्त दर्शित धनराशि रु० 1050894.00 की वसूली ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी श्री सतीश कुमार सिंह ग्राम प्रधान श्री कुंज बिहारी एवं प्रशासक ग्राम पंचायत श्री सुनील कुमार मिश्र से अद्यावधिक ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

139-ग्राम पंचायत – मैनपारपुर विकास खण्ड -रानी की सराय लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21
प्रस्तर -260

पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-"ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। "परन्तु लेखा परीक्षा में कतिपय कार्यों / मदों से सम्बन्धित पत्रावलियाँ) प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति, मापी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र व्यय प्रमाणक आदि प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में दर्शित व्यय का विवरण निम्नवत है :-

दिनांक	परियोजना / कार्य का नाम	व्यय धनराशि
02.09.2020	मानदेय प्रधान	14000.00
02.09.2020	कोविड 19 हेतु दवा क्रय	8435.00
02.09.2020	कोविड 19 के तहत दवा मास्क सेनेटाइजर क्रय भुगतान विश्वकर्मा ट्रेडर्स	26565.00
24.09.2020	सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु सामग्री क्रय भुगतान यादव बिल्डिंग मैटेरियल	106623.00
24.09.2020	उक्त कार्य पर ईट क्रय भुगतान आर एम ब्रिक्स फील्ड	82446.00
26.10.2020	सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु सामग्री क्रय भुगतान यादव बिल्डिंग मैटेरियल	93211.00
18.11.2020	पंचायत भवन निर्माण हेतु सामग्री क्रय भुगतान यादव बिल्डिंग मैटेरियल	177719.00
19.12.2020	मानदेय प्रधान	17500.00
22.10.2020	सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु ईट क्रय भुगतान आर एम ब्रिक्स फील्ड	55313.00
08.12.2020	हैण्डपम्प मरम्मत भुगतान आदित्य कांटेक्टर	70500.00
21.12.2020	ह्यूम पाइप क्रय भुगतान एकता सीमेंट	97202.00
30.03.2021	दिव्यांग शौचालय निर्माण हेतु मजदूरी भुगतान	15670.00

30.03.2021	उक्त कार्य पर सामग्री क्रय भुगतान विश्वकर्मा ट्रेडर्स	40986.00
	योग	806170.00

इस प्रकार उक्त कार्यो से संबंधित पत्रावलियाँ एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रु0 806170.00 लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क के अनुसार अधिभार योग्य है जिसके लिये ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी श्री यशवंत कुमार ग्राम प्रधान श्रीमती सुभावती देवी एवं प्रशासक ग्राम पंचायत श्री सुनील कुमार मिश्र उत्तरदायी हैं। अतः उपरोक्त दर्शित धनराशि रु0 806170.00 की वसूली ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी श्री यशवंत कुमार ग्राम प्रधान श्रीमती सुभावती देवी एवं प्रशासक ग्राम पंचायत श्री सुनील कुमार मिश्र से अद्यावधिक ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

140 -ग्राम पंचायत -सम्मोपुर खालसा विकास खण्ड -रानी की सराय लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -261

पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-"ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। "परन्तु लेखा परीक्षा में कतिपय कार्यो / मदों से सम्बन्धित पत्रावलियाँ) प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति, मापी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र व्यय प्रमाणक आदि प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में दर्शित व्यय का विवरण निम्नवत है :-

दिनांक	परियोजना /कार्य का नाम	व्यय धनराशि
07.07.2020	कोविड 19 दवा छिड़काव हेतु भुगतान स्वतंत्र इंटर प्राइजेज	8435.00
23.07.2020	कोविड 19 दवा छिड़काव हेतु मशीन क्रय भुगतान मौर्य खाद बीज भंडार	3600.00
16.07.2020	मानदेय प्रधान 01/2020 से 06/2020	21000.00
03.08.2020	लालचन्द के मकान से नेवरी सरहद तक खडंजा निर्माण मजदूरी	65928.00
03.08.2020	उक्त कार्य पर ईंट क्रय भुगतान राजदेवी सिंह ईंट	59823.00
31.08.2020	04 अदद हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय भुगतान जायसवाल कृषि केंद्र को	24164.00
28.09.2020	सामुदायिक शौचालय पर मजदूरी भुगतान	32479.00
28.09.2020	उक्त कार्य पर सामग्री क्रय भुगतान महेंद्र एंड संस	83487.00
28.09.2020	उक्त कार्य पर ईंट क्रय भुगतान राजदेवी सिंह ईंट	74900.00
28.09.2020	उक्त कार्य पर वाटर सप्लाई व अन्य सामग्री क्रय भुगतान जायसवाल कृषि केंद्र को	117621.00
19.10.2020	फिरुद्दीपुर रोड से लहिया पोखरी तक खडंजा मरम्मत नजदूरी भुगतान	64923.00
19.10.2020	उक्त कार्य पर ईंट क्रय भुगतान राजदेवी सिंह ईंट	63997.00
23.11.2020	नहर से मिठू के घर तक खडंजा निर्माण ईंट क्रय भुगतान राजदेवी सिंह ईंट	32277.00
23.11.2020	उक्त कार्य पर मजदूरी	11055.00
23.11.2020	वशिष्ठ मुनि के घर से आर सी सी रोड तक पक्की नाली निर्माण ईंट क्रय भुगतान राजदेवी सिंह ईंट	14994.00
23.11.2020	उक्त कार्य पर सामग्री क्रय भुगतान महेंद्र एंड संस	10609.00
23.11.2020	उक्त कार्य पर मजदूरी	9728.00
19.12.2020	किशोर के घर से पोखरी तक नाली निर्माण पर सामग्री क्रय भुगतान महेंद्र एंड संस	33740.00

19.12.2020	उक्त कार्य पर ईट व गिट्टी क्रय भुगतान राजदेवी सिंह ईट	44982.00
19.12.2020	उक्त कार्य पर मजदूरी भुगतान	22881.00
21.12.2020	10 अदद शोखपिट निर्माण पर मजदूरी भुगतान	22881.00
21.12.2020	उक्त कार्य पर ईट व गिट्टी क्रय भुगतान राजदेवी सिंह ईट	36989.00
21.12.2020	उक्त कार्य पर सामग्री क्रय भुगतान महेंद्र एंड संस	42482.00
24.12.2020	मानदेय प्रधान 07/2020 से 11/2020 तक	17500.00
24.12.2020	वशिष्ट मुनि के घर से राजाराम के घर तक नाली निर्माण पर मजदूरी	28881.00
24.12.2020	उक्त कार्य पर सामग्री क्रय भुगतान महेंद्र एंड संस को	62461.00
28.12.2020	उक्त कार्य पर ईट व गिट्टी क्रय भुगतान राजदेवी सिंह ईट	20727.00
30.12.2020	बेचन के घर से सीता के खेत तक आर सी सी निर्माण पर मजदूरी	12072.00
30.12.2020	उक्त कार्य पर ईट व गिट्टी क्रय भुगतान राजदेवी सिंह ईट	22533.00
30.12.2020	उक्त कार्य पर सामग्री क्रय भुगतान महेंद्र एंड संस को	67900.00
04.03.2021	प्राथमिक विद्यालय के बिजली बिल का भुगतान	29239.00
	बैंकिंग चार्ज	70.80
02.11.2020	मनोज के घर से नरपत के घर तक नाली निर्माण पर मजदूरी भुगतान	8082.00
02.11.2020	उक्त कार्य पर ईट व गिट्टी क्रय भुगतान राजदेवी सिंह ईट	14721.00
02.11.2020	उक्त कार्य पर सामग्री क्रय भुगतान महेंद्र एंड संस को	21817.00
19.12.2020	05 अदद शोखपिट निर्माण पर मजदूरी भुगतान	34020.00
19.12.2020	उक्त कार्य पर सामग्री क्रय भुगतान महेंद्र एंड संस को	63832.00
19.12.2020	उक्त कार्य पर ईट व गिट्टी क्रय भुगतान राजदेवी सिंह ईट	55702.00
	योग -	1362532.80

इस प्रकार उक्त कार्यो से संबंधित पत्रावलियाँ एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रु० 1362532.80 लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क के अनुसार अधिभार योग्य है जिसके लिये ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती वंदना सिंह एवं ग्राम प्रधान श्रीमती मुन्नी देवी उत्तरदायी हैं। अतः उपरोक्त दर्शित धनराशि रु० 1362532.80 की वसूली ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती वंदना सिंह एवं ग्राम प्रधान श्रीमती मुन्नी देवी से अद्यावधिक व्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

141 -ग्राम पंचायत -सुराई विकास खण्ड -रानी की सराय लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -262

पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-"ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। "परन्तु लेखा परीक्षा में कतिपय कार्यो / मदों से सम्बन्धित पत्रावलियाँ प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति, मापी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र व्यय प्रमाणक आदि प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में दर्शित व्यय का विवरण निम्नवत है :-

दिनांक	परियोजना /कार्य का नाम	व्यय धनराशि
17.07.2020	मानदेय प्रधान	31500.00
07.08.2020	कोविड 19 से बचाव हेतु व्यय	22079.00
19.09.2020	हैण्डपम्प रिबोर मो। तालिब के घर के सामने भुगतान आदित्य कांटेक्टर	33250.00
28.10.2020	स्वच्छ भारत मिशन हेतु भुगतान आदित्य कांटेक्टर	70000.00

01.11.2020	सामुदायिक शौचालय निर्माण पर सामग्री क्रय भुगतान मो. सलीम सीमेंट भंडार	93211.00
22.12.2020	मानदेय प्रधान	14000.00
24.12.2020	ब्लॉक द्वारा कटौती	3326.00
06.10.2020	सामुदायिक शौचालय निर्माण पर सामग्री क्रय भुगतान मो. सलीम सीमेंट भंडार	90933.00
06.10.2020	उक्त कार्य पर ईंट क्रय भुगतान साई ईंट भूठा	98920.00
21.10.2020	उक्त कार्य पर समरसेबल आदि का भुगतान आदित्य कांटेक्टर	50000.00
21.10.2020	उक्त कार्य पर ईंट क्रय भुगतान साई ईंट भूठा	5313.00
	बैंकिंग चार्ज	70.80
	योग -	514602.80

इस प्रकार उक्त कार्यों से संबंधित पत्रावलियाँ एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रु० 514602.80 लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क के अनुसार अधिभार योग्य है जिसके लिये ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी श्री यशवंत कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री अबू सैफ उत्तरदायी हैं। अतः उपरोक्त दर्शित धनराशि रु० 514602.80 की वसूली ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी श्री यशवंत कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री अबू सैफ से अद्यावधिक ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

142 -ग्राम पंचायत -बीबीपुर विकास खण्ड -तहबरपुर लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -263

पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-"ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। "परन्तु लेखा परीक्षा में कतिपय कार्यों / मदों से सम्बन्धित पत्रावलियाँ) प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति, मापी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र व्यय प्रमाणक आदि प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में दर्शित व्यय का विवरण निम्नवत है :-

दिनांक	परियोजना/कार्य का नाम	व्यय धनराशि
19.08.2020	हेण्डपम्प रीबोर 05 अदद भुगतान परी इंटर प्राइजेज	88500.00
20.08.2020	मानदेय प्रधान 06 माह	21000.00
02.09.2020	कोविड'19 हेतु किट आदि क्रय भुगतान रूपेश कुमार श्रीवास्तव	6840.00
23.09.2020	कोविड '19 के तहत साफ सफाई पर मजदूरी भुगतान	33356.00
12.10.2020	सफाई कर्मी किट क्रय भुगतान पी एफ एम एस	18980.00
19.10.2020	विद्यालय मे कार्याकल्प के तहत शौचालय हेतु प्लम्बरिंग भुगतान मिथिलेश को	13213.00
31.10.2020	टेण्डर व्यय	6839.00
19.11.2020	कम्पोजिट विद्यालय मे फर्श मरम्मत/शौचालय निर्माण ईंट क्रय विष्णुदत्त ईंट	130246.00
19.11.2020	उपरोक्त कार्य पर सामग्री क्रय दीपक बिल्डिंग मैटेरियल	145870.00

19.11.2020	उपरोक्त कार्य पर मजदूरी भुगतान	53496.00
26.11.2020	मानदेय प्रधान 05 माह	17500.00
22.12.2020	कम्पोजिट विद्यालय पर सामग्री क्रय दीपक बिल्डिंग मैटेरियल	94600.00
22.12.2020	उपरोक्त कार्य पर मजदूरी भुगतान	27412.00
23.12.2020	सामुदायिक शौचालय निर्माण पर सामग्री क्रय आकाश बिल्डिंग मैटेरियल	190040.00
23.12.2020	उपरोक्त कार्य हेतु ईट क्रय विष्णुदत्त ईट	112770.00
23.12.2020	पंचायत भवन मरम्मत व टाइल्स कार्य हेतु भुगतान विष्णुदत्त ईट	7860.00
23.12.2020	उपरोक्त कार्य पर सामग्री क्रय दीपक बिल्डिंग मैटेरियल	174770.00
23.12.2020	उपरोक्त कार्य पर मजदूरी भुगतान	42949.00
23.10.2020	हैण्डपम्प रीबोर 02 अदद भुगतान परी इंटर प्राइजेज	57800.00
24.12.2020	अंबेडकर मूर्ति से राम कृपाल के घर तक इंटरलाकिंग भुगतान रायल इंटर प्रा0	140019.00
24.12.2020	उपरोक्त कार्य हेतु ईट क्रय विष्णुदत्त ईट	51411.00
24.12.2020	उपरोक्त कार्य पर सामग्री क्रय दीपक बिल्डिंग मैटेरियल	27772.00
24.12.2020	उपरोक्त कार्य पर मजदूरी भुगतान	26198.00
29.03.2021	10 अदद सोलर लाइट क्रय भुगतान सन साइन इण्डिया कांटेक्टर	235000.00
29.03.2021	प्राथमिक विद्यालय में समरसेबल व बोरिंग कार्य भुगतान शुभम ट्रेडर्स	50000.00
	योग	1774441.00

इस प्रकार उक्त कार्यों से संबंधित पत्रावलियाँ एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रु0 1774441.00 लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क के अनुसार अधिभार योग्य है जिसके लिये ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी सुश्री बबिता वर्मा ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता देवी एवं प्रशासक ग्राम पंचायत श्री त्रिवेणी प्रसाद सिंह उत्तरदायी हैं। अतः उपरोक्त दर्शित धनराशि रु0 1774441.00 की वसूली ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी सुश्री बबिता वर्मा ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता देवी एवं प्रशासक ग्राम पंचायत श्री त्रिवेणी प्रसाद सिंह से अद्यावधिक ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

143 -ग्राम पंचायत -देवरिया विकास खण्ड -तहबरपुर लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -264

पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-“ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।” परन्तु लेखा परीक्षा में कतिपय कार्यों / मदों से सम्बन्धित पत्रावलियाँ प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति, मापी, कार्यपूति प्रमाणपत्र व्यय प्रमाणक आदि प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में दर्शित व्यय का विवरण निम्नवत है :-

दिनांक	परियोजना/कार्य का नाम	व्यय धनराशि
04.09.2020	कोविड'19 हेतु किट आदि क्रय भुगतान रूपेश श्रीवास्तव	9730.00
05.09.2020	मानदेय प्रधान 16 माह	52500.00
01.10.2020	हैण्डपम्प रीबोर भुगतान आकांक्षा एसोसिएट	29500.00
13.10.2020	हैण्डपम्प मरम्मत भुगतान आकांक्षा एसोसिएट	18980.00
28.10.2020	कोविड '19 के तहत साफ सफाई पर मजदूरी भुगतान	12663.00
29.10.2020	सामुदायिक शौचालय हेतु ईट क्रय भुगतान लाला ईट	115992.00
29.10.2020	उपरोक्त कार्य हेतु सामग्री क्रय भुगतान पहलवान बि0 मैटेरियल्स	104584.00

31.10.2020	टेण्डर व्यय	6839.00
03.12.2020	मानदेय प्रधान 05 माह	17500.00
03.12.2020	सामुदायिक शौचालय हेतु दरवाजा आदि क्रय भुगतान अमरजीत ट्रेडर्स	51871.00
03.12.2020	सामुदायिक शौचालय हेतु समरसेबल क्रय भुगतान किसान मशीनरी स्टोर	30000.00
19.10.2020	हैण्डपम्प मरम्मत भुगतान आकांक्षा एसोसिएट	5125.00
	बैंक चार्ज	542.80
	योग	455826.80

इस प्रकार उक्त कार्यों से संबंधित पत्रावलियाँ एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रु0 455826.80 लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क के अनुसार अधिभार योग्य है जिसके लिये ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी सुश्री बबिता वर्मा एवं ग्राम प्रधान श्रीमती महमूदा बेगम उत्तरदायी हैं। अतः उपरोक्त दर्शित धनराशि रु0 455826.00 की वसूली ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी सुश्री बबिता वर्मा एवं ग्राम प्रधान श्रीमती महमूदा बेगम से अद्यावधिक ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

144 -ग्राम पंचायत - ओरा विकास खण्ड -तहबरपुर लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -265

पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-"ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।"परन्तु लेखा परीक्षा में कतिपय कार्यों /मदों से सम्बन्धित पत्रावलियाँ)प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति, मापी, कार्यपूति प्रमाणपत्र व्यय प्रमाणक आदि प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में दर्शित व्यय का विवरण निम्नवत है :-

दिनांक	परियोजना/कार्य का नाम	व्यय धनराशि
14.08.2020	मानदेय प्रधान 05 माह	17500.00
29.09.2020	पंचायत भवन मरम्मत हेतु सामग्री क्रय भुगतान आशीष बिल्डिंग मैटेरियल	80576.00
30.09.2020	उपरोक्त कार्य हेतु इंटरलाकिंग ईट क्रय भुगतान रायल इंटर प्राइजेज	12112.00
30.09.2020	उपरोक्त कार्य हेतु सामग्री क्रय भुगतान आशीष बिल्डिंग मैटेरियल	159499.00
30.09.2020	उपरोक्त कार्य हेतु ईट क्रय भुगतान गुरु कृपा ईट उद्योग	72695.00
26.10.2020	उपरोक्त कार्य हेतु मजदूरी भुगतान	47580.00
26.10.2020	कोविड '19 हेतु किट आदि क्रय भुगतान आकांक्षा एसोसिएट	9890.00
26.10.2020	सफाई कर्मी किट क्रय भुगतान आकांक्षा एसोसिएट	18988.00
06.11.2020	फर्नीचर क्रय भुगतान आकांक्षा एसोसिएट	162096.00
06.11.2020	फर्नीचर क्रय भुगतान आकांक्षा एसोसिएट	132624.00
13.11.2020	कोविड '19 के तहत साफ सफाई पर मजदूरी भुगतान	28542.00
19.11.2020	टेण्डर व्यय	13124.00
01.12.2020	मानदेय प्रधान 05 माह	17500.00
	योग	772726.00

इस प्रकार उक्त कार्यों से संबंधित पत्रावलियाँ एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रु0 772726.00 लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क के अनुसार अधिभार योग्य है जिसके लिये ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी सुश्री बबिता वर्मा एवं ग्राम प्रधान श्रीमती निर्मला उत्तरदायी हैं। अतः उपरोक्त दर्शित धनराशि रु0 772726.00 की वसूली ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी सुश्री बबिता वर्मा एवं ग्राम प्रधान श्रीमती निर्मला से अद्यावधिक ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

145 -ग्राम पंचायत - सोढरी विकास खण्ड -तहबरपुर लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -266

पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-“ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।” परन्तु लेखा परीक्षा में कतिपय कार्यों / मदों से सम्बन्धित पत्रावलियां)प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति, मापी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र व्यय प्रमाणक आदि प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में दर्शित व्यय का विवरण निम्नवत है :-

दिनांक	परियोजना/कार्य का नाम	व्यय धनराशि
22.04.2020	मानदेय प्रधान जनवरी 2020 से मार्च 2020	10500.00
10.09.2020	दीपक कुमार द्विवेदी को भुगतान	4140.00
10.09.2020	सामुदायिक शौचालय हेतु ईट क्रय भुगतान राम सिंह ईट भट्टा	118650.00
10.09.2020	मानदेय प्रधान अप्रैल 2020 से सितंबर 2020	21000.00
10.09.2020	कोषवही में अंकित नहीं	7000.00
15.12.2020	टेण्डर व्यय	8081.00
15.12.2020	टेण्डर व्यय	6562.00
15.12.2020	टेण्डर व्यय	6562.00
15.12.2020	टेण्डर व्यय	5460.00
20.12.2020	हैन्डपम्प रीबोर यस0आर 0 इन्टर प्राइजेज को	28500.00
23.12.2020	अज्ञात कोषवही में अंकित नहीं	83920.00
23.12.2020	अज्ञात कोषवही में अंकित नहीं	47436.00
29.09.2020	सामुदायिक शौचालय पर सामग्री क्रय	161584.00
..0023.12.2020	अज्ञात कोषवही में अंकित नहीं	30000.00
	योग	539395.00

इस प्रकार उक्त कार्यों से संबंधित पत्रावलियाँ एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रु0 539395.00 लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क के अनुसार अधिभार योग्य है जिसके लिये ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी श्री ओम प्रकाश यादव एवं ग्राम प्रधान श्रीमती कमलावती उत्तरदायी हैं। अतः उपरोक्त दर्शित धनराशि रु0 539395.00 की वसूली ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी श्री ओम प्रकाश यादव एवं ग्राम प्रधान श्रीमती कमलावती से अद्यावधिक ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

146 -ग्राम पंचायत - नवापुरा विकास खण्ड -तहबरपुर लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -267

पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-“ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।” परन्तु लेखा परीक्षा में कतिपय कार्यों / मदों से सम्बन्धित पत्रावलियां)प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति, मापी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र व्यय प्रमाणक आदि प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में दर्शित व्यय का विवरण निम्नवत है :-

दिनांक	परियोजना/कार्य का नाम	व्यय धनराशि
14.08.2020	मानदेय प्रधान 05 माह	17500.00
21.08.2020	06 अदद हैण्डपम्प मरम्मत भुगतान आकांक्षा एसोसिएट	24575.00
02.11.2020	कोविड'19 हेतु किट आदि क्रय भुगतान आकांक्षा एसोसिएट	9899.00
02.11.2020	सामुदायिक शौचालय हेतु ईट क्रय भुगतान प्रवेश ईट उद्योग	98743.00
06.11.2020	सामुदायिक शौचालय हेतु समरसेबल क्रय भुगतान परी इंटर प्राइजेज	30000.00
06.11.2020	उपरोक्त कार्य हेतु सामग्री क्रय भुगतान आशीष बि0 मैटेरियल्स	104584.00
06.11.2020	सफाई कर्मी किट क्रय आकांक्षा एसोसिएट	18988.00

06.11.2020	टेण्डर व्यय	6839.00
26.11.2020	मानदेय प्रधान 05 माह	17500.00
02.12.2020	कोविड'19 के तहत साफ सफाई पर मजदूरी भुगतान	25326.00
28.12.2020	हैण्डपम्प रीबोर पर भुगतान आकांक्षा एसोसिएट	29500.00
28.12.2020	नंदू के घर से सुरेश के घर तक खड़जा मरम्मत पर मजदूरी भुगतान	21112.00
28.12.2020	उपरोक्त कार्य पर ईट क्रय भुगतान प्रवेश ईट उद्योग	55330.00
	योग	459896.00

इस प्रकार उक्त कार्यों से संबंधित पत्रावलियाँ एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रु0 459896.00 लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क के अनुसार अधिभार योग्य है जिसके लिये ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी सुश्री बबिता वर्मा एवं ग्राम प्रधान श्रीमती विजय लक्ष्मी उत्तरदायी हैं। अतः उपरोक्त दर्शित धनराशि रु0 459896.00 की वसूली ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी सुश्री बबिता वर्मा एवं ग्राम प्रधान श्रीमती विजय लक्ष्मी से अद्यावधिक ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

147 -ग्राम पंचायत - खुटौली विकास खण्ड -तहबरपुर लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -268

पंचायती राज विभाग,उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-"ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।"परन्तु लेखा परीक्षा में कतिपय कार्यों / मदों से सम्बन्धित पत्रावलियाँ प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति, मापी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र व्यय प्रमाणक आदि प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में दर्शित व्यय का विवरण निम्नवत है :-

दिनांक	परियोजना/कार्य का नाम	व्यय धनराशि
22.03.2021	मानदेय प्रधान 28 माह 25 दिन	100916.00
29.03.2021	06 अदद सोलर लाइट क्रय भुगतान सन साइन इण्डिया कांटेक्टर	141000.00
	योग	241916.00

इस प्रकार उक्त कार्यों से संबंधित पत्रावलियाँ एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रु0 241916.00 लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क के अनुसार अधिभार योग्य है जिसके लिये ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी सुश्री बबिता वर्मा ग्राम प्रधान श्रीमती राज कुमारी एवं प्रशासक ग्राम पंचायत श्री त्रिवेणी प्रसाद सिंह उत्तरदायी हैं। अतः उपरोक्त दर्शित धनराशि रु0 241916.00 की वसूली ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी सुश्री बबिता वर्मा ग्राम प्रधान श्रीमती राज कुमारी एवं प्रशासक ग्राम पंचायत श्री त्रिवेणी प्रसाद सिंह से अद्यावधिक ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

148 -ग्राम पंचायत - सिकरौर सहबड़ी विकास खण्ड -मार्टिनगंज लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21

प्रस्तर -269

ग्राम पंचायत सिकरौर सहबड़ी ,विकासखण्ड मार्टिनगंज जनपद- आजमगढ़ के लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में वर्ष के दौरान हैण्डपम्प मरम्मत पर कोषबही के अनुसार कुल रु0 453074.00 व्यय दर्शित है जिसका विवरण निम्नवत् है-

क्र.सं.	कैशबुक के अनुसार दिनांक	धनराशि	विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम
.1	17.07.2019	85000.00	इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प रीबोर 5 नग	अभिषेक यादव कन्ट्रेक्टर

2	17.07.2019	89948.00	इण्डिया मार्का हैन्ड पम्प रीबोर 2 नग	अभिषेक यादव कन्ट्रेक्टर
3	01.01.2020	173684.00	इण्डिया मार्का हैन्ड पम्प रीबोर	अज्ञात
4	27.03.2020	104442.00	इण्डिया मार्का हैन्ड पम्प रीबोर 3 नग	अभिषेक यादव कन्ट्रेक्टर
		453074.00		

धनराशि शब्दों में) - (चार लाख तिरपन हजार चौहत्तर मात्र)

कोषबही में दर्शित उक्त भुगतानित धनराशि- 453074.00 में निम्नलिखित ऑडिट आपत्तियाँ पायी गई हैं-
कोषबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि के सापेक्ष निम्नलिखित ले0प0 आपत्तियाँ पायी गयी हैं-

- (क) भुगतानित धनराशि की पुष्टि हेतु बिल बाउचर अप्रस्तुत रहे।
(ख) उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-
- (1) कार्यवाही रजिस्टर
 - (2) कार्ययोजना
 - (3) जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति रिपोर्ट
 - (4) स्टीमेट एवं एम0बी0
 - (5) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं उपभोग प्रमाण पत्र
 - (6) हैण्डपम्प खराबी से संबंधित शिकायत पत्र, मरम्मत हेतु मांग पत्र पंजिका एवं तकनीकी रिपोर्ट
 - (7) स्टॉक रजि0
 - (8) त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ
 - (9) टेण्डर/कोटेशन पत्रावली
- लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।
- (ग) डेड स्टॉक रजि0 ले0प0 में अप्रस्तुत रहा जिससे मरम्मत के उपरान्त खराब पार्ट का स्टॉक एवं नीलामी के पश्चात् प्राप्त आय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
(घ) हैण्डपम्प मरम्मत कार्यस्थल का उल्लेख कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया है।
(ङ) हैण्डपम्प मरम्मत पश्चात् अगल-बगल निवासरत ग्रामीणों से हैण्डपम्प मरम्मत होने का प्रमाणक ले0प0 में अप्राप्त रहा।
(च) शासनादेश संख्या-आर0जी0एस0ए0/197/2019-4/379/2015 दिनांक-2 मई 2019 के बिन्दु-(3) में कार्यस्थल विहिन एवं कार्य विवरण विहिन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है।

लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 की खंड-8 क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्राविधान है ।

अतः उक्त प्राविधान के आलोक में ग्राम पंचायत सिकरौर सहबड़ी में व्यय दर्शित धनराशि रु कुल रु0 453074.00 गबन/अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री विनय कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री अशोक से उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्राविधान के अनुसार किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर -270

ग्राम पंचायत सिकरौर सहबडी विकासखण्ड ,मार्टिनगंज जनपद- आजमगढ़ के लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में कोषबही के अनुसार वर्ष के दौरान जल निकासी हेतु ह्यूम पाइप क्रय पर कुल रु0 482747.00 के अनुसार भुगतान-व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत् है/

क्र.सं.	दिनांक	धनराशि	विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम
.1	28.01.2020	80535	विभिन्न स्थानों पार जल निकासी हेतु ह्यूम पाइप क्रय	नव दुर्गा ट्रेडर्स
2	28.01.2020	69808	विभिन्न स्थानों पार जल निकासी हेतु ह्यूम पाइप क्रय	नव दुर्गा ट्रेडर्स
3	28.01.2020	60534	विभिन्न स्थानों पार जल निकासी हेतु ह्यूम पाइप क्रय	नव दुर्गा ट्रेडर्स
4	28.02.2020	105520	झिनकु के घर से बाह्य तक भूमिगत नाली (ह्यूम पाइप से)	-
5	18.03.2020	50606	राम अधीन के घर से नाली तक ह्यूम पाइप निर्माण	नव दुर्गा ट्रेडर्स
6	18.03.2020	7750	राम अधीन के घर से नाली पर मजदूरी भुगतान	
7	18.03.2020	9514	राम अधीन के घर से नाली तक ह्यूम पाइप निर्माण	माँ दुर्गा इन्टर प्राइजेज
8	27.03.2020	17868	भानु प्रताप के घर से कुंडल पोखरी तक ह्यूम पाइप निर्माण	माँ दुर्गा इन्टर प्राइजेज
9	27.03.2020	72898	भानु प्रताप के घर से कुंडल पोखरी तक ह्यूम पाइप निर्माण	माँ दुर्गा इन्टर प्राइजेज
10	27.03.2020	7714	भानु प्रताप के घर से कुंडल पोखरी तक मजदूरी भुगतान	-
		482747.00		

धनराशि शब्दों में -(रु० चार लाख बयासी हजार सात सौ सैतालीस मात्र)

कोषबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि रु0 482747.00 में निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गई हैं-

- (क) उक्त व्यय के सापेक्ष बिल/बाउचर अप्रस्तुत रहे।
- (ख) उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-
 - (1) कार्यवाही रजिस्टर (2) कार्ययोजना (3) स्टॉक रजिस्टर (4) कोटेशन पत्रावली (5) स्टीमेट एवं एम0बी0
 - (6) कार्यपूति प्रमाण-पत्र (7) उपभोग प्रमाण-पत्र (8) निर्माण कार्य समिति की संस्तुति रिपोर्ट
 - (9) सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर (10) त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ आदि लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।
- (ग) ह्यूम पाइप कितने एम0एम0 की है एवं संख्या का अंकन कोषबही में नहीं किया गया है
- (घ) ह्यूम पाइप लगवाने से सम्बन्धित मजदूरी का भुगतान कोषबही में दर्शित नहीं है। मजदूरी के अभाव में किसी भी कार्य के होने की सम्भावना संदिग्ध प्रतीत होती है।
- (ङ) ह्यूम पाइप लगवाने का उद्देश्य एवं स्थान भी कोषबही में दर्शित नहीं किया गया।
- (च) ह्यूम पाइप लगवाने के पश्चात् अगल-बगल निवासरत ग्रामीणों/किसानों से ह्यूम पाइप लगवाने या पुष्टि का प्रमाणक ले0प0 में अप्रस्तुत रहा।
- (ज) शासनादेश संख्या-आर0जी0एस0ए0/197/2019-4/379/2015 दिनांक-2 मई 2019 के बिन्दु-(3) में कार्यस्थल विहिन एवं कार्य विवरण विहिन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है।
- (झ) ह्यूम पाइप के स्थापना में बालू, ईट, गिट्टी, सीमेंट इत्यादि निर्माण सामाग्री का प्रयोग न होने से कार्य होने की सम्भावना संदिग्ध प्रतीत होती है।

लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 की खंड-8 के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्राविधान है।

अतः उक्त प्राविधान के आलोक में ग्राम पंचायत सिकरौर सहबड़ी में व्यय दर्शित धनराशि रु कुल रु 0 **482747.00** (रु० चार लाख बयासी हजार सात सौ सैतालीस मात्र) गबन/अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री विनय कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री अशोक से उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्राविधान के अनुसार किया जाना अपेक्षित है।

149-ग्राम पंचायत -राजापट्टी विकास खण्ड -अहिरौला लेखा परीक्षा वर्ष - 2020-21

प्रस्तर -271

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (चतुर्थ/पंचम राज्य वित्त मद) से रुपये 574992-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/ मस्टर रोल / ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज / प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 574992-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 287496-00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मिताजी से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 287496-00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./ वि. अधिकारी) श्री राम पलट से वसूली तिथि तक सुसंगत व्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

प्रस्तर -272

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियाँ के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (चैदहवों/ पन्द्रहवों केन्द्रीय वित्त मद) से रुपये 1255655-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल / मस्टर रोल / ट्रांसफर विवरण),

मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियाँ व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र /आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/ टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज्य /प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 1255655-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 627827-00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मिताजी से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 627827-00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./ वि. अधिकारी) श्री राम पलट से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

प्रारूप - 4

जनपद-बलिया

जनपद-बलिया

संभाग- आजमगढ़

1.ग्राम पंचायत का नाम - जलालपुर

विकास खण्ड - हनुमानगंज

प्रस्तर-1

मनरेगा के अन्तर्गत एक पक्का कार्य स्नो वाइट के हाता से कविजी के घर तक इंटरलाकिंग कार्य कराया गया जिसमें सामग्री हेतु रूपया 148315.00 का भुगतान मा दुर्गा इंटरप्राइजेज छोड़हर को दर्शित है जबकि यह कार्य 20-2-2020 को प्रारम्भ हुआ जबकि दिनांक 29-5-2020 को समाप्त हुआ इस कार्य पर कुल मजदूरी रूपया 8782.00 (अर्थात 47 मानव दिवस गत वर्ष में 35 मानव दिवस तथा आलोच्य वर्ष में 12 मानव दिवस) दिया गया परन्तु मिस्त्री को कोई भी मजदूरी नहीं दिया गया क्योंकि बिना मिस्त्री के निर्माण कार्य संभव नहीं उपलब्ध कराये गये एमबी के अनुसार मजदूरी रूपया 16814.00 दिया जाना है जबकि सामग्री मद पर रूपया 148328.00 दिया जाना है अतः इस कार्य में गंभीर अनियमितता की गयी है जिसके लिये प्रधान श्रीमती विमला देवी सचिव श्री राजीव सिंह/ श्री ओम प्रकाश तकनीकी सहायक तथा कार्यक्रम अधिकारी जिम्मेवार है अनुसंधानात्मक कार्यवाही अपेक्षित है।

2.ग्राम पंचायत का नाम - अगरसंडा

विकास खण्ड - हनुमानगंज

प्रस्तर-2

निम्नलिखित कार्य के सापेक्ष शिलापट्ट स्थापना पर रूपया 20000.00 व्यय दर्शित है परन्तु मनरेगा वेबसाइट पर उक्त फोटोग्राफ अपलोड नहीं है जो सरकारी धन के व्यय में गंभीर अनियमितता प्रदर्शित करता है क्योंकि कार्य के सापेक्ष शिलापट्ट स्थापना की गयी अथवा नहीं संदिग्ध रहा जिसके लिये प्रधान श्री शत्रुधन सचिव श्री ओम प्रकाश तकनीकी सहायक तथा कार्यक्रम अधिकारी/प्रशासक जिम्मेवार है आवश्यक अनुशासनिक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

पेनी पुल से कटहरनाले तक नाले की सफाई (3159030002/एलडी/958486255823163749)	10	09-10-2020	27-03-2020	4000.00
अगरसंडा स्टेट टिउबल पर मिट्टी भराई कार्य (3159030002/एलडी/958486255823224970)	13	09-10-2020	27-03-2020	4000.00
कमता गुप्ता के घर से अवधेश वर्मा के खेत तक चकबांध (3159030002/एलडी/958486255823224974)	09	09-10-2020	27-03-2020	4000.00
ग्राम पंचायत अगरसंडा में सती स्थान के पास पोखरा खुदाई का कार्य (3159030002/डबलुसी/958486255823062177)	11	09-10-2020	4-11-2020	4000.00
श्रीराम सिंह सान शिवपुरीजान सिंह खेत में पोखरा खुदाई कार्य (3159030002/एलडी/958486255823080760)	14	09-10-2020	4-11-2020	4000.00

3.ग्राम पंचायत का नाम - टकरसन

विकास खण्ड - हनुमानगंज

प्रस्तर-3

निम्नलिखित कार्य के सापेक्ष शिलापट्ट स्थापना पर व्यय रूपया 39000.00 व्यय दर्शित है परन्तु मनरेगा वेबसाइट पर उक्त फोटोग्राफ अपलोड नहीं है जो सरकारी धन के व्यय में गंभीर अनियमितता प्रदर्शित करता है क्योंकि कार्य के सापेक्ष शिलापट्ट स्थापना की गयी अथवा नहीं संदिग्ध रहा जिसके लिये सचिव तकनीकी सहायक तथा कार्यक्रम अधिकारी/प्रशासक जिम्मेवार है क्योंकि ये सारा भुगतान सचिव कार्यक्रम अधिकारी/प्रशासक के

द्वारा प्रधान के कार्यकाल के समाप्त होने के बाद प्रशासक के बाद प्रशासक के द्वारा किया गया है आवश्यक अनुशासनिक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। जिस हेतु प्रधान श्री भुवाल यादव एवं सचिव श्री विजेंद्र उत्तरदायी है

हरिशंकर वर्मा के डेरा के पास पुलिया से गीता देवी के डेरा होते हुये बब्लू सिंह के बगीचे तक चकबन्द (3159030053/एलडी/958486255823302709)	77	25-10-020	27-03-020	5000.0 0
हरिजन बस्ती के बगल से बच्चन जी के टिउबल होते टकरसन गोठहली संपर्क मार्ग तक मिट्टी कार्य (3159030053/एलडी/958486255823302710)	78	25-10-2020	27-03-2020	5000.0 0
पंचायत भवन से प्रा पाठशाला होते हुए कन्हैया वर्मा के घर तक पटरी भराई कार्य (3159030053/एलडी/958486255823302712)	76	24-01-2020	27-03-2020	5000.0 0
दीनानाथ के टिबुल से राजा राम के घर तक चकबन्द का कार्य (3159030053/एलडी/958486255823341460)	110	25-10-2020	27-03-2020	4000.0 0
बलीराम वर्मा के कटरे से सतनरायण पासी क घर तक मिट्टी कार्य (3159030053/एलडी/9584862558233414664)	101	25-10-2020	27-03-2020	4000.0 0
राजा राम के घर से काली जी के मंदिर तक चकबन्द का कार्य (3159030053/एलडी/958486255823341466/)	102	25-10-2020	27-03-2020	4000.0 0
. प्राइमरी पाठशाला जूनियर स्कूल के प्राणन में मिट्टी भराई कार्य (3159030053/एलडी/958486255823344273)	103	25-10-2020	27-03-2020	4000.0 0
मेन रोड विभूति नगर रविदर वर्मा के घर से यादव जी के मकान तक चकबन्द कार्य (3159030053/एलडी/958486255823364679)	139	25-10-2020	27-03-2020	4000.0 0
मठिया पोखरा के चारो तरफ मिट्टी भराई (3159030053/एलडी/958486255823364681)		01-02-2020	27-03-2020	4000.0 0

प्रस्तर- 4

राज्य/14 वा/15वा वित्त के अन्तर्गत दिनांक 16-6-2020 को गोठहली टकरसन संपर्क मार्ग से भिखारी पासी के घर तक आर सी सी रोड निर्माण पर रूपया 212161.00 सामग्री हेतु मा भगवती कंस्ट्रक्शन को दिया गया उक्त तिथि को ही भिखारी पासी के घर से विनोद पासी के घर तक आरसीसी रोड निर्माण पर 213948.00सामग्री हेतु मा भगवती कंस्ट्रक्शन को भुगतान दिया गया 12-12-2020 को आपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत प्राथमिक पाठशाला टकरसन के मरम्मत और जीर्णोद्धार हेतु मा दुर्गा कंस्ट्रक्शन को सामग्री के लिए रू0 380169.00 दिया गया संबंधित प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत रहे परन्तु संबंधित पत्रावली फोटो तथा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं रहा इन कार्योपर मजदूरी नहीं दी गई बताया गया की तकनीकी कारणों से मजदूरी नहीं दी जा सकी परन्तु यह दलील मान्य नहीं है अतः इनक कार्यो की उच्चस्तीय जाँच किया जाना अपेक्षित है राजकीय धन रू0 806278.00 के दुरुपयोग किया गया है जिसके लिए प्रधान श्री भुवाल यादव तथा सचिव श्री विजेंद्र जिम्मेवार है आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है

4.ग्राम पंचायत का नाम - धर्मपुरा

विकास खण्ड – हनुमानगंज

प्रस्तर-5

निम्नलिखित कार्य के सापेक्ष शिलापट्ट स्थापना पर रूपया 40000.00 व्यय दर्शित है परन्तु मनरेगा वेबसाइट पर उक्त फोटोग्राफ अपलोड नहीं है जो सरकारी धन के व्यय में गंभीर अनियमितता प्रदर्शित करता है क्योंकि कार्य के सापेक्ष शिलापट्ट स्थापना की गयी अथवा नहीं संदिग्ध रहा जिसके लिये प्रधान श्रीमती भागीरथी सचिव

श्री संजय सिंह तकनीकी सहायक तथा कार्यक्रम अधिकारी/प्रशासक जिम्मेवार है आवश्यक अनुशासनिक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। क्योंकि सभी भुगतान मार्च 2021 में किया गया

मनिकपुर सीवान से सुदर्शन सिंह के खेत तक चकबन्द का कार्य साइन बोर्ड पर	4000.00
मीडा धर्मपुरा संपर्क मार्ग से समीर सिंह खेत तक चकबन्द का कार्य साइन बोर्ड पर	4000.00
बलिराम के घर से शिवमुनि के घर तक चकबन्ध कार्य साइन बोर्ड पर	4000.00
उमेश के खेत से विशुनदेव के खेत तक चकबन्द कार्य साइन बोर्ड पर	4000.00
धर्मपुरा संपर्क मार्ग से अखिलेश के खेत होते हुए उमेश के खेत तक चकबन्द कार्य साइन बोर्ड पर	4000.00
श्री बिहारी के घर से जयप्रकाश वर्मा के खेत तक रोड के दोनों तरफ पटरी भराई कार्य साइन बोर्ड पर	4000.00
रमेश के घर से अखिलेश के घर तक सी0 सी0 कार्य साइन बोर्ड पर	4000.00
धर्मपुरा चट्टी से राजकिशोर के घर तक पेवर्स ब्लाक का कार्य साइन बोर्ड पर	4000.00
श्रातकिशोर के घर से रमेश के घर तक पेवर्स ब्लाक का कार्य साइन बोर्ड पर	4000.00
श्री अंजनी के घर से ओमप्रकाश व सरल के घर होते हुए सूरज के घर तक पेवर्स कार्य साइन बोर्ड पर	4000.00

प्रस्तर- 6

मनरेगा के अंतर्गत निम्नलिखित पक्का कार्य कराया गया जिस पर कुल ₹0 607236.00 व्यय हुआ परन्तु ये कार्य (सी.सी. रोड/पेवर्स ब्लाक) बिना मिस्त्री के कराया गया जो संभव नहीं क्योंकि पक्का कार्य अकुशल मजदूर द्वारा कराया नहीं जा सकता रमेश के घर से अखिलेश के घर तक सी.सी. कार्य पर सामग्री हेतु ₹0 153619.00 तथा अकुशल मजदूर को ₹0 14070.00 दिया गया परन्तु मिस्त्री को कोई धनराशि नहीं दी गयी, धर्मपुरा चट्टी से राजकिशोर के घर तक पेवर्स ब्लाक का कार्य सामग्री हेतु ₹0 168019.00 तथा अकुशल मजदूर को ₹0 7236.00 दिया गया परन्तु मिस्त्री को कोई धनराशि नहीं दी गयी, राजकिशोर के घर से रमेश के घर तक पेवर्स ब्लाक का कार्य पर सामग्री हेतु ₹0 163317.00 तथा अकुशल मजदूर को सिर्फ ₹0 402.00 दिया गया परन्तु मिस्त्री को कोई धनराशि नहीं दी गयी, श्री अंजनी के घर से ओमप्रकाश व सरल के घर होते हुए सूरज के घर तक पेवर्स कार्य पर सामग्री हेतु ₹0 98965.00 तथा अकुशल मजदूर को सिर्फ ₹0 1608.00 दिया गया परन्तु मिस्त्री को कोई धनराशि नहीं दी गयी, स्पष्ट रूप से उपरोक्त कार्य में गंभीर अनियमितता की गयी है जिसके लिए प्रधान श्रीमती भागीरथी सचिव श्री संजय सिंह तकनीकी सहायक तथा कार्यक्रम अधिकारी/प्रशासक जिम्मेवार है क्योंकि सभी भुगतान मार्च 2021 में किया गया विभागीय कार्यवाही तथा उक्त कार्यों की विभागीय जाँच किया जाना अपेक्षित है।

5.ग्राम पंचायत का नाम - रामपुरचिट

विकास खण्ड – हनुमानगंज

प्रस्तर-7

आलोच्य वर्ष में प्रधान के कार्यकाल के बाद निम्नलिखित कार्य प्रशासक तथा सचिव द्वारा कराये गये हैं इनक कार्यों की उच्चस्तरीय जाँच किया जाना अपेक्षित है क्योंकि त्रिस्तरीय चुनाव के तारीख की घोषणा के पश्चात् इन कार्यों का निष्पादन संदिग्ध प्रतीत होता है जांचोपरान्त संबंधित पर विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है दिनांक 30.03.21 को कायाकल्प योजना के अंतर्गत पंचायत भवन की रंगाई पुताई पर सामग्री हेतु रूपया 113414 का भुगतान हनुमान जी कंस्ट्रक्शन को दिया गया परंतु उक्त कार्य पर मजदूरी नहीं दी गई उक्त तिथि में ही प्रारंभिक विद्यालय में शौचालय टाइल्स वाशबेसिन निर्माण पर रूपया 56199 का भुगतान हनुमान जी कंस्ट्रक्शन को किया गया परंतु उक्त कार्य पर मजदूरी नहीं दी गई पुनः दिनांक 30-03-2021 को रूपया 135000 का भुगतान हनुमानजी कंस्ट्रक्शन को सोलर लाइट लगाने हेतु दिया गया परंतु संबंधित पत्रावली प्रस्तुत नहीं रहे इसके अतिरिक्त हैडपम्प मरम्मत हेतु रूपया 16480 का भुगतान हनुमानजी कंस्ट्रक्शन को किया गया परंतु मजदूरी नहीं दी गई अतः सामग्री क्रय करके मजदूरी न देकर सरकारी धन रूपया 321093 का दुरुपयोग किया गया है जिसके लिए सचिव श्री ज्ञान प्रकाश तथा प्रशासक जिम्मेवार हैं आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-8

दिनांक 27-06-2020, 30-7-2020 तथा 19-11-2020 को राज्य/14/15 वा वित्त के अन्तर्गत आईडी संख्या 41939709, 30511212,45099947 से ग्राम पंचायत में हैण्ड पम्प रिबोर स्थापना (लिस्ट के अनुसार) पर कुल ₹0 504749.00 का भुगतान महालक्ष्मी कन्स्ट्रक्शन को दर्शित है परन्तु पंचायत राज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19-6-2017 के इण्डिया मार्क हैण्ड पम्प रिबोर की गाइडलाइन के अनुसार हैण्डपम्प रिबोर कार्य को मरम्मत का कार्य मानते हुए अलग-अलग वर्क आईडी तैयार किये जाने के निर्देश दिए गए हैं लेकिन एन निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है इसके अतिरिक्त पंचायत राज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19-6-2017 इण्डिया मार्क के हैण्ड पम्प रिबोर की गाइडलाइन के अनुसार हैण्ड पम्प रिबोर के सन्दर्भ में जल निगम की प्रतीक्षा सूची और जल निगम की मार्गदर्शिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही तकनिकि अनुश्रवण का कार्य जे0ई0 एम0आई/आरईडी/मंडी परिषद/जिला पंचायत/डीएम के द्वारा नामित अधिकारी के द्वारा किया जायेगा अतः कुल ₹0 504749.00 के व्यय में उक्त शासनादेश का उल्लंघन कर गंभीर अनियमितता की गयी है जिसके लिये प्रधान श्रीनती नईमाँ खातून और सचिव श्री कन्हैया कुमार जिम्मेवार हैं अनुशासनात्मक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर- 9

14/15 वा वित्त के अन्तर्गत दिनांक 4-6-2020 तथा अन्य तिथियों को आई डी संख्या 30510119 तथा अन्य आई डी से हैण्ड पम्प मरम्मत पर ₹0 395456 का भुगतान महालक्ष्मी कन्स्ट्रक्शन तथा अन्य को किया गया है संबंधित प्रमाणक प्रस्तुत रहे परन्तु लाभार्थियों के द्वारा हैण्ड पम्प के खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग सम्बन्धी कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके अभाव में यह जानकारी न हो सकी कि किन स्थलों के हैण्ड पम्प खराब थे जिन पर उपयुक्त धनराशि का व्यय सामग्री खरीद के लिए किया गया उपयुक्त के अभाव में पंचायत राज अनुभाग 3 के आदेश संख्या 27/2017/662/33-3-2017-46/2015 दिनांक 12-4-2017 के अनुसार अस्थायी खराबी को तीन दिन के अन्दर दूर किया जाना अनिवार्य है अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के निर्देश हैं का पालन किया गया है कि नहीं की जाँच नहीं की जा सकी डेड स्टॉक की स्थिति अज्ञात रही स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं रहा, नलकूप विभाग से उपभोग प्रमाण पत्र/एनओसी निर्गत नहीं है अतः कुल ₹0 395456.00 के व्यय में उक्त शासनादेशों का उल्लंघन कर गंभीर अनियमितता की गयी है जिसके लिये प्रधान श्रीनती नईमाँ खातून और सचिव श्री कन्हैया कुमार जिम्मेवार हैं अनुशासनात्मक कार्यवाही अपेक्षित है।

7.ग्राम पंचायत का नाम - पकड़ी

विकास खण्ड – हनुमानगंज

प्रस्तर-10

दिनांक 20-9-2019 तथा अन्य तिथियों को आई डी संख्या 41521382 से 5 हैण्ड पम्प रिबोर हेतु रूपया 178065.00 का भुगतान किया गया जिसमें सामग्री हेतु रूपया 110745.00 का भुगतान क्रमशः लक्ष्मी पाइप्स तथा श्रीहनुमान जी कन्स्ट्रक्शन को निर्गत है जबकि मजदूरी ₹0 67320.00 दिया गया परन्तु पंचायत राज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 51/2017/121/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19-6-2017 के इण्डिया मार्क हैण्ड पम्प रिबोर की गाइडलाइन के अनुसार हैण्ड पम्प रिबोर के कार्य को मरम्मत का कार्य मानते हुए अलग-अलग वर्क आई डी तैयार किये जाने के निर्देश दिए गए हैं लेकिन एन निर्देश का पालन नहीं किया जा रहा है इसके अतिरिक्त पंचायत राज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 51/2017/121/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19-6-2017 के इण्डिया मार्क हैण्ड पम्प रिबोर की गाइडलाइन के अनुसार हैण्ड पम्प रिबोर के सन्दर्भ में जल निगम की प्रतीक्षा सूची और जल निगम की मार्गदर्शिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही तकनिकि अनुश्रवण का कार्य जे.ई. एमआई/आर ई.डी/जिला पंचायत/डी एम के द्वारा नामित अधिकारी के द्वारा किया जायेगा, साथ ही कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु हचकच के अन्तर्गत जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण की पत्रावली प्रस्तुत न रहने के कारण गाइडलाइन के पालन की स्थिति अज्ञात रही अतः कुल ₹0 178065.00 के व्यय में उक्त शासनादेशों का उल्लंघन कर गंभीर अनियमितता की गयी है जिसके लिये प्रधान श्री दुर्गा राम और सचिव श्री अक्षयलाल राम जिम्मेवार हैं अनुशासनात्मक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर- 11

दिनांक 17-12-2020 तथा अन्य तिथियों में 15वा वित्त के अन्तर्गत आई डी संख्या 45236082 से आंगनबाड़ी मरम्मत बेबी शौचालय निर्माण फर्श तथा बाउंड्री निर्माण पर कुल ₹0 328969.00 व्यय हुआ है जिसमें सामग्री पर ₹0 251729.00 का व्यय हुआ सम्बन्धित प्रमाणक तो उपलब्ध रहा परन्तु सम्बन्धित पत्रावली तकनीकी तथा वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धित आदेश, फोटो कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि प्रस्तुत नहीं रहा जबकि मजदूरी दिनांक 25-03-2021 को ₹0 77240.00 का मस्टर रोल प्रस्तुत नहीं रहा अतः इस कार्य में हरेक कदम पर गंभीर अनियमितता की गयी है जिसके लिये प्रधान श्री दुर्गा राम तथा सचिव श्री अक्षयलाल राम/प्रशासक जिम्मेवार है।

प्रस्तर- 12

1.आलोच्य वर्ष के अन्तर्गत दिनांक 28-7-2020 को आई डी संख्या 17419128 से हैण्ड पम्प मरम्मत पर सामग्री हेतु ₹0 33465.00 लक्ष्मी पाइप्स को दिनांक 09-10-2020 को आईडी संख्या 41507776 से ₹0 7250 आदर्श मशीनरी को दिनांक 25-3-2021 को आई डी संख्या 41507776 से ₹016250.00 का भुगतान श्री हनुमानजी कंन्स्ट्रक्शन को सामग्री हेतु किया गया है सम्बन्धित प्रमाणक प्रस्तुत रहे परन्तु मजदूरी नहीं देकर सम्पूर्ण धन ₹0 57145.00 का दुरुपयोग कर लिया गया लाभार्थियों के द्वारा हैण्डपम्प के खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग सम्बन्धी कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में यह जानकारी न हो सकी कि किन स्थलों के हैण्ड पम्प खराब थे जिन पर उपयुक्त धनराशि का व्यय सामग्री खरीद के लिए किया गया डेड स्टॉक की स्थिति अज्ञात रही स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं रहा नलकूप विभाग से उपभोग प्रमाण पत्र एन.ओ.सी. निर्गत नहीं है अतः इस कृत्य के लिये प्रधान सचिव तथा प्रशासक जिम्मेवार है अनुशासनात्मक कार्यवाही अपेक्षित है यहा प्रधान श्री दुर्गा राम और सचिव श्री अक्षयलाल राम ₹0 40895 के लिये तथा सचिव तथा प्रशासक ₹0 16250.00 के दुरुपयोग के लिये जिम्मेवार है।

2.दिनांक 25-3-2021 को राज्य वित्त के अन्तर्गत नाली ढक्कन व सोखता निर्माण हेतु सामग्री ₹0 52000.00 का भुगतान श्रीहनुमानजी कन्स्ट्रक्शन एंड सप्लायर को किया गया परन्तु मजदूरी नहीं देकर धन का दुरुपयोग कर लिया गया जिसके लिये सचिव श्री अक्षयलाल राम तथा प्रशासक जिम्मेवार है आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही अपेक्षित है।

8.ग्राम पंचायत का नाम -नरही

विकास खण्ड – हनुमानगंज

प्रस्तर-13

राज्य 14/15 वा वित्त के दिनांक हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु संजय इंटरप्राइजेज तथा वैष्णवी तथा मा वैष्णवी इंटरप्राइजेज को ₹0 31500.00 तथा ₹0 11500.00 दिनांक को ब्लूम पाइप हेतु संजय इंटरप्राइजेज को ₹0 66250.00 दिनांक हैण्ड पम्प रिबोर हेतु संजय इंटरप्राइजेज को ₹0 56190.00 दिनांक को ललन के घर से कमल के घर तक खडण्जा हेतु संजय इंटरप्राइजेज को ₹0 99640.00 दिनांक कमलेश्वर के घर से जयशंकर के घर तक खडण्जा हेतु संजय इंटरप्राइजेज को ₹0 99600.00 दिया गया परन्तु किसी भी कार्यो पर मजदूरी नहीं देकर सरकारी धन ₹0 364680.00 का दुरुपयोग किया गया जिसके लिए प्रधान श्रीमती एकमी तथा सचिव श्री ठाकुर जी सिंह जिम्मेवार है आवश्यक विभागी कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर- 14

दिनांक 18-12-2020 को राज्य वित्त के अन्तर्गत अमल राम के घर से निरम के घर तक खडण्जा निर्माण हेतु ₹0 97427.00 का भुगतान संजय इंटरप्राइजेज को किया गया परन्तु मजदूरी नहीं देकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया जिसके लिए प्रधान श्रीमती एकमी तथा सचिव श्री अक्षयलाल राम जिम्मेवार है आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर- 15

आलोच्य वर्ष में प्रधान के कार्यकाल के बाद निम्नलिखित कार्य प्रशासक तथा सचिव द्वारा कराये गये हैं इनकार्यों की उच्चस्तरीय जाँच किया जाना अपेक्षित है क्योंकि त्रिस्तरीय चुनाव के तारीख की घोषणा के पश्चात् इन कार्यो

का (आईडी निर्गत करना जिसके लिये प्रशासक सचिव जिम्मेवार है) निष्पादन संदिग्ध प्रतीत होता है क्योंकि न ही स्थान और न ही उसका विवरण ही अंकित है स्वरूप से सरकारी धन ₹0 524848.00 के व्यय में गम्भीर अनियमितता की गयी है जिसके लिए प्रशासक सचिव जे0ई0 जिम्मेवार है जाँचोपरान्त सम्बन्धित पर विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है दिनांक 18-2-2021 को आर ओ प्लांट के स्थापना पर ₹0 298633.00 का भुगतान संजय इंटरप्राइजेज को किया गया परन्तु मजदूरी नहीं दिया गया दिनांक 26-3-2020 को हैण्ड पम्प रिबोर पर ₹0 63500.00 का भुगतान ए0के0 कन्स्ट्रक्शन तथा उक्त तिथि को स्टेशनरी खरीद पर ₹0 19940.00 का भुगतान ए0के0 कन्स्ट्रक्शन, दिनांक 26-3-2020 को विद्यालय में बच्चों को बैठने हेतु डेस्क/बेंच की स्थापना पर ₹0 142775.00 का भुगतान माँ विध्यवासिनी इंटरप्राइजेज को किया गया प्रमाणक प्रस्तुत रहा परन्तु पत्रावली तकनीकी तथा वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं रही। इसके लिए सचिव श्री अक्षय लाल एवं प्रशासन उत्तरदायी है।

9.ग्राम पंचायत का नाम -श्रीपुर

विकास खण्ड -

हनुमानगंज

प्रस्तर-16

मनरेगा के अन्तर्गत निम्नलिखित पक्का कार्य कराया गया है परन्तु कार्य सिर्फ अकुशल मजदूरों से कराया गया है जबकि पक्का कार्य मिस्त्री के बिना नहीं कराया जा सकता हीरालाल वर्मा के घर से मारकण्डेय के घर तक इंटरलाकिंग कार्य पर सामग्री ₹0 156599.00 तथा मजदूरी ₹0 5628.00 दिया गया ,घुरूल के घर से हीरालाल वर्मा के घर तक पेवर्स कार्य पर सामग्री ₹0 161324.00 तथा मजदूरी सिर्फ ₹0 3618.00 दिया गया स्पष्ट रूप से कुल सामग्री ₹0 317923.00 के सापेक्ष मजदूरी ₹0 9246.00 दिया गया तो बहुत कम है अतः कार्य में (₹0 327169.00) गम्भीर अनियमितता की गयी है जिसके लिए प्रधान श्री संजय सचिव श्री अनिल कुमार यादव तकनीकी सहायक तथा कार्यक्रम अधिकारी जिम्मेवार है आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

10.ग्राम पंचायत का नाम - वैना

विकास खण्ड - हनुमानगंज

प्रस्तर-17

15वा/केन्द्रीय वित्त तथा मनरेगा के अन्तर्गत सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य दिनांक 11-12-2020 को प्रारम्भ हुआ जबकि दिनांक 3-12-2020को आईडी संख्या 43303628 से ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु सामग्री के लिये सिंह इंटरप्राइजेज को कुल ₹0 511105.00 का भुगतान किया गया व्यय प्रमाणक तो उपलब्ध रहा परंतु सम्बन्धित पत्रावली (तकनीकी तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित) फोटो इत्यादि नहीं दिया गया अकुशल मजदूर को मजदूरी मात्र ₹0 44421.00 (अर्थात 221 मानव दिवस) मनरेगा कन्वर्जेंस के तहत दी गयी परन्तु मिस्त्री को मजदूरी नहीं दिया गया है स्पष्टीकरण अपेक्षित है क्योंकि बिना मिस्त्री के शौचालय का निर्माण संभव नहीं है जो आपत्तिजनक तथा कार्य में गंभीर अनियमितता (₹0 555526.00) का द्योतक है जिसके लिए प्रधान श्री चंद्रा तथा सचिव श्री अक्षय लाल राम जिम्मेवार है मामले को विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर- 18

राज्य/14वा वित्त के अन्तर्गत दिनांक को 25-3-2021जूनियर हाई स्कूल कक्षा 8 में टाइल्स निर्माण पर ₹0108128.00सामग्री हेतु उक्त तिथि को ही प्राथमिक विद्यालय चैबेपुर के कक्षा 5 में टाइल्स निर्माण पर ₹0 117869.00 सामग्री पर परन्तु इनकार्यों पर मजदूरी नहीं दी गयी उक्त तिथि को ही हैण्ड पम्प मरम्मत पर ₹0 49500.00 सामग्रीहेतु हैण्ड पम्प रिबोर पर ₹0 141000.00 सामग्री हेतु व्यय किया गया परन्तु इन कार्यों पर मजदूरी नहीं दी गयी इसके अतिरिक्त केन्द्रीय वित्त से दिनांक 25-3-2021 को उच्च प्राथमिक विद्यालय चैबेपुर में डेस्क स्थापना हेतु ₹0 85650.00 प्राथमिक विद्यालय चैबेपुर में डेस्क स्थापना पर ₹0 188430.00 उच्च प्राथमिक विद्यालय बेना में डेस्क स्थापना पर 85650 प्राथमिक विद्यालय बेना में डेस्क स्थापना पर 239820.00 व्यय किया गया परन्तु प्रधान के कार्यकाल के समाप्त होने के पश्चात तथा पंचायत चुनाव के घोषणा के बाद इनकार्यों का कराना संदिग्ध प्रतीत होता है जिसके लिए प्रशासक तथा सचिव श्री अक्षय लाल राम जिम्मेवार है अतः कुल धनराशि ₹0 1016027.00 के व्यय में गंभीर अनियमितता की गई है आवश्यक कार्यवाही सहित अनुशासनिक कारवाई अपेक्षित है।

प्रस्तर-19

मनरेगा के अन्तर्गत निम्नलिखित पक्का कार्य कराया गया है परन्तु कार्य सिर्फ अकुशल मजदूर से कराया गया है जबकि पक्का कार्य मिस्त्री के बिना नहीं कराया जा सकता अतः कार्य में गंभीर अनियमितता की गयी है जिसके लिए प्रधान श्रीमती विजेता सचिव श्री विजेंद्र भारती तकनीकी सहायक तथा कार्यक्रम अधिकारी/प्रशासक जिम्मेवार है क्योंकि सारा भुगतान कार्यक्रम अधिकारी/प्रशासक द्वारा किया गया है आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

- 1.मनोज के दरवाजे पर पशुबारा निर्माण पर ₹0 47544.00 सामग्री पर तथा ₹0 7839.00 मजदूरी पर दिया गया।
- 2.अजय के दरवाजे पार पशु शौड निर्माण कार्य निर्माण पर रुपया सामग्री पर ₹0 47256.00 तथा ₹0 4623.00 मजदूरी पर दिया गया।
3. श्री सुनील राम के घर से रंगबहादुर सिंह के घर तक पेवर्स ब्लाक कार्य निर्माण पर ₹0 151100.00 सामग्री पर तथा ₹0 10452.00 मजदूरी पर दिया गया तथा साइन बोर्ड पर 4000.00 पर दिया गया।
4. रंगबहादुर सिंह के घर से नन्द जी सिंह के घर तक पेवर्स ब्लाक का निर्माण पर रूप 129419.00 सामग्री पर तथा ₹0 9246.00 मजदूरी पर दिया गया।
5. रंगबहादुर जी के घर से सुधाकर दुबे के घर तक पेवर्स ब्लाक कार्य निर्माण पर ₹0 164657.00 सामग्री पर तथा ₹0 11256.00 मजदूरी पर दिया गया तथा साइन बोर्ड पर 4000.00पर दिया गया
6. सुधाकर दुबे के घर से सुनील राम के घर तक पेवर्स का कार्य निर्माण पर ₹0 164657.00 सामग्री पर तथा ₹0 14070.00 मजदूरी पर दिया गया
7. पाठकजी के घर से नविन के घर तक पेवर्स ब्लाक कार्य निर्माण पर ₹0 167249.00 सामग्री पर तथा ₹0 12663.00 मजदूरी पर दिया गया
8. रुदल के घर से नन्द बिहारी के घर तक पेवर्स कार्य निर्माण पर ₹0 88092.00 सामग्री पर तथा ₹0 9648.00 मजदूरी पर दिया गया

इन कार्यों पर कुल मजदूरी ₹0 79797.00 दिया गया जबकि सामग्री पर कुल व्यय ₹0 943515 है परन्तु बिना मिस्त्री के कार्य करा कर गंभीर अनियमितता की गयी जिसके लिये प्रधान सचिव तकनीकी सहायक तथा कार्यक्रम अधिकारी/प्रशासक जिम्मेवार है आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है इसके अतिरिक्त निम्नलिखित कार्य के सापेक्ष शिलापट्ट स्थापना पर ₹0 36000.00 व्यय दर्शित है परन्तु मनरेगा वेबसाइट पर उक्त फोटोग्राफ अपलोड नहीं है क्योंकि कार्य के सापेक्ष शिलापट्ट स्थापना की गयी अथवा नहीं संदिग्ध रहा अतः सरकारी धन ₹0 1059312.00 व्यय में गंभीर अनियमितता प्रदर्शित करता है जिसके लिये सचिव तकनीकी सहायक तथा कार्यक्रम अधिकारी/प्रशासक जिम्मेवार है अनुशासनिक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है

श्री रामसूरत राम के घर से हरिराम के घर तक चकबंध कार्य (3159030055/एलडी/958486255823224994)	130	25-01-2021	27-3-2021	4000.00
सोनू के घर से विसून्दयल के घर तक चकबंध कार्य (3159030055/एलडी/958486255823233306)	128	24-01-2021	27-3-2021	4000.00
डा अरविन्द सिंह के घर से सोनू के घर तक चकबंध कार्य (3159030055/एलडी/958486255823233310)	126	25-01-2021	27-3-2021	4000.00
श्री ओझा जी के खेत से दीपक तिवारी के खेत तक चकबंध (3159030055/एलडी/958486255823233314)	125	25-01-2021	27-3-2021	4000.00
श्री राम यादव के घर से (3159030055/एलडी/958486255823262250)	127	25-01-2021	27-3-2021	4000.00
(3159030055/एलडी/958486255823262254)	129	26-01-2021	27-3-2021	4000.00
(3159030055/एलडी/958486255823334367)	124	24-01-2021	27-3-2021	4000.00

प्रस्तर- 20

पन्द्रहवा/केन्द्रीय वित्त के अन्तर्गत दिनांक 20-11-2020 को आईडी संख्या 44270440 से ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु सामग्री के लिये नारायण सीमेंट तथा बजरंगी टाइल्स को कुल ₹0 252765.00 का भुगतान किया गया व्यय प्रमाणक तो उपलब्ध रहा परन्तु सम्बन्धित पत्रावली (तकनीकी तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित) फोटो इत्यादि नहीं दिया गया आलोच्य वर्ष में अकुशल मजदूर तथा मिस्त्री को मजदूरी भी मनरेगा से नहीं दिया गया स्पष्टीकरण अपेक्षित है क्योंकि मजदूरी न देकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है जिसके लिए प्रधान श्रीमती विजेता तथा सचिव श्री विजेंद्र भारती जिम्मेवार है आवश्यक विभागीय जाँच सहित अनुशासनिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है ।

12.ग्राम पंचायत का नाम - रामपुर महावल

विकास खण्ड – हनुमानगंज

प्रस्तर-21

दिनांक 24-12-2020 को राज्य वित्त के अन्तर्गत आईडी संख्या 40796274 से गुसा जी के किराना दुकान से में रोड तक पेवर्स ब्लाक निर्माण पर रूपया 77445.00 का भुगतान मा मुण्डेश्वरी इंटरप्राइजेज को किया गया परन्तु इस धनराशि का दो बार भुगतान कर धन का अपहरण कर लिया गया जिसके लिए प्रधान तथा सचिव जिम्मेवार है ₹0 77445.00 की वसूली अपेक्षित है इसके अतिरिक्त इस कार्य पर मजदूरी न देकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है जिसके लिए प्रधान श्रीमती इंदु तथा सचिव श्री धर्मेन्द्र पाठक जिम्मेवार है आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

13.ग्राम पंचायत का नाम - देवरिया कला

विकास खण्ड – हनुमानगंज

प्रस्तर-22

मनरेगा के अन्तर्गत निम्नलिखित पक्का कार्य कराये गये है परन्तु कार्य बिना मिस्त्री के करा कर सरकारी धन ₹0 284567.00 के व्यय में गंभीर अनियमितता की गयी है जिसके लिए प्रधान श्री गौतम राम, सचिव श्री धर्मेन्द्र पाठक तकनीकी सहायक तथा कार्यक्रम अधिकारी जिम्मेवार है आवश्यक अनुशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है। शिवजी के घर से लल्लन वर्मा के घर तक पेवर्स निर्माण कार्य में सामग्री पर ₹0 109553.00 व्यय है जबकि अकुशल मजदूर को ₹0 10452.00 दिया गया परन्तु मिस्त्री को कुछ भी मजदूरी नहीं दिया गया परमात्मा के घर के सामने से लालचंद वर्मा के घर तक मिट्टी खडण्जा कार्य में सामग्री पर ₹0 141045 व्यय है जबकि अकुशल मजदूर को ₹0 23517.00 दिया गया परन्तु मिस्त्री को कुछ भी मजदूरी नहीं दिया गया।

14.ग्राम पंचायत का नाम - दुमदुमा

विकास खण्ड – हनुमानगंज

प्रस्तर-23

मनरेगा के अन्तर्गत दिनांक 29-11-2020 से 12-12-2020 तक सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु कार्य कराया गया जिस पर कुल ₹0 27537.00 अकुशल मजदूर को मजदूरी दिया गया परन्तु आलोच्य वर्ष में राज्य/केन्द्रीय वित्तसे सामग्री पर कोई व्यय नहीं है अतः उक्त मजदूरी देकर गंभीर अनियमितता बरती गयी है क्योंकि कोई सामग्री क्रय नहीं है जिसके लिये प्रधान श्री लक्ष्मण यादव सचिव श्री अक्षय लाल राम तकनीकी सहायक तथा कार्यक्रम अधिकारी जिम्मेवार है आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर- 24

15वा वित्त अन्तर्गत दिनांक 9-10-2020 को ₹0 22500.00 दिनांक 19-11-2020 को 22500, दिनांक ₹0 20000.00 हैण्ड पम्प रिबोर पर ₹0 65000.00 का व्यय सामग्री क्रय हेतु दर्शित है परन्तु सम्बन्धित व्यय

प्रमाणक भी प्रस्तुत नहीं रहे मजदूरी पर व्यय शून्य है ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा किये संपेक्षण दल को व्यय के समस्त में कोई वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए” के विपरीत तथा यह भी कि खण्ड 8 के अनुसार “ यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम से संयुक्त रूप से की जाएगी” के अन्तर्गत अधिभार योग्य है अतः कुल ₹0 65000.00 की वसूली प्रधान श्री लक्ष्मण यादव सचिव श्री अक्षय लाल राम तथा प्रशासक से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर- 25

निम्नलिखित 16 कार्य के सापेक्ष शिलापट्ट स्थापना पर ₹0 69000.00 व्यय दर्शित है परन्तु मनरेगा वेबसाइट पर उक्त फोटोग्राफ अपलोड नहीं है जो सरकारी धन के व्यय में गंभीर अनियमितता प्रदर्शित करता है क्योंकि कार्य के सापेक्ष शिलापट्ट स्थापना की गयी अथवा नहीं संदिग्ध रहा जिसके लिये प्रधान श्री लक्ष्मण यादव सचिव श्री अक्षय लाल राम तकनीकी सहायक तथा कार्यक्रम अधिकारी/प्रशासक जिम्मेवार है आवश्यक अनुशासनिक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है

1.दुमदुमा से पकी नहर तक वृक्षारोपण कार्य पर रूपया	3000.00
2.प्रविंद यादव के दरवाजे से शिवदत्त यादव के दरवाजे तक चकबन्द कार्य पर रूपया	4500.00
3.अशोक यादव के घर से नहर तक मिट्टी भराई कार्य पर रूपया	4500.00
4.दुमदुमा नहर के पटरी पर मुझ उखड़ाई और मिट्टी भराई कार्य पर रूपया	4500.00
5.श्री नाथ यादव के खेत से गोरख यादव के खेत तक नाला खुदाई कार्य पर रूपया	4500.00
6.प्रभावती देवी के खेत का समटीकरण डोम मेडबंदी कार्य पर रूपया	3500.00
7.दुमदुमा भजहा मार्ग से भरत मिश्र के खेत तक चकबन्द पर रूपया	4500.00
8.विक्लांग स्कूल संपर्क मार्ग रामावतार यादव के डेरा तक मिट्टी कार्य पर रूपया	4500.00
9.पी डबलु डी रोड से रामजन्म यादव के खेत तक चकबन्द कार्य पर रूपया	4500.00
10.विक्रम वर्मा के खेत से रामकृपाल यादव के खेत नाला सफाई कार्य पर रूपया	4500.00
11.राधाकिषूण मिश्रा के दरवाजे से शिव जी यादव के मकान तक चकबन्द कार्य पर रूपया	4500.00
12.ग्राम सभा दुमदुमा में पंच अदाद सोखता निर्माण पर रूपया	4500.00
13.कमला के घर रामादार दिवार तक पेवर्स कार्य पर रूपया	4500.00
14.रामशंकर यादव के दरवाजे से शिव मंदिर तक इंटरलाकिंग कार्य पर रूपया	4500.00
15.पी डबलु डी रोड से हनुमान मुदिर तक पेवर्स ब्लाक कार्य पर रूपया	4500.00
16.चमन चैबे से अमर नाथ गौड के घर तक नाली पेवर्स निर्माण पर रूपया	4500.00

प्रस्तर- 26

मनरेगा के अन्तर्गत दिनांक 05-08-2020 को 5 सोखता निर्माण पर सामग्री पर ₹0 53654.00 व्यय हुआ जबकि अकुशल मजदूर को ₹0 9849.00 मजदूरी दिया गया परन्तु मिस्त्री को मजदूरी नहीं दिया गया पुनः दिनांक 30-7-2020 को पी0डब्लू.डी0 रोड से हनुमान मंदिर तक पेवर्स ब्लाक निर्माण पर सामग्री पर ₹0 161935.00 व्यय हुआ जबकि अकुशल मजदूर को रूपया 14271.00 मजदूरी दिया गया परंतु मिस्त्री को मजदूरी नहीं दिया गया स्पष्ट रूप ए कार्य बिना कुशल मजदूर नहीं हो सकता उपरोक्त कारणों से ₹0 239709.00 के व्यय में गंभीर अनियमितता की गयी है जिसके लिये प्रधान श्री लक्ष्मण यादव सचिव श्री अक्षय लाल राम तकनीकी सहायक तथा कार्यक्रम अधिकारी जिम्मेवार है अनुशासनात्मक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर- 27

दिनांक 29-6-2020 को ग्राम पंचायत में हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु आदर्श मशीनरी को ₹0 65500.00 का भुगतान निर्गत है परन्तु सम्बन्धित व्यय प्रमाणक भी प्रस्तुत नहीं रहे मजदूरी पर व्यय शून्य है स्वरूप से धन का

अपहरण कर लिया गया लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा किये सापेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए” के विपरीत तथा यह भी कि खण्ड 8क के अनुसार” यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी के अन्तर्गत अधिभार योग्य है अतः प्रधान श्री लक्ष्मण यादव तथा सचिव श्री अक्षय लाल राम जिम्मेवार है रु0 65500 ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है ।

15.ग्राम पंचायत का नाम - गोठहली

विकास खण्ड – हनुमानगंज

प्रस्तर-28

आलोच्य वर्ष में राज्य/14 वाँ तथा केन्द्रीय वित्त के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य कराये गये हैं उक्त हेतु सामग्री पर क्रय दर्शित है परन्तु मजदूरी नहीं किया गया है स्पष्ट रूप से सरकारी धन रु0 443424.00 का दुरुपयोग किया गया जिसके लिये प्रधान श्री सदरे आलम तथा सचिव श्री अक्षय लाल राम जिम्मेवार हैं अनुशासनात्मक कार्यवाही अपेक्षित है।

- 1.दिनांक 15-12-2020 को केन्द्रीय वित्त के अन्तर्गत नाली निर्माण पर सामग्री हेतु ए.के.कन्स्ट्रक्शन को रु0 46171.00 परन्तु मजदूरी नहीं
- 2.दिनांक 19-12-2020 को केन्द्रीय वित्त के अन्तर्गत प्रदेश द्वार निर्माण पर सामग्री हेतु ए.के.कन्स्ट्रक्शन को रु0 192208.00 परन्तु मजदूरी नहीं
- 3.दिनांक 24-12-2020 को केन्द्रीय वित्त के अन्तर्गत तारकेश्वर के घर से रविन्दर सिंह के घर तक खण्डजा निर्माण पर सामग्री हेतु श्री टेडर्स को रु0 159997.00 परन्तु मजदूरी नहीं।
- 4.राज्य वित्त के अन्तर्गत दिनांक 4-7-2020 को हैण्ड पम्प मरम्मत पर सामग्री हेतु रु0 45048.00 आदर्श मशीनरी को परन्तु मजदूरी नहीं।

16.ग्राम पंचायत का नाम - गुरवां

विकास खण्ड – हनुमानगंज

प्रस्तर-29

दिनांक 30-7-2020 को रु0 173739.00 तथा दिनांक 17-11-2020 को हैण्ड पम्प रिबोर हेतु रु0 114519.00 कुल रु0 288258.00 निर्गत है परन्तु पंचायत राज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19-6-2017 के इण्डिया मार्क हैण्ड पम्प रिबोर की गाइडलाइन के अनुसार हैण्ड पम्प रिबोर के कार्य को मरम्मत का कार्य मानते हुए अलग-अलग वर्क आईडी तैयार कियेजाने के निर्देश दिए गए हैं लेकिन एन निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है इसके अतिरिक्त पंचायत राज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19-6-2017 के इण्डिया मार्क हैण्ड पम्प रिबोर की गाइडलाइन के अनुसार हैण्ड पम्प रिबोर के सन्दर्भ में जल निगम की प्रतीक्षा सूची और जल निगम की मार्गदर्शिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही तकनीकी अनुश्रवण का कार्य जे.ईआई/आरईडी/मंडी परिषद/जिला पंचायत/डीएम के द्वारा नामित अधिकारी के द्वारा किया जायेगा साथ ही कार्यवाही गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु जी.पी.डी.पी. के अन्तर्गत जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण की पत्रावली प्रस्तुत न रहते के कारण गाइडलाइन के पालन की स्थिति अज्ञात रही अतः कुल रु0 288258.00 के व्यय में उक्त शासनादेशों का उल्लंघन कर गंभीर अनियमितता की गयी है जिसके लिये प्रधान श्रीमती रिंकी और सचिव श्री विजेंद्र/विजय शंकर जिम्मेवार हैं अनुशासनात्मक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-30

ग्राम पंचायत में निम्नलिखित तिथियों में हैण्ड पम्प रिबोर कराया गया है दिनांक 07-07-2020 को आई.डी. संख्या 41982237 से ₹0 70202.00, दिनांक 07-07-2020 को आई.डी. संख्या 41982414 से ₹0 73254.00, दिनांक 17-11-2020 को आई.डी. संख्या 19286697 से ₹0 148948.00, 15वाँ वित्त के अन्तर्गत दिनांक 17-11-2020 को विभिन्न आई.डी. से ₹0 132115.00 कुल ₹0 424519.00 व्यय दर्शित है व्यय प्रमाणक प्रस्तुत रहा परन्तु पंचायत राज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19-6-2017 के इण्डिया मार्क हैण्ड पम्प रिबोर की गाइडलाइन के अनुसार हैण्ड पम्प रिबोर के कार्य को मरम्मत का कार्य मानते हुए अलग-अलग वर्क आई.डी. तैयार किये जाने के निर्देश दिए गए हैं लेकिन एन निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है इसके अतिरिक्त पंचायत राज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 51/2017/1211/ 33-3-2017 -46/2015 दिनांक 19-6-2017 के इण्डिया मार्क हैण्ड पम्प रिबोर की गाइडलाइन के अनुसार हैण्ड पम्प रिबोर के सन्दर्भ में जल निगम की प्रतीक्षा सूची और जल निगम की मार्गदर्शिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही तकनीकी अनुश्रवण का कार्य जे.ई.आई/आर.ई.डी/मंडी परिषद/जिला पंचायत/डीएम के द्वारा नामित अधिकारी के द्वारा किया जायेगा अतः कुल ₹0 424519.00 के व्यय में उक्त शासनादेशों का उल्लंघन कर गंभीर अनियमितता की गयी है जिसके लिये प्रधान और सचिव जिम्मेवार हैं अनुशासनात्मक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-31

मनरेगा के अन्तर्गत आलोच्य वर्ष में दुलेसरी देवी पत्नी श्यामनारायण राम के निज खेत में पोखरा खुदाई तथा शिव मंदिर से बट्टी तिवारी के घर तक चकबंद कार्य के सापेक्ष शिलापट्ट स्थापना पर कुल ₹0 8000.00 का भुगतान मा गंगा महिला स्वयं सहायक केन्द्र को दर्शित है परन्तु मनरेगा वेबसाइट पर फोटो अपलोड नहीं है जो मनरेगा के नियमों के प्रतिकूल है तथा सरकारी धन के व्यय में गंभीर अनियमितता प्रदर्शित करता है जिसके लिये प्रधान श्री हरिशंकर सचिव श्री विजेंद्र/विजय शंकर जिम्मेवार हैं अनुशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-32

दिनांक 4-7-2020 तथा अन्य तिथियों को ग्राम पंचायत में तीन विभिन्न आई.डी. से हैण्ड पम्प रिबोर पर कुल ₹0 408391.00 का व्यय दर्शित है परन्तु पंचायत राज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19-6-2017 के इण्डिया मार्क हैण्ड पम्प रिबोर की गाइडलाइन के अनुसार हैण्ड पम्प रिबोर के कार्य को मरम्मत का कार्य मानते हुए अलग-अलग वर्क आई.डी. तैयार किये जाने के निर्देश दिए गए हैं लेकिन एन निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है इसके अतिरिक्त पंचायत राज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 51/2017/1211/ 33-3-2017 -46/2015 दिनांक 19-6-2017 के इण्डिया मार्क हैण्ड पम्प रिबोर की गाइडलाइन के अनुसार हैण्ड पम्प रिबोर के सन्दर्भ में जल निगम की प्रतीक्षा सूची और जल निगम की मार्गदर्शिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही तकनीकी अनुश्रवण का कार्य जे.ई.आई/आर.ई.डी/मंडी परिषद/जिला पंचायत/डीएम के द्वारा नामित अधिकारी के द्वारा किया जायेगा साथ ही कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु जी.पी.डी.पी. के अन्तर्गत जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण की पत्रावली प्रस्तुत न रहते के कारण गाइडलाइन के पालन की स्थिति अज्ञात रही, अतः कुल ₹0 408391.00 के व्यय में उक्त शासनादेशों का उल्लंघन कर गंभीर अनियमितता की गयी है जिसके लिये प्रधान श्री राधेश्याम और सचिव श्री विजेंद्र/विजय शंकर जिम्मेवार हैं अनुशासनात्मक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-33

निम्नलिखित कार्य के सापेक्ष शिलापट्ट स्थापना पर ₹0 33000.00 व्यय दर्शित है परन्तु मनरेगा वेबसाइट पर उक्त फोटोग्राफ अपलोड नहीं है जो सरकारी धन में गंभीर अनियमितता प्रदर्शित करता है क्योंकि कार्य के सापेक्ष शिलापट्ट स्थापना की गयी अथवा नहीं संदिग्ध रहा जिसके लिये प्रधान श्री राधेश्याम सचिव श्री विजेंद्र/विजय

शंकर तकनीकी सहायक तथा कार्यक्रम अधिकारी/प्रशासक जिम्मेवार है आवश्यक अनुशासनिक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

पिच रोड से मालदिन यादव के घर तक मिट्टी कार्य (3159030008/एलडी/958486255823143381)	663	20-5-2020	12-7-2020	5000.00
पिच रोड से मंगल यादव के खेत तक चकबन्द कार्य (3159030008/एलडी/958486255823149599)	664	20-5-2020	12-7-2020	5000.00
फतेबहादुर सिंह के खेत से बनरही शिवान तक नाला सफाई कार्य (3159030008/एलडी/95848625582319513)	667	25-5-2030	12-7-2020	5000.00
पिच रोड से वसीसतह यादव के घर होते हुए गोरख चुडहरी के घर के आगे चकबन्द कार्य (3159030008/एलडी/95848625582319520)	668	25-5-2020	12-7-2020	5000.00
रविंदर खरवार के खेत से रामभरत सिंह के खेत तक चकबन्द कार्य (3159030008/एलडी/9584862558233719)	665	10-6-2020	12-7-2020	5000.00
धर्मपुरा शिवान से अजय सिंह के खेत तक चकबन्द कार्य (3159030008/एलडी/958486255823242467)	666	24-6-2020	27-3-2021	4000.00
कमला गौड के घर के पास पिच रोड से हरीहर गौड के खेत तक संपर्क मार्ग तक चकबन्द कार्य (3159030008/एलडी/958486255823242472)	669	24-6-2020	27-3-2021	4000.00

19.ग्राम पंचायत का नाम - भरतपुरा

विकास खण्ड – हनुमानगंज

प्रस्तर-34

निम्नलिखित कार्य के सापेक्ष शिलापट्ट स्थापना पररू0 21000.00 व्यय दर्शित है परन्तु मनरेगा वेबासाइट पर उक्त फोटोग्राफ अपलोड नहीं है जो सरकारी धन के व्यय में गंभीर अनियमितता प्रदर्शित करता है क्योंकि कार्य के सापेक्ष शिलापट्ट स्थापना की गयी अथवा नहीं संदिग्ध रहा जिसके लिये प्रधान श्रीमती सविता सचिव श्री अनिल कुमार यादव तकनीकी सहायक तथा कार्यक्रम अधिकारी जिम्मेवार है आवश्यक अनुशासनिक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

रामजन्म के डेरा से नहर तक संपर्क मार्ग पर वृक्षारोपण (3159030011/डीपी/958486255823046531)	82	25-10-2020	04-11-2020	3500.00
बरम्ह बाबा के स्थान पर मिट्टी भराई (3159030011/एलडी/958486255823148180)	81	25-10-2020	04-11-2020	3500.00
धरहार धरमपुरा संपर्क पिच मार्ग से रामशंकर यादव के दरवाजे तक चकबन्द कार्य (3159030011/एलडी/958486255823222824)	84	25-10-2020	04-11-2020	3500.00
प्राइमरी पाठशाला भरतपुर से कलीबरम्ह बाबा के स्थान तक मिट्टी कार्य (3159030011/एलडी/958486255823222830)	80	25-10-2020	04-11-2020	3500.00
मदन राम के खेत से विधावती दुबे के खेत तक चकबन्द कार्य (3159030011/एलडी/958486255823222840)	85	25-10-2020	04-11-2020	3500.00

शिव प्रसाद के दरवाजे के सामने से हरeram पाण्डे के टुबेल होते हुए जीराबस्ती शिवान तक चकबन्द कार्य (3159030011/एलडी/958486255823252049)	83	25-10-2020	04-11-2020	3500.00

20.ग्राम पंचायत का नाम - छोड़हर

विकास खण्ड - हनुमानगंज

प्रस्तर-35

मनरेगा के अतर्गत निम्नलिखित कार्य कराये गये हैं जिसके सापेक्ष शिलापट्ट लगाये गए हैं परन्तु मनरेगा के वेबसाइट पर अपलोड नहीं है स्पष्ट रूप से सरकारी धन ₹0 20000.00 के व्यय में गंभीर अनियमितता बरती गयी है इसके लिये प्रधान श्री अजय कुमार ,सचिव श्री अनिल कुमार यादव तकनीकी सहायक तथा कार्यक्रम अधिकारी जिम्मेवार है आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही अपेक्षित है।

- 1.काली मा के स्थान से नई बस्ती तक चकबन्द का कार्य रूपया 4000.00
- 2.बरम्ह बाबा के स्थान से शम्भु चैबे के खेत तक चकबन्ध का ₹0 4000.00
- 3.श्री मुन्ना यादव के घर होते हुए बरम्ह बाबा के स्थान तक चकबन्द का कार्य रूपया 4000.00
- 4.गया बिन के घर से शुकश्री बिन के घर तक चकबन्द कार्य रूपया 4000.00
- 5.शम्भू गुप्ता के घर से चंद्रीका राजभार के घर तक चकबन्द सी सी रोड और नाली निर्माण कार्य पर रूपया 4000.00

प्रस्तर- 36

मनरेगा के अतर्गत निम्नलिखित पक्का कार्य कराये गये हैं जिसपर कुल ₹0 688509.00 का व्यय हुआ परन्तु किसी भी कार्य पर मिस्त्री को मजदूरी देना वेबसाइट पर दर्ज नहीं है जो कार्यों में गंभीर अनियमितता प्रदर्शित करता है क्योंकि बिना मिस्त्री के ये कार्य नहीं कराये जा सकते तथा अकुशल मजदूर पक्का कार्य नहीं कर सकते अतः इसके लिये प्रधान श्री अजय कुमार ,सचिव श्री अनिल कुमार यादव, तकनीकी सहायक तथा कार्यक्रम अधिकारी जिम्मेवार है आवश्यक अनुशासनात्मक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

- 1.श्री अनवेश कुमार के दरवाजे पर पशु शेड निर्माण कार्य पर सामग्री रूपया 47247 का जबकि मजदूरी रूपया 4623 दिया गया मिस्त्री को रूपया शुन्य दिया गया
- 2.ज्ञानेन्दर चैबे के दरवाजे के पास पशु शिड निर्माण पर सामग्री रूपया 47249 का बकि मजदूरी रूपया 4623 का व्यय हुआ मिस्त्री को रूपया शुन्य दिया गया
- 3.श्री बब्बन भर के घर से श्रीकांत के घर तक पेवारस कार्य पर सामग्री रूपया 143362 का जबकि मजदूरी रूपया 16482 का व्यय हुआ मिस्त्री को रूपया शुन्य दिया गया
- 4.छेराम भर के घर से संजीव राजभर के घर तक पेवारसकार्य पर सामग्री रूपया 139386 का जबकि मजदूरी जबकि रूपया 4221 का व्यय हुआ मिस्त्री को रूपया शुन्य दिया गया
- 5.श्री बबलू बिन के घर से नई बस्ती में खण्डजा का कार्य पर सामग्री रूपया 85041 का जबकि रूपया 20904 का व्यय हुआ मिस्त्री को रूपया शुन्य दिया गया
- 6.शम्भू गुप्ता के घर से चंद्रीका राजभर के घर तक सी सी रोड और नाली निर्माण पर सामग्री रूपया 161100 का जबकि मजदूरी रूपया 14271 का व्यय हुआ मिस्त्री को रूपया शुन्य दिया गया

21.ग्राम पंचायत का नाम - अजोरपुर

विकास खण्ड - हनुमानगंज

प्रस्तर-37

मनरेगा के अतर्गत दिनांक 29-5-2020 को संतोष राय का पशुवाडा निर्माण पर ₹0 50175.00 का व्यय हुआ जिसमें ₹0 45351 सामग्री पर तथा ₹0 4824.00 अकुशल मजदूर को दिया गया परन्तु यह कार्य बिना मिस्त्री के ही सपन्न हुआ जो गंभीर अनियमितता प्रदर्शित करता है जिसके लिए प्रधान श्री राजेश यादव, सचिव श्री विनोद पाण्डेय तकनीकी अधिकारी जिम्मेवार है आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

22.ग्राम पंचायत का नाम - कपुरी

विकास खण्ड - हनुमानगंज

प्रस्तर-38

दिनांक 21-7-2020 तथा अन्य तिथियों को 14 वाँ वित्त के अन्तर्गत ग्राम पंचायत में लिस्ट में दर्शित स्थानों पर हैण्ड पम्प रिबोर हेतु आईडी संख्या 42578595 से ₹0 192929.00 निर्गत है जिसमें सामग्री हेतु संजय इंटरप्राइजेज को ₹0 116825.00 का भुगतान दिया गया है जबकि ₹0 76104.00 मजदूरी दिया गया परन्तु पंचायत राज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 51/2017/1211/ 33-3-2017 -46/2015 दिनांक 19-6-2017 के इण्डिया मार्क हैण्ड पम्प रिबोर की गाइडलाइन के अनुसार हैण्ड पम्प रिबोर के कार्य को मरम्मत का कार्य मानते हुए अलग-अलग वर्क आईडी तैयार किये जाने के निर्देश दिए गए हैं लेकिन एन निर्देश का पालन नहीं किया जा रहा है अतः कुल ₹0 252570.00 के व्यय में उक्त शासनादेशों का उल्लंघन कर गंभीर अनियमितता की गयी है जिसके लिये प्रधान श्री नन्दलाल और सचिव श्री ठाकुर जी सिंह जिम्मेवार हैं। अनुशासनात्मक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-39

दिनांक 21-7-2020 को हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु ₹0 32015.00 की सामग्री श्री हनुमानजी कन्स्ट्रक्शन को दिया परन्तु मजदूरी नहीं दिया गया, दिनांक 11-8-2020 को छुम पाइप क्रय हेतु ₹0 84800.00 ए के कन्स्ट्रक्शन को परन्तु मजदूरी नहीं दिया गया, दिनांक 20-11-2020 को प्राथमिक विद्यालय कपुरी नम्बर-1 बाउन्ड्रीवाल निर्माण कार्य पर सामग्री हेतु रूपया 219226.00 माँ वैष्णवी इंटरप्राइजेज को दिया गया परन्तु मजदूरी नहीं दिया गया निर्माण स्पष्ट रूप से सरकारी धन ₹0 336041.00 के व्यय में दुरुपयोग किया गया है जिसके लिए प्रधान श्री नन्दलाल और सचिव श्री ठाकुर जी सिंह जिम्मेवार हैं आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

23.ग्राम पंचायत का नाम - कटरिया

विकास खण्ड - हनुमानगंज

प्रस्तर-40

15वाँ वित्त के अन्तर्गत दिनांक 23-12-2020 तथा 25-03-2021 को आईडी संख्या 43545287 से ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर सोखता निर्माण पर सामग्री हेतु क्रमशः ₹0 107447.00 का भुगतान माँ दुर्गा कन्स्ट्रक्शन को तथा ₹0 93000.00 का भुगतान श्री हनुमानजी कन्स्ट्रक्शन को किया गया प्रमाणक उपस्थित रहा परन्तु निर्माण कार्य से सम्बन्धित कोई पत्रावली प्रस्तुत नहीं रहा उक्त कार्य पर मजदूरी नहीं देकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया जिसके लिये प्रधान श्रीमती मंजू देवी सचिव श्री अक्षय लाल राम प्रशासक जिम्मेवार हैं अनुशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-41

पंचायत राज अनुभाग 1 के आदेश संख्या 3-2016/3038/33-1-216 दिनांक 22-11-2016 के बिन्दु अ के अनुसार ग्राम प्रधान का मानदेय ₹0 2500.00 से बढ़ाकर ₹0 3500.00 किया गया जिसका 1. भुगतान ग्राम निधि प्रथम से किया जा रहा है., लेकिन मासिक भुगतान पंजिका का निर्माण नहीं किया जा रहा है, फलस्वरूप आलोच्य वर्ष के साथ ही पूर्व वर्षों में दिए गए मानदेय और बकाया मानदेय की पुष्टि नहीं की जा सकीं दिनांक 12-12-2020 को 15 माह का मानदेय कुल ₹0 63000.00 प्रधान श्रीमती मंजू देवी को न देकर उसके बदले रामनाथ यादव को देकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है जिसके लिये प्रधान श्रीमती मंजू देवी तथा सचिव अक्षयलाल राम जिम्मेवार हैं वसूली किया जाना अपेक्षित है।

24.ग्राम पंचायत का नाम - मिड्डा

विकास खण्ड - हनुमानगंज

प्रस्तर-42

आलोच्य वर्ष में मनरेगा के अन्तर्गत 4 पक्का कार्य है जिसे पर कुल ₹0 581621.00 का व्यय दर्शित है जिसमें सामग्री पर ₹0 540215.00 तथा 41406.00 अकुशल मजदूर को दिया जबकि पेवर्स ब्लाक/पशुशेड बिना मिश्री के निर्माण हो गया जो कार्यों में गंभीर अनियमितता प्रदर्शित हो रही है। जिसके लिए प्रधान श्रीमती श्वेता सिंह सचिव श्री आशुतोष पाण्डेय तकनीकी सहायक तथा कार्यक्रम अधिकारी जिम्मेवार हैं अनुशासनात्मक कार्यवाही अपेक्षित है।

1. लक्ष्मण प्रसाद के डेरा वन में पशु शेड का निर्माण कार्य पर सामग्री पर ₹0 46277.00 तथा मजदूरी पर ₹0 11256.00
2. शिवनाथ भर के घर के पास पुल से जयप्रकाश के हाटा तक पेवर्स ब्लॉक कार्य पर सामग्री पर रूपया 157744 तथा मजदूरी पर रूपया 10854
3. जयप्रकाश के हाटा से नंद जी भारती के घर तक पेवर्स कार्य पर सामग्री पर रूपया 166342 तथा मजदूरी पर रूपया 11055
4. अशोक सिंह के मकान से मनोज सिंह के घर तक पेवर्स कार्य पर सामग्री पर रूपया 169852 तथा मजदूरी पर रूपया 8241 इन कार्यों पर मिस्त्री को कोई मजदूरी नहीं दी गयी है

25. ग्राम पंचायत का नाम - बोडिया

विकास खण्ड - हनुमानगंज

प्रस्तर-43

मनरेगा के अन्तर्गत निम्नलिखित पक्का कार्य (साइन बोर्ड) कराये गये जिसपर कुल व्यय ₹0 440460.00 हुआ परन्तु बिना मिस्त्री के यह निर्माण कार्य कराया गया जबकि अकुशल मजदूर पक्का कार्य नहीं कर सकते निश्चित ही कार्य में गंभीर अनियमितता की गयी जिसके लिये प्रधान श्री बृजमोहन सचिव श्री प्रमचंद्र तकनीकी सहायक तथा कार्यक्रम अधिकारी जिम्मेवार है आवश्यक अनुशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है इसके अतिरिक्त 4 सम्पन्न कार्यों के सापेक्ष साइन बोर्ड हेतु ₹0 16000.00 का भुगतान मा गंगा महिला सीएचजी धरहरा को दिया गया परन्तु मनरेगा के वेबसाइट पर अपलोड नहीं है जो अनियमितता प्रदर्शित करता है क्योंकि इसमें तीन कार्य पशु शेड निर्माण का है स्पष्टीकरण अपेक्षित है।

1. ग्राम पंचायत बोडिया में सामुदायिक स्थायी गौवंश आश्रय हेतु भुसा घर का निर्माण कार्य पर ₹0 316857.00 सामग्री पर व्यय हुआ जिसमें सामग्री पर ₹0 223560.00 पेमेंट आलोच्य वर्ष में हुआ जबकि ₹0 93275.00 का भुगतान गत वर्ष में हो चुका है यहां सिर्फ अकुशल मजदूरों द्वारा कार्य किया गया है तथा 66794.00 मजदूरी दिया गया मिस्त्री द्वारा कोई कार्य नहीं।
2. लक्ष्मीना का पशुशेड पर ₹0 45409.00 तथा मजदूरी ₹0 4824.00।
3. प्रेमचन्द राजभर पुत्र नागेश्वर का पशु शेड निर्माण पर ₹0 46179.00 तथा मजदूरी ₹0 1206.00।
4. सतेंदर पुत्र रामायण यादव का पशु शेड निर्माण पर ₹0 46179.00 तथा मजदूरी ₹0 1809.00।
5. सरकारी टिडबल से सती सटन तक मिट्टी छाकबन कार्य पर साइनबोर्ड पर ₹0 4500.00।

26. ग्राम पंचायत का नाम - चेरुडियां

विकास खण्ड - हनुमानगंज

प्रस्तर-44

दिनांक 15-12-2020 को हैण्ड पम्प रिबोर हेतु ₹0 108463.00 का भुगतान हनुमानजी कन्स्ट्रक्शन को किया गया है परन्तु मजदूरी नहीं दी गई दिनांक 15-12-2020 को प्राथमिक विद्यालय में कायाकल्प योजना के अन्तर्गत टाइल्स लगाने हेतु ₹0 216076.00 का भुगतान हनुमानजी कन्स्ट्रक्शन को किया गया परन्तु मजदूरी नहीं दी गई उक्त तिथि को ही उच्च प्राथमिक विद्यालय में टाइल्स लगाने हेतु सामग्री के लिए ₹0 216443.00 का भुगतान हनुमान जी कन्स्ट्रक्शन को किया गया परन्तु मजदूरी नहीं दी गई इसके अतिरिक्त दिनांक 11-10-2020 को 15 वा वित्त के अन्तर्गत दिनांक 11-10-2020 तथा अन्य तिथियों में हैण्ड पम्प रिबोर हेतु कुल 117370.00 का भुगतान हनुमान जी कन्स्ट्रक्शन को किया गया परन्तु मजदूरी नहीं दी गई दिनांक 22-12-2020 को हरिराम यादव के घर से बबन चौधरी के घर तक ढक्कन सहित नाली निर्माण पर सामग्री हेतु हनुमान जी कन्स्ट्रक्शन को ₹0 164480.00 का भुगतान किया गया परन्तु मजदूरी नहीं दी गई दिनांक 22-12-2020 को आर सीसी रोड से आनन्द के घर तक पेवर्स ब्लॉक निर्माण पर कुल ₹0 213305.00 का भुगतान हनुमान जी कन्स्ट्रक्शन का सामग्री के लिए किया गया परन्तु मजदूरी नहीं दिया गया अतः स्पष्ट है कि कार्यों पर सामग्री क्रय कर तथा मजदूरी न देकर सरकारी धन ₹0 1036337.00 का दुरुपयोग किया गया जिसके लिए प्रधान श्रीमती मुन्ना देवी तथा सचिव श्री ज्ञान प्रकाश जिम्मेवार है आवश्यक कार्यवाही तथा विभागीय जाँच किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर- 45

दिनांक 29-09-2020 को प्रधान का मानदेय रूपया 56000 का भुगतान प्रधान श्रीमति मुन्नी के जगह किसी दुसरे (रमेश यादव) को कर अनियमितता कि गयी है क्योंकि प्रधान का मानदेय प्रधान को किया जाना अनुमन्य है जिसके लिए प्रधान श्रीमती मुन्ना देवी तथा सचिव श्री ज्ञान प्रकाश जिम्मेवार है आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है

27.ग्राम पंचायत का नाम - दरामपुर

विकास खण्ड - हनुमानगंज

प्रस्तर-46

निम्नलिखित कार्य के सापेक्ष शिलापट्ट स्थापना पर रू0 28000.00 व्यय दर्शित है परन्तु मनरेगा वेबसाइट पर उक्त फोटोग्राफ अपलोड नहीं है जो सरकारी धन के व्यय में गंभीर अनियमितता प्रदर्शित करता है क्योंकि कार्य के सापेक्ष शिलापट्ट स्थापना की गयी अथवा नहीं संदिग्ध रहा जिसके लिये प्रधान श्रीमती अनीता राम तकनीकी सहायक तथा कार्यक्रम अधिकारी/प्रशासक जिम्मेवार है आवश्यक अनुशासनिक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है क्योंकि ये सारे बिल का पेमेन्ट दिनांक 27-03-2021 को प्रशासक द्वारा किया गया।

- 1.रामाशंकर राय के खेत से प्रवेश मिश्रा के खेत तक कच्ची नाली का कार्य पर रूपया 4000.00
- 2.मेन रोड से सौर ऊर्जा पुरीफायर तक मिट्टी भराई और चकबन्द का कार्य पर रूपया 4000.00
- 3.जीट राय के दरवाजे से दीय पासवान के दरवाजे तक बंधी निर्माण व चकबन्द कार्य पर रूपया 4000.00
- 4.मेन रोड से शिव मंदिर के दरवाजे तक सफाई डोम मिट्टी भराई पर रूपया 4000.00
- 5.बांधे से छट पुजा घाट तक चकबन्द कार्य पर रूपया 4000.00
- 6.रामाशंकर राय के टुबेल से बगीचे तक पक्की नाली के दोनो तरफ मिट्टी कार्य पर रूपया 4000.00
- 7.पीपाल पेनड नाडी कीनरे बनड कटन रपकेन होते मिट्टी भराई कार्य पर रूपया 4000.00

28.ग्राम पंचायत का नाम - बहेरी

विकास खण्ड - हनुमानगंज

प्रस्तर-47

दिनांक 27-6-2020 को प्रधान को मानदेय रू0 56000.00 माह फरवरी 2019 से मई 2020 तक दिनांक 8-9-2020 को मानदेय रू0 10500.00 माह जून 2020 से अगस्त 2020 तक, दिनांक 12-11-2020 को सितम्बर तथा अक्टूबर का मानदेय रू0 7000.00 तथा दिनांक 14-12-2020 को मानदेय रू0 10500.00 माह सितम्बर से नवम्बर 2020 तक दिया गया कुल मानदेय रू0 84000.00 दिया गया परन्तु माह सितम्बर तथा अक्टूबर का मानदेय दुबारा लिया गया है सम्पूर्ण मानदेय प्रधान पति सगीर खान को भुगतान किया गया है जो गंभीर अनियमितता का द्योतक है। अतः रू0 77000.00 केव्यय में गंभीर अनियमितता की गयी है जिसके लिए प्रधान तथा सचिव जिम्मेवार है अतः रू0 7000.00 की वसूली प्रधान श्रीमती अनीता तथा सचिव ओमप्रकाश चौहान से किया जाना अपेक्षित है तथा शेष रू0 77000.00 के व्यय में गंभीर अनियमितता की गयी है विभागीय तथा अनुशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-48

राज्य वित्त अन्तर्गत दिनांक 16-6-2020 को आई डी संख्या 29639443 से जैनुद्दीन के घर से चुनु राईन के घर तक इंटरलाकिंग कार्य (यह कार्य गत वर्ष के कार्ययोजना में था) हेतु रू0 142000.00 का भुगतान श्री हनुमाजी कन्स्ट्रक्शन को दिया गया परन्तु मजदूरी न देकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया जिसके लिए प्रधान श्रीमती अनीता तथा सचिव ओमप्रकाश चौहान जिम्मेवार है विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

29.ग्राम पंचायत का नाम - जैदोपुर

विकास खण्ड - हनुमानगंज

प्रस्तर-49

दिनांक 17.04.2020 को ग्राम पंचायत के राज्य बित् खाता इंडियन बैंक शाखा बांसडीह A/c 50044692226 से ₹0 245126.00 आहरित है मूल कैशबुक में सिर्फ जैदोपुर में प्रवेश द्वार निर्माण कार्य पर श्री हनुमान इंटरप्राइजेज को भुगतान दिखाया गया है जबकि आनलाइन कैशबुक में सिर्फ मैटेरिअल अंकित है कार्य का विवरण अंकित नहीं रहा तथा किसे भुगतान किया गया विवरण देखने को नहीं मिला उक्त भुगतान की पुष्टि में बिल वाउचर कार्य में प्रयुक्त मस्टररोल एवम् मजदूरी के भुगतान से सम्बन्धित प्रमाणक, कार्य की पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे भुगतान की गयी धनराशि की प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं की जा सकी अतः भुगतान की गयी धनराशि ₹0 245126.00 अपहरित है अपहरित धनराशि की वसूली प्रधान श्रीमती मुन्नी देवी एवम् सचिव श्री पवन कुमार यादव से बराबर-बराबर सव्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।

30.ग्राम पंचायत का नाम - छितौनी

विकास खण्ड - हनुमानगंज

प्रस्तर-50

दिनांक 17.04.2020 को ग्राम पंचायत के राज्य बित् खाता इंडियन बैंक शाखा बांसडीह A/c 50044692941से निम्न आहरित है

दिनांक	वाउचर(मूल कैशबुक के अनुसार)	धनराशि ₹0	किसको भुगतान	कार्य का नाम
17-04-2020	v-1	35269.00	प्रभा देवी ईट भट्टा	कोई विवरण नहीं आनलाइन ,आंफलाइन कैश बुक में
17-04-2020	v-2	28211.00	रुद्र इंटरप्राइजेज	„
17-04-2020	v-3	114688.00	परमहंस बाबा इंटरप्राइजेज	„
18-04-2020	v-4	50610.00	वैजनाथ ईट भट्टा	„
	योग-	228778.00		

उक्त सामग्री क्रय की पुष्टि में कोई भी बिल वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं नहीं किया गया अतः बिना प्रमाणक एवं निर्माण कार्य पत्रावली के धनराशि का अपहरण सचिव एवम् प्रधान द्वारा कर लिया गया है उक्त इाहरित/खर्च की गयी धनराशि ₹0 228778.00 की वसूली प्रधान श्री सर्वजीत एवम् सचिव पवन कुमार यादव से बराबर-बराबर सव्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।

31.ग्राम पंचायत का नाम - गजियापुर

विकास खण्ड - दुबहड़

प्रस्तर-51

आलोच्य वर्ष में राज्य वित्त/केन्द्रीय वित्त मद में आॅनलाइन कैशबुक/ईस्वराज पोर्टल पर फीडिंग के अनुसार ग्राम पंचायत का पूरे वर्ष कुल व्यय ₹0 1207457.00 (राज्य वित्त =488879.00 तथा केन्द्रीय वित्त=718578.00) रहा,जिसकी पुष्टि में सामग्री क्रय का बिल/वाउचर, कैश मेमो, फर्म का लाइसेंस, क्रय आदेश कोटेशन/टेन्डर,फाइल, मस्टररोल,एस्टीमेट, एम.बी.कार्यपति,प्रमाणपत्र, प्रशासनिक/ तकनीकी/ वित्तीय स्वीकृति आदेश कार्य का नक्शा, फोटोग्राफ, मानदेय रजिस्टर, निर्माण कार्य रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर स्टॉक रजिस्टर इत्यादि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, अभिलेख प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में सम्बन्धित सचिव को ए.डी.ओ. (पंचायत) के माध्यम से दिनांक 26-09-2021,04-10-2021,26-3-2022 तथा 30-3-2021 को पत्र दिया गया था, परन्तु अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। अस्तु खर्च की पुष्टि नहीं कि जा सकी। बिना प्रमाणक के लेखा मैनुअल अध्याय-8 पैरा-8(क) के तहत खर्च की धनराशि अपहरित है। कुल भुगतानित/खर्च की गयी धनराशि में से ₹0 282937.00 की वसूली प्रधान श्रीमती गायत्री देवी एवम् सचिव श्री धन्नजय सिंह से आधी-आधी तथा शेष धनराशि (924520.00)प्रशासक श्री पन्नलाल यादव एवम् श्री धन्नजय सिंह से सयुक्त रूप से आधी -आधी की जानी अपेक्षित है। विभागी उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

32.ग्राम पंचायत का नाम - नगवा

विकास खण्ड - दुबहड़

प्रस्तर-52

आलोच्य वर्ष में राज्य वित्त मद में/केन्द्रीय वित्त मद में आॅनलाइन कैशबुक/ईस्वराज पोर्टल पर फीडिंग के अनुसार ग्राम पंचायत का पूरे वर्ष कुल व्यय ₹0 3540723.00 (राज्य वित्त=1887817.00 तथा केन्द्रीय वित्त=1652906.00) रहा, जिसकी पुष्टि में सामग्री क्रय का बिल/वाउचर, कैश मेमो, फर्म का लाइसेंस, क्रय आदेश कोटेशन/टेन्डर फाइल मस्टररोल, एस्टीमेट, एम.बी, कार्यपति प्रमाण पत्र, प्रशासनिक/तकनीकी/वित्तीय स्वीकृति आदेश कार्य का नक्शा, फोटोग्राफ, मानदेय रजिस्टर, निर्माण कार्य रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर स्टॉक रजिस्टर इत्यादि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, अभिलेख प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में सम्बन्धित सचिव को ए.डी.ओ. (पंचायत) के माध्यम से दिनांक 25-09-2021, 10-12-2021 तथा 26-3-2022 को पत्र दिया गया था, परन्तु अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। अस्तु खर्च की पुष्टि नहीं कि जा सकी। बिना प्रमाणक के लेखा मैनुअल अध्याय-8 पैरा-8(क) के तहत खर्च की धनराशि अपहरित है। कुल भुगतानित/खर्च की गयी धनराशि में से ₹0 2504311.00 की वसूली प्रधान श्रीमती मीरा पाठक एवम् सचिव श्री हिमाशु चौबे तथा शेष धनराशि 1036412.00 प्रशासक श्री सचिन भारती एवम् सचिव हिमाशु चौबे से सयुक्त रूप आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। विभागी उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

33.ग्राम पंचायत का नाम - सलेमपुर

विकास खण्ड – दुबहड़

प्रस्तर-53

आलोच्य वर्ष में राज्य वित्त मद में/केन्द्रीय वित्त मद में आनलाइन कैशबुक/ईस्वराज पोर्टल पर फीडिंग के अनुसार ग्राम पंचायत का पूरे वर्ष कुल व्यय ₹0 1302654.00 (राज्य वित्त=998133.00 तथा केन्द्रीय वित्त=304521.00) रहा, जिसकी पुष्टि में सामग्री क्रय का बिल/वाउचर, कैश मेमो, फर्म का लाइसेंस, क्रय आदेश कोटेशन/टेन्डर फाइल मस्टररोल, एस्टीमेट, एम.बी, कार्यपति प्रमाण पत्र, प्रशासनिक/तकनीकी/वित्तीय स्वीकृति आदेश कार्य का नक्शा, फोटोग्राफ, मानदेय रजिस्टर, निर्माण कार्य रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर स्टॉक रजिस्टर इत्यादि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, अभिलेख प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में सम्बन्धित सचिव को ए.डी.ओ. (पंचायत) के माध्यम से दिनांक 10-12-2021, 26-3-2022 तथा 30-3-2022 को पत्र दिया गया था, परन्तु अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। अस्तु खर्च की पुष्टि नहीं कि जा सकी। बिना प्रमाणक के लेखा मैनुअल अध्याय-8 पैरा-8(क) के तहत खर्च की धनराशि अपहरित है। कुल भुगतानित/खर्च की गयी धनराशि में से ₹0 1220890.00 की वसूली प्रधान श्री कल्मुददीन एवम् सचिव श्री धन्नजय सिंह तथा शेष धनराशि 81764.00 में से प्रशासक श्री पन्नालाल यादव एवम् सचिव धन्नजय सिंह से सयुक्त रूप आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। विभागी उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

34.ग्राम पंचायत का नाम - सोनपुर कला

विकास खण्ड – दुबहड़

प्रस्तर-54

आलोच्य वर्ष में राज्य वित्त/केन्द्रीय वित्त मद में आनलाइन कैशबुक/ईस्वराज पोर्टल पर फीडिंग के अनुसार ग्राम पंचायत का पूरे वर्ष कुल व्यय ₹0 946818.00 (राज्य वित्त ₹0 416505.00 तथा केन्द्रीय वित्त ₹0 730134.00) रहा, जिसकी पुष्टि में सामग्री क्रय का बिल/वाउचर, कैश मेमो, फर्म का लाइसेंस, क्रय आदेश कोटेशन/टेन्डर फाइल मस्टररोल, एस्टीमेट, एम.बी, कार्यपति प्रमाण पत्र, प्रशासनिक/तकनीकी/वित्तीय स्वीकृति आदेश कार्य का नक्शा, फोटोग्राफ, मानदेय रजिस्टर, निर्माण कार्य रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर स्टॉक रजिस्टर इत्यादि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, अभिलेख प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में सम्बन्धित सचिव को ए.डी.ओ. (पंचायत) के माध्यम से दिनांक 02-12-2021 तथा 26-3-2021 को पत्र दिया गया था, परन्तु अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। अस्तु खर्च की पुष्टि नहीं कि जा सकी। बिना प्रमाणक के लेखा मैनुअल अध्याय-8 पैरा-8(क) के तहत खर्च की धनराशि अपहरित है। 721588.00 भुगतानित/खर्च की गयी धनराशि की वसूली प्रधान श्रीमती रानी देवी एवम् सचिव श्री धन्नजय सिंह तथा 225230.00 की धनराशि में से तत्कालीन प्रशासक श्री पन्नालाल यादव एवम् सचिव धन्नजय सिंह से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। विभागी उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

35.ग्राम पंचायत का नाम - सरयां

विकास खण्ड – दुबहड़

प्रस्तर-55

आलोच्य वर्ष में राज्य वित्त/केन्द्रीय वित्त मद में ऑनलाइन कैशबुक/ईस्वराज पोर्टल पर फीडिंग के अनुसार ग्राम पंचायत का पूरे वर्ष कुल व्यय ₹0 2891871.00 (राज्य वित्त=2279274.00 तथा केन्द्रीय वित्त= 612597) रहा, जिसकी पुष्टि में सामग्री क्रय का बिल/वाउचर, कैश मेमो, फर्म का लाइसेंस, क्रय आदेश कोटेशन/टेन्डर फाइल मस्टररोल, एस्टीमेट, एम.बी, कार्यपति प्रमाण पत्र, प्रशासनिक/तकनीकी/वित्तीय स्वीकृति आदेश कार्य का नक्शा, फोटोग्राफ, मानदेय रजिस्टर, निर्माण कार्य रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर स्टॉक रजिस्टर इत्यादि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, अभिलेख प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में सम्बन्धित सचिव को ए.डी.ओ. (पंचायत) के माध्यम से दिनांक 02-12-2021, 10-12-2022 तथा 26-3-2022 को पत्र दिया गया था, परन्तु अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। अस्तु खर्च की पुष्टि नहीं कि जा सकी। बिना प्रमाणक के लेखा मैनुअल अध्याय-8 पैरा-8(क) के तहत खर्च की धनराशि अपहरित है। कुल भुगतानित/खर्च की गयी धनराशि में से ₹0 2561585.00 की वसूली प्रधान श्री विनोद कुमार सिंह एवम् सचिव श्री धन्नजय सिंह तथा शेष धनराशि 330286.00 प्रशासक श्री पन्नालाल यादव एवम् सचिव धन्नजय सिंह से संयुक्त रूप से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। विभागी उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

36. ग्राम पंचायत का नाम - जनाड़ी

विकास खण्ड – दुबहड़

प्रस्तर-56

आलोच्य वर्ष में राज्य वित्त/केन्द्रीय वित्त मद में ऑनलाइन कैशबुक/ईस्वराज पोर्टल पर फीडिंग के अनुसार ग्राम पंचायत का पूरे वर्ष कुल व्यय ₹0 2728986.00 (राज्य वित्त =1462253.00 तथा केन्द्रीय वित्त =1266733.00) रहा, जिसकी पुष्टि में सामग्री क्रय का बिल/वाउचर, कैश मेमो, फर्म का लाइसेंस, क्रय आदेश कोटेशन/टेन्डर फाइल मस्टररोल, एस्टीमेट, एम.बी, कार्यपति प्रमाण पत्र, प्रशासनिक/तकनीकी/वित्तीय स्वीकृति आदेश कार्य का नक्शा, फोटोग्राफ, मानदेय रजिस्टर, निर्माण कार्य रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर स्टॉक रजिस्टर इत्यादि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, अभिलेख प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में सम्बन्धित सचिव को ए.डी.ओ. (पंचायत) के माध्यम से दिनांक 25-09-2021, 10-12-2021 तथा 26-3-2022 को पत्र दिया गया था, परन्तु अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। अस्तु खर्च की पुष्टि नहीं कि जा सकी। बिना प्रमाणक के लेखा मैनुअल अध्याय-8 पैरा-8(क) के तहत खर्च की धनराशि अपहरित है। कुल भुगतानित/खर्च की गयी धनराशि की वसूली प्रधान श्री घनश्याम पाण्डेय एवम् सचिव श्री हिमांशु चौबे तथा प्रशासक श्री सचिन भारती संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है। विभागी उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

37 .ग्राम पंचायत का नाम - बलिहार

विकास खण्ड – बैरिया

प्रस्तर-57

दिनांक 25-03-2021 को मनरेगा वेबसाइट पर दर्शित वर्णन के अनुसार अन्तर्गत मठिया के कोने से धनजय मिश्र के जमीन तक इंटरलाकिंग कार्य पर कुल व्यय ₹0 168162.00 में सामग्री हेतु ₹0 167358.00 का भुगतान खूशी कन्स्ट्रक्शन को दिया गया जबकि मजदूरी ₹0 804.00 दिया गया (चार मजदूरों द्वारा सिर्फ एक दिन ही कार्य किया गया है) जिसमें मिस्त्री को कोई भुगतान नहीं है तथा आगामी वर्ष में भी अतिरिक्त मजदूरी नहीं देकर गंभीर अनियमितता की गयी है (जबकि वेबसाइट पर फीड एस्टीमेट के अनुसार कुल लागत ₹0 193000.00 था जबकि सामग्री पर ₹0 175000.00 तथा मजदूरी पर 18000.00 दिया जाना था) जिसके लिये प्रशासक सचिव श्री योगेश चौबे तकनीकी सहायक तथा कार्यक्रम अधिकारी जिम्मेवार है आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही अपेक्षित है।

38. ग्राम पंचायत का नाम - कोटवां

विकास खण्ड – बैरिया

प्रस्तर-58

दिनांक 22-12-2020 को 15 वित्त के अन्तर्गत आई डी संख्या 41519413 से 6 हैण्ड पम्प रिबोर हेतु ₹0 193097.00 की सामग्री हेतु अभय नारायण को निर्गत है परन्तु पंचायत राज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 51/2017/121/33-3-2017 दिनांक 19-06-2017 के इण्डिया मार्क हैण्ड पम्प रिबोर की गाइडलाइन के अनुसार हैण्ड पम्प रिबोर के कार्य को मरम्मत का कार्य मानते हुए अलग-अलग वर्क आईडी तैयार किये जाने के निर्देश दिए गए हैं लेकिन एन निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है इसके अतिरिक्त पंचायत राज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 51/2017/121/33-3-2017 दिनांक 19-06-2017 के इण्डिया मार्क हैण्ड पम्प रिबोर की गाइडलाइन के अनुसार हैण्ड पम्प रिबोर के सन्दर्भ में जल निगम की प्रतीक्षा सूची और जल निगम की माग दशिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही तकनीकी अनुश्रवण का कार्य जे ई एम आई/आर ईडी/मंडी परिषद/जिला पंचायत/डी एम के द्वारा नामित अधिकारी के द्वारा किया जायेगा साथ ही कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु जीपीडीपी के अन्तर्गत जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण की पत्रावली प्रस्तुत न रहते के कीरण गाइडलाइन के पालन की स्थिति अज्ञात रही अतः कुल ₹0 193097.00 के व्यय में उक्त शासनादेशों का उल्लंघन कर गंभीर अनियमितता की गयी है जिसके लिये प्रधान श्रीमती जानकी दुलारी देवी और सचिव श्री जगनारायण यादव जिम्मेवार है अनुशासनात्मक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर- 59

मनरेगा के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यकाल के समाप्त होने के बाद प्रशासनिक के द्वारा कराया गया जिस पर कुल ₹0 72852.00 व्यय हुआ इनक कार्यों की उच्चस्तरीय जाँच किया जाना अपेक्षित है त्रिस्तरीय चुनाव के तारीख की घोषणा के पश्चात् इन कार्यों का निष्पादन संदिग्ध प्रतीत होता है जाचोपरन्त सम्बन्धित परविभागीय कार्यवाही अपेक्षित है दो पक्का कार्य पर मिस्त्री के बिना करा कर गंभीर अनियमितता करी गयी है क्योंकि सोकपिट तथा पशु शेड का निर्माण मिस्त्री के बिना संभव नहीं है। जिसके लिए सचिव तकनीकी सहायक, कार्यक्रम अधिकारी/प्रशासक जिम्मेवार है विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

39.ग्राम पंचायत का नाम - चाईछपरा

विकास खण्ड – बैरिया

प्रस्तर-60

पन्द्रहवां/केन्द्रीय वित्त के अन्तर्गत दिनांक 7-10-2020 को आईडी संख्या 41930062 से ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु सामग्री के लिये खुशी कन्स्ट्रक्शन को कुल ₹0 158170.00 का भुगतान किया गया व्यय प्रमाणक तो उपलब्ध रहा परन्तु सम्बन्धित पत्रावली (तकनीकी तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित) फोटो इत्यादि नहीं दिया आलोच्य वर्ष में अकुशल मजदूर तथा मिस्त्री को मजदूरी ₹0 40946.00 दिया गया कार्य की जाँच किया जाना अपेक्षित है क्योंकि गत वर्ष एक दूसरे आई.डी. 21179554 से दिनांक 25-3-2020 को ₹0 121600.00 का भुगतान सामग्री हेतु हुआ अतः उक्त के अलोक में सक्की धन ₹0 199116.00 के व्यय में गंभीर अनियमितता की गयी है जिसके लिए प्रधान श्रीमती सुनीता तथा सचिव श्री नागेन्द्र यादव जिम्मेवार है आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर- 61

राज्य वित्त के अन्तर्गत दिनांक 06-09-2020 दो आई.डी. संख्या 41932176 से पुराने बंधे से आर सी.सी. रोड तक मिट्टी खडन्जा कार्य में अवशेष मजदूरी ₹0 22110 दिया गया परन्तु उक्त आई.डी. पर सामग्री का भुगतान नहीं हुआ अतः बिना सामग्री क्रय किये मजदूरी दे कर धन अपहरण किया गया है जिसके लिए प्रधान श्रीमती सुनीता तथा सचिव श्री नागेन्द्र यादव जिम्मेवार है वसूली अपेक्षित है गत वर्ष में भी दूसरे आई.डी. पर मजदूरी का भुगतान दर्शित है।

प्रस्तर- 62

राज्य, 15वाँ वित्त के अन्तर्गत दिनांक 07-11-2020 को आई.डी. संख्या 7442604 तथा 41929571 से हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु सामग्री ₹0 59450.00, 114080.00 का भुगतान खुशी कन्स्ट्रक्शन को किया गया है सम्बन्धित प्रमाणक प्रस्तुत रहें परन्तु मजदूरी का मस्टर रोल प्राप्त नहीं रहा अतः लाभधियों के द्वारा हैण्ड पम्प के खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग सम्बन्धि कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया

जिसके अभाव में यह जानकारी न हीं सकी कि किन स्थलों के हैण्ड पम्प खराब थे जिन पी उपयुक्त धनराशि का व्यय सामग्री खरीद के लिए किया गया उपयुक्त के अभाव में पंचायत राज अनुभाग 3 के आदेश संख्या 27/2017/662/33-3-2017-46/2015 दिनां 12-4-2017 के अनुसार अस्थयी खराबी को तीन दिन के अन्दर दूर किया जाना अनिवार्य है अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के निदेश है का पालन किया गया है नहीं की जाँच नहीं की जा सकी डेड स्टॉक की स्थिति अज्ञात रही स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं रहा नलकूप विभाग से उपभोग प्रमाण पत्र/दन.ओ.सी. निर्ग नहीं है अतः ₹0 173530.00 के व्यय में उक्त शासनादेशों का उल्लंघन कर तथा मजदूरी न देकर गंभीर अनियमितता की गयी है कजसे लिये प्रधान श्रीमती सुनीता तथा सचिव श्री नागेन्द्र यादव जिम्मेवार है अनुशासनात्मक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर- 63

दिनांक 10-11-2020 को 15वा वित्त के अन्तर्गत सामुदायिक शोचालय स्थल पर पानी टंकी हैण्ड पम्प इत्यादि हेतु खुशी कन्स्ट्रक्शन को ₹0 46500.00 का भुगतान किया गया परन्तु उक्त कार्य पर मजदूरी न देकर धन का दुरुपयोग किया गया जिसके लिए प्रधान श्रीमती सुनीता तथा सचिव श्री नागेन्द्र यादव जिम्मेवार है विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर- 64

मनरेगा के अन्तर्गत दिनांक 3-3-2021 तथा अन्य तिथियों को ग्राम पंचायत में बहुदेशीय पंचायत भवन के निर्माण हेतु आलोच्य वर्ष में ₹0 537916.00 सामग्री हेतु खुशी कन्स्ट्रक्शन को भुगतान है जबकि बहुदेशीय पंचायत भवन के निर्माण की लागत ₹0 967000.00 है जिसके सापेक्ष 95% सामग्री पर व्यय किया जा चुका है मनरेगा के मस्टर रोल अनुसार कार्य दिनांक 03-03-2021 को प्रारम्भ हुआ जबकि मजदूरी मनरेगा कन्वर्जेंस के अन्तर्गत आलोच्य वर्ष में अकुशल मजदूरों को मजदूरी ₹0 24321.00 दिया गया जो कुल मजदूरी के 10% से भी कम है इसके अतिरिक्त मिस्त्री के बिना कोई निर्माण कार्य संभव नहीं है अतः बिना कुशल मजदूर के कार्य करा कर ₹0 562237.00 के व्यय में गंभीर अनियमितता की गयी है जिसके लिए सचिव श्री नागेन्द्र यादव प्रशासक तकनीकी सहायक तथा कार्यक्रम अधिकारी जिम्मेवार है आवश्यक विभागीय कार्यवाही आवश्यक है।

40.ग्राम पंचायत का नाम – मानगढ़

विकास खण्ड – बैरिया

प्रस्तर-65

राज्य/ चौदहवें वित्त के अन्तर्गत दिनांक 30-06-2020 को आई.डी. संख्या 433349791 तथा दो अन्य आई.डी से ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु सामग्री के लिये लवकुश इंटरप्राइजेज को कुल ₹0 182000.00 का भुगतान किया गया जो अनियमितता रहा क्योंकि एक कार्य एक ही आई.डी. से किया जाना अनुमन्य है आलोच्य वर्ष में अकुशल मजदूर तथा मिस्त्री का 9 महीन तक मजदूरी से नहीं देकर उनका आर्थिक शोषण हुआ है जो आपत्तिजनक है अतः सामग्री क्रय कर तथा मजदूरी नहीं देकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है जिसके लिये सचिव श्री राजेंद्र सिंह तथा प्रधान श्रीमती शिव कुमारी देवी जिम्मेवार है विभागीय जाँच किया जाना अपेक्षित है तथा आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-66

राज्य/ चौदहवें वित्त के अन्तर्गत निम्नलिखित तिथियों में सामग्री क्रय कर तथा मजदूरी न देकर सरकारी धन ₹0 206000.00 का दुरुपयोग किया गया जिसके लिये सचिव तथा प्रधान जिम्मेवार है विभागीय जाँच किया जाना अपेक्षित है तथा आवश्यक अनुशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है दिनांक 14-5-2020 को हैण्ड पम्प रिबोर हेतु मेसर्स लवकुश इंटरप्राइजेज को ₹0 60000.00 दिनांक 10-10-2020 को पानी टंकी मरम्मत हेतु मेसर्स लवकुश इंटरप्राइजेज को ₹0 100000.00 दिनांक 05-11-2020 को सामुदायिक शोचालय पर सबमर्सिबल, बिजली फिटिंग हेतु मेसर्स लवकुश इंटरप्राइजेज को ₹0 46000.00 का भुगतान किया गया परन्तु कोई मजदूरी नहीं दिया गया।

प्रस्तर- 67

मनरेगा के अन्तर्गत राज कुमार साहन्नी के घर गोपाल प्रसाद के घर तक इंटर लाकिंग कार्य पर सामग्री रु0 75362.00 जबकि मजदूरी रु0 12864.00 दिया गया पुनः सम्पर्क मार्ग से लेकर राजकुमार साहन्नी के घर तक इंटरलाकिंग कार्य पर सामग्री पर रु0 268686 जबकि मजदूरी 4020.00 दिया गया परन्तु इनकार्यों पर मिस्त्री को कोई मजदूरी नहीं दिया गया बिना मिस्त्री के कार्य करा कर धन रु0 102230.00 के व्यय में गंभीर अनियमितता की गयी है जिसके लिए प्रधान श्रीमती शिव कुमारी देवी सचिव श्री राजेंद्र सिंह तकनीकी सहायक तथा कार्यक्रम अधिकारी जिम्मेवार है आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

41.ग्राम पंचायत का नाम – श्रीकान्तपुर उर्फ नारायणगढ़

विकास खण्ड – बैरिया

प्रस्तर-68

दिनांक 25-12-2020 को आई.डी. संख्या 44984899 से 3 हेण्ड पम्प रिबोर हेतु महादेव कन्स्ट्रक्शन को रु0 97500.00 दिया गया परन्तु मजदूरी नहीं दी गयी दिनांक 02-11-2020 आई.डी. 44994883 से 3 हेण्ड पम्प रिबोर हेतु महादेव कन्स्ट्रक्शन को रु0 57753.00 दिया गया मजदूरी रु0 40400 दी गयी दिनांक 24-11-2020 को आई.डी. सं0 44984891 से 5 हेण्ड पम्प रिबोर हेतु महादेव कन्स्ट्रक्शन को रु0 106000.00 दिया गया जबकि मजदूरी रु0 55510.00 दी गयी इस प्रकार हेण्ड पम्प रिबोर पर कुल 357163.00 व्यय हुआ परन्तु पंचायत राज अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19-6-2017 के इण्डिया मार्क हेण्ड पम्प रिबोर की गाइलाइन के अनुसार हेण्ड पम्प रिबोर के कार्य को मरम्मत का मानते हुए अलग-अलग वर्क आई.डी. तैयार किये जाने के निर्देश दिए हैं लेकिन एन निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है इसके अतिरिक्त पंचायत राजअनुभाग 3 के शासनादेश सं0 51/2017/1211/33-3-2017-46 /2015 दिनांक 19-6-2017 के इण्डिया मार्क हेण्ड पम्प रिबोर की गाइलाइन के अनुसार हेण्ड पम्प रिबोर के सन्दर्भ में जल निगम की प्रतीक्षा सूची और जल निगम की मार्गदर्शिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही, तकनीकी अनुश्रवण का कार्य जे.ई. एमआई/आर ई डी/मंडी परिषद्/जिला पंचायत/डीएम के द्वारा नामित अधिकारी के द्वारा किया जायेगा, साथ ही कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु जी.पी.डी.पी. के अन्तर्गत जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति के निरीक्षण की पत्रावली प्रस्तुत न रहते के कारण गाइलाइन के पालन की स्थिति अज्ञात रही अतः कुल रु0 657163.00 के व्यय में उक्त शासनादेशों का उल्लंघन कर गंभीर अनियमितता की गयी है जिसके लिये प्रधान श्रीमती मालती सिंह सचिव श्री महेंद्र राय जिम्मेवार है अनुशासनात्मक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर- 69

मनरेगा के कैश बुक तैयार नहीं किए गए हैं लेकिन लेखा परीक्षा में सम्बन्धित कार्यों की एम.बी. पत्रावलिया प्रस्तुत नहीं किया गया परन्तु मनरेगा के बेवासाइट से व्यय की पुष्टि की गयी। मनरेगा के अन्तर्गत व्यय की आनलाइन जाच की गई आलोच्य वर्ष में कुल 7 कार्य पर रु0 756966.00 का व्यय अकुशल मजदूर पर हुआ जिसके सापेक्ष 3766 मानव दिवस कार्य हुआ जबकि कोई भी पक्का कार्य नहीं कराये गये जिससे सामग्री मद पर रु0 0.00 व्यय हुआ अतः कुल व्यय रु0 756966.00 हुआ स्टॉक रजिस्टर, अवशेष स्टॉक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा, प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा, जाब कार्ड रजिस्टर लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा जिससे जाब कार्ड धारकों के समानुपातिक रूप से रोजगार पाने की सूचना अप्राप्त रही उक्त के लिये प्रधान श्रीमती मालती सिंह सचिव श्री महेंद्र राय तकनीकी सहायक तथा कार्यक्रम अधिकारी जिम्मेवार है कार्यवाही अपेक्षित है।

42.ग्राम पंचायत का नाम – मधुवनी

विकास खण्ड – बैरिया

प्रस्तर-70

दिनांक 24-12-2020 को आई.डी. संख्या 38181030 से ब्रह्मबाबा केस्थान से जय सिंह के घर तक इंटरलाकिंग हेतु सामग्री के लिए रु0 82000.00 का भुगतान लवकुश इंटरप्राइजेज को भुगतान किया गया परन्तु कार्य के सापेक्ष कोई मजदूरी नहीं दिया गया, दिनांक 24-12-2020 को आई.डी. संख्या 45487525 से प्राथमिक विघलय नुबर 1 के बंगल में इंटरलाकिंग कार्य हेतु सामग्री के लिए रु0 64400.00 का भुगतान लवकुश इंटरप्राइजेज को भुगतान किया गया परन्तु कार्य के सापेक्ष कोई मजदूरी नहीं दिया गया, दिनांक 16-09-2020 को बंटी के घर से जहर मियां के घर तक नाली ढक्कन सहित निर्माण पर मा शारदा कन्स्ट्रक्शन को रु0 48400.00 का भुगतान

किया गया परन्तु कार्य के सापेक्ष कोई मजदूरी नहीं दिया गया दिनांक 16-9-2020 को अम्बेडकर केन्द्र के पास सामुदायिक शौचालय का बाउन्ड्री निर्माण पर मा शारदा कनस्ट्रक्शन को ₹096000.00 का भुगतान किया गया परन्तु कार्य के सापेक्ष कोई मजदूरी नहीं दिया गया स्पष्ट रूप से तीनों कार्यों में सामग्री क्रय कर तथा मजदूरों न देकर सरकारी धन ₹0 290800.00 का दुरुपयोग किया गया है जिसके लिए प्रधान श्रीमती किरण देवी तथा सचिव श्री मिलेश तिवारी जिम्मेवार है आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-71

मनरेगा के कैंसलरी तैयार नहीं किए गए हैं लेकिन लेखा परीक्षा में सम्बन्धित कार्यों की एम.बी. तथा पत्रावलियों प्रस्तुत नहीं किया गया परन्तु मनरेगा के पेबासाइट से व्ययकी पुष्टि की गयी। मनरेगा के अन्तर्गत व्यय की आनलाइन जाँच की गई आलोच्य वर्ष में कुल 33 कार्य पर ₹0 70752.00 का व्यय अकुशल मजदूर पर हुआ जिसके सापेक्ष 352 मानव दिवस कार्य हुआ जबकि कोई भी पक्का कार्य नहीं कराये गये जिससे सामग्री मद पर ₹0 0.00 व्यय हुआ अतः कुल व्यय ₹0 70752.00 हुआ स्टॉक रजिस्टर, अवशेष स्टॉक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा, प्रोजेक्ट कमप्लीशन रिपोर्ट लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा, जाँच कार्ड रजिस्टर लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा जिससे जाब कार्ड धारकों के समानपातिक रूप से रोजगार पाने की सुचना अप्राप्त रही जिसके लिए सचिव श्री मिलेश तिवारी जिम्मेवार है आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

43.ग्राम पंचायत का नाम – विशुनपुर

विकास खण्ड – बैरिया

प्रस्तर-72

दिनांक 19-12-2020 को प्राथमिक विद्यालय विशुनपुरा में टाइल्स निर्माण हेतु ₹0 186790.00 का भुगतान खुशी कन्स्ट्रक्शन को दिया गया परन्तु कार्य हेतु मजदूरी राज्य वित्त से ₹0 7200.00 का भुगतान उक्त फर्म को किया गया जो कार्य में हुए गंभीर अनियमितता का प्रदर्शन करता है जबकि कार्य की पत्रावली फोटो इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा जिसके लिए प्रधान श्रीमती रूबी देवी तथा सचिव श्री नागेन्द्र यादव जिम्मेवार है आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है तथा इस कार्य की उच्चस्तरीय जाँच विभागीय अधिकारी द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर- 73

दिनांक 3-3-2021 को बहुद्वेशी पंचायत भवन का निर्माण प्रारम्भ हुआ उक्त निर्माण की लागत 970000.00 है जबकि आलोच्य वर्ष में सामग्री क्रय हेतु ₹0 537913.00 का भुगतान खुशी कन्स्ट्रक्शन को दिया गया जो सामग्री के लागत का 83% था जबकि आलोच्य वर्ष में मजदूरी मात्र ₹0 4020.00 अकुशल मजदूर को दिया गया जो कुल मजदूरी के 2% से कम था जबकि इस कार्य हेतु कुशल मजदूर को कोई मजदूरी नहीं देकर गंभीर अनियमितता की गई है जिसके लिए सचिव श्री नागेन्द्र यादव प्रशासन तथा कार्यक्रम अधिकारी तकनीकी सहायक जिम्मेवार है अधोलिखित पर अनुशासनात्मक कार्रवाई अनुमन्य है तथा कार्य की जाँच उच्चस्तरीय टीम द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-74

दिनांक 17-9-2020 को हैण्ड पम्प रिबोर पर सामग्री हेतु ₹0 68250.00 का भुगतान खुशी कन्स्ट्रक्शन को किया गया परन्तु रिबोर में होने वाली मजदूरी नहीं दी गया है दिनांक 19-8-2020 को हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु ₹0 15750.00 का भुगतान खुशी कन्स्ट्रक्शन को किया गया परन्तु इस कार्य पर भी मजदूरी नहीं दिया गया अतः स्पष्ट है कि सामग्री क्रयकर तथा मजदूरी न देकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया जिसके लिए प्रधान श्रीमती रूबी देवी तथा सचिव श्री नागेन्द्र यादव जिम्मेवार है अनुशासनात्मक कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-75

राज्य वित्त के अन्तर्गत दिनांक 04-05-2020 को आई.डी. संख्या 21179558 से ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु सामग्री के लिये मेसर्स शांति टेडर्स को कुल ₹0 148632.00 का भुगतान किया गया व्यय

प्रमाणक तो उपलब्ध रहा परन्तु सम्बन्धित पत्रावली (तकनीकी तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित), फोटो इत्यादि नहीं दिया गया आलोच्य वर्ष में अकुशल मजदूर तथा मिस्त्री को मजदूरी रु० 22932.00 दिया गया स्पष्टीकरण अपेक्षित है क्योंकि 2 सीटर सामुदायिक शौचालय निर्माण का एस्टीमेट 1.99 लाख का है जबकि मात्र रु० 148632.00 व्यय है यह गत वर्ष के कार्ययोजना का कार्य था जिसे आलोच्य वर्ष में किया गया है जो गंभीर अनियमितता का प्रकरण है जिसके लिये प्रधान श्रीमती रूबी देवी तथा सचिव श्री नागेन्द्र यादव जिम्मेवार हैं। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

44.ग्राम पंचायत का नाम – गंगापुर

विकास खण्ड – बैरिया

प्रस्तर-76

दिनांक 3-12-2020 को प्राथमिक विद्यालय के हेमंतपुर में टाइल्स निर्माण हेतु 193600.00 का भुगतान मा सुनैना देवी कन्स्ट्रक्शन को किया गया परन्तु इस कार्य की मजदूरी मजदूरों को न देकर सीधे प्रधान श्रीमती मानती देवी को रु० 48000.00 दिया गया जो मिलीभगत करके प्रधान तथा सचिव द्वारा सम्पूर्ण धनराशि रु० 241600.00 का अपहरण कर लिया गया वसूली अपेक्षित है तथा कड़े अनुशासनात्मक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर- 77

1.दिनांक 26-12-2020 को प्राथमिक विद्यालय सुरेनपुर में शौचालय निर्माण हेतु रु० 76000.00 का भुगतान लव कुश इंटरप्राइजेज को किया गया परन्तु इस कार्य की मजदूरी मजदूरों को न देकर रु० 16000.00 का भुगतान सीधे प्रधान को कर सम्पूर्ण धनराशि रु० 92000.00 का अपहरण कर लिया गया जिसके लिए प्रधान श्रीमती मालती देवी तथा सचिव राजेन्द्र सिंह जिम्मेवार हैं, वसूली अपेक्षित है तथा बड़े अनुशासनात्मक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर- 78

दिनांक 26-12-2020 को मेन रोड से लीलावती के घर तक नाली का कार्य हेतु सामग्री के लिये लवकुश इंटरप्राइजेज को रु० 85000.00 का भुगतान किया गया परन्तु कार्य पर मजदूरी मजदूरों को न देकर रु० 26000.00 का भुगतान सीधे प्रधान श्रीमती मानती देवी को कर सम्पूर्ण रु० 111000.00 धनराशि का मिलीभगत करके अपहरण कर लिया गया जिसके लिये लिए प्रधान श्रीमती मानती देवी तथा सचिव राजेन्द्र सिंह जिम्मेवार हैं वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर- 79

दिनांक 26-12-2020 को पी०डब्ल्यू०डी० रोड से रविन्द्र के घर तक नाली निर्माण हेतु रु० 125000.00 का भुगतान लवकुश इंटरप्राइजेज को भुगतान किया गया जबकि पर मजदूरी मजदूरों को न देकर रु० 15000.00 का भुगतान सीधे प्रधान श्रीमती मानती देवी को कर सम्पूर्ण रु० 140000.00 धनराशि का मिलीभगत करके अपहरण कर लिया गया जिसके लिये लिए प्रधान श्रीमती मानती देवी तथा सचिव राजेन्द्र सिंह जिम्मेवार हैं वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर- 80

दिनांक 26-12-2020 को 15 वॉ वित्त के अन्तर्गत ग्राम पंचायत के विभिन्न स्थानों पर नाली क्रास निर्माण कार्य हेतु सामग्री का भुगतान रु० 65000.00 सीधे प्रधान को कर धन का अपहरण कर लिया गया है जिसके लिए प्रधान मानती देवी तथा सचिव श्री राजेन्द्र सिंह जिम्मेवार हैं वसूली अपेक्षित है तथा कड़े अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाने चाहिए।

प्रस्तर- 81

राज्य/ चौदहवें वित्त के अन्तर्गत निम्नलिखित तिथियों में हैण्ड पम्प मरम्मत/रिबोर हेतु सामग्री क्रय किया गया व्यय प्रमाणक प्रस्तुत रहा परन्तु मजदूरी नहीं देकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया जिसके लिये प्रधान तथा सचिव जिम्मेवार हैं अनुशासनिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है दिनांक 21-4-2020 हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु रु० 48000.00 का भुगतान लवकुश इंटरप्राइजेज को दिया गया, दिनांक 23-6-2020 हैण्ड पम्प रिबोर हेतु रु० 160000.00 का भुगतान लवकुश इंटरप्राइजेज को दिया गया दिनांक 19-12-2020 हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु रु० 70000.00 का भुगतान लवकुश इंटरप्राइजेज को दिया गया दिनांक 30-3-2021 हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु रु०

50000.00 का भुगतान लवकुश इंटरप्राइजेज को दिया गया अतः कुल ₹0 328000.00 की सामग्री क्रय कर तथा मजदूरों न देकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया जिसके लिये प्रधान श्रीमती मानती देवी सचिव राजेन्द्र सिंह जिम्मेवार है अनुशासनिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

45.ग्राम पंचायत का नाम – दयाछपरा

विकास खण्ड – बैरिया

प्रस्तर-82

दिनांक 13-7-2020 को हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु सामग्री पर खुशी कन्स्ट्रक्शन को ₹0 45600.00 तथा दिनांक 27-12-2020 हैण्ड पम्प हेतु ₹0 63400.00 का भुगतान खुशी कन्स्ट्रक्शन को किया गया परन्तु मजदूरी नहीं दी गई दिनांक 9-11-2020 को हैण्ड पम्प रिबोर हेतु खुशी कन्स्ट्रक्शन को ₹0 45800.00 दिया गया परन्तु यहाँ भी मजदूरी नहीं दी गई दिनांक 27-12-2020 को नथुनी के घर से मेन नाली निर्माण पर ₹0 109050.00 खुशी कन्स्ट्रक्शन को सामग्री हेतु दी गई परन्तु मजदूरी नहीं दिया गया 15 वा वित्त के अन्तर्गत दिनांक 1.10.2020 को पानी टंकी मरम्मत पर खुशी कन्स्ट्रक्शन को ₹0 78785.00 का भुगतान किया गया परन्तु मजदूरी नहीं दिया गया दिनांक 16-12-2020 को प्राथमिक विद्यालय नंबर-1 में टाइल्स निर्माण पर खुशी कन्स्ट्रक्शन को ₹0 171700.00 सामग्री हेतु दिया गया परन्तु मजदूरी नहीं दी गई पुनः प्राथमिक विद्यालय नंबर-1 पर टाइल्स निर्माण पर सामग्री हेतु ₹0 171700.00 खुशी कन्स्ट्रक्शन को दिया गया परन्तु यहाँ भी मजदूरी नहीं दी गई दिनांक 18-11-2020 को क्षतिग्रस्त रास्तों पर राबिस टुकड़ा डालने पर ₹0 57000.00 का भुगतान खुशी कन्स्ट्रक्शन को दिया गया परन्तु यहाँ भी मजदूरी दी गई उपरोक्त से स्पष्ट है कि कार्य के सापेक्ष सामग्री क्रय करके परन्तु मजदूरी न देकर कुल ₹0 743035.00 का दुरुपयोग किया गया है जिसके लिए प्रधान तथा प्रधान श्री हृदयानन्द तथा सचिव श्री नागेन्द्र यादव जिम्मेदार हैं, विभागीय कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-83

दिनांक 4-12-2020 को पन्द्रह वाँ वित्त के अन्तर्गत पंचायत भवन मरम्मत हेतु खुशी कन्स्ट्रक्शन को सामग्री हेतु ₹0 211907.00 दिया गया परन्तु मजदूरी मनरेगा कन्वर्जेंस के अन्तर्गत अकुशल मजदूर को ₹0 56481.00 दी गई परन्तु मिस्त्री को कोई मजदूरी नहीं दिया गया अतः ₹0 268388.00 के व्यय में गंभीर अनियमितता की गयी है प्रधान श्री हृदयानन्द तथा सचिव श्री नागेन्द्र यादव तकनीकी सहायक तथा कार्यक्रम अधिकारी जिम्मेवार हे आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-84

दिनांक 22-12-2020 को स्कूल में डेस्क स्थापना पर ₹0 165000.00 का भुगतान मेसर्स अभय नारायण यादव को किया गया 27-12-2020 को आई.डी.संख्या 45574710.00 से स्कूल में डेस्क स्थापना पर ₹0 198000.00 का भुगतान मेसर्स अभय नारायण को किया गया परन्तु विद्यालय का नाम नहीं लिखा था फोटो भी प्रस्तुत नहीं रहा, उक्त तिथि को आई.डी. संख्या 4843113 से हार्डमस्ट स्थापना पर ₹0 78000.00 का भुगतान मेसर्स अभय नारायण यादव को किया गया उक्त तिथि को पार्किंग कुर्सी हेतु ₹0 76500.00 का भुगतान मेसर्स अभय नारायण यादव को किया गया स्पष्टरूप से विवरणहीन प्रमाणक प्रस्तुत कर के ₹0 517500.00 अपहरण कर लिया गया प्रधान श्री हृदयानन्द तथा सचिव श्री नागेन्द्र यादव से वसूली अपेक्षित है।

46.ग्राम पंचायत का नाम – उपाध्यायपुर

विकास खण्ड – बैरिया

प्रस्तर-85

दिनांक 27-12-2020 को राज्य वित्त के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय में डेस्क बेंच स्थापना पर ₹0 121000.00 का भुगतान मेसर्स अभय नारायण यादव को किया गया परन्तु कार्ययोजना तथा ई ग्राम स्वराज के अनुसार इस आई.डी. पर स्टील पार्किंग चेयर तथा सीमेंट बेंच स्थापना किया जाना था अतः कार्ययोजना के विपरीत कार्य कर सचिव द्वारा सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है उक्त कार्य की जाँच विभागीय अधिकारियों द्वारा किया जा

आवश्यक है अन्यथा सरकारी धन के दुरुपयोग की प्रबल संभावना है जिसके लिए प्रधान श्री अरुण कुमार प्रसाद सचिव श्री नागेन्द्र यादव जिम्मेवार होंगे।

प्रस्तर-86

दिनांक 9-8-2020 को हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु खुशी कन्स्ट्रक्शन को ₹0 63750.00 का भुगतान किया गया है परन्तु यहाँ मजदूरी नहीं दी गई दिनांक 13-11-2020 को हैण्ड पम्प रिबोर के सामग्री हेतु मेसर्स अभय नारायण यादव को ₹0 136896.00 का भुगतान किया गया परन्तु उक्त कार्य हेतु कोई मजदूरी नहीं दी गई दिनांक 15-9-2020 को सामुदायिक शौचालय में टंकी वायरिंग वाश बेसिन बोरिंग इत्यादि पर 46500.00 का भुगतान खुशी कन्स्ट्रक्शन को किया गया परन्तु उक्त कार्य कोई मजदूरी नहीं दी गई स्पष्ट रूप से सामग्री क्रय कर मजदूरी नहीं देकर सरकारी धन ₹0 247146.00 का दुरुपयोग किया गया है जिसके लिए प्रधान श्री अरुण कुमार प्रसाद तथा सचिव श्री नागेन्द्र यादव जिम्मेवार हैं कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-87

दिनांक 14-6-2020 को राज्य वित्त के अन्तर्गत ग्राम पंचायत में सीमेंट बेंच की स्थापना हेतु खुशी कन्स्ट्रक्शन ₹0 170000.00 का भुगतान किया गया परन्तु ग्राम पंचायत में कहा-कहा सीमेंट बेंच की स्थापना की गई सम्बन्धित लिस्ट फोटो नहीं दिया गया जिससे व्यय की पुष्टि हो सके दिनांक 28-6-2020 को 14वाँ वित्त के अन्तर्गत भोपाल ब्रह्म बाबा के पीछे हाई मास्ट लाइट लगाने हेतु ₹0 45000.00 का भुगतान खुशी कन्स्ट्रक्शन को किया गया उक्त तिथि को ही दिलीप सिंह के खेत के बगल में हाई मास्ट लाइट की स्थापना पर ₹0 45000.00 का भुगतान अलग-अलग आई.डी. खुशी कन्स्ट्रक्शन को दिया गया परन्तु फोटो प्रमाणक के रूप में प्रस्तुत नहीं रहा जिससे व्यय की पुष्टि नहीं हो पाई अतः कृपया ₹0 260000.00 मेंगंभीर अनियमितता की गई है जिसके लिए प्रधान श्री अरुण कुमार प्रसाद सचिव श्री नागेन्द्र यादव जिम्मेवार हैं आवश्यक कार्रवाई अपेक्षित है।

प्रस्तर-88

दिनांक 3-3-2021 को मनरेगा के अन्तर्गत बहुद्वेशीय पंचायत भवन की निर्माण भवन की लागत ₹0 967000.00 है आलोच्य वर्ष में पंचायत भवन के निर्माण पर कुल ₹0 557619.00 व्यय हुआ जबकि सामग्री हेतु कन्स्ट्रक्शन को ₹0 537921.00 का भुगतान दिनांक 3-3-2021 तथा अन्य तिथियों को किया गया है कुल सामग्री के 80% आलोच्य वर्ष में ही चुका है। जबकि मजदूरी के कुल लागत के सिर्फ 6.65% ₹0 19698.00 ही मजदूरी दी गई है वर्ष में कुशल मजदूर को कोई मजदूरी नहीं दी गई है अतः बिना कुशल मजदूर के पंचायत भवन का निर्माण संभव नहीं है यह कार्य में गंभीर अनियमितता को दर्शाता है जिसके लिए सचिव श्री नागेन्द्र यादव तकनीकी सहायक कार्यक्रम अधिकारी तथा प्रशासन जिम्मेवार हैं क्योंकि यह कार्य प्रधान के कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात् कराया गया है कार्य की जाँच किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर- 89

राज्य वित्त अन्तर्गत दिनांक 14-06-2020 को आई.डी. संख्या 38825820 से ग्राम पंचायत सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु सामग्री के लिये खुशी कन्स्ट्रक्शन को कुल ₹0 199378.00 का भुगतान किया गया व्यय प्रमाणक तो उपलब्ध रहा परन्तु सम्बन्धित पत्रावली (तकनीकी तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित) फोटो इत्यादि नहीं दिया गया आलोच्य वर्ष में अकुशल मजदूर तथा मिस्री को मजदूरी ₹0 41208.00 दिया गया स्पष्टीकरण अपेक्षित है क्योंकि यह कार्य गत वर्ष के कार्ययोजना में था जबकि कार्य आलोच्य वर्ष में सम्पन्न का अनियमितता की गयी जिसके लिये प्रधान श्री अरुण कुमार प्रसाद तथा सचिव श्री नागेन्द्र यादव जिम्मेवार हैं आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

47.ग्राम पंचायत का नाम – अधिसिझुआ

विकास खण्ड – बैरिया

प्रस्तर-90

मनरेगा के अन्तर्गत 03-03-2021 को तथा अन्य तिथियों में ग्राम पंचायत भवन के निर्माण पर प्रशासक, सचिव श्री मनोज यादव ,तकनीकी सहायक, कार्यक्रम अधिकारी द्वारा कुल ₹0 537736.00 सामग्री आपूर्ति हेतु खुशी कन्स्ट्रक्शन को भुगतान किया गया जो कुल सामग्री (₹0 671600.00) के 70% था जबकि आलोच्य वर्ष में मजदूरी सिर्फ ₹0 12462.00 दिया गया जो आलोच्य वर्ष में कुल व्यय के मात्र 2% था जबकि कुल मजदूरी (₹0 295800) के 4.2% है जो बहुत कम है स्पष्टतः कार्य में गंभीर अनियमितता की गयी है इसके अतिरिक्त वेबसाइट पर मिस्त्री का भुगतान नहीं किया जा आपत्तिजनक रहा तथा विभागीय जाँच किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-91

दिनांक 15-11-2020 को आई.डी. संख्या 44888186 से प्राथमिक विद्यालय गुमानी टोला में शौचालय और बादन्त्री निर्माण पर ₹0 157550.00 का भुगतान खुशी कन्स्ट्रक्शन को किया गया परन्तु उक्त कार्य पर मजदूरी नहीं दिनांक 12-12-2020 को आई.डी. संख्या 42117625 से हैण्ड पम्प रिबोर हेतु ₹0 26740.00 का भुगतान खुशी कन्स्ट्रक्शन को किया गया परन्तु उक्त कार्य पर मजदूरी नहीं 15-12-2020 को आई.डी. संख्या 42089286 से सोख्ता निर्माण पर ₹0 16400.00 का भुगतान खुशी कन्स्ट्रक्शन को किया गया सम्बन्धित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत रहे, परन्तु उक्त कार्य पर मजदूरी नहीं स्पष्ट रूप से इनक कार्यों पर मजदूरी आगामी वर्ष में भी न देकर सरकारी धन ₹0 200690.00 का दुरुपयोग किया गया जिसके लिये प्रधान श्री मनोज तथा सचिव श्री नागेन्द्र यादव जिम्मेवार है

अस्वीकरण:- (डिस्क्लेमर) यह लेखा परीक्षा प्रतिवेदन ग्राम पंचायत अधिसिझुआ विकास खण्ड बैरिया जिला बलिया के ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रदत्त एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/अभिलेखों के आधार पर तैयार कि गया है। यदि संस्था/इकाई द्वारा आडिट दौरान कोई सूचना /तथ्या/अभिलेख जानबूझकर छिपाया गया है तो उसका उत्तरदायित्व सम्बन्धित लेखा परीक्षा कार्मिक का नहीं होगा।

48.ग्राम पंचायत का नाम – दलपतपुर

विकास खण्ड – बैरिया

प्रस्तर-92

दिनांक 13-12-2020 को आई.डी. संख्या 44647667 से पंचायत भवन में रंगाई पुताई तथा टाइल्स लगाने पर सामग्री हेतु कुल ₹0 148700.00 का भुगतान खुशी कन्स्ट्रक्शन को दिनांक 1-10-2020 को आई.डी. संख्या 44654588 से पंचायत भवन के मरम्मत कार्य पर सामग्री हेतु खुशी कन्स्ट्रक्शन को रूपया 151300.00 का भुगतान दर्शित है प्रमाणक तो प्रस्तुत रहा परन्तु इन दोनों कार्यों के मजदूरी का भुगतान एक साथ मनरेगा कन्वर्जेंस के तहत ₹0 49044.00 किया गया है ऐसा प्रतीत होता है कि निर्धारित धनराशि के अनुसार वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने से बचने के लिए ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसे प्लान बनाये जा रहे है ताकि इसे 2लाख की सीमा के अन्दर ही रखा जायें यहाँ कुल ₹0 349044.00 का व्यय हुआ है इसके अतिरिक्त मिस्त्री को मजदूरी नहीं दिया गया क्यों बिना मिस्त्री के ये कार्य नहीं सम्पन्न किया जा सकता ऐसा कर अनियमितता किया गया है जिसके लिये प्रशासक, कार्यक्रम अधिकारी, तकनीकी सहायक तथा सचिव श्री नागेन्द्र यादव जिम्मेवार है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-93

दिनांक 24-6-2020 को सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य में आई.डी. संख्या 21179622 पर कुल ₹0 (सामग्री हेतु खुशी कन्स्ट्रक्शन को ₹0 32470.00 का भुगतान तथा मजदूरी पर ₹0 22000.00) तथा एक अन्य आई.डी. संख्या 42288421 पर दिनांक 25-9-2020 कुल ₹0 50500.00 खुशी कन्स्ट्रक्शन को दिया गया है प्रमाणक तो प्रस्तुत रहा परन्तु एक कार्य पर दो आई.डी. से ₹0 104970.00 का भुगतान कर स्पष्ट रूप से अनियमितता किया गया है जिसके लिये प्रधान श्री मनोज तथा सचिव श्री नागेन्द्र यादव जिम्मेवार है , आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही अपेक्षित है।

49.ग्राम पंचायत का नाम – चांदपुर

विकास खण्ड – बैरिया

प्रस्तर-94

मनरेगा के कैशबुक तैयार नहीं किए गए हैं लेकिन लेखा परीक्षा में सम्बन्धित कार्यों की एमबी तथा पत्रावलियों प्रस्तुत नहीं किया गया परन्तु मनरेगा के वेबासाइट से व्यय की पुष्टि की गयी। मनरेगा के अन्तर्गत व्यय की आनलाइन जाँच की गई आलोच्य वर्ष में कुल 29 कार्य पर ₹0 1217859.00 का व्यय अकुशल मजदूर पर हुआ जिसके सापेक्ष 6056 मानव दिवस कार्य हुआ जबकि कोई भी पक्का कार्य नहीं कराये गये जिससे सामग्री मद पर ₹0 20000.00 व्यय हुआ अतः कुल व्यय ₹0 1237859.00 हुआ जो गम्भीर अनियमितता है , स्टॉक रजिस्टर, अवशेष स्टॉक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा, प्रोजेक्ट कम्प्लीशन रिपोर्ट लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा, जाब कार्ड रजिस्टर लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा जिससे जाँच कार्ड धारकों के समानुपातिक रूप से रोजगार पाने की सुचना अप्राप्त रही। जिसके लिए प्रधान श्री राजकुमार एवं सचिव श्री मिथलेश तिवारी जिम्मेदार होंगे। विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

50.ग्राम पंचायत का नाम – भोपालपुर

विकास खण्ड – रेवती

प्रस्तर-95

राज्य वित्त के अन्तर्गत दिनांक 05-07-2020 को गत वर्ष के कार्ययोजना में दर्शित आई0डी0 न0 21208128 तथा अन्य दो आई0डी0 से प्राथमिक विद्यालय भोपालपुर (पश्चिमी) में बच्चों को कक्षाओं में अध्ययन करने हेतु/डेस्क/बेच की स्थापना के लिये कुल रूपया 513000.00 का भुगतान अभय नारायण यादव को किया गया प्रमाणक तो प्रस्तुत रहे परन्तु तीन अलग-2 आई0डी0 से भुगतान कर (पंचायतराज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31.07.2015 विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होनेवाली धनराशि के उपभोग के सम्बन्ध में के बिन्दु 4 क में यह स्पष्ट 50 हजार की सीमा तक की कार्य-योजना का अनुमोद स्वयं ग्राम पंचायत के द्वारा किया जायेगा और कार्य योजना को टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जायेगा, बाद में पंचायतराज अनुभाग-1 के आदेश संख्या 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22-11-2016 के बिन्दु-2 ब के माध्यम से राज्य वित्त और केन्द्रीय वित्त आयोग के सन्दर्भ में यह सीमा बढ़ा कर 2 लाख कर दी गयी है, ऐसा प्रतीत होता है कि निर्धारित धनराशि के अनुसार वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने से बचने के लिए ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसे प्लान बनाये जा रहे हैं ताकि इसे 2 लाख की सीमा के अन्दर ही रखा जाये- टेकनिकल परीक्षण-2 से 2.5 लाख तक जे०ई० आरईएस/ जे०ई० एमआई/ जे०ई० जिला पंचायत/ जे०ई० मंडी परिषद द्वारा किया जायेगा, 2.5 लाख से ऊपर - अभियंता जिला पंचायत को सक्षम अधिकारी घोषित किया गया है, वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति 2 लाख से 2.50 लाख तक ए0डी0ओ0 पंचायत, 2.5 लाख तक ए0डी0ओ0 पंचायत, 2.5 से 5 लाख तक डी0पी0आर0ओ0 और 5 लाख से ऊपर डी0एम0, 10 लाख से ऊपर जिला पंचायत द्वारा अनुमति प्रदान किया जायेगा, परन्तु लेखा परीक्षा में सम्बन्धित पत्रावली प्रस्तुत नहीं रही। गम्भीर अनियमितता की गयी जिसके लिए प्रधान असरफी देवी तथा सचिव राम प्रकाश जिम्मेवार हैं विभागीय जाँच तथा अनुशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है इसके अतिरिक्त डेस्क/बेच की स्थापना किन किन कक्षाओं में किया गया इसकी जानकारी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत अभिलेखों से नहीं हो पाई, स्टॉक रजिस्टर तथा फोटो भी प्रस्तुत नहीं रहा।

51.ग्राम पंचायत का नाम – वशिष्ठनगर

विकास खण्ड – रेवती

प्रस्तर-96

राज्य/ चौदहवाँ/केन्द्रीय वित्त के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य पर कुल व्यय रूपया 1156512.00 हुआ इन कार्यों में सामग्री तथा मजदूरी उक्त फर्म को देकर गम्भीर अनियमितता की गयी है क्योंकि ग्राम पंचायत के कार्य ठीकेदारी द्वारा करना अनुमन्य नहीं है अगर कार्य ठीकेदारी द्वारा कराया जाता है तो लेबर सेस 1प्रतिशत काटा जाना अनुमन्य है परन्तु ऐसा नहीं कर गम्भीर अनियमितता किया गया अतः इन कार्यों के लिये प्रधान श्री राज किशोर तथा सचिव श्री सुनील तिवारी जिम्मेवार हैं विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

- 1.दिनांक 24-9-2020 प्राथमिक विद्यालय नबर-1 में मिटटी भराई तथा इंटरलाकिंग कार्य पर सामग्री हेतु रूपया 219063.00 का भुगतान श्री हनुमानजी इंटरप्राइजेज को किया गया जबकि मजदूरी रूपया 26870.00 उक्त फर्म को दिया गया।
- 2.दिनांक 24-9-2020 प्राथमिक विद्यालय नबर-1 में चहारदीवारी मरम्मत हेतु सामग्री पर रूपया 115373.00 का भुगतान गुप्ता हार्डवेयर को किया गया जबकि मजदूरी रूपया 76350.00 उक्त फर्म को दिया गया।
- 3.दिनांक 13-11-2020 को रामायण यादव के घर से नंदलाल यादव के खेत तक इंटरलाकिंग पेबर्स ब्लाक कार्य पर सामग्री पर रूपया 150590.00 का भुगतान मिश्रा उद्योग को किया गया जबकि मजदूरी रूपया 25260.00 उक्त फर्म को दिया गया।
- 4.दिनांक 13-11-2020 को श्रीनिवास यादव के खेत से नंदलाल यादव के खेत तक इंटरलाकिंग पेबर्स ब्लाक कार्य पर सामग्री पर रूपया 150590.00 का भुगतान मिश्रा उद्योग को किया गया जबकि मजदूरी रूपया 25260.00 उक्त फर्म को दिया गया।
- 5.मजदूरी उक्त फर्म को दिया गया जबकि मजदूरी रूपया 19750.00 उक्त फर्म को दिया गया।
- 6.दिनांक 28-10-2020 प्राथमिक विद्यालय नबर-2 में टाइल्स लगाने पर सामग्री हेतु रूपया 207506.00 का भुगतान शिवम् इंटरप्राइजेज को किया गया जबकि मजदूरी रूपया 41920.00 उक्त फर्म को दिया गया।

52.ग्राम पंचायत का नाम – – भोपतपुर

विकास खण्ड – रेवती

प्रस्तर-97

दिनांक 15-6-2020 को प्राथमिक विद्यालय चैहान बस्ती में बरउंड्री निर्माण पर कुल रूपया 231004.00 व्यय हुआ जबकि सामग्री हेतु रूपया 180104.00 ओपी इंटरप्राइजेज तथा अन्य को भुगतान किया गया जबकि मजदूरी रूपया 50900.00 प्रधान को भुगतान दिया गया पुनः उक्त तिथि को प्राथमिक विद्यालय भोपतपुर में बाउंड्री निर्माण पर कुल रूपया 235280.00 व्यय हुआ जबकि सामग्री हेतु रूपया 183035.00 ओपी इंटरप्राइजेज तथा अन्य को भुगतान किया गया जबकि मजदूरी रूपया 52245.00 प्रधान को भुगतान कर सम्पूर्ण रूपया 466284.00 का अपहरण कर लिया गया जिसके लिए प्रधान श्री सत्यदेव सिंह और सचिव प्रमोद प्रसाद जिम्मेवार हैं वसूली अपेक्षित है।

53.ग्राम पंचायत का नाम – – विशुनपुरा

विकास खण्ड – रेवती

प्रस्तर-98

दिनांक 8-12-2020 को राज्य वित्त के अंतर्गत आईडी संख्या 43588605 से पंचायत भवन के मरम्मत पर रूपया 120000.00 का भुगतान माँ नैना देवी कंस्ट्रक्शन को हुआ परन्तु मजदूरी पर कोई व्यय नहीं हुआ इसके अतिरिक्त आईडी संख्या 45546643 से पंचायत भवन के मरम्मत पर रूपया 306966.00 का व्यय हुआ है स्पष्टीकरण अपेक्षित है क्योंकि दो आई डी से एक ही कार्य करना अनुमन्य नहीं है अन्यथा रूपया 120000.00 का दुरुपयोग हुआ है जिसके लिए प्रधान श्री विजय कुमार तथा सचिव श्री तेजबहादुर जिम्मेवार हैं आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर- 99

दिनांक 23-12-2020 को केन्द्रीय वित्त के अंतर्गत आईडी संख्या 45546643 से पंचायत भवन के मरम्मत पर कुल रूपया पर कुल रूपया 306966.00 का व्यय हुआ जिसमें सामग्री पर 261246.00 व्यय हुआ जबकि मजदूरी रूपया 45720.00 दिया गया परन्तु लेखा परीक्षा में सम्बन्धित पत्रावली प्रस्तुत नहीं रहा इसके अतिरिक्त फोटो कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं रहा मस्टर रोल के अनुसार एक मिस्त्री तथा मजदूरों ने कार्य किया स्पष्टरूप से कार्य में गंभीर अनियमितता की गयी है जिसके लिए प्रधान श्री विजय कुमार तथा सचिव श्री तेजबहादुर जिम्मेवार हैं अनुशासनात्मक कार्यवाही अपेक्षित है विभागीय जाँच कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर- 100

दिनांक 17-09-2020 को जल निकासी हेतु रूपया 114000.00 का भुगतान शिवम् इंटरप्राइजेज को किया गया ह्युम पाइप की स्थापना के सन्दर्भ में मजदूरी पर व्यय नहीं किया गया है मजदूर के अभाव में किसी भी कार्य के होने की प्रासंगिकता के संदिग्ध होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है किन स्थान पर या किन-2 कार्यों में इस ह्युम पाइप की स्थापना कि गयी यह भी अस्पष्ट रहा, कार्य के स्पष्ट विवरण को अंकित नहीं किया गया है स्थान की पुष्टि हेतु त्रिस्तरीय फोटो भी उपलब्ध नहीं कराया गया ऐसे कार्य स्थल किन और कार्य विवरण विहीन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है, स्वरूप से सरकारी धन के व्यय में अनियमितता की गयी है जिसके लिए प्रधान श्री विजय कुमार तथा सचिव श्री तेजबहादुर जिम्मेवार है आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

54.ग्राम पंचायत का नाम – – दतहां

विकास खण्ड – रेवती

प्रस्तर-101

निम्नलिखित कार्यों के सापेक्ष मजदूरी फर्म को दे कर गंभीर अनियमितता की गयी है क्योंकि मजदूरी मजदूर को नगद /उसके खाता में दिया जाना चाहिए परन्तु ऐसा न कर सरकारी धन रूपया 483061.00 के व्यय में गंभीर अनियमितता की गयी है जिसके लिये प्रधान तथा सचिव/प्रशासक जिम्मेवार है विभागीय जाँच सहित आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही अपेक्षित है, कार्य संख्या 4 से 7 प्रधान के कार्यकाल के समाप्त होने के बाद प्रशासक के द्वारा कराया गया जिस पर कुल रूपया 329214.00 व्यय हुआ, इन कार्यों की उच्चस्तरीय जाँच किया जाना अपेक्षित है क्योंकि त्रिस्तरीय चुनाव के तारीख की घोषणा के पश्चात् इनकार्यों का निष्पादन संदिग्ध प्रतीत होता है जिसके लिये सचिव श्री राम प्रकाश तथा प्रशासक जिम्मेवार है विभागीय जाँच सहित आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही अपेक्षित है।

2.दिनांक 28-7-2020 को कन्या प्राथमिक विद्यालय में मजदूरी रूपया 37640.00 का भुगतान मेसर्स अभय नारायण यादव को दिया गया जिसके लिये प्रधान श्री राकेश कुमार तथा सचिव श्री राम प्रकाश जिम्मेवार है विभागीय जाँच सहित आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही अपेक्षित है।

3.दिनांक 24-11-2020 को पंचायत भवन के बाउंड्रीवाल निर्माण पर रूपया 92487.00 की सामग्री तथा मजदूरी रूपया 23460.00 का भुगतान मेसर्स पचरूखा देवी इंटरप्राइजेज को दिया गया जिसके लिये प्रधान श्री राकेश कुमार तथा सचिव श्री राम प्रकाश जिम्मेवार है विभागीय जाँच सहित आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही अपेक्षित है।

4.दिनांक 25-3-2021 को पंचायत भवन की मरम्मत रंगाई पुताई पर सामग्री 42031.00 तथा मजदूरी रूपया 39899.00 का भुगतान मेसर्स शिवम् इंटरप्राइजेज को दिया गया।

5.दिनांक 25-3-2021 को पंचायत भवन टाइल्स निर्माण हेतु सामग्री पर रूपया 134113.00 तथा मजदूरी पर रूपया 20962 का भुगतान मेसर्स अभय नारायण यादव को दिया गया।

6.दिनांक तथा मजदूरी पर रूपया 3169.00 का भुगतान मेसर्स अभय नारायण यादव को दिया गया।

7.दिनांक 25-3-2021 को कन्या प्राथमिक विद्यालय में शौचालय निर्माण हेतु सामग्री पर रूपया 59694.00 तथा मजदूरी रूपया 11455 का भुगतान मेसर्स शिवम् इंटरप्राइजेज को दिया गया।

55.ग्राम पंचायत का नाम – – खानपुर

विकास खण्ड – रेवती

प्रस्तर-102

आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित कार्यों पर सामग्री पर कुल भुगतान रूपया 85400.00 किया गया है सम्बन्धित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत रहा परन्तु कोई भी पत्रावली नहीं दी गयी जबकि किसी भी कार्य के सापेक्ष मजदूरी नहीं दिया गया जो आपत्तिजनक है दिनांक 30-9-2020 को आईडी संख्या 7396818.00 से हैण्ड पम्प रिबोर पर रूपया 27900.00 का भुगतान एम एस इंटरप्राइजेज को दिनांक 11-12-2020 को आईडी संख्या 14820235 से प्राथमिक विद्यालय में बाउंड्री और गेट निर्माण पर 37000.00 का भुगतान एम एस इंटरप्राइजेज को दिनांक 21-12-2020 को प्राथमिक विद्यालय में चबूतरा का निर्माण पर रूपया 20500.00 का भुगतान एम एस इंटरप्राइजेज को दिया है स्पष्ट रूप से यह सरकारी धन का दुरुपयोग है जिसके लिये सचिव श्री उपेन्द्र कुमार तथा प्रधान श्रीमती शकुंतला जिम्मेवार है आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

56.ग्राम पंचायत का नाम – – महाधनपुर

विकास खण्ड – रेवती

प्रस्तर-103

दिनांक 10-5-2020 को हैण्ड पम्प रिबोर हेतु रूपया 61000.00 तथा दिनांक 3-7-2020 को रूपया 140000.00 को रूपया सामग्री पर व्यय निर्गत है परन्तु मजदूरी नहीं दिया गया पंचायत राज अनुभाग-3 शासनादेश संख्या 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19-06-2017 के इण्डिया मार्क हैण्डपम्प रिबोर की गाइडलाइन के अनुसार हैण्डपम्प रिबोर के कार्य को मरम्मत का कार्य मानते हुए अलग-2 वर्क आई डी तैयार किये जाने के निर्देश दिए गए हैं लेकिन एन निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है इसके अतिरिक्त पंचायत राजअनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19-06-2017 के इण्डिया मार्क हैण्ड पम्प रिबोर की गाइडलाइन के अनुसार हैण्ड पम्प रिबोर के सन्दर्भ में जल निगम की प्रतीक्षा सूची और जल निगम की मार्गदर्शिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही तकनीकी अनुश्रवण का कार्य जे.ई.एम.आई./आर.ई.डी./मंडी परिषद/जिला पंचायत/डी.एम. के द्वारा नामित अधिकारी के द्वारा किया जायेगा, साथ ही कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु हचकच के अन्तर्गत जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण की पत्रावली प्रस्तुत न रहते के कारण गाइडलाइन के पालन की स्थिति अज्ञात रही, अतः कुल रूपया 201000.00 के व्यय में उक्त शासनादेशों का उल्लंघन कर तथा मजदूरी नहीं देकर गंभीर अनियमितता की गयी है जिसके लिये प्रधान श्री तारकेश्वर यादव और सचिव श्री रमेश कुमार जिम्मेवार हैं अनुशासनात्मक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर- 104

मनरेगा के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य प्रधान के कार्यकाल के समाप्त होने के बाद प्रशासक के द्वारा कराया गया जिस पर कुल रूपया 63045.00 व्यय हुआ, इनकार्यों की उच्चस्तरीय जाँच किया जाना अपेक्षित है क्योंकि त्रिस्तरीय चुनाव के तारीख की घोषण के पश्चात् इन कार्यों का निष्पादन संदिग्ध प्रतीत होता है। जाचोपरान्त सम्बन्धित पर विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है संध्या देवी पत्नी ब्रह्मानन्द का पशु शेड का निर्माण दिनांक 28/01/2021 से 03/02/2021 हुआ जिसपर सामग्री हेतु रूपया 50985.00 तथा मजदूरी रूपया 12060.00 दिया गया परन्तु मिस्त्री को शून्य है स्पष्ट बिना मिस्त्री के कैसे निर्माण हो गया जो कार्य हुआ गंभीर अनियमितताओं को दर्शाता है। जिसके लिये कार्यक्रम अधिकारी/प्रशासक, सचिव श्री रमेश कुमार, तकनीकी सहायक जिम्मेवार हैं। विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

57.ग्राम पंचायत का नाम – – लमुही

विकास खण्ड – रेवती

प्रस्तर-105

निम्नलिखित तिथियों में ग्राम पंचायत में स्वच्छता तथा कुड़ा निस्तारण हेतु विभिन्न स्थानों पर डस्टबिन/कुड़ादान की स्थापना हेतु श्रीहनुमान कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर को सामग्री आपूर्ति हेतु रूपया 217500.00 दिया गया प्रमाणक तो प्रस्तुत रहा परन्तु जीपीडीपी कार्य योजना में एक कार्य है, लेकिन इसे टुकड़ों में तोड़कर सम्पादित किया जा रहा है यह कार्ययोजना में दर्शित अलग-2 आईडी पर क्रय कर अनियमितता की गयी दिनांक 12/11/2020 को आइडी संख्या 45085552 से रूपया 52500.00, दिनांक 12-12-2020 को आइडी संख्या 43540005 से रूपया 127500.00 दिनांक 25-12-2020 को आई डी संख्या 2038703 से रूपया 37500.00 स्पष्ट रूप से प्रधान श्री राम वचन और सचिव श्री राम प्रकाश जिम्मेवार हैं। विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

58.ग्राम पंचायत का नाम – – नैना

विकास खण्ड – रेवती

प्रस्तर-106

निम्नलिखित कार्य के सापेक्ष शिला पट्ट स्थापना पर रूपया 12000.00 व्यय दर्शित दिनांक 27-3-2021 को प्रशासक/कार्यक्रम अधिकारी द्वारा भुगतान किया गया है परन्तु मनरेगा वेबसाइट पर उक्त फोटोग्राफ अपलोड नहीं है जो सरकारी धन व्यय में गंभीर अनियमितता प्रदर्शित करता है क्योंकि कार्य के सापेक्ष शिला पट्ट स्थापना

की गयी अथवा संदिग्ध रहा जिसके लिये प्रधान श्रीमती केशरी देवी सचिव श्री प्रमोद प्रसाद/राजीव सिंह तकनीकी सहायक तथा कार्यक्रम अधिकारी/प्रशासक जिम्मेवार है आवश्यक अनुशासनिक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

कार्य का नाम (कार्य संहिता)	बिल क्रमांक	बिल तारीख	भुगतान की तिथि बिल राशि रूपया में	ग्राम पंचायत स्तर कार्य
ग्राम पंचायत में मुन्ना पासवान के खेत से पारस गिरी के खेत तक चकबंद कराया	1	10-06-2020	27-03-2021	3000.00
ग्राम पंचायत नैना में अशोक वर्मा के खेत से शत्रुधन यादव के खेत तक चकबंद कराया	2	10-05-2020	27-03-2021	3000.00
शलीक यादव के खेत से हरिशंकर यादव के खेत तक चकबंद कराया	3	08-06-2020	27-03-2021	3000.00
सिंह पीच मार्ग से नैना ब्रमेश्वर के डीरा तकचकबंद कराया	4	11-06-2020	27-03-2021	3000.00

59.ग्राम पंचायत का नाम – – रेखहा नूरपुर

विकास खण्ड – रेवती

प्रस्तर-107

दिनांक 20-11-2020 तथा अन्य तिथि को ग्राम पंचायत में विभिन्न संपर्क मार्गों पर ब्लूम पाइप क्रय पर रूपया 140800.00 का भुगतान शिवम् इंटरप्राइजेज को जल निकासी कार्य हेतु व्यय किये गए है लेकिन इस ब्लूम पाइप की स्थापना के सन्दर्भ में मजदूरी पर शून्य रूपये/कुछ भी व्यय नहीं किया गया है, मजदूर के अभाव में किसी भी कार्य के होने की प्रासंगिकता के संदिग्ध होने की संभावना से इकार नहीं किया जा सकता है किन स्थानों पर किन किन कार्यों में इस ब्लूम पाइप की स्थापना की यह भी अस्पष्ट रहा दुसरे शब्दों में कार्य के स्पष्ट विवरण को अंकित नहीं किया गया है, स्थान की पुष्टि हेतु त्रिस्तरीय फोटो भी उपलब्ध नहीं कराया गया ब्लूम पाइप की स्थाना में बालू ईट गिट्टी आदि सामग्री का कुछ भी प्रयोग नहीं किया गया है जैसा कि भूमिगत नाली निर्माण के सन्दर्भ में किया जाता है कच्ची सड़क या संपर्क मार्ग से जल निकासी हेतु अलग से ब्लूम पाइप खरीद के बजाये कार्य के एस्टीमेट में ही इसकी आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए और निर्धारित दुरी पर मानक के अनुसार इसकी स्थापना नहीं की गयी है शासनादेश संख्या आरजीएसए/197/2019-4/349/2015 लखनऊ दिनांक 2 मई 2019 जीपीडीपी के अन्तर्गत तैयार कार्ययोजना को प्लान प्लस पर अपलोड की समीक्षा के बिन्दु तीन में कार्य स्थल विहीन और कार्य विवरण विहीन कार्य को संदिग्ध तथा अनियमितता माना गया है, प्रधान श्रीमती जीरा देवी तथा सचिव श्री राम नारायण कुशवाहा जिम्मेवार है आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

60.ग्राम पंचायत का नाम – कुसौरी कला

विकास खण्ड – रेवती

प्रस्तर-108

15 वित्त के अंतर्गत दिनांक 22-09-2020 को आईडी संख्या 41163431 से राबिस भराई कार्य पर कुल रूपया 200000.00 व्यय दर्शित है जबकि इस आईडी पर सिर्फ रूपया 36144.00 का भुगतान एम एस इंटरप्राइजेज को किया गया है जबकि अलगअलग आईडी से मानदेय भुगतान पर रूपया 17500.00 तथा सामुदायिक शौचालय पर रूपया 146356.00 का भुगतान कोषवही में दर्ज है व्यय प्रमाणक उपलब्ध रहा परन्तु पत्रावली प्रस्तुत नहीं रहा उक्त के आलोक में यह सरकारी धन के व्यय में गम्भीर अनियमितता बरती गयी है जिसके लिए प्रधान श्री संदीप कुमार सिंह तथा सचिव श्री राम नारायण कुशवाहा जिम्मेवार है आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर- 109

दिनांक 23-9-2020 को केन्द्रीय वित्त से प्रधान को मानदेय रूपया 17500.00 माह मई 2020 से सितम्बर 2020 तक देकर अनियमितता किया गया क्योंकि प्रधान का मानदेय राज्य वित्त से ही दिया जाना अनुमान है जबकि मानदेय केन्द्रीय वित्त से दिया गया है। अतः प्रधान श्री संदीप कुमार सिंह और सचिव श्री राम नारायण कुशवाहा जिम्मेवार है आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर- 110

पद्रहवां वित्त के अन्तर्गत आईडी संख्या 41119570 से सामुदायिक शौचालय निर्माण पर व्यय शून्य दर्शित है परन्तु कोषबही में सामुदायिक शौचालय निर्माण पर कुल रूपया 417526 की सामग्री का भुगतान 7 अलग-अलग आईडी0 से कर सरकारी धन रूपया 271170.00 के व्यय (रूपया 417526.00-146356.00=271170.00) में गंभीर अनियमितता की गयी है सम्बन्धित कार्य की पत्रावली, फोटो इत्यादि प्रस्तुत नहीं रहा जबकि वाउचर प्रस्तुत रहा, मनरेगा के अन्तर्गत कार्य दिनांक 02-11-2020 से 07-01-2021 तक किया गया अकुशल मजदूर को मजदूरी रूपया 59094.00(अर्थात् 294 मानव दिवस) मनरेगा कन्वर्जेंस के तहत दी गयी परन्तु मिस्त्री को मजदूरी नहीं दिया गया है। स्पष्टीकरण अपेक्षित है क्योंकि बिना मिस्त्री के शौचालय का निर्माण संभव नहीं है। अतः इस कार्य में सरकारी धन रूपया 271170.00 के व्यय में गंभीर अनियमितता की गयी है जिसके लिए प्रधान श्री संदीप कुमार सिंह तथा सचिव श्री राम नारायण कुशवाहा जिम्मेवार है आवश्यक अनुशासनात्मक तथा विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है

प्रस्तर- 111

चौदहवां वित्त अन्तर्गत दिनांक 28-12-2020 को ठण्ड में अलाव जलाने हेतु गत वर्ष के आई डी संख्या 756006 तथा 2043225 से कुल रु0 41448.00 व्यय दर्शित है परन्तु कोई प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा अतः वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा किये संप्रैक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेखा उपलब्ध कराए” के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार “यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत श्री संदीप कुमार सिंह तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री राम नारायण कुशवाहा से संयुक्त रूप से की जाएगी” के अन्तर्गत अधिभार योग्य है अतः रूपया 41448.00 की वसूली प्रधान तथा सचिव से किया जाना अपेक्षित है।

61.ग्राम पंचायत का नाम – हडिहा कला

विकास खण्ड – रेवती

प्रस्तर-112

दिनांक 23-9-2020 को राज्य वित्त के अन्तर्गत आईडी संख्या 44021237 तथा 44698109 से ग्राम पंचायत हडिहाकला के विभिन्न स्थानों पर निकासी हेतु ब्रूम पाइप लगाने पर क्रमशः रूपया 158935.00 तथा 58187.00 कुल रूपया 217122.00 व्यय किया गया इस हेतु शिवम् इंटरप्राइजेज को भुगतान किया गया परन्तु मनरेगा कन्वर्जेंस के अन्तर्गत मजदूरी क्रमशः 10452 तथा 10452 दिया गया कुल रूपया 20904.00 मजदूरी दी गयी यह कार्य किन स्थानों पर या किन-किन कार्यों में ब्रूम पाइप की स्थापना की गई यह भी अस्पष्ट रहा स्थान की पुष्टि हेतु त्रिस्तरीय फोटो भी उपलब्ध नहीं कराया गया ब्रूम पाइप की स्थापना में बालू सीमेंट गिट्टी इत्यादि सामग्री का कुछ भी प्रयोग नहीं किया गया है स्पष्ट रूप से यह एक संदिग्ध कार्य है जिस पर रूपया 238026.00 का भुगतान हुआ है वसूली किया जाना अपेक्षित है क्योंकि मनरेगा के अन्तर्गत दिया मजदूरी भी फर्जी है जब राज्य वित्त के अन्तर्गत कोई कार्य ही नहीं हुआ तो उसकी मजदूरी कैसी अतः मनरेगा के अन्तर्गत दी गई मजदूरी हेतु तकनीकी सहायक कार्यक्रम अधिकारी के अलावा प्रधान श्रीमती रीना सिंह तथा सचिव श्री रमेश कुमार जिम्मेवार है सम्पूर्ण की वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर- 113

दिनांक 19-11-2020 को राज्य वित्त के तहत विशाल वर्मा के खेत से इन्द्रजीत पासवान के घर तक खडंजा निर्माण पर कुल रूपया 109195.00 की सामग्री क्रय की गई जबकि उक्त कार्य की मजदूरी मनरेगा कन्वर्जेंस के तहत दो आईडी से रूपया 7839.00 रूपया 45426.00 दिया गया अतः एक ही कार्य का दो बार मजदूरी देकर गंभीर अनियमितता की गयी, इसी तरह केंद्रीय वित्त के तहत दिनांक 23-9-2020 को छत्तीसा में पूरब दिशा की तरफ बाउंड्री वाल तथा गेट निर्माण पर कुल रूपए 122119.00 की सामग्री क्रय की गई जबकि मनरेगा कन्वर्जेंस के तहत रूपया 35376.00 अकुशल मजदूर को दी गई पुनः उक्त तिथि को ही आंगनबाड़ी केंद्र का मरम्मत पर रूपए 124954.00 की सामग्री क्रय की गई जबकि मनरेगा अन्तर्गत अकुशल मजदूरको रूपए 40200.00 मजदूरी दी गई पुनः उक्त तिथि को छत्तीसा स्कूल पर बाउंड्री वॉल निर्माण हेतु रूपए 87050.00 की सामग्री क्रय की गई जबकि मनरेगा के अंतर्गत अकुशल मजदूर को रूपए 24321.00 मजदूरी दी गई उक्त कार्यों पर अकुशल मजदूर को मजदूरी तो दी गई परन्तु मिस्त्री को कोई मजदूरों न देकर रूपया 596480.00 के व्यय में गंभीर अनियमितता बरती गई जिसके लिए प्रधान श्रीमती रीना सिंह तथा सचिव श्री रमेश कुमार तकनीकी सहायक तथा कार्यक्रम अधिकारी जिम्मेवार है आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर- 114

दिनांक 20-06-2020 को राज्य वित्त के अंतर्गत आईडी संख्या 40929511 से ग्राम पंचायत में 3 हैण्ड रिबोर स्थापना पर रूपये 105000.00 का भुगतान शिवम् इंटरप्राइजेज को दर्शित है परन्तु मजदूरी न देकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है जिसके लिए प्रधान श्रीमती रीना सिंह तथा सचिव श्री रमेश कुमार जिम्मेवार है आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर- 115

दिनांक 20-06-2020 को हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु रूपया 50000.00 का भुगतान शिवम् इंटरप्राइजेज को 23-12-2020 को हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु रूपया 50000.00 का भुगतान एम एस इंटरप्राइजेज को परन्तु मजदूरी नहीं देकर धन का दुरुपयोग किया गया है जिसके लिए प्रधान श्रीमती रीना सिंह तथा सचिव श्री रमेश कुमार जिम्मेवार है आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

62.ग्राम पंचायत का नाम – हुसैनाबाद

विकास खण्ड – रेवती

प्रस्तर-116

मनरेगा के अनतर्गत निम्नलिखित कार्य प्रधान के कार्यकाल के समाप्त होने के बाद प्रशासक के द्वारा कराया गया जिस पर कुल रूपया 129768.00 व्यय हुआ इनकार्यों की उच्चस्तरीय जाँच किया जाना अपेक्षित है क्योंकि त्रिस्तरीय चुनाव के तारीख की घोषणा के पश्चात् इन कार्यों का (आईडी निर्गत करना जिसके लिये कार्यक्रम अधिकारी/प्रशासक, सचिव श्री प्रकाश सिंह तकनीकी सहायक जिम्मेवार है) निष्पादन संदिग्ध प्रतीत होता है।

1.दिनांक 19-2-2021 से 5-3-2021 तक प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में मिट्टी भराई कार्य पर रूपया 38793.00 मजदूरी दर्ज है परन्तु मिट्टी कहा से लाया गया उसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई स्पष्ट रूप से बिना कार्य कराये मजदूरी का भुगतान कर दिया गया है।

2.दिनांक 20-2-2021 से 4-3-2021 तक शिव मंदिर के पास पोखरे के सुन्दरीकरण कार्य किया गया जिस पर रूपया 12585.00 का ह्यूम पाइप दर्ज है जबकि अकुशल मजदूर को मजदूरी रूपया 78390.00 दिया गया है सिर्फ ह्यूम पाइप क्रय किया गया ह्यूम पाइप की स्थापना में बालू सीमेंट ईट गिट्टी आदि सामग्री का कुछ भी प्रयोग नहीं किया गया है, जैसा कि भूमिगत नाली निर्माण के सन्दर्भ में किया जाता है, कार्य संदिग्ध प्रतीत होता है। अतः रूपया 129768.00 के व्यय में गंभीर अनियमितता की गयी है जिसके लिये कार्यक्रम अधिकारी/प्रशासक, सचिव श्री प्रकाश सिंह, तकनीकी सहायक तथा रोजगार सेवक जिम्मेवार है जाचोपरान्त सम्बन्धित पर विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

63.ग्राम पंचायत का नाम – जमघरवा

विकास खण्ड – रेवती

प्रस्तर-117

निम्नलिखित कार्य के सापेक्ष शिलापट्ट स्थापना पर रूपया 56500.00 व्यय दर्शित है परन्तु मनरेगा वेबासाइट पर उक्त फोटोग्राफ अपलोड नहीं है जो सरकारी धन के व्यय में गंभीर अनियमितता प्रदर्शित करता है क्योंकि कार्य के सापेक्ष शिलापट्ट स्थापना की गयी अथवा नहीं संदिग्ध रहा जिसके लिये प्रधान श्री धनजी सचिव श्री रविशंकर यादव तकनीकी सहायक तथा कार्यक्रम अधिकारी/प्रशासक जिम्मेवार है आवश्यक अनुशासनिक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है

ग्राम पंचायत जमघरवा में ददन यादव के खेत से प्रभुनाथ के डेरा तक मिट्टी कराया	20	25-6-2020	5-8-2020	3500.00
ग्राम पंचायत जमघरवा में शैलेश सिंह के खेत से अवधेश राम के खेत तक चकबंद कराया	21	25-6-2020	5-8-2020	3500.00
ग्राम पंचायत जमघरवा में रतिछपरा में माँ काली स्थान से ब्रजविहारी सिंह के खेत तक चकबंद कराया	33	26-7-2020	14-8-2020	4500.00
ग्राम पंचायत जमघरवा में राजा वर्मा के खेत से ओम प्रकाश वर्मा के तक चकबंद कराया	31	26-7-2020	14-8-2020	4500.00
ग्राम पंचायत जमघरवा में पीच रोड से शैलेश सिंह के खेत तक चकबंद कराया	34	25-7-2020	14-8-2029	4500.00
ग्राम पंचायत जमघरवा में शिवइत यादव के खेत से अरिबन्द्र के घर तक चकबंद कराया	32	26-7-2020	18-8-2020	4500.00
ग्राम पंचायत जमघरवा में सरजू यादव के खेत से रामहाल के डेरार तक चकबंद कराया	30	26-7-2020	18-8-2020	4500.00
जमघरवा में थग यादव के घर के पास पीच रोड से गौरी के घर के पास रोड तक चकबंद कराया	2	10-10-2020	27-3-2020	4500.00
ग्राम पंचायत जमघरवा में रामतहाल यादव के डेरा से काशीनाथ के खेत तक चकबंद कराया	16	25-12-2020	27-3-2020	4500.00
ग्राम पंचायत जमघरवा में रतिछपरा में पीच रोड से पंचदेव उपाध्याय के घर तक चकबंद कराया	14	25-11-2020	27-3-2020	4500.00
ग्राम पंचायत जमघरवा में रतिछपरा में पीच रोड से सूरेंद्र उपाध्याय के घर तक चकबंद कराया	29	05-02-2020	27-3-2020	4500.00
ग्राम पंचायत जमघरवा में जानगी यादव के घर से प्रमातमा उपाध्याय के घर तक चकबंद कराया	24	20-01-2020	27-3-2020	4500.00
	28	05-3-2020	27-3-2020	4500.00

प्रस्तर- 118

दिनांक 09.10.2020 को 15वा वित्त के अंतर्गत आई०डी० संख्या 44863101से सामुदायिक शौचालय में सबमर्सिबल की स्थापना पानी टंकी तथा फिटिंग पर रूपया 81300.00 का भुगतान शिवम् इंटरप्राइजेज को किया गया प्रमाणक तो उपलब्ध रहा परन्तु बताया गया कि उक्त फर्म द्वारा मजदूरी दिया गया है जो मान्य नहीं है स्पष्ट रूप से मजदूरी नहीं देकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है सचिव श्री रविशंकर तथा प्रधान श्री धनजी जिम्मेवार है आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-119

दिनांक 23-12-2020 को 14 वा वित्त के अतर्गत ठण्ड में अलाव जलने हेतु रूपया 49800.00 का भुगतान प्रधानको किया गया जो प्रधान के द्वारा आनुषांगिक व्यय/आकस्मिक व्यय के सीमा (कुल रूपया 20000.00) से अधिक व्यय करके अनियमितता की है प्रधान श्रीमती मीना सचिव श्री श्री तेज बहादुर जिम्मेवार है रूपया 29800.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

65.ग्राम पंचायत का नाम – डुमरिया

विकास खण्ड – रेवती

प्रस्तर-120

आलोच्य वर्ष में दिनांक 25-12-2020 को विशन चाँद गुप्ता के घर से नारायण चौबे के घर तक सी सी रोड निरमा पर रूपया 14718.00 का भुगतान अभय नारायण यादव को किया गया परन्तु कोई मजदूरी नहीं देकर धन रूपया 14718.00 का दुरुपयोग किया गया है जिसके लिये प्रधान तथा सचिव जिम्मेवार है आवश्यक अनुशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है इसके अतिरिक्त प्रधान के कार्यकाल के बाद निम्नलिखित कार्य प्रशासक तथा सचिव श्री दयाशंकर द्वारा कराये गये हैं इनकार्यों की उच्चस्तरीय जाँच किया जाना अपेक्षित है क्योंकि त्रिस्तरीय चुनाव के तारीख की घोषणा के पश्चात् इन कार्यों का निष्पादन संदिग्ध प्रतीत होता है दिनांक 26-3-2021 को प्राथमिक विद्यालय डुमरिया तथा राथमिक विद्यालय डुमरिया पश्चिमी में टाइल्स निर्माण पर क्रमशः रूपया 12912.00, 12912.00 दिनांक 26-3-2021 को ऑपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय पंडोली बरउंडी निर्माण पर रूपया 15255.00 दिनांक 26-3-2021 को प्राथमिक विद्यालय डुमरिया पश्चिमी में बाउंड्री निर्माण पर रूपया 18503.00 दिनांक 26-3-2021 को कन्या प्राथमिक विद्यालय में रंगाई पुताई पर रूपया 17280.00 दिनांक 26-3-2021 को प्राथमिक विद्यालय में शौचालय निर्माण पर रूपया 14011.00 व्यय किया गया प्रमाणक प्रस्तुत रहा परन्तु किसी भी कार्य के सापेक्ष मजदूरी नहीं देकर धन रूपया 105591.00 का दुरुपयोग किया गया है जाचोपरान्त सम्बन्धित पर विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

66.ग्राम पंचायत का नाम – पकहाँ

विकास खण्ड – रेवती

प्रस्तर-121

निम्नलिखित कार्य के सापेक्ष शिलापट्ट स्थापना पर रूपया 9500.00 व्यय दर्शित है जिसका भुगतान प्रधान के कार्य समाप्त होने के पश्चात् दिनांक 27-3-2021 को कार्यक्रम अधिकारी/प्रशासक द्वारा किया गया है परन्तु मनरेगा वेबासाइट पर उक्त फोटोग्राफ अपलोड नहीं जो सरकारी धन के व्यय में अनियमितता प्रदर्शित करता है क्योंकि कार्य के सापेक्ष शिलापट्ट स्थापना की गयी अथवा नहीं संदिग्ध रहा जिसके लिये प्रधान श्री अजीत कुमार चौबे सचिव श्री राजीव सिंह तकनीकी सहायक तथा कार्यक्रम अधिकारी/प्रशासक जिम्मेवार है आवश्यक अनुशासनिक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत पकहा में बाबूराम सेनी के खेत से सहतवार चादपुर मार्ग तक चकबंद कराया	96	27-3-2021	3000.00
ग्राम पंचायत पकहा में सहतवार महादनपुर मार्ग से पश्चिम मार्ग बहादुर सैनी के खेत तक चकबंद कराया	95	27-3-2021	3500.00
ग्राम पंचायत पकहा में हरेक्रिसना के खेत से पशुराम यादव के खेत तक चकबंद कराया	99	27-3-2021	3000.00

67.ग्राम पंचायत का नाम – मुनछपरा

विकास खण्ड – रेवती

प्रस्तर-122

दिनांक 24-12-2020 को आई डी संख्या 43062157 से प्रशासनिक मद हेतु रूपया 40000.00 का भुगतान ओ पी इंटरप्राइजेज को किया गया परन्तु विवरण प्रस्तुत नहीं रहा जबकि प्रधान को यात्रा/आनुसांगिक व्यय हेतु रूपया 15000.00 अनुमन्य है परन्तु खण्ड 8 क के अनुसार “यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए उत्तरदायी व्यक्ति से इस धनराशि की

वसूली ब्याज सहित प्रधान ग्राम पंचायत श्रीमती जैतून खातून तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री प्रमोद प्रसाद से संयुक्त रूप से की जाएगी”। विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

69.ग्राम पंचायत का नाम – पचरूखा

विकास खण्ड – रेवती

प्रस्तर-123

राज्य/ चौदहवाँ वित्त के अन्तर्गत आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित व्यय गत वर्षों के कार्य योजना में दर्शित आई डी से किया गया है जो अनियमितता है दिनांक 29-5-2020 को आई डी संख्या 18895210 से सफाई किट हेतु रूपया 22032.00 का भुगतान शिवम् इंटरप्राइजेज को, दिनांक 28-8-2020 को आई डी संख्या 18895185 से स्वामित्व योजना हेतु रूपया 14000.00 का भुगतान शिवम् इंटरप्राइजेज को, दिनांक 28-8-2020 को आई डी संख्या 18895185 से रोजगार सेवक के लिये मोबाइल रूपया 9999.00, दिनांक 28-10-2020 को आई डी संख्या 18895185 से पंचायत भवन के लिये साइन बोर्ड पर रूपया 6000.00, दिनांक 23-12-2020 को आई डी संख्या 18895185 से परिवार रजिस्टर का कंप्यूटरीकृत रजिस्टर निर्माण पर रूपया 9936.00 कुल रूपया 61967.00 के व्यय में गंभीर अनियमितता बरती गयी है जिसके लिये प्रधान श्री सुशिल कुमार सिंह तथा सचिव श्री तेज बहादुर जिम्मेवार है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर- 124

दिनांक 29-5-2020 तथा अन्य तिथियों में ग्राम पंचायत में गत वर्ष के आई डी संख्या 13779876 से विभिन्न स्थानों पर हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु कुल रूपया 72380.00 का (सामग्री तथा मजदूरी) भुगतान शिवम् इंटरप्राइजेज को किया गया है जो अनियमित है प्रथम गत वर्ष के कार्य योजना में दर्शित आलोच्य में करना दुरुपयोग है द्वितीय मजदूरी रूपया 44600.00 फर्म शिवम् इंटरप्राइजेज को देना अमान्य है तृतीय मस्टर रोल प्रस्तुत नहीं रहा अतः उपरोक्त कारणों से स्पष्ट है कि सरकारी धन रूपया 72380.00 के व्यय में गंभीर अनियमितता बरती गयी है जिसके लिये प्रधान श्री सुशिल कुमार सिंह तथा सचिव श्री तेज बहादुर जिम्मेवार है विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

69.ग्राम पंचायत का नाम – गोपालपुर नगर

विकास खण्ड – रेवती

प्रस्तर-125

राज्य/14वाँ तथा 15वाँ वित्तके अन्तर्गत निम्नलिखित विषयों में तिथियों में कार्य कराए गए हैं हैं जिसमें सामग्री का भुगतान तो किया गया है परन्तु मजदूरी संबंधित फर्म को देकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया हैलेखा परीक्षा व्यय प्रमाणक तो मौजूद रहे परन्तु संबंधित पत्रावली फोटो इत्यादि प्रस्तुत नहीं रहे।

- 1.दिनांक 26-6-2020 को प्राथमिक विद्यालय दरिया राय के टोला में चारदीवारी निर्माण पर रूपया 39889.00 का भुगतान हनुमान जी कंस्ट्रक्शन को किया गया जबकि उक्त फर्म को ही रूपया 11930.00 मजदूरी दी गई
- 2.दिनांक 26-6-2020 को पंचायत भवन पर सामुदायिक शौचालय हेतु रूपया 156165.00 का भुगतान हनुमान जी कंस्ट्रक्शन को किया गया है जबकि मजदूरी रूपए 40200.00 दिया गया
- 3.दिनांक 26-6-2020 को प्राथमिक विद्यालय दरिया राय के टोला में शौचालय मरम्मत पर रूपया 108095.00 की सामग्री हनुमान जी कंस्ट्रक्शनको दी गई जबकि रूपए 25020.00 मजदूरी दिया गया।
- 4.दिनांक 10-10-2020 को अरूण यादव के घर के पास पुलिया के दोनों तरफ खडंजा निर्माण पर रूपए 54772.00 का भुगतान प्रगति इंटरप्राइजेज को किया गया है। जबकि मजदूरी रूपया 21500.00 दी गई।
- 5.दिनांक 10-10-2020 को विजय यादव के घर के पास पुलिया के दोनों तरफ खडंजा निर्माण पर रूपए 62663.00 का भुगतान प्रगति इंटरप्राइजेज को किया गया है। जबकि मजदूरी रूपया 18280.00 दी गई।
- 6.दिनांक 9-11-20 को प्राथमिक विद्यालय घीया टोला में टाइल्स लगाने पर रूपया 988817.00 का भुगतान प्रगति इंटरप्राइजेज तथा अन्य को किया गया परन्तु मजदूरी रूपया 55360.00 दिया गया।

7.दिनांक 15-12-2020 को कच्ची रोड से सुरेन्द्र राम के दरवाजे तक इंटरलाॅकिंग कार्य पर कार्य पर रूपए 149034.00 का भुगतान प्रगति इंटरप्राइजेज तथा अन्य को किया गया परन्तु मजदूरी रूपया 20960.00 दिया गया।

8.दिनांक 19-12-2020 को उच्च प्राथमिक विद्यालय में गोपाल में समरसेबल बोरिंग इत्यादि पर रूपए 99575.00 का भुगतान प्रगति इंटरप्राइजेज को किया गया उक्त तिथि को ही प्राथमिक विद्यालय टांडी में समरसेबल री बोरिंग नाली निर्माण पर रूपए 73395.00 का भुगतान प्रगति इंटरप्राइजेज को दिया गया जबकि कुल मजदूरी कुल मजदूरी रूपए 16120.00 का भुगतान उक्त फर्म को किया गया।

9.दिनांक 29-9-2020 को प्राथमिक विद्यालय घीया टोला में शौचालय एवं मुत्रालय निर्माण पर रूपए 176032.00 का भुगतान प्रगति कंस्ट्रक्शन को है जबकि मजदूरी रूपया 22040.00 का भुगतान फर्म को किया गया है।

10.दिनांक 29-9-2020 को प्राथमिक विद्यालय घीया टोला में बाउंड्री वाल तथा गेट निर्माण पर रूपये 130072 का भुगतान प्रगति कंस्ट्रक्शन को है जबकि मजदूरी रूपये 9890 का भुगतान उस फर्म को किया गया है

11.दिनांक 6-10-2020 को अवध बिहारी के खेत के पास पुलिया के दोनों तरफ खड्जा निर्माण पर रूपया 100417 का भुगतान श्री हनुमानजी कंस्ट्रक्शन को किया गया जबकि उक्त फर्म को रूपये 29560 की मजदूरी दी गई

12.दिनांक 6-10-2020 को द्वारका साहनी के घर के पास पुलिया के दोनों तरफ खड्जा निर्माण हेतु रूपए 91076 का भुगतान श्री हनुमानजी कंस्ट्रक्शन को दिया गया जबकि मजदूरी 26600 का भुगतान फर्म ककया गया उक्त तिथि को ही राम अवधेश के घर के पास खड्जा निर्माण पर रूपए 78653 का भुगतान प्रगति इंटरप्राइजेज को किया गया है मजदूरी 23520 भुगतान प्रगति इंटरप्राइजेज किया गया है

13.दिनांक 6-10-2020 राम अवधेश के घर के पास खड्जा निर्माण हेतु रूपया 78653 का भुगतान प्रगति इंटरप्राइजेजको किया गया जबकि मजदूरी रूपया 23520 उसी फार्म को दिया गया

14.दिनांक 6-10-2020 को बिंद टोला के दक्षिण श्रीनिवास यादव के खेत के पास दोनों तरफ खड्जा निर्माण पर रूपया 80227 प्रगति इंटरप्राइजेज को दिया गया जबकि मजदूरी रूपया 23920 उसी फर्म को दिया गया बिंद टोला में कटा हुआ रोड पर खड्जा निर्माण हेतु रूपया 56630 का भुगतान प्रगति इंटरप्राइजेज को हुआ जबकि उक्त कार्य पर मजदूरी रूपया 16800 दिया गया

15.दिनांक 19-12-2020 को प्राथमिक विद्यालय दरिया के टोला में सबमर्सिबल स्थापना पर रूपया 79668 का भुगतान शिवम इंटरप्राइजेज को दिया गया जबकि उक्त मजदूरी रूपया 26340 का भुगतान संबंधित फर्म को किया गया उक्त तिथि को ही उच्च प्राथमिक विद्यालय गोपाल नगर में समरसेबल वाशिंग मशीन इत्यादि के निर्माण पर रूपया 66228 का भुगतान शिवम इंटरप्राइजेज को किया गया जबकि उस कार्य की मजदूरी रूपए 25670 संबंधित फर्म को किया गया

अतः स्पष्ट है कि प्रत्येक कार्य के सापेक्ष मजदूरी का भुगतान संबंधित फर्म को किया गया है जो सरकारी धन के दुरुपयोग रूपया 2541824 का गंभीर अनियमितता की गई है संबंधित कार्यों की पुष्टि की जाने अपेक्षित है तथा जिम्मेवार व्यक्ति प्रधान श्री प्रदीप तथा सचिव श्री सुनील तिवारी पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए क्योंकि फर्म को मजदूरी की धनराशि देकर सरकारी धन के दुरुपयोग की पुष्टि होती है लोगो के कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई तथा विभागीय करवाई किया जाना अपेक्षित है।

70.ग्राम पंचायत का नाम – मानिकपुर

विकास खण्ड – मनियर

प्रस्तर-126

ग्राम पंचायम मनिकपुर में पन्द्रहवें वित्त एवं राज्य वित्त से आलोच्य वर्ष 2020-21 में रु० 3077076.00 धनराशि कैशबुक के अनुसार व्यय दर्शित है-

उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। इस संबंध में ग्राम पंचायत सचिव को क्रमशः विभिन्न पत्राचार दिनांक-21-12-2021, 28-12-2021 करने के बावजूद भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। 30प्र० पंचायत राज्य वित्त एवं लेखा प्रबंध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि ग्राम पंचायत में किये गये व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में व्यय का प्रमाणक प्रस्तुत नहीं जाता है। तो व्यय दर्शित समस्त धनराशि को अपहरण की श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। अतः नियम के आलोक में

व्यय दर्शित धनराशि 3077376.00 को अपहरण की श्रेणी में शामिल करते हुए व्यय धनराशि की वसूली ब्याज सहित संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान श्री राम अवध यादव एवं सचिव श्री दिनेश सिंह से की जाने की सिफारिश की जाती है।

71.ग्राम पंचायत का नाम – सुल्तानपुर तालुका बांसडीह

विकास खण्ड – मनियर

प्रस्तर-127

ग्राम पंचायम सुल्तानपुर तालुका बांसडीह में पन्द्रहवें वित्त एवं राज्य वित्त से आलोच्य वर्ष 2020-21 में रु० 5219346.00 धनराशि कैशबुक के अनुसार व्यय दर्शित है-

उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। इस संबंध में ग्राम पंचायत सचिव को क्रमशः विभिन्न पत्राचार दिनांक- 11-02-2022, 24-02-2022 21-03-2022 करने के बावजूद भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। उ०प्र० पंचायत राज्य वित्त एवं लेखा प्रबंध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि ग्राम पंचायत में किये गये व्यय के सापेक्ष परीक्षा में व्यय का प्रमाणक प्रस्तुत नहीं जाता है। तो व्यय दर्शित समस्त धनराशि को अपहरण की श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। अतः नियम के आलोक में व्यय दर्शित धनराशि 5219346.00 को अपहरण की श्रेणी में शामिल करते हुए व्यय धनराशि की वसूली ब्याज सहित संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान श्रीमती मानती यादव एवं सचिव श्री मन्यु सिंह चौहान से की जाने की सिफारिश की जाती है।

72.ग्राम पंचायत का नाम- बिसुकिया

विकास खण्ड – गड़वार

प्रस्तर-128

ग्राम पंचायम बिसुकिया में पन्द्रहवें वित्त एवं राज्य वित्त से आलोच्य वर्ष 2020-21 में रु० 4569793.00 धनराशि कैशबुक के अनुसार व्यय दर्शित है-

उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। इस संबंध में ग्राम पंचायत सचिव को क्रमशः विभिन्न पत्राचार दिनांक-22-10-2020, 28-10-2020 करने के बावजूद भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। उ०प्र० पंचायत राज्य वित्त एवं लेखा प्रबंध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि ग्राम पंचायत में किये गये व्यय के सापेक्ष परीक्षा में व्यय का प्रमाणक प्रस्तुत नहीं जाता है। तो व्यय दर्शित समस्त धनराशि को अपहरण की श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। अतः नियम के आलोक में व्यय दर्शित धनराशि 4569793.00 को अपहरण की श्रेणी में शामिल करते हुए व्यय धनराशि की वसूली ब्याज सहित संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान श्री अशोक कुमार एवं सचिव श्री देवानन्द गिरि से की जाने की सिफारिश की जाती है।

73.ग्राम पंचायत का नाम-

गड़वार

विकास खण्ड – गड़वार

प्रस्तर-129

ग्राम पंचायम गड़वार में पन्द्रहवें वित्त एवं राज्य वित्त से आलोच्य वर्ष 2020-21 में रु० 6037296.00 धनराशि कैशबुक के अनुसार व्यय दर्शित है-

उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। इस संबंध में ग्राम पंचायत सचिव को क्रमशः विभिन्न पत्राचार दिनांक- 29-11-2021, 6-11-2021, 20-11-2021 करने के बावजूद भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। उ०प्र० पंचायत राज्य वित्त एवं लेखा प्रबंध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि ग्राम पंचायत में किये गये व्यय के सापेक्ष परीक्षा में व्यय का प्रमाणक प्रस्तुत नहीं जाता है। तो व्यय दर्शित समस्त धनराशि को अपहरण की श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। अतः नियम के आलोक में व्यय दर्शित धनराशि 6037296.00 को अपहरण की श्रेणी में शामिल करते हुए व्यय धनराशि की वसूली ब्याज सहित संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान श्रीमती ललिता यादव एवं सचिव श्री अजय कुमार यादव से की जाने की सिफारिश की जाती है।

74.ग्राम पंचायत का नाम-

फेफना

विकास खण्ड – गड़वार

प्रस्तर-130

ग्राम पंचायत फेफना में पन्द्रहवें वित्त एवं राज्य वित्त से आलोच्य वर्ष 2020-21 में रु० 2386785.00 धनराशि कैशबुक के अनुसार व्यय दर्शित है-

उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। इस संबंध में ग्राम पंचायत सचिव को क्रमशः विभिन्न पत्राचार दिनांक- 11-02-2022, 24-02-2022 21-03-2022 करने के बावजूद भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। उOप्रO पंचायत राज्य वित्त एवं लेखा प्रबंध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि ग्राम पंचायत में किये गये व्यय के सापेक्ष परीक्षा में व्यय का प्रमाणक प्रस्तुत नहीं जाता है। तो व्यय दर्शित समस्त धनराशि को अपहरण की श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। अतः नियम के आलोक में व्यय दर्शित धनराशि 2386785.00 को अपहरण की श्रेणी में शामिल करते हुए व्यय धनराशि की वसूली ब्याज सहित संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान श्रीमती सीमा सिंह एवं सचिव श्री अंशुमान सिंह से की जाने की सिफारिश की जाती है।

75.ग्राम पंचायत का नाम-

खरीचा

विकास खण्ड – गड़वार

प्रस्तर-131

ग्राम पंचायत खरीचा में पन्द्रहवें वित्त एवं राज्य वित्त से आलोच्य वर्ष 2020-21 में रु० 3553199.00 धनराशि कैशबुक के अनुसार व्यय दर्शित है-

उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। इस संबंध में ग्राम पंचायत सचिव को क्रमशः विभिन्न पत्राचार दिनांक- 11-10-2021, 24-10-2021 21-11-2021 करने के बावजूद भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। उOप्रO पंचायत राज्य वित्त एवं लेखा प्रबंध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि ग्राम पंचायत में किये गये व्यय के सापेक्ष परीक्षा में व्यय का प्रमाणक प्रस्तुत नहीं जाता है। तो व्यय दर्शित समस्त धनराशि को अपहरण की श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। अतः नियम के आलोक में व्यय दर्शित धनराशि 3553199.00 को अपहरण की श्रेणी में शामिल करते हुए व्यय धनराशि की वसूली ब्याज सहित संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान श्री गोल्डेन एवं सचिव श्री देवांश सिंह से की जाने की सिफारिश की जाती है।

76.ग्राम पंचायत का नाम- मिठवार

विकास खण्ड – गड़वार

प्रस्तर-132

ग्राम पंचायत मिठवार में पन्द्रहवें वित्त एवं राज्य वित्त से आलोच्य वर्ष 2020-21 में रु० 2371069.00 धनराशि कैशबुक के अनुसार व्यय दर्शित है-

उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। इस संबंध में ग्राम पंचायत सचिव को क्रमशः विभिन्न पत्राचार दिनांक- 11-10-2021, 24-10-2021 21-11-2021 करने के बावजूद भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। उOप्रO पंचायत राज्य वित्त एवं लेखा प्रबंध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि ग्राम पंचायत में किये गये व्यय के सापेक्ष परीक्षा में व्यय का प्रमाणक प्रस्तुत नहीं जाता है। तो व्यय दर्शित समस्त धनराशि को अपहरण की श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। अतः नियम के आलोक में व्यय दर्शित धनराशि 2371069.00 को अपहरण की श्रेणी में शामिल करते हुए व्यय धनराशि की वसूली ब्याज सहित संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान श्रीमती रोमा देवी एवं सचिव श्री अंशुमान सिंह से की जाने की सिफारिश की जाती है।

77.ग्राम पंचायत का नाम-

बदनपुरा

विकास खण्ड – गड़वार

प्रस्तर-133

ग्राम पंचायत बदनपुरा में पन्द्रहवें वित्त एवं राज्य वित्त से आलोच्य वर्ष 2020-21 में रु० 1323826.00 धनराशि कैशबुक के अनुसार व्यय दर्शित है-

उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। इस संबंध में ग्राम पंचायत सचिव को क्रमशः विभिन्न पत्राचार दिनांक- 11-10-2021, 24-10-2021 21-11-2021 करने के बावजूद भी अभिलेख

उपलब्ध नहीं कराया गया। 30प्र0 पंचायत राज्य वित्त एवं लेखा प्रबंध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि ग्राम पंचायत में किये गये व्यय के सापेक्ष परीक्षा में व्यय का प्रमाणक प्रस्तुत नहीं जाता है। तो व्यय दर्शित समस्त धनराशि को अपहरण की श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। अतः नियम के आलोक में व्यय दर्शित धनराशि 1323826.00 को अपहरण की श्रेणी में शामिल करते हुए व्यय धनराशि की वसूली ब्याज सहित संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान श्रीमती सीता देवी एवं सचिव श्री हर्षदेव सिंह से की जाने की सिफारिश की जाती है।

78.ग्राम पंचायत का नाम-

सरयां

विकास खण्ड – गड़वार

प्रस्तर-134

ग्राम पंचायत सरयां में पन्द्रहवें वित्त एवं राज्य वित्त से आलोच्य वर्ष 2020-21 में रु० 3553199.00 धनराशि कैशबुक के अनुसार व्यय दर्शित है-

उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। इस संबंध में ग्राम पंचायत सचिव को क्रमशः विभिन्न पत्राचार दिनांक- 10-01-2022, 18-01-2022 31-01-2022 करने के बावजूद भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। 30प्र0 पंचायत राज्य वित्त एवं लेखा प्रबंध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि ग्राम पंचायत में किये गये व्यय के सापेक्ष परीक्षा में व्यय का प्रमाणक प्रस्तुत नहीं जाता है। तो व्यय दर्शित समस्त धनराशि को अपहरण की श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। अतः नियम के आलोक में व्यय दर्शित धनराशि 1930260.00 को अपहरण की श्रेणी में शामिल करते हुए व्यय धनराशि की वसूली ब्याज सहित संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान श्रीमती आशा देवी एवं सचिव श्री अजय यादव से की जाने की सिफारिश की जाती है।

79.ग्राम पंचायत का नाम-

नदौली

विकास खण्ड – गड़वार

प्रस्तर-135

ग्राम पंचायत नदौली में पन्द्रहवें वित्त एवं राज्य वित्त से आलोच्य वर्ष 2020-21 में रु० 995248.00 धनराशि कैशबुक के अनुसार व्यय दर्शित है-

उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। इस संबंध में ग्राम पंचायत सचिव को क्रमशः विभिन्न पत्राचार दिनांक- 10-01-2022, 18-01-2022 31-01-2022 करने के बावजूद भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। 30प्र0 पंचायत राज्य वित्त एवं लेखा प्रबंध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि ग्राम पंचायत में किये गये व्यय के सापेक्ष परीक्षा में व्यय का प्रमाणक प्रस्तुत नहीं जाता है। तो व्यय दर्शित समस्त धनराशि को अपहरण की श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। अतः नियम के आलोक में व्यय दर्शित धनराशि 995248.00 को अपहरण की श्रेणी में शामिल करते हुए व्यय धनराशि की वसूली ब्याज सहित संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान श्रीमती सुधा देवी एवं सचिव श्री हर्षदेव सिंह से की जाने की सिफारिश की जाती है।

80.ग्राम पंचायत का नाम-

पचखोरा कला

विकास खण्ड – गड़वार

प्रस्तर-136

ग्राम पंचायत पचखोरा कला में पन्द्रहवें वित्त एवं राज्य वित्त से आलोच्य वर्ष 2020-21 में रु० 2394953.00 धनराशि कैशबुक के अनुसार व्यय दर्शित है-

उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। इस संबंध में ग्राम पंचायत सचिव को क्रमशः विभिन्न पत्राचार दिनांक- 10-01-2022, 18-01-2022 31-01-2022 करने के बावजूद भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। 30प्र0 पंचायत राज्य वित्त एवं लेखा प्रबंध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि ग्राम पंचायत में किये गये व्यय के सापेक्ष परीक्षा में व्यय का प्रमाणक प्रस्तुत नहीं जाता है। तो व्यय दर्शित समस्त धनराशि को अपहरण की श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। अतः नियम के आलोक में व्यय दर्शित धनराशि 2394953.00 को अपहरण की श्रेणी में शामिल करते हुए व्यय धनराशि की

वसूली ब्याज सहित संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान श्री चिजय शंकर एवं सचिव श्री परमेश्वर यादव से की जाने की सिफारिश की जाती है।

81. ग्राम पंचायत का नाम-

लखुआ

विकास खण्ड – रसड़ा

प्रस्तर-137

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि गया कि दिनांक 8-12-2020 को केन्द्रीय वित्त से ₹0 14000.00 का भुगतान प्रधान श्रीमती मंजू को मानदेय के रूप में किया गया है जबकि मानदेय का भुगतान राज्य वित्त से किये जाने का शासनादेश है इस प्रकार केन्द्रीय वित्त से मानदेय का भुगतान कर सचिव श्री उमेश कुमार द्वारा नियम विरुद्ध कार्य किया गया है जिस हेतु सचिव श्री उमेश कुमार उत्तरदायी है।

82.ग्राम पंचायत का नाम-रजमलपुर

विकास खण्ड – रसड़ा

प्रस्तर-138

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आकड़ों के आधार पर संपन्न की गयी है जिसके अनुसार राज्य वित्त व चौदहवें वित्त से कुल ₹0 1130876.00 व्यय किया गया है। उक्त व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से बार-बार लिखित/मौखिक अनुरोध के बाद भी कोई भी कोई अभिलेख (यथा कैश बुक, बैंक स्टेटमेंट, बिल, मस्टर रोल, कार्यवाही पुस्तिका माप पुस्तिका आदि) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सापेक्ष बिल प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की बसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी।

अतः ₹0 1130876.00 की वसूली ब्याज सहित प्रधान मीना व सचिव श्री प्रेमप्रकाश सिंह से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्र.	माह	आय	आहरित धनराशि का विवरण
1	अप्रैल 2020	13664.00	0.00
2	मई 2020	0.00	0.00
3	जून 2020	0.00	158540.00
4	जुलाई 2020	0.00	86106.00
5	अगस्त 2020	82508.00	6800.00
6	सितंबर 2020	0.00	113980.00
7	अक्टूबर 2020	0.00	0.00
8	नवम्बर 2020	321696.00	4200.00
9	दिसम्बर 2020	0.00	309000.00
10	जनवरी 2021	389671.00	0.00
11	फरवरी 2021	219442.00	452250.00
12	मार्च 2021	219442.00	0.00
	योग -	1026981.00	1130876.00

83.ग्राम पंचायत का नाम-कामसीपुर

विकास खण्ड – रसड़ा

प्रस्तर-139

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आकड़ों के आधार पर संपन्न की गयी है जिसके अनुसार राज्य वित्त व चौदहवें वित्त से कुल ₹01348485.00 व्यय किया गया है। उक्त व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से बार-बार लिखित/मौखिक अनुरोध के बाद भी कोई भी कोई अभिलेख (यथा कैश बुक, बैंक स्टेटमेंट, बिल, मस्टर रोल, कार्यवाही पुस्तिका माप पुस्तिका आदि) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सापेक्ष बिल प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की बसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी।

अतःरु01348485.00 की वसूली ब्याज सहित प्रधान रामदास सचिव श्री दयानंद से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्र.	माह	आय	आहरित धनराशि का विवरण
1	अप्रैल 2020	4118.00	0.00
2	मई 2020	0.00	0.00
3	जून 2020	0.00	548040.00
4	जुलाई 2020	0.00	2720.00
5	अगस्त 2020	0.00	90585.00
6	सितंबर 2020	0.00	129600.00
7	अक्टूबर 2020	61199.00	49060.00
8	नवंबर 2020	409287.00	435900.00
9	दिसम्बर 2020	0.00	92580.00
10	जनवरी 2021	0.00	0.00
11	फरवरी 2021	0.00	0.00
12	मार्च 2021	0.00	0.00
	योग-	474604.00	1348485.00

84.ग्राम पंचायत का नाम- मुस्तफाबाद

विकास खण्ड – रसड़ा

प्रस्तर-140

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आकड़ों के आधार पर संपन्न की गयी है जिसके अनुसार राज्य वित्त व चौदहवे वित्त से कुल रु0 1083404.00 व्यय किया गया है। उक्त व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से बार-बार लिखित/मौखिक अनुरोध के बाद भी कोई भी कोई अभिलेख (यथा कैश बुक, बैंक स्टेटमेंट, बिल, मस्टर रोल, कार्यवाही पुस्तिका माप पुस्तिका आदि) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सापेक्ष बिल प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की बसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी।

अतःरु0 1083404.00 की वसूली ब्याज सहित प्रधान रामजीत गुप्ता सचिव श्री शमसाद अहमद से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्र.	माह	आय	आहरित धनराशि का विवरण
1	अप्रैल 2020	0.00	0.00
2	मई 2020	0.00	0.00
3	जून 2020	0.00	0.00
4	जुलाई 2020	252491	199343.00
5	अगस्त 2020	343893.00	35676.00
6	सितम्बर 2020	0.00	63885.00
7	अक्टूबर 2020	112616.00	87000.00
8	नवंबर 2020	0.00	17466.00
9	दिसंबर 2020	797055.00	680034.00
10	जनवरी 2021	0.00	0.00
11	फरवरी 2021	113290.00	0.00
12	मार्च 2021	324336.00	0.00
	योग-	1943681.00	1083404.00

85.ग्राम पंचायत का नाम- रोहना

विकास खण्ड – रसड़ा

प्रस्तर-141

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आकड़ों के आधार पर संपन्न की गयी है जिसके अनुसार राज्य वित्त व चौदहवे वित्त से कुल ₹03942798.00 व्यय किया गया है। उक्त व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से बार-बार लिखित/मौखिक अनुरोध के बाद भी कोई भी कोई अभिलेख (यथा कैश बुक, बैंक स्टेटमेंट, बिल, मस्टर रोल, कार्यवाही पुस्तिका माप पुस्तिका आदि) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सापेक्ष बिल प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की बसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी।

अतः ₹0 39422798.00 की वसूली ब्याज सहित प्रधान राजेश सचिव श्री शमसाद अहमद से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्र.	माह	आय	आहरित धनराशि का विवरण
1	अप्रैल 2020	0.00	0.00
2	मई 2020	289469.00	326200.00
3	जून 2020	0.00	1626975.00
4	जुलाई 2020	0.00	464950.00
5	अगस्त 2020	100329.00	85725.00
6	सितम्बर 2020	0.00	816445.00
7	अक्टूबर 2020	117300.00	0.00
8	नवंबर 2020	0.00	34366.00
9	दिसंबर 2020	58656.00	588137.00
10	जनवरी 2021	0.00	0.00
11	फरवरी 2021	0.00	0.00
12	मार्च 2021	2051193.00	0.00
	योग-	2616947.00	3942798.00

86.ग्राम पंचायत का नाम-कोप

विकास खण्ड – रसड़ा

प्रस्तर-142

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आकड़ों के आधार पर संपन्न की गयी है जिसके अनुसार राज्य वित्त व चौदहवे वित्त से कुल ₹0 1774169.00 व्यय किया गया है। उक्त व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से बार-बार लिखित/मौखिक अनुरोध के बाद भी कोई भी कोई अभिलेख (यथा कैश बुक, बैंक स्टेटमेंट, बिल, मस्टर रोल, कार्यवाही पुस्तिका माप पुस्तिका आदि) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सापेक्ष बिल प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की बसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी।

अतः ₹0 1774169.00 की वसूली ब्याज सहित प्रधान रामभवन सचिव श्री शमसाद अहमद से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्र.	माह	आय	आहरित धनराशि का विवरण
1	अप्रैल 2020	0.00	0.00
2	मई 2020	0.00	0.00
3	जून 2020	0.00	13454.00
4	जुलाई 2020	0.00	70000.00

5	अगस्त 2020	373541.00	338674.00
6	सितम्बर 2020	0.00	109087.00
7	अक्टूबर 2020	133798.00	58150.00
8	नवंबर 2020	0.00	88150.00
9	दिसंबर 2020	698455.00	740618.00
10	जनवरी 2021	0.00	0.00
11	फरवरी 2021	0.00	0.00
12	मार्च 2021	452650.00	355286.00
	योग-	1658444.00	1774169.00

87. ग्राम पंचायत का नाम-अठीलापुर

विकास खण्ड – रसड़ा

प्रस्तर-143

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आकड़ों के आधार पर संपन्न की गयी है जिसके अनुसार राज्य वित्त व चौदहवें वित्त से कुल ₹0 5952966.00 व्यय किया गया है। उक्त व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से बार-बार लिखित/मौखिक अनुरोध के बाद भी कोई भी कोई अभिलेख (यथा कैश बुक, बैंक स्टेटमेंट, बिल, मस्टर रोल, कार्यवाही पुस्तिका माप पुस्तिका आदि) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सापेक्ष बिल प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की बसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी।

अतः ₹0 5952966.00 की वसूली ब्याज सहित प्रधान आशा सचिव श्री प्रेम प्रकाश सिंह से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्र.	माह	आय	आहरित धनराशि का विवरण
1	अप्रैल 2020	0.00	0.00
2	मई 2020	0.00	0.00
3	जून 2020	0.00	0.00
4	जुलाई 2020	0.00	642534.00
5	अगस्त 2020	0.00	446950.00
6	सितम्बर 2020	269915.00	79260.00
7	अक्टूबर 2020	157785.00	629715.00
8	नवंबर 2020	1647356.00	417477.00
9	दिसंबर 2020	0.00	1395903.00
10	जनवरी 2021	0.00	0.00
11	फरवरी 2021	1389055.00	1776307.00
12	मार्च 2021	990801.00	564820.00
	योग-	4479664.00	5952966.00

88. ग्राम पंचायत का नाम-

रौराचवर

विकास खण्ड – रसड़ा

प्रस्तर-144

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आकड़ों के आधार पर संपन्न की गयी है जिसके अनुसार राज्य वित्त व चौदहवें वित्त से कुल ₹0 1241504.00 व्यय किया गया है। उक्त व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से बार-बार लिखित/मौखिक अनुरोध के बाद भी कोई भी कोई अभिलेख (यथा कैश बुक, बैंक स्टेटमेंट, बिल, मस्टर रोल, कार्यवाही पुस्तिका माप पुस्तिका आदि) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत

नहीं किया गया। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सापेक्ष बिल प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की बसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी।

अतःरु0 1241504.00 की वसूली ब्याज सहित प्रधान श्री प्रेम प्रकाश / प्रशासक व सचिव श्री बलराम यादव / निककी राय से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्र.	माह	आय	आहरित धनराशि का विवरण
1	अप्रैल 2020	0.00	0.00
2	मई 2020	0.00	0.00
3	जून 2020	0.00	0.00
4	जुलाई 2020	14067.00	0.00
5	अगस्त 2020	71830.00	168668.00
6	सितम्बर 2020	0.00	0.00
7	अक्टूबर 2020	83980.00	207029.00
8	नवंबर 2020	438395.00	239500.00
9	दिसंबर 2020	25000.00	325285.00
10	जनवरी 2021	0.00	0.00
11	फरवरी 2021	0.00	0.00
12	मार्च 2021	832804.00	301022.00
	योग-	1466076.00	1241504.00

89.ग्राम पंचायत का नाम-कटरिया

विकास खण्ड – रसड़ा

प्रस्तर-145

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आकड़ों के आधार पर संपन्न की गयी है जिसके अनुसार राज्य वित्त व चौदहवे वित्त से कुल रु02503252.00 व्यय किया गया है। उक्त व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से बार-बार लिखित/मौखिक अनुरोध के बाद भी कोई भी कोई अभिलेख (यथा कैश बुक, बैंक स्टेटमेंट, बिल, मस्टर रोल, कार्यवाही पुस्तिका माप पुस्तिका आदि) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सापेक्ष बिल प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की बसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी।

अतःरु0 2503252.00 की वसूली ब्याज सहित प्रधान श्रीमती इन्द्रावती / प्रशासक व सचिव श्री बलराम यादव / निककी राय से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्र.	माह	आय	आहरित धनराशि का विवरण
1	अप्रैल 2020	0.00	0.00
2	मई 2020	0.00	0.00
3	जून 2020	0.00	0.00
4	जुलाई 2020	0.00	0.00
5	अगस्त 2020	0.00	195597.00
6	सितम्बर 2020	122794.00	161819.00
7	अक्टूबर 2020	143564.00	152029.00
8	नवंबर 2020	0.00	112040.00
9	दिसंबर 2020	677660.00	568085.00
10	जनवरी 2021	0.00	2100.00
11	फरवरी 2021	338434.00	669722.00

12	मार्च 2021	614226.00	641860.00
	योग-	1896678.00	2503252.00

90.ग्राम पंचायत का नाम-बस्ती

विकास खण्ड – रसड़ा

प्रस्तर-146

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आकड़ों के आधार पर संपन्न की गयी है जिसके अनुसार राज्य वित्त व चौदहवे वित्त से कुल ₹0 1246356.00 व्यय किया गया है। उक्त व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से बार-बार लिखित/मौखिक अनुरोध के बाद भी कोई भी कोई अभिलेख (यथा कैश बुक, बैंक स्टेटमेंट, बिल, मस्टर रोल, कार्यवाही पुस्तिका माप पुस्तिका आदि) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सापेक्ष बिल प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की बसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी।

अतः ₹0 1246356.00 की वसूली ब्याज सहित प्रधान श्रीमती बन्दना व सचिव श्री शमसाद अहमद से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्र.	माह	आय	आहरित धनराशि का विवरण
1	अप्रैल 2020	66166.00	0.00
2	मई 2020	0.00	0.00
3	जून 2020	0.00	0.00
4	जुलाई 2020	0.00	0.00
5	अगस्त 2020	75104.00	68920.00
6	सितम्बर 2020	0.00	0.00
7	अक्टूबर 2020	87808.00	277663.00
8	नवंबर 2020	0.00	106590.00
9	दिसंबर 2020	206996.00	441115.00
10	जनवरी 2021	0.00	0.00
11	फरवरी 2021	0.00	0.00
12	मार्च 2021	1745302.00	352068.00
	योग-	2121376.00	1246356.00

91.ग्राम पंचायत का नाम- मुडेरा

विकास खण्ड – रसड़ा

प्रस्तर-147

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आकड़ों के आधार पर संपन्न की गयी है जिसके अनुसार राज्य वित्त व चौदहवे वित्त से कुल ₹0 4240928.00 व्यय किया गया है। उक्त व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से बार-बार लिखित/मौखिक अनुरोध के बाद भी कोई भी कोई अभिलेख (यथा कैश बुक, बैंक स्टेटमेंट, बिल, मस्टर रोल, कार्यवाही पुस्तिका माप पुस्तिका आदि) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सापेक्ष बिल प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की बसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी।

अतः ₹0 4240928.00 की वसूली ब्याज सहित प्रधान श्रीमती मीरा व सचिव श्री दयानंद से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्र.	माह	आय	आहरित धनराशि का विवरण
1	अप्रैल 2020	66166.00	0.00
2	मई 2020	0.00	0.00

3	जून 2020	0.00	0.00
4	जुलाई 2020	0.00	0.00
5	अगस्त 2020	0.00	8920.00
6	सितम्बर 2020	185142.00	692298.00
7	अक्टूबर 2020	0.00	222980.00
8	नवंबर 2020	1021740.00	816830.00
9	दिसंबर 2020	216458.00	1932400.00
10	जनवरी 2021	0.00	0.00
11	फरवरी 2021	0.00	0.00
12	मार्च 2021	732336.00	567500.00
	योग-	2170843.00	4240928.00

92.ग्राम पंचायत का नाम-नगहर

विकास खण्ड – रसड़ा

प्रस्तर-148

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आकड़ों के आधार पर संपन्न की गयी है जिसके अनुसार राज्य वित्त व चौदहवें वित्त से कुल ₹0 2413775.00 व्यय किया गया है। उक्त व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से बार-बार लिखित/मौखिक अनुरोध के बाद भी कोई भी कोई अभिलेख (यथा कैश बुक, बैंक स्टेटमेंट, बिल, मस्टर रोल, कार्यवाही पुस्तिका माप पुस्तिका आदि) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सापेक्ष बिल प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की बसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी।

अतः ₹0 2413775.00 की वसूली ब्याज सहित प्रधान श्रीमती संगीत व सचिव श्री दयानंद से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्र.	माह	आय	आहरित धनराशि का विवरण
1	अप्रैल 2020	6749.00	0.00
2	मई 2020	0.00	0.00
3	जून 2020	0.00	0.00
4	जुलाई 2020	0.00	0.00
5	अगस्त 2020	366573.00	341846.00
6	सितम्बर 2020	0.00	246979.00
7	अक्टूबर 2020	60215.00	0.00
8	नवंबर 2020	120430.00	464620.00
9	दिसंबर 2020	568460.00	1360330.00
10	जनवरी 2021	0.00	0.00
11	फरवरी 2021	0.00	0.00
12	मार्च 2021	0.00	0.00
	योग-	1122427.00	2413775.00

93.ग्राम पंचायत का नाम-अमहरा

विकास खण्ड – रसड़ा

प्रस्तर-149

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आकड़ों के आधार पर संपन्न की गयी है जिसके अनुसार राज्य वित्त व चौदहवें वित्त से कुल ₹0 1624223.00 व्यय किया गया है। उक्त व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से बार-बार लिखित/मौखिक अनुरोध के बाद भी कोई भी कोई अभिलेख

(यथा कैश बुक, बैंक स्टेटमेंट, बिल, मस्टर रोल, कार्यवाही पुस्तिका माप पुस्तिका आदि) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सापेक्ष बिल प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की बसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी।

अतः रु0 1624223.00 की वसूली ब्याज सहित प्रधान श्री राजभवन व सचिव श्री दयानंद से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्र.	माह	आय	आहरित धनराशि का विवरण
1	अप्रैल 2020	3910.00	0.00
2	मई 2020	0.00	0.00
3	जून 2020	0.00	0.00
4	जुलाई 2020	0.00	0.00
5	अगस्त 2020	100288.00	8920.00
6	सितम्बर 2020	0.00	170941.00
7	अक्टूबर 2020	0.00	208042.00
8	नवंबर 2020	732703.00	700.00
9	दिसंबर 2020	0.00	1235620.00
10	जनवरी 2021	0.00	0.00
11	फरवरी 2021	0.00	0.00
12	मार्च 2021	0.00	0.00
	योग-	2406781.00	1624223.00

94. ग्राम पंचायत का नाम - खड़सरा अजीजपुर विकास खंड - रसड़ा

प्रस्तर-150

आलोच्य वर्ष कि लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 21-07-2020 को रु0 23613.00 का आहरण पी.एफ.एम.एस. के माध्यम से किया गया है कैश बुक में उक्त आहरित धनराशि का अंकन प्रधान की पास अवशेष के रूप में अंकित है। जिसे आगामी ताहो/पुरे वित्तीय वर्ष में भी व्यय नहीं किया गया है इसी प्रकार बैंक स्टेटमेंट में दिनांक 28-07-2020 को पी0 एफ एम0एस0 द्वारा रु0 5000.00 का आहरण किया गया है परन्तु उक्त आहरित धनराशि को कैश बुक में अंकन नहीं किया गया है और ना ही व्यय किया गया है इस प्रकार उक्त दो तिथियों में कुल रु0 23613+5000=28613 आहरित धनराशि व्यय न कर धन का अपहरण कर लिया गया है जिसके लिए प्रधान श्रीमती अम्बिका देवी व सचिव नन्द जी उत्तरदायी हैं। अतः रु0 28613 की वसूली ब्याज सहित प्रधान अम्बिका देवी व सचिव नन्द जी से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

95. ग्राम पंचायत का नाम - सब्बलपुर सिलहट

विकास खंड - रसड़ा

प्रस्तर-151

आलोच्य वर्ष कि लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 27-08-2020 व दिनांक 17-09-2020 को क्रमशः रु0 4200 व 4200 कुल 8400 का भुगतान अग्रवाल एसोसिएट बलिया को पी.एफ.एम.एस. के माध्यम से किया गया है जिसका विवरण कैश बुक में जी.एस.टी. कार्ड हेतु किया गया अंकित है। उक्त व्यय के सम्बन्ध में सचिव से जी0एस0टी0 नम्बर आबंटन के सम्बन्ध में विवरण मांगा गया तो कोई भी नम्बर/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही सम्बंधित धनराशि का बिल/बाउचर्स उपलब्ध कराया गया। सचिव नन्द जी द्वारा बताया गया कि सहायक विकास अधिकारी पंचायत द्वारा उक्त भुगतान हेतु कहा गया जी0एस0टी0 नम्बर हेतु कुल रु0 8400.00 का भुगतान किया गया जिसके सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक/अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। इस प्रकार रु0 8400.00 का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा कर लिया गया जिसके लिए प्रधान हरिन्द्र यादव व सचिव

नन्द जी उत्तरदायी है। अतः उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित प्रधान श्री हरिन्द्र व सचिव नन्द जी से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

96. ग्राम पंचायत का नाम- शाह मुहम्मदपुर

विकास खंड-रसड़ा

प्रस्तर-152

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत सचिव द्वारा मात्र कैश बुक पास बुक ही उपलब्ध कराना गया। बार-बार मौखिक/दूरभाष पर संपर्क करने के बाद भी सचिव द्वारा व्यय /आहरित की गयी धनराशि से सम्बन्धित पत्रावली,बिल/वाउचर्स,मस्टर रोल एम0बी0, कार्य का प्रकलन आदि अन्य महत्वपूर्ण अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिस कारण आहरित/व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में यदि कोई वाउचर्स सचिव द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए उस धनराशि कि वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत में कि जायेगी। अतः ₹0 827267.00 का गबन प्रधान तथा तत्कालीन सचिव द्वारा दुरभि संधि करते हुए कर लिया गया है जिसकी वसूली ब्याज सहित प्रधान श्रीमती गीता सचिव विवेक पाण्डेय से सामान रूप से कया जाना अपेक्षित है।

97. ग्राम पंचायत का नाम- सरया भारती

विकास खंड-रसड़ा

प्रस्तर-153

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत सचिव द्वारा मात्र कैश बुक पास बुक ही उपलब्ध कराना गया। बार-बार मौखिक/दूरभाष पर संपर्क करने के बाद भी सचिव द्वारा व्यय /आहरित की गयी धनराशि से सम्बन्धित पत्रावली,बिल/वाउचर्स,मस्टर रोल एम0बी0, कार्य का प्रकलन आदि अन्य महत्वपूर्ण अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिस कारण आहरित/व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में यदि कोई वाउचर्स सचिव द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए उस धनराशि कि वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत में कि जायेगी। अतः ₹0 8239619.00 का गबन प्रधान तथा तत्कालीन सचिव द्वारा दुरभि संधि करते हुए कर लिया गया है जिसकी वसूली ब्याज सहित प्रधान श्रीमती गीता सचिव विवेक पाण्डेय से सामान रूप से कया जाना अपेक्षित है। व्यय का विवरण निम्नवत है:-

क्र0	माह	आय	व्यय	धनराशि
1	अप्रैल - 2020	0.00	0.00	0.00
2	मई- 2020	0.00	0.00	0.00
3	जून- 2020	0.00	0.00	0.00
4	जुलाई -2020	0.00	0.00	0.00
5	अगस्त -2020	89633.00	623384.00	22172.00
6	सिम्तबर- 2020	0.00	2307917.00	695884.00
7	अक्टुबर -2020	0.00	0.00	38292.00
8	नवम्बर -2020	1984293.00	3270564.00	0.00
9	दिसम्बर- 2020	630567.00	2986031.00	459883.00
10	जनवरी -2020	0.00	0.00	0.00
11	फरवरी -2020	422878.00	659000.00	413218.00

12	मार्च- 2020	1629345.00	0.00	0.00
	योग-	4756716.00	9846896.00	1607277.00
			0	

98. ग्राम पंचायत का नाम - अमहर पट्टी उत्तर

विकास खण्ड- रसड़ा

प्रस्तर-154

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत सचिव से बार-बार लिखित मौखिक/दूरभाषा पर सम्पर्क करने के बाद भी सचिव द्वारा व्यय/आहरित की गयी धनराशि से सम्बन्धित कैश बुक पत्रावली,बिल/बाउचर्स मस्टर रोल एम.बी. कार्य का प्रकलन आदि अन्य महत्वपूर्ण अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिस कारण आहरित/व्यय की गयी धनराशि 1984098.00 की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा ई-ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आकड़ों के आधार पर संपन्न की गई है जिसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल ₹0 1984098.00 का व्यय दर्शित है। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में यदि कोई बाउचर्स सचिव द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए उस धनराशि कि वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से कि जायेगी। अतः ₹0 1984098.00 का गबन प्रधान तथा तत्कालीन सचिव द्वारा दुरभि संधि करते हुए कर लिया गया है जिसकी वसूली ब्याज सहित प्रधान श्री राजेन्द्र व सचिव बलराम यादव से सामान रूप से किया जाना अपेक्षित है। व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्र०	माह	आय	व्यय	धनराशि
1	अप्रैल - 2020	0.00	0.00	0.00
2	मई- 2020	33140.00	0.00	0.00
3	जून- 2020	0.00	0.00	0.00
4	जुलाई -2020	0.00	0.00	0.00
5	अगस्त -2020	174084.00	279968.00	0.00
6	सिम्तबर- 2020	0.00	203189.00	0.00
7	अक्टुबर -2020	0.00	0.00	0.00
8	नवम्बर -2020	0.00	0.00	0.00
9	दिसम्बर- 2020	1866061.00	1391322.00	149880.00
10	जनवरी -2020	0.00	0.00	0.00
11	फरवरी -2020	0.00	210999.00	0.00
12	मार्च- 2020	730917.00	48500.00	0.00
	योग-	2804202.00	2133978.00	149880.00

99.ग्राम पंचायत का नाम-

खनवर नवादा

विकास खण्ड - नगरा

प्रस्तर-155

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आकड़ों के आधार पर संपन्न की गयी है जिसके अनुसार राज्य वित्त व चौदहवे वित्त से कुल ₹0 2985614.00 व्यय किया गया है। उक्त व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से बार-बार लिखित/मौखिक अनुरोध के बाद भी कोई भी कोई अभिलेख (यथा कैश बुक, बैंक स्टेटमेंट, बिल, मस्टर रोल, कार्यवाही पुस्तिका माप पुस्तिका आदि) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सापेक्ष बिल प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की बसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी।

अतः ₹0 2985614.00 की वसूली ब्याज सहित प्रधान श्री सूर्यप्रकाश व सचिव श्री दिनेश सिंह से बराबर- बराबर किया जाना अपेक्षित है। व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्र.	माह	आय	आहरित धनराशि का विवरण

1	अप्रैल 2020	0.00	0.00
2	मई 2020	0.00	0.00
3	जून 2020	105080.00	272000.00
4	जुलाई 2020	181695.00	464400.00
5	अगस्त 2020	0.00	56873.00
6	सितम्बर 2020	376747.00	809801.00
7	अक्टूबर 2020	377628.00	559224.00
8	नवंबर 2020	732703.00	208000.00
9	दिसंबर 2020	79908.00	309400.00
10	जनवरी 2021	0.00	0.00
11	फरवरी 2021	160776.00	0.00
12	मार्च 2021	460283.00	305916.00
	योग-	1981841.00	2985614.00

100.ग्राम पंचायत का नाम- इन्मीपुर विकास खण्ड – नगरा
प्रस्तर-156

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आकड़ों के आधार पर संपन्न की गयी है जिसके अनुसार राज्य वित्त व चौदहवे वित्त से कुल ₹0 745077.00 व्यय किया गया है। उक्त व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से बार-बार लिखित/मौखिक अनुरोध के बाद भी कोई भी कोई अभिलेख (यथा कैश बुक, बैंक स्टेटमेंट, बिल, मस्टर रोल, कार्यवाही पुस्तिका माप पुस्तिका आदि) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सापेक्ष बिल प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की बसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी।

अतः ₹0 745077.00 की वसूली ब्याज सहित प्रधान श्री राजेन्द्र व सचिव श्री हर्षदेव से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्र.	माह	आय	आहरित धनराशि का विवरण
1	अप्रैल 2020	16753.00	0.00
2	मई 2020	0.00	0.00
3	जून 2020	0.00	0.00
4	जुलाई 2020	4934.00	17257.00
5	अगस्त 2020	0.00	290000.00
6	सितम्बर 2020	0.00	0.00
7	अक्टूबर 2020	0.00	0.00
8	नवंबर 2020	0.00	11500.00
9	दिसंबर 2020	927421.00	426320.00
10	जनवरी 2021	0.00	0.00
11	फरवरी 2021	0.00	0.00
12	मार्च 2021	1040858.00	0.00
	योग-	1989966.00	745077.00

101.ग्राम पंचायत का नाम- इन्दासों विकास खण्ड – नगरा
प्रस्तर-157

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आकड़ों के आधार पर संपन्न की गयी है जिसके अनुसार राज्य वित्त व चौदहवें वित्त से कुल ₹0 2204829.00 व्यय किया गया है। उक्त व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से बार-बार लिखित/मौखिक अनुरोध के बाद भी कोई भी कोई अभिलेख (यथा कैश बुक, बैंक स्टेटमेंट, बिल, मस्टर रोल, कार्यवाही पुस्तिका माप पुस्तिका आदि) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सापेक्ष बिल प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की बसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी।

अतः ₹0 2204829.00 की वसूली प्रधान श्री शेरबहादुर व सचिव श्री जावेद आलम से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्र.	माह	आय	आहरित धनराशि का विवरण
1	अप्रैल 2020	0.00	0.00
2	मई 2020	0.00	0.00
3	जून 2020	0.00	24900.00
4	जुलाई 2020	0.00	365790.00
5	अगस्त 2020	129200.00	2000.00
6	सितम्बर 2020	842216.00	603105.00
7	अक्टूबर 2020	0.00	282057.00
8	नवंबर 2020	75527.00	606900.00
9	दिसंबर 2020	164661.00	320071.00
10	जनवरी 2021	160737.00	0.00
11	फरवरी 2021	435037.00	0.00
12	मार्च 2021	591389.00	0.00
	योग-	2398767.00	2204829.00

102.ग्राम पंचायत का नाम- परसिया रूपपुर विकास खण्ड – नगरा प्रस्तर-158

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आकड़ों के आधार पर संपन्न की गयी है जिसके अनुसार राज्य वित्त व चौदहवें वित्त से कुल ₹0 2223445.00 व्यय किया गया है। उक्त व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से बार-बार लिखित/मौखिक अनुरोध के बाद भी कोई भी कोई अभिलेख (यथा कैश बुक, बैंक स्टेटमेंट, बिल, मस्टर रोल, कार्यवाही पुस्तिका माप पुस्तिका आदि) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सापेक्ष बिल प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की बसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी।

अतः ₹0 2223445.00 की वसूली ब्याज सहित प्रधान श्री चिन्ता व सचिव श्री जावेद आलम से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्र.	माह	आय	आहरित धनराशि का विवरण
1	अप्रैल 2020	4115.00	0.00
2	मई 2020	0.00	20000.00
3	जून 2020	0.00	104101.00
4	जुलाई 2020	0.00	300803.00
5	अगस्त 2020	97500.00	120500.00
6	सितम्बर 2020	831172.00	244712.00
7	अक्टूबर 2020	0.00	210233.00

8	नवंबर 2020	0.00	407996.00
9	दिसंबर 2020	223611.00	482500.00
10	जनवरी 2021	0.00	0.00
11	फरवरी 2021	0.00	0.00
12	मार्च 2021	1099003.00	332600.00
	योग-	2255401.00	2223445.00

103.ग्राम पंचायत का नाम- नरही

विकास खण्ड – नगरा

प्रस्तर-159

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आकड़ों के आधार पर संपन्न की गयी है जिसके अनुसार राज्य वित्त व चौदहवें वित्त से कुल ₹0 7703991.00 व्यय किया गया है। उक्त व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से बार-बार लिखित/मौखिक अनुरोध के बाद भी कोई भी कोई अभिलेख (यथा कैश बुक, बैंक स्टेटमेंट, बिल, मस्टर रोल, कार्यवाही पुस्तिका माप पुस्तिका आदि) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सापेक्ष बिल प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की बसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी।

अतः ₹0 7703991.00 की वसूली ब्याज सहित प्रधान श्री देवनारायण व सचिव श्री हर्षदेव से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्र.	माह	आय	आहरित धनराशि का विवरण
1	अप्रैल 2020	3045934.00	0.00
2	मई 2020	0.00	0.00
3	जून 2020	0.00	0.00
4	जुलाई 2020	22961.00	200457.00
5	अगस्त 2020	0.00	1100805.00
6	सितम्बर 2020	0.00	853730.00
7	अक्टूबर 2020	1533108.00	752819.00
8	नवंबर 2020	0.00	0.00
9	दिसंबर 2020	865019.00	2655541.00
10	जनवरी 2021	26474.00	0.00
11	फरवरी 2021	1098935.00	457897.00
12	मार्च 2021	904207.00	1682739.00
	योग-	7496638.00	7703991.00

104.ग्राम पंचायत का नाम-देवरिया

विकास खण्ड – नगरा

प्रस्तर-160

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आकड़ों के आधार पर संपन्न की गयी है जिसके अनुसार राज्य वित्त व चौदहवें वित्त से कुल ₹0 717415.00 व्यय किया गया है। उक्त व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से बार-बार लिखित/मौखिक अनुरोध के बाद भी कोई भी कोई अभिलेख (यथा कैश बुक, बैंक स्टेटमेंट, बिल, मस्टर रोल, कार्यवाही पुस्तिका माप पुस्तिका आदि) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के

बिन्दु 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सापेक्ष बिल प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की बसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी।

अतः रु0 717415.00 की वसूली ब्याज सहित प्रधान श्री रामाशंकर व सचिव श्री हर्षदेव से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्र.	माह	आय	आहरित धनराशि का विवरण
1	अप्रैल 2020	0.00	0.00
2	मई 2020	0.00	0.00
3	जून 2020	0.00	0.00
4	जुलाई 2020	0.00	44057.00
5	अगस्त 2020	0.00	53000.00
6	सितम्बर 2020	0.00	0.00
7	अक्टूबर 2020	625511.00	271033.00
8	नवंबर 2020	0.00	44219.00
9	दिसंबर 2020	298106.00	298106.00
10	जनवरी 2021	0.00	0.00
11	फरवरी 2021	303423.00	0.00
12	मार्च 2021	0.00	7000.00
	योग-	1140311.00	717415.00

105.ग्राम पंचायत का नाम- खैरा निस्फी

विकास खण्ड – नगरा

प्रस्तर-161

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आकड़ों के आधार पर संपन्न की गयी है जिसके अनुसार राज्य वित्त व चौदहवे वित्त से कुल रु0 1426324.00 व्यय किया गया है। उक्त व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से बार-बार लिखित/मौखिक अनुरोध के बाद भी कोई भी कोई अभिलेख (यथा कैश बुक, बैंक स्टेटमेंट, बिल, मस्टर रोल, कार्यवाही पुस्तिका माप पुस्तिका आदि) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सापेक्ष बिल प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की बसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी।

अतः रु0 1426324.00 की वसूली ब्याज सहित प्रधान श्री रामनरेश व सचिव श्री दिनेश सिंह से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्र.	माह	आय	आहरित धनराशि का विवरण
1	अप्रैल 2020	6572.00	0.00
2	मई 2020	0.00	0.00
3	जून 2020	0.00	0.00
4	जुलाई 2020	0.00	44057.00
5	अगस्त 2020	85387.00	53000.00
6	सितम्बर 2020	471223.00	284610.00
7	अक्टूबर 2020	49915.00	432890.00
8	नवंबर 2020	101830.00	217315.00
9	दिसंबर 2020	187029.00	187029.00

10	जनवरी 2021	0.00	0.00
11	फरवरी 2021	237841.00	0.00
12	मार्च 2021	0.00	189650.00
	योग-	1008883.00	1426324.00

106.ग्राम पंचायत का नाम- सुल्तानपुर

विकास खण्ड – नगरा

प्रस्तर-162

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आकड़ों के आधार पर संपन्न की गयी है जिसके अनुसार राज्य वित्त व चौदहवें वित्त से कुल ₹0 1834200.00 व्यय किया गया है। उक्त व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से बार-बार लिखित/मौखिक अनुरोध के बाद भी कोई भी कोई अभिलेख (यथा कैश बुक, बैंक स्टेटमेंट, बिल, मस्टर रोल, कार्यवाही पुस्तिका माप पुस्तिका आदि) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सापेक्ष बिल प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की बसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी।

अतः ₹0 1834200.00 की वसूली ब्याज सहित प्रधान श्री मृतुन्जय व सचिव श्री दिनेश सिंह से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्र.	माह	आय	आहरित धनराशि का विवरण
1	अप्रैल 2020	0.00	0.00
2	मई 2020	9254.00	0.00
3	जून 2020	0.00	445353.00
4	जुलाई 2020	0.00	0.00
5	अगस्त 2020	0.00	0.00
6	सितम्बर 2020	0.00	0.00
7	अक्टूबर 2020	766347.00	105400.00
8	नवंबर 2020	0.00	43200.00
9	दिसंबर 2020	189204.00	742147.00
10	जनवरी 2021	63721.00	0.00
11	फरवरी 2021	426741.00	0.00
12	मार्च 2021	788778.00	498100.00
	योग-	2244045.00	1834200.00

107.ग्राम पंचायत का नाम- परशुरामपुर

विकास खण्ड – नगरा

प्रस्तर-163

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आकड़ों के आधार पर संपन्न की गयी है जिसके अनुसार राज्य वित्त व चौदहवें वित्त से कुल ₹0 1372384.00 व्यय किया गया है। उक्त व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से बार-बार लिखित/मौखिक अनुरोध के बाद भी कोई भी कोई अभिलेख (यथा कैश बुक, बैंक स्टेटमेंट, बिल, मस्टर रोल, कार्यवाही पुस्तिका माप पुस्तिका आदि) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सापेक्ष बिल प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की बसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी।

अतः ₹0 1372384.00 की वसूली ब्याज सहित प्रधान श्री भानुप्रताप व सचिव श्री जावेद आलम से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्र.	माह	आय	आहरित धनराशि का विवरण

1	अप्रैल 2020	6001.00	168656.00
2	मई 2020	0.00	0.00
3	जून 2020	0.00	38000.00
4	जुलाई 2020	0.00	351372.00
5	अगस्त 2020	0.00	2000.00
6	सितम्बर 2020	414399.00	380656.00
7	अक्टूबर 2020	37162.00	78000.00
8	नवंबर 2020	0.00	4200.00
9	दिसंबर 2020	82372.00	161400.00
10	जनवरी 2021	0.00	0.00
11	फरवरी 2021	0.00	0.00
12	मार्च 2021	540933.00	188100.00
	योग-	1080867.00	1372384.00

108.ग्राम पंचायत का नाम- गोठवा

विकास खण्ड – नगरा

प्रस्तर-164

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आकड़ों के आधार पर संपन्न की गयी है जिसके अनुसार राज्य वित्त व चौदहवें वित्त से कुल ₹0 3989837.00 व्यय किया गया है। उक्त व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से बार-बार लिखित/मौखिक अनुरोध के बाद भी कोई भी कोई अभिलेख (यथा कैश बुक, बैंक स्टेटमेंट, बिल, मस्टर रोल, कार्यवाही पुस्तिका माप पुस्तिका आदि) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सापेक्ष बिल प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की बसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी।

अतः ₹0 3989837.00 की वसूली ब्याज सहित प्रधान श्री रीता व सचिव श्री दिनेश सिंह से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्र.	माह	आय	आहरित धनराशि का विवरण
1	अप्रैल 2020	419672.00	0.00
2	मई 2020	0.00	0.00
3	जून 2020	0.00	328376.00
4	जुलाई 2020	0.00	0.00
5	अगस्त 2020	153027.00	400473.00
6	सितम्बर 2020	844507.00	226900.00
7	अक्टूबर 2020	89456.00	2000.00
8	नवंबर 2020	0.00	43200.00
9	दिसंबर 2020	321568.00	2291344.00
10	जनवरी 2021	0.00	0.00
11	फरवरी 2021	0.00	0.00
12	मार्च 2021	1564095.00	697544.00
	योग-	3392325.00	3989837.00

109.ग्राम पंचायत का नाम- सीकरहटा

विकास खण्ड – नगरा

प्रस्तर-165

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आकड़ों के आधार पर संपन्न की गयी है जिसके अनुसार राज्य वित्त व चौदहवे वित्त से कुल ₹0 617690.00 व्यय किया गया है। उक्त व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से बार-बार लिखित/मौखिक अनुरोध के बाद भी कोई भी कोई अभिलेख (यथा कैश बुक, बैंक स्टेटमेंट, बिल, मस्टर रोल, कार्यवाही पुस्तिका माप पुस्तिका आदि) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सापेक्ष बिल प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की बसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी।

अतः ₹0 617690.00 की वसूली ब्याज सहित प्रधान श्री मुघुनी व सचिव श्री जावेद आलम से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्र.	माह	आय	आहरित धनराशि का विवरण
1	अप्रैल 2020	2530.00	0.00
2	मई 2020	0.00	15000.00
3	जून 2020	0.00	41000.00
4	जुलाई 2020	0.00	3580.00
5	अगस्त 2020	0.00	154950.00
6	सितम्बर 2020	39420.00	660.00
7	अक्टूबर 2020	217545.00	28000.00
8	नवंबर 2020	0.00	24890.00
9	दिसंबर 2020	99593.00	125600.00
10	जनवरी 2021	24024.00	0.00
11	फरवरी 2021	23178.00	0.00
12	मार्च 2021	179702.00	0.00
	योग-	585992.00	617690.00

110.ग्राम पंचायत का नाम- लहसनी

विकास खण्ड – नगरा

प्रस्तर-166

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आकड़ों के आधार पर संपन्न की गयी है जिसके अनुसार राज्य वित्त व चौदहवे वित्त से कुल ₹0 2453621.00 व्यय किया गया है। उक्त व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से बार-बार लिखित/मौखिक अनुरोध के बाद भी कोई भी कोई अभिलेख (यथा कैश बुक, बैंक स्टेटमेंट, बिल, मस्टर रोल, कार्यवाही पुस्तिका माप पुस्तिका आदि) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सापेक्ष बिल प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की बसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी।

अतः ₹0 2453621.00 की वसूली ब्याज सहित प्रधान श्री सुनीता व सचिव श्री जावेद आलम से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्र.	माह	आय	आहरित धनराशि का विवरण
1	अप्रैल 2020	1187.00	0.00
2	मई 2020	0.00	0.00
3	जून 2020	0.00	0.00
4	जुलाई 2020	0.00	5200.00
5	अगस्त 2020	0.00	2000.00
6	सितम्बर 2020	849517.00	0.00
7	अक्टूबर 2020	243921.00	1749071.00
8	नवंबर 2020	0.00	4200.00

9	दिसंबर 2020	269958.00	318750.00
10	जनवरी 2021	0.00	0.00
11	फरवरी 2021	0.00	0.00
12	मार्च 2021	2119117.00	376200.00
	योग-	3483700.00	2453621.00

111.ग्राम पंचायत का नाम- गढमलपुर

विकास खण्ड – पन्दह

प्रस्तर-167

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि केश बुक में निम्न विवरणानुसार पर सामग्री एवं मजदूरी व्यय दर्शित किया गया है।

क्रम0सं0	दिनांक	व्यय विवरण	धनराशि
1	16-9-2020	आय प्लास पर व्यय	248699.00
2	21-9-2020	समुदायिक शौचालय पर व्यय	50000.00
3	24-9-2020	समुदायिक शौचालय पर व्यय	350000.00
4	28-9-2020	समुदायिक शौचालय पर व्यय	30000.00
5	16-10-2020	समर सेबुल पम्प	80013.00
6	25-3-2021	पंचायत भवन निर्माण पर व्यय	152025.00
7	25-3-2021	पंचायत भवन निर्माण पर व्यय	145530.00
8	25-3-2021	पंचायत भवन निर्माण पर व्यय	18820.00
9	25-3-2021	पंचायत भवन निर्माण पर व्यय	182233.00
10	25-3-2021	पंचायत भवन निर्माण पर व्यय	30820.00
11	25-3-2021	पंचायत भवन निर्माण पर व्यय	84606.00
12	30-3-2021	समुदायिक शौचालय पर व्यय	50000.00
		योग-	1422746.00

1.उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2. उक्त कार्य पर मजदूरी का भुगतान न किया जाना क्रय सामग्री अथवा व्यय धनराशि का अपहरण किया जाना एवं ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाया जाना प्रमाणित होता है।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंधक हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित की अपेक्षा ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के संबंध में प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अंतर्गत निर्धारित अवधि में रु0 1422746.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती श्री देवी एवं सचिव श्रीमती खूशबू यादव से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।

112. ग्राम पंचायत का नाम- सोनाडीह

विकास खण्ड – पन्दह

प्रस्तर-168

लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की कैशबुक में दिनांक 20-10-2020 को प्रशासनिक मद में व्यय स्थानान्तरण रु0 21000.00 दर्शित किया गया है। इसकी पुष्टि उचित व्यय प्रमाण के अभाव में नहीं किया जा सका। संबंधित बैंक खाता स्टेटमेंट/उचित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंधक हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड (क) के अंतर्गत गबन माना गया है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के संबंध में प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अंतर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में इसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री राजेश यादव एवं ग्राम सचिव श्रीमती खूशबू यादव से बराबर हिस्सों में किए जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर- 169

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरण अनुसार पर सामग्री एवं मजदूरी व्यय दर्शित किया गया है।

व्यय विवरण	दिनांक	धनराशि	मजदूरी
समुदायिक शौचालय पर व्यय	29-9-2020	134650.00	
समुदायिक शौचालय पर व्यय	29-9-2020	64000.00	
पंचायत भवन निर्माण पर व्यय	29-9-2020	197000.00	
समुदायिक शौचालय पर व्यय	30-3-2020	50000.00	
हैण्ड पम्प मरम्मत	29-9-2020	26000.00	
	योग-	471650.00	शून्य

उक्त के संबंध में आपत्तिया निम्न प्रकार हैं:

1. उक्त विवरण में दर्शित व्यय से संबंधित व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2. उक्त कार्य पर मजदूरी का भुगतान न किया जाना क्रय सामग्री अथवा व्यय धनराशि का अपहरण किया जाना एवं ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाया जाना प्रमाणित होता है।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्धक हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(क) के अंतर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अंतर्गत निर्धारित अवधि में ₹0 471650.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री राजेश यादव एवं ग्राम सचिव श्रीमती खूशबू यादव से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।

113. ग्राम पंचायत का नाम- पकड़ी

विकास खण्ड – पन्दह

प्रस्तर-170

ग्राम पंचायत के आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न प्रकार विभिन्न स्थानों पर हैण्ड पम्प रिबोर/मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है-

दिनांक	व्यय विवरण	धनराशि
9.6.2020	हैण्ड पम्प मरम्मत	65500.00
12.10.2020	हैण्ड पम्प मरम्मत	52000.00
05.3.2021	हैण्ड पम्प मरम्मत	68480.00
	योग-	187980.00

उक्त के संबंध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं-

1. हैण्ड पम्प मरम्मत व्यय से संबंधित व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2. उक्त टेंडर/फर्म हैण्ड पम्प मरम्मत का कार्य करते हैं अथवा नहीं इसकी भी जानकारी प्रमाणको के अभाव में नहीं की जा सकती। इनके जीओएसटीओ पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।

3. एक साथ कई स्थानों के लिए एक आईडीओ से अथवा बिना आईडीओ के मरम्मत कराकर नियम विरुद्ध कार्य किया गया है।

व्यय पत्रावली व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंधक हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(क) के अंतर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमवाली 1947 के नियम 256 के अंतर्गत निर्धारित अवधि में ₹0 187980.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती माया देवी एवं ग्राम सचिव श्री रविशंकर वर्मा से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर- 171

लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की कैशबुक में दिनांक 05-03-2021 को प्रशासनिक मद में व्यय स्थानान्तरण ₹0 26280.00 दर्शित किया गया है। इसकी पुष्टि उचित व्यय प्रमाण के अभाव में नहीं किया जा सका। संबंधित बैंक खाता स्टेटमेंट/उचित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंधक हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(क) के अंतर्गत गबन माना गया है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमवाली 1947 के नियम 256 के अंतर्गत निर्धारित अवधि में ₹0 26280.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती माया देवी एवं ग्राम सचिव श्री रविशंकर वर्मा से बराबर हिस्सों में किए जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर-172

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरण अनुसार विभिन्न स्थानों पर स्ट्रीट लाइट क्रय/मरम्मत पर व्यय दर्शित है।

दिनांक	क्रय सामान का नाम	धनराशि
8.6.2020	स्ट्रीट लाइट क्रय	90000.00
8.6.2020	स्ट्रीट लाइट क्रय	180000.00
8.6.2020	स्ट्रीट लाइट क्रय	180000.00
7.9.2020	हाइमास्क लाइट क्रय	89000.00
7.9.2020	हाइमास्क लाइट क्रय	178000.00
2.10.2020	हाइमास्क लाइट क्रय	180000.00
4.12.2020	सीमेंट बेन्च क्रय	34000.00
4.12.2020	सीमेंट बेन्च क्रय	187000.00
4.12.2020	सीमेंट बेन्च क्रय	187000.00
4.12.2020	सीमेंट बेन्च क्रय	17000.00
	योग-	1322000.00

1. उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियों/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2. उक्त टेंडर/फर्म सोलर मरम्मत/स्ट्रीट लाइट मरम्मत का कार्य करते हैं अथवा नहीं प्रमाणकों के अभाव में इसकी भी पुष्टि नहीं की जा सकी।

3. उक्त स्ट्रीट लाइटों क्रय शासनादेश संख्या 51/2018/1701/33-3-2018-48/2018, दिनांक 13 जून 2018 के विपरीत किया गया है।

4. शासनादेश संख्या 33/2017/977/45-वि0 (अ030स्रो0वि)-2017, दिनांक 29 अगस्त 2017 के प्रस्तर 3 के अनुसार उक्त सोलर मरम्मत की जिम्मेदारी 5 साल तक शासन द्वारा निर्धारित/अनुसूचित किए गए सम्बन्धित टेंडर/फर्म/नेडा की होती है। अतः उक्त व्यय अनियमित एवं व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन है।

5. एक साथ कई स्थानों के लिए आइ0डी0 से मरम्मत कराकर नियम विरुद्ध कार्य किया गया है।

6. शासनादेश के अनुसार स्ट्रीट लाइट का क्रय एवं स्थापना बिजली संयोजन के पश्चात् ही लिया जाय परन्तु इससे सम्बन्धित प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे बिजली संयोजन लिए जाने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

7. एक ही तिथि में किए गए उक्त भुगतान विना किसी कार्य योजना के पूर्णतया अनियमितता एवं वसूली योग्य है।

अतः उक्त कार्य शासनादेश के विपरीत तथा व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्धक हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(क) के अंतर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमवाली 1947 के नियम 256 के अंतर्गत निर्धारित अवधि में रु0 1322000.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती माया देवी एवं ग्राम सचिव श्री रविशंकर वर्मा से बराबर हिस्सों में की जानी आपेक्षित है।

114. ग्राम पंचायत का नाम- सरयां

विकास खण्ड – पन्दह

प्रस्तर-173

लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की कैश बुक में दिनांक 28-9-2020 को प्रशासनिक मद में व्यय रु0 20000.00 दर्शित किया गया है। इसकी पुष्टि उचित व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका। सम्बन्धित बैंक खाता स्टेटमेन्ट/उचित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी आपेक्षित है। कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(क) के अन्तर्गत गबन माना गया है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि रु0 20000.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान सुमन देवी एवं ग्राम सचिव श्रीमती खूशबू यादव से बराबर हिस्सों की जानी आपेक्षित

प्रस्तर- 174

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरण अनुसार पर सामग्री एवं मजदूरी व्यय दर्शित किया गया है।

क्रम0	दिनांक	व्यय विवरण	धनराशि
1	4-10-2020	समुदायिक शौचालय पर व्यय	134630.00
2	20-10-2020	समुदायिक शौचालय पर व्यय	123000.00
3	20-10-2020	ग्राम पंचायत में प्राथमिक विद्यालय पर वाटर पर सामग्री	66000.00
4	21-10-2020	समुदायिक शौचालय पर व्यय	103000.00
5	21-10-2020	प्राथमिक विद्यालय पर रनिंग वाटर	86000.00
6	30-3-2021	पंचायत भवन पर सामग्री	210000.00
		योग-	722630.00

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियाँ निम्न प्रकार है।

1. उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2. उक्त कार्य पर मजदूरी का भुगतान न किया जाना क्रय सामग्री अथवा व्यय धनराशि का अपहरण किया जाना एवं ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाया जाना प्रमाणित होता

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(क) के अन्तर्गत गवर्न माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में ₹0 722630.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान सुमन देवी एवं ग्राम सचिव श्रीमति खूशबू यादव से बराबर-बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर- 175

निम्नलिखित तिथियों में भुगतान मस्टर रोल लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत रहे हैं। दिनांक 4-10-2020 को ₹0 41760.00 +दिनांक 8-12-2020 को ₹0 6700.00= 48460.00 उपरोक्त कार्य पर दर्शित भुगतानों हेतु मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय अपहरण की श्रेणी में आती है। विना मस्टर रोल के भुगतान कर ग्राम पंचायत अ० श्री खूशबू यादव एवं ग्राम प्रधान श्रीमती सुमन देवी से संयुक्त रूप से वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

115.ग्राम पंचायत का नाम- उकछी

विकास खण्ड – पन्दह

प्रस्तर-176

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैश बुक में निम्न विवरणानुसार पर सामग्री एवं मजदूरी व्यय दर्शित किया गया है।

क्रम०	दिनांक	व्यय विवरण	धनराशि
1	4-10-2020	आरो प्लान व्यय	246650.00
2	19-10-2020	समुदायिक शौचालय व्यय	67000.00
3	19-10-2020	समुदायिक शौचालय व्यय	67000.00
4	30-3-2021	समुदायिक शौचालय व्यय	130000.00
		योग-	510650.00

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तिया निम्न प्रकार हैं-

3.उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

4.उक्त कार्य पर मजदूरी का भुगतान न किया जाना क्रय सामग्री अथवा व्यय धनराशि का अपहरण किया जाना एवं ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाया जाना प्रमाणित होता है।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंधक हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गवर्न माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अंतर्गत निर्धारित अवधि में ₹0 510650.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री अजय कुमार एवं ग्राम सचिव श्रीमती खूशबू यादव प्रशासक पारसनाथ यादव से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।

116.ग्राम पंचायत का नाम- मुडियारी

विकास खण्ड – बांसडीह

प्रस्तर-177

आलोच्य वर्ष 2020-21 में राज्य वित्त/पंद्रहवां वित्त मद में ग्राम निधि -1 के ऑनलाइन फीड प्रिया साफ्ट/कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न कार्यों/सामग्री क्रय एवम् मजदूरी भुगतान में ₹0 2419357.00 खर्च किया गया। सम्बन्धित सचिव को खर्च की पुष्टि में इन्टीमेशन लेटर के साथ अभिलेख प्रस्तुत के लिए आग्रह किया गया था समय से अभिलेख प्रस्तुत न करने पर पुनः दिनांक 08-12-2021 एवम् दिनांक 29-12-2021 को सहायक विकास अधिकारी (पं०) बांसडीह को सम्बन्धित सचिव को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने के लिए

आग्रह किया गया था जिसकी प्रतिलिपि जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय सहकारी समितियां एवम् पंचायतें बलिया को गयी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर तत्कालीन सचिव श्री संजय कुमार सिंह को दिनांक 14-06-2022 को सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) बांसडीह के माध्यम से व्यक्तिगत पत्र दिया गया, इसकी प्रतिलिपि जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया एवं जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय बलिया को की गई, उक्त के क्रम में अभिलेख प्रस्तुत न करने पर पुनः दिनांक 19-07-2022 को सहायक विकास अधिकारी (पं०) बांसडीह को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया था प्रतिलिपि जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया एवं जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय बलिया को की गई परन्तु तत्कालीन सचिव श्री संजय कुमार सिंह (ग्रा० विकास अधि०) द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ऑनलाइन प्रियासाफ्ट/कैशबुक में अंकित कृत कार्य/सामग्री क्रय की पुष्टि में सामग्री क्रय का बिल/वाउचर, केश मेमो, फर्म का लाइसेंस, क्रय आदेश, कोटेशन/टेंडर, फाइल, आयकर, जी०एस०टी० कटौती फाईल, हैण्डपम्प मरम्मत, रीबोर पत्रावली कोरोनाकिट, मस्टररोल, एस्टीमेट, एम०बी०, कार्यपूति प्रमाण पत्र, प्रशासनिक, तकनीकी, वित्तीय स्वीकृति आदेश, कार्य का नक्शा, फोटोग्राफ, प्रधान मानदेय रजिस्टर, निर्माण कार्य रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, डेड स्टॉक रजिस्टर, कर मांग वसूली रजिस्टर, निरीक्षण रजिस्टर इत्यादि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे खर्च की पुष्टि नहीं की जा सकी। बिना प्रमाणक के पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय-8 पैरा-8 (क) के तहत खर्च की धनराशी अपहरित है।

अतः जांचोपरान्त भुगतान/खर्च की गयी धनराशि ₹0 2419357.00 की वसूली ग्राम पंचायत सचिव 1.श्री विजय शंकर सिंह कार्यकाल अज्ञात, 2- संजय कुमार सिंह वर्तमान प्रधान श्रीमती कलावती देवी एवम् प्रशासक से सब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। खर्च की गयी धनराशि का विवरण निम्न प्रकार रहा:-

क्रम०	माहवार विवरण	राज्य वित्त	केंद्र वित्त	योग
1	अप्रैल- 2020	0.00	0.00	0.00
2	मई- 2020	12298.00	0.00	12298.00
3	जून- 2020	696310.00	0.00	696310.00
4	जुलाई- 2020	0.00	0.00	0.00
5	अगस्त- 2020	17500.00	0.00	17500.00
6	सितम्बर- 2020	146500.00	0.00	146500.00
7	अक्टूबर- 2020	466944.00	0.00	466944.00
8	नवम्बर- 2020	158278.00	0.00	158278.00
9	दिसम्बर- 2020	684068.00	237459.00	921527.00
10	जनवरी- 2021	0.00	0.00	0.00
11	फरवरी- 2021	0.00	0.00	0.00
12	मार्च- 2021	0.00	0.00	0.00
	योग-	2181898.00	237459.00	2419357.00

117.ग्राम पंचायत का नाम- बिजलीपुर

विकास खण्ड – बांसडीह

प्रस्तर-178

आलोच्य वर्ष 2020-21 में राज्य वित्त/पंद्रहवां वित्त मद में ग्राम निधि -1 के ऑनलाइन फीड प्रिया साफ्ट/कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न कार्यों/सामग्री क्रय एवम् मजदूरी भुगतान में ₹0 1129078.00 खर्च किया गया। सम्बन्धित सचिव को खर्च की पुष्टि में इन्टीमेशन लेटर के साथ अभिलेख प्रस्तुत के लिए आग्रह किया गया था समय से अभिलेख प्रस्तुत न करने पर पुनः दिनांक 08-12-2021 एवम् दिनांक 29-12-2021 को सहायक

विकास अधिकारी (पं०) बांसडीह को सम्बन्धित सचिव को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने के लिए आग्रह किया गया था जिसकी प्रतिलिपि जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय सहकारी समितियां एवम् पंचायतें बलिया को गयी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर तत्कालीन सचिव श्री संजय कुमार सिंह को दिनांक 14-06-2022 को सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) बांसडीह के माध्यम से व्यक्तिगत पत्र दिया गया, इसकी प्रतिलिपि जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया एवं जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय बलिया को की गई, उक्त के क्रम में अभिलेख प्रस्तुत न करने पर पुनः दिनांक 19-07-2022 को सहायक विकास अधिकारी (पं०) बांसडीह को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया था प्रतिलिपि जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया एवं जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय बलिया को की गई परन्तु तत्कालीन सचिव श्री संजय कुमार सिंह (ग्रा० विकास अधि०) द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। आनलाइन प्रियासाफ्ट/कैशबुक में अंकित कृत कार्य/सामग्री क्रय की पुष्टि में सामग्री क्रय का बिल/वाउचर, कैश मेमो, फर्म का लाइसेंस, क्रय आदेश, कोटेशन/टेंडर, फाइल, आयकर, जी०एस०टी० कटौती फाईल, हैण्डपम्प मरम्मत, रीबोर पत्रावली कोरोनाकिट, मस्टररोल, एस्टीमेट, एम०बी०, कार्यपूति प्रमाण पत्र, प्रशासनिक, तकनीकी, वित्तीय स्वीकृति आदेश, कार्य का नक्शा, फोटोग्राफ, प्रधान मानदेय रजिस्टर, निर्माण कार्य रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, डेड स्टॉक रजिस्टर, कर मांग वसूली रजिस्टर, निरीक्षण रजिस्टर इत्यादि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे खर्च की पुष्टि नहीं की जा सकी। बिना प्रमाणक के पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय-8 पैरा-8 (क) के तहत खर्च की धनराशी अपहरित है।

अतः जांचोपरान्त भुगतान/खर्च की गयी धनराशि ₹01129078.00 की वसूली ग्राम पंचायत सचिव 1.श्री विजय शंकर सिंह कार्यकाल अज्ञात, 2- संजय कुमार सिंह वर्तमान प्रधान श्री चन्दन सिंह एवम् प्रशासक से सब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। खर्च की गयी धनराशि का विवरण निम्न प्रकार रहा:-

क्रम०	माहवार विवरण	राज्य वित्त	केंद्र वित्त	योग
1	अप्रैल- 2020	0.00	0.00	0.00
2	मई- 2020	0.00	0.00	0.00
3	जून- 2020	23272.00	0.00	23272.00
4	जुलाई- 2020	0.00	0.00	0.00
5	अगस्त- 2020	461645.00	0.00	461645.00
6	सितम्बर- 2020	39911.00	0.00	39911.00
7	अक्टूबर- 2020	14000.00	0.00	14000.00
8	नवम्बर- 2020	0.00	244117.00	244117.00
9	दिसम्बर- 2020	170323.00	175810.00	346133.00
10	जनवरी- 2021	0.00	0.00	0.00
11	फरवरी- 2021	0.00	0.00	0.00
12	मार्च- 2021	0.00	0.00	0.00
	योग-	709151.00	419927.00	1129078.00

118. ग्राम पंचायत का नाम- चांदपुर न्यू
प्रस्तर-179

विकास खण्ड – बांसडीह

आलोच्य वर्ष 2020-21 में राज्य वित्त/पंद्रहवां वित्त मद में ग्राम निधि -1 के आनलाइन फीड प्रिया साफ्ट/कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न कार्यों/सामग्री क्रय एवम् मजदूरी भुगतान में ₹0 665304.00 खर्च किया गया। सम्बन्धित सचिव को खर्च की पुष्टि में इन्टीमेशन लेटर के साथ अभिलेख प्रस्तुत के लिए आग्रह किया गया था समय से अभिलेख प्रस्तुत न करने पर पुनः दिनांक 08-12-2021 एवम् दिनांक 29-12-2021 को सहायक विकास अधिकारी (पं०) बांसडीह को सम्बन्धित सचिव को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने के लिए आग्रह किया गया था जिसकी प्रतिलिपि जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय सहकारी समितियां एवम् पंचायतें

बलिया को गयी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर तत्कालीन सचिव श्री संजय कुमार सिंह को दिनांक 14-06-2022 को सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) बांसडीह के माध्यम से व्यक्तिगत पत्र दिया गया, इसकी प्रतिलिपि जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया एवं जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय बलिया को की गई, उक्त के क्रम में अभिलेख प्रस्तुत न करने पर पुनः दिनांक 19-07-2022 को सहायक विकास अधिकारी (पं०) बांसडीह को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया था प्रतिलिपि जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया एवं जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय बलिया को की गई परन्तु तत्कालीन सचिव श्री संजय कुमार सिंह (ग्रा० विकास अधि०) द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ऑनलाइन प्रियासाफ्ट/कैशबुक में अंकित कृत कार्य/सामग्री क्रय की पुष्टि में सामग्री क्रय का बिल/वाउचर, कैश मेमो, फर्म का लाइसेंस, क्रय आदेश, कोटेशन/टेंडर, फाइल, आयकर, जी०एस०टी० कटौती फाईल, हैण्डपम्प मरम्मत, रीबोर पत्रावली कोरोनाकिट, मस्टररोल, एस्टीमेट, एम०बी०, कार्यपूति प्रमाण पत्र, प्रशासनिक, तकनीकी, वित्तीय स्वीकृति आदेश, कार्य का नक्शा, फोटोग्राफ, प्रधान मानदेय रजिस्टर, निर्माण कार्य रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, डेड स्टॉक रजिस्टर, कर मांग वसूली रजिस्टर, निरीक्षण रजिस्टर इत्यादि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे खर्च की पुष्टि नहीं की जा सकी। बिना प्रमाणक के पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय-8 पैरा-8 (क) के तहत खर्च की धनराशि अपहरित है।

अतः जांचोपरान्त भुगतान/खर्च की गयी धनराशि ₹ 665304.00 की वसूली ग्राम पंचायत सचिव 1. श्री अरविन्द कुमार (कार्यकाल अज्ञात) 2- संजय कुमार सिंह वर्तमान प्रधान श्री श्रीभगवान सिंह एवम् प्रशासक से सब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। खर्च की गयी धनराशि का विवरण निम्न प्रकार रहा:-

क्रम०	माहवार विवरण	राज्य वित्त	केंद्र वित्त	योग
1	अप्रैल- 2020	10500.00	0.00	10500.00
2	मई- 2020	6800.00	0.00	6800.00
3	जून- 2020	0.00	0.00	0.00
4	जुलाई- 2020	122400.00	0.00	122400.00
5	अगस्त- 2020	0.00	0.00	0.00
6	सितम्बर- 2020	0.00	0.00	0.00
7	अक्टूबर- 2020	21000.00	0.00	21000.00
8	नवम्बर- 2020	107589.00	212139.00	319728.00
9	दिसम्बर- 2020	184876.00	0.00	184876.00
10	जनवरी- 2021	0.00	0.00	0.00
11	फरवरी- 2021	0.00	0.00	0.00
12	मार्च- 2021	0.00	0.00	0.00
	योग-	453165.00	212139.00	665304.00

119. ग्राम पंचायत का नाम- देवडीह

विकास खण्ड – बांसडीह

प्रस्तर-180

आलोच्य वर्ष 2020-21 में राज्य वित्त/पंद्रहवां वित्त मद में ग्राम निधि -1 के ऑनलाइन फीड प्रिया साफ्ट/कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न कार्य/सामग्री क्रय एवम् मजदूरी भुगतान में ₹ 1076437.00 खर्च किया गया। सम्बन्धित सचिव को खर्च की पुष्टि में इन्टीमेशन लेटर के साथ अभिलेख प्रस्तुत के लिए आग्रह किया गया था समय से अभिलेख प्रस्तुत न करने पर पुनः दिनांक 08-12-2021 एवम् दिनांक 29-12-2021 को सहायक विकास अधिकारी (पं०) बांसडीह को सम्बन्धित सचिव को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने के लिए आग्रह किया गया था जिसकी प्रतिलिपि जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय सहकारी समितियां एवम् पंचायतें बलिया को गयी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर तत्कालीन सचिव श्री संजय कुमार सिंह को दिनांक 14-06-2022 को सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) बांसडीह के माध्यम से व्यक्तिगत पत्र दिया गया, इसकी प्रतिलिपि जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया एवं जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय बलिया को की गई, उक्त के क्रम

में अभिलेख प्रस्तुत न करने पर पुनः दिनांक 19-07-2022 को सहायक विकास अधिकारी (पं०) बांसडीह को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया था प्रतिलिपि जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया एवं जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय बलिया को की गई परन्तु तत्कालीन सचिव श्री संजय कुमार सिंह (ग्रा० विकास अधि०) द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। आनलाइन प्रियासाफ्ट/कैशबुक में अंकित कृत कार्य/सामग्री क्रय की पुष्टि में सामग्री क्रय का बिल/वाउचर, कैश मेमो, फर्म का लाइसेंस, क्रय आदेश, कोटेशन/टेंडर, फाइल, आयकर, जी०एस०टी० कटौती फाईल, हैण्डपम्प मरम्मत, रीबोर पत्रावली कोरोनाकिट, मस्टररोल, एस्टीमेट, एम०बी०, कार्यपूति प्रमाण पत्र, प्रशासनिक, तकनीकी, वित्तीय स्वीकृति आदेश, कार्य का नक्शा, फोटोग्राफ, प्रधान मानदेय रजिस्टर, निर्माण कार्य रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर, स्टांक रजिस्टर, डेड स्टांक रजिस्टर, कर मांग वसूली रजिस्टर, निरीक्षण रजिस्टर इत्यादि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे खर्च की पुष्टि नहीं की जा सकी। बिना प्रमाणक के पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय-8 पैरा-8 (क) के तहत खर्च की धनराशी अपहरित है।

अतः जांचोपरान्त भुगतान/खर्च की गयी धनराशि ₹0 1076437.00 की वसूली ग्राम पंचायत सचिव 1.श्री अरविन्द कुमार (कार्यकाल अज्ञात) 2- संजय कुमार सिंह वर्तमान प्रधान श्री भानुप्रताप एवम् प्रशासक से सब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। खर्च की गयी धनराशि का विवरण निम्न प्रकार रहा:-

क्रम०	माहवार विवरण	राज्य वित्त	केंद्र वित्त	योग
1	अप्रैल- 2020	0.00	0.00	0.00
2	मई- 2020	17300.00	0.00	17300.00
3	जून- 2020	0.00	0.00	0.00
4	जुलाई- 2020	489356.00	0.00	489356.00
5	अगस्त- 2020	0.00	0.00	0.00
6	सितम्बर- 2020	149174.00	203774.00	352948.00
7	अक्टूबर- 2020	43500.00	173333.00	216833.00
8	नवम्बर- 2020	0.00	0.00	0.00
9	दिसम्बर- 2020	0.00	0.00	0.00
10	जनवरी- 2021	0.00	0.00	0.00
11	फरवरी- 2021	0.00	0.00	0.00
12	मार्च- 2021	0.00	0.00	0.00
	योग-	699330.00	377107.00	1076437.00

120.ग्राम पंचायत का नाम- इहीमुसी

विकास खण्ड – बांसडीह

प्रस्तर-181

आलोच्य वर्ष 2020-21 में राज्य वित्त/पंद्रहवां वित्त मद में ग्राम निधि -1 के आनलाइन फीड प्रिया साफ्ट/कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न कार्य/सामग्री क्रय एवम् मजदूरी भुगतान में ₹0794411.00 खर्च किया गया। सम्बन्धित सचिव को खर्च की पुष्टि में इन्टीमेशन लेटर के साथ अभिलेख प्रस्तुत के लिए आग्रह किया गया था समय से अभिलेख प्रस्तुत न करने पर पुनः दिनांक 08-12-2021 एवम् दिनांक 29-12-2021 को सहायक विकास अधिकारी (पं०) बांसडीह को सम्बन्धित सचिव को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने के लिए आग्रह किया गया था जिसकी प्रतिलिपि जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय सहकारी समितियां एवम् पंचायतें बलिया को गयी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर तत्कालीन सचिव श्री संजय कुमार सिंह को दिनांक 14-06-2022 को सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) बांसडीह के माध्यम से व्यक्तिगत पत्र दिया गया, इसकी प्रतिलिपि जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया एवं जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय बलिया को की गई, उक्त के क्रम में अभिलेख प्रस्तुत न करने पर पुनः दिनांक 19-07-2022 को सहायक विकास अधिकारी (पं०) बांसडीह को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया था प्रतिलिपि जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया एवं जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय बलिया को की गई परन्तु तत्कालीन सचिव श्री संजय कुमार सिंह (ग्रा० विकास अधि०)

द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ऑनलाइन प्रियासाफ्ट/कैशबुक में अंकित कृत कार्य/सामग्री क्रय की पुष्टि में सामग्री क्रय का बिल/वाउचर, कैश मेमो, फर्म का लाइसेंस, क्रय आदेश, कोटेशन/टेंडर, फाइल, आयकर, जीएसटी0टी0 कटौती फाइल, हैण्डपम्प मरम्मत, कोरोनाकिट, मस्टररोल, एस्टीमेट, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाण पत्र, प्रशासनिक, तकनीकी, वित्तीय स्वीकृति आदेश, कार्य का नक्शा, फोटोग्राफ, प्रधान मानदेय रजिस्टर, निर्माण कार्य रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर, स्टांक रजिस्टर, डेड स्टांक रजिस्टर, कर मांग वसूली रजिस्टर, निरीक्षण रजिस्टर इत्यादि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे खर्च की पुष्टि नहीं की जा सकी। बिना प्रमाणक के पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय-8 पैरा-8 (क) के तहत खर्च की धनराशी अपहरित है।

अतः जांचोपरान्त भुगतान/खर्च की गयी धनराशि ₹ 794411.00 की वसूली ग्राम पंचायत सचिव 1.श्री अरविन्द कुमार (कार्यकाल अज्ञात) 2- श्री संजय कुमार सिंह वर्तमान प्रधान श्री प्रेमचन्द्र एवम् प्रशासक से सव्याज सहित वसूली अपेक्षित है। खर्च की गयी धनराशि का विवरण निम्न प्रकार रहा:-

क्रम0	माहवार विवरण	राज्य वित्त	केंद्र वित्त	योग
1	अप्रैल- 2020	0.00	0.00	0.00
2	मई- 2020	17300.00	0.00	17300.00
3	जून- 2020	0.00	0.00	0.00
4	जुलाई- 2020	101630.00	0.00	101630.00
5	अगस्त- 2020	0.00	0.00	0.00
6	सितम्बर- 2020	0.00	61512.00	61512.00
7	अक्टूबर- 2020	0.00	0.00	0.00
8	नवम्बर- 2020	180036.00	149750.00	329786.00
9	दिसम्बर- 2020	52146.00	232037.00	284183.00
10	जनवरी- 2021	0.00	0.00	0.00
11	फरवरी- 2021	0.00	0.00	0.00
12	मार्च- 2021	0.00	0.00	0.00
	योग-	351112.00	443299.00	794411.00

प्रस्तर- 182

आलोच्य 2020-21 के मनरेगा वित्तीय वक्तव्य के अनुसार सामग्री भुगतान के बिल जो ऑनलाइन फीड है का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि एक ही बिल से ईट भट्टा प्रोप्राइटर एवम् सीमेंट बालू फर्म को भी भुगतान कर दिया गया है विवरण निम्न रहा
कार्य-भीरूग वर्मा के घर से वशिष्ठ वर्मा के घर होते हुए सर्वेश पाण्डेय के घर तक पेवर्स ब्लाक कार्य पर सामग्री भुगतान की स्थिति निम्न रही-

बिल नं0	बिल की तारीख	भुगतान तिथि	बिल की धनराशि	(भुगतान) ₹0	भुगतान प्राप्तकर्ता
131	10-12-2020	27-03-2021	135129.10	101880.80	मेसर्स-रंजन कुमार सिंह बांसडीह

				33248.30	रामजी सिंह ईट भट्टा मुडियारी
			योग-	135129.10	

उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि बिना सही प्रमाणक प्राप्त किये ही एक ही बिल से दोनों फर्मों को भुगतान कर घोर वित्तीय अनियमितता की गयी है जिसके लिए तत्कालीन कार्यक्रम अधिकारी सहायक कार्यक्रम अधिकारी लेखा लिपिक जिम्मेदार है अतः सम्बन्धित सभी अधिकारियों/कर्मचारियों पर विधिक, विभागीय एवम् अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

121.ग्राम पंचायत का नाम- केवटलिया चौबे

विकास खण्ड – बांसडीह

प्रस्तर-183

आलोच्य वर्ष 2020-21 में राज्य वित्त/पंद्रहवां वित्त मद में ग्राम निधि -1 के ऑनलाइन फीड प्रिया साफ्ट/कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न कार्यों/सामग्री क्रय एवम् मजदूरी भुगतान में ₹0 901848.00 खर्च किया गया। सम्बन्धित सचिव को खर्च कि पुष्टि में इन्टीमेशन लेटर के साथ अभिलेख प्रस्तुत के लिए आग्रह किया गया था समय से अभिलेख प्रस्तुत न करने पर पुनः दिनांक 08-12-2021 एवम् दिनांक 29-12-2021 को सहायक विकास अधिकारी (पं०) बांसडीह को सम्बन्धित सचिव को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने के लिए आग्रह किया गया था जिसकी प्रतिलिपि जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय सहकारी समितियां एवम् पंचायतें बलिया को गयी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर तत्कालीन सचिव श्री संजय कुमार सिंह को दिनांक 14-06-2022 को सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) बांसडीह के माध्यम से व्यक्तिगत पत्र दिया गया, इसकी प्रतिलिपि जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया एवं जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय बलिया को की गई, उक्त के क्रम में अभिलेख प्रस्तुत न करने पर पुनः दिनांक 19-07-2022 को सहायक विकास अधिकारी (पं०) बांसडीह को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया था प्रतिलिपि जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया एवं जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय बलिया को की गई परन्तु तत्कालीन सचिव श्री संजय कुमार सिंह (ग्रा० विकास अधि०) द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ऑनलाइन प्रियासाफ्ट/कैशबुक में अंकित कृत कार्य/सामग्री क्रय की पुष्टि में सामग्री क्रय का बिल/वाउचर, कैश मेमो, फर्म का लाइसेंस, क्रय आदेश, कोटेशन/टेंडर, फाइल, आयकर, जी०एस०टी० कटौती फाईल, हैण्डपम्प मरम्मत, कोरोनाकिट, मस्टररोल, एस्टीमेट, एम०बी०, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, प्रशासनिक, तकनीकी, वित्तीय स्वीकृति आदेश, कार्य का नक्शा, फोटोग्राफ, प्रधान मानदेय रजिस्टर, निर्माण कार्य रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, डेड स्टॉक रजिस्टर, कर मांग वसूली रजिस्टर, निरीक्षण रजिस्टर इत्यादि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे खर्च की पुष्टि नहीं की जा सकी। बिना प्रमाणक के पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय-8 पैरा-8 (क) के तहत खर्च की धनराशि अपहरित है।

अतः जांचोपरान्त भुगतान/खर्च की गयी धनराशि ₹0 901848.00 की वसूली ग्राम पंचायत सचिव 1.श्री विजय शंकर सिंह (कार्यकाल अज्ञात) 2- श्री संजय कुमार सिंह वर्तमान प्रधान श्रीमती कमलावती देवी एवम् प्रशासक से सब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। खर्च की गयी धनराशि का विवरण निम्न प्रकार रहा:-

क्रम०	माहवार विवरण	राज्य वित्त	केंद्र वित्त	योग
1	अप्रैल- 2020	0.00	0.00	0.00
2	मई- 2020	0.00	0.00	0.00
3	जून- 2020	274217.00	0.00	274217.00
4	जुलाई- 2020	0.00	0.00	0.00
5	अगस्त- 2020	88790.00	0.00	88790.00
6	सितम्बर- 2020	274891.00	0.00	274891.00

7	अक्टूबर- 2020	36400.00	0.00	0.00
8	नवम्बर- 2020	0.00	227550.00	227550.00
9	दिसम्बर- 2020	0.00	0.00	0.00
10	जनवरी- 2021	0.00	0.00	0.00
11	फरवरी- 2021	0.00	0.00	0.00
12	मार्च- 2021	0.00	0.00	0.00
	योग-	674298.00	227550.00	901848.00

122.ग्राम पंचायत का नाम- केवटलिया कला
प्रस्तर-184

विकास खण्ड – बांसडीह

आलोच्य वर्ष 2020-21 में राज्य वित्त/पंद्रहवां वित्त मद में ग्राम निधि -1 के आनलाइन फीड प्रिया साफ्ट/कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न कार्य/सामग्री क्रय एवम् मजदूरी भुगतान में ₹0 530811.00 खर्च किया गया। सम्बन्धित सचिव को खर्च कि पुष्टि में इन्टीमेशन लेटर के साथ अभिलेख प्रस्तुत के लिए आग्रह किया गया था समय से अभिलेख प्रस्तुत न करने पर पुनः दिनांक 08-12-2021 एवम् दिनांक 29-12-2021 को सहायक विकास अधिकारी (पं०) बांसडीह को सम्बन्धित सचिव को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने के लिए आग्रह किया गया था जिसकी प्रतिलिपि जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय सहकारी समितियां एवम् पंचायतें बलिया को गयी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर तत्कालीन सचिव श्री संजय कुमार सिंह को दिनांक 14-06-2022 को सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) बांसडीह के माध्यम से व्यक्तिगत पत्र दिया गया, इसकी प्रतिलिपि जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया एवं जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय बलिया को की गई, उक्त के क्रम में अभिलेख प्रस्तुत न करने पर पुनः दिनांक 19-07-2022 को सहायक विकास अधिकारी (पं०) बांसडीह को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया था प्रतिलिपि जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया एवं जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय बलिया को की गई परन्तु तत्कालीन सचिव श्री संजय कुमार सिंह (ग्रा० विकास अधि०) द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। आनलाइन प्रियासाफ्ट/कैशबुक में अंकित कृत कार्य/सामग्री क्रय की पुष्टि में सामग्री क्रय का बिल/वाउचर, कैश मेमो, फर्म का लाइसेंस, क्रय आदेश, कोटेशन/टेंडर, फाइल, आयकर, जी०एस०टी० कटौती फाईल, हैण्डपम्प मरम्मत, कोरोनाकिट, मस्टररोल, एस्टीमेट, एम०बी०, कार्यपूति प्रमाण पत्र, प्रशासनिक, तकनीकी, वित्तीय स्वीकृति आदेश, कार्य का नक्शा, फोटोग्राफ, प्रधान मानदेय रजिस्टर, निर्माण कार्य रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर, स्टांक रजिस्टर, डेड स्टांक रजिस्टर, कर मांग वसूली रजिस्टर, निरीक्षण रजिस्टर इत्यादि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे खर्च की पुष्टि नहीं की जा सकी। बिना प्रमाणक के पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय-8 पैरा-8 (क) के तहत खर्च की धनराशि अपहरित है।

अतः जांचोपरान्त भुगतान/खर्च की गयी धनराशि ₹0 530811.00 की वसूली ग्राम पंचायत सचिव 1.श्री अरविन्द कुमार (कार्यकाल अज्ञात) 2- श्री संजय कुमार सिंह वर्तमान प्रधान श्रीमती पूनम एवम् प्रशासक से सब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। खर्च की गयी धनराशि का विवरण निम्न प्रकार रहा:-

क्रम०	माहवार विवरण	राज्य वित्त	केंद्र वित्त	योग
1	अप्रैल- 2020	0.00	0.00	0.00
2	मई- 2020	17300.00	0.00	17300.00
3	जून- 2020	0.00	0.00	0.00
4	जुलाई- 2020	132900.00	0.00	132900.00
5	अगस्त- 2020	216926.00	0.00	216926.00

6	सितम्बर- 2020	31180.00	0.00	31180.00
7	अक्टूबर- 2020	23200.00	102305.00	125505.00
8	नवम्बर- 2020	7000.00	0.00	7000.00
9	दिसम्बर- 2020	0.00	0.00	0.00
10	जनवरी- 2021	0.00	0.00	0.00
11	फरवरी- 2021	0.00	0.00	0.00
12	मार्च- 2021	0.00	0.00	0.00
	योग-	428506.00	102305.00	530811.00

123. ग्राम पंचायत का नाम- ताजपुर

विकास खण्ड – बांसडीह

प्रस्तर-185

आलोच्य वर्ष 2020-21 में राज्य वित्त/पंद्रहवां वित्त मद में ग्राम निधि -1 के आनलाइन फीड प्रिया साफ्ट/कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न कार्यों/सामग्री क्रय एवम् मजदूरी भुगतान में ₹0 322363.00 खर्च किया गया। सम्बन्धित सचिव को खर्च कि पुष्टि में इन्टीमेशन लेटर के साथ अभिलेख प्रस्तुत के लिए आग्रह किया गया था समय से अभिलेख प्रस्तुत न करने पर पुनः दिनांक 08-12-2021 एवम् दिनांक 29-12-2021 को सहायक विकास अधिकारी (पं०) बांसडीह को सम्बन्धित सचिव को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने के लिए आग्रह किया गया था जिसकी प्रतिलिपि जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय सहकारी समितियां एवम् पंचायतें बलिया को गयी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर तत्कालीन सचिव श्री संजय कुमार सिंह को दिनांक 14-06-2022 को सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) बांसडीह के माध्यम से व्यक्तिगत पत्र दिया गया, इसकी प्रतिलिपि जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया एवं जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय बलिया को की गई, उक्त के क्रम में अभिलेख प्रस्तुत न करने पर पुनः दिनांक 19-07-2022 को सहायक विकास अधिकारी (पं०) बांसडीह को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया था प्रतिलिपि जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया एवं जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय बलिया को की गई परन्तु तत्कालीन सचिव श्री संजय कुमार सिंह (ग्रा० विकास अधि०) द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। आनलाइन प्रियासाफ्ट/कैशबुक में अंकित कृत कार्य/सामग्री क्रय की पुष्टि में सामग्री क्रय का बिल/वाउचर, कैश मेमो, फर्म का लाइसेंस, क्रय आदेश, कोटेशन/टेंडर, फाइल, आयकर, जी०एस०टी० कटौती फाईल, हैण्डपम्प मरम्मत, कोरोनाकिट, मस्टररोल, एस्टीमेट, एम०बी०, कार्यपूति प्रमाण पत्र, प्रशासनिक, तकनीकी, वित्तीय स्वीकृति आदेश, कार्य का नक्शा, फोटोग्राफ, प्रधान मानदेय रजिस्टर, निर्माण कार्य रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर, स्टांक रजिस्टर, डेड स्टांक रजिस्टर, कर मांग वसूली रजिस्टर, निरीक्षण रजिस्टर इत्यादि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे खर्च की पुष्टि नहीं की जा सकी। बिना प्रमाणक के पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय-8 पैरा-8 (क) के तहत खर्च की धनराशि अपहरित है।

अतः जांचोपरान्त भुगतान/खर्च की गयी धनराशि ₹0 322363.00 की वसूली ग्राम पंचायत सचिव 1.श्री विजय शंकर सिंह (कार्यकाल अज्ञात) 2- श्री संजय कुमार सिंह वर्तमान प्रधान श्री अजय सिंह एवम् प्रशासक से सब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। खर्च की गयी धनराशि का विवरण निम्न प्रकार रहा:-

क्रम०	माहवार विवरण	राज्य वित्त	केंद्र वित्त	योग
1	अप्रैल- 2020	0.00	0.00	0.00
2	मई- 2020	0.00	0.00	0.00
3	जून- 2020	30584.00	0.00	30584.00
4	जुलाई- 2020	0.00	0.00	0.00
5	अगस्त- 2020	70450.00	0.00	70450.00

6	सितम्बर- 2020	10500.00	136900.00	147400.00
7	अक्टूबर- 2020	0.00	0.00	0.00
8	नवम्बर- 2020	54275.00	0.00	54275.00
9	दिसम्बर- 2020	19654.00	0.00	19654.00
10	जनवरी- 2021	0.00	0.00	0.00
11	फरवरी- 2021	0.00	0.00	0.00
12	मार्च- 2021	0.00	0.00	0.00
	योग-	185463.00	136900.00	322363.00

124. ग्राम पंचायत का नाम- सकरपुरा

विकास खण्ड – बांसडीह

प्रस्तर-186

आलोच्य वर्ष 2020-21 में राज्य वित्त/पंद्रहवां वित्त मद में ग्राम निधि -1 के आनलाइन फीड प्रिया साफ्ट/कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न कार्यों/सामग्री क्रय एवम् मजदूरी भुगतान में ₹0 617496.00 खर्च किया गया। सम्बन्धित सचिव को खर्च की पुष्टि में इन्टीमेशन लेटर के साथ अभिलेख प्रस्तुत के लिए आग्रह किया गया था समय से अभिलेख प्रस्तुत न करने पर पुनः दिनांक 08-12-2021 एवम् दिनांक 29-12-2021 को सहायक विकास अधिकारी (पं०) बांसडीह को सम्बन्धित सचिव को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने के लिए आग्रह किया गया था जिसकी प्रतिलिपि जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय सहकारी समितियां एवम् पंचायतें बलिया को गयी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर तत्कालीन सचिव श्री संजय कुमार सिंह को दिनांक 14-06-2022 को सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) बांसडीह के माध्यम से व्यक्तिगत पत्र दिया गया, इसकी प्रतिलिपि जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया एवं जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय बलिया को की गई, उक्त के क्रम में अभिलेख प्रस्तुत न करने पर पुनः दिनांक 19-07-2022 को सहायक विकास अधिकारी (पं०) बांसडीह को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया था प्रतिलिपि जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया एवं जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय बलिया को की गई परन्तु तत्कालीन सचिव श्री संजय कुमार सिंह (ग्रा० विकास अधि०) द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। आनलाइन प्रियासाफ्ट/कैशबुक में अंकित कृत कार्य/सामग्री क्रय की पुष्टि में सामग्री क्रय का बिल/वाउचर, कैश मेमो, फर्म का लाइसेंस, क्रय आदेश, कोटेशन/टेंडर, फाइल, आयकर, जी०एस०टी० कटौती फाईल, हैण्डपम्प मरम्मत, कोरोनाकिट, मस्टररोल, एस्टीमेट, एम०बी०, कार्यपूति प्रमाण पत्र, प्रशासनिक, तकनीकी, वित्तीय स्वीकृति आदेश, कार्य का नक्शा, फोटोग्राफ, प्रधान मानदेय रजिस्टर, निर्माण कार्य रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर, स्टांक रजिस्टर, डेड स्टांक रजिस्टर, कर मांग वसूली रजिस्टर, निरीक्षण रजिस्टर इत्यादि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे खर्च की पुष्टि नहीं की जा सकी। बिना प्रमाणक के पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय-8 पैरा-8 (क) के तहत खर्च की धनराशि अपहरित है।

अतः जांचोपरान्त भुगतान/खर्च की गयी धनराशि ₹0 617496.00 की वसूली ग्राम पंचायत सचिव 1.श्री विजय शंकर सिंह (कार्यकाल अज्ञात) 2- श्री संजय कुमार सिंह वर्तमान प्रधान श्री मुमताज एवम् प्रशासक से सब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। खर्च की गयी धनराशि का विवरण निम्न प्रकार रहा:-

क्रम०	माहवार विवरण	राज्य वित्त	केंद्र वित्त	योग
1	अप्रैल- 2020	0.00	0.00	0.00
2	मई- 2020	0.00	0.00	0.00
3	जून- 2020	52316.00	0.00	52316.00
4	जुलाई- 2020	0.00	0.00	0.00
5	अगस्त- 2020	75490.00	0.00	75490.00

6	सितम्बर- 2020	329902.0 0	0.00	329902.0 0
7	अक्टूबर- 2020	0.00	0.00	0.00
8	नवम्बर- 2020	118155.00	0.00	118155.00
9	दिसम्बर- 2020	41633.00	0.00	41633.00
10	जनवरी- 2021	0.00	0.00	0.00
11	फरवरी- 2021	0.00	0.00	0.00
12	मार्च- 2021	0.00	0.00	0.00
	योग-	617496.00	0.00	617496.00

125. ग्राम पंचायत का नाम- जजौली रजमन

विकास खण्ड – नवानगर

प्रस्तर-187

शासनादेश सं0 977/45-वि0(अति.ऊ.श्रोत वि.)/2017 दिनांक 29.08.2017 के अनुसार सोलर लाइट का क्रय ऊ.प्र.नेडा से किया जायेगा किन्तु आलोच्य वर्ष में पन्द्रहवें वित्त से सोलर लाईट का क्रय रु0 494500.00 में नेडा से न करके निजी संस्था माँ लक्ष्मी सर्विस एंड सप्लायर्स से किया गया है। साथ ही सोलर लाईट स्थापना की फोटोग्राफ, कार्यपूति प्रमाण पत्र, सोलर के वाट का विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। इस प्रकार ग्राम पंचायत में सोलर लाइट की स्थापना में उक्त शासनादेश का उलंघन कर रु0494500.00 की गंभीर अनियमितता की गयी है जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री मंगल राम एवं सचिव श्री जय प्रकाश सिंह उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण इस प्रकार है-

दिनांक	समग्री का नाम	धनराशि
15-19-2020	9 अदद सोलर लाईट	193500.00
19-10-2020	5 अदद सोलर लाईट	107500.00
19-10-2020	9 अदद सोलर लाईट	193500.00
योग=		494500.00

प्रस्तर- 188

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा कैशबुक में पंद्रहवें वित्त से निम्नलिखित सामग्री पर धनराशि व्यय दर्शित है-

दिनांक	सामग्री का नाम	धनराशि
06-03-2021	हयूम पाईप	282700.00
24-03-2021	स्कूल बेंच	171330.00
29-03-2021	हयूम पाईप	187500.00
योग=		641530.00

उपर्युक्त क्रय सामग्री के सम्बंध में निम्नलिखित आपत्तिया पाई गयी-

- हयूम पाईप एवं स्कूल बेंच का उपयोग कहाँ किया गया है इसका विवरण कैशबुक में नहीं है।
 - क्रय सामग्री के वित्तीय, प्रशासनिक स्वीकृत से सम्बंधित अभिलेख, एम0बी0, स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए।
 - क्रय सामग्री का व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया।
- उ0 प्र0 पंचायती राज वित्त एवं लेखा प्रबंध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो दर्शाए गए व्यय को गबन मानते हुए व्यय धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से संयुक्त रूप से की जाएगी। अतः उक्त नियम के आलोक में व्यय दर्शित धनराशि रु0 641530.00 को अपहरण की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि

की वसूली ब्याज सहित प्रशासक श्री सूर्यनाथ यादव एवं सचिव जयप्रकाश सिंह से की जाने की संस्तुति की जाती है।

प्रस्तर- 189

ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य आलोच्य वर्ष 2020-21 में चतुर्थ राज्य वित्त से अत्येष्टी स्थल के निर्माण हेतु कैशबुक में ₹0 2085000.00 सामग्री पर एवं ₹0 306880.00 मजदूरी पर व्यय दर्शित है। उक्त निर्माण कार्य की फाईल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे टेंडर, वित्तीय, प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृत से सम्बन्धित अभिलेख, एम.बी., कार्यपूति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल आदि अभिलेखों की जाँच नहीं हो सकी। लेखा परीक्षा में निर्माण कार्य की पत्रावली प्रस्तुत न करने से निर्माण कार्य की पुष्टि नहीं हो सकी।

30 प्र0 पंचायती राज वित्त एवं लेखा प्रबंध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो दर्शाए गए व्यय को गबन मानते हुए व्यय धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से संयुक्त रूप से की जाएगी। अतः उक्त नियम के आलोक में व्यय दर्शित धनराशि को ₹0 2391880.00 को अपहरण की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री मंगल राम एवं सचिव जयप्रकाश सिंह से की जाने की संस्तुति की जाती है।

प्रस्तर- 190

ग्राम पंचायत में आलोच्य वर्ष में चैदहवें वित्त से विभिन्न स्थानों पर सीमेंट बेंच की स्थापना कैशबुक में दर्शित है

दिनांक	समग्री का नाम	धनराशि
31.08.2020	सीमेंट बेंच	180000.00
31.08.2020	सीमेंट बेंच	72000.00
31.08.2020	सीमेंट बेंच	<u>198000.00</u>

योग- 450000.00

उपयुक्त क्रय सामग्री के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपति पाई गयी-

1. सीमेंट बेंच की संख्या एवं स्थापना के स्थान का विवरण कैशबुक में नहीं है।
2. क्रय सामग्री के वित्तीय, प्रशासनिक, तकनीकी, स्वीकृत से सम्बंधित अभिलेख एम0बी0 स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए।
3. अलग-अलग वर्क आई0डी0 बनाकर एक ही दिन में बेंच स्थापना कार्य दर्शित है।
4. क्रय सामग्री का व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया।

30 प्र0 पंचायती राज वित्त एवं लेखा प्रबंध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो दर्शाए गए व्यय को गबन मानते हुए व्यय धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से संयुक्त रूप से की जाएगी। अतः उक्त नियम के आलोक में व्यय दर्शित धनराशि को ₹0 450000.00 को अपहरण की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की वसूली ब्याज सहित श्री मंगल राम एवं सचिव जयप्रकाश सिंह से की जाने की संस्तुति की जाती है।

126. ग्राम पंचायत का नाम- लिलकर

विकास खण्ड – नवानगर

प्रस्तर-191

शासनादेश सं0 977/45-वि0(अति.ऊ.श्रोत वि.)/2017 दिनांक 29.08.2017 के अनुसार सोलर लाइट का क्रय ऊ.प्र.नेडा से किया जायेगा किन्तु आलोच्य वर्ष 2020-21 में सोलर लाइट का क्रय ₹0 180000.00 में नेडा से न करके निजी संस्था कमला इंटर प्राइजेज से किया गया है। साथ ही सोलर लाइट स्थापना की फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा। इस प्रकार ग्राम पंचायत में सोलर लाइट की स्थापना में उक्त शासनादेश का उलंघन

कर ₹0 180000.00 की गंभीर अनियमितता की गयी है जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती शारदा देवी एवं ग्राम सचिव श्री अरविन्द निगम उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-192

ग्राम पंचायत लिलकर में वर्ष 2020-21 में निम्नलिखित कार्यों पर बैशबुक में सामग्री पर भुगतान दर्शित है किन्तु वित्त वर्ष के अंत तक मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है विवरण इस प्रकार है-

क्रम0	कार्य का नाम	सामग्री पर भुगतान की गयी धनराशि	मजदूरी	योग
1	पिच रोड से बिजुलीपुर गड़ही तक नाली मरम्मत एवं ढक्कन निर्माण	94000.00	-	94000.00
2	कुडीयापुर पिच रोड से राजेश यादव के घर तक खडंजा कार्य	168000.00	-	168000.00
3	लक्ष्मीपुर में रवि साहनी के घर के पास खडंजा मरम्मत कार्य	31900.00	-	31900.00
4	मुखराम के दरवाजे पर चबूतर निर्माण कार्य	27300.00	-	27300.00
5	बादशाह के घर से सुरेश के घर तक मिट्टी एवं खडंजा मरम्मत कार्य	54000.00	-	54000.00
6	कृष्ण यादव के घर के पास खडंजा मरम्मत कार्य	37400.00	-	37400.00
7	अमरनाथ के घर से उपेन्द्र राय के घर तक पेवर्स कार्य	126800.00	-	126800.00
8	विभिन्न स्थानों पर शोकपिट निर्माण कार्य	200000.00	-	200000.00
	योग-	739400.00	-	739400.00

साथ ही उपरोक्त कार्यों की कार्योजना, एम.बी., व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे कार्य होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रकार काल्पनिक कार्य दर्शाकर एवं वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करके ₹0 739400.00 का अपहरण किया गया है, जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती शारदा देवी एवं सचिव श्री अरविन्द निगम उत्तरदायी है। जिसकी वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

प्रस्तर- 193

ग्राम पंचायत में चतुर्थ राज्य वित्त से ₹0 198000.00 का भुगतान विभिन्न स्थानों पर सीमेंट बेंच लगाने हेतु किया गया है। सीमेंट बेंच की संख्या एवं स्थलों का विवरण बैशबुक में दर्शित नहीं है साथ ही व्यय प्रमाणक ,एम.बी., कार्यपूर्ति, प्रमाणक पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। इस प्रकार व्यय प्रमाणक एवं सहायक अभिलेख प्रस्तुत न करके फर्जी तरीके से व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है।

30 प्र0 पंचायती राज वित्त एवं लेखा प्रबंध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो दर्शाए गए व्यय को गबन मानते हुए व्यय धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से संयुक्त रूप से की जाएगी। अतः उक्त नियम के आलोक में व्यय दर्शित धनराशि को ₹0 198000.00 ब्याज सहित की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती शारदा देवी एवं सचिव श्री अरविन्द निगम से किया जाना अपेक्षित है।

127.ग्राम पंचायत का नाम- सरियांव मनांबीर

विकास खण्ड – नवानगर

प्रस्तर-194

ग्राम पंचायत सरियांव मनोबीर में राज्य वित्त/चौदहवें वित्त/पंद्रहवें वित्त के अन्तर्गत कैश बुक में निम्नलिखित कार्यो/सामग्री पर धनराशि व्यय दर्शित है, किन्तु व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में मांग पत्र के बावजूद व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, कार्ययोजना, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, वितीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति से सम्बन्धित पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे किए गए व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं लेखा प्रबंध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो दर्शाए गए व्यय को गबन मानते हुए व्यय धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान/प्रशासक एवं सचिव से संयुक्त रूप से की जाएगी। अतः उक्त नियम के अलोक में व्यय दर्शित धनराशि 891909.00 का अपहरण की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है तथा व्यय धनराशि 891909.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अर्चना, प्रशासक श्री सूर्यनाथ यादव एवं सचिव श्री प्रफुल्ल कुमार घुसिया से संयुक्त रूप से की जाने की संस्तुति की जाती है।

विवरण इस प्रकार है-

क्रम 0	कार्य/सामग्री का नाम	सामग्री	मजदूरी	योग
1	पतरू प्रजापति के घर से चन्दन गौड़ के घर तक खडंजा कार्य	-	25750.00	25750.00
2	शिव गोविन्द चौहान के घर से दयानंद चौहान की दुकान तक मिट्टी एवं खडंजा कार्य	-	26270.00	26270.00
3	सदानंद चौहान के घर से मां काली स्थान तक मिट्टी एवं खडंजा कार्य		39460.00	39460.00
4	श्रीपति के घर से चट्टी तक खडंजा कार्य	90077.00	51500.00	141577.00
5	हैंडपम्प मरम्मत कार्य	-	-	70000.00
6	हैंडपम्प रिबोर कार्य	-	-	73000.00
7	प्रशासनिक मद पर व्यय	-	-	9120.00
8	स्प्रे मशीन, पल्स आक्सीमीटर, थर्मल स्कैनर क्रय	37500.00	-	37500.00
9	झगड़ के घर से बगियाह तक पक्की नाली कार्य	141159.00	28100.00	169259.00
10	चन्द्रिका चौहान के घर से राम मिलन के घर तक खडंजा कार्य	85373.00	22100.00	107473.00
11	स्कूल बेंच क्रय	-	-	192500.00
	योग			891909.00

128.ग्राम पंचायत का नाम- चक प्रेमा उर्फ भटवाचक

विकास खण्ड – नवानगर

प्रस्तर-195

ग्राम पंचायत चक प्रेम उर्फ भटवाचक में वर्ष 2020-21 में निम्नलिखित कार्यो पर कैशबुक में सामग्री पर भुगतान दर्शित है किन्तु वित्त वर्ष के अंत तक मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है,

विवरण इस प्रकार है-

क्रम 0	कार्य का नाम	सामग्री पर भुगतान की गयी धनराशि	मजदूरी	योग
1	विभिन्न स्थानों पर सोखता निर्माण	120000.00	-	120000.00
2	हृदय नारायण के घर से संकट के घर तक पेवर्स कार्य	156906.00	-	156906.00
3	अंगद के घर से राजेश पाण्डेय के घर तक पेवर्स कार्य	156532.00	-	156532.00

4	दुगौली में रमेश के घर से शंकर के मंदिर तक नाली एवं खडंजा मरम्मत	99239.00	-	99239.00
		532677.00	-	532677.00

साथ ही उपरोक्त कार्यों की कार्योजना, एम0बी0, व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसमें कार्य की पुष्टि नहीं हो सकी। इस प्रकार बिना मजदूरी के फर्जी तरीके से कार्य दर्शाकर एवं वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करके ₹0 532677.00 का अपहरण किया गया है।, उक्त धन की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता देवी एवं सचिव श्री योगेन्द्र कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

129. ग्राम पंचायत का नाम- देवकली

विकास खण्ड – नवानगर

प्रस्तर-196

ग्राम पंचायत देवकली में प्रशासक के अंतर्गत कैशबुक में निम्नलिखित कार्यों पर व्यय दर्शित है-

क्रम0	दिनांक	कार्य का नाम	मद का नाम	धनराशि
1	25-3-2021	पंचायत भवन निर्माण	पन्द्रहवा वित्त	181619.00
2	25-3-2021	उच्च प्रा0पा0 देवकली हेतु बैंच	पन्द्रहवा वित्त	82500.00
3	25-3-2021	हैंडपम्प रिबोर पर व्यय	चतुर्थ राज्य वित्त	35000.00
4	25-3-2021	हैंडपम्प रिबोर में जलापूर्ति व्यवस्था पर व्यय	चतुर्थ राज्य	105000.00
			योग-	404119.00

उक्त कार्य की कार्योजना, व्यय प्रमाणक, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं लेखा प्रबंध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो दर्शाए गए व्यय को गबन मानते हुए व्यय धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान/प्रशासक एवं सचिव से संयुक्त रूप से की जाएगी। अतः व्यय प्रमाणक, के अभाव में व्यय दर्शित समस्त धनराशि 404119.00 को अपहरण की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की वसूली ब्याज सहित प्रशासक श्री सूर्यनाथ यादव एवं सचिव श्री प्रफुल्ल कुमार घुसिया से किया जाने की संस्तुति की जाती है।

130.ग्राम पंचायत का नाम- हुसेनपुर

विकास खण्ड – नवानगर

प्रस्तर-197

ग्राम पंचायत में प्रशासक के कार्यकल के अंतर्गत ईग्राम स्वराज पर कैशबुक में निम्नलिखित कार्यों पर भुगतान दर्शित है-

क्रम0	दिनांक	कार्य का नाम	धनराशि

1	26-3-2021	खेल के मैदान में मिट्टी भराव एवं ह्यूम पाईप का कार्य	245500.00
2	26-3-2021	खेल के मैदान में पाथ वे का निर्माण	247000.00
3	16-3-2021	हुसेनपुर प्रा0पा0 के बाउंड्री से पुलिया तक ढक्कन सहित नाली	165507.00
		योग-	658007.00

उपयुक्त के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्तियां पायी गयी हैं-

1. कार्य योजना, एम0बी0 कार्यपूति प्रमाण पत्र, टेंडर से सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा।
2. बिना मजदूरी के केवल सामग्री पर भुगतान कर कार्य कराया गया है।
3. लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा।

इस प्रकार बिना मजदूरी के फर्जी तरीके से कार्य दर्शाकर एवं कार्य की फाइल/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके ₹0 658007.00 का अपहरण किया गया है, जिसके लिए प्रशासक श्री सूर्यनाथ यादव एवं सचिव श्री जय प्रकाश सिंह उत्तरदायी हैं। उक्त धन की वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर- 198

ग्राम पंचायत में दिनांक 07-03-2021 को मजदूरी हेतु ₹0 55000.00 का भुगतान दर्शित है। यह भुगतान किस कार्य हेतु किया गया है इसका कोई विवरण ऑनलाइन कैशबुक में दर्ज नहीं है और न ही इस सम्बन्ध में ऑफ लाइन कोई अभिलेख प्रस्तुत किया गया। ऑनलाइन पेमेंट बाउचर डिटेल के अनुसार यह भुगतान विनय शंकर मशीनरी स्टोर को किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि नियम के विपरीत जा करके मजदूरी का भुगतान मजदूरों के वजाय प्राइवेट फर्म को किया गया है। इस प्रकार मजदूरी का भुगतान मजदूरों के वजाय फर्म को करके एवं मजदूरी का व्यय प्रमाणक/मस्टररोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके ₹0 55000.00 का अपहरण किया गया है, जिसके प्रशासक श्री सूर्यनाथ यादव एवं सचिव श्री जय प्रकाश उत्तरदायी हैं। उक्त धन की वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

131. ग्राम पंचायत का नाम- झूहा बिहरा

विकास खण्ड – नवानगर

प्रस्तर-199

ग्राम पंचायत झूहा बिहरा में वर्ष 2020-21 में निम्नलिखित कार्यों पर कैशबुक में सामग्री पर भुगतान दर्शित है किन्तु वित्त वर्ष के अंत तक मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है।

विवरण इस प्रकार है-

क्रम 0	कार्य का नाम	सामग्री	मजदूरी	योग
1	मठिया में खडंजा से सतीश के घर तक मिट्टी एवं खडंजा मरम्मत	114762.00	-	114762.00
2	पंचायत बिहरा के फील्ड में पेवर्स कार्य	144641.00	-	144641.00
3	उमाशंकर के घर से लालचंद के घर होते हुए पिढे डेरा तक मिट्टी खडंजा एवं नाली कार्य	115591.00	-	115591.00
4	हरे कृष्णा के घर से लालजी के घर तक पेवर्स कार्य मरम्मत कार्य	108831.00	-	108831.00
5	राजेश के घर से अवधेश के डेरा तक पक्की नाली कार्य	40241.00	-	40241.00
6	पिच रोड से संजय सिंह के घर के सामने तक खडंजा कार्य	74340.00	-	74340.00
7	सीमेंटेड रोड से गोठई के घर होते हुए इंटरलाकिंग रोड तक मिट्टी एवं खडंजा	97234.00	-	97234.00

8	सीमेंटेड रोड से गोपाल के घर तक खडंजा एवं ढक्कन सहित नाली कार्य	97138.00	-	97138.00
9	मातादीन के घर से गढही तक इंटरलाकिंग कार्य	143295.00	-	143295.00
10	रमाशंकर के घर से सुरेश के घर तक मिट्टी एवं खडंजा कार्य	82312.00	-	82312.00
11	चन्द्रिका के घर से पश्चिमीआबादी तक मिट्टी एवं खडंजा कार्य	82312.00	-	82312.00
12	संतोष के घर से शिव कुमार के घर तक मिट्टी एवं खडंजा कार्य	66172.00	-	66172.00
13	रोशन के घर से नगेन्द्र के घर तक खडंजा कार्य	146834.00	-	146834.00
14	सुनील के घर से गढही तक खडंजा एवं नाली निर्माण कार्य	48820.00	-	48820.00
15	इंटरलाकिंग रोड से राम अवध के घर होते हुए सुखाल के घर तक ह्यूम पाईप नाली निर्माण कार्य	163167.00	-	163167.00
	योग-	1525690.00	-	1525690.00

साथ ही उपरोक्त कार्यों की कार्योजना, एम0बी0, व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसमें कार्य की पुष्टि नहीं हो सकी। इस प्रकार बिना मजदूरी के फर्जी तरीके से कार्य दर्शाकर एवं वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करके ₹0 1525690.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती फूलमती एवं सचिव श्री श्याम कुमार उत्तरदायी हैं। वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

132. .ग्राम पंचायत का नाम- सिसोटा र दिया रा

विकास खण्ड – नवानगर

प्रस्तर-200

ग्राम पंचायत में निम्नलिखित तिथियों में ग्राम निधि प्रथम से पेवर्स ब्लाक एवं खडंजा निर्माण कार्य हेतु धन आहरित किया गया है किन्तु उक्त सामग्री का उपयोग कहाँ किया गया है इसका स्पष्ट विवरण कार्य का विवरण आंनलाइन कैशबुक एवं ऑफलाइन कैशबुक में नहीं दिया गया है। इस सम्बन्ध में ऑफलाइन व्यय प्रमाणक एवं सहायक अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। विवरण इस प्रकार है-

क्र0सं0		दिनांक	मद का नाम	आहरित धनराशि	योग
1	पेवर्स ब्लाक कार्य पर सामग्री का भुगतान	04-07-2020	चौदहवा वित्त	30886.00	179305.00
		04-07-2020	चौदहवा वित्त	109158.00	
		04-07-2020	चौदहवा वित्त	39261.00	
2	पेवर्स ब्लाक कार्य पर सामग्री का भुगतान	04-07-2020	चौदहवा वित्त	109158.00	179305.00
		04-07-2020	चौदहवा वित्त	39261.00	
		04-07-2020	चौदहवा वित्त	30886.00	
3	खडंजा कार्य पर सामग्री/ मजदूरी का भुगतान	21-12-2020	चतुर्थ राज्य वित्त	117421.00	182192.00
		21-12-2020	चतुर्थ राज्य वित्त	11550.00	
				13741.00	
			चतुर्थ राज्य वित्त	39480.00	
4	खडंजा कार्य पर सामग्री का भुगतान	28-12-2020	पंचम राज्य वित्त	116865.00	139626.00
		28-12-2020	पंचम राज्य वित्त	12366.00	
		28-12-2020	पंचम राज्य वित्त	10395.00	

				योग-	680428.00

इस प्रकार बिना स्पष्ट कार्य विवरण के सामग्री/मजदूरी पर भुगतान दर्शाकर एवं कार्य की फाईल/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके ₹0 680428.00 का अपहरण किया गया है, जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम एवं सचिव श्री अनिल कुमार वर्मा उत्तरदायी हैं उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर- 201

ग्राम पंचायत में वर्ष 2020-21 में निम्नलिखित कार्यों पर कैशबुक में सामग्री पर भुगतान दर्शित है किन्तु वित्त वर्ष के अंत तक मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है, विवरण इस प्रकार है-

क्रम 0	कार्य का नाम	सामग्री	मजदूरी	योग
1	उपेन्द्र राम के कटरा से चहान बस्ती तक खडंजा मरम्मत	113939.00	-	113939.00
2	चौहान के घर से फूलचंद यादव के घर तक खडंजा कार्य	185850.00	-	185850.00
3	राजेन्द्र के घर से संजय के घर तक खडंजा कार्य	79108.00	-	79108.00
4	लगन राजभर के घर से श्री निवास के घर तक खडंजा कार्य	83608.00	-	83608.00
5	इन्द्रासन के घर से कमला पासवान के घर तक पेवर्स कार्य	160071.00	-	160071.00
6	बूढ़ा के घर से रहदुल के घर तक खडंजा कार्य	147255.00	-	147255.00
7	मुन्ना के घर से बूढ़ा के घर तक खडंजा कार्य	149211.00	-	149211.00
	योग-	919042.00	-	919042.00

साथ ही उपरोक्त कार्यों की कार्योजना,एम0बी0, व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य की पुष्टि नहीं हो सकी। इस प्रकार बिना मजदूरी के कार्य दर्शाकर एवं कार्य की फाईल/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके ₹0 919042.00 का अपहरण किया गया है, जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम एवं सचिव श्री अनिल कुमार वर्मा उत्तरदायी हैं। वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

133. ग्राम पंचायत का नाम- चाड़ी

विकास खण्ड – नवानगर

प्रस्तर-202

ग्राम पंचायत में वर्ष 2020-21 में निम्नलिखित कार्यों पर कैशबुक में सामग्री पर भुगतान दर्शित है किन्तु वित्त वर्ष के अंत तक मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है,

विवरण इस प्रकार है-

क्रम 0	कार्य का नाम	सामग्री	मजदूरी	योग
1	बीच गोदाम के प्रांगण में पेवर्स कार्य	59900.00	-	59900.00
2	फरजन ईलाही के घर से बबुआ के घर तक खडंजा मरम्मत	57000.00	-	57000.00
3	ब्रम्ह बाबा के स्थान पर चबूतर निर्माण	130000.00	-	130000.00
		246900.00	-	246900.00

साथ ही उपरोक्त कार्यों की कार्योजना,एम0बी0, व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य की पुष्टि नहीं हो सकी। इस प्रकार बिना मजदूरी के फर्जी तरीके से कार्य दर्शाकर एवं वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करके ₹0 246900.00 का अपहरण किया गया है, जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री सुभाष राम एवं सचिव श्री राज कुमार उत्तरदायी हैं। उक्त धन की वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

134. ग्राम पंचायत का नाम- दुधैला

विकास खण्ड – बेलहरी

प्रस्तर-203

ग्राम पंचायत दुधैला में वर्ष 2020-21 में अपहरण के गम्भीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं, जिनकी तरह अधिकारियों का ध्यान आवश्यक कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है। पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षा दल को व्यय के समस्त व्यय प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए। लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध कराए जाने के सम्बन्ध में दिनांक 25-01-2022 एवं दिनांक 25-03-2022 को ए0डी0ओ0 पंचायत के माध्यम से, साथ ही दिनांक 12-05-2022 को जिला विकास अधिकारी एवं दिनांक 20-05-2022 को जिला पंचायत राज अधिकारी को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया। किन्तु इसके बावजूद ग्राम विकास अधिकारी श्री दिलीप सिंह द्वारा कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया।

ई ग्राम स्वराज पर दर्शित कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत दुधैला में आलोच्य वर्ष 2020-21 में राज्य वित्त एवं चौदहवें वित्त / पंद्रहवें वित्त के अंतर्गत कुल ₹0 2393620.00 विभिन्न कार्यों हेतु व्यय किया गया है, जिसका महीनेवार विवरण इस प्रकार है-

क्रम0 0	माह	2020	व्यय दर्शित धनराशि
1	जून	2020	354605.00
2	सितम्बर	2020	235555.00
3	अक्टूबर	2020	452382.00
4	नवम्बर	2020	428524.00
5	दिसम्बर	2020	326377.00
6	मार्च	2021	596177.00
	योग-		2393620.00

उक्त व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक, एवं समस्त वांछित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण व्यय दर्शित समस्त धनराशि ₹0 2393620.00 को उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं लेखा प्रबंधक के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार अपहरण की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री राजाराम, सचिव श्री दिलीप सिंह एवं प्रशासक श्री पी0एन0 त्रिपाठी से किया जाना अपेक्षित है।

135. ग्राम पंचायत का नाम- भरसौता

विकास खण्ड – बेलहरी

प्रस्तर-204

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम पंचायत एवं ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षा दल को व्यय के समस्त व्यय प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए। लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख कराए जाने के सम्बन्ध में दिनांक 25-01-2022 एवं दिनांक 25-03-2022 को ए.डी.ओ. पंचायत के माध्यम से, साथ ही दिनांक 12-05-2022 को जिला विकास अधिकारी एवं दिनांक 20-05-2022 को जिला पंचायत राज अधिकारी को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया। किन्तु इसके बावजूद ग्राम विकास अधिकारी श्री दिलीप सिंह द्वारा अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया।

ई ग्राम स्वराज पर दर्शित कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत में आलोच्य वर्ष 2020-21 में राज्य वित्त एवं चौदहवें वित्त / पंद्रहवें वित्त के अंतर्गत कुल ₹0 1945327.00 विभिन्न कार्यों हेतु व्यय किया गया है, जिसका विवरण इस प्रकार है-

क्रम 0	कार्य/ सामग्री का नाम	सामग्री	मजदूरी	योग
1	गंगा यात्रा पर व्यय	-	-	39000.00
2	मास्क क्रय	17680.00	-	17680.00

3	सेनटाईजेशन, फागिंग केमिकल छिडकाव पर व्यय	-	-	25000.00
4	10 अदद स्कूल बेंच स्थापना	-	-	125000.00
5	30 अदद स्टील बेंच क्रय	-	-	195000.00
6	15 अदद स्कूल बेंच क्रय	-	-	97500.00
7	कायाकल्प के अंतर्गत स्कूल में टाईल कार्य	195000.00	-	195000.00
8	ग्राम पंचायत में सोलर लाईट स्थापना	-	-	199000.00
9	टैंडर प्रकाशन पर व्यय	-	-	5573.00
10	स्टेशनरी पर व्यय	-	-	11799.00
11	पी.पी.ई. किट थर्मल स्क्ेनर, पल्स आंक्सीमीटर पर व्यय	-	-	28460.00
12	हैंडपम्प मरम्मत पर व्यय	-	-	51500.00
13	ब्रह्म बाबा के स्थान पर गंगा चबूतर निर्माण कार्य	63395.00	11250.00	74645.00
14	ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर हाई मास्ट लाईट स्थापना	-	-	325000.00
15	प्र०पा० भरसौता हेतु स्कूल बेंच	-	-	199850.00
16	स्कूल बेंच पर भुगतान	-	-	199850.00
17	स्कूल बेंच पर भुगतान	-	-	85650.00
18	प्रशासनिक मद पर व्यय	-	-	3120.00
19	प्रधान का मानदेय	-	-	59500.00
20	टैन रजि०	-	-	4200.00
21	मिशन अन्त्योदय	-	-	3000.00
			योग-	1945327.00

उक्त व्यय के सापेक्ष कोई व्य प्रमाणक, एवं समस्त वांछित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण व्यय दर्शित समस्त धनराशि रु० 1945327.00 को उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं लेखा प्रबंध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार अपहरण की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान रामेश्वर प्रसाद, सचिव श्री विनोद तिवारी एवं प्रशासक श्री पी०एन० त्रिपाठी से की जाने की संस्तुति की जाती है।

136.ग्राम पंचायत का नाम- सुल्तानपुर

विकास खण्ड – बेलहरी

प्रस्तर-205

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेख मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम पंचायत एवं ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्तदायित्व है कि लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षा दल को व्यय के समस्त व्यय प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए। लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख कराए जाने के सम्बन्ध में दिनांक 25-01-2022 एवं दिनांक 25-03-2022 को ए.डी.ओ. पंचायत के माध्यम से, साथ ही दिनांक 12-05-2022 को जिला विकास अधिकारी एवं दिनांक 20-05-2022 को जिला पंचायत राज अधिकारी को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया। किन्तु इसके बावजूद ग्राम विकास अधिकारी श्री दिलीप सिंह द्वारा अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया।

ई ग्राम स्वराज पर दर्शित कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत में आलोच्य वर्ष 2020-21 में राज्य वित्त एवं चौदहवें वित्त /पंद्रहवें वित्त के अंतर्गत कुल रु० 2035032.00 विभिन्न कार्यों हेतु व्यय किया गया है, जिसका विवरण इस प्रकार है-

क्रम	कार्य/ सामग्री का नाम	सामग्री	मजदूरी	योग
0				

1	कृष्णा के घर से मनोज के घर तक मिट्टी एवं खडंजा	130000.00	22050.00	152050.00
2	कार्य मास्क पर व्यय	9520.00	-	9520.00
3	जियो टैग करने के लिए रोजगार सेवक को मोबाईल क्रय	20000.00	-	20000.00
4	जिउत के घर से राजनाथ के घर तक ढक्कन सहित नाली कार्य	84000.00	15300.00	99300.00
5	मोहन के घर से ग्राम समाज के गड्ढे तक नाली सहित खडंजा निर्माण	89000.00	15300.00	104300.00
6	शुम्भ के घर से सत्यनारायण के घर तक मिट्टी एवं खडंजा	24500.00	4360.00	28860.00
7	टैंडर हेतु भुगतान	-	-	5573.00
8	8 अदद सॉलर लाईट स्थापना	-	-	180000.00
9	विभिन्न स्थानों पर हैंड पम्प रिबोर कार्य	-	-	123835.00
10	2 अदद हाईमास्ट लाईट स्थापना	-	-	170000.00
11	स्वच्छता सामग्री क्रय	5500.00	-	5500.00
12	पी पी ई किट थर्मल स्कैन्डर,पल्स आंक्सीमीटर पर व्यय	22360.00	-	22360.00
13	टैन रजि0	-	-	4200.00
14	केदार ठाकुर के घर से टुनटुन पाण्डेय के दरवाजे तक खडंजा मरम्मत एवं नाली निर्माण पर व्यय	206231.00	16041.00	222272.00
15	स्टेशनरी पर व्यय	6150.00	-	6150.00
16	प्रशासनिक कार्य पर व्यय	-	-	6120.00
17	परशुराम के घर से ओमप्रकाश के घर तक आर.सी.सी. ढक्कन नाली निर्माण कार्य	97809.00	16195.00	114004.00
18	अन्त्योदन पर व्यय	-	-	3000.00
19	केदार ठाकुर के घर से चितरंजन के घर तक पेवर्स ब्लाक कार्य	112901.00	-	112901.00
20	प्रा0वि0 सुलतान पुर हेतु स्कूल बेंच	199850.00	-	199850.00
21	समुदायिक शौचालय पर व्यय	368387.00	-	368387.00
22	प्रा0वि0 सुलतान पुर में आंतरिक जलपूर्ति	55850.00	-	55850.00
23	प्रधान का मानदेय सुल्तानपुर	21000.00	-	21000.00
			योग-	2035032.00

उक्त व्यय के सापेक्ष कोई व्य प्रमाणक, एवं समस्त वांछित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण व्यय दर्शित समस्त धनराशि रू0 2035032.00 को उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं लेखा प्रबंध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार अपहरण की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान रामेश्वर प्रसाद, सचिव श्री विनोद तिवारी एवं प्रशासक श्री पी0एन0 त्रिपाठी से की जाने की संस्तुति की जाती है।

137. ग्राम पंचायत का नाम- हन्दी

विकास खण्ड – बेलहरी

प्रस्तर-206

आलोच्य वर्ष 2020-21में ग्राम पंचायत हल्दी में ई स्वराज पर कैशबुक में विभिन्न तिथियों में स्ट्रीट लाईट पर ₹0 994000.00 धनराशि व्यय दर्शित है। किन्तु इस व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई अभिलेख, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, कार्ययोजना, वित्तीय, प्रशासनिक, एवं तकनीकी स्वीकृति से सम्बंधित पत्रावली, टेंडर से सम्बन्धित पत्रावली, एम.बी., कार्यपूति प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किया गया। जबकि लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध कराए जाने के सम्बन्ध में दिनांक 25-01-2022 एवं दिनांक 25-03-2022 को ए.डी.ओ. पंचायत के माध्यम से, साथ ही दिनांक 12-05-2022 को जिला विकास अधिकारी एवं दिनांक 20-05-2022 को जिला पंचायत राज अधिकारी को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया।

अतः उक्त व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, एवं समस्त वांछित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण व्यय दर्शित समस्त धनराशि ₹0 994000.00 को उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं लेखा प्रबंध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार अपहरण की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री शिवजी यादव, सचिव श्री संजय सिंह से की जाने की संस्तुत की जाती है

विवरण इस प्रकार है-

दिनांक	सामग्री	मद का नाम	धनराशि
04-06-2020	स्ट्रीट लाईट स्थापना कार्य	चौदहवा वित्त	175000.00
17-11-2020	स्ट्रीट लाईट स्थापना कार्य	पंद्रहवा वित्त	112500.00
17-11-2020	स्ट्रीट लाईट स्थापना कार्य	पंद्रहवा वित्त	112500.00
04-06-2020	स्ट्रीट लाईट स्थापना कार्य	पंद्रहवा वित्त	198000.00
04-06-2020	स्ट्रीट लाईट स्थापना कार्य	पंद्रहवा वित्त	198000.00
04-06-2020	स्ट्रीट लाईट स्थापना कार्य	पंद्रहवा वित्त	198000.00
		योग-	994000-00

प्रस्तर-207

आलोच्य वर्ष 2020-21में ग्राम पंचायत हल्दी में ई स्वराज पर कैशबुक में विभिन्न तिथियों में सोलर लाईट पर ₹0 1409000.00 धनराशि व्यय दर्शित है। किन्तु इस व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई अभिलेख, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, कार्ययोजना, वित्तीय, प्रशासनिक, एवं तकनीकी स्वीकृति से सम्बंधित पत्रावली, टेंडर से सम्बन्धित पत्रावली, एम.बी., कार्यपूति प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किया गया। जबकि लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध कराए जाने के सम्बन्ध में दिनांक 25-01-2022 एवं दिनांक 25-03-2022 को ए.डी.ओ. पंचायत के माध्यम से, साथ ही दिनांक 12-05-2022 को जिला विकास अधिकारी एवं दिनांक 20-05-2022 को जिला पंचायत राज अधिकारी को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया।

अतः उक्त व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, एवं समस्त वांछित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण व्यय दर्शित समस्त धनराशि ₹0 1409000.00 को उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं लेखा प्रबंध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार अपहरण की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री शिवजी यादव, सचिव श्री संजय सिंह से की जाने की संस्तुत की जाती है

विवरण इस प्रकार है-

दिनांक	सामग्री	मद का नाम	धनराशि
04-06-2020	सोलर लाईट पर भुगतान	चतुर्थ राज्य वित्त	137500.00

28-06-2020	सोलर लाईट पर भुगतान	चतुर्थ राज्य वित्त	185000.00
10-09-2020	सोलर लाईट पर भुगतान	चतुर्थ राज्य वित्त	159000.00
10-09-2020	सोलर लाईट पर भुगतान	चतुर्थ राज्य वित्त	185500.00
06-11-2020	सोलर लाईट पर भुगतान	चतुर्थ राज्य वित्त	107500.00
17-11-2020	सोलर लाईट पर भुगतान	पंद्रहवा वित्त	157500.00
17-11-2020	सोलर लाईट पर भुगतान	पंद्रहवा वित्त	180000.00
04-12-2020	सोलर लाईट पर भुगतान	पंद्रहवा वित्त	159000.00
04-12-2020	सोलर लाईट पर भुगतान	पंद्रहवा वित्त	106000.00
04-12-2020	सोलर लाईट पर भुगतान	पंद्रहवा वित्त	32000.00
		योग-	1409000.00

प्रस्तर-208

आलोच्य वर्ष 2020-21में ग्राम पंचायत हल्दी में ई स्वराज पर कैशबुक में विभिन्न तिथियों में हाई मास्ट लाईट पर ₹0 1035000.00 धनराशि व्यय दर्शित है। किन्तु इस व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई अभिलेख, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, कार्ययोजना, वित्तीय, प्रशासनिक, एवं तकनीकी स्वीकृति से सम्बंधित पत्रावली, टेंडर से सम्बन्धित पत्रावली, एम.बी., कार्यपूति प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किया गया। जबकि लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध कराए जाने के सम्बन्ध में दिनांक 25-01-2022 एवं दिनांक 25-03-2022 को ए.डी.ओ. पंचायत के माध्यम से, साथ ही दिनांक 12-05-2022 को जिला विकास अधिकारी एवं दिनांक 20-05-2022 को जिला पंचायत राज अधिकारी को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया।

अतः उक्त व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, एवं समस्त वांछित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण व्यय दर्शित समस्त धनराशि ₹0 1035000.00 को उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं लेखा प्रबंध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार अपहरण की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री शिवजी यादव, सचिव श्री संजय सिंह से की जाने की संस्तुत की जाती है

विवरण इस प्रकार है-

दिनांक	सामग्री	मद का नाम	धनराशि
28-08-2020	हाई मास्ट लाईट	चतुर्थ राज्य वित्त	115000.00
10-09-2020	हाई मास्ट लाईट	चतुर्थ राज्य वित्त	115000.00
10-09-2020	हाई मास्ट लाईट	चौदहवा वित्त	115000.00
10-09-2020	हाई मास्ट लाईट	चौदहवा वित्त	115000.00
04-12-2020	हाई मास्ट लाईट	पंद्रहवा वित्त	115000.00
04-12-2020	हाई मास्ट लाईट	पंद्रहवा वित्त	115000.00
04-12-2020	हाई मास्ट लाईट	पंद्रहवा वित्त	115000.00
04-12-2020	हाई मास्ट लाईट	पंद्रहवा वित्त	115000.00

04-12-2020	हाई मास्ट लाईट	पंद्रहवा वित्त	115000.00
		योग-	1035000.00

प्रस्तर-209

आलोच्य वर्ष 2020-21में ग्राम पंचायत हल्दी में ई स्वराज पर कैशबुक में विभिन्न तिथियों में स्टील बेंच/सीमेंट बेंच पर ₹0 927500.00 धनराशि व्यय दर्शित है। किन्तु इस व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई अभिलेख, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, कार्ययोजना, वित्तीय, प्रशासनिक, एवं तकनीकी स्वीकृति से सम्बंधित पत्रावलली, टेंडर से सम्बन्धित पत्रावली, एम.बी., कार्यपूति प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किया गया। जबकि लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध कराए जाने के सम्बन्ध में दिनांक 25-01-2022 एवं दिनांक 25-03-2022 को ए.डी.ओ. पंचायत के माध्यम से, साथ ही दिनांक 12-05-2022 को जिला विकास अधिकारी एवं दिनांक 20-05-2022 को जिला पंचायत राज अधिकारी को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया।

अतः उक्त व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, एवं समस्त वांछित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण व्यय दर्शित समस्त धनराशि ₹0 927500.00 को उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं लेखा प्रबंध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार अपहरण की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री शिवजी यादव, सचिव श्री संजय सिंह से की जाने की संस्तुत की जाती है

विवरण इस प्रकार है-

दिनांक	सामग्री	मद का नाम	धनराशि
28-08-2020	स्टील बेंच	चौदहवा वित्त	192000.00
10-09-2020	सीमेंट बेंच	चतुर्थ राज्य वित्त	102000.00
10-09-2020	सीमेंट बेंच	पंद्रहवा वित्त	102000.00
10-09-2020	सीमेंट बेंच	पंद्रहवा वित्त	195500.00
04-12-2020	सीमेंट बेंच	पंद्रहवा वित्त	184000.00
04-12-2020	सीमेंट बेंच	पंद्रहवा वित्त	152000.00
		योग-	927500.00

प्रस्तर-210

आलोच्य वर्ष 2020-21में ग्राम पंचायत हल्दी में ई स्वराज पर कैशबुक में विभिन्न तिथियों में बेंच/सीमेंट बेंच पर ₹0 1370400.00 धनराशि व्यय दर्शित है। किन्तु इस व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई अभिलेख, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, कार्ययोजना, वित्तीय, प्रशासनिक, एवं तकनीकी स्वीकृति से सम्बंधित पत्रावलली, टेंडर से सम्बन्धित पत्रावली, एम.बी., कार्यपूति प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किया गया। जबकि लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध कराए जाने के सम्बन्ध में दिनांक 25-01-2022 एवं दिनांक 25-03-2022 को ए.डी.ओ. पंचायत के माध्यम से, साथ ही दिनांक 12-05-2022 को जिला विकास अधिकारी एवं दिनांक 20-05-2022 को जिला पंचायत राज अधिकारी को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया।

अतः उक्त व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, एवं समस्त वांछित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण व्यय दर्शित समस्त धनराशि ₹0 1370400.00 को उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं लेखा प्रबंध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार अपहरण की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री शिवजी यादव, सचिव श्री संजय सिंह से की जाने की संस्तुत की जाती है

विवरण इस प्रकार है-

दिनांक	सामग्री	मद का नाम	धनराशि
17-03-2021	स्कूल बेंच	पंद्रहवा वित्त	199850.00
17-03-2021	स्कूल बेंच	चतुर्थ राज्य वित्त	199850.00
17-03-2021	स्कूल बेंच	चतुर्थ राज्य वित्त	199850.00
17-03-2021	स्कूल बेंच	चतुर्थ राज्य वित्त	199850.00
26-03-2021	स्कूल बेंच	पंद्रहवा वित्त	171300.00
26-03-2021	स्कूल बेंच	चतुर्थ राज्य वित्त	199850.00
26-03-2021	स्कूल बेंच	चतुर्थ राज्य वित्त	199850.00
		योग-	1370400.00

प्रस्तर-211

ग्राम पंचायत हल्दी में वर्ष 2020-21 में ई ग्राम स्वराज कैशबुक में निम्नलिखित कार्यो पर सामग्री पर भुगतान दर्शित है, किन्तु वित्त वर्ष के अंत तक मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है,

विवरण इस प्रकार है-

क्रम 0	कार्य का नाम	सामग्री	मजदूरी	योग
1	लक्ष्मण राम के घर से पन्ना लाल के घर तक पेवर्स कार्य	303565.00	-	303565.00
2	पन्ना के घर से सी.सी. रोड तक पेवर्स कार्य	159359.00	-	159359.00
3	करीमन के घर से रामचन्द्र शाहू के घर तक पेवर्स कार्य	94000.00	-	94000.00
4	हीरा शाहू के घर से शिवजी यादव के घर तक पेवर्स कार्य	165150.00	-	165150.00
5	जानकी शाह के घर से हीरा शाह के घर होते हुए ग्राम सभा के गढढे तक नाली निर्माण कार्य	55033.00	-	55033.00
6	शिवजी के घर से हृदयानंद के घर तक पेवर्स कार्य	103910.00	-	103910.00
7	शिवमुनी यादव के घर से सुपन यादव के घर तक पेवर्स कार्य	180900.00	-	180900.00
8	भरत राम के से विनायक राम के घर तक पेवर्स कार्य	213195.00	-	213195.00
9	पाण्डेय के घर से कल्लू साहनी के घर तक पेवर्स कार्य	220129.00	-	220129.00
10	पंचायत भवन मरम्मत	205000.00	-	205000.00
11	मुख्य सड़क से साधू यादव के घर तक पेवर्स कार्य	102000.00	-	102000.00
12	नवल यादव के घर से अंजनी सिंह के घर तक पेवर्स कार्य	87800.00	-	87800.00
13	शिवजी यादव के घर से सूबेदार यादव के घर तक पेवर्स कार्य	204900.00	-	204900.00
14	बैजनाथ शाह के घर से परशुराम शाह के घर तक पी.भी.सी. नाली कार्य	55100.00	-	55100.00
15	डा० राय के घर से मुख्य सड़क के चैम्बर तक नाली कार्य	86500.00	-	86500.00
16	दयानंद राम के घर से नवका बाबा तक पेवर्स कार्य	87800.00	-	87800.00

17	विनोद यादव के घर से शिवजी यादव के घर तक पेवर्स कार्य	200000.00	-	200000.00
18	प्रा0वि0 हल्दी नं0-1 में दरवाजा एवं खिड़की मरम्मत	64483.00	-	64483.00
19	प्रा0वि0 हल्दी नं0-1 में टाइल्स कार्य	145110.00	-	145110.00
20	प्रा0वि0 हल्दी नं0-1 के 3 कमरों में टाइल्स कार्य	145089.00	-	145089.00
21	जूनियर हाई स्कूल हल्दी नं0-1 में रूम एवं बरामदे में टाइल्स कार्य	141889.00	-	141889.00
22	जूनियर हाई स्कूल हल्दी नं0-3 में टाइल्स कार्य	157670.00	-	157670.00
23	जूनियर हाई स्कूल हल्दी नं0- 1 में रूम एवं हाल में	143583.00	-	143583.00
	योग-	3322165.00	-	3322165.00

साथ ही उपरोक्त कार्यों की कार्योजना, एम.बी., व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे कार्य की पुष्टि नहीं हो सकी। इस प्रकार बिना मजदूरी के फर्जी तरीके से कार्य दर्शाकर एवं वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करके ₹0 3322165.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री शिवजी यादव सचिव श्री संजय सिंह एवं प्रशासक श्री पी.एन. त्रिपाठी उत्तरदायी हैं। उक्त धनराशी की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

138. ग्राम पंचायत का नाम- बेलहरी

विकास खण्ड – बेलहरी

प्रस्तर-212

आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत बेलहरी में कैशबुक में सोलर लाईट पर विभिन्न तिथियों में ₹0 265000.00 धनराशि व्यय दर्शित है। किन्तु इस व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में, व्यय प्रमाणक, कार्योजना, वित्तीय, प्रशासनिक, एवं तकनीकी स्वीकृति से सम्बन्धित पत्रावली, मरम्मत स्थल का विवरण, एम.बी., कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उक्त व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, एवं समस्त वांछित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण व्यय दर्शित धनराशि ₹0 265000.00 को उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं लेखा प्रबंध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार अपहरण की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती नीलम सिंह, सचिव श्री प्रेम प्रकाश सिंह से की जाने की संस्तुति की जाती है

विवरण इस प्रकार है-

दिनांक	सामग्री	मद का नाम	धनराशि
25-11-2020	सोलर लाईट	चतुर्थ राज्य वित्त	132500.00
18-11-2020	सोलर लाईट	पंद्रहवा वित्त	132500.00
		योग-	265000.00

प्रस्तर- 213

आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत बेलहरी में कैशबुक में विभिन्न तिथियों में हाई मास्ट लाईट पर ₹0 475000.00 धनराशि व्यय दर्शित है। किन्तु इस व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में, व्यय प्रमाणक, कार्योजना, वित्तीय, प्रशासनिक, एवं तकनीकी स्वीकृति से सम्बन्धित पत्रावली, टेंडर से सम्बन्धित पत्रावली, एम.बी., कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उक्त व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, एवं समस्त वांछित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण व्यय दर्शित धनराशि ₹0 475000.00 को उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं लेखा प्रबंध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार अपहरण की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती नीलम सिंह, सचिव श्री प्रेम प्रकाश सिंह से की जाने की संस्तुति की जाती है

विवरण इस प्रकार है-

दिनांक	सामग्री	मद का नाम	धनराशि
17-12-2020	हाई मास्ट लाईट	चतुर्थ राज्य वित्त	190000.00
18-12-2020	हाई मास्ट लाईट	पंचम राज्य वित्त	190000.00
17-12-2020	हाई मास्ट लाईट	पंद्रहवा वित्त	95000.00
		योग-	475000.00

प्रस्तर- 214

आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत बेलहरी में कैशबुक में हैंड पम्प मरम्मत पर विभिन्न तिथियों में ₹0 320348.00 धनराशि व्यय दर्शित है। किन्तु इस व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में, व्यय प्रमाणक, कार्ययोजना, वित्तीय, प्रशासनिक, एवं तकनीकी स्वीकृति से सम्बन्धित पत्रावली, मरम्मत स्थल का विवरण, एम.बी., कार्यपूति प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उक्त व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, एवं समस्त वांछित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण व्यय दर्शित धनराशि ₹0320348.00 को उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं लेखा प्रबंध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार अपहरण की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती नीलम सिंह, सचिव श्री प्रेम प्रकाश सिंह से की जाने की संस्तुति की जाती है

विवरण इस प्रकार है-

दिनांक	सामग्री	मद का नाम	धनराशि
07-08-2020	हैंड पम्प मरम्मत	चतुर्थ राज्य वित्त	72250.00
27-10-2020	हैंड पम्प मरम्मत	पंद्रहवा वित्त	248098.00
		योग-	320348.00

प्रस्तर- 215

आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत बेलहरी में कैशबुक में सीमेंट बेंच स्थापना पर विभिन्न तिथियों में ₹0 455000.00 धनराशि व्यय दर्शित है। किन्तु इस व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में, व्यय प्रमाणक, कार्ययोजना, वित्तीय, प्रशासनिक, एवं तकनीकी स्वीकृति से सम्बन्धित पत्रावली, टेंडर से सम्बन्धित पत्रावली, एम.बी., कार्यपूति प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उक्त व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, एवं समस्त वांछित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण व्यय दर्शित धनराशि ₹0 455000.00 को उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं लेखा प्रबंध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार अपहरण की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती नीलम सिंह, सचिव श्री प्रेम प्रकाश सिंह से की जाने की संस्तुति की जाती है

विवरण इस प्रकार है-

दिनांक	सामग्री	मद का नाम	धनराशि
07-08-2020	सीमेंट बेंच	चतुर्थ राज्य वित्त	162500.00
07-08-2020	सीमेंट बेंच	चतुर्थ राज्य वित्त	162500.00
27-09-2020	सीमेंट बेंच	चतुर्थ राज्य वित्त	130000.00
		योग-	455000.00

प्रस्तर- 216

आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत बेलहरी में कैशबुक में हैंड पम्प रिबोर पर विभिन्न तिथियों में ₹0 354424.00 धनराशि व्यय दर्शित है। किन्तु इस व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में, व्यय प्रमाणक, कार्ययोजना, वित्तीय, प्रशासनिक, एवं तकनीकी स्वीकृति से सम्बन्धित पत्रावली, रिबोर स्थल का विवरण, एम.बी., कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किया गया।

विवरण इस प्रकार है-

दिनांक	सामग्री	मद का नाम	धनराशि
01-10-2020	हैंड पम्प रिबोर	पंद्रहवा वित्त	248098.00
07-12-2020	हैंड पम्प रिबोर	चतुर्थ राज्य वित्त	106326.00
		योग-	354424.00

अतः उक्त व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, एवं समस्त वांछित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण व्यय दर्शित धनराशि ₹0 354424.00 को उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं लेखा प्रबंध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार अपहरण की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती नीलम सिंह, सचिव श्री प्रेम प्रकाश सिंह से की जाने की संस्तुति की जाती है

139. ग्राम पंचायत का नाम- सेमरी रामपुर

विकास खण्ड – वेरुआरवारी

प्रस्तर-217

आलोच्य वर्ष 2020-21 में राज्यवित्त/पंद्रहवा वित्त मद में ग्राम निधि-1 के ऑनलाइन फीड बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा- कैथवली, बेरुआरवारी बलिया, राज्यवित्त ए/सी- 3100649369 एवम् प्रन्द्रहवां वित्त ए/सी- 4053203589 से रूपया 2216702.00 आहरण कर ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न कार्यों/सामग्री क्रय एवम् मजदूरी भुगतान में खर्च किया गया। सम्बन्धित सचिव श्री चन्द्रशेखर राम को खर्च कि पुष्टि में इन्टीमेशन लेटर के साथ अभिलेख प्रस्तुत के लिए आग्रह किया गया था। अभिलेख प्रस्तुत न करने पर पुनः मेमो -6/दिनांक 08-10-2021 मेमो-14/20-11-21, मेमो-22/23-12-21 को सम्बन्धित सचिव को सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) बेरुआरवारी के माध्यम से व्यक्तिगत पत्र दिया गया, इसकी प्रतिलिपि जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया एवं जिला पंचायतराज अधिकारी महोदय बलिया को की गई। अभिलेख प्रस्तुत न करने पर जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय बलिया द्वारा पत्रांक- 2085 दिनांक 11-10-2021 एवं पत्रांक 3079/दिनांक 29-12-2021 के द्वारा निर्देशित किया गया था, परन्तु सचिव श्री चन्द्रशेखर राम द्वारा निधि-1 का बैंक स्टेटमेंट एवं ऑनलाइन की संयुक्त हार्डकापी प्रस्तुत की गई, कैशबुक में अंकित कृत कार्य की पुष्टि में सामग्री क्रय का बिल/वाउचर, कैश मेमो, फर्म का लाइसेंस, क्रय आदेश, कोटेशन/टेंडर फाइल, रिबोर एवम् हैंडपम्प मरम्मत की पत्रावली, पंचायत भवन निर्माण आदेश एवं पत्रावली, मस्टररोल, एस्टीमेट, एम.बी. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, प्रशासनिक, तकनीकी, वित्तीय स्वीकृति आदेश, कार्य का नक्शा, फोटोग्राफ, मानदेय रजिस्टर, निर्माण कार्य रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर, स्टांक, डेड स्टांक रजिस्टर, कर मांग वसूली रजिस्टर, निरीक्षण रजिस्टर इत्यादि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे खर्च की पुष्टि नहीं की जा सकी। बिना प्रमाणक के पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 पैरा 8 क के तहत खर्च की धनराशि अपहरित है। अतः जाचोपरांत भुगतान खर्च की गयी धनराशि ₹0 2216702.00 की वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री चन्द्रशेखर राम ग्राम विकास अधिकारी प्रधान श्रीमती लालमती देवी एवम् प्रशासक से सब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। वर्ष 2020-21 के दौरान ग्राम निधि-1 के बैंक स्टेटमेंट ऑनलाइन फीड बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा कैथवली, बेरुआरवारी, बलिया ए/सी- 3100649369 एवम् प्रन्द्रहवां वित्त ए/सी- 4053203589 से कृत कार्य एवम् उससे आहरित/खर्च की गयी धनराशि का विवरण निम्न प्रकार रहा-

क्र०सं०	माहवार विवरण	राज्य वित्त	केंद्र वित्त	योग

1	अप्रैल 2020	0.00	0.00	0.00
2	मई 2020	120099.00	0.00	120099.00
3	जून 2020	0.00	0.00	0.00
4	जुलाई 2020	2720.00	0.00	2720.00
5	अगस्त 2020	0.00	0.00	0.00
6	सितम्बर 2020	290269.00	0.00	290269.00
7	अक्टूबर 2020	312350.00	3450.00	315800.00
8	नवम्बर 2020	0.00	0.00	0.00
9	दिसम्बर 2020	956543.00	451584.00	1408127.00
10	जनवरी 2021	0.00	0.00	0.00
11	फरवरी 2021	0.00	0.00	0.00
12	मार्च 2021	0.00	79687.00	79687.00
	योग-	168198.00	534721.00	2216702.00

140. ग्राम पंचायत का नाम- धनौती

विकास खण्ड – वेरुआरवारी

प्रस्तर-218

आलोच्य वर्ष 2020-21 में राज्यविता/पंद्रहवा वित्त मद में ग्राम निधि-1 के आनलाइन फीड बैंक सेंटल बैंक आफ इंडिया शाखा- कैथवली, बेरुआरवारी बलिया, ए/सी- 3100906702 एवम् प्रन्द्रहवां वित्त ए/सी- 4053203613 से रूपया 1869042.00 आहरण कर ग्राम पंचायत द्वारा विधिन्न कार्यो/सामग्री क्रय एवम् मजदूरी भुगतान में खर्च किया गया। सम्बन्धित सचिव श्री चन्द्रशेखर राम को खर्च कि पुष्टि में इन्टीमेशन लेटर के साथ अभिलेख प्रस्तुत के लिए आग्रह किया गया था। अभिलेख प्रस्तुत न करने पर पुनः मेमो -14/दिनांक 02-11-2021 मेमो-22/ दिनांक 23-12-21, को सम्बन्धित सचिव को सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) बेरुआरवारी के माध्यम से व्यक्तिगत पत्र दिया गया, इसकी प्रतिलिपि जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया एवं जिला पंचायतराज अधिकारी महोदय बलिया को की गई। अभिलेख प्रस्तुत न करने पर जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय बलिया द्वारा पत्रांक- 3079 दिनांक 29-12-2021 के द्वारा निर्देशित किया गया था, परन्तु सचिव श्री चन्द्रशेखर राम द्वारा निधि-1 का बैंक स्टेटमेंट एवं आनलाइन की संयुक्त हार्ड कांपी प्रस्तुत की गई, कैशबुक में अंकित कृत कार्य की पुष्टि में सामग्री क्रय का बिल/वाउचर, कैश मेमो, फर्म का लाइसेंस, क्रय आदेश, कोटेशन/टेंडर फाइल, हैंडपम्प मरम्मत रिबोर की पत्रावली, कोरोना पंचायत भवन निर्माण आदेश एवं पत्रावली, मस्टररोल, एस्टीमेट, एम.बी. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, प्रशासनिक, तकनीकी, वित्तीय स्वीकृति आदेश, कार्य का नक्शा, फोटोग्राफ, मानदेय रजिस्टर, निर्माण कार्य रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर, स्टांक, डेड स्टांक रजिस्टर, कर मांग वसूली रजिस्टर, निरीक्षण रजिस्टर इत्यादि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे खर्च की पुष्टि नहीं की जा सकी। बिना प्रमाणक के पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 पैरा 8 (क) के तहत खर्च की धनराशि अपहरित है। अतः जाचोपरांत भुगतान /खर्च की गयी धनराशि रु0 1869042.00 की वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री चन्द्रशेखर राम (ग्राम विकास अधिकारी) प्रधान श्री लालबहादुर एवम् प्रशासक से सब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। वर्ष 2020-21 के दौरान ग्राम निधि-1 के बैंक स्टेटमेंट आनलाइन फीड बैंक सेंटल बैंक आफ इंडिया शाखा कैथवली, बेरुआरवारी, बलिया ए/सी- 3100906702 एवम् प्रन्द्रहवां वित्त ए/सी- 4053203613 से कृत कार्य एवम् उससे आहरित/खर्च की गयी धनराशि का विवरण निम्न प्रकार रहा-

क्र0सं0	माहवार विवरण	राज्य वित्त	केंद्र वित्त	योग

1	अप्रैल 2020	0.00	0.00	0.00
2	मई 2020	0.00	0.00	0.00
3	जून 2020	0.00	0.00	0.00
4	जुलाई 2020	465607.00	0.00	465607.00
5	अगस्त 2020	1980.00	0.00	1980.00
6	सितम्बर 2020	40484.00	0.00	40484.00
7	अक्टूबर 2020	91240.00	10000.00	101240.00
8	नवम्बर 2020	0.00	0.00	0.00
9	दिसम्बर 2020	193309.00	540188.00	733497.00
10	जनवरी 2021	0.00	0.00	0.00
11	फरवरी 2021	0.00	0.00	0.00
12	मार्च 2021	186977.00	339257.00	526234.00
	योग-	979597.00	889445.00	1869042.00

141. ग्राम पंचायत का नाम- करम्मर

विकास खण्ड – वेरुआरवारी

प्रस्तर-219

आलोच्य वर्ष 2020-21 में राज्य वित्त मद में ग्राम निधि-1 के ऑनलाइन फीड बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा-कैथवली, बेरुआरवारी, बलिया राज्य वित्त ए/सी-3101522863 एवम् पन्द्रहवां वित्त ए/सी-4053203668 से ₹0 5208901.00 आहरण कर ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न कार्य/सामग्री क्रय एवम् मजदूरी भुगतान में खर्च किया गया। सम्बन्धित वर्तमान सचिव श्री अजय कुमार पाण्डेय ग्रा० विकास अधि० को खर्च की पुष्टि में इन्टीमेशन लेटर के सथ अभिलेख प्रस्तुत के लिए आग्रह किया गया था, समय से अभिलेख प्रस्तुत न करने पर पुनः मेमो-16/दिनांक 02-11-2021 एवम् मेमो 20 दिनांक 23-12-2021 को सम्बन्धित सचिव को सहायक विकास अधिकारी पंचायत बेरुआरवारी के माध्यम से व्यक्तिगत पत्र दिया गया इसकी प्रतिलिपि जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया एवं जिला पंचायतराज अधिकारी महोदय बलिया को की गई, उक्त के क्रम में अभिलेख प्रस्तुत न करने पर जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय बलिया द्वारा पत्रांक 3079/ दिनांक 20-12-2021 के द्वारा निर्देशित किया गया था। परन्तु सचिव श्री अजय कुमार पाण्डेय द्वारा बैंक स्टेटमेंट एवं ग्राम निधि-1 ऑनलाइन कैशबुक की संयुक्त हार्ड कॉपी प्रस्तुत की गई, कैशबुक में अंकित कृत कार्य की पुष्टि में सामग्री क्रय का बिल/वाउचर,कैश मेमो, फर्म का लादसेंस, क्रय आदेश, कोटेशन/टेंडर फाइल, हैंडपम्प मरम्मत, रिबोर की पत्रावली, कोरोना किट, सामुदायिक शौचालय की पत्रावली स्ट्रीट लाइट मरम्मत आदेश एवम् पत्रावली, मस्टररोल, एस्टीमेट, एम.बी. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, प्रशासनिक,तकनीकी, वित्तीय स्वीकृति आदेश, कार्य का नक्शा,फोटोग्राफ, मानदेय रजिस्टर, गोवंश स्थल पर तैनात कर्मचारियों का नियुक्ति पत्र एवम् मानदेय भुगतान रजिस्टर, विद्यालयों पर कायाकल्प योजना के तहत कराये गये कार्य पुष्टि में सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य का आख्या निर्माण कार्य रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, डेड स्टॉक रजिस्टर कर मांग वसूली रजिस्टर निरीक्षण रजिस्टर इत्यादि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे खर्च की पुष्टि नहीं की जा सकी। बिना प्रमाणक के पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 पैरा 8 क के तहत खर्च की धनराशि अपहरित है। अतः जाचोंपरांत भुगतान/खर्च की गयी धनराशि ₹05208901.00 की पसूली ग्राम पंचायत सचिव 1 श्री अजय कुमार पाण्डेय ग्राम पंचायत अधिकारी 2 प्रेमनाथ ग्राम पंचायत अधिकारी कार्यकाल अज्ञात प्रधान श्रीमती सुनीता प्रशासक से सव्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

वर्ष 2020-21 के दौरान ग्राम निधि-1 के बैंक स्टेटमेंट ऑनलाइन फीड बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा कैथवली, बेरुआरवारी, बलिया राज्य वित्त ए/सी- 3101522863 एवम् पन्द्रहवां वित्त ए/सी- 4053203668 से कृत कार्य एवम् उससे आहरित/खर्च की गयी धनराशि का विवरण निम्न प्रकार रहा-

क्र०सं०	माहवार विवरण	राज्य वित्त	केंद्र वित्त	योग
1	अप्रैल 2020	0.00	0.00	0.00
2	मई 2020	0.00	0.00	0.00
3	जून 2020	0.00	0.00	0.00
4	जुलाई 2020	17500.00	0.00	17500.00
5	अगस्त 2020	678435.00	0.00	678435.00
6	सितम्बर 2020	41938.00	0.00	41938.00
7	अक्टूबर 2020	101678.00	9240.00	110918.00
8	नवम्बर 2020	701539.00	748786.00	1450325.00
9	दिसम्बर 2020	458063.00	933717.00	1391780.00
10	जनवरी 2021	0.00	0.00	0.00
11	फरवरी 2021	0.00	0.00	0.00
12	मार्च 2021	479606.00	1038399.00	1518005.00
	योग-	2478759.00	2730142.00	5208901.00

142. ग्राम पंचायत का नाम- शिवरामपुर

विकास खण्ड – बेरुआरवारी

प्रस्तर-220

आलोच्य वर्ष 2020-21 में राज्य वित्त/ पन्द्रहवां वित्त मद में ग्राम निधि-1 के ऑनलाइन फीड बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा- कैथवली, बेरुआरवारी, बलिया राज्य वित्त ए/सी-3101580337 एवम् पन्द्रहवां वित्त ए/सी-क4053198363 से ₹0 2239499.00 आहरण कर ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न कार्यों/सामग्री क्रय एवम् मजदूरी भुगतान में खर्च किया गया। सम्बन्धित सचिव खर्च कि पुष्टि में इन्टीमेशन लेटर के सथ अभिलेख प्रस्तुत के लिए आग्रह किया गया था, अभिलेख प्रस्तुत न करने पर पुनः मेमो-2/दिनांक 08-10-2021, मेमो 12/02-11-2021, मेमो18/30-11-2021 को सम्बन्धित सचिव श्री कन्हैया यादव को सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) बेरुआरवारी के माध्यम से व्यक्तिगत पत्र दिया गया इसकी प्रतिलिपि जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया एवं जिला पंचायतराज अधिकारी महोदय बलिया को की गई, अभिलेख प्रस्तुत न करने पर जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय बलिया द्वारा पत्रांक 2085/ दिनांक 11-10-2021 एवं पत्रांक 3079/ दिनांक 29-12-2021 के द्वारा सचिव को निर्देशित किया गया था। परन्तु सचिव श्री कन्हैया यादव द्वारा बैंक स्टेटमेंट एवं ग्राम निधि-1 ऑनलाइन कैशबुक की संयुक्त हार्ड कापी प्रस्तुत की गई, कैशबुक में अंकित कृत कार्य की पुष्टि में सामग्री क्रय का बिल/वाउचर, कैश मेमो, फर्म का लादसेंस, क्रय आदेश, कोटेशन/टेंडर फाइल, आयकर जी.एस.टी. कटौती फाइल, हैंडपम्प मरम्मत, रिबोर की पत्रावली, कोरोना किट, क्रय आदेश एवम् पत्रावली मस्टर रोल एस्ट्रीमेंट, एम.बी. कार्यपूति प्रमाण पत्र, प्रशासनिक, तकनीकी, वित्तीय स्वीकृति आदेश, कार्य का नक्शा, फोटोग्राफ, मानदेय रजिस्टर, विद्यालय पर कार्याकल्प योजना के तहत कराए गए कार्य की पूष्टि विद्यालय के प्रधानाचार्य का आख्या निर्माण कार्य रजिस्टर परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टांक रजिस्टर, डेड स्टांक, कर मांग वसमली रजिस्टर, निरीक्षण

रजिस्टर इत्यादि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे खर्च की पुष्टि नहीं की जा सकी। बिना प्रमाणक के पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय-8 पैरा-8 (क) के तहत खर्च की धनराशि अपहरित है। अतः जांचोपरंत भुगतान/खर्च की गयी धनराशि ₹0 2239499.00 की वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री कन्हैया यादव (ग्राम विकास अधिकारी) प्रधान श्री स्वामिनाथ एवम् प्रशासक से सब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। वर्ष 2020-21 के दौरान ग्राम निधि-1 के बैंक स्टेटमेंट ऑनलाइन फीड बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा कैथवली, बेरुआरवारी, बलिया राज्य वित्त ए/सी- 3101580337 एवम् पन्द्रहवां वित्त ए/सी- 4053198363 से कृत कार्य एवम् उससे आहरित/खर्च की गयी धनराशि का विवरण निम्न प्रकार रहा-

क्र०सं०	माहवार विवरण	राज्य वित्त	केंद्र वित्त	योग
1	अप्रैल 2020	0.00	0.00	0.00
2	मई 2020	0.00	0.00	0.00
3	जून 2020	93392.00	0.00	93392.00
4	जुलाई 2020	392202.00	0.00	392202.00
5	अगस्त 2020	14000.00	0.00	14000.00
6	सितम्बर 2020	153240.00	0.00	153240.00
7	अक्टूबर 2020	0.00	227045.00	227045.00
8	नवम्बर 2020	208311.00	209939.00	418250.00
9	दिसम्बर 2020	0.00	195633.00	195633.00
10	जनवरी 2021	0.00	0.00	0.00
11	फरवरी 2021	209620.00	153030.00	362650.00
12	मार्च 2021	15690.00	367397.00	383087.00
	योग-	1086455.00	1153044.00	2239499.00

143. ग्राम पंचायत का नाम- कुम्हिया

विकास खण्ड – बेरुआरवारी

प्रस्तर-221

आलोच्य वर्ष 2020-21 में राज्य वित्त/ पन्द्रहवां वित्त मद में ग्राम निधि-1 के ऑनलाइन फीड बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा- कैथवली, बेरुआरवारी, बलिया राज्य वित्त ए/सी-3518151984 एवम् पन्द्रहवां वित्त ए/सी- 4053203679 से ₹0 682525.00 आहरण कर ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न कार्य/सामग्री क्रय एवम् मजदूरी भुगतान में खर्च किया गया। सम्बन्धित वर्तमान सचिव श्री अजय कुमार पाण्डेय ग्रा०वि०अधि० को खर्च के पुष्टि मेमो -20/दिनांक 23-12-2021 को सहायक विकास अधिकारी पंचायत बेरुआरवारी के माध्यम से व्यक्तिगत पत्र दिया गया इसकी प्रतिलिपि जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया एवं जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय बलिया को की गई। अभिलेख प्रस्तुत न करने पर जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय बलिया द्वारा पत्रांक 3079/दिनांक 29-12-2021 के द्वारा सचिव को निर्देश किया गया था। परन्तु सचिव श्री अजय कुमार पाण्डेयद्वारा बैंक स्टेटमेंट एवं ग्राम निधि-1 की संयुक्त ऑनलाइन हार्ड कांपी प्रस्तुत की गई, कैशबुक में अंकित कृत कार्य की पुष्टि में सामग्री क्रय का बिल/वाउचर/कैश मेमो, फर्म का लाइसेंस, क्रय आदेश कोटेशन/टेंडर फाइल, हैंडपम्प मरम्मत की पत्रावली कोरोना किट एवम् सामुदायिक शौचालय की पत्रावली क्रय आदेश एवम् पत्रावली मस्टररोल, एस्टीमेट, एम.बी. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, प्रशासनिक, तकनीकी, वित्तीय स्वीकृति आदेश, कार्य का नक्शा, फोटोग्राफ, मानदेय रजिस्टर, निर्माण कार्य रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टांक रजिस्टर, डेड स्टांक रजिस्टर, कर मांग वसूली रजिस्टर, निरीक्षण रजिस्टर, विद्यालयों पर कायाकल्प योजना के तहत कराये गये कार्य की पुष्टि में

सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानचार्य का आख्या इत्यादि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे खर्च की पुष्टि नहीं की जा सकी। बिना प्रमाणक के पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय-8 पैरा-8 (क) के तहत खर्च की धनराशि अपहरित है। अतः जांचोपरंत भुगतान/खर्च की गयी धनराशि ₹0 2239499.00 की वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री अजय कुमार पाण्डेय (ग्राम विकास अधिकारी), प्रेमनाथ (ग्राम विकास अधिकारी) (कार्यकाल अज्ञात) प्रधान श्रीमती लीलाबती देवी एवम् प्रशासक से सब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

वर्ष 2020-21 के दौरान ग्राम निधि-1 के बैंक स्टेटमेंट ऑनलाइन फीड बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा कैथवली, बेरुआरवारी, बलिया राज्य वित्त ए/सी- 3518151984 एवम् पन्द्रहवां वित्त ए/सी- 4053203679 से कृत कार्य एवम् उससे आहरित/खर्च की गयी धनराशि का विवरण निम्न प्रकार रहा-

क्र०सं०	माहवार विवरण	राज्य वित्त	केंद्र वित्त	योग
1	अप्रैल 2020	0.00	0.00	0.00
2	मई 2020	0.00	0.00	0.00
3	जून 2020	0.00	0.00	0.00
4	जुलाई 2020	93900.00	0.00	93900.00
5	अगस्त 2020	11332.00	0.00	11332.00
6	सितम्बर 2020	70226.00	0.00	70226.00
7	अक्टूबर 2020	0.00	1150.00	1150.00
8	नवम्बर 2020	53800.00	63865.00	117665.00
9	दिसम्बर 2020	2259.00	191919.00	194178.00
10	जनवरी 2021	0.00	0.00	0.00
11	फरवरी 2021	14354.00	8420.00	22774.00
12	मार्च 2021	85650.00	85650.00	171300.00
	योग-	331521.00	351004.00	682525.00

144. ग्राम पंचायत का नाम- जानपुर मुड़ियारी

विकास खण्ड – बेरुआरवारी

प्रस्तर-222

आलोच्य वर्ष 2020-21 में राज्य वित्त/ पन्द्रहवां वित्त मद में ग्राम निधि-1 के ऑनलाइन फीड बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा- कैथवली, बेरुआरवारी, बलिया राज्य वित्त ए/सी-3518151984 एवम् पन्द्रहवां वित्त ए/सी- 4053203679 से ₹0 682525.00 आहरण कर ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न कार्यों/सामग्री क्रय एवम् मजदूरी भुगतान में खर्च किया गया। सम्बन्धित सचिव श्री चन्द्रशेखर राम को खर्च कि पुष्टि में इन्टीमेशन लेटर के साथ अभिलेख प्रस्तुत कू लिए आग्रह किया गया था। अभिलेख प्रस्तुत न करने पर पुनःमेमो-14/दिनांक -02-11-2021 एवम् मेमो -22/दिनांक 23712-2021 को सहाये विकास अधिकारी (पंचायत) बेरुआरवारी के माध्यम से व्यक्तिगत पत्र अधिकारी महोदय बलिया को गई, अभिलेख प्रस्तुत न करने पर जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय बलिया द्वारा पत्रांक 3079/ दिनांक 29-12-2021 के द्वारा निर्देशित किया गया था। परन्तु सचिव श्री चन्द्रशेखर राम द्वारा बैंक स्टेटमेंट एवं ग्राम निधि-1 की संयुक्त ऑनलाइन हार्ड कांपी प्रस्तुत की गई, कैशबुक में अंकित कृत कार्य की

पुष्टि में सामग्री क्रय का बिल/वाउचर कैश मेमो, फर्म का लाइसेंस, क्रय आदेश, कोटेशन/टेंडरफाईल, हैंडपम्प मरम्मत, रिबोर की पत्रावली, कोरोना किट क्रय आदेश एवम् पत्रावली, मस्टररोल, एस्टीमेट, एम.बी., कार्यपूति प्रमाण पत्र, प्रशासनिक, तकनीकी, वित्तीयस्वीकृति आदेश, कार्य का नक्शा, फोटोग्राफ, प्रधान मानदेय रजिस्टर, निर्माण कार्य रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टांक रजिस्टर, डेड स्टांकरजिस्टर, कर मांग वसूली रजिस्टर, निरीक्षण रजिस्टर इत्यादि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे खर्च की पुष्टि नहीं की जा सकी। बिना प्रमाणक के पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय-8 पैर-8 (क) के तहत खर्च की धनराशि अपहरित है। अतः जाचोपरांत भुगतान/खर्च की गयी धनराशि रु 2649780.00 की वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री चन्द्रशेखर राम (ग्राम विकास अधिकारी) प्रधान श्रीमती किरण एवम् प्रशासक से सव्याज सहित अपेक्षित है। वर्ष 2020-21 के दौरान ग्राम निधि-1 के बैंक स्टेटमेंट ऑनलाइन फीड बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा कैथवली, बेरुआरवारी, बलिया ए/सी- 3101317683 एवम् पन्द्रहवां वित्त ए/सी- 4053203590 से कृत कार्य एवम् उससे आहरित/खर्च की गयी धनराशि का विवरण निम्न प्रकार रहा-

क्र०सं०	माहवार विवरण	राज्य वित्त	केंद्र वित्त	योग
1	अप्रैल 2020	0.00	0.00	0.00
2	मई 2020	0.00	0.00	0.00
3	जून 2020	0.00	0.00	0.00
4	जुलाई 2020	0.00	0.00	0.00
5	अगस्त 2020	662259.00	0.00	662259.00
6	सितम्बर 2020	72890.00	0.00	72890.00
7	अक्टूबर 2020	0.00	0.00	0.00
8	नवम्बर 2020	10500.00	137417.00	147917.00
9	दिसम्बर 2020	734896.00	448462.00	1183358.00
10	जनवरी 2021	3525.00	0.00	3525.00
11	फरवरी 2021	93172.00	400000.00	493172.00
12	मार्च 2021	86659.00	0.00	86659.00
	योग-	1663901.00	985879.00	2649780.00

145. ग्राम पंचायत का नाम- गोपालपुर कला

विकास खण्ड – बेरुआरवारी

प्रस्तर-223

आलोच्य वर्ष 2020-21 में राज्य वित्त/ पन्द्रहवां वित्त मद में ग्राम निधि-1 के ऑनलाइन फीड बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा- कैथवली, बेरुआरवारी, बलिया राज्य वित्त ए/सी-3518552432 एवम् पन्द्रहवां वित्त ए/सी- 4053203602 से रु 1014688.00 आहरण कर ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न कार्यों/सामग्री क्रय एवम् मजदूरी भुगतान में खर्च किया गया। सम्बन्धित सचिव श्री चन्द्रशेखर राम को खर्च की पुष्टि में इन्टीमेशन लेटर के साथ अभिलेख प्रस्तुत के लिए आग्रह किया गया था। अभिलेख प्रस्तुत न करने पर पुनः मेमो-22/दिनांक -23-12-2021 को सचिव को सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) बेरुआरवारी के माध्यम से व्यक्तिगत पत्र दिया गया इसकी प्रतिलिपि जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया एवं जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय बलिया को की गई। अभिलेख प्रस्तुत न करने पर जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय बलिया द्वारा पत्रांक 3079/ दिनांक

29-12-2021 के द्वारा निर्देशित किया गया था। परन्तु सचिव श्री चन्द्रशेखर राम द्वारा ग्राम निधि-1 बैंक स्टेटमेंट एवं कैशबुक की संयुक्त ऑनलाइन हार्ड कांपी प्रस्तुत की गई, कैशबुक में अंकित कृत कार्य की पुष्टि में सामग्री क्रय का बिल/वाउचर कैश मेमो, फर्म का लाइसेंस, क्रय आदेश, कोटेशन/टेंडर फाइल, हैंडपम्प मरम्मत, रिबोर की पत्रावली, पंचायत भवन/आगनबाड़ी निर्माण/मरम्मत का आदेश एवं निर्माण पत्रावली, कोरोना किट मस्टररोल, एस्टीमेट, एम.बी., कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, प्रशासनिक, तकनीकी, वित्तीय स्वीकृति आदेश, कार्य का नक्शा, फोटोग्राफ, प्रधान मानदेय रजिस्टर, निर्माण कार्य रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, डेड स्टॉक रजिस्टर, कर मांग वसूली रजिस्टर, निरीक्षण रजिस्टर इत्यादि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे खर्च की पुष्टि नहीं की जा सकी। बिना प्रमाणक के पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय-8 पैर-8 (क) के तहत खर्च की धनराशि अपहरित है। अतः जाचोपरांत भुगतान/खर्च की गयी धनराशि ₹ 1014688.00 की वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री चन्द्रशेखर राम (ग्राम विकास अधिकारी) प्रधान श्रीमती नीलम एवम् प्रशासक से सब्याज सहित अपेक्षित है।

वर्ष 2020-21 के दौरान ग्राम निधि-1 के बैंक स्टेटमेंट ऑनलाइन फीड बैंक सेट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा कैथवली, बेरुआरवारी, बलिया ए/सी-3518552432 एवम् प्रन्द्रहवां वित्त ए/सी- 4053203602 से कृत कार्य एवम् उससे आहरित/खर्च की गयी धनराशि का विवरण निम्न प्रकार रहा-

क्र०सं०	माहवार विवरण	राज्य वित्त	केंद्र वित्त	योग
1	अप्रैल 2020	0.00	0.00	0.00
2	मई 2020	46504.00	0.00	46504.00
3	जून 2020	127248.00	0.00	127248.00
4	जुलाई 2020	143136.00	0.00	143136.00
5	अगस्त 2020	66300.00	0.00	66300.00
6	सितम्बर 2020	32500.00	0.00	32500.00
7	अक्टूबर 2020	47250.00	77407.00	124657.00
8	नवम्बर 2020	28000.00	86746.00	114746.00
9	दिसम्बर 2020	14000.00	0.00	14000.00
10	जनवरी 2021	0.00	0.00	0.00
11	फरवरी 2021	354.00 (बैंक कटौती)	0.00	354.00
12	मार्च 2021	83176.00	262067.00	345243.00
	योग-	588468.00	426220.00	1014688.00

146. ग्राम पंचायत का नाम-अमाव

विकास खण्ड- सोहोव

प्रस्तर- 224

ग्राम पंचायत अमाव वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता से वर्ष आलोच्य में आन लाइन उपलब्ध आकड़ों के अनुसार विभिन्न तिथियों में कुल ₹ 2712640.00 आहरित एवं विभिन्न मदों में व्यय किया गया है। इस व्यय के सापेक्ष प्रमाणक, बिल, वाउचर, रसीदें, कैश मेमो, मस्टररोल, चालान, नक्शा, कार्ययोजना, स्टीमेट, एमबीओ, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाणपत्र, सामग्री आपूर्ति आदेश, भुगतान आदेश, सामग्री स्टॉक पंजी, परिसम्पत्ति पंजी निर्माण कार्य पंजी, प्रस्ताव, कोटेशन, टेंडर, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति प्रशासनिक स्वीकृति, विभागीय स्वीकृति, फोटोग्राफ, कोषबही तथा कर अवधारण एवं वसूली पंजी आदि अभिलेख ऑडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया।

आडिट ऑनलाइन पोर्टल पर आडिट का कार्यक्रम आडिट विभाग द्वारा ऑनलाइन निर्धारित किया गया एवं इंटीमेशन लेटर सचिव को भेजा गया जिसे सचिव द्वारा ऑनलाइन स्वीकार किया गया।

लेखा परीक्षा हेतु वर्तमान सचिव श्री तेजबहादुर/राम राजभुवन प्रसाद से उपरोक्त वांछित अभिलेख की मांग लिखित रूप से किया गया।

विवरण निम्न प्रकार है:-

पत्र संख्या - मेमो -2 दिनांक 19-1-2022

पत्र संख्या - मेमो -2 दिनांक 14-9-2021

आडिट में अभिलेख प्रस्तुत कराने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी बलिया से लिखित रूप से अनुरोध किया गया जिसकी प्रतिलिपि जिला विकास अधिकारी बलिया, मुख्य विकास अधिकारी बलिया एवं जिला अधिकारी महोदय बलिया सहित जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया को भी दिया गया।

विवरण निम्न प्रकार है:-

पत्र संख्या – मेमो-2 दिनांक 4-2-2022

पत्र संख्या – मेमो-3 दिनांक 14-3-2022

पत्र संख्या – मेमो दिनांक 5-5-2022

आडिट में अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी बलिया द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 3345/सात-पं0/आडिट/अभिलेख/ग्रा0पं0/2021-22/दिनांक 8-2-2022, पत्रांक 3072 दिनांक 29-12-2021 एवं पत्रांक 201 एवं दिनांक 22-4-2022 तथा पत्रांक 920 दिनांक 27-6-2022 द्वारा सचिव को लिखित रूप से निर्देशित किए जाने एवं के बाद भी वर्तमान सचिव द्वारा उक्त वांछित अभिलेखों में से कोई भी अभिलेख आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया एवं बताया गया कि वर्ष 2020-21 में सचिव के पद पर श्री राम राजभुवन प्रसाद कार्यरत रहे तथा उनके द्वारा उक्त वांछित अभिलेखों में से कोई भी अभिलेख चार्ज में मुझे हस्तगत नहीं कराया गया है। अतः कोई भी अभिलेख आडिट में प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है। यह बात वर्तमान सचिव श्री तेजबहादुर द्वारा लिखित रूप से देने के लिए मना कर दिया गया।(पत्राचार की प्रति आनलाइन पोर्टल पर अटैच है।)

तत्कालीन सचिव श्री राम राजभुवन प्रसाद टेलीफोनिक बात करने बताया गया कि व्यय धनराशि के सापेक्ष कतिपय कार्य अभी अधूरे हैं, तथा प्रधान/प्रशासक के असहयोग के कारण उक्त वांछित अभिलेख अभी तैयार नहीं किया जा सका है। यह कथन लेखा परीक्षा को स्वीकार नहीं है।

व्यय धनराशि के सापेक्ष प्रमाणक एवं अन्य सहायक अभिलेख तैयार नहीं किया जाना अनियमितता का द्योतक है, एवं पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल अध्याय-8 पैरा-8 (क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय रु0 2712640.00 अपहरण सिद्ध होता है जिस हेतु प्रधान/प्रशासक एवं तत्कालीन सचिव समान रूप से जिम्मेदार हैं।

विभागीय जांचोपरांत कुल अपहरित धनराशि रु0 2712640.00 का आधा भाग रु0 1356320.00 प्रधान श्री श्रीकांत राय, प्रशासक श्री वागेश्वर सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) से एवं आधा भाग रु0 1356320.00 तत्कालीन सचिव श्री राजभुवन प्रसाद से कार्य अवधि के अनुसार जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए ब्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक तथा विधिक कार्यवाही उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 से 259 तक में दी गई व्यवस्था के अपेक्षित है।

आनलाइन पोर्टल के अनुसार माह वार व्यय का विवरण निम्न प्रकार है:-

माह	धनराशि
अप्रैल 2020	0.00
मई 2020	0.00
जून 2020	719901.00
जुलाई 2020	0.00
अगस्त 2020	0.00
सितम्बर 2020	340592.00
अक्टूबर 2020	438085.00
नवम्बर 2020	367547.00
दिसम्बर 2020	199000.00
जनवरी 2021	0.00

फरवरी 2021	132000.00
मार्च 2021	515515.00
योग-	2712640.00

147. ग्राम पंचायत का नाम-इटही

विकास खण्ड- सोहोंव

प्रस्तर- 225

ग्राम पंचायत इटही वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता से वर्ष आलोच्य में आन लाइन उपलब्ध आकड़ों के अनुसार विभिन्न तिथियों में कुल ₹0 849057.00 आहरित एवं विभिन्न मदों में व्यय किया गया है। इस व्यय के सापेक्ष प्रमाणक, बिल, वाउचर, रसीदें, कैशमैमो, मस्टररोल, चालान, नक्शा, कार्ययोजना, स्टीमेंट, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाणपत्र, सामग्री आपूर्ति आदेश, भुगतान आदेश, सामग्री स्टॉक पंजी, परिसम्पत्ति पंजी निर्माण कार्य पंजी, प्रस्ताव, कोटेशन, टेंडर, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति प्रशासनिक स्वीकृति, विभागीय स्वीकृति, फोटोग्राफ, कोषबही तथा कर अवधारण एवं वसूली पंजी आदि अभिलेख आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया।

आडिट आनलाइन पोर्टल पर आडिट का कार्यक्रम आडिट विभाग द्वारा आनलाइन निर्धारित किया गया एवं इंटीमेशन लेटर सचिव को भेजा गया जिसे सचिव द्वारा आनलाइन स्वीकार किया गया।

लेखा परीक्षा हेतु वर्तमान सचिव श्री तेजबहादुर से उपरोक्त वांछित अभिलेख की मांग लिखित रूप से किया गया।

विवरण निम्न प्रकार है:-

पत्र संख्या - मेमो -2 दिनांक 19-1-2022

आडिट में अभिलेख प्रस्तुत कराने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी बलिया से लिखित रूप से अनुरोध किया गया जिसकी प्रतिलिपि जिला विकास अधिकारी बलिया, मुख्य विकास अधिकारी बलिया एवं जिला अधिकारी महोदय बलिया सहित जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया को भी दिया गया।

विवरण निम्न प्रकार है:-

पत्र संख्या - मेमो-2 दिनांक 4-2-2022

पत्र संख्या - मेमो-3 दिनांक 14-3-2022

पत्र संख्या - मेमो दिनांक 5-5-2022

आडिट में अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी बलिया द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 3345/सात-पं0/आडिट/अभिलेख/ग्रा0पं0/2021-22/दिनांक 8-2-2022, पत्रांक 3072 दिनांक 29-12-2021 एवं पत्रांक 201 एवं दिनांक 22-4-2022 तथा पत्रांक 920 दिनांक 27-6-2022 द्वारा सचिव को लिखित रूप से निर्देशित किए जाने एवं के बाद भी वर्तमान सचिव द्वारा उक्त वांछित अभिलेखों में से कोई भी अभिलेख आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया एवं बताया गया कि वर्ष 2020-21 में सचिव के पद पर श्री प्रमोद कुमार सिंह कार्यरत रहे तथा उनके द्वारा उक्त वांछित अभिलेखों में से कोई भी अभिलेख चार्ज में मुझे हस्तगत नहीं कराया गया है। अतः कोई भी अभिलेख आडिट में प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है। यह बात वर्तमान सचिव श्री तेजबहादुर द्वारा लिखित रूप से देने के लिए मना कर दिया गया। (पत्राचार की प्रति आनलाइन पोर्टल पर अटैच है।)

तत्कालीन सचिव श्री प्रमोद कुमार सिंह टेलीफोनिक बात करने बताया गया कि व्यय धनराशि के सापेक्ष कतिपय कार्य अभी अधूरे हैं, तथा प्रधान/प्रशासक के असहयोग के कारण उक्त वांछित अभिलेख अभी तैयार नहीं किया जा सका है। यह कथन लेखा परीक्षा को स्वीकार नहीं है।

व्यय धनराशि के सापेक्ष प्रमाणक एवं अन्य सहायक अभिलेख तैयार नहीं किया जाना अनियमितता का द्योतक है, एवं पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुवल अध्याय-8 पैरा-8 (क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 849057.00 अपहरण सिद्ध होता है जिस हेतु प्रधान/प्रशासक एवं तत्कालीन सचिव समान रूप से जिम्मेदार हैं।

विभागीय जांचोपरांत कुल अपहरित धनराशि ₹0 849057.00 का आधा भाग ₹0 424528.50 प्रधान श्री रामनारायण, प्रशासक श्री आनंद कुमार चौरसिया प्रभारी खण्ड विकास अधिकारी (सांख्यिकीय

विभाग) से एवं आधा भाग रू0 424528.00 तत्कालीन सचिव श्री प्रमोद कुमार सिंह /तेजबहादुर से कार्य अवधि के अनुसार जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए ब्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक तथा विधिक कार्यवाही उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 से 259 तक में दी गई व्यवस्था के अपेक्षित है।

आनलाइन पोर्टल के अनुसार माह वार व्यय का विवरण निम्न प्रकार है:-

माह	धनराशि
अप्रैल 2020	5000.00
मई 2020	0.00
जून 2020	420104.00
जुलाई 2020	15775.00
अगस्त 2020	65000.00
सितम्बर 2020	36540.00
अक्टूबर 2020	229505.00
नवम्बर 2020	0.00
दिसम्बर 2020	33133.00
जनवरी 2021	0.00
फरवरी 2021	0.00
मार्च 2021	44000.00
योग-	849057.00

148. ग्राम पंचायत का नाम-चौरा

विकास खण्ड- सोहंवा

प्रस्तर- 226

ग्राम पंचायत चौरा वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता से वर्ष आलोच्य में आन लाइन उपलब्ध आकड़ों के अनुसार विभिन्न तिथियों में कुल रू0 5691266.00 आहरित एवं विभिन्न मदों में व्यय किया गया है। इस व्यय के सापेक्ष प्रमाणक,बिल,वाउचर,रसीदें,कैशमेमो,मस्टररोल, चालान,नक्शा, कार्ययोजना, स्टीमेंट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाणपत्र, सामग्री आपूर्ति आदेश, भुगतान आदेश,सामग्री स्टॉक पंजी,परिसम्पत्ति पंजी निर्माण कार्य पंजी, प्रस्ताव, कोटेशन,टेंडर, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति प्रशासनिक स्वीकृति, विभागीय स्वीकृति, फोटोग्राफ, कोषबही तथा कर अवधारण एवं वसूली पंजी आदि अभिलेख आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया।

आडिट आनलाइन पोर्टल पर आडिट का कार्यक्रम आडिट विभाग द्वारा आनलाइन निर्धारित किया गया एवं इंटीमेशन लेटर सचिव को भेजा गया जिसे सचिव द्वारा आनलाइन स्वीकार किया गया।

लेखा परीक्षा हेतु वर्तमान सचिव श्री तेजबहादुर से उपरोक्त वांछित अभिलेख की मांग लिखित रूप से किया गया।

विवरण निम्न प्रकार है:-

पत्र संख्या - मेमो दिनांक 16-10-2021

पत्र संख्या - मेमो -2 दिनांक 19-1-2022

पत्र संख्या - मेमो दिनांक 14-9-2021

आडिट में अभिलेख प्रस्तुत कराने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी बलिया से लिखित रूप से अनुरोध किया गया जिसकी प्रतिलिपि जिला विकास अधिकारी बलिया, मुख्य विकास अधिकारी बलिया एवं जिला अधिकारी महोदय बलिया सहित जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया को भी दिया गया।

विवरण निम्न प्रकार है:-

पत्र संख्या – मेमो-2 दिनांक 4-2-2022

पत्र संख्या – मेमो-3 दिनांक 14-3-2022

पत्र संख्या – मेमो दिनांक 5-5-2022

आडिट में अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी बलिया द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 3345/सात-पं०/आडिट/अभिलेख/ग्रा०पं०/2021-22/दिनांक 8-2-2022, पत्रांक 3072 दिनांक 29-12-2021 एवं पत्रांक 201 एवं दिनांक 22-4-2022 तथा पत्रांक 920 दिनांक 27-6-2022 द्वारा सचिव को लिखित रूप से निर्देशित किए जाने एवं के बाद भी वर्तमान सचिव द्वारा उक्त वांछित अभिलेखों में से कोई भी अभिलेख आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया एवं बताया गया कि वर्ष 2020-21 में सचिव के पद पर श्री प्रमोद कुमार सिंह कार्यरत रहे तथा उनके द्वारा उक्त वांछित अभिलेखों में से कोई भी अभिलेख चार्ज में मुझे हस्तगत नहीं कराया गया है। अतः कोई भी अभिलेख आडिट में प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है। यह बात वर्तमान सचिव श्री तेजबहादुर द्वारा लिखित रूप से देने के लिए मना कर दिया गया।(पत्राचार की प्रति आनलाइन पोर्टल पर अटैच है।)

तत्कालीन सचिव श्री प्रमोद कुमार सिंह टेलीफोनिक बात करने बताया गया कि व्यय धनराशि के सापेक्ष कतिपय कार्य अभी अधूरे हैं, तथा प्रधान/प्रशासक के असहयोग के कारण उक्त वांछित अभिलेख अभी तैयार नहीं किया जा सका है। यह कथन लेखा परीक्षा को स्वीकार नहीं है।

व्यय धनराशि के सापेक्ष प्रमाणक एवं अन्य सहायक अभिलेख तैयार नहीं किया जाना अनियमितता का द्योतक है, एवं पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुवल अध्याय-8 पैरा-8 (क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 5691266.00 अपहरण सिद्ध होता है जिस हेतु प्रधान/प्रशासक एवं तत्कालीन सचिव समान रूप से जिम्मेदार हैं।

विभागीय जांचोपरांत कुल अपहरित धनराशि ₹0 5691266.00 का आधा भाग ₹0 2845633.00 प्रधान श्री मुकेश, प्रशासक श्री आनंद कुमार चौरसिया प्रभारी खण्ड विकास अधिकारी (सांख्यिकीय विभाग) से एवं आधा भाग ₹0 2845633.00 तत्कालीन सचिव श्री प्रमोद कुमार सिंह /तेजबहादुर से कार्य अवधि के अनुसार जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए ब्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक तथा विधिक कार्यवाही अपेक्षित है।

आनलाइन पोर्टल के अनुसार माह वार व्यय का विवरण निम्न प्रकार है:-

माह	धनराशि
अप्रैल 2020	0.00
मई 2020	0.00
जून 2020	0.00
जुलाई 2020	638123.00
अगस्त 2020	133850.00
सितम्बर 2020	373875.00
अक्टूबर 2020	348665.00
नवम्बर 2020	1253296.00
दिसम्बर 2020	1224797.00
जनवरी 2021	0.00
फरवरी 2021	846355.00
मार्च 2021	872305.00
योग-	5691266.00

149. ग्राम पंचायत का नाम- पिपराकला विकास खण्ड- सोहोंव

प्रस्तर- 227

ग्राम पंचायत पिपराकला वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता से वर्ष आलोच्य में आन लाइन उपलब्ध आकड़ों के अनुसार विभिन्न तिथियों में कुल ₹0 5286149.00 आहरित एवं विभिन्न मदों में व्यय किया गया है। इस व्यय के सापेक्ष प्रमाणक,बिल,वाउचर,रसीदें,कैशमेमो,मस्टररोल, चालान,नक्शा,

कार्ययोजना, स्टीमेंट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाणपत्र, सामग्री आपूर्ति आदेश, भुगतान आदेश, सामग्री स्टॉक पंजी, परिसम्पत्ति पंजी निर्माण कार्य पंजी, प्रस्ताव, कोटेशन, टेंडर, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति प्रशासनिक स्वीकृति, विभागीय स्वीकृति, फोटोग्राफ, कोषबही तथा कर अवधारण एवं वसूली पंजी आदि अभिलेख आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया।

आडिट आनलाइन पोर्टल पर आडिट का कार्यक्रम आडिट विभाग द्वारा आनलाइन निर्धारित किया गया एवं इंटीमेशन लेटर सचिव को भेजा गया जिसे सचिव द्वारा आनलाइन स्वीकार किया गया।

लेखा परीक्षा हेतु वर्तमान सचिव श्री तेजबहादुर से उपरोक्त वांछित अभिलेख की मांग लिखित रूप से किया गया।

विवरण निम्न प्रकार है:-

पत्र संख्या - मेमो दिनांक 16-10-2021

पत्र संख्या - मेमो -2 दिनांक 19-1-2022

आडिट में अभिलेख प्रस्तुत कराने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी बलिया से लिखित रूप से अनुरोध किया गया जिसकी प्रतिलिपि जिला विकास अधिकारी बलिया, मुख्य विकास अधिकारी बलिया एवं जिला अधिकारी महोदय बलिया सहित जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया को भी दिया गया।

विवरण निम्न प्रकार है:-

पत्र संख्या - मेमो-2 दिनांक 4-2-2022

पत्र संख्या - मेमो-3 दिनांक 14-3-2022

पत्र संख्या - मेमो दिनांक 5-5-2022

आडिट में अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी बलिया द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 3345/सात-पं0/आडिट/अभिलेख/ग्रा0पं0/2021-22/दिनांक 8-2-2022, पत्रांक 3072 दिनांक 29-12-2021 एवं पत्रांक 201 एवं दिनांक 22-4-2022 तथा पत्रांक 920 दिनांक 27-6-2022 द्वारा सचिव को लिखित रूप से निर्देशित किए जाने एवं के बाद भी वर्तमान सचिव द्वारा उक्त वांछित अभिलेखों में से कोई भी अभिलेख आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया एवं बताया गया कि वर्ष 2020-21 में सचिव के पद पर श्री प्रमोद कुमार सिंह कार्यरत रहे तथा उनके द्वारा उक्त वांछित अभिलेखों में से कोई भी अभिलेख चार्ज में मुझे हस्तगत नहीं कराया गया है। अतः कोई भी अभिलेख आडिट में प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है। यह बात वर्तमान सचिव श्री तेजबहादुर द्वारा लिखित रूप से देने के लिए मना कर दिया गया। (पत्राचार की प्रति आनलाइन पोर्टल पर अटैच है।)

तत्कालीन सचिव श्री प्रमोद कुमार सिंह टेलीफोनिक बात करने बताया गया कि व्यय धनराशि के सापेक्ष कतिपय कार्य अधूरे हैं, तथा प्रधान/प्रशासक के असहयोग के कारण उक्त वांछित अभिलेख अभी तैयार नहीं किया जा सका है। यह कथन लेखा परीक्षा को स्वीकार नहीं है।

व्यय धनराशि के सापेक्ष प्रमाणक एवं अन्य सहायक अभिलेख तैयार नहीं किया जाना अनियमितता का द्योतक है, एवं पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल अध्याय-8 पैरा-8 (क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय रु0 5286149.00 अपहरण सिद्ध होता है जिस हेतु प्रधान/प्रशासक एवं तत्कालीन सचिव समान रूप से जिम्मेदार हैं।

विभागीय जांचोपरांत कुल अपहरित धनराशि रु0 5286149.00 का आधा भाग रु0 2643074.50 प्रधान श्रीमती मीना सिंह, प्रशासक श्री आनंद कुमार चौरसिया, प्रभारी खण्ड विकास अधिकारी (सांख्यिकीय विभाग) से एवं आधा भाग रु0 2643074.50 तत्कालीन सचिव श्री प्रमोद कुमार सिंह/श्री तेजबहादुर से कार्य अवधि के अनुसार जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए ब्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक तथा विधिक कार्यवाही उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 से 259 तक में दी गई व्यवस्था के अनुसार अपेक्षित है।

आनलाइन पोर्टल के अनुसार माह वार व्यय का विवरण निम्न प्रकार है:-

माह	धनराशि
अप्रैल 2020	0.00
मई 2020	0.00
जून 2020	0.00

जुलाई 2020	305868.00
अगस्त 2020	572221.00
सितम्बर 2020	439238.00
अक्टूबर 2020	413093.00
नवम्बर 2020	229391.00
दिसम्बर 2020	2314719.00
जनवरी 2021	0.00
फरवरी 2021	0.00
मार्च 2021	1011619.00
योग-	5286149.00

150. ग्राम पंचायत का नाम-दौलतपुर

विकास खण्ड- सोहोंव

प्रस्तर- 228

ग्राम पंचायत दौलतपुर वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता से वर्ष आलोच्य में आन लाइन उपलब्ध आकड़ों के अनुसार विभिन्न तिथियों में कुल ₹0 2964792.00 आहरित एवं विभिन्न मदों में व्यय किया गया है। इस व्यय के सापेक्ष प्रमाणक, बिल, वाउचर, रसीदें, कैशमेमो, मस्टररोल, चालान, नक्शा, कार्ययोजना, स्टीमेंट, एमओबीओ, कार्यपूति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाणपत्र, सामग्री आपूर्ति आदेश, भुगतान आदेश, सामग्री स्टॉक पंजी, परिसम्पत्ति पंजी निर्माण कार्य पंजी, प्रस्ताव, कोटेशन, टेंडर, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति प्रशासनिक स्वीकृति, विभागीय स्वीकृति, फोटोग्राफ, कोषबही तथा कर अवधारण एवं वसूली पंजी आदि अभिलेख आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया।

आडिट आनलाइन पोर्टल पर आडिट का कार्यक्रम आडिट विभाग द्वारा आनलाइन निर्धारित किया गया एवं इंटीमेशन लेटर सचिव को भेजा गया जिसे सचिव द्वारा आनलाइन स्वीकार किया गया।

लेखा परीक्षा हेतु वर्तमान सचिव श्री देवानंद गिरी से उपरोक्त वांछित अभिलेख की मांग लिखित रूप से किया गया।

विवरण निम्न प्रकार है:-

पत्र संख्या - मेमो -2 दिनांक 19-1-2022

आडिट में अभिलेख प्रस्तुत कराने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी बलिया से लिखित रूप से अनुरोध किया गया जिसकी प्रतिलिपि जिला विकास अधिकारी बलिया, मुख्य विकास अधिकारी बलिया एवं जिला अधिकारी महोदय बलिया सहित जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया को भी दिया गया।

विवरण निम्न प्रकार है:-

पत्र संख्या - मेमो-2 दिनांक 4-2-2022

पत्र संख्या - मेमो-3 दिनांक 14-3-2022

पत्र संख्या - मेमो दिनांक 5-5-2022

आडिट में अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी बलिया द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 3345/सात-पं०/आडिट/अभिलेख/ग्रा०पं०/2021-22/दिनांक 8-2-2022, पत्रांक 3072 दिनांक 29-12-2021 एवं पत्रांक 201 एवं दिनांक 22-4-2022 तथा पत्रांक 920 दिनांक 27-6-2022 द्वारा सचिव को लिखित रूप से निर्देशित किए जाने एवं के बाद भी वर्तमान सचिव द्वारा उक्त वांछित अभिलेखों में से कोई भी अभिलेख आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया एवं बताया गया कि वर्ष 2020-21 में सचिव के पद पर श्री सुरेन्द्र राम कार्यरत रहे तथा उनके द्वारा उक्त वांछित अभिलेखों में से कोई भी अभिलेख चार्ज में मुझे हस्तगत नहीं कराया गया है। अतः कोई भी अभिलेख आडिट में प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है। यह बात वर्तमान सचिव श्री देवानंद गिरी द्वारा लिखित रूप से देने के लिए मना कर दिया गया। (पत्राचार की प्रति आनलाइन पोर्टल पर अटैच है।)

तत्कालीन सचिव श्री सुरेन्द्र राम टेलीफोनिक बात करने बताया गया कि व्यय धनराशि के सापेक्ष कतिपय कार्य अधूरे हैं, तथा प्रधान/प्रशासक के असहयोग के कारण उक्त वांछित अभिलेख अभी तैयार नहीं किया जा सका है। यह कथन लेखा परीक्षा को स्वीकार नहीं है।

व्यय धनराशि के सापेक्ष प्रमाणक एवं अन्य सहायक अभिलेख तैयार नहीं किया जाना अनियमितता का द्योतक है, एवं पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुवल अध्याय-8 पैरा-8 (क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 2964792.00 अपहरण सिद्ध होता है जिस हेतु प्रधान/प्रशासक एवं तत्कालीन सचिव समान रूप से जिम्मेदार हैं।

विभागीय जांचोपरांत कुल अपहरित धनराशि ₹0 2964792.00 का आधा भाग ₹0 1482396.50 प्रधान श्रीमती गुडिया सिंह, प्रशासक श्री आनंद कुमार चौरसिया, प्रभारी खण्ड विकास अधिकारी (सांख्यिकीय विभाग) से एवं आधा भाग ₹0 1482396.50 तत्कालीन सचिव श्री सुरेन्द्र राम/श्री राजभुवन प्रसाद/देवानंद गिरी से कार्य अवधि के अनुसार जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए ब्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक तथा विधिक कार्यवाही उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 से 259 तक में दी गई व्यवस्था के अनुसार अपेक्षित है।

आनलाइन पोर्टल के अनुसार माह वार व्यय का विवरण निम्न प्रकार है:-

माह	धनराशि
अप्रैल 2020	0.00
मई 2020	198000.00
जून 2020	595878.00
जुलाई 2020	0.00
अगस्त 2020	0.00
सितम्बर 2020	830845.00
अक्टूबर 2020	0.00
नवम्बर 2020	61330.00
दिसम्बर 2020	737260.00
जनवरी 2021	0.00
फरवरी 2021	170865.00
मार्च 2021	370614.00
योग-	2964792.00

151. ग्राम पंचायत का नाम- सुरही

विकास खण्ड- सोहोवा

प्रस्तर-229

ग्राम पंचायत सुरही वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता से वर्ष आलोच्य में आन लाइन उपलब्ध आकड़ों के अनुसार विभिन्न तिथियों में कुल ₹0 765040.00 आहरित एवं विभिन्न मदों में व्यय किया गया है। इस व्यव के सापेक्ष प्रमाणक, बिल, वाउचर, रसीदें, कैशमेमो, मस्टररोल, चालान, नक्शा, कार्ययोजना, स्टीमेंट, एमओबीओ, कार्यपूतिप्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाणपत्र, सामग्री आपूर्ति आदेश, भुगतान आदेश, सामग्री स्टॉक पंजी, प्रस्ताव, कोटेशन, टेंडर, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति, विभागीय स्वीकृति, फोटोग्राफ, कोषबही तथा कर अवधारण एवं पंजी आदि अभिलेख आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया।

आडिट आनलाइन पोर्टल पर आडिट का कार्यक्रम आडिट विभाग द्वारा आनलाइन निर्धारित किया गया एवं इंटीमेशन लेटर सचिव को भेजा गया जिसे सचिव द्वारा आनलाइन स्वीकार किया गया।

लेखा परीक्षा हेतु वर्तमान सचिव श्री तेजबहादुर से उपरोक्त वांछित अभिलेख की मांग लिखित रूप से किया गया।

विवरण निम्न प्रकार है:-

1. पत्र संख्या - मेमो -2 दिनांक 19-1-2022

आडिट में अभिलेख प्रस्तुत कराने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी बलिया से लिखित रूप से अनुरोध किया गया जिसकी प्रतिलिपि जिला विकास अधिकारी बलिया मुख्य विकास अधिकारी बलिया एवं जिलाधिकारी महोदय सहित जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया को भी दिया गया। विवरण निम्न प्रकार है:-

पत्र संख्या -मेमो-2 दिनांक 4-2-2022

पत्र संख्या- मेमो-03 दिनांक- 14-3-2022

पत्र संख्या- मेमो दिनांक 5-5-2022

आडिट में अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी बलिया द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 3345/सात-पं0/आडिट/अभिलेख/ग्रा0पं0/2021-22/दिनांक 8-2-2022, पत्रांक 3072 दिनांक 29-12-2021 एवं पत्रांक 201 एवं दिनांक 22-4-2022 तथा पत्रांक 920 दिनांक 27-6-2022 द्वारा सचिव को लिखित रूप से निर्देशित किए जाने के बाद भी वर्तमान सचिव द्वारा उक्त वांछित अभिलेखों में से कोई भी अभिलेख आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया एवं बताया गया कि वर्ष 2020-21 में सचिव के पद पर श्री राजभुवन प्रसाद कार्यरत रहे तथा उनके द्वारा उक्त वांछित अभिलेखों में से कोई भी अभिलेख चार्ज में मुझे हस्तगत नहीं कराया गया है। अतः कोई भी अभिलेख आडिट में प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है। यह बात वर्तमान सचिव श्री तेजबहादुर द्वारा लिखित रूप से देने के लिए मना कर दिया गया। पत्राचार की प्रति आनलाइन पोर्टल पर अटैच है।

तत्कालीन सचिव श्री राजभुवन प्रसाद टेलीफोनिक बातकरने बताया गया कि व्यय धनराशी के सापेक्ष कतिपय कार्य अभी अधूरे हैं, तथा प्रधान/प्रशासक के असहयोग के कारण उक्त वांछित अभिलेख अभी तैयार नहीं किया जा सका है। यह कथन लेखा परीक्षा को स्वीकार नहीं है।

व्यय धनराशि के सापेक्ष प्रमाणक एवं अन्य सहायक अभिलेख तैयार नहीं किया जाना अनियमितता का चोतक है, एवं पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल अध्याय-8 पैरा-8 (क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 765040.00 अपहरण सिद्ध होता है जिस हेतु प्रधान/प्रशासक एवं तत्कालीन सचिव समान रूप से जिम्मेदार हैं।

विभागीय जांचोपरांत कुल अपहरित धनराशि ₹0 765040.00 का आधा भाग ₹0 382520.00 प्रधान श्री गंगा सागर यादव, प्रशासक श्री वागेश्वर, सहायक विकास अधिकारी सहकारिता से एवं आधा भाग ₹0 382520.00 तत्कालीन सचिव श्री राज भुवन प्रसाद/श्री तेजबहादुर से कार्य अवधि के अनुसार जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए ब्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक तथा विधिक कार्यवाही उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 से 259 तक में दी गई व्यवस्था के अनुसार अपेक्षित है।

आनलाइन पोर्टल के अनुसार माह वार व्यय का विवरण निम्न प्रकार है:-

माह	धनराशि
अप्रैल 2020	0.00
मई 2020	0.00
जून 2020	32779.00
जुलाई 2020	0.00
अगस्त 2020	0.00
सितम्बर 2020	158800.00
अक्टूबर 2020	0.00
नवम्बर 2020	0.00
दिसम्बर 2020	371961.00
जनवरी 2021	0.00
फरवरी 2021	0.00
मार्च 2021	201500.00
योग-	765050.00

प्रस्तर-230

ग्राम पंचायत सरवनपुर वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता से वर्ष आलोच्य में आन लाइन उपलब्ध आकड़ों के अनुसार विभिन्न तिथियों में कुल ₹0 675929.00 आहरित एवं विभिन्न मदों में व्यय किया गया है। इस व्यव के सापेक्ष प्रमाणक, बिल, वाउचर, रसीदें, कैशमैमो, मस्टररोल, चालान, नक्शा, कार्ययोजना, स्टीमेंट, एमओबी, कार्यपूतिप्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाणपत्र, सामग्री आपूर्ति आदेश, भुगतान आदेश, सामग्री स्टॉक पंजी, प्रस्ताव, कोटेशन, टेंडर, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति, विभागीय स्वीकृति, फोटोग्राफ, कोषबही तथा कर अवधारण एवं पंजी आदि अभिलेख ऑडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया।

आडिट आनलाइन पोर्टल पर आडिट का कार्यक्रम आडिट विभाग द्वारा आनलाइन निर्धारित किया गया एवं इंटीमेशन लेटर सचिव को भेजा गया जिसे सचिव द्वारा आनलाइन स्वीकार किया गया।

लेखा परीक्षा हेतु वर्तमान सचिव श्री तेजबहादुर से उपरोक्त वांछित अभिलेख की मांग लिखित रूप से किया गया।

विवरण निम्न प्रकार है:-

1. पत्र संख्या - मेमो -2 दिनांक 19-1-2022

आडिट में अभिलेख प्रस्तुत कराने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी बलिया से लिखित रूप से अनुरोध किया गया जिसकी प्रतिलिपि जिला विकास अधिकारी बलिया मुख्य विकास अधिकारी बलिया एवं जिलाधिकारी महोदय सहित जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया को भी दिया गया। विवरण निम्न प्रकार है:-

पत्र संख्या -मेमो-2 दिनांक 4-2-2022

पत्र संख्या- मेमो-03 दिनांक- 14-3-2022

पत्र संख्या- मेमो दिनांक 5-5-2022

आडिट में अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी बलिया द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 3345/सात-पं0/आडिट/अभिलेख/ग्रा0पं0/2021-22/दिनांक 8-2-2022, पत्रांक 3072 दिनांक 29-12-2021 एवं पत्रांक 201 एवं दिनांक 22-4-2022 तथा पत्रांक 920 दिनांक 27-6-2022 द्वारा सचिव को लिखित रूप से निर्देशित किए जाने के बाद भी वर्तमान सचिव द्वारा उक्त वांछित अभिलेखों में से कोई भी अभिलेख ऑडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया एवं बताया गया कि वर्ष 2020-21 में सचिव के पद पर श्री राजभुवन प्रसाद कार्यरत रहे तथा उनके द्वारा उक्त वांछित अभिलेखों में से कोई भी अभिलेख चार्ज में मुझे हस्तगत नहीं कराया गया है। अतः कोई भी अभिलेख ऑडिट में प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है। यह बात वर्तमान सचिव श्री तेजबहादुर द्वारा लिखित रूप से देने के लिए मना कर दिया गया। (पत्राचार की प्रति आनलाइन पोर्टल पर अटैच है।)

तत्कालीन सचिव श्री राजभुवन प्रसाद टेलीफोनिक बात करने बताया गया कि व्यय धनराशि के सापेक्ष कतिपय कार्य अभी अधूरे हैं, तथा प्रधान/प्रशासक के असहयोग के कारण उक्त वांछित अभिलेख अभी तैयार नहीं किया जा सका है। यह कथन लेखा परीक्षा को स्वीकार नहीं है।

व्यय धनराशि के सापेक्ष प्रमाणक एवं अन्य सहायक अभिलेख तैयार नहीं किया जाना अनियमितता का द्योतक है, एवं पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल अध्याय-8 पैरा-8 (क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 675929.00 अपहरण सिद्ध होता है जिस हेतु प्रधान/प्रशासक एवं तत्कालीन सचिव समान रूप से जिम्मेदार है।

विभागीय जांचोपरांत कुल अपहरित धनराशि ₹0 675929.00 का आधा भाग ₹0 337964.50 प्रधान श्रीमती लक्ष्मी देवी, प्रशासक श्री वागेश्वर, सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) से एवं आधा भाग ₹0 337964.50 तत्कालीन सचिव श्री राज भुवन प्रसाद/श्री तेजबहादुर से कार्य अवधि के अनुसार जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए ब्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक तथा विधिक कार्यवाही उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 से 259 तक में दी गई व्यवस्था के अनुसार अपेक्षित है।

आनलाइन पोर्टल के अनुसार माह वार व्यय का विवरण निम्न प्रकार है:-

माह	धनराशि
अप्रैल 2020	0.00

मई 2020	0.00
जून 2020	29079.00
जुलाई 2020	0.00
अगस्त 2020	0.00
सितम्बर 2020	268729.00
अक्टूबर 2020	15780.00
नवम्बर 2020	74080.00
दिसम्बर 2020	128390.00
जनवरी 2021	0.00
फरवरी 2021	0.00
मार्च 2021	159871.00
योग-	675929.00

153. ग्राम पंचायत का नाम- फिरोजपुर

विकास खण्ड- सोहोवा

प्रस्तर- 231

ग्राम पंचायत फिरोजपुर वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता से वर्ष आलोच्य में (आन लाइन उपलब्ध आकड़ों एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार) विभिन्न तिथियों में कुल ₹0 2519893.00 आहरित एवं विभिन्न मदों में व्यय किया गया है। इस व्यय के सापेक्ष प्रमाणक, बिल, वाउचर, रसीदें, कैशमेमो, मस्टररोल, चालान, नक्शा, कार्ययोजना, स्टीमेंट, एमओबी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाणपत्र, सामग्री आपूर्ति आदेश, भुगतान आदेश, सामग्री स्टॉक पंजी, परिसम्पत्ति पंजी निर्माण कार्य पंजी, प्रस्ताव, कोटेशन, टेंडर, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति प्रशासनिक स्वीकृति, विभागीय स्वीकृति, फोटोग्राफ, कोषबही तथा कर अवधारण एवं वसूली पंजी आदि अभिलेख ऑडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया।

आडिट आनलाइन पोर्टल पर आडिट का कार्यक्रम आडिट विभाग द्वारा आनलाइन निर्धारित किया गया एवं इंटीमेशन लेटर सचिव को भेजा गया जिसे सचिव द्वारा आनलाइन स्वीकार किया गया।

लेखा परीक्षा हेतु वर्तमान सचिव श्री देवानंद गिरी से उपरोक्त वांछित अभिलेख की मांग लिखित रूप से किया गया।

विवरण निम्न प्रकार है:-

1. पत्र संख्या - मेमो दिनांक 16-10-2021
2. पत्र संख्या - मेमो -2 दिनांक 19-1-2022

आडिट में अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी बलिया से लिखित रूप से अनुरोध किया गया जिसकी प्रतिलिपि जिला विकास अधिकारी बलिया, मुख्य विकास अधिकारी बलिया एवं जिला अधिकारी महोदय बलिया सहित जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया को भी दिया गया।

विवरण निम्न प्रकार है:-

1. पत्र संख्या - मेमो-2 दिनांक 4-2-2022
2. पत्र संख्या - मेमो-3 दिनांक 14-3-2022
3. पत्र संख्या - मेमो दिनांक 5-5-2022

आडिट में अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी बलिया द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 3345/सात-पं०/आडिट/अभिलेख/ग्रा०पं०/2021-22/दिनांक 8-2-2022, पत्रांक 3072 दिनांक 29-12-2021 एवं पत्रांक 201 एवं दिनांक 22-4-2022 तथा पत्रांक 920 दिनांक 27-6-2022 द्वारा सचिव को लिखित रूप से निर्देशित किए जाने एवं आगामी माहों के वेतन आहरण पर रोक लगाने के आदेश के बाद भी वर्तमान सचिव द्वारा केवल बैंक स्टेटमेंट ही प्रस्तुत किया गया एवं उक्त वांछित अभिलेखों में से कोई भी अभिलेख ऑडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया एवं बताया गया कि वर्ष 2020-21 में सचिव के पद पर श्री जितेंद्र कुमार यादव कार्यरत रहे तथा उनके द्वारा उक्त वांछित अभिलेखों में से कोई भी अभिलेख चार्ज में मुझे हस्तगत नहीं कराया गया है।

अतः कोई भी अभिलेख ऑडिट में प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है। यह बात वर्तमान सचिव श्री देवानंद गिरी द्वारा लिखित रूप से देने के लिए मना कर दिया गया। (पत्राचार की प्रति आनलाइन पोर्टल पर अटैच है।)

तत्कालीन सचिव श्री जितेंद्र कुमार यादव टेलीफोनिक बात करने बताया गया कि व्यय धनराशि के सापेक्ष कतिपय कार्य अभी पुरा नहीं कराया जा सका है, तथा प्रधान/प्रशासक के असहयोग के कारण उक्त वांछित अभिलेख अभी तैयार नहीं किया जा सका है। यह कथन लेखा परीक्षा को स्वीकार नहीं है।

व्यय धनराशि के सापेक्ष प्रमाणक एवं अन्य सहायक अभिलेख तैयार नहीं किया जाना अनियमितता का द्योतक है, एवं पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल अध्याय-8 पैरा-8 (क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 2519893.00 अपहरण सिद्ध होता है जिस हेतु प्रधान/प्रशासक एवं तत्कालीन सचिव समान रूप से जिम्मेदार है।

विभागीय जांचोपरांत कुल अपहरित धनराशि ₹0 2519893.00 का आधा भाग ₹0 1259946.50 प्रधान श्री सुधीर सिंह, प्रशासक श्री आनंद कुमार चौरसिया, प्रभारी खण्ड विकास अधिकारी (सांख्यिकीय विभाग) से एवं आधा भाग ₹0 1259946.50 तत्कालीन सचिव श्री जितेंद्र कुमार सिंह/श्री देवानंद गिरी से कार्य अवधि के अनुसार जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए ब्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक तथा विधिक कार्यवाही अपेक्षित है।

154. ग्राम पंचायत का नाम- नसीरपुर मु0 दूदवारी

विकास खण्ड- सोहोव

प्रस्तर-232

ग्राम पंचायत नसीरपुर दूदवारी वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता से वर्ष आलोच्य में (प्रस्तुत बैंक स्टेटमेंट एवं कोषवही के अनुसार) विभिन्न तिथियों में कुल ₹0 1529926.00 अपहरित एवं विभिन्न मदों में व्यय किया गया है। इस व्यय के सापेक्ष प्रमाणक, बिल, वाउचर, रसीदें, कैशमेमो, मस्टररोल, चालान, नक्शा, कार्य योजना, स्टीमेंट, एओबीओ, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, उपभोगप्रमाणपत्र, सामग्री आपूर्ति आदेश, भुगतान आदेश, सामग्री स्टॉक पंजी, परिसम्पत्ति पंजी, निर्माण कार्य पंजी, प्रस्ताव, कोटेशन, टेंडर, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, विभागीय, फोटोग्राफ तथा कर अवधारण एवं वसूली पंजी आदि अभिलेख ऑडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया।

ऑडिट आनलाइन पोर्टल पर ऑडिट का कार्यक्रम ऑडिट विभाग द्वारा आनलाइन निर्धारित किया गया एवं इंटीमेशन लेटर सचिव को भेजा गया जिसे सचिव द्वारा आनलाइन स्वीकार किया गया।

लेखा परीक्षा हेतु सचिव श्री सौरभ कुमार ठाकुर से उपरोक्त वांछित अभिलेख की मांग लिखित रूप से किया गया। विवरण निम्न प्रकार है।

1. पत्र संख्या -मेमो दिनांक 16-10-2021

उक्त पत्र के बाद केवल कोषवही एवं बैंक स्टेटमेंट ऑडिट में प्रस्तुत किया गया एवं उपरोक्त वांछित अभिलेखों में से कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। बार-बार मौखिक एवं टेलीफोनिक रूप से मांग के उपरांत पुनः पत्र संख्या मेमो/ऑडिट आनलाइन/ग्राम पंचायत/2021-22/दिनांक 21-3-2022 द्वारा लिखित रूप से उपरोक्त अभिलेख की मांग की गई जिसकी प्रतिलिपि जिला पंचायत राज अधिकारी बलिया को भी सुलभ कराया गया।

उक्त पत्रों के सन्दर्भ में सचिव श्री सौरभ कुमार ठाकुर द्वारा बताया गया कि प्रधान के असहयोग के कारण व्यय के सापेक्ष कतिपय कार्य अभी पूर्ण नहीं है उक्त वांछित अभिलेख अभी तैयार नहीं किया जा सका है।

व्यय धनराशि के सापेक्ष प्रमाणक एवं अन्य सहायक अभिलेख तैयार नहीं किया जाना अनियमितता का द्योतक है एवं पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल अध्याय-8 पैरा-8 (क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 1529926.00 का अपहरण सिद्ध होता है जिस हेतु प्रधान/प्रशासक एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार है।

विभागीय जांचोपरांत कुल अपहरित धनराशि ₹0 1529926.00 का आधा भाग ₹0 764963.00 प्रधान श्री रामजी/प्रशासक श्री आनंद कुमार चौरसिया प्रभारी खण्ड विकास अधिकारी सांख्यिकीय विभाग से एवं आधा भाग ₹0 764963.00 सचिव श्री सौरभ कुमार ठाकुर से कार्य अवधि के अनुसार जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए ब्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक तथा विधिक कार्यवाही उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 से 259 तक में दी गई व्यवस्था के अनुसार अपेक्षित है।

प्रस्तर-233

उक्त ग्राम पंचायत के उक्त वर्ष की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित गंभीर प्रकार के प्रकारण प्रकाश में आये। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट कराया जाता है:-

1. निम्न विवरण के अनुसार व्यय के सापेक्ष आडिट में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा:-

दिनांक	धनराशि	विवरण	फर्म का नाम
10-03-2021	130526.00	स्कूल बेंच क्रय	मे0 ल्यूमिक्सट्रा सोलर
10-03-2021	57055.00	स्कूल बेंच क्रय	मे0 ल्यूमिक्सट्रा सोलर
10-03-2021	52000.00	दरवाजा खिड़की क्रय	मे0 ल्यूमिक्सट्रा सोलर
योग-	239581.00		

उक्त के सम्बन्ध में सचिव श्री राजभुवन प्रसाद द्वारा बताया गया कि उक्त व्यय प्रशासक श्री वागेश्वर सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) के कार्यकाल का है। इसमें सचिव का डोंगल लेकर फर्म मे0 ल्यूमिक्सट्रा सोलर से मिलीभगत कर खाते से धन आहरित कर अपहरण कर लिया गया है एवं कार्य भी नहीं कराया गया है। यह बात लिखित रूप से देने के लिए सचिव द्वारा मना कर दिया गया। सचिव का यह उत्तर स्वीकार करने योग्य नहीं है।

व्यय धनराशि के सापेक्ष प्रमाणक एवं अन्य सहायक अभिलेख तैयार नहीं किया जाना अनियमितता का द्योतक है, एवं पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल अध्याय-8 पैरा-(8) क के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 239581.00 का अपहरण सिद्ध होता है जिस भुगतान प्राप्तता फर्म/प्रशासक एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार है।

विभागीय जांचोपरांत कुल अपहरित धनराशि ₹0 239581.00 प्रशासक श्री वागेश्वर सहायक विकास अधिकारी सहकारिता सचिव श्री राजभुवन प्रसाद एवं फर्म मे0 ल्यूमिक्सट्रा सोलर से जांच के अनुसार जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए ब्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक तथा विधिक कार्यवाही उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 से 259 तक में दी गई व्यवस्था के अनुसार किए जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट कराया जाता है।

प्रस्तर-234

वर्ष आलोच्य में प्रस्तुत कोषबही एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दिनांक 1-4-2020 से दिनांक 31-8-2020 की अवधि में ग्राम निधि प्रथम खाते से विभिन्न तिथियों में कुल ₹0 446803.00 आहरित एवं विभिन्न मदों में व्यय किया गया है। इस व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक एवं पत्रावली अथवा अन्य कोई भी अभिलेख आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया।

वर्तमान सचिव श्री रितेश कुमार राय द्वारा बताया गया कि वर्ष आलोच्य में दिनांक 1-4-2020 से 31-8-2020 तक सचिव के पद पर श्री राम किशोर कार्यरत रहे हैं एवं इनके द्वारा इस अवधि में व्यय के सापेक्ष कोई भी अभिलेख चार्ज में हस्तगत नहीं कराया गया है। फलस्वरूप इस व्यय के सापेक्ष कोई भी अभिलेख प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है। यह बात लिखित रूप से देने के लिए वर्तमान सचिव श्री राय द्वारा मना कर दिया गया।

तत्कालीन सचिव श्री रामकिशोर से टेलीफोनिक बात करने बताया गया कि व्यय धनराशि के सापेक्ष कतिपय कार्य अभी अधूरे हैं, तथा प्रधान के असहयोग के कारण उक्त वांछित अभिलेख अभी तैयार नहीं किया जा सका है। यह कथन लेखा परीक्षा को स्वीकार नहीं है।

व्यय धनराशि के सापेक्ष प्रमाणक एवं अन्य सहायक अभिलेख तैयार नहीं किया जाना अनियमितता का द्योतक है, एवं पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल अध्याय-8 पैरा-8 क के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 446803.00 का अपहरण सिद्ध होता है जिस प्रधान एवं तत्कालीन सचिव समान रूप से जिम्मेदार हैं।

विभागीय जांचोपरान्त कुल अपहरित धनराशि ₹0 446803.00 का आधा भाग ₹0 223401.50 प्रधान श्री बबबन यादव से एवं आधा भाग ₹0 223401.50 तत्कालीन सचिव श्री रामकिशोर से ब्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक तथा विधिक कार्यवाही उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 से 259 तक में दी गई व्यवस्था के अनुसार किए जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट कराया जाता है।

157. ग्राम पंचायत का नाम- सिकंदरपुर
प्रस्तर-235

विकास खण्ड- सोहॉव

निम्न विवरण के अनुसार व्यय के सापेक्ष आडिट में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा:-

दिनांक	धनराशि	विवरण	फर्म का नाम
8-03-2021	17133.00	स्कूल बेंच क्रय	मे0 अभय नारायण यादव
8-03-2021	159908.00	स्कूल बेंच क्रय	मे0 अभय नारायण यादव
8-03-2021	17133.00	स्कूल बेंच क्रय	मे0 अभय नारायण यादव
19-3-2021	194174.00	स्कूल बेंच क्रय	मे0 अभय नारायण यादव
1-3-2021	90000.00	हैन्डपम्प रिबोर	मे0 अभय नारायण यादव
1-3-2021	75554.00	पं0 भवन सामग्री क्रय	मे0 अभय नारायण यादव
1-3-2021	104131.00	सा0शौ0 सामग्री क्रय	मे0 अभय नारायण यादव
योग-	658033.00		

उक्त के सम्बन्ध में सचिव श्री सौरभ कुमार ठाकुर द्वारा बताया गया कि उक्त व्यय प्रशासक श्री आनंद कुमार चौरसिया प्रभारी खण्ड विकास अधिकारी के कार्यकाल का है। इसमें सचिव का डोंगल लेकर फर्म मे0 अभय नारायण यादव से मिलीभगत कर खाते से धन आहरित कर अपहरण कर लिया गया है एवं कार्य भी नहीं कराया गया है। यह बात लिखित रूप से देने के लिए सचिव द्वारा मना कर दिया गया। सचिव का यह उत्तर स्वीकार करने योग्य नहीं है।

व्यय धनराशि के सापेक्ष प्रमाणक एवं अन्य सहायक अभिलेख तैयार नहीं किया जाना अनियमितता का द्योतक है, एवं पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल अध्याय-8 पैरा-(8) क के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 658033.00 का अपहरण सिद्ध होता है जिस भुगतान प्राप्तता फर्म/प्रशासक एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार है।

विभागीय जांचोपरान्त कुल अपहरित धनराशि ₹0 658033.00 प्रशासक श्री आनंद कुमार चौरसिया प्रभारी खण्ड विकास अधिकारी (सांख्यिकीय विभाग) सचिव श्री सौरभ कुमार ठाकुर एवं फर्म मे0 अभय नारायण यादव से जांच के अनुसार जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए ब्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक तथा विधिक कार्यवाही उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 से 259 तक में दी गई व्यवस्था के अनुसार किए जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट कराया जाता है।

158. ग्राम पंचायत का नाम- लक्ष्मणपुर
प्रस्तर-236

विकास खण्ड- सोहॉव

ग्राम पंचायत लक्ष्मणपुर वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता से वर्ष आलोच्य में आन लाइन उपलब्ध आकड़ों के अनुसार विभिन्न तिथियों में कुल ₹0 1295118.00 आहरित एवं विभिन्न मदों में व्यय किया गया है। इस व्यव के सापेक्ष प्रमाणक, बिल, वाउचर, रसीदें, कैशमेमो, मस्टररोल, चालान, नक्शा, कार्ययोजना, स्टीमेंट, एम0बी0, कार्यपूतिप्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाणपत्र, सामग्री आपूर्ति आदेश, भुगतान आदेश, सामग्री स्टॉक पंजी, प्रस्ताव, कोटेशन, टेंडर, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति, विभागीय स्वीकृति, फोटोग्राफ, कोषबही तथा कर अवधारण एवं पंजी आदि अभिलेख आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया।

आडिट आनलाइन पोर्टल पर आडिट का कार्यक्रम आडिट विभाग द्वारा आनलाइन निर्धारित किया गया एवं इंटीमेशन लेटर सचिव को भेजा गया जिसे सचिव द्वारा आनलाइन स्वीकार किया गया।

लेखा परीक्षा हेतु वर्तमान सचिव श्री तेजबहादुर से उपरोक्त वांछित अभिलेख की मांग लिखित रूप से किया गया।

विवरण निम्न प्रकार है:-

1. पत्र संख्या - मेमो -2 दिनांक 19-1-2022

आडिट में अभिलेख प्रस्तुत कराने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी बलिया से लिखित रूप से अनुरोध किया गया जिसकी प्रतिलिपि जिला विकास अधिकारी बलिया मुख्य विकास अधिकारी बलिया एवं जिलाधिकारी महोदय सहित जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया को भी दिया गया। विवरण निम्न प्रकार है:-

पत्र संख्या -मेमो-2 दिनांक 4-2-2022

पत्र संख्या- मेमो-03 दिनांक- 14-3-2022

पत्र संख्या- मेमो दिनांक 5-5-2022

आडिट में अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी बलिया द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 3345/सात-पं0/आडिट/अभिलेख/ग्रा0पं0/2021-22/दिनांक 8-2-2022, पत्रांक 3072 दिनांक 29-12-2021 एवं पत्रांक 201 एवं दिनांक 22-4-2022 तथा पत्रांक 920 दिनांक 27-6-2022 द्वारा सचिव को लिखित रूप से निर्देशित किए जाने के बाद भी वर्तमान सचिव द्वारा उक्त वांछित अभिलेखों में से कोई भी अभिलेख आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया एवं बताया गया कि वर्ष 2020-21 में सचिव के पद पर श्री राजभुवन प्रसाद कार्यरत रहे तथा उनके द्वारा उक्त वांछित अभिलेखों में से कोई भी अभिलेख चार्ज में मुझे हस्तगत नहीं कराया गया है। अतः कोई भी अभिलेख आडिट में प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है। यह बात वर्तमान सचिव श्री तेजबहादुर द्वारा लिखित रूप से देने के लिए मना कर दिया गया। (पत्राचार की प्रति आनलाइन पोर्टल पर अटैच है।)

तत्कालीन सचिव श्री राजभुवन प्रसाद टेलीफोनिक बात करने बताया गया कि व्यय धनराशि के सापेक्ष कतिपय कार्य अभी अधूरे हैं, तथा प्रधान/प्रशासक के असहयोग के कारण उक्त वांछित अभिलेख अभी तैयार नहीं किया जा सका है। यह कथन लेखा परीक्षा को स्वीकार नहीं है।

व्यय धनराशि के सापेक्ष प्रमाणक एवं अन्य सहायक अभिलेख तैयार नहीं किया जाना अनियमितता का द्योतक है, एवं पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल अध्याय-8 पैरा-8 (क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 1295118.00 अपहरण सिद्ध होता है जिस हेतु प्रधान/प्रशासक एवं तत्कालीन सचिव समान रूप से जिम्मेदार हैं।

विभागीय जांचोपरांत कुल अपहरित धनराशि ₹0 1295118.00 का आधा भाग ₹0 647559.00 प्रधान श्री गिरिजेश राय, प्रशासक श्री वागेश्वर, सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) से एवं आधा भाग ₹0 647559.00 तत्कालीन सचिव श्री राज भुवन प्रसाद/श्री तेजबहादुर से कार्य अवधि के अनुसार जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए ब्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक तथा विधिक कार्यवाही उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 से 259 तक में दी गई व्यवस्था के अनुसार अपेक्षित है।

आनलाइन पोर्टल के अनुसार माह वार व्यय का विवरण निम्न प्रकार है:-

माह	धनराशि
अप्रैल 2020	651583.00
मई 2020	34200.00
जून 2020	7250.00
जुलाई 2020	0.00
अगस्त 2020	0.00
सितम्बर 2020	136750.00
अक्टूबर 2020	40500.00
नवम्बर 2020	123467.00
दिसम्बर 2020	156368.00
जनवरी 2021	0.00

फरवरी 2021	85000.00
मार्च 2021	60000.00
योग-	1295118.00

159. ग्राम पंचायत का नाम- बैरिया

विकास खण्ड- सोह्राव

प्रस्तर- 237

ग्राम पंचायत बैरिया वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता से वर्ष आलोच्य में विभिन्न तिथियों में कुल ₹0 1158603.00 आहरित एवं विभिन्न मदों में व्यय किया गया है माह अप्रैल 2020 से अगस्त 2020 तक ₹0 193892.00 एवं माह सितंबर 2020 मार्च 2021 तक ₹0 964711.00 माह 9/2020 से 3/2021 तक व्यय ₹0 964711.00 के सापेक्ष प्रमाणक, बिल, वाउचर, रसीदें, कैशमेमो, मस्टररोल, चालान, नक्शा, कार्ययोजना, स्टीमेंट, एमओबी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाणपत्र, सामग्री आपूर्ति आदेश, भुगतान आदेश, सामग्री स्टॉक पंजी, परिसम्पत्ति पंजी निर्माण कार्य पंजी, प्रस्ताव, कोटेशन, टेंडर, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति प्रशासनिक स्वीकृति, विभागीय स्वीकृति, फोटोग्राफ, कोषबही तथा कर अवधारण एवं वसूली पंजी आदि अभिलेख ऑडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया।

आडिट आनलाइन पोर्टल पर आडिट का कार्यक्रम आडिट विभाग द्वारा आनलाइन निर्धारित किया गया एवं इंटीमेशन लेटर सचिव को भेजा गया जिसे सचिव द्वारा आनलाइन स्वीकार किया गया।

लेखा परीक्षा हेतु वर्तमान सचिव श्री संजय राम से उपरोक्त वांछित अभिलेख की मांग लिखित रूप से किया गया।

विवरण निम्न प्रकार है:-

1. पत्र संख्या - मेमो दिनांक 14-9-2021
2. पत्र संख्या - मेमो -2 दिनांक 19-1-2022

आडिट में अभिलेख प्रस्तुत कराने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी बलिया से लिखित रूप से अनुरोध किया गया जिसकी प्रतिलिपि जिला विकास अधिकारी बलिया मुख्य विकास अधिकारी बलिया एवं जिलाधिकारी महोदय सहित जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया को भी दिया गया। विवरण निम्न प्रकार है:-

पत्र संख्या -मेमो-2 दिनांक 4-2-2022

पत्र संख्या- मेमो-03 दिनांक- 14-3-2022

पत्र संख्या- मेमो दिनांक 5-5-2022

आडिट में अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी बलिया द्वारा सचिव को लिखित रूप से निर्देशित किए जाने के बाद भी वर्तमान सचिव द्वारा उक्त वांछित अभिलेखों में से मात्र माह 4/2020 से 8/2020 तक का अभिलेख एवं पूरे वर्ष का बैंक खाते का स्टेटमेंट ही प्रस्तुत किया गया। ₹0 964711.00 व्यय के सापेक्ष कोई भी अभिलेख ऑडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया। विवरण निम्न प्रकार है:-

1. पत्र संख्या -2084 दिनांक 11-10-2021
2. पत्र संख्या -3072 दिनांक 19-12-2021
3. पत्र संख्या -3345 दिनांक 8-2-2022
4. पत्र संख्या -201 दिनांक 22-4-2022
5. पत्र संख्या -920 दिनांक 27-6-2022

सचिव श्री संजय राम बताया गया कि प्रधान/प्रशासक के असहयोग के कारण व्यय धनराशि के सापेक्ष कार्य अभी पूर्ण नहीं है तथा उपरोक्त वांछित अभिलेख अभी तैयार नहीं किया जा सका है। अतः कोई भी अभिलेख ऑडिट में प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है यह बात वर्तमान सचिव द्वारा लिखित रूप से देने के लिए मना कर दिया गया। यह कथन लेखा परीक्षा को स्वीकार नहीं है। (पत्राचार की प्रति अनलाइन पोर्टल पर अटैच है।)

व्यय धनराशि के सापेक्ष प्रमाणक एवं अन्य सहायक अभिलेख तैयार नहीं किया जाना अनियमितता का द्योतक है, एवं पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल अध्याय-8 पैरा-8 (क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन

व्यय ₹0 964711.00 अपहरण सिद्ध होता है जिस हेतु प्रधान/प्रशासक एवं तत्कालीन सचिव समान रूप से जिम्मेदार है।

विभागीय जांचोपरांत कुल अपहरित धनराशि ₹0 964711.00 का आधा भाग ₹0 482355.50 प्रधान श्री अनूप राय, प्रशासक श्री आनंद चौरसिया प्रभारी खण्ड विकास अधिकारी (सांख्यिकीय विभाग) से एवं आधा भाग ₹0 482355.50 सचिव श्री संजय राम से कार्य अवधि के अनुसार जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए ब्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक तथा विधिक कार्यवाही अपेक्षित है।

160. ग्राम पंचायत का नाम-तेतारपुर

विकास खण्ड- सोहोंव

प्रस्तर- 238

ग्राम पंचायत तेतारपुर वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता से वर्ष आलोच्य में आन लाइन उपलब्ध आकड़ों के अनुसार विभिन्न तिथियों में कुल ₹0 881374.00 आहरित एवं विभिन्न मदों में व्यय किया गया है। इस व्यय के सापेक्ष प्रमाणक, बिल, वाउचर, रसीदें, कैशमेमो, मस्टररोल, चालान, नक्शा, कार्ययोजना, स्टीमेंट, एमओबीओ, कार्यपूति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाणपत्र, सामग्री आपूर्ति आदेश, भुगतान आदेश, सामग्री स्टॉक पंजी, परिसम्पत्ति पंजी निर्माण कार्य पंजी, प्रस्ताव, कोटेशन, टेंडर, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति प्रशासनिक स्वीकृति, विभागीय स्वीकृति, फोटोग्राफ, कोषबही तथा कर अवधारण एवं वसूली पंजी आदि अभिलेख ऑडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया।

आडिट आनलाइन पोर्टल पर आडिट का कार्यक्रम आडिट विभाग द्वारा आनलाइन निर्धारित किया गया एवं इंटीमेशन लेटर सचिव को भेजा गया जिसे सचिव द्वारा आनलाइन स्वीकार किया गया।

लेखा परीक्षा हेतु वर्तमान सचिव श्री तेजबहादुर से उपरोक्त वांछित अभिलेख की मांग लिखित रूप से किया गया।

विवरण निम्न प्रकार है:-

पत्र संख्या - मेमो -2 दिनांक 19-1-2022

ऑडिट में अभिलेख प्रस्तुत कराने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी बलिया से लिखित रूप से अनुरोध किया गया जिसकी प्रतिलिपि जिला विकास अधिकारी बलिया, मुख्य विकास अधिकारी बलिया एवं जिला अधिकारी महोदय बलिया सहित जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया को भी दिया गया।

विवरण निम्न प्रकार है:-

पत्र संख्या - मेमो-2 दिनांक 4-2-2022

पत्र संख्या - मेमो-3 दिनांक 14-3-2022

पत्र संख्या - मेमो दिनांक 5-5-2022

आडिट में अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी बलिया द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 3345/सात-पं०/आडिट/अभिलेख/ग्रा०पं०/2021-22/दिनांक 8-2-2022, पत्रांक 3072 दिनांक 29-12-2021 एवं पत्रांक 201 एवं दिनांक 22-4-2022 तथा पत्रांक 920 दिनांक 27-6-2022 द्वारा सचिव को लिखित रूप से निर्देशित किए जाने एवं के बाद भी वर्तमान सचिव द्वारा उक्त वांछित अभिलेखों में से कोई भी अभिलेख ऑडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया एवं बताया गया कि वर्ष 2020-21 में सचिव के पद पर श्री राजभुवन प्रसाद कार्यरत रहे तथा उनके द्वारा उक्त वांछित अभिलेखों में से कोई भी अभिलेख चार्ज में मुझे हस्तगत नहीं कराया गया है। अतः कोई भी अभिलेख ऑडिट में प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है। यह बात वर्तमान सचिव श्री तेजबहादुर द्वारा लिखित रूप से देने के लिए मना कर दिया गया। (पत्राचार की प्रति आनलाइन पोर्टल पर अटैच है।)

तत्कालीन सचिव श्री राजभुवन प्रसाद टेलीफोनिक बात करने बताया गया कि व्यय धनराशि के सापेक्ष कतिपय कार्य अभी अधूरे हैं, तथा प्रधान/प्रशासक के असहयोग के कारण उक्त वांछित अभिलेख अभी तैयार नहीं किया जा सका है। यह कथन लेखा परीक्षा को स्वीकार नहीं है।

व्यय धनराशि के सापेक्ष प्रमाणक एवं अन्य सहायक अभिलेख तैयार नहीं किया जाना अनियमितता का द्योतक है, एवं पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुवल अध्याय-8 पैरा-8 (क) के अनुसार उक्त

प्रमाणक विहीन व्यय रु0 881374.00 अपहरण सिद्ध होता है जिस हेतु प्रधान/प्रशासक एवं तत्कालीन सचिव समान रूप से जिम्मेदार है।

विभागीय जांचोपरांत कुल अपहरित धनराशि रु0 881374.00 का आधा भाग रु0 440687.00 प्रधान श्री गंगा राम, प्रशासक श्री वागेश्वर सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) से एवं आधा भाग रु0 440687.00 तत्कालीन सचिव श्री राजभुवन प्रसाद/ तेजबहादुर से कार्य अवधि के अनुसार जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए ब्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक तथा विधिक कार्यवाही उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 से 259 तक में दी गई व्यवस्था के अनुसार अपेक्षित है।

आनलाइन पोर्टल के अनुसार माह वार व्यय का विवरण निम्न प्रकार है:-

माह	धनराशि
अप्रैल 2020	356328.00
मई 2020	0.00
जून 2020	36579.00
जुलाई 2020	0.00
अगस्त 2020	0.00
सितम्बर 2020	155600.00
अक्टूबर 2020	126080.00
नवम्बर 2020	120287.00
दिसम्बर 2020	86500.00
जनवरी 2021	0.00
फरवरी 2021	0.00
मार्च 2021	0.00
योग-	881374.00

161. ग्राम पंचायत का नाम- शिवपुर कपूर दीयर विकास खंड- मुरलीछपरा
प्रस्तर-239

ग्राम पंचायत का नाम- शिवपुर कपूर दीयर को वित्तीय वर्ष 2020-21 में केन्द्रीय वित्त एवं राज्य वित्त के तहत रु0 4646323.00 प्राप्त हुआ एवं वर्ष के दौरान रु0 4255501.00 व्यय दर्शित है (प्रिया साफ्ट के अनुसार) इस दर्शित व्यय धनराशि पर निम्नलिखित आपत्तियां हैं-

1-क ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रजनीश यादव से बार-बार अभिलेख मांगे जाने के बाद भी कोई भी अभिलेख नहीं दिया गया। 22-12-2021 को अभिलेख के लिए पत्र दिया गया।

ख सहायक विकास अधिकारी पं0 श्री अवधेश पाण्डेय के माध्यम से भी बार-बार पत्राचार किया गया अभिलेख के लिए दिनांक 17-12-2021 एवं 29-12-2021 को पत्राचार किया गया।

ग जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से भी दिनांक 13-1-2022 को पत्राचार किया गया अभिलेख के लिए तब पर भी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रजनीश यादव ने कोई भी अभिलेख नहीं दिया जिससे इनके द्वारा व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2- वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति से सम्बन्धित पत्रावली नहीं दी गई।

3- वर्ष के दौरान करायें गए कार्यों का कोटेशन या टेंडर से सम्बन्धित पत्रावली नहीं दी गई।

4- जी0एस0टी0 एवं आयकर कटौती से सम्बन्धित जमा प्रमाणपत्र नहीं दिया गया।

5- वित्तीय वर्ष के दौरान करायें गए कार्यों का एम0बी0 भी नहीं दिया गया।

6- लेखा परीक्षा में मस्टर रोल भी नहीं दिया गया।

7-ग्राम निधि की कोशबही रूप पत्र संख्या-6 भी नहीं दिया गया।

8- मनरेगा की कोशबही,मस्टर रोल,एम0बी0 एवं व्यय प्रमाणक आदि नहीं दिया गया।

9- ग्राम निधि द्वारा व्यय धनराशि का बिल या बाउचर या व्यय प्रमाणक नहीं दिया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज के वित्त एवं लेखा प्रबंध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया जाता है तो दर्शाये गए व्यय धनराशि को गबन मानते हुये व्यय धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से संयुक्त रूप से की जाएगी।

ग्राम पंचायत शिवपुर कपूरदीयर में आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि से कुल ₹0 4255501.00 विभिन्न कार्यों हेतु व्यय दर्शित है किन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः व्यय प्रमाणक के अभाव में दर्शित समस्त व्यय धनराशि को अपहरण की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री वीरेन्द्र यादव एवं सचिव श्री रजनीश यादव से किया जाना अपेक्षित है।

162. ग्राम पंचायत का नाम- शिवपुर उर्फ करनछपरा
प्रस्तर-240

विकास खंड- मुरलीछपरा

ग्राम पंचायत का नाम- शिवपुर उर्फ करनछपरा को वित्तीय वर्ष 2020-21 में केन्द्रीय वित्त एवं राज्य वित्त के तहत ₹0 4040420.00 प्राप्त हुआ एवं वर्ष के दौरान ₹0 1719006.00 व्यय दर्शित है (प्रिया साफ्ट के अनुसार) इस दर्शित व्यय धनराशि पर निम्नलिखित आपत्तियां हैं-

1-(क) ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रजनीश यादव से बार-बार अभिलेख मांगे जाने के बाद भी कोई भी

अभिलेख नहीं दिया गया। 22-12-2021 को अभिलेख के लिए पत्र दिया गया।

(ख) सहायक विकास अधिकारी पं० श्री अवधेश पाण्डेय के माध्यम से भी बार-बार पत्राचार किया गया अभिलेख के लिए दिनांक 17-12-2021 एवं 29-12-2021 को पत्राचार किया गया।

(ग) जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से भी दिनांक 13-1-2022 को पत्राचार किया गया अभिलेख के लिए तब पर भी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री बलराम यादव ने कोई भी अभिलेख नहीं दिया जिससे इनके द्वारा व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2- वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति से सम्बन्धित पत्रावली नहीं दी गई।

3- वर्ष के दौरान करायें गए कार्यों का कोटेशन या टेंडर से सम्बन्धित पत्रावली नहीं दी गई।

4- जी०एस०टी० एवं आयकर कटौती से सम्बन्धित जमा प्रमाणपत्र नहीं दिया गया।

5- वित्तीय वर्ष के दौरान कराये गए कार्यों का एम०बी० भी नहीं दिया गया।

6- लेखा परीक्षा में मस्टर रोल भी नहीं दिया गया।

7-ग्राम निधि की कोशबही (रूप पत्र संख्या-6) भी नहीं दिया गया।

8- मनरेगा की कोशबही,मस्टर रोल,एम०बी० एवं व्यय प्रमाणक आदि नहीं दिया गया।

9- ग्राम निधि द्वारा व्यय धनराशि का बिल या बाउचर या व्यय प्रमाणक नहीं दिया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज के वित्त एवं लेखा प्रबंध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया जाता है तो दर्शाये गए व्यय धनराशि को गबन मानते हुये व्यय धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से संयुक्त रूप से की जाएगी।

ग्राम पंचायत शिवपुर उर्फ करनछपरा में आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि से कुल ₹0 1719006.00 विभिन्न कार्यों हेतु व्यय दर्शित है किन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः व्यय प्रमाणक के अभाव में दर्शित समस्त व्यय धनराशि को अपहरण की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री संजय सिंह एवं सचिव श्री अवधेश पाण्डेय से किया जाना अपेक्षित है।

163.ग्राम पंचायत का नाम- सुकरौली
प्रस्तर-241

विकास खंड- मुरलीछपरा

ग्राम पंचायत का नाम- सुकरौली को वित्तीय वर्ष 2020-21 में केन्द्रीय वित्त एवं राज्य वित्त के तहत ₹0 1435608.00 प्राप्त हुआ एवं वर्ष के दौरान ₹0 937005.00 व्यय दर्शित है (प्रिया साफ्ट के अनुसार) इस दर्शित व्यय धनराशि पर निम्नलिखित आपत्तियां हैं-

1-(क) ग्राम पंचायत अधिकारी श्री बलराम यादव से बार-बार अभिलेख मांगे जाने के बाद भी कोई भी

अभिलेख नहीं दिया गया। 22-12-2021 को अभिलेख के लिए पत्र दिया गया।

(ख) सहायक विकास अधिकारी (पं०) श्री अवधेश पाण्डेय के माध्यम से भी बार-बार पत्राचार किया गया अभिलेख के लिए दिनांक 17-12-2021 एवं 29-12-2021 को पत्राचार किया गया।

(ग) जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से भी दिनांक 13-1-2022 को पत्राचार किया गया अभिलेख के लिए तब पर भी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री बलराम यादव ने कोई भी अभिलेख नहीं दिया जिससे इनके द्वारा व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2- वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति से सम्बन्धित पत्रावली नहीं दी गई।

3- वर्ष के दौरान करायें गए कार्यों का कोटेशन या टेंडर से सम्बन्धित पत्रावली नहीं दी गई।

4- जी०एस०टी० एवं आयकर कटौती से सम्बन्धित जमा प्रमाणपत्र नहीं दिया गया।

5- वित्तीय वर्ष के दौरान करायें गए कार्यों का एम०बी० भी नहीं दिया गया।

6- लेखा परीक्षा में मस्टर रोल भी नहीं दिया गया।

7-ग्राम निधि की कोशबही (रूप पत्र संख्या-6) भी नहीं दिया गया।

8- मनरेगा की कोशबही,मस्टर रोल,एम०बी० एवं व्यय प्रमाणक आदि नहीं दिया गया।

9- ग्राम निधि द्वारा व्यय धनराशि का बिल या बाउचर या व्यय प्रमाणक नहीं दिया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज के वित्त एवं लेखा प्रबंध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया जाता है तो दर्शाये गए व्यय धनराशि को गबन मानते हुये व्यय धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से संयुक्त रूप से की जाएगी।

ग्राम पंचायत शिवपुर उर्फ करनछपरा में आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि से कुल ₹0 937005.00 विभिन्न कार्यों हेतु व्यय दर्शित है किन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः व्यय प्रमाणक के अभाव में दर्शित समस्त व्यय धनराशि को अपहरण की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री दीना नाथ एवं सचिव श्री अवधेश पाण्डेय से किया जाना अपेक्षित है।

164.

165. ग्राम पंचायत का नाम- दलकी

विकास खंड- मुरलीछपरा

प्रस्तर-242

ग्राम पंचायत का नाम- दलकी को वित्तीय वर्ष 2020-21 में केन्द्रीय वित्त एवं राज्य वित्त के तहत ₹0 2430359.00 प्राप्त हुआ एवं वर्ष के दौरान ₹0 1703111.00 व्यय दर्शित है (प्रिया साफ्ट के अनुसार) इस दर्शित व्यय धनराशि पर निम्नलिखित आपत्तियां हैं-

1-(क) ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रजनीश यादव से बार-बार अभिलेख मांगे जाने के बाद भी कोई भी

अभिलेख नहीं दिया गया। 22-12-2021 को अभिलेख के लिए पत्र दिया गया।

(ख) सहायक विकास अधिकारी (पं०) श्री अवधेश पाण्डेय के माध्यम से भी बार-बार पत्राचार किया गया अभिलेख के लिए दिनांक 17-12-2021 एवं 29-12-2021 को पत्राचार किया गया।

(ग) जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से भी दिनांक 13-1-2022 को पत्राचार किया गया अभिलेख के लिए तब पर भी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रजनीश यादव ने कोई भी अभिलेख नहीं दिया जिससे इनके द्वारा व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2- वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति से सम्बन्धित पत्रावली नहीं दी गई।

3- वर्ष के दौरान करायें गए कार्यों का कोटेशन या टेंडर से सम्बन्धित पत्रावली नहीं दी गई।

- 4- जी0एस0टी0 एवं आयकर कटौती से सम्बन्धित जमा प्रमाणपत्र नहीं दिया गया।
- 5- वित्तीय वर्ष के दौरान कराये गए कार्यों का एम0बी0 भी नहीं दिया गया।
- 6- लेखा परीक्षा मे मस्टर रोल भी नहीं दिया गया।
- 7-ग्राम निधि की कोशबही (रूप पत्र संख्या-6) भी नहीं दिया गया।
- 8- मनरेगा की कोशबही,मस्टर रोल,एम0बी0 एवं व्यय प्रमाणक आदि नहीं दिया गया।
- 9- ग्राम निधि द्वारा व्यय धनराशि का बिल या बाउचर या व्यय प्रमाणक नहीं दिया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज के वित्त एवं लेखा प्रबंध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया जाता है तो दर्शाये गए व्यय धनराशि को गबन मानते हुये व्यय धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से संयुक्त रूप से की जाएगी।

ग्राम पंचायत दलकी में आलोच्य वर्ष 2020-21 मे ग्राम निधि से कुल ₹0 1703111.00 विभिन्न कार्यों हेतु व्य दर्शित है किन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अत व्यय प्रमाणक के अभाव में दर्शित समस्त व्यय धनराशि को अपहरण की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री स्वामीनाथ यादव एवं सचिव श्री रजनीश यादव से किया जाना अपेक्षित है।

165. ग्राम पंचायत का नाम- मुरारपट्टी विकास खंड- मुरलीछपरा
प्रस्तर-243

ग्राम पंचायत का नाम- मुरारपट्टी को वित्तीय वर्ष 2020-21 में केन्द्रीय वित्त एवं राज्य वित्त के तहत ₹0 1346816.00 प्राप्त हुआ एवं वर्ष के दौरान ₹0 906613.00 व्यय दर्शित है (प्रिया साफ्ट के अनुसार) इस दर्शित व्यय धनराशि पर निम्नलिखित आपत्तियां हैं-

- 1-(क) ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रजनीश यादव से बार-बार अभिलेख मांगे जाने के बाद भी कोई भी अभिलेख नहीं दिया गया। 22-12-2021 को अभिलेख के लिए पत्र दिया गया।
- (ख) सहायक विकास अधिकारी (पं0) श्री अवधेश पाण्डेय के माध्यम से भी बार-बार पत्राचार किया गया अभिलेख के लिए दिनांक 17-12-2021 एवं 29-12-2021 को पत्राचार किया गया।
- (ग) जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से भी दिनांक 13-1-2022 को पत्राचार किया गया अभिलेख के लिए तब पर भी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रजनीश यादव ने कोई भी अभिलेख नहीं दिया जिससे इनके द्वारा व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 2- वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति से सम्बन्धित पत्रावली नहीं दी गई।
- 3- वर्ष के दौरान कराये गए कार्यों का कोटेशन या टेंडर से सम्बन्धित पत्रावली नहीं दी गई।
- 4- जी0एस0टी0 एवं आयकर कटौती से सम्बन्धित जमा प्रमाणपत्र नहीं दिया गया।
- 5- वित्तीय वर्ष के दौरान कराये गए कार्यों का एम0बी0 भी नहीं दिया गया।
- 6- लेखा परीक्षा मे मस्टर रोल भी नहीं दिया गया।
- 7-ग्राम निधि की कोशबही (रूप पत्र संख्या-6) भी नहीं दिया गया।
- 8- मनरेगा की कोशबही,मस्टर रोल,एम0बी0 एवं व्यय प्रमाणक आदि नहीं दिया गया।
- 9- ग्राम निधि द्वारा व्यय धनराशि का बिल या बाउचर या व्यय प्रमाणक नहीं दिया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज के वित्त एवं लेखा प्रबंध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया जाता है तो दर्शाये गए व्यय धनराशि को गबन मानते हुये व्यय धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से संयुक्त रूप से की जाएगी।

ग्राम पंचायत मुरारपट्टी में आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि से कुल ₹0 906613.00 विभिन्न कार्यो हेतु व्य दर्शित है किन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अत व्यय प्रमाणक के अभाव में दर्शित समस्त व्यय धनराशि को अपहरण की श्रेणी में सम्मलित किया जाता है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री दयाशंकर पाठक एवं सचिव श्री रजनीश यादव से किया जाना अपेक्षित है।

166. ग्राम पंचायत का नाम- इब्राहिमाबाद नौवार विकास खंड- मुरलीछपरा
प्रस्तर-244
- ग्राम पंचायत का नाम- इब्राहिमाबाद नोयाइरार को वित्तीय वर्ष 2020-21 में केन्द्रीय वित्त एवं राज्य वित्त के तहत ₹0 3773814.00 प्राप्त हुआ एवं वर्ष के दौरान ₹0 2598226.00 व्यय दर्शित है (प्रिया साफ्ट के अनुसार) इस दर्शित व्यय धनराशि पर निम्नलिखित आपत्तियां हैं-
- 1-(क) ग्राम पंचायत अधिकारी श्री बलराम यादव से बार-बार अभिलेख मांगे जाने के बाद भी कोई भी अभिलेख नहीं दिया गया। 22-12-2021 को अभिलेख के लिए पत्र दिया गया।
 - (ख) सहायक विकास अधिकारी (पं०) श्री अवधेश पाण्डेय के माध्यम से भी बार-बार पत्राचार किया गया अभिलेख के लिए दिनांक 17-12-2021 एवं 29-12-2021 को पत्राचार किया गया।
 - (ग) जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से भी दिनांक 13-1-2022 को पत्राचार किया गया अभिलेख के लिए तब पर भी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री बलराम यादव ने कोई भी अभिलेख नहीं दिया जिससे इनके द्वारा व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी।
 - 2- वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति से सम्बन्धित पत्रावली नहीं दी गई।
 - 3- वर्ष के दौरान कराये गए कार्यो का कोटेशन या टेंडर से सम्बन्धित पत्रावली नहीं दी गई।
 - 4- जी०एस०टी० एवं आयकर कटौती से सम्बन्धित जमा प्रमाणपत्र नहीं दिया गया।
 - 5- वित्तीय वर्ष के दौरान कराये गए कार्यो का एम०बी० भी नहीं दिया गया।
 - 6- लेखा परीक्षा में मस्टर रोल भी नहीं दिया गया।
 - 7-ग्राम निधि की कोशबही (रूप पत्र संख्या-6) भी नहीं दिया गया।
 - 8- मनरेगा की कोशबही,मस्टर रोल,एम०बी० एवं व्यय प्रमाणक आदि नहीं दिया गया।
 - 9- ग्राम निधि द्वारा व्यय धनराशि का बिल या बाउचर या व्यय प्रमाणक नहीं दिया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज के वित्त एवं लेखा प्रबंध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया जाता है तो दर्शाये गए व्यय धनराशि को गबन मानते हुये व्यय धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से संयुक्त रूप से की जाएगी।

ग्राम पंचायत इब्राहिमाबाद नोयाइरार में आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि से कुल ₹0 2598226.00 विभिन्न कार्यो हेतु व्य दर्शित है किन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अत व्यय प्रमाणक के अभाव में दर्शित समस्त व्यय धनराशि को अपहरण की श्रेणी में सम्मलित किया जाता है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री बच्चा जी यादव एवं सचिव श्री रजनीश यादव से किया जाना अपेक्षित है।

167. ग्राम पंचायत का नाम- चाँद दीयर विकास खंड- मुरलीछपरा
प्रस्तर-245
- ग्राम पंचायत का नाम- चाँद दीयर को वित्तीय वर्ष 2020-21 में केन्द्रीय वित्त एवं राज्य वित्त के तहत कराये गए कार्यो का विवरण निम्नलिखित है- ई-स्वराज से विवरण

क्रम०	कार्य का विवरण	सामाग्री	मजदूरी	योग
1	ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	796300	-	796300
2	ग्राम पंचायत में इंडिया मार्क-2 फर्ष निर्माण कार्य	297000	-	297000
3	खुले में शौचालय मुक्त बोर्ड एवं शौचालय पर स्टिकर कार्य	20000	-	20000

4	प्रशासनिक मद पर व्यय	30032	-	30032
5	एल.ई.डी. स्ट्रीट लाइट कार्य	798000	-	798000
6	कोविड-19 में सफल होने के लिए सेनेटाइजर,क्लोरीन ब्लीचिंग एवं फनायल छिड़काव के लिए व्यय	419400	-	419400
7	ग्राम पंचायत में सोलर लाइट की स्थापना कार्य	199800	-	199800
8	ग्राम पंचायत में सुख जलपूर्ति हेतु आर.ओ. प्लांट स्थापना कार्य	2214000	-	2214000
9	पी.एम.ए वाई (जी)आवास साइडिंग पर कार्य	108000	-	108000
10	कार्य योजना फीडिंग पर व्यय	24738	-	24738
11	ग्राम पंचायत में मास्क वितरण पर व्यय	62560	-	62560
12	कोरोना जागरूकता हेतु फलेक्स बोर्ड का भुगतान	50250	-	50250
13	कायाकल्प के तहत वाटर सप्लाई का भुगतान	181068	-	181068
14	सेटेराइजर आटोमैटिक मशीन	42000	-	42000
15	डस्टबिन स्थापना कार्य	1111400	-	1111400
16	ग्राम पंचायत चांद दीयर में टोला फतेहराय पू.मा.वि.के कमरो मे टाइल्स स्थापना कार्य	345000	61520	406520
17	हैण्डपम्प रिबोर कार्य	796800	-	796800
18	ग्राम पंचायत सोनइरसा चांद दीयर के टोला फतेहराय प्रा0 वि0 के अतिरिक्त कक्ष,कीचन,शौचालय में आपरेसन कायाकल्प के तहत टाइल्स कार्य	335200	30525	365725
19	पी.एम.ए.वाई जी आधार साइडिंग किए गए अपात्रों का डीलिटेशन एवं फोटोस्टेट हेतु	74400	-	74400
20	ग्राम पंचायत चांद दीयर में टोला फतेहराया में पंचायत भवन का मरम्मत कार्य	360000	-	360000
21	ग्राम पंचायत चांद दीयर में सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य	270000	-	270000
22	ग्राम पंचायत चांद दीयर में सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य	202000	-	202000
23	ग्राम पंचायत चांद दीयर के प्रा.वि.टेकहा में आपरेशन कायाल्प के तहत कतरो मे टाइल्स लगाने का कार्य	343500	-	343500
24	ग्राम पंचायत चांद दीयर के बकुलहा नई बस्ती बिन्द बस्ती में पानी की टंकी लगाने पर व्यय	179900	-	179900
25	ग्राम पंचायत चांद दीयर जू.हाई.स्कूल टेकहा में कमरो में टाइल्स का कार्य वरामदा एवं आफिस में टाइल्स का कार्य	170000	-	170000
26	ग्राम पंचायत चांद दीयर जू.हाई.स्कूल टेकहा के वरामदा एवं आफिस में टाइल्स का कार्य	171000	-	171000
27	ग्राम पंचायत चांद दीयर में हाइमस्ट लाइट एवं स्ट्रीट स्थापना कार्य	589500	-	589500
28	ग्राम पंचायत चांद दीयर मे प्रा0वि0 बकुलहा में आपरेसन कायाकल्प के तहत अतिरिक्त कक्ष आदि में टाइल्स का कार्य	130000	-	130000

ग्राम पंचायत का नाम- चाँद दीयर को वित्तीय वर्ष 2020-21 में केन्द्रीय वित्त एवं राज्य वित्त के तहत ₹0 7948581.00 प्राप्त हुआ एवं वर्ष के दौरान ₹0 9431711.00 व्यय दर्शित है (प्रिया साफ्ट के अनुसार) इस दर्शित व्यय धनराशि पर निम्नलिखित आपत्तियां हैं-

1-(क) ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजकुमार से बार-बार अभिलेख मांगे जाने के बाद भी कोई भी अभिलेख नहीं दिया गया। 22-12-2021 को अभिलेख के लिए पत्र दिया गया।

(ख) सहायक विकास अधिकारी (पं०) श्री अवधेश पाण्डेय के माध्यम से भी बार-बार पत्राचार किया गया अभिलेख के लिए दिनांक 17-12-2021 एवं 29-12-2021 को पत्राचार किया गया।

(ग) जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से भी दिनांक 13-1-2022 को पत्राचार किया गया अभिलेख के लिए तब पर भी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजकुमार ने कोई भी अभिलेख नहीं दिया जिससे इनके द्वारा व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2- वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति से सम्बन्धित पत्रावली नहीं दी गई।

3- वर्ष के दौरान करायें गए कार्यों का कोटेशन या टेंडर से सम्बन्धित पत्रावली नहीं दी गई।

4- जी०एस०टी० एवं आयकर कटौती से सम्बन्धित जमा प्रमाणपत्र नहीं दिया गया।

5- वित्तीय वर्ष के दौरान करायें गए कार्यों का एम०बी० भी नहीं दिया गया।

6- लेखा परीक्षा में मस्टर रोल भी नहीं दिया गया।

7-ग्राम निधि की कोशबही (रूप पत्र संख्या-6) भी नहीं दिया गया।

8- मनरेगा की कोशबही,मस्टर रोल,एम०बी० एवं व्यय प्रमाणक आदि नहीं दिया गया।

9- ग्राम निधि द्वारा व्यय धनराशि का बिल या बाउचर या व्यय प्रमाणक नहीं दिया गया।

10- ग्राम पंचायत द्वारा 9 आर०ओ० क्रय दर्शित है ई-ग्राम स्वराज के केशबुक के अनुसार लेकिन लगाने के साथ के स्थान का विवरण नहीं है साथ ही साथ विभागीय अधिकारियों का आदेश लिया गया है की नहीं इसकी भी जांच होनी चाहिए।

11- ग्राम पंचायत द्वारा कार्य विवरण तालिका में दर्शित क्रमांक संख्या 3,13,20,21,22,23,24,25,26 एवं 28 कार्यों हेतु सामग्री क्रय किया गया दर्शित है लेकिन इन कार्यों पर मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है, जबकि बिना मजदूरी के कार्य नहीं हो सकता है। इस प्रकार से सभी कार्य काल्पनिक प्रतीत होता है।

12-ग्राम पंचायत द्वारा पी.एम.ए वाई जी आवास साईडिंग एवं अपात्रो का डिलिटेसन हेतु ₹0 182700.00 व्यय दर्शित है।ग्राम विकास अधिकारी इन सब कार्यों के लिए प्रशिक्षित होता है। यह व्यय अनुचित प्रतीत होता है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इन ओर आकर्षित किया जाता है।

13- ग्राम पंचायत द्वारा इस्टबिन क्रय हेतु ₹0 1111400.00 दर्शित है। इस्टबिन लगाने का स्थान का नाम नहीं दर्शित है एवं विभागीय अधिकारियों का आदेश लिया गया है की नहीं। इस ओर अवभागीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज के वित्त एवं लेखा प्रबंध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया जाता है तो दर्शाये गए व्यय धनराशि को गबन मानते हुये व्यय धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से संयुक्त रूप से की जाएगी।

ग्राम पंचायत चाँद दीयर में आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि से कुल ₹0 9431711.00 विभिन्न कार्यों हेतु व्यय दर्शित है किन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः व्यय प्रमाणक के अभाव में दर्शित समस्त व्यय धनराशि को अपहरण की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती कृष्णा देवी एवं सचिव श्री राजकुमार से किया जाना अपेक्षित है। साथ ही साथ शासन के आदेशानुसार 25-12-2020 के बाद कार्यों को कराने के लिए प्रशासक एवं सचिव उत्तरदायी हैं। 25/12-2020 के बाद से व्यय धनराशि की ब्याज सहित वसूली प्रशासक श्री राम आशीष खंड विकास अधिकारी एवं सचिव श्री राजकुमार से किया जाना अपेक्षित है।

168. ग्राम पंचायत का नाम- इब्राहिमाबाद उपरवार विकास खंड- मुरलीछपरा
प्रस्तर-246

ग्राम पंचायत का नाम- इब्राहिमाबाद उपरवार को वित्तीय वर्ष 2020-21 में केन्द्रीय वित्त एवं राज्य वित्त के तहत ₹0 13614198.00 प्राप्त हुआ एवं वर्ष के दौरान ₹0 15043215.00 व्यय दर्शित है इस दर्शित व्यय धनराशि पर निम्नलिखित आपत्तियां हैं-

1-(क) ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अरविन्द कुमार सिंह से बार-बार अभिलेख मांगे जाने के बाद भी कोई भी अभिलेख नहीं दिया गया। 22-12-2021 को अभिलेख के लिए पत्र दिया गया।

(ख) सहायक विकास अधिकारी (पं०) के माध्यम से भी बार-बार पत्राचार किया गया अभिलेख के लिए दिनांक 17-12-2021 एवं 29-12-2021 को पत्राचार किया गया।

(ग) जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से भी दिनांक 13-1-2022 को पत्राचार किया गया अभिलेख के लिए तब पर भी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अरविन्द कुमार मौर्य ने कोई भी अभिलेख नहीं दिया जिससे इनके द्वारा व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी।

- 2- वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति से सम्बन्धित पत्रावली नहीं दी गई।
- 3- वर्ष के दौरान करायें गए कार्यों का कोटेशन या टेंडर से सम्बन्धित पत्रावली नहीं दी गई।
- 4- जी०एस०टी० एवं आयकर कटौती से सम्बन्धित जमा प्रमाणपत्र नहीं दिया गया।
- 5- वित्तीय वर्ष के दौरान करायें गए कार्यों का एम०बी० भी नहीं दिया गया।
- 6- लेखा परीक्षा में मस्टर रोल भी नहीं दिया गया।
- 7- मनरेगा की कोशबही, मस्टर रोल, एम०बी० एवं व्यय प्रमाणक आदि नहीं दिया गया।
- 8- ग्राम निधि द्वारा व्यय धनराशि का बिल या बाउचर या व्यय प्रमाणक नहीं दिया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज के वित्त एवं लेखा प्रबंध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया जाता है तो दर्शाये गए व्यय धनराशि को गबन मानते हुये व्यय धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से संयुक्त रूप से की जाएगी।

ग्राम पंचायत इब्राहिमाबाद उपरवार में आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि से कुल ₹0 15043215.00 विभिन्न कार्यों हेतु व्यय दर्शित है किन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः व्यय प्रमाणक के अभाव में दर्शित समस्त व्यय धनराशि को अपहरण की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती देवान्ती देवी एवं सचिव श्री अरविन्द कुमार मौर्य से किया जाना अपेक्षित है। शासना के आदेशानुसार 25-12-2021 से ग्राम पंचायत में कार्य कराने के लिए प्रशासक एवं सचिव उत्तरदायी हैं। अतः 25-12-2021 से 31-3-2022 तक व्यय धनराशि की ब्याज सहित वसूली प्रशासक श्री राम आशीष खण्ड विकास अधिकारी एवं सचिव श्री अरन्दि मौर्य से किया जाना अपेक्षित है।

169. ग्राम पंचायत का नाम- - मुरलीछपरा विकास खंड- मुरलीछपरा
प्रस्तर-247

ग्राम पंचायत का नाम- - मुरलीछपरा को वित्तीय वर्ष 2020-21 में केन्द्रीय वित्त एवं राज्य वित्त के तहत ₹05150163.00 प्राप्त हुआ एवं वर्ष के दौरान ₹0 3632431.00 व्यय दर्शित है इस दर्शित व्यय धनराशि पर निम्नलिखित आपत्तियां हैं-

1-(क) ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अरविन्द कुमार मौर्य से बार-बार अभिलेख मांगे जाने के बाद भी कोई भी अभिलेख नहीं दिया गया। 22-12-2021 को अभिलेख के लिए पत्र दिया गया।

(ख) सहायक विकास अधिकारी (पं०) के माध्यम से भी बार-बार पत्राचार किया गया अभिलेख के लिए दिनांक 17-12-2021 एवं 29-12-2021 को पत्राचार किया गया।

(ग) जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से भी दिनांक 13-1-2022 को पत्राचार किया गया अभिलेख के लिए तब पर भी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अरविन्द कुमार मौर्य ने कोई भी अभिलेख नहीं दिया जिससे इनके द्वारा व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी।

- 2- वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति से सम्बन्धित पत्रावली नहीं दी गई।
- 3- वर्ष के दौरान करायें गए कार्यों का कोटेशन या टेंडर से सम्बन्धित पत्रावली नहीं दी गई।
- 4- जी०एस०टी० एवं आयकर कटौती से सम्बन्धित जमा प्रमाणपत्र नहीं दिया गया।
- 5- वित्तीय वर्ष के दौरान करायें गए कार्यों का एम०बी० भी नहीं दिया गया।
- 6- लेखा परीक्षा में मस्टर रोल भी नहीं दिया गया।
- 7- मनरेगा की कोशबही, मस्टर रोल, एम०बी० एवं व्यय प्रमाणक आदि नहीं दिया गया।

8- ग्राम निधि द्वारा व्यय धनराशि का बिल या बाउचर या व्यय प्रमाणक नहीं दिया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज के वित्त एवं लेखा प्रबंध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया जाता है तो दर्शाये गए व्यय धनराशि को गबन मानते हुये व्यय धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से संयुक्त रूप से की जाएगी।

ग्राम पंचायत मुरलीछपरा में आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि से कुल ₹0 3632431.00 विभिन्न कार्यों हेतु व्यय दर्शित है किन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः व्यय प्रमाणक के अभाव में दर्शित समस्त व्यय धनराशि को अपहरण की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री रमाशंकर सिंह एवं सचिव श्री अरविन्द कुमार मौर्य से किया जाना अपेक्षित है। शासनादेश के आदेशानुसार 25-12-2021 से ग्राम पंचायत में कार्य कराने के लिए प्रशासक एवं सचिव उत्तरदायी हैं। अतः 25-12-2021 से 31-3-2022 तक व्यय धनराशि की ब्याज सहित वसूली प्रशासक श्री राम आशीष खण्ड विकास अधिकारी एवं सचिव श्री अरविन्द्र मौर्य से किया जाना अपेक्षित है।

170. ग्राम पंचायत का नाम- दलन छपरा विकास खंड- मुरलीछपरा

171. प्रस्तर-248

ग्राम पंचायत का नाम- दलन छपरा को वित्तीय वर्ष 2020-21 में केन्द्रीय वित्त एवं राज्य वित्त के तहत ₹0 6016546.00 प्राप्त हुआ एवं वर्ष के दौरान ₹0 4523086.00 व्यय दर्शित है इस दर्शित व्यय धनराशि पर निम्नलिखित आपत्तियां हैं-

1-(क) ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अरविन्द कुमार मौर्य से बार-बार अभिलेख मांगे जाने के बाद भी कोई भी अभिलेख नहीं दिया गया। 22-12-2021 को अभिलेख के लिए पत्र दिया गया।

(ख) सहायक विकास अधिकारी (पं०) के माध्यम से भी बार-बार पत्राचार किया गया अभिलेख के लिए दिनांक 17-12-2021 एवं 29-12-2021 को पत्राचार किया गया।

(ग) जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से भी दिनांक 13-1-2022 को पत्राचार किया गया अभिलेख के लिए तब पर भी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजीत कुमार ने कोई भी अभिलेख नहीं दिया जिससे इनके द्वारा व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2- वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति से सम्बन्धित पत्रावली नहीं दी गई।

3- वर्ष के दौरान करायें गए कार्यों का कोटेशन या टेंडर से सम्बन्धित पत्रावली नहीं दी गई।

4- जी०एस०टी० एवं आयकर कटौती से सम्बन्धित जमा प्रमाणपत्र नहीं दिया गया।

5- वित्तीय वर्ष के दौरान करायें गए कार्यों का एम०बी० भी नहीं दिया गया।

6- लेखा परीक्षा में मस्टर रोल भी नहीं दिया गया।

7- मनरेगा की कोशबही, मस्टर रोल, एम०बी० एवं व्यय प्रमाणक आदि नहीं दिया गया।

8- ग्राम निधि द्वारा व्यय धनराशि का बिल या बाउचर या व्यय प्रमाणक नहीं दिया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज के वित्त एवं लेखा प्रबंध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया जाता है तो दर्शाये गए व्यय धनराशि को गबन मानते हुये व्यय धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से संयुक्त रूप से की जाएगी।

ग्राम पंचायत दलन छपरा में आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि से कुल ₹0 4523086.00 विभिन्न कार्यों हेतु व्यय दर्शित है किन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः व्यय प्रमाणक के अभाव में दर्शित समस्त व्यय धनराशि को अपहरण की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती उषा देवी एवं सचिव श्री अजीत कुमार से किया जाना अपेक्षित है। शासनादेश के आदेशानुसार 25-12-2021 से ग्राम पंचायत में कार्य कराने के लिए प्रशासक एवं सचिव उत्तरदायी हैं। अतः 25-12-2021 से 31-3-2022 तक व्यय धनराशि की वसूली प्रशासक श्री राम आशीष खण्ड विकास अधिकारी एवं सचिव श्री अजीत कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

172. ग्राम पंचायत का नाम- सोनबरसा

विकास खण्ड- मुरलीछपरा

प्रस्तर-249

ग्राम पंचायत सोनबरसा में पशुपति शर्मा के घर से मेन नाला तक ढक्कन सहित नाली निर्माण कार्य कराया गया दर्शित है। इस कार्य हेतु सामग्री श्री हनुमान जी कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर्स शंकरपुर बलिया 27001 से क्रम की गई दर्शित है। पत्रावली में जो सेल इनवाइस है उस पर टीन नं0 09285607982 एस, सीरियल नं0 752, बुक नं0 16 एवं दिनांक 09-11-2020 अंकित है। शासन द्वारा जुलाई 2017 से जी.एस.टी. एक्ट लागू किया गया है तब से फर्म को जी.एस.टी. इन नं0 लेना अनिवार्य है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा जो सेल इनवास प्रयुक्त की गई है वह फर्जी है। ग्राम प्रधान, सचिव एवं फर्म द्वारा ₹0 407693.00 अपहरित कर लिया गया है। इस कार्य पर मजदूरी भी ₹0 77240.00 व्यय दर्शित है। इस प्रकार ग्राम प्रधान एवं सचिव ₹0 484933.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री प्रेम कुमार गोड एवं सचिव श्री मनोज राम से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-250

ग्राम पंचायत सोनबरसा में वित्तीय वर्ष 2020-21 में केन्द्रीय वित्त एवं राज्य वित्त के तहत कराये गए कार्यों का विवरण निम्नलिखित है-

क्रमांक	कार्य का विवरण	सामग्री	मजदूरी	योग
1	ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर हैंडपम्प मरम्मत कार्य	324320.00		324320.00
2	गोपाल के घर से भृगु यादव के घर तक नाली निर्माण	-	60480.00	60480.00
3	मुन्ना मिश्रा के घर से ग्राम समाज की गढही तक नाली निर्माण	-	18580.00	18580.00
4	हाई मास्क लाइट पर व्यय	640000.00	-	640000.00
5	पन्ना सेठ के दुकान से लक्ष्मी के घर तक इंटरलाकिंग पेवर्स ब्लांक कार्य	-	35020.00	35020.00
6	कोविड -19 में सफल होने के लिए सेनेटाइजर, क्लोरीन ब्लीचिंग एवं फेनायल छिड़काव के लिए व्यय जागरूकता हेतु बोर्ड मास्क	561900.00	-	561900.00
7	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य	192400.00	55450.00	247850.00
8	सतन के घर से धीरेश के घर तक इंटरलाकिंग कार्य	-	33660.00	33660.00
9	प्राथमिक विद्यालय सेवक टोला में टाइल्स निर्माण कार्य	693293	20560.00	713853.00
10	ग्राम प्रधान का मानदेय	38500.00	-	38500.00
11	प्रीतम छपरा में पी.डटल्यू.डी. से रामायण के घर तक इंटरलाकिंग कार्य	326666.00	93790.00	420456.00
12	ग्राम पंचायत सोनबरसा में लालगंज पुलिस चौकी में चबूतरा निर्माण	159760.00	35530.00	195290.00
13	गोवश आश्रय स्थल में पशुओं के दाना-पानी साफ सफाई एवं मजदूरी	28500.00	-	28500.00
14	हैंडपम्प रिबोर	833585.00	-	833585.00
15	प्राथमिक विद्यालय डोमन टोला में टाइल्स निर्माण कार्य	300547.00	37360.00	337907.00
16	जूनियर बालिका विद्यालय के प्रांगण में नाला निर्माण कार्य	653360.00	62450.00	715810.00
17	प्राथमिक विद्यालय सोनबरसा उच्च माध्यमिक पर टाइल्स स्थापना कार्य निर्माण कार्य	199800.00	30900.00	230700.00
18	महंत के घर से राजू के घर होते हुये मेन रास्ते तक मिट्टी सहित पेवर्स ब्लाक कार्य	365567.00	56570.00	422137.00
19	प्राथमिकता पाठशाला मठ योगेंद्र गिरि में टाइल्स निर्माण कार्य	343000.00	54560.00	397560.00
20	प्राथमिक पाठशाला मठ योगेंद्र गिरि में बांझी वाल निर्माण कार्य	262700.00	63520.00	326220.00
21	पशु आश्रय शेड, भूसा गोदाम व गार्ड रूम निर्माण कार्य	-	83760.00	83760.00
22	ग्राम पंचायत सोनबरसा में सुन्दरीकरण कार्य	187900.00	57240.00	245140.00

23	ग्राम पंचायत सोनबरसा में अयोध्या धोबी के घर से मेन नाला तक ढक्कन सहित नाली निर्माण कार्य	201748.00	36020.00	237768.00
24	अनिल के घर से मेन गड़ही तक नाली निर्माण कार्य	150190.00	28480.00	178670.00
25	प्रीतम छपरा में राधे के घर से मेन नाली तक ढक्कन सहित नाली निर्माण कार्य	327900.00	51200.00	379100.00
26	ग्राम पंचायत सोनबरसा में पशुपति शर्मा के घर से मेन नाला तक ढक्कन सहित नाली निर्माण कार्य	407693.00	77240.00	484933.00
27	प्राथमिक विद्यालय नं.-1 में बच्चों के बैठने हेतु बेंच एवं डेस्क	188460.00	-	188460.00
28	उच्चतर प्राथमिक विद्यालय सोनबरसा में बच्चों के बैठने हेतु बेंच एवं डेस्क	188460.00	-	188460.00
29	उच्चतर प्राथमिक विद्यालय रामनगर में बच्चों के बैठने हेतु बेंच एवं डेस्क	198000.00	-	198000.00
30	प्राथमिक विद्यालय डोमन टोला में बेंच एवं डेस्क	198000.00	-	198000.00
31	प्राथमिक विद्यालय प्रीतम छपरा में डेस्क एवं बेंच	188463.00	-	188463.00
32	कन्या प्राथमिक विद्यालय सोनबरसा -2 में बेंच एवं डेस्क	188463.00	-	188463.00
33	प्राथमिक पाठशाला सोनबरसा-1 में आर.ओ.प्लांट मरम्मत कार्य	-	41675.00	41675.00
34	प्राथमिक विद्यालय प्रीतम छपरा में टाइल्स निर्माण कार्य	383168.00	-	383168.00
35	ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर सोखत निर्माण कार्य	329600.00	-	329600.00
36	राजश्री के घर के पीछे से मनोज सिंह के घर होते हुये लिंक रोड तक पेवर्स ब्लाक कार्य	166393.00	-	166393.00
37	कन्या प्राथमिक पाठशाला सोनबरसा-2 बाउंड्री वाल निर्माण कार्य	152000.00	-	152000.00
38	लालगंज में रामजी के घर से कब्रिस्तान तक पेवर्स ब्लाक कार्य	148561.00	-	148561.00
39	सोनबरसा मे अशोक राम के घर से शैलेन्द्र के घर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य	206487.00	-	206487.00
40	शैलेन्द्र के घर रामनाथ खेसारी के घर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य	205711.00	-	205711.00
41	अजनी लाल के घर से मेन नाले तक नाली निर्माण कार्य	107130.00	-	107130.00
42	पंकज सिंह के घर से राजू के घर तक पेवर्स ब्लाक कार्य	110266.00	-	110266.00
43	प्राथमिक विद्यालय जमीन बन्ध में आपरेशन कायाकल्प के तहत कार्य	133971.00	-	133971.00
44	प्राथमिक विद्यालय दलकी नं0-2 कायाकल्प योजना	205733.00	-	205733.00
45	सोनबरसा में राजू के घर से इनार तक मिट्टी सहित पेवर्स ब्लाक कार्य	107750.00	-	107750.00
46	प्राथमिक विद्यालय लालगंज नई बस्ती में कायाकल्प योजना के अंतर्गत टाइल्स का कार्य	138366.00	-	138366.00
47	डोमन टोला में अनिल सिंह के घर से शिवमंदिर तक मिट्टी सहित पेवर्स ब्लाक कार्य	107659.00	-	107659.00
48	प्राथमिक विद्यालय भगवानपुर में आपरेशन कायाकल्प के तहत व्यय	209394.00	-	209394.00
49	प्राथमिक विद्यालय रामनगर में आपरेशन कायाकल्प के तहत कार्य	97867.00	-	97867.00
50	पूर्व माध्यमिक विद्यालय भगवानपुर में आपरेशन कायाकल्प के तहत कार्य	210726.00	-	210726.00
51	आंगनवाणी केन्द्र सोनबरसा के भगवानपुर में कायाकल्प के तहत कार्य	56189.00	-	56189.00
52	ग्राम पंचायत सोनबरसा के प्रीतम छपरा में शिवजी सिंह के घर से भगवान सिंह के घर होते हुये मेन रोड तक मिट्टी सहित पेवर्स ब्लाक कार्य	200511	-	200511

ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित कार्यों पर निम्नलिखित आपत्तिया है:-

ग्राम पंचायत द्वारा कार्य विवरण तालिका में दर्शित क्रमांक संख्या 34 से लेकर 52 तक कार्यो हेतु सामग्री क्रय किया गया है। सामग्री क्रय की पुष्टि ग्राम निधि की कोष, ई ग्राम स्वराज के केषबुक एवं स्टेटमेन्ट से होती है लेकिन इन कार्यो पर मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है। बिना मजदूरी के कार्य हुआ नहीं माना जाता है। इन काल्पनिक कार्यो पर निम्नलिखित आपत्ति है:-

कार्य विवरण तालिका में दर्शित क्रमांक संख्या 34 से लेकर 52 तक कार्यो का पत्रावली भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई है।

1- लेखा परीक्षा में मस्टररोल भी नहीं दिया गया है।

1-वित्तीय,प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति से सम्बन्धित पत्रावली भी नहीं दी गई।

3- दर्शित कार्यो का कोटेशन या टेंडर से सम्बन्धित पत्रावली नहीं दी गई है।

4-दर्शित कार्यो का एम.बी. भी नहीं दिया गया है।

5- ग्राम निधि द्वारा बया धनराशि का बिल या व्यय प्रमाणक नहीं दिया गया है।

6- जी.एस.टी. एवं आयकर कटौती से सम्बन्धित जमा प्रमाण-पत्र भी नहीं प्रस्तुत किया गया है।

ग्राम पंचायत द्वारा कार्य विवरण तालिका में दर्शित क्रमांक संख्या 34 से लेकर 52 तक ₹0 3277482.00 सामग्री क्रय हेतु निमांला गया है लेकिन इस पर मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है। बिना मजदूरी के कार्य नहीं हो सकता है। इस प्रकार ये कार्य काल्पनिक है। प्रधान एवं सचिव द्वारा मिलकर ₹0 3277482.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री प्रेम कुमार गोंड एवं सचिव मनोज राम एवं प्रशासक श्री राम आशीष खंड विकास अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है।

173. ग्राम पंचायत का नाम- कुकुरहां

विकास खण्ड- चिलकहर

प्रस्तर-251

ग्राम पंचायत कुकुरहां को वित्तीय वर्ष 2020-21 में केन्द्रीय वित्त एवं राज्य वित्त के तहत ₹0 1756232.00 प्राप्त हुआ एवं के दौरान ₹0 1069034.00 व्यय दर्शित है (प्रिया साफ्ट के अनुसार) इस दर्शित व्यय धनराशि पर निम्नलिखित आपत्तियां हैं-

1.(क) ग्राम विकास अधिकारी श्री पंकज कुमार गोंड से बार-बार अभिलेख मांगे जाने के बाद भी कोई भी दिया गया। 3-12-2021,6-12-2021,27-12-2021 एवं 28-3-2022 को अभिलेख के लिए पत्र दिया गया।

(ख) सहायक विकास अधिकारी (प) के माध्यम से भी बार-बार पत्राचार किया गया अभिलेख के लिए। दिनांक 3-9-2021,3-9-2021,18-11-2021,6-12-2021 एवं 28-3-2022 को अभिलेख के लिए पत्र दिया गया।

(ग) जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से भी दिनांक 29-12-2021को पत्राचार किया गया अभिलेख के लिए तब पर भी ग्राम पंचायत अधिकारी तब भी श्री पंकज कुमार ने कोई भी अभिलेख नहीं दिया जिसमें इनके द्वारा व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2. वित्तीय,प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति से सम्बन्धित पत्रावली नहीं दी गई।

3- वर्ष के दौरान करायें गए कार्यो का कोटेशन या टेंडर से सम्बन्धित पत्रावली नहीं दी गई।

4- जी0एस0टी0 एवं आयकर कटौती से सम्बन्धित जमा प्रमाणपत्र नहीं दिया गया।

5- वित्तीय वर्ष के दौरान करायें गए कार्यो का एम0बी0 भी नहीं दिया गया।

6- लेखा परीक्षा में मस्टर रोल भी नहीं दिया गया।

7-ग्राम निधि की कोषबही रूप (पत्र संख्या-6) भी नहीं दिया गया।

8- मनरेगा की कोषबही,मस्टर रोल,एम0बी0 एवं व्यय प्रमाणक आदि नहीं दिया गया।

9- ग्राम निधि द्वारा व्यय धनराशि का बिल या बाउचर या व्यय प्रमाणक नहीं दिया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज के वित्त एवं लेखा प्रबंध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया जाता है तो दर्शाये गए व्यय धनराशि को गबन मानते हुये व्यय धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से संयुक्त रूप से की जाएगी।

ग्राम पंचायत कुकुरहां में आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि से कुल ₹0 1069034.00 विभिन्न कार्यो हेतु व्यय दर्शित है किन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया

गया। अतः व्यय प्रमाणक के अभाव में दर्शित समस्त व्यय धनराशि को अपहरण की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। जिसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री हरिशंकर वर्मा एवं सचिव श्री पंकज कुमार गोंड से किया जाना अपेक्षित 25-12-2020 के बाद से व्यय धनराशि की वसूली प्रशासक जिला कृषि अधिकारी श्री विकेश कुमार पटेल एवं सचिव श्री पंकज कुमार गोंड से किया जाना अपेक्षित है।

174. ग्राम पंचायत का नाम- संवरा विकास खण्ड- चिलकहर

प्रस्तर-252

ग्राम पंचायत संवरा को वित्तीय वर्ष 2020-21 में केन्द्रीय वित्त एवं राज्य वित्त के तहत ₹0 3135669.00 प्राप्त हुआ एवं वर्ष के दौरान ₹0 5901866.00 व्यय दर्शित है (प्रिया साफ्ट के अनुसार) इस दर्शित व्यय धनराशि पर निम्नलिखित आपत्तियां हैं-

- 1.(क) ग्राम विकास अधिकारी श्री राजकमल से बार-बार अभिलेख मांगे जाने के बाद भी कोई भी दिया गया। 3-12-2021, 6-12-2021 एवं 27-12-2021 को अभिलेख के लिए पत्र दिया गया।
- (ख) सहायक विकास अधिकारी (प) के माध्यम से भी बार-बार पत्राचार किया गया अभिलेख के लिए। दिनांक 3-9-2021, 23-9-2021, एवं 6-12-2021 28-3-2022 को पत्राचार किया गया।
- (ग) जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से भी दिनांक 29-12-2021 को पत्राचार किया गया अभिलेख के लिए तब पर भी ग्राम पंचायत अधिकारी तब भी श्री राजकमल ने कोई भी अभिलेख नहीं दिया जिसमें इनके द्वारा व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी।
2. वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति से सम्बन्धित पत्रावली नहीं दी गई।
- 3- वर्ष के दौरान कराये गए कार्यों का कोटेशन या टेंडर से सम्बन्धित पत्रावली नहीं दी गई।
- 4- जी0एस0टी0 एवं आयकर कटौती से सम्बन्धित जमा प्रमाणपत्र नहीं दिया गया।
- 5- वित्तीय वर्ष के दौरान कराये गए कार्यों का एम0बी0 भी नहीं दिया गया।
- 6- लेखा परीक्षा में मस्टर रोल भी नहीं दिया गया।
- 7- ग्राम निधि की कोषबही रूप (पत्र संख्या-6) भी नहीं दिया गया।
- 8- मनरेगा की कोषबही, मस्टर रोल, एम0बी0 एवं व्यय प्रमाणक आदि नहीं दिया गया।
- 9- ग्राम निधि द्वारा व्यय धनराशि का बिल या बाउचर या व्यय प्रमाणक नहीं दिया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज के वित्त एवं लेखा प्रबंध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया जाता है तो दर्शाये गए व्यय धनराशि को गबन मानते हुये व्यय धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से संयुक्त रूप से की जाएगी।

ग्राम पंचायत संवरा में आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि से कुल ₹0 5901866.00 विभिन्न कार्यों हेतु व्यय दर्शित है किन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः व्यय प्रमाणक के अभाव में दर्शित समस्त व्यय धनराशि को अपहरण की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मंजू सिंह एवं सचिव श्री राजकमल से किया जाना अपेक्षित है। 25-12-2020 के साथ ही साथ शासन के आदेशानुसार 25-12-2020 के बाद कार्यों को कराने के लिए प्रशासक एवं सचिव उत्तरदायी थे। 25-12-2020 के बाद से व्यय धनराशि की वसूली ब्याज सहित प्रशासक श्री चौथी राम (सहायक विकास अधिकारी (पं)) एवं सचिव श्री राजकमल से किया जाना अपेक्षित है।

174-ग्राम पंचायत का नाम- हथौड़ी

विकास खण्ड- चिलकहर

प्रस्तर-253

ग्राम पंचायत हथौड़ी को वित्तीय वर्ष 2020-21 में केन्द्रीय वित्त एवं राज्य वित्त के तहत ₹0 3127233.00 प्राप्त हुआ एवं वर्ष के दौरान ₹0 2458524.00 व्यय दर्शित है (प्रिया साफ्ट के अनुसार) इस दर्शित व्यय धनराशि पर निम्नलिखित आपत्तियां हैं-

- 1.(क) ग्राम विकास अधिकारी श्री पंकज कुमार गोंड से बार-बार अभिलेख मांगे जाने के बाद भी कोई भी दिया गया। 3-12-2021, 6-12-2021, 27-12-2021 एवं 28-12-2022 को अभिलेख के लिए पत्र दिया गया।

(ख) सहायक विकास अधिकारी (प) के माध्यम से भी बार-बार पत्राचार किया गया अभिलेख के लिए। दिनांक 3-9-2021, 18-11-2021, 6-12-2021 एवं 28-3-2022 को पत्राचार किया गया।

(ग) जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से भी दिनांक 29-12-2021 को पत्राचार किया गया अभिलेख के लिए तब पर भी ग्राम पंचायत अधिकारी तब भी श्री पंकज कुमार गोंड ने कोई भी अभिलेख नहीं दिया जिसमें इनके द्वारा व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2. वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति से सम्बन्धित पत्रावली नहीं दी गई।

3- वर्ष के दौरान कराये गए कार्यों का कोटेशन या टेंडर से सम्बन्धित पत्रावली नहीं दी गई।

4- जी०एस०टी० एवं आयकर कटौती से सम्बन्धित जमा प्रमाणपत्र नहीं दिया गया।

5- वित्तीय वर्ष के दौरान कराये गए कार्यों का एम०बी० भी नहीं दिया गया।

6- लेखा परीक्षा में मस्टर रोल भी नहीं दिया गया।

7- ग्राम निधि की कोषबही रूप (पत्र संख्या-6) भी नहीं दिया गया।

8- मनरेगा की कोषबही, मस्टर रोल, एम०बी० एवं व्यय प्रमाणक आदि नहीं दिया गया।

9- ग्राम निधि द्वारा व्यय धनराशि का बिल या बाउचर या व्यय प्रमाणक नहीं दिया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज के वित्त एवं लेखा प्रबंध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया जाता है तो दर्शाये गए व्यय धनराशि को गबन मानते हुये व्यय धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से संयुक्त रूप से की जाएगी।

ग्राम पंचायत हथौड़ी में आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि से कुल ₹ 2458524.00 विभिन्न कार्यों हेतु व्यय दर्शित है किन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः व्यय प्रमाणक के अभाव में दर्शित समस्त व्यय धनराशि को अपहरण की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती शारदा देवी एवं सचिव श्री पंकज कुमार गोंड से किया जाना अपेक्षित है। 25-12-2020 के साथ ही साथ शासन के आदेशानुसार 25-12-2020 के बाद कार्यों को कराने के लिए प्रशासक एवं सचिव उत्तरदायी थे। 25-12-2020 के बाद से व्यय धनराशि की वसूली ब्याज सहित प्रशासक जिला कृषि अधिकारी विकेश कुमार पटेल एवं सचिव श्री पंकज कुमार गोंड से किया जाना अपेक्षित है।

175-ग्राम पंचायत का नाम- गुरगुजपुर

विकास खण्ड- चिलकहर

प्रस्तर-254

ग्राम पंचायत गुरगुजपुर को वित्तीय वर्ष 2020-21 में केन्द्रीय वित्त एवं राज्य वित्त के तहत ₹ 1593653.00 प्राप्त हुआ एवं वर्ष के दौरान ₹ 2288445.00 व्यय दर्शित है (प्रिया साफ्ट के अनुसार) इस दर्शित व्यय धनराशि पर निम्नलिखित आपत्तियां हैं-

1. (क) ग्राम विकास अधिकारी श्री राजमकमल से बार-बार अभिलेख मांगे जाने के बाद भी कोई भी दिया गया। 3-12-2021, 6-12-2021, 27-12-2021 को अभिलेख के लिए पत्र दिया गया।

(ख) सहायक विकास अधिकारी (प) के माध्यम से भी बार-बार पत्राचार किया गया अभिलेख के लिए। दिनांक 3-9-2021, 23-9-2021, 6-12-2021 को पत्राचार किया गया।

(ग) जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से भी दिनांक 29-12-2021 को पत्राचार किया गया अभिलेख के लिए तब पर भी ग्राम पंचायत अधिकारी तब भी श्री राजमकमल द्वारा कोई भी अभिलेख नहीं दिया जिसमें इनके द्वारा व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2. वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति से सम्बन्धित पत्रावली नहीं दी गई।

3- वर्ष के दौरान कराये गए कार्यों का कोटेशन या टेंडर से सम्बन्धित पत्रावली नहीं दी गई।

4- जी०एस०टी० एवं आयकर कटौती से सम्बन्धित जमा प्रमाणपत्र नहीं दिया गया।

5- वित्तीय वर्ष के दौरान कराये गए कार्यों का एम०बी० भी नहीं दिया गया।

6- लेखा परीक्षा में मस्टर रोल भी नहीं दिया गया।

7- ग्राम निधि की कोषबही रूप (पत्र संख्या-6) भी नहीं दिया गया।

8- मनरेगा की कोषबही, मस्टर रोल, एम०बी० एवं व्यय प्रमाणक आदि नहीं दिया गया।

9- ग्राम निधि द्वारा व्यय धनराशि का बिल या बाउचर या व्यय प्रमाणक नहीं दिया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज के वित्त एवं लेखा प्रबंध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया जाता है तो दर्शाये गए व्यय धनराशि को गबन मानते हुये व्यय धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से संयुक्त रूप से की जाएगी।

ग्राम पंचायत गुरगुजपुर में आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि से कुल ₹0 2288445.00 विभिन्न कार्यों हेतु व्यय दर्शित है किन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः व्यय प्रमाणक के अभाव में दर्शित समस्त व्यय धनराशि को अपहरण की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। जिसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती पौढरिया देवी सचिव श्री राजकमल एवं बृजभूषण राय से किया जाना अपेक्षित है। 25-12-2020 शासन के आदेशानुसार 25-12-2020 से ग्राम पंचायत में कार्य के लिए प्रशासक एवं सचिव उत्तरदायी थे। अतः 25-12-2020 से 31-3-2021 तक व्यय धनराशि की वसूली प्रशासक श्री चौथी राम (सहायक विकास अधिकारी (पं) एवं सचिव श्री राजकमल एवं बृजभूषण राय से वसूली किया जाना अपेक्षित है।

176-ग्राम पंचायत का नाम- नगपुरा विकास खण्ड- चिलकहर
प्रस्तर-255

ग्राम पंचायत नगपुरा को वित्तीय वर्ष 2020-21 में केन्द्रीय वित्त एवं राज्य वित्त के तहत ₹0 4075447.00 प्राप्त हुआ एवं वर्ष के दौरान ₹0 4545948.00 व्यय दर्शित है (प्रिया साफ्ट के अनुसार) इस दर्शित व्यय धनराशि पर निम्नलिखित आपत्तियां हैं-

- 1.(क) ग्राम विकास अधिकारी श्री रमेश कुमार यादव से बार-बार अभिलेख मांगे जाने के बाद भी कोई भी दिया गया। 27-12-2021 को अभिलेख के लिए पत्र दिया गया।
- (ख) सहायक विकास अधिकारी (प) के माध्यम से भी बार-बार पत्राचार किया गया अभिलेख के लिए। दिनांक 3-9-2021, 23-9-2021, 6-12-2021 को पत्राचार किया गया।
- (ग) जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से भी दिनांक 29-12-2021 को पत्राचार किया गया अभिलेख के लिए तब पर भी ग्राम विकास अधिकारी तब भी श्री रमेश कुमार यादव कोई भी अभिलेख नहीं दिया गया। जिसमें इनके द्वारा व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी।
2. वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति से सम्बन्धित पत्रावली नहीं दी गई।
- 3- वर्ष के दौरान करायें गए कार्यों का कोटेशन या टेंडर से सम्बन्धित पत्रावली नहीं दी गई।
- 4- जी0एस0टी0 एवं आयकर कटौती से सम्बन्धित जमा प्रमाणपत्र नहीं दिया गया।
- 5- वित्तीय वर्ष के दौरान करायें गए कार्यों का एम0बी0 भी नहीं दिया गया।
- 6- लेखा परीक्षा में मस्टर रोल भी नहीं दिया गया।
- 7- मनरेगा की कोशबही, मस्टर रोल, एम0बी0 एवं व्यय प्रमाणक आदि नहीं दिया गया।
- 8- ग्राम निधि द्वारा व्यय धनराशि का बिल या बाउचर या व्यय प्रमाणक नहीं दिया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज के वित्त एवं लेखा प्रबंध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया जाता है तो दर्शाये गए व्यय धनराशि को गबन मानते हुये व्यय धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से संयुक्त रूप से की जाएगी।

ग्राम पंचायत नगपुरा में आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि से कुल ₹0 4545948.00 विभिन्न कार्यों हेतु व्यय दर्शित है किन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः व्यय प्रमाणक के अभाव में दर्शित समस्त व्यय धनराशि को अपहरण की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। जिसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती कौशल्य देवी सचिव श्रीमती अर्चना सिंह एवं श्री नित्या सिंह से किया जाना अपेक्षित है। शासन के आदेशानुसार 25-12-2020 से ग्राम पंचायत में कार्य कराने के लिए प्रशासक एवं सचिव उत्तरदायी थे। अतः 25-12-2020 से 31-3-2021 तक व्यय धनराशि की वसूली प्रशासक श्री चौथी राम (सहायक विकास अधिकारी (पं) एवं सचिव श्रीमती अर्चना सिंह एवं श्री नित्या सिंह से वसूली किया जाना अपेक्षित है।

177.ग्राम पंचायत का नाम- नदौली उर्फ पियरही विकास खण्ड- चिलकहर

ग्राम पंचायत नदौली उर्फ पियरही को वित्तीय वर्ष 2020-21 में केन्द्रीय वित्त एवं राज्य वित्त के तहत ₹0 870233.00 प्राप्त हुआ एवं वर्ष के दौरान ₹0 876321.00 व्यय दर्शित है (प्रिया साफ्ट के अनुसार) इस दर्शित व्यय धनराशि पर निम्नलिखित आपत्तियां हैं-

- 1.(क) ग्राम विकास अधिकारी श्री पंकज कुमार गोड से बार-बार अभिलेख मांगे जाने के बाद भी कोई भी दिया गया। 3-12-2021,6-12-2021 एवं 27-12-2022 को अभिलेख के लिए पत्र दिया गया।
- (ख) सहायक विकास अधिकारी (प) के माध्यम से भी बार-बार पत्राचार किया गया अभिलेख के लिए। दिनांक 3-9-2021,18-11-2021,6-12-2021 एवं 28-3-2022 को पत्राचार किया गया।
- (ग) जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से भी दिनांक 29-12-2021 को पत्राचार किया गया अभिलेख के लिए तब पर भी ग्राम पंचायत अधिकारी तब भी श्री पंकज कुमार गोड द्वारा कोई भी अभिलेख नहीं दिया जिसमें इनके द्वारा व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी।
2. वित्तीय,प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति से सम्बन्धित पत्रावली नहीं दी गई।
- 3- वर्ष के दौरान करायें गए कार्यों का कोटेशन या टेंडर से सम्बन्धित पत्रावली नहीं दी गई।
- 4- जी0एस0टी0 एवं आयकर कटौती से सम्बन्धित जमा प्रमाणपत्र नहीं दिया गया।
- 5- वित्तीय वर्ष के दौरान करायें गए कार्यों का एम0बी0 भी नहीं दिया गया।
- 6- लेखा परीक्षा में मस्टर रोल भी नहीं दिया गया।
- 7-ग्राम निधि की कोषबही रूप (पत्र संख्या-6) भी नहीं दिया गया।
- 8- मनरेगा की कोषबही,मस्टर रोल,एम0बी0 एवं व्यय प्रमाणक आदि नहीं दिया गया।
- 9- ग्राम निधि द्वारा व्यय धनराशि का बिल या बाउचर या व्यय प्रमाणक नहीं दिया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज के वित्त एवं लेखा प्रबंध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर

8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया जाता है तो दर्शाये गए व्यय धनराशि को गबन मानते हुये व्यय धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से संयुक्त रूप से की जाएगी।

ग्राम पंचायत नदौली उर्फ पियरही में आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि से कुल ₹0 876321.00 विभिन्न कार्यों हेतु व्यय दर्शित है किन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः व्यय प्रमाणक के अभाव में दर्शित समस्त व्यय धनराशि को अपहरण की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। जिसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती सिरजावती देवी सचिव श्री पंकज कुमार गोड से किया जाना अपेक्षित है। 25-12-2020 के बाद से व्यय धनराशि की वसूली प्रशासक जिला कृषि अधिकारी श्री विकेश कुमार पटेल एवं सचिव श्री पंकज कुमार गोड से किया जाना अपेक्षित है।

178. ग्राम पंचायत का नाम- पाण्डेयपुर-2

विकास खण्ड- चिलकहर

ग्राम पंचायत पाण्डेयपुर-2 को वित्तीय वर्ष 2020-21 में केन्द्रीय वित्त एवं राज्य वित्त के तहत ₹0 1411079.00 प्राप्त हुआ एवं वर्ष के दौरान ₹0 837814.00 व्यय दर्शित है (प्रिया साफ्ट के अनुसार) इस दर्शित व्यय धनराशि पर निम्नलिखित आपत्तियां हैं-

- 1.(क) ग्राम विकास अधिकारी श्री पंकज कुमार गोड से बार-बार अभिलेख मांगे जाने के बाद भी कोई भी दिया गया। 3-12-2021,6-12-2021,27-12-2021 एवं 28-12-2022 को अभिलेख के लिए पत्र दिया गया।
- (ख) सहायक विकास अधिकारी (प) के माध्यम से भी बार-बार पत्राचार किया गया अभिलेख के लिए। दिनांक 3-9-2021,18-11-2021,6-12-2021 एवं 28-3-2022 को पत्राचार किया गया।
- (ग) जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से भी दिनांक 29-12-2021 को पत्राचार किया गया अभिलेख के लिए तब पर भी ग्राम पंचायत अधिकारी तब भी श्री पंकज कुमार गोड द्वारा कोई भी अभिलेख नहीं दिया जिसमें इनके द्वारा व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी।
2. वित्तीय,प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति से सम्बन्धित पत्रावली नहीं दी गई।
- 3- वर्ष के दौरान करायें गए कार्यों का कोटेशन या टेंडर से सम्बन्धित पत्रावली नहीं दी गई।
- 4- जी0एस0टी0 एवं आयकर कटौती से सम्बन्धित जमा प्रमाणपत्र नहीं दिया गया।

- 5- वित्तीय वर्ष के दौरान कराये गए कार्यों का एमओबीओ भी नहीं दिया गया।
- 6- लेखा परीक्षा में मस्टर रोल भी नहीं दिया गया।
- 7-ग्राम निधि की कोषबही रूप (पत्र संख्या-6) भी नहीं दिया गया।
- 8- मनरेगा की कोषबही,मस्टर रोल,एमओबीओ एवं व्यय प्रमाणक आदि नहीं दिया गया।
- 9- ग्राम निधि द्वारा व्यय धनराशि का बिल या बाउचर या व्यय प्रमाणक नहीं दिया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज के वित्त एवं लेखा प्रबंध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया जाता है तो दर्शाये गए व्यय धनराशि को गबन मानते हुये व्यय धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से संयुक्त रूप से की जाएगी।

ग्राम पंचायत पाण्डेयपुर-2 में आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि से कुल ₹0 837814.00 विभिन्न कार्यों हेतु व्यय दर्शित है किन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः व्यय प्रमाणक के अभाव में दर्शित समस्त व्यय धनराशि को अपहरण की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। जिसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री राजकिशोर सचिव श्री पंकज कुमार गोड से किया जाना अपेक्षित है। 25-12-2020 के बाद से व्यय धनराशि की वसूली ब्याज सहित प्रशासक जिला कृषि अधिकारी श्री विकेश कुमार पटेल एवं सचिव श्री पंकज कुमार गोंड से किया जाना अपेक्षित है।

179.ग्राम पंचायत का नाम- वीरपुर विकास खण्ड- चिलकहर

प्रस्तर-258

ग्राम पंचायत वीरपुर को वित्तीय वर्ष 2020-21 में केन्द्रीय वित्त एवं राज्य वित्त के तहत ₹0 1318759.00 प्राप्त हुआ एवं वर्ष के दौरान ₹0 731457.00 व्यय दर्शित है (प्रिया साफ्ट के अनुसार) इस दर्शित व्यय धनराशि पर निम्नलिखित आपत्तियां हैं-

- 1.(क) ग्राम विकास अधिकारी श्री पंकज कुमार गोड से बार-बार अभिलेख मांगे जाने के बाद भी कोई भी दिया गया। 3-12-2021,6-12-2021,27-12-2021 एवं 28-12-2022 को अभिलेख के लिए पत्र दिया गया।
- (ख) सहायक विकास अधिकारी (प) के माध्यम से भी बार-बार पत्राचार किया गया अभिलेख के लिए। दिनांक 3-9-2021,18-11-2021,6-12-2021 एवं 28-3-2022 को पत्राचार किया गया।
- (ग) जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से भी दिनांक 29-12-2021 को पत्राचार किया गया अभिलेख के लिए तब पर भी ग्राम पंचायत अधिकारी तब भी श्री पंकज कुमार गोड द्वारा कोई भी अभिलेख नहीं दिया जिसमें इनके द्वारा व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी।
2. वित्तीय,प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति से सम्बन्धित पत्रावली नहीं दी गई।
- 3- वर्ष के दौरान कराये गए कार्यों का कोटेशन या टेंडर से सम्बन्धित पत्रावली नहीं दी गई।
- 4- जीओएसओटीओ एवं आयकर कटौती से सम्बन्धित जमा प्रमाणपत्र नहीं दिया गया।
- 5- वित्तीय वर्ष के दौरान कराये गए कार्यों का एमओबीओ भी नहीं दिया गया।
- 6- लेखा परीक्षा में मस्टर रोल भी नहीं दिया गया।
- 7-ग्राम निधि की कोषबही रूप (पत्र संख्या-6) भी नहीं दिया गया।
- 8- मनरेगा की कोषबही,मस्टर रोल,एमओबीओ एवं व्यय प्रमाणक आदि नहीं दिया गया।
- 9- ग्राम निधि द्वारा व्यय धनराशि का बिल या बाउचर या व्यय प्रमाणक नहीं दिया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज के वित्त एवं लेखा प्रबंध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया जाता है तो दर्शाये गए व्यय धनराशि को गबन मानते हुये व्यय धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से संयुक्त रूप से की जाएगी।

ग्राम पंचायत वीरपुर में आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि से कुल ₹0 731457.00 विभिन्न कार्यो हेतु व्यय दर्शित है किन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः व्यय प्रमाणक के अभाव में दर्शित समस्त व्यय धनराशि को अपहरण की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। जिसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री धर्मात्मानंद यादव सचिव श्री पंकज कुमार गोड से किया जाना अपेक्षित है। 25-12-2020 के बाद से व्यय धनराशि की वसूली ब्याज सहित प्रशासक जिला कृषि अधिकारी श्री विकेश कुमार पटेल एवं सचिव श्री पंकज कुमार गोंड से किया जाना अपेक्षित है।

180. ग्राम पंचायत का नाम- कुंडल नियामत अली विकास खण्ड- सीयर
प्रस्तर-259

ग्राम पंचायत कुंडल नियामत अली वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता से वर्ष आलोच्य में (प्रस्तुत बैंक स्टेटमेंट के अनुसार) विभिन्न तिथियों में कुल ₹0 1083500.00 आहरित एवं विभिन्न मदों में व्यय किया गया है। इस व्यय के सापेक्ष प्रमाणक, बिल, वाउचर, रसीदें, कैशमेमो, मस्टररोल, चालान, नक्शा, कार्ययोजना, स्टीमेंट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाणपत्र, सामग्री आपूर्ति आदेश, भुगतान आदेश, सामग्री स्टॉक पंजी, परिसम्पत्ति पंजी निर्माण कार्य पंजी, प्रस्ताव, कोटेशन, टेंडर, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति प्रशासनिक स्वीकृति, विभागीय स्वीकृति, फोटोग्राफ, कोषबही तथा कर अवधारण एवं वसूली पंजी आदि अभिलेख ऑडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया।

आडिट आनलाइन पोर्टल पर आडिट का कार्यक्रम आडिट विभाग द्वारा आनलाइन निर्धारित किया गया एवं इंटीमेशन लेटर सचिव को भेजा गया जिसे सचिव द्वारा आनलाइन स्वीकार किया गया।

लेखा परीक्षा हेतु वर्तमान सचिव श्री अनिलेश कुमार से उपरोक्त वांछित अभिलेख की मांग लिखित रूप से किया गया।

विवरण निम्न प्रकार है:-

पत्र संख्या - मेमो दिनांक 3-12-2021

पत्र संख्या - मेमो -1 दिनांक 23-12-2021

ऑडिट में अभिलेख प्रस्तुत कराने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी बलिया से लिखित रूप से पत्र संख्या मेमो- 1 दिनांक 17-1-2022 द्वारा अनुरोध किया गया जिसकी प्रतिलिपि जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया को भी दिया गया।

आडिट में अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी बलिया द्वारा सचिव को पत्र संख्या 3344/सात-पं0/आडिट/अभि0/ग्रा0 पं0/2020-21 दिनांक 8-2-2022 द्वारा लिखित रूप से निर्देशित किया गया।

उक्त पत्र के बाद केवल बैंक स्टेटमेंट आडिट में प्रस्तुत किया गया एवं उपरोक्त वांछित अभिलेखों में से कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। पत्राचार की प्रति आनलाइन पोर्टल पर अटैच है।

उक्त पत्रों के सन्दर्भ में सचिव श्री अनिलेश कुमार द्वारा बताया गया कि वर्ष 2020-21 में कुछ अवधि तक सचिव के पद पर श्री नित्यानंद कार्यरत रहे हैं जिनसे कोई भी अभिलेख चार्ज में नहीं मिला है। यह भी बताया गया कि प्रधान के असहयोग के कारण व्यय के सापेक्ष कार्य अभी पूर्ण नहीं है तथा उक्त वांछित अभिलेख अभी तैयार नहीं किया जा सका है। यह कथन लेखा परीक्षा को स्वीकार नहीं है।

व्यय धनराशि के सापेक्ष प्रमाणक एवं अन्य सहायक अभिलेख तैयार नहीं किया जाना अनियमितता का द्योतक है, एवं पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुवल अध्याय-8 पैरा-8 (क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 1083500.00 अपहरण सिद्ध होता है जिस हेतु प्रधान/प्रशासक एवं तत्कालीन सचिव समान रूप से जिम्मेदार है।

विभागीय जांचोपरांत कुल अपहरित धनराशि ₹0 1083500.00 का आधा भाग ₹0 541750.00 प्रधान श्रीमती शाजिया परवीन/प्रशासक श्री शशांक सिंह सहायक विकास अधिकारी सहकारिता से एवं आधा भाग ₹0 541750.00 श्री अनिलेश कुमार/श्री नित्यानंद से कार्य अवधि के अनुसार जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए ब्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक तथा विधिक कार्यवाही उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 से 259 तक में दी गई व्यवस्था के अनुसार अपेक्षित है।

प्रस्तर-260

ग्राम पंचायत बिगह जमीन बिगह वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता से वर्ष आलोच्य में आन लाइन उपलब्ध आकड़ों के अनुसार विभिन्न तिथियों में कुल ₹0 1992850.00 आहरित एवं विभिन्न मदों में व्यय किया गया है। इस व्यय के सापेक्ष प्रमाणक, बिल, वाउचर, रसीदें, कैशमेमो, मस्टररोल, चालान, नक्शा, कार्ययोजना, स्टीमेट, एमओबी, कार्यपूति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, सामग्री आपूर्ति आदेश, भुगतान आदेश, सामग्री स्टॉक पंजी, परिसंपत्ति पंजी, निर्माण कार्य पंजी, प्रस्ताव, कोटेशन, टेण्डर, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय स्वीकृति, फोटोग्राफ, कोषबही तथा कर अवधारण एवं वसूली पंजी आदि अभिलेख ऑडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया।

ऑडिट आनलाइन पोर्टल पर ऑडिट का कार्यक्रम ऑडिट विभाग द्वारा ऑनलाइन निर्धारित किया गया एवं इंटीमेशन लेटर सचिव को भेजा गया जिसे सचिव द्वारा ऑनलाइन स्वीकार किया गया।

लेखा परीक्षा हेतु वर्तमान सचिव श्री दुर्गेश कुमार से उपरोक्त वांछित अभिलेख की मांग लिखित रूप से किया गया। विवरण निम्न प्रकार है:-

1. पत्र संख्या- मेमो दिनांक 3-12-2021
2. पत्र संख्या-मेमो-1 दिनांक 23-12-2021

ऑडिट में अभिलेख प्रस्तुत कराने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी बलिया से लिखित रूप से अनुरोध किया गया जिसकी प्रतिलिपि जिला विकास अधिकारी बलिया, मुख्य विकास अधिकारी बलिया एवं जिलाधिकारी महोदय बलिया सहित जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया को भी दिया गया।

विवरण निम्न प्रकार है:-

1. पत्र संख्या- मेमो दिनांक 17-1-2022
2. पत्र संख्या-मेमो-1 दिनांक 14-3-2022
3. पत्र संख्या-मेमो-1 दिनांक 5-5-2022

ऑडिट में अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी बलिया द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 3344/सात-पं०/ऑडिट/अभिलेख/ग्राम पं००/2021-22/ दिनांक 8-2-2022 एवं पत्रांक 199 दिनांक 22-4-2022 तथा पत्रांक 919 दिनांक 27-6-2022 द्वारा सचिव को लिखित रूप से निर्देश दिए जाने के बाद भी वर्तमान सचिव द्वारा उक्त वांछित अभिलेखों में से कोई भी अभिलेख ऑडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया एवं बताया गया कि वर्ष 2020-21 में सचिव के पद पर श्री अनिलेश कुमार एवं श्री नित्यानंद कार्यरत रहे हैं। इन सचिवों से उक्त वांछित अभिलेखों में से कोई भी अभिलेख चार्ज में मुझे हस्तगत नहीं कराया गया है। अतः कोई भी अभिलेख ऑडिट में प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है। यह बात लिखित रूप से देने के लिए वर्तमान सचिव द्वारा मना कर दिया गया।

इस सम्बन्ध में पूर्व सचिव श्री अनिलेश कुमार एवं श्री नित्यानंद से टेलीफोनिक बात करने पर बताया गया कि प्रधान के असहयोग के कारण व्यय के सापेक्ष कुछ कार्य अभी अधूरे हैं तथा उक्त वांछित अभिलेख अभी तैयार नहीं किया जा सका है। यह कथन लेखा परीक्षा को स्वीकार नहीं है।

व्यय धनराशि के सापेक्ष प्रमाणक एवं अन्य सहायक अभिलेख तैयार नहीं किया जाना अनियमितता का द्योतक है, एवं पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-8 (क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 1992850.00 का अपहरण सिद्ध होता है जिस हेतु प्रधान/तत्कालीन सचिव समान रूप से जिम्मेदार है।

विभागीय जाचोपरान्त कुल अपहरित धनराशि ₹0 1992850.00 का आधा भाग ₹0 996425.00 प्रधान श्रीमती योगेश्वरी देवी/ प्रशासक श्री गजेन्द्र प्रताप सिंह खंड विकास अधिकारी से एवं आधा भाग ₹0 996425.00 तत्कालीन सचिव श्री अनिलेश कुमार /नित्यानंद से कार्य अवधि के अनुसार जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए ब्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक तथा विधिक कार्यवाही उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 से 259 तक में दी गई व्यवस्था के अनुसार किए जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट कराया जाता है। प्रकरण में वर्तमान सचिव श्री दुर्गेश कुमार के भूमिका की जांच भी वांछित है।

ऑनलाइन पोर्टल के अनुसार माहवार व्यय का विवरण निम्न प्रकार है:-

माह	धनराशि

अप्रैल	0.0 0
मई	0.00
जून	0.00
जुलाई	40357.00
अगस्त	9072.00
सितम्बर	148775.00
अक्टूबर	1320.00
नवम्बर	351135.00
दिसम्बर	882191.00
जनवरी	0.00
फरवरी	0.00
मार्च	560000.00
योग-	1992850.00

182. ग्राम पंचायत का नाम- कुशहाभाँड़

विकास खण्ड- सीयर

प्रस्तर-261

ग्राम पंचायत कुशहाभाँड़ वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता से वर्ष आलोच्य में (प्रस्तुत बैंक स्टेटमेंट के अनुसार) विभिन्न तिथियों में कुल ₹ 679539.00 आहरित एवं विभिन्न मदों में व्यय किया गया है। इस व्यय के सापेक्ष प्रमाणक, बिल, वाउचर, रसीदें, कैशमेमो, मस्टररोल, चालान, नक्शा, कार्ययोजना, स्टीमेंट, एमओबी, कार्यपूति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाणपत्र, सामग्री आपूर्ति आदेश, भुगतान आदेश, सामग्री स्टॉक पंजी, परिसम्पत्ति पंजी निर्माण कार्य पंजी, प्रस्ताव, कोटेशन, टेंडर, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति प्रशासनिक स्वीकृति, विभागीय स्वीकृति, फोटोग्राफ, कोषबही तथा कर अवधारण एवं वसूली पंजी आदि अभिलेख ऑडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया।

ऑडिट ऑनलाइन पोर्टल पर ऑडिट का कार्यक्रम ऑडिट विभाग द्वारा ऑनलाइन निर्धारित किया गया एवं इंटीमेशन लेटर सचिव को भेजा गया जिसे सचिव द्वारा ऑनलाइन स्वीकार किया गया।

लेखा परीक्षा हेतु वर्तमान सचिव श्री अनिलेश कुमार से उपरोक्त वांछित अभिलेख की मांग लिखित रूप से किया गया।

विवरण निम्न प्रकार है:-

पत्र संख्या - मेमो दिनांक 3-12-2021

पत्र संख्या - मेमो -1 दिनांक 23-12-2021

ऑडिट में अभिलेख प्रस्तुत कराने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी बलिया से लिखित रूप से पत्र संख्या मेमो- 1 दिनांक 17-1-2022 द्वारा अनुरोध किया गया जिसकी प्रतिलिपि जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया को भी दिया गया।

ऑडिट में अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी बलिया द्वारा सचिव को पत्र संख्या 3344/सात-पं0/ ऑडिट/अभि0/ग्रा0 पं0/2020-21 दिनांक 8-2-2022 द्वारा लिखित रूप से निर्देशित किया गया।

उक्त पत्र के बाद केवल बैंक स्टेटमेंट ऑडिट में प्रस्तुत किया गया एवं उपरोक्त वांछित अभिलेखों में से कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। (पत्राचार की प्रति ऑनलाइन पोर्टल पर अटैच है।)

उक्त पत्रों के सन्दर्भ में सचिव श्री अनिलेश कुमार द्वारा बताया गया कि वर्ष 2020-21 में कुछ अवधि तक सचिव के पद पर श्री नित्यानंद कार्यरत रहे हैं जिनसे कोई भी अभिलेख चार्ज में नहीं मिला है। यह भी बताया गया कि प्रधान के असहयोग के कारण व्यय के सापेक्ष कार्य अभी पूर्ण नहीं है तथा उक्त वांछित अभिलेख अभी तैयार नहीं किया जा सका है। यह कथन लेखा परीक्षा को स्वीकार नहीं है।

व्यय धनराशि के सापेक्ष प्रमाणक एवं अन्य सहायक अभिलेख तैयार नहीं किया जाना अनियमितता का द्योतक है, एवं पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुवल अध्याय-8 पैरा-8 (क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय रु0 679539.00 अपहरण सिद्ध होता है जिस हेतु प्रधान/प्रशासक एवं तत्कालीन सचिव समान रूप से जिम्मेदार है।

विभागीय जाँचोपरांत कुल अपहरित धनराशि रु0 679539.00 का आधा भाग रु0 339769.00 प्रधान श्रीमती महिमा यादव/प्रशासक श्री शशांक सिंह सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) से एवं आधा भाग रु0 339769.00 श्री अनिलेश कुमार/श्री नित्यानंद से कार्य अवधि के अनुसार जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए ब्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक तथा विधिक कार्यवाही उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 से 259 तक में दी गई व्यवस्था के अनुसार अपेक्षित है।

183. ग्राम पंचायत का नाम- छिटिकियाँ

विकास खण्ड- सीयर

प्रस्तर-262

ग्राम पंचायत छिटिकियाँ वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता से वर्ष आलोच्य में आन लाइन उपलब्ध आकड़ों के अनुसार विभिन्न तिथियों में कुल रु0645107.00 आहरित एवं विभिन्न मदों में व्यय किया गया है। इस व्यय के सापेक्ष प्रमाणक, बिल, वाउचर, रसीदें, कैशमेमो, मस्टररोल, चालान, नक्शा, कार्ययोजना, स्टीमेट, एमओबीओ, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, सामग्री आपूर्ति आदेश, भुगतान आदेश, सामग्री स्टॉक पंजी, परिसंपत्ति पंजी, निर्माण कार्य पंजी, प्रस्ताव, कोटेशन, टेण्डर, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय स्वीकृति, फोटोग्राफ, कोषबही तथा कर अवधारण एवं वसूली पंजी आदि अभिलेख ऑडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया।

ऑडिट आनलाइन पोर्टल पर ऑडिट का कार्यक्रम ऑडिट विभाग द्वारा ऑनलाइन निर्धारित किया गया एवं इंटीमेशन लेटर सचिव को भेजा गया जिसे सचिव द्वारा ऑनलाइन स्वीकार किया गया।

लेखा परीक्षा हेतु वर्तमान सचिव श्री दुर्गेश कुमार से उपरोक्त वांछित अभिलेख की मांग लिखित रूप से किया गया। विवरण निम्न प्रकार है:-

1. पत्र संख्या- मेमो दिनांक 3-12-2020
2. पत्र संख्या-मेमो-1 दिनांक 23-12-2020

ऑडिट में अभिलेख प्रस्तुत कराने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी बलिया से लिखित रूप से अनुरोध किया गया जिसकी प्रतिलिपि जिला विकास अधिकारी बलिया, मुख्य विकास अधिकारी बलिया एवं जिलाधिकारी महोदय बलिया सहित जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया को भी दिया गया।

विवरण निम्न प्रकार है:-

1. पत्र संख्या- मेमो दिनांक 17-1-2022
2. पत्र संख्या-मेमो-1 दिनांक 14-3-2022
3. पत्र संख्या-मेमो-1 दिनांक 5-5-2022

ऑडिट में अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी बलिया द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 3344/सात-पं0/ऑडिट/अभिलेख/ग्राम पं0/2021-22/ दिनांक 8-2-2022 एवं पत्रांक 199 दिनांक 22-4-2022 तथा पत्रांक 919 दिनांक 27-6-2022 द्वारा सचिव को लिखित रूप से निर्देश दिए जाने के बाद भी वर्तमान सचिव द्वारा उक्त वांछित अभिलेखों में से कोई भी अभिलेख ऑडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया एवं बताया गया कि वर्ष 2020-21 में सचिव के पद पर श्री अनिलेश कुमार एवं श्री नित्यानंद कार्यरत रहे हैं। इन सचिवों से उक्त वांछित अभिलेखों में से कोई भी अभिलेख चार्ज में मुझे हस्तगत नहीं कराया गया है। अतः कोई भी अभिलेख ऑडिट में प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है। यह बात लिखित रूप से देने के लिए वर्तमान सचिव द्वारा मना कर दिया गया।

इस सम्बन्ध में पूर्व सचिव श्री अनिलेश कुमार एवं श्री नित्यानंद से टेलीफोनिक बात करने पर बताया गया कि प्रधान के असहयोग के कारण व्यय के सापेक्ष कुछ कार्य अभी अधूरे हैं तथा उक्त वांछित अभिलेख अभी तैयार नहीं किया जा सका है। यह कथन लेखा परीक्षा को स्वीकार नहीं है।

व्यय धनराशि के सापेक्ष प्रमाणक एवं अन्य सहायक अभिलेख तैयार नहीं किया जाना अनियमितता का द्योतक है, एवं पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-8 (क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय ₹0645107.00 का अपहरण सिद्ध होता है जिस हेतु प्रधान/तत्कालीन सचिव समान रूप से जिम्मेदार है।

विभागीय जॉचोपरान्त कुल अपहरित धनराशि ₹0 645107.00 का आधा भाग ₹0 322553.00 प्रधान श्री पवन वर्मा एवं आधा भाग ₹0 322553.00 तत्कालीन सचिव श्री अनिलेश कुमार /नित्यानेद से कार्य अवधि के अनुसार जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए व्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक तथा विधिक कार्यवाही उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 से 259 तक में दी गई व्यवस्था के अनुसार किए जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट कराया जाता है।

ऑनलाइन पोर्टल के अनुसार माहवार व्यय का विवरण निम्न प्रकार है:-

माह	धनराशि
अप्रैल 2020	0.0 0
मई 2020	0.00
जून 2020	0.00
जुलाई 2020	58850.00
अगस्त 2020	58950.00
सितम्बर 2020	149557.00
अक्टूबर 2020	51500.00
नवम्बर 2020	0.00
दिसम्बर 2020	326250.00
जनवरी 2021	0.00
फरवरी 2021	0.00
मार्च 2021	0.00
योग-	645107.00

184. ग्राम पंचायत का नाम- सरया डीहू भगत

विकास खण्ड- सीयर

प्रस्तर-263

ग्राम पंचायत सरया डीहू भगत वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता से वर्ष आलोच्य में ऑन लाइन उपलब्ध आकड़ों के अनुसार विभिन्न तिथियों में कुल ₹0 3780153.00 आहरित एवं विभिन्न मदों में व्यय किया गया है। इस व्यय के सापेक्ष प्रमाणक, बिल, वाउचर, रसीदें, कैशमेमो, मस्टररोल, चालान, नक्शा, कार्ययोजना, स्टीमेट, एमओबीओ, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, सामग्री आपूर्ति आदेश, भुगतान आदेश, सामग्री स्टॉक पंजी, परिसंपत्ति पंजी, निर्माण कार्य पंजी, प्रस्ताव, कोटेशन, टेण्डर, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय स्वीकृति, फोटोग्राफ, कोषबही तथा कर अवधारण एवं वसूली पंजी आदि अभिलेख ऑडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया।

ऑडिट ऑनलाइन पोर्टल पर ऑडिट का कार्यक्रम ऑडिट विभाग द्वारा ऑनलाइन निर्धारित किया गया एवं इंटीमेशन लेटर सचिव को भेजा गया जिसे सचिव द्वारा ऑनलाइन स्वीकार किया गया।

लेखा परीक्षा हेतु वर्तमान सचिव श्री मनोज कुमार से उपरोक्त वांछित अभिलेख की मांग लिखित रूप से किया गया। विवरण निम्न प्रकार है:-

1. पत्र संख्या- मेमो दिनांक 3-11-2020
2. पत्र संख्या-मेमो-1 दिनांक 23-12-2020

ऑडिट में अभिलेख प्रस्तुत कराने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी बलिया से लिखित रूप से अनुरोध किया गया जिसकी प्रतिलिपि जिला विकास अधिकारी बलिया, मुख्य विकास अधिकारी बलिया एवं जिलाधिकारी महोदय बलिया सहित जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया को भी दिया गया।

विवरण निम्न प्रकार है:-

1. पत्र संख्या- मेमो दिनांक 17-1-2022
2. पत्र संख्या-मेमो-1 दिनांक 14-3-2022
3. पत्र संख्या-मेमो-1 दिनांक 5-5-2022

ऑडिट में अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी बलिया द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 3344/सात-पं0/ऑडिट/अभिलेख/ग्राम पं0/2021-22/ दिनांक 8-2-2022 एवं पत्रांक 199 दिनांक 22-4-2022 तथा पत्रांक 919 दिनांक 27-6-2022 द्वारा सचिव को लिखित रूप से निर्देश दिए जाने के बाद भी वर्तमान सचिव द्वारा उक्त वांछित अभिलेखों में से कोई भी अभिलेख ऑडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया एवं बताया गया कि वर्ष 2020-21 में सचिव के पद पर श्री शमशाद कार्यरत रहे हैं। जिनके द्वारा उक्त वांछित अभिलेखों में से कोई भी अभिलेख चार्ज में मुझे हस्तगत नहीं कराया गया है। अतः कोई भी अभिलेख ऑडिट में प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है।

इस सम्बन्ध में पूर्व सचिव श्री शमशाद से टेलीफोनिक बात करने पर बताया गया कि प्रधान के असहयोग के कारण व्यय के सापेक्ष कुछ कार्य अभी अधूरे हैं तथा उक्त वांछित अभिलेख अभी तैयार नहीं किया जा सका है। यह कथन लेखा परीक्षा को स्वीकार नहीं है।

व्यय धनराशि के सापेक्ष प्रमाणक एवं अन्य सहायक अभिलेख तैयार नहीं किया जाना अनियमितता का द्योतक है, एवं पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-8 पैरा-8 (क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 3780153.00 का अपहरण सिद्ध होता है जिस हेतु प्रधान/तत्कालीन सचिव समान रूप से जिम्मेदार है।

विभागीय जाँचोपरान्त कुल अपहरित धनराशि ₹0 3780153.00 का आधा भाग ₹0 1890076.50 प्रधान श्री अमीर चंद्र एवं आधा भाग ₹0 1890076.50 तत्कालीन सचिव श्री शमशाद से कार्य अवधि के अनुसार जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए ब्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक तथा विधिक कार्यवाही उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 से 259 तक में दी गई व्यवस्था के अनुसार किए जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट कराया जाता है। प्रकरण में वर्तमान सचिव श्री शमशाद के भूमिका की जांच भी वांछित है।

ऑनलाइन पोर्टल के अनुसार माहवार व्यय का विवरण निम्न प्रकार है:-

माह	धनराशि
अप्रैल 2020	0.00
मई 2020	0.00
जून 2020	0.00
जुलाई 2020	0.00
अगस्त 2020	787654.00
सितम्बर 2020	165800.00
अक्टूबर 2020	877725.00
नवम्बर 2020	0.00
दिसम्बर 2020	1948974.00
जनवरी 2021	0.00
फरवरी 2021	0.00
मार्च 2021	0.00
योग-	3780153.00

185. ग्राम पंचायत का नाम- पतनारीकिर्तपुर
प्रस्तर-264

विकास खण्ड- सीयर

ग्राम पंचायत पतनारीकिर्तुपुर वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता से वर्ष आलोच्य में (प्रस्तुत बैंक स्टेटमेंट के अनुसार) विभिन्न तिथियों में कुल ₹0 1406658.00 आहरित एवं विभिन्न मदों में व्यय किया गया है। इस व्यय के सापेक्ष प्रमाणक, बिल, वाउचर, रसीदें, कैशमेमो, मस्टररोल, चालान, नक्शा, कार्ययोजना, स्टीमेंट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाणपत्र, सामग्री आपूर्ति आदेश, भुगतान आदेश, सामग्री स्टॉक पंजी, परिसम्पत्ति पंजी निर्माण कार्य पंजी, प्रस्ताव, कोटेशन, टेंडर, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति प्रशासनिक स्वीकृति, विभागीय स्वीकृति, फोटोग्राफ, कोषबही तथा कर अवधारण एवं वसूली पंजी आदि अभिलेख ऑडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया।

ऑडिट ऑनलाइन पोर्टल पर ऑडिट का कार्यक्रम ऑडिट विभाग द्वारा ऑनलाइन निर्धारित किया गया एवं इंटीमेशन लेटर सचिव को भेजा गया जिसे सचिव द्वारा ऑनलाइन स्वीकार किया गया।

लेखा परीक्षा हेतु वर्तमान सचिव श्री अनिलेश कुमार से उपरोक्त वांछित अभिलेख की मांग लिखित रूप से किया गया।

विवरण निम्न प्रकार है:-

पत्र संख्या - मेमो दिनांक 3-12-2021

पत्र संख्या - मेमो -1 दिनांक 23-12-2021

ऑडिट में अभिलेख प्रस्तुत कराने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी बलिया से लिखित रूप से पत्र संख्या मेमो-1 दिनांक 17-1-2022 द्वारा अनुरोध किया गया जिसकी प्रतिलिपि जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया को भी दिया गया।

ऑडिट में अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी बलिया द्वारा सचिव को पत्र संख्या 3344/सात-पं0/ ऑडिट/अभि0/ग्रा0 पं0/2020-21 दिनांक 8-2-2022 द्वारा लिखित रूप से निर्देशित किया गया।

उक्त पत्र के बाद केवल बैंक स्टेटमेंट ऑडिट में प्रस्तुत किया गया एवं उपरोक्त वांछित अभिलेखों में से कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। (पत्राचार की प्रति ऑनलाइन पोर्टल पर अटैच है।)

उक्त पत्रों के सन्दर्भ में सचिव श्री अनिलेश कुमार द्वारा बताया गया कि वर्ष 2020-21 में कुछ अवधि तक सचिव के पद पर श्री नित्यानंद कार्यरत रहे हैं जिनसे कोई भी अभिलेख चार्ज में नहीं मिला है। यह भी बताया गया कि प्रधान के असहयोग के कारण व्यय के सापेक्ष कार्य अभी पूर्ण नहीं है तथा उक्त वांछित अभिलेख अभी तैयार नहीं किया जा सका है। यह कथन लेखा परीक्षा को स्वीकार नहीं है।

व्यय धनराशि के सापेक्ष प्रमाणक एवं अन्य सहायक अभिलेख तैयार नहीं किया जाना अनियमितता का द्योतक है, एवं पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुवल अध्याय-8 पैरा-8 (क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 1406658.00 अपहरण सिद्ध होता है जिस हेतु प्रधान/प्रशासक एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार है।

विभागीय जाँचोपरांत कुल अपहरित धनराशि ₹0 1406658.00 का आधा भाग ₹0 703329.00 प्रधान श्रीमती शीला सिंह/प्रशासक श्री शशांक सिंह सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) से एवं आधा भाग ₹0 703329.00 श्री अनिलेश कुमार/श्री नित्यानंद से कार्य अवधि के अनुसार जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए ब्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक तथा विधिक कार्यवाही उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 से 259 तक में दी गई व्यवस्था के अनुसार अपेक्षित है।

186. ग्राम पंचायत का नाम- मझौआ

विकास खण्ड- सीयर

प्रस्तर-265

ग्राम पंचायत पतनारीकिर्तुपुर वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता से वर्ष आलोच्य में (प्रस्तुत बैंक स्टेटमेंट के अनुसार) विभिन्न तिथियों में कुल ₹0 322799.00 आहरित एवं विभिन्न मदों में व्यय किया गया है। इस व्यय के सापेक्ष प्रमाणक, बिल, वाउचर, रसीदें, कैशमेमो, मस्टररोल, चालान, नक्शा, कार्ययोजना, स्टीमेंट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाणपत्र, सामग्री आपूर्ति आदेश, भुगतान आदेश, सामग्री स्टॉक पंजी, परिसम्पत्ति पंजी निर्माण कार्य पंजी, प्रस्ताव, कोटेशन, टेंडर, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति प्रशासनिक

स्वीकृति, विभागीय स्वीकृति, फोटोग्राफ, कोषबही तथा कर अवधारण एवं वसूली पंजी आदि अभिलेख ऑडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया।

ऑडिट ऑनलाइन पोर्टल पर ऑडिट का कार्यक्रम ऑडिट विभाग द्वारा ऑनलाइन निर्धारित किया गया एवं इंटीमेशन लेटर सचिव को भेजा गया जिसे सचिव द्वारा ऑनलाइन स्वीकार किया गया।

लेखा परीक्षा हेतु वर्तमान सचिव श्री अनिलेश कुमार से उपरोक्त वांछित अभिलेख की मांग लिखित रूप से किया गया।

विवरण निम्न प्रकार है:-

पत्र संख्या - मेमो दिनांक 3-12-2021

पत्र संख्या - मेमो -1 दिनांक 23-12-2021

ऑडिट में अभिलेख प्रस्तुत कराने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी बलिया से लिखित रूप से पत्र संख्या मेमो-1 दिनांक 17-1-2022 द्वारा अनुरोध किया गया जिसकी प्रतिलिपि जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया को भी दिया गया।

ऑडिट में अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी बलिया द्वारा सचिव को पत्र संख्या 3344/सात-पं०/ ऑडिट/अभि०/ग्रा० पं०/2020-21 दिनांक 8-2-2022 द्वारा लिखित रूप से निर्देशित किया गया।

उक्त पत्र के बाद केवल बैंक स्टेटमेंट ऑडिट में प्रस्तुत किया गया एवं उपरोक्त वांछित अभिलेखों में से कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। (पत्राचार की प्रति ऑनलाइन पोर्टल पर अटैच है।)

उक्त पत्रों के सन्दर्भ में सचिव श्री अनिलेश कुमार द्वारा बताया गया कि वर्ष 2020-21 में कुछ अवधि तक सचिव के पद पर श्री नित्यानंद कार्यरत रहे हैं जिनसे कोई भी अभिलेख चार्ज में नहीं मिला है। यह भी बताया गया कि प्रधान के असहयोग के कारण व्यय के सापेक्ष कार्य अभी पूर्ण नहीं है तथा उक्त वांछित अभिलेख अभी तैयार नहीं किया जा सका है। यह कथन लेखा परीक्षा को स्वीकार नहीं है।

व्यय धनराशि के सापेक्ष प्रमाणक एवं अन्य सहायक अभिलेख तैयार नहीं किया जाना अनियमितता का द्योतक है, एवं पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल अध्याय-8 पैरा-8 (क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 322799.00 अपहरण सिद्ध होता है जिस हेतु प्रधान/प्रशासक एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार है।

विभागीय जाँचोपरांत कुल अपहरित धनराशि ₹0 322799.00 का आधा भाग ₹0 161399.00 प्रधान श्रीमती रूबी /प्रशासक श्री शशांक सिंह सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) से एवं आधा भाग ₹0 161399.00 श्री अनिलेश कुमार/श्री नित्यानंद से कार्य अवधि के अनुसार जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए ब्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक तथा विधिक कार्यवाही उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 से 259 तक में दी गई व्यवस्था के अनुसार अपेक्षित है।

187. ग्राम पंचायत का नाम- तेलमा जमालउद्दीनपुर विकास खण्ड- सीयर प्रस्तर-266

निम्न विवरण के अनुसार व्यय के सापेक्ष प्रमाणक/पत्रावली प्रस्तुत नहीं रहा '-

दिनांक	धनराशि	विवरण
16-7-2020	91200.00	ह्यूम पाईप क्रय
8-7-2020	70485.00	हैन्डपम्प रिबोर
14-10-2020	125000.00	अज्ञात सामग्री क्रय
26-12-2020	10000.00	स्वच्छता सामग्री क्रय
योग-	296685.00	

पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल अध्याय-8 पैरा 8 क के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 296685.00 का अपहरण सिद्ध होता है। जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार है।

विभागीय जांचोपरान्त कुल अपहरित धनराशि ₹0 296685.00 का आधा भाग ₹0 148342.50 प्रधान श्री चन्द्रशेखर से एवं आधा भाग ₹0 148342.50 सचिव श्री संजय कुमार सिंह से व्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक तथा विधिक कार्यवाही उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 से 259 तक में दी गई व्यवस्था के अनुसार किए जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है।

188. ग्राम पंचायत का नाम- पंचमा

विकास खण्ड- सीयर

प्रस्तर-267

निम्न विवरण के अनुसार व्यय के सापेक्ष प्रमाणक/पत्रावली प्रस्तुत नहीं रहा '-

दिनांक	धनराशि	विवरण
13-7-2020	75000.00	फार्गिंग मशीन क्रय
23-12-2020	138000.00	स्कूल बेंच क्रय
23-12-2020	60000.0	स्कूल बेंच क्रय
23-12-2020	90135.00	ह्यूम पाईप क्रय
योग-	369135.00	

पंचायती राज विभाग के लेखा मेनुअल अध्याय-8 पैरा 8 (क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 369135.00 का अपहरण सिद्ध होता है। जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार है।

विभागीय जांचोपरान्त कुल अपहरित धनराशि ₹0 369135.00 का आधा भाग ₹0 184567.50 प्रधान श्रीमती विन्दु देवी से एवं आधा भाग ₹0 184567.50 सचिव श्री रामभवन त्यागी से व्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक तथा विधिक कार्यवाही उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 से 259 तक में दी गई व्यवस्था के अनुसार किए जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है।

189. ग्राम पंचायत का नाम- बेलथरा बाजार

विकास खण्ड- सीयर

प्रस्तर-268

निम्न विवरण के अनुसार व्यय के सापेक्ष प्रमाणक/पत्रावली प्रस्तुत नहीं रहा '-

दिनांक	धनराशि	विवरण
13-7-2020	194560.00	ह्यूम पाईप क्रय
16-9-2020	100000.00	सामुदायिक शौ० सामग्री क्रय
28-10-2020	100000.00	अज्ञात सामग्री क्रय
19-12-2020	48500.00	हैण्डपम्प मरम्मत
19-10-2020	35150.00	हैण्डपम्प रिबोर
योग-	478210.00	

पंचायती राज विभाग के लेखा मेनुअल अध्याय-8 पैरा 8 (क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 478210.00 का अपहरण सिद्ध होता है। जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार है।

विभागीय जांचोपरान्त कुल अपहरित धनराशि ₹0 478210.00 का आधा भाग ₹0 239105.00 प्रधान श्री संतीश गुप्ता से एवं आधा भाग ₹0 239105.00 सचिव श्री संजय कुमार सिंह से व्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक तथा विधिक कार्यवाही उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 से 259 तक में दी गई व्यवस्था के अनुसार किए जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है।

190. ग्राम पंचायत का नाम- चरौवां

विकास खण्ड - सीयर

प्रस्तर-269

ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 3-10-2020 को ₹0 193500.00 का सोलर लाइट क्रय किया गया है।

उक्त क्रय पर निम्नलिखित आपत्तियों

1. सोलर लाइट क्रय का कोई बिल या बाउचर नहीं है।

2. सोलर लाइट क्रय का टेंडर नहीं है।
3. सोलर लाइट का क्रय निडा से किया जाना चाहिए।
4. सोलर लाइट लगने का स्थान का नाम का उल्लेख नहीं है।
5. सोलर लाइट लगने का कोई फोटोग्राफ नहीं है।

प्रस्तर- 270

ग्राम पंचायत के आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरण अनुसार ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु ह्यूम पाइप क्रय पर व्यय दर्शित किया गया है-

दिनांक	विवरण	धनराशि	फार्म अप्राप्त
3.10.2020	ह्यूम पाइप क्रय	118647.00	-
3.10.2020	सीमेंट पर क्रय	13440.00	-
3.10.2020	फाइन बैड क्रय	8000.00	-
29.10.2020	ह्यूम पाइप क्रय	185850.00	-
29.10.2020	ह्यूम पाइप क्रय	185850.00	-
13.12.2020	ह्यूम पाइप क्रय	21730.00	-
20.12.2020	ह्यूम पाइप क्रय	35097.00	-
	योग-	568614.00	

उक्त के संबंध में आपत्तियां निम्न प्रकार है-

1. उक्त विवरण में दर्शित व्यय से संबंधित व्यय पत्रवलि/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
2. उक्त वेंडर/फार्म सोलर मरम्मत/स्ट्रीट लाइट मरम्मत ह्यूम पाइप बिक्री आदि का कार्य एक साथ करते हैं अथवा नहीं प्रमाणकों के अभाव में इसकी भी पुष्टि नहीं की जा सकी।
3. बिना किसी कार्य योजना पर आवश्यकता के उक्त प्रकार के क्रय पर शासना द्वारा लगाई गई रोक के बावजूद विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु एक साथ ह्यूम पाइप क्रय किया जाना अनियमित एवं वसूली योग्य है।

अतः उक्त पत्रवली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंधक हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(क) को के अंतर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है।

अतः व्यय पत्रवली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमवली 1947 के नियम 256 के अंतर्गत निर्धारित अवधि में ₹0 568614.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री राम भरोशा यादव एवं ग्राम सचिव श्री वीरेन्द्र यादव से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-271

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न प्रकार विभिन्न स्थानों पर हैड पम्प रिबोर/मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है।

दिनांक	व्यय विवरण	धनराशि
2.8.2020	हैण्ड पम्प रिबोर	177410.00
2.8.2020	हैण्ड पम्प रिबोर	60800.00
	योग-	238210.00

1. हैण्ड पम्प मरम्मत व्यय से संबंधित व्यय पत्रवली/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
2. उक्त टेंडर/फर्म हैण्ड पम्प मरम्मत का कार्य करते हैं अथवा नहीं इसकी भी जानकारी प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकती। इनके जी0एस0टी0 पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।

3. एक साथ कई स्थानों के लिए एक आईडी0 से अथवा बिना आईडी0 के मरम्मत कराकर नियम विरुद्ध कार्य किया गया है।

व्यय पत्रावली व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंधक हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(क) के अंतर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमवाली 1947 के नियम 256 के अंतर्गत निर्धारित अवधि में ₹0 238210.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राम भरोशा यादव एवं ग्राम सचिव श्री वीरेन्द्र यादव से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।

191. ग्राम पंचायत का नाम- पशुहारी विकास खण्ड- सीयर

प्रस्तर-272

वर्ष आलोच्य में निम्न विवरणानुसार प्रधान का मानदेय भुगतान किया गया है:-

17-7-2020	10500.00	4/2020 से 6/2020 तक
25-9-2020	3500.00	7/2020
16-12-2020	17500.00	7/2020 से 11/2020 तक

परोक्त विवरण से स्पष्ट है कि माह 7/2020 का उमानदेय ₹0 3500.00 दुबारा लेकर मिलीभगत कर अपहरण कर लिया गया है। जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार है।

विभागीय जांचोपरान्त कुल अपहरित धनराशि ₹0 3500.00 का आधा भाग ₹0 1750.00 प्रधान श्री प्रभाशंकर से आधा भाग ₹0 1750.00 सचिव श्री नित्यानंद/अनिलेश कुमार से कार्य अवधि के अनुसार जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए ब्याज सहित वसूल किए जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट कराया जाता है।

मण्डल-आजमगढ़ ग्राम पंचायत-चन्द्रावती

जनपद मऊ क्षेत्र पंचायत रानीपुर वर्ष-2020-21

प्रस्तर-1

ग्राम पंचायत चन्द्रावती के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये जिनके सम्बंध में कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। आपत्ति का विवरण निम्नवत है- वर्ष 2020-21 की ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कैशबुक , बैंक स्टेटमेंट व अन्य कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं है या बार बार मांग के प्रस्तुत नहीं किये गए है। इस सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को इस सम्बन्ध में कई पत्र के माध्यम से (कॉपी संलग्न) ऑडिट के यथास्थिति और प्रगति की सूचना दी गयी लेकिन आप के द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। ग्राम पंचायत की ई ग्राम स्वराज पर फीड आंकड़ों के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त/चौदहवाँ वित्त आयोग व पंद्रहवाँ वित्त आयोग के अंतर्गत कुल रूपया 363000.00 का व्यय/आहरण ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा किया गया है। इससे स्पष्ट है कि उपर्युक्त समस्त पत्रावलियां व रजिस्टर तैयार नहीं हैं या जानबूझ कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क व 8 ख के अंतर्गत यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संबंधित ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा 409 भारतीय दंड संहिता की धारा के अंतर्गत गबन

का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकता है, इस प्रकार गबन की धनराशि रूपए 363000.00 के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री केशव एवं सचिव श्री कुवर राहुल सिंह को उत्तरदायी ठहराते हुए इस धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी से सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-दरारी

क्षेत्र पंचायत रानीपुर वर्ष 2020-21

प्रस्तर-2

ग्राम पंचायत दरारी के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षामें अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये जिनके सम्बंध में कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। आपत्ति का विवरण निम्नवत है- वर्ष 2020-21 की ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट व अन्य कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं है या बार बार मांग के प्रस्तुत नहीं किये गए हैं। फलस्वरूप ई ग्राम स्वराज पर फीड आंकड़ों के आधार ग्राम पंचायत के आय व व्यय विवरण की जाँच की गई। ग्राम पंचायत की ई ग्राम स्वराज पर फीड आंकड़ों के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त/चौदहवाँ वित्त आयोग व पंद्रहवाँ वित्त आयोग के अंतर्गत कुल रूपया 1765463.00 का व्यय/आहरण ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा किया गया है। किन्तु लेखा परीक्षा में एक भी पत्रावली व रजिस्टर्स जैसे मैनुअल कैश बुक मेजमेंट बुक और स्टीमेट बुक, समस्त व्यय से सम्बंधित प्रमाणक मास्टर रोल, वर्क कम्प्लीशन रिपोर्ट, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, और वित्तीय तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति से सम्बंधित पत्रावलियां, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि के साथ ही लेखा परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, निरीक्षण पंजिका, जीएसटी भुगतान रजिस्टर, रोजगार रजिस्टर, मांग और वसूली रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर्स, कोटेशन व टेंडर से सम्बंधित अभिलेख, वर्क रजिस्टर, इत्यादि बार-बार मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि उपर्युक्त समस्त पत्रावलियां व रजिस्टर तैयार नहीं हैं या जानबूझ कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क व 8 ख के अंतर्गत यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई पत्रावली व प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संबंधित ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा 409 भारतीय दंड संहिता की धारा के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकता है। इस प्रकार गबन की धनराशि रूपए 1765463.00 के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव को उत्तरदायी ठहराते हुए इस धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री मती रमा देवी और ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम भरत प्रसाद से सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-गोकुलपुरा

क्षेत्र पंचायत रानीपुर 2020-21

प्रस्तर-3

ग्राम पंचायत गोकुलपुरा केवर्ष2020-21कीलेखा परीक्षामें अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये जिनके सम्बंध में कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। आपत्ति का विवरण निम्नवत है- वर्ष 2020-21 की ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कैशबुक बैंक स्टेटमेंट व अन्य कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं है या बार बार मांग के प्रस्तुत नहीं किये गए हैं। इस सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को इस सम्बन्ध में कई पत्र के माध्यम से (कॉपी संलग्न) ऑडिट के यथास्थिति और प्रगति की सूचना दी गयीए लेकिन इनके द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। फलस्वरूप ई ग्राम स्वराज पर फीड आंकड़ों के आधार ग्राम पंचायत के आय व व्यय विवरण की जाँच की गई। ग्राम पंचायत की ई ग्राम स्वराज पर फीड आंकड़ों के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त/चौदहवाँ वित्त आयोग व पंद्रहवाँ वित्त आयोग के अंतर्गत कुल रूपया 447948.00 का व्यय/आहरण ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा किया गया है। किन्तु लेखा परीक्षा में एक भी पत्रावली व रजिस्टर्स जैसे . मैनुअल कैश बुक मेजमेंट बुक और स्टीमेट बुक, समस्त व्यय से सम्बंधित प्रमाणक मास्टर रोल, वर्क कम्प्लीशन रिपोर्ट, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, और वित्तीय तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति से सम्बंधित पत्रावलियां, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि के साथ ही लेखा

परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, निरीक्षण पंजिका, जीएसटी भुगतान रजिस्टर, रोजगार रजिस्टर, मांग और वसूली रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर्स, कोटेशन व टेंडर से सम्बंधित अभिलेख, वर्क रजिस्टर, इत्यादि बार बार मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि उपर्युक्त समस्त पत्रावलियां व रजिस्टर तैयार नहीं हैं या जानबूझ कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क व 8 ख के अंतर्गत यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई पत्रावली व प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संबंधित ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा 409 भारतीय दंड संहिता की धारा के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकता है। इस प्रकार गबन की धनराशि रूप 447948.00 के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव को उत्तरदायी ठहराते हुए इस धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री अभय कुमार यादव और ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सैयद समसुद्दीनसे सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-सुल्तानपुर

क्षेत्र पंचायत रानीपुर वर्ष 2020-21

प्रस्तर-4

ग्राम पंचायत के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षामें अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये जिनके सम्बंध में कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। आपत्ति का विवरण निम्नवत है- वर्ष 2020-21 की ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कैशबुक बैंक स्टेटमेंट व अन्य कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं है या बार बार मांग के प्रस्तुत नहीं किये गए हैं। इस सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को इस सम्बन्ध में कई पत्र के माध्यम से (कॉपी संलग्न) ऑडिट के यथास्थिति और प्रगति की सूचना दी गयीए लेकिन आप के द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। फलस्वरूप ई ग्राम स्वराज पर फीड आंकड़ों के आधार ग्राम पंचायत के आय व व्यय विवरण की जाँच की गई। ग्राम पंचायत की ई ग्राम स्वराज पर फीड आंकड़ों के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त/चौदहवाँ वित्त आयोग व पंद्रहवाँ वित्त आयोग के अंतर्गत कुल रूपया 416635.17 का व्यय/आहरण ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा किया गया है। किन्तु लेखा परीक्षा में एक भी पत्रावली व रजिस्टर्स जैसे .मन्युअल कैश बुक मेजमेंट बुक और स्टीमेट बुक, समस्त व्यय से सम्बंधित प्रमाणक मास्टर रोल, वर्क कम्प्लीशन रिपोर्ट, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, और वित्तीय तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति से सम्बंधित पत्रावलियां, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि के साथ ही लेखा परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, निरीक्षण पंजिका, जीएसटी भुगतान रजिस्टर, रोजगार रजिस्टर, मांग और वसूली रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर्स, कोटेशन व टेंडर से सम्बंधित अभिलेख, वर्क रजिस्टर, इत्यादि बार बार मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि उपर्युक्त समस्त पत्रावलियां व रजिस्टर तैयार नहीं हैं या जानबूझ कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क व 8 ख के अंतर्गत यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई पत्रावली व प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संबंधित ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा 409 भारतीय दंड संहिता की धारा के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकता है। इस प्रकार गबन की धनराशि रूप 416635.17 के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव को उत्तरदायी ठहराते हुए इस धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती बाबिता और ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विन्देश्वर यादव से सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-रसुलपुर

क्षेत्र पंचायत रानीपुर वर्ष 2020-21

प्रस्तर-5

ग्राम पंचायत रसुलपुर के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षामें अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये जिनके सम्बंध में कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। आपति का विवरण निम्नवत है

वर्ष 2020-21 की ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कैशबुक बैंक स्टेटमेंट व अन्य कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं है या बार बार मांग के प्रस्तुत नहीं किये गए हैं। इस सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को इस सम्बन्ध में कई पत्र के माध्यम से (कॉपी संलग्न) ऑडिट के यथास्थिति और प्रगति की सूचना दी गयी लेकिन आप के द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। फलस्वरूप ई ग्राम स्वराज पर फीड आंकड़ों के आधार ग्राम पंचायत के आय व व्यय विवरण की जाँच की गई। ग्राम पंचायत की ई ग्राम स्वराज पर फीड आंकड़ों के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त/चौदहवाँ वित्त आयोग व पंद्रहवाँ वित्त आयोग के अंतर्गत कुल रूपया 586200.00 का व्यय/आहरण ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा किया गया है। किन्तु लेखा परीक्षा में एक भी पत्रावली व रजिस्टर्स जैसे .मन्युअल कैश बुक मेजमेंट बुक और स्टीमेट बुक, समस्त व्यय से सम्बंधित प्रमाणक मास्टर रोल, वर्क कम्प्लीशन रिपोर्ट, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, और वित्तीय तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति से सम्बंधित पत्रावलियां, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि के साथ ही लेखा परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, निरीक्षण पंजिका, जीएसटी भुगतान रजिस्टर, रोजगार रजिस्टर, मांग और वसूली रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर्स, कोटेशन व टेंडर से सम्बंधित अभिलेख, वर्क रजिस्टर, इत्यादि बार बार मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि उपर्युक्त समस्त पत्रावलियां व रजिस्टर तैयार नहीं हैं या जानबूझ कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क व 8 ख के अंतर्गत यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई पत्रावली व प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संबंधित ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा 409 भारतीय दंड संहिता की धारा के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकता है। इस प्रकार गबन की धनराशि रूपए 586200.00 के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव को उत्तरदायी ठहराते हुए इस धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती प्रेम बालिका और ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामभरत प्रसाद से सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-मीरजापुर

क्षेत्र पंचायत रानीपुर 2020-21

प्रस्तर-06

ग्राम पंचायत के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षामें अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये जिनके सम्बंध में वैधानिक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। आपति का विवरण निम्नवत है

वर्ष 2020-21 की ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कैशबुक बैंक स्टेटमेंट व अन्य कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं है या बार बार मांग के प्रस्तुत नहीं किये गए हैं। इस सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को इस सम्बन्ध में कई पत्र के माध्यम से (कॉपी संलग्न) ऑडिट के यथास्थिति और प्रगति की सूचना दी गयी, लेकिन आप के द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। फलस्वरूप ई ग्राम स्वराज पर फीड आंकड़ों के आधार ग्राम पंचायत के आय व व्यय विवरण की जाँच की गई। ग्राम पंचायत की ई ग्राम स्वराज पर फीड आंकड़ों के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त/चौदहवाँ वित्त आयोग व पंद्रहवाँ वित्त आयोग के अंतर्गत कुल रूपया 1436915.00 का व्यय/आहरण ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा किया गया है। किन्तु लेखा परीक्षा में एक भी पत्रावली व रजिस्टर्स जैसे .मन्युअल कैश बुक मेजमेंट बुक और स्टीमेट बुक, समस्त व्यय से सम्बंधित प्रमाणक मास्टर रोल, वर्क कम्प्लीशन रिपोर्ट, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, और वित्तीय तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति से सम्बंधित पत्रावलियां, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि के साथ ही लेखा परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, निरीक्षण पंजिका, जीएसटी भुगतान रजिस्टर, रोजगार रजिस्टर, मांग और वसूली रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर्स, कोटेशन व टेंडर से सम्बंधित अभिलेख, वर्क रजिस्टर,

इत्यादि बार बार मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि उपर्युक्त समस्त पत्रावलियां व रजिस्टर तैयार नहीं हैं या जानबूझ कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क व 8 ख के अंतर्गत यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई पत्रावली व प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संबंधित ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा 409 भारतीय दंड संहिता की धारा के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकता है। इस प्रकार गबन की धनराशि रूपए 1436915.00 के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव को उत्तरदायी ठहराते हुए इस धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री सुरेन्द्र नाथ यादव और ग्राम पंचायत अधिकारी सपना सिंह से सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-हाफिजपुर

क्षेत्र पंचायत रानीपुर 2020-21

प्रस्तर-7

ग्राम पंचायत के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये जिनके सम्बंध में कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। आपति का विवरण निम्नवत है-

वर्ष 2020-21 की ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कैशबुक बैंक स्टेटमेंट व अन्य कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं है या बार बार मांग के प्रस्तुत नहीं किये गए हैं। इस सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को इस सम्बन्ध में कई पत्र के माध्यम से (कॉपी संलग्न) ऑडिट के यथास्थिति और प्रगति की सूचना दी गयी, लेकिन आप के द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। फलस्वरूप ई ग्राम स्वराज पर फीड आंकड़ों के आधार ग्राम पंचायत के आय व व्यय विवरण की जाँच की गई। ग्राम पंचायत की ई ग्राम स्वराज पर फीड आंकड़ों के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त/चौदहवाँ वित्त आयोग व पंद्रहवाँ वित्त आयोग के अंतर्गत कुल रूपया 3424742.00 का व्यय/आहरण ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा किया गया है। किन्तु लेखा परीक्षा में एक भी पत्रावली व रजिस्टर्स जैसे .मन्युअल कैश बुक मेजमेंट बुक और स्टीमेट बुक, समस्त व्यय से सम्बंधित प्रमाणक मास्टर रोल, वर्क कम्प्लीशन रिपोर्ट, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, और वित्तीय तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति से सम्बंधित पत्रावलियां, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि के साथ ही लेखा परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, निरीक्षण पंजिका, जीएसटी भुगतान रजिस्टर, रोजगार रजिस्टर, मांग और वसूली रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर्स, कोटेशन व टेंडर से सम्बंधित अभिलेख, वर्क रजिस्टर, इत्यादि बार बार मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि उपर्युक्त समस्त पत्रावलियां व रजिस्टर तैयार नहीं हैं या जानबूझ कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क व 8 ख के अंतर्गत यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई पत्रावली व प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संबंधित ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा 409 भारतीय दंड संहिता की धारा के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकता है। इस प्रकार गबन की धनराशि रूपए 3424742.00 के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव को उत्तरदायी ठहराते हुए इस धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता सिंह और ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कुं0 राहुल सिंह से सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-बरवा

क्षेत्र पंचायत रानीपुर वर्ष-2020-21

प्रस्तर-8

ग्राम पंचायत के वर्ष 2020-21 कीलेखा परीक्षामें अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये जिनके सम्बंध में कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। आपति का विवरण निम्नवत है-

वर्ष 2020-21 की ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कैशबुक बैंक स्टेटमेंट व अन्य कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं है या बार बार मांग के प्रस्तुत नहीं किये गए हैं। इस सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को इस सम्बन्ध में कई पत्र के माध्यम से (कॉपी संलग्न) ऑडिट के यथास्थिति और प्रगति की सूचना दी गयी, लेकिन आप के द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। फलस्वरूप ई ग्राम स्वराज पर फीड आंकड़ों के आधार ग्राम पंचायत के आय व व्यय विवरण की जाँच की गई। ग्राम पंचायत की ई ग्राम स्वराज पर फीड आंकड़ों के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त/चौदहवाँ वित्त आयोग व पंद्रहवाँ वित्त आयोग के अंतर्गत कुल रूपया 595188.00 का व्यय/आहरण ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा किया गया है। किन्तु लेखा परीक्षा में एक भी पत्रावली व रजिस्टर्स जैसे .मन्युअल कैश बुक मेजमेंट बुक और स्टीमेट बुक, समस्त व्यय से सम्बंधित प्रमाणक मास्टर रोल, वर्क कम्प्लीशन रिपोर्ट, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, और वित्तीय तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति से सम्बंधित पत्रावलियां, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि के साथ ही लेखा परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, निरीक्षण पंजिका, जीएसटी भुगतान रजिस्टर, रोजगार रजिस्टर, मांग और वसूली रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर्स, कोटेशन व टेंडर से सम्बंधित अभिलेख, वर्क रजिस्टर, इत्यादि बार बार मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि उपर्युक्त समस्त पत्रावलियां व रजिस्टर तैयार नहीं हैं या जानबूझ कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क व 8 ख के अंतर्गत यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई पत्रावली व प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संबंधित ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा 409 भारतीय दंड संहिता की धारा के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकता है। इस प्रकार गबन की धनराशि रूपए 595188.00 के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव को उत्तरदायी ठहराते हुए इस धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री मोती और ग्राम पंचायत अधिकारी श्री समसुदीन हैदर से सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-पंडरी क्षेत्र पंचायत-रानीपुर वर्ष-2020-21
प्रस्तर-09

ग्राम पंचायत पंडरी केवर्ष 2020-21 कीलेखा परीक्षामें अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये जिनके सम्बंध में कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। आपत्ति का विवरण निम्नवत है-

वर्ष 2020-21 की ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कैशबुक बैंक स्टेटमेंट व अन्य कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं है या बार बार मांग के प्रस्तुत नहीं किये गए हैं। इस सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को इस सम्बन्ध में कई पत्र के माध्यम से (कॉपी संलग्न) ऑडिट के यथास्थिति और प्रगति की सूचना दी गयी, लेकिन आप के द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। फलस्वरूप ई ग्राम स्वराज पर फीड आंकड़ों के आधार ग्राम पंचायत के आय व व्यय विवरण की जाँच की गई। ग्राम पंचायत की ई ग्राम स्वराज पर फीड आंकड़ों के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त/चौदहवाँ वित्त आयोग व पंद्रहवाँ वित्त आयोग के अंतर्गत कुल रूपया 2118478.00 का व्यय/आहरण ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा किया गया है। किन्तु लेखा परीक्षा में एक भी पत्रावली व रजिस्टर्स जैसे .मन्युअल कैश बुक मेजमेंट बुक और स्टीमेट बुक, समस्त व्यय से सम्बंधित प्रमाणक मास्टर रोल, वर्क कम्प्लीशन रिपोर्ट, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, और वित्तीय तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति से सम्बंधित पत्रावलियां, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि के साथ ही लेखा परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, निरीक्षण पंजिका, जीएसटी भुगतान रजिस्टर, रोजगार रजिस्टर, मांग और वसूली रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर्स, कोटेशन व टेंडर से सम्बंधित अभिलेख, वर्क रजिस्टर, इत्यादि बार बार मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि उपर्युक्त समस्त पत्रावलियां व रजिस्टर तैयार नहीं हैं या जानबूझ कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायत राज

अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क व 8 ख के अंतर्गत यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई पत्रावली व प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संबंधित ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा 409 भारतीय दंड संहिता की धारा के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकता है। इस प्रकार गबन की धनराशि रूपए 2118478.00 के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव को उत्तरदायी ठहराते हुए इस धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री रमेश कुमार और ग्राम पंचायत अधिकारी श्री समसुद्दीन हैदर से सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-पिरवा

क्षेत्र पंचायत रानीपुरवर्ष-2020-21

प्रस्तर-10

ग्राम पंचायत पिरवा के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षामें अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये जिनके सम्बंध में कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। आपत्ति का विवरण निम्नवत है-

वर्ष 2020-21 की ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट व अन्य कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं है या बार बार मांग के प्रस्तुत नहीं किये गए हैं। इस सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को इस सम्बन्ध में कई पत्र के माध्यम से (कॉपी संलग्न) ऑडिट के यथास्थिति और प्रगति की सूचना दी गयी, लेकिन आप के द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। फलस्वरूप ई ग्राम स्वराज पर फीड आंकड़ों के आधार ग्राम पंचायत के आय व व्यय विवरण की जाँच की गई। ग्राम पंचायत की ई ग्राम स्वराज पर फीड आंकड़ों के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त/चौदहवाँ वित्त आयोग व पंद्रहवाँ वित्त आयोग के अंतर्गत कुल रूपया 1073120.00 का व्यय/आहरण ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा किया गया है। किन्तु लेखा परीक्षा में एक भी पत्रावली व रजिस्टर्स जैसे .मन्युअल कैश बुक मेजमेंट बुक और स्टीमेट बुक, समस्त व्यय से सम्बंधित प्रमाणक मास्टर रोल, वर्क कम्प्लीशन रिपोर्ट, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, और वित्तीय तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति से सम्बंधित पत्रावलियां, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि के साथ ही लेखा परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, निरीक्षण पंजिका, जीएसटी भुगतान रजिस्टर, रोजगार रजिस्टर, मांग और वसूली रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर्स, कोटेशन व टेंडर से सम्बंधित अभिलेख, वर्क रजिस्टर, इत्यादि बार बार मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि उपर्युक्त समस्त पत्रावलियां व रजिस्टर तैयार नहीं हैं या जानबूझ कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क व 8 ख के अंतर्गत यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई पत्रावली व प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संबंधित ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा 409 भारतीय दंड संहिता की धारा के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकता है। इस प्रकार गबन की धनराशि रूपए 1073120.00 के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव को उत्तरदायी ठहराते हुए इस धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री गुड्डन और ग्राम पंचायत अधिकारी श्री समसुद्दीन हैदर से सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-ताजोपुर

क्षेत्र पंचायत परदहा वर्ष-2020-21

प्रस्तर-11

ग्राम पंचायत ताजोपुर के वर्ष 2020-21 तक की लेखा परीक्षा में अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आए जिनके सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। आपत्ति का विवरण निम्नवत है-

वर्ष 2020-21 की ग्राम पंचायत ताजोपुर की लेखा परीक्षा कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट व ई ग्राम स्वराज पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष उक्त के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभिलेख और प्रमाणक व्यय की गयी धनराशि सापेक्ष उपलब्ध ही नहीं है ग्राम पंचायत के सचिव/प्रधान व सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से मौखिक और लिखित रूप में (कॉपी सलग्न) पत्राचार किया गया कार्यक्रम लगाया गया लेकिन व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री राजेश तिवारी ने आडिट के लिए न अभिलेख उपलब्ध कराया; कैशबुक व बैंक पासबुक छोड़कर, न ही लिखकर दिया कि चार्ज में उन्हें अभिलेख नहीं मिला और न ही संबंधित तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान के विरुद्ध कोई विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही हेतु सक्षम अधिकारियों को ही अवगत कराया। उ०प्र०पं०रा०अधिनियम 1947 के धारा 14, क के बिंदु-1 पनिसमेंट फॉर फेलोर टू हैंडओवर रिकॉर्ड और पंचायत राज अनुभाग एक के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/33-1-2017-1988-17- 01 दिसम्बर 2017 तहत यथोचित कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है।

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा मात्र चतुर्थ राज्य वित्त व चौदहवा वित्त व 15 वां वित्त का कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट ही प्रस्तुत किया गया, फलस्वरूप बैंक स्टेटमेंट पर फीड आंकड़ों के आधार ग्राम पंचायत के आय व व्यय विवरण की जाँच की गई। ग्राम पंचायत की बैंक स्टेटमेंट पर फीड आंकड़ों के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त व 14 वाँ/15वां वित्त आयोग के अंतर्गत कुल रूपया 2828139 ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा किया गया है किन्तु लेखा परीक्षा में एक भी पत्रावली व रजिस्टर्स जैसे, मेजमेंट और स्टीमेट बुक, समस्त व्यय से सम्बंधित प्रमाणक, मास्टर रोल, वर्क कम्प्लीशन रिपोर्ट, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, और वित्तीय तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति से सम्बंधित पत्रावलियां, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि के साथ ही लेखा परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, निरीक्षण पंजिका, जीएसटी भुगतान रजिस्टर, रोजगार रजिस्टर, मांग और वसूली रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर्स, कोटेशन व टेंडर से सम्बंधित स्वीकृति से सम्बंधित पत्रावलियां, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, प्रियासाफ्ट के 8 प्रपत्र/प्राप्ति व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण स्टॉक पंजिका मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। इससे स्पष्ट है कि उपर्युक्त समस्त पत्रावलियां व रजिस्टर तैयार नहीं हैं या जानबूझ कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क 8 ख के अंतर्गत यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई पत्रावली व प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संबंधित ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इस प्रकार गबन की धनराशि रूप 2828139 के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला एवं सचिव श्री राजेश तिवारी को उत्तरदायी ठहराते हुए इस धनराशि की वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-मानपुर

क्षेत्र पंचायत परदहा वर्ष- 2020-21

प्रस्तर-12

ग्राम पंचायत मानपुर के वर्ष 2020-21 तक की लेखा परीक्षा में गम्भीर अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आए जिनके सम्बन्ध में वैधानिक कार्य वाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। अनियमित व्यय किए गये कार्यों का विवरण निम्नवत है।

क्रमांक	कार्य का विवरण	फर्म का नाम	दिनांक	प्रमाणक कि धनराशि	मस्टर रोल	कुल योग

					कि धनराशि	
1	प्राथमिक पाठशाला राधवपट्टी में टाइल्स कार्य	द्विवेदी ट्रेडर्स	30.10.20	182216	33726	215942
2	उच्च प्राथमिक पाठशा ला मानपुर में किचेन से डकर पहुच मार्ग पर इण्टरलाकिंग	द्विवेदी कन्ट्रेशन द्विवेदी ट्रेडर्स,तारा ब्रिक फिल्ड,	04.10.20	158310+25690 + 37599=221599	26400	247999
3	उच्च प्राथमिक विद्यालय के एकल कक्ष व किचेन में मरम्मत व टाइल्स कार्य	द्विवेदी ट्रेडर्स,तारा ब्रिक फिल्ड	18.10.20	99641+4462=10410 3	29862	133965
4	बालगोविन्दके घर से रामकेश के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	द्विवेदी ट्रेडर्स व +तृप्ति ब्रिक फिल्ड	21.12.20	132866 + 41322 =174188		174188
5	प्राथमिक पाठशाला मानपुर में बालक व बालिका शौचालय व मूत्रालय निर्माण	द्विवेदी ट्रेडर्स व +तृप्ति ब्रिक फिल्ड	08.12.20	104219 + 35463 =139682	24468	164150
6	प्राथमिक पाठशाला मानपुर में बाउंड्रीवाल व किचेन टाइल्स कार्य	द्विवेदी कन्ट्रेशन द्विवेदी ट्रेडर्स,त्रिप्ति ब्रिक फिल्ड	08.12.20	29388 + 86849+38809=1550 46	28269	183315
7	उच्च प्राथमिक पाठ शाला मानपुर में कैम्पस में इण्टरलाकिंग कार्य	द्विवेदी कन्ट्रेशन द्विवेदी ट्रेडर्स	05.10.20	175872 + 20725 =196597	25596	222193
		योग				134175 2

उपरोक्त कार्यों में निम्न कमिया प्रकाश में आयी जिनका विवरण अंकित किया गया है इन कमियों के आलोक में व्यय की गयी समस्त धनराशि अनियमित है जिसके सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है-

1-आर्टिकल 15 ए.ओ.ए. प्लान प्लस पर फीड जी0पी0 डी0 पी0 गाइड लाइन15-16 (खुली बैठक में पारित क्रम और अंकित कार्य योजना के प्रिन्ट आउट के क्रम के मिलान किये जान हेतु) के अन्तर्गत वार्षिक कार्य योजना लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही ।

2-14 वां वित्त के अन्तर्गत ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों के त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ पत्रावलियों में संलग्न नहीं रही ।

3-वित्तिय हस्तपुस्तिका वोल्यूम -5पार्ट-1 नियम 255 -260 के अन्तर्गत अर्नेस्ट मनी पंजिका व जमानत पंजिका सहित टेन्डर व कोटेशन की पत्रावली लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही ।

4-वित्तिय हस्तपुस्तिका वोल्यूम -5 पार्ट-1 नियम 255 -260 के अन्तर्गत सामाग्री क्रय आदेश लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही ।

5-नियम 79/138/158 के अन्तर्गत कार्य का भौतिक सत्यापन /निरीक्षणरजिस्टर एवं निरीक्षण प्रतिवेदन लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही।

6-उपयोगिता प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही ।

7-टेण्डर व कोटेशन से सम्बन्धित विभिन्न फार्मों के आवेदन पत्र व फर्म की स्वीकृति से सम्बन्धित आदेश पत्र लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही।

8-स्वीकृत फर्म से जमानत की धनराशि जमा करायी गयी है, या नहीं इससेसम्बन्धित कोई विवरण लेखा परीक्षा में अप्राप्त नहीं ।

9-उOप्रO पंचायती राज नियमावली 1947 का नियम 209 के अन्तर्गत उपरोक्त कराये गये ेकार्यों के कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप पर लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे ।

10-आयकर एक्ट 1961 के अनुभाग 194-सी तथा जीOएसOटीOएक्ट के अन्तर्गतभुगतान की जाने वाली धनराशि से निर्धारितदर से कटौती की जानी है । किन्तु ग्राम पंचायत के द्वारा उक्त कटौतियो नहीं की जा रही है । जिस भी फर्मकोभुगतान किया गया है उनसे निर्धारित दर से आय कर व जीOएसOटी O की कटौती का विवरण किसी भी प्रमाणक पर नहीं अंकित है इससेस्पष्ट हैकि आय कर व जीOएसOटी की कटौती न कर राजकीय राजस्व की क्षति पहुचाई गई है। इस प्रकार 1341752-00 अनियमित रूप से व्यय किया गया है । जिसके लिये ग्राम प्रधान श्रीमती प्रमिला देवी एवं सचिव श्री राघवेंद्र सिंह उत्तरदायी है। इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत-खरगजेपुर

क्षेत्र पंचायत परदहा वर्ष-2020-21

प्रस्तर-13

ग्राम पंचायत खरगजेपुर के वर्ष 2020-21 तक की लेखा परीक्षा में अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आए जिनके सम्बन्ध में वैधानिक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । आपत्ति का विवरण निम्नवत है--

वर्ष 2020-21 की ग्राम पंचायत खरगजेपुरकी लेखा परीक्षा कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट व ई ग्राम स्वराज पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष उक्त के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभिलेख और प्रमाणक व्यय की गयी धनराशि सापेक्ष उपलब्ध ही नहीं है । बार बार मांग के प्रस्तुत नहीं किये गए है।

ग्राम पंचायत के सचिव/प्रधान , सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) एवं जिला पंचायत राज अधिकारी को भी उपर्युक्त प्रकरण की सूचना दिनांक 20.09.21 व 01.01.22 को पत्र के माध्यम से दी गयी. (कॉपी सलग्न) पत्राचार किया गया, कार्यक्रम लगाया गया लेकिन व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उपर्युक्त आदेश/निर्देश के बाद भी किसी भी सक्षम अधिकारी के द्वारा वर्तमान सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। उ०प्र०पं०रा०अधिनियम1947 के धारा14.क के बिंदु.1 पनिसमेंट फॉर फेलोर टू हैंडवोवर रिकॉर्ड और पंचायत राज अनुभाग एक के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/33-1-2017-1988-17- 01 दिसम्बर 2017 तहत यथोचित कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है।

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा मात्र चतुर्थ राज्य वित्त व चौदहवा वित्त व 15 वां वित्त का कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट ही प्रस्तुत किया गया, फलस्वरूप बैंक स्टेटमेंट पर फीड आंकड़ों के आधार ग्राम पंचायत के आय व व्यय विवरण की जाँच की गई। ग्राम पंचायत की बैंक स्टेटमेंट पर फीड आंकड़ों के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त व 14 वाँ /15 वां वित्त आयोग के अंतर्गत कुल रूपया 766140 का व्यय/आहरण के पुष्टि कैशबुक बैंक स्टेटमेंट कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आईOडीO, एमOबीO,बिल/बाउचर,मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण.पत्र, प्रधान मानेदय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्कस, विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासाफ्ट के 8 प्रपत्र/प्राप्तियां व भुगतान लेखा,समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरणए स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका,अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग 30 प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8(क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी। उक्त अपहरण की गई धनराशि रु 766140 की वसूली ब्याज सहित ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संजय गुप्ता व ग्राम प्रधान श्रीमति सुनिता से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-नियामतपुर उर्फ बगली

क्षेत्र पंचायत-परदहा वर्ष-2020-21

प्रस्तर-14

ग्राम पंचायत नियामतपुर उर्फ बगली के वर्ष 2020-21 तक की लेखा परीक्षा में अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आए जिनके सम्बन्ध में वैधानिक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। आपत्ति का विवरण निम्नवत है -

वर्ष 2020-21 की ग्राम पंचायत नियामतपुर उर्फ बगली की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट और ई ग्राम स्वराज के आधारपर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है। ग्राम पंचायत के सचिव/प्रधान से मौखिक और लिखित रूप में (काँपी सलग्न) सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को इस सम्बन्ध में कई पत्र के माध्यम से (काँपी सलग्न) तथा जिला पंचायत राज अधिकारी को भी उपर्युक्त प्रकरण की सूचना दिनांक 20.09.21 व 01.01.22 को पत्र के माध्यम से दी गयी। बार बार मांग के प्रस्तुत नहीं किये गए हैं।

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा मात्र चतुर्थ राज्य वित्त व चौदहवा वित्त व पंद्रहवाँ वित्त आयोग का बैंक स्टेटमेंट ही प्रस्तुत किया गया, फलस्वरूप बैंक स्टेटमेंट पर फीड आंकड़ों के आधार ग्राम पंचायत के आय व व्यय विवरण की जाँच की गई। ग्राम पंचायत की बैंक स्टेटमेंट पर फीड आंकड़ों के अनुसार पंद्रहवाँ वित्त आयोग के अंतर्गत कुल रूपया 1722537 का व्यय/आहरण ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा किया गया है। किन्तु लेखा परीक्षा में कैशबुक व एक भी पत्रावली व रजिस्टर्स जैसे, उमेजमेंट बुक और स्टीमेट बुक, समस्त व्यय से सम्बंधित प्रमाणक, मास्टर रोल, वर्क कम्प्लीशन रिपोर्ट, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, और वित्तीय तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति से सम्बंधित पत्रावलियां, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि के साथ ही लेखा परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, निरीक्षण पंजिका, जीएसटी भुगतान रजिस्टर, रोजगार रजिस्टर, मांग और वसूली रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर्स कोटेशन व टेंडर से सम्बंधित स्वीकृति से सम्बंधित पत्रावलियां, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि के साथ ही लेखा परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर अभिलेख, वर्क रजिस्टर, इत्यादि बार बार मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि उपर्युक्त समस्त पत्रावलियां व रजिस्टर तैयार नहीं हैं या जानबूझ कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क व 8 ख के अंतर्गत यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई पत्रावली व प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संबंधित ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इस प्रकार गबन की धनराशि रूप 1722537 के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव को उत्तरदायी ठहराते हुए इस धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम पंचायत अधिकारी श्री भूपेन्द्र सिंह वर्तमान व प्रदीप कुमार पूर्व सचिव व ग्राम प्रधान श्रीमती गुजराती देवी से सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-अहिलाद

क्षेत्र पंचायत-परदहा वर्ष-2020-21

प्रस्तर-15

ग्राम पंचायत अहिलाद के वर्ष 2020-21 तक की लेखा परीक्षा में अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आए जिनके सम्बन्ध में वैधानिक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। आपत्ति का विवरण निम्नवत है- ग्राम पंचायत के सचिव/प्रधान से मौखिक और लिखित रूप में (काँपी सलग्न), सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को इस सम्बन्ध में कई पत्र के माध्यम से (काँपी सलग्न) तथा जिला पंचायत राज अधिकारी

को भी उपर्युक्त प्रकरण की सूचना दिनांक 20.09.21 व 01.01.22 को पत्र के माध्यम से दी गयी किन्तु बार बार मांग के प्रस्तुत नहीं किये गए हैं।

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा मात्र चतुर्थ राज्य वित्त व चौदहवा वित्त व पंद्रहवाँ वित्त आयोग का बैंक स्टेटमेंट ही प्रस्तुत किया गया, फलस्वरूप बैंक स्टेटमेंट पर फीड आंकड़ों के आधार ग्राम पंचायत के आय व व्यय विवरण की जाँच की गई। ग्राम पंचायत की बैंक स्टेटमेंट पर फीड आंकड़ों के अनुसार कुल रूपया 1111818 का व्यय/आहरण ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा किया गया है। किन्तु लेखा परीक्षा में कैशबुक व एक भी पत्रावली व रजिस्टर्स जैसे मजमेंट बुक और स्टीमेट बुक, समस्त व्यय से सम्बंधित प्रमाणक, मास्टर रोल,वर्क कम्प्लीशन रिपोर्ट,यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट,और वित्तीय तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति से सम्बंधित पत्रावलियां,भौतिक सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि के साथ ही लेखा परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर,परिसंपत्ति रजिस्टर,कार्यवाही रजिस्टर,निरीक्षण पंजिका,जीएसटी भुगतान रजिस्टर,रोजगार रजिस्टर,मांग और वसूली रजिस्टर,मानदेय रजिस्टर्स कोटेशन व टेंडर से सम्बंधित स्वीकृति से सम्बंधित पत्रावलियां,भौतिक सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि के साथ ही लेखा परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर,परिसंपत्ति रजिस्टर,कार्यवाही रजिस्टर,अभिलेख,वर्क रजिस्टर, इत्यादि बार बार मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि उपर्युक्त समस्त पत्रावलियां व रजिस्टर तैयार नहीं हैं या जानबूझ कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क व 8 ख के अंतर्गत यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई पत्रावली व प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संबंधित ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकता है। इस प्रकार गबन की धनराशि रुप की वसूली ब्याज सहित ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीभूपेन्द्र सिंह वर्तमान व प्रदीप कुमार पूर्व सचिव व ग्राम प्रधान श्री धनन्जयसे सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है। आगे उ०प्र०पं०रा०अधिनियम1947 के धारा14.क के बिंदु.1 पनिसमेंट फॉर फेलोर टू हैंडवोवर रिकॉर्ड और पंचायत राज अनुभाग एक के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/33-1-2017-1988-17- 01 दिसम्बर 2017 तहत यथोचित कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है।

ग्रामपंचायत-बबुआपुर

क्षेत्र पंचायत-परदहा वर्ष 2020-21

प्रस्तर-16

ग्रामपंचायत बबुआपुर के वर्ष 2020-21तक की लेखा परीक्षा में अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आए जिनके सम्बन्ध में वैधानिक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। आपत्ति का विवरण निम्नवत है-

वर्ष 2020-21 की ग्राम पंचायत बबुआपुर की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट और ई ग्राम स्वराज के आधार अंकित व्यय धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है। ग्राम पंचायत के सचिव/प्रधान से मौखिक और लिखित रूप में(कॉपी सलग्न),सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को इस सम्बन्ध में कई पत्र के माध्यम से (कॉपी सलग्न) तथा जिला पंचायत राज अधिकारी को भी उपर्युक्त प्रकरण की सूचना दिनांक 20.09.21 व 01.01.22 को पत्र के माध्यम से दी गयी. किन्तु बार बार मांग के बाद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गए हैं।

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा मात्र चतुर्थ राज्य वित्त व चौदहवा वित्त व 15 वां वित्त का बैंक स्टेटमेंट ही प्रस्तुत किया गया, फलस्वरूप बैंक स्टेटमेंट पर फीड आंकड़ों के आधार ग्राम पंचायत के आय व व्यय विवरण की जाँच की गई। ग्राम पंचायत की बैंक स्टेटमेंट पर फीड आंकड़ों के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त व 14 वाँ/ 15 वित्त आयोग के अंतर्गत कुल रूपया 1534319 का व्यय/आहरण ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा किया गया है। किन्तु लेखा परीक्षा में कैशबुक व एक भी पत्रावली व रजिस्टर्स जैसे मजमेंट बुक और स्टीमेट बुक समस्त व्यय से सम्बंधित प्रमाणक, मास्टर रोल,वर्क कम्प्लीशन रिपोर्ट,यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट,और वित्तीय तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति से सम्बंधित पत्रावलियां,भौतिक सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि के साथ ही लेखा परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर,परिसंपत्ति रजिस्टर,कार्यवाही रजिस्टर,निरीक्षण

पंजिका,जीएसटी भुगतान रजिस्टर,रोजगार रजिस्टर,मांग और वसूली रजिस्टर,मानदेय रजिस्टर्स कोटेशन व टेंडर से सम्बंधित स्वीकृति से सम्बंधित पत्रावलियां,भौतिक सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि के साथ ही लेखा परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर,परिसंपत्ति रजिस्टर,कार्यवाही रजिस्टरअभिलेख,वर्क रजिस्टर, इत्यादि बार बार मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि उपर्युक्त समस्त पत्रावलियां व रजिस्टर तैयार नहीं हैं या जानबूझ कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क 8 ख के अंतर्गत यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई पत्रावली व प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संबंधित ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकता है। इस प्रकार गबन की धनराशि रुपये 1534319 के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव को उत्तरदायी ठहराते हुए इस धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम पंचायत अधिकारी श्री भूपेन्द्र सिंह वर्तमान व प्रदीप कुमार पूर्वसचिव व ग्राम प्रधानश्री विनोद यादव से सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है। आगेउ०प्र०पं०रा०अधिनियम1947 के धारा14.क के बिंदु.1 पनिसमेंट फॉर फेलोर टू हैंडवोवर रिकॉर्ड और पंचायत राज अनुभाग एक के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/33-1-2017-1988-17- 01 दिसम्बर 2017 तहत यथोचित कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-पिपरी

क्षेत्र पंचायत-परदहा वर्ष-2020-21

प्रस्तर-17

ग्राम पंचायत पिपरी के वर्ष 2020-21 तक की लेखा परीक्षा में अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आए जिनके सम्बन्ध में वैधानिक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। आपत्ति का विवरण निम्नवत है -

वर्ष 2020-21 की ग्राम पंचायत पिपरी की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है। ग्राम पंचायत के सचिव/प्रधान से मौखिक मौखिक और लिखित रूप में(कांपी सलग्न) और लिखित रूप में(कांपी सलग्न, और लिखित रूप में(कांपी सलग्न) ,, और लिखित रूप में(कांपी सलग्न) ,सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) तथा जिला पंचायत राज अधिकारी को भी उपर्युक्त प्रकरण की सूचना पत्र के माध्यम से दी गयी.किन्तु बार बार मांग के बाद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गए हैं। आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त व चौदहवाँ वित्त व 15 वां वित्त का कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया , फलस्वरूप ई ग्राम स्वराज पर फीड आंकड़ों के आधार ग्राम पंचायत के आय व व्यय विवरण की जाँच की गई। ग्राम पंचायत की ई ग्राम स्वराज पर फीड आंकड़ों के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त व चौदहवाँ वित्त आयोग के अंतर्गत कुल रूपया 1024240 का व्यय/आहरण ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा किया गया है। किन्तु लेखा परीक्षा में कैशबुक व एक भी पत्रावली व रजिस्टर्स जैसे,मेजमेंट बुक और स्टीमेट बुक , समस्त व्यय से सम्बंधित प्रमाणक,मास्टर रोल,वर्क कम्प्लीशन रिपोर्ट,यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट,और वित्तीय तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति से सम्बंधित पत्रावलियां,भौतिक सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि के साथ ही लेखा परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर,परिसंपत्ति रजिस्टर,कार्यवाही रजिस्टर,निरीक्षण पंजिका,जीएसटी भुगतान रजिस्टर,रोजगार रजिस्टर,मांग और वसूली रजिस्टर,मानदेय रजिस्टर्स कोटेशन व टेंडर से सम्बंधित स्वीकृति से सम्बंधित पत्रावलियां,भौतिक सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि के साथ ही लेखा परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर,परिसंपत्ति रजिस्टर,कार्यवाही रजिस्टरअभिलेख,वर्क रजिस्टर, इत्यादि बार बार मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि उपर्युक्त समस्त पत्रावलियां व रजिस्टर तैयार नहीं हैं या जानबूझ कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क 8 ख के अंतर्गत यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई पत्रावली व प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संबंधित

ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकता है। इस प्रकार गबन की धनराशि रुपए 1024240 के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव को उत्तरदायी ठहराते हुए इस धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आलोक दूबे व ग्राम प्रधान श्री प्रभुनाथ गोंड से सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है। आगे उ०प्र०पं०रा०अधिनियम1947 के धारा14.क के बिंदु.1 पनिसमेंट फॉर फेलोर टू हैंडवोवर रिकॉर्ड और पंचायत राज अनुभाग एक के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/33-1-2017-1988-17- 01 दिसम्बर 2017 तहत यथोचित कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-ईटौरा

क्षेत्र पंचायत परदहा वर्ष-2020-21

प्रस्तर-18

ग्राम पंचायत ईटौरा के वर्ष 2020-21 तक की लेखा परीक्षा में अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आए जिनके सम्बन्ध में वैधानिक कार्यवाही के लिये विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। आपति का विवरण निम्नवत है-

वर्ष 2020-21 की ग्राम पंचायत ईटौरा की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट और ई ग्राम स्वराज के आधार अंकित व्यय धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है। ग्राम पंचायत के सचिव/प्रधान से मौखिक और लिखित रूप में (कॉपी सलग्न) ,सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को इस सम्बन्ध में कई पत्र के माध्यम से (कॉपी सलग्न) तथा जिला पंचायत राज अधिकारी को भी उपर्युक्त प्रकरण की सूचना दिनांक 20.09.21 व 01.01.22 को पत्र के माध्यम से दी गयी.किन्तु बार बार मांग के भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गए हैं।

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा मात्र चतुर्थ राज्य वित्त व चौदहवा वित्त व 15 वां वित्त का बैंक स्टेटमेंट ही प्रस्तुत किया गया, फलस्वरूप बैंक स्टेटमेंट पर फीड आंकड़ों के आधार ग्राम पंचायत के आय व व्यय विवरण की जाँच की गई। ग्राम पंचायत की बैंक स्टेटमेंट पर फीड आंकड़ों के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त व 14 वाँ वित्त/15 वां आयोग के अंतर्गत कुल रुपया 727356 का व्यय/आहरण ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा किया गया है। किन्तु लेखा परीक्षा में कैशबुक व एक भी पत्रावली व रजिस्टर्स जैसे मजमेंट बुक और स्टीमेट बुक समस्त व्यय से सम्बंधित प्रमाणक ,मास्टर रोल,वर्क कम्प्लीशन रिपोर्ट,यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट,और वित्तीय तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति से सम्बंधित पत्रावलियां,भौतिक सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि के साथ ही लेखा परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर,परिसंपत्ति रजिस्टर,कार्यवाही रजिस्टर,निरीक्षण पंजिका,जीएसटी भुगतान रजिस्टर,रोजगार रजिस्टर,मांग और वसूली रजिस्टर,मानदेय रजिस्टर्स कोटेशन व टेंडर से सम्बंधित स्वीकृति से सम्बंधित पत्रावलियां,भौतिक सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि के साथ ही लेखा परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर,परिसंपत्ति रजिस्टर,कार्यवाही रजिस्टरअभिलेख,वर्क रजिस्टर, इत्यादि बार बार मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि उपर्युक्त समस्त पत्रावलियां व रजिस्टर तैयार नहीं हैं या जानबूझ कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क 8 ख के अंतर्गत यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई पत्रावली व प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संबंधित ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकता है। इस प्रकार गबन की धनराशि रुपए 727356 के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव को उत्तरदायी ठहराते हुए इस धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम पंचायत अधिकारी श्री भूपेन्द्र सिंह वर्तमान व प्रदीपकुमार पूर्व सचिव व ग्राम प्रधान श्रीमती शान्ती से सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है। आगे उ०प्र०पं०रा०अधिनियम1947 के धारा 14.क के बिंदु.1 पनिसमेंट फॉर फेलोर टू हैंडवोवर रिकॉर्ड और पंचायत राज अनुभाग एक के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/33-1-2017-1988-17- 01 दिसम्बर 2017 तहत यथोचित कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-खण्डेरायपुर

क्षेत्र पंचायत- परदहा वर्ष-2020-21

प्रस्तर-19

ग्राम पंचायत खण्डेरायपुर के वर्ष 2020-21 तक की लेखा परीक्षा में अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आए जिनके सम्बन्ध में वैधानिक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। आपत्ति का विवरण निम्नवत है -

वर्ष 2020-21 की ग्राम पंचायत खण्डेरायपुर की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट और ई ग्राम स्वराज के आधार अंकित व्यय धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है। सचिव/प्रधान से मौखिक और लिखित रूप में (कांपी सलग्न, मौखिक और लिखित रूप में (कांपी सलग्न) सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को इस सम्बन्ध में कई पत्र के माध्यम से (कांपी सलग्न) तथा जिला पंचायत राज अधिकारी को भी उपर्युक्त प्रकरण की सूचना दिनांक 20.09.21 व 01.01.22 को पत्र के माध्यम से दी गयी। बार बार मांग के बाद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गए हैं।

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा मात्र चतुर्थ राज्य वित्त व 14 वा वित्त व 15 वां वित्त का बैंक स्टेटमेंट ही प्रस्तुत किया गया, फलस्वरूप बैंक स्टेटमेंट पर फीड आंकड़ों के आधार ग्राम पंचायत के आय व व्यय विवरण की जाँच की गई। ग्राम पंचायत की बैंक स्टेटमेंट पर फीड आंकड़ों के अनुसार कुल रूपया 1248333 का व्यय/आहरण ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा किया गया है किन्तु लेखा परीक्षा में कैशबुक व एक भी पत्रावली व रजिस्टर्स जैसे . मापन बुक और स्टीमेट बुक , समस्त व्यय से सम्बंधित प्रमाणक ,मास्टर रोल,वर्क कम्प्लीशन रिपोर्ट,यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट,और वित्तीय तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति से सम्बंधित पत्रावलियां,भौतिक सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि के साथ ही लेखा परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर,परिसंपत्ति रजिस्टर,कार्यवाही रजिस्टर,निरीक्षण पंजिका,जीएसटी भुगतान रजिस्टर,रोजगार रजिस्टर,मांग और वसूली रजिस्टर,मानदेय रजिस्टर्स कोटेशन व टेंडर से सम्बंधित स्वीकृति से सम्बंधित पत्रावलियां,भौतिक सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि के साथ ही लेखा परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर,परिसंपत्ति रजिस्टर,कार्यवाही रजिस्टर,अभिलेख,वर्क रजिस्टर, इत्यादि बार बार मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि उपर्युक्त समस्त पत्रावलियां व रजिस्टर तैयार नहीं हैं या जानबूझ कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क 8 ख के अंतर्गत यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई पत्रावली व प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संबंधित ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकता है। इस प्रकार गबन की धनराशि रुपए 1248333 की वसूली ब्याज सहित ग्राम पंचायत अधिकारी श्री भूपेन्द्र सिंह वर्तमान व प्रदीप कुमार पूर्व सचिव व ग्राम प्रधान श्रीमती पुनम से सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-गाढा

क्षेत्र पंचायत-रतनपुरावर्ष-2020-21

प्रस्तर-20

ग्राम पंचायत गाढा के वर्ष 2020-21 तक की लेखा परीक्षा में अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आए जिनके सम्बन्ध में वैधानिक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। आपत्ति का विवरण निम्नवत है -

वर्ष 2020-21 की ग्राम पंचायत गाढा की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज की वेबसाइट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है। ग्राम पंचायत के सचिव/प्रधान से मौखिक और लिखित रूप में (कांपी सलग्न) सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को इस सम्बन्ध में कई पत्र के माध्यम से (कांपी सलग्न) तथा जिला पंचायत राज अधिकारी को भी उपर्युक्त प्रकरण की सूचना दिनांक 20.09.21 व 01.01.22 को पत्र के माध्यम से दी गयी। किन्तु बार बार मांग के बाद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गए हैं।

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया फलस्वरूप ई ग्राम स्वराज की वेबसाइट पर फीड आंकड़ों के आधार ग्राम पंचायत के आय व व्यय विवरण की जाँच की गई। ग्राम पंचायत की ई ग्राम स्वराज पर फीड आंकड़ों के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त व 14

वाँ /1 5 वां वित्त आयोग के अंतर्गत कुल रूपया 1744360 का व्यय/आहरण ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा किया गया है किन्तु लेखा परीक्षा में एक भी पत्रावली व रजिस्टर्स जैसे . कैशबुक बैंक पासबुक मेजरमेंट बुक और स्टीमेट बुक समस्त व्यय से सम्बंधित प्रमाणक,मास्टर रोल,वर्क कम्प्लीशन रिपोर्ट,यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट,और वित्तीय तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति से सम्बंधित पत्रावलियां,भौतिक सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि के साथ ही लेखा परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर,परिसंपत्ति रजिस्टर,कार्यवाही रजिस्टर,निरीक्षण पंजिका,जीएसटी भुगतान रजिस्टर,रोजगार रजिस्टर,मांग और वसूली रजिस्टर,मानदेय रजिस्टर्स व टेंडर से सम्बंधित स्वीकृति से सम्बंधित पत्रावलियां,भौतिक सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि के साथ ही लेखा परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर,परिसंपत्ति रजिस्टर,कार्यवाही रजिस्टर,अभिलेख,वर्क रजिस्टर, इत्यादि बार बार मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि उपर्युक्त समस्त पत्रावलियां व रजिस्टर तैयार नहीं हैं या जानबूझ कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क 8 ख के अंतर्गत यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई पत्रावली व प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संबंधित ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकता है। इस प्रकार गबन की धनराशि रुपए 1744360 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री किननु और ग्राम पंचायत अधिकारी श्री वरुण कुमार से सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत परमानन्दपट्टी क्षेत्र पंचायत-रतनपुरा वर्ष-2020-21 प्रस्तर-21

ग्राम पंचायत परमानन्दपट्टी के वर्ष 2020-21 तक की लेखा परीक्षा में अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आए जिनके सम्बन्ध में वैधानिक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । आपत्ति का विवरण निम्नवत है -

वर्ष 2020-21 की ग्राम पंचायत परमानन्दपट्टी की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज कि वेबसाइट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है। ग्राम पंचायत के सचिव/प्रधान से मौखिक और लिखित रूप में(कांपी सलग्न) सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को इस सम्बन्ध में कई पत्र के माध्यम से (कांपी सलग्न) तथा जिला पंचायत राज अधिकारी को भी उपर्युक्त प्रकरण की सूचना दिनांक 20.09.21 व 01.01.22 को पत्र के माध्यम से दी गयी. किन्तु बार बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गए है।

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया फलस्वरूप ई ग्राम स्वराज की वेबसाइट पर फीड आंकड़ों के आधार ग्राम पंचायत के आय व व्यय विवरण की जाँच की गई। ग्राम पंचायत की ई ग्राम स्वराज पर फीड आंकड़ों के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त व चौदहवाँ वित्त तथा पंद्रहवाँ वित्त आयोग के अंतर्गत कुल 1245555 का व्यय/आहरण ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा किया गया है। किन्तु लेखा परीक्षा में एक भी पत्रावली व रजिस्टर्स जैसे . कैशबुक बैंक पासबुक मेजरमेंट बुक और स्टीमेट बुक समस्त व्यय से सम्बंधित प्रमाणक,मास्टर रोल,वर्क कम्प्लीशन रिपोर्ट,यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट,और वित्तीय तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति से सम्बंधित पत्रावलियां,भौतिक सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि के साथ ही लेखा परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर,परिसंपत्ति रजिस्टर,कार्यवाही रजिस्टर,निरीक्षण पंजिका,जीएसटी भुगतान रजिस्टर,रोजगार रजिस्टर,मांग और वसूली रजिस्टर,मानदेय रजिस्टर्स कोटेशन व टेंडर से सम्बंधित स्वीकृति से सम्बंधित पत्रावलियां,भौतिक सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि के साथ ही लेखा परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर,परिसंपत्ति रजिस्टर,कार्यवाही रजिस्टर,अभिलेख,वर्क रजिस्टर, इत्यादि बार बार मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे

स्पष्ट है कि उपर्युक्त समस्त पत्रावलियां व रजिस्टर तैयार नहीं हैं या जानबूझ कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क 8 ख के अंतर्गत यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई पत्रावली व प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संबंधित ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकता है। इस प्रकार गबन की धनराशि रुपए 1245555 के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती लालसा देवी एवं सचिव श्री वरुण कुमार से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-ढोलवन

क्षेत्र पंचायत-रतनपुरा वर्ष-2020-21

प्रस्तर-22

ग्राम पंचायत ढोलवन के वर्ष 2020-21 तक की लेखा परीक्षा में अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आए जिनके सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। आपति का विवरण निम्नवत है -

वर्ष 2020-21 की ग्राम पंचायत ढोलवन की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट और ई ग्राम स्वराज कि वेबसाइट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है। ग्राम पंचायत के सचिव/प्रधान से मौखिक और लिखित रूप में (कांपी सलग्न) सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को इस सम्बन्ध में कई पत्र के माध्यम से (कांपी सलग्न) तथा जिला पंचायत राज अधिकारी को भी उपर्युक्त प्रकरण की सूचना दिनांक 20.09.21 व 01.01.22 को पत्र के माध्यम से दी गयी। बार बार मांग के बाद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गए हैं।

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त 14 वां/15 वां वित्त आयोग के बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया, फलस्वरूप ई ग्राम स्वराज की वेबसाइट पर फीड आंकड़ों के आधार ग्राम पंचायत के आय व व्यय विवरण की जाँच की गई। ग्राम पंचायत की ई ग्राम स्वराज पर फीड आंकड़ों के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त व चौदहवाँ वित्त आयोग के अंतर्गत तथा पंद्रहवाँ वित्त आयोग के अंतर्गत कुल रूपया 410592 का व्यय/आहरण ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा किया गया है। किन्तु लेखा परीक्षा में एक भी पत्रावली व रजिस्टर्स जैसे कैशबुक, मेजमेंट बुक और स्टीमेट बुक समस्त व्यय से सम्बंधित प्रमाणक, मास्टर रोल, वर्क कम्प्लीशन रिपोर्ट, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, और वित्तीय तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति से सम्बंधित पत्रावलियां, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि के साथ ही लेखा परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, निरीक्षण पंजिका, जीएसटी भुगतान रजिस्टर, रोजगार रजिस्टर, मांग और वसूली रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर्स कोटेशन व टेंडर से सम्बंधित स्वीकृति से सम्बंधित पत्रावलियां, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि के साथ ही लेखा परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, अभिलेख, वर्क रजिस्टर, इत्यादि बार बार मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि उपर्युक्त समस्त पत्रावलियां व रजिस्टर तैयार नहीं हैं या जानबूझ कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क 8 ख के अंतर्गत यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई पत्रावली व प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संबंधित ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकता है। इस प्रकार गबन की धनराशि रुपए 410592 की व्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री सम्बा उर्फ शम्भू एवं सचिव श्री वरुण से किया जाना अपेक्षित है। आगे उपर्युक्त अधिनियम 1947 के धारा 14 क के बिंदु 1 पनिसमेंट फॉर फेलोर टू हैंडवोवर रिकॉर्ड और पंचायत राज अनुभाग एक के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/33-1-2017-1988-17- 01 दिसम्बर 2017 तहत यथोचित कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत मखना के वर्ष 2020-21 तक की लेखा परीक्षा में अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आए जिनके सम्बन्ध में वैधानिक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। आपत्ति का विवरण निम्नवत है -

वर्ष 2020-21 की ग्राम पंचायत मखना की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट और ई ग्राम स्वराज कि वेबसाइट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है। ग्राम पंचायत के सचिव/प्रधान से मौखिक और लिखित रूप में (कांपी सलग्न) पत्राचार किया गया कार्यक्रम लगाया गया, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को इस सम्बन्ध में कई पत्र के माध्यम से (कांपी सलग्न) ऑडिट के यथास्थिति और प्रगति की सूचना दी गयी लेकिन बार बार मांग के बाद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गए हैं।

ग्राम पंचायत की ई ग्राम स्वराज पर फीड आंकड़ों के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त व चौदहवाँ वित्त आयोग के अंतर्गत कुल रूपया 570360 तथा पंद्रहवाँ वित्त आयोग के अंतर्गत कुल रूपया 516237 इस प्रकार कुल रूपया 1086597 का व्यय/आहरण ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा किया गया है। किन्तु लेखा परीक्षा में एक भी पत्रावली व रजिस्टर्स जैसे . कैशबुक, मेजमेंट बुक और स्टीमेट बुक समस्त व्यय से सम्बंधित प्रमाणक, मास्टर रोल, वर्क कम्प्लीशन रिपोर्ट, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, और वित्तीय तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति से सम्बंधित पत्रावलियां, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि के साथ ही लेखा परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, निरीक्षण पंजिका, जीएसटी भुगतान रजिस्टर, रोजगार रजिस्टर, मांग और वसूली रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर्स कोटेशन व टेंडर से सम्बंधित स्वीकृति से सम्बंधित पत्रावलियां, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि के साथ ही लेखा परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, अभिलेख, वर्क रजिस्टर, इत्यादि बार बार मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि उपर्युक्त समस्त पत्रावलियां व रजिस्टर तैयार नहीं हैं या जानबूझ कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क 8 ख के अंतर्गत यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई पत्रावली व प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संबंधित ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकता है। इस प्रकार गबन की धनराशि रूपए 1086597 के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती गायत्री देवी एवं सचिव श्री विजय शंकर सिंह को उत्तरदायी ठहराते हुए इस धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी से सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत सम्हरुवा के वर्ष 2020-21 तक की लेखा परीक्षा में अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आए जिनके सम्बन्ध में वैधानिक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। आपत्ति का विवरण निम्नवत है -

वर्ष 2020-21 की ग्राम पंचायत सम्हरुवा की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट और ई ग्राम स्वराज कि वेबसाइट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है। ग्राम पंचायत के सचिव/प्रधान से मौखिक और लिखित रूप में (कांपी सलग्न) पत्राचार किया गया कार्यक्रम लगाया गया, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को इस सम्बन्ध में कई पत्र के माध्यम से (कांपी सलग्न) ऑडिट के यथास्थिति और प्रगति की सूचना दी गयी। बार बार मांग के बाद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गए हैं।

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा में चतुर्थ राज्य वित्त 14 वां/15 वां वित्त आयोग के बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया , फलस्वरूप ई ग्राम स्वराज की वेबसाइट पर फीड आंकड़ों के आधार ग्राम पंचायत के आय व व्यय विवरण की जाँच की गई । ग्राम पंचायत की ई ग्राम स्वराज पर फीड आंकड़ों के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त व चौदहवाँ वित्त आयोग के अंतर्गत कुल रूपया 4501340 तथा पंद्रहवाँ वित्त आयोग के अंतर्गत कुल रूपया 294000 इस प्रकार कुल रूपया 4795340 का व्यय/आहरण ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा किया गया है, किन्तु लेखा परीक्षा में एक भी पत्रावली व रजिस्टर्स जैसे कैशबुक,मेजमेंट बुक और स्टीमेट बुक , समस्त व्यय से सम्बंधित प्रमाणक,मास्टर रोल,वर्क कम्प्लीशन रिपोर्ट,यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट,और वित्तीय तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति से सम्बंधित पत्रावलियां,भौतिक सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि के साथ ही लेखा परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर,परिसंपत्ति रजिस्टर,कार्यवाही रजिस्टर,निरीक्षण पंजिका,जीएसटी भुगतान रजिस्टर,रोजगार रजिस्टर,मांग और वसूली रजिस्टर,मानदेय रजिस्टर्स कोटेशन व टेंडर से सम्बंधित स्वीकृति से सम्बंधित पत्रावलियां,भौतिक सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि के साथ ही लेखा परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर,परिसंपत्ति रजिस्टर,कार्यवाही रजिस्टर,अभिलेख,वर्क रजिस्टर, इत्यादि बार बार मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि उपर्युक्त समस्त पत्रावलियां व रजिस्टर तैयार नहीं हैं या जानबूझ कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क 8 ख के अंतर्गत यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई पत्रावली व प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान श्री बीरेन्द्र यादव एवं सचिव श्री मुनेश्वर यादव को उत्तरदायी ठहराते हुए इस धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत-तरवाडीह क्षेत्र पंचायत-रतनपुरा वर्ष- 2020-21

प्रस्तर-25

ग्राम पंचायत तरवाडीह के वर्ष 2020-21 तक की लेखा परीक्षा में अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आए जिनके सम्बन्ध में वैधानिक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । आपत्ति का विवरण निम्नवत है -

वर्ष 2020-21 की ग्राम पंचायत तरवाडीह की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पी.एफ.एम.एस.इन्टीग्रेसिटीऑन रिपोर्ट विलेज वाईज रिसीप्ट एण्ड एक्सपेंडीचर पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है। ग्राम पंचायत के सचिव/प्रधान से मौखिक और लिखित रूप में(कॉपी सलग्न) पत्राचार , सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को इस सम्बन्ध में कई पत्र के माध्यम से (कॉपी सलग्न) तथा जिला पंचायत राज अधिकारी को भी उपर्युक्त प्रकरण की सूचना दिनांक 20.09.21 व 01.01.22 को पत्र के माध्यम से दी गयी किन्तु बार-बार मांग के बाद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गए हैं।

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया, फलस्वरूप ई ग्राम स्वराज की वेबसाइट पर फीड आंकड़ों के आधार ग्राम पंचायत के आय व व्यय विवरण की जाँच की गई। ग्राम पंचायत की ई ग्राम स्वराज पर फीड आंकड़ों के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त व चौदहवाँ वित्त आयोग के अंतर्गत कुल रूपया 807113 तथा पंद्रहवाँ वित्त आयोग के अंतर्गत कुल रूपया 748056 इस प्रकार कुल रूपया 1555169 का व्यय/आहरण ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा किया गया है। किन्तु लेखा परीक्षा में एक भी पत्रावली व रजिस्टर्स जैसे . कैशबुक,बैंक पासबुक, मापनबुक और स्टीमेट बुक, समस्त व्यय से सम्बंधित प्रमाणक,मास्टर रोल,वर्क कम्प्लीशन रिपोर्ट,यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट,और वित्तीय तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति से सम्बंधित पत्रावलियां,भौतिक सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि के साथ ही लेखा परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर,परिसंपत्ति रजिस्टर,कार्यवाही रजिस्टर,निरीक्षण पंजिका,जीएसटी भुगतान रजिस्टर,रोजगार रजिस्टर,मांग

और वसूली रजिस्टर,मानदेय रजिस्टर्स कोटेशन व टेंडर से सम्बंधित स्वीकृति से सम्बंधित पत्रावलियां,भौतिक सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि के साथ ही लेखा परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर,परिसंपत्ति रजिस्टर,कार्यवाही रजिस्टरअभिलेख,वर्क रजिस्टर, इत्यादि बार बार मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि उपर्युक्त समस्त पत्रावलियां व रजिस्टर तैयार नहीं हैं या जानबूझ कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क 8 ख के अंतर्गत यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई पत्रावली व प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संबंधित ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इस प्रकार गबन की धनराशि रुपए 1555169 के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती गीता देवी एवं सचिव श्री विजय नारायन सिंह को उत्तरदायी ठहराते हुए इस धनराशि की वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत बेलौड़ा

क्षेत्र पंचायत-रतनपुरा वर्ष-2020-21

प्रस्तर-26

ग्राम पंचायत बेलौड़ा के वर्ष 2020-21 तक की लेखा परीक्षा में अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आए जिनके सम्बन्ध में वैधानिक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । आपत्ति का विवरण निम्नवत है -

वर्ष 2020-21 की ग्राम पंचायत बेलौड़ा की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पी.एफ.एम.एस.इन्टीग्रेसटीऑन रिपोर्ट विलेज वाईजरसीपट एण्ड एक्सपेंडीचरपर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर संपन्न की गई। ग्राम पंचायत के सचिव/प्रधान से मौखिक और लिखित रूप में(कॉपी सलग्न) पत्राचार, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को इस सम्बन्ध में कई पत्र के माध्यम से (कॉपी सलग्न) तथा जिला पंचायत राज अधिकारी को भी उपर्युक्त प्रकरण की सूचना दिनांक 20.09.21 व 01.01.22 को पत्र के माध्यम से दी गयी। किन्तु बार बार मांग के बाद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गए है।

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया ए फलस्वरूप ई ग्राम स्वराज की वेबसाइट पर फीड आंकड़ों के आधार ग्राम पंचायत के आय व व्यय विवरण की जाँच की गई। ग्राम पंचायत की ई ग्राम स्वराज पर फीड आंकड़ों के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त व चौदहवाँ वित्त आयोग के अंतर्गत कुल रुपया 2111472 तथा पंद्रहवाँ वित्त आयोग के अंतर्गत कुल रुपया 1129249 इस प्रकार कुल रुपया 3240721 का व्यय/आहरण ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा किया गया है, किन्तु लेखा परीक्षा में एक भी पत्रावली व रजिस्टर्स जैसे . कैशबुक बैंक पासबुक , मापन बुक और स्टीमेट बुक , समस्त व्यय से सम्बंधित प्रमाणक,मास्टर रोल,वर्क कम्प्लीशन रिपोर्ट,यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट,और वित्तीय तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति से सम्बंधित पत्रावलियां,भौतिक सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि के साथ ही लेखा परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर,परिसंपत्ति रजिस्टर,कार्यवाही रजिस्टर,निरीक्षण पंजिका,जीएसटी भुगतान रजिस्टर,रोजगार रजिस्टर,मांग और वसूली रजिस्टर,मानदेय रजिस्टर्स कोटेशन व टेंडर से सम्बंधित स्वीकृति से सम्बंधित पत्रावलियां,भौतिक सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि के साथ ही लेखा परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर,परिसंपत्ति रजिस्टर,कार्यवाही रजिस्टरअभिलेख,वर्क रजिस्टर, इत्यादि बार बार मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि उपर्युक्त समस्त पत्रावलियां व रजिस्टर तैयार नहीं हैं या जानबूझ कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क 8 ख के अंतर्गत यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई पत्रावली व प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संबंधित ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इस प्रकार गबन की धनराशि रुपए 3240721 के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अमरनाथ एवं सचिव श्री विजय नारायन सिंह को उत्तरदायी ठहराते हुए इसकी वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत-सरवा

क्षेत्र पंचायत-परदहा वर्ष -2020-21

प्रस्तर-27

ग्राम पंचायत सरवा के वर्ष 2020-21 तक की लेखा परीक्षा में अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आए जिनके सम्बन्ध में वैधानिक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । आपत्ति का विवरण निम्नवत है -

वर्ष 2020-21 की ग्राम पंचायत सरवा की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट और ई ग्राम स्वराज के आधार अंकित व्यय धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है। ग्राम पंचायत के सचिव/प्रधान से मौखिक और लिखित रूप में (कॉपी सलग्न) , सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को इस सम्बन्ध में कई पत्र के माध्यम से (कॉपी सलग्न) तथा जिला पंचायत राज अधिकारी को भी उपर्युक्त प्रकरण की सूचना दिनांक 20.09.21 व 01.01.22 को पत्र के माध्यम से दी गयी. किन्तु बार बार मांग के बाद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गए है।

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा मात्र चतुर्थ राज्य वित्त व चौदहवा वित्त व पंद्रहवाँ वित्त आयोग का बैंक स्टेटमेंट ही प्रस्तुत किया गया, फलस्वरूप बैंक स्टेटमेंट पर फीड आंकड़ों के आधार ग्राम पंचायत के आय व व्यय विवरण की जाँच की गई। ग्राम पंचायत की बैंक स्टेटमेंट पर फीड आंकड़ों के अनुसार 2626566 व्यय/आहरण ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा किया गया है। किन्तु लेखा परीक्षा में कैशबुक व एक भी पत्रावली व रजिस्टर्स जैसे मेजमेंट बुक और स्टीमेट बुक , समस्त व्यय से सम्बंधित प्रमाणक,मास्टर रोल,वर्क कम्प्लीशन रिपोर्ट,यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट,और वित्तीय तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति से सम्बंधित पत्रावलियाँ,भौतिक सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि के साथ ही लेखा परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर,परिसंपत्ति रजिस्टर,कार्यवाही रजिस्टर,निरीक्षण पंजिका,जीएसटी भुगतान रजिस्टर,रोजगार रजिस्टर,मांग और वसूली रजिस्टर,मानदेय रजिस्टर्स कोटेशन व टेंडर से सम्बंधित स्वीकृति से सम्बंधित पत्रावलियाँ,भौतिक सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि के साथ ही लेखा परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर,परिसंपत्ति रजिस्टर,कार्यवाही रजिस्टर,अभिलेख,वर्क रजिस्टर, इत्यादि बार बार मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि उपर्युक्त समस्त पत्रावलियाँ व रजिस्टर तैयार नहीं हैं या जानबूझ कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क व 8 ख के अंतर्गत यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई पत्रावली व प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संबंधित ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकता है। इस प्रकार गबन की धनराशि रुपए 2626566 गबन की श्रेणी के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती इंद्र कुमारी एवं सचिव श्री प्रेमशंकर यादव को उत्तरदायी ठहराते हुए इस धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान इंद्र कुमारी एवं सचिव श्री प्रेमशंकर यादव से सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-पनियरा

क्षेत्र पंचायत-परदहा वर्ष-2020-21

प्रस्तर-28

ग्राम पंचायत पनियरा के वर्ष 2020-21 तक की लेखा परीक्षा में अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आए जिनके सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । आपत्ति का विवरण निम्नवत है -

वर्ष 2020-21 की ग्राम पंचायत पनियरा की लेखा परीक्षा कैशबुक बैंक स्टेटमेंट व ई ग्राम स्वराज पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है। बार बार मांग के बाद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गए है। पत्राचार संलग्न

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा मात्र चतुर्थ राज्य वित्त व चौदहवा वित्त व 15 वां वित्त का कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट ही प्रस्तुत किया गया, फलस्वरूप बैंक स्टेटमेंट पर फीड आंकड़ों के आधार ग्राम पंचायत के आय व व्यय विवरण की जाँच की गई। ग्राम पंचायत की बैंक स्टेटमेंट पर फीड आंकड़ों के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त एवं 14/15वां वित्त आयोग में व्यय दर्शित धनराशि रु0 1606537 की लेखा परीक्षा में कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट ही प्रस्तुत किया गया, फलस्वरूप बैंक स्टेटमेंट पर फीड आंकड़ों के

आधार ग्राम पंचायत के आय व व्यय विवरण की जाँच की गई। लेखा परीक्षा में एक भी पत्रावली व रजिस्टर्स जैसे, मेजमेंट बुक और स्टीमेट बुक , समस्त व्यय से सम्बंधित प्रमाणक, मास्टर रोल, वर्क कम्प्लीशन रिपोर्ट, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, और वित्तीय तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति से सम्बंधित पत्रावलियां, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि के साथ ही लेखा परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, निरीक्षण पंजिका, जीएसटी भुगतान रजिस्टर, रोजगार रजिस्टर, मांग और वसूली रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर्स कोटेशन व टेंडर से सम्बंधित स्वीकृति से सम्बंधित पत्रावलियां, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि के साथ ही लेखा परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर अभिलेख, वर्क रजिस्टर, इत्यादि बार बार मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि उपर्युक्त समस्त पत्रावलियां व रजिस्टर तैयार नहीं हैं या जानबूझ कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क 8 ख के अंतर्गत यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई पत्रावली व प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संबंधित ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकता है। इस प्रकार गबन की धनराशि रुपए 1606537 के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव को उत्तरदायी ठहराते हुए इस धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संजय गुप्ता व ग्राम प्रधान रामगीना यादव से किया जाना अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत-मुहम्मदपुर मु0 इन्दारा क्षेत्र पंचायत-कोपागंज वर्ष-2020-21

प्रस्तर-29

ग्राम पंचायत मुहम्मदपुर मु0 इन्दारा के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आए जिनके सम्बन्ध में वैधानिक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । आपत्ति का विस्तृत विवरण निम्नवत है:-

आपत्ति का विस्तृत विवरण--

आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष दौरान कैशबुक के अनुसार रु० 633380 विभिन्न नये कार्य के परिसम्पत्तियों के रखरखाव, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। उक्त सम्पूर्ण धनराशि रु० 633380 के खर्च सम्बंधित कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना स्टीमेट, वर्क आई०डी०, वाउचर फाइल, मास्टररोल, एम० वी० कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य का त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ आदि अप्राप्त रहा। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है साथ ही इसी के अध्याय 8 के धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार उक्त धनराशि रु० 633380 का गबन प्रधान श्री जुबैर अहमद एवं सचिव ग्राम पंचायत सचिव रजन कुमार सिंह द्वारा किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-30

ग्राम पंचायत हंसपुर के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आए जिनके सम्बन्ध में वैधानिक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। आपत्ति का विस्तृत विवरण निम्नवत है-

आपत्ति का विस्तृत विवरण--

आलोच्य वर्ष 2021 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दौरान वर्ष कैशबुक के अनुसार रु० 2451218 विभिन्न नये कार्यों, के परिसम्पत्तियों के रखरखाव, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। उक्त सम्पूर्ण धनराशि रु० 2451218 के खर्च सम्बंधित कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना स्टीमेट, वर्क आई०डी०, वाउचर फाइल, मस्टररोल, एम० वी० कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य का त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ आदि अप्राप्त रहा जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है साथ ही इसी के अध्याय 8 के धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार उक्त धनराशि रु० 2451218 का गबन प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री नदीम अख्तर द्वारा किया गया है जिसकी वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-31

ग्राम पंचायत गरझौली के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आए जिनके सम्बन्ध में वैधानिक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। आपत्ति का विस्तृत विवरण निम्नवत है-

आपत्ति का विस्तृत विवरण--

आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दौरान कैशबुक के अनुसार रु० 1075026 विभिन्न नये कार्यों के परिसम्पत्तियों के रखरखाव, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। उक्त सम्पूर्ण धनराशि रु० 1075026 के खर्च सम्बंधित कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना स्टीमेट, वर्क आई०डी०, वाउचर फाइल, मस्टररोल, एम० वी० कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य का त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ आदि अप्राप्त रहा जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है साथ ही इसी के अध्याय 8 के धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार उक्त धनराशि रु० 1075026 का गबन प्रधान श्री मती लाल मुनी एवं सचिव श्री संतोष कुमार ग्राम पंचायत द्वारा किया गया है जिसकी वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत रैकवारेडीह के वर्ष 2020-21 तक की लेखा परीक्षा में अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आए जिनके सम्बन्ध में वैधानिक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। आपत्ति का विवरण निम्नवत है -

वर्ष 2020-21 की ग्राम पंचायत रैकवारेडीह की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट और ई ग्राम स्वराज के आधार अंकित व्यय धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है। ग्राम पंचायत के सचिव/प्रधान से मौखिक और लिखित रूप में (कांपी सलगन), सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को इस सम्बन्ध में कई पत्र के माध्यम से (कांपी सलगन) तथा जिला पंचायत राज अधिकारी को भी उपर्युक्त प्रकरण की सूचना दिनांक 20.09.21 व 01.01.22 को पत्र के माध्यम से दी गयी, किन्तु बार बार मांग के बाद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गए हैं।

लेखा परीक्षा में कैशबुक व एक भी पत्रावली व रजिस्टर्स जैसे, मेजमेंट बुक और स्टीमेट बुक, समस्त व्यय से सम्बंधित प्रमाणक, मास्टर रोल, वर्क कम्प्लीशन रिपोर्ट, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, और वित्तीय तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति से सम्बंधित पत्रावलियां, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि के साथ ही लेखा परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, निरीक्षण पंजिका, जीएसटी भुगतान रजिस्टर, रोजगार रजिस्टर, मांग और वसूली रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर्स कोटेशन व टेंडर से सम्बंधित स्वीकृति से सम्बंधित पत्रावलियां, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि के साथ ही लेखा परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर अभिलेख, वर्क रजिस्टर, इत्यादि बार बार मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि उपर्युक्त समस्त पत्रावलियां व रजिस्टर तैयार नहीं हैं या जानबूझ कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा मात्र चतुर्थ राज्य वित्त व चौदहवा वित्त व पंद्रहवाँ वित्त आयोग का बैंक स्टेटमेंट ही प्रस्तुत किया गया, फलस्वरूप बैंक स्टेटमेंट पर फीड आंकड़ों के आधार ग्राम पंचायत के आय व व्यय विवरण की जाँच की गई। ग्राम पंचायत की बैंक स्टेटमेंट पर फीड आंकड़ों के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त एवं 14/15वाँ वित्त आयोग में व्यय दर्शित धनराशि रु 1972420 का व्यय/आहरण ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा किया गया है, इससे स्पष्ट है कि उपर्युक्त समस्त पत्रावलियां व रजिस्टर तैयार नहीं हैं या जानबूझ कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क व 8 ख के अंतर्गत यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई पत्रावली व प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संबंधित ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इस प्रकार गबन की धनराशि रुपए 1972420 के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव को उत्तरदायी ठहराते हुए इस धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती सरोज और ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आलोक कुमार दूबे से सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है। आगे 50 प्र० पं० रा० अधिनियम 1947 के धारा 14.क के बिंदु 1 पनिसमेंट फॉर फेलोर टू हैंडोवर रिकॉर्ड और पंचायत राज अनुभाग एक के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/33-1-2017-1988-17- 01 दिसम्बर 2017 तहत यथोचित कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत उमापुर के वर्ष 2020-21 तक की लेखा परीक्षा में अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आए जिनके सम्बन्ध में वैधानिक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। आपत्ति का विवरण निम्नवत है -

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में विभिन्न मदों में निम्नलिखित धनराशियां बैंक पास बुक/कैशबुक के अनुसार आहरित की गयी दर्शित हैं किन्तु इन धनराशियों से सम्बंधित व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे साथ ही इन व्ययों से सम्बंधित अन्य पत्रावलियां जैसे टेंडर /कोटेशन, तीन फर्मों के आवेदन पत्र एवं स्वीकृत फर्म का आदेश व तिथि, क्रयादेश, स्टॉक रजिस्टर व परिसंपत्ति रजिस्टर इत्यादि भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। इस प्रकार बिना प्रमाणकों के धनराशि आहरित कर अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं ए इस धनराशि रुपए 73239 की वसूली

ब्याज सहित ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राघवेन्द्र सिंह व ग्राम प्रधान श्री बृजेश सिंह से सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है ।
आहरित धनराशि का विवरण निम्नवत हैं .

क्रमांक विवरण दिनांक धनराशि प्रमाणक की स्थिति

1	हैंडपम्प मरम्मत	18.06.20	44200	अप्राप्त
2	हैंडपम्प मरम्मत प्रियांजलि इंटरप्राइसेस को	20.07.20	13000	अप्राप्त
3	ग्राम प्रधान मानदेय	20.07.20	10500	अप्राप्त
4	टेंडर प्रकाशन हेतु अमर उजाला	07.10.20	5539	अप्राप्त
5	योग		73239	

प्रस्तर-34

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में विभिन्न मदों में निम्नलिखित धनराशियां बैंक पास बुक/कैशबुक के अनुसार आहरित की गयी दर्शित हैं किन्तु इन धनराशियों से सम्बंधित व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे साथ ही इन व्ययों से सम्बंधित अन्य पत्रावलियां जैसे टेंडर /कोटेशन ,तीन फर्मों के आवेदन पत्र, स्वीकृत फर्म का आदेश व तिथि, क्रयादेश ,स्टॉक रजिस्टर व परिसंपत्ति रजिस्टर इत्यादि भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। इस प्रकार बिना प्रमाणकों के धनराशि आहरित कर अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से जिम्मेदार है, इस धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राघवेन्द्र सिंह व ग्राम प्रधान श्री बृजेश सिंह से सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है । आहरित धनराशि का विवरण निम्नवत हैं .

क्रमांक	विवरण	दिनांक	धनराशि	प्रमाणक की स्थिति
1	प्राथमिक पाठशाला में टाइल्स कार्य हेतु प्रियांजलि इंटरप्राइसेस को	24.06.20	149076	अप्राप्त
2	आप्रेषन कार्याकल्प प्राथमिक पाठशाला में टाइल्स कार्य हेतु प्रियांजलि इंटरप्राइसेस को	07 .10 .20	29110	अप्राप्त
3	आप्रेषन कार्याकल्प प्राथमिक पाठशाला में टाइल्स कार्य हेतु प्रियांजलि इंटरप्राइसेस को	07 .10 .20	31435	अप्राप्त
4	योग		209621	

प्रस्तर-35

दिनांक 02.06.20 को प्राथमिक विद्यालय उमापुर में बाउंड्री व गेट निर्माण कार्य हेतु मजदूरी मद में रुपया 26810 व सामग्री क्रय मद में रुपया 92232 प्रियांजलि इंटरप्राइजेज को बाउचर संख्या 402/31.05.20 द्वारा कुल रुपया 119042 का भुगतान किया गया दर्शित है। जिसके सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां हैं .

1. ग्राम पंचायत में कार्य कराने हेतु सामग्री आपूर्ति हेतु विज्ञापन दिनांक 30.05.20 से दिनांक 02.06.20 के बीच मांगे गए थे तथा टेंडर खुलने की तिथि 03.06.20 था। अर्थात् टेंडर खुलने के पश्चात ही सामग्री आपूर्ति की जानी थी।

2. बाउचर दिनांक 31.05.20 का लगा है जिसका भुगतान दिनांक 02.06.20 को कर दिया गया है। आलोच्य वर्ष में समस्त भुगतान प्रियांजलि इंटरप्राइजेज को ही किया गया है जिससे स्पष्ट है की टेंडर की स्वीकृति प्रियांजलि इंटरप्राइजेज का ही किया गया है। इस प्रकार टेंडर खुलने की तिथि से पूर्व ही सामग्री क्रय कर भुगतान किया गया है।

3. टेंडर से सम्बंधित तीन फर्मों के आवेदन पत्र व स्वीकृत फर्म का आदेश तिथि सहित पत्रावली में संलग्न नहीं रहा , साथ ही कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र , उपभोग प्रमाण पत्र ,स्टॉक रजिस्टर ,परिसंपत्ति रजिस्टर , एन्विस्तरिय फोटोग्राफ इत्यादि लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा।

4. व्यय प्रमाणक पर पेड एंड कैंसिल की मुहर हस्ताक्षर सहित अंकित नहीं है, साथ ही फर्म स्वामी का हस्ताक्षर बाउचर पर अंकित नहीं है तथा टीडीएस की कटौती प्रमाणक पर अंकित नहीं है। स्पष्ट है की फेक प्रमाणक प्रस्तुत कर भुगतान दर्शाया गया है।

5. उपरोक्त कार्य पर मजदूरी भुगतान हेतु लगाया मस्टर रोल पूर्णतया फेक है मस्टर रोल पर मजदूरों के नाम व पिता का नाम अंकित नहीं हैं साथ ही उनके हस्ताक्षर धुअंगूठों के निशान भी अंकित नहीं हैं। इस प्रकार रूपया 26810 का फर्जी मस्टर रोल लगा कर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है।

उपरोक्त कमियों के अलोक में सिद्ध होता है की फेक प्रमाणकों के आधार पर रूपया 92232 सामग्री मद में व रूपया 26810 मजदूरी मद में , कुल रूपया 119042 का भुगतान दर्शाकर आहरित धनराशि का अपहरण कर लिया गया है इसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं , इस धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राघवेन्द्र सिंह व ग्राम प्रधान श्री बृजेश सिंह से सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर-36

दिनांक 24.06.20 को प्राथमिक ग्राम पंचायत उमापुर में शौचालय व यूरिनल निर्माण कार्य हेतु मजदूरी मद में रूपया 21387 व सामग्री क्रय मद में रूपया 98156 प्रियांजलि इन्टरप्राइजेज को बाउचर संख्या 405/22 .06 .20 बैंक स्टेटमेंट/कैशबुक भुगतान तिथि 24.06.20 द्वारा कुल रूपया 119543 का भुगतान किया गया दर्शित है। जिसके सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां हैं-

1. टेंडर की पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही जिससे यह स्पष्ट न हो सका कि किस फर्म का आवेदन सामग्री क्रय हेतु स्वीकृत हुआ है स्पष्ट है की टेंडर की प्रक्रिया का पालन न कर ग्राम पंचायत को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ से वंचित रखा गया है।
2. तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति से सम्बंधित प्रमाणक पर क्रमांक व दिनांक अंकित नहीं है साथ ही ए डी ओ पं तथा बी डी ओ के हस्ताक्षर भी अंकित नहीं हैं । इसके साथ ही प्राक्कलन पंजिका पर ग्राम पंचायत का नाम अंकित नहीं है तथा कोई भी हस्ताक्षर व तिथि अंकित नहीं है।
3. टेंडर से सम्बंधित तीन फर्मों के आवेदन पत्र व स्वीकृत फर्म का आदेश तिथि सहित पत्रावली में संलग्न नहीं रहा साथ ही कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र , उपभोग प्रमाण पत्र ,स्टॉक रजिस्टर ,परिसंपत्ति रजिस्टर, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ इत्यादि लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा।
4. व्यय प्रमाणक पर पेड एंड कैंसिल की मुहर हस्ताक्षर सहित अंकित नहीं है। साथ ही फर्म स्वामी का हस्ताक्षर बाउचर पर अंकित नहीं है तथा टीडीएस की कटौती प्रमाणक पर अंकित नहीं है। स्पष्ट है की फेक प्रमाणक प्रस्तुत कर भुगतान दर्शाया गया है।
5. उपरोक्त कार्य पर मजदूरी भुगतान हेतु लगाया मस्टर रोल पूर्णतया फेक है मस्टर रोल पर मजदूरों के नाम व पिता का नाम अंकित नहीं हैं साथ ही उनके हस्ताक्षर अंगूठों के निशान भी अंकित नहीं हैं। इस प्रकार रूपया 26810 का फर्जी मस्टर रोल लगा कर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। मजदूरी का भुगतान फर्जी होने से कराये गए कार्य पर सामग्री का भुगतान भी संदिग्ध है।

उपरोक्त कमियों के अलोक में सिद्ध होता है की फेक प्रमाणकों के आधार पर रूपया 98156 सामग्री मद में व रूपया 21387 मजदूरी मद में कुल रूपया 119543 भुगतान दर्शाकर आहरित धनराशि का अपहरण कर लिया गया है एजिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं इस धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राघवेन्द्र सिंह व ग्राम प्रधान श्री बृजेश सिंह से सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर-37

दिनांक 19.10.20 को 15वा वित्त आयोग मद से रूपया 102220 सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य हेतु सामग्री का भुगतान मेसर्स आर आर एल बिल्डिंग मटेरियल को ईट व ईट गिट्टी हेतु किया गया दर्शित है इस सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां हैं .

1. टेंडर की पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही जिससे यह स्पष्ट न हो सका कि किस फर्म का आवेदन सामग्री कराया हेतु स्वीकृत हुआ है स्पष्ट है की टेंडर की प्रक्रिया का पालन न कर ग्राम पंचायत को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ से वंचित रखा गया है।

2. 15वां वित्त आयोग से सम्बंधित टेंडर का कोई विज्ञापन समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं कराया गया है इस प्रकार बिना विज्ञापन प्रकाशित कराये ही धनराशि व्यय की गई है।

3. लेखा परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर अप्राप्त रहा परिसंपत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा कार्यपूति प्रमाण पत्र व उपभोग प्रमाण पत्र अप्राप्त रहा कराये गए कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ पत्रावली में संलग्न नहीं रही तकनीक व प्रशासनिक स्वीकृति से सम्बंधित क्रमांक व दिनांक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा।

4. उक्त व्यय से सम्बंधित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा।

5. उक्त व्यय पर दो प्रतिशत की दर से टीडीएस की कटौती नहीं कर राजकीय राजस्व को क्षति पहुंचाई गई है।

इस प्रकार उपरोक्त कमियों के आलोक में स्पष्ट है कि काल्पनिक व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं इस धनराशि रूपया 102220 की वसूली ब्याज सहित ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राघवेन्द्र सिंह व ग्राम प्रधान श्री बृजेश सिंह से सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत-कटवास

क्षेत्र पंचायत-कोपागंज वर्ष-2020-21

प्रस्तर-38

ग्राम पंचायत कटवास के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आए जिनके सम्बन्ध में वैधानिक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । आपति का विस्तृत विवरण निम्नवत है-

आपति का विस्तृत विवरण--

आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष दौरान कैशबुक के अनुसार रु० 877523 विभिन्न नये कार्यों, के परिसम्पत्तियों के रखरखाव, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है उक्त सम्पूर्ण धनराशि रु० 877523 के खर्च सम्बंधित कार्यवाही पुस्तिकाएँ कार्ययोजना स्टीमेट, वर्क आई०डी०, वाउचर फाइल, मस्टररोल, एम० वी० कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य का त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ आदि अप्राप्त रहा जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । उल्लेखनीय है कि पंचायत राजविभाग उ०प्र० द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है साथ ही इसी के अध्याय 8 के धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा इसके साथ ही साथ जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार उक्त धनराशि रु० 877523 का गबन प्रधान श्री शशिभूषण एवं सचिव श्री हरिकेश राम ग्राम पंचायत द्वारा किया गया है जिसकी वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-बस्ती बस्ती निधियांव क्षेत्र पंचायत फतहपुर मण्डाव 2020-21

प्रस्तर-39

ग्राम पंचायत बस्ती बस्ती निधियाव के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण/अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आए जिनके सम्बन्ध में वैधानिक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है आपति का विवरण निम्नलिखित है।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय के अनुच्छेद -7 में स्पष्ट प्रावधान है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ। परन्तु लेखा परीक्षा में आगनबाड़ी पर हुए विभिन्न कार्यों से सम्बन्धित पत्रावली (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृत मापी कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि) एवं किये गये व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर / व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे।

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैश बुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर दर्शित व्यय का विवरण निम्नवत है-

कार्य का नाम	दिनांक	कार्य आईडी	दर्शित व्यय धनराशि	फर्म का नाम
ग्राम पंचायत वस्ती बस्ती निधियाव में आगनबाड़ी पर विभिन्न कार्य	02.04.2020	21239580	106000	सुपर विल्डींग मैटेरियल

इस प्रकार उक्त कार्य से सम्बन्धित पत्रावली एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे।

लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। इस प्रकार दर्शित धनराशि रु 106000 लेखा मैनुअल के अध्याय 8के अनुच्छेद 8क के अन्तर्गत अपहरण है तथा अधिभार योग्य है जिसके लिए ग्राम विकास अधिकारी श्री सर्वेश यादव तथा ग्राम प्रधान श्री आनन्द प्रकाश उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रु 106000 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से आधी-आधी अद्वयावधि व्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-महमूद सराय क्षेत्र पंचायत फतहपुर मण्डाव वर्ष-2020-21

प्रस्तर-40

ग्राम पंचायत महमूद सराय के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण/अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आए जिनके सम्बन्ध में वैधानिक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है आपत्ति का विवरण निम्नलिखित है।

कैश बुक के अनुसार दिनांक 23.06.2020 को कार्य आई संख्या 13988326 पर से हैण्ड पम्प रिबोर के लिए कुल रु 63400 भुगतान भोपाल नाथ त्रिपाठी कन्ट्रिशन को किया गया जिसकी पुष्टि हेतु कोई अभिलेख और व्यय बाउचर प्रस्तुत नहीं किया गया।

इस प्रकार अवास्तविक व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया अतः पंचायत राज 30प्र0 के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 7,8क 8ख तथा पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 में विहित व्यवस्था के अनुसार आहरित धनराशियों में से व्याज सहित आधी -आधी धनराशि ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अध्याशंकर मिश्रा एवं ग्राम प्रधान श्री रफीउल्ला से वसूल करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है।

ग्राम पंचायत- जवाहिरपुर क्षेत्र पंचायत फतहपुर मण्डाव वर्ष-2020-21

प्रस्तर-41

ग्राम पंचायत जवाहिरपुर के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण/अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आए जिनके सम्बन्ध में वैधानिक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है आपत्ति का विवरण निम्नलिखित है।

कैश बुक के अनुसार दिनांक 23.10.2020 को कार्य आई संख्या 43496242 पर ह्यूम पाइप के लिए कुल रु 102400 भुगतान आशीष इण्टर प्राइजेज को किया गया जिसकी पुष्टि हेतु कोई अभिलेख और व्यय बाउचर प्रस्तुत नहीं किया गया । उक्त ह्यूम पाइप किस स्थान पर लगाई गई है इसका कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। इस प्रकार अवास्तविक व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया । अतः पंचायत राज 30प्र0 के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 7,8क 8ख तथा पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 में विहित व्यवस्था के अनुसार आहरित धनराशियों में से व्याज सहित आधी-आधी धनराशि ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अध्याशंकर मिश्रा एवं ग्राम प्रधान श्रीमती प्रभा देवी से वसूल किया जाना अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत-हसनपुर क्षेत्र पंचायत फतहपुर मण्डाव वर्ष-2020-21

प्रस्तर-42

ग्राम पंचायत हसनपुर के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण/अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आए जिनके सम्बन्ध में वैधानिक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है आपत्ति का विवरण निम्नलिखित है।

कैश बुक के अनुसार दिनांक 07.03.2021 को कार्य आई संख्या 36738248 पर से हैण्ड पम्प मरम्मत के लिए कुल रु 49500 भुगतान भोपाल नाथ त्रिपाठी कन्ट्रिशन को किया गया जिसकी पुष्टि हेतु कोई अभिलेख और व्यय बाउचर प्रस्तुत नहीं किया गया ।

इस प्रकार अवास्तविक व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया अतः पंचायत राज 30प्र0 के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 7,8क 8ख तथा पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 में विहित व्यवस्था के अनुसार आहरित धनराशियों में से व्याज सहित आधी-आधी धनराशि ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अध्याशंकर मिश्रा एवं सतेन्द्र कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री गुलाब से वसूल किया जाना अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत-नेमडांड

क्षेत्र पंचायत फतहपुर मण्डाव 2020-21

प्रस्तर-43

ग्राम पंचायत नेमडांड के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण/अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आए जिनके सम्बन्ध में वैधानिक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है आपत्ति का विवरण निम्नलिखित है।

प्रस्तर-1 कैश बुक के अनुसार दिनांक 13.10.2020 को कार्य आई संख्या 36868708 पर से हैण्ड पम्प रिबार के लिए कुल रु 63400 भुगतान भोपाल नाथ त्रिपाठी कन्ट्रिशन को किया गया जिसकी पुष्टि हेतु कोई अभिलेख और व्यय बाउचर प्रस्तुत नहीं किया गया ।

इस प्रकार अवास्तविक व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया अतः पंचायत राज 30प्र0 के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 7,8क 8ख तथा पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 में विहित व्यवस्था के अनुसार आहरित धनराशियों में से व्याज सहित आधी-आधी धनराशि ग्राम पंचायत अधिकारी अध्याशंकर मिश्रा एवं ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम देवी से वसूल किया जाना अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत-दुबारी

क्षेत्र पंचायत फतहपुर मण्डाव वर्ष-2020-21

प्रस्तर-44

ग्राम पंचायत दुबारी के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण/अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आए जिनके सम्बन्ध में वैधानिक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है आपत्ति का विवरण निम्नलिखित है।

कैश बुक के अनुसार दिनांक 10.11.2020 को कार्य आई संख्या 45068421 पर ह्यूम पाइप के लिए कुल रु 249000 भुगतान भोपाल नाथ त्रिपाठी कन्ट्रेशन को किया गया जिसकी पुष्टि हेतु कोई अभिलेख और व्यय बाउचर प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त ह्यूम पाइप किस स्थान पर लगाई गई है इसका कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। इस प्रकार अवास्तविक व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया।

अतः पंचायत राज 30प्र0 के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 7,8क 8ख तथा पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 में विहित व्यवस्था के अनुसार आहरित धनराशियों से व्याज सहित आधी-आधी धनराशि ग्राम पंचायत अधिकारी प्रमोद कुमार एवं ग्राम प्रधान श्रीमती रंजना सिंह से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-45

कैश बुक के निम्न विवरणानुसार अनुसार सीमेंट बेंच क्रय के लिए कुल रूपया 594000 भोपाल नाथ त्रिपाठी कन्ट्रेशन को किया गया। जिसकी पुष्टि हेतु कोई अभिलेख और व्यय बाउचर प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त सीमेंट वेच किस स्थान पर लगाई गई है इसका कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। इस प्रकार अवास्तविक व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया। अतः पंचायत राज 30प्र0 के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 7,8क 8ख तथा पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 में विहित व्यवस्था के अनुसार आहरित धनराशियों में से व्याज सहित आधी-आधी धनराशि ग्राम पंचायत अधिकारी प्रमोद कुमार एवं ग्राम प्रधान श्रीमती रंजना सिंह से वसूल करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है।

क्रमांक	दिनांक	विवरण	फर्म का नाम	आईडी संख्या	धनराशि
1	10.11.2020	सीमेंट बेच क्रय	भुगतान भोपाल नाथ त्रिपाठी कन्ट्रेशन	45066168	198000
2	10.11.2020	सीमेंट बेच क्रय	भुगतान भोपाल नाथ त्रिपाठी कन्ट्रेशन	45066162	198000
3	10.11.2020	सीमेंट बेच क्रय	भुगतान भोपाल नाथ त्रिपाठी कन्ट्रेशन	45066117	198000
				योग	594000

ग्राम पंचायत-पदारथपुर

क्षेत्र पंचायत फतहपुर मण्डाव वर्ष-2020-21

प्रस्तर-46

ग्राम पंचायत पदारथपुर के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण/अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आए जिनके सम्बन्ध में वैधानिक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है आपत्ति का विवरण निम्नलिखित है।

प्रस्तर-1 कैश बुक के अनुसार दिनांक 04.07.2020 को कार्य आई संख्या 20437506 पर से हैण्ड पम्प मरम्मत के लिए कुल रु 49500 भुगतान भोपाल नाथ त्रिपाठी कन्ट्रेशन को किया गया जिसकी पुष्टि हेतु कोई अभिलेख और व्यय बाउचर प्रस्तुत नहीं किया गया।

इस प्रकार अवास्तविक व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया अतः पंचायत राज 30प्र0 के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 7,8क 8ख तथा पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 में विहित व्यवस्था के अनुसार आहरित धनराशियों में से व्याज सहित आधी-आधी धनराशि ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अध्याशंकर मिश्रा एवं ग्राम प्रधान से वसूल करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है।

प्रस्तर-47

ग्राम पंचायत तारनपुर के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण/अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आए जिनके सम्बन्ध में वैधानिक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारीयो का ध्यान आकृष्ट किया जाता है आपति का विवरण निम्नलिखित है।

लेखा परीक्षा वर्ष में ग्राम पंचायत के अंतर्गत हैंडपंप मरम्मत/रिबोर में कुल रुपया 350614 व्यय किया गया है, किंतु उक्त व्यय से संबंधित एक भी पत्रावली व प्रामाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके साथ ही स्थल की सूची एवं हैंडपंप के लाभार्थियों द्वारा हैंडपंप के खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग संबंधी कोई प्रपत्र लेखा परीक्षा में देखने को नहीं मिला। जिसके अभाव में यह जानकारी नहीं हो सकी कि कितने एवं किन-किन जगहों के हैंडपंप खराब थे एवं स्थान का स्पष्ट विवरण ना देने की वजह से किन-किन स्थानों के हैंडपंप मरम्मत कार्य कराए गये इसकी जानकारी नहीं हो सकी। स्पष्ट है कि बिना कार्यस्थल के निर्धारण किए जाने से कार्य के होने की संभावना संदिग्ध हो सकती है। हैंडपंप मरम्मत के संदर्भ में पुराने सामानों के निस्तारण की क्या प्रक्रिया रही डेड स्टॉक रजिस्टर के अभाव में इसकी जानकारी नहीं हो सकी। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 के अंतर्गत दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई पत्रावली व प्रामाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संबंधित ग्राम प्रधान व संबंधित सचिव पंचायत से की जाएगी वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकता है। इस प्रकार गबन की धनराशि रुपए 350614 के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव को उत्तरदायी ठहराते हुए इस धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती संगीता देवी और ग्राम पंचायत अधिकारी श्री बृजेश कुमार राय सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है व्यय की धनराशि का विवरण निम्नवत है---

क्र.सं.	दिनांक	विवरण	फर्म का नाम	आईडी संख्या	धनराशि
1	13.04.2020	हैंड पंप मरम्मत कार्य	यादव एजेन्सी	15925523	25000
2	26.10.2020	हैंड पंप मरम्मत कार्य	ओम इण्टरप्राइजेज	37058564	44750
3	13.04.2020	हैंड पंप रिबोर कार्य	यादव एजेन्सी	15925524	175000
4	26.10.2020	हैंड पंप रिबोर कार्य	ओम इण्टरप्राइजेज	37058248	105864
				योग	350614

प्रस्तर -48

ग्राम पंचायत शाहपुर के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण/अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आए जिनके सम्बन्ध में वैधानिक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारीयो का ध्यान आकृष्ट किया जाता है आपति का विवरण निम्नलिखित है। लेखा परीक्षा वर्ष में ग्राम पंचायत के अंतर्गत हैंडपंप मरम्मत/रिबोर में कुल रुपया 140000 व्यय किया गया है किंतु उक्त व्यय से संबंधित एक भी पत्रावली प्रामाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके साथ ही स्थल की सूची एवं हैंडपंप के लाभार्थियों द्वारा हैंडपंप के खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग संबंधी कोई प्रपत्र लेखा परीक्षा में देखने को नहीं मिला जिसके अभाव में यह जानकारी नहीं हो सकी कि कितने एवं किन-किन जगहों के हैंडपंप खराब थे एवं स्थान का स्पष्ट विवरण ना देने की वजह से किन-किन स्थानों के हैंडपंप मरम्मत कार्य कराए गये इसकी जानकारी नहीं हो सकी। स्पष्ट है

कि बिना कार्यस्थल के निर्धारण किए जाने से कार्य के होने की संभावना संदिग्ध हो सकती है। हैण्डपंप मरम्मत के संदर्भ में पुराने सामानों के निस्तारण की क्या प्रक्रिया रही डेड स्टॉक रजिस्टर के अभाव में इसकी जानकारी नहीं हो सकी। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 के अंतर्गत दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई पत्रावलीव प्रामाणिक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संबंधित ग्राम प्रधान व संबंधित सचिव पंचायत से की जाएगी वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकता है। इस प्रकार गबन की धनराशि रुपए 140000 के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव को उत्तरदायी ठहराते हुए इस धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री मणीन्द्र और ग्राम पंचायत अधिकारी श्री बृजेश कुमार राय सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है व्यय की धनराशि का विवरण निम्नवत है।

क0स0	दिनांक	चेक संख्या	विवरण	फर्म का नाम	आई0डी संख्या	धनराशि
1	07.011.2020	-	हैण्ड पम्प रिबोर कार्य	यादव सीमेन्ट विक्रेता	36810956	140000

ग्राम पंचायत-खडैचा

क्षेत्र पंचायत दोहरीघाट वर्ष 2020-21

प्रस्तर-49

ग्राम पंचायत खडैचा के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में अपहरण के तथ्य प्रकाश में आए जिनके सम्बन्ध में बैधानिक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है आपति का विवरण निम्नवत है-

वर्ष 2020-21 के ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट/ई ग्रामस्वराज पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है वास्तव में प्रस्तर-1 ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणिक उपलब्ध नहीं है या बार बार मांग के बाउजूद भी प्रस्तुत नहीं किये गए हैं।

ग्राम पंचायत खडैजा की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में यह देखने में आया कि ग्राम पंचायत के सचिव व ग्राम प्रधान द्वारा राज्य वित्त आयोग के बैंक खाता संख्या 2793000100032519 से 263679.80 तथा केन्द्रीय वित्त आयोग पन्द्रहवां वित्त के बैंक खाता संख्या 2793000100142791 से रु 251299.20 निम्न विवरण के अनुसार निकासी दर्शाकर बैंक स्टेटमेंट /ई ग्राम स्वराज पर आय एवं उसके सापेक्ष व्यय दर्शाया गया है।

स0	दिनांक	बैंक खाते से की गयी निकासी/स्टेटमेंट के अनुसार	प्रिसा साफ्ट /इ-ग्राम स्वराज के कैश बुक में दर्शित व्यय का विवरण	धनराशि		
1	07/04/2020	राज्य वित्त	17.70	राज्य वित्त	मनदेय प्रधान	49000
2	15/04/2020	राज्य वित्त	54337	राज्य वित्त	हैण्ड पम्प मरम्मत	49500
3	15/04/2020	राज्य वित्त	24500	राज्य वित्त	विज्ञापन /टैन्डर	5772
4	29/06/2020	राज्य वित्त	70000	केन्द्रीय वित्त	सी सी रोड निर्माण	54337
5	02/07/2020	राज्य वित्त	35000	केन्द्रीय वित्त	हैड पम्प रिबोर	105000

6	10/07/2020	राज्य वित्त	17.70	केन्द्रीय वित्त	समुदायिक षौचालय निर्माण	257584
7	17/09/2020	राज्य वित्त	49500		योग	521193
8	06/10/2020	राज्य वित्त	17.70			
9	13/11/2020	राज्य वित्त	21000			
10	13/11/2020	राज्य वित्त	3500			
11	19/12/2020	राज्य वित्त	5772			
12	09/01/2020	राज्य वित्त	17.70			
	योग		263679.80			

1	13/10/2020	केन्द्रीय वित्त	17.70			
2	18/11/2020	केन्द्रीय वित्त	19950			
3	18/11/2020	केन्द्रीय वित्त	96120			
4	18/11/2020	केन्द्रीय वित्त	40000			
5	18/11/2020	केन्द्रीय वित्त	101514			
6	09/01/2021	केन्द्रीय वित्त	17.70			
	योग		257619.40			
			521299.20			

उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में आफलाइन व्यय से सम्बन्धित कैशबुक, पत्रावली जैसे एम बी बुक, स्टीमेट बुक व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक, मस्टररोल, वर्क कंपलीषन, रिपोर्ट यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, वित्तिय तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति से सम्बन्धित पत्रावलिया भौतिक सत्यापन रिपोर्ट स्टॉक रजिस्टर परिसंपत्ति रजिस्टर कार्यवाही रजिस्टर निरीक्षण पंजिका जीएसटी भुगतान रजिस्टर रोजगार रजिस्टर मांग कर वसूली रजिस्टर कार्यवाही रजिस्टर निरीक्षण पंजिका जीएसटी भुगतान रजिस्टर रोजगार रजिस्टर मांग कर वसूली रजिस्टर मानदेय रजिस्टर कोटेशन व टेन्डर से सम्बन्धित अभिलेख वर्क रजिस्टर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया। उपर्युक्त आनलाइन दर्शित व्यय की पुष्टि के संबंध में वर्तमान सचिव श्री अशोक कुमार यादव तथा तत्कालीन संबन्धित ग्राम पंचायत सचिव श्री राकेश कुमार यादव से आनलाइन कार्यक्रम के बाद मौखिक अभिलेख मूल रूप में लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके बाद उच्चाधिकारियों के माध्यम से अभिलेख प्रस्तुत कराने का अनुरोध किया गया। इस संबंध सहायक विकास अधिकारी पंचायत विकास खंड के ग्राम पंचायतों के नोडल अधिकारी को दिनांक 17.08.2021 एवं 06.12.2021 के माध्यम से अभिलेख उपलब्ध कराने का लिखित अनुरोध किया गया। जिला पंचायत राज अधिकारी से भी दिनांक 06.12.2021 एवं 26.03.2022 व अशोक कुमार यादव ग्राम पंचायत अधिकारी से 26.03.2022 को अभिलेख उपलब्ध कराने का लिखित अनुरोध किया गया था। समस्त पत्राचार की प्रति संलग्न है। इस प्रकार मौखिक व लिखित प्रयास के बाद भी कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क व ख अंतर्गत दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संबंधित ग्राम प्रधान व संबंधित सचिव पंचायत से की जाएगी। इस प्रकार गबन की धनराशि रूप 521299.20 के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रीता देवी एवं पंचायत सचिव अशोक कुमार जायसवाल को उत्तरदायी ठहराते हुए इस धनराशि की वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-भदवा

क्षेत्र पंचायत- मुहम्मदाबाद वर्ष-2020-21

प्रस्तर-50

ग्राम पंचायत भदवा के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आए जिनके सम्बन्ध में वैधानिक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। आपत्ति का विवरण निम्नवत है-

आपत्ति का विस्तृत विवरण-

कैशबुक के आधार पर दि० 26.11.2020 को कार्य आईडी संख्या 42414116 पर हैण्ड पम्प रिबोर हेतु रु० 34415.00 का भुगतान वैष्णो बिल्डिंग मटेरियल एवं सप्लायर को किया गया है, जिसकी पुष्टि में लेखा परीक्षा दौरान व्यय प्रमाणक अग्रस्तुत पाया गया। इस प्रकार अवास्तविक व्यय दर्शाकर प्रधान व ग्रा० पं० अधि० द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया। अतः पंचायतीराज अधि० 30 प्र० के लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8क के अनुसार दर्शित व्यय को अपहरण मानते हुए आधी-आधी धनराशि प्रधान श्रीमती रीता एवं ग्रा० पं० अधि० श्री पवन कुमार से व्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-कादीपुर क्षेत्र पंचायत- मुहम्मदाबाद वर्ष-2020-21

प्रस्तर-51

ग्राम पंचायत कादीपुर के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में अपहरण के तथ्य प्रकाश में आए जिनके सम्बन्ध में वैधानिक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। आपत्ति का विवरण निम्नवत है।

शासनादेश संख्या 1017/33-3-2020-11/2020 उत्तर प्रदेश शासन दिनांक 16-06-2020 के अनुसार दिनांक 30/06/2020 के उपरांत समस्त भुगतान पी एफ एम एस के माध्यम से किया जाना है लेकिन लेखा परीक्षा में देखने में आया कि दिनांक 24/03/2021 को चेक संख्या 639447 से रूपया 125014.16 का भुगतान फर्म को चेक द्वारा किया गया है। भुगतान की पुष्टि बैंक स्तर से होती है ग्राम पंचायत कादीपुर में शासनादेश के विपरीत चेक के द्वारा भुगतान कर गंभीर अनियमितता की गई है। जिसकी जिम्मेदारी प्रधान श्री जितेन्द्र व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सरोज कुमार की रही इस ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सक्षम अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर-52

कैश बुक के अनुसार दिनांक 07.11.2020 को कार्य आई संख्या 15259288 पर से ह्यूम पाइप निर्माण के लिए कुल रु 46000 भुगतान ओम इण्टरप्राइजेज को भुगतान किया गया जिसकी पुष्टि हेतु कोई अभिलेख और व्यय बाउचर प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त ह्यूम पाइप किस स्थान पर लगाई गई है इसका कहीं उल्लेख नहीं किया गया है।

इस प्रकार अवास्तविक व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया अतः पंचायत राज 30 प्र० के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 7, 8क 8ख तथा पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 में विहित व्यवस्था के अनुसार आहरित धनराशियों में से व्याज सहित आधी-आधी धनराशि ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सरोज कुमार एवं ग्राम प्रधान जितेन्द्र से वसूल करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है।

ग्राम पंचायत-फरीदपुर धर्मा क्षेत्र पंचायत- मुहम्मदाबाद वर्ष-2020-21

प्रस्तर-53

ग्राम पंचायत फरीदपुर धर्मा के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आए जिनके सम्बन्ध में वैधानिक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। आपत्ति का विवरण निम्नवत है-

आपत्ति का विस्तृत विवरण--

कैशबुक के आधार पर दि० 16.11.2020 को कार्य आईडी संख्या 37213812 पर हैण्ड पम्प रिबोर हेतु रु 63000.00 का भुगतान वी के कंस्ट्रक्शन को किया गया है, जिसकी पुष्टि में लेखा परीक्षा दौरान व्यय प्रमाणक

अप्रस्तुत पाया गया। इस प्रकार अवास्तविक व्यय दर्शाकर प्रधान व ग्रा० पं० अधि० द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया। अतः पंचायतीराज अधि० ३० प्र० के लेखा मैनुअल के अध्याय-८ के प्रस्तर-८क के अनुसार दर्शित व्यय को अपहरण मानते हुए आधी-आधी धनराशि प्रधान श्री अशोक कुमार एवं ग्रा० पं० अधि० श्री प्रतीक राय से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-नथनपुरा

क्षेत्र पंचायत- मुहम्मदाबाद वर्ष-२०२०-२१

प्रस्तर-५४

ग्राम पंचायत नथनपुरा के वर्ष २०२०-२१ की लेखा परीक्षा में अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आए जिनके सम्बन्ध में वैधानिक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। आपत्ति का विवरण निम्नवत है-

आपत्ति का विस्तृत विवरण-कैशबुक के आधार पर दि० २६.११.२०२० को कार्य आईडी संख्या ३७१७०९०७ पर हैण्ड पम्प मतम्मत हेतु रु ३००००.०० का व्यय जय श्री हैंडपंप को भुगतान किया गया है, जिसकी पुष्टि में लेखा परीक्षा दौरान व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत पाया गया। इस प्रकार अवास्तविक व्यय दर्शा कर प्रधान व ग्रा० पं० अधि० द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया। अतः पंचायतीराज अधि० ३० प्र० के लेखा मैनुअल के अध्याय-८ के प्रस्तर-८क के अनुसार दर्शित व्यय को अपहरण मानते हुए आधी-आधी धनराशि प्रधान श्री रामआसरे एवं ग्रा० पं० अधि० सुश्री स्नेह मौर्य से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-देवरिया बुजुर्ग

क्षेत्र पंचायत- मुहम्मदाबाद २०२०-२१

प्रस्तर-५५

ग्राम पंचायत देवरिया बुजुर्ग के वर्ष २०२०-२१ की लेखा परीक्षा में अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आए जिनके सम्बन्ध में वैधानिक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। आपत्ति का विवरण निम्नवत है-

आपत्ति का विस्तृत विवरण-

कैशबुक के आधार पर दि० १९.०४.२०२० को कार्य आईडी संख्या १९७२९५०४ पर पाटिया क्रय हेतु रु ३२५००.०० का भुगतान राज कंस्ट्रक्शन को किया गया है, जिसकी पुष्टि में लेखा परीक्षा दौरान व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत पाया गया। इस प्रकार अवास्तविक व्यय दर्शाकर प्रधान व ग्रा० पं० अधि० द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया।

अतः पंचायतीराज अधि० ३० प्र० के लेखा मैनुअल के अध्याय-८ के प्रस्तर-८क के अनुसार दर्शित व्यय को अपहरण मानते हुए आधी-आधी धनराशि प्रधान श्रीमती प्रेमशीला एवं ग्रा० पं० अधि० श्री प्रतीक राय से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-खडगिलिया क्षेत्र पंचायत- मुहम्मदाबाद वर्ष २०२०-२१

प्रस्तर-५६

ग्राम पंचायत खडगिलिया के वर्ष २०२०-२१ की लेखा परीक्षा में अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आए जिनके सम्बन्ध में वैधानिक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। आपत्ति का विवरण निम्नवत है-

आपत्ति का विस्तृत विवरण-

कैशबुक के आधार पर दि० २२.११.२०२० को कार्य आईडी संख्या १९८०५३०३ पर हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु रु २१२००.०० का भुगतान राव बिल्डिंग मटेरियल एवं जनरल सप्लायर को किया गया है, जिसकी पुष्टि में लेखा परीक्षा दौरान व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत पाया गया। इस प्रकार अवास्तविक व्यय दर्शाकर प्रधान व ग्रा० पं० अधि० द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया। अतः पंचायतीराज अधि० ३० प्र० के लेखा मैनुअल के अध्याय-८ के प्रस्तर-८क के अनुसार दर्शित व्यय को अपहरण मानते हुए आधी-आधी धनराशि ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अरविन्द सिंह एवं ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत सलेमपुर के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आए जिनके सम्बन्ध में वैधानिक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। आपति का विस्तृत विवरण निम्नवत है-

आपति का विस्तृत विवरण--

आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष दौरान कैशबुक के अनुसार रु० 615119 विभिन्न नये कार्यों, केपेरिसम्पत्तियों के रखरखाव, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। उक्त सम्पूर्ण धनराशि रु० 615119 के खर्च सम्बंधित कार्यवाही पुस्तिकाएँ कार्ययोजना स्टीमेट, वर्क आई०डी०, वाउचर फाइल, मस्टररोल, एम० वी० कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर स्टाक पंजिकाएँ परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य का त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ आदि अप्राप्त रहा जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। उल्लेखनीय है कि पंचायत राजविभाग उ०प्र० द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्रामप्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है साथ ही इसी के अध्याय 8 के धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा इसके साथ ही साथ जिलापंचायतराज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार उक्त धनराशि रु० 615119 का गबन प्रधान श्री राम नरेश एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री प्रशान्त भारती द्वारा किया गया है जिसकी वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-बडरांव

क्षेत्र पंचायत-बडरांव 2020-21

प्रस्तर-58

ग्राम पंचायत बडरांवके वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये जिनके सम्बन्ध में वैधानिक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है आपतियों का विवरण निम्नवत है-

वर्ष 2020-21 की ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट तथा ई ग्राम स्वराज पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गयी। ग्राम पंचायत के सचिव / प्रधान से मौखिक और लिखित रूप में कापी सलग्न, सहायक विकास अधिकारी पंचायत को इस सम्बन्ध में कई पत्र के माध्यम से आडिट के यथास्थिति और प्रगति की सूचना दी गयी लेकिन बार बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किया गया।

उपरोक्त क्रम के आलोक में आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त व चौदहवा वित्त व 15वां वित्त का मात्र बैंक ही लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया। फलस्वरूप बैंक स्टेटमेंट व ई ग्राम स्वराज पर फीड आकड़ों के आधार ग्राम पंचायत के आय व व्यय विवरण की जाच की गई। ग्राम पंचायत की बैंक स्टेटमेंट पर फीड आकड़ों के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त/चौदहवा वित्त आयोग व पन्द्रहवा वित्त आयोग के अन्तर्गत कुल रु 2690375 का व्यय /अपहरण ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा किया गया है। किन्तु लेखा परीक्षा में एक भी पत्रावली व रजिस्टर्स जैसे- मैनुअल कैश, मेसमेंट बुक और स्टीमेट बुक, समस्त व्यय से प्रमाणक, मास्टर रोल वर्क कम्प्लीशन रिपोर्ट यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट और वित्तीय तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृत से सम्बन्धित पत्रावलियां, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि के साथ ही लेखा परीक्षा में स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, निरीक्षणपंजिका, जीएसटी भुगतान रजिस्टर, रोजगार, मांग और वसूली रजिस्टर मानदेय रजिस्टर्स, कोटेशन टेन्डर से सम्बन्धित अभिलेख, वर्क रजिस्टर इत्यादि बार बार मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि उपर्युक्त समस्त पत्रावलियां व रजिस्टर तैयार नहीं हैं या जानबूझ कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8क व 8ख के अन्तर्गत यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई पत्रावली व प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की

वसूली संबंधित ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी | इस प्रकार गबन की धनराशि 2690375 के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सचिव उत्तरदायी ठहराते हुए इस धनराशि की वसूली व्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती प्रेमवदा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शमशुद्दीन हैदर से सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-मुहम्मदाबाद सिपाह क्षेत्र पंचायत-बडरांव वर्ष-2020-21

प्रस्तर-59

ग्राम पंचायत मुहम्मदाबाद सिपाह के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये जिनके सम्बन्ध में वैधानिक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है आपत्तियों का विवरण निम्नवत है-

-वर्ष 2020-21 की ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट तथा ई ग्राम स्वराज पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गयी। ग्राम पंचायत के सचिव /प्रधान से मौखिक और लिखित रूप में कापी सलग्न तथा सहायक विकास अधिकारी पंचायत को इस सम्बन्ध में कई पत्र के माध्यम से बार बार मांग के बाद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया इस सम्बन्ध में -

उपरोक्त क्रम के आलोक में आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त व चौदहवा वित्त व 15वां वित्त का मात्र बैंक ही लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया । फलस्वरूप बैंक स्टेटमेंट व ई ग्राम स्वराज पर फीड आकड़ों के आधार ग्राम पंचायत के आय व व्यय विवरण की जाच की गई। ग्राम पंचायत की बैंक स्टेटमेंट पर फीड आकड़ों के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त/ चौदहवा वित्त आयोग व पन्द्रहवा वित्त आयोग के अन्तर्गत कुल ₹ 3735588 का व्यय /अपहरण ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा किया गया है। किन्तु लेखा परीक्षा में एक भी पत्रावली व रजिस्टर्स जैसे- मैन्युअल कैश,मेसमेंट बुक और स्टीमेट बुक, समस्त व्यय से प्रमाणक,मास्टर रोल वर्क कम्प्लीशन रिपोर्ट यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट और वित्तीय तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृत से सम्बन्धित पत्रावलियां,भौतिक सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि के साथ ही लेखा परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर,परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, निरीक्षणपंजिका,जीएसटी भुगतान रजिस्टर, रोजगार,मांग और वसूली रजिस्टर मानदेय रजिस्टर्स,कोटेशन व टेन्डर से सम्बन्धित अभिलेख ,वर्क रजिस्टर इत्यादि बार बार मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया । इससे स्पष्ट है कि उपर्युक्त समस्त पत्रावलियां व रजिस्टर तैयार नहीं है या जानबूझ कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा प्रबंध मैन्युअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8क व 8 ख के अन्तर्गत यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई पत्रावली व प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है ।तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली संबंधित ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी। इस प्रकार गबन की धनराशि 3735588 के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सरोज और ग्राम पंचायत सचिव श्री राम चन्दर यादव उत्तरदायी ठहराते हुए इस धनराशि की वसूली व्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-अमिला

क्षेत्र पंचायत-बडरांववर्ष-2020-21

प्रस्तर-60

ग्राम पंचायत अमिला के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये जिनके सम्बन्ध में वैधानिक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है आपत्तियों का विवरण निम्नवत है-

वर्ष 2020-21 की ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट तथा ई ग्राम स्वराज पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गयी। ग्राम पंचायत के सचिव /प्रधान से मौखिक और लिखित रूप में कापी सलग्न बार बार मांग के बाद भी कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। फलस्वरूप बैंक स्टेटमेंट व ई ग्राम स्वराज पर फीड आकड़ों के आधार ग्राम पंचायत के आय व व्यय विवरण की जाच की गई। ग्राम पंचायत की बैंक स्टेटमेंट पर फीड आकड़ों के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त/चौदहवा वित्त आयोग व पन्द्रहवा वित्त आयोग के

अन्तर्गत कुल रु 9104697 का व्यय /अपहरण ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा किया गया है। किन्तु लेखा परीक्षा में एक भी पत्रावली व रजिस्टर्स जैसे- मैनुअल कैश,मेसमेन्ट बुक और स्टीमेट बुक, समस्त व्यय से प्रमाणक,मास्टर रोल वर्क कम्पलीषन रिपोर्ट यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट और वित्तीय तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृत से सम्बन्धित पत्रावलियां,भौतिक सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि के साथ ही लेखा परीक्षा में स्टाक रजिस्टर,परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, निरीक्षणपंजिका,जीएसटी भुगतान रजिस्टर, रोजगार,मांग और वसूली रजिस्टर मानदेय रजिस्टर्स,कोटेशन व टेन्डर से सम्बन्धित अभिलेख ,वर्क रजिस्टर इत्यादि बार बार मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया । इससे स्पष्ट है कि उपर्युक्त समस्त पत्रावलियां व रजिस्टर तैयार नहीं हैं या जानबूझ कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8क व 8 ख के अन्तर्गत यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई पत्रावली व प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है ।तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली संबंधित ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी। इस प्रकार गबन की धनराशि 9104697 के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सीता राम और ग्राम पंचायत सचिव श्री अनिल यादव उत्तरदायी हैं । इस धनराशि की वसूली व्याज सहित ग्राम प्रधान एवं सचिव से व्याज सहित किया जाना अपेक्षित है ।

प्रारूप-04 (ग्राम पंचायत)
जनपद बदायूँ
मण्डल का नाम-बरेली,
जनपद बदायूँ -----वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21

प्रस्तर-1- ग्राम पंचायत परमानंदपुर विकास खंड-आसफपुर के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा हेतु संबन्धित पक्षों को अभिलेखों की भौतिक संपरीक्षा हेतु पूर्व में लेखा परीक्षक द्वारा ऑनलाइन इंटीमेशन लेटर भेजने के व संबन्धित पक्षों द्वारा उसे स्वीकृत करने के पश्चात दिनांक-15-01-2022 की तिथि अभिलेखों की संपरीक्षा हेतु निर्धारित की गयी थी,परंतु ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कोई भी वांछित अभिलेख भौतिक जांच हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए ग्राम पंचायत के द्वारा वर्ष में किए गए व्यय की ई-ग्राम स्वराज पर ऑनलाइन अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम निधि के खाते राज्य वित्त एवं केंद्र वित्त से समेकित रूप से वर्ष 2020-21 में रु836009-00 का व्यय विभिन्न कार्यों एवं मानदेयों पर किया गया है । पंचायती राज विभाग उओप्रओ द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 शीर्ष ग्राम पंचायत में अभिलेखों का संप्रेक्षण(ऑडिट) के बिन्दु 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई भी अभिलेख/वाउचर लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी । वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा ।

वर्ष 2020-21 में प्राप्त कैशबुक/स्टेटमेंट के अनुसार आय-व्यय का विवरण -

प्रारम्भिक अवशेष	वर्ष में प्राप्त	वर्ष में व्यय	अंतिम अवशेष
679822.00	1307662.00	836009.00	1151475.50

अतः रु 836009-00 की धनराशि के व्यय के उपरांत भी संबन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करके राजकीय अनुदान की धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली मय व्याज तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती धारा सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी श्री राजनारायण सिंह से संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए साथ ही दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध गबन का मुकदमा सक्षम न्यायालय में जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा चलाया जाना चाहिए ।

प्रस्तर-2- ग्राम पंचायत अहरोली विकास खंड-आसफपुर के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा हेतु संबन्धित पक्षों को अभिलेखों की भौतिक संपरीक्षा हेतु पूर्व में लेखा परीक्षक द्वारा ऑनलाइन इंटीमेशन लेटर भेजने के व संबन्धित

पक्षों द्वारा उसे स्वीकृत करने के पश्चात दिनांक-22-11-2022 की तिथि अभिलेखों की संपरीक्षा हेतु निर्धारित की गयी थी, परंतु ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कोई भी वांछित अभिलेख भौतिक जांच हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए ग्राम पंचायत के द्वारा वर्ष में किए गए व्यय की ई-ग्राम स्वराज पर ऑनलाइन अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम निधि के खाते राज्य वित्त एवं केंद्र वित्त से समेकित रूप से वर्ष 2020-21 में ₹1739266-00 का व्यय विभिन्न कार्यों एवं मानदेयों पर किया गया है। पंचायती राज विभाग उओप्रओ द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 शीर्ष ग्राम पंचायत में अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दु 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई भी अभिलेख/वाउचर लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

वर्ष 2020-21 में प्राप्त कैशबुक/स्टेटमेंट के अनुसार आय-व्यय का विवरण -

प्रारम्भिक अवशेष	वर्ष में प्राप्त	वर्ष में व्यय	अंतिम अवशेष
461528.00	1668240.00	1739266.00	390502.83

अतः ₹ 1739266-00 की धनराशि के व्यय के उपरांत भी संबन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करके राजकीय अनुदान की धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली मय ब्याज तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रामपाल सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी श्री राजनारायण सिंह से संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए साथ ही दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध गबन का मुकदमा सक्षम न्यायालय में जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा चलाया जाना चाहिए।

प्रस्तर-3- ग्राम पंचायत बीधानगला विकास खंड-आसफपुर के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा हेतु संबन्धित पक्षों को अभिलेखों की भौतिक संपरीक्षा हेतु पूर्व में लेखा परीक्षक द्वारा ऑनलाइन इंटीमेशन लेटर भेजने के व संबन्धित पक्षों द्वारा उसे स्वीकृत करने के पश्चात दिनांक-03-01-2022 की तिथि अभिलेखों की संपरीक्षा हेतु निर्धारित की गयी थी, परंतु ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कोई भी वांछित अभिलेख भौतिक जांच हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए ग्राम पंचायत के द्वारा वर्ष में किए गए व्यय की ई-ग्राम स्वराज पर ऑनलाइन अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम निधि के खाते राज्य वित्त एवं केंद्र वित्त से समेकित रूप से वर्ष 2020-21 में ₹1337074-00 का व्यय विभिन्न कार्यों एवं मानदेयों पर किया गया है। पंचायती राज विभाग उओप्रओ द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 शीर्ष ग्राम पंचायत में अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दु 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई भी अभिलेख/वाउचर लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

वर्ष 2020-21 में प्राप्त कैशबुक/स्टेटमेंट के अनुसार आय-व्यय का विवरण -

प्रारम्भिक अवशेष	वर्ष में प्राप्त	वर्ष में व्यय	अंतिम अवशेष
888697.72	1456350.47	1337074.00	1007974.19

अतः ₹ 1337074.00 की धनराशि के व्यय के उपरांत भी संबन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करके राजकीय अनुदान की धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली मय ब्याज तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सुनील कुमार यादव एवं ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी श्री कपिल गौतम से संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए साथ ही दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध गबन का मुकदमा सक्षम न्यायालय में जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा चलाया जाना चाहिए।

प्रस्तर-4- ग्राम पंचायत अल्हैपुर खुर्द विकास खंड-आसफपुर के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा हेतु संबन्धित पक्षों को अभिलेखों की भौतिक संपरीक्षा हेतु पूर्व में लेखा परीक्षक द्वारा ऑनलाइन इंटीमेशन लेटर भेजने के व संबन्धित पक्षों द्वारा उसे स्वीकृत करने के पश्चात दिनांक-25-11-2021 की तिथि अभिलेखों की संपरीक्षा हेतु निर्धारित की गयी थी, परंतु ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कोई भी वांछित अभिलेख भौतिक जांच हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए ग्राम पंचायत के द्वारा वर्ष में किए गए व्यय की ई-ग्राम स्वराज पर ऑनलाइन अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि ग्राम

पंचायत द्वारा ग्राम निधि के खाते राज्य वित्त एवं केंद्र वित्त से समेकित रूप से वर्ष 2020-21 में 2254580.96 का व्यय विभिन्न कार्यों एवं मानदेयों पर किया गया है। पंचायती राज विभाग उOप्रO द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 शीर्ष ग्राम पंचायत में अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दु 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई भी अभिलेख/वाउचर लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

वर्ष 2020-21 में प्राप्त कैशबुक/स्टेटमेंट के अनुसार आय-व्यय का विवरण -

प्रारम्भिक अवशेष	वर्ष में प्राप्त	वर्ष में व्यय	अंतिम अवशेष
1267650.76	1354654.36	2254580.96	367724.16

अतः रु 2254580.96 की धनराशि के व्यय के उपरांत भी संबन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करके राजकीय अनुदान की धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली मय ब्याज तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती नीरज एवं ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी श्री नरेश पाल सिंह से संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए साथ ही दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध गबन का मुकदमा सक्षम न्यायालय में जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा चलाया जाना चाहिए।

प्रस्तर-5- ग्राम पंचायत दौलतपुर विकास खंड-आसफपुर के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा हेतु संबन्धित पक्षों को अभिलेखों की भौतिक संपरीक्षा हेतु पूर्व में लेखा परीक्षक द्वारा ऑनलाइन इंटीमेशन लेटर भेजने के व संबन्धित पक्षों द्वारा उसे स्वीकृत करने के पश्चात दिनांक-10-12-2021 की तिथि अभिलेखों की संपरीक्षा हेतु निर्धारित की गयी थी, परंतु ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कोई भी वांछित अभिलेख भौतिक जांच हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए ग्राम पंचायत के द्वारा वर्ष में किए गए व्यय की ई-ग्राम स्वराज पर ऑनलाइन अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम निधि के खाते राज्य वित्त एवं केंद्र वित्त से समेकित रूप से वर्ष 2020-21 में रु 262395-00 का व्यय विभिन्न कार्यों एवं मानदेयों पर किया गया है। पंचायती राज विभाग उOप्रO द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 शीर्ष ग्राम पंचायत में अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दु 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई भी अभिलेख/वाउचर लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

वर्ष 2020-21 में प्राप्त कैशबुक/स्टेटमेंट के अनुसार आय-व्यय का विवरण -

प्रारम्भिक अवशेष	वर्ष में प्राप्त	वर्ष में व्यय	अंतिम अवशेष
184498.41	830454.89	262395.00	752558.30

अतः रु 262395.00 की धनराशि के व्यय के उपरांत भी संबन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करके राजकीय अनुदान की धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली मय ब्याज तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती कलावती एवं ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी श्री कपिल गौतम से संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए साथ ही दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध गबन का मुकदमा सक्षम न्यायालय में जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा चलाया जाना चाहिए।

प्रस्तर-6- ग्राम पंचायत भवानीपुर विकास खंड-आसफपुर के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा हेतु संबन्धित पक्षों को अभिलेखों की भौतिक संपरीक्षा हेतु पूर्व में लेखा परीक्षक द्वारा ऑनलाइन इंटीमेशन लेटर भेजने के व संबन्धित पक्षों द्वारा उसे स्वीकृत करने के पश्चात दिनांक-06-12-2021 की तिथि अभिलेखों की संपरीक्षा हेतु निर्धारित की गयी थी, परंतु ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कोई भी वांछित अभिलेख भौतिक जांच हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए ग्राम पंचायत के द्वारा वर्ष में किए गए व्यय की ई-ग्राम स्वराज पर ऑनलाइन अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम निधि के खाते राज्य वित्त एवं केंद्र वित्त से समेकित रूप से वर्ष 2020-21 में रु 687082.00 का व्यय विभिन्न कार्यों एवं मानदेयों पर किया गया है। पंचायती राज विभाग उOप्रO द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 शीर्ष ग्राम पंचायत में अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दु 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई भी अभिलेख/वाउचर लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया जाता

है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

वर्ष 2020-21 में प्राप्त कैशबुक/स्टेटमेंट के अनुसार आय-व्यय का विवरण -

प्रारम्भिक अवशेष	वर्ष में प्राप्त	वर्ष में व्यय	अंतिम अवशेष
4173.05	1090185.94	687082.00	407276.99

अतः रु 687082.00 की धनराशि के व्यय के उपरांत भी संबन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करके राजकीय अनुदान की धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली मय ब्याज तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री वीर सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी श्री कपिल गौतम से संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए साथ ही दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध गबन का मुकदमा सक्षम न्यायालय में जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा चलाया जाना चाहिए।

प्रस्तर-7- ग्राम पंचायत लतुआनगला विकास खंड-आसफपुर के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा हेतु संबन्धित पक्षों को अभिलेखों की भौतिक संपरीक्षा हेतु पूर्व में लेखा परीक्षक द्वारा ऑनलाइन इंटीमेशन लेटर भेजने के व संबन्धित पक्षों द्वारा उसे स्वीकृत करने के पश्चात दिनांक-29-01-2022 की तिथि अभिलेखों की संपरीक्षा हेतु निर्धारित की गयी थी, परंतु ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कोई भी वांछित अभिलेख भौतिक जांच हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए ग्राम पंचायत के द्वारा वर्ष में किए गए व्यय की ई-ग्राम स्वराज पर ऑनलाइन अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम निधि के खाते राज्य वित्त एवं केंद्र वित्त से समेकित रूप से वर्ष 2020-21 में रु 164530.00 का व्यय विभिन्न कार्यों एवं मानदेयों पर किया गया है। पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 शीर्ष ग्राम पंचायत में अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दु 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई भी अभिलेख/वाउचर लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

वर्ष 2020-21 में प्राप्त कैशबुक/स्टेटमेंट के अनुसार आय-व्यय का विवरण -

प्रारम्भिक अवशेष	वर्ष में प्राप्त	वर्ष में व्यय	अंतिम अवशेष
169483.67	177758.63	164530.00	182712.30

अतः रु 164530.00 की धनराशि के व्यय के उपरांत भी संबन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करके राजकीय अनुदान की धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली मय ब्याज तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती कुसुम एवं ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी श्री उमेश पाल सिंह से संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए साथ ही दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध गबन का मुकदमा सक्षम न्यायालय में जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा चलाया जाना चाहिए।

प्रस्तर-8- विकास खंड इस्लाम नगर की ग्राम पंचायत भवानीपुर नगला के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत/वि० अधिकारी के वांछित अभिलेख जैसे ग्राम निधि प्रथम कैश बुक, पत्रावली, व्यय प्रमाणक, प्राक्कलन, एम०बी० मांगे जाने के उपरांत भी सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए। लेखा परीक्षा ऑनलाइन ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी। उक्त अभिलेखों के अभाव में वर्ष के दौरान व्यय की गयी धनराशि रु 1123167.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी पुष्टि के अभाव में धनराशि रु 1123167.00 वसूली योग्य है। अतः ग्राम पंचायत/वि० अधिकारी श्री कर्मवीर सिंह एवं ग्राम प्रधान श्रीमती सविता देवी से रु 1123167.00 की वसूली मय ब्याज संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है साथ ही पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाना चाहिए।

प्रस्तर-9- विकास खंड इस्लाम नगर की ग्राम पंचायत ईखखेड़ा के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत/वि० अधिकारी के वांछित अभिलेख जैसे ग्राम निधि प्रथम कैश बुक, पत्रावली, व्यय

व्यय की गयी धनराशि रु 749031-00 की पुष्टि नहीं की जा सकी पुष्टि के अभाव में धनराशि रु 749031-00 वसूली योग्य है। अतः ग्राम पंचायत/वि0 अधिकारी श्री राजीव कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री अरविंद से रु 749031-00 की वसूली मय ब्याज संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है साथ ही पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाना चाहिए ।

प्रस्तर-14- विकास खंड इस्लाम नगर की ग्राम पंचायत तर्कपुरौली के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत/वि0 अधिकारी के वांछित अभिलेख जैसे ग्राम निधि प्रथम कैश बुक,पत्रावली,व्यय प्रमाणक,प्राक्कलन,एम0बी0 मांगे जाने के उपरांत भी सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए। लेखा परीक्षा ऑनलाइन ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी। उक्त अभिलेखों के अभाव में वर्ष के दौरान व्यय की गयी धनराशि रु 1056754-00 की पुष्टि नहीं की जा सकी पुष्टि के अभाव में धनराशि रु 1056754-00 वसूली योग्य है। अतः ग्राम पंचायत/वि0 अधिकारी श्री राजीव कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री पूरनमल से रु 1056754-00 की वसूली मय ब्याज संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है साथ ही पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाना चाहिए ।

प्रस्तर-15- विकास खंड इस्लाम नगर की ग्राम पंचायत विक्रम चरसौरा के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत/वि0 अधिकारी के वांछित अभिलेख जैसे ग्राम निधि प्रथम कैश बुक,पत्रावली,व्यय प्रमाणक,प्राक्कलन,एम0बी0 मांगे जाने के उपरांत भी सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए। लेखा परीक्षा ऑनलाइन ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी। उक्त अभिलेखों के अभाव में वर्ष के दौरान व्यय की गयी धनराशि रु 1411639-00 की पुष्टि नहीं की जा सकी पुष्टि के अभाव में धनराशि रु 1411639-00 वसूली योग्य है। अतः ग्राम पंचायत/वि0 अधिकारी श्री कर्मवीर सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री गब्बर से रु 1411639-00 की वसूली मय ब्याज संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है साथ ही पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाना चाहिए ।

प्रस्तर-16- विकास खंड इस्लाम नगर की ग्राम पंचायत विक्रम बझेरा के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत/वि0 अधिकारी के वांछित अभिलेख जैसे ग्राम निधि प्रथम कैश बुक,पत्रावली,व्यय प्रमाणक,प्राक्कलन,एम0बी0 मांगे जाने के उपरांत भी सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए। लेखा परीक्षा ऑनलाइन ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी। उक्त अभिलेखों के अभाव में वर्ष के दौरान व्यय की गयी धनराशि रु 561621-00 की पुष्टि नहीं की जा सकी पुष्टि के अभाव में धनराशि रु 561621-00 वसूली योग्य है। अतः ग्राम पंचायत/वि0 अधिकारी श्री राजीव कुमार एवं ग्राम प्रधान श्रीमती सत्यवती से रु 561621-00 की वसूली मय ब्याज संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है साथ ही पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाना चाहिए ।

प्रस्तर-17-ग्राम पंचायत भोजराज नारायणपुर विकास खंड कादरचौक द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु 28054.00 का फर्नीचर क्रय किया गया है परंतु डेड स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है जो पंचायती राज उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-07 के बिन्दु 07 का उल्लंघन है बिन्दु 07 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि क्रय किए गए समस्त वस्तुओं को रूप पत्र-25

के अनुसार रजिस्टर पर दर्ज किया जाएगा इस रजिस्टर के रख रखाव का दायित्व सचिव ग्राम पंचायत का होगा क्रय किए गए फर्नीचर का विवरण निम्नवत है-

क्रम	दिनांक	प्रमाणक संख्या	सामाग्री का नाम	फर्म का नाम	नग	दर	मूल्य
1	28-08-2020	/11	1-कुर्सी 2-रिव कुर्सी 3-मेज ..18%	एस के इंडस्ट्रिस बदायूं	25 01 01	415 7200 6200	10375 7200 6200 4279.50
			योग-				28054

उक्त से स्पष्ट है कि डेड स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत न कर नियमों की अवहेलना की गयी है इस प्रतिग्राम प्रधान श्री सोहन लाल एवं सचिव श्री आदिल रशीद खाँ के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है साथ ही डेड स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत कर पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-18-ग्राम पंचायत निधानपुरा विकास खंड कादरचौक द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु 11560.00,11210.00 व 10740.00 का क्रमशः फर्नीचर,कूड़ा गाड़ी व प्रिंटर क्रय किया गया है परंतु डेड स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है जो पंचायती राज उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-07 के बिन्दु 07 का उल्लंघन है बिन्दु 07 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि क्रय किए गए समस्त वस्तुओं को रूप पत्र-25 के अनुसार रजिस्टर पर दर्ज किया जाएगा इस रजिस्टर के रख रखाव का दायित्व सचिव ग्राम पंचायत का होगा क्रय किए गए फर्नीचर,कूड़ा गाड़ी व प्रिंटर का विवरण निम्नवत है-

क्रम	दिनांक	प्रमाणक संख्या	सामाग्री का नाम	फर्म का नाम	नग	दर	मूल्य
1	11-01-2020	/9	1-कुर्सी 2-मेज 3-बाल्टी 4-मग	हिमांचल फर्नीचर बदायूं	20 02 02 04	500 400 280 50	10000-00 800-00 560-00 200-00
2	27-07-2020	/14	कूड़ा गाड़ी	आर0आर0 ट्रेडर्स बदायूं	01	11210-00	11210-00
3	08-10-2020	/20	-	रस्तोगी बिजनेस एंड कम्प्युटर बदायूं	01 02	10400 170	10400 340
			योग				33510-00

उक्त से स्पष्ट है कि डेड स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत न कर नियमों की अवहेलना की गयी है इस प्रति ग्राम प्रधान श्री बालक राम एवं सचिव श्री वीरेंद्र पाल के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है साथ ही डेड स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत कर पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-19-ग्राम पंचायत अकौली के वर्ष 2020-21 में लेखा परीक्षा के दौरान पंचायत सचिव व ग्राम प्रधान द्वारा कोई मूल अभिलेख उपलब्ध कराया गया जबकि ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर 3086891.42 रु व्यय दर्शित है । पंचायती राज 30प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 शीर्ष ग्राम पंचायतों के अभिलेखों के सम्प्रेषण हेतु बिन्दु 8 क के अनुसार दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई बिल बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये धनराशि कि वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत

अधिकारी/सचिव से मय ब्याज सहित की जाएगी वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा ।

वर्ष 20-21 में ई ग्राम स्वराज पोर्टल के अनुसार आय व्यय -

प्र0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	वर्ष में व्यय	अंतिम शेष
1607444.52	3024491.02	3086891.42	15450544.12

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि 3086891.42 ₹0 का व्यय प्रमाणक/अभिलेख प्रस्तुत न करके राजकीय अनुदान की धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अरविंद सिंह व तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी /सचिव श्री राम औतार शर्मा से संयुक्त रूप से की जाएगी ।

प्रस्तर-20-ग्राम पंचायत मूसेपुर के वर्ष 2020-21 में लेखा परीक्षा के दौरान पंचायत सचिव व ग्राम प्रधान द्वारा कोई मूल अभिलेख उपलब्ध कराया गया जबकि ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर 1822864.62 ₹ व्यय दर्शित है । पंचायती राज उ०प्र० द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा मैनूअल के अध्याय 8 शीर्ष ग्राम पंचायतों के अभिलेखों के सम्प्रेषण हेतु बिन्दु 8 क के अनुसार दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई बिल बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये धनराशि कि वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव से मय ब्याज सहित की जाएगी वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा ।

वर्ष 20-21 में ई ग्राम स्वराज पोर्टल के अनुसार आय व्यय -

प्र0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	वर्ष में व्यय	अंतिम शेष
1240969.42	1010159.52	1822864.62	428264.32

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि 1822864.62 ₹0 का व्यय प्रमाणक/अभिलेख प्रस्तुत न करके राजकीय अनुदान की धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमति नीलम शर्मा व तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी /सचिव श्री प्रमोद सक्सेना से संयुक्त रूप से की जाएगी।

प्रस्तर-21-ग्राम पंचायत बादशाहपुर के वर्ष 20-21 में लेखा परीक्षा के दौरान पंचायत सचिव व ग्राम प्रधान द्वारा कोई भी मूल अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया जबकि ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर 826175.42/-₹ व्यय दर्शित है। पंचायती राज्य उ०प्र० द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा मैनूअल के अध्याय 8 शीर्ष ग्राम पंचायतों में अभिलेखों के सम्प्रेषण बिन्दु 8 क के अनुसार दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी बिल वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी / सचिव से ब्याज सहित की जायेगी वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

वर्ष 20-21 में ई ग्राम स्वराज पोर्टल के अनुसार आय-व्यय

प्रा०अवशेष	वर्ष में प्राप्त	वर्ष में व्यय	अंतिम शेष
502994.47	815881.32	826175.42	492700.37

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि 826175.42/-₹ का व्यय प्रमाणक अभिलेख प्रस्तुत न करके राजकीय अनुदान की धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती प्रेमकली व तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी / सचिव श्री राम औतार शर्मा से संयुक्त रूप से की जायेगी।

प्रस्तर-22-ग्राम पंचायत रोहान विकास खंड-अम्बियापुर के वर्ष 20-21 में लेखा परीक्षा के दौरान पंचायत सचिव व ग्राम प्रधान द्वारा कोई भी मूल अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया जबकि ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर 1420134/-₹ व्यय दर्शित है। पंचायती राज्य उ०प्र० द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा मैनूअल के अध्याय अध्याय 8 शीर्ष ग्राम पंचायतों में अभिलेखों के सम्प्रेषण बिन्दु 8 क के अनुसार दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी बिल वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी / सचिव से ब्याज सहित की जायेगी वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

वर्ष 20-21 में ई ग्राम स्वराज पोर्टल के अनुसार आय-व्यय

प्र० अवशेष	वर्ष में प्राप्त	वर्ष में व्यय	अंतिम शेष
970088.25	774561	1420134	324515.25

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि 1420134/-रु० का व्यय प्रमाणक अभिलेख प्रस्तुत न करके राजकीय अनुदान की धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री धर्मेन्द्र सिंह व तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी / सचिव श्री महेश पाल से संयुक्त रूप से की जायेगी।

प्रस्तर-23-ग्राम पंचायत सहसपुर विकास खंड-अम्बियापुर के वर्ष 20-21 में लेखा परीक्षा के दौरान पंचायत सचिव व ग्राम प्रधान द्वारा कोई भी मूल अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया जबकि ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर 1216891.40 /- रु० व्यय दर्शित है। पंचायती राज्य उ०प्र० द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 शीर्ष ग्राम पंचायतों में अभिलेखों के सम्पेक्षण बिन्दु 8 क के अनुसार दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी बिल बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी / सचिव से ब्याज सहित की जायेगी वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। वर्ष 20-21 में ई ग्राम स्वराज पोर्टल के अनुसार आय-व्यय

प्र० अवशेष	वर्ष में प्राप्त	वर्ष में व्यय	अंतिम शेष
1110039.82	754509	1216891.40	647657.42

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि 1216891.40/-रु० का व्यय प्रमाणक / अभिलेख प्रस्तुत न करके राजकीय अनुदान की धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती गुड्डो देवी व तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी सचिव श्री राम औतार शर्मा से संयुक्त रूप से की जायेगी।

प्रस्तर-24-ग्राम पंचायत वमेड़ विकास खंड-अम्बियापुर के वर्ष 20-21 में लेखा परीक्षा के दौरान पंचायत सचिव व ग्राम प्रधान द्वारा कोई भी मूल अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया जबकि ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर 2008777/-रु० व्यय दर्शित है। पंचायती राज्य उ०प्र० द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 शीर्ष ग्राम पंचायतों में अभिलेखों के सम्पेक्षण बिन्दु 8 क के अनुसार दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी बिल बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी / सचिव से ब्याज सहित की जायेगी वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

वर्ष 20-21 में ई ग्राम स्वराज पोर्टल के अनुसार आय-व्यय

प्र० अवशेष	वर्ष में प्राप्त	वर्ष में व्यय	अंतिम शेष
1268569.52	1642033.20	2008777	901825.72

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि 2008777/-रु० का व्यय प्रमाणक अभिलेख प्रस्तुत न करके राजकीय अनुदान की धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम प्रधान ओमेन्द्र पाल व तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी/ सचिव श्री प्रमोद कुमार सक्सेना से संयुक्त रूप से की जायेगी।

प्रस्तर-25-ग्राम पंचायत सिमरी भोजपुर विकास खंड-अम्बियापुर के वर्ष 20-21 में लेखा परीक्षा के दौरान पंचायत सचिव व ग्राम प्रधान द्वारा कोई भी मूल अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया जबकि ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर 1864883.83/- रु० व्यय दर्शित है। पंचायती राज्य उ०प्र० द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 शीर्ष ग्राम पंचायतों में अभिलेखों के सम्पेक्षण बिन्दु 8 क के अनुसार दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी बिल बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव से ब्याज सहित की जायेगी वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

वर्ष 20-21 में ई ग्राम स्वराज पोर्टल के अनुसार आय-व्यय

प्र० अवशेष	वर्ष में प्राप्त	वर्ष में व्यय	अंतिम शेष

1266515.43	1644456.83	1864883.83	1046088.43

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि 1864883.83/-रु० का व्यय प्रमाणक / अभिलेख प्रस्तुत न करके राजकीय अनुदान की धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री जगदीश व तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी सचिव श्री प्रमोद कुमार सक्सेना से संयुक्त रूप से की जायेगी।

प्रस्तर-26-ग्राम पंचायत अगौल विकास खंड-अम्बियापुर के वर्ष 20-21 में लेखा परीक्षा के दौरान पंचायत सचिव व ग्राम प्रधान द्वारा कोई भी मूल अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया जबकि ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर 1333355.45/- रु० व्यय दर्शित है। पंचायती राज्य उ० प्र० द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 शीर्ष ग्राम पंचायतों में अभिलेखों के सम्पेक्षण बिन्दु 8 क के अनुसार दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी बिल वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी / सचिव से ब्याज सहित की जायेगी वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

वर्ष 20-21 में ई ग्राम स्वराज पोर्टल के अनुसार आय-व्यय

प्र० अवशेष	वर्ष में प्राप्त	वर्ष में व्यय	अंतिम शेष
1038132.52	1532723.80	1333355.45	1237500.87

विवरण से स्पष्ट है कि 1333355.45/- रु० का व्यय प्रमाणक / अभिलेख प्रस्तुत न करके राजकीय अनुदान की धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती गुड्डों देवी व तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी / सचिव श्री प्रमोद कुमार सक्सेना से संयुक्त रूप से की जायेगी।

प्ररूप-04

ग्राम पंचायत

जनपद-बरेली

प्रस्तर-1

विकास खण्ड-**मझगवां** में आलोच्य वर्ष की ग्राम पंचायत **अनुरूपपुर** के ग्राम निधि प्रथम की लेखा परीक्षा ऑनलाइन ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गई है। ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कुल रु 1646622-00 का उपभोग/व्यय वर्ष दौरान किया गया है। इस दर्शित व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख /वाउचर/व्यय प्रमाणक/ आदि प्रस्तुत नहीं किया गया।

उपर्युक्त उपभोग की गई धन राशि की पुष्टि में ऑनलाइन लेखा परीक्षा कार्यक्रम की तिथि को बार बार तत्कालीन सचिव से मौखिक अनुरोध/व्यक्तिगत टेलिफोनिक वार्ता कर संबन्धित अभिलेख की मांग की गई। सहायक विकास अधिकारी पंचायत के माध्यम से मांग किए जाने के बावजूद भी तत्कालीन सचिव द्वारा नियमानुसार कोई भी मूल व्यय प्रमाणक/ पत्रावली ,कार्यवाही पंजिका,कार्य योजना, इस्टिमेट,प्रशासनिक,वित्तीय,व तकनीकी स्वीकृति पत्रावली, एम. बी. कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र ,मानदेय पंजिका ,डाइरेक्टर ऑफ वक्स, बैंक समाधान विवरण पत्र,स्टॉक पंजिका, त्रि स्तरीय फोटोग्राफ ,टेंडर/कोटेशन पत्रावली आदि जो व्यय की पुष्टि में अपेक्षित थी ,प्रस्तुत नहीं किया गया।

कार्यालय जाप सं० 4892 /33-1-222/99-टी सी -111 दिनांक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर 1 में विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के समस्त अभिलेख सचिव ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखे जाएंगे। आगे ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ ,एवं इसी अध्याय के खंड 8 -क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष कोई भी वाउचर/ प्रमाणक प्रस्तुत नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की

जाएगी। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में उपरोक्तानुसार कुल व्यय रु 1646622-00 के सापेक्ष कोई भी वाऊचर/व्यय प्रमाणक/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया, जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसे प्रमाणक विहीन व्यय गबन है। जिसके लिए तत्कालीन प्रधान ग्राम पंचायत श्रीमती सत्यवती तथा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत श्री अजय कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से मय ब्याज आधा आधा किया जाना अपेक्षित है और नियमानुसार विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है।

प्रस्तर-2

विकास खण्ड-मझगवां में आलोच्य वर्ष की ग्राम पंचायत भुडा के ग्राम निधि प्रथम की लेखा परीक्षा ऑनलाइन ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गई है। ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कुल रु 794589-00 का उपभोग/व्यय वर्ष दौरान किया गया है। इस दर्शित व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख /वाऊचर/व्यय प्रमाणक/ आदि प्रस्तुत नहीं किया गया।

उपर्युक्त उपभोग की गई धन राशि की पुष्टि में ऑनलाइन लेखा परीक्षा कार्यक्रम की तिथि को बार बार तत्कालीन सचिव से मौखिक अनुरोध/व्यक्तिगत टेलिफोनिक वार्ता कर संबन्धित अभिलेख की मांग की गई। सहायक विकास अधिकारी पंचायत के माध्यम से मांग किए जाने के बावजूद भी तत्कालीन सचिव द्वारा नियमानुसार कोई भी मूल व्यय प्रमाणक/ पत्रावली ,कार्यवाही पंजिका,कार्य योजना, इस्टिमेट,प्रशासनिक,वित्तीय,व तकनीकी स्वीकृति पत्रावली, एम. बी. कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र ,मानदेय पंजिका ,डाइरेक्टर ऑफ वर्क्स, बैंक समाधान विवरण पत्र,स्टॉक पंजिका, त्रि स्तरीय फोटोग्राफ ,टेंडर/कोटेशन पत्रावली आदि जो व्यय की पुष्टि में अपेक्षित थी ,प्रस्तुत नहीं किया गया।

कार्यालय जाप सं0 4892 /33-1-222/99-टी सी -111 दिनांक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर 1 में विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के समस्त अभिलेख सचिव ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखे जाएंगे। आगे ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ ,एवं इसी अध्याय के खंड 8 -क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष कोई भी वाऊचर/ प्रमाणक प्रस्तुत नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में उपरोक्तानुसार कुल व्यय रु 794589-00 के सापेक्ष कोई भी वाऊचर/व्यय प्रमाणक/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया, जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसे प्रमाणक विहीन व्यय गबन है। जिसके लिए तत्कालीन प्रधान ग्राम पंचायत श्री विमलेश तथा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत श्री अजय कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से मय ब्याज आधा आधा किया जाना अपेक्षित है और नियमानुसार विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है।

प्रस्तर-3

विकास खण्ड-मझगवां में आलोच्य वर्ष की ग्राम पंचायत बिबनी के ग्राम निधि प्रथम की लेखा परीक्षा ऑनलाइन ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गई है। ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों

के अनुसार कुल रु 591065-00 का उपभोग/व्यय वर्ष दौरान किया गया है। इस दर्शित व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख /वाऊचर/व्यय प्रमाणक/ आदि प्रस्तुत नहीं किया गया।

उपर्युक्त उपभोग की गई धन राशि की पुष्टि में ऑनलाइन लेखा परीक्षा कार्यक्रम की तिथि को बार बार तत्कालीन सचिव से मौखिक अनुरोध/व्यक्तिगत टेलिफोनिक वार्ता कर संबन्धित अभिलेख की मांग की गई। सहायक विकास अधिकारी पंचायत के माध्यम से मांग किए जाने के बावजूद भी तत्कालीन सचिव द्वारा नियमानुसार कोई भी मूल व्यय प्रमाणक/ पत्रावली, कार्यवाही पंजिका, कार्य योजना, इस्टिमेट, प्रशासनिक, वित्तीय, तकनीकी स्वीकृति पत्रावली, एम. बी. कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, मानदेय पंजिका, डाइरेक्टर ऑफ वार्क्स, बैंक समाधान विवरण पत्र, स्टॉक पंजिका, त्रि स्तरीय फोटोग्राफ, टेंडर/कोटेशन पत्रावली आदि जो व्यय की पुष्टि में अपेक्षित थी, प्रस्तुत नहीं किया गया।

कार्यालय जाप सं० 4892 /33-1-222/99-टी सी -111 दिनांक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर 1 में विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के समस्त अभिलेख सचिव ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखे जाएंगे। आगे ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ, एवं इसी अध्याय के खंड 8 -क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष कोई भी वाऊचर/ प्रमाणक प्रस्तुत नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में उपरोक्तानुसार कुल व्यय रु 591065-00 के सापेक्ष कोई भी वाऊचर/व्यय प्रमाणक/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया, जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसे प्रमाणक विहीन व्यय गबन है। जिसके लिए तत्कालीन प्रधान ग्राम पंचायत श्री देशपाल तथा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत श्री रामवीर व नरेश पाल सागर संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से मय ब्याज आधा आधा किया जाना अपेक्षित है और नियमानुसार विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है।

प्रस्तर-4

विकास खण्ड-**मझगवां** में आलोच्य वर्ष की ग्राम पंचायत **ढकिया** के ग्राम निधि प्रथम की लेखा परीक्षा ऑनलाइन ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गई है। ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कुल रु 396860-00 का उपभोग/व्यय वर्ष दौरान किया गया है। इस दर्शित व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख /वाऊचर/व्यय प्रमाणक/ आदि प्रस्तुत नहीं किया गया।

उपर्युक्त उपभोग की गई धन राशि की पुष्टि में ऑनलाइन लेखा परीक्षा कार्यक्रम की तिथि को बार बार तत्कालीन सचिव से मौखिक अनुरोध/व्यक्तिगत टेलिफोनिक वार्ता कर संबन्धित अभिलेख की मांग की गई। सहायक विकास अधिकारी पंचायत के माध्यम से मांग किए जाने के बावजूद भी तत्कालीन सचिव द्वारा नियमानुसार कोई भी मूल व्यय प्रमाणक/ पत्रावली, कार्यवाही पंजिका, कार्य योजना, इस्टिमेट, प्रशासनिक, वित्तीय, तकनीकी स्वीकृति पत्रावली, एम. बी. कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, मानदेय पंजिका, डाइरेक्टर ऑफ वार्क्स, बैंक समाधान विवरण पत्र, स्टॉक पंजिका, त्रि स्तरीय फोटोग्राफ, टेंडर/कोटेशन पत्रावली आदि जो व्यय की पुष्टि में अपेक्षित थी, प्रस्तुत नहीं किया गया।

कार्यालय जाप सं० 4892 /33-1-222/99-टी सी -111 दिनांक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर 1 में विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के समस्त अभिलेख सचिव ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखे जाएंगे। आगे ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ, एवं इसी अध्याय के खंड 8 -क के अनुसार यदि दर्शाए

गए व्यय के सापेक्ष कोई भी वाऊचर/ प्रमाणक प्रस्तुत नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में उपरोक्तानुसार कुल व्यय रु 396860-00 के सापेक्ष कोई भी वाऊचर/व्यय प्रमाणक/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया, जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसे प्रमाणक विहीन व्यय गबन है। जिसके लिए तत्कालीन प्रधान ग्राम पंचायत श्री छत्रपाल तथा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत श्री रामवीर व नरेश पाल सागर रूप से उत्तरदायी है। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से मय ब्याज आधा आधा किया जाना अपेक्षित है और नियमानुसार विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है।

प्रस्तर-5

विकास खण्ड-मझगावां में आलोच्य वर्ष की ग्राम पंचायत हाफिजगंज के ग्राम निधि प्रथम की लेखा परीक्षा ऑनलाइन ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गई है। ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कुल रु 1315653-00 का उपभोग/व्यय वर्ष दौरान किया गया है। इस दर्शित व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख /वाऊचर/व्यय प्रमाणक/ आदि प्रस्तुत नहीं किया गया।

उपर्युक्त उपभोग की गई धन राशि की पुष्टि में ऑनलाइन लेखा परीक्षा कार्यक्रम की तिथि को बार बार तत्कालीन सचिव से मौखिक अनुरोध/व्यक्तिगत टेलिफोनिक वार्ता कर संबन्धित अभिलेख की मांग की गई। सहायक विकास अधिकारी पंचायत के माध्यम से मांग किए जाने के बावजूद भी तत्कालीन सचिव द्वारा नियमानुसार कोई भी मूल व्यय प्रमाणक/ पत्रावली ,कार्यवाही पंजिका,कार्य योजना, इस्टिमेट,प्रशासनिक,वित्तीय,व तकनीकी स्वीकृति पत्रावली, एम. बी. कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र ,मानदेय पंजिका ,डाइरेक्टर ऑफ वक्स, बैंक समाधान विवरण पत्र,स्टॉक पंजिका, त्रि स्तरीय फोटोग्राफ ,टेंडर/कोटेशन पत्रावली आदि जो व्यय की पुष्टि में अपेक्षित थी ,प्रस्तुत नहीं किया गया।

कार्यालय जाप सं0 4892 /33-1-222/99-टी सी -111 दिनांक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर 1 में विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के समस्त अभिलेख सचिव ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखे जाएंगे। आगे ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाऊचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ ,एवं इसी अध्याय के खंड 8 -क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष कोई भी वाऊचर/ प्रमाणक प्रस्तुत नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में उपरोक्तानुसार कुल व्यय रु 1315653-00 के सापेक्ष कोई भी वाऊचर/व्यय प्रमाणक/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया, जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसे प्रमाणक विहीन व्यय गबन है। जिसके लिए तत्कालीन प्रधान ग्राम पंचायत श्रीमती भाग्यवती तथा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत श्री अजय कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से मय ब्याज आधा आधा किया जाना अपेक्षित है और नियमानुसार विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है।

प्रस्तर-6

विकास खण्ड-**मझगवां** में आलोच्य वर्ष की ग्राम पंचायत **इन्चौर झूनानगर** के ग्राम निधि प्रथम की लेखा परीक्षा ऑनलाइन ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गई है। ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कुल रु 1629153-00 का उपभोग/व्यय वर्ष दौरान किया गया है। इस दर्शित व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख /वाऊचर/व्यय प्रमाणक/ आदि प्रस्तुत नहीं किया गया।

उपर्युक्त उपभोग की गई धन राशि की पुष्टि में ऑनलाइन लेखा परीक्षा कार्यक्रम की तिथि को बार बार तत्कालीन सचिव से मौखिक अनुरोध/व्यक्तिगत टेलिफोनिक वार्ता कर संबन्धित अभिलेख की मांग की गई। सहायक विकास अधिकारी पंचायत के माध्यम से मांग किए जाने के बावजूद भी तत्कालीन सचिव द्वारा नियमानुसार कोई भी मूल व्यय प्रमाणक/ पत्रावली ,कार्यवाही पंजिका,कार्य योजना, इस्टिमेट,प्रशासनिक,वित्तीय,व तकनीकी स्वीकृति पत्रावली, एम. बी. कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र ,मानदेय पंजिका ,डाइरेक्टर ऑफ वार्क्स, बैंक समाधान विवरण पत्र,स्टॉक पंजिका, त्रि स्तरीय फोटोग्राफ ,टेंडर/कोटेशन पत्रावली आदि जो व्यय की पुष्टि में अपेक्षित थी ,प्रस्तुत नहीं किया गया।

कार्यालय जाप सं0 4892 /33-1-222/99-टी सी -111 दिनांक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर 1 में विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के समस्त अभिलेख सचिव ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखे जाएंगे। आगे ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ ,एवं इसी अध्याय के खंड 8 -क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष कोई भी वाऊचर/ प्रमाणक प्रस्तुत नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में उपरोक्तानुसार कुल व्यय रु 1629153-00 के सापेक्ष कोई भी वाऊचर/व्यय प्रमाणक/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया, जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसे प्रमाणक विहीन व्यय गबन है। जिसके लिए तत्कालीन प्रधान ग्राम पंचायत श्री मुकेश तथा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत श्री रामवीर व विनोद व्यास संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से मय ब्याज आधा आधा किया जाना अपेक्षित है और नियमानुसार विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है।

प्रस्तर-7

विकास खण्ड-**मझगवां** में आलोच्य वर्ष की ग्राम पंचायत **कैनी शिवनगर** के ग्राम निधि प्रथम की लेखा परीक्षा ऑनलाइन ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गई है। ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कुल रु 1327273-00 का उपभोग/व्यय वर्ष दौरान किया गया है। इस दर्शित व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख /वाऊचर/व्यय प्रमाणक/ आदि प्रस्तुत नहीं किया गया।

उपर्युक्त उपभोग की गई धन राशि की पुष्टि में ऑनलाइन लेखा परीक्षा कार्यक्रम की तिथि को बार बार तत्कालीन सचिव से मौखिक अनुरोध/व्यक्तिगत टेलिफोनिक वार्ता कर संबन्धित अभिलेख की मांग की गई। सहायक विकास अधिकारी पंचायत के माध्यम से मांग किए जाने के बावजूद भी तत्कालीन सचिव द्वारा नियमानुसार कोई भी मूल व्यय प्रमाणक/ पत्रावली ,कार्यवाही पंजिका,कार्य योजना, इस्टिमेट,प्रशासनिक,वित्तीय,व तकनीकी स्वीकृति पत्रावली, एम. बी. कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र ,मानदेय पंजिका ,डाइरेक्टर ऑफ वार्क्स, बैंक समाधान विवरण पत्र,स्टॉक पंजिका, त्रि स्तरीय फोटोग्राफ ,टेंडर/कोटेशन पत्रावली आदि जो व्यय की पुष्टि में अपेक्षित थी ,प्रस्तुत नहीं किया गया।

कार्यालय जाप सं0 4892 /33-1-222/99-टी सी -111 दिनांक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर 1 में विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के समस्त अभिलेख सचिव ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखे

जाएंगे। आगे ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ, एवं इसी अध्याय के खंड 8 -क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष कोई भी वाउचर/ प्रमाणक प्रस्तुत नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में उपरोक्तानुसार कुल व्यय रु 1327273-00 के सापेक्ष कोई भी वाउचर/व्यय प्रमाणक/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया, जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसे प्रमाणक विहीन व्यय गबन है। जिसके लिए तत्कालीन प्रधान ग्राम पंचायत श्री ऋषिपाल तथा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत श्री रामवीर व विनोद व्यास संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से मय ब्याज आधा आधा किया जाना अपेक्षित है और नियमानुसार विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है।

प्रस्तर-8 विकास खण्ड-मझगावां में आलोच्य वर्ष की ग्राम पंचायत **कुन्दरिया फैजुल्लाहपुर** के ग्राम निधि प्रथम की लेखा परीक्षा ऑनलाइन ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गई है। ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कुल रु 1604627-00 का उपभोग/व्यय वर्ष दौरान किया गया है। इस दर्शित व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख /वाउचर/व्यय प्रमाणक/ आदि प्रस्तुत नहीं किया गया।

उपर्युक्त उपभोग की गई धन राशि की पुष्टि में ऑनलाइन लेखा परीक्षा कार्यक्रम की तिथि को बार बार तत्कालीन सचिव से मौखिक अनुरोध/व्यक्तिगत टेलिफोनिक वार्ता कर संबन्धित अभिलेख की मांग की गई। सहायक विकास अधिकारी पंचायत के माध्यम से मांग किए जाने के बावजूद भी तत्कालीन सचिव द्वारा नियमानुसार कोई भी मूल व्यय प्रमाणक/ पत्रावली, कार्यवाही पंजिका, कार्य योजना, इस्टिमेट, प्रशासनिक, वित्तीय, तकनीकी स्वीकृति पत्रावली, एम. बी. कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, मानदेय पंजिका, डाइरेक्टर ऑफ वर्क्स, बैंक समाधान विवरण पत्र, स्टॉक पंजिका, त्रि स्तरीय फोटोग्राफ, टेंडर/कोटेशन पत्रावली आदि जो व्यय की पुष्टि में अपेक्षित थी, प्रस्तुत नहीं किया गया।

कार्यालय जाप सं0 4892 /33-1-222/99-टी सी -111 दिनांक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर 1 में विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के समस्त अभिलेख सचिव ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखे जाएंगे। आगे ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ, एवं इसी अध्याय के खंड 8 -क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष कोई भी वाउचर/ प्रमाणक प्रस्तुत नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में उपरोक्तानुसार कुल व्यय रु 1604627-00 के सापेक्ष कोई भी वाउचर/व्यय प्रमाणक/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया, जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसे प्रमाणक विहीन व्यय गबन है। जिसके लिए तत्कालीन प्रधान ग्राम पंचायत श्री होशियार सिंह तथा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत श्री श्री रामवीर व नरेश पाल सागर संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। नियमानुसार इस धनराशि की

वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से मय ब्याज आधा आधा किया जाना अपेक्षित है और नियमानुसार विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है।

प्रस्तर-9 विकास खण्ड-**मझगवां** में आलोच्य वर्ष की ग्राम पंचायत **मुगलपुर** के ग्राम निधि प्रथम की लेखा परीक्षा ऑनलाइन ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गई है। ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कुल रु 1797738-00 का उपभोग/व्यय वर्ष दौरान किया गया है। इस दर्शित व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख /वाऊचर/व्यय प्रमाणक/ आदि प्रस्तुत नहीं किया गया।

उपर्युक्त उपभोग की गई धन राशि की पुष्टि में ऑनलाइन लेखा परीक्षा कार्यक्रम की तिथि को बार बार तत्कालीन सचिव से मौखिक अनुरोध/व्यक्तिगत टेलिफोनिक वार्ता कर संबन्धित अभिलेख की मांग की गई। सहायक विकास अधिकारी पंचायत के माध्यम से मांग किए जाने के बावजूद भी तत्कालीन सचिव द्वारा नियमानुसार कोई भी मूल व्यय प्रमाणक/ पत्रावली ,कार्यवाही पंजिका,कार्य योजना, इस्टिमेट,प्रशासनिक,वित्तीय,व तकनीकी स्वीकृति पत्रावली, एम. बी. कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र ,मानदेय पंजिका ,डाइरेक्टर ऑफ वर्क्स, बैंक समाधान विवरण पत्र,स्टॉक पंजिका, त्रि स्तरीय फोटोग्राफ ,टेंडर/कोटेशन पत्रावली आदि जो व्यय की पुष्टि में अपेक्षित थी ,प्रस्तुत नहीं किया गया।

कार्यालय जाप सं0 4892 /33-1-222/99-टी सी -111 दिनांक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर 1 में विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के समस्त अभिलेख सचिव ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखे जाएंगे। आगे ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ ,एवं इसी अध्याय के खंड 8 -क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष कोई भी वाऊचर/ प्रमाणक प्रस्तुत नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में उपरोक्तानुसार कुल व्यय रु 1797738-00 के सापेक्ष कोई भी वाऊचर/व्यय प्रमाणक/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया, जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसे प्रमाणक विहीन व्यय गबन है। जिसके लिए तत्कालीन प्रधान ग्राम पंचायत श्री सोमपाल तथा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत श्री अजय कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से मय ब्याज आधा आधा किया जाना अपेक्षित है और नियमानुसार विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है।

प्रस्तर-10

विकास खण्ड-**मझगवां** में आलोच्य वर्ष की ग्राम पंचायत **मुशरफपुर** के ग्राम निधि प्रथम की लेखा परीक्षा ऑनलाइन ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गई है। ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कुल रु 851810-00 का उपभोग/व्यय वर्ष दौरान किया गया है। इस दर्शित व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख /वाऊचर/व्यय प्रमाणक/ आदि प्रस्तुत नहीं किया गया।

उपर्युक्त उपभोग की गई धन राशि की पुष्टि में ऑनलाइन लेखा परीक्षा कार्यक्रम की तिथि को बार बार तत्कालीन सचिव से मौखिक अनुरोध/व्यक्तिगत टेलिफोनिक वार्ता कर संबन्धित अभिलेख की मांग की गई। सहायक विकास अधिकारी पंचायत के माध्यम से मांग किए जाने के बावजूद भी तत्कालीन सचिव द्वारा नियमानुसार कोई भी मूल व्यय प्रमाणक/ पत्रावली ,कार्यवाही पंजिका,कार्य योजना, इस्टिमेट,प्रशासनिक,वित्तीय,व तकनीकी स्वीकृति पत्रावली, एम. बी. कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र ,मानदेय पंजिका ,डाइरेक्टर ऑफ वर्क्स, बैंक समाधान विवरण पत्र,स्टॉक पंजिका, त्रि स्तरीय फोटोग्राफ ,टेंडर/कोटेशन पत्रावली आदि जो व्यय की पुष्टि में अपेक्षित थी ,प्रस्तुत नहीं किया गया।

कार्यालय जाप सं0 4892 /33-1-222/99-टी सी -111 दिनांक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर 1 में विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के समस्त अभिलेख सचिव ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखे जाएंगे। आगे ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ, एवं इसी अध्याय के खंड 8 -क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष कोई भी वाउचर/ प्रमाणक प्रस्तुत नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में उपरोक्तानुसार कुल व्यय रु 851810-00 के सापेक्ष कोई भी वाउचर/व्यय प्रमाणक/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया, जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसे प्रमाणक विहीन व्यय गबन है। जिसके लिए तत्कालीन प्रधान ग्राम पंचायत श्री कमलेश तथा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत श्री रामवीर व विनोद व्यास संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से मय ब्याज आधा आधा किया जाना अपेक्षित है और नियमानुसार विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है।

प्रस्तर-11 विकास खण्ड-मझगावां में आलोच्य वर्ष की ग्राम पंचायत नगरिया सातन के ग्राम निधि प्रथम की लेखा परीक्षा ऑनलाइन ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गई है। ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कुल रु 1104427-00 का उपभोग/व्यय वर्ष दौरान किया गया है। इस दर्शित व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख /वाउचर/व्यय प्रमाणक/ आदि प्रस्तुत नहीं किया गया।

उपर्युक्त उपभोग की गई धन राशि की पुष्टि में ऑनलाइन लेखा परीक्षा कार्यक्रम की तिथि को बार बार तत्कालीन सचिव से मौखिक अनुरोध/व्यक्तिगत टेलिफोनिक वार्ता कर संबन्धित अभिलेख की मांग की गई। सहायक विकास अधिकारी पंचायत के माध्यम से मांग किए जाने के बावजूद भी तत्कालीन सचिव द्वारा नियमानुसार कोई भी मूल व्यय प्रमाणक/ पत्रावली, कार्यवाही पंजिका, कार्य योजना, इस्टिमेट, प्रशासनिक, वित्तीय, तकनीकी स्वीकृति पत्रावली, एम. बी. कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, मानदेय पंजिका, डाइरैक्टर ऑफ वर्क्स, बैंक समाधान विवरण पत्र, स्टॉक पंजिका, त्रि स्तरीय फोटोग्राफ, टेंडर/कोटेशन पत्रावली आदि जो व्यय की पुष्टि में अपेक्षित थी, प्रस्तुत नहीं किया गया।

कार्यालय जाप सं0 4892 /33-1-222/99-टी सी -111 दिनांक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर 1 में विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के समस्त अभिलेख सचिव ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखे जाएंगे। आगे ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ, एवं इसी अध्याय के खंड 8 -क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष कोई भी वाउचर/ प्रमाणक प्रस्तुत नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में उपरोक्तानुसार कुल व्यय रु 1104427-00 के सापेक्ष कोई भी वाऊचर/व्यय प्रमाणक/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया, जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसे प्रमाणक विहीन व्यय गबन है। जिसके लिए तत्कालीन प्रधान ग्राम पंचायत श्रीमती कृष्णा देवी तथा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत श्री अजय कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से मय ब्याज आधा आधा किया जाना अपेक्षित है और नियमानुसार विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है।

प्रस्तर-12 विकास खण्ड-मझगावां में आलोच्य वर्ष की ग्राम पंचायत रहतुईया के ग्राम निधि प्रथम की लेखा परीक्षा ऑनलाइन ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गई है। ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कुल रु 1432310-00 का उपभोग/व्यय वर्ष दौरान किया गया है। इस दर्शित व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख /वाऊचर/व्यय प्रमाणक/ आदि प्रस्तुत नहीं किया गया।

उपर्युक्त उपभोग की गई धन राशि की पुष्टि में ऑनलाइन लेखा परीक्षा कार्यक्रम की तिथि को बार बार तत्कालीन सचिव से मौखिक अनुरोध/व्यक्तिगत टेलिफोनिक वार्ता कर संबन्धित अभिलेख की मांग की गई। सहायक विकास अधिकारी पंचायत के माध्यम से मांग किए जाने के बावजूद भी तत्कालीन सचिव द्वारा नियमानुसार कोई भी मूल व्यय प्रमाणक/ पत्रावली ,कार्यवाही पंजिका,कार्य योजना, इस्टिमेट,प्रशासनिक,वित्तीय,व तकनीकी स्वीकृति पत्रावली, एम. बी. कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र ,मानदेय पंजिका ,डाइरेक्टर ऑफ ववर्स, बैंक समाधान विवरण पत्र,स्टॉक पंजिका, त्रि स्तरीय फोटोग्राफ ,टेंडर/कोटेशन पत्रावली आदि जो व्यय की पुष्टि में अपेक्षित थी ,प्रस्तुत नहीं किया गया।

कार्यालय ज्ञाप सं0 4892 /33-1-222/99-टी सी -111 दिनांक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर 1 में विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के समस्त अभिलेख सचिव ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखे जाएंगे। आगे ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाऊचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ ,एवं इसी अध्याय के खंड 8 -क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष कोई भी वाऊचर/ प्रमाणक प्रस्तुत नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में उपरोक्तानुसार कुल व्यय रु 1432310-00 के सापेक्ष कोई भी वाऊचर/व्यय प्रमाणक/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया, जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसे प्रमाणक विहीन व्यय गबन है। जिसके लिए तत्कालीन प्रधान ग्राम पंचायत श्रीमती ललिता देवी तथा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत श्री रामवीर व नरेश पाल सागर संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से मय ब्याज आधा आधा किया जाना अपेक्षित है और नियमानुसार विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है।

प्रस्तर-13

विकास खण्ड-मझगावां में आलोच्य वर्ष की ग्राम पंचायत शिवपुरी के ग्राम निधि प्रथम की लेखा परीक्षा ऑनलाइन ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गई है। ई ग्राम स्वराज

पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कुल रु 7429557-00 का उपभोग/व्यय वर्ष दौरान किया गया है। इस दर्शित व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख /वाऊचर/व्यय प्रमाणक/ आदि प्रस्तुत नहीं किया गया।

उपर्युक्त उपभोग की गई धन राशि की पुष्टि में ऑनलाइन लेखा परीक्षा कार्यक्रम की तिथि को बार बार तत्कालीन सचिव से मौखिक अनुरोध/व्यक्तिगत टेलिफोनिक वार्ता कर संबन्धित अभिलेख की मांग की गई। सहायक विकास अधिकारी पंचायत के माध्यम से मांग किए जाने के बावजूद भी तत्कालीन सचिव द्वारा नियमानुसार कोई भी मूल व्यय प्रमाणक/ पत्रावली ,कार्यवाही पंजिका,कार्य योजना, इस्टिमेट,प्रशासनिक,वित्तीय,व तकनीकी स्वीकृति पत्रावली, एम. बी. कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र ,मानदेय पंजिका ,डाइरेक्टर ऑफ वर्क्स, बैंक समाधान विवरण पत्र,स्टॉक पंजिका, त्रि स्तरीय फोटोग्राफ ,टेंडर/कोटेशन पत्रावली आदि जो व्यय की पुष्टि में अपेक्षित थी ,प्रस्तुत नहीं किया गया।

कार्यालय जाप सं0 4892 /33-1-222/99-टी सी -111 दिनांक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर 1 में विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के समस्त अभिलेख सचिव ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखे जाएंगे। आगे ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाऊचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ ,एवं इसी अध्याय के खंड 8 -क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष कोई भी वाऊचर/ प्रमाणक प्रस्तुत नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में उपरोक्तानुसार कुल व्यय रु 7429557-00 के सापेक्ष कोई भी वाऊचर/व्यय प्रमाणक/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया, जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसे प्रमाणक विहीन व्यय गबन है। जिसके लिए तत्कालीन प्रधान ग्राम पंचायत श्री रमेश बाबू तथा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत श्री अजय कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से मय ब्याज आधा आधा किया जाना अपेक्षित है और नियमानुसार विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है।

प्रस्तर-14

विकास खण्ड-**मझगवां** में आलोच्य वर्ष की ग्राम पंचायत **बसंतपुर** के ग्राम निधि प्रथम की लेखा परीक्षा ऑनलाइन ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गई है। ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कुल रु 1412886-00 का उपभोग/व्यय वर्ष दौरान किया गया है। इस दर्शित व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख /वाऊचर/व्यय प्रमाणक/ आदि प्रस्तुत नहीं किया गया।

उपर्युक्त उपभोग की गई धन राशि की पुष्टि में ऑनलाइन लेखा परीक्षा कार्यक्रम की तिथि को बार बार तत्कालीन सचिव से मौखिक अनुरोध/व्यक्तिगत टेलिफोनिक वार्ता कर संबन्धित अभिलेख की मांग की गई। सहायक विकास अधिकारी पंचायत के माध्यम से मांग किए जाने के बावजूद भी तत्कालीन सचिव द्वारा नियमानुसार कोई भी मूल व्यय प्रमाणक/ पत्रावली ,कार्यवाही पंजिका,कार्य योजना, इस्टिमेट,प्रशासनिक,वित्तीय,व तकनीकी स्वीकृति पत्रावली, एम. बी. कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र

मानदेय पंजिका ,डाइरेक्टर ऑफ वक्स, बैंक समाधान विवरण पत्र,स्टॉक पंजिका, त्रि स्तरीय फोटोग्राफ ,टेंडर/कोटेशन पत्रावली आदि जो व्यय की पुष्टि में अपेक्षित थी ,प्रस्तुत नहीं किया गया।

कार्यालय ज्ञाप सं0 4892 /33-1-222/99-टी सी -111 दिनांक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर 1 में विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के समस्त अभिलेख सचिव ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखे जाएंगे। आगे ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ ,एवं इसी अध्याय के खंड 8 -क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष कोई भी वाउचर/ प्रमाणक प्रस्तुत नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में उपरोक्तानुसार कुल व्यय रु 1412886-00 के सापेक्ष कोई भी वाउचर/व्यय प्रमाणक/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया, जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसे प्रमाणक विहीन व्यय गबन है। जिसके लिए तत्कालीन प्रधान ग्राम पंचायत श्री धर्मवीर तथा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत श्री अजय कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से मय ब्याज आधा आधा किया जाना अपेक्षित है और नियमानुसार विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है।

प्रस्तर-15

विकास खण्ड-रामनगर में ग्राम पंचायत **कंथरी जाफरपुर** के आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में मात्र ग्राम निधि प्रथम की रोकड़ बही प्रस्तुत की गई। जिसके अनुसार कुल रु 901475-40 का उपभोग/व्यय वर्ष दौरान किया गया है। इस दर्शित व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष कोई भी वाउचर/व्यय प्रमाणक/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया।

उपर्युक्त उपभोग की गई धन राशि की पुष्टि में ऑनलाइन लेखा परीक्षा कार्यक्रम की तिथि को बार बार तत्कालीन सचिवसे मौखिक अनुरोध/व्यक्तिगत टेलिफोनिक वार्ता कर संबन्धित अभिलेख की मांग की गई। सहायक विकास अधिकारी पंचायत के माध्यम से मांग किए जाने के बावजूद भी तत्कालीन सचिव द्वारा नियमानुसार कोई भी मूल व्यय प्रमाणक/ पत्रावली ,कार्यवाही पंजिका,कार्य योजना, इस्टिमेट,प्रशासनिक,वित्तीय,व तकनीकी स्वीकृति पत्रावली, एम. बी. कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र ,मानदेय पंजिका ,डाइरेक्टर ऑफ वक्स, बैंक समाधान विवरण पत्र,स्टॉक पंजिका, त्रि स्तरीय फोटोग्राफ ,टेंडर/कोटेशन पत्रावली आदि जो व्यय की पुष्टि में अपेक्षित थी ,प्रस्तुत नहीं किया गया।

कार्यालय ज्ञाप सं0 4892 /33-1-222/99-टी सी -111 दिनांक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर 1 में विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के समस्त अभिलेख सचिव ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखे जाएंगे। आगे ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह

संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ ,एवं इसी अध्याय के खंड 8 -क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष कोई भी वाउचर/ प्रमाणक प्रस्तुत नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन

मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में उपरोक्तानुसार कुल व्यय रु 901475-40 के सापेक्ष कोई भी वाऊचर/व्यय प्रमाणक/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया, जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसे प्रमाणक विहीन व्यय गबन है। जिसके लिए तत्कालीन प्रधान ग्राम पंचायत श्री कल्याण राम तथा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत श्री सुखपाल सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से मय ब्याज आधा आधा किया जाना अपेक्षित है और नियमानुसार विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है।

प्रस्तर-16

विकास खण्ड-रामनगर में आलोच्य वर्ष की ग्राम पंचायत दौलतपुर के ग्राम निधि प्रथम की लेखा परीक्षा ऑनलाइन ई गाम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गई है। ई गाम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कुल 851155-00 का उपभोग/व्यय वर्ष दौरान किया गया है। इस दर्शित व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख /वाऊचर/व्यय प्रमाणक/ आदि प्रस्तुत नहीं किया गया।

उपर्युक्त उपभोग की गई धन राशि की पुष्टि में ऑनलाइन लेखा परीक्षा कार्यक्रम की तिथि को बार बार तत्कालीन सचिव से मौखिक अनुरोध/व्यक्तिगत टेलिफोनिक वार्ता कर संबन्धित अभिलेख की मांग की गई। सहायक विकास अधिकारी पंचायत के माध्यम से मांग किए जाने के बावजूद भी तत्कालीन सचिव द्वारा नियमानुसार कोई भी मूल व्यय प्रमाणक/ पत्रावली ,कार्यवाही पंजिका,कार्य योजना, इस्टिमेट,प्रशासनिक,वित्तीय,व तकनीकी स्वीकृति पत्रावली, एम. बी. कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र ,मानदेय पंजिका ,डाइरेक्टर ऑफ वर्क्स, बैंक समाधान विवरण पत्र,स्टॉक पंजिका, त्रि स्तरीय फोटोग्राफ ,टेंडर/कोटेशन पत्रावली आदि जो व्यय की पुष्टि में अपेक्षित थी ,प्रस्तुत नहीं किया गया।

कार्यालय जाप सं0 4892 /33-1-222/99-टी सी -111 दिनांक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर 1 में विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के समस्त अभिलेख सचिव ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखे जाएंगे। आगे ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाऊचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ ,एवं इसी अध्याय के खंड 8 -क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष कोई भी वाऊचर/ प्रमाणक प्रस्तुत नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में उपरोक्तानुसार कुल व्यय रु 851155-00 के सापेक्ष कोई भी वाऊचर/व्यय प्रमाणक/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया, जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8-क के अंतर्गत अधिभार के

योग्य है। नियमानुसार ऐसे प्रमाणक विहीन व्यय गबन है। जिसके लिए तत्कालीन प्रधान ग्राम पंचायत श्रीमती भगवान देई तथा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत श्री सचिन गंगवार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से मय ब्याज आधा आधा किया जाना अपेक्षित है और नियमानुसार विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है।

प्रस्तर-17

विकास खण्ड-रामनगर में आलोच्य वर्ष की ग्राम पंचायत सुनरासी के ग्राम निधि प्रथम की लेखा परीक्षा ऑनलाइन ई गाम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गई है। ई गाम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कुल रु 866376-00 का उपभोग/व्यय वर्ष दौरान किया गया है। इस दर्शित व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख /वाऊचर/व्यय प्रमाणक/ आदि प्रस्तुत नहीं किया गया।

उपर्युक्त उपभोग की गई धन राशि की पुष्टि में ऑनलाइन लेखा परीक्षा कार्यक्रम की तिथि को बार बार तत्कालीन सचिव से मौखिक अनुरोध/व्यक्तिगत टेलिफोनिक वार्ता कर संबन्धित अभिलेख की मांग की गई। सहायक विकास अधिकारी पंचायत के माध्यम से मांग किए जाने के बावजूद भी तत्कालीन सचिव द्वारा नियमानुसार कोई भी मूल व्यय प्रमाणक/ पत्रावली ,कार्यवाही पंजिका,कार्य योजना, इस्टिमेट,प्रशासनिक,वित्तीय,व तकनीकी स्वीकृति पत्रावली, एम. बी. कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र ,मानदेय पंजिका ,डाइरेक्टर ऑफ वक्स, बैंक समाधान विवरण पत्र,स्टॉक पंजिका, त्रि स्तरीय फोटोग्राफ ,टेंडर/कोटेशन पत्रावली आदि जो व्यय की पुष्टि में अपेक्षित थी ,प्रस्तुत नहीं किया गया।

कार्यालय जाप सं0 4892 /33-1-222/99-टी सी -111 दिनांक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर 1 में विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के समस्त अभिलेख सचिव ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखे जाएंगे। आगे ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाऊचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ ,एवं इसी अध्याय के खंड 8 -क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष कोई भी वाऊचर/ प्रमाणक प्रस्तुत नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में उपरोक्तानुसार कुल व्यय रु 866376-00 के सापेक्ष कोई भी वाऊचर/व्यय प्रमाणक/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया, जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसे प्रमाणक विहीन व्यय गबन है। जिसके लिए तत्कालीन प्रधान ग्राम पंचायत श्री दीपक कुमार तथा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत श्री सचिन गंगवार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से मय ब्याज आधा आधा किया जाना अपेक्षित है और नियमानुसार विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है।

प्रस्तर-18

विकास खण्ड-रामनगर में ग्राम पंचायत-आलमपुर कोठ के आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में मात्र ग्राम निधि प्रथम की रोकड़ बही प्रस्तुत की गई। जिसके अनुसार कुल रु 2295606-20 का उपभोग/व्यय

वर्ष दौरान किया गया है। इस दर्शित व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष कोई भी वाऊचर/व्यय प्रमाणक/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया।

उपर्युक्त उपभोग की गई धन राशि की पुष्टि में ऑनलाइन लेखा परीक्षा कार्यक्रम की तिथि को बार बार तत्कालीन सचिवसे मौखिक अनुरोध/व्यक्तिगत टेलिफोनिक वार्ता कर संबन्धित अभिलेख की मांग की गई। सहायक विकास अधिकारी पंचायत के माध्यम से मांग किए जाने के बावजूद भी तत्कालीन सचिव द्वारा नियमानुसार कोई भी मूल व्यय प्रमाणक/ पत्रावली ,कार्यवाही पंजिका,कार्य योजना, इस्टिमेट,प्रशासनिक,वित्तीय,व तकनीकी स्वीकृति पत्रावली, एम. बी. कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र ,मानदेय पंजिका ,डाइरेक्टर ऑफ वर्क्स, बैंक समाधान विवरण पत्र,स्टॉक पंजिका, त्रि स्तरीय फोटोग्राफ ,टेंडर/कोटेशन पत्रावली आदि जो व्यय की पुष्टि में अपेक्षित थी ,प्रस्तुत नहीं किया गया।

कार्यालय ज्ञाप सं0 4892 /33-1-222/99-टी सी -111 दिनांक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर 1 में विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के समस्त अभिलेख सचिव ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखे जाएंगे। आगे ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाऊचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ ,एवं इसी अध्याय के खंड 8 -क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष कोई भी वाऊचर/ प्रमाणक प्रस्तुत नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में उपरोक्तानुसार कुल व्यय रु 2295606-20 के सापेक्ष कोई भी वाऊचर/व्यय प्रमाणक/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया, जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसे प्रमाणक विहीन व्यय गबन है। जिसके लिए तत्कालीन प्रधान ग्राम पंचायत तथा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत श्री सुखपाल सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से मय ब्याज आधा आधा किया जाना अपेक्षित है और नियमानुसार विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है।

प्रस्तर-19

विकास खण्ड-रामनगर में ग्राम पंचायत **गोठा खण्डुआ** के आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में मात्र ग्राम निधि प्रथम की रोकड़ बही प्रस्तुत की गई। जिसके अनुसार कुल रु 972486-40 का उपभोग/व्यय वर्ष दौरान किया गया है। इस दर्शित व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष कोई भी वाऊचर/व्यय प्रमाणक/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया।

उपर्युक्त उपभोग की गई धन राशि की पुष्टि में ऑनलाइन लेखा परीक्षा कार्यक्रम की तिथि को बार बार तत्कालीन सचिवसे मौखिक अनुरोध/व्यक्तिगत टेलिफोनिक वार्ता कर संबन्धित अभिलेख की मांग की गई। सहायक विकास अधिकारी पंचायत के माध्यम से मांग किए जाने के बावजूद भी तत्कालीन सचिव द्वारा नियमानुसार कोई भी मूल व्यय प्रमाणक/ पत्रावली ,कार्यवाही पंजिका,कार्य योजना, इस्टिमेट,प्रशासनिक,वित्तीय,व तकनीकी स्वीकृति पत्रावली, एम. बी. कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र ,मानदेय पंजिका ,डाइरेक्टर ऑफ वर्क्स, बैंक समाधान विवरण पत्र,स्टॉक पंजिका, त्रि स्तरीय फोटोग्राफ ,टेंडर/कोटेशन पत्रावली आदि जो व्यय की पुष्टि में अपेक्षित थी ,प्रस्तुत नहीं किया गया।

कार्यालय ज्ञाप सं0 4892 /33-1-222/99-टी सी -111 दिनांक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर 1 में विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के समस्त अभिलेख सचिव ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखे जाएंगे। आगे ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ ,एवं इसी अध्याय के खंड 8 -क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष कोई भी वाउचर/ प्रमाणक प्रस्तुत नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में उपरोक्तानुसार कुल व्यय रु 972486-40 के सापेक्ष कोई भी वाउचर/व्यय प्रमाणक/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया, जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसे प्रमाणक विहीन व्यय गबन है। जिसके लिए तत्कालीन प्रधान ग्राम पंचायत तथा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत श्री सुखपाल सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से मय ब्याज आधा आधा किया जाना अपेक्षित है और नियमानुसार विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है।

प्रस्तर-20

विकास खण्ड-रामनगर में ग्राम पंचायत दराबनगर के आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में मात्र ग्राम निधि प्रथम की रोकड़ बही प्रस्तुत की गई। जिसके अनुसार कुल रु 381120-40 का उपभोग/व्यय वर्ष दौरान किया गया है। इस दर्शित व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष कोई भी वाउचर/व्यय प्रमाणक/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया।

उपर्युक्त उपभोग की गई धन राशि की पुष्टि में ऑनलाइन लेखा परीक्षा कार्यक्रम की तिथि को बार बार तत्कालीन सचिवसे मौखिक अनुरोध/व्यक्तिगत टेलिफोनिक वार्ता कर संबन्धित अभिलेख की मांग की गई। सहायक विकास अधिकारी पंचायत के माध्यम से मांग किए जाने के बावजूद भी तत्कालीन सचिव द्वारा नियमानुसार कोई भी मूल व्यय प्रमाणक/ पत्रावली ,कार्यवाही पंजिका,कार्य योजना, इस्टिमेट,प्रशासनिक,वित्तीय,व तकनीकी स्वीकृति पत्रावली, एम. बी. कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र ,मानदेय पंजिका ,डाइरेक्टर ऑफ वर्क्स, बैंक समाधान विवरण पत्र,स्टॉक पंजिका, त्रि स्तरीय फोटोग्राफ ,टेंडर/कोटेशन पत्रावली आदि जो व्यय की पुष्टि में अपेक्षित थी ,प्रस्तुत नहीं किया गया।

कार्यालय ज्ञाप सं0 4892 /33-1-222/99-टी सी -111 दिनांक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर 1 में विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के समस्त अभिलेख सचिव ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखे जाएंगे। आगे ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ ,एवं इसी अध्याय के खंड 8 -क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष कोई भी वाउचर/ प्रमाणक प्रस्तुत नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी। साथ ही जिला

पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में उपरोक्तानुसार कुल व्यय रु 381120-40 के सापेक्ष कोई भी वाऊचर/व्यय प्रमाणक/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया, जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसे प्रमाणक विहीन व्यय गबन है। जिसके लिए तत्कालीन प्रधान ग्राम पंचायत श्रीमती सुलेखा पाठक तथा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत श्री अभिषेक सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से मय ब्याज आधा आधा किया जाना अपेक्षित है और नियमानुसार विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है।

प्रस्तर-21

विकास खण्ड-रामनगर में ग्राम पंचायत-**फुन्दन नगर** के आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में मात्र ग्राम निधि प्रथम की रोकड़ बही प्रस्तुत की गई। जिसके अनुसार कुल रु 1082056-40 का उपभोग/व्यय वर्ष दौरान किया गया है। इस दर्शित व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष कोई भी वाऊचर/व्यय प्रमाणक/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया।

उपर्युक्त उपभोग की गई धन राशि की पुष्टि में ऑनलाइन लेखा परीक्षा कार्यक्रम की तिथि को बार बार तत्कालीन सचिवसे मौखिक अनुरोध/व्यक्तिगत टेलिफोनिक वार्ता कर संबन्धित अभिलेख की मांग की गई। सहायक विकास अधिकारी पंचायत के माध्यम से मांग किए जाने के बावजूद भी तत्कालीन सचिव द्वारा नियमानुसार कोई भी मूल व्यय प्रमाणक/ पत्रावली ,कार्यवाही पंजिका,कार्य योजना, इस्टिमेट,प्रशासनिक,वित्तीय,व तकनीकी स्वीकृति पत्रावली, एम. बी. कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र ,मानदेय पंजिका ,डाइरेक्टर ऑफ वर्क्स, बैंक समाधान विवरण पत्र,स्टॉक पंजिका, त्रि स्तरीय फोटोग्राफ ,टेंडर/कोटेशन पत्रावली आदि जो व्यय की पुष्टि में अपेक्षित थी ,प्रस्तुत नहीं किया गया।

कार्यालय ज्ञाप सं0 4892 /33-1-222/99-टी सी -111 दिनांक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर 1 में विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के समस्त अभिलेख सचिव ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखे जाएंगे। आगे ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाऊचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ ,एवं इसी अध्याय के खंड 8 -क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष कोई भी वाऊचर/ प्रमाणक प्रस्तुत नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में उपरोक्तानुसार कुल व्यय रु 1082056-40 के सापेक्ष कोई भी वाऊचर/व्यय प्रमाणक/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया, जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसे प्रमाणक विहीन व्यय गबन है। जिसके लिए तत्कालीन प्रधान ग्राम पंचायत तथा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत श्री मुखपाल सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। नियमानुसार इस

धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से मय ब्याज आधा आधा किया जाना अपेक्षित है और नियमानुसार विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है।

प्रस्तर-22

विकास खण्ड-रामनगर में ग्राम पंचायत-रम्पुरा भोपतनगर आलोच्य वर्ष की ग्राम पंचायत के ग्राम निधि प्रथम की लेखा परीक्षा ऑनलाइन ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गई है। ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कुल रु 1228943-00 का उपभोग/व्यय वर्ष दौरान किया गया है। इस दर्शित व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख /वाऊचर/व्यय प्रमाणक/ आदि प्रस्तुत नहीं किया गया।

उपर्युक्त उपभोग की गई धन राशि की पुष्टि में ऑनलाइन लेखा परीक्षा कार्यक्रम की तिथि को बार बार तत्कालीन सचिव से मौखिक अनुरोध/व्यक्तिगत टेलिफोनिक वार्ता कर संबन्धित अभिलेख की मांग की गई। सहायक विकास अधिकारी पंचायत के माध्यम से मांग किए जाने के बावजूद भी तत्कालीन सचिव द्वारा नियमानुसार कोई भी मूल व्यय प्रमाणक/ पत्रावली, कार्यवाही पंजिका, कार्य योजना, इस्टिमेट, प्रशासनिक, वित्तीय, तकनीकी स्वीकृति पत्रावली, एम. बी. कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, मानदेय पंजिका, डाइरेक्टर ऑफ वर्क्स, बैंक समाधान विवरण पत्र, स्टॉक पंजिका, त्रि स्तरीय फोटोग्राफ, टेंडर/कोटेशन पत्रावली आदि जो व्यय की पुष्टि में अपेक्षित थी, प्रस्तुत नहीं किया गया।

कार्यालय जाप सं० 4892 /33-1-222/99-टी सी -111 दिनांक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर 1 में विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के समस्त अभिलेख सचिव ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखे जाएंगे। आगे ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाऊचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ, एवं इसी अध्याय के खंड 8 -क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष कोई भी वाऊचर/ प्रमाणक प्रस्तुत नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में उपरोक्तानुसार कुल व्यय रु 1228943-00 के सापेक्ष कोई भी वाऊचर/व्यय प्रमाणक/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया, जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसे प्रमाणक विहीन व्यय गबन है। जिसके लिए तत्कालीन प्रधान ग्राम पंचायत [जिसका विवरण उपलब्ध नहीं रहा] तथा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत श्री अभिषेक सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान [विवरण तलाश कर] तथा सचिव से मय ब्याज आधा आधा किया जाना अपेक्षित है और नियमानुसार विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है।

प्रस्तर-23

विकास खण्ड-रामनगर में ग्राम पंचायत-रेवती के आलोच्य वर्ष की ग्राम पंचायत के ग्राम निधि प्रथम की लेखा परीक्षा ऑनलाइन ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गई है। ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कुल रु 1442808-00 का उपभोग/व्यय वर्ष दौरान

किया गया है। इस दर्शित व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख /वाउचर/व्यय प्रमाणक/ आदि प्रस्तुत नहीं किया गया।

उपर्युक्त उपभोग की गई धन राशि की पुष्टि में ऑनलाइन लेखा परीक्षा कार्यक्रम की तिथि को बार बार तत्कालीन सचिव से मौखिक अनुरोध/व्यक्तिगत टेलिफोनिक वार्ता कर संबन्धित अभिलेख की मांग की गई। सहायक विकास अधिकारी पंचायत के माध्यम से मांग किए जाने के बावजूद भी तत्कालीन सचिव द्वारा नियमानुसार कोई भी मूल व्यय प्रमाणक/ पत्रावली ,कार्यवाही पंजिका,कार्य योजना, इस्टिमेट,प्रशासनिक,वित्तीय,व तकनीकी स्वीकृति पत्रावली, एम. बी. कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र ,मानदेय पंजिका ,डाइरेक्टर ऑफ वकर्स, बैंक समाधान विवरण पत्र,स्टॉक पंजिका, त्रि स्तरीय फोटोग्राफ ,टैंडर/कोटेशन पत्रावली आदि जो व्यय की पुष्टि में अपेक्षित थी ,प्रस्तुत नहीं किया गया।

कार्यालय जाप सं0 4892 /33-1-222/99-टी सी -111 दिनांक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर 1 में विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के समस्त अभिलेख सचिव ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखे जाएंगे। आगे ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ ,एवं इसी अध्याय के खंड 8 -क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष कोई भी वाउचर/ प्रमाणक प्रस्तुत नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में उपरोक्तानुसार कुल व्यय रु 1442808-00 के सापेक्ष कोई भी वाउचर/व्यय प्रमाणक/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया, जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसे प्रमाणक विहीन व्यय गबन है। जिसके लिए तत्कालीन प्रधान ग्राम पंचायत [जिसका विवरण उपलब्ध नहीं रहा] तथा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत श्री अभिषेक सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान [विवरण तलाश कर] तथा सचिव से मय ब्याज आधा आधा किया जाना अपेक्षित है और नियमानुसार विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है।

प्रस्तर-24

विकास खण्ड-नवाबगंज में आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत दुवावट में निम्न विवरणानुसार दिनांक 02-07-20से 29-12-20 तक ग्राम निधि-6 के खाते से रु0 639747.00 व केंद्रीय वित्त खाते से दिनांक 16-09-20से 29-12-20 तक रु0- 487817.00 अनुदान की धनराशि (कुल रुपया - 1124564.00) का व्यय बैंक स्टेटमेंट/कैश बुक में दर्शाया गया है दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा ,बिल /वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा में सचिव से मौखिक व लिखित रूप से कई बार मांग करने पर व जिला पंचायतराज अधिकारी बरेली द्वारा कार्यलय पत्रांक 6641-सी दिनांक 31.03.2022 से अभिलेखों के मांग के उपरांत भी सचिव द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क)में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये व्यय के संबंध में कोई बिल /वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए

संबन्धित धनराशि की वसूलीग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाएगा। किए गए व्यय के सापेक्ष कार्यवाही रजिस्टर ,स्वीकृत कार्य योजना स्वीकृत इस्टिमेट कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0मानदेय रजिस्टर सामग्री क्रय की पुष्टि में डिलीवरीचालान टेंडर /कोटेशन पत्रावली स्टॉक रजिस्टर परिसंपत्ति रजिस्टर वित्तीय ,तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति आदि भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया ।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई कुल धन राशि ₹0 1124564.00 बिना बिल/वाउचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेख के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947के नियम स0 256 से 259 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप आपत्ति का परिपालन न करने की अवस्था में मय ब्याज ग्राम प्रधान श्री हिसामुद्दीन व ग्राम पंचायत सचिव श्री विपिन सक्सेना से करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है ।

राज्य वित्त अकाउंट नंबर- 00760100006734 से आहरित	क्रम स0	विवरण	धनराशि
	01	इसामुद्दीन (प्रधान)	135000.00
	02	इस्लाम नूर	44700.00
	03	हर्ष इंटर प्राइजेज़	98000.00
	04	जंग बहादुर	3000.00
	05	वृत्तिक इन्फोटेक	14000.00
	06	विज्ञापन हेतु	767.00
	07	ग्रीन इंडिया इंटर प्राइजेज़	13449.00
	08	आयान ब्रिक फील्ड	98836.00
	09	जी0के0 एस0इंटर प्राइजेज़	184700.00
	10	सम्राट आर्ट्स	41595.00
	11	चौधरी फाइनैसियल सर्विसेज एंड टैक्स एड्वाइजर	2700.00
		योग	636747.00
केंद्रीय वित्त अकाउंट नंबर-00760100031056 से आहरित			
	01	जी0के0एस0इंटर प्राइजेज़	132936.00
	02	इरफान अली	36625.00
	03	इस्लाम नूर	111689.00
	04	बरेली सीमेंट एजेंसी	407823.00
	05	आर्यन ब्रिक फील्ड	187520.00
	06	अखलाक अहमद	20800.00
	07	वसीम अख्तर	4300.00
	08	तस्लीम अहमद	53650.00
	09	आफताब	6000.00
	10	मो0हनीफ	13125.00

	11	महताब	22500.00
	12	तौफीक	34650.00
		योग	487817.00
		महा योग	1124564.00

प्रस्तर-25

विकास खण्ड-नवाबगंज में आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत अख्तियारपुर नवादिया में ग्राम निधि -6(राज्य वित्त)से दिनांक 14/07/2020 से 14/12/2020 के मध्य ग्राम निधि-6 के खाते से ₹0 1055660.00 व केंद्रीय वित्त खाते से दिनांक 01/08/2020 से 25/12/2020 के मध्य ₹0-513400.00 (कुल आहरित धनराशि ₹0-1569060.00) का व्यय वर्तमान सचिव द्वारा उपलब्ध कराए गए बैंक स्टेटमेंट में दर्शाया गया है दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कैशबुक,बिल /वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा में वर्तमान सचिव/तत्कालिक प्रधान से मौखिक व लिखित रूप से कई बार मांग करने पर भी उपलब्ध नहीं कराया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क)में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये व्यय के संबंध में कोई बिल /वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूलीग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाएगा। किए गए व्यय के सापेक्ष कार्यवाही रजिस्टर ,स्वीकृत कार्य योजना स्वीकृत इस्टिमेट कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0मानदेय रजिस्टर सामग्री क्रय की पुष्टि में डिलीवरीचालान टेंडर /कोटेशन पत्रावली स्टॉक रजिस्टर परिसंपत्ति रजिस्टर वित्तीय ,तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति आदि भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया ।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धन राशि ₹0 1569060.00 बिना बिल/वाउचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेख के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947के नियम स0 256 से 259 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप अपरिपालन की अवस्था में मय ब्याज ग्राम प्रधान श्री दीपचंद्र व ग्राम पंचायत सचिव श्री मुकेश शर्मा से करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है ।

उल्लेखनीय है कि अक्टूबर 2019 से भुगतान में पी0एफ0एम0एस0 व्यवस्था लागू है जिसके कारण बैंक स्टेटमेंट में भुगतान प्राप्त कर्ता का उल्लेख नहीं रहता जिसके कारण भुगतान प्राप्त कर्ता को चिन्हित नहीं किया जा सका कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर-26

विकास खण्ड-नवाबगंज में आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत अख्तियारपुर नवादिया में केंद्रीय वित्त खाते से दिनांक 23/02/2021 व 23/02/2021 को केंद्रीय वित्त खाते से कुल ₹0-36032.00 का व्यय करना वर्तमान सचिव द्वारा उपलब्ध कराए गए बैंक स्टेटमेंट में दर्शाया गया है दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कैशबुक,बिल /वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा में वर्तमान सचिव/तत्कालिक प्रशासक से मौखिक व लिखित रूप से कई बार मांग करने पर भी उपलब्ध नहीं कराया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं

लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क)में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये व्यय के संबंध में कोई बिल /वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूली प्रशासक(प्रधान के स्थान पर प्रशासक नियुक्त) तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाएगा। किए गए व्यय के सापेक्ष कार्यवाही रजिस्टर , कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र सामग्री क्रय की पुष्टि में डिलीवरीचालान स्टॉक रजिस्टर परिसंपत्ति रजिस्टर वित्तीय ,तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति आदि भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया ।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धन राशि रु0 36032.00 बिना बिल/वाउचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेख के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947के नियम स0 256 से 259 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप अपरिपालन की अवस्था में मय ब्याज प्रशासक श्री अनुज गोपाल मिश्रा ए0डी0ओ0 (पंचायत) व ग्राम पंचायत सचिव श्री मुकेश शर्मा से करते हुए प्रशासक व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है ।

उल्लेखनीय है कि अक्टूबर 2019 से भुगतान में पी0एफ0एम0एस0 व्यवस्था लागू है जिसके कारण बैंक स्टेटमेंट में भुगतान प्राप्त कर्ता का उल्लेख नहीं रहता जिसके कारण भुगतान प्राप्त कर्ता को चिन्हित नहीं किया जा सका कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर-27

विकास खण्ड-नवाबगंज में आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत अटंगा योगी में ग्राम निधि -6(राज्य वित्त)से दिनांक 01/04/2020 से 05.10.2020 के मध्य ग्राम निधि-6 के खाते से रु0 431756.00 व केंद्रीय वित्त खाते से दिनांक 01/08/2020 से 05.10.2020 के मध्य रु0-221321.00 (कुल आहरित धनराशि रु0-653077.00) का व्यय वर्तमान सचिव द्वारा उपलब्ध कराए गए बैंक स्टेटमेंट में दर्शाया गया है दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कैशबुक,बिल /वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा में वर्तमान सचिव/तत्कालिक प्रधान से मौखिक व लिखित रूप से कई बार मांग करने पर भी उपलब्ध नहीं कराया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क)में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये व्यय के संबंध में कोई बिल /वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूलीग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाएगा। किए गए व्यय के सापेक्ष कार्यवाही रजिस्टर ,स्वीकृत कार्य योजना स्वीकृत इस्टिमेट कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0मानदेय रजिस्टर सामग्री क्रय की पुष्टि में डिलीवरीचालान टैंडर /कोटेशन पत्रावली स्टॉक रजिस्टर परिसंपत्ति रजिस्टर वित्तीय ,तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति आदि भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया ।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धन राशि रु0 653077.00 बिना बिल/वाउचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेख के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947के नियम स0 256 से 259 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप अपरिपालन की अवस्था में मय ब्याज ग्राम प्रधान श्री तेजपाल व ग्राम पंचायत सचिव श्री मुकेश

शर्मा से करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है ।

उल्लेखनीय है कि अक्टूबर 2019 से भुगतान में पी0एफ0एम0एस0 व्यवस्था लागू है जिसके कारण बैंक स्टेटमेंट में भुगतान प्राप्त कर्ता का उल्लेख नहीं रहता जिसके कारण भुगतान प्राप्त कर्ता को चिन्हित नहीं किया जा सका कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर-28

विकास खण्ड-नवाबगंज आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत अटंगा योगी में केंद्रीय वित्त खाते से दिनांक 26.02.2021 को केंद्रीय वित्त खाते से ₹0-18016.00 का व्यय करना वर्तमान सचिव द्वारा उपलब्ध कराए गए बैंक स्टेटमेंट में दर्शाया गया है दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कैशबुक,बिल /वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा में वर्तमान सचिव/तत्कालिक प्रशासक से मौखिक व लिखित रूप से कई बार मांग करने पर भी उपलब्ध नहीं कराया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क)में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये व्यय के संबंध में कोई बिल /वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूली प्रशासक(प्रधान के स्थान पर प्रशासक नियुक्त) तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाएगा। किए गए व्यय के सापेक्ष कार्यवाही रजिस्टर , कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र सामग्री क्रय की पुष्टि में डिलीवरीचालान स्टॉक रजिस्टर परिसंपत्ति रजिस्टर वित्तीय ,तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति आदि भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया ।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धन राशि ₹0 18016.00बिना बिल/वाउचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेख के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947के नियम स0 256 से 259 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप अपरिपालन की अवस्था में मय ब्याज प्रशासक श्री अनुज गोपाल मिश्रा ए0डी0ओ0 (पंचायत) व ग्राम पंचायत सचिव श्री मुकेश शर्मा से करते हुए प्रशासक व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है ।

उल्लेखनीय है कि अक्टूबर 2019 से भुगतान में पी0एफ0एम0एस0 व्यवस्था लागू है जिसके कारण बैंक स्टेटमेंट में भुगतान प्राप्त कर्ता का उल्लेख नहीं रहता जिसके कारण भुगतान प्राप्त कर्ता को चिन्हित नहीं किया जा सका कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर-29

विकास खण्ड-नवाबगंज में आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत औरंगाबाद में ग्राम निधि -6(राज्य वित्त)से दिनांक 07.05.2020 से 10.11.2020 तक अनुदान की धनराशि रुपया 367368.00और केंद्रीय वित्त खाते से दिनांक 11.09.2020 से 14.09.2020 तक अनुदान की धनराशि ₹0-370000.00(कुल आहरित धनराशि ₹0-737368.00) का व्यय वर्तमान सचिव द्वारा उपलब्ध कराए गए बैंक स्टेटमेंट में दर्शाया गया है दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कैशबुक,बिल /वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा में वर्तमान सचिव/तत्कालिक प्रधान से मौखिक व लिखित रूप से कई बार मांग करने पर भी उपलब्ध नहीं कराया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क)में व्यवस्था दी

गई है कि यदि दर्शाये व्यय के संबंध में कोई बिल /वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूलीग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाएगा। किए गए व्यय के सापेक्ष कार्यवाही रजिस्टर ,स्वीकृत कार्य योजना स्वीकृत इस्टिमेट कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0मानदेय रजिस्टर सामग्री क्रय की पुष्टि में डिलीवरीचालान टेंडर /कोटेशन पत्रावली स्टॉक रजिस्टर परिसंपत्ति रजिस्टर वित्तीय ,तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति आदि भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया ।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धन राशि रु0 737368.00 बिना बिल/वाउचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेख के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947के नियम स0 256 से 259 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप अपरिपालन की अवस्था में मय ब्याज ग्राम प्रधान श्रीमतीचम्पा देवी व ग्राम पंचायत सचिव श्री मुकेश शर्मा से करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है ।

उल्लेखनीय है कि अक्टूबर 2019 से भुगतान में पी0एफ0एम0एस0 व्यवस्था लागू है जिसके कारण बैंक स्टेटमेंट में भुगतान प्राप्त कर्ता का उल्लेख नहीं रहता जिसके कारण भुगतान प्राप्त कर्ता को चिन्हित नहीं किया जा सका कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर-30

विकास खण्ड-नवाबगंज में आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत कल्याणपुर हिकमत अली में ग्राम निधि -6(राज्य वित्त)से दिनांक 06.07.2020 से 08.12.2020 तक अनुदान की धनराशि रुपया 326425.00 और केंद्रीय वित्त खाते से दिनांक 13.10.2020 को अनुदान की धनराशि रु0-307866.00(कुल आहरित धनराशि रु0-634291.00) का व्यय वर्तमान सचिव द्वारा उपलब्ध कराए गए बैंक स्टेटमेंट में दर्शाया गया है दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कैशबुक,बिल /वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा में वर्तमान सचिव/तत्कालिक प्रधान से मौखिक व लिखित रूप से कई बार मांग करने पर भी उपलब्ध नहीं कराया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क)में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये व्यय के संबंध में कोई बिल /वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूलीग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाएगा। किए गए व्यय के सापेक्ष कार्यवाही रजिस्टर ,स्वीकृत कार्य योजना स्वीकृत इस्टिमेट कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0मानदेय रजिस्टर सामग्री क्रय की पुष्टि में डिलीवरीचालान टेंडर /कोटेशन पत्रावली स्टॉक रजिस्टर परिसंपत्ति रजिस्टर वित्तीय ,तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति आदि भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया ।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धन राशि रु0 634291.00 बिना बिल/वाउचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेख के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947के नियम स0 256 से 259 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप

अपरिपालन की अवस्था में मय ब्याज ग्राम प्रधान श्रीमती शकुन्तला व ग्राम पंचायत सचिव श्री मुकेश शर्मा से करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है ।

उल्लेखनीय है कि अक्टूबर 2019 से भुगतान में पीओएफओएमओएसओ व्यवस्था लागू है जिसके कारण बैंक स्टेटमेंट में भुगतान प्राप्त कर्ता का उल्लेख नहीं रहता जिसके कारण भुगतान प्राप्त कर्ता को चिन्हित नहीं किया जा सका कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर-31

विकास खण्ड-नवाबगंज में आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत खंजनपुर खंजनिया में ग्राम निधि -6(राज्य वित्त)से दिनांक 14/07/2020 से 07.12.2020 के मध्य ग्राम निधि-6 के खाते से ₹0 937444.00 व केंद्रीय वित्त खाते से दिनांक 19/10/2020 से 07.12.2020 के मध्य ₹0-833936.00 (कुल आहरित धनराशि ₹0-1771380.00) का व्यय वर्तमान सचिव द्वारा उपलब्ध कराए गए बैंक स्टेटमेंट में दर्शाया गया है दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कैशबुक,बिल /वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा में वर्तमान सचिव/तत्कालिक प्रधान से मौखिक व लिखित रूप से कई बार मांग करने पर भी उपलब्ध नहीं कराया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क)में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये व्यय के संबंध में कोई बिल /वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूलीग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाएगा। किए गए व्यय के सापेक्ष कार्यवाही रजिस्टर ,स्वीकृत कार्य योजना स्वीकृत इस्टिमेट कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एमओबीओमानदेय रजिस्टर सामग्री क्रय की पुष्टि में डिलीवरीचालान टेंडर /कोटेशन पत्रावली स्टॉक रजिस्टर परिसंपत्ति रजिस्टर वित्तीय ,तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति आदि भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया ।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धन राशि ₹0 1771380.00 बिना बिल/वाउचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेख के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947के नियम स0 256 से 259 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप अपरिपालन की अवस्था में मय ब्याज ग्राम प्रधान श्रीमती गंगा देवी व ग्राम पंचायत सचिव श्री मुकेश शर्मा से करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है ।

उल्लेखनीय है कि अक्टूबर 2019 से भुगतान में पीओएफओएमओएसओ व्यवस्था लागू है जिसके कारण बैंक स्टेटमेंट में भुगतान प्राप्त कर्ता का उल्लेख नहीं रहता जिसके कारण भुगतान प्राप्त कर्ता को चिन्हित नहीं किया जा सका कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर-32

विकास खण्ड-नवाबगंज में आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत खंजनपुर खंजनिया में केंद्रीय वित्त खाते से दिनांक 01.03.2021 को केंद्रीय वित्त खाते से ₹0-15316.00 का व्यय करना वर्तमान सचिव द्वारा उपलब्ध कराए गए बैंक स्टेटमेंट में दर्शाया गया है दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कैशबुक,बिल /वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा

मे वर्तमान सचिव/तत्कालिक प्रशासक से मौखिक व लिखित रूप से कई बार मांग करने पर भी उपलब्ध नहीं कराया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क)में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये व्यय के संबंध में कोई बिल /वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूली प्रशासक(प्रधान के स्थान पर प्रशासक नियुक्त) तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाएगा। किए गए व्यय के सापेक्ष कार्यवाही रजिस्टर , कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र सामग्री क्रय की पुष्टि में डिलीवरीचालान स्टॉक रजिस्टर परिसंपत्ति रजिस्टर वित्तीय ,तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति आदि भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया ।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धन राशि ₹0 15316.00 बिना बिल/वाउचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेख के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947के नियम स0 256 से 259 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप अपरिपालन की अवस्था में मय ब्याज ग्राम प्रधान श्रीमती गंगा देवी व ग्राम पंचायत सचिव श्री मुकेश शर्मा से करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर-33

विकास खण्ड-नवाबगंज में आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत खामपुर उर्फ गंगापुर में ग्राम निधि -6(राज्य वित्त)से दिनांक 21/07/2020 से 16.12.2020 के मध्य ग्राम निधि-6 के खाते से ₹0 310467.00 व केंद्रीय वित्त खाते से दिनांक 13/10/2020 से 19.10.2020 के मध्य ₹0-330027.00 (कुल आहरित धनराशि ₹0-640494.00) का व्यय वर्तमान सचिव द्वारा उपलब्ध कराए गए बैंक स्टेटमेंट में दर्शाया गया है दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कैशबुक,बिल /वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा में वर्तमान सचिव/तत्कालिक प्रधान से मौखिक व लिखित रूप से कई बार मांग करने पर भी उपलब्ध नहीं कराया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क)में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये व्यय के संबंध में कोई बिल /वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूलीग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाएगा। किए गए व्यय के सापेक्ष कार्यवाही रजिस्टर ,स्वीकृत कार्य योजना स्वीकृत इस्टिमेट कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0मानदेय रजिस्टर सामग्री क्रय की पुष्टि में डिलीवरीचालान टेंडर /कोटेशन पत्रावली स्टॉक रजिस्टर परिसंपत्ति रजिस्टर वित्तीय ,तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति आदि भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया ।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धन राशि ₹0 640494.00 बिना बिल/वाउचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेख के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947के नियम स0 256 से 259 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप अपरिपालन की अवस्था में मय ब्याज ग्राम प्रधान श्री बुधसेन, व ग्राम पंचायत सचिव श्री मुकेश

शर्मा से करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है ।

उल्लेखनीय है कि अक्टूबर 2019 से भुगतान में पीओएफओएमओएसओ व्यवस्था लागू है जिसके कारण बैंक स्टेटमेंट में भुगतान प्राप्त कर्ता का उल्लेख नहीं रहता जिसके कारण भुगतान प्राप्त कर्ता को चिन्हित नहीं किया जा सका कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर-34

विकास खण्ड-नवाबगंज में आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत खामपुर उर्फ गंगापुर में केंद्रीय वित्त खाते से दिनांक 01.03.2021 को केंद्रीय वित्त खाते से ₹0-22516.00 का व्यय करना वर्तमान सचिव द्वारा उपलब्ध कराए गए बैंक स्टेटमेंट में दर्शाया गया है दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कैशबुक,बिल /वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा में वर्तमान सचिव/तत्कालिक प्रशासक से मौखिक व लिखित रूप से कई बार मांग करने पर भी उपलब्ध नहीं कराया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क)में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये व्यय के संबंध में कोई बिल /वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूली प्रशासक(प्रधान के स्थान पर प्रशासक नियुक्त) तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाएगा। किए गए व्यय के सापेक्ष कार्यवाही रजिस्टर , कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र सामग्री क्रय की पुष्टि में डिलीवरीचालान स्टॉक रजिस्टर परिसंपत्ति रजिस्टर वित्तीय ,तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति आदि भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया ।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धन राशि ₹0 22516.00 बिना बिल/वाउचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेख के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947के नियम स0 256 से 259 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप अपरिपालन की अवस्था में मय ब्याज प्रशासक श्री अनुज गोपाल मिश्रा ए0डी0ओ0 (पंचायत) व ग्राम पंचायत सचिव श्री मुकेश शर्मा से करते हुए प्रशासक व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है ।

उल्लेखनीय है कि अक्टूबर 2019 से भुगतान में पीओएफओएमओएसओ व्यवस्था लागू है जिसके कारण बैंक स्टेटमेंट में भुगतान प्राप्त कर्ता का उल्लेख नहीं रहता जिसके कारण भुगतान प्राप्त कर्ता को चिन्हित नहीं किया जा सका कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर-35

विकास खण्ड-नवाबगंज में आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत खिजरपुर में केंद्रीय वित्त खाते से दिनांक 08/11/2020 से 05/01/2021 के मध्य कुल ₹0538827.00 व ग्राम निधि-6(राज्य वित्त) के खाते से दिनांक 15/06/2020 से 04/01/2021 के मध्य ₹0- 1463073.00 (कुल आहरित धनराशि ₹0-2001900.00) व्यय वर्तमान सचिव द्वारा उपलब्ध कराए गए बैंक स्टेटमेंट में दर्शाया गया है दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कैशबुक,बिल /वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा में वर्तमान सचिव/तत्कालिक प्रधान से मौखिक व लिखित रूप से कई बार मांग करने पर भी उपलब्ध नहीं कराया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क)में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये

व्यय के संबंध में कोई बिल /वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूलीग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाएगा। किए गए व्यय के सापेक्ष कार्यवाही रजिस्टर ,स्वीकृत कार्य योजना स्वीकृत इस्टिमेट कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0मानदेय रजिस्टर सामग्री क्रय की पुष्टि में डिलीवरीचालान टेंडर /कोटेशन पत्रावली स्टॉक रजिस्टर परिसंपत्ति रजिस्टर वित्तीय ,तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति आदि भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया ।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धन राशि रु0 2001900.00 बिना बिल/वाउचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेख के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947के नियम स0 256 से 259 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप अपरिपालन की अवस्था में मय ब्याज ग्राम प्रधान श्रीमती नीलोफर व ग्राम पंचायत सचिव श्री वसीम अहमद/छत्रपाल सिंह से करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है ।

उल्लेखनीय है कि अक्टूबर 2019 से भुगतान में पी0एफ0एम0एस0 व्यवस्था लागू है जिसके कारण बैंक स्टेटमेंट में भुगतान प्राप्त कर्ता का उल्लेख नहीं रहता जिसके कारण भुगतान प्राप्त कर्ता को चिन्हित नहीं किया जा सका कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर-36

विकास खण्ड-नवाबगंज में आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत खिजरपुर में केंद्रीय वित्त खाते से दिनांक 01/03/2021 को कुल रु0 9005.00 व्यय करना वर्तमान सचिव द्वारा उपलब्ध कराए गए बैंक स्टेटमेंट में दर्शाया गया है दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कैशबुक,बिल /वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा में वर्तमान सचिव/तत्कालिक प्रशासक से मौखिक व लिखित रूप से कई बार मांग करने पर भी उपलब्ध नहीं कराया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क)में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये व्यय के संबंध में कोई बिल /वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूली प्रशासक(प्रधान के स्थान पर प्रशासक नियुक्त) तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाएगा। किए गए व्यय के सापेक्ष कार्यवाही रजिस्टर , कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र सामग्री क्रय की पुष्टि में डिलीवरीचालान स्टॉक रजिस्टर परिसंपत्ति रजिस्टर वित्तीय ,तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति आदि भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया ।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धन राशि रु0 9005.00 बिना बिल/वाउचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेख के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947के नियम स0 256 से 259 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप अपरिपालन की अवस्था में मय ब्याज प्रशासक श्री अनुज गोपाल मिश्रा ए0डी0ओ0 (पंचायत) व ग्राम पंचायत सचिव श्री वसीम अहमद/छत्रपाल सिंह से करते हुए प्रशासक व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है ।

उल्लेखनीय है कि अक्टूबर 2019 से भुगतान में पीओएफओएमओएसओ व्यवस्था लागू है जिसके कारण बैंक स्टेटमेंट में भुगतान प्राप्त कर्ता का उल्लेख नहीं रहता जिसके कारण भुगतान प्राप्त कर्ता को चिन्हित नहीं किया जा सका कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर-37

विकास खण्ड-नवाबगंज में आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत गुरुगवा में ग्राम निधि -6(राज्य वित्त)से दिनांक 20/07/2020 से 12.11.2020 के मध्य ग्राम निधि-6 के खाते से ₹0 878184.00 व केंद्रीय वित्त खाते से दिनांक 30/10/2020 को ₹0-338616.00 (कुल आहरित धनराशि ₹0-1216800.00) का व्यय वर्तमान सचिव द्वारा उपलब्ध कराए गए बैंक स्टेटमेंट में दर्शाया गया है दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कैशबुक,बिल /वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा में वर्तमान सचिव/तत्कालिक प्रधान से मौखिक व लिखित रूप से कई बार मांग करने पर भी उपलब्ध नहीं कराया गया।

उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क)में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये व्यय के संबंध में कोई बिल /वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूलीग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाएगा। किए गए व्यय के सापेक्ष कार्यवाही रजिस्टर ,स्वीकृत कार्य योजना स्वीकृत इस्टिमेट कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एमओबीओमानदेय रजिस्टर सामग्री क्रय की पुष्टि में डिलीवरीचालान टेंडर /कोटेशन पत्रावली स्टॉक रजिस्टर परिसंपत्ति रजिस्टर वित्तीय ,तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति आदि भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया ।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धन राशि ₹0 1216800.00 बिना बिल/वाउचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेख के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947के नियम स0 256 से 259 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप अपरिपालन की अवस्था में मय ब्याज ग्राम प्रधान श्री ओमपाल, व ग्राम पंचायत सचिव श्री मुकेश शर्मा से करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है ।

उल्लेखनीय है कि अक्टूबर 2019 से भुगतान में पीओएफओएमओएसओ व्यवस्था लागू है जिसके कारण बैंक स्टेटमेंट में भुगतान प्राप्त कर्ता का उल्लेख नहीं रहता जिसके कारण भुगतान प्राप्त कर्ता को चिन्हित नहीं किया जा सका कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर-38

विकास खण्ड-नवाबगंज में आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत गुरुगवा में केंद्रीय वित्त खाते से दिनांक 26.02.2021 को केंद्रीय वित्त खाते से ₹0-18016.00 का व्यय करना वर्तमान सचिव द्वारा उपलब्ध कराए गए बैंक स्टेटमेंट में दर्शाया गया है दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कैशबुक,बिल /वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा

मे वर्तमान सचिव/तत्कालिक प्रशासक से मौखिक व लिखित रूप से कई बार मांग करने पर भी उपलब्ध नहीं कराया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क)में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये व्यय के संबंध में कोई बिल /वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूली प्रशासक(प्रधान के स्थान पर प्रशासक नियुक्त) तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाएगा। किए गए व्यय के सापेक्ष कार्यवाही रजिस्टर , कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र सामग्री क्रय की पुष्टि में डिलीवरीचालान स्टॉक रजिस्टर परिसंपत्ति रजिस्टर वित्तीय ,तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति आदि भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया ।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धन राशि रु0 18016.00 बिना बिल/वाउचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेख के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947के नियम स0 256 से 259 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप अपरिपालन की अवस्था में मय ब्याज प्रशासक श्री अनुज गोपाल मिश्रा ए0डी0ओ0 (पंचायत) व ग्राम पंचायत सचिव श्री मुकेश शर्मा से करते हुए प्रशासक व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है ।

उल्लेखनीय है कि अक्टूबर 2019 से भुगतान में पी0एफ0एम0एस0 व्यवस्था लागू है जिसके कारण बैंक स्टेटमेंट में भुगतान प्राप्त कर्ता का उल्लेख नहीं रहता जिसके कारण भुगतान प्राप्त कर्ता को चिन्हित नहीं किया जा सका कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर-39

विकास खण्ड-नवाबगंज में आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत गेला टांडा में ग्राम निधि -6(राज्य वित्त)से दिनांक 06.07.2020 से 30.12.2020 तक अनुदान की धनराशि रुपया 813619.00 और केंद्रीय वित्त खाते से दिनांक 24.09.2020 से 03.10.2020 तक अनुदान की धनराशि रु0-646525.00 (कुल आहरित धनराशि रु0-1460144.00) का व्यय वर्तमान सचिव द्वारा उपलब्ध कराए गए बैंक स्टेटमेंट में दर्शाया गया है दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कैशबुक,बिल /वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा में वर्तमान सचिव/तत्कालिक प्रधान से मौखिक व लिखित रूप से कई बार मांग करने पर भी उपलब्ध नहीं कराया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क)में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये व्यय के संबंध में कोई बिल /वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूलीग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाएगा। किए गए व्यय के सापेक्ष कार्यवाही रजिस्टर ,स्वीकृत कार्य योजना स्वीकृत इस्टिमेट कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0मानदेय रजिस्टर सामग्री क्रय की पुष्टि में डिलीवरीचालान टेंडर /कोटेशन पत्रावली स्टॉक रजिस्टर परिसंपत्ति रजिस्टर वित्तीय ,तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति आदि भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया ।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धन राशि बिना बिल/वाउचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेख के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम स0 256 से 259 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप अपरिपालन की अवस्था में मय ब्याज ग्राम प्रधान श्री वीर पाल व ग्राम पंचायत सचिव श्री मुकेश शर्मा से करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है ।

उल्लेखनीय है कि अक्टूबर 2019 से भुगतान में पीओएफओएमओएसओ व्यवस्था लागू है जिसके कारण बैंक स्टेटमेंट में भुगतान प्राप्त कर्ता का उल्लेख नहीं रहता जिसके कारण भुगतान प्राप्त कर्ता को चिन्हित नहीं किया जा सका कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर-40

विकास खण्ड-नवाबगंज में आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत चुनुआ में ग्राम निधि -6(राज्य वित्त)से दिनांक 01/04/2020 से 25.12.2020 के मध्य ग्राम निधि-6 के खाते से ₹0 728790.00 का व्यय वर्तमान सचिव द्वारा उपलब्ध कराए गए बैंक स्टेटमेंट में दर्शाया गया है दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कैशबुक,बिल /वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा में वर्तमान सचिव/तत्कालिक प्रधान से मौखिक व लिखित रूप से कई बार मांग करने पर भी उपलब्ध नहीं कराया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क)में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये व्यय के संबंध में कोई बिल /वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूलीग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाएगा। किए गए व्यय के सापेक्ष कार्यवाही रजिस्टर ,स्वीकृत कार्य योजना स्वीकृत इस्टिमेट कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एमओबीओमानदेय रजिस्टर सामग्री क्रय की पुष्टि में डिलीवरीचालान टेंडर /कोटेशन पत्रावली स्टॉक रजिस्टर परिसंपत्ति रजिस्टर वित्तीय ,तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति आदि भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया ।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धन राशि ₹0 728790.00 बिना बिल/वाउचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेख के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947के नियम स0 256 से 259 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप अपरिपालन की अवस्था में मय ब्याज ग्राम प्रधान श्री सन्स वीर , व ग्राम पंचायत सचिव श्री वसीम अहमद/छात्रपाल सिंह से कार्यकाल के अनुसार करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है ।

उल्लेखनीय है कि अक्टूबर 2019 से भुगतान में पीओएफओएमओएसओ व्यवस्था लागू है जिसके कारण बैंक स्टेटमेंट में भुगतान प्राप्त कर्ता का उल्लेख नहीं रहता जिसके कारण भुगतान प्राप्त कर्ता को चिन्हित नहीं किया जा सका कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर-41

विकास खण्ड-नवाबगंज में आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत चुनुआ में केंद्रीय वित्त खाते से दिनांक 12/02/2021 से 18.03.2021 के मध्य केंद्रीय वित्त खाते से ₹0-288950.00 का व्यय करना वर्तमान सचिव द्वारा उपलब्ध कराए गए बैंक स्टेटमेंट में दर्शाया गया है दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कैशबुक,बिल /वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा में वर्तमान सचिव/तत्कालिक प्रशासक से मौखिक व लिखित रूप से कई बार

मांग करने पर भी उपलब्ध नहीं कराया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये व्यय के संबंध में कोई बिल /वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूली प्रशासक(प्रधान के स्थान पर प्रशासक नियुक्त) तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाएगा। किए गए व्यय के सापेक्ष कार्यवाही रजिस्टर , कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र सामग्री क्रय की पुष्टि में डिलीवरीचालान स्टॉक रजिस्टर परिसंपत्ति रजिस्टर वित्तीय ,तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति आदि भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया ।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धन राशि ₹0 288950.00 बिना बिल/वाउचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेख के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947के नियम स0 256 से 259 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप अपरिपालन की अवस्था में मय ब्याज प्रशासक श्री अनुज गोपाल मिश्रा ए0डी0ओ0 (पंचायत) व ग्राम पंचायत सचिव श्री वसीम अहमद/छात्रपाल सिंह से कार्यकाल के अनुसार करते करते हुए प्रशासक व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है ।

उल्लेखनीय है कि अक्टूबर 2019 से भुगतान में पी0एफ0एम0एस0 व्यवस्था लागू है जिसके कारण बैंक स्टेटमेंट में भुगतान प्राप्त कर्ता का उल्लेख नहीं रहता जिसके कारण भुगतान प्राप्त कर्ता को चिन्हित नहीं किया जा सका कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर-42

विकास खण्ड-नवाबगंज में आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत **ज्यरामकरंदपुर** में ग्राम निधि - 6(राज्य वित्त)से दिनांक 21.07.2020 से 21.12.2020 तक अनुदान की धनराशि रुपया 932679.00 और केंद्रीय वित्त खाते से दिनांक 08.12.2020 से 21.12.2020 तक अनुदान की धनराशि ₹0-536306.00 (कुल आहरित धनराशि ₹0-1468985.00) का व्यय वर्तमान सचिव द्वारा उपलब्ध कराए गए बैंक स्टेटमेंट में दर्शाया गया है दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कैशबुक,बिल /वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा में वर्तमान सचिव/तत्कालिक प्रधान से मौखिक व लिखित रूप से कई बार मांग करने पर भी उपलब्ध नहीं कराया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये व्यय के संबंध में कोई बिल /वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाएगा। किए गए व्यय के सापेक्ष कार्यवाही रजिस्टर ,स्वीकृत कार्य योजना स्वीकृत इस्टिमेट कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0मानदेय रजिस्टर सामग्री क्रय की पुष्टि में डिलीवरीचालान टेंडर /कोटेशन पत्रावली स्टॉक रजिस्टर परिसंपत्ति रजिस्टर वित्तीय ,तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति आदि भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया ।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धन राशि ₹0 1468985.00 बिना बिल/वाउचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेख के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947के नियम स0 256 से 259 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप

अपरिपालन की अवस्था में मय ब्याज ग्राम प्रधान श्रीमती क्रांति देवी व ग्राम पंचायत सचिव श्री मुकेश शर्मा से करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है ।

उल्लेखनीय है कि अक्टूबर 2019 से भुगतान में पीओएफओएमओएसओ व्यवस्था लागू है जिसके कारण बैंक स्टेटमेंट में भुगतान प्राप्त कर्ता का उल्लेख नहीं रहता जिसके कारण भुगतान प्राप्त कर्ता को चिन्हित नहीं किया जा सका कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर-43

विकास खण्ड-नवाबगंज में आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत **टांडा सादात** में निम्न विवरणानुसार दिनांक 24-06-20 से 19-12-20 तक ग्राम निधि-6 के खाते से रु0 1274351.00 व केंद्रीय वित्त खाते से दिनांक 21-09-20 से 07-12-20 तक रु0- 1031618.00 अनुदान की धनराशि (कुल रुपया 2305969.00) का व्यय बैंक स्टेटमेंट/कैश बुक में दर्शाया गया है दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा ,बिल /वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा में सचिव से मौखिक व लिखित रूप से कई बार मांग करने पर व जिला पंचायतराज अधिकारी बरेली द्वारा कार्यलय पत्रांक 6641-सी दिनांक 31.03.2022 से अभिलेखों के मांग के उपरांत भी सचिव द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क)में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये व्यय के संबंध में कोई बिल /वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूलीग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाएगा। किए गए व्यय के सापेक्ष कार्यवाही रजिस्टर ,स्वीकृत कार्य योजना स्वीकृत इस्टिमेट कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एमओबीओमानदेय रजिस्टर सामग्री क्रय की पुष्टि में डिलीवरीचालान टेंडर /कोटेशन पत्रावली स्टॉक रजिस्टर परिसंपत्ति रजिस्टर वित्तीय ,तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति आदि भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया ।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई कुल धन राशि रु0 2305969.00बिना बिल/वाउचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेख के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947के नियम स0 256 से 259 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप आपत्ति का परिपालन न करने की अवस्था में मय ब्याज ग्राम प्रधान श्रीमती यासमीन व ग्राम पंचायत सचिव श्री विपिन सक्सेना से करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है ।

राज्य वित्त	क्रम स0	विवरण	धनराशि
अकाउंट नंबर- 00760100006682 से आहरित	01	वसीम अख्तर	12200.00
	02	लल्लू	17325.00
	03	हर्ष इंटर प्राइजेज	25402.00
	04	अली अकबर	6750.00
	05	कबीर अहमद	19350.00
	06	लईक अहमद	3375.00
	07	बरेली सीमेंट सेंटर	495099.00

08	आयान ब्रिक फील्ड	240708.00
09	नंदनी एडवर्टाइजर्स	767.00
10	सम्राट आर्ट्स	48675.00
11	चौधरी फाइनैसियल सर्विसेज एंड टैक्स एड्वाइजर	2700.00
12	शकील अहमद	30825.00
13.	इरफान अली	24275.00
14.	मो0 हानिफ	26475.00
15.	यासमीन (प्रधान)	52700.00
16.	जी0के0 इंटर प्राइजेज़	145000.00
17	आफताब	9000.00
18	शाकिर अली खान	4800.00
19	मुशरफ अली	30450.00
20	रईश अहमद	25200.00
21	अफसर अली	4200.00
22	महताब	4200.00
23	अखलाक अहमद	21375.00
24	तौफीक	13500.00
25	वृत्तिक इन्फोटेक	10000.00
	योग	1274351.00
केंद्रीय वित्त अकाउंट नंबर-00760100031091 से आहरित		
01	जी0के0एस0इंटर प्राइजेज़	132936.00
02	इरफान अली	36625.00
03	इस्लाम नूर	111689.00
04	बरेली सीमेंट एजेंसी	407823.00
05	आर्यन ब्रिक फील्ड	187520.00
06	अखलाक अहमद	20800.00
07	वसीम अख्तर	4300.00
08	तस्लीम अहमद	53650.00
09	आफताब	6000.00
10	मो0हनीफ	13125.00
11	महताब	22500.00
12	तौफीक	34650.00
	योग	1031618.00
	महा योग	2305969.00

विकास खण्ड-नवाबगंज में आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत ढकिया खैरुद्दीन में ग्राम निधि - 6(राज्य वित्त)से दिनांक 30.04.2020 से 23.11.2020 तक अनुदान की धनराशि रुपया 1407300.00 और केंद्रीय वित्त खाते से दिनांक 11.12.2020 से 19.12.2020 तक अनुदान की धनराशि रु0-58085.00(कुल आहरित धनराशि रु0-1465385.00) का व्यय वर्तमान सचिव द्वारा उपलब्ध कराए गए बैंक स्टेटमेंट में दर्शाया गया है दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कैशबुक,बिल /वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा में वर्तमान सचिव/तत्कालिक प्रधान से मौखिक व लिखित रूप से कई बार मांग करने पर भी उपलब्ध नहीं कराया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क)में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये व्यय के संबंध में कोई बिल /वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूलीग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाएगा। किए गए व्यय के सापेक्ष कार्यवाही रजिस्टर ,स्वीकृत कार्य योजना स्वीकृत इस्टिमेट कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0मानदेय रजिस्टर सामग्री क्रय की पुष्टि में डिलीवरीचालान टेंडर /कोटेशन पत्रावली स्टॉक रजिस्टर परिसंपत्ति रजिस्टर वित्तीय ,तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति आदि भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया ।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धन राशि रु0 1465385.00 बिना बिल/वाउचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेख के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947के नियम स0 256 से 259 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप अपरिपालन की अवस्था में मय ब्याज ग्राम प्रधान श्रीमती फहमीदा व ग्राम पंचायत सचिव श्री वसीम अहमद/छत्रपाल सिंह से करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है

उल्लेखनीय है कि अक्टूबर 2019 से भुगतान में पी0एफ0एम0एस0 व्यवस्था लागू है जिसके कारण बैंक स्टेटमेंट में भुगतान प्राप्त कर्ता का उल्लेख नहीं रहता जिसके कारण भुगतान प्राप्त कर्ता को चिन्हित नहीं किया जा सका कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर-45

विकास खण्ड-नवाबगंज में आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत त्यार जागीर में ग्राम निधि - 6(राज्य वित्त)से दिनांक 14.07.2020 से 20.11.2020 तक अनुदान की धनराशि रुपया 610275.00 और केंद्रीय वित्त खाते से दिनांक 05.10.2020 से 28.10.2020 तक अनुदान की धनराशि रु0-369126.00 (कुल आहरित धनराशि रु0-979401.00) का व्यय वर्तमान सचिव द्वारा उपलब्ध कराए गए बैंक स्टेटमेंट में दर्शाया गया है दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कैशबुक,बिल /वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा में वर्तमान सचिव/तत्कालिक प्रधान से मौखिक व लिखित रूप से कई बार मांग करने पर भी उपलब्ध नहीं कराया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क)में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये व्यय के संबंध में कोई बिल /वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूलीग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया

जाएगा। किए गए व्यय के सापेक्ष कार्यवाही रजिस्टर ,स्वीकृत कार्य योजना स्वीकृत इस्टिमेट कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0मानदेय रजिस्टर सामग्री क्रय की पुष्टि मे डिलीवरीचालान टैंडर /कोटेशन पत्रावली स्टॉक रजिस्टर परिसंपत्ति रजिस्टर वित्तीय ,तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति आदि भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया ।

उक्त नियम के आलोक मे ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धन राशि रु0 979401.00 बिना बिल/वाउचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेख के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947के नियम स0 256 से 259 मे दी गयी व्यवस्था के अनुरूप अपरिपालन की अवस्था में मय ब्याज ग्राम प्रधान श्री छेदा लाल व ग्राम पंचायत सचिव श्री मुकेश शर्मा से करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल मे लाया जाना अपेक्षित है ।

उल्लेखनीय है कि अक्तूबर 2019 से भुगतान मे पी0एफ0एम0एस0 व्यवस्था लागू है जिसके कारण बैंक स्टेटमेंट मे भुगतान प्राप्त कर्ता का उल्लेख नहीं रहता जिसके कारण भुगतान प्राप्त कर्ता को चिन्हित नहीं किया जा सका कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर-46

विकास खण्ड-नवाबगंज में आलोच्य वर्ष 2020-21 मे ग्राम पंचायत **पनुआ** मे निम्न विवरणानुसार दिनांक 13-04-20से 04-01-21 तक ग्राम निधि-6 के खाते से रु0 1605919.00व केंद्रीय वित्त खाते से दिनांक 29-09-20से 04-01-21 तक रु0-544476.00अनुदान की धनराशि (कुल रुपया -2150395.00) का व्यय बैंक स्टेटमेंट/कैश बुक मे दर्शाया गया है दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा ,बिल /वाउचर लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया।ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा मे सचिव से मौखिक व लिखित रूप से कई बार मांग करने पर व जिला पंचायतराज अधिकारी बरेली द्वारा कार्यलय पत्रांक 6641-सी दिनांक 31.03.2022 से अभिलेखो के मांग के उपरांत भी सचिव द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया परंतु बाद मे जिला पंचायत राज अधिकारी बरेली द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक-257-सी/ऑडिट ग्रा0 पंचा0/2022-23/दिनांक-21.04.22 के द्वारा उक्त ग्राम पंचायत का मात्र कैश बुक व बैंक स्टेटमेंट ही उपलब्ध कराया गया जिसके आधार पर लेखा परीक्षा सम्पन्न की गई उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क)मे व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये व्यय के संबंध मे कोई बिल /वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूलीग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय मे चलाया जाएगा। किए गए व्यय के सापेक्ष कार्यवाही रजिस्टर ,स्वीकृत कार्य योजना स्वीकृत इस्टिमेट कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0मानदेय रजिस्टर सामग्री क्रय की पुष्टि मे डिलीवरीचालान टैंडर /कोटेशन पत्रावली स्टॉक रजिस्टर परिसंपत्ति रजिस्टर वित्तीय ,तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति आदि भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया ।

उक्त नियम के आलोक मे ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई कुल धन राशि रु0 2150395.00 बिना बिल/वाउचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेख के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947के नियम स0 256 से 259 मे दी गयी व्यवस्था के अनुरूप आपति का परिपालन न करने की अवस्था मे मय ब्याज ग्राम प्रधान श्रीमती

ममता देवी व ग्राम पंचायत सचिव श्री विपिन सक्सेना से करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है ।

राज्य वित्त अकाउंट नंबर-	क्रम सं०	विवरण	धनराशि
00760100006708 से आहरित	01	ममता देवी (प्रधान)	183950.00
	02	जी०के० एस०इंटर प्राइजेज़	366500.00
	03	हर्ष इंटर प्राइजेज़	188800.00
	04	इस्लाम नूर	112500.00
	05	वृत्तिक इन्फोटेक	7000.00
	06	जंग बहादुर	3000.00
	07	ग्रीन इंडिया इंटर प्राइजेज़	13449.00
	08	हंसनी इंटर प्राइजेज़	122135.00
	09	नंदी एड्वाइजर	1534.00
	10	सम्राट आर्ट्स	13983.00
	11	चौधरी फाइनैसियल सर्विसेज एंड टैक्स एड्वाइजर	2700.00
	12.	शौचालय	180000.00
	13.	मो० आजान जईदी	3000.00
	14.	मानवी इन्फोटेक	7000.00
	15.	अमन सीमेंट स्टोर	244061.00
	16.	श्याम सिंह पेंटर	11850.00
	17.	शिवा ब्रिक फील्ड	144457.00
		योग	1605919.00
केंद्रीय वित्त अकाउंट नंबर- 00760100031072 से आहरित			
	01	जी०के०एस०इंटर प्राइजेज़	93615.00
	02	हर्ष इंटर प्राइजेज़	24800.00
	03	ममता देवी (प्रधान)	48500.00
	04	अमन सीमेंट एजेंसी	58776.00
	05	शिव ब्रिक फील्ड	52185.00
	06	अज्ञात	266600.00
		योग	544476.00
		महा योग (राज्य +केंद्र वित्त)	2150395.00

प्रस्तर-47

विकास खण्ड-नवाबगंज में आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत पनुआ में निम्न विवरणानुसार दिनांक 11-03-21 से 18-03-21 तक केंद्रीय वित्त के खाते से रु० 126232.00 अनुदान की धनराशि का व्यय बैंक स्टेटमेंट/कैश बुक में दर्शाया गया है दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा ,बिल /वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा में सचिव से

मौखिक व लिखित रूप से कई बार मांग करने पर व जिला पंचायतराज अधिकारी बरेली द्वारा कार्यलय पत्रांक 6641-सी दिनांक 31.03.2022 से अभिलेखों के मांग के उपरांत भी सचिव द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया परंतु बाद में जिला पंचायतराज अधिकारी बरेली द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक-257-सी/ऑडिट ग्रा0 पंचा0/2022-23/दिनांक-21.04.22 के द्वारा उक्त ग्राम पंचायत का मात्र कैश बुक व बैंक स्टेटमेंट ही उपलब्ध कराया गया जिसके आधार पर लेखा परीक्षा सम्पन्न की गई उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क)में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये व्यय के संबंध में कोई बिल /वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूलीग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाएगा। किए गए व्यय के सापेक्ष कार्यवाही रजिस्टर ,स्वीकृत कार्य योजना स्वीकृत इस्टिमेट कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0मानदेय रजिस्टर सामग्री क्रय की पुष्टि में डिलीवरीचालान टैंडर /कोटेशन पत्रावली स्टॉक रजिस्टर परिसंपत्ति रजिस्टर वित्तीय ,तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति आदि भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया ।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई कुल धन राशि रु0 126232.00 बिना बिल/वाउचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेख के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947के नियम स0 256 से 259 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप आपत्ति का परिपालन न करने की अवस्था में मय ब्याज श्री अनुज गोपाल मिश्रा ए0डी0ओ0 (पंचायत) प्रशासक व ग्राम पंचायत सचिव श्री विपिन सक्सेना से करते हुए प्रशासक व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है ।

केंद्रीय वित्त अकाउंट नंबर- 00760100031072 से आहरित	क्रम स0	विवरण	धनराशि
	01	इस्लाम नूर	19555.00
	02	जी0के0 एस0इंटर प्राइजेज	79118.00
	03	ग्रीन इंडिया इंटर प्राइजेज	27559.00
		योग-	126232.00

प्रस्तर-48

विकास खण्ड-नवाबगंज में आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत पिपरा निगाही में ग्राम निधि - 6(राज्य वित्त)से दिनांक 03.04.2020 से 21.12.2020 तक अनुदान की धनराशि रुपया 920314.00 और केंद्रीय वित्त खाते से दिनांक 30.10.2020 से 18.12.2020 तक अनुदान की धनराशि रु0-431419.00 (कुल आहरित धनराशि रु0-1351733.00) का व्यय वर्तमान सचिव द्वारा उपलब्ध कराए गए बैंक स्टेटमेंट में दर्शाया गया है दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कैशबुक,बिल /वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा में वर्तमान सचिव/तत्कालिक प्रधान से मौखिक व लिखित रूप से कई बार मांग करने पर भी उपलब्ध नहीं कराया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क)में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये व्यय के संबंध में कोई बिल /वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूलीग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा

भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाएगा। किए गए व्यय के सापेक्ष कार्यवाही रजिस्टर ,स्वीकृत कार्य योजना स्वीकृत इस्टिमेट कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0मानदेय रजिस्टर सामग्री क्रय की पुष्टि में डिलीवरीचालान टेंडर /कोटेशन पत्रावली स्टॉक रजिस्टर परिसंपत्ति रजिस्टर वित्तीय ,तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति आदि भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया ।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धन राशि रु0 1351733.00 बिना बिल/वाउचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेख के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947के नियम स0 256 से 259 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप अपरिपालन की अवस्था में मय ब्याज ग्राम प्रधान श्री इरशाद व ग्राम पंचायत सचिव श्री बिपिन सक्सेना से करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है

उल्लेखनीय है कि अक्टूबर 2019 से भुगतान में पी0एफ0एम0एस0 व्यवस्था लागू है जिसके कारण बैंक स्टेटमेंट में भुगतान प्राप्त कर्ता का उल्लेख नहीं रहता जिसके कारण भुगतान प्राप्त कर्ता को चिन्हित नहीं किया जा सका कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर-49

विकास खण्ड-नवाबगंज में आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत पृथ्वीपुर नवादिया में ग्राम निधि - 6(राज्य वित्त)से दिनांक 01/04/2020 से 04/01/2021 के मध्य ग्राम निधि-6 के खाते से रु0 420010.00 व केंद्रीय वित्त खाते से दिनांक 01/08/2020 से 25/12/2020 के मध्य रु0-365019.00 (कुल आहरित धनराशि रु0-785029.00) का व्यय वर्तमान सचिव द्वारा उपलब्ध कराए गए बैंक स्टेटमेंट में दर्शाया गया है दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कैशबुक,बिल /वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा में वर्तमान सचिव/तत्कालिक प्रधान से मौखिक व लिखित रूप से कई बार मांग करने पर भी उपलब्ध नहीं कराया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क)में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये व्यय के संबंध में कोई बिल /वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूलीग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाएगा। किए गए व्यय के सापेक्ष कार्यवाही रजिस्टर ,स्वीकृत कार्य योजना स्वीकृत इस्टिमेट कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0मानदेय रजिस्टर सामग्री क्रय की पुष्टि में डिलीवरीचालान टेंडर /कोटेशन पत्रावली स्टॉक रजिस्टर परिसंपत्ति रजिस्टर वित्तीय ,तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति आदि भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया ।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धन राशि रु0 785029.00 बिना बिल/वाउचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेख के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947के नियम स0 256 से 259 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप अपरिपालन की अवस्था में मय ब्याज ग्राम प्रधान श्रीमती हीराकली व ग्राम पंचायत सचिव श्री मुकेश शर्मा से करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है ।

उल्लेखनीय है कि अक्टूबर 2019 से भुगतान में पीओएफओएमओएसओ व्यवस्था लागू है जिसके कारण बैंक स्टेटमेंट में भुगतान प्राप्त कर्ता का उल्लेख नहीं रहता जिसके कारण भुगतान प्राप्त कर्ता को चिन्हित नहीं किया जा सका कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर-50

विकास खण्ड-नवाबगंज में आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत पृथ्वीपुर नवादिया में केंद्रीय वित्त खाते से दिनांक 01/03/2021 को केंद्रीय वित्त खाते से ₹0-6766.00 का व्यय करना वर्तमान सचिव द्वारा उपलब्ध कराए गए बैंक स्टेटमेंट में दर्शाया गया है दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कैशबुक,बिल /वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा में वर्तमान सचिव/तत्कालिक प्रशासक से मौखिक व लिखित रूप से कई बार मांग करने पर भी उपलब्ध नहीं कराया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क)में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये व्यय के संबंध में कोई बिल /वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूली प्रशासक(प्रधान के स्थान पर प्रशासक नियुक्त) तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाएगा। किए गए व्यय के सापेक्ष कार्यवाही रजिस्टर , कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र सामग्री क्रय की पुष्टि में डिलीवरीचालान स्टॉक रजिस्टर परिसंपत्ति रजिस्टर वित्तीय ,तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति आदि भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया ।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धन राशि ₹0 6766.00 बिना बिल/वाउचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेख के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947के नियम स0 256 से 259 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप अपरिपालन की अवस्था में मय ब्याज प्रशासक श्री अनुज गोपाल मिश्रा ए0डी0ओ0 (पंचायत) व ग्राम पंचायत सचिव श्री मुकेश शर्मा से करते हुए प्रशासक व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है ।

उल्लेखनीय है कि अक्टूबर 2019 से भुगतान में पीओएफओएमओएसओ व्यवस्था लागू है जिसके कारण बैंक स्टेटमेंट में भुगतान प्राप्त कर्ता का उल्लेख नहीं रहता जिसके कारण भुगतान प्राप्त कर्ता को चिन्हित नहीं किया जा सका कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर-51

विकास खण्ड-नवाबगंज में आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत फाजिलपुर में निम्न विवरणानुसार दिनांक 28-08-20से 31-12-20 तक ग्राम निधि-6 के खाते से ₹0 863698.00 व केंद्रीय वित्त खाते से दिनांक 01-12-20से 31-12-20 तक ₹0- 477534.00 अनुदान की धनराशि (कुल रुपया - 1341232.00) का व्यय बैंक स्टेटमेंट/कैश बुक में दर्शाया गया है दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा ,बिल /वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा में सचिव से मौखिक व लिखित रूप से कई बार मांग करने पर व जिला पंचायतराज अधिकारी बरेली द्वारा कार्यलय पत्रांक 6641-सी दिनांक 31.03.2022 से अभिलेखों के मांग के उपरांत भी सचिव द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क)में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये व्यय के संबंध में कोई बिल /वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूलीग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ साथ

जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाएगा। किए गए व्यय के सापेक्ष कार्यवाही रजिस्टर ,स्वीकृत कार्य योजना स्वीकृत इस्टिमेट कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0मानदेय रजिस्टर सामग्री क्रय की पुष्टि में डिलीवरीचालान टेंडर /कोटेशन पत्रावली स्टॉक रजिस्टर परिसंपत्ति रजिस्टर वित्तीय ,तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति आदि भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया ।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई कुल धन राशि रु0 1341232.00बिना बिल/वाउचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेख के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947के नियम स0 256 से 259 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप आपत्ति का परिपालन न करने की अवस्था में मय ब्याज ग्राम प्रधान श्री रमेश चन्द्र व ग्राम पंचायत सचिव श्री विपिन सक्सेना से करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है ।

राज्य वित्त अकाउंट नंबर- 00760100006707 से आहरित	क्रम स0	विवरण	धनराशि
	01	रमेश चन्द्र (प्रधान)	29500.00
	02	जय गुरदाव इंटर प्राइजेज़	521875.00
	03	हर्ष इंटर प्राइजेज़	1320.00
	04	योगेश गंगवार	2890.00
	05	वृत्तिक इन्फोटेक	7000.00
	06	श्याम सिंह पेंटर	26045.00
	07	गीन इंडिया इंटर प्राइजेज़	13449.00
	08	ओम ईट्ट उद्योग	6309.00
	09	जी0के0 एस0इंटर प्राइजेज़	206000.00
	10	सम्राट आर्ट्स	45843.00
	11	चौधरी फाइनैसियल सर्विसेज एंड टैक्स एड्वाइजर	2700.00
	12	नंदनी एडवरडाइजर्स	767.00
		योग	863698.00
केंद्रीय वित्त अकाउंट नंबर-00760100031130 से आहरित			
	01	जी0के0एस0इंटर प्राइजेज़	51270.00
	02	हर्ष इंटर प्राइजेज़	59050.00
	03	योगेश गंगवार	110625.00
	04	रमेश प्रधान का मानदेय का भुगतान	29470.00
	05	रमेश प्रधान को लेबर हेतु भुगतान	15470.00
	06	शिव ओम सप्लायर्स	117675.00
	07	ओम ईट्ट उद्योग	93974.00
		योग	477534.00
		महा योग	1341232.00

विकास खण्ड-नवाबगंज में आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत बहोरनगला में निम्न विवरणानुसार दिनांक 23-06-20से 07-12-20 तक ग्राम निधि-6 के खाते से ₹0 729853.00 व केंद्रीय वित्त खाते से दिनांक 16-09-20से 01-12-20 तक ₹0- 575028.00 अनुदान की धनराशि (कुल रुपया 1304881.00) का व्यय बैंक स्टेटमेंट/कैश बुक में दर्शाया गया है दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा ,बिल /वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा में सचिव से मौखिक व लिखित रूप से कई बार मांग करने पर व जिला पंचायतराज अधिकारी बरेली द्वारा कार्यलय पत्रांक 6641-सी दिनांक 31.03.2022 से अभिलेखों के मांग के उपरांत भी सचिव द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क)में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये व्यय के संबंध में कोई बिल /वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूलीग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाएगा। किए गए व्यय के सापेक्ष कार्यवाही रजिस्टर ,स्वीकृत कार्य योजना स्वीकृत इस्टिमेट कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0मानदेय रजिस्टर सामग्री क्रय की पुष्टि में डिलीवरीचालान टैंडर /कोटेशन पत्रावली स्टॉक रजिस्टर परिसंपत्ति रजिस्टर वित्तीय ,तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति आदि भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया ।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई कुल धन राशि ₹0 1304881.00 बिना बिल/वाउचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेख के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947के नियम स0 256 से 259 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप आपत्ति का परिपालन न करने की अवस्था में मय ब्याज ग्राम प्रधान श्री निरंजन सिंह व ग्राम पंचायत सचिव श्री विपिन सक्सेना से करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है ।

राज्य वित्त	क्रम स0	विवरण	धनराशि
अकाउंट नंबर- 00760100006632 से आहरित	01	निरंजन सिंह(प्रधान)	59000.00
	02	टी0के0 इंटर प्राइजेज़	9000.00
	03	हर्ष इंटर प्राइजेज़	63853.00
	04	भारत सरिया सीमेंट एजेंसी	144422.00
	05	जसपाल	95440.00
	06	शिव ब्रिक फील्ड	38063.00
	07	जी0के0एस0इंटर प्राइजेज़	166944.00
	08	इस्लाम नूर	122627.00
	09	नंदनी एडवर्टाइजर्स	767.00
	10	सम्राट आर्ट्स	14337.00
	11	चौधरी फाइनैसियल सर्विसेज एंड टैक्स एड्वाइजर	5400.00
	12	जंगबहादुर	3000.00

	13	वृत्तिक इन्फोटेक	7000.00
		योग	729853.00
	केंद्रीय वित्त अकाउंट नंबर-00760100031038 से आहरित		
	01	जी0के0एस0इंटर प्राइजेज़	108911.00
	02	जसपाल	99450.00
	03	इस्लाम नूर	94523.00
	04	भारत सरिया सीमेंट एजेंसी	59944.00
	05	शिव ब्रिक फील्ड	61971.00
	06	हर्ष इंटर प्राइजेज़	43376.00
	07	ओम पाइप स्टोर	33964.00
	08	आर्यन इंटर प्राइजेज़	72889.00
		योग	575028.00
		महा योग	1304881.00

प्रस्तर-53

विकास खण्ड-नवाबगंज में आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत बिथरी में ग्राम निधि -6(राज्य वित्त)से दिनांक 14.07.2020 से 26.12.2020 तक अनुदान की धनराशि रुपया 481031.00 और केंद्रीय वित्त खाते से दिनांक 15.09.2020 से 14.12.2020 तक अनुदान की धनराशि रु0-366040.00 (कुल आहरित धनराशि रु0-847071.00) का व्यय वर्तमान सचिव द्वारा उपलब्ध कराए गए बैंक स्टेटमेंट में दर्शाया गया है दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कैशबुक,बिल /वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा में वर्तमान सचिव/तत्कालिक प्रधान से मौखिक व लिखित रूप से कई बार मांग करने पर भी उपलब्ध नहीं कराया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क)में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये व्यय के संबंध में कोई बिल /वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूलीग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाएगा। किए गए व्यय के सापेक्ष कार्यवाही रजिस्टर ,स्वीकृत कार्य योजना स्वीकृत इस्टिमेट कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0मानदेय रजिस्टर सामग्री क्रय की पुष्टि में डिलीवरीचालान टेंडर /कोटेशन पत्रावली स्टॉक रजिस्टर परिसंपत्ति रजिस्टर वित्तीय ,तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति आदि भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया ।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धन राशि रु0 847071.00 बिना बिल/वाउचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेख के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947के नियम स0 256 से 259 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप

अपरिपालन की अवस्था में मय ब्याज ग्राम प्रधान श्रीमती नत्थों देवी व ग्राम पंचायत सचिव श्री मुकेश शर्मा/बिपिन सक्सेना से कार्यकाल के अनुसार करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है

उल्लेखनीय है कि अक्टूबर 2019 से भुगतान में पीओएफओएमओएसओ व्यवस्था लागू है जिसके कारण बैंक स्टेटमेंट में भुगतान प्राप्त कर्ता का उल्लेख नहीं रहता जिसके कारण भुगतान प्राप्त कर्ता को चिन्हित नहीं किया जा सका कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर-54

विकास खण्ड-नवाबगंज में आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत **मसीत वली नगर** में ग्राम निधि - 6(राज्य वित्त)से दिनांक 14.07.2020 से 04.01.2021 तक अनुदान की धनराशि रुपया 1438756.00 और केंद्रीय वित्त खाते से दिनांक 08.11.2020 से 28.12.2020 तक अनुदान की धनराशि रु0-632836.00 (कुल आहरित धनराशि रु0-2071592.00) का व्यय वर्तमान सचिव द्वारा उपलब्ध कराए गए बैंक स्टेटमेंट में दर्शाया गया है दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कैशबुक, बिल /वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा में वर्तमान सचिव/तत्कालिक प्रधान से मौखिक व लिखित रूप से कई बार मांग करने पर भी उपलब्ध नहीं कराया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये व्यय के संबंध में कोई बिल /वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाएगा। किए गए व्यय के सापेक्ष कार्यवाही रजिस्टर ,स्वीकृत कार्य योजना स्वीकृत इस्टिमेट कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एमओबीओमानदेय रजिस्टर सामग्री क्रय की पुष्टि में डिलीवरी चालान टेंडर /कोटेशन पत्रावली स्टॉक रजिस्टर परिसंपत्ति रजिस्टर वित्तीय ,तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति आदि भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया ।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धन राशि रु0 2071592.00 बिना बिल/वाउचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेख के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम सओ 256 से 259 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप अपरिपालन की अवस्था में मय ब्याज ग्राम प्रधान श्री छवि नाथ व ग्राम पंचायत सचिव श्री मुकेश शर्मा से करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है

उल्लेखनीय है कि अक्टूबर 2019 से भुगतान में पीओएफओएमओएसओ व्यवस्था लागू है जिसके कारण बैंक स्टेटमेंट में भुगतान प्राप्त कर्ता का उल्लेख नहीं रहता जिसके कारण भुगतान प्राप्त कर्ता को चिन्हित नहीं किया जा सका कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर-55

विकास खण्ड-नवाबगंज में आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत **मुड़िया भीखमपुर** में ग्राम निधि -6(राज्य वित्त)से दिनांक 08.07.2020 से 05.10.2020 तक अनुदान की धनराशि रुपया 763660.00

और केंद्रीय वित्त खाते से दिनांक 03.10.2020 से 18.12.2020 तक अनुदान की धनराशि ₹0-557049.00 (कुल आहरित धनराशि ₹0-1320709.00) का व्यय वर्तमान सचिव द्वारा उपलब्ध कराए गए बैंक स्टेटमेंट में दर्शाया गया है दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कैशबुक, बिल /वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा में वर्तमान सचिव/तत्कालिक प्रधान से मौखिक व लिखित रूप से कई बार मांग करने पर भी उपलब्ध नहीं कराया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये व्यय के संबंध में कोई बिल /वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाएगा। किए गए व्यय के सापेक्ष कार्यवाही रजिस्टर ,स्वीकृत कार्य योजना स्वीकृत इस्टिमेट कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एमओबीओमानदेय रजिस्टर सामग्री क्रय की पुष्टि में डिलीवरीचालान टेंडर /कोटेशन पत्रावली स्टॉक रजिस्टर परिसंपत्ति रजिस्टर वित्तीय ,तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति आदि भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया ।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धन राशि ₹0 1320709.00 बिना बिल/वाउचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेख के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम सं 256 से 259 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप अपरिपालन की अवस्था में मय ब्याज ग्राम प्रधान श्री लेखराज व ग्राम पंचायत सचिव श्री विपिन सक्सेना से करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है ।

उल्लेखनीय है कि अक्टूबर 2019 से भुगतान में पीओएफओएमओएसओ व्यवस्था लागू है जिसके कारण बैंक स्टेटमेंट में भुगतान प्राप्त कर्ता का उल्लेख नहीं रहता जिसके कारण भुगतान प्राप्त कर्ता को चिन्हित नहीं किया जा सका कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर-56

विकास खण्ड-नवाबगंज में आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत मौजम नगला खालसा में ग्राम निधि -6(राज्य वित्त)से दिनांक 29/04/2020 से 19.11.2020 के मध्य ग्राम निधि-6 के खाते से ₹0 2110052.00 व केंद्रीय वित्त खाते से दिनांक 05/12/2020 से 30.12.2020 के मध्य ₹0-202438.00(कुल आहरित धनराशि ₹0-2312490.00) का व्यय वर्तमान सचिव द्वारा उपलब्ध कराए गए बैंक स्टेटमेंट में दर्शाया गया है दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कैशबुक, बिल /वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा में वर्तमान सचिव/तत्कालिक प्रधान से मौखिक व लिखित रूप से कई बार मांग करने पर भी उपलब्ध नहीं कराया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये व्यय के संबंध में कोई बिल /वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाएगा। किए गए व्यय के सापेक्ष कार्यवाही रजिस्टर ,स्वीकृत कार्य योजना स्वीकृत इस्टिमेट कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एमओबीओमानदेय रजिस्टर सामग्री क्रय की पुष्टि में डिलीवरीचालान टेंडर /कोटेशन पत्रावली

स्टॉक रजिस्टर परिसंपत्ति रजिस्टर वित्तीय ,तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति आदि भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया ।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धन राशि रु0 2312490.00 बिना बिल/वाउचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेख के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947के नियम स0 256 से 259 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप अपरिपालन की अवस्था में मय ब्याज ग्राम प्रधान श्रीमती चमेली , व ग्राम पंचायत सचिव श्री वसीम अहमद/छात्रपाल सिंह से कार्यकाल के अनुसार करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है ।

उल्लेखनीय है कि अक्टूबर 2019 से भुगतान में पी0एफ0एम0एस0 व्यवस्था लागू है जिसके कारण बैंक स्टेटमेंट में भुगतान प्राप्त कर्ता का उल्लेख नहीं रहता जिसके कारण भुगतान प्राप्त कर्ता को चिन्हित नहीं किया जा सका कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर-57

विकास खण्ड-नवाबगंज में आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत मौजम नगला खालसा में केंद्रीय वित्त खाते से दिनांक 26/02/2021 से 10.03.2021 के मध्य केंद्रीय वित्त खाते से रु0-80558.00का व्यय करना वर्तमान सचिव द्वारा उपलब्ध कराए गए बैंक स्टेटमेंट में दर्शाया गया है दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कैशबुक,बिल /वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा में वर्तमान सचिव/तत्कालिक प्रशासक से मौखिक व लिखित रूप से कई बार मांग करने पर भी उपलब्ध नहीं कराया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क)में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये व्यय के संबंध में कोई बिल /वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूली प्रशासक(प्रधान के स्थान पर प्रशासक नियुक्त) तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाएगा। किए गए व्यय के सापेक्ष कार्यवाही रजिस्टर , कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र सामग्री क्रय की पुष्टि में डिलीवरीचालान स्टॉक रजिस्टर परिसंपत्ति रजिस्टर वित्तीय ,तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति आदि भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया ।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धन राशि रु0 80558.00 बिना बिल/वाउचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेख के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947के नियम स0 256 से 259 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप अपरिपालन की अवस्था में मय ब्याज प्रशासक श्री अनुज गोपाल मिश्रा ए0डी0ओ0 (पंचायत) व ग्राम पंचायत सचिव श्री वसीम अहमद/छात्रपाल सिंह से कार्यकाल के अनुसार करते करते हुए प्रशासक व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है ।

उल्लेखनीय है कि अक्टूबर 2019 से भुगतान में पी0एफ0एम0एस0 व्यवस्था लागू है जिसके कारण बैंक स्टेटमेंट में भुगतान प्राप्त कर्ता का उल्लेख नहीं रहता जिसके कारण भुगतान प्राप्त कर्ता को चिन्हित नहीं किया जा सका कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर-58

विकास खण्ड-नवाबगंज में आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत रामनगरिया में दिनांक 04/04/2020 से 16/12/2020 के मध्य ग्राम निधि-6 के खाते से ₹0 644078.00 व केंद्रीय वित्त खाते से दिनांक 10/12/2020 से 19/12/2020 के मध्य ₹0-75940.00(कुल आहरित धनराशि ₹0-720018.00) का व्यय वर्तमान सचिव द्वारा उपलब्ध कराए गए बैंक स्टेटमेंट में दर्शाया गया है दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कैशबुक,बिल /वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा में वर्तमान सचिव/तत्कालिक प्रधान से मौखिक व लिखित रूप से कई बार मांग करने पर भी उपलब्ध नहीं कराया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क)में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये व्यय के संबंध में कोई बिल /वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूलीग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाएगा। किए गए व्यय के सापेक्ष कार्यवाही रजिस्टर ,स्वीकृत कार्य योजना स्वीकृत इस्टिमेट कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0मानदेय रजिस्टर सामग्री क्रय की पुष्टि में डिलीवरीचालान टैंडर /कोटेशन पत्रावली स्टॉक रजिस्टर परिसंपत्ति रजिस्टर वित्तीय ,तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति आदि भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धन राशि ₹0 720018.00 बिना बिल/वाउचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेख के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947के नियम स0 256 से 259 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप अपरिपालन की अवस्था में मय ब्याज ग्राम प्रधान श्री बृजपाल व ग्राम पंचायत सचिव श्री वसीम अहमद/नरेश दिवाकर से करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है

उल्लेखनीय है कि अक्टूबर 2019 से भुगतान में पी0एफ0एम0एस0 व्यवस्था लागू है जिसके कारण बैंक स्टेटमेंट में भुगतान प्राप्त कर्ता का उल्लेख नहीं रहता जिसके कारण भुगतान प्राप्त कर्ता को चिन्हित नहीं किया जा सका कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर-59

विकास खण्ड-नवाबगंज में आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत रामनगरिया में दिनांक 01/03/2021 व 10/03/2021 को क्रमश ₹0 9005.00 व 44583.00 ग्राम निधि-6 के खाते से (कुल ₹0 53588.00) व्यय करना वर्तमान सचिव द्वारा उपलब्ध कराए गए बैंक स्टेटमेंट में दर्शाया गया है दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कैशबुक,बिल /वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा में वर्तमान सचिव/तत्कालिक प्रशासक से मौखिक व लिखित रूप से कई बार मांग करने पर भी उपलब्ध नहीं कराया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क)में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये व्यय के संबंध में कोई बिल /वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूली प्रशासक(प्रधान के स्थान पर प्रशासक नियुक्त) तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाएगा। किए गए व्यय के सापेक्ष कार्यवाही रजिस्टर , कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र सामग्री क्रय की पुष्टि में डिलीवरीचालान स्टॉक रजिस्टर परिसंपत्ति रजिस्टर वित्तीय ,तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति आदि भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया ।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धन राशि रु0 53588.00 बिना बिल/वाउचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेख के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम स0 256 से 259 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप अपरिपालन की अवस्था में मय ब्याज प्रशासक श्री अनुज गोपाल मिश्रा ए0डी0ओ0 (पंचायत) व ग्राम पंचायत सचिव श्री वसीम अहमद/नरेश दिवाकर से करते हुए प्रशासक व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है ।

उल्लेखनीय है कि अक्टूबर 2019 से भुगतान में पी0एफ0एम0एस0 व्यवस्था लागू है जिसके कारण बैंक स्टेटमेंट में भुगतान प्राप्त कर्ता का उल्लेख नहीं रहता जिसके कारण भुगतान प्राप्त कर्ता को चिन्हित नहीं किया जा सका कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर-60

विकास खण्ड-नवाबगंज में आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत रिछौला चौधरी में केंद्रीय वित्त खाते से दिनांक 15/12/2020 व 30/12/2020 को क्रमश रु0 5900.00 व 4570.00, ग्राम निधि-6(राज्य वित्त) के खाते से दिनांक 15/06/2020 से 19/12/2020 के मध्य रु0- 331353.00 (कुल आहरित धनराशि रु0-341823.00) व्यय वर्तमान सचिव द्वारा उपलब्ध कराए गए बैंक स्टेटमेंट में दर्शाया गया है दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कैशबुक,बिल /वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा में वर्तमान सचिव/तत्कालिक प्रधान से मौखिक व लिखित रूप से कई बार मांग करने पर भी उपलब्ध नहीं कराया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क)में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये व्यय के संबंध में कोई बिल /वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूलीग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाएगा। किए गए व्यय के सापेक्ष कार्यवाही रजिस्टर ,स्वीकृत कार्य योजना स्वीकृत इस्टिमेट कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0मानदेय रजिस्टर सामग्री क्रय की पुष्टि में डिलीवरीचालान टेंडर /कोटेशन पत्रावली स्टॉक रजिस्टर परिसंपत्ति रजिस्टर वित्तीय ,तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति आदि भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया ।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धन राशि रु0 341823.00 बिना बिल/वाउचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेख के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम स0 256 से 259 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप अपरिपालन की अवस्था में मय ब्याज ग्राम प्रधान श्री हुलास राय व ग्राम पंचायत सचिव श्री वसीम अहमद/छत्रपाल सिंह से करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है ।

उल्लेखनीय है कि अक्टूबर 2019 से भुगतान में पी0एफ0एम0एस0 व्यवस्था लागू है जिसके कारण बैंक स्टेटमेंट में भुगतान प्राप्त कर्ता का उल्लेख नहीं रहता जिसके कारण भुगतान प्राप्त कर्ता को चिन्हित नहीं किया जा सका कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर-61

विकास खण्ड-नवाबगंज में आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत रिछौला चौधरी में केंद्रीय वित्त खाते से दिनांक 01/03/2021 से 06/03/2021 के मध्य कुल रु0 199373.00 व्यय करना वर्तमान सचिव द्वारा उपलब्ध कराए गए बैंक स्टेटमेंट में दर्शाया गया है दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कैशबुक,बिल /वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा

मे वर्तमान सचिव/तत्कालिक प्रशासक से मौखिक व लिखित रूप से कई बार मांग करने पर भी उपलब्ध नहीं कराया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क)में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये व्यय के संबंध में कोई बिल /वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूली प्रशासक(प्रधान के स्थान पर प्रशासक नियुक्त) तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाएगा। किए गए व्यय के सापेक्ष कार्यवाही रजिस्टर , कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र सामग्री क्रय की पुष्टि में डिलीवरीचालान स्टॉक रजिस्टर परिसंपत्ति रजिस्टर वित्तीय ,तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति आदि भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया ।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धन राशि ₹0 199373.00 बिना बिल/वाउचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेख के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947के नियम स0 256 से 259 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप अपरिपालन की अवस्था में मय ब्याज प्रशासक श्री अनुज गोपाल मिश्रा ए0डी0ओ0 (पंचायत) व ग्राम पंचायत सचिव श्री वसीम अहमद/छत्रपाल सिंह से करते हुए प्रशासक व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है ।

उल्लेखनीय है कि अक्टूबर 2019 से भुगतान में पी0एफ0एम0एस0 व्यवस्था लागू है जिसके कारण बैंक स्टेटमेंट में भुगतान प्राप्त कर्ता का उल्लेख नहीं रहता जिसके कारण भुगतान प्राप्त कर्ता को चिन्हित नहीं किया जा सका कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर-62

विकास खण्ड-नवाबगंज में आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत रूपपुर में दिनांक 08/07/2020 से 13/11/2020 के मध्य ग्राम निधि-6 के खाते से ₹0 1652835.00 व केंद्रीय वित्त खाते से दिनांक 01/11/2020 से 25/12/2020 के मध्य ₹0-455700.00(कुल आहरित धनराशि ₹0-2108535.00) का व्यय वर्तमान सचिव द्वारा उपलब्ध कराए गए बैंक स्टेटमेंट में दर्शाया गया है दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कैशबुक,बिल /वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा में वर्तमान सचिव/तत्कालिक प्रधान से मौखिक व लिखित रूप से कई बार मांग करने पर भी उपलब्ध नहीं कराया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क)में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये व्यय के संबंध में कोई बिल /वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूलीग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाएगा। किए गए व्यय के सापेक्ष कार्यवाही रजिस्टर ,स्वीकृत कार्य योजना स्वीकृत इस्टिमेट कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0मानदेय रजिस्टर सामग्री क्रय की पुष्टि में डिलीवरीचालान टेंडर /कोटेशन पत्रावली स्टॉक रजिस्टर परिसंपत्ति रजिस्टर वित्तीय ,तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति आदि भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया ।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धन राशि ₹0 2108535.00 बिना बिल/वाउचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेख के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947के नियम स0 256 से 259 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप अपरिपालन की अवस्था में मय ब्याज ग्राम प्रधान श्रीमती सजदा बी , व ग्राम पंचायत सचिव श्री

मुकेश शर्मा से करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है ।

उल्लेखनीय है कि अक्टूबर 2019 से भुगतान में पी0एफ0एम0एस0 व्यवस्था लागू है जिसके कारण बैंक स्टेटमेंट में भुगतान प्राप्त कर्ता का उल्लेख नहीं रहता जिसके कारण भुगतान प्राप्त कर्ता को चिन्हित नहीं किया जा सका कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर-63

विकास खण्ड-नवाबगंज में आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत रूपपुर में दिनांक 18/03/2021 से 31/03/2021 के मध्य ग्राम निधि-6 के खाते से ₹0 442900.00 का व्यय करना वर्तमान सचिव द्वारा उपलब्ध कराए गए बैंक स्टेटमेंट में दर्शाया गया है दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कैशबुक,बिल /वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा में वर्तमान सचिव/तत्कालिक प्रशासक से मौखिक व लिखित रूप से कई बार मांग करने पर भी उपलब्ध नहीं कराया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क)में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये व्यय के संबंध में कोई बिल /वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूली प्रशासक(प्रधान के स्थान पर प्रशासक नियुक्त) तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाएगा। किए गए व्यय के सापेक्ष कार्यवाही रजिस्टर , कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र सामग्री क्रय की पुष्टि में डिलीवरीचालान स्टॉक रजिस्टर परिसंपत्ति रजिस्टर वित्तीय ,तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति आदि भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया ।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धन राशि ₹0 442900.00 बिना बिल/वाउचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेख के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947के नियम स0 256 से 259 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप अपरिपालन की अवस्था में मय ब्याज प्रशासक श्री अनुज गोपाल मिश्रा ए0डी0ओ0 (पंचायत) व ग्राम पंचायत सचिव श्री मुकेश शर्मा से करते हुए प्रशासक व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है ।

उल्लेखनीय है कि अक्टूबर 2019 से भुगतान में पी0एफ0एम0एस0 व्यवस्था लागू है जिसके कारण बैंक स्टेटमेंट में भुगतान प्राप्त कर्ता का उल्लेख नहीं रहता जिसके कारण भुगतान प्राप्त कर्ता को चिन्हित नहीं किया जा सका कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर-64

विकास खण्ड-नवाबगंज में आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत लांबा खेड़ा तालिब हुसैन में ग्राम निधि -6(राज्य वित्त)से दिनांक 10/07/2020 से 01.12.2020 के मध्य ग्राम निधि-6 के खाते से ₹0 508186.00 व केंद्रीय वित्त खाते से दिनांक 12/09/2020 से 01.12.2020 के मध्य ₹0-432425.00 (कुल आहरित धनराशि ₹0-940611.00) का व्यय वर्तमान सचिव द्वारा उपलब्ध कराए गए बैंक स्टेटमेंट में दर्शाया गया है दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कैशबुक,बिल /वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा में वर्तमान सचिव/तत्कालिक प्रधान से मौखिक व लिखित रूप से कई बार मांग करने पर भी उपलब्ध नहीं कराया गया। उल्लेखनीय

है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क)में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये व्यय के संबंध में कोई बिल /वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूलीग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाएगा। किए गए व्यय के सापेक्ष कार्यवाही रजिस्टर ,स्वीकृत कार्य योजना स्वीकृत इस्टिमेट कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0मानदेय रजिस्टर सामग्री क्रय की पुष्टि में डिलीवरीचालान टेंडर /कोटेशन पत्रावली स्टॉक रजिस्टर परिसंपत्ति रजिस्टर वित्तीय ,तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति आदि भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया ।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धन राशि रु0 940611.00बिना बिल/वाउचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेख के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947के नियम स0 256 से 259 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप अपरिपालन की अवस्था में मय ब्याज ग्राम प्रधान श्री देवदत्त, व ग्राम पंचायत सचिव श्री मुकेश शर्मा से करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है ।

उल्लेखनीय है कि अक्टूबर 2019 से भुगतान में पी0एफ0एम0एस0 व्यवस्था लागू है जिसके कारण बैंक स्टेटमेंट में भुगतान प्राप्त कर्ता का उल्लेख नहीं रहता जिसके कारण भुगतान प्राप्त कर्ता को चिन्हित नहीं किया जा सका कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर-65

विकास खण्ड-नवाबगंज में आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत लांबा खेड़ा तालिब हुसैन में केंद्रीय वित्त खाते से दिनांक 26.02.2021 को केंद्रीय वित्त खाते से रु0-18016.00 का व्यय करना वर्तमान सचिव द्वारा उपलब्ध कराए गए बैंक स्टेटमेंट में दर्शाया गया है दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कैशबुक,बिल /वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा में वर्तमान सचिव/तत्कालिक प्रशासक से मौखिक व लिखित रूप से कई बार मांग करने पर भी उपलब्ध नहीं कराया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क)में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये व्यय के संबंध में कोई बिल /वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूली प्रशासक(प्रधान के स्थान पर प्रशासक नियुक्त) तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाएगा। किए गए व्यय के सापेक्ष कार्यवाही रजिस्टर , कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र सामग्री क्रय की पुष्टि में डिलीवरीचालान स्टॉक रजिस्टर परिसंपत्ति रजिस्टर वित्तीय ,तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति आदि भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया ।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धन राशि रु0 18016.00बिना बिल/वाउचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेख के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947के नियम स0 256 से 259 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप अपरिपालन की अवस्था में मय ब्याज प्रशासक श्री अनुज गोपाल मिश्रा ए0डी0ओ0 (पंचायत) व

ग्राम पंचायत सचिव श्री मुकेश शर्मा से करते हुए प्रशासक व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है ।

उल्लेखनीय है कि अक्टूबर 2019 से भुगतान में पीओएफओएमओएसओ व्यवस्था लागू है जिसके कारण बैंक स्टेटमेंट में भुगतान प्राप्त कर्ता का उल्लेख नहीं रहता जिसके कारण भुगतान प्राप्त कर्ता को चिन्हित नहीं किया जा सका कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर-66

विकास खण्ड-नवाबगंज में आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत लाईखेड़ा में ग्राम निधि -6(राज्य वित्त)से दिनांक 08.07.2020 से 02.01.2021 तक अनुदान की धनराशि रुपया 1330007.00 और केंद्रीय वित्त खाते से दिनांक 15.10.2020 से 02.01.2021 तक अनुदान की धनराशि रु0-635462.00 (कुल आहरित धनराशि रु0-1965469.00) का व्यय वर्तमान सचिव द्वारा उपलब्ध कराए गए बैंक स्टेटमेंट में दर्शाया गया है दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कैशबुक,बिल /वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा में वर्तमान सचिव/तत्कालिक प्रधान से मौखिक व लिखित रूप से कई बार मांग करने पर भी उपलब्ध नहीं कराया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क)में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये व्यय के संबंध में कोई बिल /वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूलीग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाएगा। किए गए व्यय के सापेक्ष कार्यवाही रजिस्टर ,स्वीकृत कार्य योजना स्वीकृत इस्टिमेट कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एमओबीओमानदेय रजिस्टर सामग्री क्रय की पुष्टि में डिलीवरीचालान टेंडर /कोटेशन पत्रावली स्टॉक रजिस्टर परिसंपत्ति रजिस्टर वित्तीय ,तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति आदि भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया ।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धन राशि रु0 1965469.00 बिना बिल/वाउचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेख के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम स0 256 से 259 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप अपरिपालन की अवस्था में मय ब्याज ग्राम प्रधान श्रीमती गोमती देवी व ग्राम पंचायत सचिव श्री मुकेश शर्मा से करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है ।

उल्लेखनीय है कि अक्टूबर 2019 से भुगतान में पीओएफओएमओएसओ व्यवस्था लागू है जिसके कारण बैंक स्टेटमेंट में भुगतान प्राप्त कर्ता का उल्लेख नहीं रहता जिसके कारण भुगतान प्राप्त कर्ता को चिन्हित नहीं किया जा सका कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर-67

विकास खण्ड-नवाबगंज में आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत शाह जी सुखराय में ग्राम निधि -6(राज्य वित्त)से दिनांक 08.07.2020 से 02.01.2021 तक अनुदान की धनराशि रुपया 1549592.00 का व्यय वर्तमान सचिव द्वारा उपलब्ध कराए गए बैंक स्टेटमेंट में दर्शाया गया है दर्शाये गए व्यय के

सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कैशबुक,बिल /वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा में वर्तमान सचिव/तत्कालिक प्रधान से मौखिक व लिखित रूप से कई बार मांग करने पर भी उपलब्ध नहीं कराया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क)में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये व्यय के संबंध में कोई बिल /वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूलीग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाएगा। किए गए व्यय के सापेक्ष कार्यवाही रजिस्टर ,स्वीकृत कार्य योजना स्वीकृत इस्टिमेट कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0मानदेय रजिस्टर सामग्री क्रय की पुष्टि में डिलीवरीचालान टेंडर /कोटेशन पत्रावली स्टॉक रजिस्टर परिसंपत्ति रजिस्टर वित्तीय ,तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति आदि भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया ।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धन राशि रु0 1549592.00 बिना बिल/वाउचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेख के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947के नियम स0 256 से 259 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप अपरिपालन की अवस्था में मय ब्याज ग्राम प्रधान श्री मनोज कुमार व ग्राम पंचायत सचिव श्री मुकेश शर्मा से करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है

उल्लेखनीय है कि अक्टूबर 2019 से भुगतान में पी0एफ0एम0एस0 व्यवस्था लागू है जिसके कारण बैंक स्टेटमेंट में भुगतान प्राप्त कर्ता का उल्लेख नहीं रहता जिसके कारण भुगतान प्राप्त कर्ता को चिन्हित नहीं किया जा सका कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर-68

विकास खण्ड-नवाबगंज में आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत सदरपुर में निम्न विवरणानुसार दिनांक 15/04/2020 से 08/12/2020 के मध्य ग्राम निधि-6 के खाते से रु0 565533.00 व केंद्रीय वित्त खाते से दिनांक 24/09/2020 से 30/10/2020 रु0-328058.00 (कुल आहरित धनराशि रु0-893591.00) का व्यय बैंक स्टेटमेंट/कैश बुक(राज्य वित्त) में दर्शाया गया है दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा ,बिल /वाउचर कैश बुक(केंद्रीय वित्त) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा में सचिव से मौखिक व लिखित रूप से कई बार मांग करने पर व जिला पंचायतराज अधिकारी बरेली द्वारा कार्यलय पत्रांक 6641-सी दिनांक 31.03.2022 से अभिलेखों के मांग के उपरांत भी सचिव द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया परंतु बाद में जिला पंचायतराज अधिकारी बरेली द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक-257-सी/ऑडिट ग्रा0 पंचा0/2022-23/दिनांक-21.04.22 के द्वारा उक्त ग्राम पंचायत का मात्र कैश बुक व बैंक स्टेटमेंट ही उपलब्ध कराया गया जिसके आधार पर लेखा परीक्षा सम्पन्न की गई उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क)में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये व्यय के संबंध में कोई बिल /वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूलीग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाएगा। किए गए व्यय के सापेक्ष कार्यवाही रजिस्टर ,स्वीकृत कार्य योजना स्वीकृत इस्टिमेट कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0मानदेय रजिस्टर सामग्री क्रय की पुष्टि में

डिलीवरीचालान टेंडर /कोटेशन पत्रावली स्टॉक रजिस्टर परिसंपत्ति रजिस्टर वित्तीय ,तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति आदि भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया ।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई कुल धन राशि रु0 **893591.00** बिना बिल/वाउचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेख के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947के नियम स0 256 से 259 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप आपत्ति का परिपालन न करने की अवस्था में मय ब्याज ग्राम प्रधान श्रीमती जशोदा देवी व ग्राम पंचायत सचिव श्री विपिन सक्सेना से करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है ।

राज्य वित्त अकाउंट नंबर-	क्रम स0	विवरण	धनराशि
00760100029693 से आहरित	01.	जशोदा देवी(प्रधान)	52500.0
	02	जी0के0 एस0इंटर प्राइजेज़	308766.00
	03	हर्ष इंटर प्राइजेज़	18636.00
	04	इस्लाम नूर	128393.00
	05	वृत्तिक इन्फोटेक	7000.00
	06	मानवी इन्फोटेक	7000.00
	07	मो0अजान जैदी	3000.00
	08	सम्राट आर्ट्स	39471.00
	09	नंदी एड्वाइजर	767.00
		योग	565533.00
केंद्रीय वित्त अकाउंट नंबर- 00760100031048 से आहरित			
	01	24/09/20से 30/10/20तक कुल आहरित धन राशि(कैश बुक अप्राप्त)	328058.00
		योग	
		महा योग (राज्य +केंद्र वित्त)	893591.00

प्रस्तर-69

विकास खण्ड-नवाबगंज में आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत सदरपुर में निम्न विवरणानुसार दिनांक 29/03/2021 को ग्राम निधि-6 के खाते से रु0 174320.00 व केंद्रीय वित्त खाते से दिनांक 01/03/2021से 30/03/21के मध्य रु0-148184.00 (कुल आहरित धनराशि रु0- 322504.00) व्यय बैंक स्टेटमेंट/कैश बुक(राज्य वित्त) में दर्शाया गया है दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा ,बिल /वाउचर कैश बुक(केंद्रीय वित्त) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा में सचिव से मौखिक व लिखित रूप से कई बार मांग करने पर व जिला पंचायतराज अधिकारी बरेली द्वारा कार्यलय पत्रांक 6641-सी दिनांक 31.03.2022 से अभिलेखों के मांग के उपरांत भी सचिव द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया परंतु बाद में जिला पंचायतराज अधिकारी बरेली द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक-257-सी/ऑडिट ग्रा0 पंचा0/2022-23/दिनांक-21.04.22 के द्वारा उक्त ग्राम पंचायत का मात्र कैश बुक व बैंक स्टेटमेंट ही उपलब्ध कराया गया जिसके आधार पर लेखा परीक्षा सम्पन्न की गई उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क)में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये व्यय के संबंध में कोई बिल /वाउचर उपलब्ध

नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूलीग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाएगा। किए गए व्यय के सापेक्ष कार्यवाही रजिस्टर ,स्वीकृत कार्य योजना स्वीकृत इस्टिमेट कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0मानदेय रजिस्टर सामग्री क्रय की पुष्टि में डिलीवरीचालान टेंडर /कोटेशन पत्रावली स्टॉक रजिस्टर परिसंपत्ति रजिस्टर वित्तीय ,तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति आदि भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया ।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई कुल धन राशि रु0 322504.00 बिना बिल/वाउचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेख के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947के नियम स0 256 से 259 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप आपत्ति का परिपालन न करने की अवस्था में मय ब्याज श्री अनुज गोपाल मिश्रा ए0डी0ओ0 (पंचायत) प्रशासक व ग्राम पंचायत सचिव श्री विपिन सक्सेना से करते हुए प्रशासक व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है ।

राज्य वित्त	क्रम स0	विवरण	धनराशि
अकाउंट नंबर- 00760100029693 से आहरित	01	हर्ष इंटर प्राइजेज़	174320.00
		योग	174320.00
केंद्रीय वित्त अकाउंट नंबर- 00760100031048 से आहरित			
	01	24/09/20से 30/10/20तक कुल आहरित धन राशि(कैश बुक अप्राप्त)	148184.00
		योग	148184.00
		महा योग (राज्य +केंद्र वित्त)	322504.00

प्रस्तर-70

विकास खण्ड-नवाबगंज में आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत सैदपुर सरौरा में ग्राम निधि - 6(राज्य वित्त)से दिनांक 08.07.2020 से 21.12.2020 तक अनुदान की धनराशि रुपया 707705.00 और केंद्रीय वित्त खाते से दिनांक 06.10.2020 से 23.10.2020 तक अनुदान की धनराशि रु0-483278.00 (कुल आहरित धनराशि रु0-1190983.00) का व्यय वर्तमान सचिव द्वारा उपलब्ध कराए गए बैंक स्टेटमेंट में दर्शाया गया है दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कैशबुक,बिल /वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा में वर्तमान सचिव/तत्कालिक प्रधान से मौखिक व लिखित रूप से कई बार मांग करने पर भी उपलब्ध नहीं कराया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क)में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये व्यय के संबंध में कोई बिल /वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूलीग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाएगा। किए गए व्यय के सापेक्ष कार्यवाही रजिस्टर ,स्वीकृत कार्य योजना स्वीकृत इस्टिमेट कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0मानदेय रजिस्टर सामग्री क्रय की पुष्टि में डिलीवरीचालान टेंडर /कोटेशन पत्रावली

स्टॉक रजिस्टर परिसंपत्ति रजिस्टर वित्तीय ,तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति आदि भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया ।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धन राशि रु0 1190983.00 बिना बिल/वाउचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेख के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम स0 256 से 259 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप अपरिपालन की अवस्था में मय ब्याज ग्राम प्रधान श्रीमती कमला व ग्राम पंचायत सचिव श्री मुकेश शर्मा से करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है ।

उल्लेखनीय है कि अक्टूबर 2019 से भुगतान में पी0एफ0एम0एस0 व्यवस्था लागू है जिसके कारण बैंक स्टेटमेंट में भुगतान प्राप्त कर्ता का उल्लेख नहीं रहता जिसके कारण भुगतान प्राप्त कर्ता को चिन्हित नहीं किया जा सका कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर-71

विकास खण्ड-नवाबगंज में आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत हाफिज़ गंज में निम्न विवरणानुसार दिनांक 23/06/2020 से 21.12.2020 के मध्य ग्राम निधि-6 के खाते से रु0 1350203.00 व केंद्रीय वित्त खाते से दिनांक 05/10/2020 से 19.12.2020 रु0-1836187.00 (कुल आहरित धनराशि रु0-3186390.00) का व्यय बैंक स्टेटमेंट/कैश बुक में दर्शाया गया है दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा ,बिल /वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा में सचिव से मौखिक व लिखित रूप से कई बार मांग करने पर व जिला पंचायतराज अधिकारी बरेली द्वारा कार्यलय पत्रांक 6641-सी दिनांक 31.03.2022 से अभिलेखों के मांग के उपरांत भी सचिव द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया परंतु बाद में जिला पंचायतराज अधिकारी बरेली द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक-257-सी/ऑडिट ग्रा0 पंचा0/2022-23/दिनांक-21.04.22 के द्वारा उक्त ग्राम पंचायत का मात्र कैश बुक व बैंक स्टेटमेंट ही उपलब्ध कराया गया जिसके आधार पर लेखा परीक्षा सम्पन्न की गई उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क)में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये व्यय के संबंध में कोई बिल /वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाएगा। किए गए व्यय के सापेक्ष कार्यवाही रजिस्टर ,स्वीकृत कार्य योजना स्वीकृत इस्टिमेट कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0मानदेय रजिस्टर सामग्री क्रय की पुष्टि में डिलीवरीचालान टेंडर /कोटेशन पत्रावली स्टॉक रजिस्टर परिसंपत्ति रजिस्टर वित्तीय ,तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति आदि भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया ।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई कुल धन राशि रु0 3186390.00 बिना बिल/वाउचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेख के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम स0 256 से 259 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप आपत्ति का परिपालन न करने की अवस्था में मय ब्याज ग्राम प्रधान श्री मोहम्मद अकील व ग्राम पंचायत सचिव श्री विपिन सक्सेना से करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है ।

राज्य वित्त	क्रम स0	विवरण	धनराशि

अकाउंट नंबर- 00760100006679 से आहरित	01.	शाकिर अली खान	24246.00
	02	जी0के0 एस0इंटर प्राइजेज़	41133.00
	03	हर्ष इंटर प्राइजेज़	115619.00
	04	इस्लाम नूर	8000.00
	05	वृत्तिक इन्फोटेक	10000.00
	06	उवाइश	248640.00
	07	श्री इंटर प्राइजेज़	74650.00
	08	भारत इंटर प्राइजेज़	23461.00
	09	नंदी एड्वाइजर	767.00
	10	सम्राट आर्ट्स	37170.00
	11	चौधरी फाइनैसियल सर्विसेज एंड टैक्स एड्वाइजर	2700.00
	12.	रानी ईट उद्योग	101041.00
	13.	आकृति ट्रेडर्स	265432.00
	14.	गुसा सीमेंट स्टोर	193739.00
	15.	वाहिद सीमेंट स्टोर	179394.00
	16.	कैश बुक मे प्रविष्टि नहीं है	24211.00
		योग	1350203.00
केंद्रीय वित्त अकाउंट नंबर- 00760100031125 से आहरित	01	जी0के0एस0इंटर प्राइजेज़	19053.00
	02	हर्ष इंटर प्राइजेज़	133826.00
	03	उवाइश	221785.00
	04	रानी ईट उद्योग	245680.00
	05	वाहिद सीमेंट स्टोर	245722.00
	06	गुसा सीमेंट स्टोर	129539.00
	07	भारत इंटर प्राइजेज़	448944.00
		शाकिर अली खान	346138.00
		प्रकाश मरवलस	45500.00
		योग	1836187.00
		महा योग (राज्य +केंद्र वित्त)	3186390.00

प्रस्तर-72

विकास खण्ड-नवाबगंज में आलोच्य वर्ष 2020-21 मे ग्राम पंचायत हाफिज़ गंज मे निम्न विवरणानुसार दिनांक 24/03/2021 से 30/03/2021 के मध्य ग्राम निधि-6 के खाते से रु0 1027987.00व केंद्रीय वित्त खाते से दिनांक 31/03/2021 को रु0-169204.00 (कुल आहरित धनराशि रु0- 1197191.00) व्यय बैंक स्टेटमेंट/कैश बुक मे दर्शाया गया है दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा ,बिल /वाउचर लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया।ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा मे सचिव से

मौखिक व लिखित रूप से कई बार मांग करने पर व जिला पंचायतराज अधिकारी बरेली द्वारा कार्यलय पत्रांक 6641-सी दिनांक 31.03.2022 से अभिलेखों के मांग के उपरांत भी सचिव द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया परंतु बाद में जिला पंचायतराज अधिकारी बरेली द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक-257-सी/ऑडिट ग्रा0 पंचा0/2022-23/दिनांक-21.04.22 के द्वारा उक्त ग्राम पंचायत का मात्र कैश बुक व बैंक स्टेटमेंट ही उपलब्ध कराया गया जिसके आधार पर लेखा परीक्षा सम्पन्न की गई उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क)में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये व्यय के संबंध में कोई बिल /वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूलीग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाएगा। किए गए व्यय के सापेक्ष कार्यवाही रजिस्टर ,स्वीकृत कार्य योजना स्वीकृत इस्टिमेट कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0मानदेय रजिस्टर सामग्री क्रय की पुष्टि में डिलीवरीचालान टैंडर /कोटेशन पत्रावली स्टॉक रजिस्टर परिसंपत्ति रजिस्टर वित्तीय ,तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति आदि भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया ।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई कुल धन राशि रु0 1197191.00 बिना बिल/वाउचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेख के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947के नियम स0 256 से 259 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप आपत्ति का परिपालन न करने की अवस्था में मय ब्याज श्री अनुज गोपाल मिश्रा ए0डी0ओ0 (पंचायत) प्रशासक व ग्राम पंचायत सचिव श्री विपिन सक्सेना से करते हुए प्रशासक व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है ।

राज्य वित्त अकाउंट नंबर-	क्रम स0	विवरण	धनराशि
00760100006679 से आहरित	01	उवाइश	336540.00
	02	वाहिद सीमेंट स्टोर	203962.00
	03	हर्ष इंटर प्राइजेज	209261.00
	04	रानी ईट उद्योग	170058.00
	05	श्याम सिंह पेंटर	26150.00
	06	ग्रीन इंडिया इंटर प्राइजेज	41008.00
	07	मानवी इन्फोटेक	7000.00
	08	कैश बुक में प्रविष्टि नहीं है	34008.00
		योग	1027987.00
केंद्रीय वित्त अकाउंट नंबर- 00760100031125 से आहरित			
	01	इस्लाम नूर	1250.00
	02	हर्ष इंटर प्राइजेज	32000.00
	03	कैश बुक में प्रविष्टि नहीं है	135954.00
		योग	169204.00
		महा योग (राज्य +केंद्र वित्त)	1197191.00

ग्राम पंचायत- खाता नवदिया, क्षेत्र पंचायत- भदपुरा एवं जनपद - बरेली के उपलब्ध अभिलेख एवं प्रदत्त जानकारी के आधार पर वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी, जिसमे निम्न लिखित अपहरण, दुरुपयोग एवं गम्भीर अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आये। "वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 8(क)के अनुसार उल्लेख है कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से कि जाएगी" उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के माह अप्रैल-2020 से जुलाई 2020 तक की कैशबुक अनुपलब्ध रही, किन्तु ई-ग्राम स्वराज पर अंकित कैशबुक में नवदिया स्कूल में टाइल्स मरम्मत कार्य पर दर्शित, आनलाइन पेमेंट स्टेटस के आधार पर व्यय का विवरण निम्न प्रकार है-

आलोच्य वर्ष 2020-21 के ग्राम निधि-1 के खाता संख्या -4194000100065589 से निम्न लिखित विवरणानुसार बैंक से धनराशि आहरण किया गया है, किन्तु लेखा परीक्षा में न तो कैशबुक प्रस्तुत रहा और न ही व्यय प्रमाणक, वर्क आईडी, कार्यवाही रजिस्टर, स्टीमेट, निर्माण कार्य रजिस्टर व स्टॉक रजिस्टर, एमबी आदि उपलब्ध रहा। विवरण निम्नवत है :-

क्र०	तिथि	पी०एफ०एम०एस०	विवरण	धनराशि
1.	07.07.2020	,,	,चादबाबू मजदूरी	4240.00
2.	,,	,,	,आकाश इंटर प्राइजेज को	17551.00
3.	,,	,,	,मो०हनीफ को मजदूरी	4240.00
4.	,,	,,	मानदेय प्रधान जनवरी-2020 से मार्च 2020	10500.00
5.	,,	,,	,, अप्रैल-2020 - से जून-2020	10500.00
6.	,,	,,	आकाश इंटर प्राइजेज को	38400.00
7.	,,	,,	इरशाद को मजदूरी	7680.00
8.	08.07.2020	,,	आकाश इंटर प्राइजेज को	6912
9.	09.07.2020	,,	ग्राम पंचायत हेतु ,फर्नीचर क्रय	30000.00
			योग -	130023.00

उक्त आहरण रु०130023.00 के व्यय से सम्बंधित लेखा परीक्षा में कैशबुक ,व्यय प्रमाणक ,कार्यवाही रजिस्टर, स्टीमेट, निर्माणकार्य रजिस्टर, टेंडर/कोटेशन पत्रावली ,एमबी ,कार्यपूति प्रमाण पत्र व स्टॉक रजिस्टर,डेड स्टॉक रजिस्टर ,मानदेय रजिस्टर,वित्तीय स्वीकृति,प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति आदि उपलब्ध नहीं रहा। इस प्रकार वांछित अभिलेख के अभाव में सामग्री आमद/प्रयुक्त होने की पुष्टि नहीं होती है। इस प्रकार उक्त विवरणानुसार धनराशि रु०130023.00 का अपहरण किए जाने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती साबरा वेगम एवं सचिव श्री उमेश चन्द्र समान रूप से उत्तरदायी है।जिसकी वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम सं० 256 से 259 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप मय ब्याज हेतु,वांछित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-74

ग्राम पंचायत-मुड़िया चौधरी , क्षेत्र पंचायत- भदपुरा जनपद - बरेली के उपलब्ध अभिलेख एवं प्रदत्त जानकारी के आधार पर वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी, जिसमे निम्न लिखित अपहरण, दुरुपयोग एवं गम्भीर अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आये ।”वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 8(क)के अनुसार उल्लेख है कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गवर्न मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से कि जाएगी” |विवरण निम्न प्रकार है-

01- वर्ष 2020-21 के कैशबुक में निम्न विवरणानुसार सामग्री एवं मजदूरी पर व्यय दर्शाया गया है ,किन्तु सामग्री एवं मजदूरी प्रयुक्त की पुष्टि में न तो कैशबुक में निर्माण कार्य का नाम व कार्य स्थल का उल्लेख किया गया है और न ही निर्माण कार्यों से संबंधित कोई अभिलेख प्रस्तुत रहा | क्रय सामग्री की पुष्टि में प्रमाणक /वाउचर भी प्रस्तुत नहीं रहा | विवरण निम्न प्रकार है -

तिथि	विवरण	धनराशि
01.06.2020/ 19.07.2020	भारत सीमेंट स्टोर ,सीमेंट	8294.00
„ „	भारत सीमेंट स्टोर ,सरिया	531.00
„ „	मे0रुद्र इंटर प्राइसजेज को गेट	7264.00
„ „	भारत सीमेंट स्टोर ,रेता ,बजरफुट ,बजरी	9811.00
12.06.2020/19.07.2020	गोल्डेन ब्रिक फील्ड को	15834.00
„ „	लक्ष्मी आर्ट सेंटर	1050.00
13.06.2020/ „	मास्टर रोल द्वारा भुगतान	12915.00
		योग- 55699.00

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि मजदूरी एवं सामग्री हेतु भुगतान तो दर्शाया गया है ,किन्तु सामग्री क्रय की पुष्टि में न तो व्यय प्रमाणक प्रस्तुत रहा और न ही सामग्री प्रयुक्त की पुष्टि में कैशबुक में निर्माण कार्य का नाम एवं कार्य स्थल का उल्लेख रहा,इसके अतिरिक्त निर्माण कार्यों की पुष्टि में निर्माण कार्य रजिस्टर ,परिसंपत्ति रजिस्टर,कार्यवाही रजिस्टर ,स्टॉक रजिस्टर ,कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र,वित्तीय स्वीकृति,प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, एम0बी0आदि अभिलेख उपलब्ध नहीं रहा |इस प्रकार उक्त सामग्री /मजदूरी पर अवास्तविक व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है |जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री रमेश चन्द्र एवं सचिव श्री ओमकार उत्तरदाई है,जिसकी वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम सं0 256 से 259 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप मय ब्याज हेतु,वांछित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है |

प्रस्तर-75

ग्राम पंचायत-मुड़िया चौधरी , क्षेत्र पंचायत- भदपुरा जनपद - बरेली में दिनांक 20.07.2020 को ग्राम निधि -1 के खाता संख्या 12710100009524 से रु0 2100.00 आहरण रहा ,किन्तु कैशबुक में न तो आहरण दर्शित रहा और न ही ,उक्त के सापेक्ष व्यय एवं व्यय प्रमाणक ही प्रस्तुत रहा जिससे स्पष्ट है

कि बैंक से धन आहरण कर अपहरण किया गया है जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री रमेश चन्द्र एवं सचिव श्री ओमकार उत्तरदाई है, जिसकी वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम सं0 256 से 259 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप मय ब्याज हेतु, वांछित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-76

ग्राम पंचायत-जवेदा जवेदी, क्षेत्र पंचायत- भदपुरा एवं जनपद - बरेली के उपलब्ध अभिलेख एवं प्रदत्त जानकारी के आधार पर वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी, जिसमें निम्न लिखित अपहरण, दुरुपयोग एवं गम्भीर अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आये। "वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 8(क) के अनुसार उल्लेख है कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गवर्न मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जाएगी"। विवरण निम्न प्रकार है-

दिनांक 05.06.2020 को ग्राम निधि -1 के खाता संख्या 12710100015699 से ₹012608.00 आहरण रहा, किन्तु कैशबुक में न तो आहरण दर्शित रहा और न ही, उक्त के सापेक्ष व्यय एवं व्यय प्रमाणक ही प्रस्तुत रहा। जिससे स्पष्ट है कि बैंक से धन आहरण कर अपहरण किया गया है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती कमला देवी एवं सचिव श्री ओमकार उत्तरदाई है, जिसकी वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम सं0 256 से 259 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप मय ब्याज हेतु, वांछित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। बैंक से आहरण का विवरण निम्न प्रकार रहा :-

तिथि	पी0एफ0एम0एस0 द्वारा आहरण	धनराशि
05.06.2020	पी0एफ0एम0एस0 आर062000029915	2850.00
„	पी0एफ0एम0एस0 आर062000055372	7000.00
„	पी0एफ0एम0एस0 आर062000029476	2758.00
योग-		12608.00

प्रस्तर-77

ग्राम पंचायत-जवेदा जवेदी, क्षेत्र पंचायत- भदपुरा एवं जनपद - बरेली के वर्ष 2020-21 के कैशबुक में निम्न विवरणानुसार हैंडपंप रिबोर पर सामग्री एवं मजदूरी पर व्यय दर्शाया गया है, किन्तु सामग्री एवं मजदूरी प्रयुक्त की पुष्टि में न तो व्यय प्रमाणक प्रस्तुत रहा और न ही लाभार्थियों के द्वारा हैंड पम्प खराब होने की सूचना व उनके मरम्मत की मांग तथा संबन्धित तकनीकी आकलन प्रस्तुत रहा। पंचायत राज अनुभाग -3 के शासनादेश संख्या 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दि019-6-2017 के हैंड पम्प रिबोर की गाइडलाइन के अनुसार निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण की पत्रावली प्रस्तुत न रहने के कारण गाइड लाइन के परिपालन की स्थिति अज्ञात रही -

तिथि	वा0सं0	विवरण	धनराशि

22.05.2020	(1) आई0एस0इंटर प्राइजेज को संतराम पुत्र बुधयसेन	25515.00
„	(2) मो0इमरान पुत्र मो0 याकुब,मजदूरी	23460.00
„	(3) आई0एस0इंटर प्राइजेज को लालाराम पुत्र धनिराम	24146.00
„	(4) मो0इमरान पुत्र मो0 याकुब,मजदूरी	24246.00
„	(5) आई0एस0इंटर प्राइजेज को उमेश पुत्र देवदत्त	25043.00
„	(6) मो0इमरान पुत्र मो0 याकुब,मजदूरी	21890.00

योग -

144300.00

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि हैंड पंप रिबोर की पुष्टि में न तो व्यय प्रमाणक प्रस्तुत रहा और न ही निर्माण कार्य रजिस्टर ,परिसंपत्ति रजिस्टर,कार्यवाही रजिस्टर ,कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र,वित्तीय स्वीकृति,प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, एम0बी0 ,एस्टिमेट ,टेंडर/कोटेशन पत्रावली, वर्क आई0डी0आदि अभिलेख उपलब्ध नहीं रहा |इस प्रकार उक्त सामग्री /मजदूरी पर अवास्तविक व्यय रु0144300.00 दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है |जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती कमला देवी एवं सचिव श्री ओमकार उत्तरदाई हैं,जिसकी वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम सं0 256 से 259 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप मय ब्याज हेतु,वांछित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है |

प्रस्तर-78

ग्राम पंचायत-जवेदा जवेदी , क्षेत्र पंचायत- भदपुरा एवं जनपद - बरेली के वर्ष 2020-21 के कैशबुक के अनुसार प्राइमरी विध्यालय जवेदा में टाइल्स निर्माण कार्य पर निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शाया गया है ,किन्तु कैश बुक में अंकित सामग्री की मात्रा व दर की गणना करने पर मूल्य के भुगतान में अंतर पाया गया|अंतर का मूल्य जो अधिक अंकित कर भुगतान रहा ,कालम 5 से स्पष्ट है | उक्त व्यय की पुष्टि में न तो व्यय प्रमाणक प्रस्तुत रहा और न ही निर्माण कार्य से संबन्धित कोई अन्य अभिलेख प्रस्तुत रहा |विवरण निम्न प्रकार है -

तिथि	विवरण	कैशबुक में अंकित धनराशि	लेखपरीक्षा में गणनानुसार धनराशि	अंतर मूल्य जो अधिक अंकित रहा
1.	2.	3.	4.	5.
22.05.2020	मे0आकृति ट्रेडर्स को फर्श टाइल्स, मात्रा अंकित नहीं	49560.00	मात्रा व दर के अभाव में समीक्षा संभव नहीं	-
„	„	49560.00	„	
„	„	17440.00	„	

22.05.2020	भारत सीमेंट स्टोर 41 बोरी सीमेंट, दर 270 प्रति बोरी	15070.00	11070.00	4000.00
	भारत सीमेंट स्टोर 4.20 घन मीटर बजरफुट, दर 2411 प्रति घन मी0	10632.00	10126.00	506.00
31.5.2020	मजदूरी (मास्टररोल)	33515.00	-	
	योग-	175777.00		4506.00

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि मजदूरी एवं सामग्री हेतु भुगतान तो दर्शाया गया है, किन्तु कैश बुक में अंकित सामग्री की मात्रा व दर की गणना करने पर मूल्य के भुगतान में अंतर पाया गया। अंतर का मूल्य जो अधिक, अंकित कर भुगतान रहा, कालम 5 से स्पष्ट है, किन्तु सामग्री क्रय की पुष्टि में न तो व्यय प्रमाणक प्रस्तुत रहा और न ही निर्माण कार्य की पुष्टि में निर्माण कार्य रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, एस्टिमेट, टेंडर/कोटेसन पत्रावली, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाण पत्र, वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति आदि अभिलेख उपलब्ध रहा। इस प्रकार उक्त सामग्री /मजदूरी पर अवास्तविक व्यय दर्शाकर धन ₹0175777.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती कमला देवी एवं सचिव श्री ओमकार उत्तरदाई हैं, जिसकी वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम सं0 256 से 259 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप मय ब्याज हेतु, वांछित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-79

ग्राम पंचायत-जवेदा जवेदी, क्षेत्र पंचायत- भदपुरा एवं जनपद - बरेली के वर्ष 2020-21 के कैशबुक के अनुसार देव स्थान से श्री कृष्ण के घर तक सी0सी0रोड निर्माण कार्य पर निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शाया गया है, किन्तु कैश बुक में अंकित सामग्री की मात्रा व दर की गणना करने पर मूल्य के भुगतान में अंतर पाया गया। अंतर का मूल्य जो अधिक, अंकित कर भुगतान रहा, कालम 5 से स्पष्ट है। किन्तु उक्त व्यय की पुष्टि में न तो व्यय प्रमाणक प्रस्तुत रहा और न ही निर्माण कार्य से संबंधित कोई अन्य अभिलेख प्रस्तुत रहा। विवरण निम्न प्रकार है -

तिथि	विवरण	कैशबुक में अंकित धनराशि	लेखपरीक्षा में गणनानुसार धनराशि	अंतर मूल्य जो अधिक अंकित रहा
1	2.	3.	4.	5
22.05.2020	गोल्डेन ब्रिक स्टोर, मात्रा अंकित नहीं	27951.00	मात्रा व दर के अभाव में समीक्षा संभव नहीं	-
26.05.2020	दयाल ट्रेडर्स, 212 बोरी सीमेंट दर 270 प्रति बोरी	73267.00	57240.00	16027.00
,,,	दयाल ट्रेडर्स मात्रा व दर का विवरण अंकित नहीं	91828.00	मात्रा व दर के अभाव में	-

			समीक्षा संभव नहीं	
„	दयाल ट्रेडर्स „ „	69811.00	„ „	-
„	दयाल ट्रेडर्स „ „	86953.00	„ „	-
	गोल्डेन ब्रिक स्टोर „ „	27830.00	„ „	-
22.06.2020	मजदूरी (मास्टररोल)	44110.00		-
	योग-	421750.00		

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि मजदूरी एवं सामग्री हेतु भुगतान तो दर्शाया गया है, किन्तु कैश बुक में अंकित सामग्री की मात्रा व दर की गणना करने पर मूल्य के भुगतान में अंतर पाया गया। अंतर का मूल्य जो अधिक, अंकित कर भुगतान रहा, कालम 5 से स्पष्ट है, किन्तु सामग्री क्रय की पुष्टि में न तो व्यय प्रमाणक प्रस्तुत रहा और न ही निर्माण कार्य की पुष्टि में निर्माण कार्य रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, एस्टिमेट, टेंडर/कोटेसन पत्रावली, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, एमओबीओ, कार्यपूति प्रमाण पत्र, वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति आदि अभिलेख उपलब्ध रहा। इस प्रकार उक्त सामग्री /मजदूरी पर अवास्तविक व्यय दर्शाकर धन ₹0421750.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती कमला देवी एवं सचिव श्री ओमकार उत्तरदाई हैं, जिसकी वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम सं० 256 से 259 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप मय ब्याज हेतु, वांछित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-80

ग्राम पंचायत-जवेदा जवेदी, क्षेत्र पंचायत- भदपुरा एवं जनपद - बरेली के वर्ष 2020-21 के कैशबुक के अनुसार हैंडपंप मरम्मत पर ₹034505.00 व्यय किया गया दर्शित है, किन्तु व्यय से संबन्धित न तो व्यय प्रमाणक रहा और न ही मरम्मत कार्य की पुष्टि में अन्य आवश्यक अभिलेख, कार्य स्थल आदि ही प्रस्तुत रहा। विवरण निम्न प्रकार रहा -

तिथि	विवरण	धनराशि
15.06.2020	इमरान हार्ड बेयर को भुगतान	17576.00
15.06.2020	इमरान हार्ड बेयर को भुगतान	16929.00
	योग	-

34505.00

इस प्रकार हैंडपंप मरम्मत पर व्यय से संबन्धित न तो व्यय प्रमाणक प्रस्तुत रहा और न ही लाभार्थियों के द्वारा हैंड पम्प खराब होने की सूचना व उनके मरम्मत की मांग तथा संबन्धित तकनीकी आकलन प्रस्तुत रहा। उक्त विवरण के बिना कार्य की पुष्टि एवं पारदर्शिता का अभाव रहा। जल प्रबंधन समिति की संस्तुति व अनुमोदन भी प्रस्तुत नहीं रहा। डेड स्टॉक व स्क्रेप की बिक्री से आय की स्थिति अज्ञात रही। इस प्रकार हैंड पंप पर अवास्तविक व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है, जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती कमला देवी एवं सचिव श्री ओमकार उत्तरदाई हैं। जिसकी वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम सं० 256 से 259 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप मय ब्याज हेतु, वांछित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-81

ग्राम पंचायत-जवेदाजवेदी , क्षेत्र पंचायत- भदपुरा एवं जनपद - बरेली के वर्ष 2020-21 के कैशबुक के अनुसार दिनांक 28.05.2020/04.06.2020 को पंचायत घर में टाइल्स निर्माण कार्य पर मजदूरी (मास्टर रोल) पर ₹025575.00 व्यय किया गया दर्शित है ,किन्तु व्यय से संबन्धित न तो व्यय प्रमाणक (मास्टर रोल) रहा और न ही टाइल्स निर्माण कार्य की पुष्टि में पूर्व के व्यय अन्य आवश्यक अभिलेख /पत्रावली आदि ही प्रस्तुत रहा |जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि यह भुगतान उक्त कार्य हेतु अंतिम भुगतान रहा |चूंकि पंचायत घर के टाइल्स निर्माण कार्य पर वित्तीय वर्ष 2020-21 में कोई भी व्यय दर्शित नहीं रहा | इस प्रकार पंचायत घर में टाइल्स निर्माण कार्य पर अवास्तविक व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है ,जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती कमला देवी एवं सचिव श्री ओमकार उत्तरदाई हैं |जिसकी वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम सं0 256 से 259 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप मय ब्याज हेतु,वांछित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-82

ग्राम पंचायत-जवेदा जवेदी , क्षेत्र पंचायत- भदपुरा एवं जनपद - बरेली के वर्ष 2020-21 के कैशबुक के अनुसार दिनांक 12.06.2020 को हर प्रसाद के घर से बाबुराम के घर तक सी0सी0रोड निर्माण कार्य पर मजदूरी (मास्टर रोल) पर ₹048120.00 व्यय किया गया दर्शित है ,किन्तु व्यय से संबन्धित न तो व्यय प्रमाणक (मास्टर रोल) रहा और न ही उक्त सी0सी0 निर्माण कार्य की पुष्टि में पूर्व के व्यय अन्य आवश्यक अभिलेख /पत्रावली आदि ही प्रस्तुत रहा |जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि यह भुगतान उक्त कार्य हेतु अंतिम भुगतान रहा |चूंकि उक्त सी0सी0 रोड निर्माण कार्य पर वित्तीय वर्ष 2020-21 में कोई भी व्यय दर्शित नहीं रहा | इस प्रकार हर प्रसाद के घर से बाबुराम के घर तक सी0सी निर्माण कार्य पर अवास्तविक व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है ,जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती कमला देवी एवं सचिव श्री ओमकार उत्तरदाई हैं |जिसकी वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम सं0 256 से 259 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप मय ब्याज हेतु,वांछित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-83

ग्राम पंचायत-जवेदा जवेदी , क्षेत्र पंचायत- भदपुरा एवं जनपद - बरेली के वर्ष 2020-21 के कैशबुक प्रथम के अनुसार दिनांक 28.06.2020 के प्रमाणक संख्या 24 के अनुसार प्रधान जी को मानदेय (विना अवधि /माह का) तीन माह का भुगतान ₹010500.00 दर्शाया गया है |भुगतान तिथि 28.06.2020 के दृष्टि से तीन माह,माह अप्रैल 2020 से जून-2020 तक का ही हो सकता है |चूंकि दिनांक 30.10.2020 को कैशबुक -2 के प्रमाणक संख्या 17 के अनुसार माह अगस्त-2020 से अक्टूबर 2020 तक तीन माह का ₹010500.00 भुगतान किया गया है |इस प्रकार दोनों भुगतान के मध्य माह जुलाई-2020 का भुगतान शेष रहा और माह-जुलाई 2020 से सितम्बर 2020 तक बैंक स्टेटमेंट के अनुसार इस वावत कोई निकासी दर्शित नहीं रही |अतः माह जुलाई 2020 का भुगतान छोड़कर माह अगस्त-2020 से अक्टूबर 2020 तक भुगतान करने का औचित्य अस्पष्ट रहा |मानदेय रजिस्टर के अभाव में भुगतान अवधि /माह की स्थिति संदिग्ध रही |जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती कमला देवी एवं संबन्धित सचिव श्री ओमकार व श्री अरविंद कुमार पांडे उत्तरदाई हैं |जिसकी वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम सं0 256 से 259 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप मय ब्याज हेतु,वांछित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-84

विकास खण्ड-आलमपुर जाफराबाद में आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत टांडा में निम्न विवरणानुसार दिनांक 01-04-20से 30-09-20 तक ग्राम निधि-6 के खाते से ₹0 628393.00 व केंद्रीय वित्त खाते से ₹0-714413.00 अनुदान की धनराशि कुल रुपया 1342806.00 का व्यय बैंक स्टेटमेंट/कैश बुक में दर्शाया गया है दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा ,बिल /वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा में सचिव से मौखिक व लिखित रूप से कई बार मांग करने पर भी सचिव द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क)में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये व्यय के संबंध में कोई बिल /वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूलीग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाएगा। किए गए व्यय के सापेक्ष कार्यवाही रजिस्टर ,स्वीकृत कार्य योजना स्वीकृत इस्टिमेट कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0मानदेय रजिस्टर सामग्री क्रय की पुष्टि में डिलीवरीचालान टेंडर /कोटेशन पत्रावली स्टॉक रजिस्टर परिसंपत्ति रजिस्टर वित्तीय ,तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति आदि भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया ।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई कुल धन राशि ₹0 1342806.00 बिना बिल/वाउचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेख के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947के नियम स0 256 से 259 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप मय ब्याज ग्राम प्रधान श्री भूपेंद्र सिंह व ग्राम पंचायत सचिव श्री नरेश दिवाकर से करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है ।

राज्य वित्त अकाउंट नंबर- 6382000100017172 से आहरित	क्रम स0	विवरण	धनराशि
	01	जे0एच0एस0ब्रिक स्टोर	140808.00
	02	हिंदुस्तान बिल्डिंग माटेरियल्स	61225.00
	03	हरिओम सीमेंट स्टोर	43985.00
	04	गुसा ट्रेडर्स	100819.00
	05	ईफाक	88200.00
	06	न्यू पार्थ हार्डवेयर स्टोर	207500.00
	07	यादव बिल्डिंग माटेरियल्स	30376.00
	08	मुंशी लाल इंटरप्राइजेज	41500.00
		योग	714413.00
	केंद्रीय वित्त अकाउंट नंबर-6382000100114587से आहरित		
	01	मानदेय	3500.00
	02	अंसारी ब्रिक स्टोर	40000.00
	03	ओम प्रकाश	5000.00
	04	इस्लामुद्दीन	14000.00

	05	हरिओम सीमेंट स्टोर	127112.00
	06	भूपेंद्र सिंह	22800.00
	07	जेओएचओएसओब्रिक स्टोर	110927.00
	08	रेवा राम	67500.00
	09	हिंदुस्तान बिल्डिंग माटेरियल्स	122563.00
	10	श्री राम मरबल्स	52639.00
	11	नंदनी एड्वार्टीज़	1203.00
	12	अपना मेडिकल एंड सर्जिकल	4840.00
	13	गुप्ता ट्रेडर्स	32309.00
	14	ईफाक	24000.00
		योग	628393.00
		महा योग	1342806.00

प्रस्तर-85

विकास खण्ड-आलमपुर जाफराबाद में आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत कटसारी में निम्न विवरणानुसार ग्राम निधि -6(राज्य वित्त)से दिनांक 01.04.2020 से 30.09.2020 तक अनुदान की धनराशि रुपया 241187.00 का व्ययवर्तमान सचिव द्वारा उपलब्ध कराए गए बैंक स्टेटमेंट में दर्शाया गया है दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कैशबुक,बिल /वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा में सचिव से मौखिक व लिखित रूप से कई बार मांग करने पर भी सचिव द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क)में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये व्यय के संबंध में कोई बिल /वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूलीग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाएगा। किए गए व्यय के सापेक्ष कार्यवाही रजिस्टर ,स्वीकृत कार्य योजना स्वीकृत इस्टिमेट कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एमओबीओमानदेय रजिस्टर सामग्री क्रय की पुष्टि में डिलीवरीचालान टेंडर /कोटेशन पत्रावली स्टॉक रजिस्टर परिसंपत्ति रजिस्टर वित्तीय ,तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति आदि भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया ।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धन राशि रु0 241187.00 बिना बिल/वाउचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेख के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947के नियम स0 256 से 259 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप अपरिपालन की अवस्था में मय ब्याज ग्राम प्रधान श्रीमती मंजू देवी व ग्राम पंचायत सचिव श्री नरेश दिवाकर से करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है ।

उल्लेखनीय है कि अक्टूबर 19 से भुगतान में पीओएफओएमओएसओ व्यवस्था लागू है जिसके कारण बैंक स्टेटमेंट में भुगतान प्राप्त कर्ता का उल्लेख नहीं रहता जिसके कारण भुगतान प्राप्त कर्ता को चिन्हित नहीं किया जा सका कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर-86

विकास खण्ड-भुता में ग्राम पंचायत-अठाना में आलोच्य वर्ष -2020-21 में ग्राम पंचायत द्वारा अनुदान की धनराशि कुल ₹0472688-40 का व्यय कोषबही में दर्शाया गया है। दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा ₹052780-00 का व्यय कोषबही में दिनांक-07-12-2020, 19-12-2020 व 19-12-2020 में वाउचर्स संख्या-17,18,19 हैण्डपम्प मरम्मत हेतु जनता सेनिटरी स्टोर व एसओपीओ डिस्ट्रीब्यूटर्स से अंकित है। इससे सम्बंधित कोई भी बिल वाउचर्स लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा-08-क में व्यवस्था दी गयी है कि यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बिल वाउचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए सम्बंधित धनराशि की वसूली नियमानुसार की जाएगी। उल्लेखनीय है कि किए गए व्यय ₹0 52780-00 के सापेक्ष अन्य अभिलेख जैसे-कार्ययोजना, स्टीमेट, रूपपत्र-41 पर कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, एमबी, सामग्री क्रय की पुष्टि में टेण्डर कोटेशन, स्टॉक पंजिका आदि अभिलेख लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया।

अतः उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी धनराशि ₹0 52780-00 बिना बिल वाउचर्स एवं उपरोक्त नियमों के अनुसार व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है, जिसकी वसूली मय ब्याजसहित ग्राम प्रधान श्री राजश्री व ग्राम पंचायत सचिव दानिश खान से बराबर-बराबर करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-87

विकास खण्ड-भुता में ग्राम पंचायत-बेवल बरकतपुर में आलोच्य वर्ष -2020-21 में ग्राम पंचायत द्वारा अनुदान की धनराशि कुल ₹03537422-40 का व्यय कोषबही में दर्शाया गया है। दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा ₹0500000-00 का व्यय कोषबही में दिनांक-16-10-2020 व 17-10-2020 में पराली निस्तारण हेतु मोहन टेडर्स से अंकित है। इससे सम्बंधित कोई भी बिल वाउचर्स लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा-08-क में व्यवस्था दी गयी है कि यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बिल वाउचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए सम्बंधित धनराशि की वसूली नियमानुसार की जाएगी। उल्लेखनीय है कि किए गए व्यय ₹0 500000-00 के सापेक्ष अन्य अभिलेख जैसे-कार्ययोजना, स्टीमेट, रूपपत्र-41 पर कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, एमबी, सामग्री क्रय की पुष्टि में टेण्डर कोटेशन, स्टॉक पंजिका आदि अभिलेख लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया।

अतः उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी धनराशि ₹0 500000-00 बिना बिल वाउचर्स एवं उपरोक्त नियमों के अनुसार व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है, जिसकी वसूली मय ब्याजसहित ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला देवी व ग्राम पंचायत सचिव श्री कुलदीप

पाण्डेय से बराबर-बराबर करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-88

विकास खण्ड-भुता में ग्राम पंचायत-ढकनी रजपुरी में आलोच्य वर्ष -2020-21 में ग्राम पंचायत द्वारा अनुदान की धनराशि कुल ₹03378711-40 का व्यय कोषबही में दर्शाया गया है। दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा ₹0117129-00 का व्यय कोषबही में दिनांक-05-12-2020 व 18-12-2020 में ईट खरीद अंकित है। इससे सम्बंधित कोई भी बिल वाउचर्स लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा-08-क में व्यवस्था दी गयी है कि यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बिल वाउचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए सम्बंधित धनराशि की वसूली नियमानुसार की जाएगी। उल्लेखनीय है कि किए गए ईट खरीद पर व्यय ₹0 117129-00 के सापेक्ष अन्य अभिलेख जैसे-कार्ययोजना, स्टीमेट, रूपपत्र-41 पर कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, एमबी, सामग्री क्रय की पुष्टि में टेण्डर कोटेशन, स्टॉक पंजिका आदि अभिलेख लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया।

अतः उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी धनराशि ₹0 117129-00 बिना बिल वाउचर्स एवं उपरोक्त नियमों के अनुसार व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है, जिसकी वसूली मय ब्याजसहित ग्राम प्रधान श्री मो0मजहर खान व ग्राम पंचायत सचिव श्री कुलदीप पाण्डेय से बराबर-बराबर करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-89

विकास खण्ड बहेड़ी में ग्राम पंचायत भकावा के आलोच्य वर्ष 2020- 2021में ग्रामनिधि प्रथम (केन्द्रीय वित्त) की रोकड़बही में कुल 470322.00 ₹0 का आहरण किया जाना दर्शित है। धनराशि की निकासी की पुष्टि बैंक स्टेटमेन्ट से भी होती है। आहरित धनराशि ₹0 470322.00 के सापेक्ष लेखा परीक्षा मे रूप पत्र – 8 ,व्यय प्रमाणक , स्टॉक रजिस्टर ,टेंडर कोटेशन पत्रावली ,एम 0आर0, एस्टीमेट ,एम0 बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि अनुपलब्ध रहे। ग्राम पंचायतों के वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8के भाग 8 क के अनुसार प्रमाणकों को जांच में प्रस्तुत न किया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है जिस हेतु तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव पूर्णतया उत्तरदायी हैं। उक्त के प्रकाश में आहरित धनराशि 470322.00की वसूली समभाग में ब्याज सहित सचिव श्री हरेन्द्र मौलिया व प्रधान श्री सतेन्द्र से उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली के नियम सं 256से 260 के अनुसार की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-90

विकास खण्ड-बहेड़ी में ग्रामपंचायत करीमगंज की चतुर्थ/पंचम राज्य वित्त की रोकड़बही मे दिनांक 23.09.2020 को ₹0 3159.00 व 3801.00 कुल 6960.00 ₹ का भुगतान शफीक अहमद से हसनेन तक नाली निर्माण कार्य के लिए उजैर इन्टरप्राइजेज को भुगतान किया जाना दर्शित है जिसकी पुष्टि बैंक स्टेटमेन्ट से भी होती है। लेखा परीक्षा मे ₹ 6960.00से संबंधित व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध रहे। ग्राम पंचायतों के वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8के भाग 8 क के अनुसार प्रमाणकों को जांच में प्रस्तुत न किया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है जिस हेतु तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव पूर्णतया उत्तरदायी हैं। उक्त के प्रकाश मे धनराशि 6960.00की वसूली प्रधान श्रीमती शना बी व सचिव श्री रोहितास से समभाग मे ब्याज सहित उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली की नियम सं 256से 260 के अंतर्गत की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-91

विकास खण्ड-बहेड़ी में ग्राम पंचायत-मकसूदनपुर में दिनांक 09.04. 2020को ग्रामनिधि प्रथम की रोकड़बही में ग्लोबल डवलपमेन्ट को भुगतान दवा क्रय ,ठेली क्रय, हेतु 15000.00 किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक ,स्टॉक रजिस्टर ,कार्यवाही पंजिका) रूप पत्र – 8 (अनुपलब्ध रहे जिससे दर्शित व्ययित धनराशि अपुष्टित रही । ग्राम पंचायतों के वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8के भाग 8 क के अनुसार प्रमाणकों को जांच में प्रस्तुत न किया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है जिस हेतु तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव पूर्णतया उत्तरदायी हैं। उक्त के प्रकाश में धनराशि 15000. 00की वसूली प्रधान इन्द्रप्रकाश व सचिव ख्वाजा से समभाग में ब्याज सहित उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली की नियम सं 256से 260 के अनुसार की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-92

विकास खण्ड-बहेड़ी में ग्रामपंचायत मनुआपट्टी की पंचम वित्त आयोग की रोकड़बही में निम्न विवरणानुसार रु0 7300.00 का भुगतान श्री शारिफ हुसैन को किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक ,टेण्डर प्रकाशन की छाया प्रति ,कार्य योजना आदि अनुपलब्ध रहे जिससे भुगतानित धनराशि 7300.00 की पुष्टि न हो सकी। ग्राम पंचायतों के वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8के भाग 8 क के अनुसार प्रमाणकों को जांच में प्रस्तुत न किया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है जिस हेतु तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव पूर्णतया उत्तरदायी हैं। उक्त के प्रकाश में रु0 7300.00 की वसूली ब्याज सहित समभाग में प्रधान श्रीमती जायदा बी व सचिव श्री रोहितास से उ0 0प्र0पंचायती राज नियमावली के नियम सं 256 से 260 के अनुसार की जानी अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	कार्य का नाम	भुगतान प्राप्तकर्ता	धनराशि
1.	13.10.2020	कार्य योजना का टेण्डर	श्री शारिफ हुसैन	3650.00
2.	20.08.2021	वर्ष 2020- 2021का टेण्डर	श्री शारिफ हुसैन	3650.00
		योग -		7300.00

प्रस्तर-93

विकास खण्ड-बहेड़ी में ग्राम पंचायत मुरारपुर उर्फ मुरचुदा के दिनांक 13.07. 2020को ग्रामनिधि प्रथम चतुर्थ राज्य वित्त / पंचम राज्य वित्त की रोकड़बही में मानदेय ग्राम प्रधान श्री ललता प्रसाद को गत वर्ष का जून से मार्च 2020तक 35000.00 रु0 भुगतान किया जाना अंकित है। लेखा परीक्षा में प्रधान मानदेय पंजिका गत वर्ष की रोकड़बही प्रस्तुत नहीं किये गये एवं पिछले वर्ष मानदेय न दिये जाने का औचित्य भी लेखा परीक्षा में पुष्टित नहीं हुआ। प्रथम दृष्ट्या स्वयवहार अतिरिक्त धनराशि भुगतान कर धनराशि 35000. 00के अपहरण से संबंधित प्रतीत हो रहा है। अतः धनराशि 35000.00 रु0 की वसूली ब्याज सहित सचिव श्री ख्वाजा व प्रधान श्री लालता प्रसाद से उ0प्र0पंचायती राज नियमावली के नियम सं256 से 260के अन्तर्गत की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-94

विकास खण्ड-बहेड़ी के ग्राम पंचायत उनई खालसा के आलोच्य वर्ष 2020- 2021में ग्रामनिधि प्रथम (पंद्रहवाँ वित्त) की रोकड़बही में कुल1478769 .00 रु0 का आहरण किया जाना दर्शित है। धनराशि की निकासी की पुष्टि बैंक स्टेटमेन्ट से भी होती है। आहरित धनराशि रु1478769 0. 00के सापेक्ष लेखा परीक्षा में रूप पत्र – 8 ,व्यय प्रमाणक ,स्वीकृत कार्ययोजना ,स्टॉक रजिस्टर ,टेंडर कोटेशन पत्रावली ,एम 0आर0, स्वीकृत एस्टीमेट ,एम0 बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि अनुपलब्ध रहे। ग्राम पंचायतों के वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8के भाग 8 क के अनुसार प्रमाणकों को जांच में प्रस्तुत न किया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है जिस हेतु तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव पूर्णतया उत्तरदायी हैं। उक्त के प्रकाश में आहरित धनराशि 1478769.00 की वसूली सचिव हरेन्द्र मौलिया व प्रधान श्री प्रेमशंकर से ब्याज सहित समभाग में उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली के नियम सं 256से 260 के अनुरूप की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-95

विकास खण्ड **मीरगंज** के ग्राम पंचायत **धन्तिया** के आलोच्य वर्ष-2020-21 में निम्नलिखित तिथियों में कुल 42000.00 प्रधान मानदेय का भुगतान किया जाना रोकड़बही में दर्शित है जिसकी पुष्टि बैंक स्टेटमेंट से भी होती है। लेखा परीक्षा में प्रधान मानदेय पंजिका, कार्यवाही पंजिका व प्रमाणक अनुपलब्ध रहे जिससे भुगतानित धनराशि अपुष्टित रही। ग्राम पंचायतों के वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के भाग 8 क के अनुसार प्रमाणकों को जांच में प्रस्तुत न किया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है जिस हेतु तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव पूर्णतया उत्तरदायी हैं। उक्त के धनराशि 42000.00 की वसूली प्रधान श्री श्रीपाल व सचिव सुश्री रिकी भारती से ब्याज सहित समभाग में की जानी अपेक्षित रही।

क्रम सं०	दिनांक	मद	देय धनराशि	कैशबुक में दर्शित अवधि
1.	30.11.2020	प्रधान मानदेय	14000.0	2018-19, 2019- 20 की अवशेष अवधि का प्रधान मानदेय
2.	09.12.2020	प्रधान मानदेय	14000.0	2018-19, 2019- 20 की अवशेष अवधि का प्रधान मानदेय
3.	02.01.2021	प्रधान मानदेय	14000.0	2018-19, 2019- 20 की अवशेष अवधि का प्रधान मानदेय
		योग-	42000.00	

प्रस्तर-96

विकास खण्ड-**मीरगंज** में ग्राम पंचायत **खमरिया आजमपुर** के ग्राम निधि प्रथम की रोकड़बही से (राज्यवित्त, चतुर्थ/पंचम, चौदहवें वित्त) दिनांक 17.09.2020 को निम्न विवरणानुसार धनराशि 9457.00 रु का आहरण किया जाना अंकित है, जिसकी पुष्टि बैंक स्टेटमेंट से भी होती है। लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक, टेण्डर प्रकाशन की छाया प्रति, आदि अनुपलब्ध रहे जिससे आहरित धनराशि की पुष्टि नहीं हो सकी। उल्लेखनीय है कि प्रकाशन हेतु फर्म के स्थान पर व्यक्ति को भुगतान का औचित्य लेखा परीक्षा में अपुष्ट रहा। ग्राम पंचायतों के वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के भाग 8 क के अनुसार प्रमाणकों को जांच में प्रस्तुत न किया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है जिस हेतु तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव पूर्णतया उत्तरदायी हैं। उक्त के प्रकाश में धनराशि 9457.00 रु की वसूली ब्याज सहित समभाग में प्रधान श्री पीतम सिंह व सचिव श्री बृजेश गौतम से उ०प्र० पंचायतीराज नियमावली के नियम संख्या 256 से 260 के अनुसार की जानी अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	मद	देय धनराशि	जिस व्यक्ति/फर्म को भुगतान हुआ
1.	17.06.2020	सफाई किट	5900.00	जी.के.एस.इन्टरप्राइजेज
2.	17.09.2020	प्रकाशन	3557.00	श्री ओमेन्द्र पूरी गोस्वामी
		योग-	9457.00	

प्रस्तर-97

विकास खण्ड-**मीरगंज** में ग्राम पंचायत **खमरिया सानी** की पंचम पंचम वित्त आयोग की कोषवही में निम्न विवरणानुसार 7984.00 रु का भुगतान श्री आदर्श दिवाकर को प्रकाशन हेतु किया जाना दर्शित है जिसकी पुष्टि बैंक स्टेटमेंट से भी होती है। लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक, टेण्डर प्रकाशन की छाया प्रति, कार्य योजना आदि अनुपलब्ध रहे। ग्राम पंचायतों के वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के भाग 8 क के अनुसार प्रमाणकों को जांच में प्रस्तुत न किया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है जिस हेतु तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव पूर्णतया उत्तरदायी हैं। उक्त के प्रकाश में रु 7984.00 की वसूली ब्याज सहित समभाग में प्रधान श्रीमती कृष्णा देवी व सचिव बृजेश गौतम से उ०प्र० पंचायतीराज नियमावली के नियम संख्या 256 से 260 के अनुसार की जानी अपेक्षित है। लेखा परीक्षा में फर्म के स्थान पर व्यक्ति को भुगतान किये जाने का औचित्य अपुष्टित रहा।

क्रम सं०	दिनांक	मद	देय धनराशि	जिस व्यक्ति/फर्म को भुगतान हुआ
1.	02.07.2020	प्रकाशन	3734.00	आदर्श दिवाकर
2.	04.01.2021	प्रकाशन	4250.00	आदर्श दिवाकर

		योग-	7984.00	

प्रस्तर-98

विकास खण्ड-मीरगंज में ग्राम पंचायत-मनकरा में दिनांक 22.10. 2022को ग्रामनिधि प्रथम की रोकड़बही में भारत स्टील वर्क्स को नई सफाई ठेली करे व पुरानी सफाई ठेली की मरम्मत हेतु 24000.00 का भुगतान किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक ,डेड स्टॉक रजिस्टर ,कोटेशन पत्रावली आदि अनुपलब्ध रहे जिससे दर्शित व्ययित धनराशि 24000.00की पुष्टि नहीं हो सकी ग्राम पंचायतों के वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8के भाग 8 क के अनुसार प्रमाणकों को जांच में प्रस्तुत न किया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है जिस हेतु तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव पूर्णतया उत्तरदायी हैं। उक्त के प्रकाश में धनराशि 24000.00 की वसूली मय ब्याज के ग्राम प्रधान श्री प्रेमशंकर एवं सचिव श्री सोनिया यादव से उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली की नियम सं 256से 260 के अनुसार की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-99

विकास खण्ड-भोजीपुरा के ग्राम पंचायत जटौवा जाफरपुर में आलोच्य वर्ष-2020-21 में प्राप्त अनुदान की धनराशि का व्यय कोषबही में दर्शाया गया है। दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित व्यय प्रमाणक/वाउचर लेखा परीक्षा जांच में प्रस्तुत नहीं किया गया-

क्र०सं०	दिनांक	विवरण	धनराशि
01	15-07-2020	हैण्डपम्प मरम्मत	7200.00
02	10-08-2020	हैण्डपम्प मरम्मत	10600.00
03	14.09.2020	हैण्डपम्प मरम्मत	10656.00
04	24.12.2020	स्कूल के लिए फर्नीचर क्रय	159300.00
05	09.03.2021	मिट्टी भराव	26045.00
		योग	213801.00

उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -8 की धारा-8(क) में व्यवस्था दी गयी है कि यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गयी धनराशि को गबन मानते हुए सम्बंधित धनराशि की वसूली नियमानुसार की जाएगी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में राजकीय अनुदान के सापेक्ष किए गए व्यय ₹213801.00 बिना बिल/वाउचर एवं वित्तीय नियमों के विरुद्ध व्यय करके धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री महेन्द्रपाल व सचिव श्री संजीव कुमार सिंह से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-100

विकास खण्ड-दमखोदा के ग्राम पंचायत चुरैली में आलोच्य वर्ष-2020-21 में प्राप्त अनुदान की धनराशि का व्यय कोषबही में दर्शाया गया है। दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित व्यय प्रमाणक/वाउचर लेखा परीक्षा जांच में प्रस्तुत नहीं किया गया-

क्र०सं०	दिनांक	विवरण	धनराशि
01	23.03.2021	सोलर लाइट क्रय हेतु भुगतान भारत इन्टरप्राइजेज	84000.00
02	23-03-2021	सोलर लाइट क्रय हेतु भुगतान भारत इन्टरप्राइजेज	84000.00
03	23-03-2021	सोलर लाइट क्रय हेतु भुगतान भारत इन्टरप्राइजेज	84000.00
04	23-03-2021	सोलर लाइट क्रय हेतु भुगतान भारत इन्टरप्राइजेज	84000.00
		योग	336000.00

उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -8 की धारा-8(क) में व्यवस्था दी गयी है कि यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गयी धनराशि को गबन मानते हुए सम्बंधित धनराशि की वसूली नियमानुसार की जाएगी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में राजकीय अनुदान के सापेक्ष किए गए व्यय ₹0336000.00 बिना बिल/वाउचर एवं वित्तीय नियमों के विरुद्ध व्यय करके धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती कृष्णा कुमारी व सचिव श्री नन्हें खां से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-101

विकास खण्ड-**दमखोदा** के ग्राम पंचायत **ढकिया** में आलोच्य वर्ष-2020-21 में प्राप्त अनुदान की धनराशि का व्यय कोषबही में दर्शाया गया है।

क्र०सं०	दिनांक	विवरण	धनराशि
01	27 व 28.07-20	सामुदायिक शौचालय निर्माण 2019-20 अवशेष भुगतान	123048.00
02	24.12.2020	प्राथमिक विद्यालय हेतु फर्नीचर क्रय	77250.00
03	24.12.2020	प्राथमिक विद्यालय हेतु फर्नीचर क्रय	92700.00
04	24-12-2020	प्राथमिक विद्यालय हेतु फर्नीचर क्रय	46350.00
05	21-03-2021	लाभार्थी शौचालय की वाल पेंटिंग	27000.00
		योग	366348.00

उपरोक्त दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी बिल/वाउचर/ सम्बंधित अन्य अभिलेख यथा कोटेशन/डेड स्टॉक पंजी/ड्यू पेमेन्ट की पुष्टि में गत वर्ष 2019-20 के सम्बंधित अभिलेख लेखा परीक्षा जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -8 की धारा-8(क) में व्यवस्था दी गयी है कि यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गयी धनराशि को गबन मानते हुए सम्बंधित धनराशि की वसूली नियमानुसार की जाएगी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में राजकीय अनुदान के सापेक्ष किए गए व्यय ₹0366348.00 बिना बिल/वाउचर एवं वित्तीय नियमों के विरुद्ध व्यय करके धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित तत्कालीन प्रधान श्रीमती सुशीला देवी व सचिव श्री संजय गंगवार से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-102

विकास खण्ड-**दमखोदा** के ग्राम पंचायत **रहपुरा गनीमत** में आलोच्य वर्ष-2020-21 में प्राप्त अनुदान की धनराशि का व्यय कोषबही में दर्शाया गया है। दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित व्यय प्रमाणक/वाउचर लेखा परीक्षा जांच में प्रस्तुत नहीं किया गया-

क्र०सं०	दिनांक	विवरण	धनराशि
01	03.07.2020	सफाई कार्य	6000.00
02	14.07.2020	सफाई कार्य	25000.00
03	17.07.2020	सफाई कार्य	25000.00
04	30.07.2020	सफाई कार्य	25000.00
		योग	81000.00

उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -8 की धारा-8(क) में व्यवस्था दी गयी है कि यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गयी धनराशि को गबन मानते हुए सम्बंधित धनराशि की वसूली नियमानुसार की जाएगी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में राजकीय अनुदान के सापेक्ष किए गए व्यय ₹081000.00 बिना बिल/वाउचर एवं वित्तीय नियमों के विरुद्ध व्यय करके धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन प्रधान श्री मो०कलीम व सचिव श्री अयोध्या प्रसाद त्यागी से तातारीख ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-103

विकास खण्ड-फरीदपुर के ग्राम पंचायत औरंगाबाद में आलोच्य वर्ष-2020-21 में प्राप्त अनुदान की धनराशि का व्यय कोषबही में दर्शाया गया है। दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित व्यय प्रमाणक/वाउचर लेखा परीक्षा जांच में प्रस्तुत नहीं किया गया-

क्र०सं०	दिनांक	विवरण	धनराशि
01	12.06.2020	ग्रीन इण्डिया इन्टरप्राइजेज को फर्नीचर क्रय हेतु भुगतान	30740.00
02	29.07.2020	जे०के०इलेक्टिकल को सफाई किट हेतु भुगतान	13800.00
03	28.09.2020	जे०के०इलेक्टिकल को ठेला क्रय हेतु भुगतान	16000.00
04	29.09.2020	रूबी अन्सारी को ग्राम पंचायत में सफाई कार्य हेतु भुगतान	4400.00
05	13.10.2020	जे०के०इलेक्टिकल को हैण्डपम्प रिबोर हेतु भुगतान	38930.00
06	22.10.2020	जे०के०इलेक्टिकल को स्टीट लाइट हेतु भुगतान	38700.00
07	04.11.2020	श्री लेखराज को तालाब सफाई हेतु भुगतान	11000.00
08	15.12.2020	श्री अनुज कुमार सिंह को डाटा फीडिंग हेतु भुगतान	7000.00
		योग	160570.00

उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -8 की धारा-8(क) में व्यवस्था दी गयी है कि यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गयी धनराशि को गबन मानते हुए सम्बंधित धनराशि की वसूली नियमानुसार की जाएगी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में राजकीय अनुदान के सापेक्ष किए गए व्यय रु०160570.00 बिना बिल/वाउचर एवं वित्तीय नियमों के विरुद्ध व्यय करके धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती हसीना बेगम व सचिव श्री विजय सिंह से तातारीख ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रारूप- 04

जनपद- पीलीभीत।

जनपद- पीलीभीत।

मण्डल- बरेली

ग्राम पंचायतों से संबंधित आपत्तियाँ-

प्रस्तर सं 01- ग्राम पंचायत धनेगा विकास खंड पूरनपुर जनपद - पीलीभीत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आहरित की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गई। बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है -

मद	प्रिया साफ्ट अनुसार	बैंक स्टेटमेंट अनुसार
प्रा० अवशेष	3940405.00	533715.00
वर्ष में प्राप्त	415420.00	1353397.00
वर्ष में आहरित / व्यय	711650.00	993943.00
वर्षांत में अवशेष धनराशि	3644175.00	893169.00

इस प्रकार लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में आहरित / व्यय की गई धनराशि रु० 993943.00 के सापेक्ष बार बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कैश बुक, व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, बैंक स्टेटमेंट एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

बार- बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए। पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बिल वाउचर / व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन

मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है। अतः उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित व्यय की गई धनराशि रु 993943.00 गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती बेटी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीलाल बहादुर गंगवार से उ०प्र० पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 256 (क से ड) के प्रावधान अनुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा०आ०सं०- 01 ग्राम पंचा०- धनेगा वि०ख०- पूरनपुर वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 02- ग्राम पंचायत मंडा खुर्द कलां विकास खंड पूरनपुर जनपद- पीलीभीत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आहरित की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गई। बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है -

मद	प्रिया साफ्ट अनुसार	बैंक स्टेटमेंट अनुसार
प्रा० अवशेष	4971507.00	1755705.80
वर्ष में प्राप्त	-----	1486347.00
वर्ष में आहरित / व्यय	1319563.00	1745961.00
वर्षांत में अवशेष धनराशि	3651944.00	1496091.80

इस प्रकार लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में आहरित / व्यय की गई धनराशि रु 1745961.00 के सापेक्ष बार बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कैश बुक, व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, बैंक स्टेटमेंट एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

बार- बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए । पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बिल वाउचर / व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित व्यय की गई धनराशि रु 1745961.00 गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती कान्ति वर्मा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री लाल बहादुर गंगवार से उ०प्र० पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 256 (क से ड) के प्रावधानानुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा०आ०सं०- 01 ग्राम पंचा०- मंडा खुर्द कलां, वि०ख०- पूरनपुर, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 03- ग्राम पंचायत मंडाखुर्द कलां विकास खंड पूरनपुर जनपद पीलीभीत की वर्ष 2020-21 की मनरेगा योजना की लेखा परीक्षा एम आई एस फीडिंग पर अंकित व्यय के अनुसार व्यय की गई धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई। साइट पर एम आई एस फीडिंग का विवरण निम्न प्रकार से है-

मद	धनराशि(लाख रु मे)	मद	धनराशि (लाख रु मे)
श्रमांश	6.09	सामग्री	6.22
कुशल श्रमिक	01.34	टैक्स	0.52
		योग	14.17 लाख

उक्त विवरण अनुसार लेखा परीक्षा वर्ष मे व्यय की गई धनराशि की पुष्टि मे बार बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख यथा अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कैश बुक, व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, बैंक स्टेटमेंट एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

बार- बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री लाल बहादुर गंगवार के द्वारा अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गए ।

वित्त लेखा मैनुअल के चैप्टर 8 के पारा 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई बिल वाउचर/व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुये धन राशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किए जाने का प्रावधान है। अतः उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित व्यय की गई धनराशि रु 14.17 लाख गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती कान्ति वर्मा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री लाल बहादुर गंगवार तथा रोजगार सेवक से उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 (क से ड) के प्रावधान अनुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0- 02 ग्राम पंचा0- मढा खुर्द कलां, वि0ख0- पूरनपुर, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 04- ग्राम पंचायत गौरा विकास खंड पूरनपुर जनपद -पीलीभीत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आहरित की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गई । बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है -

मद	प्रिया साफ्ट अनुसार	बैंक स्टेटमेंट अनुसार
प्रा० अवशेष	4249268.00	1054006.80
वर्ष में प्राप्त	915420-00	2558841.00
वर्ष में आहरित / व्यय	2086453.00	2109619.00
वर्षांत में अवशेष धनराशि	3078235.00	1503228.80

इस प्रकार लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में आहरित / व्यय की गई धनराशि रु० 2109619.00 के सापेक्ष बार बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कैश बुक, व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, बैंक स्टेटमेंट एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

बार- बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए । पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बिल वाउचर / व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है। अतः उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित व्यय की गई धनराशि रु 2109619.00 गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती शीवा बेगम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीलाल बहादुर गंगवार से उ०प्र० पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 256 (क से ड)के प्रावधान अनुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0- 01 ग्राम पंचा0- गौरा, वि0ख0- पूरनपुर, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 05- ग्राम पंचायत गौरा विकास खंड पूरनपुर जनपद पीलीभीत की वर्ष 2020-21 की मनरेगा योजना की लेखा परीक्षा एम आई एस फीडिंग पर अंकित व्यय के अनुसार व्यय की गई धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई। साइट पर एम आई एस फीडिंग का विवरण निम्न प्रकार से है -

मद	धनराशि (लाख रु में)	मद	धनराशि(लाख रु में)
श्रमांश	15.41	सामग्री	12.15
कुशल श्रमिक	2.43	टैक्स	0.83
		योग	30.83

उक्त विवरण अनुसार लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय की गई धनराशि की पुष्टि में बार बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख यथा अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक-वित्तीय-तकनीकी स्वीकृत पंजिका, माप पुस्तिका, कैश बुक ,व्यय प्रमाणक, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए।

बार- बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री लाल बहादुर गंगवार के द्वारा अभिलेख उपलब्ध नहीं करे गए ।

वित्त लेखा मैनुअल के चैप्टर 8 के पारा 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई बिल वाउचर/व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुये धन राशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किए जाने का प्रावधान है। अतः उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित व्यय की गई धनराशि रु 30.83 लाख गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती शीवा बेगम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री लाल बहादुर गंगवार से उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 (क से ड) तक के प्रावधान अनुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0- 02 ग्राम पंचा0- गौरा, वि0ख0- पूरनपुर, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 06- ग्राम पंचायत वासुपुर विकास खंड पूरनपुर जनपद -पीलीभीत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आहरित की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गई। बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है -

मद	प्रिया साफ्ट अनुसार	बैंक स्टेटमेंट अनुसार
प्रा० अवशेष	2252878.00	102422.10
वर्ष में प्राप्त	315425.00	1113592.00
वर्ष में आहरित / व्यय	859409.00	699549.00
वर्षांत में अवशेष धनराशि	1708894.00	516465.10

इस प्रकार लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में आहरित / व्यय की गई धनराशि रु० 699549.00 के सापेक्ष बार बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वितीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कैश बुक, व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, बैंक स्टेटमेंट एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

बार- बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए। पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बिल वाउचर / व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है। अतः उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित व्यय की गई धनराशि रु 699549.00 गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सूरत जहां एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री लाल बहादुर गंगवार से उ०प्र० पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 256 (क से ड) के प्रावधान अनुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0- 01 ग्राम पंचा0- वासुपुर, वि0ख0- पूरनपुर, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 07- ग्राम पंचायत वासुपुर विकास खंड पूरनपुर जनपद पीलीभीत की वर्ष 2020-21 की मनरेगा योजना की लेखा परीक्षा एम आई एस फीडिंग पर अंकित व्यय के अनुसार व्यय की गई धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई। साइट पर एम आई एस फीडिंग का विवरण निम्न प्रकार से है -

मद	धनराशि(लाख रु में)	मद	धनराशि (लाख रु में)
श्रमांश	17.	सामग्री	-
कुशल श्रमिक	1.02	टैक्स	-
		योग	18.40

उक्त विवरण अनुसार लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय की गई धनराशि की पुष्टि में बार बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख यथा अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक-वितीय-तकनीकी स्वीकृत पंजिका, माप पुस्तिका, कैश बुक, व्यय प्रमाणक, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए।

बार- बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री लाल बहादुर गंगवार के द्वारा अभिलेख उपलब्ध नहीं करे गए।

वित्त लेखा मैनुअल के चैप्टर 8 के पारा 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई बिल वाउचर/व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुये धन राशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किए जाने का प्रावधान है। अतः उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित व्यय की गई धनराशि रु 18.40 लाख गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सूरत जहां एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री लाल बहादुर गंगवार एवं रोजगार सेवक से उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 (क से ड) तक के प्रावधान अनुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0- 02 ग्राम पंचा0- वासपुर, वि0ख0- पूरनपुर, 2020-21)

प्रस्तर सं 08- ग्राम पंचायत पंडरिया विकास खंड पूरनपुर जनपद – पीलीभीत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा उपलब्ध अभिलेख एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आहरित की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गई। लेखा परीक्षा में निम्न आपतियाँ निर्गत की गईं-

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में कार्य पत्रावली की जाँच में पाया की ग्राम पंचायत द्वारा मेसर्स राम श्री ट्रेडर्स मुरिया खेरा ओएल रोड लखीमपुर खीरी -मोबाइल नो 9984121074 से निम्न विवरण अनुसार स्ट्रीट लाइट क्रय की गई है। विवरण निम्न प्रकार से है -

बिल नंबर	दिनांक	संख्या	दर	धनराशि (रु में)
227	23-12-2020	20	4500.00	90000.00
228	23-12-2020	20	4500.00	90000.00
				योग 180000.00

जिसका लेखांकन कैश बुक में वाउचर नंबर 12 एवं 16 दिनांक 02-01-2021 पर किया गया है। भुगतान पी.एफ.एम.एस. नंबर 69/एफ.एफ.सी./2020-21/पी/5 एवं 70/एफ.एफ.सी./2020-21/पी/5 तथा बैंक अनुसार पी.एफ.एम.एस. आर 122004368209 , पी.एफ.एम.एस. आर. 122004368022 दिनांक 02-01-2021 क्रमशः रु 90000.00 एवं 90000.00 कुल रु 180000.00 का किया गया है।

उपरोक्त क्रय पर निम्न आपति की जाती है

निविदा/कुटेशन पत्रावली एवं कैम्पेरेजिन चार्ट अप्राप्त । बिल नंबर 228 पर फर्म के अधिकृत व्यक्ति एवं प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर नहीं। यह लाइटे कहां कहां लगी है की सूची अप्राप्त। कार्य पूर्ति एवं निरीक्षण रिपोर्ट अप्राप्त । ग्राम पंचायत में वैध विद्युत कनेक्शन है या नहीं का विवरण अप्राप्त । उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है की फर्म से साठ गाठ कर धन का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 (क से ड) तक के प्रावधान अनुसार ग्राम प्रधान श्री सत्य प्रकाश एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम प्रकाश मौर्या से तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0- 06 ग्राम पंचा0- पंडरिया, वि0ख0- पूरनपुर)

प्रस्तर सं 09- दिनांक 31-10-2020 में वाउचर संख्या 04/31-10-2020 पर सागर साइकिल स्टोर से रु 16500.00 में ठिलिया क्रय कैश बुक में अंकित है। क्रय से संबन्धित बिल अप्राप्त। जिसका भुगतान पी. एफ. एम. एस. के द्वारा वाउचर नं0 74/4वां एस.एफ.सी./2020-21/पी/4 दिनांक 29-10-2020 एवं पी.एफ.एम.एस.आर. 102001765447 दिनांक 31-10-2020 के द्वारा किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है की फर्म से साठ गाठ कर, फर्म को भुगतान दर्शा कर धन का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री सत्य प्रकाश एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम प्रकाश मौर्या से उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 (क से ड) तक के प्रावधान अनुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0- 07 ग्राम पंचा0- पंडरिया, वि0ख0- पूरनपुर)

प्रस्तर सं 10- ग्राम पंचायत द्वारा केंद्रीय वित्त के खाता संख्या 06970100034297 बैंक ऑफ बडौदा पूरनपुर से 31 मार्च 2021 तक कुल रु 316091.00 का आहरण किया गया है। जिसके व्यय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख

उपलब्ध नहीं कराया गया। अभिलेख कार्य योजना, कैश बुक, कार्यवाही पंजिका, प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति पंजिका, बिल/ वाउचर, माप पुस्तिका, मस्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, निरीक्षण पंजिका आदि। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पारा 8 (क) के अनुसार व्यय/आहरित की गई धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने पर व्यय /आहरित की गई धन राशि को गबन मानते हुये वसूली की कार्य वाही किए जाने का प्रावधान है। अतः उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 (क से ड) तक के प्रावधान अनुसार रु 316091.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री सत्य प्रकाश एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम प्रकाश मौर्या से तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0- 08 ग्राम पंचा0- पंडरिया, वि0ख0- पूरनपुर)

प्रस्तर सं 11- ग्राम पंचायत जटपुरा विकास खंड- पूरनपुर जनपद- पीलीभीत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा ग्राम निधि के खाता संख्या 0389000109060169 बैंक ऑफ बडौदा पूरनपुर एवं केन्द्रीय वित्त के खाता संख्या 0389000109174268 बैंक ऑफ बडौदा पूरनपुर के बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आहरित की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गई । बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है -

खाता संख्या कुल आहरण श्रीमती मंजु एवं श्री विजय कुमार श्री अजय देवल एवं विजय कुमार बैंक कटौती

केन्द्रीय वित्त	460428.40	295476.00	164917.00	35.40
ग्राम निधि	1230008.80	1186788.00	43150.00	70.80
योग	1690437.20	1482264.00	208067.00	106.20

इस प्रकार लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में आहरित / व्यय की गई धनराशि रु० 1690331.00 के सापेक्ष बार बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कैश बुक, व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, बैंक स्टेटमेंट एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

बार- बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए । पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बिल वाउचर / व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित व्यय की गई धनराशि रु 1690331.00 गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मंजु एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विजय कुमार एवं श्री अजय देवल ए डी ओ प० (प्रशासक) (जिला अधिकारी पीलीभीत महोदय के कार्यालय पत्रांक 4071/यो लि/2020-20 दिनांक 07-01-2021 के अनुपालन में) से उ०प्र० पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 256 (क से ड) के प्रावधान अनुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0- 01 ग्राम पंचा0- जटपुरा, वि0ख0- पूरनपुर)

प्रस्तर सं 12- ग्राम पंचायत डगा विकास खंड पूरनपुर जनपद- पीलीभीत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा बैंक ऑफ बडौदा शाखा पूरनपुर जनपद पीलीभीत से ग्राम निधि खाता संख्या 06970100020547 से रु. 642324.00 एवं केन्द्रीय वित्त खाता सं०- 069701000034326 से रु. 648912.00 आहरित किया गया है। आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है -

मद / खाता सं०	कुल आहरण	ग्राम प्रधान श्री पुष्कर सिंह राणा	गा० पं० अधि० श्री धर्मेन्द्र कुमार एवं श्री अजय देवल (प्रशासक)
ग्राम निधि	642324.00	552786.00	89538.00
केन्द्रीय वित्त	6489912.00	569293.00	79619.00
योग-	1291236.00	1122079.00	169157.00

लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में आहरित / व्यय की गई धनराशि रु० 1291236.00 के सापेक्ष रु. 169157.00 से संबन्धित अभिलेख ग्राम पंचायत अधिकारी श्री धर्मेन्द्र कुमार द्वारा उपलब्ध कराये गए। परंतु दिनांक 01-04-2020 से 31-12-2020 तक आहरित धनराशि रु 1122079.00 से संबन्धित अभिलेख ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पुष्कर सिंह राणा से बार बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कैश बुक, व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, बैंक स्टेटमेंट एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

बार- बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए । पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बिल वाउचर / व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित/ व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है। अतः उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित आहरित / व्यय की गई धनराशि रु 1122079.00 गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सकीना बेगम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पुष्कर सिंह राणा से उ०प्र० पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 256 (क से ड) के प्रावधान अनुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा०आ०सं०- 01 ग्राम पंचा०-डगा, वि०ख०- पूरनपुर)

प्रस्तर सं 13- ग्राम पंचायत केसरपुर कलाँ विकास खंड पूरनपुर जनपद -पीलीभीत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा बैंक ऑफ बडौदा शाखा पूरनपुर, पीलीभीत ग्राम निधि खाता संख्या 06970100020568 से आहरित की गई धनराशि रु 3215272.00 एवं बैंक ऑफ बरौदा शाखा पूरनपुर, पीलीभीत केन्द्रीय वित्त खाता संख्या 06970100034338 से आहरित धनराशि रु 1934355.00, कुल रु 51496627.00 के आधार पर संपन्न की गई । बैंक स्टेटमेंट एवं उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है -

खाता/मद	कुल धनराशि	ग्राम प्रधान एवं सचिव श्री लाल बहादुर गंगवार	सचिव श्री अजय कुमार एवं प्रशासक श्री अजय देवल
ग्राम निधि	3215272.00	2387154.00	828118.00
केन्द्रीय वित्त	1934355.00	1756114.00	178241.00
योग	5149627.00	4143268.00	1006359.00

इस प्रकार लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में आहरित / व्यय की गई धनराशि रु० 5149627.00 में से रु 1006359.00 से संबन्धित अभिलेख ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजय कुमार के द्वारा उपलब्ध कराये गए, परंतु रु 4143268.00 से संबन्धित अभिलेख ग्राम पंचायत अधिकारी श्री लाल बहादुर गंगवार के द्वारा बार बार मांगे जाने पर भी (मूल अभिलेख अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कैश बुक, व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, बैंक स्टेटमेंट एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र) लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

बार- बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए । पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बिल वाउचर / व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है। अतः उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित व्यय की गई धनराशि रु 4143268.00 गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रुखसाना एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीलाल बहादुर गंगवार से उ०प्र० पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 256 (क से ड) के प्रावधान अनुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा०आ०सं०- 01 ग्राम पंचा०-केसरपुर कलाँ, वि०ख०- पूरनपुर)

प्रस्तर सं 14- ग्राम पंचायत रम्पुरा फकीरे विकास खंड पूरनपुर जनपद -पीलीभीत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा बैंक ऑफ बडौदा शाखा पूरनपुर जनपद पीलीभीत से ग्राम निधि खाता संख्या 06970100020512 से रु 1353433.00 एवं बैंक ऑफ बडौदा शाखा पूरनपुर जनपद पीलीभीत से केन्द्रीय वित्त खाता संख्या 06970100034334 से रु 1046644.00 कुल रु 2400077.00 आहरित धनराशि के आधार पर की गई है। आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है -

खाता	कुल आहरण	ग्राम प्रधान एवं श्री हरवंश कुमार	ग्राम प्रधान एवं श्री अनिल कुमार	श्री अनिल कुमार एवं श्री अजय देवल
केन्द्रीय वित्त	1046644.00	-----	589718.00	456926.00
ग्राम निधि	1353433.00	8280.00	1215306.00	129847.00
योग	2400077.00	8280.00	1805024.00	586773.00

लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में आहरित / व्यय की गई धनराशि रु० 2400077.00 के सापेक्ष बार बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कैश बुक, व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, बैंक स्टेटमेंट एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

बार- बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए । पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बिल वाउचर / व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित/ व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है। अतः उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित आहरित /व्यय की गई धनराशि रु 2400077.00 गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री राज कुमार एवं पंचायत अधिकारी श्री हरवंश कुमार से रु 8280.00 , ग्राम प्रधान श्री राज कुमार एवं पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार से रु 1805024.00 तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार एवं प्रशासक श्री अजय देवल (ए डी ओ पं०) से रु 586773.00 कुल रु 2400077.00 उ०प्र० पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 256(क से ड) के प्रावधान अनुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा०आ०सं०- 01 ग्राम पंचा०-रम्पुरा फकीरे, वि०ख०- पूरनपुर)

प्रस्तर सं 15- ग्राम पंचायत उदय करन पुर विकास खंड पूरनपुर जनपद- पीलीभीत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा ग्राम निधि के खाता संख्या 06970100020510 बैंक ऑफ बडौदा पूरनपुर एवं केन्द्रीय वित्त के खाता संख्या 06970100034384 बैंक ऑफ बडौदा पूरनपुर के बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आहरित की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गई । बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है -

मद/खाता संख्या	कुल आहरण	ग्राम प्रधान एवं श्री हरवंश कुमार	ग्राम प्रधान एवं श्री अनिल कुमार	श्री अनिल कुमार एवं श्री अजय देवल ए डी ओ प०
केन्द्रीय वित्त	462690.00	-----	320932.00	141758.00
ग्राम निधि	423400.00	94526.00	176493.00	152381.00
योग	886090.00	94526.00	497425.00	294139.00

इस प्रकार लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में आहरित / व्यय की गई धनराशि रु० 886090.00 के सापेक्ष बार बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कैश बुक, व्यय प्रमाणक, मस्टररोल , बैंक स्टेटमेंट एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एवं सक्षम अधिकारी की सत्यापन रिपोर्ट आदि लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

बार- बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए । पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए

व्यय के संबंध में कोई बिल वाउचर / व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित आहरित/व्यय की गई धनराशि रु 886090.00 गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री लखविंदर सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री हरवंश कुमार से रु 94526.00 , प्रधान श्री लखविंदर सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार से रु 497425.00 तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार एवं प्रशासक श्री अजय देवल (ए डी ओ प0) से रु 294139.00 कुल रु 886090.00 से उ०प्र० पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 256 (क से ड) के प्रावधान अनुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0- 01 ग्राम पंचा0-उदय करनपुर वि0ख0- पूरनपुर)

प्रस्तर सं 16- ग्राम पंचायत- प्रसाद पुर विकास खंड पूरनपुर जनपद -पीलीभीत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा ग्राम निधि के खाता संख्या 06970100020511 बैंक ऑफ बडौदा पूरनपुर एवं केन्द्रीय वित्त के खाता संख्या 06970100034278 बैंक ऑफ बडौदा पूरनपुर के बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आहरित की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गई । बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है -

मद/खाता	संख्या	कुल आहरण	ग्राम प्रधान एवं श्री हरवंश कुमार	ग्राम प्रधान एवं श्री अनिल कुमार	श्री अनिल कुमार एवं श्री अजय देवल ए डी ओ प0
केन्द्रीय वित्त	568285.00	-----		366759.00	201526.00
ग्राम निधि	537209.00		13480.	366523.00	157206.00
योग	1105494.00		13480.00	733282.00	358732.00

इस प्रकार लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में आहरित / व्यय की गई धनराशि रु० 1105494.00 के सापेक्ष बार बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका , माँप पुस्तिका , कैश बुक , व्यय प्रमाणक , मस्टररोल , बैंक स्टेटमेंट एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एवं सक्षम अधिकारी की सत्यापन रिपोर्ट आदि लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

बार- बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए । पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बिल वाउचर / व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है। अतः उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित व्यय की गई धनराशि रु 1105494.00 गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री राम चंद्र लाल एवं प्रशासक श्री अजय देवल तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री हरवंश कुमार एवं श्री अनिल कुमार से उ०प्र० पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 256 (क से ड)के प्रावधान अनुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0- 01 ग्राम पंचा0-प्रसादपुर, वि0ख0- पूरनपुर)

प्रस्तर सं 17- ग्राम पंचायत महद खास विकास खंड पूरनपुर जनपद - पीलीभीत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा बैंक ऑफ बडौदा शाखा आसाम रोड पूरनपुर जनपद पीलीभीत से ग्राम निधि खाता संख्या 59760100000874 से रु 2818377.00 एवं बैंक ऑफ बडौदा शाखा पूरनपुर जनपद पीलीभीत से केन्द्रीय वित्त खाता संख्या 06970100034277 से रु 847009.00 से आहरित धनराशि के आधार पर की गई है। आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है -

खाता	कुल आहरण	ग्राम प्रधान एवं श्री हरवंश कुमार	ग्राम प्रधान एवं श्री अनिल कुमार	श्री अनिल कुमार एवं श्री अजय देवल
केन्द्रीय वित्त	847009.00	-----	473288.00	373721.00
ग्राम निधि	2818377.00	882727.0	1809579.00	126071.00
योग	3665386.00	882727.00	2282867.00	499792.00

लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में आहरित / व्यय की गई धनराशि रु० 3665386.00 के सापेक्ष बार बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका , मॉप पुस्तिका , कैश बुक , व्यय प्रमाणक , मस्टररोल , बैंक स्टेटमेंट एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र , लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

बार- बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए। पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बिल वाउचर / व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित/ व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है। अतः उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित आहरित /व्यय की गई धनराशि रु 3665386.00 गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री ओम प्रकाश एवं पंचायत अधिकारी श्री हरवंश कुमार से रु 882727.00 , ग्राम प्रधान श्री ओम प्रकाश एवं पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार से रु 2282867.00 तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार एवं प्रशासक श्री अजय देवल ए डी ओ प० से रु 499792.00 कुल रु 3665386.00 उ०प्र० पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 256 (क से ड) के प्रावधान अनुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा०आ०सं०- 01 ग्राम पंचा०-महद खास, वि०ख०- पूरनपुर)

प्रस्तर सं 18- ग्राम पंचायत सबलपुर मु० रम्पुरा फकीरे विकास खंड पूरनपुर जनपद-पीलीभीत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा ग्राम निधि के खाता संख्या 06970100020514 बैंक ऑफ बडौदा पूरनपुर एवं केन्द्रीय वित्त के खाता संख्या 06970100034299 बैंक ऑफ बडौदा पूरनपुर के बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आहरित की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गई। बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है -

	खाता संख्या कुल आहरण	ग्राम प्रधान एव	ग्राम प्रधान एवं	श्री अनिल कुमार एवं श्री
		श्री हरवंश कुमार	श्री अनिल कुमार	अजय देवल ए डी ओ प०
केन्द्रीय वित्त	20320.00	---	----	20320.00
ग्राम निधि	2977571.00	924085.00	1834344.00	219142.00
योग	2997891.00	924085.00	1834344.00	239462.00

इस प्रकार लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में आहरित / व्यय की गई धनराशि रु०2997891.00 के सापेक्ष बार बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका , मॉप पुस्तिका , कैश बुक , व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, बैंक स्टेटमेंट एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एवं सक्षम अधिकारी की सत्यापन रिपोर्ट आदि लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए ,

बार- बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए । पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बिल वाउचर / व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित आहरित/व्यय की गई धनराशि रु 2997891.00 गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती भाना देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री हरवंश कुमार से रु 924085.00, प्रधान श्रीमती भाना देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार से रु 1834344.00 तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार एवं प्रशासक श्री अजय देवल ए डी ओ प० से रु 239462.00 कुल रु 2997891.00 से उ०प्र० पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 256 (क से ड) के प्रावधान अनुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा०आ०सं०- 01 ग्राम पंचा०- सबलपुर मु० रम्पुरा फकीरे, वि०ख०- पूरनपुर)

प्रस्तर सं 19- ग्राम पंचायत दुर्जन पुर कलाँ विकास खंड पूरनपुर जनपद -पीलीभीत की लेखा परीक्षा वर्ष 20-21 में दिनांक 02-09-20 को पी.एफ.एम.एस. आर 082001081560 से रु 42000.00 का भुगतान ग्राम प्रधान को मानदेय तथा पुनः दिनांक 19-11-20 को पी.एफ.एम.एस. आर 112000993351 से रु 42000.00 का भुगतान ग्राम प्रधान को मानदेय का भुगतान क्रमशः वाउचर नंबर 100 एवं 109 से किया जाना कैश बुक में दर्शित पाया गया है। जिसकी पुष्टि में मानदेय पंजिका एवं भुगतान वाउचर उपलब्ध नहीं रहा। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के पारा 8 के अनुसार बैंक खाते से आहरित धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहने पर आहरित धनराशि को गबन मानते हुये वसूली किए जाने का प्रावधान है। अतः रु 84000.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती लक्ष्मी देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री के पी सिंह से उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 256 के अनुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0- 04 ग्राम पंचा0- दुर्जनपुर कलाँ, वि0ख0- पूरनपुर)

प्रस्तर सं 20- लेखा परीक्षा वर्ष 20-21 की उपलब्ध कैश बुक की जांच में पाया गया कि निम्न विवरण अनुसार बैंक से धनराशि आहरित की गई है परंतु उक्त भुगतान सामग्री क्रय / कार्य हेतु किसे किया गया है कैश बुक में अंकित नहीं किया गया है। केवल वाउचर नंबर एवं दिनांक ही अंकित किया गया है, विवरण निम्न प्रकार से है-

दिनांक	पी.एफ.एम.एस. नं0	धनराशि	वाउचर नंबर	दिनांक
03-08-20	पी.एफ.एम.एस. आर 072001298423	23881.00	96	03-08-20
03-08-20	पी.एफ.एम.एस. आर 072001299983	58776.00	97	03-08-20
05-10-20	पी.एफ.एम.एस. आर 102000128089	2000.00	104	05-10-20
01-12-20	पी.एफ.एम.एस. आर 112001912998	7500.00	113	01-12-20
योग		92157.00		

इस प्रकार उक्त विवरण से स्पष्ट है आहरित धन राशि किस उद्देश्य हेतु आहरित की गई थी अस्पष्ट रहा और न ही भुगतान वाउचर उपलब्ध रहा । वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के पारा 8 के अनुसार बैंक से आहरित धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहने पर आहरित धनराशि रु. 92157.00 को गबन मानते हुये वसूली किए जाने का प्रावधान है। अतः : पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 256 के प्रावधान अनुसार ग्राम प्रधान श्रीमती लक्ष्मी देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री के पी सिंह से तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0- 05 ग्राम पंचा0- दुर्जनपुर कलाँ, वि0ख0- पूरनपुर)

प्रस्तर सं 21- लेखा परीक्षा वर्ष 20-21 में कैश बुक की जांच में पाया गया कि निम्न विवरण अनुसार व्यय कैश बुक में दर्शित है, जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहा, विवरण निम्न प्रकार से है-

वाउचर नंबर	दिनांक	धनराशि (रु में)	लाभार्थी का नाम कैश बुक अनुसार
98	10-08-20	7740.00	अनीश कम्प्युटर
99	10-08-20	12400.00	महेश कुमार हैंड पम्प मरमत
102	21-09-20	5000.00	हैंड पम्प मरमत
121	24-12-20	6835.00	हैंड पम्प मरमत
योग		31975.00	

उक्त विवरणानुसार रु 31975.00 की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहा जिस कारण उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा । वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के पारा 8 के अनुसार बैंक से आहरित धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहने पर आहरित धनराशि को गबन मानते हुये वसूली किए जाने का प्रावधान है। अतः : रु 31975.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती लक्ष्मी देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री

के पी सिंह से उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 के प्रावधान अनुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0- 07 ग्राम पंचा0- दुर्जनपुर कलां, वि0ख0- पूरनपुर)

प्रस्तर सं 22- वर्ष 20-21 की ग्राम पंचायत में पत्रावलियों की जाँच में पाया गया कि मस्टररोल अनुसार कार्य माह जून एवं जुलाई 20 में कराया जाना दर्शाया गया है, जबकि अवर अभियंता द्वारा कार्य की माप दिनांक 12-02-20 में कर, माप पुस्तिका में दर्ज की गई है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

क्र०सं०	कार्य का नाम	स्टीमेट				सामग्री क्रय			अभ्युक्ति
		सामग्री	श्रमांश	योग	फर्म का नाम	कार्य का बिल/दिनांक	वाउचर नंबर/दिनांक कैश बुक अनुसार	योग	
1	ओमकार के घर से शंकर के घर तक नाली	81739.81	29733.83	111473.64	हुसैनी सीमेंट स्टोर	33/02-06-20	34/17-07-20	33455.00	1- कार्य की एम.बी. जे.ई. पृष्ठ सं 65 पर 12-02-20 में ही कर दी गई है 2- जे.ई. द्वारा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र भी निर्गत किया गया है
					बरकाती ब्रिक फील्ड	181/02-06-20	42/17-08-20	40048.00	
					मिस्त्री 38 X 350	20-06-20/29-06-20	30, 35, 38/17-07-20	13300.00	
					MR	20-06-20/29-06-20	37, 39, 49/17-07-20	13600.00	
					योग			100403.00	
2	ओमकार के घर से शंकर के घर तक खडंजा	104804.53	49480.99	154285.52	बरकाती ब्रिक फील्ड	180/02-06-20	10/17-07-20	102256.00	1- कार्य की एम.बी. जे.ई. द्वारा पृष्ठ सं 62, 63 पर 12-02-20 में ही कर दी गई है 2- जे.ई. द्वारा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र भी निर्गत किया गया है
					निशाद खां मिटटी	रसीद	15/17-07-20	26307.00	
					राज मिस्त्री 3 X 350	20-06-20/29-06-20	2, 4, 51/17-07-20	10500.00	
					एम.आर.	20-06-20/29-06-20	30/17-07-20	11200.00	
					योग			150263.00	
3	ओमप्रकाश के घर से हरिशंकर के घर	83725.43	34525.41	118250.84 R/O 118300.00	बरकाती ब्रिक फील्ड	182/02-06-20	36/17-07-20	79841.00	1- कार्य की एम.बी. जे.ई. द्वारा पृष्ठ सं 65, 66 पर 12-02-20 में ही कर दी गई है
					निशाद खां मिटटी	रसीद /	29/17-07-20	15415.00	

	तक खंडजा कार्य					रसीद			2- जे.ई. द्वारा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र भी निर्गत किया गया है
					राज मिस्त्री 25 X 350	01-07- 20/ 09-07- 20	8, 40/ 17-07-20	875.00	
					एम.आर.	01-07- 20 09-07- 20	22, 23, 24/ 17-07-20	8600.00	
					योग			112606.00	
4	ओमप्रकाश के घर से हरिशंकर के घर तक नाली निर्माण	118769.16	410180.10	159787.26 R/O 159800.00	हुसैनी सीमेंट स्टोर	34/ 02-06- 20	45/ 17-07-20	54294.00	1- एम. बी. जे.ई. द्वारा दिनांक 12-02-20 में पृष्ठ सं- 66 एवं 67पर की गई है, जो कि संभव नहीं है 2- जे.ई. द्वारा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र भी निर्गत किया गया है
					बरकातीब्रिक फील्ड	183/ 02-06- 20	05/ 17-07-20	58230.00	
					राज मिस्त्री 4 X 11 X 350	01-07- 20/ 11-07- 20	11, 18, 28, 31, 43/ 17-07-20	15400.00	
					एम.आर.	01-07- 20/ 11-07- 20	48/ 17-07-20	19800.00	
					योग			147724.00	

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि क्रम संख्या 01 से 04 तक कुल ₹ 510996.00 का व्यय किया गया है। कार्य पूर्ण दर्शाये जाने से पहले ही एम.बी. अवर अभियन्ता द्वारा की गई है जो कि सम्भव ही नहीं है। कार्यालय आयुक्त (एपेक्स ट0ए0सी0) ग्राम्य विकास उ0प्र0 के कार्यालय पत्रांक 1001/मु0प्र0प0/एतसम/ग्रा0वि0टी0सी0 सर्कुलर लखनऊ दिनांक- 21 सितम्बर 2008 के प्रस्तर 2:5:9 (1) अ में वर्णित व्यवस्था अनुसार आडिटमें प्रकाश में आई शासकीय क्षति की वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम प्रधान एवं कार्य की माप करने वाले अवर अभियन्ता में से प्रत्येक से समभाग में किये जाने का प्रावधान है। अतः ₹ 510996.00 की वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री के0पी0 सिंह, ग्राम प्रधान श्रीमती लक्ष्मी देवी तथा अवर अभियन्ता श्री सालिग राम (जे.ई.आर.ई.डी.) से समभाग में उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली- 1947 के नियम संख्या- 256 के प्रावधान अनुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0- 17 ग्राम पंचा0- दुर्जनपुर कलां, वि0ख0- पूरनपुर)

प्रस्तर सं 23- ग्राम पंचायत दुर्जनपुरकलां की वर्ष 20-21 की लेखा परीक्षा में निर्माण पत्रावलियोंकी जाँच में निम्न आपत्तियां पाई गई । विवरण निम्न प्रकार से है -

क्र०स ०	कार्य का नाम	स्टीमेट			सामग्री क्रय				अभ्युक्ति
		साम ग्री	श्रमां श	योग	फर्म का नाम	कार्य का बिल / दिनां क	वाउचर नंबर/ दिनांककह कैश बुक अनुसार	योग	

1	पातीराम के घर से गंगाधर के घर तक इंटरलॉ किंग कार्य 55 मी०	203039.35	45910.57	248949.92 आर./ओ. 248950.00	राज पाइप इंडस्ट्रीज	372/ 02- 02- 20	70/ 23-07-20	163830. 00	1- सामग्री क्रय कार्य फरवरी एवं मार्च 20 में क्रय किया जाना दर्शित है 2- एम.बी. वर्ष दिनांक 22-06-20 में प्रष्टसं60, 61 पर की गई है 3-मस्टररोल एवं राज मिस्त्री के भुगतान पन्नो पर कार्य अवधि एवं हस्ताक्षर नहीं । इस प्रकार यह अपुष्ट रहा कि कार्य कब कराया गया। 4- सामग्री क्रय के बाद कार्य कराया गया तो एम.बी. देरी से क्यों ? अगर कार्य बाद में कराया गया तो सामग्री की सुरक्षा
					बरकातीब्रिक	156/ 25- 02- 20	58/ 23-07-20	16546.0 0	
					सिंह &कंपनी	50, 82, 83/ 03-0- 20	63/ 23-07-20	19809.0 0	
					नौसाद मिट्टी	रसीद	86/ 23-07-20	14500.0 0	
					राज मिस्त्री	रसीद	76, 85/ 23-07-20	10500.0 0	
					एम.आर.	तिथि अंकि त नहीं	81, 84/ 23-07-20	14378.0 0	
					योग			239563. 00	

									हेतु क्या प्रबंध किया 5- एम.बी. अनुसार सामग्री 200186.00 श्रमांश4319 5.00 परन्तु उपलब्ध बिल अनुसार सामग्री क्रय 214685.00 अंतर रूपये14499.00 की वसूली हेतु जे.ई. को लिखना चाहिए था , जो नहीं किया गया
2	मंजीत के खेत से गुरेंद्र के घर तक इंटरलॉ किंग कार्य 50 x 4 मी०	203455.01	45994.34	249449.35 आर./ओ. 249500.00	बाबा इकोत्तर नाथ	51/26-06-20	61/23-07-20	32089.00	1.एम.आर. पर तिथि एवं श्रमिको के हस्ताक्षर नहीं। 2. एम.बी. 28.06.20 में की गई है। जबकि राजमिस्त्री एवं श्रमिकों द्वारा अधिकतम 11 एवं 15 दिन कार्य किया है
					राज पाइप	15/26-06-20	83/23-07-20	129487.00	
					सावरीब्रिक फील्ड	15/29-06-20	64/23-07-20	33195.00	
					मै० नौशादमिट टी	रसीद	55/23-07-20	9000.00	
					पल्लू मिस्त्री 10 X 350	रसीद	65/23-07-20	3500.00	
					सोनपाल 7 X 350	रसीद	68/23-07-20	2450.00	
					ओम शर्मा 7 X 350	रसीद	54/23-07-20	2450.00	
					सत्यपाल 11 X 350	रसीद		3850.00	

					एम.आर.	तिथि अंकित नहीं	61/ 23-07-20	22600.0 0	3.कार्य पूर्ण होने के पहले ही एम.बी. पृष्ठ सं0 70, 71 पर की गई है। 4. एम.बी. अनुसार सामग्री 195094 तथा क्रय 216021उत्तर 20927.00 का उल्लेख श्रम द्वारा नहीं किया गया है। 5.उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि फर्मों से सांठ-गांठ कर, मनमाने ढंग से अभिलेख तैयार कर धन का अपहरण अतः वसूली।
					योग			238621.00	
3	गोल्डी के घर से चरनजी त के घर तक इंटरलॉ	192862.76	43921.20	236783.96 R/O 236800.00	सावरीब्रिक फील्ड	14/ 26- 06- 20	90/ 27-07-20	30208.0 0	1.बाबा इकोत्तरफर्म का बिल उपलब्ध नहीं।
					राज पाइप इंडस्ट्रीज	14/ 26- 06- 20	93/ 27-07-20	123080.00	
					नौशादमिट टी	रसीद	95/ 27-07-20	9000.00	2.मिस्री के वाउचर एवं

	किंग कार्य 45 X 4 मी०				मिस्त्री 2 X 7 X 350	रसीद	94/ 27-07-20	4900.00	एम०आर० पर हस्ताक्षर नहीं। 3.एम०बी० 28.06.20 में की गई है, पृष्ठ सं० 72 ₹ 73 पेड की गई है। 4.सामग्री क्रय 20.06.20 से किया गया है। जबकि मिस्त्री द्वारा 07 एवं 10 दिन तथा लेवर द्वारा 11, 13, एवं 10 दिन तथा लेवर द्वारा 11, 13 एवं 15 दिन कार्य किया गया है परन्तु जे०ई०द्वारा एम०बी० 28.06.20 में की गई है। स्पष्ट है कि जे०ई० द्वारा कार्य समापन से पहले ही एम०बी० की गई है।
					मिस्त्री 2 X 10 X 350	रसीद	89/ 27-07-20	7000.00	
					एम.आर.	तिथि अंकित नहीं	89, 92, 94/ 27-07-20	20800.0 0	
					बाबा इकोत्तर नाथ	-	91/ 27-07-20	29834.0 0	
					योग			224822. 00	
4		460 56.	203 638	249 694	राज पाइप	371/	53/ 23-07-20	166136. 92	

						02-02-20			1. सामग्री क्रय फरवरी एवं मार्च-20 में किया गया है।
					सावरीब्रिक फील्ड	263/20-02-20	60/23-07-20	18049.00	2.एम0बी0 22.06.20 में की गई, जिसके अनुसार श्रमांश 43790.00 सामग्री 203138.00
					सिंह एंड कंपनी	4892 / 24-02-20 5878 / 02-03-20	78/ 2/ 23-07-20 78/1/ 23-07-20	13080.00 7140.00	3.सामग्री क्रय 219405.00 अतः 16267.00 की वसूली हेतु जे0ई0 को लिखना चाहिए था। उन्होने ऐसा नहीं किया।
					मिटटी	रसीद	80/ 23-07-20	15000.00	4.एम0आर0 एवं मिस्त्री की रसीदों पर किसी के भी हस्ताक्षर नहीं।
					मिस्त्री वाउचर	रसीद	56, 62, 71/ 23-07-20	14000.00	5.कार्य कब कराया गया अपुष्ट रहा। एम0आर0 पर तिथि का उल्लेख नहीं।
					एम.आर.	तिथि अंकित नहीं		14742.00	6.सामग्री की सुरक्षा हेतु क्या
	केशरी के घर से पातीराम के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य 65 मी०				योग			248147.00	

									किया गया अस्पष्ट रहा।

इस प्रकार उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि क्रम सं०- 01 से 04 तक कुल ₹ 951153.00 का व्यय दर्शाया गया है, जिन पर अंकित आपत्तियों के आलोक में स्पष्ट करना है कि कार्यों की मॉप करने वाले अवर अभियन्ता श्री सालिग राम (जे.ई.आर.ई.डी.) ने अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी०ए०सी०) ग्राम विकास उ०प्र० के कार्यालय पत्रांक 1001/मु०प्रा०प०/एत.सप./ग्रा०वि०टी०सी०/सर्कुलर लखनऊ ₹ 951153.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती लक्ष्मी देवी, ग्राम पंचायत अधिकारी श्री के०पी० सिंह तथा अवर अभियन्ता श्री सालिग राम (जे.ई.आर.ई.डी.) से उ०प्र० पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम सं०- 256 के प्रावधान अनुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा०आ०सं०-18, ग्राम पंचा०- दुर्जनपुर कलां, वि०ख०- पूरनपुर)

प्रस्तर सं 24- ग्राम पंचायत मुजफ्फर नगर विकास खंड पूरनपुर जनपद -पीलीभीत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा ग्राम निधि के खाता संख्या 06970100020559 बैंक ऑफ बडौदा पूरनपुर एवं केन्द्रीय वित्त के खाता संख्या 06970100034361 बैंक ऑफ बडौदा पूरनपुर के बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आहरित की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गई। बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है -

खाता	कुल आहरण	ग्राम प्रधान श्रीमती पुष्पा देवी एवं ग्राम श्री राम प्रकाश मौर्या एवं पंचायत अधिकारी श्री राम प्रकाश मौर्या श्री अजय देवल एडीओ प०
केन्द्रीय वित्त	786722.00	341862.00 444860.00
ग्राम निधि	958690.00	933391.00 25299.00
योग	1745412.00	1275253.00 470159.00

इस प्रकार लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में आहरित / व्यय की गई धनराशि रु० 1745412.00 के सापेक्ष बार बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कैश बुक, व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, बैंक स्टेटमेंट एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एवं सक्षम अधिकारी की सत्यापन रिपोर्ट आदि लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

बार- बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए। पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बिल वाउचर / व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित व्यय की गई धनराशि रु 1745412.00 गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती पुष्पा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम प्रकाश मौर्या से रु 1275253.00 तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम प्रकाश मौर्या एवं प्रशासक श्री अजय देवल सहायक विकास अधिकारी पंचायत से रु 470159.00 कुल रु 1745412.00 उ०प्र० पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 256(क से ड) के प्रावधान अनुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा०आ०सं०-18, ग्राम पंचा०- मुजफ्फरनगर, वि०ख०- पूरनपुर, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 25- ग्राम पंचायत पिपरिया संतोष विकास खंड पूरनपुर जनपद -पीलीभीत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा बैंक ऑफ बडौदा शाखा पूरनपुर जनपद पीलीभीत से ग्राम निधि खाता संख्या 06970100020549 से रु 1517485.00 एवं बैंक ऑफ बडौदा शाखा पूरनपुर जनपद पीलीभीत से केन्द्रीय वित्त खाता संख्या 06970100034326.00 से रु 713945.00 का आहरण किया गया है। आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है -

खाता	कुल आहरण	ग्राम प्रधान श्रीमती संतोषी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पुष्कर सिंह
ग्राम निधि	1517485.00	1517485.00
केन्द्रीय वित्त	713945.00	713945.00

लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में आहरित / व्यय की गई धनराशि रु० 2231430.00 के सापेक्ष बार बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कैश बुक, व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, बैंक स्टेटमेंट एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

बार- बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए। पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बिल वाउचर / व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित/ व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है। अतः उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित आहरित / व्यय की गई धनराशि रु 2231430.00 गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती संतोषी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पुष्कर सिंह राणा से उ०प्र० पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 256 (क से ड) के प्रावधान अनुसार तात्तरीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा०आ०सं०-01, ग्राम पंचा०- पिपरिया संतोष, वि०ख०- पूरनपुर, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 26- ग्राम पंचायत पिपरिया मझरा विकास खंड पूरनपुर जनपद -पीलीभीत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा केन्द्रीय वित्त के खाता संख्या 06970100034328 बैंक ऑफ बडौदा शाखा पूरनपुर से आहरित धनराशि रु 667348.00 एवं ग्राम निधि के खाता संख्या 06970100020569 बैंक ऑफ बडौदा शाखा पूरनपुर जनपद पीलीभीत से आहरित धनराशि रु 789213.00, कुल रु 1456561.00 बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आहरित की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गई विवरण निम्न प्रकार से है -

खाता	कुल आहरण	ग्राम प्रधान एवं प्रवीण मौर्य	श्री राजा राम एवं प्रशासक
केन्द्रीय वित्त	667348.00	341983.00	325365.00
ग्राम निधि	789213.00	789213.00	---
योग	1456561.00	1131196.00	325365.00

लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में आहरित / व्यय की गई धनराशि रु० 1456561.00 के सापेक्ष बार बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कैश बुक, व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, बैंक स्टेटमेंट एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एवं सक्षम अधिकारी की सत्यापन रिपोर्ट आदि लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

बार- बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए। पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बिल वाउचर / व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित व्यय की गई धनराशि रु 1456561.00 गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती नरेंद्र कौर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रवीण मौर्य से रु 1131196.00 तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजा राम एवं प्रशासक श्री अजय देवल ए डी ओ प० से रु 325365.00 कुल रु 1456561.00, उ०प्र० पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 256 (क से ड) के प्रावधान अनुसार तात्तरीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा०आ०सं०-01, ग्राम पंचा०- पिपरिया मझरा, वि०ख०- पूरनपुर, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 27- ग्राम पंचायत किशनपुर हरीपुर विकास खंड पूरनपुर जनपद -पीलीभीत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा उपलब्ध अभिलेख एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आहरित की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गई। लेखा परीक्षा में निम्न आपत्तियाँ निर्गत की गई -

1. ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराई गई कैश बुक (जिस पर ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं) की जांच में पाया गया कि केन्द्रीय वित्त के खाता संख्या 06970100034341 बैंक ऑफ बडौदा पूरनपुर जनपद पीलीभीत से आहरित कर कैश बुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया , विवरण निम्न प्रकार से है -

क्रम संख्या	दिनांक	धनराशि	कैश बुक में फ़र्म का नाम	विवरण / कार्य
वाउचर नंबर				
01	19-10-2020	5250.00	01 अनीस कम्प्युटर	फीडिंग आदि पर व्यय
02	19-10-2020	113280.00	02 माँ ट्रेडिंग एंड कन्स्ट्रक्शन	काया कल्प कार्य
03	14-12-2020	69436.00	03 गोल्डन ब्रिक फील्ड	नाली निर्माण कार्य
04	14-12-2020	3000.00	04 वाउचर वावत मिस्त्री	नाली खडंजा निर्माण कार्य
05	14-12-2020	3000.00	04 वाउचर वावत मिस्त्री	नाली खडंजा निर्माण कार्य
06	14-12-2020	2200.00	04 वाउचर वावत मिस्त्री	नाली खडंजा निर्माण कार्य
07	14-12-2020	3000.00	04 वाउचर वावत मिस्त्री	नाली खडंजा निर्माण कार्य
08	14-12-2020	3000.00	04 वाउचर वावत मिस्त्री	नाली खडंजा निर्माण कार्य
योग 202166.00				

इस प्रकार कुल व्यय /आहरण रु 202166.00 के व्यय की पुष्टि में कोई भी वाउचर/व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया । जबकि वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पारा 8 (क) के अनुसार बैंक खाते से आहरित धनराशि के व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहने पर आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुये ,वसूली किए जाने का प्रावधान है। अतःउत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 के प्रावधान अनुसार रु 202166.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री राम आसरे एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री के. पी. सिंह से तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही। (सा0आ0सं0-01, ग्राम पंचा0- किशनपुर हरीपुर, वि0ख0- पूरनपुर, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 28- ग्राम पंचायत कजरी निरंजन पुर विकास खंड पूरनपुर जनपद-पीलीभीत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट एवं दिनांक 13-02-2021 से उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार आहरित की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गई। ग्राम निधि खाता संख्या 06970100020589 बैंक ऑफ बडौदा पूरनपुर शाखा पीलीभीत से रु 426429.00 एवं केन्द्रीय वित्त खाता संख्या 06970100034310 बैंक ऑफ बडौदा शाखा पूरनपुर पीलीभीत से रु 545105.00 का आहरण किया गया है , जिसका विवरण निम्न प्रकार से है -

खाता कुल आहरण ग्रामप्रधान श्रीमती मनदीप कौर ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजय कुमार
 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री एवं प्रशासक श्री अजय देवल एडीओ प0
 लाल बहादुर गंगवार

ग्राम निधि	426429.00	426429.00	शून्य
केन्द्रीय वित्त	545105.00	335457.00	209648.00
योग	971534.00	761886.00	209648.00

लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में आहरित / व्यय की गई धनराशि रु० 971534.00 के सापेक्ष बार बार मांगे जाने पर भी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री लाल बहादुर गंगवार द्वारा अहरित धनराशि रु 761886.00 मूल अभिलेख अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कैश बुक, व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, बैंक स्टेटमेंट एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए, जबकि ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजय कुमार के कार्यकाल से संबन्धित अभिलेख उपलब्ध (रु 209648.00) रहे ।

बार- बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए । पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बिल वाउचर / व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को

गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है। अतः उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित व्यय की गई धनराशि रु 761886.00 गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मनदीप कौर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीलाल बहादुर गंगवार से उ०प्र० पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 256 (क से ड) के प्रावधान अनुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0-01, ग्राम पंचा0- कजरी निरंजनपुर, वि0ख0- पूरनपुर, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 29- ग्राम पंचायत निजामपुर उर्फ लाह विकास खंड पूरनपुर जनपद -पीलीभीत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा अभिलेखों के आधार पर संपन्न की गई। लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में अभिलेखों की जांच में पाया गया कि निम्न विवरण अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा व्यय कैश बुक में दर्शाया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है -

क्रम संख्या	कैश बुक में वाउचर नंबर	धनराशि	कार्य का नाम	फर्म का नाम
01	01 / 27-07-20	2466.00	निविदा सूचना	जानना मण्डल लिमिटेड
02	02 /10-08-2020	5580.00	कार्य योजना फीडिंग	अनीस कम्प्युटर
03	03/10-08-2020	9300.00	हैंड पम्प मरम्मत कार्य	महेश कुमार मिश्री
04	04/28-08-2020	960.00	फोटो स्टेट पर व्यय	अदनान कम्प्युटर
05	06/10-09-2020	4520.00	हैंड पम्प मरम्मत कार्य	-----
06	09/23-12-2020	7555.00	शौचालय मरम्मत कार्य	-----
	योग	30381.00		

उपरोक्त व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे जिस कारण दर्शित व्यय अपुष्ट रहे। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पारा 8-क के अनुसार बैंक से आहरित धन के व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहने पर धन राशि को गबन मानते हुये धनराशि को वसूल किए जाने का प्रावधान है जिसकी वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 256 के प्रावधान अनुसार ग्राम प्रधान श्री सिया राम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री के पी सिंह से तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0-01, ग्राम पंचा0- निजामपुर उर्फ लाह, वि0ख0- पूरनपुर, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 30- ग्राम पंचायत खिरकिया बरगद- ईया विकास खंड पूरनपुर जनपद -पीलीभीत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा बैंक ऑफ बडौदा शाखा चँदिया हजारा जनपद पीलीभीत से ग्राम निधि खाता संख्या 4504100006975 से रु 321960.00 एवं बैंक ऑफ बडौदा शाखा चँदिया हजारा जनपद पीलीभीत से केन्द्रीय वित्त खाता संख्या 45040100007510 से रु 284144.00 आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है -

खाता	कुल आहरण	ग्राम प्रधान श्री लललन एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विजय कुमार
ग्राम निधि	321960.00	321960.00
केन्द्रीय वित्त	284144.00	284144.00
योग	606104.00	606104.00

लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में आहरित / व्यय की गई धनराशि रु० 606104.00 के सापेक्ष बार बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कैश बुक, व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, बैंक स्टेटमेंट एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

बार- बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए। पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बिल वाउचर / व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित/ व्यय की गई

धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित आहरित / व्यय की गई धनराशि रु 606104.00 गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री लललन एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विजय कुमार से उ०प्र० पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 256 (क से ड) के प्रावधान अनुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा०आ०सं०-०१, ग्राम पंचा०- खिरकिया बरगदिया, वि०ख०- पूरनपुर, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 31- ग्राम पंचायत चँदिया हजारा विकास खंड पूरनपुर जनपद -पीलीभीत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा केन्द्रीय वित्त के खाता संख्या 0910000101144821 पंजाब नेशनल बैंक शाखा शेरपुर कलाँ से आहरित धनराशि रु 690701.40 एवं ग्राम निधि के खाता संख्या 0910000100056963 पंजाब नेशनल बैंक शाखा शेरपुर कलाँ जनपद पीलीभीत से आहरित धनराशि रु 3702749.00 , कुल रु 4393450.40 बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आहरित की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गई विवरण निम्न प्रकार से है -

खाता	कुल आहरण	ग्राम प्रधान एवं श्री विजय कुमार	श्री विजय कुमार एवं प्रशासक
केन्द्रीय वित्त	690701.40	509443.70	181257.70
ग्राम निधि	3702749.00	3032186.00	670563.00
योग	4393450.40	3541629.70	851820.70

लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में आहरित / व्यय की गई धनराशि रु० 4393450.40 के सापेक्ष बार बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कैश बुक, व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, बैंक स्टेटमेंट एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

बार- बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए । पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बिल वाउचर / व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है। अतः उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित व्यय की गई धनराशि रु 4393450.40 गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती हरजिन्दर कौर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विजय कुमार से रु 3541629.70 तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विजय कुमार एवं प्रशासक श्री अजय देवल (ए डी ओ प०) से रु 851820.70 कुल रु 4393450.40 उ०प्र० पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 256 (क से ड) के प्रावधान अनुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा०आ०सं०-०१, ग्राम पंचा०- चँदिया हजारा, वि०ख०- पूरनपुर, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 32- ग्राम पंचायत रायपुर बिचपुरी विकास खंड पूरनपुर जनपद -पीलीभीत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आहरित की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गई । बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है -

मद	प्रिया साफ्ट अनुसार	बैंक स्टेटमेंट अनुसार
प्रा० अवशेष	3184274.00	744144.80
वर्ष में प्राप्त	715425.00	2352326.00
वर्ष में आहरित / व्यय	1468592.00	1495652.00
वर्षांत में अवशेष धनराशि	2431107.00	1600818.00

इस प्रकार लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में बैंक ऑफ बडौदा शाखा पूरनपुर खाता संख्या 06970100020523 ग्राम निधि से आहरित / व्यय की गई धनराशि रु० 950395.00 एवं बैंक ऑफ बडौदा शाखा पूरनपुर खाता संख्या 06970100034331 केन्द्रीय वित्त से आहरित / व्यय की गई धनराशि रु० 545257.00 कुल रु 1495652.00 के सापेक्ष बार बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कैश बुक, व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, बैंक स्टेटमेंट एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

बार- बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए। पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बिल वाउचर / व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित व्यय की गई धनराशि रु 1495652.00 गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती तौहीद फातमा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीलाल बहादुर गंगवार से उ०प्र० पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 256 (क से ड)के प्रावधान अनुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा०आ०सं०-०१, ग्राम पंचा०- रायपुर बिचपुरी, वि०ख०- पूरनपुर, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 33- ग्राम पंचायत जगतपुर विकास खंड पूरनपुर जनपद -पीलीभीत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा ग्राम निधि के खाता संख्या 06970100020542 बैंक ऑफ बडौदा शाखा पूरनपुर पीलीभीत एवं केन्द्रीय वित्त के खाता संख्या 06970100034298 बैंक ऑफ बडौदा शाखा पूरनपुर तथा खाता संख्या 06970100030298 बैंक ऑफ बडौदा शाखा पूरनपुर पीलीभीत के बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आहरित की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गई। बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है -

खाता	कुल आहरण	ग्राम प्रधान श्री रामपाल सिंह एवं ग्राम पंचायत श्री लाल बहादुर गंगवार
ग्राम निधि	559526.00	559526.00
केन्द्रीय वित्त	शून्य	शून्य
योग	559526.00	559526.00

इस प्रकार लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में आहरित / व्यय की गई धनराशि रु० 559526.00 के सापेक्ष बार बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कैश बुक, व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, बैंक स्टेटमेंट एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

बार- बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए। पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बिल वाउचर / व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है। अतः उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित व्यय की गई धनराशि रु 559526.00 गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री राम पाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीलाल बहादुर गंगवार से उ०प्र० पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 256 (क से ड)के प्रावधान अनुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा०आ०सं०-०१, ग्राम पंचा०- जगतपुर, वि०ख०- पूरनपुर, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 34- ग्राम पंचायत बलराम पुर विकास खंड पूरनपुर जनपद -पीलीभीतकी वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा ग्राम निधि के खाता संख्या 06970100020584 बैंक ऑफ बडौदा पूरनपुर एवं केन्द्रीय वित्त के खाता संख्या 06970100034390 बैंक ऑफ बडौदा पूरनपुर के बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आहरित की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गई । बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है -

खाता संख्या	कुल आहरण	श्री प्रवीण मौर्य /श्री सियाराम	श्री अजय देवल/श्री राजा राम	बैंक कटौती
केन्द्रीय वित्त	613425.00	396026.00	217399.00	निल
ग्राम निधि	618857.00	485499.00	133358.00	निल
योग	1232282.00	881525 .00	350757.00	निल

इस प्रकार लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में आहरित / व्यय की गई धनराशि रु० 1232282.00 के सापेक्ष बार बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कैश बुक, व्यय प्रमाणक , मस्टररोल , बैंक स्टेटमेंट एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र , लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

बार- बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए । पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बिल वाउचर / व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है। अतः उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित व्यय की गई धनराशि रु 1232282.00 गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री सिया राम एवं श्री अजय देवल ए डी ओ प० (प्रशासक) (जिला अधिकारी पीलीभीत महोदय के कार्यालय पत्रांक 4071/यो लि/2020-20 दिनांक 07-01-2021 के अनुपालन मे) तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रवीण मौर्य एवं श्री राजा राम से उ०प्र० पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 256 (क से ड)के प्रावधान अनुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा०आ०सं०-01, ग्राम पंचा०- बलरामपुर, वि०ख०- पूरनपुर, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 35- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विकास कार्य डी.ए.वी.टी.ए.आई.एल.

योजना अंतर्गत कराये हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार से है -

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्टीमेट अनुसार			स्टीमेट तैयार कर्ता का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति	वित्तीय स्वीकृति	तकनीकी स्वीकृति	कार्य आई.डी. संख्या	वाउचर्स के अनुसार						मनरेगा अनुसार			
		श्रमांश	सामग्री	योग						सामग्री क्रय केश बुक में दर्ज वाउचर्स के अनुसार	धनराशि	राजमिस्त्री को भुगतान की अवधि	धनराशि	कुल व्यय	माप करने वाले अधिकारी का नाम व दिनांक	एम.आर.नं० व दि०	कार्य प्रा० तिथि व कार्य समाप्ति तिथि	धनराशि	माप कर्ता का नाम एवं दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	सेवा राम के घर से स्वामी दयाल के घर तक इंटरलॉ किंग कार्य 37 मी०	454 26. 33	181 165. 28	226 591. 61	अवर अभियंता श्री सालिक राम	02/2 5.06. 20	3856/म नरेगा/20 20-21 16.12.2 020	08/2 020- 21 30.0 6.20 20	226/ आर. सी./-- -- 1542 76	79, 84, 85 एवं 117	1849 21.0 0	16.0 7.22 30.0 7.22	168 00.0 0	2017 21.0 0	अवर अभियंता श्री सालिक राम 25.0 7.22	347 62 21- 12- 20 12- 03- 01- 21	21- 12- 20 03- 01- 21	249 24.0 0	दान सिंह राना टी.ए.
2	रामानन्द अवस्थी के घर से अमरेन्द्र दीक्षित के घर तक खड्डजा व नाली निर्माण 39 X 3.10 मी०	354 10. 16	930 80.5 4	128 490. 70	अवर अभियंता श्री सालिक राम	84 15.0 4.20 20	3620/म नरेगा/20 20-21 23.10.2 0	09/2 020- 21 05.0 4.20	226/ आर. सी./--- - 4284 5	132 , 135 , 147	9436 6.00	22.0 8.20 20 31.0 8.20	136 00.0 0	1079 66.0 0	अवर अभियंता श्री सालिक राम अंकित नहीं	335 29 01.1 2.20	04.1 2.20 17.1 2.20	178 89.0 0	भगबन सिंह टी.ए.
3	रामनिवास मिश्रा के घर से राम भजन के घर तक इंटरलॉ किंग व नाली निर्माण 28.60 मी	519 26. 15	196 905. 51	248 831. 72	अवर अभियंता श्री सालिक राम	06 25.0 6.20 20	3862/म नरेगा/20 20-21 16- 12.202 0	12/2 020- 21 30.0 6.20 20	226/ आर. सी./-- -- 1543 08	95, 97, 90, 115	1993 24.0 0	01.0 8.20 20 15.0 8.20 20	212 00.0 0	2205 24.0 0	अवर अभियंता श्री सालिक राम 25.0 7.20 20	360 88, 86 08.0 1.20 20	09.0 1.20 20 1.20 21	287 43.0 0	शालधन प्रसाद टी.ए. 28.0 1.20 21

4	केश कुमार सिंह के घर से शिव राम सिंह के घर तक मिटटी व खडंजा कार्य 40 x 3.5 मी०	192 25. 91	466 23.5 7	658 49.4 8	अवर अभियं ता श्री सालि क राम	64 15.0 4.20 20	3619/म नरेगा/20 20-21 23.10.2 020	07/2 020- 21 05.0 4.20 20	226/ आर. सी./-- -- 4284 8	131 , 141	4941 8.00	16.0 8.20 20 27.0 8.20 20	480 0.00	5421 8.00	अवर अभि यंता श्री सालि क राम अंकि त नहीं	337 27 08.1 2.20 20	08.1 2.20 20 21.1 2.20 20	100 50.0 0	भगब न सिंह टी.ए. 22.1 2.20 20
5	सी० सी० रोड से सुषमा के घर तक मिटटी खडंजा निर्माण कार्य 101 मी०	362 38. 19	878 78.8 6	124 117. 00	अवर अभियं ता श्री सालि क राम	83 15.0 4.20 20	3621/म नरेगा/20 20-21 23.10.2 020	08/2 020- 21 05.0 4.20 20	226/ आर. सी./-- -- 1395 44	153 , 149	9223 1.00	10.0 8.20 20 21.0 8.20 20	920 0.00	1014 31.0 0	अवर अभि यंता श्री सालि क राम अंकि त नहीं	335 27 04.1 2.20 20	04.1 2.20 17.1 2.20 20	178 89.0 0	भगब न सिंह टी.ए.
6	प्यारे लाल के घर से उमाशं कर के घर तक इंटरलॉ किंग निर्माण कार्य	486 00. 64	194 729. 80	243 330. 49	अवर अभियं ता श्री सालि क राम	01 25.0 6.20 20	3857/म नरेगा/20 20-21 16.12.2 020	07/2 020- 21 30.0 6.20 20	226/ आर. सी./-- -- 5426 5	96, 88, 87, 77	1982 16.0 0	01.0 7.20 20 15.0 7.20 20	180 00.0 0	2162 16.0 0	अवर अभि यंता श्री सालि क राम 25.0 7.20 20	347 75, 76 22.1 2.20 20	22.1 2.20 04.0 1.20 21	277 38.0 0	दान सिंह राना टी.ए. 05.0 1.20 20
7	पंचायत घर सवाल पुर खास के प्रांगन में इंटरलॉ किंग कार्य	405 95. 00	187 433. 00	228 088. 00	अवर अभियं ता श्री सालि क राम	-	3860/म नरेगा/20 20-21 16.12.2 020	09/2 020- 21 03.1 0.20 20	226/ आर. सी./-- -- 1542 94	189 , 192 , 191 , 188	1841 93.0 0	01.1 0.20 20 15.1 0.20 20	200 00.0 0	2041 93.0 0	अवर अभि यंता श्री सालि क राम 11.1 0.20 20	348 353 6 23.1 2.20 20	23.1 2.20 05.0 1.20 21	194 97.0 0	दान सिंह राना टी.ए. 06.0 1.20 21
8	शिव स्वरूप शुक्ल के घर से निरंजन के घर तक नाली, मिटटी , खडंजा. 93 मी० 90 मी०	478 63. 89	149 492. 88	197 356. 77	अवर अभियं ता श्री सालि क राम	16 15.0 4.20 20	4342/म नरेगा/20 20-21 27.01.2 020	179 16.1 1.20 19	226/ आर. सी./-- -- 0612 57	160 , 151 , 161 ,	5924 4.00	21.0 8.20 20 30.0 8.20 20	760 0.00	6684 4.00	अवर अभि यंता श्री सालि क राम 12.0 8.20 20	347 63 21.1 2.20 20	21.1 2.20 03.0 1.20 21	120 60.0 0	दान सिंह राना टी.ए. 04.1 0.20 20

9	पंचायत घर से मेन रोड नाला तक नाली, मिट्टी, खड्डजा, कार्य	206 46. 97	616 87.7 3	823 34.7 0	अवर अभियंता श्री सालि क राम	13 15.0 4.20 20	3622/म नरेगा/20 20-21 23.10.2 020	11 05.1 0.20 20	226/ आर. सी./-- -- 1395 40	146 , 135 ,	6038 1.00	01.0 9.20 20 08.0 9.20 20	960 0.00	6998 1.00	अवर अभियंता श्री सालि क राम	335 24 04.1 2.20 20	04.1 2.20 17.1 2.20 20	964 8.00	दान सिंह राना टी.ए.
1 0	पंचायत घर से तालाब तक मिट्टी, खड्डजा कार्य	218 93. 17	530 91.7 7	749 84.9 4	अवर अभियंता श्री सालि क राम	-	3623/म नरेगा/20 20-21 23.10.2 020	10 05.0 4.20 20	226/ आर. सी./-- -- 4208 6	127 , 123	5495 6.00	10.0 9.20 20 16.0 9.20 20	560 0.00	6055 6.00	अवर अभियंता श्री सालि क राम	338 53 11.1 2.20 20	09.1 2.20 22.1 2.20 20	102 51.0 0	दान सिंह राना टी.ए. 23.1 2.20 20
1 1	काली चरन शुक्ला के घर से कृष्ण पाल सिंह के घर तक खड्डजा निर्माण कार्य 85 मी०	477 60. 15	115 820. 17	163 280. 32	अवर अभियंता श्री सालि क राम	29 15.0 4.20 20	3513/म नरेगा/20 20-21 06.10.2 020	05 05.0 4.20 20	226/ आर. सी./-- -- 4221 6	134 , 124	1229 21.0 0	05.0 8.20 20 14.0 8.20 20	120 00.0 0	1349 21.0 0	अवर अभियंता श्री सालि क राम अंकि त नहीं	337 25.2 6 08.1 2.20 20	08.1 2.20 21.1 2.20 20	253 26.0 0	दान सिंह राना टी.ए. 22.1 2.20 20
1 2	शिव पूजन मंदिर से मदन के घर तक मिट्टीई टारलॉ किंग कार्य	499 45. 24	190 195. 32	240 140. 56	अवर अभियंता श्री सालि क राम	05 25.0 6.20 20	3864/म नरेगा/20 20-21 16.12.2 020	11 30.0 6.20 20	226/ आर. सी./-- -- 1543 16	82, 92, 93, 113	1922 41.0 0	01.0 7.20 20 15.0 7.20 20	204 00.0 0	2126 41.0 0	अवर अभियंता श्री सालि क राम	361 20.2 1 08.0 1.20 21	09.0 1.20 21 22.0 1.20 21	275 37.0 0	दान सिंह राना टी.ए. 12.0 1.20 20
1 3	देवेन्द्र प्रकाश के घर से दिवाकर मिश्रा के बंगले तक इंटरलॉ किंग निर्माण कार्य 28 मी०	521 19. 32	197 781. 40	249 900. 72	अवर अभियंता श्री सालि क राम	04 25.0 6.20 20	3854/म नरेगा/20 20-21 16.12.2 020	04 03.1 0.20 20	226/ आर. सी./-- -- 1542 70	91, 86, 78, 122	2009 07.0 0	01.0 7.20 20 15.0 7.20 20	212 00.0 0	2221 07.0 0	अवर अभियंता श्री सालि क राम	357 73.7 4 05.0 1.20 21	06.0 1.20 21 19.0 1.20 21	285 42.0 0	दान सिंह राना टी.ए. 05.0 1.20 20

1	वीरन्द्र	456	181	226	अवर	-	3857/म	09/2	226/	81,	1842	01.0	172	2014	अवर	348	23.1	257	दान
4	के घर	13.	018.	632.	अभियं		नरेगा/20	020-	आर.	94,	01.0	7.20	00.0	01.0	अभि	33,3	2.20	28.0	सिंह
	से	33	87	20	ता श्री		20-21	21	सी./-	83,	0	20	0	0	यंता	4	20	0	राना
	हाकिम				सालि		16.12.2	30.0	--	89		15.0			श्री	23.1	05.0		टी.ए.
	के				क राम		020	6.20	1542			7.20			सालि	2.20	1.20		06.0
	गोंडा							20	72			20			क	20	21		1.20
	तक														राम				20
	इंटरलॉ														25.0				
	किंग														7.20				
	निर्माण														20				
	कार्य																		
	21मी०																		
योग											1877		197	2074				285	
											520.		200.	520.				822.	
											00		00	00				00	
महा योग											2360542.00								

उपरोक्त विवरण के आधार पर निम्न आपत्तियां अंकित की जाती हैं -

- 1- तालिका में अंकित समस्त कार्य डवटेल पद्धति से पूर्ण कराया जाना दर्शाया गया है। तालिका के क्रमांक 01 व 03 पर अंकित कार्य का मापांकन अवर अभियंता श्री सालिग राम द्वारा, दिनांक 25-07-2020 में किया जाना माप पुस्तिका के पृष्ठ संख्या क्रमशः 40 एवं 01 पर दर्शित है। जबकि इन कार्यों में प्रयुक्त राज मिस्त्री के मस्टररोलों अनुसार राज मिस्त्री द्वारा 16-07-2020 से 30-07-2020 तथा 01-08-2020 से 15-08-2020 तक कार्य किया जाना दर्शाया गया है। इसी प्रकार क्रमांक- 07, 08, 09 एवं 10 पर अंकित कार्यों का मापांकन अवर अभियंता द्वारा क्रमशः 11.10.2020 तथा 12.08.2020 में माप पुस्तिका के पृष्ठ संख्या क्रमशः 76, 53, 50, 52 पर किया जाना दर्शित है। परन्तु उपरोक्त कार्यों की पत्रावली में संलग्न मस्टररोल अनुसार राज मिस्त्री द्वारा कार्य क्रमशः दिनांक 01.10.2020 से 15.10.2020, 21.08.2020 से 30.08.2020, 01.09.2020 से 08.09.2020 तथा 10.09.2020 से 16.09.2020 में कार्य किया जाना दर्शित है। शेष कार्यों में अवर अभियंता द्वारा मापांकन की तिथि अंकित नहीं की गई है।
- 2- अवर अभियंता द्वारा अंकित की गई माप में श्रमांश एवं सामग्री दोनों को अंकित किया गया है।
- 3- उपरोक्त सभी कार्यों की पत्रावलियों अनुसार श्रमांश के भुगतान हेतु प्रथम से वित्तीय स्वीकृति ली गई है तथा मस्टररोलमनरेगा योजना से निर्गत कराये गए हैं। मनरेगा से निर्गत मस्टररोलों में जो कार्य अवधि अंकित है वह राज मिस्त्री के द्वारा कार्य करने की अवधि से भिन्न है।
- 4- इस प्रकार उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि जिन तिथियों में राज मिस्त्री द्वारा कार्य किया जाना दर्शाया गया है। वह तिथियाँ मजदूरों द्वारा कार्य करने की अवधि से भिन्न है। अर्थात् जिन तिथियों में राज मिस्त्री द्वारा कार्य किया गया है उन तिथियों में मजदूरों द्वारा कार्य नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में कार्य पूर्ण कैसे हो गए अर्थात् उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि अवर अभियंता एवं तकनीकी सहायकों द्वारा बिना कार्य स्थल पर गए ही मापांकन अंकित किया गया है अर्थात् कार्य कराये ही नहीं गए हैं।
- 5- उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि अवर अभियंता श्री सालिग राम एवं तकनीकी सहायकों द्वारा अपने पदीयदायित्यों का निर्वहन नहीं किया गया है। तथा ग्राम पंचायत द्वारा फर्मों से सांठ गाँठ कर, मनमाने ढंग से पत्रावली तैयार कर रुपये 2360542.00 का अपहरण किया गया है।
- 6- कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी० ए० सी०) ग्राम्य विकास उ० प्र० के आदेश संख्या - 1001/मु.प्रा.प./एतसम /ग्रा.वि.टी.सी./सर्कुलर लखनऊ दिनांक 21 सितम्बर 2008 के प्रस्तर संख्या 2:5:9 (1)अ के अनुसार शासकीय क्षति की वसूली ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी एवं माप करने वाले अवर अभियंता / तकनीकी सहायक प्रत्येक से 33:33:33 (समभाग) प्रतिशत में किये जाने का प्रावधान है।

अतः रुपये 2360542.00 में से रुपये 2074720.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रेखा देवी, ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम प्रकाश मौर्य तथा अवर अभियंता श्री सालिग राम से समभाग में तथा रुपये 285822.00 की वसूली ग्राम

प्रधान श्रीमती रेखा देवी, ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम प्रकाश मौर्या , रोजगार सेवक तथा तकनीकी सहायकों से पंचायती राज नियमावली -1947 के नियम संख्या 256 (क से ड) के प्रावधान अनुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही। रु 285822.00 का विवरण निम्न प्रकार से है -

क) ग्राम प्रधान श्रीमती रेखा देवी	71455.50
ख) श्री दान सिंह, तकनीकी सहायक	27486.75
ग) ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम प्रकाश मौर्या	71455.50
घ) भगवान् सिंह, तकनीकी सहायक	22763.25
ड) शत्रुघ्न प्रसाद, तकनीकी सहायक	21205.50
च) रोजगार सेवक	71455.50

योग

285822.00

(सा0आ0सं0-01, ग्राम पंचा0- सबलपुर खास, वि0ख0- पूरनपुर, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 36- ग्राम पंचायत अभयपुर ज जगतपुर विकास खंड पूरनपुर जनपद -पीलीभीत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा ग्राम निधि के खाता संख्या 0389000109060178 पंजाब नेशनल बैंक पूरनपुर से आहरित धनराशि रु 1896237.00 एवं केंद्रीय वित्त आयोग के खाता संख्या 0389000109174240 पंजाब नेशनल बैंक पूरनपुर से आहरित रु 722752.00 कुल धन राशि रु 2618989.00 आहरित / व्यय की गई है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है

मद	कुल आहरण	प्रधान एवं सचिव	सचिव एवं प्रशासक
ग्राम निधि	1896237.00	1475235.00	421002.00
केंद्रीय वित्त	722752.00	478366.00	244386.00
योग	2618989.00	1953601.00	665288.00

इस प्रकार उक्त आहरण के सापेक्ष बार बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कैश बुक, व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, बैंक स्टेटमेंट एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

बार- बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए । पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बिल वाउचर / व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी एवं प्रशासक से किये जाने का प्रावधान है। अतः उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित व्यय की गई धनराशि रु 2618989.00 गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री अनुपम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विजय कुमार से रु 1953601.00 तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विजय कुमार एवं प्रशासक श्री अजय देवल एडीओ पंचायत से रु 665288.00 उ०प्र० पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 256 (क से ड) के प्रावधान अनुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0-01, ग्राम पंचा0- अभयपुर जा0 जगतपुर, वि0ख0- पूरनपुर, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 37- ग्राम पंचायत ग्रांट नं 21 उर्फ ढक्का चाट विकास खंड पूरनपुर जनपद -पीलीभीत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा ग्राम निधि के खाता संख्या 0910000100056954 पंजाब नेशनल बैंक शेरपुर कलाँ से आहत धनराशि रु 1996266.00 एवं केंद्रीय वित्त आयोग के खाता संख्या 0910000101144830 पंजाब नेशनल बैंक शेरपुर कलाँ से आहरित रु 1326328.00 कुल धन राशि रु 3322594.00 आहरित / व्यय की गई है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है

मद	कुल आहरण	प्रधान एवं सचिव	सचिव एवं प्रशासक
ग्राम निधि	1996266.00	1565727.00	430539.00
केंद्रीय वित्त	1326328.00	852965.00	473363.00
योग	3322594.00	2418692.00	903902.00

इस प्रकार उक्त आहरण के सापेक्ष बार बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कैश बुक, व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, बैंक स्टेटमेंट एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

बार-बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए। पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बिल वाउचर / व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी एवं प्रशासक से किये जाने का प्रावधान है। अतः उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित व्यय की गई धनराशि रु 3322594.00 गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुखविंदर कौर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विजय कुमार से रु 2418692.00 तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विजय कुमार एवं प्रशासक श्री अजय देवल एडीओ पंचायत से रु 903902.00 उ०प्र० पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 256 (क से ड) के प्रावधान अनुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा०आ०सं०-01, ग्राम पंचा०- ग्रान्ट न०- 21 उर्फ ढका चाट, वि०ख०- पूरनपुर, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 38- ग्राम पंचायत- शेर पुर कलाँ विकास खंड पूरनपुर जनपद -पीलीभीत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि के खाता संख्या 0910000100057087 पंजाब नेशनल बैंक शेरपुर कलाँ से आहरित धनराशि रु 14293127.10 एवं केंद्रीय वित्त आयोग के खाता संख्या 0910000101144885 पंजाब नेशनल बैंक शेरपुर कलाँ से आहरित रु 1052193.00 कुल धन राशि रु 15345320.10 आहरित / व्यय की गई है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है

मद	कुल आहरण	प्रधान एवं सचिव	सचिव एवं प्रशासक
ग्राम निधि	14293127.10	9266533.10	5026594.00
केंद्रीय वित्त	1052193.00	---	1052193.00
योग	15345320.10	9266533.10	6078787.00

इस प्रकार उक्त आहरण के सापेक्ष बार बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कैश बुक, व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, बैंक स्टेटमेंट एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

बार-बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए। पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बिल वाउचर / व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी एवं प्रशासक से किये जाने का प्रावधान है। अतः उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित व्यय की गई धनराशि रु 15345320.10 गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती नाजिया खानम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विजय कुमार से रु 9266533.10 तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विजय कुमार एवं प्रशासक श्री अजय देवल एडीओ पंचायत से रु 6078787.00 उ०प्र० पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 256 (क से ड) के प्रावधान अनुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा०आ०सं०-01, ग्राम पंचा०- शेरपुर कलाँ, वि०ख०- पूरनपुर, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 39- ग्राम पंचायत टांडा विकास खंड पूरनपुर जनपद –पीलीभीतकी वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा ग्राम निधि के खाता संख्या 06970100020565 बैंक ऑफ बडौदा पूरनपुर एवं केन्द्रीय वित्त के खाता संख्या 06970100034383 बैंक ऑफ बडौदा पूरनपुर के बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आहरित की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गई । बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है –

खाता संख्या	कुल आहरण	श्री प्रवीण मौर्य /श्रीधर्म पाल	श्री अजय देवल/श्री राजा राम
केन्द्रीय वित्त	1004516.00	807931.00	196585.00
ग्राम निधि	4088840.40	3923840.40	165000.00
योग	5093356.40	4731771.40	361585.00

इस प्रकार लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में आहरित / व्यय की गई धनराशि रु० 5093356.40 के सापेक्ष बार बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कैश बुक, व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, बैंक स्टेटमेंट एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

बार- बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए । पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बिल वाउचर / व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है। अतः उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित व्यय की गई धनराशि रु 5093356.40 गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री धर्म पाल एवं श्री अजय देवल ए डी ओ प० (प्रशासक) (जिला अधिकारी पीलीभीत महोदय के कार्यालय पत्रांक 4071/यो लि/2020-21 दिनांक 07-01-2021 के अनुपालन में) तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रवीण मौर्य एवं श्री राजा राम से उ०प्र० पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 256 (क से ड)के प्रावधान अनुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा०आ०सं०-01, ग्राम पंचा०- टांडा, वि०ख०- पूरनपुर, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 40- ग्राम पंचायत रामपुरा कोन विकास खंड पूरनपुर जनपद – पीलीभीत की वर्ष 2020- 21 की लेखा परीक्षा उपलब्ध अभिलेख एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आहरित की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गई। लेखा परीक्षा में निम्न आपत्तियाँ निर्गत की गई —

(1) लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में मेसर्स राम श्री टूडर्स, मुरिया खेरा ऑयल रोड लखीमपुर खीरी से निम्न विवरण अनुसार स्ट्रीट लाइट क्रय किया जाना दर्शाया गया है। विवरण निम्न प्रकार से है

फर्म का बिल न०/दिनांक	धनराशि	पीएफएमएस नंबर	कैश बुक में वाउचर न	धनराशि	विवरण
226 /23-12-2020 सहित	67500.00	4306760.00	104 /02-01-2021	67500.00	स्ट्रीट लाइट 15 लगवाई
225 /23-02-2020 सहित	90000.00	4334933.00	95/02-01-2021	90000.00	स्ट्रीट लाइट 20 लगवाई
224/23-12-2020 सहित	90000.00	4313228.00	107/02-01-2021	90000.00	स्ट्रीट लाइट 20 लगवाई
योग-	247500.00			247500.00	

उपरोक्त विवरण के अनुसार कुल 55 स्ट्रीट लाइट कुल रु 247500.00 में क्रय की गई है। उपरोक्त क्रय हेतु मेसर्स राम श्री डूडर्स, मुरिया खेरा ऑयल रोड लखीमपुर खीरी, हिन्द सोलर इंटर प्राइजेस बरखेरा पीलीभीत एवं नोएडा सोलर सिस्टम बी ब्लॉक रजेंदर नगर ललहपुर गोला खीरी से कोटेशन ली गई जो सादा है अन्य आपत्तियाँ निम्न प्रकार से हैं-

(1) अनुमोदित कार्य योजना प्रस्ताव पंजिका क्रय आदेश कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, स्ट्रीट लाइट लगाये गए स्थलों की सूची सक्षम अधिकारी का भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि उपलब्ध नहीं रहे।

(2) सामग्री क्रय संबंधी नियमों का पालन नहीं किया गया है। कुटेशन फॉर्म सादा है। कोम्पेरिसन चार्ट तैयार नहीं किया गया है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि फर्म से साठ गाठ कर मनमाने ढंग से क्रय दर्शा कर धन का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 क से ड के प्रावधानों के अनुसार ब्याज सहित ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम प्रकाश मौर्य एवं ग्राम प्रधान श्री इंदर पल से की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-19, ग्राम पंचा0- रम्पुरा कोन, वि0ख0- पूरनपुर, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 41- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में राम किशन के घर से बगिया तक 96 मीटर नाला निर्माण कार्य कराया जाना कैश बुक में दर्शित है। जिस से संबंधित अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका उपलब्ध नहीं रहे। उपलब्ध अभिलेखों पर प्रशासनिक स्वकृति संख्या 15 दिनांक 22-04-2020 एवं तकनीकी स्वकृति संख्या 098402 02/2020-21 दिनांक 20-07-2020 अंकित पाया गया पुष्टि में कोई भी पंजिका उपलब्ध नहीं कराई गई।

उपरोक्त कार्य हेतु क्रय की गई सामग्री का विवरण निम्न प्रकार से है

फर्म का बिल नं. / दिनांक	धनराशि	पीएफएमएस नं.	कैश बुक में बाउचर न.	धनराशि	विवरण
693/03.07.20	45548.00	आर 082000923860	04/ 31.08.20	45548.00	सीमेन्ट 99 बैग मोरंग
706/ 03.07.20	30278.00	आर 082000994560	15/ 31.08.20	30278.00	मोरंग,रेता, बजरी आदि
36/ 07.08.20	74613.00	आर 082000922990	13/ 31.08.20	74613.00	ईट प्रथम श्रेणी
मस्टर रोल	50126.00	बाउचर क्रमांक	1,3,5,7,10, 22, 24, 26 से 31	50126.00	
योग-	200565.00	-		200565.00	

उपरोक्त कार्य पर निम्न आपत्ति निर्गत की जा रही है

1- अनुमोदित कार्य योजना प्रस्ताव पंजिका, प्रशासनिक / वित्तीय/तकनीकी स्वकृति पंजिका उपलब्ध नहीं रही

(2)- सामग्री आपूर्ति आदेश एम.एम. -11, स्टॉक पंजिका अप्राप्त।

(3)- उपरोक्त कार्य की माप अवर अभियंता द्वारा दिनांक 02-07-2020 में की गई है। जो संलग्न माप पंजिका पेज संख्या 47 48 पर अंकित है। जब सामग्री ही 03-07-2020 से क्रय की जानी दर्शित है तब दिनांक 02-07-2020 में कार्य पूर्ण कैसे हो गया जिसकी माप अवर अभियंता द्वारा की गई।

(4)- संलग्न मास्टर रोल पर तिथि का उल्लेख नहीं किया गया है। मास्टर रोल में दर्शित राज / मजदूरी को दिनांक

31-08-2020 से 10-09-2020 तक भुगतान किया गया है।

(5)- नियमतः अवर अभियंता द्वारा समस्त बिल, मास्टर रोल पर माप पंजिका का पेज संख्या एवं माप पंजिका पर फर्म के बिल नंबर तथा मास्टर रोल के अनुसार तिथि का उल्लेख किए जाने का प्रावधान है जो नहीं

किया गया है।

उपरोक्त विवरण से साफ है की फर्मों से साठ गाठ कर धन का अपहरण किया गया है। अतः उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 (क से ड) तक के प्रावधान अनुसार कुल रु 200565.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री इंदर पल ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम प्रकाश मौर्य एवं अवर अभियंता श्री सलिन रम (कार्यालय आयुक्त अपेक्स टी ए सी) ग्राम विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय पत्रांक - 1001 / मु० प्रा० प० (एट्सप) ग्रा०वि० टी० सी० / सर्कुलर दिनांक 21-09-2020 की जानी अपेक्षित है ।

(सा०आ०सं०-20, ग्राम पंचा०- रम्पुरा कोन, वि०ख०- पूरनपुर, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 42- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 मे प्राथमिक विधालय रम्पुरा कोन मे टाइल निर्माण कार्य कराया जाना कैश बुक मे दर्शित है । जिसका प्राक्कलन रु. 227350.00 का तैयार कराया गया है। प्रशासनिक स्वकृति संख्या 05 दिनांक 22-04-2020 तकनीक स्वकृति संख्या 01/2020-21 दिनांक 20-07-2020 उपलब्ध अभिलेखो पर अंकित है। पंजिकाए उपलब्ध नहीं । उपरोक्त कार्य पर निम्न सामग्री क्रय किया जाना दर्शित है

फर्म का बिल नं० / दिनांक	धनराशि	पीएफएमएस नं.	कैश बुक मे बाउचर न.	धनराशि	विवरण
705/ 03.07.20	31704.00	आर 0822000923732	16/ 31.08.20	31704.00	टाइल्स
701/ 03.07.20	14451.00	आर 082000924460	09/ 31.08.20	14451.00	टाइल्स
698/ 03.07.20	48593.00	आर 082000926575	19/ 31.08.20	48593.00	टाइल्स
694/ 03.07.20	48279.00	आर 082000979330	02/ 31.08.20	48279.00	टाइल्स
35/ 07.08.20	8259.00	आर 08200980755	18/ 31.08.20	8259.00	रोडा
373/ 07.08.20	16800.00	आर 08200980272	16/ 31.08.20	16800.00	दरवाजे
मस्टर रोल	28400.00		बाउचर नं. 8, 11, 12, 14, 17 राज मिस्त्री	28400.00	21.07.20 से 04.08.20
योग-	196486.00			196486.00	

1- अनुमोदित कार्य योजना प्रस्ताव पंजिका, प्रशासनिक / वित्तीय / तकनीकी स्वकृति पंजिका उपलब्ध नहीं रही।

(2) सामग्री आपूर्ति आदेश एम.एम, -11, स्टॉक पंजिका अप्राप्त ।

(3) उपरोक्त कार्य की माप अवर अभियंता द्वारा दिनांक 02-07-2020 में की गई है। जो संलग्न माप पंजिका पेज संख्या 48 से 50 पर अंकित है। जब सामग्री ही 03-07-2020 से क्रय की जानी दर्शित है तब दिनांक 02-07-2020 में कार्य पूर्ण कैसे हो गया जिसकी माप अवर अभियंता द्वारा की गई ।

(4) संलग्न मास्टर रोल 21-07-2020 से 04-08-2020 का उल्लेख किया गया है। मास्टर रोल मे केवल राज मिस्त्री को ही दिनांक 21-07-2020 से 04-08-2020 तक भुगतान किया गया है। बिना मजदूर कार्य कैसे सम्पन्न हो गया ।

(5) नियमतः अवर अभियंता द्वारा समस्त बिल, मास्टर रोल पर माप पंजिका का पेज संख्या एवं माप पंजिका पर फर्म के बिल नंबर तथा मास्टर रोल के अनुसार तिथि का उल्लेख किए जाने का प्रावधान है जो नहीं किया गया है।

उपरोक्त विवरण से साफ है की फर्मों से साठ गाठ कर धन का अपहरण किया गया है। अतः उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 (क से ड) तक के प्रावधान अनुसार कुल रु. 196486.00 की

वसूली ग्राम प्रधान श्री इंदर पल, ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम प्रकाश मौर्य एवं अवर अभियंता श्री सलिंग रम (कार्यालय आयुक्त अपेक्स टी ए सी) ग्राम विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय पत्रांक - 1001 / मु० प्रा० प० (एटसप) ग्रा० वि० टी० सी० / सर्कुलर दिनांक 21-09-2020 की जानी अपेक्षित है ।

(सा०आ०सं०-21, ग्राम पंचा०- रम्पुरा कोन, वि०ख०- पूरनपुर, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 43- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में मेसर्स सागर साइकिल स्टोर से रु 16500.00 में साफ सफाई कार्य हेतु ठिलिया क्रय किया जाना दर्शित है। कैश बुक में जिसका लेखांकन वाउचर संख्या 53 दिनांक 31-10-2020 पर किया गया है तथा भुगतान पी.एफ.एम.एस. नंबर आर. 102001764593 दिनांक 31-10-2020 से किया गया है। उक्त क्रय से संबन्धित क्रय आदेश प्रस्ताव पंजिका स्टॉक पंजिका फर्म का बिल आदि उपलब्ध नहीं रहा। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पारा 8 (क) के अनुसार व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष बिल वाउचर उपलब्ध नहीं कराये जाने पर व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुये वसूली किए जाने का प्रावधान है। अतः उक्त प्रावधान के अनुसार रु. 16500.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री इन्द्रपाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम प्रकाश मौर्य से उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 (क से ड) के प्रावधानानुसार ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-22, ग्राम पंचा०- रम्पुरा कोन, वि०ख०- पूरनपुर, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 44- ग्राम पंचायत- जादोपुर गहलुइया विकास खंड- माधोटांडा/पूरनपुर, जनपद -पीलीभीत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा ग्राम निधि (राज्य वित्त) बैंक खाता संख्या - 06970100020489 बी०ओ०बी० शाखा -पूरनपुर एवं केन्द्रीय वित्त बैंक खाता संख्या -06970100034296 बी०ओ०बी० शाखा -पूरनपुर, जनपद - पीलीभीत बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आहरित / व्यय की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गई । बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है -

क्र.सं.	योजना का नाम	खाता संख्या/बैंक का नाम	आहरित धनराशि	उत्तरदायी का नाम व पद
1	राज्य वित्त योजना एवं केन्द्रीय वित्त योजना	06970100020489 06970100034296	₹1360524.00 ₹983632.00	श्री रामप्रकाश मौर्या (ग्रा.वि.अधि.) श्री मती नसरीन बेगम (ग्राम प्रधान)
2.	राज्य वित्त योजना एवं केन्द्रीय वित्त योजना	06970100020489 06970100034296	₹623611.00 ₹143691.00	श्री रामप्रकाश मौर्या (ग्रा.वि.अधि.) श्री अजय देवल (ए०डी० ओ० प०) प्रशासक
		योग	3111458.00	

उक्त विवरणानुसार लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में आहरित की गई धनराशि ₹ 3111458.00 के सापेक्ष बार बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख यथा अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक /वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कैश बुक,व्यय प्रमाणक एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

बार- बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी, श्री रामप्रकाश मौर्या ग्रा.वि.अधि. द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए। पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार आहरित /व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित /व्यय की गई धनराशि रु०3111458.00 को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में आहरित /व्यय की गई धनराशि रु. 3111458.00 अभिलेखों के अभाव में गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली श्री मती नसरीन बेगम (ग्राम प्रधान) एवं श्री रामप्रकाश मौर्या गा.वि.अधि. से दिनांक -01-04-2020 से दिनांक दिसम्बर-2020 तक आहरित ₹ 2344156.00(1360524.00+983632.00) तथा दिनांक 07-01-2021 से दि. 31-03-2021 तक ₹ 767302.00(143691.00+623611.00) श्री रामप्रकाश मौर्या (ग्राम विकास अधिकारी) एवं श्री अजय देवल (एंडीओओपं०) प्रशासक (जिला अधिकारी महोदय- पीलीभीत , कार्यालय के पत्रांक 4071 /यो लि/2020-21 दिनांक 07-01-2021 के अनुपालन में) से उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्रावधानानुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा०आ०सं०-01, ग्राम पंचा०- जादोपुर गहलुइया, वि०ख०- माधोटाण्डा/पूरनपुर, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 45- ग्राम पंचायत- बराही विकास खंड- माधोटाण्डा/पूरनपुर, जनपद -पीलीभीत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा ग्राम निधि (राज्य वित्त) बैंक खाता संख्या -06970100020615 बी०ओ०बी० शाखा - पूरनपुर एवं केन्द्रीय वित्त बैंक खाता संख्या -0697010034375 बी०ओ०बी० शाखा पूरनपुर, जनपद - पीलीभीत बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आहरित / व्यय की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गई । बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है -

क्र.सं .	योजना का नाम	खाता संख्या/बैंक का नाम	आहरित धनराशि	उत्तरदायी का नाम व पद नाम
1	राज्य वित्त योजना	06970100020615	रु 964813.00	श्री अनिल कुमार (ग्राम्यवि.अधि.), श्री सुखदीप सिंह (ग्राम प्रधान)
2	केन्द्रीय वित्त योजना	0697010034375	रु353085.00	श्री अनिल कुमार (गा.वि.अधि.) श्री सुखदीप सिंह (गा. प्रधान)
3	केन्द्रीय वित्त योजना	0697010034375	रु187531.00	श्री अनिल कुमार (गा.वि.अधि.) श्री अजय देवल (ए०डी०ओ पं०) प्रशासक
		योग	1505429.00	

उक्त विवरणानुसार लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में आहरित की गई धनराशि रु 1505429.00 के सापेक्ष बार बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख यथा अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कैश बुक, व्यय प्रमाणक एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

बार- बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए । पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार आहरित /व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित /व्यय की गई धनराशि रु०1505429.00 को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में आहरित /व्यय की गई धनराशि रु 1505429.00 अभिलेखों के अभाव में गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली श्री सुखदीपसिंह(ग्राम प्रधान) एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार से दिनांक -01-04-2020 से दिनांक दिसम्बर-2020 तक आहरित ₹1317898.00 (964813.00+353085.00) तथा दिनांक 07-01-2021 से दि. 31-03-2021 तक श्री अनिल कुमार(ग्राम पंचायत अधिकारी) एवं श्री अजय देवल (एंडीओओ पं०) प्रशासक (जिला अधिकारी महोदय- पीलीभीत , कार्यालय के पत्रांक 4071 /यो लि/2020-21 दिनांक 07-01-2021 के अनुपालन में) से उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्रावधानानुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा०आ०सं०-02, ग्राम पंचा०- बराही, वि०ख०- माधोटाण्डा/पूरनपुर, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 46- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत भीमपुर नौगजा की ग्राम निधि प्रथम (राज्य वित्त) के बैंक खाता सं. 06970100020599 -बी0ओबी0 शाखा पूरनपुर से दिनांक 01-04-2020 से दिनांक 31-12-2020 तक पी0एफ0एम0एस0 साइड के माध्यम से श्री पुष्कर सिंह राना (ग्राम पंचायत अधिकारी) एवं श्री चन्द्र प्रकाश (ग्राम प्रधान) द्वारा संयुक्त रूप से सम्बंधित के पक्ष में डोंगल लगा कर धनराशि रु० 443039.00 का भुगतान किया जाना दर्शित पाया गया, जिसके व्यय की पुष्टि हेतु लेखा परीक्षा में मात्र कैशबुक ही प्रस्तुत की गयी ,अन्य अभिलेख अप्राप्त रहे। कैशबुक में निम्न विवरणानुसार व्यय किया जाना दर्शित पाया गया जोकि निम्न लिखित है:-

दिनांक	व्यय प्रमाणक सं.	क्रय सामग्री /फर्म का नाम	कार्य का नाम	भुगतानितधनराशि
21-07-2020	01	दैनिक जागरण प्रेस	निविदा सुचना प्रकाशन	2967.00
21-07-2020	02	मै0 अम्बे हार्डवेयर एण्ड आयरन	हैण्ड पंप मरम्मत	15085.00
24-07-2020	03	आजम ब्रिक्स फील्ड	जू० वि० वीरखेडा में शौचालय नि०	56978.00
24-07-2020	04	जय दुर्गा इन्टर प्राइजेज	जू० वि० वीरखेडा में शौचालय नि०	80471.00
24-07-2020	05	अनीस कंप्यूटर	स्टेशनरी क्रय व् फोटो ग्राफ्स	5000.00
24-07-2020	06	मास्टर रोल राजमिस्त्री ,मजदूर	जू० वि० वीरखेडा में शौचालय नि०	11900.00
24-07-2020	06	मास्टर रोल राजमिस्त्री ,मजदूर	जू० वि० वीरखेडा में शौचालय नि०	11900.00
14-08-2020	07	एम्.ए.एम्. इन्टर प्राइजेज	सैनिटाइजर कार्य	6000.00
01-10-2020	08	अंकित नहीं	प्रचार प्रसार कार्य	4200.00
02-11-2020	09	अंकित नहीं	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	13098.00
12-11-2020	10	मै0 अम्बे हार्डवेयर एण्ड आयरन	हैण्ड पंप मरम्मत कार्य	19695.00
12-11-2020	11	अंकित नहीं	हैण्ड पंप मरम्मत कार्य	20150.00
12-11-2020	12	ग्राम प्रधान	मानदेय का भुगतान	42000.00
12-11-2020	13	मै0 अम्बे हार्डवेयर एण्ड आयरन	हैण्ड पंप मरम्मत कार्य	9080.00
12-11-2020	14	अंकित नहीं	हैण्ड पंप मरम्मत कार्य	6300.00
12-11-2020	15	मै0 बलराम इन्टर प्राइजेज	जू० वि० वीरखेडा में शौचालय नि०	15272.00
07-12-2020	16	सोलर	समरसिबल	35000.00
13-12-2020	17	निहाल ब्रिक्स फील्ड	हैण्ड वास यूनिट	8736.00
15-12-2020	18	मो.जाहिद	हैण्ड वास यूनिट	11403.00
15-12-2020	19	गुरु कृपा कंस्ट्रक्सन	हैण्ड वास यूनिट	4545.00
15-12-2020	20	मो.जाहिद	रसोइ निर्माण	10740.00
15-12-2020	21	गुरु कृपा कंस्ट्रक्सन	हैण्ड वास यूनिट	4545.00
15-12-2020	22	निहाल ब्रिक्स फील्ड	हैण्ड वास यूनिट	8736.00
15-12-2020	23	मो.जाहिद	हैण्ड वास यूनिट	11403.00
15-12-2020	24	किंग ब्रिक्स फील्ड	रसोइ निर्माण	2835.00
15-12-2020	25	गुरु कृपा कंस्ट्रक्सन	रसोइ निर्माण	25000.00
			योग	443039.00

उक्त विवरण अनुसार रु० 443039.00 राज्य वित्त योजना एवं केन्द्रीय वित्त योजना बैंक खाता सं.-06970100034387 बी0ओबी0 शाखा पूरनपुर से दिनांक 01-04-2020 से दिनांक 31-12-2020 तक

आहरित धनराशि रु० 428667.00 इस प्रकार कुल आहरण (रु० 443039.00+428667.00) रु० 871706.00 के व्यय की पुष्टि में सम्बंधित फर्मों के बिल /वउचर, एम.बी. बुक, स्वीकृत प्राक्कलन, कुटेशन /निविदा सम्बन्धी पत्रावली, केन्द्रीय वित्त की कैश बुक, कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, मानदेय पंजिका, इत्यादि अभिलेख अप्राप्त रहे। जिस कारण रु० 871706.00 का किया गया भुगतान अभिलेखों के अभाव में पूर्णतः अपुष्टित रहा, जबकि वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के पैरा 8 (क) के अनुसार आहरित /व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित /व्यय की गई धनराशि रु० 871706.00 को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में आहरित /व्यय की गई धनराशि रु० 871706.00 अभिलेखों के अभाव में गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली श्री चन्द्र प्रकाश (ग्राम प्रधान) एवं श्री पुष्कर सिंह राना (ग्राम पंचायत अधिकारी) पूर्ण उत्तरदायी से उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्रावधानानुसार मय ब्याज के कराये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

(सा०आ०सं०-01, ग्राम पंचा०- भीमपुर नौगजा, वि०ख०- माधोटाण्डा/पूरनपुर, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 47- ग्राम पंचायत- नरायनपुर बुजुर्ग विकास खंड- माधोटांडा/पूरनपुर, जनपद -पीलीभीत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा ग्राम निधि (राज्य वित्त) बैंक खाता संख्या -06970100001156, बी०ओ०बी० शाखा -पूरनपुर एवं केन्द्रीय वित्त बैंक खाता संख्या -06970100034311, बी०ओ०बी० शाखा पूरनपुर, जनपद- पीलीभीत बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आहरित / व्यय की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गई। बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है -

क्र . सं .	योजना का नाम	खाता संख्या/बैंक का नाम	आहरित धनराशि	उत्तरदायी का नाम व पद नाम
1	राज्य वित्त योजना	0697010001156	₹ 483467.00	श्री पुष्कर सिंह राना (ग्रा.पं.अधि.), श्रीभीमसेन(ग्राम प्रधान)
2	केन्द्रीय वित्त योजना	06970100034311	₹ 496468.00	श्री पुष्कर सिंह राना (ग्रा.पं.अधि.), श्री भीमसेन (ग्राम प्रधान
3	केन्द्रीय वित्त योजना	06970100034311	₹ 393011.00	श्रीधर्मेन्द्रकुमार (ग्रा.वि.अधि.) श्री अजयदेवल (ए०डी०ओपं०) प्रशासक
		योग	1372946.00	

उक्त विवरणानुसार लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में आहरित की गई धनराशि ₹1372946.00 के सापेक्ष बार बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख यथा अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्वीकृत स्टीमेट, प्रशासनिक वितीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, कैश बुक, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, एवं कार्य पूर्ति, प्रमाण पत्र, माप पुस्तिका इत्यादि लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

बार- बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पुष्कर सिंह राना एवं श्री धर्मेन्द्र कुमार द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए । पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार आहरित /व्यय के संबंध में कोई बिल /वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित /व्यय की गई धनराशि रु० 1372946.00 (979935.00 +393011.00) अभिलेखों के अभाव में गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में आहरित /व्यय की गई धनराशि रु० 1372946.00 अभिलेखों के अभाव में गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली श्री भीम सेन (ग्राम प्रधान) एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पुष्कर सिंह राना से दिनांक -01-04-2020 से दिनांक दिसम्बर-2020 तक आहरित ₹979935.00 (483467.00+496468.00) तथा दिनांक 07-01-2021 से दि. 31-03-2021 तक रु० 393011.00 श्री धर्मेन्द्र

कुमार (ग्राम पंचायत अधिकारी) एवं श्री अजय देवल (ए०डी०ओ० पं०) प्रशासक (जिला अधिकारी महोदय-पीलीभीत, कार्यालय के पत्रांक 4071 /यो लि/2020-21 दिनांक 07-01-2021 के अनुपालन में) से उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्रावधानानुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा०आ०सं०-01, ग्राम पंचा०- नारायनपुर बुजुर्ग, वि०ख०- माधोटाण्डा/पूरनपुर, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 48- लेखा परीक्षा वर्ष 2020 -21 में ग्राम निधि योजना अन्तर्गत उपलब्ध करायी गयी कैशबुक व कार्य निर्माण पत्रावलियों की जाँच में पाया गया कि निम्न निर्माण कार्यो से सम्बंधित पत्रावलियों की बार-बार मांग किये जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी। जिनका विवरण निम्न प्रकार से है:-

(क) दिनेश कुमार के घर से करनैल के घर तक खंडजा निर्माण कार्य

कैश बुक के अनुसार भुगतान का विवरण निम्न प्रकार से है-

दिनांक	व्यय प्रमाणक सं.	भुगतान का विवरण	भुगतानित धनराशि	अभिलेख की स्थिति
29-07-2020	01	मस्टररोलवावत राजमिस्त्री	3015.00	मस्टररोल अप्राप्त
29-07-2020	02	मस्टररोल वावत मजदूरी	6300.00	मस्टररोल अप्राप्त
30-07-2020	03	मस्टररोल वावत मजदूरी	1260.00	मस्टररोल अप्राप्त
30-07-2020	04	मस्टररोल वावत मजदूरी	3015.00	मस्टररोल अप्राप्त
30-07-2020	05	मस्टररोल वावत मजदूरी	3015.00	मस्टररोल अप्राप्त
30-07-2020	06	मस्टररोल वावत मजदूरी	3015.00	मस्टररोल अप्राप्त
30-07-2020	07	मस्टररोल वावत मजदूरी	3015.00	मस्टररोल अप्राप्त
30-07-2020	08	मस्टररोल वावत मजदूरी	3015.00	मस्टररोल अप्राप्त
30-07-2020	09	मस्टररोल वावत मजदूरी	3015.00	मस्टररोल अप्राप्त
30-07-2020	10	मस्टररोल वावत मजदूरी	3015.00	मस्टररोल अप्राप्त
30-07-2020	11	मस्टररोलवावत राजमिस्त्री	6300.00	मस्टररोल अप्राप्त
30-07-2020	12	मस्टररोल वावत मजदूरी	7076.00	मस्टररोल अप्राप्त
		योग	45056.00	

(ख) आसाम रोड से जग्गा सिंह के घर तक खंडजा निर्माण कार्य

कैश बुक के अनुसार भुगतान का विवरण निम्न प्रकार से है-

दिनांक	व्यय प्रमाणक सं.	भुगतान का विवरण	भुगतानित धनराशि	अभिलेखों की स्थिति
26-10-2020	21	मस्टररोल वावत मजदूरी	402.00	मस्टररोल अप्राप्त
26-10-2020	22	मिटटी कार्य पर व्यय	1392.00	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
27-10-2020	23	मस्टररोल वावत मजदूरी	1206.00	मस्टररोल अप्राप्त
27-10-2020	24	मस्टररोल वावत मजदूरी	1206.00	मस्टररोल अप्राप्त
27-10-2020	25	मस्टररोल वावत मजदूरी	1206.00	मस्टररोल अप्राप्त
27-10-2020	26	मस्टररोल वावत मजदूरी	1206.00	मस्टररोल अप्राप्त
27-10-2020	27	मस्टररोल वावत राजमिस्त्री	2520.00	मस्टररोल अप्राप्त
		योग	9138.00	

(ग) हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य पर कैश बुक के अनुसार भुगतान का विवरण :-

दिनांक	व्यय प्रमाणक सं.	भुगतान का विवरण	भुगतानित धनराशि	अभिलेख की स्थिति
25-08-2020	16	इरशाद खां नल मिस्त्री	8160.00	बिल/ बाऊचर अप्राप्त
13-10-2020	20	इरशाद खां नल मिस्त्री	5000.00	बिल/ बाऊचर अप्राप्त
		योग	13160.00	

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि रु 045046.00 व रु 9138.00 एवं रु 13160.00 इस प्रकार कुल रु 67354.00 के व्यय/भुगतान की पुष्टि हेतु कैशबुक में उक्त दर्शित कार्यों से सम्बंधित कोई भी अभिलेख (स्वीकृत प्राक्कलन, वित्तीय/प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कुटेशन सम्बन्धी पत्रावली, कम्परेटिव चार्ट, सम्बंधित फर्मों के बिल/बाऊचर, मस्टर रोल, एमओ बीओ बुक कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, फोटो ग्राफ, इत्यादि) लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा। जिस कारण रु 67354.00 का दर्शित व्यय पूर्णतः अपुष्टित रहा, यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त कार्य क +ख हेतु सामग्री क्रय का भी कैश बुक में कोई भी विवरण अंकित नहीं किया गया है, एव ग कार्य हेतु कार्य स्थल का उल्लेख नहीं किया गया है। जिस कारण यह स्पष्ट नहीं हो सका की सामग्री कब क्रय की गयी अर्थात् बिना सामग्री क्रय किये हुए ही किस आधार पर मजदूरों एवं राजमिस्त्री को भुगतान किया गया ,मनमाने ढंग से भुगतान कर सम्बंधित के साथ सांठगांठ कर कूटरचित तरीके से धनराशि का अपहरण किया गया है। जबकि पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार आहरित /व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित/व्यय की गई धनराशि रु० 67354.00 अभिलेखों के अभाव में गबन मानते हुए श्री रामपाल यादव (ग्राम प्रधान) एवं श्री रामप्रकाश मौर्या (ग्राम पंचायत अधिकारी) से उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्रावधानानुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0-01, ग्राम पंचा0- मोहनपुर जही, वि0ख0- माधोटाण्डा/पूरनपुर, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 49- ग्राम पंचायत- पिपरिया करम विकास खंड- माधोटांडा/पूरनपुर, जनपद- पीलीभीत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा ग्राम निधि (राज्य वित्त) बैंक खाता संख्या -14120100011585 बीओबीओ शाखा- गजरौला कलां एवं केन्द्रीय वित्त बैंक खाता संख्या - 14120100022698 बीओबीओ शाखा -गजरौला कलां, जनपद - पीलीभीत बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आहरित / व्यय की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गई। बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है -

क्र.सं.	योजना का नाम	खाता संख्या/बैंक का नाम	आहरित धनराशि	उत्तरदायी का नाम व पद नाम
1	राज्य वित्त योजना	14120100011585	रु 362562	श्री राकेश शर्मा (ग्रा.पं.अधि.) श्रीअवतार सिंह (ग्राम प्रधान)
2.	राज्य वित्त योजना	141201000115852	रु 40124.00	श्री राकेश शर्मा (ग्रा.पं.अधि.) श्री अजय देवल (ए०डी० ओ० प०) प्रशासक
3.	केन्द्रीय वित्त योजना	14120100022698	रु 173188.00	श्री राकेश शर्मा (ग्रा.पं.अधि.) श्री अजय देवल (ए०डी० ओ० प०) प्रशासक
		योग	575874.00	

उक्त विवरणानुसार लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में आहरित की गई धनराशि रु. 575874.00 के सापेक्ष बार बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख यथा अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक /वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कैश बुक,व्यय प्रमाणक एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

बार- बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी, श्री राकेश कुमार द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए। पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार आहरित /व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित /व्यय की गई धनराशि रु० 575874.00को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में आहरित /व्यय की गई धनराशि रु०575874.00 अभिलेखों के अभाव में गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली श्री अवतार सिंह (ग्राम प्रधान) एवं ग्राम पंचायत अधिकारी, से दिनांक -01-04-2020 से दिनांक दिसम्बर-2020 तक आहरित ₹ 362562.00 तथा दिनांक 07-01-2021 से दि. 31-03-2021 तक रु 213312.00) श्री राकेश शर्मा (ग्राम पंचायत अधिकारी) एवं श्री अजय देवल (ए०डी०ओ०प०) प्रशासक (जिला अधिकारी महोदय- पीलीभीत, कार्यालय के पत्रांक 4071 /यो लि/2020-21 दिनांक 07-01-2021 के अनुपालन में) से उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्रावधानानुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा०आ०सं०-01, ग्राम पंचा०- पिपरिया करम, वि०ख०- माधोटाण्डा/पूरनपुर, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 50- ग्राम पंचायत- टांडागुलाबराय विकास खंड- माधोटांडा/पूरनपुर, जनपद – पीलीभीत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा ग्राम निधि (राज्य वित्त) बैंक खाता संख्या - 0389000109059570 पी.एन.बी. शाखा - पूरनपुर एवं केन्द्रीय वित्त बैंक खाता संख्या - 06970100034526 बी०ओ०बी० शाखा -पूरनपुर, जनपद - पीलीभीत बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आहरित / व्यय की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गई। बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है –

क्र.सं.	योजना का नाम	खाता संख्या/बैंक का नाम	आहरित धनराशि	उत्तरदायी का नाम व पद नाम
1	राज्यवित्त योजना	0389000109059570	₹864745.40	श्री हरवंश कुमार, अनिलकुमार(ग्रा.पं.अधि.) श्री शेर मोहम्मद(ग्राम प्रधान)
2.	राज्यवित्त योजना	0389000109059570	₹245777.00	श्री अनिल कुमार (ग्रा.पं.अधि.) श्री अजय देवल (ए०डी० ओ० प०) प्रशासक
3.	केन्द्रीय वित्त योजना	06970100034526	₹871767.00	श्री हरवंश कुमार, अनिल कुमार (ग्रा.पं.अधि.) श्री शेर मोहम्मद (ग्राम प्रधान)
4.	केन्द्रीय वित्त योजना	06970100034526	₹515198.00	श्री अनिल कुमार (ग्रा.पं.अधि.) श्री अजय देवल (ए०डी० ओ० प०) प्रशासक
		योग	2497487.40	

उक्त विवरणानुसार लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में आहरित की गई धनराशि रु. 2497487.40 के सापेक्ष बार - बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख यथा अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक /वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कैश बुक, व्यय प्रमाणक एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

बार- बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी, श्री हरवंश कुमार एवं अनिल कुमार द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए। पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार आहरित /व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित /व्यय की गई

धनराशि रु० 2497487.40 को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में आहरित /व्यय की गई धनराशि ₹ 2497487.40 अभिलेखों के अभाव में गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली श्री शेर मोहम्मद (ग्राम प्रधान) एवं ग्राम पंचायत अधिकारी, श्री हरवंश कुमार, श्री अनिल कुमार से दिनांक -01-04-2020 से दिनांक दिसम्बर-2020 तक आहरित ₹ 1736512.40 (864745.40+871767.00) तथा दिनांक 07-01-2021 से दि. 31-03-2021 तक ₹ 760975.00(245777.00+515198.00) श्रीअनिल कुमार (ग्राम पंचायत अधिकारी) एवं श्री अजय देवल (ए०डी०ओ० पं०) प्रशासक (जिला अधिकारी महोदय- पीलीभीत, कार्यालय के पत्रांक 4071 /यो लि/2020-21 दिनांक 07-01-2021 के अनुपालन में) से उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्रावधानानुसार तात्तरीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा०आ०सं०-01, ग्राम पंचा०- टांडा गुलाबराय, वि०ख०- माधोटाण्डा/पूरनपुर, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 51- ग्राम पंचायत- विधिपुर विकास खंड- माधोटांडा/पूरनपुर, जनपद -पीलीभीत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा ग्राम निधि (राज्य वित्त) बैंक खाता संख्या - 039360100010051 बी०ओ०बी० शाखा - शिवनगर /पूरनपुर एवं केन्द्रीय वित्त बैंक खाता संख्या - 039360100011170 बी०ओ०बी० शाखा-शिवनगर/ पूरनपुर, जनपद - पीलीभीत बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आहरित /व्यय की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गई । बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है -

क्र.सं .	योजना का नाम	खाता संख्या/बैंक का नाम	आहरित धनराशि	उत्तरदायी का नाम व पद नाम
1	राज्य वित्त योजना	39360100010051	रु 122489.00	श्री राकेश शर्मा (ग्रा.पं.अधि.) श्रीमती रामबेटी (ग्राम प्रधान)
	राज्य वित्त योजना	39360100010051	रु 193374.00	श्री राकेश शर्मा (ग्रा.पं.अधि.) श्री अजय देवल (ए०डी०ओ० पं०) प्रशासक
2	केन्द्रीयवित्त योजना	39360100011170	रु168846.00	श्री राकेश शर्मा (ग्रा.पं.अधि.) श्रीमती रामबेटी (ग्राम प्रधान)
3	केन्द्रीयवित्त योजना	39360100011170	रु121560.00	श्री राकेश शर्मा (ग्रा. पं अधि.) श्री अजय देवल (ए०डी०ओ० पं०) प्रशासक
		योग	606269.00	

उक्त विवरणानुसार लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में आहरित की गई धनराशि रु०606269.00 के सापेक्ष बार बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख यथा अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कैश बुक,व्यय प्रमाणक एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र,इत्यादि अभिलेखों को लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

बार- बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राकेश शर्मा द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए। पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार आहरित /व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित /व्यय की गई धनराशि रु 606269.00 को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में आहरित /व्यय की गई धनराशि रु० 606269.00 अभिलेखों के अभाव में गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली श्रीमती राम बेटी (ग्राम प्रधान) एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राकेश शर्मा से दिनांक-01-04-2020 से दिनांक दिसम्बर-2020 तक आहरित रु०291335.00

(122489.00+168846.00) एवं दिनांक 07-01-2021 से दि. 31-03-2021 तक आहरित धनराशि रु0 314934.00(193374.00+121560.00) श्री राकेश शर्मा (ग्राम पंचायत अधिकारी) एवं श्री अजय देवल (एन्डीओओ पं०) प्रशासक (जिला अधिकारी महोदय- पीलीभीत, कार्यालय के पत्रांक 4071 /यो लि/2020-21 दिनांक 07-01-2021 के अनुपालन में) से उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्रावधानानुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0-01, ग्राम पंचा0- विधिपुर, वि0ख0- माधोटाण्डा/पूरनपुर, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 52- ग्राम पंचायत- नदहा ता0 माधोटांडा विकास खंड- माधोटांडा/पूरनपुर, जनपद -पीलीभीत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा ग्राम निधि (राज्य वित्त) बैंक खाता संख्या - 06970100020598 बी0ओ0बी0 शाखा - गजरौला कलां/पूरनपुर एवं केन्द्रीय वित्त बैंक खाता संख्या -06970100034423 बी0ओ0बी0 शाखा - गजरौला कलां /पूरनपुर, जनपद -पीलीभीत बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आहरित / व्यय की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गई। बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है -

क्र.सं.	योजना का नाम	खाता संख्या/बैंक का नाम	आहरित धनराशि	उत्तरदायी का नाम व पद नाम
1	राज्य वित्त योजना	06970100020598	रु0 1200193.00	श्री राकेश कुमार शर्मा (ग्रा.पं.अधि.) श्री सुन्दर लाल (ग्राम प्रधान)
2.	राज्य वित्त योजना	06970100020598	रु0175148.00	श्री राकेश कुमार शर्मा (ग्रा.पं.अधि.) श्री अजय देवल (एन्डीओ ओ0 प0) प्रशासक
3.	केन्द्रीय वित्त योजना	06970100034423	रु0226126.00	श्री राकेश कुमार शर्मा (ग्रा.पं.अधि.) श्री सुन्दर लाल (ग्राम प्रधान)
4.	केन्द्रीय वित्त योजना	06970100034423	रु0148504.00	श्री राकेश कुमार शर्मा (ग्रा.पं.अधि.) श्री अजय देवल (एन्डीओ ओ0 प0) प्रशासक
		योग	1749971.00	

उक्त विवरणानुसार लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में आहरित की गई धनराशि रु01749971.00 के सापेक्ष बार बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख यथा अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक /वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कैश बुक,व्यय प्रमाणक एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

बार- बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी, श्री राकेश कुमार शर्मा द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए। पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार आहरित /व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित /व्यय की गई धनराशि रु० 1749971.00 को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में आहरित/व्यय की गई धनराशि रु0 रु०1749971.00 अभिलेखों के अभाव में गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली श्री सुन्दर लाल (ग्राम प्रधान) एवं ग्राम पंचायत अधिकारी, श्री राकेश कुमार शर्मा से दिनांक -01-04-2020 से दिनांक दिसम्बर-2020 तक आहरित रु 1426319.00 (1200193.00+226126.00) तथा दिनांक 07-01-2021 से दि. 31-03-2021 तक रु 323652.00 श्री राकेश कुमार शर्मा (ग्राम पंचायत अधिकारी) एवं श्री अजय देवल (एन्डीओओ पं०) प्रशासक (जिला अधिकारी महोदय- पीलीभीत, कार्यालय के पत्रांक 4071 /यो लि/2020-21 दिनांक 07-01-2021 के अनुपालन में) से उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्रावधानानुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0-01, ग्राम पंचा0- नदहा ता0 माधोटाण्डा, वि0ख0- माधोटाण्डा/पूरनपुर, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 53- ग्राम पंचायत-ढकिया केसरपुर विकास खंड- माधोटांडा/पूरनपुर, जनपद -पीलीभीत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा ग्राम निधि (राज्य वित्त) बैंक खाता संख्या -06970100020 बी0ओ0बी0 शाखा - पूरनपुर एवं केन्द्रीय वित्त बैंक खाता संख्या -06970100034365 बी0ओ0बी0 शाखा -पूरनपुर, जनपद- पीलीभीत बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आहरित / व्यय की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गई। बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है -

क्र.सं	योजना का नाम	खाता संख्या/बैंक का नाम	आहरित धनराशि	उत्तरदायी का नाम व पद नाम
1	राज्य वित्त योजना	06970100020613	रु0852020.00	श्री पुष्कर सिंह राना (ग्रा.पं.अधि.) श्री लेखराज (ग्राम प्रधान
2.	राज्य वित्त योजना	06970100020613	रु0265523.00	श्री पुष्कर सिंह राना, धर्मन्द्र कुमार (ग्रा.पं.अधि.) श्री अजय देवल (एंडीओ ओ पओ) प्रशासक
3.	केन्द्रीय वित्त योजना	06970100034365	रु0320171.00	श्री पुष्कर सिंह राना (ग्रा.पं.अधि.) श्री लेखराज (ग्राम प्रधान
4.	केन्द्रीय वित्त योजना	06970100034365	रु0559859.00	श्री पुष्कर सिंह राना, धर्मन्द्र कुमार (ग्रा.पं.अधि.) श्री अजय देवल (एंडीओ ओ पओ) प्रशासक
		योग	1997573.00	

उक्त विवरणानुसार लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में आहरित की गई धनराशि रु01997573.00 के सापेक्ष बार बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख यथा अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक/वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कैश बुक, व्यय प्रमाणक एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

बार- बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी, श्री पुष्कर सिंह राना द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए। पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार आहरित /व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित /व्यय की गई धनराशि रु०1997573.00 को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में आहरित /व्यय की गई धनराशि रु0 1997573.00 अभिलेखों के अभाव में गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली श्री लेखराज (ग्राम प्रधान) एवं ग्राम पंचायत अधिकारी, श्री पुष्कर सिंह राना से दिनांक -01-04-2020 से दिनांकदिसम्बर-2020 तक आहरित रु01172191.00 (852020.00+320171.00) तथा दिनांक 07-01-2021 से दि. 31-03-2021 तक रु0 825382.00(265523.00+559859.00) श्री पुष्कर सिंह राना वं धर्मन्द्र कुमार (ग्राम पंचायत अधिकारी) एवं श्री अजय देवल (एंडीओओ पंओ) प्रशासक (जिला अधिकारी महोदय- पीलीभीत, कार्यालय के पत्रांक 4071 /यो लि/2020-21 दिनांक 07-01-2021 के अनुपालन में) से उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्रावधानानुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0-01, ग्राम पंचा0- ढकिया केसरपुर, वि0ख0- माधोटाण्डा/पूरनपुर, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 54- ग्राम पंचायत- धरमंगदपुर विकास खंड- माधोटांडा/पूरनपुर, जनपद -पीलीभीत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा ग्राम निधि (राज्य वित्त) बैंक खाता संख्या -06970100001159 बी0ओ0बी0 शाखा -पूरनपुर एवं केन्द्रीय वित्त बैंक खाता संख्या -0697010034428 बी0ओ0बी0 शाखा पूरनपुर ,जनपद -पीलीभीत बैंक

स्टेटमेंट के अनुसार आहरित / व्यय की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गई । बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है –

क्र.सं.	योजना का नाम	खाता संख्या/बैंक का नाम	आहरित धनराशि	उत्तरदायी का नाम व पद नाम
1	राज्य वित्त योजना	06970100001159	रु315779 .00	श्रीहरवंशकुमार,श्रीअनिलकुमार(ग्रा०वि.अधि.),श्री वसीवुल्ला खां (ग्राम प्रधान)
2	केन्द्रीय वित्त योजना	0697010034428	रु290833.00	श्रीहरवंशकुमार,श्रीअनिलकुमार(ग्रा.वि.अधि.)श्रीवसीवुल्ला खां (ग्रा. प्रधान)
3	केन्द्रीय वित्त योजना	0697010034375	रु300288.00	श्री अनिल कुमार (ग्रा.वि.अधि.) श्री अजय देवल (ए०डी०ओ पं०) प्रशासक
		योग	906900.00	

उक्त विवरणानुसार लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में आहरित की गई धनराशि रु 906900.00 के सापेक्ष बार बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख यथा अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कैश बुक, व्यय प्रमाणक एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

बार- बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी, श्री हरवंश कुमार श्री अनिल कुमार द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए। पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार आहरित /व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित /व्यय की गई धनराशि रु० 1505429.00 को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में आहरित /व्यय की गई धनराशि रु. 906900.00 अभिलेखों के अभाव में “गबन ” की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली श्री वसीवुल्ला खां (ग्राम प्रधान) एवं ग्राम पंचायत अधिकारी, श्री हरवंश कुमार, श्री अनिल कुमार से दिनांक -01-04-2020 से दिनांक दिसम्बर-2020 तक आहरित रु 606612.00 (315779.00+290833.00) तथा दिनांक 07-01-2021 से दि. 31-03-2021 तक रु 300288.00 श्री अनिल कुमार (ग्राम पंचायत अधिकारी) एवं श्री अजय देवल (ए०डी०ओ पं०) प्रशासक (जिला अधिकारी महोदय- पीलीभीत, कार्यालय के पत्रांक 4071 /यो लि/2020-21 दिनांक 07-01-2021 के अनुपालन में) से उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्रावधानानुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा०आ०सं०-01, ग्राम पंचा०- धरमगदपुर, वि०ख०- माधोटाण्डा/पूरनपुर, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 55- ग्राम पंचायत-शिवपुरिया, विकास खंड-ललोरीखेड़ा, जनपद-पीलीभीत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट पर अंकित (ऑनलाइन उपलब्ध डाटा) आय-व्यय की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गई। प्रिया साफ्ट के अनुसार आय-व्यय का विवरण निम्नवत है –

मद	प्रिया साफ्ट के अनुसार
वर्ष का प्रारम्भिक अवशेष	804685.00
वर्ष में प्राप्त अनुदान	2753167.00
वर्ष में आहरित / व्यय	1622415.00
वर्षांत में अवशेष धनराशि	1935437.50

उक्त विवरण के अनुसार लेखा परीक्षा वर्ष में आहरित की गई धनराशि ₹ 16,22,415.00 (रुपये सोलह लाख बाईस हजार चार सौ पन्द्रह मात्र) की पुष्टि में बार-बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख यथा अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कैश बुक, व्यय प्रमाणक एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

बार- बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी, श्री कमल किशोर द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए। पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा- 8 (क) के अनुसार आहरित /व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित/व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में आहरित/व्यय की गई धनराशि ₹ 16,22,415.00 (रूपये सोलह लाख बाईस हजार चार सौ पन्द्रह मात्र) अभिलेखों के अभाव में गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान, सुश्री रोशन देई एवं ग्राम पंचायत अधिकारी, श्री कमल किशोर से उ०प्र० पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या-256 से 259 के प्रावधानानुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0-01 ग्राम पंचा- शिवपुरिया, वि0ख0- ललौरीखेड़ा, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 56- ग्राम पंचायत-अजीतडांडी, विकास खंड-ललौरीखेड़ा, जनपद-पीलीभीत की वर्ष 2020-21 की लेखापरीक्षा प्रिया साफ्ट पर अंकित (ऑनलाइन उपलब्ध डाटा) आय-व्यय की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गई। प्रिया साफ्ट के अनुसार आय-व्यय का विवरण निम्नवत है -

मद	प्रिया साफ्ट अनुसार
वर्ष का प्रारम्भिक अवशेष	1379656.00
वर्ष में प्राप्त अनुदान	259835.00
वर्ष में आहरित / व्यय	1378681.00
वर्षांत में अवशेष धनराशि	260810.00

उक्त विवरण के अनुसार लेखा परीक्षा वर्ष में आहरित की गई धनराशि ₹ 13,78,681.00 (रु०तेरह लाख अठ्ठतर हजार छह सौ इक्कासी मात्र) की पुष्टि मे बार-बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख यथा अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कैश बुक, व्यय प्रमाणक एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

बार- बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी, श्री नुरुद्दीन द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए। पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा 8(क) के अनुसार आहरित /व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित /व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में आहरित/व्यय की गई धनराशि ₹ 13,78,681.00 (रु० तेरह लाख अठ्ठतर हजार छह सौ इक्कासी मात्र) अभिलेखों के अभाव में गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान, सुश्री शबाना एवं ग्राम पंचायत अधिकारी, श्री नुरुद्दीन से उ०प्र० पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्रावधानानुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0-01 ग्राम पंचा- अजीतडांडी, वि0ख0- ललौरीखेड़ा, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 57- ग्राम पंचायत-रायपुर, विकास खंड-ललौरीखेड़ा, जनपद-पीलीभीत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट पर अंकित (ऑनलाइन उपलब्ध डाटा) आय-व्यय की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गई। प्रिया साफ्ट के अनुसार आय-व्यय का विवरण निम्नवत है -

मद	प्रिया साफ्ट के अनुसार
वर्ष का प्रारम्भिक अवशेष	88621.00
वर्ष में प्राप्त अनुदान	940455.00
वर्ष में आहरित / व्यय	552179.00
वर्षांत में अवशेष धनराशि	476897.00

उक्त विवरण के अनुसार लेखा परीक्षा वर्ष में आहरित की गई धनराशि ₹ 5,52,179 (रु० पाँच लाख बावन हजार एक सौ उनासी मात्र) की पुष्टि में बार-बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख यथा अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कैश बुक, व्यय प्रमाणक एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

बार- बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी, सुश्री रोशनी वर्मा द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए। पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा 8(क) के अनुसार आहरित /व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित/व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में आहरित/व्यय की गई धनराशि ₹ 552179 (रु० पाँच लाख बावन हजार एक सौ उनासी मात्र) अभिलेखों के अभाव में गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान, श्री शमीम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी, सुश्री रोशनी वर्मा से उ०प्र० पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या-256 से 259 के प्रावधानानुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0-01 ग्राम पंचा- रायपुर, वि०ख०- ललौरीखेड़ा, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 58- ग्राम पंचायत-चिनौरा, विकास खंड-ललौरीखेड़ा, जनपद-पीलीभीत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट पर अंकित (ऑनलाइन उपलब्ध डाटा) आय-व्यय की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गई। प्रिया साफ्ट के अनुसार आय-व्यय का विवरण निम्नवत है -

मद	प्रिया साफ्ट के अनुसार
वर्षका प्रारम्भिक अवशेष	135391.00
वर्ष में प्राप्त अनुदान	1274421.00
वर्ष में आहरित / व्यय	24500.00
वर्षांत में अवशेषधनराशि	1385312.00

उक्त विवरण के अनुसार लेखा परीक्षा वर्ष में आहरित की गई धनराशि ₹ 24,500.00 (रुपये चौबीस हजार पाँच सौ मात्र) की पुष्टि में बार-बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख यथा अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कैश बुक, व्यय प्रमाणक एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

बार- बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी, सुश्री रोशनी वर्मा द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए। पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा 8(क) के अनुसार आहरित /व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित /व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में आहरित /व्यय की गई धनराशि ₹ 24,500 (रु० चौबीस हजार पाँच सौ मात्र) अभिलेखों के अभाव में गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान, श्री निंदोष गंगवार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी, सुश्री रोशनी वर्मा से उ०प्र० पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्रावधानानुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0-01 ग्राम पंचा- चिनौरा, वि०ख०- ललौरीखेड़ा, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 59- ग्राम पंचायत-गौनेरा विकास खंड- ललौरीखेड़ा जनपद- पीलीभीत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट पर अंकित व्यय/बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आहरित / व्यय की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गई। प्रिया साफ्ट एवं बैंक खाता संख्या -174901000015870 वि०ख० ललौरीखेड़ा, जनपद पीलीभीत के बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है -

मद	प्रिया साफ्ट अनुसार	बैंक स्टेटमेंट अनुसार

वर्ष का प्रारम्भिक अवशेष	1965731.5.00	663404.00
वर्ष में प्राप्त अनुदान	1164673.00	1935355.00
वर्ष में आहरित / व्यय	1420593.00	1421517.00
वर्षांत में अवशेष धनराशि	1709812.00	1177242.00

उक्त विवरण के अनुसार लेखा परीक्षा वर्ष में आहरित की गई धनराशि रु 14,21,517.00 (रु० चौदह लाख इक्कीस हजार पाँच सौ सतरह मात्र) की पुष्टि मे बार बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख यथा अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कैश बुक, व्यय प्रमाणक एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

बार- बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नुरुद्दीन द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए। पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा 8(क) के अनुसार आहरित /व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित /व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में आहरित /व्यय की गई धनराशि 14,21,517.00 (रु० चौदह लाख इक्कीस हजार पाँच सौ सतरह मात्र) अभिलेखों के अभाव में गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान, श्रीमती गोमती देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी, श्री नुरुद्दीन से उ०प्र० पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्रावधानानुसार मय ब्याज के की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-01 ग्राम पंचा- गौनेरा, वि०ख०- ललौरीखेड़ा, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 60- ग्राम पंचायत- गौनेरीदान विकास खंड-ललौरीखेड़ा, जनपद-पीलीभीत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट पर अंकित व्यय, बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आहरित / व्यय की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गई। प्रिया साफ्ट एवं बैंक स्टेटमेंट, जनपद-पीलीभीत के अनुसार आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है -

मद	प्रिया साफ्ट अनुसार
वर्ष का प्रारम्भिक अवशेष	1110885.00
वर्ष में प्राप्त अनुदान	863943.00
वर्ष में आहरित / व्यय	1064976.00
वर्षांत में अवशेष धनराशि	909892.00

उक्त विवरणानुसार लेखा परीक्षा वर्ष में आहरित की गई धनराशि रु 1064976.00 (रु० दस लाख चौसठ हजार नौ सौ छियतर मात्र) के सापेक्ष की पुष्टि मे बार बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख यथा अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कैश बुक, व्यय प्रमाणक एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

बार- बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी, श्री नुरुद्दीन द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए। पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा 8(क) के अनुसार आहरित /व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित /व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में आहरित/व्यय की गई धनराशि रु० 1064976.00 (रुपये दस लाख चौसठ हजार नौ सौ छियतर मात्र मात्र) अभिलेखों के अभाव में गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान, श्री रामऔतार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी, श्री नुरुद्दीन से उ०प्र० पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या- 256 से 259 के प्रावधानानुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0-01 ग्राम पंचा- गोनेरीदान, वि०ख०- ललौरीखेड़ा, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 61- ग्राम पंचायत-भगवंतपुर बड़ोड़ा, विकास खंड-ललोरीखेड़ा, जनपद-पीलीभीत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट पर अंकित (ऑनलाइन उपलब्ध डाटा) आय-व्यय की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गई। प्रिया साफ्ट के अनुसार आय-व्यय का विवरण निम्नवत है -

मद	प्रिया साफ्ट के अनुसार
वर्ष का प्रारम्भिक अवशेष	257052.00
वर्ष में प्राप्त अनुदान	4011765.00
वर्ष में आहरित / व्यय	3195889.00
वर्षांत में अवशेष धनराशि	1072928.00

उक्त विवरण के अनुसार लेखा परीक्षा वर्ष में आहरित की गई धनराशि ₹ 31,95,889.00 (रु० इक्कीस लाख पचानवे हजार आठ सौ नवासी मात्र) की पुष्टि में बार-बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख यथा अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कैश बुक, व्यय प्रमाणक एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

बार- बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी, श्री कमल किशोर द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए। पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा- 8(क) के अनुसार आहरित /व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित /व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में आहरित/व्यय की गई धनराशि ₹ 31,95,889.00 (रु० इक्कीस लाख पचानवे हजार आठ सौ नवासी मात्र) अभिलेखों के अभाव में गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान, श्री भानु प्रताप एवं ग्राम पंचायत अधिकारी, श्री कमल किशोर से उ०प्र० पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्रावधानानुसार तात्तारीक दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा०आ०सं०-01 ग्राम पंचा- भगवंतपुर बड़ोड़ा, वि०ख०- ललोरीखेड़ा, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 62- ग्राम पंचायत-अमरगंज मु० विकास खंड-ललोरीखेड़ा जनपद-पीलीभीत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट पर अंकित व्यय/बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आहरित / व्यय की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गई। प्रिया साफ्ट एवं बैंक खाता संख्या- 17490100001893 वि०ख० ललोरीखेड़ा, जनपद पीलीभीत के बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है -

मद	प्रिया साफ्ट के अनुसार
वर्ष का प्रारम्भिक अवशेष	354087.00
वर्ष में प्राप्त अनुदान	1387475.00
वर्ष में आहरित / व्यय	1106714.00
वर्षांत में अवशेष धनराशि	634848.00

उक्त विवरण के अनुसार लेखा परीक्षा वर्ष में आहरित की गई धनराशि ₹- 11,06,714.00 (रु० ग्यारह लाख छः हजार सात सौ चौदह मात्र) की पुष्टि में बार बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख यथा अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कैश बुक, व्यय प्रमाणक एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

बार- बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राकेश कुमार यादव द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए। पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा 8(क) के अनुसार आहरित /व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित /व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में आहरित/व्यय की गई धनराशि ₹ 1106714.00 (रु० ग्यारह लाख उनतालीस हजार सैंतीस मात्र) अभिलेखों के अभाव में गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान,

श्रीमती ऊषा रानी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी, श्री राकेश कुमार यादव से 30प्र0 पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या-256 से 259 के प्रावधानानुसार मय ब्याज के की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-01 ग्राम पंचा- अमरगंज मु0, वि0ख0- ललौरीखेड़ा, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 63- ग्राम पंचायत-कटैड़ा इस्लाम, विकास खंड-ललौरीखेड़ा, जनपद-पीलीभीत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट पर अंकित (ऑनलाइन उपलब्ध डाटा) आय-व्यय की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गई। प्रिया साफ्ट के अनुसार आय-व्यय का विवरण निम्नवत है -

मद	प्रिया साफ्ट के अनुसार
वर्ष का प्रारम्भिक अवशेष	849008.00
वर्ष में प्राप्त अनुदान	717384.00
वर्ष में आहरित /व्यय	729089.00
वर्षांत में अवशेष धनराशि	837303.00

उक्त विवरण के अनुसार लेखा परीक्षा वर्ष में आहरित की गई धनराशि ₹ 7,29,089.00 (₹ सात लाख उन्नतीस हजार नवासी मात्र) की पुष्टि में बार-बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख यथा अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कैश बुक, व्यय प्रमाणक एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

बार- बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी, श्री नुरुद्दीन द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए। पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा 8(क) के अनुसार आहरित /व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित /व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में आहरित /व्यय की गई धनराशि ₹ 7,29,089.00 (₹ सात लाख उन्नतीस हजार नवासी मात्र) अभिलेखों के अभाव में गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान, श्री शिव चरन एवं ग्राम पंचायत अधिकारी, श्री नुरुद्दीन से उ०प्र० पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या-256 से 259 के प्रावधानानुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0-01 ग्राम पंचा- कटैड़ा इस्लाम, वि0ख0- ललौरीखेड़ा, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 64- ग्राम पंचायत-मगरासा, विकास खंड-ललौरीखेड़ा, जनपद-पीलीभीत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट पर अंकित (ऑनलाइन उपलब्ध डाटा) आय -व्यय की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गई। प्रिया साफ्ट के अनुसार आय-व्यय का विवरण निम्नवत है -

मद	प्रिया साफ्ट के अनुसार
वर्ष का प्रारम्भिक अवशेष	264776.00
वर्ष में प्राप्त अनुदान	2154833.00
वर्ष में आहरित / व्यय	1243495.00
वर्षांत में अवशेष धनराशि	1176114.00

उक्त विवरण के अनुसार लेखा परीक्षा वर्ष में आहरित की गई धनराशि ₹ 12,43,495.00 (₹ बारह लाख तैंतालीस हजार चार सौ पिचानवे मात्र) की पुष्टि में बार-बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख यथा अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कैश बुक, व्यय प्रमाणक एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

बार- बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी, श्री कमल किशोर द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए। पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा 8(क) के अनुसार आहरित /व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित /व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में आहरित /व्यय की गई धनराशि ₹ 12,43,495.00 (रु० बारह लाख तैंतालीस हजार चार सौ पिचानवे मात्र) अभिलेखों के अभाव में गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान, सुश्री वुद्धों देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी, श्री कमल किशोर से उ०प्र० पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या-256 से 259 के प्रावधानानुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0-01 ग्राम पंचा- मगरासा, वि0ख0- ललौरीखेड़ा, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 65- ग्राम पंचायत- रम्पुरा मिश्र, विकास खंड- ललौरीखेड़ा, जनपद- पीलीभीत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट पर अंकित (ऑनलाइन उपलब्ध डाटा) आय -व्यय की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गई। प्रिया साफ्ट के अनुसार आय-व्यय का विवरण निम्नवत है -

मद	प्रिया साफ्ट के अनुसार
वर्ष का प्रारम्भिक अवशेष	3843400.84
वर्ष में प्राप्त अनुदान	277567.00
वर्ष में आहरित /व्यय	1725953.00
वर्षांत में अवशेष धनराशि	2395014.84

उक्त विवरण के अनुसार लेखा परीक्षा वर्ष में आहरित की गई धनराशि ₹ 17,25,953.00 (₹ सत्रह लाख पचीस हजार नौ सौ तिरेपन मात्र) की पुष्टि में बार-बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख यथा अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कैश बुक, व्यय प्रमाणक एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

बार- बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी, श्री नुरुद्दीन द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए। पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा 8(क) के अनुसार आहरित /व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित /व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में आहरित /व्यय की गई धनराशि ₹ 17,25,953.00 (₹ सत्रह लाख पचीस हजार नौ सौ तिरेपन मात्र) अभिलेखों के अभाव में गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान, श्री कृष्ण गोपाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी, श्री नुरुद्दीन से उ०प्र० पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या-256 से 259 के प्रावधानानुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0-01 ग्राम पंचा- रम्पुरा मिश्र, वि0ख0- ललौरीखेड़ा, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 66- ग्राम पंचायत-खरुआ, विकास खंड- ललौरीखेड़ा, जनपद- पीलीभीत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट पर अंकित (ऑनलाइन उपलब्ध डाटा) आय-व्यय की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गई। प्रिया साफ्ट के अनुसार आय-व्यय का विवरण निम्नवत है -

मद	प्रिया साफ्ट के अनुसार
वर्ष का प्रारम्भिक अवशेष	1958593.50
वर्ष में प्राप्त अनुदान	1835117.00
वर्ष में आहरित /व्यय	2240531.00
वर्षांत में अवशेष धनराशि	1553179.50

उक्त विवरण के अनुसार लेखा परीक्षा वर्ष में आहरित की गई धनराशि ₹ 22,40,531.00 (₹ बाईस लाख चालीस हजार पाँच सौ इक्कतीस मात्र) की पुष्टि में बार-बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख यथा अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कैश बुक, व्यय प्रमाणक एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

बार- बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी, श्री कमल किशोर द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए। पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा

जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा 8(क) के अनुसार आहरित /व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित /व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में आहरित /व्यय की गई धनराशि ₹ 22,40,531.00 (₹ बाईस लाख चालीस हजार पाँच सौ इक्कीस मात्र) अभिलेखों के अभाव में गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान, श्री इकबाल खाँ एवं ग्राम पंचायत अधिकारी, श्री कमल किशोर से उ०प्र० पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्रावधानानुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा०आ०सं०-01 ग्राम पंचा- खरुआ, वि०ख०- ललौरीखेड़ा, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 67- ग्राम पंचायत- करैड़या नवादा, विकास खंड- ललौरीखेड़ा, जनपद-पीलीभीत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट पर अंकित (ऑनलाइन उपलब्ध डाटा) आय -व्यय की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गयी। प्रिया साफ्ट के अनुसार आय-व्यय का विवरण निम्नवत है -

मद	प्रिया साफ्ट के अनुसार
वर्ष का प्रारम्भिक अवशेष	2304522.00
वर्ष में प्राप्त अनुदान	600000.00
वर्ष में आहरित /व्यय	695306.00
वर्षांत में अवशेष धनराशि	2209216.00

उक्त विवरण के अनुसार लेखा परीक्षा वर्ष में आहरित की गई धनराशि ₹ 6,95,306.00 (₹ छह लाख पचानवे हजार तीन सौ छह मात्र) की पुष्टि में बार-बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख यथा अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कैश बुक, व्यय प्रमाणक एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

बार- बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी, श्री नुरुद्दीन द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए। पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा 8(क) के अनुसार आहरित /व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित /व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में आहरित /व्यय की गई धनराशि ₹ 6,95,306.00 (₹ छह लाख पचानवे हजार तीन सौ छह मात्र) अभिलेखों के अभाव में गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान, सुश्री आसमा बेगम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी, श्री नुरुद्दीन से उ०प्र० पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्रावधानानुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा०आ०सं०-01 ग्राम पंचा- करैड़या नवादा, वि०ख०- ललौरीखेड़ा, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 68- ग्राम पंचायत-हरचुईया, विकास खंड- ललौरीखेड़ा, जनपद-पीलीभीत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट पर अंकित (ऑनलाइन उपलब्ध डाटा) आय -व्यय की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गई। प्रिया साफ्ट के अनुसार आय-व्यय का विवरण निम्नवत है -

मद	प्रिया साफ्ट के अनुसार
वर्ष का प्रारम्भिक अवशेष	421528.50
वर्ष में प्राप्त अनुदान	1744558.00
वर्ष में आहरित /व्यय	954108.00
वर्षांत में अवशेष धनराशि	1211978.50

उक्त विवरण के अनुसार लेखा परीक्षा वर्ष में आहरित की गई धनराशि ₹ 9,54,108.00 (₹ नौ लाख चौवन हजार एक सौ आठ मात्र) की पुष्टि में बार-बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख यथा अनुमोदित

कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कैश बुक, व्यय प्रमाणक एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

बार- बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी, श्री कमल किशोर द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए। पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा 8(क) के अनुसार आहरित /व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित /व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में आहरित /व्यय की गई धनराशि ₹ 9,54,108.00 (₹ नौ लाख चौवन हजार एक सौ आठ मात्र) अभिलेखों के अभाव में गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान, सुश्री ओमवती एवं ग्राम पंचायत अधिकारी, श्री कमल किशोर से उ०प्र० पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या-256 से 259 के प्रावधानानुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा०आ०सं०-01 ग्राम पंचा- हरचुड़या, वि०ख०- ललौरीखेड़ा, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 69- ग्राम पंचायत- खुण्डारा, विकास खंड- ललौरीखेड़ा, जनपद-पीलीभीत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट पर अंकित (ऑनलाइन उपलब्ध डाटा) आय -व्यय की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गयी। प्रिया साफ्ट के अनुसार आय-व्यय का विवरण निम्नवत है -

मद	प्रिया साफ्ट के अनुसार
वर्ष का प्रारम्भिक अवशेष	158798.25
वर्ष में प्राप्त अनुदान	2534040.00
वर्ष में आहरित /व्यय	1874423.00
वर्षांत में अवशेष धनराशि	818415.00

उक्त विवरण के अनुसार लेखा परीक्षा वर्ष में आहरित की गई धनराशि ₹ 1874423.00 (₹ अठ्ठारह लाख चौहत्तर हजार चार सौ तेईस मात्र) की पुष्टि में बार-बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख यथा अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कैश बुक, व्यय प्रमाणक एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

बार- बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी, श्री राधेश्याम यादव द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए। पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा 8(क) के अनुसार आहरित /व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित /व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में आहरित/व्यय की गई धनराशि ₹ 1874423.00 (₹ अठ्ठारह लाख चौहत्तर हजार चार सौ तेईस मात्र) अभिलेखों के अभाव में गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान, सुश्री माया देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी, श्री राधेश्याम यादव से उ०प्र० पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या-256 से 259 के प्रावधानानुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा०आ०सं०-01 ग्राम पंचा-खुण्डारा, वि०ख०- ललौरीखेड़ा, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 70- ग्राम पंचायत-गौछ विकास खंड-ललौरीखेड़ा जनपद-पीलीभीत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट पर अंकित व्यय, बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आहरित / व्यय की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गई। प्रिया साफ्ट एवं बैंक स्टेटमेंट, जनपद-पीलीभीत के अनुसार आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है -

मद	प्रिया साफ्ट अनुसार	बैंक स्टेटमेंट अनुसार
वर्ष का प्रारम्भिक अवशेष	1187587.00	1187937.00
वर्ष में प्राप्त अनुदान	2375308.00	2326452.00

वर्ष में आहरित / व्यय	2373237.00	2373237.00
वर्षांत में अवशेष धनराशि	1189658.00	1141152.00

उक्त विवरणानुसार लेखा परीक्षा वर्ष में आहरित की गई धनराशि ₹ 23,73,237.00 (रु० तेईस लाख तिहत्तर हजार दो सौ सैंतीस मात्र)के सापेक्ष की पुष्टि में बार बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख यथा अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कैश बुक, व्यय प्रमाणक एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र,लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

बार- बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी, श्री राकेश कुमार यादव द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए । पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा 8(क) के अनुसार आहरित /व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित /व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में आहरित /व्यय की गई धनराशि रु० 2373237.00 (रु० तेईस लाख तिहत्तर हजार दो सौ सैंतीस मात्र) अभिलेखों के अभाव में गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान, श्री वांके लाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी, श्री राकेश कुमार यादव से उ०प्र० पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या-256 से 259 के प्रावधानानुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा०आ०सं०-01 ग्राम पंचा-गौछ, वि०ख०- ललौरीखेड़ा, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 71- ग्राम पंचायत- उझैनिया रामपुर विकास खंड- ललौरीखेड़ा जनपद-पीलीभीत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट पर अंकित व्यय, बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आहरित / व्यय की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गई । प्रिया साफ्ट एवं बैंक खाता संख्या-50044382973 जनपद-पीलीभीत के बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है –

मद	प्रिया साफ्ट अनुसार	बैंक स्टेटमेंट अनुसार
वर्ष का प्रारम्भिक अवशेष	938376.00	937192.00
वर्ष में प्राप्त अनुदान	1597597.00	1042715.00
वर्ष में आहरित / व्यय	1141388.00	1143748.00
वर्षांत में अवशेष धनराशि	1394585.00	836159.00

उक्त विवरणानुसार लेखा परीक्षा वर्ष में आहरित की गई धनराशि ₹ 1143748.00(रु० ग्यारह लाख तैंतालीस हजार सात सौ अड़तालीस मात्र) के सापेक्ष की पुष्टि में बार बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख यथा अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कैश बुक, व्यय प्रमाणक एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

बार- बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी, श्री राकेश कुमार यादव द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए । पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा 8(क) के अनुसार आहरित /व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित /व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में आहरित /व्यय की गई धनराशि रु० 1143748.00 (रु० ग्यारह लाख तैंतालीस हजार सात सौ अड़तालीस मात्र) अभिलेखों के अभाव में गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान, श्रीमती रेनू पटेल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी, श्री राकेश कुमार यादव से उ०प्र० पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या-256 से 259 के प्रावधानानुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा०आ०सं०-01 ग्राम पंचा-उझैनिया रामपुर, वि०ख०- ललौरीखेड़ा, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 72- ग्राम पंचायत- उमरसड़ विकास खंड-ललौरीखेड़ा, जनपद-पीलीभीत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट पर अंकित व्यय, बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आहरित / व्यय की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गई। प्रिया साफ्ट एवं बैंक स्टेटमेंट, जनपद-पीलीभीत के अनुसार आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है -

मद	प्रिया साफ्ट अनुसार	बैंक स्टेटमेंट अनुसार
वर्ष का प्रारम्भिक अवशेष	1613605.00	1250248.00
वर्ष में प्राप्त अनुदान	2015416.00	2108798.00
वर्ष में आहरित / व्यय	1475748.00	1475748.00
वर्षांत में अवशेष धनराशि	2153273.00	1883298.00

उक्त विवरणानुसार लेखा परीक्षा वर्ष में आहरित की गई धनराशि ₹ 1475748.00 (रु० चौदह लाख पचहत्तर हजार सात सौ अड़तालीस मात्र)के सापेक्ष की पुष्टि में बार बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख यथा अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कैश बुक, व्यय प्रमाणक एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

बार- बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी, श्री राकेश कुमार यादव द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए। पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा 8(क) के अनुसार आहरित /व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित /व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में आहरित/व्यय की गई धनराशि रु० 1475748.00 (रु० चौदह लाख पचहत्तर हजार सात सौ अड़तालीस मात्र) अभिलेखों के अभाव में गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान, श्री गिरीश कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी, श्री राकेश कुमार यादव से उ०प्र० पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या-256 से 259 के प्रावधानानुसार तात्तारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0-01 ग्राम पंचा-उमरसड़, वि0ख0- ललौरीखेड़ा, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 73- ग्राम पंचायत-कनाकोर, विकास खंड-ललौरीखेड़ा, जनपद-पीलीभीत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट पर अंकित व्यय, बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आहरित/व्यय की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गयी प्रिया साफ्ट एवं बैंक खाता संख्या-50044382598 जनपद-पीलीभीत के बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है :-

मद	प्रिया साफ्ट अनुसार	बैंक स्टेटमेंट अनुसार
वर्ष का प्रारम्भिक अवशेष	4935133.00	1741577.00
वर्ष में प्राप्त अनुदान	2700000.00	2943244.00
वर्ष में आहरित/व्यय	3294841.00	3294841.00
वर्षांत में अवशेष धनराशि	4340292.00	1389980.00

उक्त विवरणानुसार लेखा परीक्षा वर्ष में आहरित की गई धनराशि ₹ 3294841.00 (रुपये बत्तीस लाख चौरानबे हजार आठ सौ इकतालीस मात्र) के सापेक्ष की पुष्टि में बार बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख यथा अनुमोदित कार्ययोजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कैशबुक, व्यय प्रमाणक एवं कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

बार- बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी, श्री राकेश कुमार यादव द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए। पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा 8(क) के अनुसार आहरित/व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित/व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में आहरित/व्यय की गई धनराशि ₹0-3294841.00 (रूपये बत्तीस लाख चौरानवे हजार आठ सौ इकतालीस मात्र) अभिलेखों के अभाव में गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान, श्रीमती वसंती देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी, श्री राकेश कुमार यादव से 30प्र0 पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या-256 से 259 के प्रावधानानुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0-01 ग्राम पंचा-कनाकोर, वि0ख0- ललौरीखेड़ा, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 74- ग्राम पंचायत-भानपुर विकास खंड-ललोरीखेड़ा जनपद-पीलीभीत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट पर अंकित व्यय/बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आहरित/व्यय की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गई। प्रिया साफ्ट एवं बैंक खाता संख्या-17490100001893 वि0खं0 ललोरीखेड़ा, जनपद पीलीभीत के बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है -

मद	प्रिया साफ्ट के अनुसार	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार
वर्ष का प्रारम्भिक अवशेष	174615.00	804432.00
वर्ष में प्राप्त अनुदान	2550173.00	1072028.00
वर्ष में आहरित / व्यय	1138801.00	1139037.00
वर्षांत में अवशेष धनराशि	1585987.00	737423.00

उक्त विवरण के अनुसार लेखा परीक्षा वर्ष में आहरित की गई धनराशि ₹ 11,39,037.00 (₹0 ग्यारह लाख उनतालीस हजार सैंतीस मात्र) की पुष्टि में बार बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख यथा अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कैश बुक, व्यय प्रमाणक एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

बार- बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कमल किशोर द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए। पंचायती राज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा 8(क) के अनुसार आहरित /व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित /व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में आहरित/व्यय की गई धनराशि ₹-11,39,037.00 (₹0 ग्यारह लाख उनतालीस हजार सैंतीस मात्र) अभिलेखों के अभाव में गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान, श्री खयाली राम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी, श्री कमल किशोर से 30प्र0 पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या-256 से 259 के प्रावधानानुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0-01 ग्राम पंचा-भानपुर, वि0ख0- ललौरीखेड़ा, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 75- ग्राम पंचायत- सिमरिया ताराचन्द, विकास खंड-ललोरीखेड़ा, जनपद-पीलीभीत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट पर अंकित (ऑनलाइन उपलब्ध डाटा) आय-व्यय की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गई। प्रिया साफ्ट के अनुसार आय-व्यय का विवरण निम्नवत है -

मद	प्रिया साफ्ट के अनुसार
वर्ष का प्रारम्भिक अवशेष	274403.00
वर्ष में प्राप्त अनुदान	1224939.00
वर्ष में आहरित / व्यय	745329.00
वर्षांत में अवशेष धनराशि	754013.00

उक्त विवरण के अनुसार लेखा परीक्षा वर्ष में आहरित की गई धनराशि ₹ 745329.00 (रूपये सात लाख पैंतालीस हजार तीन सौ उन्नतीस मात्र) की पुष्टि में बार-बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख यथा अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कैश बुक, व्यय प्रमाणक एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

बार- बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी, श्रीमती रोशनी वर्मा द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए। पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा 8(क) के अनुसार आहरित /व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित /व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में आहरित/व्यय की गई धनराशि रु० 745329.00(रुपये सात लाख पैंतालीस हजार तीन सौ उन्नतीस मात्र) को अभिलेखों के अभाव में गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान, श्रीमती शावरी बेगम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी, श्रीमती रोशनी वर्मा से उ०प्र० पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या-256 से 259 के प्रावधानानुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0-01 ग्राम पंचा-सिमरिया तारचंद, वि०ख०- ललौरीखेड़ा, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 76- ग्राम पंचायत-जहानाबाद देहात, विकास खंड-ललौरीखेड़ा, जनपद-पीलीभीत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट पर अंकित (ऑनलाइन उपलब्ध डाटा) आय-व्यय की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गई। प्रिया साफ्ट के अनुसार आय-व्यय का विवरण निम्नवत है -

मद	प्रिया साफ्ट के अनुसार
वर्ष का प्रारम्भिक अवशेष	1352481.00
वर्ष में प्राप्त अनुदान	1944380.00
वर्ष में आहरित / व्यय	2007313.00
वर्षांत में अवशेष धनराशि	1289548.00

उक्त विवरण के अनुसार लेखा परीक्षा वर्ष में आहरित की गई धनराशि ₹ 2007313.00 (रु०बीस लाख सात हजार तीन सौ तेरहमात्र) की पुष्टि में बार-बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख यथा अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कैश बुक, व्यय प्रमाणक एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

बार- बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी, श्री अमित दुबे द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए। पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा 8(क) के अनुसार आहरित /व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित /व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में आहरित/व्यय की गई धनराशि ₹ 20,073,13.00 (रु० बीस लाख सात हजार तीन सौ तेरह मात्र) अभिलेखों के अभाव में गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान, श्री रामदयाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी, श्री अमित दुबे से उ०प्र० पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्रावधानानुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0-01 ग्राम पंचा-जहानाबाद देहात, वि०ख०- ललौरीखेड़ा, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 77- ग्राम पंचायत- कल्यानपुर खास, विकास खंड-ललौरीखेड़ा, जनपद-पीलीभीत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट पर अंकित (ऑनलाइन उपलब्ध डाटा) आय-व्यय की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गई। प्रिया साफ्ट के अनुसार आय-व्यय का विवरण निम्नवत है -

मद	प्रिया साफ्ट के अनुसार
वर्ष का प्रारम्भिक अवशेष	2017389.00
वर्ष में प्राप्त अनुदान	1224774.00
वर्ष में आहरित / व्यय	1871646.00
वर्षांत में अवशेष धनराशि	1370517.00

उक्त विवरण के अनुसार लेखा परीक्षा वर्ष में आहरित की गई धनराशि ₹ 18,71,646.00 (रु० अठ्ठारह लाख इकहतर हजार छः सौ छियालीस मात्र) की पुष्टि में बार-बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख यथा अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कैश बुक, व्यय प्रमाणक एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

बार- बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी, श्री अमित दुबे द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए। पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा 8(क) के अनुसार आहरित /व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित /व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में आहरित/व्यय की गई धनराशि ₹ 18,71,646.00 (रु० अठ्ठारह लाख इकहतर हजार छः सौ छियालीस) अभिलेखों के अभाव में गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान, श्री वेदपाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी, श्री अमित दुबे से उ०प्र० पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्रावधानानुसार तात्तारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा०आ०सं०-01 ग्राम पंचा-कल्यानपुर खास, वि०ख०- ललौरीखेड़ा, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 78- ग्राम पंचायत-मीरपुर विकास खंड-ललौरीखेड़ा जनपद-पीलीभीत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट पर अंकित व्यय, बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आहरित/व्यय की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गई। प्रिया साफ्ट एवं बैंक खाता संख्या-0385000100218002 जनपद-पीलीभीत के बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है-

मद	प्रिया साफ्ट अनुसार	बैंक स्टेटमेंट अनुसार
वर्ष का प्रारम्भिक अवशेष	128449.00	209591.00
वर्ष में प्राप्त अनुदान	1041425.00	836317.00
वर्ष में आहरित / व्यय	825612.00	830640.00
वर्षांत में अवशेष धनराशि	344262.00	215268.00

उक्त विवरणानुसार लेखा परीक्षा वर्ष में आहरित की गई धनराशि ₹-8,30,640.00 (रु० आठ लाख तीस हजार छह सौ चालीस मात्र)के सापेक्ष की पुष्टि मेबार बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख यथा अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका , कैश बुक , व्यय प्रमाणक एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

बार- बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी, श्री पंकज शर्मा द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए। पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा-8(क) के अनुसार आहरित/व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित /व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में आहरित/व्यय की गई धनराशि रु०-830640.00 (₹ आठ लाख तीस हजार छह सौ चालीस मात्र) अभिलेखों के अभाव में गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान, श्री गिरीश चन्द्र एवं ग्राम पंचायत अधिकारी, श्री पंकज शर्मा से उ०प्र० पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या-256 से 259 के प्रावधानानुसार तात्तारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा०आ०सं०-01 ग्राम पंचा-मीरपुर, वि०ख०- ललौरीखेड़ा, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 79- ग्राम पंचायत-ऐमी, विकास खंड-ललौरीखेड़ा, जनपद-पीलीभीत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्टपर अंकित व्यय, बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आहरित/व्यय की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गई। प्रिया साफ्ट एवं बैंक खाता संख्या-50044381924जनपद-पीलीभीत के बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है -

मद	प्रिया साफ्ट अनुसार	बैंक स्टेटमेंट अनुसार
वर्ष का प्रारम्भिक अवशेष	289453.00	289430.00
वर्ष में प्राप्त अनुदान	1541422.00	1331418.00
वर्ष में आहरित / व्यय	876323.00	876331.00
वर्षांत में अवशेष धनराशि	954552.00	744517.00

उक्त विवरणानुसार लेखा परीक्षा वर्ष में आहरित की गई धनराशि ₹ 8,76,331.00 (रु० आठ लाख छिहत्तर हजार तीन सौ इकतीस मात्र) के सापेक्ष की पुष्टि में बार बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख यथा अनुमोदित कार्ययोजना, प्रस्तावपंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माँपपुस्तिका, कैशबुक, व्यय प्रमाणक एवं कार्यपूति प्रमाणपत्र, लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

बार- बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी, श्री पंकज शर्मा द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए। पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा 8(क) के अनुसार आहरित / व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित / व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में आहरित/व्यय की गई धनराशि रु० 8,76,331.00 (रु० आठ लाख छिहत्तर हजार तीन सौ इकतीस मात्र) को अभिलेखों के अभाव में गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान, श्रीमती चमेली देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी, श्री पंकज शर्मा से उ०प्र० पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्रावधानानुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा०आ०सं०-01 ग्राम पंचा-ऐमी, वि०ख०- ललौरीखेड़ा, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 80- ग्राम पंचायत-पौटाकला, विकास खंड-ललौरीखेड़ा, जनपद-पीलीभीत की वर्ष 2020-21 की लेखापरीक्षा प्रिया साफ्ट पर अंकित (ऑनलाइन उपलब्ध डाटा) आय-व्यय की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गई। प्रिया साफ्ट के अनुसार आय-व्यय का विवरण निम्नवत है -

मद	प्रिया साफ्ट के अनुसार
वर्ष का प्रारम्भिक अवशेष	535145.00
वर्ष में प्राप्त अनुदान	6874627.00
वर्ष में आहरित / व्यय	2862257.00
वर्षांत में अवशेष धनराशि	4547515.00

उक्त विवरण के अनुसार लेखा परीक्षा वर्ष में आहरित की गई धनराशि ₹ 2862257.00 (रु० अट्ठाईस लाख बासठ हजार दो सौ सत्तावन मात्र) की पुष्टि में बार-बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख यथा अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कैश बुक, व्यय प्रमाणक एवं कार्य पूति प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

बार- बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी, सुश्री रोशनी वर्मा द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए। पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा 8(क) के अनुसार आहरित / व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित / व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में आहरित/व्यय की गई धनराशि ₹-2862257.00 (रु० अट्ठाईस लाख बासठ हजार दो सौ सत्तावन मात्र) अभिलेखों के अभाव में गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान, श्री वीरेन्द्र कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी, सुश्री रोशनी वर्मा से उ०प्र० पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या-256 से 259 के प्रावधानानुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा०आ०सं०-01 ग्राम पंचा-पौटाकला, वि०ख०- ललौरीखेड़ा, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 81- ग्राम पंचायत-बरहा विकास खंड-ललौरीखेड़ा जनपद-पीलीभीत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट पर अंकित व्यय, बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आहरित / व्यय की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गई। प्रिया साफ्ट एवं बैंक खाता संख्या-24110100001490 जनपद-पीलीभीत के बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है-

मद	प्रिया साफ्ट अनुसार	बैंक स्टेटमेंट अनुसार
वर्ष का प्रारम्भिक अवशेष	4668579.00	4645104.00
वर्ष में प्राप्त अनुदान	5826420.00	8112653.00
वर्ष में आहरित / व्यय	6975937.00	7080477.00
वर्षांत में अवशेष धनराशि	3519062.00	5677280.00

उक्त विवरणानुसार लेखा परीक्षा वर्ष में आहरित की गई धनराशि ₹ 7080477.00 (₹ सत्तर लाख अस्सी हजार चार सौ सतहत्तर मात्र) के सापेक्ष की पुष्टि में बार बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख यथा अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कैश बुक, व्यय प्रमाणक एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

बार- बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी, श्री अमित दुबे द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए। पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा 8(क) के अनुसार आहरित / व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित / व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में आहरित / व्यय की गई धनराशि ₹ 70,80,477.00 (₹ सत्तर लाख अस्सी हजार चार सौ सतहत्तर मात्र) अभिलेखों के अभाव में गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान, श्री अशरफअली एवं ग्राम पंचायत अधिकारी, श्री अमित दुबे से उ०प्र० पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्रावधानानुसार तात्तारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0-01 ग्राम पंचा-बरहा, वि0ख0- ललौरीखेड़ा, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 82- ग्राम पंचायत-प्यास विकास खंड-ललौरीखेड़ा, जनपद- पीलीभीत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट पर अंकित व्यय/बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आहरित/व्यय की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गई। प्रिया साफ्ट एवं बैंक खाता संख्या-17490100014237 वि0ख0 ललौरीखेड़ा, जनपद पीलीभीत के बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है -

मद	प्रिया साफ्ट अनुसार	बैंक स्टेटमेंट अनुसार
वर्ष का प्रारम्भिक अवशेष	160463.00	179085.00
वर्ष में प्राप्त अनुदान	1903683.00	739416.00
वर्ष में आहरित / व्यय	587707.00	588309.00
वर्षांत में अवशेष धनराशि	1476439.00	330192.00

उक्त विवरण के अनुसार लेखा परीक्षा वर्ष में आहरित की गई धनराशि ₹ 5,88,309.00 (₹ पाँच लाख अट्ठासी हजार तीन सौ नौ मात्र) की पुष्टि में बार बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख यथा अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कैश बुक, व्यय प्रमाणक एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

बार- बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कमल किशोर द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए। पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा 8(क) के अनुसार आहरित / व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित/व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में आहरित/व्यय की गई धनराशि ₹ 5,88,309.00 (रु० पाँच लाख अट्ठासी हजार तीन सौ नौ मात्र) अभिलेखों के अभाव में गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान, श्रीमती सावित्री एवं ग्राम पंचायत अधिकारी, श्री कमल किशोर से उ०प्र० पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्रावधानानुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा०आ०सं०-01 ग्राम पंचा-प्यास, वि०ख०- ललौरीखेड़ा, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 83- ग्राम पंचायत-भानडांडी विकास खंड-ललोरीखेड़ा जनपद-पीलीभीत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट पर अंकित व्यय/बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आहरित/व्यय की गई धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई। प्रिया साफ्ट एवं बैंक खाता संख्या-17490100001667 वि०ख० ललोरी खेड़ा, जनपद पीलीभीत के बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है -

मद	प्रिया साफ्ट अनुसार	बैंक स्टेटमेंट अनुसार
वर्ष का प्रारम्भिक अवशेष	8244355.00	496756.00
वर्ष में प्राप्त अनुदान	1131556.00	1237528.00
वर्ष में आहरित / व्यय	975431.00	976021.00
वर्षांत में अवशेष धनराशि	980480.00	758263.00

उक्त विवरणानुसार लेखा परीक्षा वर्ष में आहरित की गई धनराशि ₹-9,76,021(रु० नौ लाख छियत्तर हजार इक्कीस मात्र) की पुष्टि में बार बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख यथा अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कैश बुक, व्यय प्रमाणक एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

बार- बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नुरुद्दीन द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए। पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार आहरित/व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित/व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में आहरित /व्यय की गई धनराशि ₹- 9,76,021 (रूपये नौ लाख छियत्तर हजार इक्कीस मात्र) अभिलेखों के अभाव में गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान, श्री शरद कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी, श्री नुरुद्दीन से उ०प्र० पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्रावधानानुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा०आ०सं०-01 ग्राम पंचा-भानडांडी, वि०ख०- ललौरीखेड़ा, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 84- ग्राम पंचायत-अलियापुर, विकास खंड-ललोरीखेड़ा, जनपद-पीलीभीत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट पर अंकित (ऑनलाइन उपलब्ध डाटा) आय-व्यय की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गई। प्रिया साफ्ट के अनुसार आय-व्यय का विवरण निम्नवत है -

मद	प्रिया साफ्ट के अनुसार
वर्ष का प्रारम्भिक अवशेष	323412.00
वर्ष में प्राप्त अनुदान	3533646.00
वर्ष में आहरित / व्यय	2631671.00
वर्षांत में अवशेष धनराशि	1225387.00

उक्त विवरण के अनुसार लेखा परीक्षा वर्ष में आहरित की गई धनराशि ₹ 2631671 (रूपये छब्बीस लाख इक्कीस हजार छह सौ इकहत्तर मात्र) की पुष्टि में बार-बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख यथा अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कैश बुक, व्यय प्रमाणक एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

बार- बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी, सुश्री रोशनी वर्मा द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए। पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा 8(क) के अनुसार आहरित /व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित /व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में आहरित/व्यय की गई धनराशि ₹ 2631671.00 (रुपये छब्बीस लाख इकतीस हजार छः सौ इकहतर मात्र) अभिलेखों के अभाव में गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान, सुश्री हेमलता एवं ग्राम पंचायत अधिकारी, सुश्री रोशनी वर्मा से उ०प्र० पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या-256 से 259 के प्रावधानानुसार तात्तरीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0-01 ग्राम पंचा-अलियापुर, वि0ख0- ललौरीखेड़ा, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 85- ग्राम पंचायत- हांडा विकास खंड-ललौरीखेड़ा जनपद-पीलीभीत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट पर अंकित व्यय/बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आहरित/व्यय की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गई। प्रिया साफ्ट एवं बैंक खाता संख्या-17490100014239 वि0खं0, ललौरीखेड़ा, जनपद पीलीभीत के बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है-

मद	प्रिया साफ्ट अनुसार	बैंक स्टेटमेंट अनुसार
वर्ष का प्रारम्भिक अवशेष	325250.00	767438.00
वर्ष में प्राप्त अनुदान	1782014.00	1025288.00
वर्ष में आहरित/व्यय	1431453.00	1432043.00
वर्षांत में अवशेष धनराशि	675811.00	360683.00

उक्त विवरण के अनुसार लेखा परीक्षा वर्ष में आहरित की गई धनराशि ₹14,32,043.00 (रु० चौदह लाख बत्तीस हजार तैंतालीस मात्र) की पुष्टि में बार बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख यथा अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टेटमेंट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कैश बुक, व्यय प्रमाणक एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

बार- बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कमल किशोर द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए। पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा-8(क) के अनुसार आहरित /व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित/व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में आहरित/व्यय की गई धनराशि ₹ 14,32,043.00 (रु० चौदह लाख बत्तीस हजार तैंतालीस मात्र) अभिलेखों के अभाव में गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान, सुश्री तरन्नुम बेगम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी, श्री कमल किशोर से उ०प्र० पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या -256 से 259 के प्रावधानानुसार तात्तरीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0-01 ग्राम पंचा-हांडा, वि0ख0- ललौरीखेड़ा, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 86- ग्राम पंचायत- रम्पुरा उड़नेनिया विकास खंड-ललौरीखेड़ा जनपद-पीलीभीत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट पर अंकित व्यय, बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आहरित / व्यय की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गई। प्रिया साफ्ट एवं बैंक खाता संख्या-1790100014238 जनपद-पीलीभीत के बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है -

मद	प्रिया साफ्ट अनुसार	बैंक स्टेटमेंट अनुसार
वर्ष का प्रारम्भिक अवशेष	965597.00	965597.00
वर्ष में प्राप्त अनुदान	602097.00	831264.00
वर्ष में आहरित / व्यय	1213804.00	1214347.00

वर्षात में अवशेष धनराशि	353890.00	582514.00

उक्त विवरणानुसार लेखा परीक्षा वर्ष में आहरित की गई धनराशि ₹ 1214347.00 (रु० बारह लाख चौदह हजार तीन सौ सैंतालीस मात्र) के सापेक्ष की पुष्टि में बार बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख यथा अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कैश बुक, व्यय प्रमाणक एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

बार- बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी, श्री राकेश कुमार यादव द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए। पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा 8(क) के अनुसार आहरित /व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित /व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में आहरित /व्यय की गई धनराशि रु० 1214347.00(रु० बारह लाख चौदह हजार तीन सौ सैंतालीस मात्र) अभिलेखों के अभाव में गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान, श्रीमती प्रतिभा गंगवार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी, श्री राकेश कुमार यादव से उ०प्र० पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या-256 से 259 के प्रावधानानुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0-01 ग्राम पंचा-रम्पुरा उड़ैनिया, वि०ख०- ललौरीखेड़ा, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 87- वित्तीय वर्ष 2020-21 के ग्राम पंचायत पुरैना के ग्राम निधि-1 प्रथम के अनुसार व्यय की गयी धनराशि अंकन रु. 1395161.00 का आहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव (ग्रा०वि०/पं०) द्वारा दिनांक- 01.04.2020 से 31.03.2021 के मध्य किया गया है। उक्त आहरित धनराशि के व्यय 14 वे/चतुर्थ राज्य वित्ति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुरूप किये जाने के पुष्टि में बार-बार मांगे जाने के उपरान्त भी तत्कालीन ग्रा० पं०/वि०अधि० और ग्राम प्रधान द्वारा आवश्यक अभिलेख जैसे- कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्ययोजना, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, प्रशासनिक वित्तीय, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, कोषवही, सामग्री क्रय आदेश, बिल-बाउचर, एम०बी०, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, मस्टर रोल, जी०एस०टी० पंजिका, टी०डी०एस० कटौती पंजिका, स्टोर पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे अंकन रु 1395161.00 का आहरण अभिलेखों के अभाव में अपुष्ट रहे।

वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 (क) के पैरा 8 (क) के प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त वर्णित अभिलेखों के अभाव में ग्राम निधि प्रथम खाते से आहरित (ग्राम प्रधान/सचिव द्वारा) समस्त धनराशि को अपहरण मानते हुए समस्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से किया जाना चाहिए। पुनः उ० प्र० पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम सं०- 256(1) प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि को व्यय नियम संगत नहीं किये जाने पर आहरित समस्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम वि०/पं० अधिकारी से किये जाना चाहिए।

उपरोक्त नियमों/प्रावधानों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2020-21 में आहरित समस्त धनराशि अंकन रु. 1395161.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती देव कुमारी तथा ग्राम विकास अधिकारी, श्री मो० रिजवान, (उनके कार्यकाल की पुष्टि उपरान्त) से तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0-01 ग्राम पंचा-पुरैना, वि०ख०- बरखेड़ा, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 88- वित्तीय वर्ष 2020-21 के ग्राम पंचायत कबूलपुर के ग्राम निधि-1 प्रथम के अनुसार व्यय की गयी धनराशि अंकन रु. 1070556.00 का आहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव (ग्रा०वि०/पं०) द्वारा दिनांक- 01.04.2020 से 31.03.2021 के मध्य किया गया है। उक्त आहरित धनराशि के व्यय 14 वे/चतुर्थ राज्य वित्ति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुरूप किये जाने के पुष्टि में बार-बार मांगे जाने के उपरान्त भी तत्कालीन ग्रा० पं०/वि०अधि० और ग्राम प्रधान द्वारा आवश्यक अभिलेख जैसे- कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्ययोजना, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, प्रशासनिक वित्तीय, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, कोषवही, सामग्री क्रय आदेश, बिल-बाउचर, एम०बी०, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, मस्टर रोल, जी०एस०टी० पंजिका,

टी0डी0एस0 कटौती पंजिका, स्टोर पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे अंकन रु 1070556.00 का आहरण अभिलेखों के अभाव में अपुष्ट रहे।

वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 (क) के पैरा 8 (क) के प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त वर्णित अभिलेखों के अभाव में ग्राम निधि प्रथम खाते से आहरित (ग्राम प्रधान/सचिव द्वारा) समस्त धनराशि को अपहरण मानते हुए समस्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से किया जाना चाहिए। पुनः 30 प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम सं0- 256(1) प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि को व्यय नियम संगत नहीं किये जाने पर आहरित समस्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम वि0/पं0 अधिकारी से किये जाना चाहिए।

उपरोक्त नियमों/प्रावधानों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2020-21 में आहरित समस्त धनराशि अंकन रु. 1070566.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री रामकुमार तथा ग्राम विकास अधिकारी, श्री मो0 रिजवान, (उनके कार्यकाल की पुष्टि उपरान्त) से तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0-01 ग्राम पंचा-कबूलपुर, वि0ख0- बरखेड़ा, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 89- वित्तीय वर्ष 2020-21 के ग्राम पंचायत पतरासा कुंवरपुर के ग्राम निधि-1 प्रथम के अनुसार व्यय की गयी धनराशि अंकन रु. 991684.00 का आहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव (ग्रा0वि0/पं0) द्वारा दिनांक- 01.04.2020 से 31.03.2021 के मध्य किया गया है। उक्त आहरित धनराशि के व्यय 14 वे/चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुरूप किये जाने के पुष्टि में बार-बार मांगे जाने के उपरान्त भी तत्कालीन ग्रा0 पं0/वि0अधि0 और ग्राम प्रधान द्वारा आवश्यक अभिलेख जैसे- कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्ययोजना, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, प्रशासनिक वित्तीय, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, कोषवही, सामग्री क्रय आदेश, बिल-बाउचर, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, मस्टर रोल, जी0एस0टी0 पंजिका, टी0डी0एस0 कटौती पंजिका, स्टोर पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे अंकन रु 991684.00 का आहरण अभिलेखों के अभाव में अपुष्ट रहे।

वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 (क) के पैरा 8 (क) के प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त वर्णित अभिलेखों के अभाव में ग्राम निधि प्रथम खाते से आहरित (ग्राम प्रधान/सचिव द्वारा) समस्त धनराशि को अपहरण मानते हुए समस्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से किया जाना चाहिए। पुनः 30 प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम सं0- 256(1) प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि को व्यय नियम संगत नहीं किये जाने पर आहरित समस्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम वि0/पं0 अधिकारी से किये जाना चाहिए।

उपरोक्त नियमों/प्रावधानों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2020-21 में आहरित समस्त धनराशि अंकन रु. 991684.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती चमेली तथा ग्राम विकास अधिकारी, श्री मो0 रिजवान, (उनके कार्यकाल की पुष्टि उपरान्त) से तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0-01 ग्राम पंचा-पतरासा कुंवरपुर, वि0ख0- बरखेड़ा, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 90- वित्तीय वर्ष 2020-21 के ग्राम पंचायत कटकबारा के ग्राम निधि-1 प्रथम के अनुसार व्यय की गयी धनराशि अंकन रु. 1457456.00 का आहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव (ग्रा0वि0/पं0) द्वारा दिनांक- 01.04.2020 से 31.03.2021 के मध्य किया गया है। उक्त आहरित धनराशि के व्यय 14 वे/चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुरूप किये जाने के पुष्टि में बार-बार मांगे जाने के उपरान्त भी तत्कालीन ग्रा0 पं0/वि0अधि0 और ग्राम प्रधान द्वारा आवश्यक अभिलेख जैसे- कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्ययोजना, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, प्रशासनिक वित्तीय, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, कोषवही, सामग्री क्रय आदेश, बिल-बाउचर, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, मस्टर रोल, जी0एस0टी0 पंजिका, टी0डी0एस0 कटौती पंजिका, स्टोर पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे अंकन रु 1457456.00 का आहरण अभिलेखों के अभाव में अपुष्ट रहे।

वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 (क) के पैरा 8 (क) के प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त वर्णित अभिलेखों के अभाव में ग्राम निधि प्रथम खाते से आहरित (ग्राम प्रधान/सचिव द्वारा) समस्त धनराशि को अपहरण मानते हुए समस्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से किया जाना चाहिए। पुनः 30 प्र० पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम सं०- 256(1) प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि को व्यय नियम संगत नहीं किये जाने पर आहरित समस्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम वि०/पं० अधिकारी से किये जाना चाहिए।

उपरोक्त नियमों/प्रावधानों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2020-21 में आहरित समस्त धनराशि अंकन रु. 1457456.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती कृष्णा कुमारी ग्राम विकास अधिकारी, श्री मो० रिजवान, (उनके कार्यकाल की पुष्टि उपरान्त) से तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा०आ०सं०-०१ ग्राम पंचा-कटकबारा, वि०ख०- बरखेड़ा, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 91- वित्तीय वर्ष 2020-21 के ग्राम पंचायत मुडिया हुलास के ग्राम निधि-1 प्रथम के अनुसार व्यय की गयी धनराशि अंकन रु. 930057.00 का आहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव (ग्रा०वि०/पं०) द्वारा दिनांक- 01.04.2020 से 31.03.2021 के मध्य किया गया है। उक्त आहरित धनराशि के व्यय 14 वे/चतुर्थ राज्य वित्ति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुरूप किये जाने के पुष्टि में बार-बार मांगे जाने के उपरान्त भी तत्कालीन ग्रा० पं०/वि०अधि० और ग्राम प्रधान द्वारा आवश्यक अभिलेख जैसे- कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्ययोजना, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, प्रशासनिक वित्तीय, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, कोषवही, सामग्री क्रय आदेश, बिल-बाउचर, एम०बी०, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, मस्टर रोल, जी०एस०टी० पंजिका, टी०डी०एस० कटौती पंजिका, स्टोर पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे अंकन रु 930057.00 का आहरण अभिलेखों के अभाव में अपुष्ट रहे।

वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 (क) के पैरा 8 (क) के प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त वर्णित अभिलेखों के अभाव में ग्राम निधि प्रथम खाते से आहरित (ग्राम प्रधान/सचिव द्वारा) समस्त धनराशि को अपहरण मानते हुए समस्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से किया जाना चाहिए। पुनः 30 प्र० पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम सं०- 256(1) प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि को व्यय नियम संगत नहीं किये जाने पर आहरित समस्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम वि०/पं० अधिकारी से किये जाना चाहिए।

उपरोक्त नियमों/प्रावधानों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2020-21 में आहरित समस्त धनराशि अंकन रु. 930057.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री माखनलाल तथा ग्राम विकास अधिकारी, श्री मो० रिजवान, (उनके कार्यकाल की पुष्टि उपरान्त) से तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा०आ०सं०-०१ ग्राम पंचा-मुडिया हुलास, वि०ख०- बरखेड़ा, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 92- वित्तीय वर्ष 2020-21 के ग्राम पंचायत नवादा महेश के ग्राम निधि-1 प्रथम के अनुसार व्यय की गयी धनराशि अंकन रु. 1796480.00 का आहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव (ग्रा०वि०/पं०) द्वारा दिनांक- 01.04.2020 से 31.03.2021 के मध्य किया गया है। उक्त आहरित धनराशि के व्यय 14 वे/चतुर्थ राज्य वित्ति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुरूप किये जाने के पुष्टि में बार-बार मांगे जाने के उपरान्त भी तत्कालीन ग्रा० पं०/वि०अधि० और ग्राम प्रधान द्वारा आवश्यक अभिलेख जैसे- कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्ययोजना, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, प्रशासनिक वित्तीय, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, कोषवही, सामग्री क्रय आदेश, बिल-बाउचर, एम०बी०, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, मस्टर रोल, जी०एस०टी० पंजिका, टी०डी०एस० कटौती पंजिका, स्टोर पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे अंकन रु 1796480.00 का आहरण अभिलेखों के अभाव में अपुष्ट रहे।

वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 (क) के पैरा 8 (क) के प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त वर्णित अभिलेखों के अभाव में ग्राम निधि प्रथम खाते से आहरित (ग्राम प्रधान/सचिव द्वारा) समस्त धनराशि को अपहरण मानते हुए समस्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से किया जाना चाहिए। पुनः 30 प्र०

पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम सं0- 256(1) प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि को व्यय नियम संगत नहीं किये जाने पर आहरित समस्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम वि0/पं0 अधिकारी से किये जाना चाहिए।

उपरोक्त नियमों/प्रावधानों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2020-21 में आहरित समस्त धनराशि अंकन रु. 1796480.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री महेन्द्र पाल तथा ग्राम विकास अधिकारी, श्री मो0 रिजवान, (उनके कार्यकाल की पुष्टि उपरान्त) से तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0-01 ग्राम पंचा-नवादा महेश वि0ख0- बरखेड़ा, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 93- वित्तीय वर्ष 2020-21 के ग्राम पंचायत भैंसहा ग्वालपुर के ग्राम निधि-1 प्रथम के अनुसार व्यय की गयी धनराशि अंकन रु. 880245.00 का आहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव (ग्रा0वि0/पं0) द्वारा दिनांक- 01.04.2020 से 31.03.2021 के मध्य किया गया है। उक्त आहरित धनराशि के व्यय 14 वे/चतुर्थ राज्य वित्ति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुरूप किये जाने के पुष्टि में बार-बार मांगे जाने के उपरान्त भी तत्कालीन ग्रा0 पं0/वि0अधि0 और ग्राम प्रधान द्वारा आवश्यक अभिलेख जैसे- कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्ययोजना, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, प्रशासनिक वित्तीय, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, कोषवही, सामग्री क्रय आदेश, बिल-बाउचर, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, मस्टर रोल, जी0एस0टी0 पंजिका, टी0डी0एस0 कटौती पंजिका, स्टोर पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे अंकन रु 880245.00 का आहरण अभिलेखों के अभाव में अपुष्ट रहे।

वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 (क) के पैरा 8 (क) के प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त वर्णित अभिलेखों के अभाव में ग्राम निधि प्रथम खाते से आहरित (ग्राम प्रधान/सचिव द्वारा) समस्त धनराशि को अपहरण मानते हुए समस्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से किया जाना चाहिए। पुनः 30 प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम सं0- 256(1) प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि को व्यय नियम संगत नहीं किये जाने पर आहरित समस्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम वि0/पं0 अधिकारी से किये जाना चाहिए।

उपरोक्त नियमों/प्रावधानों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2020-21 में आहरित समस्त धनराशि अंकन रु. 880245.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री मान सिंह तथा ग्राम विकास अधिकारी, श्री मो0 रिजवान, (उनके कार्यकाल की पुष्टि उपरान्त) से तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0-01 ग्राम पंचा-भैंसहा ग्वालपुर, वि0ख0- बरखेड़ा, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 94- वित्तीय वर्ष 2020-21 के ग्राम पंचायत जगीपुर जैतपुर के ग्राम निधि-1 प्रथम के अनुसार व्यय की गयी धनराशि अंकन रु. 1021345.00 का आहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव (ग्रा0वि0/पं0) द्वारा दिनांक- 01.04.2020 से 31.03.2021 के मध्य किया गया है। उक्त आहरित धनराशि के व्यय 14 वे/चतुर्थ राज्य वित्ति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुरूप किये जाने के पुष्टि में बार-बार मांगे जाने के उपरान्त भी तत्कालीन ग्रा0 पं0/वि0अधि0 और ग्राम प्रधान द्वारा आवश्यक अभिलेख जैसे- कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्ययोजना, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, प्रशासनिक वित्तीय, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, कोषवही, सामग्री क्रय आदेश, बिल-बाउचर, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, मस्टर रोल, जी0एस0टी0 पंजिका, टी0डी0एस0 कटौती पंजिका, स्टोर पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे अंकन रु 1021345.00 का आहरण अभिलेखों के अभाव में अपुष्ट रहे।

वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 (क) के पैरा 8 (क) के प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त वर्णित अभिलेखों के अभाव में ग्राम निधि प्रथम खाते से आहरित (ग्राम प्रधान/सचिव द्वारा) समस्त धनराशि को अपहरण मानते हुए समस्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से किया जाना चाहिए। पुनः 30 प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम सं0- 256(1) प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि को व्यय नियम संगत नहीं किये जाने पर आहरित समस्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम वि0/पं0 अधिकारी से किये जाना चाहिए।

उपरोक्त नियमों/प्रावधानों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2020-21 में आहरित समस्त धनराशि अंकन रु. 1021345.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सोमवती तथा ग्राम विकास अधिकारी, श्री मो० रिजवान, (उनके कार्यकाल की पुष्टि उपरान्त) से तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा०आ०सं०-०१ ग्राम पंचा-जगीपुर जैतपुर, वि०ख०- बरखेड़ा, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 95- वित्तीय वर्ष 2020-21 के ग्राम पंचायत पिपरिया मंडन के ग्राम निधि-1 प्रथम के अनुसार व्यय की गयी धनराशि अंकन रु. 2049817.00 का आहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान एव पंचायत सचिव (ग्रा०वि०/पं०) द्वारा दिनांक- 01.04.2020 से 31.03.2021 के मध्य किया गया है। उक्त आहरित धनराशि के व्यय 14 वे/चतुर्थ राज्य वित्ति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुरूप किये जाने के पुष्टि में बार-बार मांगे जाने के उपरान्त भी तत्कालीन ग्रा० पं०/वि०अधि० और ग्राम प्रधान द्वारा आवश्यक अभिलेख जैसे- कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्ययोजना, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, प्रशासनिक वित्तीय, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, कोषवही, सामग्री क्रय आदेश, बिल-बाउचर, एम०बी०, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, मस्टर रोल, जी०एस०टी० पंजिका, टी०डी०एस० कटौती पंजिका, स्टोर पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे अंकन रु 2049817.00 का आहरण अभिलेखों के अभाव में अपुष्ट रहे।

वित लेखा मैनुअल के अध्याय-8 (क) के पैरा 8 (क) के प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त वर्णित अभिलेखों के अभाव में ग्राम निधि प्रथम खाते से आहरित (ग्राम प्रधान/सचिव द्वारा) समस्त धनराशि को अपहरण मानते हुए समस्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से किया जाना चाहिए। पुनः 30 प्र० पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम सं०- 256(1) प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि को व्यय नियम संगत नहीं किये जाने पर आहरित समस्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम वि०/पं० अधिकारी से किये जाना चाहिए।

उपरोक्त नियमों/प्रावधानों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2020-21 में आहरित समस्त धनराशि अंकन रु. 2049817.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती लौंगश्री तथा ग्राम विकास अधिकारी, श्री मो० रिजवान, (उनके कार्यकाल की पुष्टि उपरान्त) से तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा०आ०सं०-०१ ग्राम पंचा-पिपरिया मंडन, वि०ख०- बरखेड़ा, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 96- वित्तीय वर्ष 2020-21 के ग्राम पंचायत परेवा अनूप के ग्राम निधि-1 प्रथम के अनुसार व्यय की गयी धनराशि अंकन रु. 1208802.00 का आहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान एव पंचायत सचिव (ग्रा०वि०/पं०) द्वारा दिनांक- 01.04.2020 से 31.03.2021 के मध्य किया गया है। उक्त आहरित धनराशि के व्यय 14 वे/चतुर्थ राज्य वित्ति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुरूप किये जाने के पुष्टि में बार-बार मांगे जाने के उपरान्त भी तत्कालीन ग्रा० पं०/वि०अधि० और ग्राम प्रधान द्वारा आवश्यक अभिलेख जैसे- कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्ययोजना, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, प्रशासनिक वित्तीय, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, कोषवही, सामग्री क्रय आदेश, बिल-बाउचर, एम०बी०, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, मस्टर रोल, जी०एस०टी० पंजिका, टी०डी०एस० कटौती पंजिका, स्टोर पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे अंकन रु 1208802.00 का आहरण अभिलेखों के अभाव में अपुष्ट रहे।

वित लेखा मैनुअल के अध्याय-8 (क) के पैरा 8 (क) के प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त वर्णित अभिलेखों के अभाव में ग्राम निधि प्रथम खाते से आहरित (ग्राम प्रधान/सचिव द्वारा) समस्त धनराशि को अपहरण मानते हुए समस्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से किया जाना चाहिए। पुनः 30 प्र० पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम सं०- 256(1) प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि को व्यय नियम संगत नहीं किये जाने पर आहरित समस्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम वि०/पं० अधिकारी से किये जाना चाहिए।

उपरोक्त नियमों/प्रावधानों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2020-21 में आहरित समस्त धनराशि अंकन रु. 1208802.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राधे श्याम तथा ग्राम विकास अधिकारी, श्री मो० रिजवान,

(उनके कार्यकाल की पुष्टि उपरान्त) से तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0-01 ग्राम पंचा-परेवा अनूप, वि0ख0- बरखेड़ा, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 97- ग्राम पंचायत ललपुरिया साहब सिंह विकास खंड मरौरी जनपद – पीलीभीत की वर्ष 2020-21की लेखा परीक्षा उपलब्ध बैंक स्टेटमेंट (ग्राम निधि /राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त खाता) के अनुसार व्यय की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गई। ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि / राज्य वित्त खाता संख्या 98440100012946 से रु०442507.00 एवं केन्द्रीय वित्त खाता संख्या 98440100014941 से रु० 346457.00 कुल रु० 788964.00 आहरित किया गया है। आहरण/ व्यय का विवरण निम्न प्रकार है।

क्रं सं	खाता का विवरण	कुल आहरण/व्यय	ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी	प्रशासक/सहा० वि० अधि०(पं) व ग्राम पंचा० अधि०
1-	ग्राम निधि /राज्य वित्त	442507.00	24280.00	418227.00
2-	केन्द्रीय वित्त	346457.00	188071.00	158386.00
3-	योग	788964.00	212351.00	576613.00

उक्त विवरणानुसार लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय की गई धनराशि के पुष्टि में मूल अभिलेख यथा कैश बुक, व्यय प्रमाणक, अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माँप पुस्तिका एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र बार बार मांगे जाने पर भी लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

बार- बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए। पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि रु० 788964.00 को गबन मानते हुए वसूली ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी एवं प्रशासक/सहा० वि० अधि०(पं) से किये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित व्यय की गई धनराशि रु 788964.00 गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री भूप राम व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रूपेश कुमार सिंह से रु० 212351.00 एवं प्रशासक / सहा० वि० अधि० (पं) श्री रवि प्रकाश मिश्र व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रूपेश कुमार सिंह से रु० 576613.00 कुल रु०788964.00 उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्रावधानानुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0-01 ग्राम पंचा-ललपुरिया साहब सिंह, वि0ख0-मरौरी, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 98- ग्राम पंचायत मोहनपुर विकास खंड मरौरी जनपद – पीलीभीत की वर्ष 2020-21की लेखा परीक्षा उपलब्ध बैंक स्टेटमेंट (ग्राम निधि /राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त खाता) के अनुसार व्यय की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गई। ग्राम पंचायत मोहनपुर द्वारा वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि / राज्य वित्त खाता संख्या 594102010002077 से रु०2122700.00 एवं केन्द्रीय वित्त खाता संख्या 594102010007431 से रु० शून्य कुल रु०2122700.00 आहरित किया गया है। आहरण/ व्यय का विवरण निम्न प्रकार है।

क्रं सं	खाता का विवरण	कुल आहरण/व्यय	ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी	प्रशासक/सहा० वि० अधि०(पं) व ग्राम पंचा० अधि०	
			श्रीमती रामकली ,ग्राम प्रधान श्री राजा राम ग्राम पंचायत अधिकारी	श्री रवि प्रकाश मिश्रा, प्रशासक श्री राजा राम , ग्राम पंचा अधि	श्री रविप्रकाश मिश्रा, प्रशासक श्री लाल बहादुर गंगवार,ग्राम पंचा अधि

1-	ग्राम निधि /राज्य वित्त	2122700.00	1514633.00	46200.00	561867.00
2-	केन्द्रीय वित्त	00.00	00.00	00.00	00.00
3-	योग	2122700.00	1514633.00	46200.00	561867.00

उक्त विवरणानुसार लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय की गई धनराशि के पुष्टि में मूल अभिलेख यथा कैश बुक, व्यय प्रमाणक, अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माँप पुस्तिका एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र बार बार मांगे जाने पर भी लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

बार- बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए। पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए वसूली ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी एवं प्रशासक/सहा० वि० अधि०(पं) से किये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित व्यय की गई धनराशि रु०2122700.00 गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रामकली व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजा राम से रु० 1514633.00, प्रशासक / सहा० वि० अधि० (पं) श्री रवि प्रकाश मिश्र व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजा राम से रु० 46200.00 एवं प्रशासक / सहा० वि० अधि० (पं) श्री रवि प्रकाश मिश्र व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री लाल बहादुर गंगवार से रु०561867.00 कुल रु०2122700.00 उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्रावधानानुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा०आ०सं०-०१ ग्राम पंचा-मोहनपुर, वि०ख०-मरौरी, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 99- ग्राम पंचायत मुड़िया रतनपुरी, विकास खंड मरौरी जनपद – पीलीभीत की वर्ष 2020-21की लेखा परीक्षा उपलब्ध कराये गए कैश बुक एवं बैंक स्टेटमेंट (ग्राम निधि /राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त खाता) के अनुसार व्यय की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गई। ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि / राज्य वित्त खाता संख्या 98440100012901 से रु० 316246.00 एवं केन्द्रीय वित्त खाता संख्या 98440100014898 से रु०166600.00 कुल रु० 482846.00 आहरित किया गया है। आहरण/ व्यय का विवरण निम्न प्रकार है।

क्रं सं	खाता का विवरण	कुल आहरण/व्यय	ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती ,ग्राम प्रधान श्री राजा राम ग्राम पंचायत अधिकारी	प्रशासक/सहा० वि० अधि०(पं) व ग्राम पंचा० अधि०	श्री रवि प्रकाश मिश्रा, प्रशासक श्री राजा राम , ग्राम पंचा अधि	श्री रविप्रकाश मिश्रा, प्रशासक श्री लाल बहादुर गंगवार,ग्राम पंचा अधि
1-	ग्राम निधि /राज्य वित्त	316246.00	316246.00	00.00	00.00	
2-	केन्द्रीय वित्त	166600.00	166600.00	00.00	00.00	
3-	योग	482846.00	482846.00	00.00	00.00	

उक्त विवरणानुसार लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय की गई धनराशि के पुष्टि में मूल अभिलेख यथा व्यय प्रमाणक, अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माँप पुस्तिका एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र बार बार मांगे जाने पर भी लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

बार- बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए। पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम

पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए वसूली ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी एवं प्रशासक/सहा० वि० अधि०(पं) से किये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित व्यय की गई धनराशि रु 482846.00 गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती देवकी देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजा राम से रु० 482846.00 उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्रावधानानुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0-01 ग्राम पंचा-मुडिया रतनपुरी, वि0ख0-मरौरी, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 100- ग्राम पंचायत मरौरी विकास खंड मरौरी जनपद – पीलीभीत की वर्ष 2020-21की लेखा परीक्षा उपलब्ध कराये गए कैश बुक एवं बैंक स्टेटमेंट (ग्राम निधि /राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त खाता) के अनुसार व्यय की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गई । ग्राम पंचायत मरौरी द्वारा वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि / राज्य वित्त खाता संख्या 594102010002074 से रु० 1838703.00 एवं केन्द्रीय वित्त खाता संख्या 594102010007432 से रु० 00.00 कुल रु० 1838703.00 आहरित किया गया है। आहरण/ व्यय का विवरण निम्न प्रकार है।

क्रं सं	खाता का विवरण	कुल आहरण/व्यय	ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती ,ग्राम प्रधान श्री राजा राम ग्राम पंचायत अधिकारी	प्रशासक/सहा० वि० अधि०(पं) व ग्राम पंचा० अधि०	
				श्री रवि प्रकाश मिश्रा, प्रशासक श्री राजा राम , ग्राम पंचा अधि	श्री रविप्रकाश मिश्रा, प्रशासक श्री लाल बहादुर गंगवार,ग्राम पंचा अधि
1-	ग्राम निधि /राज्य वित्त	1838703.00	1677631.00	00.00	161072.00
2-	केन्द्रीय वित्त	00.00	00.00	00.00	00.00
3-	योग	1838703.00	1677631.00	00.00	161072.00

उक्त विवरणानुसार लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय की गई धनराशि के पुष्टि मे मूल अभिलेख यथा व्यय प्रमाणक, अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका , मॉप पुस्तिका एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र बार बार मांगे जाने पर भी लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

बार- बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए । पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए वसूली ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी एवं प्रशासक/सहा० वि० अधि०(पं) से किये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित व्यय की गई धनराशि रु 1838703.00 गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती कमला देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजा राम से रु० 1677631.00 एवं प्रशासक / सहा० वि० अधि० (पं) श्री रवि प्रकाश मिश्र व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजा राम से रु० शून्य एवं प्रशासक / सहा० वि० अधि० (पं) श्री रवि प्रकाश मिश्र व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री लालबहादुर गंगवार से रु० 161072.00 कुल रु० 1838703.00 उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्रावधानानुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0-01 ग्राम पंचा-मरौरी, वि0ख0-मरौरी, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 101- ग्राम पंचायत बसंतापुर विकास खंड मरौरी जनपद – पीलीभीत की वर्ष 2020-21की लेखा परीक्षा उपलब्ध कराये गए कैश बुक एवं बैंक स्टेटमेंट (ग्राम निधि /राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त खाता) के अनुसार व्यय की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गई । ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि / राज्य

वित्त खाता संख्या 98440100001882 से रु० 522060.00 एवं केन्द्रीय वित्त खाता संख्या 98440100014916 से रु० 275402.00 कुल रु० 797462.00 आहरित किया गया है। आहरण/ व्यय का विवरण निम्न प्रकार है।

क्रं सं	खाता का विवरण	कुल आहरण/व्यय	ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती ,ग्राम प्रधान श्री राजा राम ग्राम पंचायत अधिकारी	प्रशासक/सहा० वि० अधि०(पं) व ग्राम पंचा० अधि०	श्री रवि प्रकाश मिश्रा, प्रशासक श्री राजा राम , ग्राम पंचा अधि	श्री रविप्रकाश मिश्रा, प्रशासक श्री लाल बहादुर गंगवार,ग्राम पंचा अधि
1-	ग्राम निधि /राज्य वित्त	522060.00	375410.00	00.00	146650.00	
2-	केन्द्रीय वित्त	275402.00	00.00	228389.00	47013.00	
3-	योग	797462.00	375410.00	228389.00	193663.00	

उक्त विवरणानुसार लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय की गई धनराशि के पुष्टि में मूल अभिलेख यथा व्यय प्रमाणक, अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका , माँप पुस्तिका एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र बार बार मांगे जाने पर भी लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

बार- बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए। पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए वसूली ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी एवं प्रशासक/सहा० वि० अधि०(पं) से किये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित व्यय की गई धनराशि रु० 797462.00 गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती चन्द्रकली व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजा राम से रु० 375410.00, प्रशासक / सहा० वि० अधि० (पं) श्री रवि प्रकाश मिश्र व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजा राम से रु० 228389.00 एवं प्रशासक / सहा० वि० अधि० (पं) श्री रवि प्रकाश मिश्र व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री लाल बहादुर गंगवार से रु० 193663.00 कुल रु० 797462.00 उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्रावधानानुसार तात्तरीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा०आ०सं०-०१ ग्राम पंचा-बसन्तापुर, वि०ख०-मरौरी, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 102- ग्राम पंचायत पुरवा भूडा वर्ष 2020-21 के लेखा परीक्षा दौरान दिनांक 16-03-2021 से 31-03-2021 तक के आहरित / व्यय की गयी धनराशि रु० 59158.00 की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, एम बी ,कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि अप्राप्त रहे ।जिससे आहरित / व्यय की धनराशि की पुष्टि न की जा सकी । पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए वसूली ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी एवं प्रशासक/सहा० वि० अधि० (पं) से किये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में बिना प्रमाणक के व्यय की गई धनराशि रु० 59158.00 (रु० उनसठ हजार एक सौ अठायन मात्र) गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली प्रशासक / सहा० वि० अधि० (पं) श्री रवि प्रकाश मिश्र व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री लाल बहादुर गंगवार से उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्रावधानानुसार मय ब्याज के वसूली की जानी अपेक्षित है। ग्राम निधि राज्य वित्त बैंक खाता संख्या 98440100012907 के स्टेटमेंट के अनुसार आहरित / व्यय की धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है।

क्रम संख्या	आहरित दिनांक	विवरण	धनराशि
1	16-03-2021	पी.एफ.एम.एस.	3500.00
2	16-03-2021	पी.एफ.एम.एस.	402.00
3	16-03-2021	पी.एफ.एम.एस.	2010.00
4	16-03-2021	पी.एफ.एम.एस.	3150.00
5	16-03-2021	पी.एफ.एम.एस.	2010.00
6	16-03-2021	पी.एफ.एम.एस.	11383.00
7	16-03-2021	पी.एफ.एम.एस.	32683.00
8	16-03-2021	पी.एफ.एम.एस.	2010.00
9	16-03-2021	पी.एफ.एम.एस.	2010.00
		योग	59158.00

(सा0आ0सं0-01 ग्राम पंचा-पुरवा भूडा, वि0ख0-मरौरी, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 103- ग्राम पंचायत देवीपुरा, विकास खंड मरौरी जनपद – पीलीभीत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा उपलब्ध बैंक स्टेटमेंट (ग्राम निधि /राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त खाता) के अनुसार व्यय की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गई। ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि / राज्य वित्त खाता संख्या 98440100013180 से रु०781805.00 एवं केन्द्रीय वित्त खाता संख्या 98440100014804 से रु०339933.00 कुल रु०1121738.00 आहरित किया गया है। आहरण/ व्यय का विवरण निम्न प्रकार है।

क्रं सं	खाता का विवरण	कुल आहरण/व्यय	ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी	प्रशासक/सहा० वि० अधि०(पं) व ग्राम पंचा० अधि०
1-	ग्राम निधि /राज्य वित्त	781805.00	721805.00	60000.00
2-	केन्द्रीय वित्त	339933.00	259971.00	79962.00
3-	योग	1121738.00	981776.00	139962.00

उक्त विवरणानुसार लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय की गई धनराशि के पुष्टि में मूल अभिलेख यथा कैश बुक, व्यय प्रमाणक, अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माँप पुस्तिका एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र बार बार मांगे जाने पर भी लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

बार- बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए। पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि रु०1121738.00 को गबन मानते हुए वसूली ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी एवं प्रशासक/सहा० वि० अधि०(पं) से किये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित व्यय की गई धनराशि रु 1121738.00 गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती शान्ति देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रूपेश कुमार सिंह, से रु०981776.00 एवं प्रशासक / सहा० वि० अधि० (पं) श्री रवि प्रकाश मिश्र व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रूपेश कुमार सिंह, से रु०139962.00 कुल रु०1121738.00 उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्रावधानानुसार मय ब्याज के की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-01 ग्राम पंचा- देवीपुरा, वि0ख0- मरौरी, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 104- ग्राम पंचायत जौनापुरी विकास खंड मरौरी जनपद – पीलीभीत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में उपलब्ध बैंक स्टेटमेंट (ग्राम निधि /राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त खाता) के अनुसार व्यय की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गई। ग्राम पंचायत जौनापुरी द्वारा वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि / राज्य वित्त खाता सं

594102010002072 से रु० 898228.80 एवं केन्द्रीय वित्त खाता संख्या 594102010007438 से 213904.00 कुल रु० 1112132.80 आहरित/व्यय किया गया है। आहरण/ व्यय का विवरण निम्न प्रकार है।

क्रं सं	खाता का विवरण	कुल आहरण/व्यय	ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री गौरी शंकर, ग्राम प्रधान श्री राजा राम, ग्राम पंचायत अधिकारी	प्रशासक/सहा० वि० अधि०(पं) व ग्राम पंचा० अधि०	
				श्री रवि प्रकाश मिश्रा, प्रशासक श्री राजा राम , ग्राम पंचा अधि	श्री रविप्रकाश मिश्रा, प्रशासक श्री लाल बहादुर गंगवार,ग्राम पंचा अधि
1-	ग्राम निधि /राज्य वित्त	898228.80	644454.10	194174.00	59600.70
2-	केन्द्रीय वित्त	213904.00	213904.00	00.00	00.00
3-	योग	1112132.80	858358.10	194174.00	59600.70

उक्त विवरणानुसार लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय की गई धनराशि के पुष्टि में मूल अभिलेख यथा कैश बुक, व्यय प्रमाणक, अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माँप पुस्तिका एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र बार बार मांगे जाने पर भी लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

बार- बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए । पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए वसूली ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी एवं प्रशासक/सहा० वि० अधि०(पं) से किये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित व्यय की गई धनराशि रु० 1112132.80 गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री गौरी शंकर व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजा राम से रु०858358.10 प्रशासक / सहा० वि० अधि० (पं) श्री रवि प्रकाश मिश्र व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजा राम से रु०194174.00 एवं प्रशासक / सहा० वि० अधि० (पं) श्री रवि प्रकाश मिश्र व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री लाल बहादुर गंगवार से रु०59600.70 कुल रु० 1112132.80 उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्रावधानानुसार तात्तारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा०आ०सं०-01 ग्राम पंचा- जौनापुरी, वि०ख०-मरौरी, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 105- ग्राम पंचायत चिड़ियादाह, विकास खंड मरौरी जनपद – पीलीभीत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा उपलब्ध बैंक स्टेटमेंट (ग्राम निधि /राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त खाता) के अनुसार व्यय की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गई। ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि / राज्य वित्त खाता संख्या 98440100005731 से रु० 3054262.00 एवं केन्द्रीय वित्त खाता संख्या 98440100014901से रु० शून्य कुल रु०3054262.00 आहरित किया गया है। आहरण/ व्यय का विवरण निम्न प्रकार है।

क्रं सं	खाता का विवरण	कुल आहरण/व्यय	ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी	प्रशासक/सहा० वि० अधि०(पं) व ग्राम पंचा० अधि०
1-	ग्राम निधि /राज्य वित्त	3054262.00	2529184.00	525078.00
2-	केन्द्रीय वित्त	00.00	00.00	00.00
3-	योग	3054262.00	2529184.00	525078.00

उक्त विवरणानुसार लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय की गई धनराशि के पुष्टि में मूल अभिलेख यथा कैश बुक, व्यय प्रमाणक, अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति

पंजिका, माप पुस्तिका एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र बार बार मांगे जाने पर भी लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

बार- बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए । पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि रु०3054262.00 को गबन मानते हुए वसूली ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी एवं प्रशासक/सहा० वि० अधि०(पं) से किये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित व्यय की गई धनराशि रु० 3054262.00 गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री सियाराम व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रूपेश कुमार सिंह से रु० 2529184.00 एवं प्रशासक / सहा० वि० अधि० (पं) श्री रवि प्रकाश मिश्र व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रूपेश कुमार सिंह से रु०525078.00 कुल रु०3054262.00 उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्रावधानानुसार मय ब्याज के की जानी अपेक्षित है

(सा0आ0सं0-01 ग्राम पंचा- चिडिया दाह, वि०ख०-मरौरी, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 106-ग्राम पंचायत खरौसा, विकास खंड मरौरी, जनपद – पीलीभीत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट पर अंकित व्यय/बैंक स्टेटमेंट (ग्राम निधि /राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त खाता) के अनुसार व्यय की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गई। प्रिया साफ्ट एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है –

मद	प्रिया साफ्ट अनुसार	बैंक खाता (राज्य व केन्द्रीय वित्त)
प्रारम्भिक अवशेष	1210597.00	564460.99
वर्ष में प्राप्त	1600000.00	1121335.00
वर्ष में आहरित / व्यय	1103173.00	1108908.00
वर्षांत में अव० धन०	1707424.-00	576887.99

ग्राम पंचायत खरौसा, विकास खंड मरौरी, जनपद – पीलीभीत के द्वारा वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि खाता संख्या (बैंक ऑफ बड़ौदा जनपद पीलीभीत) 98440100013196 से रु० 864299.00 एवं केन्द्रीय वित्त खाता संख्या (बैंक ऑफ बड़ौदा जनपद पीलीभीत) 98440100014801 से रु०244609.00 कुल रु०1108908.00 आहरित किया गया है। आहरण/ व्यय का विवरण निम्न प्रकार है।

क्रं सं	खाता का विवरण	कुल आहरण/व्यय	ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी	प्रशासक/सहा० वि० अधि०(पं) व ग्राम पंचा० अधि०
1-	ग्राम निधि /राज्य वित्त	864299.00	528726.00	335573.00
2-	केन्द्रीय वित्त	244609.00	80612.00	163997.00
3-	योग	1108908.00	609338.00	499570.00

उक्त विवरणानुसार लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में व्यय की गई धनराशि रु० 1108908.00 के पुष्टि मे मूल अभिलेख यथा अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कैश बुक, व्यय प्रमाणक एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र बार बार मांगे जाने पर भी लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए।

बार- बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए । पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए

व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि रु०1108908.00 को गबन मानते हुए वसूली ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी एवं प्रशासक/सहा० वि० अधि०(पं) से किये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित व्यय की गई धनराशि रु०1108908.00 गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती माया देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रकाश राम आर्या से रु०609338.00 एवं प्रशासक / सहा० वि० अधि० (पं) श्री रवि प्रकाश मिश्र व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रकाश राम आर्या से रु०499570.00 कुल रु०1108908.00 उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्रावधानानुसार तात्तरीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा०आ०सं०-01 ग्राम पंचा- खरौसा वि०ख०-मरौरी, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 107- ग्राम पंचायत कल्लिया, विकास खंड मरौरी, जनपद – पीलीभीत की वर्ष 2020-21की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट पर अंकित व्यय / बैंक स्टेटमेंट (ग्राम निधि /राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त खाता) के अनुसार व्यय की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गई । प्रिया साफ्ट एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है –

मद	प्रिया साफ्ट अनुसार	बैंक खाता (राज्य व केन्द्रीय वित्त)
प्रारम्भिक अवशेष	528080.90	338338.90
वर्ष में प्राप्त	1200000.00	1405524.00
वर्ष में आहरित / व्यय	638490.00	638490.00
वर्षांत में अव० धन०	1089660.90	1105372.90

ग्राम पंचायत कल्लिया, विकास खंड मरौरी, जनपद – पीलीभीत के द्वारा वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि खाता संख्या (बैंक ऑफ बड़ौदा जनपद पीलीभीत)14100100006685 से रु०474387.00 एवं केन्द्रीय वित्त खाता संख्या (बैंक ऑफ बड़ौदा जनपद पीलीभीत)14100100021657 से रु०164103.00 कुल रु०638490.00 आहरित किया गया है। आहरण/ व्यय का विवरण निम्न प्रकार है।

क्रं सं	खाता का विवरण	कुल आहरण/व्यय	ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी	प्रशासक/सहा० वि० अधि०(पं) व ग्राम पंचा० अधि०
1-	ग्राम निधि /राज्य वित्त	474387.00	289579.00	184810.00
2-	केन्द्रीय वित्त	164103.00	144417.00	19686.00
3-	योग	638490.00	433994.00	204496.00

उक्त विवरणानुसार लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय की गई धनराशि के पुष्टि मे मूल अभिलेख यथा अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, केश बुक, व्यय प्रमाणक एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र बार बार मांगे जाने पर भी लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

बार- बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए । पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि रु०638490.00 को गबन मानते हुए वसूली ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी एवं प्रशासक/सहा० वि० अधि०(पं) से किये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित व्यय की गई धनराशि रु० 638490.00 गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती हरदेवी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रकाश राम आर्या से रु०433994.00 एवं प्रशासक / सहा० वि० अधि० (पं) श्री रवि प्रकाश मिश्र व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रकाश राम आर्या से रु०204496.00 कुल रु०638490.00 उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256

से 259 के प्रावधानानुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0-01 ग्राम पंचा- कल्लिया, वि0ख0-मरौरी, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 108- ग्राम पंचायत कैम, विकास खंड मरौरी जनपद – पीलीभीत की वर्ष 2020-21की लेखा परीक्षा उपलब्ध कराये गए कैश बुक एवं बैंक स्टेटमेंट (ग्राम निधि /राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त खाता) के अनुसार व्यय की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गई । ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि / राज्य वित्त खाता संख्या 98440100001855 से रु० 1644503.00 एवं केन्द्रीय वित्त खाता संख्या 98440100014908 से रु० 00.00 कुल रु०1644503.00 आहरित किया गया है। आहरण/ व्यय का विवरण निम्न प्रकार है।

क्रं सं	खाता का विवरण	कुल आहरण/व्यय	ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी	प्रशासक/सहा० वि० अधि०(पं) व ग्राम पंचा० अधि०	
				श्री रवि प्रकाश मिश्रा, प्रशासक	श्री रविप्रकाश मिश्रा, प्रशासक
			श्री राजा राम, ग्राम पंचायत अधिकारी	श्री राजा राम , ग्राम पंचा अधि	श्री लाल बहादुर गंगवार,ग्राम पंचा अधि
1-	ग्राम निधि /राज्य वित्त	1644503.00	1562413.00	46000.00	36090.00
2-	केन्द्रीय वित्त	00.00	00.00	00.00	00.00
3-	योग	1644503.00	1562413.00	46000.00	36090.00

उक्त विवरणानुसार लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय की गई धनराशि के पुष्टि मे मूल अभिलेख यथा व्यय प्रमाणक, अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका , मॉप पुस्तिका एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र बार बार मांगे जाने पर भी लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

बार- बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए । पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए वसूली ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी एवं प्रशासक/सहा० वि० अधि०(पं) से किये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित व्यय की गई धनराशि रु०1644503.00 गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री रमेश व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजा राम से रु० 1562413.00 एवं प्रशासक / सहा० वि० अधि० (पं) श्री रवि प्रकाश मिश्र व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजा राम से रु०46000.00 एवं प्रशासक / सहा० वि० अधि० (पं) श्री रवि प्रकाश मिश्र व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री लाल बहादुर गंगवार से रु० 36090.00 कुल रु०1644503.00 उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्रावधानानुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0-01 ग्राम पंचा- कैम, वि0ख0-मरौरी, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 109- ग्राम पंचायत लौकहा , विकास खंड मरौरी जनपद – पीलीभीत की वर्ष 2020-21की लेखा परीक्षा मे उपलब्ध बैंक स्टेटमेंट (ग्राम निधि /राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त खाता) के अनुसार व्यय की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गई । ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि / राज्य वित्त खाता संख्या 98440100005740 से रु० 1130730.00 एवं केन्द्रीय वित्त खाता संख्या 98440100014853 से रु० 215630.00 कुल रु०1346360.00 आहरित किया गया है। आहरण/ व्यय का विवरण निम्न प्रकार है।

क्रं सं	खाता का विवरण	कुल आहरण/व्यय	ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी	प्रशासक/सहा० वि० अधि०(पं) व ग्राम पंचा० अधि०

1-	ग्राम निधि /राज्य वित्त	1130730.00	827753.00	302977.00
2-	केन्द्रीय वित्त	215630.00	215630.00	00.00
3-	योग	1346360.00	1043383.00	302977.00

उक्त विवरणानुसार लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय की गई धनराशि के पुष्टि में मूल अभिलेख यथा कैश बुक, व्यय प्रमाणक, अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माँप पुस्तिका एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र बार बार मांगे जाने पर भी लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

बार- बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए। पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए वसूली ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी एवं प्रशासक/सहा० वि० अधि०(पं) से किये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित व्यय की गई धनराशि रु 1346360.00 गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री शिवकुमार व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार से 1043383.00 एवं प्रशासक / सहा० वि० अधि० (पं) श्री रवि प्रकाश मिश्र व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार से रु० 302977.00 कुल रु०1346360.00 उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्रावधानानुसार तात्तरीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0-01 ग्राम पंचा- लौकहा, वि0ख0-मरौरी, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 110- ग्राम पंचायत संतोषपुरा, विकास खंड मरौरी जनपद – पीलीभीत की वर्ष 2020-21की लेखा परीक्षा उपलब्ध बैंक स्टेटमेंट (ग्राम निधि /राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त खाता) के अनुसार व्यय की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गई। ग्राम पंचायत संतोषपुरा द्वारा वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि / राज्य वित्त खाता संख्या 98440100001853 से रु०2095481.00एवं केन्द्रीय वित्त खाता संख्या 98440100014799 से रु०387383.00 कुल रु०2482864.00 आहरित किया गया है। आहरण/ व्यय का विवरण निम्न प्रकार है।

क्रं सं	खाता का विवरण	कुल आहरण/व्यय	ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी	प्रशासक/सहा० वि० अधि०(पं) व ग्राम पंचा० अधि०
1-	ग्राम निधि /राज्य वित्त	2095481.00	1626710.00	468771.00
2-	केन्द्रीय वित्त	387383.00	312410.00	74973.00
3-	योग	2482864.00	1939120.00	543744.00

उक्त विवरणानुसार लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय की गई धनराशि के पुष्टि में मूल अभिलेख यथा कैश बुक, व्यय प्रमाणक, अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माँप पुस्तिका एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र बार बार मांगे जाने पर भी लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

बार- बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए। पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि रु०2482864.00 को गबन मानते हुए वसूली ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी एवं प्रशासक/सहा० वि० अधि०(पं) से किये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित व्यय की गई धनराशि रु 2482864.00 गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री जीत सिंह व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रूपेश कुमार सिंह से रु०1939120.00 एवं प्रशासक / सहा० वि० अधि० (पं) श्री रवि प्रकाश मिश्र व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रूपेश

कुमार सिंह से रु०543744.00 कुल रु०2482864.00 उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्रावधानानुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा०आ०सं०-01 ग्राम पंचा- संतोषपुरा, वि०ख०-मरौरी, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 111- ग्राम पंचायत सरायसुन्दरपुर, विकास खंड मरौरी, जनपद – पीलीभीत की वर्ष 2020-21की लेखा परीक्षा उपलब्ध बैंक स्टेटमेंट (ग्राम निधि /राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त खाता) के अनुसार व्यय की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गई । ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि / राज्य वित्त खाता संख्या 24110100001482 से रु० 2592899.00 एवं केन्द्रीय वित्त खाता संख्या (बैंक ऑफ बड़ौदा जनपद पीलीभीत) 24110100014367 से रु० शून्य कुल रु०2592899.00 आहरित किया गया है। आहरण/ व्यय का विवरण निम्न प्रकार है।

क्रं सं	खाता का विवरण	कुल आहरण/व्यय	ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी	प्रशासक/सहा० वि० अधि०(पं) व ग्राम पंचा० अधि०
1-	ग्राम निधि /राज्य वित्त	2592899.00	1288093.00	1304806.00
2-	केन्द्रीय वित्त	00.00	00.00	00.00
3-	योग	2592899.00	1288093.00	1304806.00

उक्त विवरणानुसार लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय की गई धनराशि के पुष्टि मे मूल अभिलेख यथा कैश बुक, व्यय प्रमाणक, अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्ट्रीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका , मॉप पुस्तिका एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र बार बार मांगे जाने पर भी लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

बार- बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए । पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि रु० 2592899.00 को गबन मानते हुए वसूली ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी एवं प्रशासक/सहा० वि० अधि०(पं) से किये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित व्यय की गई धनराशि रु० 2592899.00 गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रूपेश कुमार सिंह से रु० 1288093.00 एवं प्रशासक / सहा० वि० अधि० (पं) श्री रवि प्रकाश मिश्र व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रूपेश कुमार सिंह से रु० 1304806.00 कुल रु० 2592899.00 उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्रावधानानुसार मय ब्याज के की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-01 ग्राम पंचा- सराय सुन्दरपुर, वि०ख०-मरौरी, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 112- ग्राम पंचायत सैजना, विकास खंड मरौरी जनपद – पीलीभीत की वर्ष 2020-21की लेखा परीक्षा उपलब्ध कराये गए कैश बुक एवं बैंक स्टेटमेंट (ग्राम निधि /राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त खाता) के अनुसार व्यय की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गई । ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि / राज्य वित्त खाता संख्या 594102010002076 से रु०2173671.00 एवं केन्द्रीय वित्त खाता संख्या 594102010007424 से रु०233681.00 कुल रु०2407352.00 आहरित किया गया है। आहरण/ व्यय का विवरण निम्न प्रकार है।

क्रं सं	खाता का विवरण	कुल आहरण/व्यय	ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी	प्रशासक/सहा० वि० अधि०(पं) व ग्राम पंचा० अधि०
			श्रीमती राम ,ग्राम प्रधान	श्री रवि प्रकाश मिश्रा, प्रशासक श्री राजा राम , ग्राम पंचा अधि

			श्री राजा राम ग्राम पंचायत अधिकारी		श्री लाल बहादुर गंगवार, ग्राम पंचा अधि
1-	ग्राम निधि /राज्य वित्त	2173671.00	1885201.00	138200.00	150270.00
2-	केन्द्रीय वित्त	233681.00	00.00	233681.00	00.00
3-	योग	2407352.00	1885201.00	371881.00	150270.00

उक्त विवरणानुसार लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय की गई धनराशि के पुष्टि में मूल अभिलेख यथा व्यय प्रमाणक, अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माँप पुस्तिका एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र बार बार मांगे जाने पर भी लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

बार- बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए। पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए वसूली ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी एवं प्रशासक/सहा० वि० अधि०(पं) से किये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित व्यय की गई धनराशि रु2407352.00 गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती राम श्री, ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजा राम से रु० 1885201.00 एवं प्रशासक / सहा० वि० अधि० (पं) श्री रवि प्रकाश मिश्र व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजा राम से रु०371881.00 एवं प्रशासक / सहा० वि० अधि० (पं) श्री रवि प्रकाश मिश्र व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री लालबहादुर गंगवार से रु०150270.00 कुल रु०2407352.00 उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्रावधानानुसार तात्तरीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा०आ०सं०-01 ग्राम पंचा- सैजना, वि०ख०-मरौरी, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 113- ग्राम पंचायत हरकिशनापुर, विकास खंड मरौरी, जनपद – पीलीभीत की वर्ष 2020-21की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट पर अंकित व्यय / बैंक स्टेटमेंट (ग्राम निधि /राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त खाता) के अनुसार व्यय की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गई। प्रिया साफ्ट एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आय- व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है –

मद	प्रिया साफ्ट अनुसार	बैंक खाता (राज्य व केन्द्रीय वित्त)
प्रारम्भिक अवशेष	194395.50	1141780.50
वर्ष में प्राप्त	3300000.00	1181328.00
वर्ष में आहरित / व्यय	1300795.00	1300795.00
वर्षांत में अव० धन०	2193600.50	1022313.50

ग्राम पंचायत हरकिशनापुर, विकास खंड मरौरी, जनपद – पीलीभीत के द्वारा वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि खाता संख्या (बैंक ऑफ बड़ौदा जनपद पीलीभीत)14100100006682 से रु० 1035197.00 एवं केन्द्रीय वित्त खाता संख्या (बैंक ऑफ बड़ौदा जनपद पीलीभीत) 14100100021649 से रु०265598.00 कुल रु०1300795.00 आहरित किया गया है। आहरण/ व्यय का विवरण निम्न प्रकार है।

क्रं सं	खाता का विवरण	कुल आहरण/व्यय	ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी	प्रशासक/सहा० वि० अधि०(पं) व ग्राम पंचा० अधि०
1-	ग्राम निधि /राज्य वित्त	1035197.00	940597.00	94600.00
2-	केन्द्रीय वित्त	265598.00	265598.00	--
3-	योग	1300795.00	1206195.00	94600.00

उक्त विवरणानुसार लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय की गई धनराशि के पुष्टि में मूल अभिलेख यथा अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कैश बुक, व्यय प्रमाणक एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र बार बार मांगे जाने पर भी लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

बार- बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए । पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि रु०1300795.00 को गबन मानते हुए वसूली ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी एवं प्रशासक/सहा० वि० अधि०(पं) से किये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित व्यय की गई धनराशि रु०1300795.00 गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री दीपक कुमार व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रकाश राम आर्या से रु०1206195.00 एवं प्रशासक / सहा० वि० अधि० (पं) श्री रवि प्रकाश मिश्र व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रकाश राम आर्या से रु०94600.00 कुल रु०1300795.00 उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्रावधानानुसार तात्तरीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा०आ०सं०-01 ग्राम पंचा- हरकिशनापुर, वि०ख०-मरौरी, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 114- ग्राम पंचायत हिम्मतनगर, विकास खंड मरौरी, जनपद – पीलीभीत की वर्ष 2020-21की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट पर अंकित व्यय / बैंक स्टेटमेंट (ग्राम निधि /राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त खाता) के अनुसार व्यय की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गई । प्रिया साफ्ट एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आय- व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है –

मद	प्रिया साफ्ट अनुसार	बैंक खाता (राज्य व केन्द्रीय वित्त)
प्रारम्भिक अवशेष	779214.00	1625174.50
वर्ष में प्राप्त	2300000.00	2117043.00
वर्ष में आहरित / व्यय	2228013.00	2228013.00
वर्षांत में अव० धन०	851201.00	1514204.50

ग्राम पंचायत हिम्मतनगर, विकास खंड मरौरी, जनपद – पीलीभीत के द्वारा वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि खाता संख्या (बैंक ऑफ बड़ौदा जनपद पीलीभीत) 98440100005738 से रु० 1863710.00 एवं केन्द्रीय वित्त खाता संख्या (बैंक ऑफ बड़ौदा जनपद पीलीभीत) 98440100014879 से रु०364303.00 कुल रु०2228013.00 आहरित/व्यय किया गया है। आहरण/ व्यय का विवरण निम्न प्रकार है।

क्रं सं	खाता का विवरण	कुल आहरण/व्यय	ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी	प्रशासक/सहा० वि० अधि०(पं) व ग्राम पंचा० अधि०
1-	ग्राम निधि /राज्य वित्त	1863710.00	1801510.00	62200.00
2-	केन्द्रीय वित्त	364303.00	364303.00	00.00
3-	योग	2228013.00	2165813.00	62200.00

उक्त विवरणानुसार लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में व्यय की गई धनराशि रु०2228013.00 के पुष्टि में मूल अभिलेख यथा अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कैश बुक, व्यय प्रमाणक एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र बार बार मांगे जाने पर भी लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

बार- बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए । पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम

पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि रु०2228013.00 को गबन मानते हुए वसूली ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी एवं प्रशासक/सहा० वि० अधि०(पं) से किये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित व्यय की गई धनराशि रु 2228013.00 गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री सुरेन्द्र कुमार व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रकाश राम आर्या से 2165813.00 एवं प्रशासक / सहा० वि० अधि० (पं) श्री रवि प्रकाश मिश्र व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रकाश राम आर्या से रु० 62200.00 कुल रु० 2228013.00 उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्रावधानानुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा०आ०सं०-०१ ग्राम पंचा- हिम्मतनगर, वि०ख०-मरौरी, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 115- ग्राम पंचायत – मोहम्मदपुर भजा, विकासखण्ड बीसलपुर, जनपद पीलीभीत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट पर अंकित (आनलाइन उपलब्ध द्वारा) आय-व्यय की धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गयी। प्रिया साफ्ट अनुसार आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार है-

प्रारम्भिक अवशेष-	4182178.13
वर्ष में प्राप्त-	12500000.00
वर्ष में व्यय-	1816279.00
वर्षान्त अवशेष-	14865899.13

उक्त विवरण अनुसार लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि में बार-बार मांगे जाने के बाद भी मूल अभिलेख यथा अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, कैशबुक, व्यय प्रमाणक एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये।

बार- बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 (क) के पैरा 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में व्यय दर्शित धनराशि रु. 1862279.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली ग्राम प्रधान/ प्रशासक- श्री सर्वेश कुमार / श्री रामचरण प्रसाद तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री अजय कुमार से उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्रावधान अनुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा०आ०सं०-०१ ग्राम पंचा०- मोहम्मदपुर भजा, वि०ख०-बीसलपुर, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 116- ग्राम पंचायत – चुटकुना, विकासखण्ड बीसलपुर, जनपद पीलीभीत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट पर अंकित (आनलाइन उपलब्ध द्वारा) आय-व्यय की धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गयी। प्रिया साफ्ट अनुसार आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार है-

प्रारम्भिक अवशेष-	7836662.69
वर्ष में प्राप्त-	5000000.00
वर्ष में व्यय-	624912.00
वर्षान्त अवशेष-	12211750.69

उक्त विवरण अनुसार लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि में बार-बार मांगे जाने के बाद भी मूल अभिलेख यथा अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, कैशबुक, व्यय प्रमाणक एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये।

बार- बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा जारी ग्राम

पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 (क) के पैरा 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में व्यय दर्शित धनराशि रु. 624912.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली ग्राम प्रधान/ प्रशासक- श्री हुकुम सिंह / श्री रामचरण प्रसाद तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री अजय कुमार से उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम सख्या 256 से 259 के प्रावधान अनुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0-01 ग्राम पंचा0- चुटकुना, वि0ख0-बीसलपुर, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 117- ग्राम पंचायत - चंदपुरा, विकासखण्ड बीसलपुर, जनपद पीलीभीत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट पर अंकित (आनलाइन उपलब्ध द्वारा) आय-व्यय की धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गयी। प्रिया साफ्ट अनुसार आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार है-

प्रारम्भिक अवशेष-	985896.90
वर्ष में प्राप्त-	4496764.00
वर्ष में व्यय-	1291304.00
वर्षान्त अवशेष-	4191356.90

उक्त विवरण अनुसार लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि में बार-बार मांगे जाने के बाद भी मूल अभिलेख यथा अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, कैशबुक, व्यय प्रमाणक एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये।

बार- बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 (क) के पैरा 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में व्यय दर्शित धनराशि रु. 1291304.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली ग्राम प्रधान/ प्रशासक- श्री नूर हसन / श्री रामचरण प्रसाद तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री विवेक वर्मा से उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम सख्या 256 से 259 के प्रावधान अनुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0-01 ग्राम पंचा0- चांदपुरा, वि0ख0-बीसलपुर, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 118- ग्राम पंचायत- अकबरगंज सिमरा, विकासखण्ड बीसलपुर, जनपद पीलीभीत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट पर अंकित (आनलाइन उपलब्ध द्वारा) आय-व्यय की धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गयी। प्रिया साफ्ट अनुसार आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार है-

प्रारम्भिक अवशेष-	229103.50
वर्ष में प्राप्त-	1784249.00
वर्ष में व्यय-	1040793.00
वर्षान्त अवशेष-	972559.50

उक्त विवरण अनुसार लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि में बार-बार मांगे जाने के बाद भी मूल अभिलेख यथा अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, कैशबुक, व्यय प्रमाणक एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये।

बार- बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 (क) के पैरा 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में व्यय दर्शित धनराशि रु. 1040793.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली ग्राम प्रधान/ प्रशासक- श्री छोटेला / श्री रामचरण प्रसाद तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री विवेक वर्मा से उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम सख्या 256 से 259 के प्रावधान अनुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0-01 ग्राम पंचा0- अकबरगंज सिमरा, वि0ख0-बीसलपुर, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 119- ग्राम पंचायत - पकडिया मंगली विकासखण्ड बीसलपुर, जनपद पीलीभीत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट पर अंकित (आनलाइन उपलब्ध द्वारा) आय-व्यय की धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गयी। प्रिया साफ्ट अनुसार आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार है-

प्रारम्भिक अवशेष-	262898.10
वर्ष में प्राप्त-	1250466.00
वर्ष में व्यय-	704255.00
वर्षान्त अवशेष-	809109.10

उक्त विवरण अनुसार लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि में बार-बार मांगे जाने के बाद भी मूल अभिलेख यथा अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, कैशबुक, व्यय प्रमाणक एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये।

बार- बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 (क) के पैरा 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में व्यय दर्शित धनराशि रु. 704255.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली ग्राम प्रधान/ प्रशासक- श्री राकेश/ श्री रामचरण प्रसाद तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री विवेक वर्मा से उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम सख्या 256 से 259 के प्रावधान अनुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0-01 ग्राम पंचा0- पकडिया मंगली, वि0ख0-बीसलपुर, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 120- ग्राम पंचायत- मंडरा सुमन, विकासखण्ड बीसलपुर, जनपद पीलीभीत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट पर अंकित (आनलाइन उपलब्ध द्वारा) आय-व्यय की धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गयी। प्रिया साफ्ट अनुसार आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार है-

प्रारम्भिक अवशेष-	723991.00
वर्ष में प्राप्त-	12825000.00
वर्ष में व्यय-	1473490.00
वर्षान्त अवशेष-	18583501.00

उक्त विवरण अनुसार लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि में बार-बार मांगे जाने के बाद भी मूल अभिलेख यथा अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, कैशबुक, व्यय प्रमाणक एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये।

बार- बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 (क) के पैरा 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में व्यय दर्शित धनराशि रु. 1473490.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली ग्राम प्रधान/ प्रशासक- श्री जेबलाल / श्री रामचरण प्रसाद तथा ग्राम पंचायत /विकास

अधिकारी श्री अजय कुमार से उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम सख्या 256 से 259 के प्रावधान अनुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0-01 ग्राम पंचा0- मंडरा सुमन, वि0ख0-बीसलपुर, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 121- ग्राम पंचायत परसी उर्फ परसिया विकासखण्ड- बीसलपुर, जनपद- पीलीभीत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट पर अंकित (आनलाइन उपलब्ध द्वारा) आय-व्यय की धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गयी। प्रिया साफ्ट अनुसार आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार है-

प्रारम्भिक अवशेष-	622864.00
वर्ष में प्राप्त-	1730585.00
वर्ष में व्यय-	1213082.00
वर्षान्त अवशेष-	1140367.00

उक्त विवरण अनुसार लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि में बार-बार मांगे जाने के बाद भी मूल अभिलेख यथा अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, कैशबुक, व्यय प्रमाणक एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये।

बार- बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 (क) के पैरा 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में व्यय दर्शित धनराशि रु. 1213082.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली ग्राम प्रधान/ प्रशासक- श्री विद्या स्वरूप / श्री रामचरण प्रसाद तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री विवेक वर्मा से उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम सख्या 256 से 259 के प्रावधान अनुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0-01 ग्राम पंचा0- परसी उर्फ परसिया, वि0ख0-बीसलपुर, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 122- ग्राम पंचायत - कनगवां, विकासखण्ड बीसलपुर, जनपद पीलीभीत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट पर अंकित (आनलाइन उपलब्ध द्वारा) आय-व्यय की धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गयी। प्रिया साफ्ट अनुसार आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार है-

प्रारम्भिक अवशेष-	287270.00
वर्ष में प्राप्त-	1452095.00
वर्ष में व्यय-	405142.00
वर्षान्त अवशेष-	1334223.00

उक्त विवरण अनुसार लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि में बार-बार मांगे जाने के बाद भी मूल अभिलेख यथा अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, कैशबुक, व्यय प्रमाणक एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये।

बार- बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 (क) के पैरा 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में व्यय दर्शित धनराशि रु. 405142.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली ग्राम प्रधान/ प्रशासक- श्रीमती अर्चना गंगवार/ श्री रामचरण प्रसाद तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री विवेक वर्मा से उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम सख्या 256 से 259 के प्रावधान अनुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0-01 ग्राम पंचा0- कनगवां, वि0ख0-बीसलपुर, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 123- ग्राम पंचायत – रोहनिया, विकासखण्ड बीसलपुर, जनपद पीलीभीत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट पर अंकित (आनलाइन उपलब्ध द्वारा) आय-व्यय की धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गयी। प्रिया साफ्ट अनुसार आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार है-

प्रारम्भिक अवशेष-	2961790.88
वर्ष में प्राप्त-	7500000.00
वर्ष में व्यय-	853818.00
वर्षान्त अवशेष-	9607972.88

उक्त विवरण अनुसार लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि में बार-बार मांगे जाने के बाद भी मूल अभिलेख यथा अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, कैशबुक, व्यय प्रमाणक एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये।

बार- बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 (क) के पैरा 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में व्यय दर्शित धनराशि रु. 853818.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली ग्राम प्रधान/ प्रशासक- श्री जंगबहादुर/ श्री रामचरण प्रसाद तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री अजय कुमार से उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम सख्या 256 से 259 के प्रावधान अनुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0-01 ग्राम पंचा0- रोहनिया, वि0ख0-बीसलपुर, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 124- ग्राम पंचायत – बिहारीपुर कुमरिखा, विकासखण्ड बीसलपुर, जनपद पीलीभीत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट पर अंकित (आनलाइन उपलब्ध द्वारा) आय-व्यय की धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गयी। प्रिया साफ्ट अनुसार आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार है-

प्रारम्भिक अवशेष-	6926252.12
वर्ष में प्राप्त-	12500000.00
वर्ष में व्यय-	1547679.00
वर्षान्त अवशेष-	17878573.12

उक्त विवरण अनुसार लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि में बार-बार मांगे जाने के बाद भी मूल अभिलेख यथा अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, कैशबुक, व्यय प्रमाणक एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये।

बार- बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 (क) के पैरा 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में व्यय दर्शित धनराशि रु. 1547679.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली ग्राम प्रधान/ प्रशासक- श्रीमती पिकी/ श्री रामचरण प्रसाद तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री अजय कुमार से उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम सख्या 256 से 259 के प्रावधान अनुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0-01 ग्राम पंचा0- बिहारीपुर कुमरिखा, वि0ख0-बीसलपुर, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 125- ग्राम पंचायत – मिर्घौना, विकासखण्ड बीसलपुर, जनपद पीलीभीत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट पर अंकित (आनलाइन उपलब्ध द्वारा) आय-व्यय की धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गयी। प्रिया साफ्ट अनुसार आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार है-

प्रारम्भिक अवशेष-	5226980.30
वर्ष में प्राप्त-	12500000.00
वर्ष में व्यय-	618413.00
वर्षान्त अवशेष-	17108567.30

उक्त विवरण अनुसार लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि में बार-बार मांगे जाने के बाद भी मूल अभिलेख यथा अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, कैशबुक, व्यय प्रमाणक एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये।

बार- बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 (क) के पैरा 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में व्यय दर्शित धनराशि रु. 618413.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली ग्राम प्रधान/ प्रशासक- श्री रामसुधार/ श्री रामचरण प्रसाद तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री अजय कुमार से उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम सख्या 256 से 259 के प्रावधान अनुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0-01 ग्राम पंचा0- मिर्घौना, वि0ख0-बीसलपुर, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 126- ग्राम पंचायत – नगीपुर अखौला, विकासखण्ड बीसलपुर, जनपद पीलीभीत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट पर अंकित (आनलाइन उपलब्ध द्वारा) आय-व्यय की धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गयी। प्रिया साफ्ट अनुसार आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार है-

प्रारम्भिक अवशेष-	11818666.13
वर्ष में प्राप्त-	10042000.00
वर्ष में व्यय-	3963159.00
वर्षान्त अवशेष-	17897507.13

उक्त विवरण अनुसार लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि में बार-बार मांगे जाने के बाद भी मूल अभिलेख यथा अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, कैशबुक, व्यय प्रमाणक एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये।

बार- बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 (क) के पैरा 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में व्यय दर्शित धनराशि रु. 3963159.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली ग्राम प्रधान/ प्रशासक- श्रीमती सुनीता देवी/ श्री रामचरण प्रसाद तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री अजय कुमार से उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम सख्या 256 से 259 के प्रावधान अनुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0-01 ग्राम पंचा0- नगीपुर अखौला, वि0ख0-बीसलपुर, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 127- ग्राम पंचायत – राजपुर कुंडरी, के राज्य वित्त खाता संख्या- 06550100004200 से दिनांक 31.08.2020 को रु. 803224.00 का पी0एफ0एम0एस0 द्वारा आहरण किया जाना कैशबुक में दर्शाया गया है, धनराशि के आहरण की पुष्टि बैंक खाते से होती है। कैश बुक के व्यय पक्ष में कोई भई प्रविष्टि नहीं किया गया

है, जिससे भुगतान किसे और किस संबंध में तथा कितनी धनराशि किया गया अस्पष्ट रहा। एक ही दिन में 37 बार पीएफएम से भुगतान किया गया।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 (क) के पैरा 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में व्यय दर्शित धनराशि रु. 803224.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली ग्राम प्रधान- श्रीमती नन्ही बेगम तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री हरीश कुमार से उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम सख्या 256 से 259 के प्रावधान अनुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0-01 ग्राम पंचा0- राजपुर कुंडरी, वि0ख0-बीसलपुर, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 128- ग्राम पंचायत – अमृताखास, विकासखण्ड बीसलपुर, जनपद पीलीभीत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट पर अंकित (आनलाइन उपलब्ध द्वारा) आय-व्यय की धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गयी। प्रिया साफ्ट अनुसार आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार है-

प्रारम्भिक अवशेष-	8754441.00
वर्ष में प्राप्त-	3782825.00
वर्ष में व्यय-	4465898.00
वर्षान्त अवशेष-	8071368.00

उक्त विवरण अनुसार लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि में बार-बार मांगे जाने के बाद भी मूल अभिलेख यथा अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, कैशबुक, व्यय प्रमाणक एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये।

बार- बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 (क) के पैरा 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में व्यय दर्शित धनराशि रु. 4465898.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली ग्राम प्रधान/ प्रशासक- श्रीमती राजकुमारी/ श्री रामचरण प्रसाद तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री अजय कुमार से उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम सख्या 256 से 259 के प्रावधान अनुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0-01 ग्राम पंचा0- अमृता खास, वि0ख0-बीसलपुर, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 129- ग्राम पंचायत – रिछोला सबल, के राज्य वित्त के खाते से निम्न विवरणानुसार पी0एफ0एम0एस0 द्वारा आहरित धनराशि के सापेक्ष भुगतान का कोई भी विवरण कैशबुक में अंकित नहीं किया गया है-

दिनांक	आहरित धनराशि
01.08.2021	14300.00
01.08.2021	9830.00
01.08.2021	2000.00
01.08.2021	10170.00
01.08.2021	25000.00
14.08.2021	1000.00
14.08.2021	1500.00
14.08.2021	8968.00
14.08.2021	3280.00

20.08.2021 28000.00

20.08.2021 16500.00

योग- 120548.00

भुगतान किसे किस उद्देश्य से किया गया अस्पष्ट रहा। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 (क) के पैरा 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में व्यय दर्शित धनराशि रु. 120548.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली ग्राम प्रधान- श्री इमरान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री हरीश कुमार से उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम सख्या 256 से 259 के प्रावधान अनुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0-01 ग्राम पंचा0- रिछौला सबल, वि0ख0-बीसलपुर, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 130- ग्राम पंचायत - चुरा सकतपुर, विकासखण्ड बीसलपुर, जनपद पीलीभीत की वर्ष 2020-21 की कैशबुक में निम्न विवरण अनुसार पी0एफ0एम0एस0 द्वारा आहरण दर्शाया गया है, जबकि व्यय का कोई भी विवरण अंकित नहीं है। विवरण निम्न प्रकार है-

दिनांक	आहरित धनराशि
10.04.2020	20000.00
31.07.2020	18300.00
31.07.2020	12700.00
20.08.2020	62569.00
20.08.2020	2000.00

योग- 115569.00

भुगतान किसे किस हेतु तथा कितनी धनराशि का किया गया अस्पष्ट रहा। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 (क) के पैरा 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में व्यय दर्शित धनराशि रु. 115569.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली ग्राम प्रधान- श्रीमती गंगा देवी तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री हरीश कुमार से उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम सख्या 256 से 259 के प्रावधान अनुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0-01 ग्राम पंचा0- चुरा सकतपुर, वि0ख0-बीसलपुर, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 131- ग्राम पंचायत - रसूला, विकासखण्ड बीसलपुर, जनपद पीलीभीत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट पर अंकित (आनलाइन उपलब्ध द्वारा) आय-व्यय की धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गयी। प्रिया साफ्ट अनुसार आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार है-

प्रारम्भिक अवशेष-	7188357.36
वर्ष में प्राप्त-	12500000.00
वर्ष में व्यय-	916592.00
वर्षान्त अवशेष-	18771765.36

उक्त विवरण अनुसार लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि में बार-बार मांगे जाने के बाद भी मूल अभिलेख यथा अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, कैशबुक, व्यय प्रमाणक एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये।

बार- बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 (क) के पैरा 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में व्यय दर्शित धनराशि रु. 916592.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली ग्राम प्रधान/ प्रशासक- श्रीमती जामवती देवी/ श्री रामचरण प्रसाद तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री अजय कुमार से उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम सख्या 256 से 259 के प्रावधान अनुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0-01 ग्राम पंचा0- रसूला, वि0ख0-बीसलपुर, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 132- ग्राम पंचायत इलाबांस सिमरा द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि से दिनांक 01.12.2020 से 31.03.2021 तक आहरित धनराशि रु० 1017860.00 (दस लाख सत्रह हजार आठ सौ साठ रुपये) के सापेक्ष पुष्टि में कोषवही, फर्म का बिल/वाउचर, टेंडर /कुटेशन पत्रावलियां, सामग्री क्रय आदेश, प्राक्कलन एवं मापांकन पंजिका, स्टॉक एवं डेड स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट आदि अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु मांगे जाने पर उपलब्ध नहीं कराये गए जिससे उपरोक्त धनराशि के व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8 क के अनुसार आहरित की गयी अथवा व्यय दर्शायी गई धनराशि के सापेक्ष व्यय की पुष्टि में प्रमाणक उपलब्ध न होने पर उक्त धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्रावधान है। अतः उक्त धनराशि रु० 1017860.00 में से रु० 699675.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री छेदालाल एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री रितेश शुक्ला से तथा रु० 318185.00 की वसूली तत्कालीन प्रशासक श्री रामचरण (सहायक विकास अधिकारी पंचा. बिलसंडा) एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री रितेश शुक्ला से (कार्यकाल की समयक पुष्टि के उपरांत) उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256(1) के प्रावधानों के अनुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0-06 ग्राम पंचा0- इलाहाबास सिमरा, वि0ख0-बिलसण्डा, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 133- ग्राम पंचायत बबूरा द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि से आहरित धनराशि रु० 1124124.00 (ग्यारह लाख चौबीस हजार एक सौ चौबीस रुपये) के सापेक्ष पुष्टि में कोषवही, फर्म का बिल/वाउचर, टेंडर /कुटेशन पत्रावलियां , सामग्री क्रय आदेश, प्राक्कलन एवं मापांकन पंजिका, स्टॉक एवं डेड स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट आदि अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु मांगे जाने पर उपलब्ध नहीं कराये गए जिससे उपरोक्त धनराशि के व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8 क के अनुसार आहरित की गयी अथवा व्यय दर्शायी गई धनराशि के सापेक्ष व्यय की पुष्टि में प्रमाणक उपलब्ध न होने पर उक्त धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्रावधान है। अतः उक्त धनराशि रु०1124124.00 में से रु०1042224.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती जया एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री रितेश शुक्ला से एवं रु०81900.00 की वसूली तत्कालीन प्रशासक श्री रामचरण (सहायक विकास अधिकारी पंचा. बिलसंडा) एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री रितेश शुक्ला उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256(1) के प्रावधानों के अनुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0-07 ग्राम पंचा0- बबूरा, वि0ख0-बिलसण्डा, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 134- ग्राम पंचायत ढकिया जलालपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि से आहरित धनराशि रु०988134.00 (नौ लाख अठासी हजार एक सौ चौतीस रुपये) के सापेक्ष पुष्टि में कोषवही, फर्म का बिल/वाउचर, टेंडर /कुटेशन पत्रावलियां, सामग्री क्रय आदेश, प्राक्कलन एवं मापांकन पंजिका, स्टॉक एवं डेड स्टॉक पंजिका,

परिसंपत्ति पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट आदि अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु मांगे जाने पर उपलब्ध नहीं कराये गए जिससे उपरोक्त धनराशि के व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8 क के अनुसार आहरित की गयी अथवा व्यय दर्शायी गई धनराशि के सापेक्ष व्यय की पुष्टि में प्रमाणक उपलब्ध न होने पर उक्त धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्रावधान है। अतः उक्त धनराशि रु० 988134.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती नरेन्द्र कौर एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री विजय तिवारी से उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256(1) के प्रावधानों के अनुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0-02 ग्राम पंचा0- ढकिया जलालपुर, वि0ख0-बिलसण्डा, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 135- ग्राम पंचायत बिलासपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि से आहरित धनराशि रु० 3409350.00 (चौतीस लाख नौ हजार तीन सौ पचास रुपये) के सापेक्ष पुष्टि में कोषवही, फर्म का बिल/वाउचर, टेंडर /कुटेशन पत्रावलियां, सामग्री क्रय आदेश, प्राक्कलन एवं मापांकन पंजिका, स्टॉक एवं डेड स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट आदि अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु मांगे जाने पर उपलब्ध नहीं कराये गए जिससे उपरोक्त धनराशि के व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8 क के अनुसार आहरित की गयी अथवा व्यय दर्शायी गई धनराशि के सापेक्ष व्यय की पुष्टि में प्रमाणक उपलब्ध न होने पर उक्त धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्रावधान है। अतः उक्त धनराशि रु० 3409350.00 में से रु० 1457317.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रामवती एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री विजय तिवारी से रु० 1412623.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रामवती एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री रितेश शुक्ला से तथा रु० 539410.00 की वसूली तत्कालीन प्रशासक श्री रामचरन (सहायक विकास अधिकारी पंचा. बिलसंडा) एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अखिलेश गुप्ता से उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256(1) के प्रावधानों के अनुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0-01 ग्राम पंचा0- बिलासपुर, वि0ख0-बिलसण्डा, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 136- ग्राम पंचायत अमखिडिया ता. पगार द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि प्रथम खाता संख्या 16620100000536 से आहरित धनराशि रु० 1004761.00 के सापेक्ष दिनांक 18.12.2020 से 23.12.2020 तक आहरित धनराशि रु० 725635.00 (सात लाख पच्चीस हजार छः सौ पैंतीस रुपये) के व्यय की पुष्टि में कोषवही, फर्म का बिल/वाउचर, टेंडर /कुटेशन पत्रावलियां, सामग्री क्रय आदेश, प्राक्कलन एवं मापांकन पंजिका, स्टॉक एवं डेड स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट आदि अभिलेख अनुपलब्ध रहे जिससे उपरोक्त धनराशि के व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8 क के अनुसार आहरित की गयी अथवा व्यय दर्शायी गई धनराशि के सापेक्ष व्यय की पुष्टि में प्रमाणक उपलब्ध न होने पर उक्त धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्रावधान है। अतः उक्त धनराशि रु० 725635.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री भगवान सिंह एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री रितेश शुक्ला से उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256(1) के प्रावधानों के अनुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0-08 ग्राम पंचा0- अमखिडिया ता0 पगार, वि0ख0-बिलसण्डा, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 137- ग्राम पंचायत कल्यानपुर ता. करेली द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि से आहरित धनराशि रु० 1301680.00 (तेरह लाख एक हजार छः सौ अस्सी रुपये) के सापेक्ष पुष्टि में कोषवही, फर्म का बिल/वाउचर, टेंडर /कुटेशन पत्रावलियां, सामग्री क्रय आदेश, प्राक्कलन एवं मापांकन पंजिका, स्टॉक एवं डेड स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट आदि अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु मांगे जाने पर उपलब्ध नहीं कराये गए जिससे उपरोक्त धनराशि के व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8 क के अनुसार आहरित की गयी अथवा व्यय दर्शायी गई धनराशि के सापेक्ष व्यय की

पुष्टि में प्रमाणक उपलब्ध न होने पर उक्त धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्रावधान है। अतः उक्त धनराशि रु० 1301680.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री नयाब खां एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री विजय तिवारी से उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256(1) के प्रावधानों के अनुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0-01 ग्राम पंचा0- कल्यानपुर ता0 करेली, वि0ख0-बिलसण्डा, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 138- ग्राम पंचायत लिलहर द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि से आहरित धनराशि रु० 1181106.00 (ग्यारह लाख इक्यासी हजार एक सौ छः रुपये) के सापेक्ष पुष्टि में कोषवही, फर्म का बिल/वाउचर, टेंडर /कुटेशन पत्रावलियां, सामग्री क्रय आदेश, प्राक्कलन एवं मापांकन पंजिका, स्टॉक एवं डेड स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट आदि अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु मांगे जाने पर उपलब्ध नहीं कराये गए जिससे उपरोक्त धनराशि के व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8 क के अनुसार आहरित की गयी अथवा व्यय दर्शायी गई धनराशि के सापेक्ष व्यय की पुष्टि में प्रमाणक उपलब्ध न होने पर उक्त धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्रावधान है। अतः उक्त धनराशि रु० 1181106.00 में से रु० 1166445.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती कमलेश कुमारी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री रितेश शुक्ला से तथा रु० 14661.00 की वसूली तत्कालीन प्रशासक श्री रामचरन प्रसाद (सहायक विकास अधिकारी पंचा. बिलसंडा) एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री रितेश शुक्ला से (कार्यकाल की समयक पुष्टि के उपरांत) उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256(1) के प्रावधानों के अनुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0-02 ग्राम पंचा0- लिलहर, वि0ख0-बिलसण्डा, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 139- ग्राम पंचायत मन्निया द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि से दिनांक 01 अप्रैल 2020 से नवम्बर 2020 तक एवं फरवरी 2021 से 31 मार्च 2021 तक आहरित धनराशि रु० 348425.00 (तीन लाख अड़तालीस हजार चार सौ पच्चीस रुपये) के सापेक्ष पुष्टि में कोषवही, फर्म का बिल/वाउचर, टेंडर /कुटेशन पत्रावलियां, सामग्री क्रय आदेश, प्राक्कलन एवं मापांकन पंजिका, स्टॉक एवं डेड स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट आदि अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु मांगे जाने पर उपलब्ध नहीं कराये गए जिससे उपरोक्त धनराशि के व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8 क के अनुसार आहरित की गयी अथवा व्यय दर्शायी गई धनराशि के सापेक्ष व्यय की पुष्टि में प्रमाणक उपलब्ध न होने पर उक्त धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्रावधान है। अतः उक्त धनराशि रु० 348425.00 में से रु० 138291.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री वीरेश सिंह एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री विजय तिवारी से तथा रु० 210134.00 की वसूली तत्कालीन प्रशासक श्री रामचरन (सहायक विकास अधिकारी पंचा. बिलसंडा) एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अखिलेश गुप्ता से (कार्यकाल की समयक पुष्टि के उपरांत) उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256(1) के प्रावधानों के अनुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0-02 ग्राम पंचा0- मन्निया, वि0ख0-बिलसण्डा, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 140- ग्राम पंचायत मीरपुर हर्रायपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि से आहरित धनराशि रु० 683253.00 (छः लाख तिरासी हजार दो सौ तिरपन रुपये)के सापेक्ष पुष्टि में कोषवही, फर्म का बिल/वाउचर, टेंडर /कुटेशन पत्रावलियां, सामग्री क्रय आदेश, प्राक्कलन एवं मापांकन पंजिका, स्टॉक एवं डेड स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट आदि अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु मांगे जाने पर उपलब्ध नहीं कराये गए जिससे उपरोक्त धनराशि के व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8 क के अनुसार आहरित की गयी अथवा व्यय दर्शायी गई धनराशि के सापेक्ष व्यय की पुष्टि में प्रमाणक उपलब्ध न होने पर उक्त धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्रावधान है। अतः उक्त धनराशि रु० 683253.00 की वसूली तत्कालीन

ग्राम प्रधान श्री अनिल कुमार एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री विजय तिवारी से उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256(1) के प्रावधानों के अनुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0-01 ग्राम पंचा0- मीरपुर हर्रायपुर, वि0ख0-बिलसण्डा, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 141- ग्राम पंचायत मरैना द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि प्रथम से आहरित धनराशि रु० 679192.00 (छः लाख उनासी हजार एक सौ वयान्वे रुपये) के सापेक्ष पुष्टि में कोषवही, फर्म का बिल/वाउचर, टेंडर /कुटेशन पत्रावलियां, सामग्री क्रय आदेश, प्राक्कलन एवं मापांकन पंजिका, स्टॉक एवं डेड स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट आदि अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु मांगे जाने पर उपलब्ध नहीं कराये गए जिससे उपरोक्त धनराशि के व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8 क के अनुसार आहरित की गयी अथवा व्यय दर्शायी गई धनराशि के सापेक्ष व्यय की पुष्टि में प्रमाणक उपलब्ध न होने पर उक्त धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्रावधान है। अतः उक्त धनराशि रु० 679192.00 में से रु० 642862.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुषमा देवी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री विजय तिवारी से तथा रु० 36330.00 की वसूली तत्कालीन प्रशासक श्री रामचरन (सहायक विकास अधिकारी पंचा. बिलसंडा) एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अखिलेश गुप्ता से उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256(1) के प्रावधानों के अनुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0-02 ग्राम पंचा0- मरैना, वि0ख0-बिलसण्डा, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 142- ग्राम पंचायत पंडरी मरौरी द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि प्रथम से आहरित धनराशि रु० 962025.00 (नौ लाख वासठ हजार पच्चीस रुपये)के सापेक्ष पुष्टि में कोषवही, फर्म का बिल/वाउचर, टेंडर /कुटेशन पत्रावलियां, सामग्री क्रय आदेश, प्राक्कलन एवं मापांकन पंजिका, स्टॉक एवं डेड स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट आदि अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु मांगे जाने पर उपलब्ध नहीं कराये गए जिससे उपरोक्त धनराशि के व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8 क के अनुसार आहरित की गयी अथवा व्यय दर्शायी गई धनराशि के सापेक्ष व्यय की पुष्टि में प्रमाणक उपलब्ध न होने पर उक्त धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्रावधान है। अतः उक्त धनराशि रु०962025.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री शंकर सरन एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री विजय तिवारी से उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256(1) के प्रावधानों के अनुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0-02 ग्राम पंचा0- पंडरी मरौरी, वि0ख0-बिलसण्डा, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 143- ग्राम पंचायत पिपरिया सिंगीपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि से आहरित धनराशि रु० 739069.00 (सात लाख उन्तालीस हजार उनहत्तर रुपये)के सापेक्ष पुष्टि में कोषवही, फर्म का बिल/वाउचर, टेंडर /कुटेशन पत्रावलियां, सामग्री क्रय आदेश, प्राक्कलन एवं मापांकन पंजिका, स्टॉक एवं डेड स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट आदि अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु मांगे जाने पर उपलब्ध नहीं कराये गए जिससे उपरोक्त धनराशि के व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8 क के अनुसार आहरित की गयी अथवा व्यय दर्शायी गई धनराशि के सापेक्ष व्यय की पुष्टि में प्रमाणक उपलब्ध न होने पर उक्त धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्रावधान है। अतः उक्त धनराशि रु०739069.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री लालू सिंह एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री विजय तिवारी से उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256(1) के प्रावधानों के अनुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0-02 ग्राम पंचा0- पिपरिया सिंगीपुर, वि0ख0-बिलसण्डा, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 144- ग्राम पंचायत तिलसंडा हसौआ द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि से 01.04.2020 से 13.11.2020 तक आहरित धनराशि रु०520010.00 (पांच लाख बीस हजार दस रुपये) के सापेक्ष पुष्टि में कोषवही, फर्म का बिल/वाउचर, टेंडर /कुटेशन पत्रावलियां, सामग्री क्रय आदेश, प्राक्कलन एवं मापांकन पंजिका, स्टॉक एवं डेड स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट आदि अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु मांगे जाने पर उपलब्ध नहीं कराये गए जिससे उपरोक्त धनराशि के व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8 क के अनुसार आहरित की गयी अथवा व्यय दर्शायी गई धनराशि के सापेक्ष व्यय की पुष्टि में प्रमाणक उपलब्ध न होने पर उक्त धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्रावधान है। अतः उक्त धनराशि रु० 520010.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री कुलदीप सिंह एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री विजय तिवारी से उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256(1) के प्रावधानों के अनुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0-07 ग्राम पंचा0- तिलसण्डा हसौआ, वि0ख0-बिलसण्डा, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 145- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत- धुन्धरी ,वि. ख. -अमरिया ,जनपद- पीलीभीत की लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट के अनुसार दर्शित आय - व्यय के आधार पर की गयी ।लेखा परीक्षा हेतु सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा इंटिमेशन लेटर स्वीकार किया गया परन्तु, ऑडिट हेतु निर्धारित तिथि पर अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया । अभिलेख सुलभ कराने हेतु पत्रांक- मेमो / ऑडिट /2021-22 दिनांक 29-09-2021,28-12-2021 तथा 29-03-2022 जो कि सहायक विकास अधिकारी (प०) अधिकारी को संबोधित तथा जिला लेखा परीक्षा अधिकारी,सहकारी समितियां एवम पंचायत, पीलीभीत को पृष्ठांकित है, के द्वारा अनुरोध किया गया,परन्तु दिनांक 31-03-2022 तक ले० प० हेतु उपरोक्त ग्राम पंचायत का अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया।

प्रिया सॉफ्ट के अनुसार वर्ष दौरान आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार है -

	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार	प्रियासॉफ्ट के अनुसार	अंतर
प्रारंभिक अवशेष	अप्राप्त ।	3375857.71	-----
वर्ष में प्राप्त	अप्राप्त ।	7764406.00	-----
वर्ष में आहरित /व्यय	अप्राप्त ।	2343110.00	-----
वर्षांत अवशेष	अप्राप्त ।	8797153.71	-----

वित्त वर्ष 2020-21में ग्राम प्रधान-मो.दिलशाद /प्रशासक -मो.राशिद तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री पंकज आर्य द्वारा कुल रुपये 2343110.00 का आहरण की पुष्टि प्रियासॉफ्ट पर दर्शित आंकड़ों के अनुसार हो रही है, परन्तु लेखा परीक्षा में आहरित धनराशि की पुष्टि में बैंक स्टेटमेंट, कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्ययोजना, कोषवही, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, प्राक्कलन, टेंडर/कोटेशन पत्रावली, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि महत्वपूर्ण अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया।पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने पर, आहरित / व्यय की गई धनराशि को अपहरण मानते हुए सम्पूर्ण धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान/प्रशासक एवं ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से किए जाने का प्रावधान है।

अतः उपरोक्त प्रावधान के आलोक में व्यय दर्शित/आहरित धनराशि रु 2343110.00 अपहरण की श्रेणी में आता है, जिसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान/प्रशासक - मो. दिलशाद, मो. राशिद तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी - श्री पंकज आर्य से उनके कार्यकाल के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्रावधानानुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0-01 ग्राम पंचा0- धुंधरी, वि0ख0-अमरिया, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 146- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत- मुगलाखेड़ा ,वि. ख. -अमरिया ,जनपद- पीलीभीत की लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट तथा बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दर्शित आय - व्यय के आधार पर की गयी ।लेखा परीक्षा हेतु सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा इंटीमेशन लेटर स्वीकार किया गया परन्तु, ऑडिट हेतु निर्धारित तिथि पर अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। अभिलेख सुलभ कराने हेतु पत्रांक- मेमो / ऑडिट /2021-22 दिनांक 29-03-2022 जो कि सहायक विकास अधिकारी (प०) अधिकारी को संबोधित तथा जिला पंचायत राज अधिकारी तथा जिला लेखा परीक्षा अधिकारी,सहकारी समितियां एवम पंचायत, पीलीभीत को पृष्ठांकित है, के द्वारा अनुरोध किया गया,परन्तु दिनांक 31-03-2022 तक ले० प० हेतु उपरोक्त ग्राम पंचायत का अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रिया सॉफ्ट एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार वर्ष दौरान आय -व्यय का विवरण निम्न प्रकार है -

	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार	प्रियासॉफ्ट के अनुसार	अंतर
प्रारंभिक अवशेष	1050827.60	1117456.10	(+)66628.50
वर्ष में प्राप्त	1879343.00	911000.00	(-)968343.00
वर्ष में आहरित /व्यय	1615067.00	1327512.00	(-)287555.00
वर्षांत अवशेष	1315103.60	700944.10	(-)614159.50

उपरोक्त तालिका में अंकित आंकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट है की, प्रिया सॉफ्ट पर अपलोड किया गया वर्ष दौरान आय -व्यय, बैंक स्टेटमेंट में दर्शित आंकड़ों से भिन्न है तथा व्यापक अंतर दर्शित है, साथ ही आहरित धनराशि की पुष्टि मूल अभिलेखों से नहीं कराया गया, अतः यह काल्पनिक और मनमाना है, जिसकी पुष्टि अभिलेखों से नहीं कराया गया ।

वित्त वर्ष 2020-21में ग्राम प्रधान श्री राजकुमार /प्रशासक -मो.राशिद तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री रमावीर गंगवार द्वारा कुल रुपये 1615067.00 का आहरण बैंक ऑफ़ बड़ोदा के राज्य वित्त खाता संख्या 98440100005574 तथा केंद्रीय वित्त बी0ओ0बी0 -98440100014936 से किया गया, जिसकी पुष्टि बैंक स्टेटमेंट से भी हो रही है। परन्तु लेखा परीक्षा में आहरित धनराशि की पुष्टि में कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्ययोजना, कोषबही,व्यय प्रमाणक,प्राक्कलन,टेंडर/कोटेशन पत्रावली, प्रशासनिक वितीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका,माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि महत्वपूर्ण अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया ।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने पर, आहरित / व्यय की गई धनराशि को अपहरण मानते हुए सम्पूर्ण धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान/प्रशासक एवं ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से किए जाने का प्रावधान है।

अतः उपरोक्त प्रावधान के आलोक में व्यय दर्शित/आहरित धनराशि रु 1615067.00 अपहरण की श्रेणी में आता है, जिसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान / प्रशासक - श्री राजकुमार /मो. राशिद तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी - श्री रमावीर गंगवार से उनके कार्यकाल के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्रावधानानुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0-01 ग्राम पंचा0- मुगलाखेड़ा, वि0ख0-अमरिया, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 147- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत- पिंजरा वमनपुरी ,वि. ख. - अमरिया ,जनपद- पीलीभीत की लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट तथा बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दर्शित आय - व्यय के आधार पर की गयी ।लेखा परीक्षा हेतु सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा इंटीमेशन लेटर स्वीकार किया गया परन्तु, ऑडिट हेतु निर्धारित तिथि पर अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया । अभिलेख सुलभ कराने हेतु पत्रांक- मेमो / ऑडिट /2021-22 दिनांक 29-03-2022 जो कि सहायक विकास अधिकारी (प०) अधिकारी को संबोधित तथा जिला पंचायत राज अधिकारी तथा जिला लेखा परीक्षा अधिकारी,सहकारी समितियां एवम पंचायत, पीलीभीत को पृष्ठांकित है, के द्वारा अनुरोध किया गया,परन्तु दिनांक 31-03-2022 तक ले० प० हेतु उपरोक्त ग्राम पंचायत

का अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रिया सॉफ्ट एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार वर्ष दौरान आय - व्यय का विवरण निम्न प्रकार है -

	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार	प्रियासॉफ्ट के अनुसार	अंतर
प्रारंभिक अवशेष	652893.62	2914382.50	(+)2261488.88
वर्ष में प्राप्त	3175731.00	4626000.00	(+)1450269.00
वर्ष में आहरित / व्यय	2753404.00	2753404.00	----
वर्षांत अवशेष	1075220.62	4786978.50	(+)3711757.88

उपरोक्त तालिका में अंकित आंकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट है कि, प्रिया सॉफ्ट पर अपलोड किया गया वर्ष दौरान आय - व्यय, बैंक स्टेटमेंट में दर्शित आंकड़ों से भिन्न है तथा व्यापक अंतर दर्शित है, साथ ही आहरित धनराशि की पुष्टि मूल अभिलेखों से नहीं कराया गया, अतः यह काल्पनिक और मनमाना है, जिसकी पुष्टि अभिलेखों से नहीं कराया गया ।

वित्त वर्ष 2020-21 में ग्राम प्रधान श्रीमती सावित्री देवी / प्रशासक - मो. राशिद तथा ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री रमावीर गंगवार द्वारा कुल रुपये 2753404.00 का आहरण बैंक ऑफ बड़ोदा के राज्य वित्त खाता संख्या 98440100005582 तथा केंद्रीय वित्त बीओबीओ-98440100014894 से किया गया, जिसकी पुष्टि बैंक स्टेटमेंट से भी हो रही है। परन्तु लेखा परीक्षा में आहरित धनराशि की पुष्टि में कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्ययोजना, कोषबही, व्यय प्रमाणक, प्राक्कलन, टेंडर/कोटेशन पत्रावली, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कार्यपूति प्रमाण पत्र आदि महत्वपूर्ण अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया ।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने पर, आहरित / व्यय की गई धनराशि को अपहरण मानते हुए सम्पूर्ण धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान/प्रशासक एवं ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से किए जाने का प्रावधान है।

अतः उपरोक्त प्रावधान के आलोक में व्यय दर्शित/आहरित धनराशि रु 2753404.00 अपहरण की श्रेणी में आता है, जिसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान / प्रशासक - श्रीमती सावित्री देवी / मो. राशिद तथा ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी - श्री रमावीर गंगवार से उनके कार्यकाल के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्रावधानानुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0-01 ग्राम पंचा0- पिंजरा वमनपुरी, वि0ख0-अमरिया, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 148- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत- सरैनी तिरकुनिया, वि ख -अमरिया, जनपद- पीलीभीत की लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट तथा बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दर्शित आय - व्यय के आधार पर की गयी। लेखा परीक्षा हेतु सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा इंटीमेशन लेटर स्वीकार किया गया परन्तु, ऑडिट हेतु निर्धारित तिथि पर अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया । अभिलेख सुलभ कराने हेतु पत्रांक- मेमो / ऑडिट /2021-22 दिनांक 29-03-2022 जो कि सहायक विकास अधिकारी (प०) अधिकारी को संबोधित तथा जिला पंचायत राज अधिकारी तथा जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवम पंचायत, पीलीभीत को पृष्ठांकित है, के द्वारा अनुरोध किया गया, परन्तु दिनांक 31-03-2022 तक ले० प० हेतु उपरोक्त ग्राम पंचायत का अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रिया सॉफ्ट एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार वर्ष दौरान आय - व्यय का विवरण निम्न प्रकार है -

	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार	प्रियासॉफ्ट के अनुसार	अंतर
प्रारंभिक अवशेष	2990207.40	3662493.50	(+)672286.10

वर्ष में प्राप्त	2693052.00	7365000.00	(+)4656948.00
वर्ष में आहरित /व्यय	4361154.00	4157647.00	(-)203507.00
वर्षांत अवशेष	1322105.40	6869846.50	(+)5547741.10

उपरोक्त तालिका में अंकित आंकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट है की, प्रिया सॉफ्ट पर अपलोड किया गया वर्ष दौरान आय-व्यय, बैंक स्टेटमेंट में दर्शित आंकड़ों से भिन्न है तथा व्यापक अंतर दर्शित है, साथ ही आहरित धनराशि की पुष्टि मूल अभिलेखों से नहीं कराया गया, अतः यह काल्पनिक और मनमाना है, जिसकी पुष्टि अभिलेखों से नहीं कराया गया ।

वित्त वर्ष 2020-21में ग्राम प्रधान श्री निसार अहमद /प्रशासक -मो.राशिद तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री रमावीर गंगवार द्वारा कुल रुपये 4361154.00 का आहरण बैंक ऑफ बड़ोदा के राज्य वित्त खाता संख्या 98440100005575 तथा केंद्रीय वित्त बी0ओ0बी0-98440100014903 से किया गया, जिसकी पुष्टि बैंक स्टेटमेंट से भी हो रही है। परन्तु लेखा परीक्षा में आहरित धनराशि की पुष्टि में कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्ययोजना, कोषबही, व्यय प्रमाणक, प्राक्कलन, टेंडर/कोटेशन पत्रावली, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका,माप पुस्तिका,कार्यपूति प्रमाण पत्र आदि महत्वपूर्ण अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया ।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने पर, आहरित / व्यय की गई धनराशि को अपहरण मानते हुए सम्पूर्ण धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान/प्रशासक एवं ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से किए जाने का प्रावधान है।

अतः उपरोक्त प्रावधान के आलोक में व्यय दर्शित/आहरित धनराशि रु 4361154.00 अपहरण की श्रेणी में आता है, जिसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान / प्रशासक – श्री निसार अहमद /,मो. राशिद तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी – श्री रमावीर गंगवार से उनके कार्यकाल के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्रावधानानुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0-01 ग्राम पंचा0- सरैनी तिरकुनिया, वि0ख0-अमरिया, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 149- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत- भगाडांडी, वि ख -अमरिया ,जनपद- पीलीभीत की लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट तथा बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दर्शित आय - व्यय के आधार पर की गयी ।लेखा परीक्षा हेतु सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा इंटीमेशन लेटर स्वीकार किया गया परन्तु, ऑडिट हेतु निर्धारित तिथि पर अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया । अभिलेख सुलभ कराने हेतु पत्रांक- मेमो / ऑडिट /2021-22 दिनांक 29-03-2022 जो कि सहायक विकास अधिकारी (प०) अधिकारी को संबोधित तथा जिला पंचायत राज अधिकारी तथा जिला लेखा परीक्षा अधिकारी,सहकारी समितियां एवम पंचायत, पीलीभीत को पृष्ठांकित है, के द्वारा अनुरोध किया गया,परन्तु दिनांक 31-03-2022 तक ले० प० हेतु उपरोक्त ग्राम पंचायत का अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रिया सॉफ्ट एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार वर्ष दौरान आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार है -

	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार	प्रियासॉफ्ट के अनुसार	अंतर
प्रारंभिक अवशेष	1789429.20	1265051.20	(-)524378.00
वर्ष में प्राप्त	1057423.00	2025760.00	(+)968337.00
वर्ष में आहरित /व्यय	2149503.80	2286481.00	(+)136977.20
वर्षांत अवशेष	697348.40	1004330.20	(+)306

उपरोक्त तालिका में अंकित आंकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट है की, प्रिया सॉफ्ट पर अपलोड किया गया वर्ष दौरान आय -व्यय, बैंक स्टेटमेंट में दर्शित आंकड़ों से भिन्न है तथा व्यापक अंतर दर्शित है, साथ ही आहरित धनराशि की पुष्टि मूल अभिलेखों से नहीं कराया गया, अतः यह काल्पनिक और मनमाना है, जिसकी पुष्टि अभिलेखों से नहीं कराया गया।

वित्त वर्ष 2020-21में ग्राम प्रधान -मो. आफाक /प्रशासक -मो.राशिद तथा ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी श्री पंकज आर्य द्वारा कुल रुपये 2149503.80 का आहरण बैंक से किया गया, जिसकी पुष्टि बैंक स्टेटमेंट से भी हो रही है। परन्तु लेखा परीक्षा में आहरित धनराशि की पुष्टि में कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्ययोजना, कोषबही, व्यय प्रमाणक, प्राक्कलन, टेंडर/कोटेशन पत्रावली, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका,माप पुस्तिका, कार्यपूति प्रमाण पत्र आदि महत्वपूर्ण अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया ।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने पर, आहरित/व्यय की गई धनराशि को अपहरण मानते हुए सम्पूर्ण धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान/प्रशासक एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से किए जाने का प्रावधान है।

अतः उपरोक्त प्रावधान के आलोक में व्यय दर्शित/आहरित धनराशि रु 2149503.80अपहरण की श्रेणी में आता है, जिसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान / प्रशासक - मो. आफाक /,मो. राशिद तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी - श्री पंकज आर्य से उनके कार्यकाल के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्रावधानानुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0-01 ग्राम पंचा0- भगाडांडी, वि0ख0-अमरिया, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 150- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत- बरहा विक्रम ,वि ख -अमरिया ,जनपद- पीलीभीत की लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट तथा बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दर्शित आय - व्यय के आधार पर की गयी ।लेखा परीक्षा हेतु सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा इंटिमेशन लेटर स्वीकार किया गया परन्तु, ऑडिट हेतु निर्धारित तिथि पर अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया । अभिलेख सुलभ कराने हेतु पत्रांक- मेमो / ऑडिट /2021-22 दिनांक 29-03-2022 जो कि सहायक विकास अधिकारी (प०) अधिकारी को संबोधित तथा जिला पंचायत राज अधिकारी तथा जिला लेखा परीक्षा अधिकारी,सहकारी समितियां एवम पंचायत, पीलीभीत को पृष्ठांकित है, के द्वारा अनुरोध किया गया,परन्तु दिनांक 31-03-2022 तक ले० प० हेतु उपरोक्त ग्राम पंचायत का अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रिया सॉफ्ट एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार वर्ष दौरान आय -व्यय का विवरण निम्न प्रकार है -

	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार	प्रियासॉफ्ट के अनुसार	अंतर
प्रारंभिक अवशेष	998893.90	390093.00	(-)608800.00
वर्ष में प्राप्त	1146971.00	2029021.00	(+)882050.00
वर्ष में आहरित /व्यय	1706692.00	1385055.00	(-)321637.00
वर्षांत अवशेष	439172.90	1034059.00	(-)594886.10

उपरोक्त तालिका में अंकित आंकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट है की, प्रिया सॉफ्ट पर अपलोड किया गया वर्ष दौरान आय -व्यय, बैंक स्टेटमेंट में दर्शित आंकड़ों से भिन्न है तथा व्यापक अंतर दर्शित है ,साथ ही आहरित धनराशि की पुष्टि मूल अभिलेखों से नहीं कराया गया, अतः यह काल्पनिक और मनमाना है, जिसकी पुष्टि अभिलेखों से नहीं कराया गया ।

वित्त वर्ष 2020-21में ग्राम प्रधान श्री सर्वेश कुमार /प्रशासक -मो.राशिद तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री पंकज आर्य द्वारा कुल रुपये 1706692.00 का आहरण बैंक ऑफ बड़ोदा के राज्य वित्त खाता

संख्या 15210100001403 तथा केंद्रीय वित्त बीओबीओ 15210100022553 से किया गया, जिसकी पुष्टि बैंक स्टेटमेंट से भी हो रही है। परन्तु लेखा परीक्षा में आहरित धनराशि की पुष्टि में कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्ययोजना, कोषबही, व्यय प्रमाणक, प्राक्कलन, टेंडर/कोटेशन पत्रावली, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि महत्वपूर्ण अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने पर, आहरित / व्यय की गई धनराशि को अपहरण मानते हुए सम्पूर्ण धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान/प्रशासक एवं ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से किए जाने का प्रावधान है।

अतः उपरोक्त प्रावधान के आलोक में व्यय दर्शित/आहरित धनराशि रु 1706692.00 अपहरण की श्रेणी में आता है, जिसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान / प्रशासक – श्री सर्वेश कुमार /,मो. राशिद तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी – श्री पंकज आर्य से उनके कार्यकाल के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्रावधानानुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0-01 ग्राम पंचायत- बरहा विक्रम, वि0ख0-अमरिया, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 151- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत- परेवा वैश्य, वि ख –अमरिया जनपद- पीलीभीत की लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट तथा बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दर्शित आय - व्यय के आधार पर की गयी। लेखा परीक्षा हेतु सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा इंटिमेशन लेटर स्वीकार किया गया परन्तु, ऑडिट हेतु निर्धारित तिथि पर अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। अभिलेख सुलभ कराने हेतु पत्रांक- मेमो / ऑडिट /2021-22 दिनांक 28-12-2021 जो कि सहायक विकास अधिकारी (प०) अधिकारी को संबोधित तथा जिला पंचायत राज अधिकारी तथा जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवम पंचायत, पीलीभीत को पृष्ठांकित है, के द्वारा अनुरोध किया गया, परन्तु दिनांक 31-03-2022 तक ले० प० हेतु उपरोक्त ग्राम पंचायत का अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रिया सॉफ्ट एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार वर्ष दौरान आय -व्यय का विवरण निम्न प्रकार है -

	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार	प्रियासॉफ्ट के अनुसार	अंतर
प्रारंभिक अवशेष	697514.70	803134.50	(+)105619.80
वर्ष में प्राप्त	5307049.00	6293189.00	(+)986140.00
वर्ष में आहरित /व्यय	3791205.90	3700492.00	(-)90713.90
वर्षांत अवशेष	2213357.80	3395831.50	(+)1182473.70

उपरोक्त तालिका में अंकित आंकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट है की, प्रिया सॉफ्ट पर अपलोड किया गया वर्ष दौरान आय -व्यय, बैंक स्टेटमेंट में दर्शित आंकड़ों से भिन्न है तथा व्यापक अंतर दर्शित है, साथ ही आहरित धनराशि की पुष्टि मूल अभिलेखों से नहीं कराया गया, अतः यह काल्पनिक और मनमाना है, जिसकी पुष्टि अभिलेखों से नहीं कराया गया।

वित्त वर्ष 2020-21में ग्राम प्रधान श्री/श्रीमती नुजहत याकूब /प्रशासक –मो.राशिद तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री पंकज आर्य द्वारा कुल रुपये 3791205.90 का आहरण बैंक ऑफ बड़ोदा के राज्य वित्त खाता संख्या 15210100001390 तथा केंद्रीय वित्त बीओबीओ 15210100022555 से किया गया, जिसकी पुष्टि बैंक स्टेटमेंट से भी हो रही है। परन्तु लेखा परीक्षा में आहरित धनराशि की पुष्टि में कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्ययोजना, कोषबही, व्यय प्रमाणक, प्राक्कलन, टेंडर/कोटेशन पत्रावली, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि महत्वपूर्ण अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने

पर, आहरित / व्यय की गई धनराशि को अपहरण मानते हुए सम्पूर्ण धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान/प्रशासक एवं ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से किए जाने का प्रावधान है।

अतः उपरोक्त प्रावधान के आलोक में व्यय दर्शित/आहरित धनराशि रु 3791205.90 अपहरण की श्रेणी में आता है, जिसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान / प्रशासक – श्री/श्रीमती नुजहत याकूब /मो. राशिद तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी– श्री पंकज आर्य से उनके कार्यकाल के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्रावधानानुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0-01 ग्राम पंचा0- परैवा वैश्य, वि0ख0-अमरिया, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 152- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत- सखौला, वि. ख. –अमरिया ,जनपद- पीलीभीत की लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट तथा बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दर्शित आय- व्यय के आधार पर की गयी।लेखा परीक्षा हेतु सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा इंटीमेशन लेटर स्वीकार किया गया परन्तु, ऑडिट हेतु निर्धारित तिथि पर अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। अभिलेख सुलभ कराने हेतु पत्रांक- मेमो / ऑडिट /2021-22 दिनांक 28-12-2021 जो कि सहायक विकास अधिकारी (प०) अधिकारी को संबोधित तथा जिला लेखा परीक्षा अधिकारी,सहकारी समितियां एवम पंचायत, पीलीभीत को पृष्ठांकित है, के द्वारा अनुरोध किया गया,परन्तु दिनांक 31-03-2022 तक ले० प० हेतु उपरोक्त ग्राम पंचायत का अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रिया सॉफ्ट एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार वर्ष दौरान आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार है -

	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार	प्रियासॉफ्ट के अनुसार	अंतर
प्रारंभिक अवशेष	1054680.70	851990.70	(-)202690.00
वर्ष में प्राप्त	1543616.00	1225788.00	(-)317828.00
वर्ष में आहरित /व्यय	1944679.00	754919.00	(-)1189760.00
वर्षांत अवशेष	653617.70	1322859.70	(+)669242.00

उपरोक्त तालिका में अंकित आंकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट है की, प्रिया सॉफ्ट पर अपलोड किया गया वर्ष दौरान आय –व्यय, बैंक स्टेटमेंट में दर्शित आंकड़ों से भिन्न है तथा व्यापक अंतर दर्शित है, साथ ही आहरित धनराशि की पुष्टि मूल अभिलेखों से नहीं कराया गया, अतः यह काल्पनिक और मनमाना है, जिसकी पुष्टि अभिलेखों से नहीं कराया गया ।

वित्त वर्ष 2020-21में ग्राम प्रधान श्री सुरजीत सिंह/प्रशासक– मो.राशिद तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री राहुल भारती द्वारा कुल रुपये 1944679.00 का आहरण बैंक ऑफ़ बड़ोदा के राज्य वित्त खाता तथा केंद्रीय वित्त खाता से किया गया, जिसकी पुष्टि बैंक स्टेटमेंट से भी हो रही है। परन्तु लेखा परीक्षा में आहरित धनराशि की पुष्टि में कोषबही के अलावा अन्य अभिलेख जैसे कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्ययोजना, व्यय प्रमाणक, मस्टररोल ,प्राक्कलन, टैंडर/ कोटेशन पत्रावली, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका,माप पुस्तिका,कार्यपूति प्रमाण पत्र आदि महत्वपूर्ण अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया ।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने पर, आहरित / व्यय की गई धनराशि को अपहरण मानते हुए सम्पूर्ण धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान/प्रशासक एवं ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से किए जाने का प्रावधान है।

अतः उपरोक्त प्रावधान के आलोक में व्यय दर्शित/आहरित धनराशि रु 1944679.00 अपहरण की श्रेणी में आता है, जिसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान / प्रशासक – श्री सुरजीत सिंह /,मो. राशिद तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी – श्री राहुल भारती से उनके कार्यकाल के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्रावधानानुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0-01 ग्राम पंचा0- सखौला, वि0ख0-अमरिया, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 153- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत- महचंदी ,वि. ख. -अमरिया ,जनपद- पीलीभीत की लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट तथा बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दर्शित आय - व्यय के आधार पर की गयी ।लेखा परीक्षा हेतु सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा इंटीमेशन लेटर स्वीकार किया गया परन्तु, ऑडिट हेतु निर्धारित तिथि पर अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया । अभिलेख सुलभ कराने हेतु पत्रांक- मेमो / ऑडिट /2021-22 दिनांक 04-03-2022 जो कि सहायक विकास अधिकारी (प०) अधिकारी को संबोधित तथा जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवम पंचायत, पीलीभीत को पृष्ठांकित है, के द्वारा अनुरोध किया गया,परन्तु दिनांक 31-03-2022 तक ले० प० हेतु उपरोक्त ग्राम पंचायत का अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रिया सॉफ्ट एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार वर्ष दौरान आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार है-

	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार	प्रियासॉफ्ट के अनुसार	अंतर
प्रारंभिक अवशेष	276046.08	727425.00	(+)451378.92
वर्ष में प्राप्त	1000153.00	621010.00	(-)379143.00
वर्ष में आहरित /व्यय	483699.00	483699.00	-----
वर्षांत अवशेष	792500.08	864736.00	(+)72235.92

उपरोक्त तालिका में अंकित आंकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट है की, प्रिया सॉफ्ट पर अपलोड किया गया वर्ष दौरान आय -व्यय, बैंक स्टेटमेंट में दर्शित आंकड़ों से भिन्न है तथा व्यापक अंतर दर्शित है ,साथ ही आहरित धनराशि की पुष्टि मूल अभिलेखों से नहीं कराया गया, अतः यह काल्पनिक और मनमाना है, जिसकी पुष्टि अभिलेखों से नहीं कराया गया ।

वित्त वर्ष 2020-21में ग्राम प्रधान श्री निसार अहमद / प्रशासक -मो.राशिद तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री राहुल भारती द्वारा कुल रुपये 483699.00 का आहरण बैंक ऑफ बड़ोदा के राज्य वित्त खाता तथा केंद्रीय वित्त खाता से किया गया, जिसकी पुष्टि बैंक स्टेटमेंट से भी हो रही है। परन्तु लेखा परीक्षा में आहरित धनराशि की पुष्टि में कोषबही के अलावा अन्य महत्वपूर्ण अभिलेख जैसे कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्ययोजना, व्यय प्रमाणक, मस्टररोल ,प्राक्कलन, टेंडर/कोटेशन पत्रावली, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कार्यपूति प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किया गया।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने पर, आहरित / व्यय की गई धनराशि को अपहरण मानते हुए सम्पूर्ण धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान/प्रशासक एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से किए जाने का प्रावधान है।

अतः उपरोक्त प्रावधान के आलोक में व्यय दर्शित/आहरित धनराशि रु 483699.00 अपहरण की श्रेणी में आता है, जिसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान / प्रशासक - श्री निसार अहमद /,मो. राशिद तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी - श्री राहुल भारती से उनके कार्यकाल के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्रावधानानुसार तात्तरीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0-01 ग्राम पंचा0- महचंदी, वि0ख0-अमरिया, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 154- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत- डंडिया ,वि. ख. -अमरिया ,जनपद- पीलीभीत की लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट तथा बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दर्शित आय - व्यय के आधार पर की गयी ।लेखा परीक्षा हेतु सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा इंटीमेशन लेटर स्वीकार किया गया परन्तु, ऑडिट हेतु निर्धारित तिथि पर अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया । अभिलेख सुलभ कराने हेतु पत्रांक- मेमो / ऑडिट /2021-22 दिनांक 04-03-2022 जो कि सहायक विकास अधिकारी (प०) अधिकारी को संबोधित तथा जिला लेखा परीक्षा अधिकारी,सहकारी समितियां एवम पंचायत, पीलीभीत को पृष्ठांकित है, के द्वारा अनुरोध किया

गया,परन्तु दिनांक 31-03-2022 तक ले० प० हेतु उपरोक्त ग्राम पंचायत का अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रिया सॉफ्ट एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार वर्ष दौरान आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार है -

	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार	प्रियासॉफ्ट के अनुसार	अंतर
प्रारंभिक अवशेष	192498.73	58119.73	(+)134379.00
वर्ष में प्राप्त	584414.00	1082000.00	(+)497586.00
वर्ष में आहरित /व्यय	165544.00	165544.00	-----
वर्षांत अवशेष	611368.73	974575.73	(+)363207.00

उपरोक्त तालिका में अंकित आंकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट है की, प्रिया सॉफ्ट पर अपलोड किया गया वर्ष दौरान आय -व्यय, बैंक स्टेटमेंट में दर्शित आंकड़ों से भिन्न है तथा व्यापक अंतर दर्शित है, साथ ही आहरित धनराशि की पुष्टि मूल अभिलेखों से नहीं कराया गया, अतः यह काल्पनिक और मनमाना है, जिसकी पुष्टि अभिलेखों से नहीं कराया गया ।

वित्त वर्ष 2020-21में ग्राम प्रधान श्री परमानंद /प्रशासक -मो.राशिद तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री राहुल भारती द्वारा कुल रुपये 165544.00का आहरण बैंक ऑफ़ बड़ोदा के राज्य वित्त खाता तथा केंद्रीय वित्त खाता से किया गया, जिसकी पुष्टि बैंक स्टेटमेंट से भी हो रही है। परन्तु लेखा परीक्षा में आहरित धनराशि की पुष्टि में कोषबही के अलावा अन्य महत्वपूर्ण अभिलेख जैसे कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्ययोजना, व्यय प्रमाणक, मस्टररोल ,प्राक्कलन,टेंडर/कोटेशन पत्रावली, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका,माप पुस्तिका,कार्यपूति प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किया गया ।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने पर, आहरित / व्यय की गई धनराशि को अपहरण मानते हुए सम्पूर्ण धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान/प्रशासक एवं ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से किए जाने का प्रावधान है।

अतः उपरोक्त प्रावधान के आलोक में व्यय दर्शित/आहरित धनराशि रु 165544.00 अपहरण की श्रेणी में आता है, जिसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान / प्रशासक - श्री परमानंद /,मो. राशिद तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी - श्री राहुल भारती से उनके कार्यकाल के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्रावधानानुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0-01 ग्राम पंचा0-डंडिया, वि0ख0-अमरिया, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 155- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत- जगत, वि ख -अमरिया ,जनपद- पीलीभीत की लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट तथा बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दर्शित आय - व्यय के आधार पर की गयी ।लेखा परीक्षा हेतु सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा इंटीमेशन लेटर स्वीकार किया गया परन्तु, ऑडिट हेतु निर्धारित तिथि पर अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया । अभिलेख सुलभ कराने हेतु पत्रांक- मेमो / ऑडिट /2021-22 दिनांक 29-03-2022 जो कि सहायक विकास अधिकारी (प०) अधिकारी को संबोधित तथा जिला पंचायत राज अधिकारी तथा जिला लेखा परीक्षा अधिकारी,सहकारी समितियां एवम पंचायत, पीलीभीत को पृष्ठांकित है, के द्वारा अनुरोध किया गया,परन्तु दिनांक 31-03-2022 तक ले० प० हेतु उपरोक्त ग्राम पंचायत का अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रिया सॉफ्ट एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार वर्ष दौरान आय -व्यय का विवरण निम्न प्रकार है -

	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार	प्रियासॉफ्ट के अनुसार	अंतर
प्रारंभिक अवशेष	895727.35	487035.35	(-)408692.00

वर्ष में प्राप्त	1843475.00	2898685.00	(+)1055210.00
वर्ष में आहरित /व्यय	1839760.00	2054389.00	(+)214629.00
वर्षांत अवशेष	899442.35	1331331.35	(+)431889.00

उपरोक्त तालिका में अंकित आंकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट है की, प्रिया सॉफ्ट पर अपलोड किया गया वर्ष दौरान आय -व्यय, बैंक स्टेटमेंट में दर्शित आंकड़ों से भिन्न है तथा व्यापक अंतर दर्शित है, साथ ही आहरित धनराशि की पुष्टि मूल अभिलेखों से नहीं कराया गया, अतः यह काल्पनिक और मनमाना है, जिसकी पुष्टि अभिलेखों से नहीं कराया गया ।

वित्त वर्ष 2020-21में ग्राम प्रधान श्री विश्राम सिंह /प्रशासक -मो.राशिद तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री पंकज आर्य द्वारा कुल रुपये 1839760.00 का आहरण बैंक ऑफ बड़ोदा के राज्य वित्त खाता संख्या 1521010000 तथा केंद्रीय वित्त बी0ओ0बी0 15210100022566 से किया गया, जिसकी पुष्टि बैंक स्टेटमेंट से भी हो रही है। परन्तु लेखा परीक्षा में आहरित धनराशि की पुष्टि में कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्ययोजना, कोषबही, व्यय प्रमाणक, प्राक्कलन, टेंडर/कोटेशन पत्रावली, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका,माप पुस्तिका, कार्यपूति प्रमाण पत्र आदि महत्वपूर्ण अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया ।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने पर, आहरित / व्यय की गई धनराशि को अपहरण मानते हुए सम्पूर्ण धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान/प्रशासक एवं ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से किए जाने का प्रावधान है।

अतः उपरोक्त प्रावधान के आलोक में व्यय दर्शित/आहरित धनराशि रु 1839760.00अपहरण की श्रेणी में आता है, जिसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान / प्रशासक - श्री विश्राम सिंह /मो. राशिद तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी - श्री पंकज आर्य से उनके कार्यकाल के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्रावधानानुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0-01 ग्राम पंचायत-जगत, वि0ख0-अमरिया, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 156- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत- बारादुनवा ,वि. ख.- अमरिया ,जनपद- पीलीभीत की लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट के अनुसार दर्शित आय - व्यय के आधार पर की गयी ।लेखा परीक्षा हेतु सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा इंटीमेशन लेटर स्वीकार किया गया परन्तु, ऑडिट हेतु निर्धारित तिथि पर अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। अभिलेख सुलभ कराने हेतु पत्रांक- मेमो / ऑडिट /2021-22 दिनांक 29-03-2022 जो कि सहायक विकास अधिकारी (प०) अधिकारी को संबोधित तथा जिला लेखा परीक्षा अधिकारी,सहकारी समितियां एवम पंचायत, पीलीभीत को पृष्ठांकित है, के द्वारा अनुरोध किया गया,परन्तु दिनांक 31-03-2022 तक ले० प० हेतु उपरोक्त ग्राम पंचायत का अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रिया सॉफ्ट के अनुसार वर्ष दौरान आय -व्यय का विवरण निम्न प्रकार है -

	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार	प्रियासॉफ्ट के अनुसार	अंतर
प्रारंभिक अवशेष	अप्राप्त ।	4449566.50	-----
वर्ष में प्राप्त	अप्राप्त ।	2472000.00	-----
वर्ष में आहरित /व्यय	अप्राप्त ।	2258508.00	-----
वर्षांत अवशेष	अप्राप्त ।	4663058.50	-----

वित्त वर्ष 2020-21में ग्राम प्रधान श्रीमति रिजवाना खातून /प्रशासक -मो.राशिद तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री रमावीर गंगवार द्वारा कुल रुपये 2258508.00 का आहरण की पुष्टि प्रियासॉफ्ट पर दर्शित आंकड़ों के अनुसार हो रही है, परन्तु लेखा परीक्षा में आहरित धनराशि की पुष्टि में बैंक स्टेटमेंट, कार्यवाही

पंजिका, अनुमोदित कार्ययोजना, कोषबही, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, प्राक्कलन, टेंडर/कोटेशन पत्रावली, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कार्यपूति प्रमाण पत्र आदि महत्वपूर्ण अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने पर, आहरित / व्यय की गई धनराशि को अपहरण मानते हुए सम्पूर्ण धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान/प्रशासक एवं ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से किए जाने का प्रावधान है।

अतः उपरोक्त प्रावधान के आलोक में व्यय दर्शित/आहरित धनराशि रु 2258508.00 अपहरण की श्रेणी में आता है, जिसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान / प्रशासक – श्रीमती रिजवाना खातून /मो. राशिद तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी – श्री रमावीर गंगवार से उनके कार्यकाल के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्रावधानानुसार तात्तरीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0-01 ग्राम पंचा0-बारदुनवा, वि0ख0-अमरिया, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 157- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत- अमखेड़ा ,वि. ख. -अमरिया ,जनपद- पीलीभीत की लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट के अनुसार दर्शित आय - व्यय के आधार पर की गयी।लेखा परीक्षा हेतु सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा इंटिमेशन लेटर स्वीकार किया गया परन्तु, ऑडिट हेतु निर्धारित तिथि पर अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। अभिलेख सुलभ कराने हेतु पत्रांक- मेमो / ऑडिट /2021-22 दिनांक 28-12-2021 तथा 29-03-2022 जो कि सहायक विकास अधिकारी (प०) अधिकारी को संबोधित तथा जिला लेखा परीक्षा अधिकारी,सहकारी समितियां एवम पंचायत, पीलीभीत को पृष्ठांकित है, के द्वारा अनुरोध किया गया,परन्तु दिनांक 31-03-2022 तक ले० प० हेतु उपरोक्त ग्राम पंचायत का अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रिया सॉफ्ट के अनुसार वर्ष दौरान आय -व्यय का विवरण निम्न प्रकार है -

	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार	प्रियासॉफ्ट के अनुसार	अंतर
प्रारंभिक अवशेष	अप्राप्त।	324712.00	-----
वर्ष में प्राप्त	अप्राप्त।	5544572.00	-----
वर्ष में आहरित /व्यय	अप्राप्त।	3727683.00	-----
वर्षांत अवशेष	अप्राप्त।	2141601.00	-----

वित्त वर्ष 2020-21में ग्राम प्रधान- श्रीमती राहिल बेगम /प्रशासक -मो.राशिद तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री पंकज आर्य द्वारा कुल रुपये 3727683.00 का आहरण की पुष्टि प्रियासॉफ्ट पर दर्शित आंकड़ों के अनुसार हो रही है, परन्तु लेखा परीक्षा में आहरित धनराशि की पुष्टि में बैंक स्टेटमेंट, कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्ययोजना, कोषबही, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, प्राक्कलन, टेंडर/कोटेशन पत्रावली, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कार्यपूति प्रमाण पत्र आदि महत्वपूर्ण अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने पर, आहरित / व्यय की गई धनराशि को अपहरण मानते हुए सम्पूर्ण धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान/प्रशासक एवं ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से किए जाने का प्रावधान है।

अतः उपरोक्त प्रावधान के आलोक में व्यय दर्शित/आहरित धनराशि रु 3727683.00अपहरण की श्रेणी में आता है, जिसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान / प्रशासक – श्रीमती राहिल बेगम /,मो. राशिद तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी – श्री पंकज आर्य से उनके कार्यकाल के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश

पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्रावधानानुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0-01 ग्राम पंचा0-अमरिया, वि0ख0-अमरिया, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 158- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत- अमरिया, वि. ख. -अमरिया, जनपद- पीलीभीत की लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट के अनुसार दर्शित आय - व्यय के आधार पर की गयी। लेखा परीक्षा हेतु सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा इंटीमेशन लेटर स्वीकार किया गया परन्तु, ऑडिट हेतु निर्धारित तिथि पर अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। अभिलेख सुलभ कराने हेतु पत्रांक- मेमो / ऑडिट /2021-22 दिनांक 28-12-2021 तथा 29-03-2022 जो कि सहायक विकास अधिकारी (प०) अधिकारी को संबोधित तथा जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवम पंचायत, पीलीभीत को पृष्ठांकित है, के द्वारा अनुरोध किया गया, परन्तु दिनांक 31-03-2022 तक ले० प० हेतु उपरोक्त ग्राम पंचायत का अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रिया सॉफ्ट के अनुसार वर्ष दौरान आय - व्यय का विवरण निम्न प्रकार है -

	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार	प्रियासॉफ्ट के अनुसार	अंतर
प्रारंभिक अवशेष	अप्राप्त ।	324712.00	-----
वर्ष में प्राप्त	अप्राप्त ।	5544572.00	-----
वर्ष में आहरित /व्यय	अप्राप्त ।	3727683.00	-----
वर्षांत अवशेष	अप्राप्त ।	2141601.00	-----

वित्त वर्ष 2020-21 में ग्राम प्रधान- श्रीमती राहिल बेगम /प्रशासक -मो.राशिद तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री पंकज आर्य द्वारा कुल रुपये 3727683.00 का आहरण की पुष्टि प्रियासॉफ्ट पर दर्शित आंकड़ों के अनुसार हो रही है, परन्तु लेखा परीक्षा में आहरित धनराशि की पुष्टि में बैंक स्टेटमेंट, कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्ययोजना, कोषबही, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, प्राक्कलन, टेंडर/कोटेशन पत्रावली, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कार्यपूति प्रमाण पत्र आदि महत्वपूर्ण अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने पर, आहरित / व्यय की गई धनराशि को अपहरण मानते हुए सम्पूर्ण धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान/प्रशासक एवं ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से किए जाने का प्रावधान है।

अतः उपरोक्त प्रावधान के आलोक में व्यय दर्शित/आहरित धनराशि रु 3727683.00 अपहरण की श्रेणी में आता है, जिसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान / प्रशासक - श्रीमती राहिल बेगम /, मो. राशिद तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी - श्री पंकज आर्य से उनके कार्यकाल के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्रावधानानुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0-01 ग्राम पंचा0-अमरिया, वि0ख0-अमरिया, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 159- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत-अमरिया, वि ख- अमरिया, जनपद- पीलीभीत की लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट तथा बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दर्शित आय - व्यय के आधार पर की गयी। लेखा परीक्षा हेतु सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा इंटीमेशन लेटर स्वीकार किया गया परन्तु, ऑडिट हेतु निर्धारित तिथि पर अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। अभिलेख सुलभ कराने हेतु पत्रांक- मेमो / ऑडिट /2021-22 दिनांक 29-03-2022 जो कि सहायक विकास अधिकारी (प०) अधिकारी को संबोधित तथा जिला पंचायत राज अधिकारी तथा जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवम पंचायत, पीलीभीत को पृष्ठांकित है, के द्वारा अनुरोध किया गया, परन्तु दिनांक 31-03-2022 तक ले० प० हेतु उपरोक्त ग्राम पंचायत का अभिलेख

प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रिया सॉफ्ट एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार वर्ष दौरान आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार है -

	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार	प्रियासॉफ्ट के अनुसार	अंतर
प्रारंभिक अवशेष	16408371.75	14308153.70	(-)2100218.05
वर्ष में प्राप्त	6898625.00	18150000.00	(+)11251375.00
वर्ष में आहरित /व्यय	12281197.00	12208573.00	(-)72624.00
वर्षांत अवशेष	11025799.75	20249575.75	(+)9223776.00

उपरोक्त तालिका में अंकित आंकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट है की, प्रिया सॉफ्ट पर अपलोड किया गया वर्ष दौरान आय -व्यय, बैंक स्टेटमेंट में दर्शित आंकड़ों से भिन्न है तथा व्यापक अंतर दर्शित है ,साथ ही आहरित धनराशि की पुष्टि मूल अभिलेखों से नहीं कराया गया, अतः यह काल्पनिक और मनमाना है, जिसकी पुष्टि अभिलेखों से नहीं कराया गया ।

वित्त वर्ष 2020-21में ग्राम प्रधान श्रीमति शीवा खान/प्रशासक -मो.राशिद तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री रमावीर गंगवार द्वारा कुल रुपये 12281197.00 का आहरण बैंक ऑफ बड़ोदा के खाता संख्या 98440100005571 राज्य वित्त तथा बी0ओबी0 98440100014903 केंद्रीय वित्त से किया गया, जिसकी पुष्टि बैंक स्टेटमेंट से भी हो रही है। परन्तु लेखा परीक्षा में आहरित धनराशि की पुष्टि में कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्ययोजना, कोषबही, व्यय प्रमाणक, प्राक्कलन, टेंडर/कोटेशन पत्रावली, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि महत्वपूर्ण अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया ।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने पर, आहरित / व्यय की गई धनराशि को अपहरण मानते हुए सम्पूर्ण धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से किए जाने का प्रावधान है।

अतः उपरोक्त प्रावधान के आलोक में व्यय दर्शित/आहरित धनराशि रु 12281197.00 अपहरण की श्रेणी में आता है, जिसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान / प्रशासक - श्रीमती शीवा खान/मो. राशिद तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी - श्री रमावीर गंगवार से उनके कार्यकाल के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्रावधानानुसार तात्तरीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0-01 ग्राम पंचा0-अमरिया, वि0ख0-अमरिया, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 160- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत- तुमडिया ,वि. ख. -अमरिया ,जनपद- पीलीभीत की लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट तथा बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दर्शित आय - व्यय के आधार पर की गयी ।लेखा परीक्षा हेतु सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा इंटीमेशन लेटर स्वीकार किया गया परन्तु, ऑडिट हेतु निर्धारित तिथि पर अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया । अभिलेख सुलभ कराने हेतु पत्रांक- मेमो / ऑडिट /2021-22 दिनांक 29-03-2022 जो कि सहायक विकास अधिकारी (प०) अधिकारी को संबोधित तथा जिला पंचायत राज अधिकारी तथा जिला लेखा परीक्षा अधिकारी,सहकारी समितियां एवम पंचायत, पीलीभीत को पृष्ठांकित है, के द्वारा अनुरोध किया गया,परन्तु दिनांक 31-03-2022 तक ले० प० हेतु उपरोक्त ग्राम पंचायत का अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रिया सॉफ्ट एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार वर्ष दौरान आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार है -

	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार	प्रियासॉफ्ट के अनुसार	अंतर
प्रारंभिक अवशेष	1141690.34	1208039.34	(+)66349.00
वर्ष में प्राप्त	1682518.00	1995000.00	(+)312482.00

वर्ष में आहरित /व्यय	1959949.00	1959949.00	-----
वर्षांत अवशेष	864259.34	1243090.34	(+)378831.00

उपरोक्त तालिका में अंकित आंकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट है की, प्रिया सॉफ्ट पर अपलोड किया गया वर्ष दौरान आय -व्यय, बैंक स्टेटमेंट में दर्शित आंकड़ों से भिन्न है तथा व्यापक अंतर दर्शित है, साथ ही आहरित धनराशि की पुष्टि मूल अभिलेखों से नहीं कराया गया, अतः यह काल्पनिक और मनमाना है, जिसकी पुष्टि अभिलेखों से नहीं कराया गया ।

वित्त वर्ष 2020-21में ग्राम प्रधान श्रीमती उषा /प्रशासक -मो.राशिद तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री रमावीर गंगवार द्वारा कुल रुपये 1959949.00का आहरण बैंक ऑफ़ बड़ोदा के राज्य वित्त खाता संख्या 98440100005572 तथा केंद्रीय वित्त बी0ओबी0 98440100014890 से किया गया, जिसकी पुष्टि बैंक स्टेटमेंट से भी हो रही है। परन्तु लेखा परीक्षा में आहरित धनराशि की पुष्टि में कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्ययोजना, कोषबही, व्यय प्रमाणक, प्राक्कलन, टेंडर/कोटेशन पत्रावली, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कार्यपूति प्रमाण पत्र आदि महत्वपूर्ण अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया ।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने पर, आहरित / व्यय की गई धनराशि को अपहरण मानते हुए सम्पूर्ण धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान/प्रशासक एवं ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से किए जाने का प्रावधान है।

अतः उपरोक्त प्रावधान के आलोक में व्यय दर्शित/आहरित धनराशि रु 1959949.00 अपहरण की श्रेणी में आता है, जिसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान / प्रशासक - श्रीमती उषा /,मो. राशिद तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी - श्री रमावीर गंगवार से उनके कार्यकाल के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्रावधानानुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0-01 ग्राम पंचा0-तुमडिया, वि0ख0-अमरिया, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 161- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत- डांग ,वि ख -अमरिया ,जनपद- पीलीभीत की लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट तथा बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दर्शित आय - व्यय के आधार पर की गयी ।लेखा परीक्षा हेतु सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा इंटीमेशन लेटर स्वीकार किया गया परन्तु, ऑडिट हेतु निर्धारित तिथि पर अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया । अभिलेख सुलभ कराने हेतु पत्रांक- मेमो / ऑडिट /2021-22 दिनांक 28-12-2021 जो कि सहायक विकास अधिकारी (प०) अधिकारी को संबोधित तथा जिला पंचायत राज अधिकारी तथा जिला लेखा परीक्षा अधिकारी,सहकारी समितियां एवम पंचायत, पीलीभीत को पृष्ठांकित है, के द्वारा अनुरोध किया गया,परन्तु दिनांक 31-03-2022 तक ले० प० हेतु उपरोक्त ग्राम पंचायत का अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रिया सॉफ्ट एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार वर्ष दौरान आय -व्यय का विवरण निम्न प्रकार है -

	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार	प्रियासॉफ्ट के अनुसार	अंतर
प्रारंभिक अवशेष	1600367.20	430369.00	(-)1169998.20
वर्ष में प्राप्त	2114024.00	2726524.00	(+)612500.00
वर्ष में आहरित /व्यय	1921096.90	1920973.00	(-)123.90
वर्षांत अवशेष	1793294.30	1235920.00	(-)557374.30

उपरोक्त तालिका में अंकित आंकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट है की, प्रिया सॉफ्ट पर अपलोड किया गया वर्ष दौरान आय -व्यय, बैंक स्टेटमेंट में दर्शित आंकड़ों से भिन्न है तथा व्यापक अंतर दर्शित है ,साथ ही आहरित धनराशि की पुष्टि मूल अभिलेखों से नहीं कराया गया, अतः यह काल्पनिक और मनमाना है, जिसकी पुष्टि अभिलेखों से नहीं कराया गया ।

वित्त वर्ष 2020-21में ग्राम प्रधान श्री सरवर जहाँ /प्रशासक -मो.राशिद तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री पंकज आर्य द्वारा कुल रुपये 1921096.90 का आहरण बैंक ऑफ़ बड़ोदा के राज्य वित्त खाता संख्या 1521010001395 तथा केंद्रीय वित्त बी0ओ0बी0 15210100022562 से किया गया, जिसकी पुष्टि बैंक स्टेटमेंट से भी हो रही है। परन्तु लेखा परीक्षा में आहरित धनराशि की पुष्टि में कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्ययोजना, कोषबही, व्यय प्रमाणक, प्राक्कलन, टेंडर/कोटेशन पत्रावली, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि महत्वपूर्ण अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने पर, आहरित / व्यय की गई धनराशि को अपहरण मानते हुए सम्पूर्ण धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान/प्रशासक एवं ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से किए जाने का प्रावधान है।

अतः उपरोक्त प्रावधान के आलोक में व्यय दर्शित/आहरित धनराशि रु 1921096.90 अपहरण की श्रेणी में आता है, जिसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान / प्रशासक - श्री सरवर जहाँ /,मो. राशिद तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी - श्री पंकज आर्य से उनके कार्यकाल के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्रावधानानुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0-01 ग्राम पंचा0-डांग, वि0ख0-अमरिया, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 162- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत- गुलरबोझ, वि. ख. -अमरिया, जनपद- पीलीभीत की लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट के अनुसार दर्शित आय - व्यय के आधार पर की गयी। लेखा परीक्षा हेतु सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा इंटीमेशन लेटर स्वीकार किया गया परन्तु, ऑडिट हेतु निर्धारित तिथि पर अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। अभिलेख सुलभ कराने हेतु पत्रांक- मेमो / ऑडिट /2021-22 दिनांक 29-09-2021, 28-12-2021 तथा 29-03-2022 जो कि सहायक विकास अधिकारी (प०) अधिकारी को संबोधित तथा जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवम पंचायत, पीलीभीत को पृष्ठांकित है, के द्वारा अनुरोध किया गया, परन्तु दिनांक 31-03-2022 तक ले० प० हेतु उपरोक्त ग्राम पंचायत का अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रिया सॉफ्ट के अनुसार वर्ष दौरान आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार है -

	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार	प्रियासॉफ्ट के अनुसार	अंतर
प्रारंभिक अवशेष	अप्राप्त।	1060753.00	-----
वर्ष में प्राप्त	अप्राप्त।	1950000.00	-----
वर्ष में आहरित /व्यय	अप्राप्त।	2107573.00	-----
वर्षांत अवशेष	अप्राप्त।	903180.00	-----

वित्त वर्ष 2020-21में ग्राम प्रधान श्री दयाराम /प्रशासक -मो.राशिद तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री रमावीर गंगवार द्वारा कुल रुपये 2107573.00 का आहरण की पुष्टि प्रियासॉफ्ट पर दर्शित आंकड़ों के अनुसार हो रही है, परन्तु लेखा परीक्षा में आहरित धनराशि की पुष्टि में बैंक स्टेटमेंट, कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्ययोजना, कोषबही, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, प्राक्कलन, टेंडर/कोटेशन पत्रावली, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि महत्वपूर्ण अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने पर, आहरित / व्यय की गई धनराशि को अपहरण मानते हुए सम्पूर्ण धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान/प्रशासक एवं ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से किए जाने का प्रावधान है।

अतः उपरोक्त प्रावधान के आलोक में व्यय दर्शित/आहरित धनराशि रु 2107573.00अपहरण की श्रेणी में आता है, जिसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान / प्रशासक – श्री दयाराम /,मो. राशिद तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी- श्री रमावीर गंगवार से उनके कार्यकाल के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्रावधानानुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0-01 ग्राम पंचा0-गुलरबोझ, वि0ख0-अमरिया, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 163- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत- बगवा ,वि ख –अमरिया ,जनपद- पीलीभीत की लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट तथा बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दर्शित आय - व्यय के आधार पर की गयी । लेखा परीक्षा हेतु सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा इंटीमेशन लेटर स्वीकार किया गया परन्तु, ऑडिट हेतु निर्धारित तिथि पर अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया । अभिलेख सुलभ कराने हेतु पत्रांक- मेमो / ऑडिट /2021-22 दिनांक 29-03-2022 जो कि सहायक विकास अधिकारी (प०) अधिकारी को संबोधित तथा जिला पंचायत राज अधिकारी तथा जिला लेखा परीक्षा अधिकारी,सहकारी समितियां एवम पंचायत, पीलीभीत को पृष्ठांकित है, के द्वारा अनुरोध किया गया,परन्तु दिनांक 31-03-2022 तक ले० प० हेतु उपरोक्त ग्राम पंचायत का अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रिया सॉफ्ट एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार वर्ष दौरान आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार है -

	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार	प्रियासॉफ्ट के अनुसार	अंतर
प्रारंभिक अवशेष	270118.59	433103.09	(+)162984.50
वर्ष में प्राप्त	1202071.00	583154.00	(-)618917.00
वर्ष में आहरित /व्यय	831883.00	831883.00	-----
वर्षांत अवशेष	640306.59	184374.09	(-)455932.50

उपरोक्त तालिका में अंकित आंकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट है की, प्रिया सॉफ्ट पर अपलोड किया गया वर्ष दौरान आय –व्यय, बैंक स्टेटमेंट में दर्शित आंकड़ों से भिन्न है तथा व्यापक अंतर दर्शित है ,साथ ही आहरित धनराशि की पुष्टि मूल अभिलेखों से नहीं कराया गया, अतः यह काल्पनिक और मनमाना है, जिसकी पुष्टि अभिलेखों से नहीं कराया गया ।

वित्त वर्ष 2020-21में ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता देवी /प्रशासक –मो.राशिद तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री धर्मेन्द्र कुमार द्वारा कुल रुपये 831883.00 का आहरण बैंक ऑफ़ बड़ोदा के राज्य वित्त खाता संख्या 98440100005599 तथा केंद्रीय वित्त बी0ओ0बी0-98440100014785 से किया गया, जिसकी पुष्टि बैंक स्टेटमेंट से भी हो रही है। परन्तु लेखा परीक्षा में आहरित धनराशि की पुष्टि में कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्ययोजना, कोषबही,व्यय प्रमाणक,प्राक्कलन,टैंडर/कोटेशन पत्रावली, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका,माप पुस्तिका,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि महत्वपूर्ण अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया ।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने पर, आहरित / व्यय की गई धनराशि को अपहरण मानते हुए सम्पूर्ण धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान/प्रशासक एवं ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से किए जाने का प्रावधान है।

अतः उपरोक्त प्रावधान के आलोक में व्यय दर्शित/आहरित धनराशि रु 831883.00 अपहरण की श्रेणी में आता है, जिसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान / प्रशासक – श्रीमती अनीता देवी /,मो. राशिद तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी – श्री धर्मेन्द्र कुमार से उनके कार्यकाल के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्रावधानानुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0-01 ग्राम पंचा0-बगवां, वि0ख0-अमरिया, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 164- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत - देवरनिया, वि० ख०- अमरिया, जनपद पीलीभीत के लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत ग्राम निधि प्रथम की कोशबही में प्रविष्टी माह, जनवरी 2021 , से किया गया है। वर्तमान ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया की पूर्व ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री अखिलेश गुप्ता (कार्यकाल 01-04-2020 से 31-07-2020) तथा श्री राहुल भारती (कार्यकाल अगस्त 2020 से दिसम्बर 2020) से उनके कार्यकाल की कोशबही,व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, प्राक्कलन,माप पुस्तिका, कोटेशन/टेंडर पत्रावली,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि, तथा अन्य महत्वपूर्ण अभिलेख चार्ज में प्राप्त नहीं हुआ,जिसके कारण नयी कोशबही बनाकर उसमें प्रविष्टी जनवरी 2021 से किया गया है।

सामान्यतया किसी भी संस्था की एक वित्तीय वर्ष की एक ही कोशबही तैयार किया जाता है। एक कोशबही पूर्ण होने के उपरांत ही दूसरी कोशबही में प्रविष्टी किया जाता है। ग्राम पंचायत के लेखे के दृष्टिसे अप्रैल 2020 से दिसम्बर 2020 तक एक कोशबही पूर्ण होने की सम्भावना से इंकार किया जाता है। अतःस्पष्ट है की पूर्व सचिव द्वारा ग्राम पंचायत की कोशबही तथा अन्य अभिलेख तैयार ही नहीं किया गया, और न ही,चार्ज में दिया गया। बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दिनांक 01-04-2020 से 31-12-2020 तक निम्न विवरण अनुसार ग्रामनिधि के राज्य वित्त तथा केंद्रीय वित्त खाते से भुगतान/आहरण किया जाना दर्शित है -

नाम पंचायत अधि.	केंद्रीय वित्त (बी०ओ०बी० खाता सं० 07710100020718)	राज्य वित्त(बी०ओ०बी० खाता सं० 0771010002181)	योग
श्री अखिलेश गुप्ता	-----	520804.00	520804.00
श्री राहुल भारती	493442.00	555733.00	1049175.00
योग	493442.00	1076537.00	1569979.00

वित्त वर्ष 2020-21 में ग्राम प्रधान श्रीमती सायरा बी तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री अखिलेश गुप्ता और श्री राहुल भारती द्वारा कुल रुपये 1569979.00 का आहरण बैंक ऑफ बड़ोदा के राज्य वित्त खाता संख्या 0771010002181 तथा केंद्रीय वित्त बी०ओ०बी० 07710100020781 से किया गया, जिसकी पुष्टि बैंक स्टेटमेंट से भी हो रही है। परन्तु लेखा परीक्षा में आहरित धनराशि की पुष्टि में कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्ययोजना, कोषबही,व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, प्राक्कलन,टेंडर/कोटेशन पत्रावली, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका,माप पुस्तिका,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि महत्वपूर्ण अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया ।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये जाने पर, आहरित / व्यय की गई धनराशि को अपहरण मानते हुए सम्पूर्ण धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान/प्रशासक एवं ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से किए जाने का प्रावधान है।

अतः उपरोक्त प्रावधान के आलोक में व्यय दर्शित/आहरित धनराशि रु 1569979.00 अपहरण की श्रेणी में आता है, जिसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान – श्रीमती सायरा बी तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी – श्री अखिलेश गुप्ता से रुपये 520804.00 उनके कार्यकाल के अनुक्रम में तथा ग्राम प्रधान श्रीमती –सायरा बी और श्री राहुल भारती से रुपये 1049175.00 उनके कार्यकाल के सम्यक पुष्टि उपरांत बराबर –बराबर अंशों में उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्रावधानानुसार तात्तरीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा०आ०सं०-01 ग्राम पंचा०-देवरनियां, वि०ख०-अमरिया, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 165- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत- जेठानिया, वि० ख०- अमरिया , जनपद पीलीभीत के लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत ग्राम निधि प्रथम की कोशबही में प्रविष्टी माह, जनवरी 2021 , से किया गया है। वर्तमान ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया की पूर्व ग्राम विकास /पंचायत अधिकारी श्री अखिलेश गुप्ता (कार्यकाल 01-04-2020 से 31-07-2020) तथा श्री राहुल भारती(कार्यकाल अगस्त 2020 से दिसम्बर 2020) से उनके कार्यकाल की कोशबही,व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, प्राक्कलन, माप पुस्तिका,

कोटेशन/टेंडर पत्रावली, कार्यपूति प्रमाण पत्र इत्यादि, तथा अन्य महत्वपूर्ण अभिलेख चार्ज में प्राप्त नहीं हुआ, जिसके कारण नयी कोशबही बनाकर उसमें प्रविष्टी जनवरी 2021 से किया गया है।

सामान्यतया किसी भी संस्था की एक वित्तीय वर्ष की एक ही कोशबही तैयार किया जाता है। एक कोशबही पूर्ण होने के उपरांत ही दूसरी कोशबही में प्रविष्टी किया जाता है। ग्राम पंचायत के लेखे के दृष्टीसे अप्रैल 2020 से दिसम्बर 2020 तक एक कोशबही पूर्ण होने की सम्भावना से इंकार किया जाता है। अतःस्पष्ट है की पूर्व सचिव द्वारा ग्राम पंचायत की कोशबही तथा अन्य अभिलेख तैयार ही नहीं किया गया, और न ही, चार्ज में दिया गया। बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दिनांक 01-04-2020 से 31-12-2020 तक निम्न विवरण अनुसार ग्रामनिधि के राज्य वित्त तथा केंद्रीय वित्त खाते से भुगतान/आहरण किया जाना दर्शित है -

नाम पंचायत अधि.	केंद्रीय वित्त(बी0ओ0बी0 खाता सं. 07710100020720)	राज्य वित्त बी0ओ0बी0 खाता सं. 0771010002159)	योग
श्री अखिलेश गुप्ता	-----	101083.00	101083.00
श्री राहुल भारती	338438.00	518708.00	857146.00
योग	338438.00	619791.00	958229.0 0

वित्त वर्ष 2020-21में ग्राम प्रधान श्री लालचंद्र तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री अखिलेश गुप्ता और श्री राहुल भारती द्वारा कुल रुपये 958229.00 का आहरण बैंक ऑफ बड़ोदा के राज्य वित्त खाता संख्या 0771010002159 तथा केंद्रीय वित्त बी0ओ0बी0- 07710100020720 से किया गया, जिसकी पुष्टि बैंक स्टेटमेंट से भी हो रही है। परन्तु लेखा परीक्षा में आहरित धनराशि की पुष्टि में कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्ययोजना, कोषबही, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, प्राक्कलन, टेंडर/कोटेशन पत्रावली, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कार्यपूति प्रमाण पत्र आदि महत्वपूर्ण अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया ।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये जाने पर, आहरित / व्यय की गई धनराशि को अपहरण मानते हुए सम्पूर्ण धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान/प्रशासक एवं ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से किए जाने का प्रावधान है।

अतः उपरोक्त प्रावधान के आलोक में व्यय दर्शित/आहरित धनराशि रु 958229.00 अपहरण की श्रेणी में आता है, जिसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान – श्री लालचंद्र तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी – श्री अखिलेश गुप्ता से रुपये 101083.00 उनके कार्यकाल के अनुक्रम में सम्यक पुष्टि उपरांत तथा ग्राम प्रधान श्रीमती – लालचंद्र और श्री राहुल भारती से रुपये 857146.00 उनके कार्यकाल के सम्यक पुष्टि उपरांत बराबर –बराबर अंशों में उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्रावधानानुसार तात्तरीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0-01 ग्राम पंचा0-जिठनिया, वि0ख0-अमरिया, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 166- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत-कल्यानपुर चक्रतीर्थ, वि ख –अमरिया ,जनपद- पीलीभीत की लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट तथा बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दर्शित आय - व्यय के आधार पर की गयी ।लेखा परीक्षा हेतु सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा इंटीमेशन लेटर स्वीकार किया गया परन्तु, ऑडिट हेतु निर्धारित तिथि पर अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। अभिलेख सुलभ कराने हेतु पत्रांक- मेमो / ऑडिट /2021-22 दिनांक 29-03-2022 जो कि सहायक विकास अधिकारी (प०) अधिकारी को संबोधित तथा जिला पंचायत राज अधिकारी तथा जिला लेखा परीक्षा अधिकारी,सहकारी समितियां एवम पंचायत, पीलीभीत को पृष्ठांकित है, के द्वारा अनुरोध किया गया,परन्तु दिनांक 31-03-2022 तक ले० प० हेतु उपरोक्त ग्राम पंचायत

का अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रिया सॉफ्ट एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार वर्ष दौरान आय -व्यय का विवरण निम्न प्रकार है -

	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार	प्रियासॉफ्ट के अनुसार	अंतर
प्रारंभिक अवशेष	298766.20	869208.20	(+)570442.00
वर्ष में प्राप्त	1224293.00	1090738.00	(-)133555.00
वर्ष में आहरित /व्यय	875205.00	875205.00	-----
वर्षांत अवशेष	647854.20	1084741.20	(+)436887.00

उपरोक्त तालिका में अंकित आंकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट है की, प्रिया सॉफ्ट पर अपलोड किया गया वर्ष दौरान आय -व्यय, बैंक स्टेटमेंट में दर्शित आंकड़ों से भिन्न है तथा व्यापक अंतर दर्शित है ,साथ ही आहरित धनराशि की पुष्टि मूल अभिलेखों से नहीं कराया गया, अतः यह काल्पनिक और मनमाना है, जिसकी पुष्टि अभिलेखों से नहीं कराया गया ।

वित्त वर्ष 2020-21 में ग्राम प्रधान श्रीमती जय देवी /प्रशासक -मो.राशिद तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री धर्मन्द्र कुमार द्वारा कुल रुपये 875205.00 का आहरण बैंक ऑफ बड़ोदा के राज्य वित्त खाता संख्या-98440100005598 तथा केंद्रीय वित्त बीओबीओ-98440100014783 से किया गया, जिसकी पुष्टि बैंक स्टेटमेंट से भी हो रही है, परन्तु लेखा परीक्षा में आहरित धनराशि की पुष्टि में कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्ययोजना, कोषबही,व्यय प्रमाणक,प्राक्कलन,टेंडर/कोटेशन पत्रावली, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका,माप पुस्तिका,कार्यपूति प्रमाण पत्र आदि महत्वपूर्ण अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया ।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने पर, आहरित / व्यय की गई धनराशि को अपहरण मानते हुए सम्पूर्ण धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान/प्रशासक एवं ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से किए जाने का प्रावधान है।

अतः उपरोक्त प्रावधान के आलोक में व्यय दर्शित/आहरित धनराशि रु 875205.00 अपहरण की श्रेणी में आता है, जिसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान/प्रशासक- श्रीमती जय देवी /मो. राशिद तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी - श्री धर्मन्द्र कुमार से उनके कार्यकाल के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्रावधानानुसार तात्तरीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0-01 ग्राम पंचा0-कल्याणपुर चक्रतीर्थ, वि0ख0-अमरिया, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 167- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत- सहगवा नगरिया, वि ख -अमरिया ,जनपद- पीलीभीत की लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट तथा बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दर्शित आय - व्यय के आधार पर की गयी ।लेखा परीक्षा हेतु सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा इंटीमेशन लेटर स्वीकार किया गया परन्तु, ऑडिट हेतु निर्धारित तिथि पर अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया । अभिलेख सुलभ कराने हेतु पत्रांक- मेमो / ऑडिट /2021-22 दिनांक 29-03-2022 जो कि सहायक विकास अधिकारी (प०) अधिकारी को संबोधित तथा जिला पंचायत राज अधिकारी तथा जिला लेखा परीक्षा अधिकारी,सहकारी समितियां एवम पंचायत, पीलीभीत को पृष्ठांकित है, के द्वारा अनुरोध किया गया,परन्तु दिनांक 31-03-2022 तक ले० प० हेतु उपरोक्त ग्राम पंचायत का अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रिया सॉफ्ट एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार वर्ष दौरान आय -व्यय का विवरण निम्न प्रकार है -

	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार	प्रियासॉफ्ट के अनुसार	अंतर
प्रारंभिक अवशेष	2383039.01	1797569.21	(-)585469.80
वर्ष में प्राप्त	3092302.00	3257435.00	(+)165133.00

वर्ष में आहरित /व्यय	3290394.00	3064632.00	(-)225762.00
वर्षांत अवशेष	2184947.01	1990372.21	(-)194574.80

उपरोक्त तालिका में अंकित आंकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट है की, प्रिया सॉफ्ट पर अपलोड किया गया वर्ष दौरान आय-व्यय, बैंक स्टेटमेंट में दर्शित आंकड़ों से भिन्न है तथा व्यापक अंतर दर्शित है, साथ ही आहरित धनराशि की पुष्टि मूल अभिलेखों से नहीं कराया गया, अतः यह काल्पनिक और मनमाना है, जिसकी पुष्टि अभिलेखों से नहीं कराया गया ।

वित्त वर्ष 2020-21 में ग्राम प्रधान श्री इसरार अहमद /प्रशासक -मो.राशिद तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री धर्मेन्द्र कुमार द्वारा कुल रुपये 3290394.00 का आहरण बैंक ऑफ़ बड़ोदा के राज्य वित्त खाता संख्या-98440100005595 तथा केंद्रीय वित्त बी0ओ0बी0-98440100014787 से किया गया, जिसकी पुष्टि बैंक स्टेटमेंट से भी हो रही है। परन्तु लेखा परीक्षा में आहरित धनराशि की पुष्टि में कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्ययोजना, कोषबही,व्यय प्रमाणक,प्राक्कलन,टैंडर/कोटेशन पत्रावली, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका,माप पुस्तिका,कार्यपूति प्रमाण पत्र आदि महत्वपूर्ण अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया ।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने पर, आहरित / व्यय की गई धनराशि को अपहरण मानते हुए सम्पूर्ण धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान/प्रशासक एवं ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से किए जाने का प्रावधान है।

अतः उपरोक्त प्रावधान के आलोक में व्यय दर्शित/आहरित धनराशि रु 3290394.00 अपहरण की श्रेणी में आता है, जिसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान / प्रशासक - श्री इसरार अहमद / मो. राशिद तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी- श्री धर्मेन्द्र कुमार से उनके कार्यकाल के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्रावधानानुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0-01 ग्राम पंचा0-सहगवा नगरिया, वि0ख0-अमरिया, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 168- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत- नवादा कंजा ,वि ख -अमरिया ,जनपद- पीलीभीत की लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट तथा बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दर्शित आय - व्यय के आधार पर की गयी ।लेखा परीक्षा हेतु सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा इंटीमेशन लेटर स्वीकार किया गया परन्तु, ऑडिट हेतु निर्धारित तिथि पर अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया । अभिलेख सुलभ कराने हेतु पत्रांक- मेमो / ऑडिट /2021-22 दिनांक 04-03-2022 जो कि सहायक विकास अधिकारी (प०) अधिकारी को संबोधित तथा जिला पंचायत राज अधिकारी तथा जिला लेखा परीक्षा अधिकारी,सहकारी समितियां एवम पंचायत, पीलीभीत को पृष्ठांकित है, के द्वारा अनुरोध किया गया,परन्तु दिनांक 31-03-2022 तक ले० प० हेतु उपरोक्त ग्राम पंचायत का अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रिया सॉफ्ट एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार वर्ष दौरान आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार है -

	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार	प्रियासॉफ्ट के अनुसार	अंतर
प्रारंभिक अवशेष	166157.41	2898223.41	(+)2732066.00
वर्ष में प्राप्त	1447384.00	1666583.00	(+)219199.00
वर्ष में आहरित /व्यय	849504.00	942746.00	(+)93242.00
वर्षांत अवशेष	764037.41	3622060.41	(+)2858023.00

उपरोक्त तालिका में अंकित आंकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट है की, प्रिया सॉफ्ट पर अपलोड किया गया वर्ष दौरान आय-व्यय, बैंक स्टेटमेंट में दर्शित आंकड़ों से भिन्न है तथा व्यापक अंतर दर्शित है, साथ ही आहरित

धनराशि की पुष्टि मूल अभिलेखों से नहीं कराया गया, अतः यह काल्पनिक और मनमाना है, जिसकी पुष्टि अभिलेखों से नहीं कराया गया।

वित्त वर्ष 2020-21में ग्राम प्रधान श्री फरमूद अली /प्रशासक -मो.राशिद तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री धर्मेन्द्र कुमार द्वारा कुल रुपये 849504.00 का आहरण बैंक ऑफ बड़ोदा के राज्य वित्त खाता संख्या-98440100005600 तथा केंद्रीय वित्त बी0ओबी0-98440100014808 से किया गया, जिसकी पुष्टि बैंक स्टेटमेंट से भी हो रही है। परन्तु लेखा परीक्षा में आहरित धनराशि की पुष्टि में कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्ययोजना, कोषबही,व्यय प्रमाणक,प्राक्कलन,टेंडर/कोटेशन पत्रावली, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका,माप पुस्तिका,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि महत्वपूर्ण अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने पर, आहरित / व्यय की गई धनराशि को अपहरण मानते हुए सम्पूर्ण धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान/प्रशासक एवं ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से किए जाने का प्रावधान है।

अतः उपरोक्त प्रावधान के आलोक में व्यय दर्शित/आहरित धनराशि रु 849504.00 अपहरण की श्रेणी में आता है, जिसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान / प्रशासक- श्री फरमूद अली / मो. राशिद तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी - श्री धर्मेन्द्र कुमार से उनके कार्यकाल के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्रावधानानुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0-01 ग्राम पंचा0-नवादा कंजा, वि0ख0-अमरिया, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 169- ग्राम पंचायत- निसरा, वि.ख.-अमरिया के वर्ष 2020-21 के कोषबही की जाच में पाया गया की ग्रामनिधि प्रथम राज्य वित्त खाते से दिनांक 28-7-20 को पीएफएमएस 72001022020 द्वारा रुपये 21000.00 प्रधान पद मानदेय माह जनवरी 2020 से जून 2020 तक का देय दर्शित है। पुनः दिनांक 28-08-2020 को ग्राम प्रधान मानदेय रुपये 38500.00 प्रति माह 3500.00 की दर से 11 माह का फरवरी 2019 से दिसम्बर 2019 का दिया जाना दर्शित किया गया है। लेखा परीक्षा में निम्न आपत्तियाँ अंकित की जाती हैं -

01-प्रत्येक वित्तीय वर्ष की कार्य योजना में उस वर्ष की ग्राम प्रधान के मानदेय का अनुमोदन किया जाता है , जिसे वित्तीय वर्ष में भुगतान किया जाना चाहिए। उपरोक्त दर्शित मानदेय फरवरी 2019 से मार्च 2020 जो की पिछले वित्तीय वर्ष (2019-20) का है भुगतान ससमय क्यों नहीं किया गया।

02 -ग्राम निधि राज्य वित्त की कोषबही अनुसार माह जनवरी 2020 से जून 2020 तक का मानदेय पहले दिया गया जबकि 11 माह का फरवरी 2019 से दिसम्बर 2019 का मानदेय 28-08-2020 को दिया गया है ,निरंतरता में क्यों नहीं दिया गया।

03-दिनांक 01-04-2020 से प्रारंभ की गयी कोषबही में भुगतान दर्शित फरवरी 2019 से मार्च 2020 तक का मानदेय पिछले वित्त वर्ष से सम्बंधित है। उक्त भुगतान दर्शित मानदेय बावत 14 माह रुपये 49000.00 (38500.00+10500.00) के बकाया /मांग की पुष्टि में गत वर्ष की कोषबही तथा प्रधान मानदेय पंजिका से नहीं करायी गयी।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में प्रधान पद मानदेय के रूप में दर्शित रुपये 49000.00 का भुगतान नियम विरुद्ध तथा मनमाना है जिसका सुनियोजित तरीके से कूटरचना कर अपहरण किया गया है। अतः उक्त धनराशि रुपये 49000.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री फारूक तथा ग्रा.वि./प.अधिकारी श्री धर्मेन्द्र कुमार से बराबर- बराबर अंशों में तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0-04 ग्राम पंचा0-निसरा, वि0ख0-अमरिया, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 170- वित्तीय वर्ष 2020-21 की ग्राम निधि प्रथम की कोषबही की जाँच में इंडिया मार्का हैण्डपम्प रीबोर हेतु निम्न विवरण अंकित पाया गया -

दिनांक कोष बही अनुसार	कार्य का वर्ष	कोशबही में अंकित धनराशि	बिल का दिनांक	सामग्री मूल्य	चबूतरा निर्माण पर व्यय बिल अनुसार	फर्म का नाम
26.0820	2019-20	32400.00	08/11.03.20	9399.00	23001.00	मै.ऐम ए इंटर.,अमरिया
26.0820	2019-20	30144.00	06/10.03.20	8144.00	22000.00	मै.ऐम ए इंटर.,अमरिया
26.0820	2019-20	29864.00	109/11.03.20	7964.00	21900.00	मै.ऐम ए इंटर.,अमरिया
26.0820	2019-20	30154.00	107/10.03.20	8144.00	22010.00	मै.ऐम ए इंटर.,अमरिया
	योग	122562.00		33651.00	88911.00	

उपरोक्त हैण्ड पम्प रिबोर के सम्बन्ध में निम्न आपति अंकित की जाती है -

01-लेखा परीक्षा में हैण्ड पम्प रिबोर हेतु जे0ई0एम0आई0/आर0ई0डी0/ की तकनीकी रिपोर्ट तथा प्राक्कलन अप्राप्त रहा,जिससे यह अज्ञात रहा की उक्त कार्य पर कितने रुपये तक खर्च किये जाना प्राक्कलित था ।

02- पंचायती राज अनुभाग 03 के आदेश संख्या - 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक-19-06-2017 के इंडिया मार्का हैण्डपम्प के रिबोर की गाइड लाइंस के अनुसार तकनीकी अनुश्रवण का कार्य जे0ई0एम0आई0/आर0ई0डी0/मंडी परिषद/जिला पंचायत /जिला अधिकारी के द्वारा नामित अधिकारी एवं कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित किए जाने हेतु जी0पी0डी0पी0 के अंतर्गत जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण की कार्यवाही की जाएगी ।उक्त से सम्बंधित पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहने के कार्य की पुष्टि नहीं होती ।

03-बिल /वाउचर के अवलोकन से स्पष्ट है की कार्य ठेके पर कराया गया प्रतीत होता है। एक ही बिल पर सामग्री तथा चबूतरा निर्माण का उल्लेख किया गया है, नल के रिबोर पर कोई श्रमांश अंकित नहीं किया गया ।

04-सामग्री क्रय हेतु कुटेसन/टेंडर नहीं किया गया जिससे मूल्य स्पर्धा अज्ञात रहा ।

05-क्रय की गयी सामग्री पर जी.एस.टी. कटौती नहीं किया गया जिससे राजकीय राजस्व का नुकसान हुआ ।

06-हैण्ड पम्प रिबोर किन -किन स्थानों पर किया गया, सूचना अंकित नहीं पाई गयी ।

07-रेबोर में पुरानी सामग्री का निस्तारण किस प्रकार किया गया, अज्ञात रहा ।

उपरोक्त आपति 01 से 07 के आलोक में इंडिया मार्का हैण्ड पम्प रिबोर की पुष्टि नहीं होती है। कूट रचित तरीके से रुपये 122562.00 के अपहरण की पुष्टि होती है। अतः उक्त धनराशि रुपये 122562.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री फारूक तथा गा.वि./प.अधिकारी श्री धर्मेन्द्र कुमार से बराबर - बराबर अंशों में वसूल कर तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0-01 ग्राम पंचा0-निसरा, वि0ख0-अमरिया, वर्ष- 2020-21)

प्रस्तर सं 171- ग्राम पंचायत बलराम पुर विकास खंड पूरनपुर जनपद -पीलीभीत की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा ग्राम निधि के खाता संख्या 06970100020584 बैंक ऑफ बडौदा पूरनपुर अनुसार आहरित की गई धनराशि रु 1654684.00 के आधार पर संपन्न की गई ।

इस प्रकार लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में आहरित / व्यय की गई धनराशि रु० 1654684.00 के सापेक्ष बार बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, केश बुक, व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, बैंक स्टेटमेंट एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए ।

बार- बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए । पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बिल वाउचर / व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते

हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है। अतः उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित व्यय की गई धनराशि रु 1654684.00 गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री सिया राम तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रवीण मौर्य से उ०प्र० पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 256 (क से ड)के प्रावधान अनुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0-01 ग्राम पंचा0- बलरामपुर, वि0ख0-पूरनपुर, वर्ष- 2019-20)

प्रस्तर सं 172- ग्राम पंचायत गुलाडिया भूप सिंह विकास खंड पूरनपुर जनपद -पीलीभीत की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा ग्राम निधि के खाता संख्या 06970100020585 बैंक ऑफ बडौदा पूरनपुर अनुसार आहरित की गई धनराशि रु 3820047.80 के आधार पर संपन्न की गई ।

इस प्रकार लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में आहरित / व्यय की गई धनराशि रु० 3820047.80 के सापेक्ष बार बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कैश बुक, व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, बैंक स्टेटमेंट एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए ।

बार-बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए । पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बिल वाउचर / व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित व्यय की गई धनराशि रु 3820047.80 गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती शांति देवी तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रवीण मौर्य से उ०प्र० पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 256 (क से ड) के प्रावधान अनुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0-01 ग्राम पंचा0- गुलडिया भूप सिंह, वि0ख0-पूरनपुर, वर्ष- 2019-20)

प्रस्तर सं 173- ग्राम पंचायत बिलन्दपुर अशोक विकास खंड पूरनपुर जनपद -पीलीभीतकी वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा ग्राम निधि के खाता संख्या 06970100020566 बैंक ऑफ बडौदा पूरनपुर अनुसार आहरित की गई धनराशि रु 1643051.40 के आधार पर संपन्न की गई ।

इस प्रकार लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में आहरित / व्यय की गई धनराशि रु० 1643051.40 के सापेक्ष बार बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कैश बुक, व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, बैंक स्टेटमेंट एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए ।

बार-बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए । पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बिल वाउचर / व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित व्यय की गई धनराशि रु 1643051.40 गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री सिया राम तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रवीण मौर्य से उ०प्र० पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 256 (क से ड) के प्रावधान अनुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0-01 ग्राम पंचा0- बिलन्दपुर अशोक, वि0ख0-पूरनपुर, वर्ष- 2019-20)

प्रस्तर सं 174- ग्राम पंचायत ग्रांट नं 21 उर्फ ढक्का चाट विकास खंड पूरनपुर जनपद -पीलीभीत की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा ग्राम निधि के खाता संख्या 0910000100056954 पंजाब नेशनल बैंक शेरपुर कलाँ से कुल धन राशि रु 2819250.00 आहरित / व्यय की गई है

उक्त आहरण के सापेक्ष बार बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कैश बुक, व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, बैंक स्टेटमेंट एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए ।

बार-बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए । पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बिल वाउचर / व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी एवं प्रशासक से किये जाने का प्रावधान है। अतः उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित व्यय की गई धनराशि रु 2819250.00 गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुखविंदर कौर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विजय कुमार से उ०प्र० पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 256 (क से ड)के प्रावधान अनुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0-01 ग्राम पंचा0- ग्रान्ट नं0 21 उर्फ ढका चाट, वि0ख0-पूरनपुर, वर्ष- 2019-20)

प्रस्तर सं 175- ग्राम पंचायत- शेर पुर कलाँ विकास खंड पूरनपुर जनपद -पीलीभीत की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि के खाता संख्या 0910000100057087 पंजाब नेशनल बैंक शेरपुर कलाँ से आहरित धनराशि रु 1621267.55 में से दिनांक 02-09-2019 से दिनांक 31-03-2020 तक रु 1225901.45 आहरित / व्यय की गई है

इस प्रकार उक्त आहरण के सापेक्ष बार बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कैश बुक, व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, बैंक स्टेटमेंट एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए ।

बार-बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए । पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बिल वाउचर / व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी एवं प्रशासक से किये जाने का प्रावधान है। अतः उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित व्यय की गई धनराशि रु 1225901.45 गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती नाजिया खानम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विजय कुमार से उ०प्र० पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 256 (क से ड)के प्रावधान अनुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0-01 ग्राम पंचा0- शेरपुर कलाँ, वि0ख0-पूरनपुर, वर्ष- 2019-20)

प्रस्तर सं 176- ग्राम पंचायत गढ़ा कलाँ , विकास खंड- पूरनपुर, जनपद – पीलीभीत की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर सम्पन्न की गई। लेखा परीक्षा में पाया गया की दिनांक 01-04-2019 से 31-07-2019 तक श्री राजीव कुमार सक्सेना ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पर कार्यरत रहे हैं। उक्त अबाधि के बाद श्री राज कुमार वर्मा को उक्त ग्राम पंचायत का कार्यभार सौंप दिया गया। परंतु उक्त अवधि के अभिलेख न तो श्री सक्सेना द्वारा उपलब्ध कराये गए और न ही श्री राज कुमार वर्मा द्वारा । जबकि इस अवधि में ग्राम पंचायत के ग्राम निधि खाता संख्या 06970100020540 बैंक ऑफ बरौदा शाखा पूरनपुर कुल रु 355436.00 का आहरण किया गया है जिसके आहरण उपरांत व्यय से संबंधित अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए। जबकि मेरे द्वारा खंड विकास अधिकारी , विकास खंड – पूरनपुर, जनपद -पीलीभीत को प्रस्तुत पत्र संख्या - दिनांक 08-06-2022 , अनुस्मारक -1 दिनांक 22-07-2022 एवं अनुस्मारक- 2 दिनांक 04-08-2022 के द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया । परंतु किसी भी अधिकारी के द्वारा उक्त अबाधि के अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जा सके। पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध

में कोई बिल वाउचर / व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है। अतः उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित व्यय की गई धनराशि रु 355436.00 गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री राजीव कुमार सक्सेना एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजीव कुमार सक्सेना से रु355436.00, उ०प्र० पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 256 (क से ड)के प्रावधान अनुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा०आ०सं०-14 ग्राम पंचा०- गढ़ा कलां, वि०ख०-पूरनपुर, वर्ष- 2019-20)

प्रस्तर सं 177- ग्राम पंचायत वासुपुर, विकास खंड पूरनपुर जनपद -पीलीभीत की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आहरित की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गई। ग्राम निधि के बैंकखाता संख्या 06970100020538 बैंक ऑफ बरोड़ा शाखा पूरनपुर से बैंक स्टेटमेंट के अनुसार कुल रु 1247479.60 का आहरण किया गया है।

इस प्रकार लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में आहरित / व्यय की गई धनराशि रु 1247479.60 के सापेक्ष बार बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कैश बुक, व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, बैंक स्टेटमेंट एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

बार-बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए। पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बिल वाउचर / व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है। अतः उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित व्यय की गई धनराशि रु 1247479.60 गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सूरत जहां एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री लाल बहादुर गंगवार से उ०प्र० पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 256 (क से ड)के प्रावधान मय ब्याज के की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-01 ग्राम पंचा०- वासुपुर, वि०ख०-पूरनपुर, वर्ष- 2019-20)

प्रस्तर सं 178- ग्राम पंचायत मढ़ा खुर्द कलां, विकास खंड पूरनपुर जनपद -पीलीभीत की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आहरित की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गई। ग्राम निधि के बैंकखाता संख्या 06970100020524 बैंक ऑफ बरोड़ा शाखा पूरनपुर से बैंक स्टेटमेंट के अनुसार कुल रु 806833.40 का आहरण किया गया है।

इस प्रकार लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में आहरित / व्यय की गई धनराशि रु 806833.30 के सापेक्ष बार बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कैश बुक, व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, बैंक स्टेटमेंट एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

बार-बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए। पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बिल वाउचर / व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित व्यय की गई धनराशि रु. 806833.40 गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती कान्ति वर्मा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री लाल बहादुर गंगवार से उ०प्र० पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 256 (क से ड)के प्रावधान अनुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा०आ०सं०-01 ग्राम पंचा०- मढ़ा खुर्द कलां, वि०ख०-पूरनपुर, वर्ष- 2019-20)

प्रस्तर सं 179- ग्राम पंचायत गोरा, विकास खंड पूरनपुर जनपद- पीलीभीत की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आहरित की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गई। ग्राम निधि के बैंकखाता संख्या 06970100020539 बैंक ऑफ बरोडा शाखा पूरनपुर से बैंक स्टेटमेंट के अनुसार कुल रु 2313672.00 का आहरण किया गया है।

इस प्रकार लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में आहरित / व्यय की गई धनराशि रु 2313672.00 के सापेक्ष बार बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कैश बुक, व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, बैंक स्टेटमेंट एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

बार-बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए। पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बिल वाउचर / व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित व्यय की गई धनराशि रु 2313672.00 गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती शीवा बेगम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री लाल बहादुर गंगवार से उ०प्र० पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 256 (क से ड) के प्रावधान अनुसार तात्तरीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0-01 ग्राम पंचा0- गोरा, वि0ख0-पूरनपुर, वर्ष- 2019-20)

प्रस्तर सं 180- ग्राम पंचायत रम्पुरा फकीरे विकास खंड पूरनपुर जनपद -पीलीभीत की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा बैंक ऑफ बडौदा शाखा पूरनपुर जनपद पीलीभीत से ग्राम निधि खाता संख्या 06970100020512 से रु 3401106.40 आहरित धनराशि के आधार पर की गई है। आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है -

लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में आहरित / व्यय की गई धनराशि रु० 3401106.40 के सापेक्ष बार बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कैश बुक, व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, बैंक स्टेटमेंट एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

बार-बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए। पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बिल वाउचर / व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित/ व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है। अतः उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित आहरित / व्यय की गई धनराशि रु 3401106.40 गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री राज कुमार एवं पंचायत अधिकारी श्री हरवंश कुमार से रु 3401106.40 उ०प्र० पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 256 (क से ड) के प्रावधान अनुसार मय ब्याज के की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-01 ग्राम पंचा0- रम्पुरा फकीरे, वि0ख0-पूरनपुर, वर्ष- 2019-20)

प्रस्तर सं 181- ग्राम पंचायत डगा विकास खंड पूरनपुर जनपद -पीलीभीत की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा बैंक ऑफ बडौदा शाखा पूरनपुर जनपद पीलीभीत से बैंक स्टेटमेंट ग्राम निधि खाता के अनुसार खाता संख्या 06970100020547 से रु 1879269.60 आहरित किया गया है।

लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में आहरित / व्यय की गई धनराशि रु० 1879269.60 के सापेक्ष संबन्धित अभिलेख ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पुष्कर सिंह राणा द्वारा बार बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कैश बुक, व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, बैंक स्टेटमेंट एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

बार-बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए। पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बिल वाउचर / व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित / व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है। अतः उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित आहरित / व्यय की गई धनराशि रु 1879269.60 गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सकीना बेगम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पुष्कर सिंह राणा से उ०प्र० पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 256 (क से ड) के प्रावधान अनुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा०आ०सं०-01 ग्राम पंचा०- डगा, वि०ख०-पूरनपुर, वर्ष- 2019-20)

प्रस्तर सं 182- ग्राम पंचायत – पिपरिया मझरा विकास खंड पूरनपुर जनपद –पीलीभीतकी वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा ग्राम निधि के खाता संख्या 06970100020569 बैंक ऑफ बडौदा शाखा पूरनपुर जनपद पीलीभीत से बैंक स्टेटमेंट स्टेटमेंट के अनुसार आहरित धनराशि रु 2516649.20 के आधार पर संपन्न की गई

लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में आहरित / व्यय की गई धनराशि रु० 2516649.20 के सापेक्ष बार बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कैश बुक, व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, बैंक स्टेटमेंट एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए,

बार-बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए। पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बिल वाउचर / व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है। अतः उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित व्यय की गई धनराशि रु 2516649.20 गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री राम स्वरूप एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रवीण मौर्य से कुल रु 2516649.20, उ०प्र० पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 256 (क से ड)के प्रावधान अनुसार मय ब्याज के की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-01 ग्राम पंचा०- पिपरिया मझरा, वि०ख०-पूरनपुर, वर्ष- 2019-20)

प्रस्तर सं 183- ग्राम पंचायत हमीरपुर, विकास खंड- पूरनपुर, जनपद – पीलीभीत की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर सम्पन्न की गई। लेखा परीक्षा में पाया गया की दिनांक 01-04-2019 से 31-10-2019 तक श्री राजीव कुमार सक्सेना ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पर कार्यरत रहे हैं। तदुपरान्त श्री राज कुमार वर्मा ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पर कार्यरत रहे। उक्त अवधि के अभिलेख न तो श्री सक्सेना द्वारा उपलब्ध कराये गए और न ही श्री राज कुमार वर्मा द्वारा। राज कुमार वर्मा द्वारा उपलब्ध कराई गई कैश बुक दिनांक 01-11-2019 से तैयार की गई है जबकि इस अवधि में ग्राम पंचायत के ग्राम निधि खाता संख्या 06970100020586 बैंक ऑफ बरौदा शाखा पूरनपुर कुल रु 599633.80 का आहरण किया गया है, इस प्रकार रु 599633.80 के आहरण उपरांत व्यय से संबन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए। जबकि मेरे द्वारा खंड विकास अधिकारी, विकास खंड – पूरनपुर, जनपद –पीलीभीत को प्रस्तुत पत्र संख्या - दिनांक 08-06-2022, अनुस्मारक -1 दिनांक 22-07-2022 एवं अनुस्मारक- ॥ दिनांक 04-08-2022 के द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया। परंतु किसी भी अधिकारी के द्वारा उक्त अबाधि के अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जा सके।

पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बिल वाउचर / व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है। अतः उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित व्यय की गई धनराशि रु

599633.80 गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री ऋषि कान्त एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजीव कुमार सक्सेना से , उ०प्र० पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 256 (क से ड)के प्रावधान अनुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0-01 ग्राम पंचा0- हमीरपुर, वि0ख0-पूरनपुर, वर्ष- 2019-20)

प्रस्तर सं 184- ग्राम पंचायत केसर पुर कलाँ , विकास खंड पूरनपुर जनपद -पीलीभीत की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आहरित की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गई । ग्राम निधि के बैंकखाता संख्या 06970100020568 बैंक ऑफ बरोड़ा शाखा पूरनपुर से बैंक स्टेटमेंट के अनुसार कुल रु 5075183.80 का आहरण किया गया है।

इस प्रकार लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में आहरित / व्यय की गई धनराशि रु 5075183.80 के सापेक्ष बार बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका , माँप पुस्तिका , कैश बुक , व्यय प्रमाणक , मस्टररोल , बैंक स्टेटमेंट एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र , लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए ।

बार-बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए । पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बिल वाउचर / व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित व्यय की गई धनराशि रु 5075183.80 गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रुखसाना एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री लाल बहादुर गंगवार से उ०प्र० पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 256 (क से ड) के प्रावधान अनुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0-01 ग्राम पंचा0- केसरपुर कलाँ, वि0ख0-पूरनपुर, वर्ष- 2019-20)

प्रस्तर सं 185- ग्राम पंचायत केसोपुर त0 घुंघचाड़ , विकास खंड- पूरनपुर, जनपद – पीलीभीत की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर सम्पन्न की गई। लेखा परीक्षा में पाया गया की दिनांक 01-04-2019 से 12-07-2019 तक श्री राजीव कुमार सक्सेना ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पर कार्यरत रहे हैं। जिला पंचायत राज अधिकारी जनपद पीलीभीत के कार्यालय पत्रांक संख्या -789/7-प0/स्था -2/क्षेत्र आवंटन आदेश /2019-20 दिनांक 12-07-2019 के अनुपालन में श्री सक्सेना द्वारा श्री अभिषेक वर्मा को उक्त ग्राम पंचायत का कार्यभार सौंप दिया गया। परंतु उक्त अवधि के अभिलेख न तो श्री सक्सेना द्वारा उपलब्ध कराये गए और न ही श्री अभिषेक वर्मा द्वारा । जबकि इस अवधि में ग्राम पंचायत के ग्राम निधि खाता संख्या 06970100020605 बैंक ऑफ बरौदा शाखा पूरनपुर कुल रु 225016.00 का आहरण किया गया है , जिसमें से रु 932.00 की बैंक कटौती एवं रु 4690.00 की बापसी उपरांत शेष रु 219394.00 के आहरण उपरांत व्यय से संबन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए। जबकि मेरे द्वारा खंड विकास अधिकारी , विकास खंड – पूरनपुर, जनपद –पीलीभीत को प्रस्तुत पत्र संख्या - दिनांक 08-06-2022 , अनुस्मारक -1 दिनांक 22-07-2022 एवं अनुस्मारक- 2 दिनांक 04-08-2022 के द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया । परंतु किसी भी अधिकारी के द्वारा उक्त अबाधि के अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जा सके।

पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बिल वाउचर / व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है। अतः उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित व्यय की गई धनराशि रु 219394.00 गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती चंद्र कली एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजीव कुमार सक्सेना से रु 219394.00 , उ०प्र० पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 256 (क से ड)के प्रावधान अनुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0-01 ग्राम पंचा0- केशोपुर ता0 घुंखचाई, वि0ख0-पूरनपुर, वर्ष- 2019-20)

प्रस्तर सं 186- ग्राम पंचायत सेहरा मऊ उत्तरी, विकास खंड- पूरनपुर, जनपद – पीलीभीत की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर सम्पन्न की गई। लेखा परीक्षा में पाया गया की दिनांक 01-04-2019 से 31-10-2019 तक श्री राजीव कुमार सक्सेना ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पर कार्यरत रहे हैं। तदुपरान्त श्री राज कुमार वर्मा ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पर कार्यरत रहे। उक्त अवधि के अभिलेख न तो श्री सक्सेना द्वारा उपलब्ध कराये गए और न ही श्री राज कुमार वर्मा द्वारा। राज कुमार वर्मा उपलब्ध कराई गई कैश बुक दिनांक 01-11-2019 से तैयार की गई है जबकि इस अवधि में ग्राम पंचायत के ग्राम निधि खाता संख्या 06970100020567 बैंक ऑफ बरौदा शाखा पूरनपुर कुल रु 923646.00 का आहरण किया गया है, इस प्रकार रु 923646.00 के आहरण उपरांत व्यय से संबन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए। जबकि मेरे द्वारा खंड विकास अधिकारी, विकास खंड – पूरनपुर, जनपद – पीलीभीत को प्रस्तुत पत्र संख्या - दिनांक 08-06-2022, अनुस्मारक -1 दिनांक 22-07-2022 एवं अनुस्मारक-2 दिनांक 04-08-2022 के द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया, परंतु किसी भी अधिकारी के द्वारा उक्त अबाधि के अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जा सके।

पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बिल वाउचर / व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है। अतः उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित व्यय की गई धनराशि रु 923646.00 गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री अजय प्रताप सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजीव कुमार सक्सेना से, उ०प्र० पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 256 (क से ड) के प्रावधान अनुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0-01 ग्राम पंचा0- सेहरामऊ उत्तरी, वि0ख0-पूरनपुर, वर्ष- 2019-20)

प्रस्तर सं 187- ग्राम पंचायत जगतपुर, विकास खंड पूरनपुर जनपद –पीलीभीत की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आहरित की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गई। ग्राम निधि के बैंकखाता संख्या 06970100020542 बैंक ऑफ बरौदा शाखा पूरनपुर से बैंक स्टेटमेंट के अनुसार कुल रु 2159740.20 का आहरण किया गया है।

इस प्रकार लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में आहरित / व्यय की गई धनराशि रु 2159740.20 के सापेक्ष बार बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कैश बुक, व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, बैंक स्टेटमेंट एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

बार-बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए। पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बिल वाउचर / व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित व्यय की गई धनराशि रु 2159740.20 गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री राम पाल सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री लाल बहादुर गंगवार से उ०प्र० पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 256 (क से ड) के प्रावधान मय अनुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0-01 ग्राम पंचा0- जगतपुर, वि0ख0-पूरनपुर, वर्ष- 2019-20)

प्रस्तर सं 188- ग्राम पंचायत पिपरिया संतोष विकास खंड पूरनपुर जनपद –पीलीभीत की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा बैंक ऑफ बडौदा शाखा पूरनपुर जनपद पीलीभीत से ग्राम निधि खाता संख्या 06970100020549 से रु 2836621.00 के आहरण के सापेक्ष की गई है –

लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में आहरित / व्यय की गई धनराशि रु० 2836621.00 के सापेक्ष बार बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका , मॉप पुस्तिका , कैश बुक , व्यय प्रमाणक , मस्टररोल , बैंक स्टेटमेंट एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र , लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

बार- बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए । पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बिल वाउचर / व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित/ व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है। अतः उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित आहरित / व्यय की गई धनराशि रु 2836621.00 गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती संतोषी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पुष्कर सिंह राणा से उ०प्र० पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 256 (क से ड)के प्रावधान अनुसार मय ब्याज के की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-01 ग्राम पंचा०- पिपरिया संतोष, वि०ख०-पूरनपुर, वर्ष- 2019-20)

प्रस्तर सं 189- ग्राम पंचायत चँदिया हजारा विकास खंड पूरनपुर जनपद –पीलीभीत की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा ग्राम निधि के खाता संख्या 0910000100056963 पंजाब नेशनल बैंक शाखा शेरपुर कलाँ जनपद पीलीभीत से बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आहरित की गई धनराशि रु 5468174.80 के आधार पर संपन्न की गई –

लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में आहरित / व्यय की गई धनराशि रु० 5468174.80 के सापेक्ष बार बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका , मॉप पुस्तिका , कैश बुक , व्यय प्रमाणक , मस्टररोल , बैंक स्टेटमेंट एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र , लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए ,

बार- बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए । पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बिल वाउचर / व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित व्यय की गई धनराशि रु 5468174.80 गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती हार्जिन्दर कौर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विजय कुमार से ,उ०प्र० पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 256 (क से ड) के प्रावधान अनुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा०आ०सं०-01 ग्राम पंचा०- चंदिया हजारा, वि०ख०-पूरनपुर, वर्ष- 2019-20)

प्रस्तर सं 190- ग्राम पंचायत धनेगा विकास खंड पूरनपुर जनपद– पीलीभीत की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आहरित की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गई । बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है –

मद	प्रिया साफ्ट अनुसार	बैंक स्टेटमेंट अनुसार
प्रा० अवशेष	171736.00	171736.00
वर्ष में प्राप्त	1278767.00	1476139.00
वर्ष में आहरित / व्यय	1321308.00	1114160.00
वर्षांत में अवशेष धनराशि	129195.00	533715.00

लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 ग्राम निधि खाता संख्या 5377101000868 कैनरा बैंक शाखा ढका ज० पूरनपुर से रुपये 1114160.00 से रुपये का आहरण किया गया है। इस प्रकार वर्ष में आहरित / व्यय की गई धनराशि रु० 1114160.00 के सापेक्ष बार बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख अनुमोदित कार्य योजना,

प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कैश बुक, व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, बैंक स्टेटमेंट एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

बार- बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए । पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बिल वाउचर / व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है। अतः उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित व्यय की गई धनराशि रु 1114160.00 गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती बेटी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री लाल बहादुर गंगवार से उ०प्र० पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 256 (क से ड) के प्रावधान अनुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0-01 ग्राम पंचा0- धनेगा, वि0ख0-पूरनपुर, वर्ष- 2019-20)

प्रस्तर सं 191- ग्राम पंचायत पटिहान विकास खंड पूरनपुर जनपद -पीलीभीत की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आहरित की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गई । बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है -

मद	प्रिया साफ्ट अनुसार	बैंक स्टेटमेंट अनुसार
प्रा० अवशेष	1000436.00	992436.00
वर्ष में प्राप्त	4775118.00	3441346.00
वर्ष में आहरित / व्यय	4223552.00	4197050.00
वर्षांत में अवशेष धनराशि	1552002.00	236732.00

लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 ग्राम निधि खाता संख्या 06970100020541 बैंक ऑफ बडौदा पूरनपुर शाखा से रुपये 502946.00 से रुपये 4197050.00 का आहरण किया गया है। इस प्रकार वर्ष में आहरित / व्यय की गई धनराशि रु० 4197050.00 के सापेक्ष बार बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कैश बुक, व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, बैंक स्टेटमेंट एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र , लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

बार- बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए । पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बिल वाउचर / व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित व्यय की गई धनराशि रु 4197050.00 गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री राम नरेश एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री लाल बहादुर गंगवार से उ०प्र० पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 256 (क से ड) के प्रावधान अनुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0- 01 ग्राम पंचा0- पटिहान, वि0ख0- पूरनपुर, वर्ष- 2019-20)

प्रस्तर सं 192- ग्राम पंचायत रायपुर बिचपुरी विकास खंड पूरनपुर जनपद - पीलीभीत की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आहरित की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गई । बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है।

इस प्रकार लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में बैंक ऑफ बडौदा शाखा पूरनपुर खाता संख्या 06970100020523 ग्राम निधि से आहरित / व्यय की गई धनराशि रु० 3053167.60 के सापेक्ष बार बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी

स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कैश बुक व्यय प्रमाणक मस्टररोल, बैंक स्टेटमेंट एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

बार- बार लिखित एवं मौखिक प्रयासों एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए। पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बिल वाउचर / व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है। अतः उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित व्यय की गई धनराशि रु 3053167.60 “गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती तौहीद फातमा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीलाल बहादुर गंगवार से उ०प्र० पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 256 (क से ड) के प्रावधान अनुसार तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा०आ०सं०-०१ ग्राम पंचा०- रायपुर बिचपुरी,

वि०ख०-पूरनपुर, वर्ष- 2019-20)

प्रारूप-4

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष- 2020-21

आवंटन वर्ष- 2021-22

मण्डल का नाम- बरेली

जनपद- शाहजहाँपुर

ग्राम पंचायतों से संबंधित आपत्तियां-

प्रस्तर-1: ग्रामपंचायत :खुन्डरा,वि0ख0-तिलहर,जनपद-शाहजहाँपुर,के आलोच्य वर्ष-2020-21 में ऑन लाइन पोर्टल ई-ग्राम स्वराज के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त खाते से कुल रु० 299268/- व्यय दर्शित है। लेखा परीक्षा द्वारा बार-बार मांग करने के बावजूद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। बिना समुचित प्रमाणक, बिल वाउचर व अन्य संगत अभिलेखों के रु० 299268-00आहरित कर व्यय किया जाना लेखा परीक्षा को मान्य नहीं है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड-7 के अनुसार प्रमाणक व अन्य संगत अभिलेख विहीन धनराशि का अपहरण किए जाने का प्रकरण है। जिस हेतु श्री महेश कान्त पांडे,सचिव /ग्राम विकास अधिकारी व प्रधान श्रीमती रानी समान रूप से जिम्मेदार हैं।

अतः रु० 299268-00 की वसूली दंड ब्याज सहित श्री महेशकान्त पांडे सचिव /ग्राम विकास अधिकारी व प्रधान श्रीमती रानी से करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर-2: ग्रामपंचायत :खुन्डरा,वि0ख0-तिलहर,जनपद-शाहजहाँपुर, के आलोच्य वर्ष-2020-21 में ऑन लाइन पोर्टल ई-ग्राम स्वराज के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के केन्द्रीय वित्त खाते से कुल रु० 1872614/- व्यय दर्शित है। लेखा परीक्षा द्वारा बार-बार मांग करने के बावजूद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।बिना समुचित प्रमाणक, बिल वाउचर व अन्य संगत अभिलेखों के रु० 1872614/-आहरित कर व्यय किया जाना लेखा परीक्षा को मान्य नहीं है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड-7 के अनुसार प्रमाणक व अन्य संगत अभिलेख विहीन धनराशि का अपहरण किए जाने का प्रकरण है। जिस हेतु श्री महेश कान्त पांडे, सचिव /ग्राम विकास अधिकारी व प्रधान श्रीमती रानी समान रूप से जिम्मेदार हैं।

अतः रु० 1872614-00 की वसूली दंड ब्याज सहित श्री महेशकान्त पांडे ,सचिव /ग्राम विकास अधिकारी व प्रधान श्रीमती रानी से करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर-3: ग्राम पंचायत-फील नगर, विकास खण्ड-तिलहर, जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21 के ऑनलाइन पोर्टल ई-ग्राम स्वराज के ग्राम निधि प्रथम खाते के राज्य वित्त खाते से कुल रु० 813722 /-व्यय दर्शित है।लेखा परीक्षा द्वारा बार-बार मांग करने के बावजूद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। बिना समुचित प्रमाणक, बिल वाउचर व अन्य संगत अभिलेखों के रु० 813722/--आहरित कर व्यय किया जाना लेखा परीक्षा को मान्य नहीं है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड-7 के अनुसार प्रमाणक व अन्य संगत अभिलेख विहीन धनराशि का अपहरण किए जाने का प्रकरण है। जिस हेतु श्री महेशकान्त पांडे सचिव /ग्राम विकास अधिकारी व प्रधान श्रीमती प्रीति देवी समान रूप से जिम्मेदार हैं।

अतः रु० 813722/- की वसूली दंड ब्याज सहित श्री महेश कान्त पांडे सचिव /ग्राम विकास अधिकारी व प्रधान श्रीमती प्रीति देवी से करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर-4: ग्राम पंचायत-फील नगर, विकास खण्ड-तिलहर, जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21 के ऑन लाइन पोर्टल ई-ग्राम स्वराज के ग्राम निधि प्रथम खाते के केन्द्रीय वित्त खाते से कुल रु० 943990/- व्यय दर्शित है।लेखा परीक्षा द्वारा बार-बार मांग करने के बावजूद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।बिना समुचित प्रमाणक, बिल वाउचर व अन्य संगत अभिलेखों के रु० 943990/- आहरित कर व्यय किया जाना लेखा परीक्षा को मान्य नहीं है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड-7 के अनुसार प्रमाणक व अन्य संगत अभिलेख विहीन धनराशि का अपहरण किए जाने का प्रकरण है। जिस हेतु श्री महेश कान्त पांडे सचिव /ग्राम विकास अधिकारी व प्रधान श्रीमती प्रीति देवी समान रूप से जिम्मेदार हैं।

अतः रु० 943990/- की वसूली दंड ब्याज सहित श्री महेशकान्त पांडे सचिव /ग्राम विकास अधिकारी व प्रधान श्रीमती प्रीति देवी से करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर-5:ग्राम पंचायत:इस्माइलपुर नवादा,वि0ख0-तिलहर,जनपद-शाहजहाँपुर के आलोच्य वर्ष-2020-21 में ऑन लाइन पोर्टल ई-ग्राम स्वराज के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त खाते से कुल रु० 454906/- व्यय

प्रस्तर-10:ग्राम पंचायत:रानी खिरिया,वि0ख0-तिलहर,जनपद-शाहजहाँपुर,के आलोच्य वर्ष-2020-21 में ऑन लाइनपोर्टल ई-ग्राम स्वराज के अनुसार ग्राम निधि प्रथम से कुल रु०1327525/- व्यय दर्शित है।लेखा परीक्षा द्वारा बार-बार मांग करने के बावजूद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये बिना समुचित प्रमाणक, बिल वाउचर व अन्य संगत अभिलेखों के रु० 1327525/- आहरित कर व्यय किया जाना लेखा परीक्षा को मान्य नहीं है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड-7 के अनुसार प्रमाणक व अन्य संगत अभिलेख विहीन धनराशि का अपहरण किए जाने का प्रकरण है। जिस हेतु श्री गोपाल सिंह सचिव /ग्राम विकास अधिकारी व प्रधान श्री नरेन्द्र कुमार वर्मा समान रूप से जिम्मेदार हैं।

अतः रु० 1327525/- की वसूली दंड ब्याज सहित श्रीगोपाल सिंह सचिव /ग्राम विकास अधिकारी व प्रधान श्री नरेन्द्र कुमार वर्मा से करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर-11:ग्राम पंचायत:रानी खिरिया,वि0ख0-तिलहर,जनपद-शाहजहाँपुर,के आलोच्य वर्ष-2020-21 में मनरेगा योजना के ऑन लाईन पोर्टल के अनुसार निम्नवत है :- (धनराशि लाख में)

क्र0	मजदूरी	मटेरियल	योग
1	11-08	9-67	20-75

आलोच्य वर्ष 2020-2021 में रु० 2075655-00 व्यय दर्शित है पंचायती राज नियमों के अनुसार मनरेगा से सम्बन्धित समस्त अभिलेख यथा, कैश बुक, कार्ययोजना , आय -व्यय विवरण, कार्यो की पत्रावली, जॉब कार्ड रजिस्टर ,ऐसेट निर्माण पंजिका; मस्टर रोल एवं उपस्थिति रजिस्टर,वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा खण्ड विकास अधिकारी व सहायक कार्यक्रम अधिकारी का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर उपलब्ध करायें। खंड 8क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि गबन /अपहरण मानते हुए रु० 2075655-00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री नरेन्द्र कुमार वर्मा और ग्राम पंचायत अधिकारी श्री गोपाल सिंह और खण्ड विकास अधिकारी श्री बाबूराम व सहायक कार्यक्रम अधिकारी श्री ज्ञान प्रकाश से संयुक्त रूप से किया जाय। अतः उसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री नरेन्द्र कुमार वर्मा तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री बाबूराम व तत्कालीन सहायक कार्यक्रम अधिकारी श्री ज्ञान प्रकाश से रु० 2075655-00 की मय दण्डनीय ब्याज सहित अपेक्षित रही।

प्रस्तर-12:ग्रामपंचायत :रमापुर,वि0ख0-तिलहर,जनपद-शाहजहाँपुर,के आलोच्य वर्ष-2020-21 में ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त खाते से कुल रु०5677716/- व्यय दर्शित है।लेखा परीक्षा द्वारा बार-बार मांग करने के बावजूद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।बिना समुचित प्रमाणक, बिल वाउचर व अन्य संगत अभिलेखों के रु०5677716/- आहरित कर व्यय किया जाना लेखा परीक्षा को मान्य नहीं है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड-7 के अनुसार प्रमाणक व अन्य संगत अभिलेख विहीन धनराशि का अपहरण किए जाने का प्रकरण है। जिस हेतु श्री प्रमोद कुमार गंगवार सचिव /ग्राम विकास अधिकारी व प्रधान श्री मधुर चन्द्र समान रूप से जिम्मेदार हैं।

अतः रु०5677716/- की वसूली दंड ब्याज सहित श्री प्रमोद कुमार गंगवार,सचिव /ग्राम विकास अधिकारी व प्रधान श्रीमधुर चन्द्र से करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर-13:ग्रामपंचायत :रमापुर,वि0ख0-तिलहर,जनपद-शाहजहाँपुर,के आलोच्य वर्ष-2020-21 में ग्राम निधि प्रथम के केन्द्रीय वित्त खाते से कुल रु० 406499/- व्यय दर्शित है।लेखा परीक्षा द्वारा बार-बार मांग करने के बावजूद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।बिना समुचित प्रमाणक, बिल वाउचर व अन्य संगत अभिलेखों के रु०406499/- आहरित कर व्यय किया जाना लेखा परीक्षा को मान्य नहीं है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड-7 के अनुसार प्रमाणक व अन्य संगत अभिलेख विहीन धनराशि का अपहरण किए जाने का प्रकरण है। जिस हेतु श्री प्रमोद कुमार गंगवार सचिव /ग्राम विकास अधिकारी व प्रधान श्रीमधुर चन्द्र समान रूप से जिम्मेदार हैं।

अतः रु० 406499/- की वसूली दंड ब्याज सहित श्री प्रमोद कुमार गंगवार ,सचिव /ग्राम विकास अधिकारी व प्रधान श्री मधुर चन्द्र से करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर-14 :ग्रामपंचायत :रमापुर ,वि0ख0-तिलहर,जनपद-शाहजहाँपुर, के मनरेगा योजना अंतर्गत मनरेगा ऑन लाईन पोर्टल के अनुसार आलोच्य वर्ष 2020-2021 में रु० 635300-00 व्यय दर्शित है।पंचायती राज नियमों के अनुसार मनरेगा से सम्बन्धित समस्त अभिलेख यथा, कैश बुक, कार्ययोजना, आय-व्यय विवरण, कार्यों की पत्रावली, जॉब कार्ड रजिस्टर,ऐसेट निर्माण पंजिका; मस्टर रोल एवं उपस्थिति रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे।वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा खण्ड विकास अधिकारी व सहायक कार्यक्रम अधिकारी का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर उपलब्ध कराए। खंड 8क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि गबन /अपहरण मानते हुए रु0 635300-00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री मधुर चन्द्र, खण्ड विकास अधिकारी श्री बाबूराम व सहायक कार्यक्रम अधिकारी श्री ज्ञान प्रकाश से संयुक्त रूप से किया जाय।

अतः इसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री मधुर चन्द्र, खण्ड विकास अधिकारी श्री बाबूराम व तत्कालीन सहायक कार्यक्रम अधिकारी श्री ज्ञान प्रकाश से रु० 635300-00 की मय दण्डनीय ब्याज सहित अपेक्षित रही।

प्रस्तर-15:ग्रामपंचायत :पिथनापुर,वि0ख0-तिलहर,जनपद-शाहजहाँपुर,के आलोच्य वर्ष-2020-21 में ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त खाते से कुल रु० 716359/- व्यय दर्शित है।लेखा परीक्षा द्वारा बार-बार मांग करने के बावजूद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।बिना समुचित प्रमाणक, बिल वाउचर व अन्य संगत अभिलेखों के रु० 716359/- आहरित कर व्यय किया जाना लेखा परीक्षा को मान्य नहीं है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड-7 के अनुसार प्रमाणक व अन्य संगत अभिलेख विहीन धनराशि का अपहरण किए जाने का प्रकरण है। जिस हेतु श्री महेश कान्त पांडे सचिव /ग्राम विकास अधिकारी व प्रधान श्रीमती सदावती समान रूप से जिम्मेदार हैं।

अतः रु०716359/- की वसूली दंड ब्याज सहित श्री महेश कान्त पांडे ,सचिव /ग्राम विकास अधिकारी व प्रधान श्रीमतीसदावती सेकरते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर-16:ग्रामपंचायत :पिथनापुर,वि0ख0-तिलहर,जनपद-शाहजहाँपुर,के आलोच्य वर्ष- 2020-21 में ऑन लाइन पोर्टल ई-ग्राम स्वराज के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के केन्द्रीय वित्त खाते सेकुल रु० 755103/- व्यय दर्शित है।लेखा परीक्षा द्वारा बार-बार मांग करने के बावजूद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।बिना समुचित प्रमाणक, बिल वाउचर व अन्य संगत अभिलेखों के रु० 755103/- आहरित कर व्यय किया जाना लेखा परीक्षा को मान्य नहीं है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड-7 के अनुसार प्रमाणक व अन्य संगत अभिलेख विहीन धनराशि का अपहरण किए जाने का प्रकरण है। जिस हेतु श्रीमहेश कान्त पांडे, सचिव /ग्राम विकास अधिकारी व प्रधान श्रीमती सदावती समान रूप से जिम्मेदार हैं।

अतः रु० 755103/- की वसूली दंड ब्याज सहित श्री महेश कान्तपांडे सचिव /ग्राम विकास अधिकारी व प्रधान श्री मती सदावती से करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर-17 :ग्रामपंचायत :खिरियासकट,वि0ख0-तिलहर,जनपद-शाहजहाँपुर, के मनरेगा योजना (ग्राम निधि-2) अंतर्गत मनरेगा ऑन लाईन पोर्टल के अनुसार आलोच्य वर्ष 2020-2021 में रु-892960-00 व्यय दर्शित है।पंचायती राज नियमों के अनुसार मनरेगा से सम्बन्धित समस्त अभिलेख यथा, कैश बुक, कार्ययोजना, आय-व्यय विवरण, कार्यों की पत्रावली, जॉब कार्ड रजिस्टर,ऐसेट निर्माण पंजिका; मस्टर रोल एवं उपस्थिति रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे।वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा खण्ड विकास अधिकारी व सहायक कार्यक्रम अधिकारी का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर उपलब्ध कराए।"यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि गबन /अपहरण मानते हुए रु0 892960-00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री लालाराम, खण्ड विकास अधिकारी श्री बाबूराम व सहायक कार्यक्रम अधिकारी श्री ज्ञान प्रकाश से संयुक्त रूप से किया जाय। अतः इसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री लाला राम, खण्ड विकास अधिकारी श्री बाबूराम व तत्कालीन सहायक कार्यक्रम अधिकारी श्री ज्ञान प्रकाश से रु0 892960.00 की मय दण्डनीय ब्याज सहित अपेक्षित है।

अतः रु० 2757181/-की वसूली दंड ब्याज सहित श्री महेन्द्रकुमार वर्मा,सचिव /ग्राम विकास अधिकारी व प्रधान श्री अनुराग से करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही। उक्त के लिए प्रमुख उत्तरदायी सचिव/ग्राम पंचायत अधिकारी हैं।

प्रस्तर-23 :ग्रामपंचायत :मल्हपुर ,वि०ख०-काँट,जनपद-शाहजहाँपुर, के आलोच्य वर्ष- 2020-21 में ऑन लाइन पोर्टल ई-ग्राम स्वराज के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के केन्द्रीय वित्त खाते से कुल रु० 150793/- व्यय दर्शित है।लेखा परीक्षा द्वारा बार-बार मांग करने के बावजूद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।बिना समुचित प्रमाणक, बिल वाउचर व अन्य संगत अभिलेखों के रु० 150793/- आहरित कर व्यय किया जाना लेखा परीक्षा को मान्य नहीं है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड-7 के अनुसार प्रमाणक व अन्य संगत अभिलेख विहीन धनराशि का अपहरण किए जाने का प्रकरण है। जिस हेतु श्रीमहेन्द्र कुमार वर्मा सचिव /ग्राम विकास अधिकारी व प्रधान श्री अनुराग समान रूप से जिम्मेदार हैं।

अतः रु० 150793/-की वसूली दंड ब्याज सहित श्री महेन्द्र कुमार वर्मा ,सचिव /ग्राम विकास अधिकारी व प्रधान श्री अनुराग से करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर-24 :ग्रामपंचायत :हासिमपुर खेड़ा,वि०ख०-काँट,जनपद-शाहजहाँपुर, के आलोच्य वर्ष- 2020-21 में ऑन लाइन पोर्टल ई-ग्राम स्वराज के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त खाते से कुल रु० 575039/- व्यय दर्शित है।लेखा परीक्षा द्वारा बार-बार मांग करने के बावजूद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। बिना समुचित प्रमाणक, बिल वाउचर व अन्य संगत अभिलेखों के रु० 575039/-आहरित कर व्यय किया जाना लेखा परीक्षा को मान्य नहीं है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड-7 के अनुसार प्रमाणक व अन्य संगत अभिलेख विहीन धनराशि का अपहरण किए जाने का प्रकरण है। जिस हेतु श्री गणेश कुमार, सचिव /ग्राम विकास अधिकारी व प्रधान श्रीमती उर्मिला देवी समान रूप से जिम्मेदार हैं।

अतः रु० 575039/- की वसूली दंड ब्याज सहित श्री गणेश कुमार,सचिव/ग्राम विकास अधिकारी व प्रधान श्रीमती उर्मिला देवी से करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर-25 :ग्रामपंचायत : हासिमपुर खेड़ा वि०ख०-काँट,जनपद-शाहजहाँपुर,के आलोच्यवर्ष-2020-21 में ऑन लाइन पोर्टल ई-ग्राम स्वराज के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के केन्द्रीय वित्त खाते सेकुल रु० 449060/- व्यय दर्शित है।लेखा परीक्षा द्वारा बार-बार मांग करने के बावजूद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।बिना समुचित प्रमाणक, बिल वाउचर व अन्य संगत अभिलेखों के रु० 449060/- आहरित कर व्यय किया जाना लेखा परीक्षा को मान्य नहीं है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड-7 के अनुसार प्रमाणक व अन्य संगत अभिलेख विहीन धनराशि का अपहरण किए जाने का प्रकरण है। जिस हेतु श्रीगणेश कुमार, सचिव /ग्राम विकास अधिकारी व प्रधान श्रीमती उर्मिला देवी समान रूप से जिम्मेदार हैं।

अतः रु० 449060/- की वसूली दंड ब्याज सहित श्री गणेश कुमार सचिव/ग्राम विकास अधिकारी व प्रधान श्रीमती उर्मिला देवी से करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर-26 :ग्रामपंचायत दिलावरपुर,वि०ख०-काँट,जनपद-शाहजहाँपुर,के आलोच्य वर्ष-2020-21 में ऑन लाइन पोर्टल ई-ग्राम स्वराज के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त खाते से कुल रु० 375398/- व्यय दर्शित है।लेखा परीक्षा द्वारा बार-बार मांग करने के बावजूद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। बिना समुचित प्रमाणक, बिल वाउचर व अन्य संगत अभिलेखों के रु० 375398/-- आहरित कर व्यय किया जाना लेखा परीक्षा को मान्य नहीं है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड-7 के अनुसार प्रमाणक व अन्य संगत अभिलेख विहीन धनराशि का अपहरण किए जाने का प्रकरण है। जिस हेतु श्री अनिल कुमार वर्मा , सचिव /ग्राम विकास अधिकारी व प्रधान श्रीमती रेशमा समान रूप से जिम्मेदार हैं।

अतः रु०375398/- की वसूली दंड ब्याज सहित श्रीअनिल कुमार वर्मा,सचिव/ग्राम विकास अधिकारी व प्रधान श्रीमती रेशमा से करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर-27 :ग्रामपंचायत :दिलावरपुर वि०ख०-काँट,जनपद-शाहजहाँपुर,के आलोच्य वर्ष-2020-21में ग्राम निधि प्रथम के केन्द्रीय वित्त खाते से कुल रु० 430987/- व्यय दर्शित है।लेखा परीक्षा द्वारा बार-बार मांग करने के बावजूद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। बिना समुचित प्रमाणक, बिल वाउचर व अन्य संगत अभिलेखों के रु० 430987/-आहरित कर व्यय किया जाना लेखा परीक्षा को मान्य नहीं है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध

हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड-7 के अनुसार प्रमाणक व अन्य संगत अभिलेख विहीन धनराशि का अपहरण किए जाने का प्रकरण है। जिस हेतु श्री अनिल कुमार वर्मा, सचिव /ग्राम विकास अधिकारी व प्रधान श्रीमती रेशमा समान रूप से जिम्मेदार हैं।

अतः रु० 430987/- की वसूली दंड ब्याज सहित श्री अनिल कुमार वर्मा, सचिव /ग्राम विकास अधिकारी व प्रधान श्रीमती रेशमा से करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर-28 :ग्रामपंचायत :गोपालपुर ठिठुरा,वि०ख०-काँट,जनपद-शाहजहाँपुर,के आलोच्य वर्ष-2020-21 में ग्राम निधि प्रथम से कुल रु० 515476/- व्यय दर्शित है।लेखा परीक्षा द्वारा बार-बार मांग करने के बावजूद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।बिना समुचित प्रमाणक, बिल वाउचर व अन्य संगत अभिलेखों के रु० 515476/-आहरित कर व्यय किया जाना लेखा परीक्षा को मान्य नहीं है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड-7 के अनुसार प्रमाणक व अन्य संगत अभिलेख विहीन धनराशि का अपहरण किए जाने का प्रकरण है। जिस हेतु श्री संजीव सिन्हा, सचिव /ग्राम विकास अधिकारी व प्रधान श्रीमती गुड्डी देवी समान रूप से जिम्मेदार हैं।

अतः रु०515476/- की वसूली दंड ब्याज सहित श्री संजीव सिन्हा, सचिव /ग्राम विकास अधिकारी व प्रधान श्रीमती गुड्डी देवी से करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर-29 :ग्रामपंचायत :पुरेना,वि०ख०-काँट,जनपद-शाहजहाँपुर,के आलोच्य वर्ष-2020-21 में ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त खाते से कुल रु० 557538/- व्यय दर्शित है।लेखा परीक्षा द्वारा बार-बार मांग करने के बावजूद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। बिना समुचित प्रमाणक, बिल वाउचर व अन्य संगत अभिलेखों के रु० 557538/- - आहरित कर व्यय किया जाना लेखा परीक्षा को मान्य नहीं है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड-7 के अनुसार प्रमाणक व अन्य संगत अभिलेख विहीन धनराशि का अपहरण किए जाने का प्रकरण है। जिस हेतु श्री अनिल कुमार वर्मा, सचिव /ग्राम विकास अधिकारी व प्रधान श्री रामवीर समान रूप से जिम्मेदार हैं।

अतः रु०557538/- की वसूली दंड ब्याज सहित श्री अनिल कुमार वर्मा,सचिव /ग्राम विकास अधिकारी व प्रधान श्रीरामवीर से करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर-30 :ग्रामपंचायत :पुरेना,वि०ख०-काँट,जनपद-शाहजहाँपुर,के आलोच्यवर्ष-2020-21 में ग्राम निधि प्रथम के केन्द्रीय वित्त खाते से कुल रु० 367094/- व्यय दर्शित है।लेखा परीक्षा द्वारा बार-बार मांग करने के बावजूद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।बिना समुचित प्रमाणक, बिल वाउचर व अन्य संगत अभिलेखों के रु० 367094/- आहरित कर व्यय किया जाना लेखा परीक्षा को मान्य नहीं है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड-7 के अनुसार प्रमाणक व अन्य संगत अभिलेख विहीन धनराशि का अपहरण किए जाने का प्रकरण है। जिस हेतु श्री अनिल कुमार वर्मा, सचिव /ग्राम विकास अधिकारी व प्रधान श्री रामवीर समान रूप से जिम्मेदार हैं।

अतः रु० 367094/- की वसूली दंड ब्याज सहित श्री अनिल कुमार वर्मा ,सचिव /ग्राम विकास अधिकारी व प्रधान श्री रामवीर से करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर-31 : ग्राम पंचायत-जरावन,विकास खण्ड-काँट,जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21 के मनरेगा योजनान्तर्गत मनरेगा पोर्टल पर दर्शित व्यय की ऑडिट ऑनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल व्यय रु०18.72लाख का व्यय किया गया है ,जिसमें से रु० 3.69 लाख मैटीरियल क्रय पर तथा रु० 15.03 लाख मजदूरी पर व्यय किया गया दर्शित है। उक्त योजना में 19.72 प्रतिशत का व्यय सामग्री पर तथा 80.28 प्रतिशत मजदूरी पर व्यय किया गया है ,जोकि शासनादेश द्वारा निर्धारित मजदूरी तथा सामग्री पर व्ययअनुपात 60 :40 के विपरीत है इसके अतिरिक्त उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक/व्यय पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी ,जबकि इस संबंध में प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश सं/201०दस-2011-09/(43)101टी.सी .लखनऊ दिनांक 2011-02-04एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक/806 सम्प्रेक्षा क्षे०प० ऑडिट दिनांक 2011-08-05 में कैशबुक ,आय व्यय विवरण बनाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।इससे प्रतीत होता है कि इस योजना से संबंधित कोई अभिलेख तैयार किए बिना ही योजना का कार्यान्वयन किया गया है। तथा विकास खण्डस्तर से कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी एवंग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम

प्रधान ग्राम पंचायत सचिव रोजगार सेवक तथा तकनीकीसहायक द्वारा केवल धनराशियों के भुगतान का उपक्रम किया गया है। यह भी संभव है कि विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिकारी /खण्ड विकास अधिकारी द्वारा भी इस दिशा में कोई रुचि न लेने के कारण बिना अभिलेख तैयार करवाये ही न केवल प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी कीजाती रही ,वरन् भुगतान भी किया जाता रहा। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों ,अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। इसकी वसूली कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी श्री डी० पी० सिंह ग्राम प्रधान श्रीमती मनीषा देवी ग्राम पंचायत सचिव श्री एनुद्दीन अली, तकनीकी सहायक श्री सुदेश पाल से किया जाना तथा रोजगार सेवक- सुश्री अर्चना का दायित्व निर्धारित करते हुए उक्त अनियमितता हेतु उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर-32 : ग्राम पंचायत-अरुआखानपुर,विकास खण्ड-काँट,जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21 के मनरेगा योजनान्तर्गत मनरेगा पोर्टल पर दर्शित व्यय की ऑडिट ऑनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल व्यय रु० 14.12 लाख का व्यय किया गया है ,जिसमें से रु० 6.53 लाख मैटीरियल क्रय पर तथा रु० 6.94 लाख मजदूरी पर व्यय किया गया दर्शित है। उक्त योजना में 51 प्रतिशत का व्यय सामग्री पर तथा 49 प्रतिशत मजदूरी पर व्यय किया गया है ,जोकि शासनादेश द्वारा निर्धारित मजदूरी तथा सामग्री पर व्ययअनुपात 60:40 के विपरीत है इसके अतिरिक्त उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक/व्यय पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी ,जबकि इस संबंध में प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश सं/201 0दस-09/(43)101-2011टी.सी .लखनऊ दिनांक 2011-02-04एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक /806सम्प्रेक्षा क्षेत्र०प० 0ऑडिट दिनांक 2011-08-05 में कैशबुक ,आय व्यय विवरण बनाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।इससे प्रतीत होता है कि इस योजना से संबंधितकोई अभिलेख तैयार किए बिना ही योजना का कार्यान्वयन किया गया है। तथा विकास खण्डस्तर से कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी एवंग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत सचिव रोजगार सेवक तथा तकनीकीसहायक द्वारा केवल धनराशियों के भुगतान का उपक्रम किया गया है। यह भी संभव है कि विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा भी इस दिशा में कोई रुचि न लेने के कारण बिना अभिलेख तैयार करवाये ही न केवल प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी कीजाती रही ,वरन् भुगतान भी किया जाता रहा। इस योजना से संबंधित समस्त अभिलेखों का लेखापरीक्षा में भौतिक रूप में प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित कराने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है तथा मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओंहेतु जारी सुसंगत नियमों,अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में इसकी वसूली कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी श्री डी० पी० सिंह,ग्राम प्रधान श्री सफीक खान ग्राम पंचायत सचिव श्री एनुद्दीन अली, तकनीकी सहायक श्री राकेश सिंह से किया जाना तथा रोजगार सेवक श्री अशोक कुमार का दायित्व निर्धारित करते हुए उक्त अनियमितता हेतु उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किए जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर- 33 : ग्राम पंचायत- कौड़ा, विकास खण्ड- काँट,जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21 के मनरेगा योजनान्तर्गत मनरेगा पोर्टल पर दर्शित व्यय की ऑडिट ऑनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल व्यय रु०14.09 लाख का व्यय किया गया है ,जिसमें से रु० 4.72 लाख मैटीरियल क्रय पर तथा रु० 09.37 लाख मजदूरी पर व्यय किया गया दर्शित है। उक्त योजना में 33.5 प्रतिशत का व्यय सामग्री पर तथा 66.5 प्रतिशत मजदूरी पर व्यय किया गया है ,जोकि शासनादेश द्वारा निर्धारित मजदूरी तथा सामग्री पर व्ययअनुपात 60 :40 के विपरीत है इसके अतिरिक्त उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक/व्यय पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी ,जबकि इस संबंध में प्रमुख सचिव उ०प्र०शासन के शासनादेश सं/201 0दस 09/(43)101-2011-टी.सी .लखनऊ दिनांक 2011-02-04एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक/806 सम्प्रेक्षा क्षेत्र०प०0ऑडिट दिनांक-05

2011-08में कैशबुक ,आय व्यय विवरण बनाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।इससे प्रतीत होता है कि इस योजना से संबंधितकोई अभिलेख तैयार किए बिना ही योजना का कार्यान्वयन किया गया है। तथा

विकास खण्डस्तरसे कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी एवंग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत सचिव रोजगार सेवक तथा तकनीकी सहायक द्वारा केवल धनराशियों के भुगतान का उपक्रम किया गया है। यह भी संभव है किविकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा भी इस दिशा में कोई रुचि न लेने के कारण बिना अभिलेख तैयार करवाये ही न केवल प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी की जाती रही ,वरन् भुगतान भी किया जाता रहा। इस योजना से संबंधित समस्त अभिलेखों का लेखापरीक्षा में भौतिक रूप में प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित कराने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है तथा मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओंहेतु जारी सुसंगत नियमों ,अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में इसकी वसूली कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी-श्री डी० पी० सिंह,ग्राम प्रधान श्रीमती ओमवती ग्राम पंचायत सचिव- श्री महेंद्र पाल, तकनीकी सहायक- श्री राकेश सिंह से किया जाना तथा रोजगार सेवक श्री नागेश कुमार का दायित्व निर्धारित करते हुए उक्त अनियमितता हेतु उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर-34: ग्राम पंचायत- मुड़िया आस, विकास खण्ड- काँट,जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21 के मनरेगा योजनान्तर्गत मनरेगा पोर्टल पर दर्शित व्यय की ऑडिट ऑनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल व्यय रु० 14.24 लाख का व्यय किया गया है ,जिसमें से रु० 8.64 लाख मैटीरियल क्रय पर तथा रु० 5.61 लाख मजदूरी पर व्यय किया गया दर्शित है। उक्त योजना में 60.67 प्रतिशत का व्यय सामग्री पर तथा 39.39 प्रतिशत मजदूरी पर व्यय किया गया है ,जोकि शासनादेश द्वारा निर्धारित मजदूरी तथा सामग्री पर व्ययअनुपात 60 :40 के विपरीत है इसके अतिरिक्त उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक/व्यय पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी , जबकि इस संबंध में प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश सं/201० दस 09/(43)101-2011-टी.सी .लखनऊ दिनांक 2011-02-04एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक/806 सम्प्रेक्षा क्षे०प० 0 ऑडिट दिनांक 2011-08-05 में कैशबुक,आय व्यय विवरण बनाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।इससे प्रतीत होता है कि इस योजना से संबंधितकोई अभिलेख तैयार किए बिना ही योजना का कार्यान्वयन किया गया है। तथा विकास खण्डस्तरसे कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी एवंग्राम पंचायत स्तर पर ग्रामप्रधान, ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सेवक तथा तकनीकीसहायक द्वारा केवल धनराशियों के भुगतान का उपक्रम किया गया है। यह भी संभव है किविकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा भी इस दिशा में कोई रुचि न लेने केकारण बिना अभिलेख तैयार करवाये ही न केवल प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी कीजाती रही ,वरन् भुगतान भी किया जाता रहा। इस योजना से संबंधित समस्त अभिलेखों का लेखापरीक्षा में भौतिक रूप में प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित कराने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है तथा मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओंहेतु जारी सुसंगत नियमों ,अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में इसकीवसूली कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी-श्री डी० पी० सिंह ग्राम प्रधान सुश्री छोटी बिटिया, ग्राम पंचायत सचिव श्री संजीव भारद्वाज, तकनीकी सहायक श्री सतेन्द्र गुप्ता से किया जाना तथा रोजगार सेवक श्री सत्यवीर का दायित्व निर्धारित करते हुए उक्त अनियमितता हेतु उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किए जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर-35: ग्राम पंचायत-भैंसी, विकास खण्ड- काँट,जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21 के मनरेगा योजनान्तर्गत मनरेगा पोर्टल पर दर्शित व्यय की ऑडिट ऑनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल व्यय रु०11.64 लाख का व्यय किया गया है,जिसमें से रु० 7.08 लाख मैटीरियल क्रय पर तथा रु० 4.57 लाख मजदूरी पर व्यय किया गया दर्शित है। उक्त योजना में 60.82 प्रतिशत

का व्यय सामग्री पर तथा 39.26 प्रतिशत मजदूरी पर व्यय किया गया है, जोकि शासनादेश द्वारा निर्धारित मजदूरी तथा सामग्री पर व्यय अनुपात 60 :40 के विपरीत है इसके अतिरिक्त उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक/व्यय पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी ,जबकि इस संबंध में प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश सं०-201/दस-2011-101(43)/09 टी सी लखनऊ 04 फरवरी-2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक:806/सम्प्रेक्षा क्षेत्र० प० ऑडिट दिनांक 05-08-2011 में कैशबुक ,आय व्यय विवरण बनाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। इससे प्रतीत होता है कि इस योजना से संबंधित कोई अभिलेख तैयार किए बिना ही योजना का कार्यान्वयन किया गया है तथा विकास खण्ड स्तर से कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी एवं ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सेवक तथा तकनीकी सहायक द्वारा केवल धनराशियों के भुगतान का उपक्रम किया गया है। यह भी संभव है कि विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा इस दिशा में कोई रुचि न लेने के कारण बिना अभिलेख तैयार करवाये ही न केवल प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी की जाती रही वरन् भुगतान भी किया जाता रहा। इस योजना से संबंधित समस्त अभिलेखों का लेखापरीक्षा में भौतिक रूप में प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित कराने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है तथा मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों/अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में इसकी वसूली कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी-श्री डी० पी० सिंह, ग्राम प्रधान-श्रीमती शांति देवी, ग्राम पंचायत सचिव-श्री पीयूष अवस्थी, तकनीकी सहायक- श्री आदर्श जयसवाल से किया जाना तथा रोजगार सेवक-सुश्री अरुणा देवी का दायित्व निर्धारित करते हुए उक्त अनियमितता हेतु उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किए जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर-36: ग्राम पंचायत- पडैचा, विकास खण्ड- काँट, जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21 के मनरेगा योजनान्तर्गत मनरेगा पोर्टल पर दर्शित व्यय की ऑडिट ऑनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल व्यय रु० 6.09 लाख का व्यय किया गया है ,जिसमें से रु 0 0.00 लाख मैटीरियल क्रय पर तथा रु० 6.09 लाख मजदूरी पर व्यय किया गया दर्शित है। उक्त योजना में 00 प्रतिशत का व्यय सामग्री पर तथा 100 प्रतिशत मजदूरी पर व्यय किया गया है ,जोकि शासनादेश द्वारा निर्धारित मजदूरी तथा सामग्री पर व्यय अनुपात 60 :40 के विपरीत है इसके अतिरिक्त उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक/व्यय पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी ,जबकि इस संबंध में प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश सं०-201/दस-2011-101(43)/09 टी सी लखनऊ 04 फरवरी-2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक:806/सम्प्रेक्षा क्षेत्र० प० ऑडिट दिनांक 05-08-2011 में कैशबुक, आय व्यय विवरण बनाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। इससे प्रतीत होता है कि इस योजना से संबंधित कोई अभिलेख तैयार किए बिना ही योजना का कार्यान्वयन किया गया है तथा विकास खण्ड स्तर से कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी एवं ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सेवक तथा तकनीकी सहायक द्वारा केवल धनराशियों के भुगतान का उपक्रम किया गया है। यह भी संभव है कि विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा इस दिशा में कोई रुचि न लेने के कारण बिना अभिलेख तैयार करवाये ही न केवल प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी की जाती रही ,वरन् भुगतान भी किया जाता रहा। इस योजना से संबंधित समस्त अभिलेखों का लेखापरीक्षा में भौतिक रूप में प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित कराने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है तथा मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों/अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में इसकी वसूली कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी-श्री डी० पी० सिंह, ग्राम प्रधान श्री अमर

सिंह ग्राम पंचायत सचिव श्री गणेश कुमार, तकनीकी सहायक श्री सुदेश पाल से किया जाना तथा रोजगार सेवक श्री अमर सिंह का दायित्व निर्धारित करते हुए उक्त अनियमितता हेतु उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर-37: ग्राम पंचायत- बबौरी ई0 मरेना, विकास खण्ड- काँट,जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21 के मनरेगा योजनान्तर्गत मनरेगा पोर्टल पर दर्शित व्यय की ऑडिट ऑनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल व्यय रु० 15.03 लाख का व्यय किया गया है ,जिसमें से रु० 4.11 लाख मैटीरियल क्रय पर तथा रु० 10.93 लाख मजदूरी पर व्यय किया गया दर्शित है। उक्त योजना में 27.34 प्रतिशत का व्यय सामग्री पर तथा 72.72 प्रतिशत मजदूरी पर व्यय किया गया है जो कि शासनादेश द्वारा निर्धारित मजदूरी तथा सामग्री पर व्ययअनुपात 60 :40 के विपरीत है इसके अतिरिक्त उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक/व्यय पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी , जबकि इस संबंध में प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश सं०-201/दस-2011-101(43)/09 टी सी लखनऊ 04फरवरी-2011 एवंआयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० केपत्रांक:806/सम्प्रेक्षाक्षे०प० ऑडिट दिनांक 05-08-2011 में कैशबुक ,आय व्यय विवरण बनाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।इससे प्रतीत होता है कि इस योजना से संबंधितकोई अभिलेख तैयार किए बिना ही योजना का कार्यान्वयन किया गया है तथा विकास खण्डस्तर से कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी एवंग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधान,ग्राम पंचायत सचिव,रोजगार सेवक तथा तकनीकी सहायक द्वारा केवल धनराशियों के भुगतान का उपक्रम किया गया है। यह भी संभव है किविकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा इस दिशा में कोई रुचि न लेने केकारण बिना अभिलेख तैयार करवाये ही न केवल प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी कीजाती रही ,वरन् भुगतान भी किया जाता रहा। इस योजना से संबंधित समस्त अभिलेखों का लेखापरीक्षा में भौतिक रूप में प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित कराने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है तथा मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों/अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में इसकी वसूली कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी श्री डी० पी० सिंह,ग्राम प्रधान श्री अवनीश, ग्राम पंचायत सचिव श्री अईनुद्दीन अली, तकनीकी सहायक श्री स्वदेश पाल से किया जाना तथा रोजगार सेवक श्री किशन चंद्र का दायित्व निर्धारित करते हुए उक्त अनियमितता हेतु उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किए जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर-38: ग्राम पंचायत- मितेपुर, विकास खण्ड- काँट,जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21 के मनरेगा योजनान्तर्गत मनरेगा पोर्टल पर दर्शित व्यय की ऑडिट ऑनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल व्यय रु०12.34 लाख का व्यय किया गया है ,जिसमें से रु० 6.04 लाख मैटीरियल क्रय पर तथा रु० 6.29 लाख मजदूरी पर व्यय किया गया दर्शित है। उक्त योजना में 48.94 प्रतिशत का व्यय सामग्री पर तथा 50.97 प्रतिशत मजदूरी पर व्यय किया गया है ,जोकि शासनादेश द्वारा निर्धारित मजदूरी तथा सामग्री पर व्ययअनुपात 60 :40 के विपरीत है इसके अतिरिक्त उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक/व्यय पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी ,जबकि इस संबंध में प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश सं०-201/दस-2011-101(43)/09 टी सी लखनऊ 04फरवरी-2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक:806/सम्प्रेक्षा क्षे०प० ऑडिट दिनांक 05-08-2011में कैशबुक,आय व्यय विवरण बनाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।इससे प्रतीत होता है कि इस योजना से संबंधित कोई अभिलेख तैयार किए बिना ही योजना का कार्यान्वयन किया गया है,तथा विकास खण्ड स्तर से कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी एवं ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधान,ग्राम पंचायत सचिव,रोजगार सेवक तथा तकनीकी सहायक द्वारा केवल धनराशियों के

भुगतान का उपक्रम किया गया है। यह भी संभव है कि विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा इस दिशा में कोई रुचि न लेने के कारण बिना अभिलेख तैयार करवाये ही न केवल प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी कीजाती रही ,वरन् भुगतान भी किया जाता रहा। इस योजना से संबंधित समस्त अभिलेखों को लेखापरीक्षा में भौतिक रूप में प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित कराने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है तथा मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों ,अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में इसकीवसूली कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी-श्री डी० पी० सिंह,ग्राम प्रधान श्री राजा राम, ग्राम पंचायत सचिव श्री राजेश श्रीवास्तव, तकनीकी सहायक श्री आदर्श जयसवाल से किए जाने तथा रोजगार सेवक श्री अमरीश यादव का दायित्व निर्धारित करते हुए उक्त अनियमितता हेतु उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किए जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर-39: ग्राम पंचायत- मोहनपुर ममरेजपुर, विकास खण्ड- काँट,जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा मे पाया गया की ई ग्राम स्वराज पर अंकित कैशबुक एवं व्यय वाउचरों मे निम्न विवरणानुसार मजदूरी/श्रमिकों पर व्यय दर्शित किया गया है-

क्र0	योजना का नाम	वर्क आई डी न.	ई-ग्राम स्वराज वाउचर न./ दिनांक	मजदूर/राज मिस्त्री का नाम	मस्टर रोल नंबर	कार्य का विवरण	धनराशि
1	चतुर्थ राज्य वित्त	37574693	चतुर्थ राज्य वित्त /2020-21/पी/2 03-07-2020	विपिन कुमार	उपलब्ध नहीं	मजदूरी/राजमिस्त्री	2010
				धीरेंद्र सिंह	उपलब्ध नहीं	मजदूरी/राजमिस्त्री	2010
				श्यामवीर	उपलब्ध नहीं	मजदूरी/राजमिस्त्री	2010
				योगेंद्र सिंह	उपलब्ध नहीं	मजदूरी/राजमिस्त्री	1407
				सोमवीर	उपलब्ध नहीं	मजदूरी/राजमिस्त्री	4500
				रामवरण	उपलब्ध नहीं	मजदूरी/राजमिस्त्री	4500
2	चतुर्थ राज्य वित्त	37574693	चतुर्थ राज्य वित्त /2020-21/पी/3 12-07-2020	धीरेंद्र सिंह	उपलब्ध नहीं	मजदूरी/राजमिस्त्री	1820
				प्रहान्त	उपलब्ध नहीं	मजदूरी/राजमिस्त्री	1820
				जगतपाल	उपलब्ध नहीं	मजदूरी/राजमिस्त्री	4500
				विपिन कुमार	उपलब्ध नहीं	मजदूरी/राजमिस्त्री	1820
				रामकृपाल	उपलब्ध नहीं	मजदूरी/राजमिस्त्री	1820
				श्याम वीर	उपलब्ध नहीं	मजदूरी/राजमिस्त्री	1820
				योगेंद्र सिंह	उपलब्ध नहीं	मजदूरी/राजमिस्त्री	1820
				रामवरण	उपलब्ध नहीं	मजदूरी/राजमिस्त्री	4500
3	14वां केन्द्रीय वित्त	42277821	चतुर्थ राज्य वित्त /2020-21/पी/2 11-10-2020	राजेश	उपलब्ध नहीं	मजदूरी/राजमिस्त्री	4500
				जगतपाल	उपलब्ध नहीं	मजदूरी/राजमिस्त्री	4500
				रामवरन	उपलब्ध नहीं	मजदूरी/राजमिस्त्री	4500
				पातीराम	उपलब्ध नहीं	मजदूरी/राजमिस्त्री	4500
4				वासुदेव सिंह	उपलब्ध नहीं	मजदूरी/राजमिस्त्री	12600
				संजय सिंह	उपलब्ध नहीं	मजदूरी/राजमिस्त्री	3600
				महेश प्रसाद	उपलब्ध नहीं	मजदूरी/राजमिस्त्री	3600
				छोटे	उपलब्ध नहीं	मजदूरी/राजमिस्त्री	3600
				वीरपाल	उपलब्ध नहीं	मजदूरी/राजमिस्त्री	12600
				पातीराम	उपलब्ध नहीं	मजदूरी/राजमिस्त्री	6750
				राम प्रकाश शर्मा	उपलब्ध नहीं	मजदूरी/राजमिस्त्री	12600
योग-							109707

उपरोक्त उल्लिखित विवरण के संबंध मे आपतियाँ निम्न प्रकार है -

1. उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से संबंधित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए

जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकती।

2. लेखा परीक्षा में मजदूरी से संबंधित मस्टररोल उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे उपरोक्त व्यय अपुष्ट रहा।

अतः उक्त आपत्तियों के अधीन एवं व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं वित्त लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 8 (क) के अंतर्गत गबन माना गया है जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की गयी है अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के संबंध में उ० प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अंतर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में इसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री द्रोण पाल सिंह एवं ग्राम सचिव श्री राजेश श्रीवास्तव (तत्कालीन) तथा प्रभारी ग्राम पंचायत सचिव श्री अनिल वर्मा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-40: ग्राम पंचायत- मोहनपुर ममरेजपुर, विकास खण्ड- काँट, जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21 की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया की ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अंकित कैश बुक एवं व्यय वाउचरों में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित किया गया है-

क्र 0	योजना का नाम	वर्क आई डी न.	ई-ग्राम स्वराज वाउचर न. एवं दिनांक	फर्म/बैंडर का नाम	कार्य/सामग्री का विवरण	धनराशि (रु० में)
1.	चतुर्थ रा० वित्त	37574693	चतुर्थ राज्य वित्त /2020-21/पी/1, 30-06-2020	देव इंटरप्राइजेज	मैटीरियल	51950
2.	चतुर्थ रा० वित्त	37574693	चतुर्थ राज्य वित्त /2020-21/पी/1 12-07-2020	खान ब्रिक फील्ड	ब्रिक ब्लास्ट	1615
3.	14वां वित्त आयोग	42277821	चौदहवाँ वित्त /2020-21/पी/1 28-09-2020	देव इंटरप्राइजेज	मैटीरियल	116296
4.	पन्द्रहवां केन्द्रीय वित्त	42277821	पंद्रहवाँ वित्त /2020-21/पी/1 28-09-2020	खान ब्रिक फील्ड	ब्रिक	92080
5.	पंचम राज्य वित्त	36993995	पंचम वित्त /2020-21/पी/4 06-12-2020	आदित्य पेंट एंड हार्डवेयर	वाल पेंटिंग	7540
6.	पंचम राज्य वित्त		पंचम वित्त /2020-21/पी/4 06-12-2020	हर्ष डिजिटल ऐड	डाटा फीडिंग	2500
					योग	271981

उक्त के संबंध में आपत्तियाँ निम्न प्रकार हैं -

1- उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से संबंधित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकती।

उपरोक्त उल्लिखित तालिका में अंकित बेंडरो/फर्मों द्वारा निर्माण सामग्री से संबंधित का कार्य करते हैं अथवा नहीं इसकी भी जानकारी प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी। इनके जी०एस०टी/पैन पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।

अतः उक्त आपतियों के अधीन एवं व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं वित्त लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 8 (क) के अंतर्गत गबन माना गया है जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की गयी है अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के संबंध में उ० प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अंतर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में इसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री द्रोण पाल सिंह एवं पंचायत सचिव श्री राजेश श्रीवास्तव(तत्कालीन) तथा प्रभारी ग्राम पंचायत सचिव श्री अनिल वर्मा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-41: ग्राम पंचायत- मोहनपुर ममरेजपुर, विकास खण्ड- काँट,जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21 की मनरेगा योजनान्तर्गत मनरेगा पोर्टल पर दर्शित व्यय की ऑडिट ऑनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल व्यय रु० 17.61 लाख का व्यय किया गया है, जिसमें से रु० 12.78 लाख मैटीरियल क्रय पर तथा रु० 4.83 लाख मजदूरी पर व्यय किया गया दर्शित है। उक्त योजना में 72.57 प्रतिशत का व्यय सामग्री पर तथा 27.42 प्रतिशत मजदूरी पर व्यय किया गया है, जोकि शासनादेश द्वारा निर्धारित मजदूरी तथा सामग्री पर व्यय अनुपात 60 : 40 के विपरीत है इसके अतिरिक्त उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक/व्यय पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी जबकि इस संबंध में प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश सं०-201/दस-2011-101(43)/09 टी सी लखनऊ 04 फरवरी-2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा क्षेत्र 05-08-2011 में केशबुक, आय व्यय विवरण बनाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। इससे प्रतीत होता है कि इस योजना से संबंधित कोई अभिलेख तैयार किए बिना ही योजना का कार्यान्वयन किया गया है तथा विकास खण्ड स्तर से कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी एवं ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सेवक तथा तकनीकी सहायक द्वारा केवल धनराशियों के भुगतान का उपक्रम किया गया है। यह भी संभव है कि विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा इस दिशा में कोई रुचि न लेने के कारण बिना अभिलेख तैयार करवाये ही न केवल प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी की जाती रही वरन् भुगतान भी किया जाता रहा। इस योजना से संबंधित समस्त अभिलेखों का लेखापरीक्षा में भौतिक रूप में प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित कराने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। अन्यथा की स्थिति में इसकी वसूली कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी डी० पी० सिंह, ग्राम प्रधान श्री द्रोणपाल सिंह, तकनीकी सहायक श्री आदर्श जायसवाल ग्राम पंचायत सचिव श्री राजेश श्रीवास्तव(तत्कालीन) तथा प्रभारी ग्राम पंचायत सचिव श्री अनिल वर्मा से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-42: ग्राम पंचायत- मोहनपुर ममरेजपुर, विकास खण्ड- काँट,जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21 की ऑनलाईन लेखा परीक्षा में पाया गया कि ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अंकित केश बुक एवं व्यय वाउचरों में निम्न विवरणानुसार हैंड पम्प मरम्मत/रिबोर पर व्यय दर्शित किया गया है:-

क्र.स	योजना का नाम	वर्क आई डी न	ई-ग्राम स्वराज वाउचर न. एवं दिनांक	फर्म/बेंडर का नाम	कार्य का विवरण	धनराशि
1.	चतुर्थ राज्य वित्त	27815762	चतुर्थ राज्य वित्त /2020-21/पी/6, 02-08-2020	शिव शंकर ट्रेडर्स	हैंडपम्प रिपेयरिंग	12075

2.	पंचम राज्य वित्त	36995562	पंचम वित्त /2020-21/पी/2, 27-11-2020	शिव शंकर ट्रेडर्स	हैंडपम्प रिपेयरिंग	18680
					योग	30755

उक्त के संबंध में आपतियाँ निम्न प्रकार हैं -

1. हैंड पम्प मरम्मत/रिबोर व्यय से संबंधित व्यय पत्रावलियाँ/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
2. उक्त बेंडर/फर्म हैंड पम्प मरम्मत का कार्य करते हैं अथवा नहीं इसकी भी जानकारी प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी। इनके जी एस टी/पैनपंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।
3. एक ही तिथि में तथा समान धनराशि का भुगतान किया गया है जो की मरम्मत/रिबोर पर एक ही प्रकार के कल-पुर्जों की खराबी होने पर ही समान धनराशि का भुगतान किया जा सकता है जो संभव नहीं है इस प्रकार भुगतान में गंभीर अनियमितता की गयी है।

अतः उक्त आपतियों के अधीन एवं व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं वित्त लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 8 (क) के अंतर्गत गबन माना गया है जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की गयी है अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के संबंध में उ० प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अंतर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में इसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री द्रोण पाल सिंह एवं ग्राम सचिव श्री राजेश श्रीवास्तव (तत्कालीन) तथा प्रभारी ग्राम पंचायत सचिव श्री अनिल वर्मा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-43: ग्राम पंचायत- मोहनपुर ममरेजपुर, विकास खण्ड-काँट, जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21
ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में पाया गया की ई ग्राम स्वराज पर अंकित कैशबुक एवं व्यय वाउचरों में निम्न विवरणानुसार निविदा प्रकाशन पर व्यय दर्शित किया गया है -

क्र.स	फर्म/बेंडर का नाम	कार्य	दिनांक	धनराशि (रु०)
1.	अमर उजाला लिमिटेड	निविदा प्रकाशन	02-08-2020	3280
2.	शोभित मिश्रा	निविदा प्रकाशन	06-08-2020	2000
3.	ललित तिवारी	निविदा प्रकाशन	15-08-2020	5787
4.	शोभित मिश्रा	निविदा प्रकाशन	30-08-2020	2000
5.	अमर उजाला लिमिटेड	निविदा प्रकाशन	27-11-2020	3280
6.	सिया राम एडवर्टाइजर	निविदा प्रकाशन	07-12-2020	1680
7.	सिया राम एडवर्टाइजर	निविदा प्रकाशन	27-03-2021	1680
8.	सिया राम एडवर्टाइजर	निविदा प्रकाशन	27-03-2021	3280
			योग	22987

उक्त के संबंध में आपतियाँ निम्न प्रकार हैं -

- 1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से संबंधित निविदा पत्रावलियाँ/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 2-टेंडर/कुटेशन के विज्ञापन के प्रकाशन का भुगतान सीधे प्रेस को किया जाता है न कि किसी फर्म/व्यक्ति को।

3-उपरोक्त उल्लिखित तालिका में अंकित बैंडरो/फर्मों द्वारा निविदा प्रकाशन से संबंधित कार्य किया जाता है अथवा नहीं इसकी भी जानकारी प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी। इनके जी एस टी/पैनपंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की भी जानकारी नहीं हो सकी।

अतः उक्त आपतियों के अधीन एवं व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं वित्त लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 8(क) के अंतर्गत गबन माना गया है जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की गयी है अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के संबंध में 30 प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अंतर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में इसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री द्रोण पाल सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री राजेश श्रीवास्तव (तत्कालीन) तथा प्रभारी ग्राम पंचायत सचिव श्री अनिल वर्मा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-44: ग्राम पंचायत- उमरहा, विकास खण्ड- काँट,जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21 की मनरेगा योजनान्तर्गत मनरेगा पोर्टल पर दर्शित व्यय की ऑडिट ऑनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल व्यय ₹8.89 लाख का व्यय किया गया है, जिसमें से ₹0 0.83 लाख मैटीरियल क्रय पर तथा ₹0 08.06 लाख मजदूरी पर व्यय किया गया दर्शित है। उक्त योजना में 9.33 प्रतिशत का व्यय सामग्री पर तथा 90.66 प्रतिशत मजदूरी पर व्यय किया गया है, जोकि शासनादेश द्वारा निर्धारित मजदूरी तथा सामग्री पर व्यय अनुपात 60 :40 के विपरीत है इसके अतिरिक्त उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक/व्यय पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी, जबकि इस संबंध में प्रमुख सचिव 30प्र० शासन के शासनादेश/201 0दस 09/(43)101-2011-टी.सी .लखनऊ दिनांक 2011-02-04 एवं आयुक्त ग्राम विकास 30प्र 0के पत्रांक/806 सम्प्रेक्षा क्षेत्र 0ऑडिट दिनांक

2011-08-05में कैशबुक ,आय व्यय विवरण बनाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। इससे प्रतीत होता है कि इस योजना से संबंधित कोई अभिलेख तैयार किए बिना ही योजना का कार्यान्वयन किया गया है। तथा विकास खण्डस्तर से कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी एवं ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत सचिव रोजगार सेवक तथा तकनीकी सहायक द्वारा केवल धनराशियों के भुगतान का उपक्रम किया गया है। यह भी संभव है कि विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा भी इस दिशा में कोई रुचि न लेने के कारण बिना अभिलेख तैयार करवाये ही न केवल प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी की जाती रही, वरन् भुगतान भी किया जाता रहा। इस योजना से संबंधित समस्त अभिलेखों का लेखापरीक्षा में भौतिक रूप में प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित कराने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है तथा मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में इसकी वसूली कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी श्री डी०पी० सिंह ग्राम प्रधान- श्रीमती मोना बेगम ग्राम पंचायत सचिव- सुश्री रुही धूरिया, तकनीकी सहायक श्री विवेक श्रीवास्तव से किए जाने तथा रोजगार सेवक श्री महेश बाबू का दायित्व निर्धारित करते हुए उक्त अनियमितता हेतु उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-45: ग्राम पंचायत- रसेम, विकास खण्ड-काँट, जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21 के मनरेगा योजनान्तर्गत मनरेगा पोर्टल पर दर्शित व्यय की ऑडिट ऑनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल व्यय 3.7 लाख का व्यय किया गया है, समस्त व्यय मजदूरी पर किया गया, है जोकि शासनादेश द्वारा निर्धारित मजदूरी तथा सामग्री पर व्यय अनुपात 60 :40 के विपरीत है इसके अतिरिक्त उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक/व्यय पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी, जबकि इस संबंध में प्रमुख सचिव 30प्र 0 शासन के शासनादेश सं/201 0दस-2011-

09/(43)101टी.सी .लखनऊ दिनांक 2011-02-04 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र ० के पत्रांक /806 सम्प्रेक्षा क्षेत्र ० ऑडिट दिनांक 2011-08-05 में कैशबुक ,आय व्यय विवरण बनाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। इससे प्रतीत होता है कि इस योजना से संबंधित कोई अभिलेख तैयार किए बिना ही योजना का कार्यान्वयन किया गया है। तथा विकास खण्ड स्तर से कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी एवं ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सेवक तथा तकनीकी सहायक द्वारा केवल धनराशियों के भुगतान का उपक्रम किया गया है। यह भी संभव है कि विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा भी इस दिशा में कोई रुचि न लेने के कारण बिना अभिलेख तैयार करवाये ही न केवल प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी की जाती रही , वरन् भुगतान भी किया जाता रहा। इस योजना से संबंधित समस्त अभिलेखों का लेखापरीक्षा में भौतिक रूप में प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित कराने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है तथा मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों ,अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में इसकी वसूली कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी श्री डी० पी० सिंह, ग्राम प्रधान श्रीमती कुसुम मिश्रा, तकनीकी सहायक श्री सतेन्द्र गुप्ता, ग्राम पंचायत सचिव श्री एनुद्दीन अली से किए जाने तथा रोजगार सेवक श्री कृष्ण मोहन का दायित्व निर्धारित करते हुए उक्त अनियमितता हेतु उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर-46: ग्राम पंचायत-पटियारी, विकास खण्ड-काँट, जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21 के मनरेगा योजनान्तर्गत मनरेगा पोर्टल पर दर्शित व्यय की ऑडिट ऑनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल व्यय रु० 16.04 लाख का व्यय किया गया है , जिसमें से रु० 3.61 लाख मैटीरियल क्रय पर तथा रु० 12.43 लाख मजदूरी पर व्यय किया गया दर्शित है। उक्त योजना में 22.51 प्रतिशत का व्यय सामग्री पर तथा 77.49 प्रतिशत मजदूरी पर व्यय किया गया है , जोकि शासनादेश द्वारा निर्धारित मजदूरी तथा सामग्री पर व्यय अनुपात 60 :40 के विपरीत है इसके अतिरिक्त उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक/व्यय पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी , जबकि इस संबंध में प्रमुख सचिव उ० प्रशासन के शासनादेश सं/201 ० दस 09/(43)101-2011-टी.सी .लखनऊ दिनांक 2011-02-04 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ० प्र० के पत्रांक/806 सम्प्रेक्षा क्षेत्र ० ऑडिट दिनांक

2011-08-05 में कैशबुक ,आय व्यय विवरण बनाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। इससे प्रतीत होता है कि इस योजना से संबंधित कोई अभिलेख तैयार किए बिना ही योजना का कार्यान्वयन किया गया है। तथा विकास खण्ड स्तर से कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी एवं ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत सचिव रोजगार सेवक तथा तकनीकी सहायक द्वारा केवल धनराशियों के भुगतान का उपक्रम किया गया है। यह भी संभव है कि विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा भी इस दिशा में कोई रुचि न लेने के कारण बिना अभिलेख तैयार करवाये ही न केवल प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी की जाती रही , वरन् भुगतान भी किया जाता रहा। इस योजना से संबंधित समस्त अभिलेखों का लेखापरीक्षा में भौतिक रूप में प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित कराने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है तथा मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों ,अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में इसकी वसूली कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी श्री डी० पी० सिंह, ग्राम प्रधान श्रीमती रमा देवी, ग्राम पंचायत सचिव श्री राजेश श्रीवास्तव तथा तकनीकी सहायक- श्री राकेश सिंह से अपेक्षित है ।

प्रस्तर-47: ग्राम पंचायत- बमरौली,विकास खण्ड- मदनापुर,जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21 की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया की ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अंकित कैश बुक एवं व्यय वाउचरों में निम्न विवरणानुसार प्रशासनिक एवं अन्य मदों पर व्यय दर्शित किया गया है-

क्र.स .	योजना का नाम	वर्क आई डी	ई ग्राम स्वराज वाउचर न.एवं दिनांक	फर्म/वेंडर का नाम	कार्य का विवरण	धनराशि
1.	चतुर्थ राज्य वित्त	7585784	चतुर्थ राज्य वित्त /2020-21/पी/1,05-05-2020	अखिल इंटरप्राइजेज़	वाउचर	15000
2.	चतुर्थ राज्य वित्त	7585784	चतुर्थ राज्य वित्त /2020-21/पी/2,05-05-2020	सचिन ट्रेडर्स	गौशाला में आकस्मिक कार्य	22960
3.	चतुर्थ राज्य वित्त	7585784	चतुर्थ राज्य वित्त /2020-21/पी/4,05-05-2020	सचिन ट्रेडर्स	सैनिटाइजर खरीद व छिड़काव	12450
4.	चतुर्थ राज्य वित्त	7585784	चतुर्थ राज्य वित्त /2020-21/पी/5,05-05-2020	सचिन ट्रेडर्स	वाउचर	3500
5.	चौदहवां केंद्रीय वित्त	24747765	चौदहवाँ वित्त /2020-21/पी/1 24-06-2020	देशराज	राजमिस्त्री/मजदूरी	3822
				हरिवंश	राजमिस्त्री/मजदूरी	3822
				देवेंद्र	राजमिस्त्री/मजदूरी	3822
				शम्सुद्दीन	राजमिस्त्री/मजदूरी	4004
				अवधेश	राजमिस्त्री/मजदूरी	9450
				रक्षपाल	राजमिस्त्री/मजदूरी	4004
				धर्म बिल्डिंग मैटीरियल	ब्रिक/सीमेंट	29584
				पिन्टू सिंह	राजमिस्त्री/मजदूरी	4004
				भूरे सिंह	राजमिस्त्री/मजदूरी	3822
				धर्म बिल्डिंग मैटीरियल	ब्रिक/सीमेंट	49807

				रामरहीस	राजमिस्त्री/मजदूरी	4004
6.	चतुर्थ राज्य वित्त	43351139	चतुर्थ राज्य वित्त /2020-21/पी/6 30-06-2020	बालाजी ईट उद्योग	ब्रिक	2983
				अवधेश	राजमिस्त्री/मजदूरी	10080
				भूरे सिंह	राजमिस्त्री/मजदूरी	6006
				रक्षपाल	राजमिस्त्री/मजदूरी	6370
				धर्म बिल्डिंग मैटीरियल	सीमेंट, रेता, मौरंग, बजरीआदि	56502
				बालाजी ईट उद्योग	ब्रिक	34440
				देवेंद्र	राजमिस्त्री/मजदूरी	6006
				हरिवंश	राजमिस्त्री/मजदूरी	6006
				भूरे सिंह	राजमिस्त्री/मजदूरी	6006
7.	चतुर्थ राज्य वित्त	44036223	चतुर्थ राज्य वित्त /2020-21/पी/7 30-07-2020	देवेंद्र	राजमिस्त्री/मजदूरी	2010
				बालाजी ईट उद्योग	मैटीरियल	43174
				रक्षपाल	राजमिस्त्री/मजदूरी	1407
				अवधेश	राजमिस्त्री/मजदूरी	4800
				देशराज	राजमिस्त्री/मजदूरी	2010
8.	चौदहवां केंद्रीय वित्त	44036200	चौदहवां वित्त /2020-21/पी/2 30-07-2020	बालाजी ईट उद्योग	मैटीरियल	49748
				देवेंद्र	राजमिस्त्री/मजदूरी	2010
				रक्षपाल	राजमिस्त्री/मजदूरी	2211
				अवधेश	राजमिस्त्री/मजदूरी	6240
				देशराज	राजमिस्त्री/मजदूरी	2010
9.	चौदहवां केंद्रीय वित्त	44069303	चौदहवां वित्त /2020-21/पी/4 31-07-2020	हरिवंश	राजमिस्त्री/मजदूरी	3015
				देव ट्रेडर्स	मैटीरियल/टाइल्स	78731

				देवेंद्र	राजमिस्त्री/मजदूरी	3015
				संजय	राजमिस्त्री/मजदूरी	7200
				रामरहीस	राजमिस्त्री/मजदूरी	6030
				बालाजी ईट उद्योग	ब्रिक	21331
				अवधेश	राजमिस्त्री/मजदूरी	3015
				देशराज	राजमिस्त्री/मजदूरी	7680
10.	चतुर्थ राज्य वित्त	3733529	चतुर्थ राज्य वित्त /2020-21/पी/10,09-08-20	अनुराग कम्प्यूटर	स्टेशनरी क्रय	26500
11.	चतुर्थ राज्य वित्त	7585779	चतुर्थ राज्य वित्त /2020-21/पी/8,09-08-2020	अनुराग कम्प्यूटर	कम्प्यूटर एवं फोटो कॉपी कार्य	34200
12.	चतुर्थ राज्य वित्त	43705855	चतुर्थ राज्य वित्त /2020-21/पी/15 11-09-2020	सक्षम कंस्ट्रक्शन	पेंटिंग कार्य	91890
				हरिवंश	पेंटिंग कार्य	10800
				संजय	पेंटिंग कार्य	10800
				देशराज	पेंटिंग कार्य	10800
13.	चतुर्थ राज्य वित्त	43706051	चतुर्थ राज्य वित्त सी/2020-21/पी/16,09-10-20	अनुराग कम्प्यूटर	कम्प्यूटर एवं फोटो कॉपी कार्य	17500
14.	पन्द्रहवां केन्द्रीय वित्त	43704868	पन्द्रहवां वित्त /2020-21/पी/1 09-10-2020	देशराज	राजमिस्त्री	6300
				संजय	राजमिस्त्री	6300
				धर्म बिल्डिंग मैटीरियल	मैटीरियल	52400
				बालाजी ईट उद्योग	ब्रिक	35000
15.	पन्द्रहवां केन्द्रीय वित्त	43704868	चौदहवाँ वित्त /2020-21/पी/2 27-10-2020	चमन इंटर प्राइजेज़	मैटीरियल	25000
				धर्म बिल्डिंग मैटीरियल	मैटीरियल	80000
16.	चतुर्थ राज्य वित्त	43705939	चतुर्थ राज्य वित्त /2020-21/पी/17,07-11-20	अनुराग कम्प्यूटर	कम्प्यूटर एवं फोटो कॉपी कार्य	6000
17.		43704868		संजय	राजमिस्त्री	7200

	पन्द्रहवां केन्द्रीय वित्त		पन्द्रहवां वित्त /2020- 21/पी/3,07-11- 20	देशराज	राजमिस्त्री	7200
18.	पंचम राज्य वित्त	45578278	पंचम वित्त /2020- 21/पी/3,24-12- 2020	अनुराग कम्प्यूटर	कम्प्यूटर,फोटो कॉपी,स्टेशनरी क्रय,इंटरनेट कार्य	32000
19.	पंचम राज्य वित्त	45578394	पंचम वित्त /2020- 21/पी/4,24-12- 2020	चमन इंटर प्राइजेज	मैटीरियल क्रय	22000
20.	पन्द्रहवां केन्द्रीय वित्त	45578092	पन्द्रहवां वित्त /2020- 21/पी/4,24-12- 2020	देशराज	राजमिस्त्री/मजदू री	4800
				चमन इंटर प्राइजेज	मैटीरियल	41320
				संजय	राजमिस्त्री/मजदू री	5427
21.	पन्द्रहवां केन्द्रीय वित्त	45578134	पन्द्रहवां वित्त /2020- 21/पी/5,24-12- 2020	देशराज	राजमिस्त्री/मजदू री	4320
				चमन इंटर प्राइजेज	मैटीरियल	51413
				संजय	राजमिस्त्री/मजदू री	4422
22.	पन्द्रहवां केन्द्रीय वित्त	45578163	पन्द्रहवां वित्त /2020- 21/पी/6,24-12- 2020	देशराज	मजदूरी	4173
				खान बिल्डिंग मैटीरियल	मैटीरियल	23537
					योग	1175393

उक्त के संबंध में आपत्तियाँ निम्न प्रकार हैं -

1. उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से संबन्धित व्यय पत्रावलियाँ/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी ।
2. उपरोक्त उल्लिखित तालिका में अंकित बेंडरो/फर्मों द्वारा निर्माण सामग्री से संबन्धित कार्य करते हैं अथवा नहीं इसकी जानकारी प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी । इनके जी एस टी/पैन पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की भी जानकारी नहीं की जा सकी ।
3. उपरोक्त उल्लिखित तालिका में अनुराग कम्प्यूटर को अलग-अलग वर्क आईडी बना कर एक ही प्रकार के कार्य (कम्प्यूटर,फोटो कॉपी एवं स्टेशनरी क्रय) के लिए कुल रु० 116200 का भुगतान किया गया है जो की स्पष्ट रूप से धनराशि के अपहरण के उद्देश्य से एक ही प्रकार के कार्य की अलग-अलग वर्क आईडी बनाई गयी है
4. उपरोक्त उल्लिखित तालिका में क्र०स०-19 पर अंकित वर्क आईडी 45578394 से दिनांक 24-12-2020 को चमन इंटर प्राइजेज को रु० 22000 का भुगतान सामग्री क्रय हेतु किया गया है किन्तु उक्त

वर्क आईडी पर मजदूरी का भुगतान न किया जाना क्रय सामग्री अथवा व्यय धनराशि का अपहरण किया जाना एवं ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाया जाना प्रमाणित होता है।

अतः उक्त आपतियों के अधीन एवं व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं वित्त लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 8 (क) के अंतर्गत गबन माना गया है जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की गयी है अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के संबंध में 30 प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अंतर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में इसकी वसूली ग्राम प्रधान सुश्री राम देवी एवं ग्राम सचिव श्री राजेश कुमार से अपेक्षित है।

प्रस्तर-48: ग्राम पंचायत-बमरौली, विकास खण्ड- मदनापुर, जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21 की ग्राम पंचायत की वर्ष आलोच्य की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया की ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अंकित कैश बुक एवं व्यय वाउचरों में निम्न विवरणानुसार हैंड पम्प मरम्मत/रिबोर पर व्यय दर्शित किया गया है :-

क्र. स.	योजना का नाम	वर्क आई डी न.	ई-ग्राम स्वराज वाउचर न. एवं दिनांक	फर्म/बैंडर का नाम	कार्य का विवरण	धनराशि (रु०)
1.	चतुर्थ राज्य वित्त	15750085	चतुर्थ राज्य वित्त /2020-21/पी/3 28-07-2020	सचिन ट्रेडर्स	हैंड पम्प मरम्मत/रिबोर	16650
2.	चौदहवां राज्य वित्त	44069348	चौदहवां वित्त /2020-21/पी/3 31-07-2020	खान बिल्डिंग मैटीरियल	हैंड पम्प मरम्मत/रिबोर	33447
3.	चतुर्थ राज्य वित्त	3733522	चतुर्थ राज्य वित्त /2020-21/पी/11 09-08-2020	सचिन ट्रेडर्स	हैंड पम्प मरम्मत/रिबोर	9580
4.	चतुर्थ राज्य वित्त	7585784	चतुर्थ राज्य वित्त /2020-21/पी/12 09-08-2020	सचिन ट्रेडर्स	हैंड पम्प मरम्मत/रिबोर	10815
5.	चतुर्थ राज्य वित्त	3733529	चतुर्थ राज्य वित्त /2020-21/पी/9 09-08-2020	सचिन ट्रेडर्स	हैंड पम्प मरम्मत/रिबोर	24500
6.	पंचम राज्य वित्त	45578287	पंचम वित्त /2020-21/पी/2 24-12-2020	श्री बालाजी मशीनरी स्टोर	हैंड पम्प मरम्मत/रिबोर	28930
7.	पंचम राज्य वित्त	45578287	पंचम वित्त /2020-21/पी/5 24-12-2020	चमन इंटर प्राइजेज	हैंड पम्प मरम्मत/रिबोर	21000
					योग	144922

उक्त के संबंध में आपतियाँ निम्न प्रकार हैं -

1. हैंड पम्प मरम्मत/रिबोर व्यय से संबंधित व्यय पत्रावलियाँ/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2. उक्त बेंडर/फर्म हैंड पम्प मरम्मत का कार्य करते हैं अथवा नहीं इसकी जानकारी प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी। इनके जी एस टी /पैनपंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी भी न हो सकी ।
3. एक ही तिथि में तथा समान धनराशि का भुगतान किया गया है जो की मरम्मत/रिबोर पर एक ही प्रकार के कल-पुर्जों की खराबी होने पर हीसमान धनराशि का भुगतान किया जा सकता है जो संभव नहीं है इस प्रकार भुगतान में गंभीर अनियमितता की गयी है।
4. एक साथ कई स्थानों के लिए एक आईडी से अथवा बिना आईडी के मरम्मत कार्य करा कर नियम शासनादेश सं०- 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015,दिनांक 19 जून 2017 के प्रस्तर 5 के विपरीत कार्य किया गया है विरुद्ध कार्य किया गया है।

अतः उक्त आपत्तियों के अधीन एवं व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं वित्त लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 8 (क) के अंतर्गत गबन माना गया है जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की गयी है अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के संबंध में उ० प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अंतर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में इसकी वसूली ग्राम प्रधान हबीब उल्ला एवं ग्राम सचिव श्री राजेश कुमार से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर-49: ग्राम पंचायत-बमरौली, विकास खण्ड- मदनापुर,जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21 की मनरेगा योजनान्तर्गत मनरेगा पोर्टल पर दर्शित व्यय की ऑडिट ऑनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल व्यय 28.53 लाख का व्यय किया गया है ,जिसमें से ₹0 13.68 लाख मैटीरियल क्रय पर तथा ₹0 14.86 लाख मजदूरी पर व्यय किया गया दर्शित है। उक्त योजना में 48 प्रतिशत का व्यय सामग्री पर तथा 52 प्रतिशत मजदूरी पर व्यय किया गया है ,जोकि शासनादेश द्वारा निर्धारित मजदूरी तथा सामग्री पर व्यय अनुपात 60 :40 के विपरीत है इसके अतिरिक्त उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक/व्यय पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयीजबकि इस संबंध में प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश सं/201 0दस 09/(43)101-2011-टी.सी .लखनऊ दिनांक 2011-02-04एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक/806सम्प्रेक्षा क्षे०प० 0ऑडिट दिनांक-05

2011-08में कैशबुक ,आय व्यय विवरण बनाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।इससे प्रतीत होता है कि इस योजना से संबंधित कोई अभिलेख तैयार किए बिना ही योजना का कार्यान्वयन किया गया है। तथा विकास खण्डस्तरसे कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी एवं ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत सचिव रोजगार सेवक तथा तकनीकी सहायक द्वारा केवल धनराशियों के भुगतान का उपक्रम किया गया है। यह भी संभव है कि विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा भी इस दिशा में कोई रुचि न लेने के कारण बिना अभिलेख तैयार करवाये ही न केवल प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी कीजाती रही ,वरन् भुगतान भी किया जाता रहा। इस योजना से संबंधित समस्त अभिलेखों का लेखापरीक्षा में भौतिक रूप में प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित कराने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है, तथा मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों ,अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में इसकी वसूली कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारीश्री विजय प्रताप यादव, ग्राम प्रधानश्री हबीबउल्ला, तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री राजेश कुमार से किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर-50: ग्राम पंचायत-बिहारीपुर कोटा,विकास खण्ड- मदनापुर,जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21 की मनरेगा योजनान्तर्गत मनरेगा पोर्टल पर दर्शित व्यय की ऑडिट ऑनलाईन जाँच में पाया गया कि

वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल व्यय 6.52 लाख का व्यय किया गया है, जिसमें से ₹0 2.49 लाख मैटीरियल क्रय पर तथा ₹04.03 लाख मजदूरी पर व्यय किया गया दर्शित है। उक्त योजना में 38 प्रतिशत का व्यय सामग्री पर तथा 62 प्रतिशत मजदूरी पर व्यय किया गया है, जोकि शासनादेश द्वारा निर्धारित मजदूरी तथा सामग्री पर व्यय अनुपात 60 :40 के विपरीत है इसके अतिरिक्त उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक/व्यय पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी, जबकि इस संबंध में प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश सं/201० दस 09/(43)101-2011-टी.सी. लखनऊ दिनांक 2011-02-04 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक/806 सम्प्रेक्षा क्षे०प० ऑडिट दिनांक 2011-08-05 में कैशबुक, आय व्यय विवरण बनाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। इससे प्रतीत होता है कि इस योजना से संबंधित कोई अभिलेख तैयार किए बिना ही योजना का कार्यान्वयन किया गया है। तथा विकास खण्ड स्तर से कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी एवं ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत सचिव रोजगार सेवक तथा तकनीकी सहायक द्वारा केवल धनराशियों के भुगतान का उपक्रम किया गया है। यह भी संभव है कि विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा भी इस दिशा में कोई रुचि न लेने के कारण बिना अभिलेख तैयार करवाये ही न केवल प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी की जाती रही, वरन् भुगतान भी किया जाता रहा। इस योजना से संबंधित समस्त अभिलेखों का लेखा परीक्षा में भौतिक रूप में प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित कराने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है तथा मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में इसकी वसूली कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी श्री विजय प्रताप यादव, ग्राम प्रधान सुश्री रामबेटी, तकनीकी सहायक श्री संजीव कुमार, ग्राम पंचायत सचिव-श्री राहुल कुमार से किए जाने तथा रोजगार सेवक श्री सरताज अहमद खाँ का दायित्व निर्धारित करते हुए उक्त अनियमितता हेतु उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-51: ग्राम पंचायत-बिहारीपुर कोटा, विकास खण्ड- मदनापुर, जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21 की वर्ष आलोच्य की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया की ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अंकित कैश बुक एवं व्यय वाउचरों में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित किया गया है :-

क्र.स.	योजना का नाम	वर्क आई डी न.	ई-ग्राम स्वराज वाउचर न. एवं दिनांक	फर्म/बैंडर का नाम	कार्य/सामग्री का विवरण	धनराशि
1.	चतुर्थ राज्य वित्त	20581653	चतुर्थ राज्य वित्त /2020-21/पी/1 17-08-2020	चमन इंटर प्राइजेज	शौचालय निर्माण	58891
				चमन ब्रिक फील्ड	शौचालय निर्माण	18669
				झब्बू	शौचालय निर्माण	12128
				धीरेंद्र कुमार	शौचालय निर्माण	12127
2.	14वां वित्त आयोग	15724345	चौदहवाँ वित्त /2020-21/पी/1 14-10-2020	राजधानी पाइप	वाउचर	100
3.	पन्द्रहवां केन्द्रीय वित्त	43599282	पन्द्रहवाँ वित्त /2020-21/पी/1 29-10-2020	मनोज पाल	सामुदायिक शौचालय निर्माण	14485
				धीरेंद्र कुमार	सामुदायिक शौचालय निर्माण	14485
				आज़ाद ब्रिक फील्ड	सामुदायिक शौचालय निर्माण	29990

				मौर्या टिम्बर हाउस	सामुदायिक शौचालय निर्माण	39980
4.	पंचम राज्य वित्त	43601274	पंचम वित्त /2020-21/पी/3, 08-12-20	अखिल इंटर प्राइजेज	निविदा विज्ञापन	19500
5.	पंचम राज्य वित्त	43601274	पंचम वित्त /2020-21/पी/4, 08-12-20	गौरव फोटो स्टेट	प्रशासनिक व्यय	15152
6.	पन्द्रहवांकेन्द्रीय वित्त	43599282	पन्द्रहवां वित्त /2020-21/पी/2 08-12-2020	चौहान इंटरप्राइजेज	वाउचर	50763
				धीरेंद्र कुमार	वाउचर	18535
				चौहान ब्रिक फील्ड	वाउचर	23956
7.	पन्द्रहवांकेन्द्रीय वित्त	43599968	पन्द्रहवां वित्त /2020-21/पी/3 19-12-2020	चौहान ब्रिक फील्ड	वॉटर फिटिंग एंड हैंडवांश	5039
				वर्मा मशीनरी स्टोर	वॉटर फिटिंग एंड हैंडवांश	26729
				धीरेंद्र कुमार	वॉटर फिटिंग एंड हैंडवांश	8135
				चमन इंटर प्राइजेज	वॉटर फिटिंग एंड हैंडवांश	11388
					योग	380052

1.उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से संबन्धित व्यय पत्रावलि/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2.उपरोक्त उल्लिखित तालिका में अंकित बैंडरो/फर्मों द्वारा निर्माण सामग्री से संबन्धित कार्य करते हैं अथवा नहीं इसकी भी जानकारी प्रमाणको के अभाव में नहीं की जा सकी। इनके जी.एस.टी./पैनपंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।

अतः उक्त आपतियों के अधीन एवं व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं वित्त लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 8 (क) के अंतर्गत गबन माना गया है जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की गयी है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के संबंध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अंतर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में इसकी वसूली ग्राम प्रधान-सुश्री रामबेटी एवं ग्राम सचिव श्री राहुल कुमार से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपति सं0-03)

प्रस्तर-52: ग्राम पंचायत-बिहारीपुर कोटा,विकास खण्ड- मदनपुर,जनपद-शाहजहाँपुरमें वर्ष 2020-21ग्राम पंचायत की वर्ष आलोच्य की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया की ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अंकित कैश बुक एवं व्यय

वाउचरों में निम्न विवरणानुसार ह्यूम पाइप क्रय पर व्यय दर्शित किया गया है :-

क्र.स	योजना का नाम	वर्क आई डी न.	ई-ग्राम स्वराज वाउचर न.एवं दिनांक	फर्म/बैंडर का नाम	कार्य का विवरण	धनराशि

1.	पंचम राज्य वित्त	43599011	पंचम वित्त /2020-21/पी/5,24-12-2020	चमन इंटरप्राइजेज	हयूम पाइप क्रय	69500
					योग	69500

उक्त के संबंध में आपत्तियाँ निम्न प्रकार हैं -

1-उक्त विवरण में दर्शित व्यय से संबंधित व्यय पत्रावलि/ व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकती ।

2-उक्त बैंडर/फर्म हैंड पम्प मरम्मत/हयूम पाइप बिक्री आदि का कार्य एक साथ करते हैं अथवा नहीं प्रमाणकों के अभाव में इसकी भी पुष्टि नहीं की जा सकती । इनके जी एस टी/पैनपंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकती ।

अतः उक्त आपत्तियों के अधीन एवं व्यय पत्रावली / व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं वित्त लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 8 (क) के अंतर्गत गबन माना गया है जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम प्रधान एवं ग्रामपंचायत सचिव से की गयी है अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के संबंध में 30 प्र 0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अंतर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में इसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री नीरज एवं ग्राम सचिव श्री शकील हुसैन से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर-53: ग्राम पंचायत- चंदौरा बहादुरपुर,विकास खण्ड- मदनापुर,जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21 के मनरेगा योजनान्तर्गत मनरेगा पोर्टल पर दर्शित व्यय की ऑडिट ऑनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल व्यय 28.56 लाख का व्यय किया गया है ,जिसमें से ₹0 13.15 लाख मैटीरियल क्रय पर तथा ₹0 15.41 लाख मजदूरी पर व्यय किया गया दर्शित है। उक्त योजना में 46 प्रतिशत का व्यय सामग्री पर तथा 54 प्रतिशत मजदूरी पर व्यय किया गया है किन्तु उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक/व्यय पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी ,जबकि इस संबंध में प्रमुख सचिव 30प्र 0शासन के शासनादेश सं/201 0दस 09/(43)101-2011-टी.सी .लखनऊ दिनांक 2011-02-04एवं आयुक्त ग्राम विकास 30प्र 0के पत्रांक/806 सम्प्रेक्षा क्षेत्र 0ऑडिट दिनांक 2011-08-05में कैशबुक ,आय व्यय विवरण बनाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।इससे प्रतीत होता है कि इस योजना से संबंधित कोई अभिलेख तैयार किए बिना ही योजना का कार्यान्वयन किया गया है। तथा विकास खण्डस्तर से कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी एवंग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सचिव,रोजगार सेवक तथा तकनीकीसहायक द्वारा केवल धनराशियों के भुगतान का उपक्रम किया गया है। यह भी संभव है किविकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा भी इस दिशा में कोई रुचि न लेने केकारण बिना अभिलेख तैयार करवाये ही न केवल प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी कीजाती रही ,वरन् भुगतान भी किया जाता रहा। इस योजना से संबंधित समस्त अभिलेखों का लेखापरीक्षा में भौतिक रूप में प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित कराने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है तथा मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओंहेतु जारी सुसंगत नियमों ,अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है।अन्यथा की स्थिति में इसकीवसूली कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारीश्री विजय प्रताप यादव,ग्राम प्रधानश्रीमती विद्यावाती, तकनीकी सहायक श्री शिव रतन, रोजगार सेवक श्री महिपाल तथा ग्राम पंचायत सचिव- श्री सुनील त्रिवेदी से किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर-54: ग्राम पंचायत- डरी बिचौला,विकास खण्ड- मदनापुर,जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया की ई ग्राम स्वराज पर अंकित कैशबुक एवं व्यय वाउचरों में निम्न विवरणानुसार मजदूरी/श्रमिकों पर व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०	योजना का नाम	वर्क आईडी	ई ग्राम स्वराज वाउचर संख्या व दिनांक	मजदूर/राजमि स्त्री का नाम	मस्टररोल नंबर	कार्य का विवरण	धनराशि
1.	पन्द्रहवां वित्त केंद्रीय वित्त	42555184	पंद्रहवाँ वित्त /2020-21/पी/2 दि०18-11-2020	संदीप वर्मा शीलू	उपलब्ध नहीं	राजमिस्त्री/मजदूरी	9600
				अनूप कुमार सुकला शीलू	उपलब्ध नहीं	राजमिस्त्री/मजदूरी	9120
				शशांक त्रिवेदी शीलू	उपलब्ध नहीं	राजमिस्त्री/मजदूरी	9120
2.	पन्द्रहवां वित्त केंद्रीय वित्त	42550103	पन्द्रहवाँ वित्त /2020-21/पी/4 दि० 23-03-21	अनुराग वर्मा	उपलब्ध नहीं	राजमिस्त्री/मजदूरी	6750
				राजा राम	उपलब्ध नहीं	राजमिस्त्री/मजदूरी	6750
				बुध पाल	उपलब्ध नहीं	राजमिस्त्री/मजदूरी	6750
						योग	48090

उपरोक्त उल्लिखित विवरण के संबंध में आपतियाँ निम्न प्रकार हैं -

1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से संबंधित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

2-लेखा परीक्षा में मजदूरी से संबंधित मस्टररोल उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे उपरोक्त व्यय अपुष्ट रहा ।

अतः उक्त आपतियों के अधीन एवं व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं वित्त लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 8 (क) के अंतर्गत गबन माना गया है जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की गयी है अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के संबंध में उ०प्र०पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अंतर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में इसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री अरविंद कुमार आर्या एवं ग्राम सचिव श्री शिव सिंह से किया जाना अपेक्षित है

प्रस्तर-55: ग्राम पंचायत- डरी बिचौला,विकास खण्ड- मदनापुर,जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21 मनरेगा योजनान्तर्गत मनरेगा पोर्टल पर दर्शित व्यय की ऑडिट ऑनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल व्यय रु० 42.76 लाख का व्यय किया गया है ,जिसमें से रु० 22.39 लाख मैटीरियल क्रय पर तथा रु० 20.37 लाख मजदूरी पर व्यय किया गया दर्शित है। उक्त योजना में 53 प्रतिशत का व्यय सामग्री पर तथा 47 प्रतिशत मजदूरी पर व्यय किया गया है ,जोकि शासनादेश द्वारा निर्धारित मजदूरी तथा सामग्री पर व्यय अनुपात 60 :40 के विपरीत है इसके अतिरिक्त उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक/व्यय पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी ,जबकि इस संबंध में प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश सं/2010 दस 09/(43)101-2011-टी.सी .लखनऊ दिनांक 2011-02-04 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक/806 सम्प्रेक्षा क्षे०प 0 ऑडिट दिनांक 2011-08-05 में कैशबुक ,आय व्यय विवरण बनाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।इससे प्रतीत होता है कि इस योजना से संबंधित कोई अभिलेख तैयार किए बिना ही योजना का कार्यान्वयन किया गया है। तथा विकास खण्डस्तर से कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी एवं ग्राम पंचायत स्तर

पर ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सेवक तथा तकनीकीसहायक द्वारा केवल धनराशियों के भुगतान का उपक्रम किया गया है। यह भी संभव है कि विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा भी इस दिशा में कोई रुचि न लेने के कारण बिना अभिलेख तैयार करवाये ही न केवल प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी की जाती रही, वरन् भुगतान भी किया जाता रहा। इस योजना से संबंधित समस्त अभिलेखों का लेखापरीक्षा में भौतिक रूप में प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित कराने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। अन्यथा की स्थिति में इसकीवसूली कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी श्री विजय प्रताप यादव, ग्राम प्रधान श्री अरविंद कुमार आर्या, ग्राम पंचायत सचिव श्री शिव सिंह तथा तकनीकी सहायक श्री सुशील वर्मा से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-56: ग्राम पंचायत- डरी बिचौला, विकास खण्ड- मदनपुर, जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21 की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया की ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अंकित कैश बुक एवं व्यय वाउचरों में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०.	योजना का नाम	वर्क आईडी	ई ग्राम स्वराज वाउचर संख्या व दिनांक	फर्म/बेन्डर का नाम	कार्य का विवरण	धनराशि
1.	चतुर्थ राज्य वित्त	18468188	चतुर्थ वित्त /2020-21/पी/1, दिनांक 06-05-2020	सचिन ट्रेडर्स	वाउचर	7500
2.	चतुर्थ राज्य वित्त	42557198	चतुर्थ वित्त /2020-21/पी/7 दिनांक 30-08-2020	एचपी सिंह एंड एशोसिएट	जीएसटी राजि० एंड टैंडर	4130
				अखिल इंटरप्राइजेज़	जीएसटी राजि० एंड टैंडर	4000
3.	पन्द्रहवां केंद्रीय वित्त	42555184	पंद्रहवाँ वित्त /2020-21/पी/1 दिनांक 05-11-2020	जय माँ काली इंटर प्राइजेज़	सामुदायिक टॉइलेट	188582
4.	चौदहवां केंद्रीय वित्त	18468212	चौदहवाँ वित्त /2020-21/पी/1 दिनांक 09-11-2020	सचिन ट्रेडर्स	अन्य कार्य	300
5.	पंचम राज्य वित्त	42548739	पंचम वित्त /2020-21/पी/1, दिनांक 11-11-2020	चमन इंटरप्राइजेज़	इंटरलाकिंग	48564
6.	पंचम राज्य वित्त	42548926	पंचम वित्त /2020-21/पी/2, दि० 11-11-20	महाबली बालाजी ब्रिक	इंटरलाकिंग नाली निर्माण	92160
7.	पंचम राज्य वित्त	42557579	पन्द्रहवां वित्त /2020-21/पी/3 दिनांक 29-11-2020	सचिन ट्रेडर्स	सफाई उपकरण	27600
8.	पन्द्रहवां केंद्रीय वित्त	42555184	पन्द्रहवां वित्त /2020-21/पी/3 दिनांक 23-12-2020	जय माँ काली इंटर प्राइजेज़	कम्युनिटी टॉइलेट	124186
				संदीप कुमार शीलु	कम्युनिटी टॉइलेट	7680
9.	पन्द्रहवां केंद्रीय वित्त	42550103	पन्द्रहवां वित्त /2020-21/पी/4 दिनांक 23-03-2021	चमन इंटरप्राइजेज़	पीबी पेमेंट	114034
				आजाद ब्रिक फील्ड	पीबी पेमेंट	76228

					योग	694964

उक्त के संबंध में आपत्तियाँ निम्न प्रकार हैं -

उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से संबंधित व्यय पत्रावलि/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकती।

1-उपरोक्त उल्लिखित तालिका में अंकित बेंडर/फर्मों द्वारा निर्माण सामग्री से संबंधित का कार्य करते हैं अथवा नहीं इसकी भी जानकारी प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकती। इनके जी एस टी/पैन पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकती।

2-उपरोक्त तालिका में क्रम सं० 5 व 6 पर अंकित वर्क आईडी क्रमशः रु० 42548739 व रु० 42548926 के द्वारा चमन इंटर प्राइजेज तथा महाबली ब्रिक फील्ड को क्रमशः रु० 48564 व रु० 92160 का भुगतान किया गया है किन्तु उक्त कार्यों पर मजदूरी का भुगतान न किया जाना क्रय सामग्री अथवा व्यय धनराशि का अपहरण किया जाना है एवं ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाया जाना प्रमाणित होता है।

3-क्रम सं० 1 व 2 पर अंकित वर्क आईडी 18468188 के द्वारा सचिन ट्रेडर्स को रु० 7500 का भुगतान किया गया है जिसमें कार्य का उल्लेख नहीं है, पंचायत कर का रु० 1400 तथा इसी वर्क आईडी से रु० 32400 का व्यय ह्यूमपाइप क्रय करने हेतु व्यय दर्शित किया गया है इस प्रकार अलग-अलग प्रकृति के कार्यों के लिए एक ही वर्क आईडी जनरेट किया जाना स्पष्ट रूप से धनराशि का अपहरण किया जाना है एवं ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाया जाना प्रमाणित होता है।

4-क्रम सं० 7 पर अंकित वर्क आईडी रु० 43557579 पर सफाई उपकरण क्रय हेतु रु० 27600 का भुगतान सचिन ट्रेडर्स को किया गया है किन्तु सफाई उपकरण किन सफाई कर्मियों को प्रदान की गयी इसकी स्थिति अज्ञात रही क्रय सामग्री की आमद स्टॉक पंजीका के अभाव में अपुष्ट रही।

अतः उक्त आपत्तियों के अधीन एवं व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं वित्त लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 8 (क) के अंतर्गत गबन माना गया है जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की गयी है अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के संबंध में उ० प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अंतर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में इसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री अरविंद कुमार आर्या एवं ग्राम सचिव श्री शिव सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-57: ग्राम पंचायत- डरी बिचौला, विकास खण्ड- मदनपुर, जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21 की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया की ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अंकित कैश बुक एवं व्यय वाउचरों में निम्न विवरणानुसार ह्यूमपाइप/हैंडपम्प मरम्मत/रिबोर पर व्यय दर्शित किया गया है।

क्र०	योजना का नाम	वर्क आईडी	ई ग्राम स्वराज वाउचर संख्या व दिनांक	फर्म/बेन्डर का नाम	कार्य का विवरण	धनराशि
1.	चतुर्थ राज्य वित्त	29078356	चतुर्थ राज्य वित्त /2020-21/पी/3 दिनांक 11-07-2020	सचिन ट्रेडर्स	हैंडपम्प मरम्मत/रिबोर	47865
				यादव बिल्डिंग मैटीरियल	हैंडपम्प मरम्मत/रिबोर	25535
2.	चतुर्थ राज्य वित्त	18468188	चतुर्थ राज्य वित्त /2020-21/पी/9, दिनांक 09-11-2020	नारायण ट्रेडर्स	ह्यूमपाइप	32400
					योग	105800

उक्त के संबंध में आपत्तियाँ निम्न प्रकार हैं -

1-हयूमपाइप बिक्री/हैंडपम्प मरम्मत/रिबोर व्यय से संबंधित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

2-उक्त बैंडर/फर्म हैंड पम्प मरम्मत/हयूम पाइप बिक्री आदि का कार्य एक साथ करते हैं अथवा नहीं, प्रमाणकों के अभाव में इसकी भी पुष्टि नहीं की जा सकी । इनके जीएसटी/ पैनपंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।

3-एक साथ कई स्थानों के लिए एक आईडी से अथवा बिना आईडी के मरम्मत/रिबोर कार्य करा कर शासनादेश स0- 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015, दिनांक 19 जून 2017 के प्रस्तर 5 के विपरीत कार्य किया गया है।

अतः उक्त आपतियों के अधीन एवं व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं वित्त लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 8 (क) के अंतर्गत गबन माना गया है जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की गयी है अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के संबंध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अंतर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में इसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री अरविंद कुमार आर्या एवं ग्राम सचिव श्री शिव सिंह से बराबर हिस्सों में से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-58:ग्राम पंचायत- डरी बिचौला,विकास खण्ड- मदनापुर,जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21 की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि ई ग्राम स्वराज पर अंकित कैश बुक तथा पेमेंट वाउचर विवरण में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है :-

क्र०	फर्म/बैंडर का नाम	दिनांक	कार्य का विवरण	धनराशि (रु०)
1.	सचिन ट्रेडर्स	06-08-2020	अंकित नहीं	21600
2.	विद्या मेडिकोज	06-08-2020	अंकित नहीं	2837
3.	नारायण ट्रेडर्स	09-11-2020	अंकित नहीं	29500
4.	राजेश सिंह काले	11-11-2020	फोटोकॉपी	1000
			योग	54937

उक्त के संबंध में आपतियाँ निम्न प्रकार हैं -

1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से संबंधित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

2-उपरोक्त उल्लिखित तालिका में अंकित बैंडरो/फर्मों द्वारा संबंधित कार्य किया जाता अथवा नहीं इसकी जानकारी प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी । इनके जीएसटी/ पैनपंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी ।

3.उपरोक्त तालिका में स्पष्ट नहीं है कि फर्मों/बैंडरों के द्वारा कौन सा कार्य किया गया है जिससे स्पष्ट होता है क्रय सामग्री अथवा व्यय धनराशि का अपहरण किया जाना एवं ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाया जाना प्रमाणित होता है।

अतः उक्त आपतियों के अधीन एवं व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं वित्त लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 8 (क) के अंतर्गत गबन माना गया है जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की गयी है अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के संबंध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अंतर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में इसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री अरविंद कुमार आर्या एवं ग्राम सचिव श्री शिव सिंह से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-59:

ग्राम पंचायत- दौलतपुर,विकास खण्ड- मदनापुर,जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया की ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अंकित कैश बुक एवं व्यय वाउचरों में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित किया गया है:-

क्र०	योजना का नाम	वर्क आईडी	ई ग्राम स्वराज वाउचर संख्या व दिनांक	फर्म/बेन्डर का नाम	कार्य का विवरण	धनराशि (रु)
1.	चतुर्थ राज्य वित्त	29092449	चतुर्थ राज्य वित्त /2020-21/पी/1 दिनांक 17-06-2020	सचिन ट्रेडर्स	उल्लेख नहीं	106048
2.	चौदहवां केंद्रीय वित्त	29090489	चतुर्थ राज्य वित्त सी/2020-21/पी/1 दिनांक 17-06-2020	सचिन ट्रेडर्स	उल्लेख नहीं	9200
3.	चतुर्थ राज्य वित्त	33726005	चतुर्थ राज्य वित्त सी/2020-21/पी/5 दिनांक 31-07-2020	सचिन ट्रेडर्स	दवाई छिड़काव कोविड-19	36700
4.	चतुर्थ राज्य वित्त	20167400	चतुर्थ राज्य वित्त सी/2020-21/पी/7 दिनांक 10-08-2020	प्रजेश काले फोटो कॉपी	फोटो कॉपी	2000
5.	चतुर्थ राज्य वित्त	43593595	चतुर्थ राज्य वित्त सी/2020-21/पी/10,दि017-09-20	राम बिल्डर	स्कूल में काया कल्प	54889
6.	चौदहवां केंद्रीय वित्त	43593013	चौदहवाँ वित्त /2020-21/पी/3 दिनांक 19-09-2020	आजाद ब्रिक फील्ड	नाली निर्माण	27258
				चमन इंटरप्राइजेज़	नाली निर्माण	113943
7.	पन्द्रहवां केंद्रीय वित्त	43593235	पंद्रहवाँ वित्त /2020-21/पी/1 दिनांक 13-10-2020	चमन इंटरप्राइजेज़	कम्यूनिटी टॉइलेट	166400
8.	पन्द्रहवां केंद्रीय वित्त	43593235	पंद्रहवाँ वित्त /2020-21/पी/2 दिनांक 04-11-2020	आजाद ब्रिक फील्ड	कम्यूनिटी टॉइलेट	62000
				सचिन ट्रेडर्स	कम्यूनिटी टॉइलेट	10000
9.	पन्द्रहवां केंद्रीय वित्त	43593235	पंद्रहवाँ वित्त /2020-21/पी/3 दिनांक 01-12-2020	सचिन ट्रेडर्स	कम्यूनिटी टॉइलेट	58737
10.	पंचम राज्य वित्त	43593569	पंचम राज्य वित्त सी/2020-21/पी/4 दिनांक 02-12-2020	राम बिल्डर	स्कूल टंकी फिटिंग	52600
11.	पन्द्रहवां केंद्रीय वित्त	43593235	पन्द्रहवाँ वित्त /2020-21/पी/4 दिनांक 22-12-2020	चमन इंटरप्राइजेज़	कम्यूनिटी टॉइलेट	88959
				आजाद ब्रिक फील्ड	कम्यूनिटी टॉइलेट	25192
				जय माँ काली इंटरप्राइजेज़	कम्यूनिटी टॉइलेट	34400
					योग -	848326

उक्त के संबंध में आपत्तियाँ निम्न प्रकार हैं -

1-उक्त विवरण मे दर्शित व्ययों से संबन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

2-उपरोक्त उल्लिखित तालिका मे अंकित बैंडरो/फर्मों द्वारा निर्माण सामग्री से संबन्धित का कार्य करते है अथवा नहीं इसकी भी जानकारी प्रमाणकों के अभाव मे नहीं की जा सकी । इनके जीएसटी/ पैन पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी ।

अतः उक्त आपतियों के अधीन एवं व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं वित्त लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 8 (क) के अलर्गत गबन माना गया है जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की गयी है अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के संबंध में उOप्रO पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अंतर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में इसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री राम कृष्ण एवं ग्राम सचिव श्री शिव सिंह से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।
मूल आपति सं०-03)

प्रस्तर-60:

ग्राम पंचायत- दौलतपुर,विकास खण्ड- मदनापुर,जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21 की ऑनलाइन लेखा परीक्षा मे

पाया गया की ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अंकित कैश बुक एवं व्यय वाउचरों मे निम्न विवरणानुसार हैंडपम्प मरम्मत

/रिबोर पर व्यय दर्शित किया गया है :-

क्र०.	योजना का नाम	वर्क आईडी	ई ग्राम स्वराज वाउचर संख्या व दिनांक	फर्म/बेन्डर का नाम	कार्य का विवरण	धनराशि (
1.	चतुर्थ राज्य वित्त	33701350	चतुर्थ राज्य वित्त सी/2020-21/पी/3 दि० 16-07-2020	सचिन ट्रेडर्स	हैंडपम्प मरम्मत/रिबोर	47760
2.	चौदहवां केंद्रीय वित्त	18466988	चौदहवां वित्त /2020-21/पी/2 दि० 10-08-2020	राम बिल्डर	हैंडपम्प मरम्मत/रिबोर	33447
3.	पंचम राज्य वित्त	43593762	पंचम राज्य वित्त सी/2020-21/पी/1 दि० 04-11-2020	राम बिल्डर	हैंडपम्प मरम्मत/रिबोर	72800
4.	पंचम राज्य वित्त	43593881	पंचम वित्त /2020-21/पी/2 दिनांक 11-11-2020	सचिन ट्रेडर्स	ह्यूमपाइप	54300
5.	पंचम राज्य वित्त	43593881	पंचम वित्त /2020-21/पी/5 दिनांक 25-12-2020	सचिन ट्रेडर्स	पाइप	47600
					योग	255907

उक्त के संबंध मे आपतियाँ निम्न प्रकार है -

1. हैंडपम्प मरम्मत/रिबोर कार्य से संबन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी ।
2. उक्त बैंडर/फर्म हैंडपम्प मरम्मत/रिबोर आदि का कार्य एक साथ करते है अथवा नहीं प्रमाणकों के अभाव मे इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी । इनके जीएसटी/ पैनपंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी ।

अतः उक्त आपतियों के अधीन एवं व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं वित्त लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 8 (क) के अंतर्गत गबन माना गया है जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की गयी है अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के संबंध में 50 प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अंतर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में इसकी वसूली ग्राम प्रधान-श्री राम कृष्ण एवं ग्राम सचिव श्री शिव सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-61:ग्राम पंचायत- दौलतपुर,विकास खण्ड- मदनापुर,जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया की ई ग्राम स्वराज पर अंकित कैशबुक एवं व्यय वाउचरों में निम्न विवरणानुसार मजदूरी/श्रमिकों पर व्यय दर्शित किया गया है :-

क्र०	योजना का नाम	वर्क आईडी	ई ग्राम स्वराज वाउचर संख्या /दिनांक	मजदूर/राजमिस्त्री / अन्य व्यक्ति का नाम	मस्टररोल नंबर	कार्य का विवरण	धनराशि
1.	चतुर्थ राज्य वित्त	29092449	चतुर्थ राज्य वित्त /2020-21/पी/1 दिनांक: 17-06-2020	सत्य वीर	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2548
				राम सरोज	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2548
				राम खिलावन	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2548
				गुरेव	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	3011
				रामरतन	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2548
				मेम्बर	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2366
				सोनपाल	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2548
				ओम प्रकाश	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2548
				राम सुधार	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2548
				मूलचंद	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2548
				जुमक लाल	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	3360
				राम सुमिरन	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2548
				अरविंद	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	6720
2.	चौदहवां केंद्रीय वित्त	43593013	चौदहवाँ वित्त /2020-21/पी/3 दिनांक 19-09-2020	ओम प्रकाश	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2814
				राम सरोज	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2814
				सोनपाल	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2211
				अरविंद	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	6720
				मूलचंद	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2814
				रामरतन	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2814
				राम खिलावन	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	6720
3.	पन्द्रहवां केंद्रीय वित्त	43593235	पंद्रहवाँ वित्त /2020-21/पी/2,दिनांक 04-11-2020	राम खिलावन	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	8640
				अरविंद	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	8640
				जुमक लाल	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	8640
4.	पन्द्रहवां केंद्रीय वित्त	43593235	पंद्रहवाँ वित्त /2020-21/पी/4,दिनांक	राम खिलावन	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	9120
				अरविंद	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	9120

			क 22-12- 2020				
						योग	109456

उपरोक्त उल्लिखित विवरण के संबंध में आपत्तियाँ निम्न प्रकार हैं -

1. उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से संबंधित व्यय पत्रावलियाँ/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी ।
2. लेखा परीक्षा में मजदूरी से संबंधित मस्टररोल उपलब्ध नहीं कराया गया ।
3. ग्राम पंचायत के समस्त कार्यों में राम खिलावन तथा अरविंद को क्रमशः रु० 27028 व रु० 31200 का भुगतान किया गया है इसी प्रकार जुमकलाल को भी रु० 12000 का भुगतान किया गया है इन्हीं तीनों से पंचायत में अधिकतर कार्य कराये गए हैं जो की गंभीर अनयमितता को स्पष्ट करता है।

अतः उक्त आपत्तियों के अधीन एवं व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं वित्त लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 8 (क) के अंतर्गत गबन माना गया है जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की गयी है, अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के संबंध में उ० प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अंतर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में इसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री राम कृष्ण एवं ग्राम सचिव श्री शिव सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-62:ग्राम पंचायत- दौलतपुर,विकास खण्ड- मदनापुर,जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21 की मनरेगा योजनान्तर्गत मनरेगा पोर्टल पर दर्शित व्यय की ऑडिट ऑनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल व्यय रु० 18.56 लाख का व्यय किया गया है ,जिसमें से रु० 8.38 लाख मैटीरियल क्रय पर तथा रु० 10.18 लाख मजदूरी पर व्यय किया गया दर्शित है। उक्त योजना में 45 प्रतिशत का व्यय सामग्री पर तथा 55 प्रतिशत मजदूरी पर व्यय किया गया है ,जोकि शासनादेश द्वारा निर्धारित मजदूरी तथा सामग्री पर व्यय अनुपात 60 :40 के विपरीत है इसके अतिरिक्त उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक/व्यय पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी ,जबकि इस संबंध में प्रमुख सचिव उ० प्र० शासन के शासनादेश सं/201 0दस 09/(43)101-2011-टी.सी .लखनऊ दिनांक 2011-02-04 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ० प्र० के पत्रांक/806 सम्प्रेक्षा क्षेत्र 0 ऑडिट दिनांक 2011-08-05 में केशबुक् ,आय व्यय विवरण बनाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। इससे प्रतीत होता है कि इस योजना से संबंधित कोई अभिलेख तैयार किए बिना ही योजना का कार्यान्वयन किया गया है। तथा विकास खण्ड स्तर से कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी एवं ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सेवक तथा तकनीकी सहायक द्वारा केवल धनराशियों के भुगतान का उपक्रम किया गया है। यह भी संभव है कि विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिकारी /खण्ड विकास अधिकारी द्वारा भी इस दिशा में कोई रुचि न लेने के कारण बिना अभिलेख तैयार करवाये ही न केवल प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी की जाती रही ,वरन् भुगतान भी किया जाता रहा। इस योजना से संबंधित समस्त अभिलेखों का लेखा परीक्षा में भौतिक रूप में प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित कराने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है तथा मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों ,अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में इसकी वसूली कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी श्री विजय प्रताप यादव, ग्राम प्रधान श्री कृष्ण सिंह, ग्राम पंचायत सचिव श्री शिव सिंह तथा तकनीकी सहायक श्री सुशील वर्मा से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-63:ग्राम पंचायत- दौलतपुर,विकास खण्ड- मदनापुर,जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21 की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि ई ग्राम स्वराज पर अंकित कैश बुक तथा पेमेंट वाउचर विवरण में निम्न प्रशासनिक व्यय व अन्य व्यय निम्न विवरणानुसार दर्शित है ।

क्र0	फर्म/बैंडर का नाम	दिनांक	कार्य का विवरण	धनराशि
1.	जय माँ काली इंटरप्राइजेज़	30-08-2020	प्रशासनिक व्यय	16558
2.	अखिल इंटरप्राइजेज़	30-08-2020	प्रशासनिक व्यय	4000
3.	सचिन ट्रेडर्स	01-09-2020	स्टेशनरी व सैनिटेशन	22730
			योग	43288

उक्त के संबंध में आपत्तियाँ निम्न प्रकार हैं -

1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से संबंधित व्यय पत्रावलि/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

2-इनके जी एस टी/पैन पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी । उपरोक्त तालिका में स्पष्ट नहीं है कि फर्मों/बैंडरों के द्वारा कौन सा कार्य किया गया है तथा क्रय सामग्री अथवा व्यय धनराशि का अपहरण किया जाना एवं ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाया जाना प्रमाणित होता है ।

अतः उक्त आपत्तियों के अधीन एवं व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं वित्त लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 8 (क) के अंतर्गत गबन माना गया है जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की गयी है अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के संबंध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अंतर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में इसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री राम कृष्ण एवं ग्राम सचिव श्री शिव सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-64:ग्राम पंचायत-फिरोजपुर,विकास खण्ड- मदनापुर,जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अंकित कैश बुक एवं व्यय वाउचरों में निम्न विवरणानुसार हैंड पम्प मरम्मत/रिबोर पर व्यय दर्शित किया गया है :-

क्र0.	योजना का नाम	वर्क आई डी न.	ई-ग्राम स्वराज वाउचर न.एवं दिनांक	फर्म/बैंडर का नाम	कार्य का विवरण	धनराशि(रु)
1.	चतुर्थ राज्य वित्त	43155205	चतुर्थ वित्त/2020-21/पी/1,09-07-20	चमन इंटरप्राइजेज़	हैंडपम्प रिपेयरिंग/रिबोर	29500
2.	चतुर्थ राज्य वित्त	15749525	पंचम वित्त /2020-21/पी/11,14-10-20	चौहान ट्रेडिंग कंपनी	हैंडपम्प रिपेयरिंग/रिबोर	15000
3.	पन्द्रहवां केन्द्रीय वित्त	43153112	पन्द्रहवांवित्त/2020-21/पी/5,08-11-20	सचिन ट्रेडर्स	हैंडपम्प रिपेयरिंग/रिबोर	33437
					योग	77937

उक्त के संबंध में आपत्तियाँ निम्न प्रकार हैं -

- हैंड पम्प मरम्मत/रिबोर व्यय से संबंधित व्यय पत्रावलि/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी ।
- उक्त बैंडर/फर्म हैंड पम्प मरम्मत का कार्य करते हैं अथवा नहीं इसकी भी जानकारी प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी । इनके जी एस टी/पैनपंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी ।

3. एक ही तिथि में तथा समान धनराशि का भुगतान किया गया है जो की मरम्मत/रिबोर पर एक ही प्रकार के कल-पुर्जों की खराबी होने पर ही समान धनराशि का भुगतान किया जा सकता है जो संभव नहीं है इस प्रकार भुगतान में गंभीर अनियमितता की गयी है।

अतः उक्त आपत्तियों के अधीन एवं व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं वित्त लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 8 (क) के अंतर्गत गबन माना गया है जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की गयी है अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के संबंध में 30 प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अंतर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में इसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मंजू देवी एवं पंचायत सचिव श्री अनिल कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-65:ग्राम पंचायत-फिरोजपुर,विकास खण्ड- मदनापुर,जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21 की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया की ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अंकित कैश बुक एवं व्यय वाउचरों में निम्न विवरणानुसार डेवलपमेंट एंड मेंटेनेन्स वर्क पर व्यय दर्शित किया गया है :-

क्र.स.	योजना का नाम	वर्क आई डी न.	ई-ग्राम स्वराज वाउचर न.एवं दिनांक	फर्म/बैंडर का नाम	कार्य/सामग्री का विवरण	धनराशि(रु)
1.	चतुर्थ राज्य वित्त	43155439	चतुर्थ राज्य वित्त /2020-21/पी/2,09-07-2020	सचिन ट्रेडर्स	सैनीटाइजेशन	32300
2.	पंचम राज्य वित्त	43155284	पंचम वित्त /2020-21/पी/1,23-11-2020	पंकज ट्रेडिंग कंपनी	वाउचर	650
					योग	32950

आपत्तियाँ निम्न प्रकार हैं -

1. उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से संबन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी ।
2. उपरोक्त उल्लिखित तालिका में अंकित बैंडरो/फर्मों द्वारा आपूर्ति सामग्री से संबन्धित कार्य करते हैं अथवा नहीं इसकी जानकारी प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी । इनके जी एस टी/पैनपंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी ।

अतः उक्त आपत्तियों के अधीन एवं व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं वित्त लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 8 (क) के अंतर्गत गबन माना गया है जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की गयी है अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के संबंध में 30 प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अंतर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में इसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मंजू देवी एवं पंचायत सचिव श्री अनिल कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-66:ग्राम पंचायत-फिरोजपुर,विकास खण्ड- मदनापुर,जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया की ई ग्राम स्वराज पर अंकित कैशबुक एवं व्यय वाउचरों में निम्न विवरणानुसार मजदूरी/श्रमिकों पर व्यय दर्शित किया गया है -

क्र0	योजना का नाम	वर्क आई डी न.	ई-ग्राम स्वराज वाउचर न.एवं दिनांक	मजदूर/ राजमिस्त्री का नाम	मस्टर रोल नंबर	कार्य का विवरण	धनराशि
1.	चतुर्थ राज्य वित्त	43155613	चतुर्थ राज्य वित्त /2020-21/पी/4 13-07-2020	अजय कुमार	उपलब्ध नहीं	मजदूरी/राजमिस्त्री	2880
				अवधेश सिंह	उपलब्ध नहीं	मजदूरी/राजमिस्त्री	6231
				सुरेन्द्र सिंह	उपलब्ध नहीं	मजदूरी/राजमिस्त्री	6432
2.	चतुर्थ राज्य वित्त	43154183	चतुर्थ राज्य वित्त /2020-21/पी/5, 13-07-2020	अवधेश सिंह	उपलब्ध नहीं	मजदूरी/राजमिस्त्री	5829
				अजय कुमार	उपलब्ध नहीं	मजदूरी/राजमिस्त्री	2400
				सुरेन्द्र सिंह	उपलब्ध नहीं	मजदूरी/राजमिस्त्री	5628
3.	पन्द्रहवां केन्द्रीय वित्त	44860779	पंद्रहवाँ वित्त /2020-21/पी/7 26-11-2020	अजय कुमार	उपलब्ध नहीं	मजदूरी/राजमिस्त्री	6720
				सुरेन्द्र सिंह	उपलब्ध नहीं	मजदूरी/राजमिस्त्री	6432
				अवधेश सिंह	उपलब्ध नहीं	मजदूरी/राजमिस्त्री	6432
				नर सिंह	उपलब्ध नहीं	मजदूरी/राजमिस्त्री	6432
5.	पन्द्रहवां केन्द्रीय वित्त	43155713	पंद्रहवाँ वित्त /2020-21/पी/9,06-12-2020	अवधेश सिंह	उपलब्ध नहीं	मजदूरी/राजमिस्त्री	4320
6.	चतुर्थ राज्य वित्त	43152906	चतुर्थ राज्य वित्त /2020-21/पी/12,23-12-20	अजय कुमार	उपलब्ध नहीं	मजदूरी/राजमिस्त्री	6720
7.	पंचम राज्य वित्त	43155713	पंचम वित्त /2020-21/पी/5, 23-12-20	अजय कुमार	उपलब्ध नहीं	मजदूरी/राजमिस्त्री	6834
				सुरेन्द्र सिंह	उपलब्ध नहीं	मजदूरी/राजमिस्त्री	6834
				नर सिंह	उपलब्ध नहीं	मजदूरी/राजमिस्त्री	2010
8.	पंचम राज्य वित्त	43152906	पंचम वित्त /2020-21/पी/6, 23-12-20	सुरेन्द्र सिंह	उपलब्ध नहीं	मजदूरी/राजमिस्त्री	5828
9.	पन्द्रहवां केन्द्रीय वित्त	45535219	पंद्रहवाँ वित्त /2020-21/पी/10,24-12-20	सुरेन्द्र सिंह	उपलब्ध नहीं	मजदूरी/राजमिस्त्री	4824
				अशोक	उपलब्ध नहीं	मजदूरी/राजमिस्त्री	1440
10.	पंचम राज्य वित्त	45535447	पंचम वित्त /2020-21/पी/7, 25-12-20	नर सिंह	उपलब्ध नहीं	मजदूरी/राजमिस्त्री	16482
				अशोक	उपलब्ध नहीं	मजदूरी/राजमिस्त्री	17760
11.	आरजीएसए	45535447	आरजीएसए /2020-21/पी/1 25-12-2020	राजेश	उपलब्ध नहीं	मजदूरी/राजमिस्त्री	17760
				अवधेश सिंह	उपलब्ध नहीं	मजदूरी/राजमिस्त्री	16482
				नर सिंह	उपलब्ध नहीं	मजदूरी/राजमिस्त्री	16482
				सुरेन्द्र सिंह	उपलब्ध नहीं	मजदूरी/राजमिस्त्री	15678
				अशोक	उपलब्ध नहीं	मजदूरी/राजमिस्त्री	17760
				अजय कुमार	उपलब्ध नहीं	मजदूरी/राजमिस्त्री	16482
12.	आरजीएसए	45327245	आरजीएसए /2020-21/पी/2,11-02-2021	अशोक	उपलब्ध नहीं	मजदूरी/राजमिस्त्री	16800
				राजेश	उपलब्ध नहीं	मजदूरी/राजमिस्त्री	16800
13.	पन्द्रहवां केन्द्रीय वित्त	45327245	पंद्रहवाँ वित्त /2020-21/पी/11,14-02-21	अशोक	उपलब्ध नहीं	मजदूरी/राजमिस्त्री	12000
				अजय कुमार	उपलब्ध नहीं	मजदूरी/राजमिस्त्री	12000
					योग		286712

उपरोक्त उल्लिखित विवरण के संबंध में आपत्तियाँ निम्न प्रकार हैं -

1. उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से संबंधित व्यय पत्रावलियाँ/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी ।
2. लेखा परीक्षा में मजदूरी से संबंधित मस्टररोल उपलब्ध नहीं रहा, जिससे उपरोक्त व्यय अपुष्ट रहा ।
3. उपरोक्त तालिका में विवरण से स्पष्ट है कि मजदूरी/राजमिस्त्री पर व्यय रु० 286712 का व्यय किया गया है जो कि अजय कुमार, अवधेश सिंह, सुरेन्द्र सिंह, नर सिंह, अशोक तथा राजेश (कुल 6 श्रमिकों) से ही पंचायत में राजमिस्त्री/मजदूरी का कार्य कराया गया है इस प्रकार पंचायत को प्राप्त धनराशि का ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव द्वारा अपहरण/भुगतान कर व्यय दर्शित किया गया है।

अतः उक्त आपत्तियों के अधीन एवं व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं वित्त लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 8 (क) के अंतर्गत गबन माना गया है, जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की गयी है अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के संबंध में उ० प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अंतर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में इसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मंजू देवी एवं पंचायत सचिव श्री अनिल कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-67:ग्राम पंचायत-फिरोजपुर,विकास खण्ड- मदनापुर,जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21 की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया की ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अंकित कैश बुक एवं व्यय वाउचरों में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित किया गया है :-

क्र०	योजना का नाम	वर्क आई डी न.	ई-ग्राम स्वराज वाउचर न.एवं दिनांक	फर्म/बैंडर का नाम	कार्य/सामग्री का विवरण	धनराशि
1.	चतुर्थ राज्य वित्त	43155613	चतुर्थ राज्य वित्त /2020-21/पी/4 13-07-2020	ओम साई ईट उद्योग	कायाकल्प/मैटी रियल	8736
				चमन इंटरप्राइजेज	कायाकल्प/मैटी रियल	10763
2.	चतुर्थ राज्य वित्त	43154183	चतुर्थ राज्य वित्त /2020-21/पी/5 13-07-2020	ओम साई ईट उद्योग	खडंजा निर्माण	46217
3.	पन्द्रहवां केन्द्रीय वित्त	43153926	पंद्रहवाँ वित्त /2020-21/पी/1 19-09-2020	पंकज ट्रेडिंग कंपनी	टॉइलेट का निर्माण	50000
				ओम साई ईट उद्योग	टॉइलेट का निर्माण	50000
4.	पन्द्रहवां केन्द्रीय वित्त	43153926	पंद्रहवाँ वित्त /2020-21/पी/2 22-09-2020	पंकज ट्रेडिंग कंपनी	मैटीरियल	50000
				ओम साई ईट उद्योग	मैटीरियल	50000
5.	पन्द्रहवां केन्द्रीय वित्त	43153068	पंद्रहवाँ वित्त /2020-21/पी/3 26-09-2020	पंकज ट्रेडिंग कंपनी	ब्रिक मैटीरियल	10131
				ओम साई ईट उद्योग	ब्रिक मैटीरियल	50442
6.	पन्द्रहवां केन्द्रीय वित्त	43153068	पंद्रहवाँ वित्त /2020-21/पी/4 02-10-2020	नर सिंह	मैटीरियल	6834
				अशोक	मैटीरियल	6834
				सुरेन्द्र सिंह	मैटीरियल	5280

7.	पंचम राज्य वित्त	44860779	पंचम राज्य वित्त /2020-21/पी/2 26-11-2020	चमन इंटरप्राइजेज	इंटरलौकिंग टाइल्स	118349
8.	पंचम राज्य वित्त	43155713	पंचम वित्त /2020-21/पी/4 06-12-2020	चमन इंटरप्राइजेज	मैटीरियल	59000
9.	पन्द्रहवांकेन्द्रीय वित्त	43155713	पंद्रहवाँ वित्त /2020-21/पी/8 06-12-2020	चमन इंटरप्राइजेज	मैटीरियल	52224
10.	चतुर्थ राज्य वित्त	43152906	चतुर्थ राज्य वित्त /2020-21/पी/12, 23-12-2020	पंकज ट्रेडिंग कंपनी	मैटीरियल	14022
11.	पंचम राज्य वित्त	43152906	पंचम राज्य वित्त /2020-21/पी/6 23-12-2020	ओम साई ईट उद्योग	मैटीरियल	23130
12.	पन्द्रहवांकेन्द्रीय वित्त	45535219	पंद्रहवाँ वित्त /2020-21/पी/10 24-12-2020	चमन इंटरप्राइजेज	वाउचर	17804
				पंकज ट्रेडिंग कंपनी	वाउचर	6904
				ओम साई ईट उद्योग	वाउचर	5268
13.	पंचम राज्य वित्त	45535447	पंचम राज्य वित्त /2020-21/पी/7 25-12-2020	पंकज ट्रेडिंग कंपनी	वाउचर	262000
				ओम साई ईट उद्योग	वाउचर	25000
14.	पंचम राज्य वित्त	45535447	पंचम वित्त /2020-21/पी/8 25-12-2020	पंकज ट्रेडिंग कंपनी	वाउचर	23000
15.	आरजीएसए	45535447	आरजीएसए /2020-21/पी/1 25-12-2020	पंकज ट्रेडिंग कंपनी	मैटीरियल	210738
				ओम साई ईट उद्योग	मैटीरियल	183146
16.	आरजीएसए	45327245	आरजीएसए /2020-21/पी/3 11-02-2021	ओम साई ईट उद्योग	ब्रिक	194775
17.	आरजीएसए	45327245	आरजीएसए /2020-21/पी/4 11-02-2021	पंकज ट्रेडिंग कंपनी	बिल्डिंग मैटीरियल	303822
18.	पंद्रहवां केन्द्रीय वित्त	45327245	पंद्रहवाँ वित्त /2020-21/पी/11 14-02-2021	ओम साई ईट उद्योग	मैटीरियल	101081
				पंकज ट्रेडिंग कंपनी	मैटीरियल	84120
19.	पंचम राज्य वित्त	45535219	पंचम वित्त /2020-21/पी/10,22-02-2021	चमन इंटरप्राइजेज	इंटरलॉक	67456
20.	पंचम राज्य वित्त	43152906	पंचम वित्त /2020-21/पी/10,22-02-2021	चमन इंटरप्राइजेज	मैटीरियल	17804
				पंकज ट्रेडिंग कंपनी	मैटीरियल	6904
					योग	2121784

उक्त के संबंध में आपत्तियाँ निम्न प्रकार हैं -

1. उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से संबंधित व्यय पत्रावलि/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी ।
2. उपरोक्त उल्लिखित तालिका में अंकित बेंडरो/फर्मों द्वारा निर्माण सामग्री से संबंधित का कार्य करते हैं अथवा नहीं इसकी भी जानकारी प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी । इनके जी एस टी/पैन पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी ।
3. पंचायत में समस्त सामग्री की आपूर्ति चमन इंटरप्राइजेज, ओम साई ईट उद्योग तथा पंकज ट्रेडिंग कंपनी से ही प्राप्त की गयी है इस प्रकार स्पष्ट है कि नियमों कि अनदेखी करते हुए उक्त तालिका में अंकित धनराशि रु० 2121784 का ग्राम पंचायत को प्राप्त अनुदान से भुगतान/अपहरण कर व्यय दर्शित किया गया है जो कि 30 प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256(2)(क) के अंतर्गत अनियमित व्यय है ।

अतः उक्त आपत्तियों के अधीन एवं व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं वित्त लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 8 (क) के अंतर्गत गबन माना गया है जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की गयी है अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के संबंध में उ० प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अंतर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में इसकी वसूली ग्राम प्रधान – श्रीमती मंजू देवी एवं पंचायत सचिव श्री अनिल कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-68:ग्राम पंचायत-फिरोजपुर,विकास खण्ड- मदनापुर,जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21 की मनरेगा योजनान्तर्गत मनरेगा पोर्टल पर दर्शित व्यय की ऑडिट ऑनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल व्यय रु० 33.99 लाख का व्यय किया गया है ,जिसमें से रु० 19.07 लाख मैटीरियल क्रय पर तथा रु० 14.93 लाख मजदूरी पर व्यय किया गया दर्शित है। उक्त योजना में 56 प्रतिशत का व्यय सामग्री पर तथा 44 प्रतिशत मजदूरी पर व्यय किया गया है ,जोकि शासनादेश द्वारा निर्धारित मजदूरी तथा सामग्री पर व्यय अनुपात 60 :40 के विपरीत है इसके अतिरिक्त उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक/व्यय पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी ,जबकि इस संबंध में प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश सं/2011-02/09/(43)101-टी.सी .लखनऊ दिनांक 2011-02-04 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक/806 सम्प्रेक्षा क्षेत्र 0 ऑडिट दिनांक

2011-08-05 में कैशबुक ,आय व्यय विवरण बनाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।इससे प्रतीत होता है कि इस योजना से संबंधित कोई अभिलेख तैयार किए बिना ही योजना का कार्यान्वयन किया गया है। तथा विकास खण्ड स्तर से कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी एवं ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सेवक तथा तकनीकी सहायक द्वारा केवल धनराशियों के भुगतान का उपक्रम किया गया है। यह भी संभव है कि विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिकारी/ खण्ड विकास अधिकारी द्वारा भी इस दिशा में कोई रुचि न लेने के कारण बिना अभिलेख तैयार करवाये ही न केवल प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी की जाती रही ,वरन् भुगतान भी किया जाता रहा। इस योजना से संबंधित समस्त अभिलेखों का लेखापरीक्षा में भौतिक रूप में प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित कराने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । अन्यथा की स्थिति में इसकी वसूली कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी- श्री विजय प्रताप यादव,ग्राम प्रधान श्रीमती मंजू देवी,ग्राम पंचायत सचिव- श्री अनिल कुमार ,रोजगार सेवक श्री देवेंद्र कुमार तथा तकनीकी सहायक-श्री शिव रतन से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-69:ग्राम पंचायत-हैदलपुर,विकास खण्ड- मदनापुर,जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21 की मनरेगा योजनान्तर्गत मनरेगा पोर्टल पर दर्शित व्यय की ऑडिट ऑनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत

विभिन्न कार्यों पर कुल व्यय रु० 11.02 लाख का व्यय किया गया है ,जिसमें से रु० 1.1 लाख मैटीरियल क्रय पर तथा रु० 09.92 लाख मजदूरी पर व्यय किया गया दर्शित है। उक्त योजना में 10 प्रतिशत का व्यय सामग्री पर तथा 90 प्रतिशत मजदूरी पर व्यय किया गया है ,जोकि शासनादेश द्वारा निर्धारित मजदूरी तथा सामग्री पर व्यय अनुपात 60 :40 के विपरीत है इसके अतिरिक्त उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक/व्यय पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी ,जबकि इस संबंध में प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश सं/201० दस 09/(43)101-2011-टी.सी .लखनऊ दिनांक-04 2011-02 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक/806 सम्प्रेक्षा क्षे० प० ऑडिट दिनांक-08-05 2011 में कैशबुक ,आय व्यय विवरण बनाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। इससे प्रतीत होता है कि इस योजना से संबंधित कोई अभिलेख तैयार किए बिना ही योजना का कार्यान्वयन किया गया है। तथा विकास खण्ड स्तर से कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी एवं ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सेवक तथा तकनीकी सहायक द्वारा केवल धनराशियों के भुगतान का उपक्रम किया गया है। यह भी संभव है कि विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा भी इस दिशा में कोई रुचि न लेने के कारण बिना अभिलेख तैयार करवाये ही न केवल प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी की जाती रही ,वरन् भुगतान भी किया जाता रहा। इस योजना से संबंधित समस्त अभिलेखों का लेखापरीक्षा में भौतिक रूप में प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित कराने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है तथा मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों ,अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में इसकी वसूली कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी श्री विजय प्रताप यादव, ग्राम प्रधान श्री मती रोहिणी देवी, तकनीकी सहायक श्री संजीव कुमार, ग्राम पंचायत सचिव श्री ध्रुव पांडे तथा रोजगार सेवक- श्री अहिलकार सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-70: ग्राम पंचायत-हारचोरा उर्फ मोहनिया ,विकास खण्ड- मदनापुर, जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21 की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया की ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अंकित कैश बुक एवं व्यय वाउचरों में निम्न विवरणानुसार हैंडपम्प मरम्मत/रिबोर पर व्यय दर्शित किया गया है।

क्र०	योजना का नाम	वर्क आईडी	ई ग्राम स्वराज वाउचर संख्या व दिनांक	फर्म/बेन्डर का नाम	कार्य का विवरण	धनराशि
1.	चतुर्थ राज्य वित्त	33723790	चतुर्थ राज्य वित्त /2020-21/पी/1, दि० 26-07-2020	सचिन ट्रेडर्स	हैंडपम्प रिपेयर	46700
2.	चतुर्थ राज्य वित्त	20167222	चतुर्थ राज्य वित्त /2020-21/पी/2, दि० 26-07-2020	सचिन ट्रेडर्स	हैंडपम्प रिपेयर	48096
3.	चौदहवां केंद्रीय वित्त	18467329	चौदहवाँ वित्त /2020-21/पी/ 1 दिनांक 09-08-2020	राम बिल्डर	हैंडपम्प रिबोर	100341
4.	चतुर्थ राज्य वित्त	18467333	चतुर्थ राज्य वित्त //2020-21/पी/9, दि० 12-09-2020	राम बिल्डर	हैंडपम्प रिबोर	33437
5.	चतुर्थ राज्य वित्त	42368605	चतुर्थ राज्य वित्त /2020-21/पी/ 11, दि० 05-11-20	सचिन ट्रेडर्स	हैंडपम्प रिपेयर एंड सैनिटेशन	55800

6.	चतुर्थ राज्य वित्त	42367692	चतुर्थ राज्य वित्त /2020-21/पी/13, दि0 29-11-20	सचिन ट्रेडर्स	हैंडपम्प रिबोर	67600
					योग	351974

उक्त के संबंध में आपत्तियाँ निम्न प्रकार हैं -

1. हैंडपम्प मरम्मत/रिबोर कार्य से संबंधित व्यय पत्रावलियाँ/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकती।
2. उक्त बैंडर/फर्म हैंडपम्प मरम्मत/रिबोर आदि का कार्य एक साथ करते हैं अथवा नहीं प्रमाणकों के अभाव में इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। इनके जी एस टी/पैनपंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकती।
3. हैंडपम्प रिपेयर/रिबोर कार्य पर व्यय कि दर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रही जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकती व्यय की पुष्टि हेतु कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत करने हेतु संबंधित को निर्देशित करने के लिए सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

अतः उक्त आपत्तियों के अधीन एवं व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं वित्त लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 8 (क) के अंतर्गत गबन माना गया है जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की गयी है अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के संबंध में उ० प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अंतर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में इसकी वसूली ग्राम प्रधान सुश्री शांति देवी एवं ग्राम सचिव श्री शिव सिंह से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-71:ग्राम पंचायत-हारचोरा उर्फ मोहनिया ,विकास खण्ड- मदनापुर,जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया की ई ग्राम स्वराज पर अंकित कैशबुक एवं व्यय वाउचरों में निम्न विवरणानुसार मजदूरी/श्रमिकों पर व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०	योजना का नाम	वर्क आईडी	ई ग्राम स्वराज वाउचर संख्या व दिनांक	मजदूर/राजमिस्त्री/अन्य व्यक्ति का नाम	मस्टररोल नंबर	कार्य का विवरण	धनराशि(रु)
1.	आरजीएसए	42366772	आरजीएसए /2020-21/पी/ 1 दिनांक 30-07-2020	परवेन्द्र सिंह	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	5278
				सवेन्द्र	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	5278
				संजय सिंह	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	5278
				अखिलेश	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	12960
				बहोर्ण	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	5947
				इश्वरी लाल	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	12960
				सोन्नो	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	5278
				सुरेन्द्र	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	5278
				उरनेश सिंह	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	5278
				प्रमोद कुमार	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	5278
				राम बहादुर	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	13920
				राजीव	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	5278
				तसबर अली	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	5278
				शेरपाल	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	12960
				धर्मवीर	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	5278
2.		42366884		संजय सिंह	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	3819

	चौदहवां केंद्रीय वित्त		चौदहवाँ वित्त /2020- 21/पी/ 2 दिनांक 12-09- 2020	इश्वरी लाल	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	8550
				भोले	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	3819
				सोन्नो	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	1407
				शेरपाल	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	8550
				सवेन्द्र	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	3819
				अशोक कुमार गुप्ता	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	61483
				अखिलेश	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	3819
3.	आरजीएसए	42366772	आरजीएसए /2020- 21/पी/ 2 दिनांक 28- 09-2020	शेरपाल	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	22560
				इश्वरी लाल	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	22560
				भोले	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	9447
				प्रमोद कुमार	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	9447
				संजय सिंह	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	9447
				सुरेन्द्र	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	9447
				कुलवीर सिंह	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	10452
				अखिलेश	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	22560
				उरनेश सिंह	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	10452
				सोन्नो	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	9447
4.	पन्द्रहवां केंद्रीय वित्त	42368317	चौदहवाँ वित्त /2020- 21/पी/ 3 दिनांक 03-12- 2020	सोन्नो	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	9120
				शेरपाल	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	9120
				संजय सिंह	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	9120
5.	आरजीएसए	42366772	आरजीएसए /2020- 21/पी/ 4 दिनांक 16-03- 2021	शेरपाल	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	26400
				संजय सिंह	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	10653
				सोन्नो	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	10653
				उरनेश सिंह	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	10653
				अखिलेश	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	24000
				सुरेन्द्र	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	10653
				इश्वरी लाल	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	24000
				प्रमोद कुमार	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	10653
				भोले	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	10653
				कुलवीर सिंह	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	10653
						योग	518943

उपरोक्त उल्लिखित विवरण के संबंध में आपत्तियाँ निम्न प्रकार हैं :-

1. उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से संबन्धित व्यय पत्रावलियाँ/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी ।
2. लेखा परीक्षा में राजमिस्त्री/मजदूरी से संबन्धित मस्टररोल उपलब्ध नहीं कराए गए।सक्षम विभागीय अधिकारियों का लेखा परीक्षा में मस्टररोल उपलब्ध कराने के लिए संबन्धित को निर्देशित करने हेतु ध्यान आकृष्ट किया जाता है।
3. उपरोक्त तालिका में उल्लिखित वर्क आईडी 42368317 के द्वारा सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य में संजय सिंह पुत्र बहोरन, सोन्नू पुत्र धर्मपाल, शेरपाल पुत्र विश्राम के द्वारा श्रमिक के रूप में कार्य किया जाना दर्शित है तथा तीनों को ही एक समान धनराशि रु० 9120 का भुगतान किया गया किन्तु लेखा परीक्षा में इनके श्रम का स्वरूप/प्रकृति स्पष्ट नहीं रही जिससे व्यय की गयी धनराशि रु० 27360 की पुष्टि नहीं की जा सकी उक्त व्यय की पुष्टि हेतु सक्षम

विभागीय अधिकारियों को लेखा परीक्षा में मस्टररोल उपलब्ध कराने के लिए संबंधित को निर्देशित करने हेतु ध्यान आकृष्ट किया जाता है

4. उपरोक्त तालिका के अनुसार शेरपाल पुत्र विश्राम को रु० 79590, ईश्वरी लाल पुत्र सोहन पाल को रु० 68070, अखिलेश पुत्र विश्राम को रु० 63339, अशोक कुमार गुप्ता को रु० 61483, संजय सिंह पुत्र बहोरन को रु० 38317, सोन्नु पुत्र धर्मपाल को रु० 35905 का भुगतान किया गया है इस प्रकार मजदूरों/राजमिस्त्री/व्यक्तिगतको इतनी बड़ी धनराशि का किया गया भुगतान अस्वाभाविक है मजदूरों/राजमिस्त्री को किए गए भुगतान की पुष्टि में दैनिक मजदूरी की दरों व कार्य दिवसों का विवरण सहित कार्य पत्रावली/मस्टररोल लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराने के लिए संबंधित को निर्देशित करने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

अतः उक्त आपतियों के अधीन एवं व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं वित्त लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 8 (क) के अंतर्गत गबन माना गया है जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की गयी है अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के संबंध में उ० प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अंतर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में इसकी वसूली ग्राम प्रधान -सुश्री शांति देवी एवं ग्राम सचिव श्री शिव सिंह से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-72:ग्राम पंचायत-हारचोरा उर्फ मोहनिया ,विकास खण्ड- मदनापुर,जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21 की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया की ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अंकित कैश बुक एवं व्यय वाउचरों में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित किया गया है-

क्र०.	योजना का नाम	वर्क आईडी	ई ग्राम स्वराज वाउचर संख्या / दिनांक	फर्म/बेन्डर का नाम	कार्य का विवरण	धनराशि
1.	आरजीएसए	42366772	आरजीएसए /2020-21/पी/1,दि० 30-07-20	जय श्री बालाजी बिल्डिंग मैटीरियल	पंचायत भवन	217980
				माँ वैष्णो ईट उद्योग	पंचायत भवन	204630
2.	चतुर्थ राज्य वित्त	20167222	चतुर्थ राज्य वित्त /2020-21/पी/5,दि० 09-08-2020	प्रजेश सिंह काले	प्रशासनिक कार्य	2000
3.	चतुर्थ राज्य वित्त	18467354	चतुर्थ राज्य वित्त /2020-21/पी/6,दि० 30-08-2020	जय माँ काली इंटरप्राइजेज	वाल पेंटिंग	15984
4.	चतुर्थ राज्य वित्त	42368857	चतुर्थ राज्य वित्त /2020-21/पी/7,दि० 30-08-2020	अखिल इंटरप्राइजेज	एडमिस्ट्रेटिव एक्सपेन्स	8000

5.	चतुर्थ राज्य वित्त	20167222	चतुर्थ राज्य वित्त /2020-21/पी/8, दि० 12-09-2020	सचिन ट्रेडर्स	प्रशासनिक व्यय, कम्प्यूटर कार्य	24600
6.	चौदहवां केंद्रीय वित्त	42366884	चौदहवां वित्त /2020-21/पी/ 2 दिनांक 12-09-2020	माँ वैष्णो ईट उद्योग	प्राथमिक विद्यालय रिपेयर वर्क	24266
				सचिन ट्रेडर्स	प्राथमिक विद्यालय रिपेयर वर्क	92860
7.	चतुर्थ राज्य वित्त	42368163	चतुर्थ राज्य वित्त /2020-21/पी/10, दि० 20-09-2020	राम बिल्डर	प्राथमिक विद्यालय में टंकी फिटिंग	53786
8.	आरजीएसए	42366772	आरजीएसए /2020-21/ पी/ 2 दिनांक 28-09-2020	माँ वैष्णो ईट उद्योग	पंचायत घर निर्माण जीपी के अंतर्गत	222404
				जय श्री बालाजी बिल्डिंग मैटीरियल	पंचायत घर निर्माण जीपी के अंतर्गत	202519
9.	पन्द्रहवां केंद्रीय वित्त	42368317	पंद्रहवां वित्त /2020-21/पी/1, दि० 30-10-20	सचिन ट्रेडर्स	कम्यूनिटी टायलेट	166500
10.	चतुर्थ राज्य वित्त	9232312	चतुर्थ राज्य वित्त /2020-21/पी/ 14, दि० 29-11-20	सचिन ट्रेडर्स	सफाई उपकरण	23600
11.	पन्द्रहवां केंद्रीय वित्त	42368317	पंद्रहवां वित्त /2020-21/पी/2, दि० 02-12-20	सचिन ट्रेडर्स	सामुदायिक टायलेट	46115
12.	आरजीएसए	42366772	आरजीएसए /2020-21/पी/3, दि० 09-12-20	चमन इंटरप्राइजेज	पंचायत भवन निर्माण	206700
13.	पन्द्रहवां केंद्रीय वित्त	42368317	पंद्रहवां वित्त /2020-21/पी/4, दि० 23-12-20	माँ वैष्णो ईट उद्योग	टायलेट	90720
				सचिन ट्रेडर्स	टायलेट	131413
14.	आरजीएसए	42366772	आरजीएसए /2020-21/पी/4, दि० 23-12-2020	जय श्री बालाजी बिल्डिंग मैटीरियल	पीबी पेमेंट	171165
					योग	1905242

उक्त के संबंध में आपत्तियाँ निम्न प्रकार हैं -

1. उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से संबंधित व्यय पत्रावलियाँ/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकती।
2. उपरोक्त उल्लिखित तालिका में अंकित बैंडरो/फर्मों द्वारा निर्माण सामग्री से संबंधित कार्य करते हैं अथवा नहीं इसकी भी जानकारी प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकती। इनके जी एस टी/पैनपंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकती।
3. उपरोक्त तालिका में उल्लिखित वर्क आईडी 20167222 तथा 42368857 पर प्रशासनिक व्यय दर्शित हैं जो की नया विरुद्ध है क्योंकि एक मद की एक ही वर्क आईडी बनाई जाता है इस प्रकार प्रशासनिक मद में किए गए व्यय रु० 38837 का व्यय/भुगतान अनियमित तथा क्रय सामग्री अथवा धनराशि का अपहरण किया जाना तथा ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाया जाना प्रमाणित होता है।
4. तालिका में उल्लिखित फर्म सचिन ट्रेडर्स के द्वारा पंचायत में हैंडपम्प मरम्मत/रिबोर, सफाई उपकरण की आपूर्ति, सामुदायिक टायलेट निर्माण कार्य आदि का कार्य एक साथ करते हैं या नहीं इसकी जानकारी प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकती।

5. ग्राम पंचायत में पंचायत भवन निर्माण के प्रारम्भ तथा कार्य समाप्त की तिथि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रही जिससे निर्माण सामग्री तथा मजदूरी/राजमिस्त्री पर किया गया भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः व्यय/भुगतान की पुष्टि हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का लेखा परीक्षा में कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक/मस्टररोल उपलब्ध कराने के लिए संबंधित को निर्देशित करने हेतु ध्यान आकृष्ट किया जाता है

अतः उक्त आपतियों के अधीन एवं व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं वित्त लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 8 (क) के अंतर्गत गबन माना गया है जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की गयी है अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के संबंध में 30 प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अंतर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में इसकी वसूली ग्राम प्रधान – सुश्री शांति देवी एवं ग्राम सचिव श्री शिव सिंह से बराबर हिस्सों किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-73:ग्राम पंचायत-हारचोरा उर्फ मोहनिया ,विकास खण्ड- मदनापुर,जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21 की मनरेगा योजनान्तर्गत मनरेगा पोर्टल पर दर्शित व्यय की ऑडिट ऑनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल व्यय 13.87 लाख का व्यय किया गया है ,जिसमें से ₹0 5.23 लाख मैटीरियल क्रय पर तथा ₹0 8.65 लाख मजदूरी पर व्यय किया गया दर्शित है। उक्त योजना में 38 प्रतिशत का व्यय सामग्री पर तथा 62 प्रतिशत मजदूरी पर व्यय किया गया है किन्तु उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक/व्यय पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी ,जबकि इस संबंध में प्रमुख सचिव 30प्र 0शासन के शासनादेश सं/201 0दस 09/(43)101-2011-टी.सी .लखनऊ दिनांक 2011-02-04एवं आयुक्त ग्राम विकास 30प्र 0के पत्रांक /806सम्प्रेक्षा क्षे0प 0ऑडिट दिनांक 2011-08-05 में कैशबुक ,आय व्यय विवरण बनाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं इससे प्रतीत होता है कि इस योजना से संबंधित कोई अभिलेख तैयार किए बिना ही योजना का कार्यान्वयन किया गया है। तथा विकास खण्ड स्तर से कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी एवं ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत सचिव रोजगार सेवक तथा तकनीकी सहायक द्वारा केवल धनराशियों के भुगतान का उपक्रम किया गया है। यह भी संभव है कि विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा भी इस दिशा में कोई रुचि न लेने के कारण बिना अभिलेख तैयार करवाये ही न केवल प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी की जाती रही ,वरन् भुगतान भी किया जाता रहा। इस योजना से संबंधित समस्त अभिलेखों का लेखापरीक्षा में भौतिक रूप में प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित कराने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है तथा मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों , अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है।अन्यथा की स्थिति में इसकी वसूली कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी श्री विजय प्रताप यादव,ग्राम प्रधान सुश्री शांति देवी तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री शिव सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-74:ग्राम पंचायत-हुसैनपुर ,विकास खण्ड- मदनापुर,जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21 की ऑनलाईन लेखा परीक्षा में पाया गया की ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अंकित कैश बुक एवं व्यय वाउचरों में निम्न विवरणानुसार हैंड पम्प मरम्मत/रिबोर पर व्यय दर्शित किया गया है :-

क्र०	योजना का नाम	वर्क आई डी न.	ई-ग्राम स्वराज वाउचर न.एवं दिनांक	फर्म/बैंडर का नाम	कार्य का विवरण	धनराशि
1.	चतुर्थ राज्य वित्त	25333513	चतुर्थ राज्य वित्त /2020-21/पी/7, 28-07-20	राजा सिंह कन्सट्रक्शन	हैंडपम्प मरम्मत/रिबोर	30500
2.	चतुर्थ राज्य वित्त	25333513	चतुर्थ राज्य वित्त /2020-21/पी/8, 28-07-20	राजा सिंह कन्सट्रक्शन	हैंडपम्प मरम्मत/रिबोर	31200

3.	चतुर्थ राज्य वित्त	15749911	चतुर्थ राज्य वित्त /2020-21/पी/9, 28-07-20	राजा सिंह कन्सट्रक्शन	हैंडपम्प मरम्मत/रिबोर	9620
4.	चतुर्थ राज्य वित्त	7927019	चतुर्थ राज्य वित्त /2020-21/पी/11, 30-07-20	खान बिल्डिंग मैटीरियल	हैंडपम्प मरम्मत/रिबोर	34880
5.	चौदहवां राज्य वित्त	25333948	चौदहवां केंद्रीय वित्त /2020-21/पी/3 30-07-2020	राजा सिंह कन्सट्रक्शन	हैंडपम्प मरम्मत/रिबोर	139600
6.	चौदहवां राज्य वित्त	43679015	चौदहवां केंद्रीय वित्त /2020-21/पी/7 10-09-2020	चौहान मशीनरी स्टोर	हैंडपम्प मरम्मत/रिबोर	66894
7.	चौदहवां राज्य वित्त	43678884	चौदहवां केंद्रीय वित्त /2020-21/पी/8 10-09-20	चौहान मशीनरी स्टोर	हैंडपम्प मरम्मत/रिबोर	100341
8.	चौदहवां राज्य वित्त	44630595	चौदहवां केंद्रीय वित्त /2020-21/पी/11 13-09-20	कश्यप कान्ट्रेक्टर	हैंडपम्प मरम्मत/रिबोर	167235
9.	चतुर्थ राज्य वित्त	44685491	चतुर्थ राज्य वित्त /2020-21/पी/17, 22-09-20	कश्यप कान्ट्रेक्टर	हैंडपम्प मरम्मत/रिबोर	66894
10.	पंचम राज्य वित्त	44641024	पंचम वित्त /2020-21/पी/3, 05-12-20	अनुराग कम्प्यूटर	हैंडपम्प मरम्मत/रिबोर	15800
11.	पंचम राज्य वित्त	45462181	पंचम वित्त /2020-21/पी/4, 20-12-20	खान बिल्डिंग मैटीरियल	हैंडपम्प मरम्मत/रिबोर	17540
12.	पंचम राज्य वित्त	44641024	पंचम राज्य वित्त सी/2020-21/पी/12, 23-12-20	अनुराग कम्प्यूटर	हैंडपम्प मरम्मत/रिबोर	28600
13.	पंचम राज्य वित्त	45462181	पंचम वित्त /2020-21/पी/6, 23-12-20	अनुराग कम्प्यूटर	हैंडपम्प मरम्मत/रिबोर	32500
					योग	741604

उक्त के संबंध में आपत्तियाँ निम्न प्रकार हैं -

1. हैंड पम्प मरम्मत/रिबोर व्यय से संबन्धित व्यय पत्रावलियाँ/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी ।
2. उक्त बेंडर/फर्म हैंडपम्प मरम्मत का कार्य करते हैं अथवा नहीं इसकी जानकारी प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी । इनके जी एस टी/पैन पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी भी नहीं हो सकी ।
3. एक ही तिथि में तथा समान धनराशि का भुगतान किया गया है जो की मरम्मत/रिबोर पर एक ही प्रकार के कल-पुर्जों की खराबी होने पर ही समान धनराशि का भुगतान किया जा सकता है जो संभव नहीं है इस प्रकार भुगतान में गंभीर अनियमितता की गयी है
4. एक साथ कई स्थानों के लिए एक आईडी से अथवा बिना आईडी के मरम्मत कार्य करा कर नियम शासनादेश स0- 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015, दिनांक 19 जून 2017 के प्रस्तर 5 के विपरीत कार्य किया गया है विरुद्ध कार्य किया गया है।

अतः उक्त आपतियों के अधीन एवं व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं वित्त लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 8 (क) के अंतर्गत गबन माना गया है जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की गयी है अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के संबंध में 30 प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अंतर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में इसकी वसूली ग्राम प्रधान सुश्री रामदेवी एवं ग्राम सचिव श्री राजेश कुमार से बराबर हिस्सों से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-75 :ग्राम पंचायत-हुसैनपुर दौलतपुर , विकास खण्ड- मदनापुर, जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21 की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया की ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अंकित कैश बुक एवं व्यय वाउचरों में निम्न विवरणानुसार प्रशासनिक एवं अन्य मदों पर व्यय दर्शित किया गया है :-

क्र.	योजना का नाम	वर्क आई डी	ई ग्राम स्वराज वाउचर न.एवं दिनांक	फर्म/बैंडर का नाम	कार्य का विवरण	धनराशि (रु)
1.	चतुर्थ राज्य वित्त	15749939	चतुर्थ राज्य वित्त /2020-21/पी/1, 30-04-20	अखिल इंटरप्राइजेज	एडवरटाइजमेंट	8000
2.	चतुर्थ राज्य वित्त	15749939	चतुर्थ राज्य वित्त /2020-21/पी/2,30-04-20	सचिन ट्रेडर्स	वाउचर	1500
3.	चतुर्थ राज्य वित्त	15749911	चतुर्थ राज्य वित्त/020-21/पी/3,30-04-20	सचिन ट्रेडर्स	वाउचर	16580
4.	चतुर्थ राज्य वित्त	43682340	चतुर्थ राज्य वित्त /2020-21/पी/14.02-09-20	एच पी सिंह एंड एशोसिएट	जी एस टी रजिस्ट्रेशन फीस	4130
5.	चौदहवां केंद्रीय वित्त	20589160	चौदहवाँ वित्त /2020-21/पी/1 10-05-2020	हेमराज	राजमिस्त्री/मजदूरी	4586
				राम वरन	राजमिस्त्री/मजदूरी	4586
				अजीत	राजमिस्त्री/मजदूरी	7200
				रामसेवक	राजमिस्त्री/मजदूरी	4586
				देव ट्रेडर्स	अज्ञात	19800
				धर्म बिल्डिंग मैटीरियल	अज्ञात	94029
				अजीत	राजमिस्त्री/मजदूरी	2927
				अवनीश	राजमिस्त्री/मजदूरी	4586
				सुनील	राजमिस्त्री/मजदूरी	4588
6.	चतुर्थ राज्य वित्त	37707308	चतुर्थ राज्य वित्त /2020-21/पी/5,27-07-20	अनुराग कम्प्यूटर	कम्प्यूटर एवं फोटो कार्य	48400
7.	चतुर्थ राज्य वित्त	37707308	चतुर्थ राज्य वित्त /2020-21/पी/6,27-07-20	अनुराग कम्प्यूटर	स्टेशनरी क्रय व अन्य कार्य	36600
8.	चौदहवां केंद्रीय वित्त	20726133	चौदहवाँ वित्त /2020-21/पी/2 30-07-2020	रामसेवक	राजमिस्त्री/मजदूरी	6231
				बालाजी ईट उद्योग	अज्ञात	39669

				चमन इंटरप्राइजेज	अज्ञात	87159
				अजीत	राजमिस्त्री/मजदूरी	3553
				सुनील	राजमिस्त्री/मजदूरी	6231
				हेमराज	राजमिस्त्री/मजदूरी	9120
				राम वरन	राजमिस्त्री/मजदूरी	9120
9.	चौदहवां केंद्रीय वित्त	44232364	चौदहवाँ वित्त /2020-21/पी/4 02-09-2020	दीपक सिंह	राजमिस्त्री/मजदूरी	2814
				राम वरन	राजमिस्त्री/मजदूरी	5280
				हेमराज	राजमिस्त्री/मजदूरी	2814
				अजीत	राजमिस्त्री/मजदूरी	756
10.	चौदहवां केंद्रीय वित्त	44232364	चौदहवाँ वित्त /2020-21/पी/6 10-09-2020	देव इंटर प्राइजेज	मैटीरियल	43306
11.	चौदहवां केंद्रीय वित्त	13102405	चौदहवाँ वित्त /2020-21/पी/10 12-09-2020	बालाजी ईट उद्योग	ब्रिक	9731
				धर्म बिल्डिंग मैटीरियल	मैटीरियल	8746
12.	चौदहवां केंद्रीय वित्त	37214850	चौदहवाँ वित्त /2020-21/पी/9 12-09-2020	राम सेवक	राजमिस्त्री/मजदूरी	8640
				सुनील	राजमिस्त्री/मजदूरी	3618
				दीपक सिंह	राजमिस्त्री/मजदूरी	3618
				बालाजी ईट उद्योग	ब्रिक	35579
				देव ट्रेडर्स	मैटीरियल	70771
				अजीत	राजमिस्त्री/मजदूरी	3618
				हेमराज	राजमिस्त्री/मजदूरी	3618
				रामवरन	राजमिस्त्री/मजदूरी	8640
13.	चतुर्थ राज्य वित्त	43679621	चतुर्थ राज्य वित्त /2020-21/पी/15,14- 09-20	देव ट्रेडर्स	फर्नीचर क्रय	26500
14.	चतुर्थ राज्य वित्त	43679621	चतुर्थ राज्य वित्त /2020-21/पी/16,14- 09-20	देव ट्रेडर्स	फर्नीचर क्रय	26000
15.	चौदहवां केंद्रीय वित्त	44633550	चौदहवाँ वित्त /2020-21/पी/12 14-09-2020	दीपक सिंह	राजमिस्त्री/मजदूरी	4020
				चाँद ब्रिक फील्ड	ब्रिक	134290
				अजीत	राजमिस्त्री/मजदूरी	4020
				सुनील	राजमिस्त्री/मजदूरी	4020
				अजीत	राजमिस्त्री/मजदूरी	6704
				हेमराज	राजमिस्त्री/मजदूरी	4020
				रामसेवक	राजमिस्त्री/मजदूरी	9600
				रामवरन	राजमिस्त्री/मजदूरी	10080
16.	चौदहवां केंद्रीय वित्त	44633541	चौदहवाँ वित्त /2020-21/पी/13	धर्म बिल्डिंग मैटीरियल	मैटीरियल/ब्रिक	80869

			14-09-2020	देव ट्रेडर्स	मैटीरियल/ब्रिक	35579
				दीपक सिंह	राजमिस्त्री/मजदूरी	3618
				सुनील	राजमिस्त्री/मजदूरी	3618
				रामवरन	राजमिस्त्री/मजदूरी	8640
				अजीत	राजमिस्त्री/मजदूरी	1625
				अजीत	राजमिस्त्री/मजदूरी	3618
				हेमराज	राजमिस्त्री/मजदूरी	3618
				रामसेवक	राजमिस्त्री/मजदूरी	5280
17.	पन्द्रहवां केन्द्रीय वित्त	43679932	पंद्रहवाँ वित्त /2020-21/पी/1, 20-09-20	बालाजी ईट उद्योग	मैटीरियल/ब्रिक	100000
				दीपक सिंह	राजमिस्त्री	9000
				धर्म बिल्डिंग मैटीरियल	मैटीरियल/ब्रिक	115000
18.	चौदहवां केन्द्रीय वित्त	37214850	चौदहवाँ वित्त /2020-21/पी/14, 23-09-20	सोनू	मजदूरी	3015
19.	चौदहवां केन्द्रीय वित्त	44633550	चौदहवाँ वित्त /2020-21/पी/15 23-09-2020	सोनू	मजदूरी	2319
				अनुराग	मजदूरी	1500
20.	पन्द्रहवां केन्द्रीय वित्त	43679932	पंद्रहवाँ वित्त /2020-21/पी/2 23-09-2020	अनेक पाल	राजमिस्त्री	9000
				धर्म पाल	राजमिस्त्री	9000
21.	चतुर्थ राज्य वित्त	43679391	चतुर्थ राज्य वित्त /2020-21/पी/18,08-10-20	सचिन ट्रेडर्स	वाउचर	140160
22.	पन्द्रहवां केन्द्रीय वित्त	43679932	पंद्रहवाँ वित्त /2020-21/पी/3 05-12-2020	दीपक सिंह	राजमिस्त्री	7380
				सचिन ट्रेडर्स	अज्ञात	14000
				रामवरन	राजमिस्त्री	7380
				चौहान मशीनरी स्टोर	समर/टंकी	69495
				धर्म बिल्डिंग मैटीरियल	मैटीरियल,ब्रिक	59788
23.	पन्द्रहवां केन्द्रीय वित्त	45462132	पंद्रहवाँ वित्त /2020-21/पी/4 20-12-2020	हेमराज	राजमिस्त्री/मजदूरी	3015
				चमन इंटरप्राइजेज	अज्ञात	20000
				दीपक सिंह	राजमिस्त्री/मजदूरी	4824
				धर्म बिल्डिंग मैटीरियल	मैटीरियल	19921
				बालाजी ईट उद्योग	ब्रिक	60527
				रामसेवक	राजमिस्त्री/मजदूरी	6720
				रामवरन	राजमिस्त्री/मजदूरी	6720
				सुनील	राजमिस्त्री/मजदूरी	3015

				अजीत	राजमिस्त्री/मजदूरी	3015
24.	पंचम राज्य वित्त	44641024	पंचम वित्त /2020-21/पी/10,23-12-20	अनुराग कम्प्यूटर	सैनिटाइजेशन एवं अन्य कार्य	34800
25.	पंचम राज्य वित्त	44641024	पंचम वित्त /2020-21/पी/11,23-12-20	चमन इंटरप्राइजेज	ग्राम पंचायत मे मरम्मत कार्य	41500
26.	पंचम राज्य वित्त	43682266	पंचम वित्त /2020-21/पी/7,23-12-20	अनुराग कम्प्यूटर	कम्प्यूटर एवं फोटो कार्य	28300
27.	पंचम राज्य वित्त	43682266	पंचम वित्त /2020-21/पी/8,23-12-20	अनुराग कम्प्यूटर	स्टेशनरी क्रय	21700
					योग	1811543

उक्त के संबंध में आपत्तियाँ निम्न प्रकार हैं -

1. उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से संबंधित व्यय पत्रावलि/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकती।
2. उपरोक्त उल्लिखित तालिका में अंकित बेंडरो/फर्मों द्वारा निर्माण सामग्री से संबंधित कार्य करते हैं अथवा नहीं इसकी भी जानकारी प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकती। इनके जी एस टी/पैनपंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकती।
3. उपरोक्त तालिका में क्र०स०-03 पर अंकित वर्क आईडी 15749911 पर रु० 16580 तथा क्र०स०-21 पर अंकित वर्क आईडी 43679391 पर रु० 140160 का भुगतान सचिन ट्रेडर्स को किया गया है जिसमें सामग्री/सेवा आपूर्ति का उल्लेख नहीं किया गया है जो कि स्पष्ट रूप से धनराशि का अपहरण प्रतीत होता है।
4. उपरोक्त तालिका में क्र०स०-11 पर अंकित वर्क आईडी - 13102405 पर दिनांक 12-09-2020 को रु० 9731 का बालाजी ईट उद्योग तथा रु० 8746 का धर्म बिल्डिंग मैटीरियल को भुगतान किया गया है किन्तु उक्त आईडी पर किसी भी प्रकार से मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है, बिना मजदूरों के सामग्री का उपयोग नहीं किया जा सकता है इससे प्रतीत होता है कि उक्त स्टॉक का अपहरण किया गया है।
5. उपरोक्त तालिका में क्र०स०- 15 व 19 पर अंकित वर्क आईडी 44633550 के द्वारा दिनांक 14-09-2020 तथा 23-09-2020 को राजमिस्त्री/मजदूरी हेतु रु० 46283 का व्यय तथा दिनांक 14-09-2020 को चाँद ब्रिक फील्ड को 134290 का भुगतान किया गया है किन्तु निर्माण सामग्री का क्रय उक्त आईडी पर नहीं किया गया है स्पष्ट है कि कोई भी निर्माण कार्य बिना निर्माण सामग्री (सीमेंट, सरिया, बालू, मौरंग आदि) के मात्र मजदूरों और ईंटों से नहीं कराया जा सकता है जिससे प्रतीत होता है कि उक्त आईडी पर दर्शित व्यय रु० 180573 का अपहरण किया गया है।
6. उपरोक्त तालिका में क्र०स०-13 व 14 पर अंकित वर्क आईडी 43679621 पर रु० 52500 का व्यय फर्नीचर क्रय पर दर्शित है जो कि देव ट्रेडर्स से क्रय किया गया है किन्तु फर्नीचर क्रय से संबंधित व्यय की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं कराई गयी। व्यय की पुष्टि हेतु स्टॉक पंजीका तथा व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कराये जाने अपेक्षित है।

अतः उक्त आपत्तियों के अधीन एवं व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं वित्त लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 8 (क) के अंतर्गत गबन माना गया है जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की गयी है अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के संबंध में उ० प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अंतर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में इसकी वसूली ग्राम प्रधान सुश्री राम देवी एवं ग्राम सचिव श्री राजेश कुमार से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-76 :ग्राम पंचायत-हुसैनपुरदौलतपुर, विकास खण्ड- मदनपुर, जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21 की मनरेगा योजनांतर्गत मनरेगा पोर्टल पर दर्शित व्यय की ऑडिट ऑनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल व्यय 15.1 लाख का व्यय किया गया है ,जिसमें से रु० 9.38 लाख मैटीरियल क्रय पर

तथा ₹ 5.73 लाख मजदूरी पर व्यय किया गया दर्शित है। उक्त योजना में 62 प्रतिशत का व्यय सामग्री पर तथा 38 प्रतिशत मजदूरी पर व्यय किया गया है किन्तु उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक/व्यय पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी, जबकि इस संबंध में प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश सं/201० दस 09/(43)101-2011-टी.सी. लखनऊ दिनांक 2011-02-04 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक /806सम्प्रेक्षा क्षेत्र 0 ऑडिट दिनांक 2011-08-05 में कैशबुक, आय व्यय विवरण बनाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। इससे प्रतीत होता है कि इस योजना से संबंधित कोई अभिलेख तैयार किए बिना ही योजना का कार्यान्वयन किया गया है। तथा विकास खण्ड स्तर से कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी एवं ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत सचिव रोजगार सेवक तथा तकनीकी सहायक द्वारा केवल धनराशियों के भुगतान का उपक्रम किया गया है। यह भी संभव है कि विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा भी इस दिशा में कोई रुचि न लेने के कारण बिना अभिलेख तैयार करवाये ही न केवल प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी की जाती रही, वरन् भुगतान भी किया जाता रहा। इस योजना से संबंधित समस्त अभिलेखों का लेखा परीक्षा में भौतिक रूप में प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित कराने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है तथा मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में इसकी वसूली कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी श्री विजय प्रताप यादव, ग्राम प्रधान श्रीमती राम देवी तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री राजेश कुमार तथा तकनीकी सहायक श्री शिव रतन से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-77 : ग्राम पंचायत-हुसैनपुर दौलतपुर, विकास खण्ड- मदनापुर, जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21 की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया की ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अंकित कैश बुक एवं व्यय वाउचरों में निम्न विवरणानुसार ह्यूम पाइप क्रय पर व्यय दर्शित किया गया है।

क्र.	योजना का नाम	वर्क आई डी न.	ई-ग्राम स्वराज वाउचर न. एवं दिनांक	फर्म/बैंडर का नाम	कार्य का विवरण	धनराशि
1.	पंचम राज्य वित्त	43679804	पंचम वित्त /2020-21/पी/1,01-12-2020	चमन इंटरप्राइजेज	ह्यूमपाइप क्रय	54600
2.	पंचम राज्य वित्त	43679804	पंचम वित्त /2020-21/पी/9,23-12-2020	चमन इंटरप्राइजेज	ह्यूमपाइप क्रय	34400
					योग	89000

उक्त के संबंध में आपत्तियाँ निम्न प्रकार हैं -

1. उक्त विवरण में दर्शित व्यय से संबंधित व्यय पत्रावलियाँ/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
2. उक्त बैंडर/फर्म हैंड पम्प मरम्मत/ह्यूम पाइप बिक्री आदि का कार्य एक साथ करते हैं अथवा नहीं प्रमाणकों के अभाव में इसकी भी पुष्टि नहीं की जा सकी। इनके जी एस टी/पैनपंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।

अतः उक्त आपत्तियों के अधीन एवं व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं वित्त लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 8 (क) के अंतर्गत गबन माना गया है जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की गयी है अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के संबंध में उ० प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अंतर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में इसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री नीरज एवं ग्राम सचिव श्री शकील हुसैन से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-78 -ग्राम पंचायत-करनपुर पडरी, विकास खण्ड- मदनापुर, जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया की ई ग्राम स्वराज पर अंकित कैशबुक एवं व्यय वाउचरों में निम्न विवरणानुसार मजदूरी/श्रमिकों पर व्यय दर्शित किया गया है -

क्र.	योजना का नाम	वर्क आईडी	ई ग्राम स्वराज वाउचर संख्या व दिनांक	मजदूर/राजमि स्त्री/अन्य व्यक्ति का नाम	मस्टररोल नंबर	कार्य का विवरण	धनराशि
1.	चौदहवां केंद्रीय वित्त	24981638	चौदहवाँ वित्त /2020-21/पी/3 दिनांक 08-07-2020	यशपाल	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	3360
				राम देवी	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2366
				प्रीति रानी	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2366
				इन्द्र पाल	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2366
				प्रेमा	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2366
				सी (सी)	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2366
				छोटे	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2366
				महावीर	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2366
				सुमन	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2366
2.	चौदहवां केंद्रीय वित्त	38358380	चौदहवाँ वित्त /2020-21/पी/4 दिनांक 08-07-2020	प्रेमा	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	4186
				सी (सी)	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	4186
				सुमन	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	4186
				यशपाल	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	7680
				प्रीति	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	4186
				रामदेवी	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	4186
				महावीर	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	4186
				इन्द्र पाल	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	4186
				छोटे	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	4186
3.	चौदहवां केंद्रीय वित्त	43681285	चौदहवाँ वित्त /2020-21/पी/5 दिनांक 10-07-2020	इन्द्र पाल	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	7680
				प्रेमा	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2912
				यशपाल	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2912
				महावीर	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2912
				सुमन	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	728
				रामदेवी	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2912
				प्रीति	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2912
				छोटे	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	7680
4.	पन्द्रहवां केंद्रीय वित्त	43671780	पंद्रहवाँ वित्त /2020-21/पी/ 4 दिनांक 19-09-20	यश पाल	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	10800
				इन्द्र पाल	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	10800
				छोटे सन ऑफ हनुमंत	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	10800
5.	पंचम राज्य वित्त	45515818	पंचम वित्त /2020-21/पी/2, दिनांक 22-12-20	यशपाल	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	11040
6.	पंचम राज्य वित्त	43672445	पंचम वित्त /2020-21/पी/3, दिनांक 22-12-20	इन्द्र पाल	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2880
7.	पन्द्रहवां केंद्रीय वित्त	45515818	पंद्रहवाँ वित्त /2020-21/पी/ 5दि 22-12-20	इन्द्र पाल	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	11040

						योग	151464

उपरोक्त उल्लिखित विवरण के संबंध में आपत्तियाँ निम्न प्रकार हैं -

1. उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से संबंधित व्यय पत्रावलियाँ/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकती।
2. लेखा परीक्षा में राजमिस्त्री/मजदूरी से संबंधित मस्टररोल उपलब्ध नहीं कराए गए। सक्षम विभागीय अधिकारियों का लेखा परीक्षा में मस्टररोल उपलब्ध कराने के लिए संबंधित को निर्देशित करने हेतु ध्यान आकृष्ट किया जाता है।
3. उपरोक्त तालिका के क्रम सं० 1 व 2 पर अंकित वर्क आईडी बिना नाम के अथवा “सी” अंकित कर काल्पनिक रूप से भुगतान किया गया है इससे रु० 6552 का अपहरण किया जाना तथा ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाया जाना प्रमाणित होता है।
4. उपरोक्त तालिका में यशपाल पुत्र श्रीपाल तथा इन्द्र पाल पुत्र रामभरोसे को क्रमशः रु० 35792 तथा रु० 38952 का भुगतान किया गया है किन्तु मस्टररोल लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं होने के कारण किए गए भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकती। सक्षम विभागीय अधिकारियों का लेखा परीक्षा में मस्टररोल उपलब्ध कराने के लिए संबंधित को निर्देशित करने हेतु ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

अतः उक्त आपत्तियों के अधीन एवं व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं वित्त लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 8 (क) के अंतर्गत गबन माना गया है जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की गयी है अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के संबंध में उ० प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अंतर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में इसकी वसूली ग्राम प्रधान - सुश्री सीमा एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री शिव सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-79 :ग्राम पंचायत-करनपुर पडरी, विकास खण्ड- मदनापुर, जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21 की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया की ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अंकित कैश बुक एवं व्यय वाउचरों में निम्न विवरणानुसार हैंडपम्प मरम्मत/रिबोर पर व्यय दर्शित किया गया है-

क्र.	योजना का नाम	वर्क आईडी	ई ग्राम स्वराज वाउचर संख्या व दिनांक	फर्म/बेन्डर का नाम	कार्य का विवरण	धनराशि
1.	चौदहवां केंद्रीय वित्त	43681615	चतुर्थ राज्य वित्त /2020-21/पी/6,10-07-2020	सचिन ट्रेडर्स	हैंडपम्प रिपेयर	74500
2.	चौदहवां केंद्रीय वित्त	32318080	चौदहवाँ वित्त /2020-21/पी/10,दि० 31-07-2020	सर्वेश कुमार वर्मा	हैंडपम्प रिबोर	33447
3.	चौदहवां केंद्रीय वित्त	32318072	चौदहवाँ वित्त /2020-21/पी/9 दिनांक 31-07-2020	सर्वेश कुमार वर्मा	हैंडपम्प रिबोर	33447
4.	चौदहवां केंद्रीय वित्त	24982068	चौदहवाँ वित्त /2020-21/पी/11 दि० 07-08-2020	सर्वेश कुमार वर्मा	हैंडपम्प रिबोर	100341
5.	पंचम राज्य वित्त	43683600	पंचम वित्त /2020-21/पी/1, दि०11-11-20	सचिन ट्रेडर्स	ह्यूमपाइप क्रय	64400
					योग	306135

उक्त के संबंध में आपत्तियाँ निम्न प्रकार हैं -

1. हैंडपम्प मरम्मत/रिबोर कार्य से संबंधित व्यय पत्रावलि/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकती।
2. उक्त बैंडर/फर्म हैंडपम्प मरम्मत/रिबोर आदि का कार्य एक साथ करते हैं अथवा नहीं प्रमाणकों के अभाव में इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। इनके जी एस टी/पैनपंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकती।
3. क्रम स0 4 पर अंकित वर्क आईडी 24982068 पर रु० 100341 का भुगतान हैंडपम्प रिबोर हेतु सर्वेश कुमार वर्मा को किया गया है उक्त व्यय की पुष्टि हेतु कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराने ए लिए संबंधित को निर्देशित करने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।
4. क्रम स0 5 पर अंकित वर्क आईडी 43683600 पर हयूम पाइप क्रय हेतु सचिन ट्रेडर्स ओ रु० 64400 का भुगतान किया गया है किन्तु हयूम पाइप डाले जाने का विवरण लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे उक्त व्यय अपुष्ट रहा।

अतः उक्त आपत्तियों के अधीन एवं व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं वित्त लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 8 (क) के अंतर्गत गबन माना गया है जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की गयी है अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के संबंध में उ० प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अंतर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में इसकी वसूली ग्राम प्रधान सुश्री सीमा एवं ग्राम सचिव श्री शिव सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-80 :ग्राम पंचायत-करनपुर पडरी, विकास खण्ड- मदनापुर, जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21 की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया की ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अंकित कैश बुक एवं व्यय वाउचरों में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित किया गया है-

क्र.	योजना का नाम	वर्क आईडी	ई ग्राम स्वराज वाउचर संख्या व दिनांक	फर्म/बेन्डर का नाम	कार्य का विवरण	धनराशि
1.	चौदहवां केंद्रीय वित्त	24981638	चौदहवाँ वित्त /2020-21/पी/1,दि0 17-06-2020	सचिन ट्रेडर्स	उल्लेख नहीं	20159
				पाल बिल्डिंग मैटीरियल	उल्लेख नहीं	65423
2.	चौदहवां केंद्रीय वित्त	38358380	चौदहवाँ वित्त /2020-21/पी/2,दि0 17-06-20	सचिन ट्रेडर्स	उल्लेख नहीं	33431
				सचिन ट्रेडर्स	उल्लेख नहीं	116904
3.	चौदहवां केंद्रीय वित्त	43681285	चौदहवाँ वित्त /2020-21/पी/5, दि0 10-07-20	पाल बिल्डिंग मैटीरियल	चबूतरा निर्माण व अन्य सफाई टूल्स	48600
4.	चौदहवां केंद्रीय वित्त	33517037	चौदहवाँ वित्त /2020-21/पी/8,दि0 12-07-20	सौरभ फोटो कॉपी	फोटो कॉपी	3000
5.	चतुर्थ राज्य वित्त	40044876	4 टी एच एस एफ सी सी/20-	जय माँ काली इंटर प्राइजेज़	वाल पेंट	15984

			21/पी/3,दि0 31-08-2020			
6.	चतुर्थ राज्य वित्त	43672633	4 टी एच एस एफ सी /20-21/पी/5, दि0 31-08-20	गणपति इंटरप्राइजेज	ठेली व अन्य सफाई यंत्र एंड सैनिटेशन	16500
7.	पन्द्रहवां केंद्रीय वित्त	43671780	पंद्रहवाँ वित्त /2020-21/पी/2.दि0 12-09-2020	पाल बिल्डिंग मैटीरियल	कम्यूनिटी टायलेट	172124
8.	पन्द्रहवां केंद्रीय वित्त	43671780	पंद्रहवाँ वित्त /2020-21/पी/3,दि0 12-09-2020	आर्या ब्रिक फील्ड	कम्यूनिटी टायलेट	93886
9.	चतुर्थ राज्य वित्त	43672658	4 टी एच एस एफ सी /20-21 पी/6, दि0 04-11-20	सचिन ट्रेडर्स	ग्राम पंचायत मे विभिन्न सफाई कार्य	60100
10.	चतुर्थ राज्य वित्त	7351295	4 टी एच एस एफ सी /20-21 पी/8 दिनांक 11-11-2020	सौरभ फोटो कॉपी	फोटो कॉपी	4200
11.	पंचम राज्य वित्त	43672445	पंचम वित्त /2020-21/पी/3,दि0 22-12-2020	जय माँ वैष्णो आयरन स्टोर	नाली निर्माण	15384
				जय माँ वैष्णो ईट उद्योग	नाली निर्माण	12303
12.	पन्द्रहवां केंद्रीय वित्त	45515818	पंद्रहवाँ वित्त /2020-21/पी/5,दि0 22-12-2020	जय माँ वैष्णो आयरन स्टोर	पीबी	114628
					योग	792626

उक्त के संबंध में आपत्तियाँ निम्न प्रकार हैं -

1. उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से संबंधित व्यय पत्रावलि/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकती ।
2. उपरोक्त उल्लिखित तालिका में अंकित बेंडरो/फर्मों द्वारा निर्माण सामग्री से संबंधित का कार्य करते हैं अथवा नहीं इसकी भी जानकारी प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकती । इनके जी एस टी/पैनपंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकती ।
3. उपरोक्त तालिका की क्रम सं 7 व 8 पर अंकित क्रमशः पाल बिल्डिंग मैटीरियल व आर्या ब्रिक फील्ड को रु० 172124 तथा रु० 93886 का भुगतान किया गया है जो निर्माण संबंधित सामग्री की आपूर्ति हेतु किया गया है इस संबंध में दिनांक 19-09-2020 को टायलेट निर्माण हेतु राजमिस्त्री यशपाल, इन्द्र पाल तथा छोटे प्रत्येक को एक समान धनराशि रु० 10800 (कुल रु० 32400) का भुगतान किया गया है किन्तु उक्त आईडी पर मजदूरी का भुगतान दर्शित नहीं किया गया है अतः बिना मजदूरों के निर्माण कार्य संभव नहीं है ।इससे स्पष्ट है कि काल्पनिक मस्टररोल तैयार कर राजमिस्त्री को भुगतान रु० 32400 तथा सामग्री क्रय हेतु दर्शित व्यय रु० 266010 का स्टॉक/भुगतान का अपहरण किया जाना व ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाया जाना प्रमाणित होता है
4. उपरोक्त तालिका की क्रम सं 11 पर अंकित वर्क आईडी 43672445 पर नाली निर्माण का कार्य किया जाना दर्शित है इस हेतु फर्म जय माँ वैष्णो आयरन स्टोर को रु० 15384 तथा जय माँ वैष्णो ईट उद्योग को रु० 12303 का भुगतान दर्शित है नाली निर्माण कार्य हेतु इन्द्र पाल को राजमिस्त्री/मजदूरी हेतु रु० 2880 का भुगतान दर्शित है एक ही व्यक्ति के द्वारा राजमिस्त्री व मजदूर दोनों कार्य किया जाना संभव

नहीं है। स्पष्ट है कि काल्पनिक मस्टररोल तैयार कर राजमिस्त्री/मजदूरी के रूप में दर्शित व्यय रु० 2880 तथा सामग्री क्रय में दर्शित व्यय रु० 27687 का अपहरण किया जाना व ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाया जाना प्रमाणित होता है।

अतः उक्त आपतियों के अधीन एवं व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं वित्त लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 8 (क) के अंतर्गत गबन माना गया है जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की गयी है अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के संबंध में उ० प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अंतर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में इसकी वसूली ग्राम प्रधान – सुश्री सीमा एवं ग्राम सचिव श्री शिव सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-81 :ग्राम पंचायत-करनपुर पडरी, विकास खण्ड- मदनापुर, जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21 की मनरेगा योजनान्तर्गत मनरेगा पोर्टल पर दर्शित व्यय की ऑडिट ऑनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल व्यय 14.33 लाख का व्यय किया गया है ,जिसमें से रु० 5.38 लाख मैटीरियल क्रय पर तथा रु० 8.95 लाख मजदूरी पर व्यय किया गया दर्शित है। उक्त योजना में 48 प्रतिशत का व्यय सामग्री पर तथा 52 प्रतिशत मजदूरी पर व्यय किया गया है किन्तु उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक/व्यय पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी ,जबकि इस संबंध में प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश सं० 0/201दस 09/(43)101-2011-टी.सी .लखनऊ दिनांक 2011-02-04 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक /806सम्प्रेक्षा क्षे०प 0ऑडिट दिनांक 2011-08-05 में कैशबुक ,आय व्यय विवरण बनाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।इससे प्रतीत होता है कि इस योजना से संबंधित कोई अभिलेख तैयार किए बिना ही योजना का कार्यान्वयन किया गया है। तथा विकास खण्ड स्तर से कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी एवं ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सेवक तथा तकनीकी सहायक द्वारा केवल धनराशियों के भुगतान का उपक्रम किया गया है। यह भी संभव है कि विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा भी इस दिशा में कोई रुचि न लेने के कारण बिना अभिलेख तैयार करवाये ही न केवल प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी की जाती रही ,वरन् भुगतान भी किया जाता रहा। इस योजना से संबंधित समस्त अभिलेखों का लेखापरीक्षा में भौतिक रूप में प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित कराने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है तथा मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों , अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है।अन्यथा की स्थिति में इसकी वसूली कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी-श्री विजय प्रताप यादव,ग्राम प्रधान सुश्री सीमा, ग्राम पंचायत सचिव श्री शिव सिंह तथा तकनीकी सहायक श्री संजीव कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-82 :ग्राम पंचायत-करनपुर पडरी, विकास खण्ड- मदनापुर, जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत कि ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अंकित कैश बुक में दिनांक 10-07-2020 को रु० 68500 का भुगतान नारायण ट्रेडर्स को प्रशासनिक मद में व्यय दर्शित किया गया है इसकी पुष्टि संबन्धित व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं कि जा सकी संबन्धित बैंक खाता स्टेटमेंट/उचित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं वित्त लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 8 (क) के अंतर्गत गबन माना गया है जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की गयी है अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के संबंध में उ० प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अंतर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में इसकी वसूली ग्राम प्रधान सुश्री सीमा एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री शिव सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-83 :ग्राम पंचायत-मदनापुर, विकास खण्ड- मदनापुर, जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21 की ऑनलाईन लेखा परीक्षा में पाया गया की ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अंकित कैश बुक एवं व्यय वाउचरों में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित किया गया है-

क्र०	योजना का नाम	वर्क आईडी	ई ग्राम स्वराज वाउचर संख्या व दिनांक	फर्म/बेन्डर का नाम	कार्य का विवरण	धनराशि(रु०)

1.	चौदहवां केंद्रीय वित्त	21127545	चौदहवां वित्त /2020-21/पी/रु1 दिनांक 10-04-2020	जय माँ वैष्णो आयरन स्टोर	उल्लेख नहीं (वाउचर)	36645
				माँ वैष्णो ईट उद्योग	उल्लेख नहीं (वाउचर)	36471
				जय माँ वैष्णो इंटरलाकिंग ईट उद्योग	उल्लेख नहीं (वाउचर)	125349
2.	चौदहवां केंद्रीय वित्त	21127549	चौदहवां वित्त /2020-21/पी/ 2 दिनांक 10-04-2020	जय माँ वैष्णो आयरन स्टोर	उल्लेख नहीं (वाउचर)	23749
				माँ वैष्णो ईट उद्योग	उल्लेख नहीं (वाउचर)	28965
				जय माँ वैष्णो इंटरलाकिंग ईट उद्योग	उल्लेख नहीं (वाउचर)	61969
3.	चतुर्थ राज्य वित्त	7454576	चतुर्थ राज्य वित्त सी/2020-21/पी/ 1,दि0 19-04-20	माँ वैष्णो ईट उद्योग	उल्लेख नहीं (वाउचर)	59666
				जय माँ वैष्णो आयरन स्टोर	उल्लेख नहीं (वाउचर)	88990
4.	चतुर्थ राज्य वित्त	4771102	चतुर्थ राज्य वित्त सी/2020- 21/पी/2,दि0 06- 05-2020	सचिन ट्रेडर्स	उल्लेख नहीं (वाउचर)	5500
5.	चौदहवां केंद्रीय वित्त	21127539	केंद्रीय वित्त सी/2020-21/पी/ 3 दिनांक 06-05-2020	चौहान ट्रेडिंग कंपनी	उल्लेख नहीं (वाउचर)	34900
6.	चौदहवां केंद्रीय वित्त	21127556	चौदहवां केंद्रीय वित्त /2020-21/पी/ 4 दिनांक 06-05-2020	चौहान ट्रेडिंग कंपनी	उल्लेख नहीं (वाउचर)	34900
7.	चौदहवां केंद्रीय वित्त	21127557	चौदहवां केंद्रीय वित्त /2020-21/पी/ 5 दिनांक 06-05-2020	चौहान ट्रेडिंग कंपनी	उल्लेख नहीं (वाउचर)	34900
8.	चौदहवां केंद्रीय वित्त	42826042	चौदहवां केंद्रीय वित्त /2020-21/पी/ 6 दिनांक 12-07-2020	जय माँ वैष्णो आयरन स्टोर	सामग्री	37964
9.	चौदहवां केंद्रीय वित्त	42826042	चौदहवां केंद्रीय वित्त /2020-21/पी/ 7 दिनांक 12-07-2020	माँ वैष्णो ईट उद्योग	ईट,रोड़ी	45887
10.	चौदहवां केंद्रीय वित्त	42826042	चौदहवां केंद्रीय वित्त /2020-21/पी/ 8 दिनांक 12-07-2020	जय माँ वैष्णो इंटरलाकिंग ईट उद्योग	इंटरलाकिंग	116486
11.	चौदहवां केंद्रीय वित्त	42824354	चौदहवां केंद्रीय वित्त /2020-21/पी/ 10 दिनांक 14-07-2020	जय माँ वैष्णो आयरन स्टोर	इंटरलाकिंग	33547
				माँ वैष्णो ईट उद्योग	इंटरलाकिंग	33045
				जय माँ वैष्णो इंटरलाकिंग ईट उद्योग	इंटरलाकिंग	95594

12.	चौदहवां केंद्रीय वित्त	42824067	चौदहवां केंद्रीय वित्त /2020-21/पी/ 11 दिनांक 14-07-2020	जय माँ वैष्णो आयरन स्टोर	सीसी	18260
				माँ वैष्णो ईट उद्योग	सीसी	4328
13.	चौदहवां केंद्रीय वित्त	42823763	चौदहवां केंद्रीय वित्त /2020-21/पी/ 12 दिनांक 14-07-2020	जय माँ वैष्णो आयरन स्टोर	सीसी	49352
				माँ वैष्णो ईट उद्योग	सीसी	24708
14.	चौदहवां केंद्रीय वित्त	42824534	चौदहवां केंद्रीय वित्त /2020-21/पी/ 13 दिनांक 26-07-2020	माँ वैष्णो ईट उद्योग	इंटरलाकिंग	18769
				जय माँ वैष्णो इंटरलाकिंग ईट उद्योग	इंटरलाकिंग	43049
				जय माँ वैष्णो आयरन स्टोर	इंटरलाकिंग	18973
				माँ वैष्णो ईट उद्योग	इंटरलाकिंग	20600
15.	चौदहवां केंद्रीय वित्त	42834240	चौदहवां केंद्रीय वित्त /2020-21/पी/ 14 दिनांक 26-07-2020	जय माँ वैष्णो इंटरलाकिंग ईट उद्योग	इंटरलाकिंग	81034
				माँ वैष्णो ईट उद्योग	इंटरलाकिंग	256802
16.	आरजीएसए	42832498	आरजीएसए /2020- 21/पी/1 दिनांक 10-11-2020	जय माँ वैष्णो आयरन स्टोर	पंचायत भवन	256802
				माँ वैष्णो ईट उद्योग	पंचायत भवन	251703
17.	चतुर्थ राज्य वित्त	7454587	चतुर्थ राज्य वित्त सी/2020- 21/पी/5,दि0 11-11- 2020	प्रजेश सिंह काले	फोटोकॉपी	3000
18.	पन्द्रहवां केंद्रीय वित्त	42832991	पन्द्रहवां वित्त सी/2020-21/पी/ 1,दि0 23-11-2020	जय माँ वैष्णो आयरन स्टोर	टायलेट	100
19.	पंचम राज्य वित्त	42836365	पंचम राज्य वित्त सी/2020-21/पी/ 1 दिनांक 02-12-2020	एचपी सिंह एशोसिएट	जीएसटी विज्ञप्ति एंड साउंड	4130
				अखिल इंटरप्राइजेज़	जीएसटी विज्ञप्ति एंड साउंड	13250
				सचिन ट्रेडर्स	जीएसटी विज्ञप्ति एंड साउंड	5500
20.	पंचम राज्य वित्त	42836365	पंचम राज्य वित्त सी/2020-21/पी/ 2,दि0 04-12-2020	जय माँ वैष्णो आयरन स्टोर	इंटरलाकिंग	21667
21.	पंचम राज्य वित्त	42824751	पंचम राज्य वित्त सी/2020-21/पी/ 3 दिनांक 05-12-2020	जय माँ वैष्णो आयरन स्टोर	इंटरलाकिंग	32494
				माँ वैष्णो ईट उद्योग	इंटरलाकिंग	27
				जय माँ वैष्णो इंटरलाकिंग ईट उद्योग	इंटरलाकिंग	102558
				माँ वैष्णो ईट उद्योग	इंटरलाकिंग	35453
22.	आरजीएसए	42832498	आरजीएसए /2020- 21/ पी/2,दि0 10-12- 2020	जय माँ वैष्णो आयरन स्टोर	मैटीरियल	409780

23.	पन्द्रहवां केंद्रीय वित्त	42832498	एक्स वी एफ सी /2020-21/ पी/2,दि0 10-12- 2020	माँ वैष्णो ईट उद्योग	ब्रिक	186008
24.	पन्द्रहवां केंद्रीय वित्त	42832991	एक्स वी एफ सी /2020-21/ पी/3,दि0 10-12- 2020	जय माँ वैष्णो आयरन स्टोर	मैटीरियल एंड ब्रिक	149682
				माँ वैष्णो ईट उद्योग	मैटीरियल एंड ब्रिक	105140
25.	चतुर्थ राज्य वित्त	42824930	चतुर्थ राज्य वित्त सी/2020- 21/पी/6,दि0 15-12- 2020	माँ वैष्णो ईट उद्योग		24977
				जय माँ वैष्णो इंटरलाकिंग ईट उद्योग	इंटरलाकिंग एंड ब्रिक	70904
				जय माँ वैष्णो आयरन स्टोर	इंटरलाकिंग एंड ब्रिक	21117
26.	पन्द्रहवां केंद्रीय वित्त	42829399	एक्स वी एफ सी /2020-21/ पी/6,दि0 23-12- 2020	माँ वैष्णो ईट उद्योग	उल्लेख नहीं (वाउचर)	36009
				जय माँ वैष्णो इंटरलाकिंग ईट उद्योग	उल्लेख नहीं (वाउचर)	82932
				जय माँ वैष्णो आयरन स्टोर	उल्लेख नहीं (वाउचर)	31367
27.	पन्द्रहवां केंद्रीय वित्त	42832991	एक्स वी एफ सी /2020-21/ पी/7,दि0 24-12- 2020	जय माँ वैष्णो आयरन स्टोर	उल्लेख नहीं (वाउचर)	94522
				माँ वैष्णो ईट उद्योग	उल्लेख नहीं (वाउचर)	3535
				चौहान ट्रेडिंग कंपनी	उल्लेख नहीं (वाउचर)	46745
28.	आरजीएसए	42832498	आरजीएसए /2020- 21/ पी/5,दि0 17-02- 2021	जय माँ वैष्णो आयरन स्टोर	उल्लेख नहीं (वाउचर)	287953
				माँ वैष्णो ईट उद्योग	उल्लेख नहीं (वाउचर)	15917
29.	आरजीएसए	42832498	आरजीएसए /2020- 21/ पी/6,दि0 17-02- 2021	जय माँ वैष्णो आयरन स्टोर	उल्लेख नहीं (वाउचर)	134606
				माँ वैष्णो ईट उद्योग	उल्लेख नहीं (वाउचर)	112654
30.	पंचम राज्य वित्त	48222436	पंचम वित्त /2020- 21/पी/4,दि0 11-03- 2021	जय माँ वैष्णो इंटरलाकिंग ईट उद्योग	उल्लेख नहीं (वाउचर)	102794
				जय माँ वैष्णो आयरन स्टोर	उल्लेख नहीं (वाउचर)	21301
				माँ वैष्णो ईट उद्योग	उल्लेख नहीं (वाउचर)	23788
31.	पन्द्रहवां केंद्रीय वित्त	48222208	पंद्रहवाँ वित्त /2020- 21/पी/ 8दि0 11-03- 2021	जय माँ वैष्णो आयरन स्टोर	पंचायत भवन इंटरलाकिंग वर्क	16800
				जय माँ वैष्णो इंटरलाकिंग ईट उद्योग	पंचायत भवन इंटरलाकिंग वर्क	132946

				माँ वैष्णो ईट उद्योग	पंचायत भवन इंटरलाकिंग वर्क	16736
					योग	4068497

उक्त के संबंध में आपत्तियाँ निम्न प्रकार हैं -

1. उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से संबंधित व्यय पत्रावलियाँ/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकती।
2. उपरोक्त उल्लिखित तालिका में अंकित बैंडरो/फर्मों द्वारा निर्माण सामग्री से संबंधित कार्य करते हैं अथवा नहीं इसकी भी जानकारी प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकती। इनके जी एस टी/पैन पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकती।
3. उपरोक्त तालिका की क्रम सं 4 पर अंकित वर्क आईडी 4771102 के द्वारा सचिन ट्रेडर्स को ₹ 5500 का भुगतान किया गया है किन्तु भुगतान के सापेक्ष कार्य का उल्लेख नहीं किया गया है। भुगतान/व्यय की पुष्टि हेतु लेखा परीक्षा में कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध हेतु संबंधित को निर्देशित करने के लिए सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।
4. उपरोक्त तालिका की क्रम सं 5, 6 व 7 पर क्रमशः अंकित वर्क आईडी 21127539, 21127556 व 21127557 के द्वारा एक ही दिनांक 06-05-2020 को एक समान धनराशि 34900 का तीनों वर्क आईडी पर कुल ₹ 104700 का भुगतान चौहान ट्रेडिंग कंपनी को किया गया है। भुगतान/व्यय की पुष्टि में कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध हेतु संबंधित को निर्देशित करने के लिए सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।
5. उपरोक्त तालिका की क्रम सं 8, 9 व 10 पर क्रमशः अंकित वर्क आईडी 42826042 पर एक ही तिथि 12-07-2020 को जय माँ वैष्णो आयरन स्टोर को ₹ 37964, माँ वैष्णो ईट उद्योग को ₹ 45887 व जय माँ वैष्णो इंटरलाकिंग ईट उद्योग को ₹ 116486 व मजदूरों को ₹ 45829 का भुगतान किया गया है किन्तु कार्य/परियोजना का उल्लेख नहीं किया गया है। इसी प्रकार अन्य वर्क आईडी पर भी किए गए भुगतान/व्यय के सापेक्ष कार्य/परियोजना का उल्लेख नहीं किया गया है। उक्त भुगतान/व्यय की पुष्टि हेतु कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक/मस्टररोल लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराने के लिए संबंधित को निर्देशित करने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।
6. उपरोक्त तालिका की क्रम सं 20 पर अंकित वर्क आईडी 42836365 के द्वारा दिनांक 04-12-2020 को ₹ 21667 का भुगतान किया गया है जो की वर्क आईडी 42834240 पर किए गए कार्य **अजय से रंजीत इंटरलाकिंग** का अवशेष भुगतान ₹ 21667 का वर्क आईडी 4286365 पर व्यय/भुगतान दर्शित किया गया है जो की अनियमित तथा क्रय सामग्री अथवा धनराशि का अपहरण किया जाना तथा ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाया जाना प्रमाणित होता है।
7. वर्क आईडी 42832498 एवं वर्क आईडी 48222208 के द्वारा पंचायत भवन निर्माण कार्य पर हुए व्यय को दर्शित किया गया है इस प्रकार एक ही कार्य के लिए एक से अधिक वर्क आईडी बनायी गयी है जो कि अनियमित है। इस संबंध में पुष्टि हेतु कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराने के लिए संबंधित को निर्देशित करने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

अतः उक्त आपत्तियों के अधीन एवं व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं वित्त लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 8 (क) के अंतर्गत गबन माना गया है जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की गयी है अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के संबंध में उ० प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अंतर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में इसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री विश्वकान्ति एवं ग्राम सचिव श्री शिव सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-84 : ग्राम पंचायत-मदनापुर, विकास खण्ड- मदनापुर, जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया की ई ग्राम स्वराज पर अंकित कैशबुक एवं व्यय वाउचरों में निम्न विवरणानुसार मजदूरी/श्रमिकों पर व्यय दर्शित किया गया है -

क्र 0	योजना का नाम	वर्क आईडी	ई ग्राम स्वराज वाउचर संख्या व दिनांक	मजदूर/राजमिस्त्री / अन्य व्यक्ति का नाम	मस्टररोल नंबर	कार्य का विवरण	धनराशि
1.	चौदहवां केंद्रीय वित्त	2112754 5	चौदहवां केंद्रीय वित्त /2020-21/ पी/1 दि0 10-04-2020	मेघनाथ	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2548
				अनूप कुमार	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	5880
				पिन्नु खान	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2548
				रीता	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2548
				सत्यप्रकाश	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	1260
				सतीश	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2366
				गजेंद्र सिंह	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	5880
				रामवीर	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2548
				नाज	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2548
				हफू खान	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2548
				श्याम सिंह	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	3200
				जयराम	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2548
				दिनेश	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2548
				अनीता	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2548
2.	चौदहवां केंद्रीय वित्त	2112754 9	चौदहवां केंद्रीय वित्त /2020-21/ पी/2 दि0 10-04-20	गजेंद्र सिंह	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2100
				हफू खान	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2548
				जयराम	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2548
				अनूप कुमार	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	5880
				नाज	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2184

				श्याम सिंह	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2238
				दिनेश	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2548
				मेघनाथ	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2548
				अनीता	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2548
3.	चतुर्थ राज्य वित्त	745457 6	चतुर्थ राज्य वित्त /2020-21/पी/1, दि019-04-20	सतीश	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2548
				रामवीर	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2548
				दिनेश	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2548
				गजेंद्र सिंह	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	6720
				रीता	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2548
				अनीता	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2548
				देवेंद्र	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2548
				जयराम	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2548
				पिन्नु खान	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2548
				राज कपूर	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2548
				हफू खान	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2548
				नाज	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2548
				उदयवीर	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	1274
				अनूप कुमार	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	6720
				सुदेश सिंह	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2548
				अर्जुन सिंह	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2548
				श्याम सिंह	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	6720

				सत्यप्रकाश	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2548
				मेघनाथ	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2548
				सिधपाल	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2548
4.	चौदहवां केंद्रीय वित्त	428260 42	एफ एफ सी /2020-21/ पी/9 दिनांक 12-07- 2020	अनीता	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2814
				हफ् खान	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	6720
				पिन्नु खान	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2814
				सिधपाल	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2814
				सत्यप्रकाश	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2814
				मेघनाथ	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2814
				रामवीर	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2814
				सतीश	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	4450
				नाज	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2814
				गर्जेन्द्र सिंह	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2814
				उदयवीर सिंह	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2613
				दिनेश कुमार	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2814
				अनूप कुमार	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	6720
5.	चौदहवां केंद्रीय वित्त	428243 54	एफ एफ सी /2020-21/ पी/10 दिनांक 14-07- 2020	हफ् खान	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	4320
				रामवीर	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2814
				सतीश	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2855
				पिन्नु खान	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2814
				अनूप कुमार	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	6720

				सत्यप्रकाश	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2412
				दिनेश	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2814
				नाज	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2814
				गर्जेन्द्र सिंह	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2814
				मेघनाथ	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2814
				अनीता	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2814
6.	चौदहवां केंद्रीय वित्त	42824067	चौदहवाँ वित्त /2020-21/पी/ 11 दिनांक 14-07-2020	सतीश	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	326
				अनीता	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	1206
				अनूप कुमार	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	1920
				दिनेश	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	1206
				गर्जेन्द्र सिंह	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	1005
7.	चौदहवां केंद्रीय वित्त	42823763	एफ एफ सी /2020-21/ पी/ 12 दिनांक 14-07-2020	दिनेश	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2814
				अनूप कुमार	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	5760
				सतीश	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	1003
				नाज	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	1407
				अनीता	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2814
				गर्जेन्द्र सिंह	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2814
				मेघनाथ	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2814
8.	चौदहवां केंद्रीय वित्त	42824534	चौदहवां केंद्रीय वित्त /2020-21/ पी/ 13 दिनांक 26-07-2020	गर्जेन्द्र सिंह	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2814
				मेघनाथ	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2412
				दिनेश	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2814

				अनीता	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2814
				सतीश	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	1109
				अनूप कुमार	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	5760
9.	चौदहवां केंद्रीय वित्त	428342 40	एफ एफ सी /2020-21/ पी/14 दिनांक 26-07-2020	दिनेश	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2814
				अनीता	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	1440
				पिन्नु खान	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2814
				रामवीर	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	1809
				नाज	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2814
				सतीश	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2063
				मेघनाथ	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2814
				अनूप कुमार	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	6720
				गजेंद्र सिंह	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2814
10	पंचम राज्य वित्त	428247 51	पंचम वित्त /2020-21/पी/3 दिनांक 05-12-2020	अनीता	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	3015
				दिनेश	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	3015
				पिन्नु खान	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	6240
				अनूप कुमार	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	3015
				मेघनाथ	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	1809
				हफू खान	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	6240
				सतीश	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	3015
				सिधपाल	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	3015
11.	आरजीएस ए	428324 98	आरजीएसए /2020-21/पी/3	सतीश	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	5760

			दिनांक 10-12-2020	मेघनाथ	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	5760
				सतमान खान	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	5760
				हफू खान	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	5760
				पिन्नु खान	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	5760
				दिनेश	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	5760
				उदयवीर	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	5760
12	आरजीएस ए	428324 98	पंचम वित्त /2020-21/पी/4 दिनांक 10-12-2020	सतमान खान	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	7200
				उदयवीर	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	7200
				पिन्नु खान	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	7200
				मेघनाथ	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	7200
				हफू खान	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	7200
				सतीश	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	7200
				दिनेश	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	7200
13	पन्द्रहवाँकें द्वीय वित्त	428329 91	पंद्रहवाँ वित्त /2020-21/पी/5 दिनांक 10-12-2020	सतीश	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	4320
				मेघनाथ	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	4320
				हफू खान	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	4800
				उदयवीर	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	4320
				सतमान खान	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	4320
				दिनेश	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	4320
				पिन्नु खान	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	4320
14		428249 30	चतुर्थ राज्य वित्त /2020-21/पी/ 6	सिधपाल	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	3082

	चतुर्थ राज्य वित्त		दिनांक 15-12-2020	मेघनाथ	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	3082
				पिन्नु खान	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	4800
				हफू खान	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	4800
				अनीता	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	3082
15	पन्द्रहवाँके द्वितीय वित्त	428293 99	पंद्रहवाँ वित्त /2020-21/पी/ 6 दिनांक 23-12-2020	मेघनाथ	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	3618
				पिन्नु खान	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	8160
				सिधपाल	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	8160
				हफू खान	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	3015
				दिनेश	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	3618
				उदयवीर	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	3618
16	आरजीएस ए	428324 98	आरजीएसए /2020- 21/पी/ 5 दिनांक 17-02-2021	सतीश	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	6750
				सिधपाल	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	6750
				गर्जेन्द्र सिंह	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	5400
				दिनेश	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	6750
				अनूप कुमार	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	6750
				उदयवीर	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	6750
				पिन्नु खान	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	6750
				मेघनाथ	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	6750
				हफू खान	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	6750
17	आरजीएस ए	428324 98	आरजीएसए /2020-21/पी/ 6 दिनांक 17-02-2021	सतीश	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	6750
				सिधपाल	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	6750

				मेघनाथ	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	5850
				पिन्नु खान	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	6750
				उदयवीर	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	6750
				हफू खान	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	6750
18	पंचम राज्य वित्त	482224 36	पंचम वित्त /2020-21/पी/ 4 दिनांक 11-03-2021	सिधपाल	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	9450
				दिनेश	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	4221
				अनूप कुमार	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	1608
				मेघनाथ	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	4221
				पिन्नु खान	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	4221
19	पन्द्रहवाँके द्वीय वित्त	482222 08	पंद्रहवाँ वित्त /2020-21/पी/ 8 दिनांक 11-03-2021	मेघनाथ	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2412
				अनूप कुमार	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2412
				गजेंद्र सिंह	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2412
				सतीश	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2211
				हफू खान	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	4500
				सिधपाल	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	4500
				दिनेश	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2412
				पिन्नु खान	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2412
						योग	625441

उपरोक्त उल्लिखित विवरण के संबंध में आपत्तियाँ निम्न प्रकार हैं -

1. उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से संबंधित व्यय पत्रावलियाँ/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी ।
2. लेखा परीक्षा में राजमिस्त्री/मजदूरी से संबंधित मस्टररोल उपलब्ध नहीं कराए गए ।सक्षम विभागीय अधिकारियों का लेखा परीक्षा में मस्टररोल उपलब्ध कराने के लिए संबंधित को निर्देशित करने हेतु ध्यान आकृष्ट किया जाता है
3. उपरोक्त तालिका के अनुसार पिन्नु खान को रु० 17151, हफू खान को रु० 68499, मेघनाथ को रु० 66334, अनूप कुमार को रु० 61959, दिनेश को रु० 60216, सतीश को रु० 52726, सिधपाल को रु०

47069, उदयवीर को रु० 38285, गजेंद्र सिंह को रु० 37587 का भुगतान किया गया है इस प्रकार मजदूरों/राजमिस्त्री को इतनी बड़ी धनराशि का किया गया भुगतान अस्वाभाविक है मजदूरों/राजमिस्त्री को किए गए भुगतान की पुष्टि में दैनिक मजदूरी की दरों व कार्य दिवसों का विवरण सहित कार्य पत्रावली/मस्टररोल लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराने के लिए संबंधित को निर्देशित करने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

अतः उक्त आपतियों के अधीन एवं व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं वित्त लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 8 (क) के अंतर्गत गबन माना गया है जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की गयी है अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के संबंध में उ० प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अंतर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में इसकी वसूली ग्राम प्रधान – सुश्री विश्वकान्ति एवं ग्राम सचिव श्री शिव सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-85 :ग्राम पंचायत-मदनापुर, विकास खण्ड- मदनापुर, जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21 की मनरेगा योजनान्तर्गत मनरेगा पोर्टल पर दर्शित व्यय की ऑडिट ऑनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल व्यय 23.54 लाख का व्यय किया गया है ,जिसमें से रु० 11.62 लाख मैटीरियल क्रय पर तथा रु० 11.92 लाख मजदूरी पर व्यय किया गया दर्शित है। उक्त योजना में 49 प्रतिशत का व्यय सामग्री पर तथा 51 प्रतिशत मजदूरी पर व्यय किया गया है किन्तु उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक/व्यय पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी ,जबकि इस संबंध में प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश सं 0 /201दस 09/(43)101-2011-टी.सी .लखनऊ दिनांक 2011-02-04 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक /806सम्प्रेक्षा क्षे०प० 0ऑडिट दिनांक 2011-08-05 में कैशबुक ,आय व्यय विवरण बनाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।इससे प्रतीत होता है कि इस योजना से संबंधित कोई अभिलेख तैयार किए बिना ही योजना का कार्यान्वयन किया गया है। तथा विकास खण्ड स्तर से कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी एवं ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत सचिव रोजगार सेवक तथा तकनीकी सहायक द्वारा केवल धनराशियों के भुगतान का उपक्रम किया गया है। यह भी संभव है कि विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा भी इस दिशा में कोई रुचि न लेने के कारण बिना अभिलेख तैयार करवाये ही न केवल प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी की जाती रही ,वरन् भुगतान भी किया जाता रहा। इस योजना से संबंधित समस्त अभिलेखों का लेखापरीक्षा में भौतिक रूप में प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित कराने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है तथा मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों , अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है।अन्यथा की स्थिति में इसकी वसूली कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी श्री विजय प्रताप यादव,ग्राम प्रधान-सुश्री विश्वकान्ति तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री शिव सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-86 :ग्राम पंचायत-महियावर, विकास खण्ड- मदनापुर, जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21 की मनरेगा योजनान्तर्गत मनरेगा पोर्टल पर दर्शित व्यय की ऑडिट ऑनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल व्यय 15.06 लाख का व्यय किया गया है ,जिसमें से रु० 5.09 लाख मैटीरियल क्रय पर तथा रु० 9.17 लाख मजदूरी पर व्यय किया गया दर्शित है। उक्त योजना में 39 प्रतिशत का व्यय सामग्री पर तथा 61 प्रतिशत मजदूरी पर व्यय किया गया है, किन्तु उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक/व्यय पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी ,जबकि इस संबंध में प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश सं 0 /201दस 09/(43)101-2011-टी.सी .लखनऊ दिनांक 2011-02-04 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक /806सम्प्रेक्षा क्षे०प० 0ऑडिट दिनांक 2011-08-05 में कैशबुक ,आय व्यय विवरण बनाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।इससे प्रतीत होता है कि इस योजना से संबंधित कोई अभिलेख तैयार किए बिना ही योजना का कार्यान्वयन किया गया है। तथा विकास खण्ड स्तर से कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी एवंग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत सचिव रोजगार सेवक तथा तकनीकी सहायक द्वारा केवल धनराशियों के भुगतान का उपक्रम किया गया है। यह भी संभव है कि विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा भी इस दिशा में कोई रुचि न लेने के कारण बिना अभिलेख तैयार करवाये ही न केवल

प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी कीजाती रही ,वरन् भुगतान भी किया जाता रहा। इस योजना से संबंधित समस्त अभिलेखों का लेखापरीक्षा में भौतिक रूप में प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित कराने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है तथा मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों ,अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है।अन्यथा की स्थिति में इसकी वसूली कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी-श्री विजय प्रताप यादव,ग्राम प्रधानश्री राहुल प्रताप यादव, ग्राम पंचायत सचिव श्री शिव सिंह तथा तकनीकी सहायक श्री सुशील वर्मा से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-87 :ग्राम पंचायत-महियावर, विकास खण्ड- मदनापुर, जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा मे पाया गया की ई ग्राम स्वराज पर अंकित कैशबुक एवं व्यय वाउचरों मे निम्न विवरणानुसार मजदूरी/श्रमिकों पर व्यय दर्शित किया गया है –

क्र.	योजना का नाम	वर्क आईडी	ई ग्राम स्वराज वाउचर संख्या व दिनांक	मजदूर/राजमिस्त्री/ अन्य व्यक्ति का नाम	मस्टररोल नंबर	कार्य का विवरण	धनराशि
1.	चौदहवां केंद्रीय वित्त	295758 40	एफ एफ सी /2020-21/ पी/ 1 दिनांक 15-07- 2020	पुरुषोत्तम	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2548
				अशोक	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	6720
				राजीव सक्सेना	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	5096
				अमित कुमार	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2366
				लालाराम	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2548
				नरोत्तम	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2548
				भानु प्रताप सिंह	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	8425
				मोरपाल	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2548
				श्रीनाथ	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2548
				मनीराम	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	6720
				अनिकेत	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2548
				लटूरी	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2548
				श्रवण कुमार	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	6720
				सुनील	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2548
				महेश सिंह	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2548

				संजीव सिंह	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2548
2.	चौदहवां केंद्रीय वित्त	433166 42	एफ एफ सी /2020-21/ पी/ 2 दिनांक 15-07- 2020	भानु प्रताप सिंह	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	6818
				मोरपाल	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	3458
				अशोक	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	8160
				मनीराम	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	3094
				राजीव सक्सेना	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	3094
				अनिकेत	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	3094
				श्रवण कुमार	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	7680
3.	चौदहवां केंद्रीय वित्त	433164 08	एफ एफ सी /2020-21/ पी/3 दिनांक 12-08- 2020	मनीराम	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	3458
				मोरपाल	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	3458
				अनिकेत	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	3458
				भानु प्रताप सिंह	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	9120
				श्रवण कुमार	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	3458
				अशोक	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	9120
				अमित कुमार	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	3458
4.	पन्द्रहवां केंद्रीय वित्त	433226 35	एक्स वी एफ सी /2020-21/ पी/ 1 दि० 07-10- 2020	भानु प्रताप सिंह	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	5760
				मनीराम	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	5760
				अशोक	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	5760
				श्रवण कुमार	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	5760
5.	पन्द्रहवां केंद्रीय वित्त	491555 80	एक्स वी एफ सी /2020-21/ पी/ 4	मनीराम	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	9900
				अनिकेत	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	9900

			दिनांक 24-02-2021	राजीव सक्सेना	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	9900
				अशोक	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	9900
				अमित कुमार	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	9900
6.	पंचम राज्य वित्त	49155631	पंचम वित्त /2020-21/पी/3 दिनांक 15-03-2021	अमित कुमार	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	3819
				मोरपाल	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	3417
				राजीव सक्सेना	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	3819
				मनीराम	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	3819
				अशोक	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	8640
				अनिकेत	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	9120
						योग	237629

उपरोक्त उल्लिखित विवरण के संबंध में आपत्तियाँ निम्न प्रकार हैं -

1. उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से संबंधित व्यय पत्रावलियाँ/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी ।
2. लेखा परीक्षा में राजमिस्त्री/मजदूरी से संबंधित मस्टररोल उपलब्ध नहीं कराए गए ।सक्षम विभागीय अधिकारियों का लेखा परीक्षा में मस्टररोल उपलब्ध कराने के लिए संबंधित को निर्देशित करने हेतु ध्यान आकृष्ट किया जाता है
3. उपरोक्त तालिका में अशोक, राजीव सक्सेना, अमित कुमार, भानु प्रताप सिंह, मनीराम , अनिकेत, श्रवण कुमार, मोरपाल को क्रमशः रु० 48300 ,21909,19543,30123, 32751, 28120,23618, 12881 का भुगतान किया गया है उक्त भुगतान मजदूरी का किया गया है अथवा राजमिस्त्री का स्पष्ट नहीं है स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है ।इसके अतिरिक्त मस्टररोल लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं होने के कारण किए गए भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी । सक्षम विभागीय अधिकारियों का लेखा परीक्षा में मस्टररोल उपलब्ध कराने के लिए संबंधित को निर्देशित करने हेतु ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

अतः उक्त आपत्तियों के अधीन एवं व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं वित्त लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 8 (क) के अंतर्गत गबन माना गया है जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की गयी है अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के संबंध में उ० प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अंतर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में इसकी वसूली ग्राम प्रधान - श्री राहुल प्रताप यादव एवं ग्राम सचिव श्री शिव सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-88 :ग्राम पंचायत-महियावर, विकास खण्ड- मदनपुर, जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया की ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अंकित कैश बुक एवं व्यय वाउचरों में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित किया गया है-

क्र0	योजना का नाम	वर्क आईडी	ई ग्राम स्वराज वाउचर संख्या व दिनांक	फर्म/बेन्डर का नाम	कार्य का विवरण	धनराशि
1.	चौदहवां केंद्रीय वित्त	29575840	चौदहवाँ वित्त /2020-21/पी/ 1 दिनांक 15-07-2020	शिव शक्ति ईट उद्योग	खड़जा	171672
2.	चौदहवां केंद्रीय वित्त	43316642	चौदहवाँ वित्त /2020-21/पी/2 दिनांक 15-07-2020	गोमती इंटरप्राइजेज़	इंटरलाकिंग	93060
				जय माँ दुर्गे ट्रेडिंग कंपनी	इंटरलाकिंग	33219
				शिव शक्ति ईट उद्योग	इंटरलाकिंग	32249
3.	चौदहवां केंद्रीय वित्त	43316408	चौदहवाँ वित्त /2020-21/पी/ 3 दिनांक 12-08-2020	जय माँ दुर्गे ट्रेडिंग कंपनी	नाली निर्माण	86701
				शिव शक्ति ईट उद्योग	नाली निर्माण	50416
4.	चतुर्थ राज्य वित्त	20919980	4 टी एच एस एफ सी /2020-21/ पी/2,दिनांक 27-08-2020	वर्मा मशीनरी स्टोर	टंकी फिटिंग	39228
5.	चतुर्थ राज्य वित्त	43323437	चतुर्थ राज्य वित्त /2020-21/पी/ 3 दिनांक 30-08-2020	एचपी सिंह एशोसिएट	वाल पेंट जीएसटी रजिस्ट्रेशन	4130
				अखिल इंटरप्राइजेज़	वाल पेंट जीएसटी रजिस्ट्रेशन	4000
				जय माँ काली इंटरप्राइजेज़	वाल पेंट जीएसटी रजिस्ट्रेशन	15948
6.	पन्द्रहवां केंद्रीय वित्त	43322635	पन्द्रहवां वित्त /2020-21/पी/ 1 दिनांक 07-10-2020	जय माँ गंगा कंस्ट्रक्शन	कम्यूनिटी टायलेट	117940
				शिव शक्ति ईट उद्योग	कम्यूनिटी टायलेट	101880
7.	पन्द्रहवां केंद्रीय वित्त	43322635	पन्द्रहवां वित्त /2020-21/पी/ 2 दिनांक 27-10-2020	जय माँ गंगा कंस्ट्रक्शन	कम्यूनिटी टायलेट	48000
8.	पंचम राज्य वित्त	43316972	पंचम वित्त /2020-21/ पी/1,दिनांक 10-11-2020	सचिन ट्रेडर्स	स्कूल रिपेयर	54300
				जय माँ गंगा कंस्ट्रक्शन	स्कूल रिपेयर	101900

9.	चतुर्थ राज्य वित्त	43323437	4 टी एच एस एफ सी /2020-21/ पी/5,दिनांक 11-11-2020	प्रजेश सिंह काले	फोटो कॉपी	2000
10.	पन्द्रहवां केंद्रीय वित्त	43322635	पन्द्रहवां वित्त /2020-21/पी/ 3 दिनांक 19-11-2020	जय माँ गंगा कंस्ट्रक्शन	कम्यूनिटी टायलेट	88500
11.	पन्द्रहवां केंद्रीय वित्त	49155580	पन्द्रहवां वित्त /2020-21/पी/ 4 दिनांक 24-02-2021	सचिन ट्रेडर्स	उल्लेख नहीं (वाउचर)	50377
12.	पंचम राज्य वित्त	49155631	पंचम वित्त /2020-21/ पी/3,दिनांक 15-03-2021	शिव शक्ति ईट उद्योग	उल्लेख नहीं (वाउचर)	5681
				सचिन ट्रेडर्स	उल्लेख नहीं (वाउचर)	93927
13.	पंचम राज्य वित्त	49155631	पंचम राज्य वित्त /2020-21/ पी/4,दिनांक 17-03-2021	सचिन ट्रेडर्स	उल्लेख नहीं (वाउचर)	85000
14.	पन्द्रहवां केंद्रीय वित्त	49155631	पन्द्रहवां वित्त /2020-21/पी/5 दिनांक 17-03-2021	सचिन ट्रेडर्स	उल्लेख नहीं (वाउचर)	8927
					योग	1289055

उक्त के संबंध में आपत्तियाँ निम्न प्रकार हैं -

1. उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से संबंधित व्यय पत्रावलि/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकती।
2. उपरोक्त उल्लिखित तालिका में अंकित बेंडरो/फर्मों द्वारा निर्माण सामग्री से संबंधित कार्य करते हैं अथवा नहीं इसकी भी जानकारी प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकती। इनके जीएसटी/पैनपंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकती।
3. उपरोक्त तालिका की क्रम सं 8 पर अंकित वर्क आईडी 43316972 पर सचिन ट्रेडर्स को ₹ 54300 तथा जय माँ गंगा कंस्ट्रक्शन को ₹ 101900 का भुगतान किया गया है किन्तु इस कार्य हेतु मजदूरी/राजमिस्त्री का भुगतान नहीं दर्शित है बिना मजदूरों के कोई भी कार्य किया जाना संभव नहीं है स्पष्ट है कि उक्त फर्मों को दिनांक 10-11-2020 को ₹ 156200 का भुगतान कर स्टॉक/भुगतान का अपहरण किया जाना व ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाया जाना प्रमाणित होता है।
4. उपरोक्त तालिका की क्रम सं 12, 13, व 14 पर अंकित वर्क आईडी 49155631 के द्वारा दिनांक 15-03-2021 को ₹ 132242, दिनांक 17-03-2021 को ₹ 85000 पुनः दिनांक 17-03-2021 को ₹ 8927 का व्यय दर्शित है किन्तु उक्त व्यय किस कार्य/परियोजना पर किया गया है इसका अंकन नहीं किया गया है लेखा परीक्षा में संबंधित कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध करा कर व्यय की पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है।

अतः उक्त आपत्तियों के अधीन एवं व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं वित्त लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 8 (क) के अंतर्गत गबन माना गया है जिसकी वसूली की अपेक्षा

ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की गयी है अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के संबंध में ३० प्र० पंचायत राज नियमावली १९४७ के नियम २५६ के अंतर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में इसकी वसूली ग्राम प्रधान- श्री राहुल प्रताप यादव एवं ग्राम सचिव श्री शिव सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-८९ :ग्राम पंचायत-नरदरा, विकास खण्ड- मदनापुर, जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष २०२०-२१ की मनरेगा योजनान्तर्गत मनरेगा पोर्टल पर दर्शित व्यय की ऑडिट ऑनलाइन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल व्यय १९.२९ लाख का व्यय किया गया है ,जिसमें से ₹० ३.२५ लाख मैटीरियल क्रय पर तथा ₹० १६.०५ लाख मजदूरी पर व्यय किया गया दर्शित है। उक्त योजना में १६.८ प्रतिशत का व्यय सामग्री पर तथा ८३.२ प्रतिशत मजदूरी पर व्यय किया गया है किन्तु उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक/व्यय पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी ,जबकि इस संबंध में प्रमुख सचिव ३०प्र ०शासन के शासनादेश सं/२०१ ०दस ०९/(४३)१०१-२०११-टी.सी .लखनऊ दिनांक २०११-०२-०४एवं आयुक्त ग्राम विकास ३०प्र ०के पत्रांक /८०६सम्प्रेक्षा क्षेत्र ०३ऑडिट दिनांक २०११-०८-०५ में कैशबुक ,आय व्यय विवरण बनाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।इससे प्रतीत होता है कि इस योजना से संबंधित कोई अभिलेख तैयार किए बिना ही योजना का कार्यान्वयन किया गया है। तथा विकास खण्ड स्तर से कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी एवं ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सेवक तथा तकनीकी सहायक द्वारा केवल धनराशियों के भुगतान का उपक्रम किया गया है। यह भी संभव है कि विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा भी इस दिशा में कोई रुचि न लेने के कारण बिना अभिलेख तैयार करवाये ही न केवल प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी कीजाती रही ,वरन् भुगतान भी किया जाता रहा। इस योजना से संबंधित समस्त अभिलेखों का लेखापरीक्षा में भौतिक रूप में प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित कराने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है तथा मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों , अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है।अन्यथा की स्थिति में इसकी वसूली कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी-श्री विजय प्रताप यादव,ग्राम प्रधानश्री लाला राम, तकनीकी सहायक- श्री संजीव कुमार, रोजगार सेवक श्री मोहर पाल तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री राहुल कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-९० : ग्राम पंचायत-सहोरा, विकास खण्ड- मदनापुर, जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष २०२०-२१ की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया की ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अंकित कैश बुक एवं व्यय वाउचरों में निम्न विवरणानुसार हैंड पम्प मरम्मत/रिबोर पर व्यय दर्शित किया गया है :-

क्र०	योजना का नाम	वर्क आईडी	ई ग्राम स्वराज वाउचर संख्या व दिनांक	फर्म/बेन्डर का नाम	कार्य का विवरण	धनराशि
१.	चतुर्थ राज्य वित्त	३३२६०६९४	चतुर्थ राज्य वित्त सी/२०२०-२१/पी/२ दिनांक १५-०७-२०२०	सचिन ट्रेडर्स	हैंडपम्प मरम्मत/रिबोर	₹०३७६००
२.	चतुर्थ राज्य वित्त	३३२६०६९४	चतुर्थ राज्य वित्त सी/२०२०-२१/पी/३ दिनांक १५-०७-२०२०	सचिन ट्रेडर्स	हैंडपम्प मरम्मत/रिबोर	₹०४७७००

उक्त के संबंध में आपत्तियाँ निम्न प्रकार हैं -

- हैंड पम्प मरम्मत/रिबोर व्यय से संबंधित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2. उक्त बैंडर/फर्म हैंडपम्प मरम्मत का कार्य करते हैं अथवा नहीं इसकी जानकारी प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकती। इनके जी एस टी/पैनपंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी भी नहीं हो सकती।
3. एक ही तिथि में तथा समान धनराशि का भुगतान किया गया है जो की मरम्मत/रिबोर पर एक ही प्रकार के कल-पुर्जों की खराबी होने पर ही समान धनराशि का भुगतान किया जा सकता है जो संभव नहीं है इस प्रकार भुगतान में गंभीर अनियमितता की गयी है।
4. एक साथ कई स्थानों के लिए एक आईडी से अथवा बिना आईडी के मरम्मत/रिबोर कार्य करा कर शासनादेश स0- 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015, दिनांक-19 जून 2017 के प्रस्तर 5 के विपरीत कार्य किया गया है।

अतः उक्त आपतियों के अधीन एवं व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं वित्त लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 8 (क) के अंतर्गत गबन माना गया है जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की गयी है अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के संबंध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अंतर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में इसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री रामवीर सिंह एवं ग्राम सचिव श्री शिव सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-91 :ग्राम पंचायत-सहोरा, विकास खण्ड- मदनापुर, जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21 की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया की ई ग्राम स्वराज पर अंकित कैशबुक एवं व्यय वाउचरों में निम्न विवरणानुसार मजदूरी/श्रमिकों पर व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०	योजना का नाम	वर्क आईडी	ई ग्राम स्वराज वाउचर संख्या व दिनांक	मजदूर/राजमिस्त्री का नाम	मस्टररोल नंबर	कार्य का विवरण	धनराशि
1.	चौदहवां केंद्रीय वित्त	43394946	चौदहवां वित्त //2020-21/पी/2 दिनांक 10-11-2020	अजीत कुमार सिंह	उपलब्ध नहीं	राजमिस्त्री/मजदूरी	2550
				सुनील	उपलब्ध नहीं	राजमिस्त्री/मजदूरी	2548
				अवनीश	उपलब्ध नहीं	राजमिस्त्री/मजदूरी	2548
				जयवीर	उपलब्ध नहीं	राजमिस्त्री/मजदूरी	2548
				रणजीत सिंह	उपलब्ध नहीं	राजमिस्त्री/मजदूरी	2548
				कालिया	उपलब्ध नहीं	राजमिस्त्री/मजदूरी	2548
				आलोक	उपलब्ध नहीं	राजमिस्त्री/मजदूरी	2548
				मूंगा लाल मिस्त्री	उपलब्ध नहीं	राजमिस्त्री/मजदूरी	5280
				राम किशन	उपलब्ध नहीं	राजमिस्त्री/मजदूरी	2548
				ब्रज पाल मिस्त्री	उपलब्ध नहीं	राजमिस्त्री/मजदूरी	2548

						योग	28214

उपरोक्त उल्लिखित विवरण के संबंध में आपत्तियाँ निम्न प्रकार हैं -

1. उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से संबंधित व्यय पत्रावलियाँ/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकती ।

2. लेखा परीक्षा में मजदूरी से संबंधित मस्टररोल उपलब्ध नहीं रहा जिससे उपरोक्त व्यय अपुष्ट रहा ।

अतः उक्त आपत्तियों के अधीन एवं व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं वित्त लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 8 (क) के अंतर्गत गबन माना गया है जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की गयी है अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के संबंध में 30 प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अंतर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में इसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री रामवीर सिंह एवं ग्राम सचिव श्री शिव सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-92 :ग्राम पंचायत-सहोरा, विकास खण्ड- मदनापुर, जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21 कीमनरेगा योजनान्तर्गत मनरेगा पोर्टल पर दर्शित व्यय की ऑडिट ऑनलाइन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल व्यय रु० 3.18 लाख का व्यय किया गया है ,जिसमें से रु० 1.99 लाख मैटीरियल क्रय पर तथा रु० 1.9 लाख मजदूरी पर व्यय किया गया दर्शित है। उक्त योजना में 63 प्रतिशत का व्यय सामग्री पर तथा 37 प्रतिशत मजदूरी पर व्यय किया गया है ,जोकि शासनादेश द्वारा निर्धारित मजदूरी तथा सामग्री पर व्ययअनुपात 60:40 के विपरीत है इसके अतिरिक्त उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक/व्यय पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी ,जबकि इस संबंध में प्रमुख सचिव 30प्र 0शासन के शासनादेश सं/201 0दस-2011-09/(43)101टी.सी .लखनऊ दिनांक 2011-02-04एवं आयुक्त ग्राम विकास 30प्र 0के पत्रांक/806 सम्प्रेक्षा क्षेत्र 0 ऑडिट दिनांक 2011-08-05 में कैशबुक ,आय व्यय विवरण बनाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।इससे प्रतीत होता है कि इस योजना से संबंधित कोई अभिलेख तैयार किए बिना ही योजना का कार्यान्वयन किया गया है। तथा विकास खण्ड स्तर से कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी एवंग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत सचिव रोजगार सेवक तथा तकनीकी सहायक द्वारा केवल धनराशियों के भुगतान का उपक्रम किया गया है। यह भी संभव है कि विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा भी इस दिशा में कोई रुचि न लेने के कारण बिना अभिलेख तैयार करवाये ही न केवल प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी कीजाती रही ,वरन् भुगतान भी किया जाता रहा। इस योजना से संबंधित समस्त अभिलेखों का लेखापरीक्षा में भौतिक रूप में प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित कराने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । अन्यथा की स्थिति में इसकी वसूली कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी- श्री विजय प्रताप यादव,ग्राम प्रधान- श्री रामवीर सिंह, ग्राम पंचायत सचिव- श्री शिव सिंह तथा तकनीकी सहायक- श्री शिव रतन से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-93 :ग्राम पंचायत-सहोरा, विकास खण्ड- मदनापुर, जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21 कीऑनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि ई ग्राम स्वराज पर अंकित कैश बुक तथा पेमेंट वाउचर विवरण में दिनांक 30-08-2020 को वर्क आईडी 43395084 पर निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है :-

क्र०	फर्म/बेन्डर का नाम	कार्य का विवरण	धनराशि (रु)
1.	एचपी सिंह एंड एशोसिएट	वाल पेंटिंग एंड जीएसटी रजिस्ट्रेशन	4130
2.	अखिल इंटर प्राइजेज़	वाल पेंटिंग एंड जीएसटी रजिस्ट्रेशन	4000
3.	जय माँ काली इंटर प्राइजेज़	वाल पेंटिंग एंड जीएसटी रजिस्ट्रेशन	15411
		योग	23541

उक्त के संबंध में आपत्तियाँ निम्न प्रकार हैं -

1. उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से संबंधित व्यय पत्रावलियाँ/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकती ।

2. उपरोक्त उल्लिखित तालिका में अंकित बैंडरो/फर्मों द्वारा संबन्धित कार्य किया जाता अथवा नहीं इसकी जानकारी प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी। इनके जी एस टी/पैन पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।
3. उपरोक्त तालिका में स्पष्ट नहीं है कि फर्मों/बैंडरों के द्वारा कौन सा कार्य किया गया है कार्य कि पुष्टि कराएजाने के संबंध में सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

अतः उक्त आपतियों के अधीन एवं व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं वित्त लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 8 (क) के अंतर्गत गबन माना गया है जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की गयी है अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के संबंध में 30 प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अंतर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में इसकी वसूली ग्राम प्रधान – श्री रामवीर सिंह एवं ग्राम सचिव श्री शिव सिंह से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-94 :ग्राम पंचायत-सहोरा, विकास खण्ड- मदनापुर, जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21 की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया की ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अंकित कैश बुक एवं व्यय वाउचरों में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है :-

क्र०	योजना का नाम	वर्क आईडी	ई ग्राम स्वराज वाउचर संख्या व दिनांक	फर्म/बेन्डर का नाम	कार्य का विवरण	धनराशि
1.	चौदहवां केंद्रीय वित्त	43394946	चौदहवाँ वित्त /2020-21/पी/1 दिनांक 11-08-2020	चमन इंटरप्राइजेज सचिन ट्रेडर्स	इंटरलाकिंग इंटरलाकिंग	100072 20972
2.	चतुर्थ राज्य वित्त	20193586	चतुर्थ राज्य वित्त /2020-21/पी/9 दिनांक 09-11-2020	सचिन ट्रेडर्स	स्टेशनरी क्रय	37500
3.	पन्द्रहवां केंद्रीय वित्त	43392453	पंद्रहवाँ वित्त /2020-21/पी/1 दिनांक 09-11-2020	सचिन ट्रेडर्स	टॉइलेट	100
4.	चतुर्थ राज्य वित्त	20193586	चतुर्थ राज्य वित्त सी/2020-21/पी/10,दि० 10-11-20	राजेश सिंह काले	फोटो कार्य	2200
5.	चौदहवां केंद्रीय वित्त	43394946	चौदहवाँ वित्त /2020-21/पी/2 दिनांक 10-11-2020	सिंह ब्रिक फील्ड	पीएस इंटरलाकिंग	21493
6.	पंचम राज्य वित्त	43395065	पंचम वित्त /2020-21/पी/1 दिनांक 01-12-2020	सचिन ट्रेडर्स	सफाई टॉइलेट	100
7.	पन्द्रहवां केंद्रीय वित्त	43392453	पंद्रहवाँ वित्त /2020-21/पी/2 दिनांक 01-12-2020	राम बिल्डर एंड कान्ट्रेक्टर	कम्युनिटी टॉइलेट	110000
8.	पन्द्रहवां केंद्रीय वित्त	43392453	पन्द्रहवाँ वित्त /2020-21/पी/3 दिनांक 01-12-2020	चमन इंटरप्राइजेज राम बिल्डर एंड कान्ट्रेक्टर	कम्युनिटी टॉइलेट कम्युनिटी टॉइलेट	20000 90000

					योग	402437

उक्त के संबंध में आपत्तियाँ निम्न प्रकार हैं -

1. उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से संबंधित व्यय पत्रावलि/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकती।
2. उपरोक्त उल्लिखित तालिका में अंकित बैंडरो/फर्मों द्वारा निर्माण सामग्री से संबंधित का कार्य करते हैं अथवा नहीं इसकी भी जानकारी प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकती। इनके जी एस टी/पीएन पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकती।

3. उपरोक्त तालिका में क्रम सं० 7 व 8 पर अंकित वर्क आईडी 43392453 पर कम्युनिटी टॉइलेट मद में व्यय दर्शित करते हुए राम बिल्डर एंड कान्ट्रेक्टर तथा चमन इंटर प्राइजेज को क्रमशः ₹० 200000 व ₹० 20000 का भुगतान किया गया है किन्तु किसी भी प्रकार की मजदूरी/राजमिस्त्री मद में व्यय दर्शित नहीं है बिना मजदूरी के कार्य संभव नहीं है। इस संबंध में व्यय की पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणक/व्यय पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कराये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

अतः उक्त आपत्तियों के अधीन एवं व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं वित्त लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 8 (क) के अंतर्गत गबन माना गया है जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की गयी है अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के संबंध में उ० प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अंतर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में इसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री रामवीर सिंह एवं ग्राम सचिव श्री शिव सिंह से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-95 :ग्राम पंचायत-त्रिलोकपुर, विकास खण्ड- मदनापुर, जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21 की मनरेगा योजनान्तर्गत मनरेगा पोर्टल पर दर्शित व्यय की ऑडिट ऑनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल व्यय ₹० 36.55 लाख का व्यय किया गया है ,जिसमें से ₹० 21.04 लाख मैटीरियल क्रय पर तथा ₹० 14.58 लाख मजदूरी पर व्यय किया गया दर्शित है। उक्त योजना में 57.56 प्रतिशत का व्यय सामग्री पर तथा 42.44 प्रतिशत मजदूरी पर व्यय किया गया है ,जोकि शासनादेश द्वारा निर्धारित मजदूरी तथा सामग्री पर व्यय अनुपात 60 :40 के विपरीत है इसके अतिरिक्त उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक/व्यय पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी ,जबकि इस संबंध में प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश सं/2010 दस 09/(43)101-2011-टी.सी .लखनऊ दिनांक 2011-02-04 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक /806 सम्प्रेक्षा क्षेत्र 0 ऑडिट दिनांक 2011-08-05 में कैशबुक ,आय व्यय विवरण बनाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। इससे प्रतीत होता है कि इस योजना से संबंधित कोई अभिलेख तैयार किए बिना ही योजना का कार्यान्वयन किया गया है। तथा विकास खण्ड स्तर से कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी एवं ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत सचिव रोजगार सेवक तथा तकनीकी सहायक द्वारा केवल धनराशियों के भुगतान का उपक्रम किया गया है। यह भी संभव है कि विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा भी इस दिशा में कोई रुचि न लेने के कारण बिना अभिलेख तैयार करवाये ही न केवल प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी की जाती रही ,वरन् भुगतान भी किया जाता रहा। इस योजना से संबंधित समस्त अभिलेखों का लेखा परीक्षा में भौतिक रूप में प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित कराने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है तथा मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों ,अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में इसकी वसूली कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी-श्री विजय प्रताप यादव, ग्राम प्रधान- श्री प्रदीप कुमार, ग्राम पंचायत सचिव श्री राजेश कुमार तथा तकनीकी सहायक श्री सुशील वर्मा से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-96 :ग्राम पंचायत- कोना याकूबपुर, विकास खण्ड- मदनापुर, जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया की ई ग्राम स्वराज पर अंकित कैशबुक एवं व्यय वाउचरों में निम्न विवरणानुसार मजदूरी/श्रमिकों पर व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०	योजना का नाम	वर्क आईडी	ई ग्राम स्वराज वाउचर संख्या व दिनांक	मजदूर/राजमिस्त्री/अन्य व्यक्ति का नाम	मस्टररोल नंबर	कार्य का विवरण	धनराशि
1.	चतुर्थ राज्य वित्त	43735299	4 टी एच एस एफ सी /2020-21/ पी/2, दि० 31-07-2020	अनूप कुमार	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	655
				आदित्य कुमार	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	1407
				राजेश	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	1407
				मनोज	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	804
				अशोक कुमार गुप्ता	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	9834
				कृष्ण कुमार	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	3360
				राजेश सिंह	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	1407
				सगवती	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	1407
2.	चौदहवां केंद्रीय वित्त	43734426	चौदहवां वित्त /2020-21/पी/1 दि० 31-07-20	राघवेंद्र	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2814
				ओमवीर	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2814
				अशोक कुमार गुप्ता	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	9192
				रूपा देवी	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2814
				मनोज	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2814
				आदित्य कुमार	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2814
				राजेश	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	5760
				अनूप कुमार	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	5283
				कृष्ण कुमार	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	6720
				पप्पू	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2814
				सगवती	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	1809
				राजेश सिंह	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2814

				सगवती	उपलब्ध नही	व्यक्तिगत भुगतान	2814
3.	चौदहवां केंद्रीय वित्त	43734444	चौदहवाँ वित्त /2020- 21/पी/2 दिनांक 31- 07-2020	अशोक कुमार गुप्ता	उपलब्ध नही	व्यक्तिगत भुगतान	20813
				राघवेंद्र	उपलब्ध नही	व्यक्तिगत भुगतान	2814
				रोशनी	उपलब्ध नही	व्यक्तिगत भुगतान	402
				ओमवीर	उपलब्ध नही	व्यक्तिगत भुगतान	2814
				अनूप कुमार	उपलब्ध नही	व्यक्तिगत भुगतान	7854
				पप्पू	उपलब्ध नही	व्यक्तिगत भुगतान	2814
				सोमवती	उपलब्ध नही	व्यक्तिगत भुगतान	2814
				रूपा देवी	उपलब्ध नही	व्यक्तिगत भुगतान	2814
				राजेश	उपलब्ध नही	व्यक्तिगत भुगतान	2814
				आदित्य कुमार	उपलब्ध नही	व्यक्तिगत भुगतान	2814
				मनोज	उपलब्ध नही	व्यक्तिगत भुगतान	2814
				कृष्ण कुमार	उपलब्ध नही	व्यक्तिगत भुगतान	6720
				सगवती	उपलब्ध नही	व्यक्तिगत भुगतान	2814
				राजेश सिंह	उपलब्ध नही	व्यक्तिगत भुगतान	6720
4.	चतुर्थ राज्य वित्त	43734619	चतुर्थ राज्य वित्त सी /2020- 21/पी/4, दि018-08-20	कृष्ण कुमार	उपलब्ध नही	व्यक्तिगत भुगतान	1608
				आदित्य कुमार	उपलब्ध नही	व्यक्तिगत भुगतान	840
				पप्पू	उपलब्ध नही	व्यक्तिगत भुगतान	421
5.	चौदहवां केंद्रीय वित्त	4373409 5	चौदहवाँ वित्त /2020- 21/पी/ 3 दिनांक 18- 08-2020	सगवती	उपलब्ध नही	व्यक्तिगत भुगतान	1206
				अशोक कुमार गुप्ता	उपलब्ध नही	व्यक्तिगत भुगतान	8609
				आदित्य कुमार	उपलब्ध नही	व्यक्तिगत भुगतान	1206

				कृष्ण कुमार	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	1920
6.	चौदहवां केंद्रीय वित्त	18467207	चौदहवाँ वित्त /2020-21/पी/ 4 दिनांक 22-08-2020	आदित्य कुमार	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2814
				राजेश	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2814
				पप्पू	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	1380
				अशोक कुमार गुप्ता	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	14187
				कृष्ण कुमार	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2814
				सगवती	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2211
7.	चौदहवां केंद्रीय वित्त	43734095	चौदहवाँ वित्त /2020-21/पी/ 5 दिनांक 22-08-2020	आदित्य कुमार	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	1206
				अशोक कुमार गुप्ता	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	8609
				सगवती	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	1206
				कृष्ण कुमार	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	1920
8.	चतुर्थ राज्य वित्त	43734112	चतुर्थ राज्य वित्त /2020-21/पी/ 5 दिनांक 27-08-2020	अशोक कुमार गुप्ता	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	20694
				कृष्ण कुमार	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2814
				पप्पू	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2211
				सगवती	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2814
				आदित्य कुमार	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	3840
9.	चतुर्थ राज्य वित्त	43734549	चतुर्थ राज्य वित्त /2020-21/पी/ 6 दिनांक 27-08-2020	अशोक कुमार गुप्ता	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	7782
				कृष्ण कुमार	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2814
				सगवती	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2412
				आदित्य कुमार	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2880
				पप्पू	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	628

10.	चतुर्थ राज्य वित्त	44489988	चतुर्थ राज्य वित्त /2020-21/पी/ 7 दिनांक 27-08-2020	सगवती	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2814
				कृष्ण कुमार	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2814
				अशोक कुमार गुप्ता	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	15410
				आदित्य कुमार	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2880
11.	पन्द्रहवां केंद्रीय वित्त	43733987	पन्द्रहवां वित्त /2020-21/पी/2 दि030-10-20	श्याम कुमार शुक्ला	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	14400
				संदीप वर्मा	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	14400
12.	पंचम राज्य वित्त	45487762	पंचम वित्त /2020-21/पी/ 4 दिनांक 23-03-2021	पप्पू	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान(मिस्री)	12000
				राजेश	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान(मिस्री)	12000
				राघवेन्द्र	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान(मिस्री)	12000
				मनोज	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान(मिस्री)	12000
				आदित्य कुमार	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान(मिस्री)	16320
						योग	360290

उपरोक्त उल्लिखित विवरण के संबंध में आपत्तियाँ निम्न प्रकार हैं -

1. उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से संबंधित व्यय पत्रावलियाँ/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
2. लेखा परीक्षा में राजमिस्री/मजदूरी से संबंधित मस्टररोल उपलब्ध नहीं कराए गए। सक्षम विभागीय अधिकारियों का लेखा परीक्षा में मस्टररोल उपलब्ध कराने के लिए संबंधित को निर्देशित करने हेतु ध्यान आकृष्ट किया जाता है।
3. उपरोक्त तालिका में अशोक कुमार गुप्ता को रु० 115130, आदित्य कुमार को रु० 39021, राजेश को रु० 24795, कृष्ण कुमार को रु० 33504, पप्पू को रु० 22268, श्याम कुमार शुक्ला को रु० 14400, संदीप वर्मा को रु० 14400, अनूप कुमार को रु० 13792, मनोज को रु० 18432, सगवती को रु० 21507, राघवेन्द्र को रु० 17628 का भुगतान किया गया है। इतनी बड़ी धनराशि का व्यक्तिगत भुगतान लेखा परीक्षा में अपुष्ट रहा तथा कार्य की प्रकृति भी अज्ञात रही। लेखा परीक्षा में संबंधित कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध करा कर व्यय की पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है।

अतः उक्त आपत्तियों के अधीन एवं व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं वित्त लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 8 (क) के अंतर्गत गबन माना गया है जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की गयी है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के संबंध में उ० प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अंतर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है अन्यथा की स्थिति में इसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री श्याम किशोर एवं ग्राम सचिव श्री शिव सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-97 :ग्राम पंचायत- कोना याकूबपुर, विकास खण्ड- मदनापुर, जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा मे पाया गया की ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अंकित कैश बुक एवं व्यय वाउचरों मे निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित किया गया है।

क्र	योजना का नाम	वर्क आईडी	ई ग्राम स्वराज वाउचर संख्या व दिनांक	फर्म/बेन्डर का नाम	कार्य का विवरण	धनराशि
1.	चतुर्थ राज्य वित्त	43735299	चतुर्थ राज्य वित्त /2020-21/पी/2,दि0 31-07-2020	आजाद ब्रिक फील्ड	नाली निर्माण	22561
2.	चौदहवां केंद्रीय वित्त	43734426	चौदहवाँ वित्त /2020-21/पी/ 1 दिनांक 31-07-2020	आजाद ब्रिक फील्ड	खड़जा निर्माण	114299
3.	चौदहवां केंद्रीय वित्त	43734444	चौदहवाँ वित्त /2020-21/पी/ 2 दिनांक 31-07-2020	आजाद ब्रिक फील्ड	नाली निर्माण	89303
4.	चतुर्थ राज्य वित्त	43734619	चतुर्थ राज्य वित्त /2020-21/पी/4,दि0 18-08-2020	आजाद ब्रिक फील्ड	खड़जा निर्माण	8425
5.	चौदहवां केंद्रीय वित्त	43734095	चौदहवाँ वित्त /2020-21/पी/ 3 दिनांक 18-08-2020	आजाद ब्रिक फील्ड	नाली निर्माण	6281
6.	चौदहवां केंद्रीय वित्त	18467207	चौदहवाँ वित्त /2020-21/पी/ 4 दिनांक 22-08-2020	आजाद ब्रिक फील्ड	सीसी इंटरलाकिंग	40341
7.	चौदहवां केंद्रीय वित्त	43734095	चौदहवाँ वित्त /2020-21/पी/ 5 दिनांक 22-08-2020	आजाद ब्रिक फील्ड	नाली निर्माण	6281
8.	चतुर्थ राज्य वित्त	43734112	चतुर्थ राज्य वित्त /2020-21/पी/5,दि0 27-08-2020	आजाद ब्रिक फील्ड	नाली निर्माण	19889
9.	चतुर्थ राज्य वित्त	43734549	चतुर्थ राज्य वित्त /2020-21/पी/6,दि0 27-08-2020	आजाद ब्रिक फील्ड	नाली निर्माण	19349
10.	चतुर्थ राज्य वित्त	44489988	चतुर्थ राज्य वित्त /2020-21/पी/7,दि0 27-08-2020	आजाद ब्रिक फील्ड	नाली निर्माण	11732
11.	चतुर्थ राज्य वित्त	44490163	चतुर्थ राज्य वित्त /2020-21/पी/8,दि0 30-08-2020	जय माँ काली इंटरप्राइजेज	वाल पेंटिंग	16203
12.	चतुर्थ राज्य वित्त	44490112	चतुर्थ राज्य वित्त /2020-21/पी/9,दि0 30-08-2020	अखिल इंटर प्राइजेज	प्रशासनिक व्यय	4000

13.	चतुर्थ राज्य वित्त	43735874	चतुर्थ राज्य वित्त /2020-21/पी/10, दि017-09-20	सचिन ट्रेडर्स	अन्य व्यय	56300
14.	पन्द्रहवां केंद्रीय वित्त	43733987	पंद्रहवाँ वित्त /2020-21/पी/1 दिनांक 14-10-2020	जय माँ काली इंटरप्राइजेज	टायलेट	247706
15.	चतुर्थ राज्य वित्त	43735874	चतुर्थ राज्य वित्त /2020-21/पी/11, दि0 30-10-2020	गणपति इंटरप्राइजेज	बैटरी रिपेयर	5800
16.	पंचम राज्य वित्त	45487795	पंचम वित्त /2020-21/पी/2, दि0 21-12-2020	बैटरी हाउस शहजादपुर	बैटरी हाउस	24800
17.	पंचम राज्य वित्त	45487762	पंचम वित्त /2020-21/पी/3, दि0 21-12-2020	शान ग्रिड वर्क्स	उल्लेख नहीं (वाउचर)	56400
				आजाद ब्रिक फील्ड	उल्लेख नहीं (वाउचर)	57487
18.	पन्द्रहवां केंद्रीय वित्त	45487762	पंद्रहवाँ वित्त /2020-21/पी/ 3 दिनांक 21-12-2020	अशोक कुमार गुप्ता	मैटीरियल	101514
19.	पन्द्रहवां केंद्रीय वित्त	45487762	पंद्रहवाँ वित्त /2020-21/पी/ 5 दिनांक 23-03-2021	शान ग्रिल वर्क्स	पीबी पेमेंट	31353
				आजाद ब्रिक फील्ड	पीबी पेमेंट	58006
				अशोक कुमार गुप्ता	पीबी पेमेंट	89947
					योग	1087977

उक्त के संबंध में आपत्तियाँ निम्न प्रकार हैं -

1. उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से संबंधित व्यय पत्रावलियाँ/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
2. उपरोक्त उल्लिखित तालिका में अंकित बेंडरो/फर्मों द्वारा निर्माण सामग्री से संबंधित कार्य करते हैं अथवा नहीं इसकी भी जानकारी प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी। इनके जी एस टी /पैन पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।
3. उपरोक्त तालिका की क्रम सं 5 व 7 पर अंकित वर्क आईडी 43734095 पर नाली निर्माण कार्य हेतु आजाद ब्रिक फील्ड को दिनांक 18-08-2020 तथा 22-08-2020 को रु० 6281 का भुगतान दो बार किया गया है एक ही वर्क आईडी पर समान धनराशि का दो बार भुगतान किया जाना गंभीर अनियमितता को स्पष्ट करता है कार्य पत्रवाली/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कर उपरोक्त उल्लिखित तिथियों में किए गए व्यय की पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है।
4. उपरोक्त तालिका की क्रम सं 14 पर अंकित वर्क आईडी 43733987 के द्वारा जय माँ काली इंटर प्राइजेज को दिनांक 14-10-2020 को रु० 247706 का भुगतान किया गया है उक्त आईडी पर मजदूर/श्रम में व्यय अंकित नहीं किया गया है लेखा परीक्षा में संबंधित कार्य पत्रवाली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध करा कर व्यय की पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है।
5. उपरोक्त तालिका की क्रम सं 17, 18 व 19 पर अंकित वर्क आईडी 45487762 के द्वारा दिनांक 21-12-2020 को शान ग्रिल वर्क्स रु० 56400, आजाद ब्रिक फील्ड को रु० 57487 तथा अशोक कुमार गुप्ता को रु० 105514 का भुगतान किया गया है इसी प्रकार दिनांक 23-03-2021 को शान ग्रिल वर्क्स को रु० 31353, आजाद ब्रिक फील्ड को रु० 58000 तथा अशोक कुमार गुप्ता को रु० 89947 का भुगतान किया

गया है किन्तु उक्त भुगतान किस कार्य/परियोजना पर किया गया है ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अंकित कैशबुक/पेमेंट वाउचर में उल्लिखित नहीं है लेखा परीक्षा में संबंधित कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध करा कर व्यय कि पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है।

अतः उक्त आपतियों के अधीन एवं व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं वित्त लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 8 (क) के अंतर्गत गबन माना गया है जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की गयी है अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के संबंध में उ० प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अंतर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में इसकी वसूली ग्राम प्रधान- श्री श्याम किशोर एवं ग्राम सचिव श्री शिव सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-98 :ग्राम पंचायत- कोना याकूबपुर, विकास खण्ड- मदनापुर, जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21 की मनरेगा योजनान्तर्गत मनरेगा पोर्टल पर दर्शित व्यय की ऑडिट ऑनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल व्यय 17.89 लाख का व्यय किया गया है जिसमें से ₹0 6.73 लाख मैटीरियल क्रय पर तथा ₹011.16 लाख मजदूरी पर व्यय किया गया दर्शित है। उक्त योजना में 37.6 प्रतिशत का व्यय सामग्री पर तथा 62.4 प्रतिशत मजदूरी पर व्यय किया गया है किन्तु उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक/व्यय पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयीजबकि इस संबंध में प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश सं०-201/दस-2011-101(43)/09 टी सी लखनऊ 04फरवरी-2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक:806/सम्प्रेक्षा क्षेत्र०प० ऑडिट दिनांक 05-08-2011 में कैशबुक ,आय व्यय विवरण बनाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।इससे प्रतीत होता है कि इस योजना से संबंधितकोई अभिलेख तैयार किए बिना ही योजना का कार्यान्वयन किया गया है तथा विकास खण्डस्तरसे कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी एवंग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधान,ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सेवक तथा तकनीकीसहायक द्वारा केवल धनराशियों के भुगतान का उपक्रम किया गया है। यह भी संभव है किविकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा इस दिशा में कोई रुचि न लेने केकारण बिना अभिलेख तैयार करवाये ही न केवल प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी कीजाती रही वरन् भुगतान भी किया जाता रहा। इस योजना से संबंधित समस्त अभिलेखों का लेखापरीक्षा में भौतिक रूप में प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित कराने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है तथा मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओंहेतु जारी सुसंगत नियमों/अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है।अन्यथा की स्थिति में इसकीवसूली कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारीश्री विजय प्रताप यादव,ग्राम प्रधान श्री श्याम किशोर तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री शिव सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-99 :ग्राम पंचायत- कोना याकूबपुर, विकास खण्ड- मदनापुर, जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21 की ऑनलाईन लेखा परीक्षा में पाया गया की ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अंकित कैश बुक एवं व्यय वाउचरों में निम्न विवरणानुसार हैंड पम्प मरम्मत/रिबोर पर व्यय दर्शित किया गया है ।

क्र	योजना का नाम	वर्क आई डी न.	ई-ग्राम स्वराज वाउचर न.एवं दिनांक	फर्म/बैंडर का नाम	कार्य का विवरण	धनराशि
1.	चतुर्थ राज्य वित्त	28709832	चतुर्थ राज्य वित्त /2020-21/पी/1 31-07-2020	सचिन ट्रेडर्स	हैंडपम्प रिपेयर	58900
2.	चतुर्थ राज्य वित्त	44490112	चतुर्थ राज्य वित्त /2020-21/पी/12 09-11-2020	नारायन ट्रेडर्स	हैंडपम्प रिबोर	88300
3.	पंचम राज्य वित्त	43793751	पंचम राज्य वित्त /2020-21/पी/1 21-12-2020	सचिन ट्रेडर्स	हैंडपम्प रिबोर	46400
4.					योग	193600

उक्त के संबंध में आपत्तियाँ निम्न प्रकार हैं -

1. हैंड पम्प मरम्मत/रिबोर व्यय से संबंधित व्यय पत्रावलियाँ/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
2. उक्त बैंडर/फर्म हैंड पम्प मरम्मत का कार्य करते हैं अथवा नहीं इसकी भी जानकारी प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी। इनके जी एस टी/पैन पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।
3. एक ही तिथि में तथा समान धनराशि का भुगतान किया गया है जो की मरम्मत/रिबोर पर एक ही प्रकार के कल-पुर्जों की खराबी होने पर ही समान धनराशि का भुगतान किया जा सकता है जो संभव नहीं है इस प्रकार भुगतान में गंभीर अनियमितता की गयी है।

अतः उक्त आपत्तियों के अधीन एवं व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं वित्त लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 8 (क) के अंतर्गत गबन माना गया है जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की गयी है अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के संबंध में उ० प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अंतर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में इसकी वसूली ग्राम प्रधान -श्री श्याम किशोर एवं ग्राम सचिव श्री शिव सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-100 :ग्राम पंचायत-जिराऊ, विकास खण्ड- मदनापुर, जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21 की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया की ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अंकित कैश बुक एवं व्यय वाउचरों में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०	योजना का नाम	वर्क आईडी	ई ग्राम स्वराज वाउचर संख्या व दिनांक	फर्म/बेन्डर का नाम	कार्य का विवरण	धनराशि
1.	चौदहवां केंद्रीय वित्त	18832331	चौदहवां केंद्रीय वित्त /2020-21/पी/1 दिनांक 06-05-2020	सचिन ट्रेडर्स	उल्लेख नहीं	17013
				सेजल ब्रिक इंडस्ट्रीज	उल्लेख नहीं	114623
				शिवसुधा बिल्डिंग मैटीरियल	उल्लेख नहीं	29480
2.	चतुर्थ राज्य वित्त	18832328	चतुर्थ राज्य वित्त सी/2020-21/पी/1 दिनांक 11-05-2020	सचिन ट्रेडर्स	उल्लेख नहीं	6500
3.	चौदहवां केंद्रीय वित्त	42878340	चौदहवां वित्त /2020-21/पी/2 दिनांक 19-08-2020	सेजल ब्रिक इंडस्ट्रीज	इंटरलाकिंग	90063
				शिवसुधा बिल्डिंग मैटीरियल	इंटरलाकिंग	42537
				आजाद ब्रिक फील्ड	इंटरलाकिंग	44489
4.	चतुर्थ राज्य वित्त	21204371	चतुर्थ राज्य वित्त /2020-21/पी/12 दिनांक 06-11-2020	सचिन ट्रेडर्स	मिट्टी कार्य	15000
5.	पंचम राज्य वित्त	42881095	पंचम वित्त /2020-21/पी/1	सचिन ट्रेडर्स	ठेली परचेज एंड सैनिटेशन	33400

			दिनांक 02-12-2020			
6.	पंचम राज्य वित्त	42881196	पंचम वित्त /2020-21/पी/3 दिनांक 02-12-2020	सचिन ट्रेडर्स	स्कूल मरम्मत	44800
7.	पन्द्रहवाँकेंद्रीय वित्त	42877830	पन्द्रहवाँ वित्त /2020-21/पी/2 दिनांक 20-12-2020	जय माँ काली इंटर प्राइजेज	कम्यूनिटी टॉइलेट	236236
					योग	674141

उक्त के संबंध में आपत्तियाँ निम्न प्रकार हैं -

1. उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से संबंधित व्यय पत्रावलियाँ/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकती।
2. उपरोक्त उल्लिखित तालिका में अंकित बेंडरो/फर्मों द्वारा निर्माण सामग्री से संबंधित का कार्य करते हैं अथवा नहीं इसकी भी जानकारी प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकती। इनके जीएसटी/पीAN पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकती।
3. उपरोक्त तालिका में ठेली परचेस व सैनिटेशन कार्य पर रु० 33400 का व्यय दर्शित कर सचिन ट्रेडर्स को भुगतान किया गया है। इसी प्रकार मिट्टी क्रय, स्कूल मरम्मत तथा हैंडपम्प मरम्मत आदि के कार्य किए गए हैं इस प्रकार सचिन ट्रेडर्स द्वारा ग्राम पंचायत में विभिन्न प्रकार के सामग्रियों, सेवा की आपूर्ति क्रय में भारी अनियमितता को दर्शाता है।

अतः उक्त आपत्तियों के अधीन एवं व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं वित्त लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 8 (क) के अंतर्गत गबन माना गया है जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की गयी है अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के संबंध में उ० प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अंतर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में इसकी वसूली ग्राम प्रधान - श्री रामभरोसे एवं ग्राम सचिव श्री शिव सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-101 :ग्राम पंचायत-जिराऊ, विकास खण्ड- मदनापुर, जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21की लेखा परीक्षा में पाया गया की ई ग्राम स्वराज पर अंकित कैशबुक एवं व्यय वाउचरों में निम्न विवरणानुसार मजदूरी/राजमिस्त्री एवं अन्य व्यक्तियों को भुगतान कर व्यय दर्शित किया गया है -

क्र 0.	योजना का नाम	वर्क आईडी	ई ग्राम स्वराज वाउचर सं०/दि०	मजदूर/राजमि स्त्री/अन्य व्यक्ति का नाम	मस्टररोल नंबर	कार्य का विवरण	धनराशि
1.	चौदहवाँ केंद्रीय वित्त	18832331	चौदहवाँ वित्त /2020-21/पी/1, दि० 06-05-20	गोविंद	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	6720
				संतराम	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	3115
				अरुण कुमार	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2548
				जगमोहन	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2548

				नर सिंह	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2548
				अरुण कुमार	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2548
				अमर सिंह	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2548
				मगन पाल	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	6720
				रघु राज	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2548
				अंगद सिंह	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2548
				सत्य प्रकाश	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	1820
				प्रमोद कुमार	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2400
2.	चौदहवां केंद्रीय वित्त	4287834 0	चौदहवाँ वित्त /2020- 21/पी/2,दिनांक 19- 08-2020	नर वीर	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2814
				संत कुमार	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2295
				जगमोहन	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2814
				सुभाष	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	804
				गोविंद	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	4320
				अरुण कुमार	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	6720
				अरुण कुमार	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	6720
				सत्य प्रकाश	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2814
				मगन पाल	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2814
				रघु राज	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2814
				प्रमोद कुमार	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	2814
3.	पन्द्रहवां केंद्रीय वित्त	4287783 0	पंद्रहवाँ वित्त /2020- 21/पी/3.दिनांक 20- 12-2020	राम लडैते	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	9600
				राम लडैते	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	9600

				राज कुमार	उपलब्ध नहीं	व्यक्तिगत भुगतान	9600
						योग	105154

उपरोक्त उल्लिखित विवरण के संबंध में आपत्तियाँ निम्न प्रकार हैं -

1. उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से संबंधित व्यय पत्रावलियाँ/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी ।
2. लेखा परीक्षा में मजदूरी से संबंधित मस्टररोल उपलब्ध नहीं कराया गया ।
3. उक्त तालिका में एक ही तिथि में दर्शित व्ययों से संबंधित ऑडिट में उपलब्ध (ई ग्राम स्वराज)उक्त कार्य शासनादेश एवं व्यय प्रमाणक नियमों के विपरीत है।
4. क्रम स० 1 व 2 पर अंकित वर्क आईडी क्रमशः 18832331 व 43878340 पर अरुण कुमार को दो-दो बार भुगतान किया गया है इसी प्रकार क्रम स० 3 पर अंकित वर्क आईडी 42877830 पर श्री राम लडैते को दो बार भुगतान किया गया है स्पष्ट रूप से काल्पनिक मस्टररोल तैयार कर भुगतान कर धनराशि का अपहरण किया गया है धनराशि का अपहरण कर ग्राम पंचायत को हानि पहुँचाई गयी है
5. कम्प्यूनिटी टॉइलेट हेतु दिनांक 20-12-2020 को जय माँ काली इंटरप्राइजेज को 236236 का भुगतान किया गया है तथा उपरोक्त तालिका में क्रम स० 3 पर अंकित वर्क आईडी पर राजमिस्त्री का भुगतान किया गया है जो कि अनियमित है क्योंकि बिना मजदूरों के राजमिस्त्री कार्य नहीं कर सकते इससे स्पष्ट है कि क्रम स० 3 पर अंकित वर्क आईडी से किए गए भुगतान रु० 28800 को काल्पनिक मस्टररोल तैयार कर अपहरण किया गया है जिससे ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाया जाना प्रमाणित है ।

अतः उक्त आपत्तियों के अधीन एवं व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं वित्त लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 8 (क) के अंतर्गत गबन माना गया है जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की गयी है, अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के संबंध में उ० प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अंतर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में इसकी वसूली ग्राम प्रधान - श्री राम भरोसे एवं ग्राम सचिव श्री शिव सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-102 :ग्राम पंचायत-जिराऊ, विकास खण्ड- मदनापुर, जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21कीमनरेगा योजनान्तर्गत मनरेगा पोर्टल पर दर्शित व्यय की ऑडिट ऑनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल व्यय 19.3 लाख का व्यय किया गया है ,जिसमें से रु० 3.25 लाख मैटीरियल क्रय पर तथा रु०16.05 लाख मजदूरी पर व्यय किया गया दर्शित है। उक्त योजना में 16.8 प्रतिशत का व्यय सामग्री पर तथा 83.2 प्रतिशत मजदूरी पर व्यय किया गया है किन्तु उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक/व्यय पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयीजबकि इस संबंध में प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश सं० 0/201दस 09/(43)101-2011-टी.सी .लखनऊ दिनांक 2011-02-04एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक /806सम्प्रेक्षा क्षे०प० 0ऑडिट दिनांक 2011-08-05 में कैशबुक ,आय व्यय विवरण बनाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।इससे प्रतीत होता है कि इस योजना से संबंधितकोई अभिलेख तैयार किए बिना ही योजना का कार्यान्वयन किया गया हैतथा विकास खण्डस्तरसे कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी एवंग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधान,ग्राम पंचायत सचिव,रोजगार सेवक तथा तकनीकीसहायक द्वारा केवल धनराशियों के भुगतान का उपक्रम किया गया है। यह भी संभव है किविकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा इस दिशा में कोई रुचि न लेने केकारण बिना अभिलेख तैयार करवाये ही न केवल प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी कीजाती रहीवरन् भुगतान भी किया जाता रहा। इस योजना से संबंधित समस्त अभिलेखों का लेखापरीक्षा में भौतिक रूप में प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित कराने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है तथा मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओंहेतु जारी सुसंगत नियमों/अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है।अन्यथा की स्थिति में इसकीवसूली कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारीश्री विजय

प्रताप यादव, ग्राम प्रधान श्री राम भरोसे, तकनीकी सहायक- श्री सुशील वर्मा तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री शिव सिंह से किए जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर-103 :

ग्राम पंचायत-जिराऊ, विकास खण्ड- मदनापुर, जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21 की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया की ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अंकित कैश बुक एवं व्यय वाउचरों में निम्न विवरणानुसार हैंड पम्प मरम्मत/रिबोर व ह्यूमपाइप क्रय पर व्यय दर्शित किया गया है-

क्र.स.	योजना का नाम	वर्क आई डी न.	ई-ग्रामस्वराज वाउचर न.एवं दिनांक	फर्म/बैंडर का नाम	कार्य का विवरण	धनराशि
1.	चतुर्थ राज्य वित्त	27221746	चतुर्थ राज्य वित्त /2020-21/पी/3,02-08-20	सचिन ट्रेडर्स	हैंडपम्प मरम्मत/रिबोर	47900
2.	चतुर्थ राज्य वित्त	42881016	चतुर्थ राज्य वित्त /2020-21/पी/11,06-11-20	सचिन ट्रेडर्स	ह्यूमपाइप व अन्य कार्य	66700
3.	पंचम राज्य वित्त	42880916	पंचम वित्त /2020-21/पी/2,02-12-20	सचिन ट्रेडर्स	हैंडपम्प मरम्मत/रिबोर	36700
4.	पंचम राज्य वित्त	42876918	पंचम वित्त /2020-21/पी/4,20-12-2020	सर्वेश कुमार वर्मा जनरल स्पलायर	हैंडपम्प रिबोर	33447
5.	पंचम राज्य वित्त	42876918	पंचम वित्त /2020-21/पी/5, 20-12-2020	सर्वेश कुमार वर्मा जनरल स्पलायर	हैंडपम्प रिबोर	33447
					योग	218194

उक्त के संबंध में आपत्तियाँ निम्न प्रकार हैं -

1. हैंड पम्प मरम्मत/रिबोर व्यय से संबंधित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
2. उक्त बैंडर/फर्म हैंड पम्प मरम्मत का कार्य करते हैं अथवा नहीं इसकी भी जानकारी प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी। इनके जी एस टी/पैनपंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।
3. एक ही तिथि में तथा समान धनराशि का भुगतान किया गया है जो की मरम्मत/रिबोर पर एक ही प्रकार के कल-पुर्जों की खराबी होने पर ही समान धनराशि का भुगतान किया जा सकता है जो संभव नहीं है इस प्रकार भुगतान में गंभीर अनियमितता की गयी है।
4. अतः उक्त आपत्तियों के अधीन एवं व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं वित्त लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 8 (क) के अंतर्गत गबन माना गया है जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की गयी है अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के संबंध में उ० प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अंतर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में इसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री राम भरोसे एवं ग्राम सचिव श्री शिव सिंह से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-104 : ग्राम पंचायत-जिराऊ, विकास खण्ड- मदनापुर, जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21 की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि ई ग्राम स्वराज पर अंकित कैश बुक तथा पेमेंट वाउचर विवरण में निम्न प्रशासनिक व्यय व अन्य व्यय निम्नविवरणानुसार दर्शित है :-

क्र.	फर्म/बेन्डर का नाम	दिनांक	कार्य का विवरण	धनराशि
1.	सचिन ट्रेडर्स	10-08-2020	अज्ञात	24600

2.	एचपी सिंह एंड एशोसिएट	30-08-2020	वाल पेंटिंग एंड जीएसटी पंजीकरण	4130
3.	अखिल इंटरप्राइजेज	30-08-2020	वाल पेंटिंग एंड जीएसटी पंजीकरण	4000
4.	जय माँ काली इंटरप्राइजेज	30-08-2020	वाल पेंटिंग एंड जीएसटी पंजीकरण	15912
5.	सचिन ट्रेडर्स	01-09-2020	अन्य व्यय	584
6.	सचिन ट्रेडर्स	01-09-2020	अन्य कार्य	56300
7.	सचिन ट्रेडर्स	02-09-2020	अन्य कार्य	58400
8.	सचिन ट्रेडर्स	10-09-2020	स्कूल में समर टंकी फिटिंग आदि	42860
9.	सचिन ट्रेडर्स	11-11-2020	प्रशासनिक व्यय	5200
10.	जय माँ काली इंटरप्राइजेज	23-11-2020	टॉइलेट	100
			योग	212086

उक्त के संबंध में आपत्तियाँ निम्न प्रकार हैं -

1. उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से संबंधित व्यय पत्रावलि/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकती।
2. इनके जी एस टी/पैन पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी। उपरोक्त तालिका में स्पष्ट नहीं है कि फर्मों/बैंडरों के द्वारा कौन सा कार्य किया गया है तथा क्रय सामग्री अथवा व्यय धनराशि का अपहरण किया जाना एवं ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाया जाना प्रमाणित होता है।
3. उपरोक्त तालिका में सचिन ट्रेडर्स को अन्य कार्य हेतु 187944 का भुगतान किया गया है स्पष्ट है की ग्राम पंचायत सचिव तथा ग्राम प्रधान के द्वारा फर्म सचिन ट्रेडर्स के साथ गठजोड़ कर धनराशि ₹ 187944 का अपहरण किया गया है।

अतः उक्त आपत्तियों के अधीन एवं व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं वित्त लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 8 (क) के अंतर्गत गबन माना गया है जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की गयी है अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के संबंध में उ० प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अंतर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में इसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री राम भरोसे एवं ग्राम सचिव श्री शिव सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-105 :ग्राम पंचायत-बरुवा पट्टी सनायक, विकास खण्ड- मदनापुर, जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21 की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया की ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अंकित कैश बुक एवं व्यय वाउचरों में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित किया गया है-

क्र०	योजना का नाम	वर्क आई डी न.	ई-ग्राम स्वराज वाउचर न. एवं दिनांक	फर्म/बैंडर का नाम	कार्य/सामग्री का विवरण	धनराशि
1.	चतुर्थ राज्य वित्त	37714548	चतुर्थ राज्य वित्त /2020-21/पी/1 30-06-2020	जय माँ वैष्णो ईट उद्योग	ब्रिक	8751
2.	14वां वित्त आयोग	37714548	चौदहवाँ वित्त /2020-21/पी/2 27-06-2020	पंकज ट्रेडिंग कंपनी	बिल्डिंग मैटीरियल	94135
3.	14वां वित्त आयोग	20593972	चौदहवाँ वित्त /2020-21/पी/5 18-07-2020	पंकज ट्रेडिंग कंपनी	बिल्डिंग मैटीरियल	76244
4.	14वां वित्त आयोग	20593972	चौदहवाँ वित्त /2020-21/पी/6 18-07-2020	जय माँ वैष्णो ईट उद्योग	ब्रिक	4279

5.	14वां वित्त आयोग	20593972	चौदहवाँ वित्त /2020-21/पी/7 18-07-2020	जय माँ वैष्णो इंटरलाकिंग ईट उद्योग	इंटरलाकिंग ब्रिक	14396
6.	14वां वित्त आयोग	20593972	चौदहवाँ वित्त /2020-21/पी/8 18-07-2020	चौहान ट्रेडिंग कंपनी	वॉटर टैंक	2800
7.	आर जी एस ए	44134300	आरजीएसए /2020-21/पी/1 07-08-2020	जय माँ वैष्णो ईट उद्योग	ब्रिक	182706
8.	आर जी एस ए	44134300	आरजीएसए /2020- 21/पी/3 07-08-2020	विवेक कुमार अग्रवाल बिल्डिंग मैटीरियल	गेट	69748
9.	आर जी एस ए	44134300	आरजीएसए /2020- 21/पी/2 07-08-2020	जय माँ वैष्णो आयरन स्टोर	बिल्डिंग मैटीरियल	124897
10.	आर जी एस ए	44134300	आरजीएसए /2020- 21/पी/6 13-08-2020	विवेक कुमार अग्रवाल बिल्डिंग मैटीरियल	आयरन गेट विंडो चौखट	69748
11.	चतुर्थ राज्य वित्त	15266484	चतुर्थ राज्य वित्त /2020- 21/पी/7,08-09- 2020	जय माँ वैष्णो ईट उद्योग	ब्रिक	16174
12.	चतुर्थ राज्य वित्त	15266484	चतुर्थ राज्य वित्त /2020- 21/पी/9,08-09- 2020	जय माँ वैष्णो आयरन स्टोर	बिल्डिंग मैटीरियल	9200
13.	आर जी एस ए	44134300	आरजीएसए /2020- 21/पी/10 13-09-2020	जय माँ वैष्णो आयरन स्टोर	सरिया भुगतान	136929
14.	आर जी एस ए	44134300	आरजीएसए /2020- 21/पी/11 13-09-2020	जय माँ वैष्णो आयरन स्टोर	मौरंग,बजरी	201861
15.	आर जी एस ए	44134300	आरजीएसए /2020- 21/पी/12 13-09-2020	जय माँ वैष्णो आयरन स्टोर	सीमेंट सरिया	13835
16.	आर जी एस ए	44134300	आरजीएसए /2020- 21/पी/13 13-09-2020	जय माँ वैष्णो ईट उद्योग	ब्रिक	9135
17.	पन्द्रहवां के0 वित्त	44062245	पंद्रहवाँ वित्त /2020-21/पी/3 19-10-2020	जय माँ वैष्णो आयरन स्टोर	सीमेंट	38337
18.	पन्द्रहवां के0 वित्त	44062245	पंद्रहवाँ वित्त /2020-21/पी/4	जय माँ वैष्णो आयरन स्टोर	मौरंग,बजरी,रेता	64953

			19-10-2020			
19.	पन्द्रहवां के० वित्त	44062245	पंद्रहवाँ वित्त /2020-21/पी/5 19-10-2020	जय माँ वैष्णो आयरन स्टोर	आयरन दरवाजा ,सरिया	50138
20.	पन्द्रहवां के० वित्त	44062245	पंद्रहवाँ वित्त /2020-21/पी/6 19-10-2020	जय माँ वैष्णो ईट उद्योग	ब्रिक	94675
21.	पन्द्रहवां के० वित्त	44062245	पंद्रहवाँ वित्त /2020-21/पी/7 19-10-2020	जय माँ वैष्णो ईट उद्योग	कार्टेज	515
22.	चतुर्थ राज्य वित्त	41894692	चतुर्थ राज्य वित्त /2020- 21/पी/14,08-11- 2020	चमन ब्रिक फील्ड	मिट्टी,रोड़ा	24975
23.	आर जी एस ए	44134300	आरजीएसए /2020- 21/पी/14 04-12-2020	जय माँ वैष्णो ईट उद्योग	ईट भुगतान	208503
24.	आर जी एस ए	44134300	आरजीएसए /2020- 21/पी/15 04-12-2020	जय माँ वैष्णो आयरन स्टोर	सीमेंट	114688
25.	आर जी एस ए	44134300	आरजीएसए /2020- 21/पी/16 07-12-2020	जय माँ वैष्णो आयरन स्टोर	सीमेंट	49106
26.	आर जी एस ए	44134300	आरजीएसए /2020- 21/पी/17 07-12-2020	जय माँ वैष्णो आयरन स्टोर	मौरंग,बजरी,रेता	64001
27.	आर जी एस ए	44134300	आरजीएसए /2020- 21/पी/18 07-12-2020	जय माँ वैष्णो आयरन स्टोर	पेंट,पुट्टी	114043
28.	आर जी एस ए	44134300	आरजीएसए /2020- 21/पी/12 07-12-2020	शर्मा डोर्स बोर्ड एजेन्सी	दरवाजा बोर्ड	27713
29.	पंचम राज्य वित्त	45432149	पंचम वित्त /2020-21/पी/10, 17-12-2020	जय माँ वैष्णो इंटरलाकिंग ईट उद्योग	इंटरलाकिंग	57995
30.	पंचम राज्य वित्त	45432126	पंचम वित्त /2020-21/पी/10, 17-12-2020	पंकज ट्रेडिंग कंपनी	सीमेंट	10813
31.	पंचम राज्य वित्त	45432126	पंचम वित्त /2020-21/पी/3, 17-12-2020	पंकज ट्रेडिंग कंपनी	मौरंग,रेता	11029

32.	पंचम राज्य वित्त	45432126	पंचम वित्त /2020-21/पी/4, 17-12-2020	चमन ब्रिक फील्ड	ईट,रोड़ी	27385
33.	पंचम राज्य वित्त	45432149	पंचम वित्त /2020-21/पी/7, 17-12-2020	पंकज ट्रेडिंग कंपनी	सीमेंट	8192
34.	पंचम राज्य वित्त	45432149	पंचम वित्त /2020-21/पी/8, 17-12-2020	पंकज ट्रेडिंग कंपनी	मौरंग,रेता	7185
35.	पंचम राज्य वित्त	45432149	पंचम वित्त /2020-21/पी/9, 17-12-2020	चमन ब्रिक फील्ड	ब्रिक	16635
36.	पंचम राज्य वित्त	45432172	पंचम वित्त /2020-21/पी/14,18-12-2020	पंकज ट्रेडिंग कंपनी	सीमेंट	8519
37.	पंचम राज्य वित्त	45432172	पंचम वित्त /2020-21/पी/15, 18-12-2020	पंकज ट्रेडिंग कंपनी	मौरंग,रेता	4729
38.	पंचम राज्य वित्त	45432172	पंचम वित्त /2020-21/पी/16, 18-12-2020	जय माँ वैष्णो ईट उद्योग	रोड़ी	11710
39.	पंचम राज्य वित्त	45432172	पंचम वित्त /2020-21/पी/17, 18-12-2020	जय माँ वैष्णो इंटरलाकिंग ईट उद्योग	इंटरलाकिंग	99459
40.	14वां वित्त आयोग	44062245	चौदहवाँ वित्त /2020-21/पी/12 23-12-2020	जय माँ वैष्णो आयरन स्टोर	सीमेंट	8192
41.	14वां वित्त आयोग	44062245	चौदहवाँ वित्त /2020-21/पी/13 23-12-2020	जय माँ वैष्णो आयरन स्टोर	मौरंग,रेता	6821
42.	14वां वित्त आयोग	44062245	चौदहवाँ वित्त /2020-21/पी/14 23-12-2020	जय माँ वैष्णो आयरन स्टोर	टाइल्स	53827
43.	14वां वित्त आयोग	44062245	चौदहवाँ वित्त /2020-21/पी/15 23-12-2020	जय माँ वैष्णो इंटरलाकिंग ईट उद्योग	रोड़ी	2124
44.	पन्द्रहवां केन्द्रीय वित्त	44134300	पन्द्रहवां वित्त /2020-21/पी/11 24-02-2021	शर्मा डोर्स बोर्ड एजेन्सी	दरवाजा बोर्ड	28067
45.	पंचम राज्य वित्त	45328152	पंचम वित्त /2020-21/पी/20, 05-03-2021	पंकज ट्रेडिंग कंपनी	सीमेंट	5570

46.	पंचम राज्य वित्त	45328152	पंचम वित्त /2020-21/पी/21, 05-03-2021	पंकज ट्रेडिंग कंपनी	मौरंग,बजरी,रेता	10929
47.	पंचम राज्य वित्त	45328152	पंचम वित्त /2020-21/पी/22, 05-03-2021	चमन इंटरप्राइजेज़	इंटरलाकिंग	118459
48.	पंचम राज्य वित्त	45328152	पंचम वित्त /2020-21/पी/23, 05-03-2021	जय माँ वैष्णो ईट उद्योग	कार्टेज	2819
49.	पंचम राज्य वित्त	45328152	पंचम वित्त /2020-21/पी/24, 05-03-2021	जय माँ वैष्णो ईट उद्योग	ब्रिक, रोड़ी	29484
50.	पन्द्रहवां केन्द्रीय वित्त	45328110	पन्द्रहवां वित्त /2020-21/पी/12 05-03-2021	पंकज ट्रेडिंग कंपनी	सीमेंट	9502
51.	पन्द्रहवां केन्द्रीय वित्त	45328110	पन्द्रहवां वित्त /2020-21/पी/13 05-03-2021	पंकज ट्रेडिंग कंपनी	मौरंग,बजरी,रेता	7119
52.	पन्द्रहवां केन्द्रीय वित्त	45328110	पन्द्रहवां वित्त /2020-21/पी/14 05-03-2021	पंकज ट्रेडिंग कंपनी	ब्रिक,रोड़ी	16776
53.	पन्द्रहवां केन्द्रीय वित्त	45328110	पन्द्रहवां वित्त /2020-21/पी/15 05-03-2021	जय माँ वैष्णो इंटरलाकिंग ईट उद्योग	इंटरलाकिंग	61169
					योग	2471194

उक्त के संबंध में आपत्तियाँ निम्न प्रकार हैं -

1. उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से संबंधित व्यय पत्रावलियाँ/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी ।
2. उपरोक्त उल्लिखित तालिका में अंकित बेंडरो/फर्मों द्वारा निर्माण सामग्री से संबंधित कार्य करते हैं अथवा नहीं इसकी भी जानकारी प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी । इनके जीएसटी/ पैनपंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी ।

अतः उक्त आपत्तियों के अधीन एवं व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं वित्त लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 8 (क) के अंतर्गत गबन माना गया है जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की गयी है अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के संबंध में उ० प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अंतर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में इसकी वसूली ग्राम प्रधानश्री नीरज एवं ग्राम सचिव श्री शकील हुशैन से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-106 :ग्राम पंचायत- बरुवा पट्टी सनायक, विकास खण्ड- मदनापुर, जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21 की मनरेगा योजनान्तर्गत मनरेगा पोर्टल पर दर्शित व्यय की ऑडिट ऑनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल व्यय रु०16.61लाख का व्यय किया गया है जिसमें से रु० 6.01लाख मैटीरियल क्रय पर तथा रु० 10.06 लाख मजदूरी पर व्यय किया गया दर्शित है। उक्त योजना में 36 प्रतिशत का व्यय सामग्री पर तथा 64 प्रतिशत मजदूरी पर व्यय किया गया है जोकि शासनादेश द्वारा निर्धारित मजदूरी तथा सामग्री पर व्यय अनुपात

60:40 के विपरीत है इसके अतिरिक्त उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्ययप्रमाणक/व्यय पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयीजबकि इस संबंध में प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश सं०-201/दस-2011-101(43)/09 टी सी लखनऊ 04फरवरी-2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र०के पत्रांक:806/सम्प्रेक्षा क्षे०प० ऑडिट दिनांक 05-08-2011 में कैशबुक ,आय व्यय विवरण बनाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।इससे प्रतीत होता है कि इस योजना से संबंधितकोई अभिलेख तैयार किए बिना ही योजना का कार्यान्वयन किया गया हैतथा विकास खण्डस्तरसे कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिकारी/खण्ड विकासअधिकारी एवंग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधान,ग्राम पंचायत सचिव,रोजगार सेवक तथा तकनीकीसहायक द्वारा केवल धनराशियों के भुगतान का उपक्रम किया गया है। यह भी संभव है किविकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा इस दिशा में कोई रुचि न लेने केकारण बिना अभिलेख तैयार करवाये ही न केवल प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी कीजाती रहीवरन् भुगतान भी किया जाता रहा। इस योजना से संबंधित समस्त अभिलेखों का लेखापरीक्षा में भौतिक रूप में प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित कराने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है तथा मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओंहेतु जारी सुसंगतनियमों/अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है।अन्यथा की स्थिति में इसकीवसूली कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी-श्री विजय प्रताप यादव,ग्राम प्रधान-श्री नीरज,तकनीकी सहायक- श्री शिव रतन,रोजगार सेवक- श्री सुनील तथा ग्राम पंचायत सचिव- श्री शकील हुशैन से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-107 :ग्राम पंचायत- बरुवा पट्टी सनायक, विकास खण्ड- मदनापुर, जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21 की ऑनलाइन लेखा परीक्षा मे पाया गया की ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अंकित कैश बुक एवं व्यय वाउचरों मे निम्न विवरणानुसार हैंड पम्प मरम्मत/रिबोर पर व्यय दर्शित किया गया है :-

क्र.स	योजना का नाम	वर्क आई डी न.	ई-ग्राम स्वराज वाउचर न.एवं दिनांक	फर्म/बैंडर का नाम	कार्य का विवरण	धनराशि
1.	चतुर्थ राज्य वित्त	15266447	चतुर्थ राज्य वित्त /2020-21/पी/3 18-07-2020	चौहान ट्रेडिंग कंपनी	हैंडपम्प रिपेयरिंग	6000
2.	चतुर्थ राज्य वित्त	41894522	चतुर्थ राज्य वित्त /2020-21/पी/12 19-10-2020	सचिन यादव	हैंडपम्प रिपेयरिंग	15750
3.	चतुर्थ राज्य वित्त	41896370	चतुर्थ राज्य वित्त /2020-21/पी/13 08-11-2020	चौहान ट्रेडिंग कंपनी	हैंडपम्प रिपेयरिंग	12730
4.	चतुर्थ राज्य वित्त	45180255	चतुर्थ राज्य वित्त /2020-21/पी/23 23-12-2020	सचिन यादव	हैंडपम्प रिबोर	33500
5.	चतुर्थ राज्य वित्त	45180270	चतुर्थ राज्य वित्त /2020-21/पी/24 23-12-2020	सचिन यादव	हैंडपम्प रिबोर	33500
6.					योग	101480

उक्त के संबंध मे आपतियाँ निम्न प्रकार है -

1. हैंड पम्प मरम्मत/रिबोर व्यय से संबन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

2. उक्त बैंडर/फर्म हैंड पम्प मरम्मत का कार्य करते हैं अथवा नहीं इसकी भी जानकारी प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी। इनके जी एस टी/पैनपंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।
3. एक ही तिथि में तथा समान धनराशि का भुगतान किया गया है जो की मरम्मत/रिबोर पर एक ही प्रकार के कल-पुर्जों की खराबी होने पर ही समान धनराशि का भुगतान किया जा सकता है जो संभव नहीं है इस प्रकार भुगतान में गंभीर अनियमितता की गयी है।

अतः उक्त आपतियों के अधीन एवं व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं वित्त लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 8 (क) के अंतर्गत गबन माना गया है जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की गयी है अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के संबंध में 30 प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अंतर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में इसकी वसूली ग्राम प्रधान – श्री नीरज एवं ग्राम सचिव श्री शकील हुसैन से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-108 :ग्राम पंचायत- बरूवा पट्टी सनायक, विकास खण्ड- मदनापुर, जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया की ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अंकित कैश बुक एवं व्यय वाउचरों में निम्न विवरणानुसार ह्यूम पाइप क्रय पर व्यय दर्शित किया गया है -

क्र.स	योजना का नाम	वर्क आई डी न.	ई-ग्राम स्वराज वाउचर न.एवं दिनांक	फर्म/बैंडर का नाम	कार्य का विवरण	धनराशि
1.	चतुर्थ राज्य वित्त	15266484	चतुर्थ राज्य वित्त /2020-21/पी/8 08-09-2020	चमन इंटरप्राइजेज	ह्यूमपाइप क्रय	9183
					योग	9183

उक्त के संबंध में आपतियाँ निम्न प्रकार हैं -

1. उक्त विवरण में दर्शित व्यय से संबन्धित व्यय पत्रावलियाँ/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
2. उक्त बैंडर/फर्म हैंड पम्प मरम्मत/ह्यूम पाइप बिक्री आदि का कार्य एक साथ करते हैं अथवा नहीं प्रमाणकों के अभाव में इसकी भी पुष्टि नहीं की जा सकी। इनके जी एस टी/पैनपंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।

अतः उक्त आपतियों के अधीन एवं व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं वित्त लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 8 (क) के अंतर्गत गबन माना गया है जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की गयी है, अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के संबंध में 30 प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अंतर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में इसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री नीरज एवं ग्राम सचिव श्री शकील हुसैन से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-109 :ग्राम पंचायत- बरूवा पट्टी सनायक, विकास खण्ड- मदनापुर, जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया की ई ग्राम स्वराज पर अंकित कैशबुक एवं व्यय वाउचरों में निम्न विवरणानुसार मजदूरी/श्रमिकों पर व्यय दर्शित किया गया है -

क्र.स	योजना का नाम	वर्क आई डी न.	ई-ग्राम स्वराज वाउचर न.एवं दिनांक	मस्टररोल नंबर	कार्य का विवरण	धनराशि
1.	14वां केन्द्रीय वित्त	20593973	चौदहवाँ वित्त /2020-21/पी/3 27-06-2020	उपलब्ध नहीं	राज मिस्त्री	9660

2.	14वां केन्द्रीय वित्त	37714548	चौदहवाँ वित्त /2020-21/पी/4 27-06-2020	उपलब्ध नहीं	मजदूरी	14924
3.	14वां केन्द्रीय वित्त	20593972	चौदहवाँ वित्त /2020-21/पी/10 18-07-2020	उपलब्ध नहीं	मजदूरी	9282
4.	14वां केन्द्रीय वित्त	20593972	चौदहवाँ वित्त /2020-21/पी/9 18-07-2020	उपलब्ध नहीं	राज मिस्त्री	6300
5.	आर जी एस ए	44134300	आरजीएसए /2020-21/पी/4 07-08-2020	उपलब्ध नहीं	राज मिस्त्री	35280
6.	आर जी एस ए	44134300	आरजीएसए /2020-21/पी/5 07-08-2020	उपलब्ध नहीं	मजदूरी	70350
7.	चतुर्थ राज्य वित्त	15266484	चतुर्थ राज्य वित्त /2020-21/पी/10 08-09-2020	उपलब्ध नहीं	राज मिस्त्री	2520
8.	चतुर्थ राज्य वित्त	15266484	चतुर्थ राज्य वित्त /2020-21/पी/11 08-09-2020	उपलब्ध नहीं	मजदूरी	4004
9.	आर जी एस ए	44134300	आरजीएसए /2020-21/पी/7 09-09-2020	उपलब्ध नहीं	राज मिस्त्री	67200
10.	आर जी एस ए	44134300	आरजीएसए /2020-21/पी/8 09-09-2020	उपलब्ध नहीं	मजदूरी	131052
11.	पन्द्रहवां केन्द्रीय वित्त	44062245	पंद्रहवाँ वित्त /2020-21/पी/1 11-10-2020	उपलब्ध नहीं	मिस्त्री	4200
12.	पन्द्रहवां केन्द्रीय वित्त	44062245	पंद्रहवाँ वित्त /2020-21/पी/2 19-10-2020	उपलब्ध नहीं	राज मिस्त्री	27720
13.	आर जी एस ए	44134300	आरजीएसए /2020-21/पी/19 17-12-2020	उपलब्ध नहीं	राज मिस्त्री	49980
14.	आर जी एस ए	44134300	आरजीएसए /2020-21/पी/20 18-12-2020	उपलब्ध नहीं	मजदूरी	74973
15.	पंचम राज्य वित्त	45432149	पंचम वित्त /2020-21/पी/11 17-12-2020	उपलब्ध नहीं	राज मिस्त्री	5040
16.	पंचम राज्य वित्त	45432126	पंचम वित्त /2020-21/पी/5 17-12-2020	उपलब्ध नहीं	राज मिस्त्री	6720
17.	पंचम राज्य वित्त	45432126	पंचम वित्त /2020-21/पी/6 17-12-2020	उपलब्ध नहीं	मजदूरी	9648
18.	पंचम राज्य वित्त	45432149	पंचम वित्त /2020-21/पी/11 17-12-2020	उपलब्ध नहीं	राज मिस्त्री	420

19.	पंचम राज्य वित्त	45432149	पंचम वित्त /2020-21/पी/13 18-12-2020	उपलब्ध नहीं	मजदूरी	8442
20.	पंचम राज्य वित्त	45432172	पंचम वित्त /2020-21/पी/18 18-12-2020	उपलब्ध नहीं	राज मिस्त्री	6720
21.	पंचम राज्य वित्त	45432172	पंचम वित्त /2020-21/पी/19 18-12-2020	उपलब्ध नहीं	मजदूरी	10653
22.	14वां केन्द्रीय वित्त	44062245	चौदहवाँ वित्त /2020- 21/पी/19 23-12-2020	उपलब्ध नहीं	राज मिस्त्री	18060
23.	पंचम राज्य वित्त	45328152	पंचम वित्त /2020-21/पी/25 05-03-2021	उपलब्ध नहीं	राज मिस्त्री	12600
24.	पंचम राज्य वित्त	45328152	पंचम वित्त /2020-21/पी/26 05-03-2021	उपलब्ध नहीं	मजदूरी	18693
25.	पन्द्रहवां केन्द्रीय वित्त	45328110	पन्द्रहवां वित्त /2020- 21/पी/16 05-03-2021	उपलब्ध नहीं	राज मिस्त्री	6720
26.	पन्द्रहवां केन्द्रीय वित्त	45328110	पन्द्रहवां वित्त /2020- 21/पी/17 05-03-2021	उपलब्ध नहीं	मजदूरी	10854
					योग	621381

उपरोक्त उल्लिखित विवरण के संबंध में आपत्तियाँ निम्न प्रकार हैं -

1. क्रम संख्या एक पर अंकित वर्क आई डी -20593973 पर रु० 9660 का भुगतान राज मिस्त्री को किया गया है जबकि इस वर्क आई डी पर न तो कोई निर्माण सामग्री की आपूर्ति हुई है और न ही मजदूरों से कोई कार्य कराया गया है।

2. लेखा परीक्षा में मजदूरी से संबंधित मस्टररोल उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे उपरोक्त व्यय अपुष्ट रहा जिसकी पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है

अतः उक्त आपत्तियों के अधीन एवं व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं वित्त लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 8 (क) के अंतर्गत गबन माना गया है जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की गयी है अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के संबंध में उ० प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अंतर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में इसकी वसूली ग्राम प्रधान - श्री नीरज एवं ग्राम सचिव श्री शकील हुशैन से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-110: ग्राम पंचायत- मौजमपुर, विकास खण्ड-ददरौल, जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21 के ग्राम निधि प्रथम खाते से निम्नांकित विवरणानुसार चतुर्थ राज्य वित्त खाते से ग्राम प्रधान द्वारा स्वयं के खाते में धनराशि ट्रांसफर किये जाने की पुष्टि ई-ग्राम स्वराज पोर्टल से होती है:-

1-दि० 06.12.2020 को मजदूर को भुगतान रु० 7000.00

2-दि० 24.12.2020 को पंचायत भवन मरम्मत का भुगतान रु० 19500.00

स्पष्ट है कि इससे सम्बंधित कार्य भी संदिग्ध है। अतः जांचोपरांत उक्त अनियमित भुगतान रु० 26500.00 की वसूली तात्परिख ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री अविनाश सिंह वर्मा एवं श्री सर्वेश सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-111: ग्राम पंचायत- मौजमपुर, विकास खण्ड-ददरौल,जनपद-शाहजहाँपुरमें वर्ष 2020-21 के 14 वें केन्द्रीय वित्त खाते से निम्नांकित विवरणानुसार आलोच्य वर्ष 2020.21 में ग्राम प्रधान द्वारा स्वयं के खाते में धनराशि ट्रान्सफर किये जाने की पुष्टि ई-ग्राम स्वराज पोर्टल से होती है :

- 1-दि० 20.12.2020 को कार्टेज का भुगतान रु० 8804.00
- 2-दि० 20.12.2020 को राज व मजदूर का भुगतान रु० 18665.00
- 3-दि० 20.12.2020 को राज व मजदूर का भुगतान रु० 7938.00
- 4-दि० 20.12.2020 को राज व मजदूर का भुगतान रु० 2863.00
- 5-दि० 20.12.2020 को राज व मजदूर का भुगतान रु० 37227.00

स्पष्ट है की इस सम्बंधित कार्य भी संदिग्ध है। अतः जांचोपरांत उक्त अनियमित भुगतान रु० 75497.00 की वसूली तातारिख ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री अविनाश सिंह वर्मा एवं श्री सर्वेश सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-112: ग्राम पंचायत- मौजमपुर, विकास खण्ड-ददरौल,जनपद-शाहजहाँपुरमें वर्ष 2020-21 के 15वें केन्द्रीय वित्त खाते से निम्नांकित विवरणानुसार आलोच्य वर्ष 2020.21 में ग्राम प्रधान द्वारा स्वयं के खाते में धनराशि ट्रान्सफर किये जाने की पुष्टि ई-ग्राम स्वराज पोर्टल से होती है :

1. दि० 06.12.2020 को राज मिस्त्री को भुगतान रु० 13050.00
- 2.दि० 06.12.2020 को लाइट फिटिंग का भुगतान रु० 9669.00
- 3.दि० 06.12.2020 को राज व मजदूर का भुगतान रु० 36348.00
- 4.दि० 06.12.2020 को राज व मजदूर का भुगतान रु० 17145.00

स्पष्ट है कि इस सम्बंधित कार्य भी संदिग्ध है। अतःजांचोपरांत उक्त अनियमित भुगतान रु०76212.00 की वसूली तातारिख ब्याज सहित ग्राम प्रधान एवं श्री सर्वेश सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-113: ग्राम पंचायत-मुडिया नरायण, विकास खण्ड-ददरौल,जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में दि० 25.12.2020 को रु० 5064.00 का भुगतान चतुर्थ राज्य वित्त खाते से राज मिस्त्री को दर्शाकर ग्राम प्रधान द्वारा स्वयं के खाते में धनराशि ट्रान्सफर किये जाने की पुष्टि ई-ग्राम स्वराज पोर्टल से होती है। स्पष्ट है की इससे सम्बंधित कार्य भी संदिग्ध है। अतः जांचोपरांत उक्त अनियमित भुगतान रु० 5064.00 की वसूली तातारिख ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती आशा देवी एवं श्री सर्वेश सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-114: ग्राम पंचायत-मुतिहसा, विकास खण्ड-ददरौल,जनपद-शाहजहाँपुरमें वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निम्न आपत्तियाँ प्रकाश में आयी :-

(क)-आलोच्य वर्ष 2020-21 में दि० 16-08-2020 को प्रधानजी श्री नेत्रपाल के बैंक खाते में चतुर्थ राज्य वित्त खाते से रु० 42000-00 का भुगतान (बावत मानदेय 12 माह का रु० 3500/- प्रतिमाह का गणना अनुसार 12 माह X 3500 =42000/-) किया गया, जिसकी पुष्टि इ-ग्राम स्वराज साईट से भी होती है। उक्त भुगतान किस माह से किस माह तक का किया गया है इसका उल्लेख नहीं किया गया है। उल्लेखनीय है की अप्रैल 2020 से अक्टूबर 2020 तक का भुगतान दि 08-11-2020 को भी अंकित है। लेखा परीक्षा में मानदेय पंजिका उपलब्ध न होने के कारण कब से कब तक का भुगतान हो चुका है तथा कब से भुगतान शेष था, की जानकारी नहीं हो सकी। अतः जांचोपरांत अधिक भुगतान की वसूली तातारिख ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री नेत्रपाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी सुश्री श्वेता सिंह,से किया जाना अपेक्षित है।

(ख)- आलोच्य वर्ष 2020-21 में दि० 08-11-2020 को प्रधानजी श्री नेत्रपाल जी के बैंक खाते में चतुर्थ राज्य वित्त खाते से रु० 42000-00 का भुगतान बावत मानदेय अप्रैल,2020 से अक्टूबर,2020 तक का रु० 3500/- प्रतिमाह का गणना अनुसार (07 माह X 3500 =24500) रु० 24500/- होता है किन्तु रु० 28500/- का भुगतान किया गया, जिसकी पुष्टि इ-ग्राम स्वराज साईट से भी होती है। इस प्रकार रु० 3500/- अधिक भुगतान की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री नेत्रपाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी सुश्री श्वेता सिंह से तातारिख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-115: ग्राम पंचायत-कुंडरिया, विकास खण्ड- कलान,जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21 के ग्राम निधि प्रथम खाते का उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम 186 के अनुसार ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की लेखा परीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कराने की अनिवार्यता है, तदनुसार लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु निम्नानुसार दिनांक 23-07-2021, 30-07-2021, 18-08-2021, 03-09-2021, 23-09-2021, 05-10-2021, 21-10-2021, 02-12-2021, तथा 04-01-2021 को पत्र लिखे गये । ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बाउचर / अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली हेतु ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से की जाएगी।वर्ष आलोच्य में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के अनुसार ग्राम पंचायत में कुल रु० 4153127-00 व्यय किया जाना दर्शित किया गया है किन्तु व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष कोई भी बाउचर / अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये ।इससे स्पष्ट है कि उपर्युक्त धनराशि का व्यय फर्जी तरीके से आहरित करके किया गया है, अतः व्यय की गयी धनराशि रु० 4153127 -00 की जांचोपरांत ब्याज सहित वसूली श्रीमती सौम्या गुप्ता, ग्राम प्रधान एवं श्रीराजकुमार शुक्ला व अन्य तत्कालीन ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित रही ।

प्रस्तर-116: ग्राम पंचायत-मालौ, विकास खण्ड- कलान,जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21 के ग्राम निधि प्रथम खाते का उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम 186 के अनुसार ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की लेखा परीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कराने की अनिवार्यता है,तदनुसार लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु निम्नानुसार दिनांक 23-07-2021, 30-07-2021, 18-08-2021, 03-09-2021, 23-09-2021,05-10-2021, 21-10-2021,02-12-2021, तथा 04-01-2021 को पत्र लिखे गये । ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 (क)के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बाउचर / अभिलेख लेखा परीक्षामें उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुएइस धनराशि की वसूली हेतु ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत / विकास अधिकारीसे की जाएगी ।

वर्ष आलोच्य में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के अनुसार ग्राम पंचायत में कुल रु० 979355-00 व्यय किया जाना दर्शित किया गया है किन्तु व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष कोई भी बाउचर / अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये ।इससे स्पष्ट है कि उपर्युक्त धनराशि का व्यय फर्जी तरीके से आहरित करके किया गया है अतः व्यय की गयी धनराशि रु० 979355-00 की जांचोपरांत ब्याज सहित वसूली श्री महिपाल सिंह, ग्राम प्रधान एवं श्री राजकुमार शुक्ला व अन्य तत्कालीन ग्राम विकास /पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित रही ।

प्रस्तर- 117: ग्राम पंचायत-रम्पुरा ता० बारा, विकास खण्ड- कलान,जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21के ग्राम निधि प्रथम खाते का उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम 186 के अनुसार ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की लेखा परीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कराने की अनिवार्यता है, तदनुसार लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु निम्नानुसार दिनांक 23-07-2021, 30-07-2021, 18-08-2021, 03-09-2021, 23-09-2021, 05-10-2021, 21-10-2021, 02-12-2021, तथा 04-01-2021 को पत्र लिखे गये।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बाउचर / अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली हेतु ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से की जाएगी ।

वर्ष आलोच्य में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के अनुसार ग्राम पंचायत में कुल रु० 695973-00 व्यय किया जाना दर्शित किया गया है किन्तु व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष कोई भी बाउचर / अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये ।इससे स्पष्ट है कि उपर्युक्त धनराशि का व्यय फर्जी तरीके से आहरित करके किया गया है अतः व्यय की गयी धनराशि रु० 695973 -00 की जांचोपरांत ब्याज सहित वसूली श्री ओमकार सिंह, ग्राम प्रधान एवं श्री राजकुमार शुक्ला व अन्य तत्कालीन ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित रही ।

प्रस्तर- 118: ग्राम पंचायत-भटपुरा चन्द्रू विकास खण्ड- पुवायां,जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21के ग्राम निधि प्रथम खाते का उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम 186 के अनुसार ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की लेखा परीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कराने की अनिवार्यता है, तदनुसार लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु निम्नानुसार दिनांक 03-12-21,16-12-2021 तथा 14-03-2022 को पत्र लिखे गये । ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 (क)के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बाउचर / अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली हेतु ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से की जाएगी ।वर्ष आलोच्य में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के अनुसार ग्राम पंचायत में कुल रु० 909354-00 व्यय किया जाना दर्शित किया गया है किन्तु व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष कोई भी बाउचर / अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये ।इससे स्पष्ट है कि उपर्युक्त धनराशि का व्यय फर्जी तरीके से आहरित करके किया गया है अतः व्यय की गयीधनराशि रु० 909354 -00 की जांचोपरांत ब्याज सहित वसूली श्रीमती संगीता ग्राम प्रधान एवं श्री अशोक गंगवार व अन्य तत्कालीन ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित रही ।

प्रस्तर-119: ग्राम पंचायत-सकरापुर, विकास खण्ड- पुवायां,जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21के ग्राम निधि प्रथम खाते का उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम 186 के अनुसार ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की लेखा परीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कराने की अनिवार्यता है, तदनुसार लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु निम्नानुसार दि० 03-12-21, 16-12-2021 तथा 14-03-2022 को पत्र लिखे गये ।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 (क)के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बाउचर / अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली हेतु ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से की जाएगी ।वर्ष आलोच्य में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के अनुसार ग्राम पंचायत में कुल रु० 1347462-00 व्यय किया जाना दर्शित किया गया है किन्तु व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष कोई भी बाउचर / अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये ।इससे स्पष्ट है कि उपर्युक्त धनराशि का व्यय फर्जी तरीके से आहरित करके किया गया है अतः व्यय की गयी धनराशि रु० 1347462.00 की जांचोपरांत ब्याज सहित वसूली श्रीमती जयश्रीदा बेगम,ग्राम प्रधान एवं श्री शिव कुमार व अन्य तत्कालीन ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित रही ।

प्रस्तर-120: ग्राम पंचायत- टकेली, विकास खण्ड- पुवायां,जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21के ग्रामनिधि प्रथम खाते का उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम 186 के अनुसार ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की लेखा परीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कराने की अनिवार्यता है, तदनुसार लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु निम्नानुसार दिनांक 03-12-21, 16-12-2021तथा 14-03-2022 को पत्र लिखे गये ।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 (क)के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बाउचर / अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली हेतु ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से की जाएगी । वर्ष आलोच्य में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के अनुसार ग्राम पंचायत में कुल रु० 1485590-00 व्यय किया जाना दर्शित किया गया है किन्तु व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष कोई भी बाउचर / अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये ।इससे स्पष्ट है कि उपर्युक्त धनराशि का व्यय फर्जी तरीके से आहरित करके किया गया है अतः व्यय की गयी धनराशि रु० 1485590 -00 की जांचोपरांत ब्याज सहित वसूली श्रीमती सुधा देवी,ग्राम प्रधानएवं श्री जय प्रकाश मिश्रा व अन्य तत्कालीन ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित रही ।

प्रस्तर-121: ग्राम पंचायत- धर्मगढ़पुर जसी, विकास खण्ड- पुवायां,जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21के ग्रामनिधि प्रथम खाते काउत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम 186 के अनुसार ग्राम पंचायतों

के अभिलेखों की लेखा परीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कराने की अनिवार्यता है, तदनुसार लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु निम्नानुसार दि003-12-21,16-12-2021 तथा 14-03-2022 को पत्र लिखे गये ।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 (क)के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बाउचर / अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली हेतु ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत / विकास अधिकारीसे की जाएगी । वर्ष आलोच्य में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के अनुसार ग्राम पंचायत में कुल रु० 927092.00 व्यय किया जाना दर्शित किया गया है किन्तु व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष कोई भी बाउचर / अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये ।इससे स्पष्ट है कि उपर्युक्त धनराशि का व्यय फर्जी तरीके से आहरित करके किया गया है अतः व्यय की गयी धनराशि रु० 927092.00 की जांचोपरांत ब्याज सहित वसूली श्री अखिलेश, ग्राम प्रधान एवं श्री अशोक गंगवार व अन्य तत्कालीन ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित रही ।

प्रस्तर-122: ग्राम पंचायत-गुधनी, विकास खण्ड- पुवायां,जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21के ग्रामनिधि प्रथम खाते काउत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम 186 के अनुसार ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की लेखा परीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कराने की अनिवार्यता है, तदनुसार लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु निम्नानुसार दि0 03-12-2021,16-12-2021 तथा 14-03-2022 को पत्र लिखे गये ।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 (क)के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बाउचर / अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली हेतु ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत / विकास अधिकारीसे की जाएगी ।वर्ष आलोच्य में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के अनुसार ग्राम पंचायत में कुल रु० 1529934-00 व्यय किया जाना दर्शित किया गया है किन्तु व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष कोई भी बाउचर / अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये ।इससे स्पष्ट है कि उपर्युक्त धनराशि का व्यय फर्जी तरीके से आहरित करके किया गया है अतः व्यय की गयीधनराशि रु० 1529934.00 की जांचोपरांत ब्याज सहित वसूली श्री राधेश्याम, ग्राम प्रधान एवं श्री कृष्णगोपाल व अन्य तत्कालीन ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित रही ।

प्रस्तर-123: ग्राम पंचायत-वितौनी, विकास खण्ड- पुवायां,जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21के ग्रामनिधि प्रथम खाते काउत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम 186 के अनुसारग्राम पंचायतों के अभिलेखों की लेखा परीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कराने की अनिवार्यता है, तदनुसार लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु निम्नानुसार दिनांक 03-12-2021, 16-12-2021 तथा 14-03-2022 को पत्र लिखे गये ।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 (क)के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बाउचर / अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली हेतु ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत / विकास अधिकारीसे की जाएगी।वर्ष आलोच्य में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के अनुसार ग्राम पंचायत में कुल रु० 1298643-00 व्यय किया जाना दर्शित किया गया है किन्तु व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष कोई भी बाउचर / अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये ।इससे स्पष्ट है कि उपर्युक्त धनराशि का व्यय फर्जी तरीके से आहरित करके किया गया है अतः व्यय की गयी धनराशि रु० 1298643-00 की जांचोपरांत ब्याज सहित वसूली श्री हरिनंदन, ग्राम प्रधान एवं श्री शिवकुमार व अन्य तत्कालीन ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित रही ।

प्रस्तर-124: ग्राम पंचायत-दहेलिया, विकास खण्ड- मिर्ज़ापुर,जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21के ग्राम निधि प्रथम खाते का उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम 186 के अनुसार ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की लेखा परीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कराने की अनिवार्यता है, किन्तु सम्बंधित कार्मिक द्वारा लेखा

परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये ।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 (क)के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बाउचर / अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली हेतु ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से की जाएगी । वर्ष आलोच्य में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के अनुसार ग्राम पंचायत में कुल रु० 858317.00 व्यय किया जाना दर्शित किया गया है किन्तु व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष कोई भी बाउचर / अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये । इससे स्पष्ट है कि उपर्युक्त धनराशि का व्यय फर्जी तरीके से आहरित करके किया गया है अतः व्यय की गयी धनराशि रु० 858317.00 की जांचोपरांत ब्याज सहित वसूली श्री बृजनंदन शुक्ला, ग्राम प्रधान एवं श्री सत्यप्रकाश शर्मा व श्री शशि कपूर गौतम ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित रही ।

प्रस्तर-125: ग्राम पंचायत-कबरा सलेमपुर, विकास खण्ड- मिर्जापुर, जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21 के ग्राम निधि प्रथम खाते का उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम 186 के अनुसार ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की लेखा परीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कराने की अनिवार्यता है, किन्तु सम्बंधित कार्मिक द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये ।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 (क)के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बाउचर / अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली हेतु ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से की जाएगी । वर्ष आलोच्य में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के अनुसार ग्राम पंचायत में कुल रु० 2214673.00 व्यय किया जाना दर्शित किया गया है किन्तु व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष कोई भी बाउचर / अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये । इससे स्पष्ट है कि उपर्युक्त धनराशि का व्यय फर्जी तरीके से आहरित करके किया गया है अतः व्यय की गयी धनराशि रु० 2214673.00 की जांचोपरांत ब्याज सहित वसूली श्रीमती विमला देवी, ग्राम प्रधान एवं श्री चंद्रशेखर सागर व श्री शशि कपूर गौतम ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित रही ।

प्रस्तर-126: ग्राम पंचायत- बरमौला अर्जुनपुर, विकास खण्ड-भावलखेड़ा, जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता से वर्ष आलोच्य में ऑन लाइन उपलब्ध आकड़ों के अनुसार विभिन्न तिथियों में कुल रु० 1263177-00 का व्यय किया गया है । इस व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक, बिल वाउचर, रसीदें, कैश मेमों, मस्टर रोल, चालान, नक्शा, इस्टीमेट, एमओबीओ, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, सामग्री आपूर्ति आदेश, भुगतान आदेश, स्टॉक पंजी, परिसंपत्ति रजिस्टर, निर्माण कार्य पंजी, कार्यवाही पुस्तिका, कोटेशन, टेंडर, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति, कोषबही, कर अवधारण एवं वसूली पंजी आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

व्यय धन राशि के सापेक्ष प्रमाणक एवं अन्य सहायक अभिलेख तैयार नहीं किया जाना गंभीर अनियमितता का द्योतक है, एवं पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय रु० 1263177-00 का अपहरण सिद्ध होता है। जिसके लिये सचिव एवं प्रधान समान रूप से जिम्मेदार हैं।

विभागीय जाचोपरान्त कुल अपहरित धनराशि रु० 1263177-00 का आधा भाग रु० 631588-50, प्रधान श्री बाबू राम एवं आधा भाग रु० 631588-50 श्री शशिबिन्दु पाल, सचिव/ग्रा० वि० अ० एवं श्री वीरसेन, सचिव/ग्रा० वि० अ० से कार्य अवधि के अनुसार जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-127: ग्राम पंचायत-सहजापुर, विकास खण्ड-भावलखेड़ा, जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता से वर्ष आलोच्य में ऑन लाइन उपलब्ध आकड़ों के अनुसार विभिन्न तिथियों में कुल रु० 1348397-00 का व्यय किया गया है । इस व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक, बिल वाउचर, रसीदें, कैश मेमों, मस्टर रोल, चालान, नक्शा, इस्टीमेट, एमओबीओ, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, सामग्री आपूर्ति

आदेश, भुगतान आदेश, स्टॉक पंजी, परिसंपत्ति रजिस्टर, निर्माण कार्य पंजी, कार्यवाही पुस्तिका, कोटेशन, टेंडर, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति, कोषबही, कर अवधारण एवं वसूली पंजी आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

व्यय धन राशि के सापेक्ष प्रमाणक एवं अन्य सहायक अभिलेख तैयार नहीं किया जाना गंभीर अनियमितता का द्योतक है एवं पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 1348397-00 का अपहरण सिद्ध होता है। जिसके लिये सचिव एवं प्रधान समान रूप से जिम्मेदार हैं।

विभागीय जाचोंपरान्त कुल अपहरित धनराशि ₹01348397-00 का आधा भाग ₹0 674198-50, प्रधान श्री बाबू राम एवं आधा भाग ₹0 674198-50 श्री वीरसेन, सचिव/ग्रा0वि0अ0 से कार्य अवधि के अनुसार जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-128: ग्राम पंचायत-शहजादपुर, विकास खण्ड-सिंधौली, जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निम्न विवरण के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के कोष बही में हैण्ड पम्प मरम्मत सम्बंधी व्यय अंकित है।

दिनांक	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता

(1) दि० 18-11-20	₹0 19900.00	मे० लावी ट्रेडर्स

(2) दि० 24-12-20	₹0 19800.00	मे० लावी ट्रेडर्स

योग -- ₹0 39700.00

वर्ष आलोच्य में ग्राम निधि प्रथम से उपरोक्तानुसार हैण्ड पम्प मरम्मत पर पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से कुल ₹0 39700-00 का भुगतान मे० लावी ट्रेडर्स को किया गया दर्शित है। परन्तु हैण्ड पम्प मरम्मत किन स्थलों पर किया गया है इसका कोई विवरण कोष बही में दर्ज नहीं है और न ही ग्राम पंचायत में हैण्ड पम्पों की स्थलवार एवं अद्यतन स्थितिवार कोई सूची ही रखी गयी है। उक्त व्यय से सम्बंधित कोई भी प्रमाणक, बिल वाउचर, रसीदें आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। इससे सम्बंधित जल प्रबंधन समिति का प्रस्ताव, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, इस्टीमेट, एम०बी० कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे। बिना प्रमाणक एवं सहायक अभिलेखों के कोष बही में व्यय अंकित किया जाना अनियमितता का द्योतक है एवं पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 39700.00 का अपहरण सिद्ध होता है। जिसके लिये सचिव एवं प्रधान समान रूप से जिम्मेदार हैं।

विभागीय जाचोंपरान्त कुल अपहृत धनराशि ₹0 39700.00 का आधा भाग ₹0 19850.00, प्रधान श्री हरिश्चन्द्र एवं आधा भाग ₹0 19850.00 सचिव श्री प्रदीप कुमार, सचिव/ग्रा०वि०अ० से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-129: ग्राम पंचायत-शहजादपुर, विकास खण्ड-सिंधौली, जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम से पब्लिक एड्रेस सिस्टम क्रय हेतु दि० 18-11-20 को कुल ₹9999.00 का भुगतान एम०सी० इलेक्ट्रॉनिक को पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से किया गया है। उक्त व्यय से सम्बंधित कोई भी प्रमाणक, बिल वाउचर, रसीदें आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। क्रय सम्बंधी कोई आदेश या विभागीय निर्देश लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। क्रय सम्बंधी पूर्व स्वीकृति ग्राम पंचायत की बैठकों में ली गयी है या नहीं, इसकी भी कोई जानकारी लेखा परीक्षा में नहीं हो सकी। क्रय सामग्री के समक्ष स्टॉक रजिस्टर भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। बिना प्रमाणक एवं सहायक अभिलेखों के कोष बही में व्यय अंकित किया जाना लेखा परीक्षा को मान्य नहीं है। लेखा परीक्षा का मत है कि उपरोक्त फर्जी व्यय कैश बुक में केवल दर्शित करते हुए धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिये सचिव एवं प्रधान समान रूप से जिम्मेदार हैं। पंचायती राज समिति के ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार विभागीय जाचोंपरान्त कुल अपहृत धनराशि ₹0 9999.00 का आधा भाग ₹0 4999.50 प्रधान श्री हरिश्चन्द्र एवं आधा भाग ₹0 4999.50 सचिव श्री प्रदीप कुमार, सचिव/ग्रा०वि०अ० से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-130:

ग्राम पंचायत- महाऊदुर्ग, विकास खण्ड-सिंधौली, जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निम्न विवरण के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के कोष बही में हैण्ड पम्प मरम्मत सम्बंधी व्यय अंकित है।

दिनांक

धनराशि

भुगतान प्राप्तकर्ता

(1) दि० 21-07-20 रु० 19559.00.....मे० कुमार मशीनरी स्टोर

(2) दि० 26-09-20.....रु० 18890.00..... मे० कुमार मशीनरी स्टोर

योग -रु० 38449.00

1-वर्ष आलोच्य में ग्राम निधि प्रथम से उपरोक्तानुसार हैण्ड पम्प मरम्मत पर पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से कुल रु० 38449-00 का भुगतान मे० कुमार मशीनरी स्टोरको किया गया दर्शित है। परन्तु हैण्ड पम्प मरम्मत किन स्थलों पर किया गया है इसका कोई विवरण कोष बही में दर्ज नहीं है और न ही ग्राम पंचायत में हैण्ड पम्पों की स्थलवार एवं अद्यतन स्थितिवार कोई सूची ही रखी गयी है। उक्त व्यय से सम्बंधित कोई भी प्रमाणक, बिल वाउचर, रसीदें आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। इससे सम्बंधित जल प्रबंधन समिति का प्रस्ताव, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, इस्टीमेट, एम०बी० कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे। बिना प्रमाणक एवं सहायक अभिलेखों के कोष बही में व्यय अंकित किया जाना अनियमितता का द्योतक है एवं पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय रु० 38449-00 का अपहरण सिद्ध होता है। जिसके लिये सचिव एवं प्रधान समान रूप से जिम्मेदार हैं।

विभागीय जाचोंपरान्त कुल अपहृत धनराशि रु० 38449.00का आधा भाग रु० 19224.50,प्रधान श्रीमती रामकुमारी एवं आधा भाग रु० 19224.50 सचिव श्रीराम वीर सिंह, सचिव/ग्रा०वि०अ० से ब्याज सहित अपेक्षित है।

प्रस्तर-131: ग्राम पंचायत- ऊनकला, विकास खण्ड- निगोही, जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21 के लेखा परीक्षा हेतु अभिलेखों की ऑनलाइन एवं लिखित मांग दि० 04-01-2022 के बावजूद सचिव / ग्राम पंचा० अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड-7 के अनुसार प्रमाणक एवं अन्य संगत अभिलेख विहीन व्यय धनराशि के अपहरण किए जाने का प्रकरण है। नेट साइट पर फीड विवरण के अनुसार वर्ष आलोच्य के राज्य वित्त आयोग तथा 15वें वित्त आयोग के धन क्रमशः रु०5124135-00 एवं रु०945167-00,कुल योग रु० 6071302-00 व्यय दर्शित है।

अतः अपहरित धन रु० 6071302-00 की वसूली जांचोपरांत प्रचलित दंड ब्याज सहित श्री शिवा शुक्ला, सचिव / ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान श्रीमती नाजरी बेगम से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर-132: ग्राम पंचायत- अर्जुनपुर, विकास खण्ड- निगोही, जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21 के लेखा परीक्षा हेतु अभिलेखों की ऑनलाइन एवं लिखित मांग दि० 04-01-2022 के बावजूद सचिव / ग्राम पंचा० अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड-7 के अनुसार प्रमाणक एवं अन्य संगत अभिलेख विहीन व्यय धनराशि के अपहरण किए जाने का प्रकरण है। नेट साइट पर फीड विवरण के अनुसार वर्ष आलोच्य के राज्य वित्त आयोग तथा 15वें वित्त आयोग के धन क्रमशः रु०1023922-00 एवं रु०540609-00,कुल योग रु० 1564531-00 व्यय दर्शित है।

अतः अपहरित धन रु० 1564531-00 की वसूली जांचोपरांत प्रचलित दंड ब्याज सहित श्री शिवा शुक्ला, सचिव / ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता देवी से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर-133:

ग्राम पंचायत- सिंहापुर कुरुसण्डा, विकास खण्ड- बंडा, जनपद-शाहजहाँपुरमें वर्ष 2020-21 के लेखा परीक्षा हेतु अभिलेखों की ऑनलाइन एवं लिखित मांग दि० 05-01-2022 के बावजूद सचिव / ग्राम पंचा० अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड-7 के अनुसार प्रमाणक एवं अन्य संगत अभिलेख विहीन व्यय धनराशि के अपहरण किए जाने का प्रकरण है। नेट साइट पर फीड विवरण के अनुसार वर्ष आलोच्य के राज्य वित्त आयोग तथा 15वें वित्त आयोग के धन क्रमशः रु०251264-00 एवं रु०449629-00,कुल योग रु० 700993-00 व्यय दर्शित है।

अतः अपहरित धन रु० 700993-00 की वसूली जांचोपरांत प्रचलित दंड ब्याज सहित श्री रंजीत पटेल, सचिव / ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान श्रीमती रामश्री से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर-134: ग्राम पंचायत- पडरी किशनपुर, विकास खण्ड- बंडा, जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21 के लेखा परीक्षा हेतु अभिलेखों की ऑनलाइन एवं लिखित मांग दि० 05-01-2022 के बावजूद सचिव / ग्राम पंचा० अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड-7 के अनुसार प्रमाणक एवं अन्य संगत अभिलेख विहीन व्यय धनराशि के अपहरण किए जाने का प्रकरण है, नेट साइट पर फीड विवरण के अनुसार वर्ष आलोच्य के राज्य वित्त आयोग तथा 15वें वित्त आयोग के धन क्रमशः रु०1037997-00 एवं रु०233560-00, कुल योग रु०1271557-00 व्यय दर्शित है।

अतः अपहरित धन रु० 1271557-00 की वसूली जांचोपरांत प्रचलित दंड ब्याज सहित श्री अनुज कुमार, सचिव / ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान श्री तेज राम से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर-135: ग्राम पंचायत- पटना, विकास खण्ड- बंडा, जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21 के लेखा परीक्षा हेतु अभिलेखों की ऑनलाइन एवं लिखित मांग दि० 05-01-2022 के बावजूद सचिव / ग्राम पंचा० अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड-7 के अनुसार प्रमाणक एवं अन्य संगत अभिलेख विहीन व्यय धनराशि के अपहरण किए जाने का प्रकरण है। नेट साइट पर फीड विवरण के अनुसार वर्ष आलोच्य के राज्य वित्त आयोग तथा 15वें वित्त आयोग के धन क्रमशः रु०381861-00 एवं रु०1437150-00, कुल योग रु० 1819011-00 व्यय दर्शित है।

अतः अपहरित धन रु० 1819011-00 की वसूली जांचोपरांत प्रचलित दंड ब्याज सहित श्री रंजीत पटेल, सचिव / ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान श्री परमेश्वर दीन से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर-136: ग्राम पंचायत- पिपरिया हरिश्चंद्र , विकास खण्ड- बंडा, जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21 के लेखा परीक्षा हेतु अभिलेखों की ऑनलाइन एवं लिखित मांग दि० 05-01-2022 के बावजूद सचिव / ग्राम पंचा० अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड-7 के अनुसार प्रमाणक एवं अन्य संगत अभिलेख विहीन व्यय धनराशि के अपहरण किए जाने का प्रकरण है। नेट साइट पर फीड विवरण के अनुसार वर्ष आलोच्य के राज्य वित्त आयोग तथा 15वें वित्त आयोग के धन क्रमशः रु० 700937-00 एवं रु० 149546-00, कुल योग रु० 850483-00 व्यय दर्शित है।

अतः अपहरित धन रु० 850483-00 की वसूली जांचोपरांत प्रचलित दंड ब्याज सहित श्री शिव कुमार, सचिव / ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान श्री देवेन्द्र सिंह से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर-137: ग्राम पंचायत- बंडी, विकास खण्ड- बंडा, जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21 के लेखा परीक्षा हेतु अभिलेखों की ऑनलाइन एवं लिखित मांग दि० 05-01-2022 के बावजूद सचिव / ग्राम पंचा० अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड-7 के अनुसार प्रमाणक एवं अन्य संगत अभिलेख विहीन व्यय धनराशि के अपहरण किए जाने का प्रकरण है। नेट साइट पर फीड विवरण के अनुसार वर्ष आलोच्य के राज्य वित्त आयोग तथा 15वें वित्त आयोग के धन क्रमशः रु० 884844-00 एवं रु० 345075-00, कुल योग रु० 1229919-00 व्यय दर्शित है।

अतः अपहरित धन रु० 700993-00 की वसूली जांचोपरांत प्रचलित दंड ब्याज सहित श्री शिव कुमार, सचिव / ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान श्रीमती रामवती से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर-138: ग्राम पंचायत- सिंहापुर पनई, विकास खण्ड- बंडा, जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21 के लेखा परीक्षा हेतु अभिलेखों की ऑनलाइन एवं लिखित मांग दि० 05-01-2022 के बावजूद सचिव / ग्राम पंचा० अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड-7 के अनुसार प्रमाणक एवं अन्य संगत अभिलेख विहीन व्यय धनराशि के अपहरण किए जाने का प्रकरण है। नेट साइट पर फीड विवरण के अनुसार वर्ष आलोच्य के राज्य वित्त आयोग तथा 15वें वित्त आयोग के धन क्रमशः रु०1711455-00 एवं रु०503368-00, कुल योग रु०2214823-00 व्यय दर्शित है।

अतः अपहरित धन रु०2214823-00 की वसूली जांचोपरांत प्रचलित दंड ब्याज सहित श्री रंजीत पटेल, सचिव / ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान श्रीमती राधा कुमारी से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर-139: ग्राम पंचायत- कुलुमजुझारपुर, विकास खण्ड- बंडा, जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21 के लेखा परीक्षा हेतु अभिलेखों की ऑनलाइन एवं लिखित मांग दि० 05-01-2022 के बावजूद सचिव / ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड-7 के अनुसार प्रमाणक एवं अन्य संगत अभिलेख विहीन व्यय धनराशि के अपहरण किए जाने का प्रकरण है। नेट साइट पर फीड विवरण के अनुसार वर्ष आलोच्य के राज्य वित्त आयोग तथा 15वें वित्त आयोग के धन क्रमशः रु० 794709-00 एवं रु० 258858-00, कुल योग रु० 1053567-00 व्यय दर्शित है।

अतः अपहरित धन रु० 1053567-00 की वसूली जांचोपरांत प्रचलित दंड ब्याज सहित श्री रंजीत पटेल, सचिव / ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान श्री अभिषेक सिंह से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर-140: ग्राम पंचायत-नवदिया नवाजपुर, विकास खण्ड-खुटार,जनपद-शाहजहाँपुरमें वर्ष 2020-21 के ग्राम निधि प्रथम खाते से बिना व्यय प्रमाणकों एवं समुचित अन्य अभिलेखों के राज्य वित्त आयोग का रु० 2129310-00 तथा 14वें वित्त आयोग से रु० 89394-00 कुल रु० 2218704-00 व्यय किया गया है। मांग पर भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गये। इस प्रकार ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड-7 के अनुसार प्रमाणक एवं अन्य संगत अभिलेख विहीन व्यय धनराशि के अपहरण किए जाने का प्रकरण है।

अतः रु० 2218704-00 की वसूली प्रचलित दंड ब्याज सहित वसूली श्री सुशील अग्निहोत्री/ श्री प्रमोद वर्मा,सचिव / ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान श्री अरुण कुमार से करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर-141: ग्राम पंचायत-लुकटहा , विकास खण्ड-खुटार,जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21 के ग्राम निधि प्रथम खाते से बिना व्यय प्रमाणकों एवं समुचित अन्य अभिलेखों के राज्य वित्त आयोग का रु० 878907-00 तथा 14वें वित्त आयोग से रु० 269124-00 कुल रु० 1148031-00 व्यय किया गया है। मांग पर भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गये। इस प्रकार ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड-7 के अनुसार प्रमाणक एवं अन्य संगत अभिलेख विहीन व्यय धनराशि के अपहरण किए जाने का प्रकरण है।

अतः रु० 1148031-00 की वसूली प्रचलित दंड ब्याज सहित वसूली श्री अशोक गंगवार, सचिव/ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान श्रीमती चंदा से करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर-142:

ग्राम पंचायत-लक्ष्मीपुर , विकास खण्ड-खुटार,जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21 के ग्राम निधि प्रथम खाते से बिना व्यय प्रमाणकों एवं समुचित अन्य अभिलेखों के राज्य वित्त आयोग का रु० 1608953-00 तथा 14वें वित्त आयोग से रु० 66511-00 कुल रु० 1675464-00 व्यय किया गया है। मांग पर भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गये। इस प्रकार ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड-7 के अनुसार प्रमाणक एवं अन्य संगत अभिलेख विहीन व्यय धनराशि के अपहरण किए जाने का प्रकरण है।

अतः रु० 1675464-00 की वसूली प्रचलित दंड ब्याज सहित वसूली श्री पवन श्रीवास्तव,सचिव / ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान श्रीमती बलजीत कौर से करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर-143: ग्राम पंचायत- रौतापुरकला, विकास खण्ड-खुटार,जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21 के ग्राम निधि प्रथम खाते से बिना व्यय प्रमाणकों एवं समुचित अन्य अभिलेखों के राज्य वित्त आयोग का रु० 1454664-00 तथा 14वें वित्त आयोग से रु० 950837-00 कुल रु० 2405501-00 व्यय किया गया है। मांग पर भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गये। इस प्रकार ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड-7 के अनुसार प्रमाणक एवं अन्य संगत अभिलेख विहीन व्यय धनराशि के अपहरण किए जाने का प्रकरण है।

अतः रु० 2405501-00 की वसूली प्रचलित दंड ब्याज सहित वसूली श्री सुशील अग्निहोत्री/ श्री प्रमोद वर्मा,,सचिव / ग्राम विकासअधिकारीएवं ग्राम प्रधान श्रीमती रेनू देवी से करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर-144: ग्राम पंचायत-मलिका, विकास खण्ड-खुटार,जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21 के ग्राम निधि प्रथम खाते से बिना व्यय प्रमाणकों एवं समुचित अन्य अभिलेखों के राज्य वित्त आयोग का रु० 815184-00 तथा 14वें वित्त आयोग से रु० 677161-00 कुल रु० 1492345-00 व्यय किया गया है। मांग पर भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं

किए गये। इस प्रकार ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड-7 के अनुसार प्रमाणक एवं अन्य संगत अभिलेख विहीन व्यय धनराशि के अपहरण किए जाने का प्रकरण है।

अतः रु० 1492345-00 की वसूली प्रचलित दंड ब्याज सहित वसूली श्री पवन श्रीवास्तव, सचिव / ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान श्रीमती विद्यावती से करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर-145: ग्राम पंचायत-सिल्हुआ , विकास खण्ड-खुटार, जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21 के ग्राम निधि प्रथम खाते से बिना व्यय प्रमाणकों एवं समुचित अन्य अभिलेखों के राज्य वित्त आयोग का रु० 492497-00 तथा 14वें वित्त आयोग से रु० 456038-00 कुल रु० 948535-00 व्यय किया गया है। मांग पर भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गये। इस प्रकार ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड-7 के अनुसार प्रमाणक एवं अन्य संगत अभिलेख विहीन व्यय धनराशि के अपहरण किए जाने का प्रकरण है।

अतः रु० 948535-00 की वसूली प्रचलित दंड ब्याज सहित वसूली श्री पवन श्रीवास्तव, सचिव / ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान श्रीमती शशी देवी से करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर-146: ग्राम पंचायत- कहमरिया, विकास खण्ड-खुटार, जनपद-शाहजहाँपुर में वर्ष 2020-21 के ग्राम निधि प्रथम खाते से बिना व्यय प्रमाणकों एवं समुचित अन्य अभिलेखों के राज्य वित्त आयोग का रु० 2743219-00 तथा 14वें वित्त आयोग से रु० 100-00 कुल रु० 2743319-00 व्यय किया गया है। मांग पर भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गये। इस प्रकार ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड-7 के अनुसार प्रमाणक एवं अन्य संगत अभिलेख विहीन व्यय धनराशि के अपहरण किए जाने का प्रकरण है।

अतः रु० 2743319-00 की वसूली प्रचलित दंड ब्याज सहित वसूली श्री पवन श्रीवास्तव, सचिव / ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान श्री मैराजुद्दीन से करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही। उक्त के लिए प्रमुख उत्तरदायी सचिव/ ग्राम पंचायत वि० अधि० हैं।

प्रस्तर-147: ग्राम पंचायत-कायमगंज टडई, विकास क्षेत्र- कलान, जनपद शाहजहाँपुर में वर्ष आलोच्य में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के अनुसार ग्राम पंचायत में कुल रु०. 2054923.00 व्यय किया जाना दर्शित किया गया है, किंतु व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष कोई भी वाउचर/अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। इससे स्पष्ट है कि उपर्युक्त धनराशि का व्यय फर्जी तरीके से आहरित करके किया गया है। ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 8(क) के अनुसार यदि दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर/अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी ।

अतः व्यय की गई धनराशि रु०. 2094923.00 की जांचोपरान्त ब्याज सहित वसूली श्रीमती हरसुखी देवी, ग्राम प्रधान एवं श्री राजकुमार शुक्ला व अन्य तत्कालीन ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित रही।

प्रस्तर-148: ग्राम पंचायत- कुनिया जमालपुर, विकास क्षेत्र- मदनपुर, जनपद शाहजहाँपुर ग्राम पंचायत की वर्ष आलोच्य की ऑनलाईन लेखापरीक्षा में पाया गया की ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अंकित कैश बुक एवं व्यय वाउचरों में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित किया गया है।

क्र. स.	योजना का नाम	वर्क आईडी	ई ग्राम स्वराज वाउचर संख्या व दिनांक	फार्मबेन्डर का नाम/	कार्य का विवरण	धनराशि
.1	चतुर्थ राज्य वित्त	38792220	चतुर्थ राज्य वित्त /2020-21/पी/1 दिनांक 28.07.2020-	अंकित ब्रिकी उद्योग	सीसी व नाली	8534
				पंकज ट्रेडिंग कंपनी	सीसी व नाली	26092
.2	चतुर्थ राज्य वित्त	38381606	चतुर्थ राज्य वित्त /2020-21/पी/2 दिनांक 27.07.2020-	मन्या इंटरप्राइजेज	पी .एस. इंटरलाकिंग	105434
				पंकज ट्रेडिंग कंपनी	पी .एस. इंटरलाकिंग	26583

				अंकित ब्रिकी उद्योग	पी .एस. इंटरलाकिंग	22426
.3	चतुर्थ राज्य वित्त	38792245	चतुर्थ राज्य वित्त /2020-21/पी/2 दिनांक29.07.2020-	सचिन ट्रेडर्स	फो गंग एंड सैनिटेशन	28700
.4	चतुर्थ राज्य वित्त	38792227	चतुर्थ राज्य वित्त /2020-21/पी/5 दिनांक29.07.2020-	अंकित ब्रिकी उद्योग	सीसी	5075
				पंकज ट्रेडिंग कंपनी	सीसी	23832
.5	चतुर्थ राज्य वित्त	38792236	चतुर्थ राज्य वित्त /2020-21/पी/6 दिनांक29.07.2020-	अंकित ब्रिकी उद्योग	सीसी	3316
				पंकज ट्रेडिंग कंपनी	सीसी	13923
.6	चौदहवां केंद्रीय वित्त	24965195	चौदहवां वित्त /2020- 21/पी/2 दिनांक29.07.2020-	पंकज ट्रेडिंग कंपनी	सीसी	42345
				अंकित ब्रिकी उद्योग	सीसी	9412
.7	चौदहवां केंद्रीय वित्त	24967162	चौदहवां वित्त /2020- 21/पी/3 दिनांक29.07.2020-	पंकज ट्रेडिंग कंपनी	नाली	53863
				अंकित ब्रिकी उद्योग	नाली	20736
.8	चौदहवां केंद्रीय वित्त	42803592	चौदहवां वित्त /2020- 21/पी/3 दिनांक29.07.2020-	अंकित ब्रिकी उद्योग	काया कल्प	32938
				पंकज ट्रेडिंग कंपनी	काया कल्प	138402
.9	पन्द्रहवां केंद्रीय वित्त	42803745	पन्द्रहवां/2020-21/पी/1 दिनांक2-2.10.2020.	पंकज ट्रेडिंग कंपनी	कम्युनिटी टॉइलेट	136305
.10	चौदहवां केंद्रीय वित्त	42803592	चौदहवां वित्त /2020- 21/पी/5 दिनांक29.07.2020-	अंकित ब्रिकी उद्योग	काया कल्प	32938
.11	पंचम राज्य वित्त	42807669	पंचम राज्य वित्त/2020-21/पी/2 दिनांक2-7.11.2020.	अंकित ब्रिकी उद्योग	पी एस हर. संह पुर	1261
				पंकज ट्रेडिंग कंपनी	पी एस हर. संह पुर	23024
.12	पंचम राज्य वित्त	42807617	पंचम राज्य वित्त /2020-21/पी/3 दिनांक2-7.11.2020.	पंकज ट्रेडिंग कंपनी	पी .एस. कुनिया	44983
				अंकित ब्रिकी उद्योग	पी .एस. कुनिया	1261
.13	पंचम राज्य वित्त	42804247	पंचम राज्य वित्त /2020-21/पी/3 दिनांक2-7.11.2020.	पंकज ट्रेडिंग कंपनी	वाउचर	30099
.14	पन्द्रहवां केंद्रीय वित्त	42803745	पन्द्रहवां/2020-21/पी/2 दिनांक.18-12.2020	ओम साई ईट उद्योग	वाउचर	39419
					योग-	870901. 00

उक्त के संबंध में आपत्तिया निम्न प्रकार है

1.उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से संबन्धित व्यय पत्रावलियांव्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

2.उपरोक्त उल्लिखित तालिका में अंकित बेडरों फर्मों द्वारा निर्माण सामग्री से संबंधित सामग्री कार्य की आपूर्ति का कार्य करते हैं अथवा नहीं इसकी जानकारी प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी। इनके GST/पीAN पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी भी नहीं हो सकी।

3.उपरोक्त तालिका में क्रम सं० 3 पर अंकित वर्क आईडी सं० 38792245 पर को गंग व सैनिटेशन कार्य पर रु० 28700 का व्यय दर्शित कर सचिन ट्रेडर्स को भुगतान किया गया है स्पष्ट है क फो गंग व सैनिटेशन कार्य में मजदूरों की आवश्यकता होती है किन्तु इस कार्य का समस्त भुगतान सचिन ट्रेडर्स को किया गया है इस प्रकार क्रय सामग्री अथवा व्यय धनराशि का अपहरण किया जाना एवं ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाया जाना प्रमाणित होता है।

4.क्रम सं० 11 व 12 पर अंकल वर्क आईडी 42807669 तथा 42807617 पर पी.एस. हरसंह पुर व पी.एस. कुनिया में क्रमश रु० 26250.00 व 48209.00 का व्यय दर्शित किया गया है उक्त दोनों कार्यों पर मजदूर व सामग्री आपूर्तिकर्ता समान है व एक ही तिथि में भुगतान किया गया है जो कि अनियमित है तथा क्रय सामग्री अथवा व्यय धनराशि का अपहरण किया जाना एवं ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाया जाना प्रमाणित होता है।

5.क्रम सं० 13 व 14 पर अंकित वर्क आईडी 42804247 तथा 42803745 पर क्रमश रु० 30099.00 व 39419.00 का भुगतान दिनांक 18-12-2020 को क्रमश पंकज ट्रेडिंग कंपनी व ओम साई ईट उद्योग को किया गया है उक्त आपूर्तिकर्ताओं द्वारा कम सामग्री की आपूर्ति की गयी इसका अंकन नहीं किया गया है इसके अतिरिक्त वर्क आईडी 42804247 पर कसी भी प्रकार के मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है उक्त कार्यों पर मजदूरी का भुगतान न किया जाना शासन के मजदूरी सृजन उद्देश्य के विपरीत तथा क्रय सामग्री अथवा व्यय धनराशि का अपहरण किया जाना एवं ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाया जाना प्रमाणित होता है। अतः उक्त आपत्तियों के अधीन एवं व्यय पत्रावली व्यय प्रमाणक वहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं वित्त लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 8 (क) के अंतर्गत गबन माना गया है जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की गयी है अतः व्यय पत्रावली व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के संबंध में उ० प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अंतर्गत निर्धारित अवध में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में इसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री जगवीर सिंह एवं ग्राम सचिव श्री शिव सिंह से किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं०-03)

प्रस्तर-149: ग्राम पंचायत- कुनिया जमालपुर, विकास क्षेत्र- मदनापुर, जनपद शाहजहांपुर ग्राम पंचायत की वर्ष आलोच्य की परीक्षा में पाया गया की ई-ग्रामस्वराज पर अंकित कैशबुक एवं व्यय वाउचरों में निम्न विवरणानुसार मजदूरी/श्रमिकों पर व्यय दर्शित किया गया है-

क्रस.	योजना का नाम	वर्क आईडी	ई ग्राम स्वराज वाउचर संख्या व दिनांक	मजदूरराज/ का नाम	मस्टररोल	कार्य का विवरण	धनराशि
.1	चतुर्थ राज्य वित्त	38792220	चतुर्थ राज्य वित्त /2020-21/पी/1 दिनांक- 28.07.2020	आशीष	उपलब्ध नहीं	राज मिस्त्रीमजदूरी/	4320
				जदुनाथ	उपलब्ध नहीं	राज मिस्त्रीमजदूरी/	1608
				गुड्डू	उपलब्ध नहीं	राज मिस्त्रीमजदूरी/	2814
				अरविंद	उपलब्ध नहीं	राज मिस्त्रीमजदूरी/	620
.2	चतुर्थ राज्य वित्त	38381606	चतुर्थ राज्य वित्त /2020-21/पी/2 दिनांक- 29.07.2020	नन्हे	उपलब्ध नहीं	राज मिस्त्रीमजदूरी/	2814
				दिनेश सिंह	उपलब्ध नहीं	राज मिस्त्रीमजदूरी/	2814

				राजा बाबू	उपलब्ध नहीं	राज मिस्त्रीमजदूरी /	2814
				कल्लू	उपलब्ध नहीं	राज मिस्त्रीमजदूरी /	2814
				केशव	उपलब्ध नहीं	राज मिस्त्रीमजदूरी /	2814
				आशीष	उपलब्ध नहीं	राज मिस्त्रीमजदूरी /	6700
				अरविंद	उपलब्ध नहीं	राज मिस्त्रीमजदूरी /	2685
				गुड्डू	उपलब्ध नहीं	राज मिस्त्रीमजदूरी /	2880
				जदुनाथ	उपलब्ध नहीं	राज मिस्त्रीमजदूरी /	2814
				राजू	उपलब्ध नहीं	राज मिस्त्रीमजदूरी /	2814
.3	चतुर्थ राज्य वित्त	38792227	चतुर्थ राज्य वित्त /2020-21/पी/5 दिनांक- 29.07.2020	गुड्डू	उपलब्ध नहीं	राज मिस्त्रीमजदूरी /	2412
				जदुनाथ	उपलब्ध नहीं	राज मिस्त्रीमजदूरी /	2412
				अरविंद	उपलब्ध नहीं	राज मिस्त्रीमजदूरी /	617
				आशीष	उपलब्ध नहीं	राज मिस्त्रीमजदूरी /	4800
.4	चतुर्थ राज्य वित्त	38792236	चतुर्थ राज्य वित्त /2020-21/पी/5 दिनांक- 29.07.2020	आशीष	उपलब्ध नहीं	राज मिस्त्रीमजदूरी /	2400
				अरविंद	उपलब्ध नहीं	राज मिस्त्रीमजदूरी /	342
				गुड्डू	उपलब्ध नहीं	राज मिस्त्रीमजदूरी /	2412
.5	चौदहवां केंद्रीय वित्त	24965195	चौदहवां वित्त /2020-21/पी/2 दिनांक- 29.07.2020	गुड्डू	उपलब्ध नहीं	राज मिस्त्रीमजदूरी /	480
				अरविंद	उपलब्ध नहीं	राज मिस्त्रीमजदूरी /	1163
				आशीष	उपलब्ध नहीं	राज मिस्त्रीमजदूरी /	6720
				राजू	उपलब्ध नहीं	राज मिस्त्रीमजदूरी /	2814
				नन्हे	उपलब्ध नहीं	राज मिस्त्रीमजदूरी /	1206
				राजा बाबू	उपलब्ध नहीं	राज मिस्त्रीमजदूरी /	2814

.6	चौदहवां केंद्रीय वित्त	24967162	चौदहवाँ वित्त /2020- 21/पी/3 दिनांक- 29.07.2020	आशीष	उपलब्ध नहीं	राज मिस्त्रीमजदूरी/	6720
				राजा बाबू	उपलब्ध नहीं	राज मिस्त्रीमजदूरी/	2814
				राजू	उपलब्ध नहीं	राज मिस्त्रीमजदूरी/	1407
				जदुनाथ	उपलब्ध नहीं	राज मिस्त्रीमजदूरी/	2814
				नन्हे	उपलब्ध नहीं	राज मिस्त्रीमजदूरी/	2814
				अरविंद	उपलब्ध नहीं	राज मिस्त्रीमजदूरी/	888
				गुड्डू	उपलब्ध नहीं	राज मिस्त्रीमजदूरी/	2400

.7	चौदहवां केंद्रीय वित्त	42803592	चौदहवाँ वित्त /2020- 21/पी/3 दिनांक22.10.2020-	केशव	उपलब्ध नहीं	राज मिस्त्रीमजदूरी/	8442
				जदुनाथ	उपलब्ध नहीं	राज मिस्त्रीमजदूरी/	8442
				आशीष	उपलब्ध नहीं	राज मिस्त्रीमजदूरी/	10080
				अरविंद	उपलब्ध नहीं	राज मिस्त्रीमजदूरी/	10080
				राजा बाबू	उपलब्ध नहीं	राज मिस्त्रीमजदूरी/	8442
				नन्हें	उपलब्ध नहीं	राज मिस्त्रीमजदूरी/	8442
				शव देव	उपलब्ध नहीं	राज मिस्त्रीमजदूरी/	4824
.8	पंद्रहवां केंद्रीय वित्त	42803745	पंद्रहवां केंद्रीय वित्त /2020-21/पी/1 दिनांक.22-10.2020	आशीष	उपलब्ध नहीं	राज मिस्त्रीमजदूरी/	9600
				नन्हें	उपलब्ध नहीं	राज मिस्त्रीमजदूरी/	9600
				राजा बाबू	उपलब्ध नहीं	राज मिस्त्रीमजदूरी/	9600
				जदुनाथ	उपलब्ध नहीं	राज मिस्त्रीमजदूरी/	9600
				अरविंद	उपलब्ध नहीं	राज मिस्त्रीमजदूरी/	9600
				केशव	उपलब्ध नहीं	राज मिस्त्रीमजदूरी/	2880
.9	पंचम राज्य वित्त	42807669	पंचम राज्य वित्त/2020- 21/पी/3	केशव	उपलब्ध नहीं	राज मिस्त्रीमजदूरी/	960

			दिनांक2-7.11.2020.	नन्हें	उपलब्ध नहीं	राज मिस्त्रीमजदूरी/	1005
.10	पंचम राज्य वित्त	42807617	पंचम राज्य वित्त /2020-21/पी/3 दिनांक2-7.11.2020.	केशव	उपलब्ध नहीं	राज मिस्त्रीमजदूरी/	960
				नन्हें	उपलब्ध नहीं	राज मिस्त्रीमजदूरी/	1005

उपरोक्त उल्लिखित विवरण के संबंध में आपतियाँ निम्न प्रकार हैं-

1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से संबन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-लेखा परीक्षा में मजदूरी से संबन्धित मस्टररोल उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे उपरोक्त व्यय अपुष्ट रहा।

3.उक्त तलिका में एक ही तिथी में दर्शित व्ययों से संबन्धित ऑडिट में उपलब्ध (ई ग्राम स्वराज) उक्त कार्य शासनादेश एवं व्यय प्रमाणक नियमों के विपरीत है।

4. ग्राम पंचायत के समस्त कार्यों से आशीष, जदुनाथ अरविंद, नन्हें, राजा बाबू, केशव तथा गुड्डू से ही मजदूरी राज मस्त्री का कार्य लिया गया है जो कि गंभीर अनियमिता को स्पष्ट करता है।

अतः उक्त आपतियों के अधीन एवं व्यय पत्रावली प्रयय प्रमाणक बहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं वित्त लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 8 (क) के अंतर्गत गबन माना गया है जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की गयी है अतः व्यय पत्रावली व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के संबंध में उ० प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अंतर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में इसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री जगवीर सिंह एवं ग्राम सचिव श्री शिव सिंह किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-150: ग्राम पंचायत- कुनिया जमालपुर, विकास क्षेत्र- मदनापुर, जनपद शाहजहांपुर ग्राम पंचायत की वर्ष आलोच्य की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया की ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अंकित कैश बुक एवं व्यय बाउचरों में निम्न विवरणानुसार हैंडपम्प मरम्मत रिबोर पर व्यय दर्शित किया गया है।

क्रस.	योजना का नाम	वर्क आईडी	ई ग्राम स्वराज वाउचर संख्या व दिनांक	फार्मबेन्डर का नाम/	कार्य का विवरण	धनराशि
1	चतुर्थ राज्य वित्त	38381559	चतुर्थ राज्य वित्त /2020-21/पी/3 दिनांक29.07.2020-	सर्वेश कुमार वर्मा	हैंडपम्प मरम्मत रिबोर/	33447
2	चौदहवां केन्द्रीय वित्त	24964081	चौदहवां वित्त /2020-21/पी/1 दिनांक22.10.2020-	सर्वेश कुमार वर्मा	हैंडपम्प मरम्मत रिबोर/	33447
					योग-	66894

उक्त के संबंध में आपतियां निम्न प्रकार हैं

1. हैंडपम्प मरम्मत, रिबोर कार्य से संबन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2. उक्त बैंडर फर्म हैंडपम्प मरम्मत रिबोर आदि का कार्य एक साथ करते हैं अथवा नहीं प्रमाणकों के अभाव में इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी। इनके GST/पीAN पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।

3. समान धनराशि का भुगतान किया गया है जो की मरम्मत रिबोर पर एक ही प्रकार के कल-पुर्जों की खराबी होने पर ही समान धनराशि का भुगतान किया जा सकता है जो संभव नहीं है इस प्रकार भुगतान में गंभीर अनियमितता की गयी है

अतः उक्त आपतियों के अधीन एवं व्यय पत्रावली प्रयय प्रमाणक वहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं वित्त लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 8 (क) के अंतर्गत गबन माना गया है जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की गयी है अतः व्यय पत्रावली व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के संबंध में उ० प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अंतर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में इसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री जगवीर सिंह एवं ग्राम सचिव श्री शिव सिंह से किया जाना अपेक्षित है (मूल आप० सं०-05)

प्रस्तर-151: ग्राम पंचायत- कुनिया जमालपुर, विकास क्षेत्र- मदनापुर, जनपद शाहजहांपुर मनरेगा योजनान्तर्गत मनरेगा पोर्टल पर दर्शित व्यय की ऑडिटऑनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत व विभिन्न कार्यों पर कुल व्यय 6.46 लाख का व्यय किया गया है, जिसमें से रु० 0.66 लाख मैटीरियल क्रय पर तथा रु० 05.81 लाख मजदूरी पर व्यय किया गया दर्शित है। उक्त योजना में 10 प्रतिशत का व्यय सामग्री पर तथा 90 प्रतिशत मजदूरी पर व्यय किया गया है किन्तु उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक व्यय पत्रावली लेखा परीक्षा प्रस्तुत नहीं की गयी जबकि इस संबंध में प्रमुख सचिव उ०प्र०शासन के शासनादेश सं/2010दस 09 (43)101-2011-टी.सी लखनऊ दिनांक 2011-02-04 एवं आयुक्त ग्राम विकास उत्तर प्रदेश के पत्रांक-806 सम्प्रेक्षा क्षे०प०ऑडिट दिनांक-05.05.2011 में कैशबुक, आय व्यय विवरण बनाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। इससे प्रतीत होता है कि इस योजना से संबंधित कोई अभिलेख तैयार किए बिना ही योजना का क्रियान्वयन किया गया है। तथा विकास खण्ड स्तर से कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिकारी खण्ड बकास अधिकारी एवं ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत सचिव रोजगार सेवक तथा तकनीकी सहायक द्वारा केवल धनराशियों के भुगतान का उपक्रम किया गया है। यह भी संभव है कि विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिकारी खण्ड बकास अधिकारी द्वारा भी इस दिशा में कोई रुच न लेने के कारण बिना अभिलेख तैयार करवाये ही न केवल प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृतियों जारी की जाती रही, परन्तु भुगतान भी किया जाता रहा। इस योजना से संबंधित समस्त अभिलेखों का लेखा परीक्षा में भौतिक रूप में प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित कराने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है तथा मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में इसकी वसूली कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिकारी खण्ड बकास अधिकारी-श्री वजय प्रताप यादव, ग्राम प्रधान श्री जगवीर सिंह तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री शिव सिंह तथा तकनीकी सहायक श्री शिवरतन से किया जाना अपेक्षित है। (मूल आप० सं०-06)

प्रस्तर-152: ग्राम पंचायत- कुनिया जमालपुर, विकास क्षेत्र- मदनापुर, जनपद शाहजहांपुर ग्राम पंचायत की ऑनलाईन लेखा परीक्षा में पाया गया कि ई ग्राम स्वराज पर अंकल कैश बुक तथा पेमेंट बाउचर यवरण मे निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है।

क्रस.	फार्मबेन्डर का नाम/	कार्य का विवरण	धनराशि
1	जय माँ काली इंटरप्राइजेज	प्रशासनिक व्यय	7741
2	पंकज ट्रेडिंग कंपनी	प्रशासनिक व्यय	3000
		योग-	10741

उक्त के संबंध में आपतिया निम्न प्रकार है-

1-उक्त बधरण में दर्शत व्ययों से संबन्धित व्यय पत्रावलियां/ व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी

2 इनके जी एस टी/पैन पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी। उपरोक्त तालिका में स्पष्ट नहीं है कि फर्मी बेंडरों के द्वारा कौन सा कार्य किया गया है तथा क्रय सामग्री अथवा व्यय धनराशि का अपहरण किया जाना एवं ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाया जाना प्रमाणित होता है।

अतः उक्त आपतियों के अधीन एवं व्यय पत्रावली, व्यय प्रमाणक वहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं वित्त लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 8 (क) के अंतर्गत गबन माना

गया है जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की गयी है अतः व्यय पत्रावली, व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कए जाने के संबंध में उ० प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अंतर्गत निर्धारित अवध में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में इसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री जगबीर सिंह के हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है। (मूल आप त सं०-07)

प्रस्तर-153 ग्राम पंचायत-मियापुर अख्त्यारपुर, विकास क्षेत्र-सिधौली, जनपद-शाहजहांपुर- वर्ष-2018-19- ग्राम पंचायत मियापुर अख्त्यारपुर में श्री प्रेम सागर यादव सचिव/ग्रा०प०अधि० के पद पर 01.04.18 से 31.08.2018 तक कार्यरत रहे हैं। उनके कार्यकाल के ग्राम निधि प्रथम से आहरित धन के व्यय प्रमाणक व संगत अन्य अभिलेख ले०प० में प्रस्तुत न थे। उक्त के अतिरिक्त रोकड़ बही में दर्शित व्यय एवं भुगतान का तरीका धन के अपहरण की पुष्टि करता है। व्यय निम्नवत् कोष बही में अंकित है-

क्र.स.	मद	धनराशि	विवरण
.1	प्रा अख्त्यार मियापुर में मिट्टी ट्राली 0वि० द्वारा पटान।	50000.00	नगद भुगतान
.2	हैण्डपम्प मरम्मत	61970.00	रु० 45000/- नगद भुगतान। स्थल अज्ञात ।
.3	ग्राम पंचायत में 10 जगह ट्राली द्वारा मिट्टी पटान।	160400.00	नगद भुगतान 8 चेक
.4	स्टेशनरी क्रय	30000.00	नगद भुगतान
.5	हयूम पाइप क्रय	50000.00	नगद भुगतानप्रयोग अज्ञात
.6	प्रधान मानदेय	21000.00	नगद भुगतान
.7	टेण्डर	3570.00	संजय मिश्रा को भुगतान
.8	कूड़ादान क्रय	58000.00	मै माँ गायत्री बैट्री व इनवर्टर को 0 भुगतान।
	योग	434940.00	

ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु/पैरा 8 (क) के अनुसार प्रमाणक व अन्य संगत अभिलेख विहीन व्यय को धन के अपहरण की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है।

अतः अपहरित धन रु. 434940.00 की वसूली तातारीख प्रचलित दण्ड ब्याज सहित श्री प्रेमसागर यादव सचिव/ग्रा०प०अधि० व प्रधान श्री अत्येन्द्र कुमार से करते हुऐ प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर-154 ग्राम पंचायत- कठपुरा, विकास क्षेत्र- सिधौली, जनपद-शाहजहाँपुर- वर्ष-2018-19- ले०प० में ग्राम निधि प्रथम की वर्ष 2018-19 की रोकड़ बही प्रस्तुत की गयी। सचिव/ग्रा०प०अधि० श्री प्रेम सागर यादव के कार्यकाल से सम्बंधित व्यय प्रमाणक एवं संगत अन्य अभिलेख ले०प० में प्रस्तुत न थे। ऑनलाईन, लिखित एवं मौखिक सूचना के बावजूद श्री सर्वेश कुमार यादव सचिव/ग्राम पंचायत अधि० द्वारा वर्ष 2018-19 की मात्र रोकड़ बही व बैंक स्टेटमेण्ट प्रस्तुत किये गये। श्री प्रेम सागर यादव के कार्यकाल के व्यय प्रमाणक एवं संगत अन्य अभिलेख ले०प० में प्रस्तुत नहीं किये गये।

ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु/पैरा-8 (क) के अनुसार लेखा परीक्षा के व्यय प्रमाणक व संगत अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने पर धन का अपहरण माना जायेगा।

श्री प्रेम सागर यादव तत्का० सचिव/ग्राम पंचा०अधि० द्वारा कुल रु.1861091.00का आहरण ग्राम निधि प्रथम से किया गया है।

अतः अपहरित धन रु.1861091.00 की वसूली तातारीख प्रचलित दण्ड ब्याज सहित श्री प्रेम सागर यादव तत्का० सचिव/ग्रा०प०अधि० व प्रधान श्री मुनेश्वर सिंह से करते हुऐ प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर-155 ग्राम पंचायत-सिसौरा , विकास क्षेत्र- सिधौली, जनपद-शाहजहाँपुर- वर्ष-2018-19- ग्राम पंचायत में श्री राजीव श्रीवास्तव सचिव/ग्राम पंचायत के रूप में 01.04.2018 से 02.10.2019 तक कार्यरत रहे हैं। वर्तमान में श्री प्रदीप कुमार दि.03.10.2019 से सचिव पद पर कार्यरत है। वर्तमान सचिव द्वारा बताया गया कि श्री राजीव श्रीवास्तव द्वारा अभिलेखों का चार्ज नहीं दिया गया है। श्री राजीव श्रीवास्तवद्वारा अपने कार्यकाल में 01.04.2018 से 31.03.2019 तक रु.1216300.00का आहरण ग्राम निधि प्रथम से किया गया है। उक्त आहरित धन में रु. 266.00 बैंक चार्ज भी है। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर/पैरा 8 (क) के अनुसार व्यय प्रमाणक व अन्य संगत अभिलेख विहीन व्यय को धन के अपहरण की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है।

अतः अपहरित धन रु. 1216034.00 की वसूली तातारीख प्रचलित दण्ड ब्याज सहित श्री राजीव श्रीवास्तव तत्का सचिव / ग्राम पंचायत व प्रधान श्रीमती खातून बेगम से करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर-156 ग्राम पंचायत- खिरिया पाठक, विकास क्षेत्र- सिधौली, जनपद-शाहजहाँपुर- वर्ष-2018-19- ग्राम पंचायत में श्री श्रवण कुमार सचिव/ग्राम पंचायत के पद पर कार्यरत रहे हैं। श्री श्रवण कुमार के कार्यकाल से सम्बंधित रोकड़ बही व बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त अन्य व्यय प्रमाणक तथा संगत अन्य अभिलेख लिखित व मौखिक मांग पर भी प्रस्तुत नहीं किये गये।

ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु/पैरा-8 (क) के अनुसार प्रमाणक विहीन व्यय अपहरण माना जायेगा।

श्री श्रवण कुमार सचिव/ग्राम पंचायत के कार्यकाल में रु. 821772.00 का आहरण ग्राम निधि प्रथम से किया गया है।

अतः अपहरित धन रु. 821772.00 की वसूली तातारीख प्रचलित दण्ड ब्याज सहित श्री श्रवण कुमार तत्का सचिव/ग्राम पंचायत व प्रधान श्रीमती जेबा नहीद से करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर-157 ग्राम पंचायत-मूर्छा, विकास क्षेत्र- सिधौली, जनपद-शाहजहाँपुर- वर्ष-2018-19-ग्राम पंचायत में श्री प्रेमसागर यादव दि. 01.04.2018 से 31.08.2018 तक कार्यरत रहे हैं। श्री प्रेम सागर यादव सचिव/ग्राम पंचायत के कार्यकाल की मात्र रोकड़ बही व बैंक स्टेटमेंट ही लेख में प्रस्तुत थे। अन्य व्यय प्रमाणक व संगत अन्य अभिलेख लेख में प्रस्तुत न थे। रोकड़ बही के अनुसार श्री प्रेमसागर यादव सचिव/ग्राम पंचायत द्वारा निम्नानुसार व्यय किया जाना दर्शित किया गया है-

क्र.सं.	कार्य	कुल व्यय धन	अन्य विवरण
.1	मिट्टी पटाई कार्य पर	341000.00	नगद।श्रमिकों द्वारा
.2	हयूम पाइप क्रय	30000.00	नगद । प्रयोग अज्ञात
.3	प्रचारप्रसार-	20000.00	नगद
.4	नल रिबोर	34593.00	कार्यस्थल अज्ञात
.5	हैण्डपम्प मरम्मत	113390.00	रु .25390/- ट्रांसफर द्वारा शेष नगद। स्थल अज्ञात
.6	फर्नीचर क्रय	35000.00	नगद। स्कन्ध पंजिका प्रस्तुत नहीं। चार्ज न देना बताया गया।
.7	स्टेशनरी कम्प्यूटर कार्य /	40000.00	नगद
.8	विज्ञापन	9613.00	नगद। योगेश कुमार 6148.00-रामपाल-3465.00
	योग	623596.00	

ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु संख्या/पैरा-8 (क) के अनुसार प्रमाणक व अन्य संगत अभिलेख विहीन व्यय को धन के अपहरण की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है।

अतः अपहरित धन रु. 623596.00 की वसूली तातारीख प्रचलित दण्ड ब्याज सहित श्री प्रेम सागर यादव तत्काऽ सचिव/ग्रा०प०अधि० व प्रधान श्री अरुण कुमार से करते हुये प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर-158 ग्राम पंचायत-बबरा, विकास क्षेत्र- सिंधौली, जनपद-शाहजहाँपुर- वर्ष-2018-19-

1-निम्न विवरण के अनुसार स्ट्रीट लाइट क्रय पर धन व्यय किया जाना दर्शित है-

क्र.सं.	दिनांक	चेक नं०	धनराशि	फर्म
.1	16.03.2019	177	49000.00	मैचंद्रा इलेक्ट्रिक स्टोर ०
.2	26.03.2019	180	49000.00	उपरोक्त

उक्त से सम्बंधित स्टीमेट, एम०बी०, कोटेशन आदि ले०प० में प्रस्तुत न होने से तत्संबंधी तथ्य अपुष्टित रहे। बिना विद्युत कनेक्शन के उक्त व्यय दुरुपयोजित रहा है।

अतः जांचोपरांत रु. 98000.00 की वसूली तत्काऽ सचिव/ग्रा०प०अधि० श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव व प्रधान श्री धर्मराज से तातारीख प्रचलित दण्ड ब्याज सहित करते हुये नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित रही। (आप०-16)

2-ग्राम पंचायत में 01.04.2018 से 31.01.2019 तक श्री विनीत चौधरी सचिव/ग्रा०प०अधि० कार्यरत रहे हैं। श्री विनीत चौधरी के द्वारा अपने कार्यकाल में रु.708282.00 का आहरण ग्राम निधि प्रथम के खाते से किया गया है। रु. 89.00 बैंक चार्ज कटौती के बाद रु.708193.00 शुद्ध व्यय किया गया है। आहरित धन के व्यय प्रमाणक व संगत अन्य अभिलेख ले०प० में प्रस्तुत न थे। प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु/पैरा 8 (क) के अनुसार अपहरण की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है।

अतः अपहरित धन रु.708193.00 की वसूली तातारीख प्रचलित दण्ड ब्याज सहित श्री विनीत चौधरी सचिव/ग्रा०प०अधि० व प्रधान श्री धर्मराज से करते हुये प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही। (आप०-17)

प्रस्तर-159 ग्राम पंचायत पटई, विकास क्षेत्र-सिंधौली, जनपद-शाहजहाँपुर- वर्ष-2018-19- ग्राम पंचायत पटई में कु० साधना सिंह सचिव/ग्रा०प०अधि० के रूप में दि.11.01.2019 से 31.12.2019 तक कार्यरत रही हैं। कु० साधना सिंह द्वारा आलोच्य वर्ष 2018-19 में अपने कार्यकाल में ग्राम निधि प्रथम के खाते से रु. 560244.00 आहरित किये गये हैं।

वर्तमान में सचिव के रूप में श्री इलियास अहमद कार्यरत हैं। उनके द्वारा लिखित रूप से अवगत कराया गया कि कु० साधना सिंह के कार्यकाल के व्यय प्रमाणक व संगत अन्य अभिलेख चार्ज में प्राप्त नहीं हुए हैं। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु/पैरा-8 (क) के अनुसार व्यय प्रमाणक व संगत अन्य अभिलेख विहीन व्यय धन को अपहरण की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है।

अतः अपहरित धन रु. 560244.00 की वसूली तातारीख प्रचलित दण्ड ब्याज सहित कु० साधना सिंह तत्काऽ सचिव/ग्रा०प०अधि० से करते हुये प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही। (आप०-18)

प्रस्तर-160-ग्राम पंचायत-गहरा, विकास क्षेत्र-सिंधौली जनपद-शाहजहाँपुर- वर्ष-2018-19- ग्राम पंचायत में श्री विवेकशील पाल सचिव/ग्रा०प०अधि० के रूप में जून-19 तक कार्यरत रहना बताया गया। वर्तमान में श्री प्रदीप कुमार सचिव पद पर कार्यरत हैं।

कई बार लिखित, मौखिक व ऑनलाइन अभिलेखों की मांग करने पर भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। वर्तमान सचिव ने बताया कि उन्हें चार्ज में अभिलेख प्राप्त नहीं हुए हैं। मात्र बैंक स्टेटमेण्ट ही ले०प० में प्रस्तुत किया गया।

श्री विवेकशील पाल ने अपने कार्यकाल में ग्राम पंचा० के ग्राम निधि प्रथम के खाते से बैंक चार्ज काटकर कुल रु. 1267694.00 आहरित किये हैं।

ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु/प्रस्तर-8 (क) के अनुसार व्यय प्रमाणक व अन्य संगत अभिलेख विहीन व्यय धन के अपहरण की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है।

अतः अपहरित धन रु. 1267694.00 की वसूली जांचोपरांत तातारीख प्रचलित दण्ड ब्याज सहित श्री विवेकशील पाल तत्काऽसचिव/ग्रा०पं०अधि०व प्रधान श्रीमती अफसाना बेगम से करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर-161- ग्राम पंचायत-सकुलिया, विकास क्षेत्र-सिंधौली जनपद-शहजहाँपुर- वर्ष-2018-19- श्री राजीव श्रीवास्तव ग्राम पंचायत में सचिव/ग्रा०पं०अधि०के रूप में 01.04.2018 से 31.12.2019 तक कार्यरत रहे हैं। इनके कार्यकाल में ग्राम निधि प्रथम के खाते से कुल रु. 941571.00 का आहरण किया गया है। ले०प० में रोकड़ बही व बैंक स्टेटमेण्ट के अतिरिक्त अन्य व्यय प्रमाणक तथा संगत अन्य अभिलेख प्रस्तुत न थे। व्यय प्रमाणक व संगत अन्य अभिलेख विहीन व्यय ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु/पैरा-8 (क) के अनुसार अपहरण की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है।

अतः अपहरित धन रु. 941571.00 की वसूली तातारीख प्रचलित दण्ड ब्याज सहित श्री राजीव श्रीवास्तव सचिव/ग्रा०पं०अधि०व प्रधान श्रीमती सुनीता देवी से करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।(आप०-17)

प्रस्तर-162- ग्राम पंचायत-भायपुर, विकास क्षेत्र-सिंधौली जनपद-शहजहाँपुर- वर्ष-2018-19- श्री प्रेमसागर यादवग्रा०पं०अधि० सचिव के रूप में ग्राम पंचायत में दिनांक 01.04.2018 से 31.08.2018 तक कार्यरत रहे हैं। उनके कार्यकाल की रोकड़ बही व बैंक स्टेटमेण्ट ही ले०प० में प्रस्तुत थे। व्यय प्रमाणक व संगत अन्य अभिलेख ले०प० में प्रस्तुत न थे। दि० 01.04.2018 से 31.08.2018 तक निम्नानुसार व्यय दर्शित है-

क्रं.सं.	मद	धनराशि	विवरण
.1	हयूम पाइप क्रय	121750.00	एक चेक छोड़कर शेष रु100000.00 .नगद भुगतान।
.2	हैण्डपम्प मरम्मत	90390.00	रु24890.00.के अतिरिक्त अन्य भुगतान रु . 65500.00नगद । हैण्डपम्पों के स्थल अज्ञात
.3	हैण्ड पम्प रिबोर	69321.00	कहां के हैण्डपम्प और कितने रिबोर हुऐ अज्ञात
.4	खडण्जा निर्माण जगदीश के घर से महादेव के घर तक	42850.00	-----
.5	ग्राम पंचा के विभिन्न स्थानों 0 पर ट्राली द्वारा मिट्टी भराव	224000.00	नकद भुगतान
.6	मानदेय भुगतान	21000.00	नकद भुगतान
.7	प्रचार(टेण्डर) प्रसार-	3570.00	श्री संजय मिश्रा को भुगतान
.8	फर्नीचर क्रय	20000.00	नकद भुगतान
.9	ठेली क्रय	38000.00	नकद भुगतान
.10	स्टेशनरी क्रय	20000.00	नकद भुगतान
.11	कूड़ादान क्रय	58000.00	माँ गायत्री इनवर्टर बैटरी को
	योग-	708881.00	-----

उक्त में-

1-मिट्टी पटाई/क्रय की रायल्टी की रसीद (रवन्ना एम. एम. - 11) नहीं है।

2-नगद भुगतान नियम विरुद्ध है।

3-हयूम पाइप कहां व कब लगवाये गये अस्पष्ट/श्रमांश पर व्यय शून्य।

4-विज्ञापन का भुगतान पेपर को न कर संजय मिश्रा को करना नियम विरुद्ध है।

5- स्टाक रजि० नहीं पाया गया।

ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु/पैरा-8 (क) के अनुसार व्यय प्रमाणक अन्य संगत अभिलेख विहीन व्यय धन के अपहरण की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है।

अतः अपहरित धन रु.708881.00 की वसूली जांचोपरांत तातारीख प्रचलित दण्ड ब्याज सहित श्री प्रेम सागर यादव सचिव/ग्रा0पं0अधि0व प्रधान श्री प्रकाश से करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।(आप0-17)

प्रस्तर-163- ग्राम पंचायत-अनावा, विकास क्षेत्र-सिंधौली जनपद-शहजहाँपुर- वर्ष-2018-19- ग्राम पंचायत में कु0 साधना सिंह सचिव/ग्रा0पं0अधि0के रूप में फरवरी 2019 से दिसम्बर 2019 तक कार्यरत रही हैं। वर्ष आलोच्य में कु0 साधना सिंह द्वारा ग्राम निधि प्रथम से बैंक चार्ज छोड़कर रु.565570.00 आहरित किया गया है। वर्तमान सचिव/ग्रा0पं0वि0अधि0 द्वारा लिखित रूप से अवगत कराया गया कि कु0 साधना सिंह ने अपने कार्यकाल के अभिलेख चार्ज में नहीं दिये हैं।

ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु/पैरा-8 (क) के अनुसार व्यय प्रमाणक व संगत अन्य अभिलेख विहीन व्यय धन के अपहरण के श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है।

अतः अपहरित धन रु. 565570.00 की वसूली तातारीख प्रचलित दण्ड ब्याज सहित कु0 साधना सिंह तत्का0सचिव/ग्रा0पं0वि0अधि0व प्रधान श्री सदानंद शर्मा से करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही। पत्र संलग्न है।(आप0-17)

प्रस्तर-164- ग्राम पंचायत- गोलारायपुर, विकास क्षेत्र-सिंधौली जनपद-शहजहाँपुर- वर्ष-2018-19-

श्री प्रेमसागर यादव ग्राम पंचायत में सचिव/ग्रा0पं0अधि0के पद पर 31.08.2018 तक कार्यरत रहे हैं। उनके द्वारा निम्न विवरण के अनुसार ग्राम निधि प्रथम से धन व्यय किया जाना दर्शाया गया है-

दिनांक	व्यय राशि	व्यय बाबत	नगदचेक/
26.04.2018	13000.00	ट्राली द्वारा गाके विभिन्न स्थानों पर मिट्टी पटान 0पं0	नगद
26.04.2018	10000.00	ट्राली द्वारा गाके विभिन्न स्थानों पर मिट्टी पटान 0पं0	नगद
26.04.2018	10000.00	ट्राली द्वारा गाके विभिन्न स्थानों पर मिट्टी पटान 0पं0	नगद
18.05.2018	22000.00	ट्राली द्वारा गाके विभिन्न स्थानों पर मिट्टी पटान 0पं0	नगद
21.05.2018	22000.00	ट्राली द्वारा गाके विभिन्न स्थानों पर मिट्टी पटान 0पं0	नगद
02.07.2018	28000.00	ट्राली द्वारा गाके विभिन्न स्थानों पर मिट्टी पटान 0पं0	नगद रामपाल
06.08.2018	10500.00	प्रागोलारामपुर में मिट्टी ट्राली द्वारा पटान 0वि0	नगद
08.08.2018	20000.00	प्रागोलारामपुर में मिट्टी ट्राली द्वारा पटान 0वि0	नगद
08.08.2018	20000.00	प्रागोलारामपुर में मिट्टी ट्राली द्वारा पटान 0वि0	नगद
17.07.2018	34408.00	हैण्डपम्प रिबोर मैदिव्यांश कां0 0	ए.पे.सी.
17.07.2018	34833.00	हैण्डपम्प रिबोर मै दिव्यांश 0कां0	एपे.सी.
17.07.2018	34740.00	हैण्डपम्प रिबोर मैदिव्यांश कां0 0	एपे.सी.
01.05.2018	8500.00	नल मिस्त्री हैण्डपम्प मरम्मत	नगद
03.05.2018	30000.00	नल मिस्त्री हैण्डपम्प मरम्मत	नगद
21.04.2018	14000.00	मानदेय	नगद
03.07.2018	10500.00	मानदेय	नगद
03.04.2018	3127.00	योगेश कुमार (टेण्डर)	नगद
13.08.2018	3127.00	टेण्डर विज्ञापन	ए.पे .सी.
योग-	328735.00		

उक्त व्ययों के सम्बंध में आपत्तिजनक रहा कि-

1-व्यय से सम्बंधित व्यय प्रमाणक एवं संगत अन्य अभिलेख नहीं है।

2-इतनी बड़ी मात्रा में मिट्टी पर धन व्यय किया गया है। मिट्टी क्रय सम्बंधी रायल्टी (रवन्ना एम. एम. - 11) नहीं है।

3-भुगतान नियमानुसार नहीं है।

4-कौन-कौन से और कहां के हैण्डपम्प मरम्मत व रिबोर हुए स्पष्ट नहीं है।

5-मानदेय वितरण सम्बंधी प्रमाणक नहीं है व नगद भुगतान स्वयं में स्थिति संदिग्ध करता है।

6-टेण्डर सम्बंधी प्रमाणक व अन्य अभिलेख नहीं फर्म को भुगतान किया जाना था।

प्रमाणक एवं संगत अन्य अभिलेख विहीन व्यय ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु/पैरा-8 (क) के अनुसार अपहरण की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है।

अतः अपहरित धन रु. 328735.00 की वसूली तातारीख प्रचलित दण्ड ब्याज सहित श्री प्रेम सागर यादव सचिव/ग्रा0पं0अधि0व प्रधान श्री जाहिद से करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।(आप०-17)

प्रस्तर-165- ग्राम पंचायत- चडारी, विकास क्षेत्र-सिंधौली जनपद-शहजहाँपुर- वर्ष-2018-19- श्री प्रेमसागर यादव ग्राम पंचायत चडारी में सचिव/ग्रा0पं0अधि0के पद पर 01.04.2018 से 31.08.2018 तक कार्यरत रहे हैं। श्री प्रेम सागर यादव सचिव/ग्रा0पं0अधि0के कार्यकाल की मात्र रोकड़ बही व बैंक स्टेटमेंट ही ले0प0 में प्रस्तुत थे। ग्राम निधि प्रथम के खाते से आहरित धन के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व संगत अन्य अभिलेख ले0प0 में प्रस्तुत न थे। रोकड़ बही के अनुसार श्री प्रेमसागर यादव द्वारा निम्नलिखित कार्यों पर धन व्यय किया जाना दर्शित किया गया है-

क्रं.सं.	मद	धनराशि	विवरण
.1	हैण्डपम्प मरम्मत	87000.00	सभी पांचों भुगतान नगद
.2	हैण्डपम्प रिबोर	145570.00	सभी नगद फर्म दि व्यास कंसट्रक्शन को एक भी नहीं।
.3	नाली मरम्मत कार्य मेन खडण्जा से नंदलाल के घर तक	102955.00	-----
.4	फर्नीचर क्रय	75000.00	सभी तीनों भुगतान नगद
.5	हयूम पाइप क्रय	72700.00	दोनों भुगतान नगद।फर्म को भुगतान नहीं है।
.6	वाल पेन्टिंग	45000.00	नगद प्रधान व रामपाल को
.7	सफाई कर्मी किट	10500.00	नगद प्रधान आशाराम को। फर्म मैको नहीं। माया देवी कं0 0
.8	प्रधान मानदेय	29500.00	नगद दि 15.06.2018.को रु10000.00.जो कि रु3500.00.के हिसाब से नहीं होती है।
.9	ठेली मरम्मत	14900.00	रामपाल को। इतने में नई ठेली आती है।
.10	ठेली खरीद	28000.00	नगद
.11	आकस्मिक निधि	22200.00	नगद प्रधान को
.12	टाईपिंगफोटो स्टेट/	20000.00	नगद
.13	प्रशासनिक व्यय	30000.00	नगद प्रधान को
.14	प्रचारप्रसार-	6615.00	योगेस कुमार को नगद 3465.00
	योग-	689940.00	

ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु/पैरा-8 (क) के अनुसार प्रमाणक व अन्य संगत अभिलेख विहीन व्यय धन के अपहरण की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। नगद व्यय स्वयं में गबन की पुष्टि करता है।

अतः अपहरित धन रु. 689940.00 की वसूली तातारीख प्रचलित दण्ड ब्याज सहित श्री प्रेमसागर यादव सचिव/ग्रा0पं0अधि0व प्रधान श्री आशाराम से करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित है।(आप०-16)

2-श्री हरिचंद्र शुक्ल सचिव/ग्रा0पं0अधि0चडारी द्वारा प्रधान ग्राम पंचायत श्री आशाराम को आकस्मिक निधि के रूप में चेक नं0 149 से दि.-20.12.2018 को रु. 17500.00 दिये, किन्तु उक्त धन का समायोजन नहीं किया गया। साथ ही उक्त धन किस शासनादेश के आधार पर और किस दर पर दिया गया स्पष्ट न था। इस प्रकार रु. 17500.00 का गबन प्रमाणित पाया गया।ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु/पैरा-8 (क) के अनुसार प्रमाणक व अन्य संगत अभिलेख विहीन व्यय को धन के अपहरण की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है।

अतः अपहरित धन रु. 17500.00 की वसूली तातारीख प्रचलित दण्ड ब्याज सहित श्री हरिचंद्र शुक्ल सचिव/ग्रा0पं0अधि0व प्रधान श्री आशाराम से करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित है।(आप0-17)

प्रस्तर-166- ग्राम पंचायत-शहजादपुर, विकास क्षेत्र-सिंधौली जनपद-शहजहाँपुर- वर्ष-2018-19- ग्राम पंचायत में श्री विवेकशील पाल सचिव/ग्रा0पं0अधि0के रूप में जून-2019 तक कार्यरत रहना बताया गया। वर्तमान में श्री प्रदीप कुमार सचिव पद पर कार्यरत है। कई बार लिखित, मौखिक व आनलाइन अभिलेखों की मांग करने पर भी अभिलेख, प्रस्तुत नहीं किये गये। वर्तमान सचिव ने बताया कि उन्हें चार्ज में अभिलेख प्राप्त नहीं हुए हैं। मात्र बैंक स्टेटमेंट ही 2018-19 का ले0प0 में प्रस्तुत किया गया। श्री विवेकशील पाल ने अपने कार्यकाल में ग्राम पंचायत के ग्राम निधि प्रथम के खाते से बैंक चार्ज रु.1295.00 काटकर कुल रु. 3693423.00 आहरित किये हैं। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु/प्रस्तर-8 (क) के अनुसार व्यय प्रमाणक व अन्य संगत अभिलेख विहीन व्यय धन के अपहरण की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है।

अतः अपहरित धन रु. 3693423.00 की वसूली जांचोपरांत तातारीख प्रचलित दण्ड ब्याज सहित श्री विवेकशील पाल तत्का0 सचिव/ग्रा0पं0अधि0व प्रधान श्री हरिचंद्र से करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-167- ग्राम पंचायत- सिसैय्या, विकास क्षेत्र-सिंधौली जनपद-शहजहाँपुर- वर्ष-2018-19- ग्राम पंचायत में श्री राजीव श्रीवास्तव सचिव/ग्रा0पं0अधि0के रूप में 01.04.2018 से 02.10.2019 तक कार्यरत रहे हैं। वर्तमान में श्री प्रदीप कुमार दि0 03.10.2019 से सचिव पद पर कार्यरत है। वर्तमान सचिव द्वारा बताया कि श्री राजीव श्रीवास्तव द्वारा अभिलेखों का चार्ज नहीं दिया गया है। श्री राजीव श्रीवास्तव द्वारा अपने कार्यकाल में 01.04.2018 से 31.03.2019 तक रु. 1099815.00 का आहरण ग्राम निधि प्रथम से किया गया है, जिसमें रु. 89.00 बैंक चार्ज भी शामिल है। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु/प्रस्तर-8 (क) के अनुसार व्यय प्रमाणक व अन्य संगत अभिलेख विहीन व्यय धन के अपहरण की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है।

अतः अपहरित धन रु. 1099726.00 की वसूली जांचोपरांत तातारीख प्रचलित दण्ड ब्याज सहित श्री राजीव श्रीवास्तव तत्का0सचिव/ग्रा0पं0अधि0व प्रधान श्रीमती विमला देवी से करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर-168- ग्राम पंचायत-चैनारूरिया, विकास क्षेत्र-सिंधौली जनपद-शहजहाँपुर- वर्ष-2018-19- वर्ष आलोच्य वर्ष 2018-19 की ले0प0 हेतु सचिव/ग्रा0पं0वि0अधि0द्वारा मात्र रोकड़ बही एवं बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत किया गया। रोकड़ बही एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के खाते से रु. 2127773.00 धन आहरित कर विभिन्न कार्यों पर धन व्यय किया जाना दर्शित है। रु. 89.00 बैंक चार्ज कटौती के बाद रु.2127684.00 शुद्ध व्यय किया गया है। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु/प्रस्तर-8 (क) के अनुसार व्ययप्रमाणक व अन्य संगत अभिलेख विहीन व्यय धन के अपहरण की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है।

अतः अपहरित धन रु. 2127684.00 की वसूली जांचोपरांत तातारीख प्रचलित दण्ड व्याज सहित श्री मो0 यूनस तत्का0सचिव/ग्रा0पं0अधि0व प्रधान श्रीमती गीता देवी से करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रारूप-4
जनपद-बस्ती
वार्षिक प्रतिवदेन वर्ष 2020-21
ग्राम पंचायतों से संबंधित आपत्तियां

जनपद-बस्ती

मण्डल-बस्ती

प्रस्तर-1- विकास खण्ड गौर की ग्राम पंचायत कलिगढा के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि-1 कैशबुक के अनुसार पिचरोड से मंदिर तक इण्टरलाकिंग कार्य हेतु सामग्री व मजदूरी पर कुल ₹ 171617.00 व्यय दर्शित है, जिसका विवरण निम्नवत है-

कार्य का नाम	दिनांक	विवरण	व्यय धनराशि
पिच रोड से मंदिर तक इण्टरलाकिंग कार्य	23.12.2020	सामग्री	56546.00
	24.12.2020	सामग्री	91956.00
	24.12.2020	मजदूरी	23115.00
		योग	171617.00

उक्त दर्शित व्यय धनराशि के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कार्ययोजना, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, व्यय प्रमाणक, उपभोग प्रमाणपत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र व कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे। अतः वर्ष 2020-21 में उक्त कार्य हेतु दर्शित व्यय धनराशि ₹ 171617.00 की उपयोगिता की पुष्टि व्यय प्रमाणक आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 क के अर्न्तगत अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती इसलावती एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कौशल किशोर पाण्डेय से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

प्रस्तर-2- विकास खण्ड गौर की ग्राम पंचायत सिकटा के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि-1 कैशबुक के अनुसार अघारी मे जवहिर के घर से बगल कामता के घर तक खडण्जा कार्य हेतु सामग्री व मजदूरी पर कुल ₹ 59799.00 व्यय दर्शित है, जिसका विवरण निम्नवत है-

कार्य का नाम	दिनांक	विवरण	व्यय धनराशि
अघारी मे जवहिर के घर से बगल कामता के घर तक खडण्जा कार्य	25.12.2020	सामग्री	45729.00
	25.12.2020	मजदूरी	14070.00
		योग	59799.00

उक्त दर्शित व्यय धनराशि के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कार्ययोजना, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, व्यय प्रमाणक, उपभोग प्रमाणपत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र व कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे। अतः वर्ष 2020-21 में उक्त कार्य हेतु दर्शित व्यय धनराशि ₹ 59799.00 की उपयोगिता की पुष्टि व्यय प्रमाणक आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 क के अर्न्तगत अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती नन्दकिशोरी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रशान्त कुमार पाण्डेय से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

प्रस्तर-3 विकास खण्ड सल्टौआ गोपालपुर के ग्राम पंचायत मुनियान के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निधि-1 खाते की कैशबुक अनुसार दिनांक- 01/04/20 से 31/3/21 तक कुल ₹ 1313820.82 की निकासी कर व्यय किया गया है। जिनके व्यय प्रमाणक, एम0बी0, तथा भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र/कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे जिससे उक्त निकासी धनराशि के उपयोगिता की पुष्टि नहीं की जा सकी। कुल व्यय की धनराशि ₹ 1313820.82 के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणकों आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री बुद्धिराम ग्राम प्रधान तथा श्री अजय कन्नौजिया ग्राम पंचायत अधिकारी व प्रशासक श्री बृजेश कुमार त्रिपाठी एडीओ पंचायत से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

रजि०, प्रधान मानदेय रजि० आदि मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे जिससे उक्त निकासी धनराशि के उपयोगिता की पुष्टि नहीं की जा सकी। कुल व्यय की धनराशि रु 712511.00 के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणकों आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री विनय कुमार ग्राम प्रधान तथा श्री जगदीश यादव ग्राम पंचायत अधिकारी व प्रशासक श्री विजय वर्मा एडीओ कोआपरेटिव से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

प्रस्तर-10 विकास खण्ड बनकटी की ग्राम पंचायत भैसा पाण्डेय के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में कैशबुक के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत पर रु 49635.00 व्यय दर्शित किया गया है उपरोक्त व्यय से दर्शित प्रस्ताव/कार्ययोजना स्टीमेट, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति आदेश, व्यय प्रमाणक, जनरेटड आई०डी०, मस्टररोल, सत्यापित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टाक रजिस्टर आदि अभिलेख मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिनके अभाव में दर्शित व्यय की जांच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी। दर्शित व्यय रु 49635.00 के वास्तविकता एवं उपयोगिता आदि की पुष्टि अभिलेखों आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिस हेतु ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती माला देवी ग्राम प्रधान तथा श्री जयेन्द्र लाल ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

प्रस्तर-11 विकास खण्ड बनकटी की ग्राम पंचायत लगुनही के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में कैशबुक के अनुसार पंचायत भवन निर्माण सामग्री पर रु 67866.00 व्यय दर्शित किया गया है उपरोक्त व्यय से दर्शित प्रस्ताव/कार्ययोजना स्टीमेट, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति आदेश, व्यय प्रमाणक, जनरेटड आई०डी०, मस्टररोल, सत्यापित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टाक रजिस्टर आदि अभिलेख मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिनके अभाव में दर्शित व्यय की जांच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी। दर्शित व्यय रु 67866.00 के वास्तविकता एवं उपयोगिता आदि की पुष्टि अभिलेखों आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिस हेतु ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री रामगरीब ग्राम प्रधान तथा श्रीमती पूर्णिमा सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

प्रस्तर-12 विकास खण्ड बनकटी की ग्राम पंचायत अरईलदीगर पट्टी के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में कैशबुक के अनुसार सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य पर सामग्री रु 50941.00 व्यय दर्शित किया गया है उपरोक्त व्यय से दर्शित प्रस्ताव/कार्ययोजना स्टीमेट, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति आदेश, व्यय प्रमाणक, जनरेटड आई०डी०, मस्टररोल, सत्यापित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टाक रजिस्टर आदि अभिलेख मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिनके अभाव में दर्शित व्यय की जांच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी। दर्शित व्यय रु 50941.00 के वास्तविकता एवं उपयोगिता आदि की पुष्टि अभिलेखों आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिस हेतु ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती मालती देवी ग्राम प्रधान तथा श्रीमती पूर्णिमा सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

प्रस्तर-13 विकास खण्ड बनकटी की ग्राम पंचायत चित्राखोर के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में कैशबुक के अनुसार आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण कार्य के सामग्री पर रु 90503.00 व्यय दर्शित किया गया है उपरोक्त व्यय से दर्शित प्रस्ताव/कार्ययोजना स्टीमेट, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति आदेश, व्यय प्रमाणक, जनरेटड आई०डी०, मस्टररोल, सत्यापित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टाक रजिस्टर आदि अभिलेख मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिनके अभाव में दर्शित व्यय की जांच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी। दर्शित व्यय रु 90503.00 के वास्तविकता एवं उपयोगिता आदि की पुष्टि अभिलेखों आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिस हेतु ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती उषा देवी ग्राम प्रधान तथा श्री जयेन्द्र लाल ग्राम पंचायत अधिकारी संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

प्रस्तर-14 विकास खण्ड सांउघाट की ग्राम पंचायत करही के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में कैशबुक के अनुसार दिनांक-9.11.20 को नाली निर्माण हेतु बालू सीमेन्ट क्रय पर रु 25952.00 व्यय दर्शित किया गया है उपरोक्त व्यय से दर्शित प्रस्ताव/कार्ययोजना स्टीमेट, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति आदेश, व्यय प्रमाणक, जनरेटड आई0डी0, मस्टररोल, सत्यापित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टाक रजिस्टर आदि अभिलेख मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिनके अभाव में दर्शित व्यय की जांच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी। दर्शित व्यय रु 25952.00 के वास्तविकता एवं उपयोगिता आदि की पुष्टि अभिलेखों आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिस हेतु ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री विश्वपाल सिंह ग्राम प्रधान तथा श्री ज्ञानेन्द्र दूबे ग्राम पंचायत अधिकारी संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

प्रस्तर-15 विकास खण्ड सांउघाट की ग्राम पंचायत दसौती के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में कैशबुक के अनुसार दिनांक-5.10.20 को हैण्डपम्प मरम्मत मद पर रु 31761.00 व्यय दर्शित किया गया है उपरोक्त व्यय से दर्शित प्रस्ताव/कार्ययोजना स्टीमेट, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति आदेश, व्यय प्रमाणक, जनरेटड आई0डी0, मस्टररोल, सत्यापित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टाक रजिस्टर आदि अभिलेख मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिनके अभाव में दर्शित व्यय की जांच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी। दर्शित व्यय रु 31761.00 के वास्तविकता एवं उपयोगिता आदि की पुष्टि अभिलेखों आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिस हेतु ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री रामशब्द सिंह ग्राम प्रधान तथा श्री रविशंकर शुक्ल ग्राम पंचायत अधिकारी संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

प्रस्तर-16 विकास खण्ड सांउघाट की ग्राम पंचायत पैडाखरहरा के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में कैशबुक के अनुसार दिनांक-8.7.20 को हैण्डपम्प रिबोर मद पर रु 32007.00 व्यय दर्शित किया गया है उपरोक्त व्यय से दर्शित प्रस्ताव/कार्ययोजना स्टीमेट, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति आदेश, व्यय प्रमाणक, जनरेटड आई0डी0, मस्टररोल, सत्यापित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टाक रजिस्टर आदि अभिलेख मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिनके अभाव में दर्शित व्यय की जांच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी। दर्शित व्यय रु 32007.00 के वास्तविकता एवं उपयोगिता आदि की पुष्टि अभिलेखों आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिस हेतु ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री आदर्श प्रसाद सिंह ग्राम प्रधान तथा श्री लालजी कन्नौजिया ग्राम पंचायत अधिकारी संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

प्रस्तर-17 विकास खण्ड सांउघाट की ग्राम पंचायत मझौवामीर के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में कैशबुक के अनुसार दिनांक-26.3.21 को प्रा0वि0 में टाइल्स लगवाने हेतु मैटेरियल के भुगतान पर रु 68008.00 व्यय दर्शित किया गया है उपरोक्त व्यय से दर्शित प्रस्ताव/कार्ययोजना स्टीमेट, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति आदेश, व्यय प्रमाणक, जनरेटड आई0डी0, मस्टररोल, सत्यापित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टाक रजिस्टर आदि अभिलेख मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिनके अभाव में दर्शित व्यय की जांच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी। दर्शित व्यय रु 68008.00 के वास्तविकता एवं उपयोगिता आदि की पुष्टि अभिलेखों आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिस हेतु ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री मुख्तार अहमद ग्राम प्रधान तथा श्री फिरोज खान ग्राम पंचायत अधिकारी संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

प्रस्तर-18 विकास खण्ड कप्तानगंज की ग्राम पंचायत बेसौरा के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निधि-1 (राज्य वित्त) की कैशबुक की जांच में पाया गया कि दिनांक-25.06.20 को भूमिगत नाली निर्माण शिवप्रसाद शुक्ल के घर से फेंसा तालाब तक परियोजना में सामग्री क्रय पर व्यय/भुगतान कुल रु 120250=00 भारत इण्टरप्राइजेज को किया गया है। उक्त परियोजना पर मजदूरी मद में वर्ष में व्यय नहीं किया गया है। परियोजना पर मजदूरी मद में व्यय न किये जाने से दर्शित व्यय काल्पनिक प्रतीत होता है। लेखा परीक्षा मांगोपरान्त व्यय प्रमाणक, स्टीमेट पत्रावली, जनरेटड आई0डी0, मस्टररोल, कार्यपूर्ति/भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र, एम0बी0 कोटेशन/टेण्डर पत्रावली, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर आदि प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में दर्शित व्यय की जांच

एवं पुष्टि नहीं की जा सकी। आडिट में मौखिक रूप से पूछे जाने पर ईकाई द्वारा उक्त के संदर्भ में कोई उत्तर नहीं दिया गया। ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार दर्शित व्यय की पुष्टि प्रमाणकों/अभिलेखों आदि से न कराकर रु 120250=00 का अपहरण किया गया है। जिसकी लिये श्री लालचंद ग्राम प्रधान तथा श्री नरोत्तम प्रसाद ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी है। अतः रु 120250=00 की ब्याज सहित वसूली उपरोक्त से संयुक्त रूप से कराकर संबंधित खाते में जमा कराया जाना चाहिये।

प्रस्तर-19 विकास खण्ड कप्तानगंज की ग्राम पंचायत बिहरा के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में कैशबुक की जांच में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में राज्य वित्त व 15वां वित्त से विभिन्न तिथियों में पंचायत भवन निर्माण परियोजना में कुल रु 929704=00 का व्यय/भुगतान निम्न विवरण के अनुसार किया गया है-

दिनांक	नाम फर्म	धनराशि
2.9.20	चौधरी बिल्डिंग मैटेरियल	127718.00
2.9.20	धर्म ब्रिक फील्ड	70332.00
28.9.20	जैसवाल बिल्डिंग मैटेरियल	125789.00
28.9.20	जैसवाल बिल्डिंग मैटेरियल	10494.00
17.12.20	अवधेश संदीप पेन्टस	129832.00
17.12.20	अवधेश संदीप पेन्टस	94616.00
17.12.20	जैसवाल बिल्डिंग मैटेरियल	138394.00
17.12.20	जैसवाल बिल्डिंग मैटेरियल	160771.00
17.12.20	जैसवाल बिल्डिंग मैटेरियल	67758.00
	योग	925704.00

लेखा परीक्षा में दर्शित व्यय के प्रमाणक प्रस्तुत रहे किन्तु मांगोपरान्त स्टीमेट पत्रावली प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति आदेश, जनरेटड आई0डी0, कार्यपूर्ति/भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र, एम0बी0, कोटेशन/टेण्डर पत्रावली, सार्वजनिक निर्माणकार्य राजिस्टर आदि प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में परियोजना की वित्तीय स्वीकृति, स्टीमेट की स्थिति अबतक कुल व्यय तथा पूर्णता की स्थिति आदि अस्पष्ट रही। आडिट में मौखिक रूप से पूछे जाने पर ईकाई द्वारा उक्त के संदर्भ में कोई उत्तर नहीं दिया गया। पंचायतीराज विभाग 30प्र0 के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 में स्पष्ट प्राविधान है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी का संयुक्त दायित्व होगा की वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख यथा प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, मापी, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि उपलब्ध कराये किन्तु ईकाई द्वारा दर्शित व्यय रु 925704.00 से सम्बन्धित उपरोक्त अभिलेख आडिट में मांगोपरान्त प्रस्तुत न कर अपहरण किया गया है जिसके लिये श्रीमती कमला देवी ग्राम प्रधान तथा श्री शेषराम दिवाकर ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-20 विकास खण्ड रूधौली की ग्राम पंचायत चंद्रभानपुर के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में विभिन्न तिथियों में निम्नविवरण के अनुसार ग्राम प्रधान को मानदेय भुगतान किया गया है-

क्र0सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	5.6.20	24500.00	माह सितम्बर 19 से मार्च 20 तक
2	5.6.20	10500.00	माह जनवरी 20 से मार्च 20 तक
3	27.8.20	17500.00	माह अप्रैल 20 से अगस्त 20 तक
4	18.11.20	14000.00	माह जुलाई 20 से अक्टूबर 20 तक

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि जनवरी 20 से मार्च 20 तक तीन माह एवं माह जुलाई 20 से अगस्त 20 तक दो माह कुल पांच माह का मानदेय प्रधान को कुल रु 17500.00 का अधिक भुगतान कर धन का अपहरण किया गया जिसके लिये ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजीव श्रीवास्तव एवं ग्राम प्रधान श्री रामविलास उत्तरदायी है। अतः अधिक भुगतान की गयी धनराशि रु 17500.00 की ब्याज सहित वसूली उक्त से संयुक्त रूप से ब्याज सहित की जानी चाहिये।

प्रस्तर-21 विकास खण्ड रूधौली की ग्राम पंचायत केरौना के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 29.9.20 को राज्य वित्त खाते से रु 5730.00 हैण्डपम्प मरम्मत हेतु डिजिटल इन्फोटेक को भुगतान दर्शित है। उक्त व्यय से संबंधित निर्माण कार्य पत्रावली, व्यय प्रमाणक, स्वीकृति स्टीमेट, प्रार्थनापत्र, एम0बी0, भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र आदि अभिलेख मांगोपरान्त अप्रस्तुत रहने से उक्त व्यय की वास्तविकता एवं उपयोगिता की पुष्टि नहीं की जा सकी। उल्लेखनीय है कि उक्त धनराशि का भुगतान डिजिटल इन्फोटेक नामक फर्म को किया गया है जोकि हैण्डपम्प मरम्मत हेतु अर्ह नहीं है। उक्त स्थितियों से स्पष्ट होता है कि काल्पनिक व्यय दर्शाकर धन का अपहरण कर लिया गया है इस प्रकार दर्शित व्यय की वास्तविकता एवं उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणकों आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार रु 5730.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी लिये श्रीमती निर्मला देवी ग्राम प्रधान तथा श्री विवेक ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी है। अतः रु 5730.00 की ब्याज सहित वसूली उपरोक्त से संयुक्त रूप से कराकर संबंधित खाते में जमा कराया जाना चाहिये।

प्रस्तर-22 विकास खण्ड बस्ती सदर की ग्राम पंचायत भरौलीबाबू के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में कैशबुक में पाया गया कि राघवेन्द्र के कुयें के चारो तरफ इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित किया गया है-

दिनांक	धनराशि	विवरण
05.7.20	87240.00	सामग्री
05.7.20	11214.00	मजदूरी
योग	98454.00	

उपरोक्त दर्शित व्यय से संबंधित स्वीकृत प्रस्ताव/कार्ययोजना, स्टीमेट, पत्रावली, प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृतिआदेश, जनरेटड आई0डी0, व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति/भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र, एम0बी0, कोटेशन/टेण्डर पत्रावली, सम्पत्ति रजिस्टर आदि मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में दर्शित व्यय की जांच व पुष्टि नहीं की जा सकी। दर्शित व्यय रु 98454.00 के वास्तविकता एवं उपयोगिता आदि की पुष्टि अभिलेखों से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिस हेतु ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली श्रीमती उमा सिंह ग्राम प्रधान व श्री अनुरोध कुमार श्रीवास्तव ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

प्रस्तर-23 विकास खण्ड बस्ती सदर की ग्राम पंचायत भरौलीबाबू के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में कैशबुक में पाया गया कि ग्राम पंचायत में जल निकासी हेतु ब्लूम पाइप क्रय मद में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित किया गया है-

दिनांक	धनराशि	विवरण
22.10.20	83300.00	सामग्री
योग	83300.00	

उपरोक्त दर्शित व्यय से संबंधित स्वीकृत प्रस्ताव/कार्ययोजना, स्टीमेट, पत्रावली, प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृतिआदेश, जनरेटड आई0डी0, व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति/भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र, एम0बी0, कोटेशन/टेण्डर पत्रावली, सम्पत्ति रजिस्टर आदि मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में दर्शित व्यय की जांच व पुष्टि नहीं की जा सकी। दर्शित व्यय रु 83300.00 के वास्तविकता एवं उपयोगिता आदि की पुष्टि अभिलेखों से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिस हेतु ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली श्रीमती उमा सिंह ग्राम प्रधान व श्री अनुरोध कुमार श्रीवास्तव ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

प्रस्तर-24 विकास खण्ड बस्ती सदर की ग्राम पंचायत गिदही खुर्द के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि-1 के आडिट हेतु निर्धारित ऑनलाई/ऑफलाईन कार्यक्रमानुसार अनेक बार लिखित एवं मौखिक रूप से ग्राम पंचायत के अभिलेख मांगोपरान्त ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा आडिट हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये प्रियासाफ्ट

फिडिंग के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में निधि-1 खाते से कुल रु 833291.00 व्यय किया जाना दर्शाया गया है। आलोच्य वर्ष में दर्शित व्यय की पुष्टि कैशबुक, प्रमाणकों तथा अन्य अभिलेखों से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसके लिये श्री बलराम ग्राम प्रधान व श्री जगदीश यादव ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप उत्तरदायी है। अतः रु 833291.00 की ब्याज सहित वसूली उपरोक्त से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

प्रस्तर-25 विकास खण्ड बस्ती सदर की ग्राम पंचायत जमरांव के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि-1 के आडिट हेतु निर्धारित ऑनलाई/ऑफलाईन कार्यक्रमानुसार अनेक बार लिखित एवं मौखिक रूप से ग्राम पंचायत के अभिलेख मांगोपरान्त ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा आडिट हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये प्रियासाफ्ट फिडिंग के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में निधि-1 खाते से कुल रु 492012.00 व्यय किया जाना दर्शाया गया है। आलोच्य वर्ष में दर्शित व्यय की पुष्टि कैशबुक, प्रमाणकों तथा अन्य अभिलेखों से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसके लिये श्रीमती धनपता ग्राम प्रधान व श्री जगदीश यादव ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप उत्तरदायी है। अतः रु 492012.00 की ब्याज सहित वसूली उपरोक्त से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

प्रस्तर-26 विकास खण्ड दुबौलिया की ग्राम पंचायत रानीपुर लाद के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में कैशबुक में पाया गया कि प्रा0वि0 छपिया मलिक में टाइल्स निर्माण कार्य में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित किया गया है-

दिनांक	धनराशि	विवरण
9.3.21	102363.00	सामग्री
15.3.21	56426.00	सामग्री
15.3.21	35502.00	मजदूरी
योग	194291.00	

उपरोक्त दर्शित व्यय से संबंधित स्वीकृत प्रस्ताव/कार्ययोजना, स्टीमेट, पत्रावली, प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृतिआदेश, जनरेटड आई0डी0, व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति/भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र, एम0बी0, कोटेशन/टेण्डर पत्रावली, सम्पत्ति रजिस्टर आदि मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में दर्शित व्यय की जांच व पुष्टि नहीं की जा सकी। दर्शित व्यय रु 194291.00 के वास्तविकता एवं उपयोगिता आदि की पुष्टि अभिलेखों से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिस हेतु ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली श्री राकेश सिंह ग्राम प्रधान व श्री संदीप चौधरी ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

प्रस्तर-27 विकास खण्ड दुबौलिया की ग्राम पंचायत रानीपुर लाद के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में कैशबुक में पाया गया कि जू0हा0स्कूल छपिया मलिक में टाइल्स निर्माण कार्य में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित किया गया है-

दिनांक	धनराशि	विवरण
4.3.21	110194.00	सामग्री
26.3.21	41836.00	सामग्री
08.3.21	24315.00	मजदूरी
26.3.21	9177.00	मजदूरी
योग	185522.00	

उपरोक्त दर्शित व्यय से संबंधित स्वीकृत प्रस्ताव/कार्ययोजना, स्टीमेट, पत्रावली, प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति आदेश, जनरेटड आई0डी0, व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति/भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र, एम0बी0, कोटेशन/टेण्डर पत्रावली, सम्पत्ति रजिस्टर आदि मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में दर्शित व्यय की जांच व पुष्टि नहीं की जा सकी। दर्शित व्यय रु 185522.00 के वास्तविकता एवं उपयोगिता आदि की पुष्टि अभिलेखों से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार अपहरण किया गया

है। जिस हेतु ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली श्री राकेश सिंह ग्राम प्रधान व श्री संदीप चौधरी ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

प्रस्तर-28 विकास खण्ड दुबौलिया की ग्राम पंचायत बरदिया कुंवर के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में कैशबुक में पाया गया कि प्रा0वि0 में टाइल्स निर्माण कार्य में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित किया गया है-

दिनांक	धनराशि	विवरण
4.3.21	128641.00	सामग्री
4.3.21	8820.00	सामग्री
06.3.21	30330.00	मजदूरी
योग	167791.00	

उपरोक्त दर्शित व्यय से संबंधित स्वीकृत प्रस्ताव/कार्ययोजना, स्टीमेट, पत्रावली, प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृतिआदेश, जनरेटड आई0डी0, व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति/भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र, एम0बी0, कोटेशन/टेण्डर पत्रावली, सम्पत्ति रजिस्टर आदि मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में दर्शित व्यय की जांच व पुष्टि नहीं की जा सकी। दर्शित व्यय रु 167791.00 के वास्तविकता एवं उपयोगिता आदि की पुष्टि अभिलेखों से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिस हेतु ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली श्री विरेन्द्र सिंह ग्राम प्रधान व श्री राकेश पाण्डेय ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

प्रस्तर-29 विकास खण्ड विक्रमजोत की ग्राम पंचायत शेरवाडीह के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निधि-1 (केन्द्रीय वित्त राज्यवित्त) आडिट हेतु निर्धारित ऑनलाई/ऑफलाईन कार्यक्रमानुसार अनेक बार लिखित एवं मौखिक रूप से ग्राम पंचायत के अभिलेख मांगोपरान्त ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजमंगल दूबे द्वारा आडिट हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये प्रियासाफ्ट फिडिंग के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में निधि-1 (केन्द्रीय वित्त राज्यवित्त) खाते से कुल रु 916611.00 व्यय किया जाना दर्शाया गया है। आलोच्य वर्ष में दर्शित व्यय की पुष्टि कैशबुक, प्रमाणकों तथा अन्य अभिलेखों से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसके लिये श्री हिफिराजूररहमान ग्राम प्रधान व श्री राजमंगल दूबे ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप उत्तरदायी है। अतः रु 916611.00 की ब्याज सहित वसूली उपरोक्त से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

प्रस्तर-30 विकास खण्ड विक्रमजोत की ग्राम पंचायत सौरी के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निधि-1 (केन्द्रीय वित्त राज्यवित्त) आडिट हेतु निर्धारित ऑनलाई/ऑफलाईन कार्यक्रमानुसार अनेक बार लिखित एवं मौखिक रूप से ग्राम पंचायत के अभिलेख मांगोपरान्त ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजमंगल दूबे द्वारा आडिट हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये प्रियासाफ्ट फिडिंग के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में निधि-1 (केन्द्रीय वित्त राज्यवित्त) खाते से कुल रु 616764.00 व्यय किया जाना दर्शाया गया है। आलोच्य वर्ष में दर्शित व्यय की पुष्टि कैशबुक, प्रमाणकों तथा अन्य अभिलेखों से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसके लिये श्रीमती घिसियावन ग्राम प्रधान व श्री राजमंगल दूबे ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप उत्तरदायी है। अतः रु 616764.00 की ब्याज सहित वसूली उपरोक्त से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

प्रस्तर-31 विकास खण्ड विक्रमजोत की ग्राम पंचायत रानीगांव के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निधि-1 (केन्द्रीय वित्त राज्यवित्त) आडिट हेतु निर्धारित ऑनलाई/ऑफलाईन कार्यक्रमानुसार अनेक बार लिखित एवं मौखिक रूप से ग्राम पंचायत के अभिलेख मांगोपरान्त ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजमंगल दूबे द्वारा आडिट हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये प्रियासाफ्ट फिडिंग के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में निधि-1 (केन्द्रीय वित्त राज्यवित्त) खाते से कुल रु 764990.00 व्यय किया जाना दर्शाया गया है। आलोच्य वर्ष में दर्शित व्यय की पुष्टि कैशबुक, प्रमाणकों तथा अन्य अभिलेखों से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसके लिये श्रीमती रीता ग्राम प्रधान व श्री राजमंगल दूबे ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप उत्तरदायी है। अतः रु 764990.00 की ब्याज सहित वसूली उपरोक्त से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

(क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसके लिये श्रीमती अंजू सिंह ग्राम प्रधान व श्री राजमंगल दूबे ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप उत्तरदायी है। अतः रु 717639.00 की ब्याज सहित वसूली उपरोक्त से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

प्रस्तर-37 विकास खण्ड विक्रमजोत की ग्राम पंचायत करमियां के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा मे निधि-1 (केन्द्रीय वित्त राज्यवित्त) आडिट हेतु निर्धारित ऑनलाई/ऑफलाईन कार्यक्रमानुसार अनेक बार लिखित एवं मौखिक रूप से ग्राम पंचायत के अभिलेख मांगोपरान्त ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजमंगल दूबे द्वारा आडिट हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये प्रियासाफ्ट फिडिंग के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में निधि-1 (केन्द्रीय वित्त राज्यवित्त) खाते से कुल रु 2458496.00 व्यय किया जाना दर्शाया गया है। आलोच्य वर्ष में दर्शित व्यय की पुष्टि कैशबुक, प्रमाणकों तथा अन्य अभिलेखों से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसके लिये श्रीमती अनीता ग्राम प्रधान व श्री राजमंगल दूबे ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप उत्तरदायी है। अतः रु 2458496.00 की ब्याज सहित वसूली उपरोक्त से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

प्रस्तर-38 विकास खण्ड विक्रमजोत की ग्राम पंचायत सिन्दुरिया मिश्र के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा मे निधि-1 की कैशबुक की जांच में पाया गया कि दिनांक-01.10.2020 को इण्डिया मार्का द्वितीय हैण्डपम्प रिबोर कार्य मद में रु 29037.00 का व्यय दर्शित है किन्तु आलोच्य वर्ष में उक्त परियोजना में मजदूरी परव्यय नहीं हुआ है। लेखा परीक्षा मे उक्त व्यय से संबंधित स्वीकृति आदेश, जनरेटड आई0डी0, व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति/भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र, एम0बी0, स्टीमेट आदि मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में दर्शित व्यय की जांच व पुष्टि नहीं की जा सकी। मजदूरी व्यय मे भुगतान न होने एवं उक्त अभिलेख प्रस्तुत नकिये जाने से स्पष्ट होता है कि ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा काल्पनिक व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार रु 29037.00 अपहरण किया गया है। अतः रु 29037.00 की ब्याज सहित वसूली श्री अयोध्या प्रसाद ग्राम प्रधान व श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

प्रस्तर-39 विकास खण्ड हरैया की ग्राम पंचायत बडेरिया कुंवर के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा मे कैशबुक के अनुसार दिनांक- 01/04/20 से 31/3/21 तक कुल रु 877603.00 की निकासी कर व्यय विभिन्न परियोजनाओ पर किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय सम्बन्धित स्वीकृति प्रस्ताव, व्यय प्रमाणक, एम0बी0, तथा भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र/कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, चल/अचल संपत्ति रजिस्टर, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर आदि मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे जिससे उक्त निकासी धनराशि के उपयोगिता की पुष्टि नहीं की जा सकी। कुल व्यय की धनराशि रु 877603.00 के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणकों आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री राजितराम ग्राम प्रधान तथा श्रीमती शौर्य शिप्रा सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी व प्रशासक श्री जयशंकर सिंह एडीओ कोआपरेटिव से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

प्रस्तर-40 विकास खण्ड हरैया की ग्राम पंचायत तेनुआ के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा मे कैशबुक के अनुसार दिनांक- 01/04/20 से 31/3/21 तक कुल रु 1323151.00 की निकासी कर व्यय विभिन्न परियोजनाओ पर किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय सम्बन्धित स्वीकृति प्रस्ताव, व्यय प्रमाणक, एम0बी0, तथा भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र/कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, चल/अचल संपत्ति रजिस्टर, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर आदि मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे जिससे उक्त निकासी धनराशि के उपयोगिता की पुष्टि नहीं की जा सकी। कुल व्यय की धनराशि रु 1323151.00 के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणकों आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती सुनरा देवी ग्राम प्रधान तथा श्रीमती सुभद्रा सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी व प्रशासक श्री जयशंकर सिंह एडीओ कोआपरेटिव से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

प्रस्तर-41 विकास खण्ड हरैया की ग्राम पंचायत सकरदहा के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा मे ऑनलाइन ई ग्राम स्वराज पर अंकित कैशबुक के अनुसार दिनांक- 01/04/20 से 31/3/21 तक कुल रु 1456197.00 की निकासी कर व्यय विभिन्न परियोजनाओ पर किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय सम्बन्धित

है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री राजकुमार वर्मा ग्राम प्रधान तथा श्री उमेश कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी व प्रशासक श्री हरिओम पाल एडीओ पंचायत से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

प्रस्तर-51 विकास खण्ड हरैया की ग्राम पंचायत इमलियाधीश के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में ऑनलाइन ई ग्राम स्वराज पर अंकित कैशबुक के अनुसार दिनांक- 01/04/20 से 31/3/21 तक कुल ₹ 1474112.00 की निकासी कर व्यय विभिन्न परियोजनाओं पर किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय सम्बन्धित स्वीकृति प्रस्ताव, व्यय प्रमाणक, एम0बी0, तथा भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र/कार्यपूति प्रमाण पत्र, चल/अचल संपत्ति रजिस्टर, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर आदि मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे जिससे उक्त निकासी धनराशि के उपयोगिता की पुष्टि नहीं की जा सकी। कुल व्यय की धनराशि ₹ 1474112.00 के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणकों आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती गेना देवी ग्राम प्रधान तथा श्रीमती कुसुमलता सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी व प्रशासक श्री जयशंकर सिंह एडीओ कोआपरेटिव से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

प्रस्तर-52 विकास खण्ड हरैया की ग्राम पंचायत भैंसा चौबे के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में कैशबुक के अनुसार दिनांक- 01/04/20 से 31/3/21 तक कुल ₹ 1039204.80 की निकासी कर व्यय विभिन्न परियोजनाओं पर किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय सम्बन्धित स्वीकृति प्रस्ताव, व्यय प्रमाणक, एम0बी0, तथा भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र/कार्यपूति प्रमाण पत्र, चल/अचल संपत्ति रजिस्टर, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर आदि मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे जिससे उक्त निकासी धनराशि के उपयोगिता की पुष्टि नहीं की जा सकी। कुल व्यय की धनराशि ₹ 1039204.80 के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणकों आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती गीताजंली ग्राम प्रधान तथा श्रीमती पिकी देवी ग्राम पंचायत अधिकारी व प्रशासक श्री हरिओम पाल एडीओ पंचायत से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

प्रस्तर-53 विकास खण्ड हरैया की ग्राम पंचायत गोभिया के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में कैशबुक के अनुसार दिनांक- 01/04/20 से 31/3/21 तक कुल ₹ 1113137.00 की निकासी कर व्यय विभिन्न परियोजनाओं पर किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय सम्बन्धित स्वीकृति प्रस्ताव, व्यय प्रमाणक, एम0बी0, तथा भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र/कार्यपूति प्रमाण पत्र, चल/अचल संपत्ति रजिस्टर, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर आदि मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे जिससे उक्त निकासी धनराशि के उपयोगिता की पुष्टि नहीं की जा सकी। कुल व्यय की धनराशि ₹ 1113137.00 के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणकों आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री बृजलाल ग्राम प्रधान तथा श्रीमती कुसुमलता ग्राम पंचायत अधिकारी व प्रशासक श्री हरिओम पाल एडीओ पंचायत से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

प्रस्तर-54 विकास खण्ड हरैया की ग्राम पंचायत छपिया बुजुर्ग के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में कैशबुक के अनुसार दिनांक- 01/04/20 से 31/3/21 तक कुल ₹ 943732.00 की निकासी कर व्यय विभिन्न परियोजनाओं पर किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय सम्बन्धित स्वीकृति प्रस्ताव, व्यय प्रमाणक, एम0बी0, तथा भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र/कार्यपूति प्रमाण पत्र, चल/अचल संपत्ति रजिस्टर, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर आदि मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे जिससे उक्त निकासी धनराशि के उपयोगिता की पुष्टि नहीं की जा सकी। कुल व्यय की धनराशि ₹ 943732.00 के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणकों आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती अनारा देवी प्रधान तथा श्री उमेश कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी व प्रशासक श्री जयशंकर सिंह एडीओ कोआपरेटिव से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

प्रस्तर-55 विकास खण्ड कुदरहा की ग्राम पंचायत परेवा के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निधि-1 की कैशबुक की जांच में पाया गया कि निम्नलिखित परियोजना पर आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित विवरण अनुसार भुगतान किया गया है-

क्र०सं०	परियोजना	दिनांक	चेक नं० / डॉंगल	धनराशि	जिसे भुगतान / फर्म का नाम
1	हैण्डपम्प रिबोर कार्य	10-05-2020 10-05-2020 10-05-2020	डॉंगल डॉंगल डॉंगल	99756.00 26400.00 484.00	ममता यादव विल्डिंग मैटेरियल अजय कुमार चौधरी वर्मा एण्ड एसोसिएट
2	हैण्डपम्प रिबोर कार्य	26-11-2020 26-11-2020	डॉंगल डॉंगल	155134.00 3136.00	मे० ओम कांस्टक्शन एण्ड जनरल ऑर्डर सप्लायर चौधरी वर्मा एण्ड एसोसिएट
योग-				284940.00	

ऑनलाईन लेखा परीक्षा प्रक्रिया में लेखा परीक्षा तिथि एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जारी किये जाने की तिथि तक उपरोक्त व्ययों से सम्बन्धित हैण्डपम्प रिबोर होने का स्थान, हैण्ड पम्प खराब होने का लाभार्थी द्वारा दिया गया प्राथनापत्र, स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र, एम०बी० एवं हैण्डपम्प ठीक होने का लाभार्थी द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र आदिमांगोपरान्त अप्रस्तुत रहने से उनकी जांच व पुष्टि नहीं की जा सकी, अतः उक्त दर्शित व्यय के सापेक्ष अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने से स्पष्ट होता है कि प्रधान एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी द्वारा काल्पनिक व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार ₹0 284940.00 का अपहरण किया गया है। अतः ₹0 284940.00 की ब्याज सहित वसूली श्रीमती चन्द्रवती ग्राम प्रधान एवं श्री अवधेश कुमार राव ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

प्रस्तर-56 विकास खण्ड कुदरहा की ग्राम पंचायत परेवा के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निधि-1 की कैशबुक की जांच में पाया गया कि निम्नलिखित परियोजना पर आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित विवरण अनुसार भुगतान किया गया है-

क्र०सं०	परियोजना	दिनांक	चेक नं० / डॉंगल	धनराशि	जिसे भुगतान / फर्म का नाम
3	नाली निर्माण- विक्रम के घर से सन्तराम के घर तक	27-08-2020 27-08-2020	डॉंगल डॉंगल	150236.00 3066.00	ममता यादव विल्डिंग मैटेरियल चौधरी वर्मा एण्ड एसोसिएट
योग-				153302.00	

ऑनलाईन लेखा परीक्षा प्रक्रिया में लेखा परीक्षा तिथि एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जारी किये जाने की तिथि तक उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित स्वीकृति कार्ययोजना, स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र, एम०बी० आदिमांगोपरान्त अप्रस्तुत रहने से उनकी जांच व पुष्टि नहीं की जा सकी, यहां उल्लेखनीय है कि कैशबुक एवं पासबुक अनुसार उक्त परियोजना पर मजदूरी मद में भुगतान हुआ ही नहीं है, तो कार्य कैसे हुआ। अतः उक्त दर्शित कार्य के सापेक्ष अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने एवं मजदूरी पर भुगतान न होने से स्पष्ट होता है कि प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा काल्पनिक व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार ₹0 153302.00 का अपहरण किया गया है। अतः ₹0 153302.00 की ब्याज सहित वसूली श्रीमती चन्द्रवती ग्राम प्रधान एवं श्री अवधेश कुमार राव ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

प्रस्तर-57 विकास खण्ड कुदरहा की ग्राम पंचायत महुआपारकला के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा मे निधि-1 के राज्य वित्त खाते के बैंक स्टेटमेंट एवं प्रियासाफ्ट/ ईग्रामस्वराज पोर्टल पर फीड आंकड़ों की जांच में पाया गया कि निम्नलिखित परियोजनाओं पर आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित विवरण अनुसार भुगतान किया गया है, जबकि कैशबुक में कोई विवरण अंकित नहीं पाया गया-

क्र०सं०	परियोजना का नाम	दिनांक	धनराशि	भुगतानप्राप्तकर्ता / फर्म का नाम
1	खडएजा निर्माण- शकील के घर से सेराज के घर तक	13-12-2020	28743.00	ग्राम प्रधान
		13-12-2020	131857.00	अजय ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्स
		13-12-2020	2690.00	चौधरी वर्मा एण्ड एसोसिएट
2	स्कूल पर कार्ययोजना लेखन कार्य	18-12-2020	7644.00	महादेव इण्टर प्राइजेज
		19-12-2020	156.00	चौधरी वर्मा एण्ड एसोसिएट
		27-12-2020	6140.00	एस०के० इनफोटेक
3	प्रा०वि० के फर्श पर टइल्स कार्य	18-12-2020	127494.00	अजय ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्स
		18-12-2020	13614.00	सुनील त्रिक फील्ड
		18-12-2020	39010.00	ग्राम प्रधान
		19-12-2020	12267.00	अजय ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्स
		19-12-2020	3128.00	चौधरी वर्मा एण्ड एसोसिएट
		27-12-2020	34735.00	ग्राम प्रधान
		27-12-2020	155742.00	अदिति कांस्ट्रक्शन एण्ड जनरल
		27-12-2020	5502.00	आईर सप्लायर जय संतोषी ईट भटठा
योग-			568722.00	

ऑनलाईन लेखा परीक्षा प्रक्रिया में लेखा परीक्षा तिथि एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जारी किये जाने की तिथि तक उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित स्वीकृति कार्ययोजना, स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र, एम०बी० आदिमांगोपरान्त अप्रस्तुत रहने से उनकी जांच व पुष्टि नहीं की जा सकी। यहां उल्लेखनीय है कि बैंक स्टेटमेंट एवं ईग्रामस्वराज पोर्टल से उक्त व्यय की पुष्टि होती है लेकिन कैशबुक में उक्त व्यय दर्शित नहीं है, जो कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा अवलोकित है। अतः उक्त दर्शित कार्यों के सापेक्ष अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किये जाने एवं कैशबुक में उक्त व्यय दर्शित न होने से स्पष्ट होता है कि प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा काल्पनिक व्यय ईग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शाकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार ₹ 568722.00 का अपहरण किया गया है। अतः ₹ 568722.00 की ब्याज सहित वसूली श्री इजहार अहमद ग्राम प्रधान एवं श्री अवधेश कुमार राव ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

प्रस्तर-58 विकास खण्ड कुदरहा की ग्राम पंचायत महुआपारकला के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा मे निधि-1 के राज्य वित्त खाते के बैंक स्टेटमेंट एवं कैशबुक की जांच में पाया गया कि निम्नलिखित परियोजनाओं पर आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित विवरण अनुसार भुगतान किया गया है-

क्र०सं०	परियोजना का नाम	दिनांक	धनराशि	भुगतानप्राप्तकर्ता / फर्म का नाम
1	खडएजा निर्माण- माझाफूल से घाट तक	01-07-2020	177194.00	सुनील त्रिक फील्ड
		01-07-2020	47236.00	ग्राम प्रधान
		01-07-2020	20545.00	ग्राम प्रधान
		01-07-2020	3617.00	चौधरी वर्मा एण्ड एसोसिएट

2	सोलर लाइट मरम्मत कार्य	19-10-2020 21-10-2020 21-10-2020	58800.00 58800.00 2400.00	वैण्डवी कांस्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर कम्पनी वैण्डवी कांस्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर कम्पनी चौधरी वर्मा एण्ड एसोसिएट
योग-			368592.00	

ऑनलाईन लेखा परीक्षा प्रक्रिया में लेखा परीक्षा तिथि एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जारी किये जाने की तिथि तक उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित स्वीकृति कार्ययोजना, स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र, एम0बी0 आदिमांगोपरान्त अप्रस्तुत रहने से उनकी जांच वपुष्टि नहीं की जा सकी। अतः उक्त दर्शित कार्यों के सापेक्ष अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किये जाने से स्पष्ट होता है कि प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा काल्पनिक व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार ₹0 368592.00 का अपहरण किया गया है। अतः ₹0 368592.00 की ब्याज सहित वसूली श्री इजहार अहमद ग्राम प्रधान एवं श्री अवधेश कुमार राव ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

प्रस्तर-59 विकास खण्ड कुदरहा की ग्राम पंचायत महुआपारकला के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निधि-1 के राज्य वित्त खाते के बैंक स्टेटमेंट एवं कैशबुक की जांच में पाया गया कि निम्नलिखित परियोजनाओं पर आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित विवरण अनुसार भुगतान किया गया है-

क्र0सं0	विवरण	दिनांक	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता / फर्म का नाम
1	ग्राम प्रधान मानदेय	01-07-2020	42000.00	ग्राम प्रधान
	ग्राम प्रधान मानदेय	04-10-2020	21000.00	ग्राम प्रधान
	मुख्यमंत्री आवास पर पट्टिका लेखन हेतु	06-08-2020	17200.00	----
योग-			80200.00	

ऑनलाईन लेखा परीक्षा प्रक्रिया में लेखा परीक्षा तिथि एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जारी किये जाने की तिथि तक उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित स्वीकृति कार्ययोजना, स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र, एम0बी0 एवं प्रधान मानदेय रजिस्टर आदिमांगोपरान्त अप्रस्तुत रहने से उनकी जांच वपुष्टि नहीं की जा सकी। प्रधान मानदेय कब से कब तक दिया गया है कैशबुक में स्पष्ट नहीं किया गया है यहां उल्लेखनीय है कि प्रधान मानदेय दिनांक 06-04-2019 को भी ₹ 30000- पिछले वित्तीय वर्ष (2019-20) में दिया गया है लेकिन स्पष्ट नहीं है कि कब से कब तक का है। अतः उक्त दर्शित व्ययों के सापेक्ष अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किये जाने से स्पष्ट होता है कि प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा काल्पनिक व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार ₹0 80200.00 का अपहरण किया गया है। अतः ₹0 80200.00 की ब्याज सहित वसूली श्री इजहार अहमद ग्राम प्रधान एवं श्री अवधेश कुमार राव ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

प्रस्तर-60 विकास खण्ड कुदरहा की ग्राम पंचायत सुअरहा के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निधि-1 के राज्य वित्त खाते के बैंक स्टेटमेंट एवं प्रियासाफ्ट/ ईग्रामस्वराज पोर्टल पर फीड आंकड़ों की जांच में पाया गया कि निम्नलिखित परियोजनाओं पर आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित विवरण अनुसार भुगतान किया गया है-

क्र0सं0	परियोजना	दिनांक	सामग्री पर व्यय	श्रमांश पर व्यय	कुल धनराशि	जिसे भुगतान / फर्म का नाम

1	प्रा०वि० में शौचालय मरम्मत कार्य	08-07- 2020	117187.00	0.00	117187.00	उन्नति कांस्ट्रक्शन एण्ड जनरल आर्डर सप्लायर
2	स्कूल शौचालय विस्तारीकरण	26-07- 2020	92000.00 35050.00	0.00 0.00	92000.00 35050.00	दिशा ट्रेडर्स दिशा ट्रेडर्स
योग-					244237.00	

ऑनलाईन लेखा परीक्षा प्रक्रिया में लेखा परीक्षा तिथि एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जारी किये जाने की तिथि तक उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित स्वीकृति कार्ययोजना, स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र, एम०बी० आदिमांगोपरान्त अप्रस्तुत रहने से उनकी जांच व पुष्टि नहीं की जा सकती, यहां उल्लेखनीय है कि कैश बुक लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही तथा बैंक स्टेटमेंट एवं ईग्रामस्वराज पोर्टल पर फीड आंकड़ों अनुसार उक्त परियोजनाओं पर **मजदूरी मद में भुगतान हुआ ही नहीं है**, तो कार्य कैसे हुआ। अतः उक्त दर्शित कार्य के सापेक्ष अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने एवं मजदूरी पर भुगतान न होने से स्पष्ट होता है कि प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा काल्पनिक व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार रु० **244237.00** का अपहरण किया गया है। अतः रु० **244237.00** की ब्याज सहित वसूली श्री राम प्रसाद ग्राम प्रधान एवं श्री राहुल कुमार ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

प्रस्तर-61 विकास खण्ड कुदरहा की ग्राम पंचायत सुअरहा के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निधि-1 के राज्य वित्त खाते के बैंक स्टेटमेंट एवं प्रियासाफ्ट/ ईग्रामस्वराज पोर्टल पर फीड आंकड़ों की जांच में पाया गया कि निम्नलिखित परियोजनाओं पर आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित विवरण अनुसार भुगतान किया गया है-

क्र० सं०	परियोजना	वर्क आइडी	दिनांक	सामग्री पर व्यय	श्रमांश/मिटटी पर व्यय	कुल धनराशि	जिसे भुगतान / फर्म का नाम
1	ख०म०-रामशीष के घर से रामनरेश के घर तक	29600345	08.07.2020	39487.00	31600.00	71087.00	आदर्श ब्रिक फील्ड ग्राम प्रधान (श्रमांश का)
2	ख०नि०-काली जी के स्थान से कृष्णमुरारी के खेत तक	29600345	08.07.2020	123165.00	44095.00	167260.00	आदर्श ब्रिक फील्ड ग्राम प्रधान (श्रमांश का)
3	सफाई किट क्रय	29600345	08.07.2020	78631.00	0.00	78631.00	राम सोलर एण्ड कम्पनी
4	नाली निर्माण-दीनानाथ के घर से बाबा के खेत तक	29600345	08-07-2020 08-07-2020	57982.00 27577.00	18382.00	103941.00	मे०राजेन्द्र प्रसाद फूलचन्द्र आदर्श ब्रिक फील्ड ग्राम प्रधान (श्रमांश का)
योग-				326842.00	94077.00	420919.00	

ऑनलाईन लेखा परीक्षा प्रक्रिया में लेखा परीक्षा तिथि एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जारी किये जाने की तिथि तक उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित स्वीकृति कार्ययोजना, स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति

प्रमाण पत्र/भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र, एम0बी0 आदिमांगोपरान्त अप्रस्तुत रहने से उनकी जांच वपुष्टिनहीं की जा सकी, यहां उल्लेखनीय है कि कैश बुक लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही तथाबैंक स्टेटमेंट एवं ईग्रामस्वराज पोर्टल पर फीड आंकड़ों अनुसार उक्त परियोजनाओं पर केवल एक ही वर्क आइडी 29600345 जनरेट है, अतःअलग-अलग कार्यों की केवल एक ही वर्क आइडी होने से स्पष्ट होता है कि कार्य न कराकर केवल फर्जी तरीके से भुगतान प्राप्त कर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा धन का अपहरण किया गया है।अतः उक्त दर्शित कार्यों के सापेक्ष अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने(तत्कालीन सचिव)एवं अलग-अलग कार्यों की केवल एक ही वर्क आइडी होनेसे स्पष्ट होता है कि ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा काल्पनिक व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार रू0 420919.00का अपहरण किया गया है। अतः रू0 420919.00 की ब्याज सहित वसूली श्री राम प्रसाद ग्राम प्रधान एवं श्री राहुल कुमार ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

प्रस्तर-62 विकास खण्ड कुदरहा की ग्राम पंचायत महुअपारकला के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा मे निधि-1 के राज्य वित्त खाते के बैंक स्टेटमेंट एवं प्रियासाफ्ट/ ईग्रामस्वराज पोर्टल पर फीड आंकड़ों की जांच में पाया गया कि निम्नलिखित परियोजनाओं पर आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित विवरण अनुसारभुगतान किया गया है-

क्र0सं0	परियोजना	दिनांक	व्यय धनराशि/ प्राप्तकर्ता	कुल धनराशि
1	सोख्ता गडढा निर्माण	08-07-2020 08-07-2020 08-07-2020	97604.00मे0राजेन्द्र प्रसाद फूलचन्द्र 61199.00 आदर्श ब्रिक फील्ड 32032.00 ग्राम प्रधान (श्रमांश)	190835.00
2	हैण्डपम्प उच्चीकरण	08-07-2020 08-07-2020 08-07-2020	52962.00 उन्नति कांस्ट्रक्शन एण्ड जनरल आर्डर सप्लायर 64806.00मे0राजेन्द्र प्रसाद फूलचन्द्र 29323.00 उन्नति कांस्ट्रक्शन एण्ड जनरल आर्डर सप्लायर	147091.00
3	हैण्ड पम्प रिबोर कार्य	08-07-2020	127050.00 उन्नति कांस्ट्रक्शन एण्ड जनरल आर्डर सप्लायर	127050.00
4	ख0नि0-त्रिवेणी के घर से लालजी के घर तक	07-10-2020 07-10-2020 07-10-2020	111600.00 साईं कांस्ट्रक्शन 39000.00 साईं कांस्ट्रक्शन 33936.00 ग्राम प्रधान	184536.00
5	नाली निर्माण- सलाउददीन के घर से अफताब के घर तक	18-11-2020 18-11-2020 18-11-2020	32500.00 आदर्श ब्रिक फील्ड 24650.00मे0राजेन्द्र प्रसाद फूलचन्द्र 15075.00 ग्राम प्रधान	72225.00
6	प्रशासनिक मद	26-07-2020 08-09-2020 07-10-2020	6188.00 राइस एजेन्सी 5613.00 दुर्गेश कुमार 15000.00 भानू कम्प्यूटर एण्ड ऑनलाइन सल्यूशन	26801.00
योग-				748538.00

ऑनलाईन लेखा परीक्षा प्रक्रिया में लेखा परीक्षा तिथि एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जारी किये जाने की तिथि तक उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित स्वीकृति कार्ययोजना, स्टीमेट,वित्तीय स्वीकृति,व्यय प्रमाणक,मस्टररोल,कार्यपूति प्रमाण पत्र/भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र, एम0बी0 आदिमांगोपरान्त अप्रस्तुत रहने से उनकी जांच वपुष्टिनहीं की जा सकी, यहां उल्लेखनीय है कि कैश बुक लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही तथाबैंक स्टेटमेंट एवं ईग्रामस्वराज पोर्टल पर फीड आंकड़ों अनुसार उक्त परियोजनाओं पर व्यय दर्शित है।अतः उक्त दर्शित कार्यों के सापेक्ष अभिलेख प्रस्तुत न किये जानेसे स्पष्ट होता है कि प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा काल्पनिक व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार रू0 748538.00का अपहरण किया

गया है। अतः ₹0 748538.00 की ब्याज सहित वसूली श्री राम प्रसाद ग्राम प्रधान एवं श्री राहुल कुमार ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

प्रस्तर-63 विकास खण्ड कुदरहा की ग्राम पंचायत रैनिया के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निधि-1 के राज्य वित्त खाते के कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट एवं प्रियासाफ्ट/ ईग्रामस्वराज पोर्टल पर फीड आंकड़ों की जांच में पाया गया कि निम्नलिखित परियोजनाओं पर आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित विवरण अनुसार भुगतान किया गया है-

क्र०सं०	परियोजना/मद	दिनांक	व्यय धनराशि / प्राप्तकर्ता	कुल धनराशि
1	मास्क एवं सेनेटाइजर क्रय	16-05-2020	10000.00 ग्राम प्रधान	91704.00
	टी0डी0एस हेतु	16-05-2020	4720.00 चौधरी वर्मा एण्ड एसोसिएट	
	टी0डी0एस हेतु	16-05-2020	9802.00 चौधरी वर्मा एण्ड एसोसिएट	
	ग्राम प्रधान मानदेय	16-05-2020	10500.00 ग्राम प्रधान	
	ग्राम प्रधान मानदेय	21-08-2020	10500.00 ग्राम प्रधान	
	ग्राम प्रधान मानदेय	21-12-2020	17500.00 ग्राम प्रधान	
	विज्ञापन पर व्यय	03-08-2020	6182.00 राइस एजेन्सी	
	फीडिंग एवं स्टेशनरी क्रय	12-05-2020	10000.00 अदिति कांस्ट्रक्शन एण्ड जनरल आर्डर	
	सफाई किट क्रय	21-12-2020	सप्लायर 12500.00 अदिति कांस्ट्रक्शन एण्ड जनरल आर्डर सप्लायर	
			योग-	91704.00

ऑनलाईन लेखा परीक्षा प्रक्रिया में लेखा परीक्षा तिथि एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जारी किये जाने की तिथि तक उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित स्वीकृति कार्ययोजना, स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, व्यय प्रमाणक एवं प्रधान मानदेय रजिस्टर आदि अभिलेख मांगोपरान्त अप्रस्तुत रहने से उनकी जांच व पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः उक्त दर्शित व्ययों के सापेक्ष अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किये जाने (तत्कालीन सचिव) से स्पष्ट होता है कि प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा काल्पनिक व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार ₹0 91704.00 का अपहरण किया गया है। अतः ₹0 91704.00 की ब्याज सहित वसूली श्री छबिलाल ग्राम प्रधान एवं सुश्री रीमा चौधरी ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

प्रस्तर-64 विकास खण्ड कुदरहा की ग्राम पंचायत रैनिया के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निधि-1 के राज्य वित्त खाते के कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट एवं प्रियासाफ्ट/ ईग्रामस्वराज पोर्टल पर फीड आंकड़ों की जांच में पाया गया कि निम्नलिखित परियोजनाओं पर आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित विवरण अनुसार भुगतान किया गया है-

क्र० सं०	परियोजना	दिनांक	सामग्री पर व्यय	श्रमांश पर व्यय	कुल धनराशि	जिसे भुगतान / फर्म का नाम
1	प्रा०वि० रैनिया में टाइल्स कार्य	30-03-2021 30-03-2021	49597.00 1012.00 टी0डी0एस	0.00 -	50609.00 -	देवकांस्ट्रक्शन चौधरी वर्मा एण्ड एसोसिएट
योग-					50609.00	

ऑनलाईन लेखा परीक्षा प्रक्रिया में लेखा परीक्षा तिथि एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जारी किये जाने की तिथि तक उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित स्वीकृति कार्ययोजना, स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र, एम०वी०, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर आदि मांगोपरान्त अप्रस्तुत रहने (तत्कालीन सचिव) से कार्य के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि के उपयोगिता की जांच व पुष्टि नहीं की जा

सकी।यहां उल्लेखनीय है कि कैश बुक, बैंक स्टेटमेंट एवं ईग्रामस्वराज पोर्टल पर फीड आंकड़ों अनुसार उक्त परियोजना पर **मजदूरी मद में भुगतान हुआ ही नहीं है**, तो बिना श्रमिकों के कार्य कैसे हुआ। अतः उक्त दर्शित कार्य के सापेक्ष व्यय प्रमाणक/अभिलेख प्रस्तुत न किया जाना ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आता है, जिसके लिये ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं। यदि अपरिहार्य कारण से या लोकहित में संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 12 की उपधारा 3 (क) के अनुसार ग्राम पंचायत में प्रशासक नियुक्त किया जाता है तो ग्राम प्रधान की समस्त शक्तियां, कृत्य तथा कर्तव्य ग्राम पंचायत में नियुक्त प्रशासक में निहित होंगे। अतः धनराशि **₹0 50609.00** की ब्याज सहित वसूली त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 के कारण ग्राम पंचायत में नियुक्त प्रशासक श्री घनश्याम मिश्र, स0वि0अ0(पं0) एवं सुश्री रीमा चौधरी तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

प्रस्तर-65 विकास खण्ड कुदरहा की ग्राम पंचायत रैनिया के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निधि-1 के राज्य वित्त खाते के कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट एवं प्रियासाफ्ट/ ईग्रामस्वराज पोर्टल पर फीड आंकड़ों की जांच में पाया गया कि हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर पर आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित विवरण अनुसार भुगतान किया गया है-

क्र०सं०	परियोजना	दिनांक	धनराशि	जिसे भुगतान / फर्म का नाम
1	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	21-08-2020	15269.00	चौरसिया आयरन स्टोर
		21-08-2020	2400.00	ग्राम प्रधान
		21-08-2020	311.00	चौधरी वर्मा एण्ड एसोसिएट
2	हैण्डपम्प रिबोर कार्य	09-11-2020	70149.00	चौरसिया आयरन स्टोर
		09-11-2020	23400.00	ग्राम प्रधान
		09-11-2020	1431.00	चौधरी वर्मा एण्ड एसोसिएट
योग-			112960.00	

ऑनलाईन लेखा परीक्षा प्रक्रिया में लेखा परीक्षा तिथि एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जारी किये जाने की तिथि तक उपरोक्त व्ययों से सम्बन्धित हैण्डपम्प मरम्मत / रिबोर होने का स्थान, हैण्ड पम्प खराब होने का लाभार्थी द्वारा दिया गया प्राथनापत्र, स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र, एम0बी0 एवं हैण्डपम्प ठीक होने का लाभार्थी द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र आदि मांगोपरान्त अप्रस्तुत रहने से उनकी जांच व पुष्टि नहीं की जा सकी, अतः उक्त दर्शित व्यय के सापेक्ष अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने (तत्कालीन सचिव) से स्पष्ट होता है कि प्रधान एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी द्वारा काल्पनिक व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार **₹0 112960.00** का अपहरण किया गया है। अतः **₹0 112960.00** की ब्याज सहित वसूली श्री छबिलाल ग्राम प्रधान एवं सुश्री रीमा चौधरी ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

प्रस्तर-66 विकास खण्ड कुदरहा की ग्राम पंचायत रैनिया के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निधि-1 के राज्य वित्त खाते के कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट एवं प्रियासाफ्ट/ ईग्रामस्वराज पोर्टल पर फीड आंकड़ों की जांच में पाया गया कि निम्नलिखित परियोजना पर आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित विवरण अनुसार भुगतान किया गया है-

क्र०सं०	परियोजना	दिनांक	धनराशि	जिसे भुगतान / फर्म का नाम
1	खडण्जा निर्माण- मस्तराम के घर से बांस के खूंट तक	21-08-2020	12976.00	ग्राम प्रधान (मिटटी)
		21-08-2020	28644.00	ग्राम प्रधान (श्रमांश)
		21-08-2020	105576.00	सुनील ब्रिक फील्ड
		21-08-2020	2154.00	चौधरी वर्मा एण्ड एसोसिएट
योग-			149350.00	

ऑनलाईन लेखा परीक्षा प्रक्रिया में लेखा परीक्षा तिथि एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जारी किये जाने की तिथि तक उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित स्वीकृति कार्ययोजना, स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र, एम0बी0, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर आदि अभिलेख मांगोपरान्त अप्रस्तुत रहने से उनकी जांच व पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः उक्त दर्शित व्ययों के सापेक्ष अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किये जाने (तत्कालीन सचिव) से स्पष्ट होता है कि प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा काल्पनिक व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार रु0 149350.00 का अपहरण किया गया है। अतः रु0 149350.00 की ब्याज सहित वसूली श्री छबिलाल ग्राम प्रधान एवं सुश्री रीमा चौधरी ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

प्रस्तर-67 विकास खण्ड कुदरहा की ग्राम पंचायत गंगापुर के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निधि-1 के राज्य वित्त खाते के बैंक स्टेटमेंट एवं प्रियासाफ्ट/ ईग्रामस्वरज पोर्टल पर फीड आंकड़ों की जांच में पाया गया कि निम्नलिखित परियोजनाओं पर आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित विवरण अनुसार भुगतान किया गया है-

क्र0सं0	परियोजना/मद	दिनांक	व्यय धनराशि/ प्राप्तकर्ता	कुल धनराशि
1	मास्क क्रय	12-05-2020	1800.00 ग्राम प्रधान	60323.00
	सेनेटाइजर	12-05-2020	3600.00 ग्राम प्रधान	
	कोविड-19	12-05-2020	5000.00 ग्राम प्रधान	
	स्टेशनरी क्रय	12-05-2020	5000.00 अजय ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्स	
	टी0डी0एस जमा	12-05-2020	12300.00 चौधरी वर्मा एण्ड एसोसिएट	
	ग्रामप्रधान मानदेय	12-05-2020	3500.00 ग्राम प्रधान	
	ग्रामप्रधान मानदेय	04-07-2020	10500.00 ग्राम प्रधान	
	ग्रामप्रधान मानदेय	19-11-2020	14000.00 ग्राम प्रधान	
	विज्ञापन पर व्यय	04-07-2020	4623.00 भारतीय बस्ती	
2	पूर्व मा0 वि0 में हैण्डपम्प उच्चीकरण	12-05-2020	9756.00 अलशेख ब्रिक फील्ड	27869.00
		12-05-2020	11729.00 चौधरी विल्डिंग मैटेरियल	
		12-05-2020	5890.00 ग्राम प्रधान	
		12-05-2020	494.00 चौधरी वर्मा एण्ड एसोसिएट	
3	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	21-08-2020	26900.00 ओम कांस्ट्रक्शन एण्ड जनरल आर्डर सप्लायर	35376.00
		19-11-2020	8476.00 ओम कांस्ट्रक्शन एण्ड जनरल आर्डर सप्लायर	
4	सफाई किट क्रय	21-12-2020	10050.00 अदिति कांस्ट्रक्शन एण्ड जनरल आर्डर सप्लायर	10050.00
			योग-	133618.00

ऑनलाईन लेखा परीक्षा प्रक्रिया में लेखा परीक्षा तिथि एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जारी किये जाने की तिथि तक उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित स्वीकृति कार्ययोजना, स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र, एम0बी0 एवं प्रधान मानदेय रजिस्टर आदि मांगोपरान्त अप्रस्तुत रहने से उनकी जांच व पुष्टि नहीं की जा सकी। प्रधान मानदेय कब से कब तक दिया गया है कैशबुक में स्पष्ट नहीं किया गया है। अतः उक्त दर्शित व्ययों के सापेक्ष अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किये जाने (तत्कालीन सचिव) से स्पष्ट होता है कि प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा काल्पनिक व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार रु0 133618.00 का अपहरण किया गया है। अतः रु0 133618.00 की ब्याज सहित वसूली श्रीमती उषा देवी ग्राम प्रधान एवं सुश्री रीमा चौधरी ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

प्रस्तर-68 विकास खण्ड कुदरहा की ग्राम पंचायत छरदही के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निधि-1 के राज्य वित्त/केन्द्रीय वित्त की कैशबुक एवं प्रियासाफ्ट/ ईग्रामस्वराज पोर्टल पर फीड आंकड़ों की जांच में पाया गया कि निम्नलिखित परियोजनाओं पर आलोच्य वर्ष में निम्न विवरण अनुसार भुगतान किया गया है-

क्र० सं०	परियोजना	दिनांक	सामग्री पर व्यय	श्रमांश पर व्यय	कुल धनराशि	जिसे भुगतान / फर्म का नाम
1	स्कूल कैम्प में इण्टरलाकिंग कार्य	26-06-2020	160680.00	0.00	160680.00	प्रताप कांस्ट्रक्शन
2	सी०सी०रोड निर्माण- बाबूराम के घर से सुनील के घर तक	26-06-2020 01-07-2020 01-07-2020	171106.00 24073.00 3494.00	0.00 0.00 0.00	198673.00	प्रताप कांस्ट्रक्शन प्रताप कांस्ट्रक्शन चौधरी वर्मा एण्ड एसोसिएट
3	इण्टरलाकिंग कार्य- भगवानदास के घर से सनील के खेत तक	28-12-2020	170813.00	0.00	170813.00	पटेल विल्डिंग मैटेरियल
4	पंचायत भवन मरम्मत कार्य(केन्द्रीय वित्त)	28-12-2020	146020.00	0.00	146020.00	पटेल विल्डिंग मैटेरियल
योग-					676186.00	

ऑनलाईन लेखा परीक्षा प्रक्रिया में लेखा परीक्षा तिथि एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जारी किये जाने की तिथि तक उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित स्वीकृति कार्ययोजना, स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, कार्यपूति प्रमाण पत्र/भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र, एम०बी०, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर आदि मांगोपरान्त अप्रस्तुत रहने से उनकी जांच व पुष्टि नहीं की जा सकी, यहां उल्लेखनीय है कि कैश बुक, बैंक स्टेटमेंट एवं ईग्रामस्वराज पोर्टल पर फीड आंकड़ों अनुसार उक्त परियोजनाओं पर **मजदूरी मद में भुगतान हुआ ही नहीं है**, तो बिना श्रमिकों के कार्य कैसे हुआ। अतः उक्त दर्शित कार्य के सापेक्ष अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने एवं मजदूरी पर भुगतान न होने से स्पष्ट होता है कि प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा काल्पनिक व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार रु० **676186.00** का अपहरण किया गया है। अतः रु० **676186.00** की ब्याज सहित वसूली श्रीअखिलेश ग्राम प्रधान एवं श्री आनन्द कुमार सिंह ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

प्रस्तर-69 विकास खण्ड कुदरहा की ग्राम पंचायत उमरिया के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निधि-1 के राज्य वित्त खाते के बैंक स्टेटमेंट एवं प्रियासाफ्ट/ ईग्रामस्वराज पोर्टल पर फीड आंकड़ों (कैशबुक अप्रस्तुत) की जांच में पाया गया कि निम्नलिखित परियोजनाओं पर आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित विवरण अनुसार भुगतान किया गया है-

क्र० सं०	परियोजना/मद	दिनांक	व्यय धनराशि / प्राप्तकर्ता	कुल धनराशि
1	ग्रामप्रधान मानदेय विज्ञापन पर व्यय	14-08-2020 04-10-2020	28000.00 ग्राम प्रधान 4623.00 भारतीय बस्ती	32623.00
2	नाली निर्माण-सुलेमान के घर से सेराज के घर तक	23-09-2020 23-09-2020 23-09-2020 23-09-2020	104708.00 शिवानी आर्ट एण्ड स्पून पाइप 4116.00 मान्यवर ब्रिक फील्ड 5390.00 राजेन्द्र प्रसाद 16786.00 ग्राम प्रधान 2329.00 चौधरी वर्मा एण्ड एसोसिएट	133329.00

3	खडण्जा निर्माण-रामजीत के घर से रामप्रीत के घर तक	29-09-2020 29-09-2020 29-09-2020	57633.00मान्यवर ब्रिक फील्ड 10583.00ग्राम प्रधान 1176.00 चौधरी वर्मा एण्ड एसोसिएट	69392.00
			योग-	235344.00

ऑनलाईन लेखा परीक्षा प्रक्रिया में लेखा परीक्षा तिथि एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जारी किये जाने की तिथि तक उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित प्रधान मानदेय रजिस्टर, विज्ञापन समाचार पत्र, स्वीकृति कार्ययोजना, स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एमओबी एवं सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर आदि मांगोपरान्त अप्रस्तुत रहने से उनकी जांच व पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः उक्त दर्शित कार्य के सापेक्ष व्यय प्रमाणक/अभिलेख प्रस्तुत न किया जाना ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आता है, जिसके लिये ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं। अतः उक्त दर्शित व्ययों के सापेक्ष अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किये जाने (तत्कालीन सचिव) से स्पष्ट होता है कि प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा काल्पनिक व्यय दर्शाकर ₹0 235344.00 का अपहरण किया गया है। अतः ₹0 235344.00 की व्याज सहित वसूली श्रीमती शबनम ग्राम प्रधान एवं श्री रमेशचन्द्र यादव ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

प्रस्तर-70 विकास खण्ड कुदरहा की ग्राम पंचायत लालगंज के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निधि-1 के राजस्व वित्त/केन्द्रीय वित्त की कैशबुक एवं प्रियासाफ्ट/ ईग्रामस्वराज पोर्टल पर फीड आंकड़ों की जांच में पाया गया कि निम्न मदों पर आलोच्य वर्ष में निम्न विवरण अनुसार भुगतान किया गया है-

क्र०सं०	विवरण	दिनांक	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता / फर्म का नाम
1	ग्राम प्रधान मानदेय	11-08-2020	42000.00	ग्राम प्रधान
	स्टेशनरी क्रय	30-09-2020	4950.00	अदिति कांस्ट्रक्शन एण्ड जनरल आर्डर
	ग्राम पंचायत का पैन	14-12-2020	1180.00	सप्लायर
	स्टेशनरी क्रय	14-12-2020	8036.00	चौधरी वर्मा एण्ड एसोसिएट
	टी०डी०एस० जमा	14-12-2020	164.00	एस०के० इनफोटेक
	सफाई किट क्रय	22-12-2020	13720.00	चौधरी वर्मा एण्ड एसोसिएट
	टी०डी०एस० जमा	21-12-2020	280.00	अदिति कांस्ट्रक्शन एण्ड जनरल आर्डर
				सप्लायर
				चौधरी वर्मा एण्ड एसोसिएट
	योग-		70330.00	

ऑनलाईन लेखा परीक्षा प्रक्रिया में लेखा परीक्षा तिथि एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जारी किये जाने की तिथि तक उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, व्यय प्रमाणक एवं प्रधान मानदेय रजिस्टर, पिछले वित्तीय वर्ष (2019-20) की कैशबुक आदि मांगोपरान्त अप्रस्तुत रहने से उसकी जांच व पुष्टि नहीं की जा सकी। कैशबुक अनुसार प्रधान मानदेय कब से कब तक का दिया गया है स्पष्ट नहीं किया गया है, अतः उक्त दर्शित कार्य के सापेक्ष व्यय प्रमाणक/अभिलेख प्रस्तुत न किया जाना ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आता है, जिसके लिये ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं। अतः उक्त दर्शित व्ययों के सापेक्ष अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किये जाने से स्पष्ट होता है कि प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा काल्पनिक व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार ₹0 70330.00 का अपहरण किया गया है। अतः ₹0 70330.00 की व्याज सहित वसूली श्रीराम दौड ग्राम प्रधान एवं श्री अजीत कुमार सिंह ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

प्रस्तर-71 विकास खण्ड कुदरहा की ग्राम पंचायत लालगंज के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निधि-1 के राज्य वित्त खाते के कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट एवं प्रियासाफ्ट/ ईग्रामस्वराज पोर्टल पर फीड आंकड़ों की जांच में पाया गया कि हैण्डपम्प रिबोर पर आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित विवरण अनुसार भुगतान किया गया है-

क्र०सं०	परियोजना	दिनांक	धनराशि	जिसे भुगतान / फर्म का नाम
1	हैण्डपम्प रिबोर कार्य	20-11-2020 20-11-2020 20-11-2020	187440.00 8415.00 3825.00	मे० चौरसिया कांस्ट्रक्शन ग्राम प्रधान चौधरी वर्मा एण्ड एसोसिएट
योग-			199680.00	

ऑनलाईन लेखा परीक्षा प्रक्रिया में लेखा परीक्षा तिथि एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जारी किये जाने की तिथि तक उपरोक्त व्ययों से सम्बन्धित प्रबन्धन समिति की संस्तुति, हैण्डपम्प रिबोर होने का स्थान, हैण्ड पम्प खराब होने का लाभार्थी द्वारा दिया गया प्रार्थनापत्र, स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, व्यय प्रमाणक, कार्यपूति प्रमाण पत्र भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र, एम०बी० एवं हैण्डपम्प ठीक होने का लाभार्थी द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र आदि मांगोपरान्त अप्रस्तुत रहने से उनकी जांच व पुष्टि नहीं की जा सकी। उल्लेखनीय है कि यदि हैण्डपम्प रिबोर हुआ होगा तो उससे निकली खराब सामग्री मृत स्कन्ध (डेड स्टॉक) में अंकित किया गया कि नहीं यह भी जांच का विषय है। अतः उक्त दर्शित कार्य के सापेक्ष व्यय प्रमाणक/अभिलेख प्रस्तुत न किया जाना ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आता है, जिसके लिये ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं। अतः उक्त दर्शित व्यय के सापेक्ष अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने (तत्कालीन सचिव) से स्पष्ट होता है कि प्रधान एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी द्वारा काल्पनिक व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार ₹0 199680.00 का अपहरण किया गया है। अतः ₹0 199680.00 की ब्याज सहित वसूली श्री राम दौड ग्राम प्रधान एवं श्री अजीत कुमार सिंह ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

प्रस्तर-72 विकास खण्ड कुदरहा की ग्राम पंचायत लालगंज के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निधि-1 के राज्य वित्त/केन्द्रीय वित्त की कैशबुक एवं प्रियासाफ्ट/ ईग्रामस्वराज पोर्टल पर फीड आंकड़ों की जांच में पाया गया कि निम्नलिखित परियोजनाओं पर आलोच्य वर्ष में निम्न विवरण अनुसार भुगतान किया गया है-

क्र०सं०	परियोजना	दिनांक	सामग्री पर व्यय	श्रमांश पर व्यय	कुल धनराशि	जिसे भुगतान / फर्म का नाम
1	प्रा०वि० लालगंज में टाइल्स कार्य	29-03-2021 29-03-2021	132829.00 2710.00 टीडीएस जमा	0.00 -	132829.00 2710.00	मे० चौरसिया कांस्ट्रक्शन चौधरी वर्मा एण्ड एसोसिएट
2	प्रा०वि० का बिजली बिल जमा	15-03-2021	5000.00 बिजली बिल	-	5000.00	इडिडीडी बस्ती
योग-					140539.00	

ऑनलाईन लेखा परीक्षा प्रक्रिया में लेखा परीक्षा तिथि एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जारी किये जाने की तिथि तक उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित स्वीकृति कार्ययोजना, स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, कार्यपूति प्रमाण पत्र/भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र, एम०बी०, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर आदि मांगोपरान्त अप्रस्तुत रहने से उनकी जांच व पुष्टि नहीं की जा सकी, यहां उल्लेखनीय है कि कैश बुक, बैंक स्टेटमेंट एवं ईग्रामस्वराज पोर्टल पर फीड आंकड़ों अनुसार उक्त परियोजनाओं पर मजदूरी मद में भुगतान हुआ ही नहीं है, तो बिना श्रमिकों के

कार्य कैसे हुआ। अतः उक्त दर्शित कार्य के सापेक्ष व्यय प्रमाणक/अभिलेख प्रस्तुत न किया जाना ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आता है, जिसके लिये ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं। यदि अपरिहार्य कारण से या लोकहित में संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 12 की उपधारा 3 (क) के अनुसार ग्राम पंचायत में प्रशासक नियुक्त किया जाता है तो ग्राम प्रधान की समस्त शक्तियां, कृत्य तथा कर्तव्य ग्राम पंचायत में नियुक्त प्रशासक में निहित होंगे। अतः धनराशि ₹0 140539.00 की ब्याज सहित वसूली त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 के कारण ग्राम पंचायत में नियुक्त प्रशासक श्री महेश चौबे, स0वि0अ0(सहकारिता) एवं श्री अजीत कुमार सिंह तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

प्रस्तर-73 विकास खण्ड कुदरहा की ग्राम पंचायत लालगंज के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निधि-1 के राज्य वित्त/केन्द्रीय वित्त की कैशबुक एवं प्रियासाफ्ट/ ईग्रामस्वराज पोर्टल पर फीड आंकड़ों की जांच में पाया गया कि निम्नलिखित परियोजनाओं पर आलोच्य वर्ष में निम्न विवरण अनुसार भुगतान किया गया है-

क्र०सं०	परियोजना	दिनांक	धनराशि	जिसे भुगतान / फर्म का नाम
1	प्रा0वि0 का कार्याकल्प कार्य	19-11-2020 19-11-2020 20-11-2020	164199.00 3350.00 79500.00	मे0 चौरसिया कांस्ट्रक्शन चौधरी वर्मा एण्ड एसोसिएट प्रमोद कुमार
2	कन्या पाठशाला में फर्श एवं दिवाल मरम्मत कार्य	21-12-2020 21-12-2020 21-12-2020	96040.00 32000.00 1960.00	मे0 चौरसिया कांस्ट्रक्शन प्रमोद कुमार चौधरी वर्मा एण्ड एसोसिएट
योग-			377049.00	

ऑनलाईन लेखा परीक्षा प्रक्रिया में लेखा परीक्षा तिथि एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जारी किये जाने की तिथि तक उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित स्वीकृति कार्ययोजना, स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, कार्यपूति प्रमाण पत्र/भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र, एम0बी0, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर आदि मांगोपरान्त अप्रस्तुत रहने से उनकी जांच व पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः उक्त दर्शित कार्य के सापेक्ष व्यय प्रमाणक/अभिलेख प्रस्तुत न किया जाना ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आता है, जिसके लिये ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं। अतः उक्त दर्शित व्यय के सापेक्ष अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने से स्पष्ट होता है कि प्रधान एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी द्वारा काल्पनिक व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार ₹0 377049.00 का अपहरण किया गया है। अतः ₹0 377049.00 की ब्याज सहित वसूली श्री राम दौड ग्राम प्रधान एवं श्री अजीत कुमार सिंह ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

प्रस्तर-74 विकास खण्ड कुदरहा की ग्राम पंचायत दैजी के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निधि प्रथम की कैशबुक एवं अन्य अभिलेख कार्यक्रम अनुसार अनेकबार मांगोपरान्त ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया, ऐसा प्रतीत होता है कि कैशबुक एवं फाइल तैयार ही नहीं किया गया है। आलोच्य वर्ष 2020-21 में प्रियासाफ्ट / ईग्रामस्वराज पोर्टल पर फीड आंकड़ों की जांच में पाया गया कि कुल ₹0 557351.00 व्यय दर्शित है। दर्शित व्यय धनराशि के सापेक्ष कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल/बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, निर्माण समिति की संस्तुति, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, प्रियासाफ्ट के 8 प्रपत्र - प्राप्ति व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग ब्याज सहित वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि

न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद/चेक से किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायतीराज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि “यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः दर्शित व्यय धनराशि रु 557351.00 को गबन मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री बेचन प्रसाद व तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री अखिलेश कुमार से किया जाना अपेक्षित है। और ब्याज सहित वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 अध्याय के बिंदु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रक्षण अनिवार्य रूप से प्रति वर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान ऑडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी।

प्रस्तर-75 विकास खण्ड कुदरहा की ग्राम पंचायत बरतनिया के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षा में निधि प्रथम की कैशबुक एवं अन्य अभिलेख कार्यक्रम अनुसार अनेकबार मांगोपरांत ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया, ऐसा प्रतीत होता है कि कैशबुक एवं फाइल तैयार ही नहीं किया गया है। आलोच्य वर्ष 2020-21 मेप्रियासाफ्ट / ईग्रामस्वराज पोर्टल पर फीड आंकड़ों की जांच में पाया गया कि कुल रु0 461852.00 व्यय दर्शित है। दर्शित व्यय धनराशि के सापेक्ष कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल/बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानेदय रजिस्टर, निर्माण समिति की संस्तुति, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, प्रियासाफ्ट के 8 प्रपत्र – प्राप्ति व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग ब्याज सहित वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद/चेक से किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायतीराज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि “यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः दर्शित व्यय धनराशि रु 461852.00 को गबन मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती मंजू देवी व तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री अजीत कुमार सिंह से किया जाना अपेक्षित है। और ब्याज सहित वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 अध्याय के बिंदु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रक्षण अनिवार्य रूप से प्रति वर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान ऑडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी।

प्रस्तर-76 विकास खण्ड बहादुरपुर की ग्राम पंचायत कचूरे के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षा में ग्राम निधि-1 के खाते (राज्य वित्त/14वां वित्त/15वां वित्त) से वित्तीयवर्ष 2020-21 में माह मई 2020 से

मार्च 2021 तक कुल रु 986724.00 निकासी कर ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर विभिन्न कार्यों में व्यय दर्शित किया गया है ऑनलाईन लेखा परीक्षा प्रक्रिया में लेखा परीक्षा तिथि एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जारी किये जाने के तिथि तक ई ग्राम स्वराज पर दर्शित कार्यों तथा उसके सापेक्ष व्यय सम्बन्धि अभिलेख यथा कैशबुक वर्ष 2020-21 का ग्राम निधि-। खाते (राज्य वित्त/14वां वित्त/15वां वित्त) का बैंक स्टेटमेंट कार्य प्रस्ताव व स्वीकृति व्यय प्रमाणक मस्टररोल कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0 स्टाक बुक सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर कार्य पत्रावली आदि मांगोपरान्त प्रस्तुत नकर ग्राम पंचायत मे वर्ष 2020-21 में कराये गये कार्यों के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार धन रु 986724.00 अपहरण के श्रेणी मे आता है जिसके लिये ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं।

यदि अपरिहार्य कारण से या लोकहित मे संयुक्त प्रांत पंचायतीराज अधिनियम 1947 की धारा 12 की उपधारा 3 (क) के अनुसार ग्राम पंचायत में प्रशासक नियुक्त किया जाता है तो ग्राम प्रधान की समस्त शक्तियां कृत्य तथा कर्तव्य ग्राम पंचायत मे नियुक्त प्रशासक मे निहित होंगे। अतः धनराशि रु 986724.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती गुडिया/त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत सामान्य निर्वाचन 2020-21 के कारण ग्राम पंचायत में नियुक्त प्रशासक श्री हरिप्रसाद कन्नौजिया सा0वि0अधि0 (आई0एस0बी0) व तत्कालीन सचिव श्री मो0 आलम से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

विवरण- 1. ग्राम प्रधान- 490737.00 सचिव-490737.00

2. सचिव- 2625.00

प्रशासक- 2625.00

प्रस्तर-77 विकास खण्ड बहादुरपुर की ग्राम पंचायत हथिया-11 के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा मे लेखा परीक्षा में माह अक्टूबर में चतुर्थ राज्य वित्त मद से दिनांक 21.10.20 को कार्य विवरण सं0- 41811240 द्वारा इण्डिया मार्का हैण्डपम्प रिबोरपर व्यय के रूप में कुल रु 61681.00 (रु 60447.00 कृष्णा ट्रेडर्स एवं सप्लायर को तथा रु 1234.00 आयकर कटौती के रूप में) ई ग्राम स्वराज पोर्टल दर्शित है उक्त की पुष्टि बैंक स्टेटमेंट तथा प्रस्तुत कोषबही से होती है परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त कार्य की पत्रावली व्यय प्रमाणक कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि प्रस्तुत न रहने से कार्य कराये जाने के स्थान उक्त कार्य कराये जाने के लिये जल संसाधन समिति की संस्तुति आदि की जानकारी नहीं हो सकी।

व्यय के सापेक्ष जांच में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार अपहरण की श्रेणी में आता है जिसके लिये ग्राम प्रधान व सचिव उत्तरदायी होते हैं। अतः रु 61681.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री सूर्यभान व सचिव अरिमर्दन प्रताप मणि से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-78 विकास खण्ड बहादुरपुर की ग्राम पंचायत कैथवलिया के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा मे लेखा परीक्षा में ग्राम निधि-। के खाते (राज्य वित्त/14वां वित्त/15वां वित्त) से वित्तीयवर्ष 2020-21 में माह अगस्त 2020 से दिसम्बर 2020 तक कुल रु 703675.00 निकासी कर ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर विभिन्न कार्यों में व्यय दर्शित किया गया है ऑनलाईन लेखा परीक्षा प्रक्रिया में लेखा परीक्षा तिथि एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जारी किये जाने के तिथि तक ई ग्राम स्वराज पर दर्शित कार्यों तथा उसके सापेक्ष व्यय सम्बन्धि अभिलेख यथा कैशबुक वर्ष 2020-21 का ग्राम निधि-। खाते (राज्य वित्त/14वां वित्त/15वां वित्त) का बैंक स्टेटमेंट कार्य प्रस्ताव व स्वीकृति व्यय प्रमाणक मस्टररोल कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0 स्टाक बुक सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर कार्य पत्रावली आदि मांगोपरान्त प्रस्तुत नकर ग्राम पंचायत मे वर्ष 2020-21 में कराये गये कार्यों के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार धन रु 703675.00 अपहरण के श्रेणी मे आता है जिसके लिये ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं।

अतः धनराशि रु 703675.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री लालबहादुर व तत्कालीन सचिव श्री अजय कुमार सिंह से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-79 विकास खण्ड बहादुरपुर की ग्राम पंचायत सोनहा के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षा में ग्राम निधि-1 के खाते (राज्य वित्त/14वां वित्त/15वां वित्त) से वित्तीयवर्ष 2020-21 में माह जून 2020 से दिसम्बर 2020 तक कुल रु 866994.00 निकासी कर ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर विभिन्न कार्यों में व्यय दर्शित किया गया है ऑनलाईन लेखा परीक्षा प्रक्रिया में लेखा परीक्षा तिथि एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जारी किये जाने के तिथि तक ई ग्राम स्वराज पर दर्शित कार्यों तथा उसके सापेक्ष व्यय सम्बन्धि अभिलेख यथा कैशबुक वर्ष 2020-21 का ग्राम निधि-1 खाते (राज्य वित्त/14वां वित्त/15वां वित्त) का बैंक स्टेटमेण्ट कार्य प्रस्ताव व स्वीकृति व्यय प्रमाणक मस्टररोल कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0 स्टाक बुक सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर कार्य पत्रावली आदि मांगोपरान्त प्रस्तुत नकर ग्राम पंचायत में वर्ष 2020-21 में कराये गये कार्यों के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार धन रु 866994.00 अपहरण के श्रेणी में आता है जिसके लिये ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं। अतः धनराशि रु 866994.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती प्रेमशीला व तत्कालीन सचिव श्री अजय कुमार सिंह से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-80 विकास खण्ड बहादुरपुर की ग्राम पंचायत कलवारी एहतमाली के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षा में ग्राम निधि-1 के खाते (राज्य वित्त/14वां वित्त/15वां वित्त) से वित्तीयवर्ष 2020-21 में माह अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक कुल रु 1335997.00 निकासी कर ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर विभिन्न कार्यों में व्यय दर्शित किया गया है ऑनलाईन लेखा परीक्षा प्रक्रिया में लेखा परीक्षा तिथि एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जारी किये जाने के तिथि तक ई ग्राम स्वराज पर दर्शित कार्यों तथा उसके सापेक्ष व्यय सम्बन्धि अभिलेख यथा कैशबुक वर्ष 2020-21 का ग्राम निधि-1 खाते (राज्य वित्त/14वां वित्त/15वां वित्त) का बैंक स्टेटमेण्ट कार्य प्रस्ताव व स्वीकृति व्यय प्रमाणक मस्टररोल कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0 स्टाक बुक सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर कार्य पत्रावली आदि मांगोपरान्त प्रस्तुत नकर ग्राम पंचायत में वर्ष 2020-21 में कराये गये कार्यों के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार धन रु 1335997.00 अपहरण के श्रेणी में आता है जिसके लिये ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं। यदि अपरिहार्य कारण से या लोकहित में संयुक्त प्रांत पंचायतीराज अधिनियम 1947 की धारा 12 की उपधारा 3 (क) के अनुसार ग्राम पंचायत में प्रशासक नियुक्त किया जाता है तो ग्राम प्रधान की समस्त शक्तियां कृत्य तथा कर्तव्य ग्राम पंचायत में नियुक्त प्रशासक में निहित होंगे। अतः धनराशि रु 1335997.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम यादव/त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत सामान्य निर्वाचन 2020-21 के कारण ग्राम पंचायत में नियुक्त प्रशासक श्री हरिप्रसाद कन्नौजिया सा0वि0अधि0 (आई0एस0बी0) व तत्कालीन सचिव से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

विवरण- 1. ग्राम प्रधान- 596879.00 सचिव-596879.00

2. सचिव- 71119.00

प्रशासक- 71119.00

प्रस्तर-81 विकास खण्ड बहादुरपुर की ग्राम पंचायत पोखरनी के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षा में ग्राम निधि-1 के खाते (राज्य वित्त/14वां वित्त/15वां वित्त) से वित्तीयवर्ष 2020-21 में माह जुलाई 2020 से दिसम्बर 2020 तक कुल रु 1133925.00 निकासी कर ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर विभिन्न कार्यों में व्यय दर्शित किया गया है ऑनलाईन लेखा परीक्षा प्रक्रिया में लेखा परीक्षा तिथि एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जारी किये जाने के तिथि तक ई ग्राम स्वराज पर दर्शित कार्यों तथा उसके सापेक्ष व्यय सम्बन्धि अभिलेख यथा कैशबुक वर्ष 2020-21 का ग्राम निधि-1 खाते (राज्य वित्त/14वां वित्त/15वां वित्त) का बैंक स्टेटमेण्ट कार्य प्रस्ताव व स्वीकृति व्यय प्रमाणक मस्टररोल कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0 स्टाक बुक सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर

कार्य पत्रावली आदि मांगोपरान्त प्रस्तुत नकर ग्राम पंचायत में वर्ष 2020-21 में कराये गये कार्यों के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार धन रु 1133925.00 अपहरण के श्रेणी में आता है जिसके लिये ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं।

अतः धनराशि रु 1133925.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती इन्दुरानी व तत्कालीन सचिव श्री दिनेश शुक्ला से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-82 विकास खण्ड बहादुरपुर की ग्राम पंचायत खलीलपट्टी के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षा में ग्राम निधि-1 के खाते (राज्य वित्त/14वां वित्त/15वां वित्त) से वित्तीयवर्ष 2020-21 में माह जून 2020 से दिसम्बर 2020 तक कुल रु 1418913.00 निकासी कर ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर विभिन्न कार्यों में व्यय दर्शित किया गया है ऑनलाईन लेखा परीक्षा प्रक्रिया में लेखा परीक्षा तिथि एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जारी किये जाने के तिथि तक ई ग्राम स्वराज पर दर्शित कार्यों तथा उसके सापेक्ष व्यय सम्बन्धि अभिलेख यथा कैशबुक वर्ष 2020-21 का ग्राम निधि-1 खाते (राज्य वित्त/14वां वित्त/15वां वित्त) का बैंक स्टेटमेण्ट कार्य प्रस्ताव व स्वीकृति व्यय प्रमाणक मस्टररोल कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0 स्टाक बुक सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर कार्य पत्रावली आदि मांगोपरान्त प्रस्तुत नकर ग्राम पंचायत में वर्ष 2020-21 में कराये गये कार्यों के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार धन रु 1418913.00 अपहरण के श्रेणी में आता है जिसके लिये ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं।

अतः धनराशि रु 1418913.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री केशचन्द्र व तत्कालीन सचिव श्री मो0 आलम से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-83 विकास खण्ड बहादुरपुर की ग्राम पंचायत कन्हौली के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षा में ग्राम निधि-1 के खाते (राज्य वित्त/14वां वित्त/15वां वित्त) से वित्तीयवर्ष 2020-21 में माह अप्रैल 2020 से दिसम्बर 2020 तक कुल रु 688542.00 निकासी कर ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर विभिन्न कार्यों में व्यय दर्शित किया गया है ऑनलाईन लेखा परीक्षा प्रक्रिया में लेखा परीक्षा तिथि एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जारी किये जाने के तिथि तक ई ग्राम स्वराज पर दर्शित कार्यों तथा उसके सापेक्ष व्यय सम्बन्धि अभिलेख यथा कैशबुक वर्ष 2020-21 का ग्राम निधि-1 खाते (राज्य वित्त/14वां वित्त/15वां वित्त) का बैंक स्टेटमेण्ट कार्य प्रस्ताव व स्वीकृति व्यय प्रमाणक मस्टररोल कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0 स्टाक बुक सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर कार्य पत्रावली आदि मांगोपरान्त प्रस्तुत नकर ग्राम पंचायत में वर्ष 2020-21 में कराये गये कार्यों के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार धन रु 688542.00 अपहरण के श्रेणी में आता है जिसके लिये ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं।

अतः धनराशि रु 688542.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री निसार अहमद व तत्कालीन सचिव श्री तनवीर असरफ से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-84 विकास खण्ड बहादुरपुर की ग्राम पंचायत बहादुरपुर के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षा में ग्राम निधि-1 के खाते (राज्य वित्त/14वां वित्त/15वां वित्त) से वित्तीयवर्ष 2020-21 में माह अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक कुल रु 926796.00 निकासी कर ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर विभिन्न कार्यों में व्यय दर्शित किया गया है ऑनलाईन लेखा परीक्षा प्रक्रिया में लेखा परीक्षा तिथि एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जारी किये जाने के तिथि तक ई ग्राम स्वराज पर दर्शित कार्यों तथा उसके सापेक्ष व्यय सम्बन्धि अभिलेख यथा कैशबुक वर्ष 2020-21 का ग्राम निधि-1 खाते (राज्य वित्त/14वां वित्त/15वां वित्त) का बैंक स्टेटमेण्ट कार्य प्रस्ताव व

स्वीकृति व्यय प्रमाणक मस्टररोल कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0 स्टाक बुक सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर कार्य पत्रावली आदि मांगोपरान्त प्रस्तुत नकर ग्राम पंचायत में वर्ष 2020-21 में कराये गये कार्यों के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार धन रु 926796.00 अपहरण के श्रेणी में आता है जिसके लिये ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं।

यदि अपरिहार्य कारण से या लोकहित में संयुक्त प्रांत पंचायतीराज अधिनियम 1947 की धारा 12 की उपधारा 3 (क) के अनुसार ग्राम पंचायत में प्रशासक नियुक्त किया जाता है तो ग्राम प्रधान की समस्त शक्तियां कृत्य तथा कर्तव्य ग्राम पंचायत में नियुक्त प्रशासक में निहित होंगे। अतः धनराशि रु 926796.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती लक्ष्मी देवी/त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत सामान्य निर्वाचन 2020-21 के कारण ग्राम पंचायत में नियुक्त प्रशासक श्री हरिप्रसाद कन्नौजिया सा0वि0अधि0 (आई0एस0बी0) व तत्कालीन सचिव अंकुर कुमार से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

विवरण- 1. ग्राम प्रधान- 272214.00 सचिव-272214.00

2. सचिव- 191184.00 प्रशासक- 191184.00

प्रस्तर-85 विकास खण्ड बहादुरपुर की ग्राम पंचायत जुआंजाता के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षा में ग्राम निधि-1 के खाते (राज्य वित्त/14वां वित्त/15वां वित्त) से वित्तीयवर्ष 2020-21 में माह अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक कुल रु 837430.00 निकासी कर ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर विभिन्न कार्यों में व्यय दर्शित किया गया है ऑनलाईन लेखा परीक्षा प्रक्रिया में लेखा परीक्षा तिथि एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जारी किये जाने के तिथि तक ई ग्राम स्वराज पर दर्शित कार्यों तथा उसके सापेक्ष व्यय सम्बन्धि अभिलेख यथा कैशबुक वर्ष 2020-21 का ग्राम निधि-1 खाते (राज्य वित्त/14वां वित्त/15वां वित्त) का बैंक स्टेटमेंट कार्य प्रस्ताव व स्वीकृति व्यय प्रमाणक मस्टररोल कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0 स्टाक बुक सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर कार्य पत्रावली आदि मांगोपरान्त प्रस्तुत नकर ग्राम पंचायत में वर्ष 2020-21 में कराये गये कार्यों के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार धन रु 837430.00 अपहरण के श्रेणी में आता है जिसके लिये ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं।

यदि अपरिहार्य कारण से या लोकहित में संयुक्त प्रांत पंचायतीराज अधिनियम 1947 की धारा 12 की उपधारा 3 (क) के अनुसार ग्राम पंचायत में प्रशासक नियुक्त किया जाता है तो ग्राम प्रधान की समस्त शक्तियां कृत्य तथा कर्तव्य ग्राम पंचायत में नियुक्त प्रशासक में निहित होंगे। अतः धनराशि रु 837430.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री हीरा लाल/त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत सामान्य निर्वाचन 2020-21 के कारण ग्राम पंचायत में नियुक्त प्रशासक श्री हरिप्रसाद कन्नौजिया सा0वि0अधि0 (आई0एस0बी0) व तत्कालीन सचिव तनवीर असरफ से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

विवरण- 1. ग्राम प्रधान- 360666.00 सचिव-360666.00

2. सचिव- 58049.00 प्रशासक- 58049.00

प्रस्तर-86 विकास खण्ड बहादुरपुर की ग्राम पंचायत धोबहट के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षा में ग्राम निधि-1 के खाते (राज्य वित्त/14वां वित्त/15वां वित्त) से वित्तीयवर्ष 2020-21 में माह जून 2020 से मार्च 2021 तक कुल रु 1976619.00 निकासी कर ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर विभिन्न कार्यों में व्यय दर्शित किया गया है ऑनलाईन लेखा परीक्षा प्रक्रिया में लेखा परीक्षा तिथि एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जारी किये जाने के तिथि तक ई ग्राम स्वराज पर दर्शित कार्यों तथा उसके सापेक्ष व्यय सम्बन्धि अभिलेख यथा कैशबुक वर्ष

2020-21 का ग्राम निधि-। खाते (राज्य वित्त/14वां वित्त/15वां वित्त) का बैंक स्टेटमेंट कार्य प्रस्ताव व स्वीकृति व्यय प्रमाणक मस्टररोल कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0 स्टाक बुक सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर कार्य पत्रावली आदि मांगोपरान्त प्रस्तुत नकर ग्राम पंचायत में वर्ष 2020-21 में कराये गये कार्यों के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार धन रु 1976619.00 अपहरण के श्रेणी में आता है जिसके लिये ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं।

यदि अपरिहार्य कारण से या लोकहित में संयुक्त प्रांत पंचायतीराज अधिनियम 1947 की धारा 12 की उपधारा 3 (क) के अनुसार ग्राम पंचायत में प्रशासक नियुक्त किया जाता है तो ग्राम प्रधान की समस्त शक्तियां कृत्य तथा कर्तव्य ग्राम पंचायत में नियुक्त प्रशासक में निहित होंगे। अतः धनराशि रु 1976619.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती गीता त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत सामान्य निर्वाचन 2020-21 के कारण ग्राम पंचायत में नियुक्त प्रशासक श्री हरिप्रसाद कन्नौजिया सा0वि0अधि0 (आई0एस0बी0) व तत्कालीन सचिव श्री अजय कुमार सिंह से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

विवरण- 1. ग्राम प्रधान- 799140.00 सचिव- 799140.00

2. सचिव- 189169.50 प्रशासक- 189169.50

प्रस्तर-87 विकास खण्ड बहादुरपुर की ग्राम पंचायत मटेरा के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षा में ग्राम निधि-। के खाते (राज्य वित्त/14वां वित्त/15वां वित्त) से वित्तीयवर्ष 2020-21 में माह जून 2020 से दिसम्बर 2020 तक कुल रु 1346567.00 निकासी कर ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर विभिन्न कार्यों में व्यय दर्शित किया गया है ऑनलाईन लेखा परीक्षा प्रक्रिया में लेखा परीक्षा तिथि एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जारी किये जाने के तिथि तक ई ग्राम स्वराज पर दर्शित कार्यों तथा उसके सापेक्ष व्यय सम्बन्धि अभिलेख यथा कैशबुक वर्ष 2020-21 का ग्राम निधि-। खाते (राज्य वित्त/14वां वित्त/15वां वित्त) का बैंक स्टेटमेंट कार्य प्रस्ताव व स्वीकृति व्यय प्रमाणक मस्टररोल कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0 स्टाक बुक सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर कार्य पत्रावली आदि मांगोपरान्त प्रस्तुत नकर ग्राम पंचायत में वर्ष 2020-21 में कराये गये कार्यों के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार धन रु 1346567.00 अपहरण के श्रेणी में आता है जिसके लिये ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं।

अतः धनराशि रु 1346567.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री शफीक अहमद व तत्कालीन सचिव श्री अजय कुमार सिंह से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-88 विकास खण्ड बहादुरपुर की ग्राम पंचायत कूढापट्टी पृथ्वी के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षा में ग्राम निधि-। के खाते (राज्य वित्त/14वां वित्त/15वां वित्त) से वित्तीयवर्ष 2020-21 में माह जुलाई 2020 से मार्च 2021 तक कुल रु 1005885.00 निकासी कर ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर विभिन्न कार्यों में व्यय दर्शित किया गया है ऑनलाईन लेखा परीक्षा प्रक्रिया में लेखा परीक्षा तिथि एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जारी किये जाने के तिथि तक ई ग्राम स्वराज पर दर्शित कार्यों तथा उसके सापेक्ष व्यय सम्बन्धि अभिलेख यथा कैशबुक वर्ष 2020-21 का ग्राम निधि-। खाते (राज्य वित्त/14वां वित्त/15वां वित्त) का बैंक स्टेटमेंट कार्य प्रस्ताव व स्वीकृति व्यय प्रमाणक मस्टररोल कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0 स्टाक बुक सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर कार्य पत्रावली आदि मांगोपरान्त प्रस्तुत नकर ग्राम पंचायत में वर्ष 2020-21 में कराये गये कार्यों के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार धन रु 1005885.00 अपहरण के श्रेणी में आता है जिसके लिये ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं।

यदि अपरिहार्य कारण से या लोकहित में संयुक्त प्रांत पंचायतीराज अधिनियम 1947 की धारा 12 की उपधारा 3 (क) के अनुसार ग्राम पंचायत में प्रशासक नियुक्त किया जाता है तो ग्राम प्रधान की समस्त शक्तियां कृत्य तथा कर्तव्य ग्राम पंचायत में नियुक्त प्रशासक में निहित होंगे। अतः धनराशि ₹ 1005885.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत सामान्य निर्वाचन 2020-21 के कारण ग्राम पंचायत में नियुक्त प्रशासक श्री हरिप्रसाद कन्नौजिया सा0वि0अधि0 (आई0एस0बी0) व तत्कालीन सचिव श्री अविनाश पाण्डेय से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

विवरण- 1. ग्राम प्रधान- 431917.00 सचिव- 431917.00

2. सचिव- 71025.50 प्रशासक- 71025.50

प्रस्तर-89 विकास खण्ड बहादुरपुर की ग्राम पंचायत उमरिया के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षा में ग्राम निधि-1 के खाते (राज्य वित्त/14वां वित्त/15वां वित्त) से वित्तीयवर्ष 2020-21 में माह जुलाई 2020 से दिसम्बर 2020 तक कुल ₹ 780708.00 निकासी कर ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर विभिन्न कार्यों में व्यय दर्शित किया गया है ऑनलाईन लेखा परीक्षा प्रक्रिया में लेखा परीक्षा तिथि एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जारी किये जाने के तिथि तक ई ग्राम स्वराज पर दर्शित कार्यों तथा उसके सापेक्ष व्यय सम्बन्धि अभिलेख यथा कैशबुक वर्ष 2020-21 का ग्राम निधि-1 खाते (राज्य वित्त/14वां वित्त/15वां वित्त) का बैंक स्टेटमेंट कार्य प्रस्ताव व स्वीकृति व्यय प्रमाणक मस्टररोल कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0 स्टाक बुक सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर कार्य पत्रावली आदि मांगोपरान्त प्रस्तुत नकर ग्राम पंचायत में वर्ष 2020-21 में कराये गये कार्यों के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार धन ₹ 780708.00 अपहरण के श्रेणी में आता है जिसके लिये ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं।

अतः धनराशि ₹ 780708.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री राजपति व तत्कालीन सचिव श्री अजय कुमार सिंह से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-90 विकास खण्ड बहादुरपुर की ग्राम पंचायत पाल्हा के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षा में ग्राम निधि-1 के खाते (राज्य वित्त/14वां वित्त/15वां वित्त) से वित्तीयवर्ष 2020-21 में माह अप्रैल 2020 से दिसम्बर 2020 तक कुल ₹ 604148.00 निकासी कर ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर विभिन्न कार्यों में व्यय दर्शित किया गया है ऑनलाईन लेखा परीक्षा प्रक्रिया में लेखा परीक्षा तिथि एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जारी किये जाने के तिथि तक ई ग्राम स्वराज पर दर्शित कार्यों तथा उसके सापेक्ष व्यय सम्बन्धि अभिलेख यथा कैशबुक वर्ष 2020-21 का ग्राम निधि-1 खाते (राज्य वित्त/14वां वित्त/15वां वित्त) का बैंक स्टेटमेंट कार्य प्रस्ताव व स्वीकृति व्यय प्रमाणक मस्टररोल कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0 स्टाक बुक सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर कार्य पत्रावली आदि मांगोपरान्त प्रस्तुत नकर ग्राम पंचायत में वर्ष 2020-21 में कराये गये कार्यों के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार धन ₹ 604148.00 अपहरण के श्रेणी में आता है जिसके लिये ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं।

अतः धनराशि ₹ 604148.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री कृष्णेन्द्र किशोर व तत्कालीन सचिव श्री अंकुर कुमार से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-91 विकास खण्ड बहादुरपुर की ग्राम पंचायत मल्हवारा के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षा में ग्राम निधि-1 के खाते (राज्य वित्त/14वां वित्त/15वां वित्त) से वित्तीयवर्ष 2020-21 में माह अगस्त 2020 से मार्च 2021 तक कुल ₹ 754883.00 निकासी कर ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर विभिन्न कार्यों में व्यय दर्शित किया गया है ऑनलाईन लेखा परीक्षा प्रक्रिया में लेखा परीक्षा तिथि एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जारी किये जाने के तिथि तक ई ग्राम स्वराज पर दर्शित कार्यों तथा उसके सापेक्ष व्यय सम्बन्धि अभिलेख यथा कैशबुक वर्ष 2020-21 का ग्राम निधि-1 खाते (राज्य वित्त/14वां वित्त/15वां वित्त) का बैंक स्टेटमेंट कार्य प्रस्ताव व स्वीकृति व्यय प्रमाणक मस्टररोल कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0 स्टाक बुक सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर कार्य पत्रावली आदि मांगोपरान्त प्रस्तुत नकर ग्राम पंचायत में वर्ष 2020-21 में कराये गये कार्यों के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार

धन रु 754883.00 अपहरण के श्रेणी में आता है जिसके लिये ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं।

यदि अपरिहार्य कारण से या लोकहित में संयुक्त प्रांत पंचायतीराज अधिनियम 1947 की धारा 12 की उपधारा 3 (क) के अनुसार ग्राम पंचायत में प्रशासक नियुक्त किया जाता है तो ग्राम प्रधान की समस्त शक्तियां कृत्य तथा कर्तव्य ग्राम पंचायत में नियुक्त प्रशासक में निहित होंगे। अतः धनराशि रु 754883.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री रवि प्रकाश त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत सामान्य निर्वाचन 2020-21 के कारण ग्राम पंचायत में नियुक्त प्रशासक श्री चन्द्रभान सा0वि0अधि0 (पंचायत) व तत्कालीन सचिव श्री अविनाश पाण्डेय से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

विवरण- 1. ग्राम प्रधान- 337309.50 सचिव- 337309.50

2. सचिव- 90132.00 प्रशासक- 90132.00

प्रस्तर-92 विकास खण्ड बहादुरपुर की ग्राम पंचायत रामपुर के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षा में ग्राम निधि-1 के खाते (राज्य वित्त/14वां वित्त/15वां वित्त) से वित्तीयवर्ष 2020-21 में माह अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक कुल रु 1316682.00 निकासी कर ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर विभिन्न कार्यों में व्यय दर्शित किया गया है ऑनलाईन लेखा परीक्षा प्रक्रिया में लेखा परीक्षा तिथि एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जारी किये जाने के तिथि तक ई ग्राम स्वराज पर दर्शित कार्यों तथा उसके सापेक्ष व्यय सम्बन्धि अभिलेख यथा कैशबुक वर्ष 2020-21 का ग्राम निधि-1 खाते (राज्य वित्त/14वां वित्त/15वां वित्त) का बैंक स्टेटमेंट कार्य प्रस्ताव व स्वीकृति व्यय प्रमाणक मस्टररोल कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0 स्टॉक बुक सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर कार्य पत्रावली आदि मांगोपरान्त प्रस्तुत नकर ग्राम पंचायत में वर्ष 2020-21 में कराये गये कार्यों के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार धन रु 1316682.00 अपहरण के श्रेणी में आता है जिसके लिये ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं।

यदि अपरिहार्य कारण से या लोकहित में संयुक्त प्रांत पंचायतीराज अधिनियम 1947 की धारा 12 की उपधारा 3 (क) के अनुसार ग्राम पंचायत में प्रशासक नियुक्त किया जाता है तो ग्राम प्रधान की समस्त शक्तियां कृत्य तथा कर्तव्य ग्राम पंचायत में नियुक्त प्रशासक में निहित होंगे। अतः धनराशि रु 1316682.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती शोहरता देवी त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत सामान्य निर्वाचन 2020-21 के कारण ग्राम पंचायत में नियुक्त प्रशासक श्री चन्द्रभान सा0वि0अधि0 (पंचायत) व तत्कालीन सचिव श्री तनवीर अशरफ से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

विवरण- 1. ग्राम प्रधान- 338311.50 सचिव- 338311.50

2. सचिव- 320029.50 प्रशासक- 320029.50

प्रस्तर-93 विकास खण्ड बहादुरपुर की ग्राम पंचायत बगियापार के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षा में ग्राम निधि-1 के खाते (राज्य वित्त/14वां वित्त/15वां वित्त) से वित्तीयवर्ष 2020-21 में माह जुलाई 2020 से दिसम्बर 2020 तक कुल रु 741325.00 निकासी कर ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर विभिन्न कार्यों में व्यय दर्शित किया गया है ऑनलाईन लेखा परीक्षा प्रक्रिया में लेखा परीक्षा तिथि एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जारी किये जाने के तिथि तक ई ग्राम स्वराज पर दर्शित कार्यों तथा उसके सापेक्ष व्यय सम्बन्धि अभिलेख यथा कैशबुक वर्ष 2020-21 का ग्राम निधि-1 खाते (राज्य वित्त/14वां वित्त/15वां वित्त) का बैंक स्टेटमेंट कार्य प्रस्ताव व स्वीकृति व्यय प्रमाणक मस्टररोल कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0 स्टॉक बुक सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर कार्य पत्रावली आदि मांगोपरान्त प्रस्तुत नकर ग्राम पंचायत में वर्ष 2020-21 में कराये गये कार्यों के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार धन रु 741325.00 अपहरण के श्रेणी में आता है जिसके लिये ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं।

अतः धनराशि रु 741325.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती कमलावती व तत्कालीन सचिव श्री अविनाश कुमार पाण्डेय से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-94 विकास खण्ड बहादुरपुर की ग्राम पंचायत शेखपुरा के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षा में ग्राम निधि-1 के खाते (राज्य वित्त/14वां वित्त/15वां वित्त) से वित्तीयवर्ष 2020-21 में माह मई 2020 से दिसम्बर 2020 तक कुल ₹ 1735829.00 निकासी कर ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर विभिन्न कार्यों में व्यय दर्शित किया गया है ऑनलाईन लेखा परीक्षा प्रक्रिया में लेखा परीक्षा तिथि एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जारी किये जाने के तिथि तक ई ग्राम स्वराज पर दर्शित कार्यों तथा उसके सापेक्ष व्यय सम्बन्धि अभिलेख यथा कैशबुक वर्ष 2020-21 का ग्राम निधि-1 खाते (राज्य वित्त/14वां वित्त/15वां वित्त) का बैंक स्टेटमेंट कार्य प्रस्ताव व स्वीकृति व्यय प्रमाणक मस्टररोल कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0 स्टाक बुक सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर कार्य पत्रावली आदि मांगोपरान्त प्रस्तुत नकर ग्राम पंचायत में वर्ष 2020-21 में कराये गये कार्यों के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार धन ₹ 1735829.00 अपहरण के श्रेणी में आता है जिसके लिये ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं।

अतः धनराशि ₹ 1735829.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती कंचन व तत्कालीन सचिव श्री अंकुर कुमार से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-95 विकास खण्ड बहादुरपुर की ग्राम पंचायत रोझिया के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षा में ग्राम निधि-1 के खाते (राज्य वित्त/14वां वित्त/15वां वित्त) से वित्तीयवर्ष 2020-21 में माह जुलाई 2020 से दिसम्बर 2020 तक कुल ₹ 1699170.00 निकासी कर ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर विभिन्न कार्यों में व्यय दर्शित किया गया है ऑनलाईन लेखा परीक्षा प्रक्रिया में लेखा परीक्षा तिथि एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जारी किये जाने के तिथि तक ई ग्राम स्वराज पर दर्शित कार्यों तथा उसके सापेक्ष व्यय सम्बन्धि अभिलेख यथा कैशबुक वर्ष 2020-21 का ग्राम निधि-1 खाते (राज्य वित्त/14वां वित्त/15वां वित्त) का बैंक स्टेटमेंट कार्य प्रस्ताव व स्वीकृति व्यय प्रमाणक मस्टररोल कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0 स्टाक बुक सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर कार्य पत्रावली आदि मांगोपरान्त प्रस्तुत नकर ग्राम पंचायत में वर्ष 2020-21 में कराये गये कार्यों के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार धन ₹ 1699170.00 अपहरण के श्रेणी में आता है जिसके लिये ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं।

अतः धनराशि ₹ 1699170.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती शैल व तत्कालीन सचिव श्री अविनाश कुमार पाण्डेय से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-96 विकास खण्ड बहादुरपुर की ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षा में ग्राम निधि-1 के खाते (राज्य वित्त/14वां वित्त/15वां वित्त) से वित्तीयवर्ष 2020-21 में माह अप्रैल 2020 से दिसम्बर 2020 तक कुल ₹ 459422.25 निकासी कर ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर विभिन्न कार्यों में व्यय दर्शित किया गया है ऑनलाईन लेखा परीक्षा प्रक्रिया में लेखा परीक्षा तिथि एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जारी किये जाने के तिथि तक ई ग्राम स्वराज पर दर्शित कार्यों तथा उसके सापेक्ष व्यय सम्बन्धि अभिलेख यथा कैशबुक वर्ष 2020-21 का ग्राम निधि-1 खाते (राज्य वित्त/14वां वित्त/15वां वित्त) का बैंक स्टेटमेंट कार्य प्रस्ताव व स्वीकृति व्यय प्रमाणक मस्टररोल कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0 स्टाक बुक सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर कार्य पत्रावली आदि मांगोपरान्त प्रस्तुत नकर ग्राम पंचायत में वर्ष 2020-21 में कराये गये कार्यों के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार धन ₹ 459422.25 अपहरण के श्रेणी में आता है जिसके लिये ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं।

अतः धनराशि ₹ 459422.25 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री फरीद अहमद व तत्कालीन सचिव श्री अंकुर कुमार से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-97 विकास खण्ड बहादुरपुर की ग्राम पंचायत अमिलहा के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षा में ग्राम निधि-1 के खाते (राज्य वित्त/14वां वित्त/15वां वित्त) से वित्तीयवर्ष 2020-21 में माह जून 2020 से मार्च 2021 तक कुल ₹ 677248.00 निकासी कर ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर विभिन्न कार्यों में व्यय दर्शित किया गया है ऑनलाईन लेखा परीक्षा प्रक्रिया में लेखा परीक्षा तिथि एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जारी किये जाने के तिथि

तक ई ग्राम स्वराज पर दर्शित कार्यो तथा उसके सापेक्ष व्यय सम्बन्धि अभिलेख यथा कैशबुक वर्ष 2020-21 का ग्राम निधि-। खाते (राज्य वित्त/14वां वित्त/15वां वित्त) का बैंक स्टेटमेण्ट कार्य प्रस्ताव व स्वीकृति व्यय प्रमाणक मस्टररोल कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0 स्टाक बुक सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर कार्य पत्रावली आदि मांगोपरान्त प्रस्तुत नकर ग्राम पंचायत मे वर्ष 2020-21 में कराये गये कार्यो के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार धन रु 677248.00 अपहरण के श्रेणी मे आता है जिसके लिये ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते है।

यदि अपरिहार्य कारण से या लोकहित मे संयुक्त प्रांत पंचायतीराज अधिनियम 1947 की धारा 12 की उपधारा 3 (क) के अनुसार ग्राम पंचायत में प्रशासक नियुक्त किया जाता है तो ग्राम प्रधान की समस्त शक्तियां कृत्य तथा कर्तव्य ग्राम पंचायत मे नियुक्त प्रशासक मे निहित होंगे। अतः धनराशि रु 677248.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मेहरूनिशा त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत सामान्य निर्वाचन 2020-21 के कारण ग्राम पंचायत में नियुक्त प्रशासक श्री मिट्ठूराम वर्मा सा0वि0अधि0 (सहकारिता) व तत्कालीन सचिव श्री मो0 आलम से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

विवरण- 1. ग्राम प्रधान- 279345.50 सचिव- 279345.50

2. सचिव- 59278.50 प्रशासक- 59278.50

प्रस्तर-98 विकास खण्ड बहादुरपुर की ग्राम पंचायत सेमरा उर्फ गलवा के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा मे लेखा परीक्षा में ग्राम निधि-। के खाते (राज्य वित्त/14वां वित्त/15वां वित्त) से वित्तीयवर्ष 2020-21 में माह जून 2020 से मार्च 2021 तक कुल रु 2076496.00 निकासी कर ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर विभिन्न कार्यो में व्यय दर्शित किया गया है ऑनलाईन लेखा परीक्षा प्रक्रिया में लेखा परीक्षा तिथि एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जारी किये जाने के तिथि तक ई ग्राम स्वराज पर दर्शित कार्यो तथा उसके सापेक्ष व्यय सम्बन्धि अभिलेख यथा कैशबुक वर्ष 2020-21 का ग्राम निधि-। खाते (राज्य वित्त/14वां वित्त/15वां वित्त) का बैंक स्टेटमेण्ट कार्य प्रस्ताव व स्वीकृति व्यय प्रमाणक मस्टररोल कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0 स्टाक बुक सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर कार्य पत्रावली आदि मांगोपरान्त प्रस्तुत नकर ग्राम पंचायत मे वर्ष 2020-21 में कराये गये कार्यो के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार धन रु 2076496.00 अपहरण के श्रेणी मे आता है जिसके लिये ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते है।

यदि अपरिहार्य कारण से या लोकहित मे संयुक्त प्रांत पंचायतीराज अधिनियम 1947 की धारा 12 की उपधारा 3 (क) के अनुसार ग्राम पंचायत में प्रशासक नियुक्त किया जाता है तो ग्राम प्रधान की समस्त शक्तियां कृत्य तथा कर्तव्य ग्राम पंचायत मे नियुक्त प्रशासक मे निहित होंगे। अतः धनराशि रु 2076496.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती शारदा देवी त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत सामान्य निर्वाचन 2020-21 के कारण ग्राम पंचायत में नियुक्त प्रशासक श्री चन्द्रभान सा0वि0अधि0 (पंचायत) व तत्कालीन सचिव श्री मो0 आलम से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

विवरण- 1. ग्राम प्रधान- 723920.50 सचिव- 723920.50

2. सचिव- 314327.50 प्रशासक- 314327.50

प्रस्तर-99 विकास खण्ड बहादुरपुर की ग्राम पंचायत खम्हरिया-11 के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा मे लेखा परीक्षा में ग्राम निधि-। के खाते (राज्य वित्त/14वां वित्त/15वां वित्त) से वित्तीयवर्ष 2020-21 में माह सितम्बर 2020 से मार्च 2021 तक कुल रु 766194.00 निकासी कर ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर विभिन्न कार्यो में व्यय दर्शित किया गया है ऑनलाईन लेखा परीक्षा प्रक्रिया में लेखा परीक्षा तिथि एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जारी किये जाने के तिथि तक ई ग्राम स्वराज पर दर्शित कार्यो तथा उसके सापेक्ष व्यय सम्बन्धि अभिलेख यथा कैशबुक वर्ष 2020-21 का ग्राम निधि-। खाते (राज्य वित्त/14वां वित्त/15वां वित्त) का बैंक स्टेटमेण्ट कार्य प्रस्ताव व स्वीकृति व्यय प्रमाणक मस्टररोल कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0 स्टाक बुक सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर कार्य पत्रावली आदि मांगोपरान्त प्रस्तुत नकर ग्राम पंचायत मे वर्ष 2020-21 में कराये गये कार्यो के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार

धन रु 766194.00 अपहरण के श्रेणी में आता है जिसके लिये ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं।

यदि अपरिहार्य कारण से या लोकहित में संयुक्त प्रांत पंचायतीराज अधिनियम 1947 की धारा 12 की उपधारा 3 (क) के अनुसार ग्राम पंचायत में प्रशासक नियुक्त किया जाता है तो ग्राम प्रधान की समस्त शक्तियां कृत्य तथा कर्तव्य ग्राम पंचायत में नियुक्त प्रशासक में निहित होंगे। अतः धनराशि रु 766194.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री रामअवध त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत सामान्य निर्वाचन 2020-21 के कारण ग्राम पंचायत में नियुक्त प्रशासक श्री चन्द्रभान साठविअधि (पंचायत) व तत्कालीन सचिव श्री अंकुर कुमार से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

विवरण- 1. ग्राम प्रधान- 370099.00 सचिव- 370099.00

2. सचिव- 12998.00 प्रशासक- 12998.00

प्रस्तर-100 विकास खण्ड बहादुरपुर की ग्राम पंचायत निरंजनपुर के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षा में ग्राम निधि-1 के खाते (राज्य वित्त/14वां वित्त/15वां वित्त) से वित्तीयवर्ष 2020-21 में माह जून 2020 से मार्च 2021 तक कुल रु 922112.00 निकासी कर ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर विभिन्न कार्यों में व्यय दर्शित किया गया है ऑनलाईन लेखा परीक्षा प्रक्रिया में लेखा परीक्षा तिथि एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जारी किये जाने के तिथि तक ई ग्राम स्वराज पर दर्शित कार्यों तथा उसके सापेक्ष व्यय सम्बन्धि अभिलेख यथा कैशबुक वर्ष 2020-21 का ग्राम निधि-1 खाते (राज्य वित्त/14वां वित्त/15वां वित्त) का बैंक स्टेटमेंट कार्य प्रस्ताव व स्वीकृति व्यय प्रमाणक मस्टररोल कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एमबी0 स्टॉक बुक सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर कार्य पत्रावली आदि मांगोपरान्त प्रस्तुत नकर ग्राम पंचायत में वर्ष 2020-21 में कराये गये कार्यों के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार धन रु 922112.00 अपहरण के श्रेणी में आता है जिसके लिये ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं।

यदि अपरिहार्य कारण से या लोकहित में संयुक्त प्रांत पंचायतीराज अधिनियम 1947 की धारा 12 की उपधारा 3 (क) के अनुसार ग्राम पंचायत में प्रशासक नियुक्त किया जाता है तो ग्राम प्रधान की समस्त शक्तियां कृत्य तथा कर्तव्य ग्राम पंचायत में नियुक्त प्रशासक में निहित होंगे। अतः धनराशि रु 922112.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री रामप्रियेन्द्र सिंह त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत सामान्य निर्वाचन 2020-21 के कारण ग्राम पंचायत में नियुक्त प्रशासक श्री चन्द्रभान साठविअधि (पंचायत) व तत्कालीन सचिव श्री अविनाश कुमार पाण्डेय से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

विवरण- 1. ग्राम प्रधान- 353008.50 सचिव- 353008.50

2. सचिव- 108047.50 प्रशासक- 108047.50

प्रस्तर-101 विकास खण्ड बहादुरपुर की ग्राम पंचायत पडरी के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षा में ग्राम निधि-1 के खाते (राज्य वित्त/14वां वित्त/15वां वित्त) से वित्तीयवर्ष 2020-21 में माह अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक कुल रु 764695.00 निकासी कर ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर विभिन्न कार्यों में व्यय दर्शित किया गया है ऑनलाईन लेखा परीक्षा प्रक्रिया में लेखा परीक्षा तिथि एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जारी किये जाने के तिथि तक ई ग्राम स्वराज पर दर्शित कार्यों तथा उसके सापेक्ष व्यय सम्बन्धि अभिलेख यथा कैशबुक वर्ष 2020-21 का ग्राम निधि-1 खाते (राज्य वित्त/14वां वित्त/15वां वित्त) का बैंक स्टेटमेंट कार्य प्रस्ताव व स्वीकृति व्यय प्रमाणक मस्टररोल कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एमबी0 स्टॉक बुक सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर कार्य पत्रावली आदि मांगोपरान्त प्रस्तुत नकर ग्राम पंचायत में वर्ष 2020-21 में कराये गये कार्यों के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार धन रु 764695.00 अपहरण के श्रेणी में आता है जिसके लिये ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं।

यदि अपरिहार्य कारण से या लोकहित में संयुक्त प्रांत पंचायतीराज अधिनियम 1947 की धारा 12 की उपधारा 3 (क) के अनुसार ग्राम पंचायत में प्रशासक नियुक्त किया जाता है तो ग्राम प्रधान की समस्त शक्तियां कृत्य तथा कर्तव्य ग्राम पंचायत में नियुक्त प्रशासक में निहित होंगे। अतः धनराशि रु 764695.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती प्रभावती त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत सामान्य निर्वाचन 2020-21 के कारण ग्राम

पंचायत में नियुक्त प्रशासक श्री मिट्ठूराम वर्मा सा0वि0अधि0 (सहकारिता) व तत्कालीन सचिव श्री अंकुर कुमार से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

विवरण- 1. ग्राम प्रधान- 243300.00 सचिव- 243300.00

2. सचिव- 139047.50 प्रशासक- 139047.50

प्रस्तर-102 विकास खण्ड बहादुरपुर की ग्राम पंचायत गोविन्दपुर (बहादुरपुर) के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षा में ग्राम निधि-1 के खाते (राज्य वित्त/14वां वित्त/15वां वित्त) से वित्तीयवर्ष 2020-21 में माह जून 2020 से दिसम्बर 2020 तक कुल रु 695692.00 निकासी कर ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर विभिन्न कार्यों में व्यय दर्शित किया गया है ऑनलाईन लेखा परीक्षा प्रक्रिया में लेखा परीक्षा तिथि एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जारी किये जाने के तिथि तक ई ग्राम स्वराज पर दर्शित कार्यों तथा उसके सापेक्ष व्यय सम्बन्धि अभिलेख यथा कैशबुक वर्ष 2020-21 का ग्राम निधि-1 खाते (राज्य वित्त/14वां वित्त/15वां वित्त) का बैंक स्टेटमेंट कार्य प्रस्ताव व स्वीकृति व्यय प्रमाणक मस्टररोल कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0 स्टाक बुक सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर कार्य पत्रावली आदि मांगोपरान्त प्रस्तुत नकर ग्राम पंचायत में वर्ष 2020-21 में कराये गये कार्यों के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार धन रु 695692.00 अपहरण के श्रेणी में आता है जिसके लिये ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं।

अतः धनराशि रु 695692.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अमीना खातून व तत्कालीन सचिव श्री मो0 आलम से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-103 विकास खण्ड बहादुरपुर की ग्राम पंचायत गौसपुर के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षा में ग्राम निधि-1 के खाते (राज्य वित्त/14वां वित्त/15वां वित्त) से वित्तीयवर्ष 2020-21 में माह अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक कुल रु 847229.00 निकासी कर ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर विभिन्न कार्यों में व्यय दर्शित किया गया है ऑनलाईन लेखा परीक्षा प्रक्रिया में लेखा परीक्षा तिथि एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जारी किये जाने के तिथि तक ई ग्राम स्वराज पर दर्शित कार्यों तथा उसके सापेक्ष व्यय सम्बन्धि अभिलेख यथा कैशबुक वर्ष 2020-21 का ग्राम निधि-1 खाते (राज्य वित्त/14वां वित्त/15वां वित्त) का बैंक स्टेटमेंट कार्य प्रस्ताव व स्वीकृति व्यय प्रमाणक मस्टररोल कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0 स्टाक बुक सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर कार्य पत्रावली आदि मांगोपरान्त प्रस्तुत नकर ग्राम पंचायत में वर्ष 2020-21 में कराये गये कार्यों के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार धन रु 847229.00 अपहरण के श्रेणी में आता है जिसके लिये ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं।

यदि अपरिहार्य कारण से या लोकहित में संयुक्त प्रांत पंचायतीराज अधिनियम 1947 की धारा 12 की उपधारा 3 (क) के अनुसार ग्राम पंचायत में प्रशासक नियुक्त किया जाता है तो ग्राम प्रधान की समस्त शक्तियां कृत्य तथा कर्तव्य ग्राम पंचायत में नियुक्त प्रशासक में निहित होंगे। अतः धनराशि रु 847229.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री विनोद कुमार त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत सामान्य निर्वाचन 2020-21 के कारण ग्राम पंचायत में नियुक्त प्रशासक श्री मिट्ठूराम वर्मा सा0वि0अधि0 (सहकारिता) व तत्कालीन सचिव श्री तनवीर असरफ से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

विवरण- 1. ग्राम प्रधान- 244299.00 सचिव- 244299.00

2. सचिव- 179315.50 प्रशासक- 179315.50

प्रस्तर-104 विकास खण्ड बहादुरपुर की ग्राम पंचायत पकडीछब्बर के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षा में ग्राम निधि-1 के खाते (राज्य वित्त/14वां वित्त/15वां वित्त) से वित्तीयवर्ष 2020-21 में माह अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक कुल रु 864005.00 निकासी कर ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर विभिन्न कार्यों में व्यय दर्शित किया गया है ऑनलाईन लेखा परीक्षा प्रक्रिया में लेखा परीक्षा तिथि एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जारी किये जाने के तिथि तक ई ग्राम स्वराज पर दर्शित कार्यों तथा उसके सापेक्ष व्यय सम्बन्धि अभिलेख यथा कैशबुक वर्ष 2020-21 का ग्राम निधि-1 खाते (राज्य वित्त/14वां वित्त/15वां वित्त) का बैंक स्टेटमेंट कार्य प्रस्ताव व स्वीकृति व्यय प्रमाणक मस्टररोल कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0 स्टाक बुक सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर

कार्य पत्रावली आदि मांगोपरान्त प्रस्तुत नकर ग्राम पंचायत मे वर्ष 2020-21 में कराये गये कार्यों के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार धन रु 864005.00 अपहरण के श्रेणी मे आता है जिसके लिये ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते है।

यदि अपरिहार्य कारण से या लोकहित मे संयुक्त प्रांत पंचायतीराज अधिनियम 1947 की धारा 12 की उपधारा 3 (क) के अनुसार ग्राम पंचायत में प्रशासक नियुक्त किया जाता है तो ग्राम प्रधान की समस्त शक्तियां कृत्य तथा कर्तव्य ग्राम पंचायत मे नियुक्त प्रशासक मे निहित होंगे। अतः धनराशि रु 864005.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अर्चना त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत सामान्य निर्वाचन 2020-21 के कारण ग्राम पंचायत में नियुक्त प्रशासक श्री चन्द्रभान सा0वि0अधि0 (पंचायत) व तत्कालीन सचिव श्री अंकुर कुमार से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

विवरण- 1. ग्राम प्रधान- 258146.00 सचिव- 258146.00

2. सचिव- 173856.50 प्रशासक- 173856.50

प्रस्तर-105 विकास खण्ड बहादुरपुर की ग्राम पंचायत कौंडर के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा मे लेखा परीक्षा में ग्राम निधि-। के खाते (राज्य वित्त/14वां वित्त/15वां वित्त) से वित्तीयवर्ष 2020-21 में माह अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक कुल रु 889414.00 निकासी कर ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर विभिन्न कार्यों में व्यय दर्शित किया गया है ऑनलाईन लेखा परीक्षा प्रक्रिया में लेखा परीक्षा तिथि एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जारी किये जाने के तिथि तक ई ग्राम स्वराज पर दर्शित कार्यों तथा उसके सापेक्ष व्यय सम्बन्धि अभिलेख यथा कैशबुक वर्ष 2020-21 का ग्राम निधि-। खाते (राज्य वित्त/14वां वित्त/15वां वित्त) का बैंक स्टेटमेण्ट कार्य प्रस्ताव व स्वीकृति व्यय प्रमाणक मस्टररोल कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0 स्टाक बुक सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर कार्य पत्रावली आदि मांगोपरान्त प्रस्तुत नकर ग्राम पंचायत मे वर्ष 2020-21 में कराये गये कार्यों के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार धन रु 889414.00 अपहरण के श्रेणी मे आता है जिसके लिये ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते है।

यदि अपरिहार्य कारण से या लोकहित मे संयुक्त प्रांत पंचायतीराज अधिनियम 1947 की धारा 12 की उपधारा 3 (क) के अनुसार ग्राम पंचायत में प्रशासक नियुक्त किया जाता है तो ग्राम प्रधान की समस्त शक्तियां कृत्य तथा कर्तव्य ग्राम पंचायत मे नियुक्त प्रशासक मे निहित होंगे। अतः धनराशि रु 889414.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री महेन्द्र कुमार त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत सामान्य निर्वाचन 2020-21 के कारण ग्राम पंचायत में नियुक्त प्रशासक श्री चन्द्रभान सा0वि0अधि0 (पंचायत) व तत्कालीन सचिव श्री तनवीर असरफ से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

विवरण- 1. ग्राम प्रधान- 319245.50 सचिव- 319245.50

2. सचिव- 125461.50 प्रशासक- 125461.50

प्रस्तर-106 विकास खण्ड बहादुरपुर की ग्राम पंचायत हथिया के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा मे लेखा परीक्षा में ग्राम निधि-। के खाते (राज्य वित्त/14वां वित्त/15वां वित्त) से वित्तीयवर्ष 2020-21 में माह सितम्बर 2020 से मार्च 2021 तक कुल रु 1603161.00 निकासी कर ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर विभिन्न कार्यों में व्यय दर्शित किया गया है ऑनलाईन लेखा परीक्षा प्रक्रिया में लेखा परीक्षा तिथि एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जारी किये जाने के तिथि तक ई ग्राम स्वराज पर दर्शित कार्यों तथा उसके सापेक्ष व्यय सम्बन्धि अभिलेख यथा कैशबुक वर्ष 2020-21 का ग्राम निधि-। खाते (राज्य वित्त/14वां वित्त/15वां वित्त) का बैंक स्टेटमेण्ट कार्य प्रस्ताव व स्वीकृति व्यय प्रमाणक मस्टररोल कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0 स्टाक बुक सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर कार्य पत्रावली आदि मांगोपरान्त प्रस्तुत नकर ग्राम पंचायत मे वर्ष 2020-21 में कराये गये कार्यों के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार

धन रु 1603161.00 अपहरण के श्रेणी में आता है जिसके लिये ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं।

यदि अपरिहार्य कारण से या लोकहित में संयुक्त प्रांत पंचायतीराज अधिनियम 1947 की धारा 12 की उपधारा 3 (क) के अनुसार ग्राम पंचायत में प्रशासक नियुक्त किया जाता है तो ग्राम प्रधान की समस्त शक्तियां कृत्य तथा कर्तव्य ग्राम पंचायत में नियुक्त प्रशासक में निहित होंगे। अतः धनराशि रु 1603161.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती नीलम त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत सामान्य निर्वाचन 2020-21 के कारण ग्राम पंचायत में नियुक्त प्रशासक श्री चन्द्रभान साठविअधि (पंचायत) व तत्कालीन सचिव श्री प्रदीप शुक्ला से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

विवरण- 1. ग्राम प्रधान- 762943.00 सचिव- 762943.00

2. सचिव- 38637.50 प्रशासक- 38637.50

प्रस्तर-107 विकास खण्ड बहादुरपुर की ग्राम पंचायत रखौना के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षा में ग्राम निधि-1 के खाते (राज्य वित्त/14वां वित्त/15वां वित्त) से वित्तीयवर्ष 2020-21 में माह मई 2020 से मार्च 2021 तक कुल रु 1680418.00 निकासी कर ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर विभिन्न कार्यों में व्यय दर्शित किया गया है ऑनलाईन लेखा परीक्षा प्रक्रिया में लेखा परीक्षा तिथि एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जारी किये जाने के तिथि तक ई ग्राम स्वराज पर दर्शित कार्यों तथा उसके सापेक्ष व्यय सम्बन्धि अभिलेख यथा कैशबुक वर्ष 2020-21 का ग्राम निधि-1 खाते (राज्य वित्त/14वां वित्त/15वां वित्त) का बैंक स्टेटमेंट कार्य प्रस्ताव व स्वीकृति व्यय प्रमाणक मस्टररोल कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एमओबीओ स्टाक बुक सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर कार्य पत्रावली आदि मांगोपरान्त प्रस्तुत नकर ग्राम पंचायत में वर्ष 2020-21 में कराये गये कार्यों के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार धन रु 1680418.00 अपहरण के श्रेणी में आता है जिसके लिये ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं।

यदि अपरिहार्य कारण से या लोकहित में संयुक्त प्रांत पंचायतीराज अधिनियम 1947 की धारा 12 की उपधारा 3 (क) के अनुसार ग्राम पंचायत में प्रशासक नियुक्त किया जाता है तो ग्राम प्रधान की समस्त शक्तियां कृत्य तथा कर्तव्य ग्राम पंचायत में नियुक्त प्रशासक में निहित होंगे। अतः धनराशि रु 1680418.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती ऊषा देवी त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत सामान्य निर्वाचन 2020-21 के कारण ग्राम पंचायत में नियुक्त प्रशासक श्री चन्द्रभान साठविअधि (पंचायत) व तत्कालीन सचिव श्री मोओ आलम से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

विवरण- 1. ग्राम प्रधान- 766963.50 सचिव- 766963.50

2. सचिव- 73245.50 प्रशासक- 73245.50

प्रस्तर-108 विकास खण्ड बहादुरपुर की ग्राम पंचायत खडौवा जाट के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षा में ग्राम निधि-1 के खाते (राज्य वित्त/14वां वित्त/15वां वित्त) से वित्तीयवर्ष 2020-21 में माह अक्टूबर 2020 से दिसम्बर 2020 तक कुल रु 1146162.00 निकासी कर ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर विभिन्न कार्यों में व्यय दर्शित किया गया है ऑनलाईन लेखा परीक्षा प्रक्रिया में लेखा परीक्षा तिथि एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जारी किये जाने के तिथि तक ई ग्राम स्वराज पर दर्शित कार्यों तथा उसके सापेक्ष व्यय सम्बन्धि अभिलेख यथा कैशबुक वर्ष 2020-21 का ग्राम निधि-1 खाते (राज्य वित्त/14वां वित्त/15वां वित्त) का बैंक स्टेटमेंट कार्य प्रस्ताव व स्वीकृति व्यय प्रमाणक मस्टररोल कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एमओबीओ स्टाक बुक सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर कार्य पत्रावली आदि मांगोपरान्त प्रस्तुत नकर ग्राम पंचायत में वर्ष 2020-21 में कराये गये कार्यों के सापेक्ष व्यय

प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार धन रु 1146162.00 अपहरण के श्रेणी में आता है जिसके लिये ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं।

अतः धनराशि रु 1146162.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री मनोज कुमार खातून व तत्कालीन सचिव श्री अरिमर्दन प्रताप मणि से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-109 विकास खण्ड बहादुरपुर की ग्राम पंचायत करहली बुजुर्ग के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षा में ग्राम निधि-1 के खाते (राज्य वित्त/14वां वित्त/15वां वित्त) से वित्तीयवर्ष 2020-21 में माह जुलाई 2020 से मार्च 2021 तक कुल रु 568757.00 निकासी कर ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर विभिन्न कार्यों में व्यय दर्शित किया गया है ऑनलाईन लेखा परीक्षा प्रक्रिया में लेखा परीक्षा तिथि एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जारी किये जाने के तिथि तक ई ग्राम स्वराज पर दर्शित कार्यों तथा उसके सापेक्ष व्यय सम्बन्धि अभिलेख यथा कैशबुक वर्ष 2020-21 का ग्राम निधि-1 खाते (राज्य वित्त/14वां वित्त/15वां वित्त) का बैंक स्टेटमेंट कार्य प्रस्ताव व स्वीकृति व्यय प्रमाणक मस्टररोल कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0 स्टाक बुक सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर कार्य पत्रावली आदि मांगोपरान्त प्रस्तुत नकर ग्राम पंचायत में वर्ष 2020-21 में कराये गये कार्यों के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार धन रु 568757.00 अपहरण के श्रेणी में आता है जिसके लिये ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं।

यदि अपरिहार्य कारण से या लोकहित में संयुक्त प्रांत पंचायतीराज अधिनियम 1947 की धारा 12 की उपधारा 3 (क) के अनुसार ग्राम पंचायत में प्रशासक नियुक्त किया जाता है तो ग्राम प्रधान की समस्त शक्तियां कृत्य तथा कर्तव्य ग्राम पंचायत में नियुक्त प्रशासक में निहित होंगे। अतः धनराशि रु 568757.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री कृष्ण कुमार त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत सामान्य निर्वाचन 2020-21 के कारण ग्राम पंचायत में नियुक्त प्रशासक श्री मिठूराम वर्मा सा0वि0अधि0 (सहकारिता) व तत्कालीन सचिव श्री मो0 आलम से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

विवरण- 1. ग्राम प्रधान- 184466.00 सचिव- 184466.00

2. सचिव- 99912.50 प्रशासक- 99912.50

प्रस्तर-110 विकास खण्ड बहादुरपुर की ग्राम पंचायत माझा खुर्द के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षा में ग्राम निधि-1 के खाते (राज्य वित्त/14वां वित्त/15वां वित्त) से वित्तीयवर्ष 2020-21 में माह अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक कुल रु 687805.00 निकासी कर ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर विभिन्न कार्यों में व्यय दर्शित किया गया है ऑनलाईन लेखा परीक्षा प्रक्रिया में लेखा परीक्षा तिथि एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जारी किये जाने के तिथि तक ई ग्राम स्वराज पर दर्शित कार्यों तथा उसके सापेक्ष व्यय सम्बन्धि अभिलेख यथा कैशबुक वर्ष 2020-21 का ग्राम निधि-1 खाते (राज्य वित्त/14वां वित्त/15वां वित्त) का बैंक स्टेटमेंट कार्य प्रस्ताव व स्वीकृति व्यय प्रमाणक मस्टररोल कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0 स्टाक बुक सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर कार्य पत्रावली आदि मांगोपरान्त प्रस्तुत नकर ग्राम पंचायत में वर्ष 2020-21 में कराये गये कार्यों के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार धन रु 687805.00 अपहरण के श्रेणी में आता है जिसके लिये ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं।

यदि अपरिहार्य कारण से या लोकहित में संयुक्त प्रांत पंचायतीराज अधिनियम 1947 की धारा 12 की उपधारा 3 (क) के अनुसार ग्राम पंचायत में प्रशासक नियुक्त किया जाता है तो ग्राम प्रधान की समस्त शक्तियां कृत्य तथा कर्तव्य ग्राम पंचायत में नियुक्त प्रशासक में निहित होंगे। अतः धनराशि रु 687805.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री मुनक्का त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत सामान्य निर्वाचन 2020-21 के कारण ग्राम पंचायत में नियुक्त प्रशासक श्री हरिप्रसाद कन्नौजिया सा0वि0अधि0 (आई0एस0बी0) व तत्कालीन सचिव श्री तनवीर असरफ से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

विवरण- 1. ग्राम प्रधान- 320302.50 सचिव- 320302.50

2. सचिव- 43600.00 प्रशासक- 43600.00

प्रस्तर-111 विकास खण्ड बहादुरपुर की ग्राम पंचायत बेली के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षा में ग्राम निधि-1 के खाते (राज्य वित्त/14वां वित्त/15वां वित्त) से वित्तीयवर्ष 2020-21 में माह जून 2020 से मार्च 2021 तक कुल रु 1364142.00 निकासी कर ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर विभिन्न कार्यों में व्यय दर्शित किया गया है ऑनलाईन लेखा परीक्षा प्रक्रिया में लेखा परीक्षा तिथि एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जारी किये जाने के तिथि तक ई ग्राम स्वराज पर दर्शित कार्यों तथा उसके सापेक्ष व्यय सम्बन्धि अभिलेख यथा कैशबुक वर्ष 2020-21 का ग्राम निधि-1 खाते (राज्य वित्त/14वां वित्त/15वां वित्त) का बैंक स्टेटमेंट कार्य प्रस्ताव व स्वीकृति व्यय प्रमाणक मस्टररोल कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0 स्टाक बुक सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर कार्य पत्रावली आदि मांगोपरान्त प्रस्तुत नकर ग्राम पंचायत में वर्ष 2020-21 में कराये गये कार्यों के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार धन रु 1364142.00 अपहरण के श्रेणी में आता है जिसके लिये ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं।

यदि अपरिहार्य कारण से या लोकहित में संयुक्त प्रांत पंचायतीराज अधिनियम 1947 की धारा 12 की उपधारा 3 (क) के अनुसार ग्राम पंचायत में प्रशासक नियुक्त किया जाता है तो ग्राम प्रधान की समस्त शक्तियां कृत्य तथा कर्तव्य ग्राम पंचायत में नियुक्त प्रशासक में निहित होंगे। अतः धनराशि रु 1364142.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री कौशलेन्द्र त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत सामान्य निर्वाचन 2020-21 के कारण ग्राम पंचायत में नियुक्त प्रशासक श्री हरिप्रसाद कन्नौजिया सा0वि0अधि0 (आई0एस0बी0) व तत्कालीन सचिव श्री प्रदीप शुक्ला से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

विवरण- 1. ग्राम प्रधान- 506341.50 सचिव- 506341.50

2. सचिव- 175729.50 प्रशासक- 175729.50

प्रस्तर-112 विकास खण्ड बहादुरपुर की ग्राम पंचायत नरायनपुर के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षा में ग्राम निधि-1 के खाते (राज्य वित्त/14वां वित्त/15वां वित्त) से वित्तीयवर्ष 2020-21 में माह जून 2020 से मार्च 2021 तक कुल रु 1079999.00 निकासी कर ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर विभिन्न कार्यों में व्यय दर्शित किया गया है ऑनलाईन लेखा परीक्षा प्रक्रिया में लेखा परीक्षा तिथि एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जारी किये जाने के तिथि तक ई ग्राम स्वराज पर दर्शित कार्यों तथा उसके सापेक्ष व्यय सम्बन्धि अभिलेख यथा कैशबुक वर्ष 2020-21 का ग्राम निधि-1 खाते (राज्य वित्त/14वां वित्त/15वां वित्त) का बैंक स्टेटमेंट कार्य प्रस्ताव व स्वीकृति व्यय प्रमाणक मस्टररोल कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0 स्टाक बुक सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर कार्य पत्रावली आदि मांगोपरान्त प्रस्तुत नकर ग्राम पंचायत में वर्ष 2020-21 में कराये गये कार्यों के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार धन रु 1079999.00 अपहरण के श्रेणी में आता है जिसके लिये ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं।

यदि अपरिहार्य कारण से या लोकहित में संयुक्त प्रांत पंचायतीराज अधिनियम 1947 की धारा 12 की उपधारा 3 (क) के अनुसार ग्राम पंचायत में प्रशासक नियुक्त किया जाता है तो ग्राम प्रधान की समस्त शक्तियां कृत्य तथा कर्तव्य ग्राम पंचायत में नियुक्त प्रशासक में निहित होंगे। अतः धनराशि रु 1079999.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती राधिका त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत सामान्य निर्वाचन 2020-21 के कारण ग्राम पंचायत में नियुक्त प्रशासक श्री चन्द्रभान सा0वि0अधि0 (पंचायत) व तत्कालीन सचिव श्री प्रदीप शुक्ला से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

विवरण- 1. ग्राम प्रधान- 389476.00 सचिव- 389476.00

2. सचिव- 150523.50 प्रशासक- 150523.50

प्रस्तर-113 विकास खण्ड बहादुरपुर की ग्राम पंचायत कुसौरी के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षा में ग्राम निधि-1 के खाते (राज्य वित्त/14वां वित्त/15वां वित्त) से वित्तीयवर्ष 2020-21 में माह अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक कुल रु 430923.00 निकासी कर ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर विभिन्न कार्यों में व्यय दर्शित किया गया है ऑनलाईन लेखा परीक्षा प्रक्रिया में लेखा परीक्षा तिथि एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जारी किये जाने

के तिथि तक ई ग्राम स्वराज पर दर्शित कार्यो तथा उसके सापेक्ष व्यय सम्बन्धि अभिलेख यथा कैशबुक वर्ष 2020-21 का ग्राम निधि-। खाते (राज्य वित्त/14वां वित्त/15वां वित्त) का बैंक स्टेटमेंट कार्य प्रस्ताव व स्वीकृति व्यय प्रमाणक मस्टररोल कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0 स्टाक बुक सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर कार्य पत्रावली आदि मांगोपरान्त प्रस्तुत नकर ग्राम पंचायत मे वर्ष 2020-21 में कराये गये कार्यो के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार धन रु 430923.00 अपहरण के श्रेणी मे आता है जिसके लिये ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते है।

यदि अपरिहार्य कारण से या लोकहित मे संयुक्त प्रांत पंचायतीराज अधिनियम 1947 की धारा 12 की उपधारा 3 (क) के अनुसार ग्राम पंचायत में प्रशासक नियुक्त किया जाता है तो ग्राम प्रधान की समस्त शक्तियां कृत्य तथा कर्तव्य ग्राम पंचायत मे नियुक्त प्रशासक मे निहित होंगे। अतः धनराशि रु 430923.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री अजहर असीम त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत सामान्य निर्वाचन 2020-21 के कारण ग्राम पंचायत में नियुक्त प्रशासक श्री चन्द्रभान सा0वि0अधि0 (पंचायत) व तत्कालीन सचिव श्री तनवीर असरफ से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

विवरण- 1. ग्राम प्रधान- 141411.50 सचिव- 141411.50

2. सचिव- 74050.00 प्रशासक- 74050.00

प्रस्तर-114 विकास खण्ड रामनगर की ग्राम पंचायत मैलानी हिन्दुनगर के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा मे लेखा परीक्षा में दिनांक-16.03.21 को राज्य वित्त मद अर्न्तगत रु 10000.00 प्रशासनिक मद भुगतान पर व्यय कैशबुक अनुसार अभिनन्दन कांस्ट्रक्शन को किया जाना दर्शित है। उल्लेखनीय है कि माह दिसम्बर से ही पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो गया था तथा प्रशासकों द्वारा केवल आवश्यक कार्य पर ही मात्र भुगतान किये जाने थे। अतः माह मार्च में वह कौन सा प्रशासनिक कार्य था जिस हेतु अपरिहार्य व्यय किया गया लेखा परीक्षा में उसका उचित उत्तर नहीं दिया गया केवल रु 10000.00 अभिनन्दन कांस्ट्रक्शन का प्रशासनिक मद भुगतान बाउचर प्रस्तुत रहा स्पष्ट विवरण के अभाव में उक्त व्यय अनियमित रहा जिस हेतु तत्कालीन सचिव श्री पिन्दु कुमार व प्रशासक श्री दयाराम चौधरी जिम्मेदार है।

प्रस्तर-115 विकास खण्ड रामनगर की ग्राम पंचायत बांके चोर के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा मे लेखा परीक्षा में निधि-। में कुल व्यय धनराशि रु 1552940.00 (ई ग्राम स्वराज आंकडो के अनुसार) के सापेक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा कोई भी अभिलेख उपलब्ध न कराने के कारण ई ग्राम स्वराज पर अंकित धनराशि के आधार पर आडिट किये जाने के निम्न कारण है-

1. शासन की मंशानुसार ग्राम पंचायतों के शत प्रतिशत लेखा परीक्षा आडिट ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से किये जाने के स्पष्ट निर्देश दिये गये है। इस हेतु ई ग्राम स्वराज पर फीड आंकडो की पुष्टि हेतु संस्था द्वारा व्यय प्रमाणक/आफलाईन अभिलेख लेखा परीक्षा में अनिवार्यतः प्रस्तुत किये जाने है इस क्रम में ग्राम पंचायत बांके चोर की लेखा परीक्षा हेतु दिनांक 24.12.2021 को अनुरोध किया गया परन्तु इण्टीमेशन द्वारा तय निर्धारित तिथि तथा ऑनलाईन रिपोर्ट जनरेशन की तिथि तक अभिलेख आडिट हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये।

2. शासनादेश सं0-आडिट-2953/2009-101(64)/2009 दिनांक 07 अक्टूबर 2009 द्वारा आडिट हेतु ग्राम पंचायतों के अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के लिये सहा0वि0अधि0 पं0 को नोडल अधिकारी बनाया गया है,परन्तु उनके द्वारा भी अभिलेख आडिट हेतु सुलभ नहीं कराये जा सके। उल्लेखनीय है कि अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक-06.01.22 को अंतिम बार अनुरोध किया गया था।

3. शासनादेश सं0-1829/33-03-2015/03/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 के माध्यम से विभिन्न श्रोतो से उपलब्ध धनराशियों के उपभोग के संदर्भ में बिन्दु सं0-04 (घ) मे स्पष्ट निर्देश है कि प्रत्येक कार्ययोजना व पत्रावली की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी जोकि आडिट हेतु सुलभ नहीं रहा।

4. उ0प्र0 पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम-199 के अर्न्तगत रोकडबही (रूपपत्र-6) का त्रैमासिक निरीक्षण सहायक विकास अधिकारी पंचायत द्वारा किये जाने के निर्देश है जो नहीं किया गया क्योंकि निरीक्षण आख्या आडिट में प्रस्तुत नहीं की गयी।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत बांकेचोर के वर्ष 2020-21 के कोई भी अभिलेख संस्था के पास नहीं है। ग्राम पंचायतों में वित्त लेखा प्रबन्ध हेतु पंचायतीराज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी लेखा मैनुअल की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाये गये व्यय के संदर्भ में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी।

अतः ई ग्राम स्वराज पर दर्शित ग्राम पंचायत बांके चोर के वर्ष 2020-21 में व्यय की गयी धनराशि रु 1552940.00 उपरोक्त तथ्यों के आधार पर गबन की श्रेणी में आती है जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री आशुतोष पटेल व ग्राम प्रधान श्री मणिन्द्र प्रताप से बराबर बराबर की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-116 विकास खण्ड रामनगर की ग्राम पंचायत नकटहार के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षा में निधि-1 में कुल व्यय धनराशि रु 748454.00 (ई ग्राम स्वराज आंकड़ों के अनुसार) के सापेक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा कोई भी अभिलेख उपलब्ध न कराने के कारण ई ग्राम स्वराज पर अंकित धनराशि के आधार पर आडिट किये जाने के निम्न कारण है-

1. शासन की मंशानुसार ग्राम पंचायतों के शत प्रतिशत लेखा परीक्षा आडिट ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से किये जाने के स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं। इस हेतु ई ग्राम स्वराज पर फीड आंकड़ों की पुष्टि हेतु संस्था द्वारा व्यय प्रमाणक/आफलाईन अभिलेख लेखा परीक्षा में अनिवार्यतः प्रस्तुत किये जाने हैं इस क्रम में ग्राम पंचायत बांके चोर की लेखा परीक्षा हेतु दिनांक 24.12.2021 को अनुरोध किया गया परन्तु इण्टीमेशन द्वारा तय निर्धारित तिथि तथा ऑनलाईन रिपोर्ट जनरेशन की तिथि तक अभिलेख आडिट हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये।
2. शासनादेश सं0-आडिट-2953/2009-101(64)/2009 दिनांक 07 अक्टूबर 2009 द्वारा आडिट हेतु ग्राम पंचायतों के अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के लिये सहा0वि0अधि0 पं0 को नोडल अधिकारी बनाया गया है,परन्तु उनके द्वारा भी अभिलेख आडिट हेतु सुलभ नहीं कराये जा सके। उल्लेखनीय है कि अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक-06.01.22 को अंतिम बार अनुरोध किया गया था।
3. शासनादेश सं0-1829/33-03-2015/03/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 के माध्यम से विभिन्न श्रोतो से उपलब्ध धनराशियों के उपभोग के संदर्भ में बिन्दु सं0-04 (घ) में स्पष्ट निर्देश है कि प्रत्येक कार्ययोजना व पत्रावली की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी जोकि आडिट हेतु सुलभ नहीं रहा।
4. 30प्र0 पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम-199 के अर्न्तगत रोकडबही (रूपपत्र-6) का त्रैमासिक निरीक्षण सहायक विकास अधिकारी पंचायत द्वारा किये जाने के निर्देश है जो नहीं किया गया क्योंकि निरीक्षण आख्या आडिट में प्रस्तुत नहीं की गयी।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत बांकेचोर के वर्ष 2020-21 के कोई भी अभिलेख संस्था के पास नहीं है। ग्राम पंचायतों में वित्त लेखा प्रबन्ध हेतु पंचायतीराज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी लेखा मैनुअल की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाये गये व्यय के संदर्भ में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी।

अतः ई ग्राम स्वराज पर दर्शित ग्राम पंचायत बांके चोर के वर्ष 2020-21 में व्यय की गयी धनराशि रु 748454.00 उपरोक्त तथ्यों के आधार पर गबन की श्रेणी में आती है जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री आशुतोष पटेल व ग्राम प्रधान श्री फूलवास से बराबर बराबर की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-117 विकास खण्ड रामनगर की ग्राम पंचायत तुमहवा पाण्डेय के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षा में निधि-1 में कुल व्यय धनराशि रु 732466.00 (ई ग्राम स्वराज आंकड़ों के अनुसार) के सापेक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा कोई भी अभिलेख उपलब्ध न कराने के कारण ई ग्राम स्वराज पर अंकित धनराशि के आधार पर आडिट किये जाने के निम्न कारण है-

1. शासन की मंशानुसार ग्राम पंचायतों के शत प्रतिशत लेखा परीक्षा आडिट ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से किये जाने के स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं। इस हेतु ई ग्राम स्वराज पर फीड आंकड़ों की पुष्टि हेतु संस्था द्वारा

व्यय प्रमाणक/आफलाईन अभिलेख लेखा परीक्षा में अनिवार्यतः प्रस्तुत किये जाने हैं इस क्रम में ग्राम पंचायत बांके चोर की लेखा परीक्षा हेतु दिनांक 24.12.2021 को अनुरोध किया गया परन्तु इण्टीमेशन द्वारा तय निर्धारित तिथि तथा ऑनलाईन रिपोर्ट जनरेशन की तिथि तक अभिलेख आडिट हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये।

2. शासनादेश सं0-आडिट-2953/2009-101(64)/2009 दिनांक 07 अक्टूबर 2009 द्वारा आडिट हेतु ग्राम पंचायतों के अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के लिये सहा0वि0अधि0 पं0 को नोडल अधिकारी बनाया गया है,परन्तु उनके द्वारा भी अभिलेख आडिट हेतु सुलभ नहीं कराये जा सके। उल्लेखनीय है कि अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक-06.01.22 को अंतिम बार अनुरोध किया गया था।

3. शासनादेश सं0-1829/33-03-2015/03/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 के माध्यम से विभिन्न श्रोतो से उपलब्ध धनराशियों के उपभोग के संदर्भ में बिन्दु सं0-04 (घ) में स्पष्ट निर्देश है कि प्रत्येक कार्ययोजना व पत्रावली की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी जोकि आडिट हेतु सुलभ नहीं रहा।

4. 30प्र0 पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम-199 के अन्तर्गत रोकडबही (रूपपत्र-6) का त्रैमासिक निरीक्षण सहायक विकास अधिकारी पंचायत द्वारा किये जाने के निर्देश है जो नहीं किया गया क्योंकि निरीक्षण आख्या आडिट में प्रस्तुत नहीं की गयी।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत बांकेचोर के वर्ष 2020-21 के कोई भी अभिलेख संस्था के पास नहीं है। ग्राम पंचायतों में वित्त लेखा प्रबन्ध हेतु पंचायतीराज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी लेखा मैनुअल की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाये गये व्यय के संदर्भ में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी।

अतः ई ग्राम स्वराज पर दर्शित ग्राम पंचायत बांके चोर के वर्ष 2020-21 में व्यय की गयी धनराशि रु 732466.00 उपरोक्त तथ्यों के आधार पर गबन की श्रेणी में आती है जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री आशुतोष पटेल व ग्राम प्रधान श्री अरविन्द कुमार से बराबर बराबर की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-118

विकास खण्ड रामनगर की ग्राम पंचायत मुहम्मद नगर के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षा में निधि-1 में कुल व्यय धनराशि रु 131002.00 (ई ग्राम स्वराज आंकडों के अनुसार) के सापेक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा कोई भी अभिलेख उपलब्ध न कराने के कारण ई ग्राम स्वराज पर अंकित धनराशि के आधार पर आडिट किये जाने के निम्न कारण हैं-

1. शासन की मंशानुसार ग्राम पंचायतों के शत प्रतिशत लेखा परीक्षा आडिट ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से किये जाने के स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं। इस हेतु ई ग्राम स्वराज पर फीड आंकडों की पुष्टि हेतु संस्था द्वारा व्यय प्रमाणक/आफलाईन अभिलेख लेखा परीक्षा में अनिवार्यतः प्रस्तुत किये जाने हैं इस क्रम में ग्राम पंचायत बांके चोर की लेखा परीक्षा हेतु दिनांक 24.12.2021 को अनुरोध किया गया परन्तु इण्टीमेशन द्वारा तय निर्धारित तिथि तथा ऑनलाईन रिपोर्ट जनरेशन की तिथि तक अभिलेख आडिट हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये।

2. शासनादेश सं0-आडिट-2953/2009-101(64)/2009 दिनांक 07 अक्टूबर 2009 द्वारा आडिट हेतु ग्राम पंचायतों के अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के लिये सहा0वि0अधि0 पं0 को नोडल अधिकारी बनाया गया है,परन्तु उनके द्वारा भी अभिलेख आडिट हेतु सुलभ नहीं कराये जा सके। उल्लेखनीय है कि अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक-06.01.22 को अंतिम बार अनुरोध किया गया था।

3. शासनादेश सं0-1829/33-03-2015/03/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 के माध्यम से विभिन्न श्रोतो से उपलब्ध धनराशियों के उपभोग के संदर्भ में बिन्दु सं0-04 (घ) में स्पष्ट निर्देश है कि प्रत्येक कार्ययोजना व पत्रावली की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी जोकि आडिट हेतु सुलभ नहीं रहा।

4. 50प्र0 पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम-199 के अन्तर्गत रोकडबही (रूपपत्र-6) का त्रैमासिक निरीक्षण सहायक विकास अधिकारी पंचायत द्वारा किये जाने के निर्देश हैं जो नहीं किया गया क्योंकि निरीक्षण आख्या आडिट में प्रस्तुत नहीं की गयी।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत बांकेचोर के वर्ष 2020-21 के कोई भी अभिलेख संस्था के पास नहीं है। ग्राम पंचायतों में वित्त लेखा प्रबन्ध हेतु पंचायतीराज विभाग 50प्र0 द्वारा जारी लेखा मैनुअल की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाये गये व्यय के संदर्भ में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी।

अतः ई ग्राम स्वराज पर दर्शित ग्राम पंचायत बांके चोर के वर्ष 2020-21 में व्यय की गयी धनराशि रु 131002.00 उपरोक्त तथ्यों के आधार पर गबन की श्रेणी में आती है जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री आशुतोष पटेल व ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम चौधरी से बराबर बराबर की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-119 विकास खण्ड रामनगर की ग्राम पंचायत असनहरी के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षा दौरान प्रकाश में आया कि संस्था को दिनांक 03.10.2020 को रु 400000.00 संयुक्त कृषि निदेशक स्तर से प्राप्त हुआ है। जिसका उपभोग पराली नियंत्रण मशीन क्रय पर देव एगो को भुगतान करना कैशबुक में दर्शित किया गया है। उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में टेण्डर पत्रावली, स्वीकृति, व्यय प्रमाणक, स्टॉक रजिस्टर आदि अप्रस्तुत रहने से अपुष्टित रहा। व्यय के सापेक्ष जांच में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार अपहरण की श्रेणी में आता है जिसके लिये ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव उत्तरदायी होते हैं। अतः रु 400000.00 की ब्याज सहित वसूली श्री सालिक राम ग्राम प्रधान व तत्कालीन सचिव श्री विमल चन्द्र मिश्रा से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-120 विकास खण्ड रामनगर की ग्राम पंचायत असनहरी के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक व स्टेटमेंट अनुसार दिनांक 03.11.20 को पराली नियंत्रण मशीन क्रय पर रु 90000.00 राज्य वित्त मद से किया जाना दर्शित है। जबकि उक्त व्यय हेतु पूर्व में ही संस्था को दिनांक 03.10.20 को रु 400000.00 संयुक्त कृषि निदेशक स्तर से प्राप्त हुआ है। जिसका उपभोग भी संस्था द्वारा कर लिया गया। उल्लेखनीय है उक्त भुगतान रु 90000.00 किसको किया गया है तथा क्या भुगतान से पूर्व सक्षम स्तर की स्वीकृति ली गयी या भी लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं रहा। उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में स्वीकृति व्यय प्रमाणक आदि अप्रस्तुत रहने से क्रय अपुष्टित रहा। पुनः यदि संस्था को उक्त परियोजना पर बजट अन्य सक्षम स्तर से प्राप्त हुआ है तो राज्य वित्त से उक्त भुगतान कर बिना स्वीकृति के फण्ड डार्वजन कर औचित्य से परे है। इस प्रकार राज्य वित्त के धन का अन्यत्र प्रयोग कर दुरुपयोग किया गया है इस हेतु ग्राम प्रधान श्री सालिक राम व तत्कालीन सचिव श्री विमल चन्द्र मिश्रा से संयुक्त रूप से उत्तरदायी है।

प्रस्तर-121 विकास खण्ड रामनगर की ग्राम पंचायत चन्दोखा के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षा में दिनांक 16.3.21 को राज्य वित्त मद अन्तर्गत रु 10000.00 वाल पेटिंग व फीडिंग प्रशासनिक मद आदि भुगतान पर व्यय कैशबुक अनुसार अभिनन्दन कांस्ट्रक्शन को किया जाना दर्शित है। उल्लेखनीय है कि माह दिसम्बर से ही पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो गया था तथा प्रशासकों द्वारा केवल आवश्यक कार्य पर ही मात्र भुगतान किये जाने थे। चुनाव के दौरान अचानक प्रशासकों द्वारा रु 10000.00 का आहरण उक्त कार्य पर दिखाने का औचित्य स्पष्ट नहीं हो सका। केवल रु 10000.00 का अभिनन्दन कांस्ट्रक्शन का बाउचर प्रस्तुत रहा स्पष्ट विवरण के अभाव में उक्त व्यय अनियमित रहा जिस हेतु तत्कालीन सचिव श्री पिन्दु कुमार व प्रशासक श्री दयाराम चौधरी जिम्मेदार हैं।

प्रस्तर-122 विकास खण्ड रामनगर की ग्राम पंचायत आदमपुर के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षा में दिनांक 23.3.21 को राज्य वित्त मद अन्तर्गत रु 9980.00 प्रशासनिक मद बुकलेट आदि भुगतान पर व्यय कैशबुक अनुसार अभिनन्दन कांस्ट्रक्शन को किया जाना दर्शित है। उल्लेखनीय है कि माह दिसम्बर से ही पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो गया था तथा प्रशासकों द्वारा केवल आवश्यक कार्य पर ही मात्र भुगतान

किये जाने थे। चुनाव के दौरान अचानक प्रशासकों द्वारा रु 9980.00 का आहरण उक्त कार्य पर दिखाने का औचित्य स्पष्ट नहीं हो सका। केवल रु 9980.00 का अभिनन्दन कांस्ट्रक्शन का बाउचर प्रस्तुत रहा स्पष्ट विवरण के अभाव में उक्त व्यय अनियमित रहा जिस हेतु तत्कालीन सचिव श्री पिन्दु कुमार व प्रशासक श्री दयाराम चौधरी जिम्मेदार हैं।

प्रारूप -04
जनपद- संतकबीरनगर
वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21
(ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपतियाँ)

जनपद- संतकबीरनगर

संभाग -बस्ती

प्रस्तर -01

ग्राम पंचायत करनजोत विकास खण्ड सांथा के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 में संस्था को रु 861631.00 कुल अनुदान प्राप्त हुआ तथा प्रारम्भिक अवशेष रु 94209.12 को सम्मिलित करें तो कुल रु 955840.12 आय के सापेक्ष वर्ष दौरान व्यय केवल राज्य वित्त मद से रु 28937-00 किया गया अर्थात् विकास कार्यो पर व्यय लगभग शून्य रहा । इस प्रकार संस्था द्वारा वर्ष दौरान कोई व्यय न करके गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिये तत्कालीन सचिव श्री अलाउद्दीन व प्रधान श्रीमती सबरुन्निशा जिम्मेदार हैं। इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
-	-	926903.12	926903.12

प्रस्तर -02

ग्राम पंचायत हकीमराई विकास खण्ड सांथा के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि प्रथम के अभिलेख मांगोपरान्त भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे ।आनलाईन फीड आंकडो -ई0 ग्राम स्वराज पर अंकित में आलोच्य वर्ष में रु 441735.00 की निकासी की गयी है ।

लेखा परीक्षा में उक्त व्यय सम्बन्धी कोषबही ,प्रस्ताव व स्वीकृति , व्यय प्रमाणक /कार्य पत्रावली ,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र , एम0बी0 बुक ,मस्टररोल आदि मांगोपरान्त प्रस्तुत न कर व्यय की गयी धनराशि के उपयोगिता की पुष्टि नहीं करायी गयी । व्यय के सापेक्ष जांच में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 क के अनुसार अपहरण की श्रेणी में आता है । जिसके लिये ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं । अत- रु 441735 .00 की वसूली ग्राम प्रधान- श्री जफरअहमद व सचिव - मो0 अलाउद्दीन से नियमानुसार संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है ।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
441735.00	-	-	441735.00

प्रस्तर -03

ग्राम पंचायत साडां विकास खण्ड सांथा के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया किदिनांक 12-8-2020 को कैशबुक में रु 24362.00 की निकासी के सापेक्ष निम्नानुसार व्यय विवरण अंकित है-

क्र0सं0	धनराशि रु0	प्राप्तकर्ता
1	13412-00	कुमार एसोशिएट
2	3500-00	किसान प्रगति
3	2000-00	शिवम कम्प्यूटर
4	5450-00	सिंह सप्लायर्स
योग-	24362.00	

लेखा परीक्षा में उपरोक्त व्यय के सापेक्ष प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। तथा भुगतान का औचित्य स्पष्ट विवरण के अभाव में पुष्ट न हो सका। साथ ही संस्था द्वारा यह स्पष्ट न किया जा सका कि उक्त भुगतान किस हेतु किया गया है। व्यय के सापेक्ष जांच में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसके लिये ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं। अतः- ₹0 24362 .00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री मुजीबुर्रहमान व सचिव श्री अभिषेक रावत से नियमानुसार संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
24362.00	-	-	24362.00

प्रस्तर -04

ग्राम पंचायत साड़ा विकास खण्ड सांथा के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 19-12-2020 को ₹0 59500-00 ग्राम प्रधान श्री मुजीबुर्रहमान को मानदेय दिया जाना कैशबुक में दर्शित है। ₹0 3500-00 प्रति माह की दर से यह मानदेय 17 माह का किया गया है। पुनः यदि धनराशि उपलब्ध है तो तत्समय ही उक्त भुगतान क्यों नहीं लिया गया। पुनः उक्त मानदेय किन माहों का है इसका उत्तर संस्था द्वारा लेखा परीक्षा में नहीं दिया गया। केवल यह बताया गया कि यह मानदेय पिछले कार्यकाल का है। अतः पूर्व के मानदेय भुगतान के प्रमाणिक विवरण के अभाव में लेखा परीक्षा की दृष्टि से उक्त भुगतान अनियमित रहा। जिसके लिये ग्राम प्रधान श्री मुजीबुर्रहमान व सचिव श्री अभिषेक रावत संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
-	-	59500-00	59500-00

प्रस्तर -05

ग्राम पंचायत मुसहरा विकास खण्ड सांथा के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि प्रथम के अभिलेख मांगोपरान्त भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे। आनलाईन फीड आंकड़ों ई0 ग्राम स्वराज पर अंकित में आलोच्य वर्ष में ₹0 1128430-00 की निकासी की गयी है।

लेखा परीक्षा में उक्त व्यय सम्बन्धी कोषबही, प्रस्ताव व स्वीकृति, व्यय प्रमाणक / कार्य पत्रावली, कार्यपूति प्रमाण पत्र, एम0बी0 बुक, मस्टररोल आदि मांगोपरान्त प्रस्तुत न कर व्यय की गयी धनराशि के उपयोगिता की पुष्टि नहीं करायी गयी। व्यय के सापेक्ष जांच में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसके लिये ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं। अतः- ₹0 1128430 .00 की वसूली ग्राम प्रधान-श्री जयचन्द, ग्राम पंचायत अधिकारी- श्री अभिषेक रावत से नियमानुसार संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
1128430 .00	-	-	1128430 .00

प्रस्तर -06

ग्राम पंचायत बेलवा मिश्र विकास खण्ड सांथा के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में प्रस्तुत आनलाईन कैशबुक अनुसार दिनांक 28-8-2020 को केस रिकार्ड संख्या 44402526 पर ₹0 17925-00 फार्गिंग मशीन मशीन क्रय पर कुमार एसोसिएट को भुगतानित किया गया है। लेखा परीक्षा में उक्त व्यय सम्बन्धित प्रमाणक व प्रतिस्पर्धि दर पर खरीद आदि की पत्रावली अप्रस्तुत रहने से व्यय अपुष्ट रहा। साथ ही यह भी पुष्ट नहीं हो पाया कि क्या उक्त फर्म मशीन क्रय हेतु पंजीकृत थी अथवा नहीं। व्यय के सापेक्ष जांच में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसके लिये ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं।

अत- ₹0 17925.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सितारा खातून व तत्कालीन सचिव श्री शतीष से नियमानुसार संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है ।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
17925.00	-	-	17925.00

प्रस्तर -07

ग्राम पंचायत बेलवा मिश्र विकास खण्ड सांथा के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 25-10-2020 को कोषबही अनुसार ₹0 31200-00 कुमार एसोसिएट को भुगतान दिया गया है । उपलब्ध ई ग्राम स्वराज की कोषबही में उक्त भुगतान केस रिकार्ड संख्या 44938767 पर कार्य के नाम पर मात्र **लेबर एंड मैटेरियल** यही शब्द अंकित रहा। उल्लेखनीय है कि **उक्त** परियोजना पर अन्य कोई भी व्यय वित्तिय वर्ष में नहीं किया गया है । न ही उक्त के बाबत लेखा परीक्षा में कोई स्पष्ट प्रमाण अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त रहा । स्पष्ट है कि उक्त धन के सापेक्ष केवल पोर्टल पर अथवा कोषबही में धन के गबन को छुपाने के लिए काल्पनिक कार्य का नाम अंकित कर दिया गया है। उक्त गबन हेतु जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्रीमती सितारा खातून व तत्कालीन सचिव श्री शतीष से नियमानुसार वसूली अपेक्षित है ।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
31200.00	-	-	31200.00

प्रस्तर -08

ग्राम पंचायत- बजही विकास खण्ड सांथा के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत- बजही वि०ख०-सांथा के वर्ष 2020-21 में निधि प्रथम में कुल व्यय धनराशि ₹01132657.00 (ई०ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार) के सापेक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव/ ग्राम प्रधान द्वारा कोई भी अभिलेख उपलब्ध न कराने के कारण पुष्टि नहीं की जा सकी । ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु पंचायतीराज विभाग, उ०प्र० द्वारा जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा-8(क) में प्रावधान है कि-यदि दर्शाए गए व्यय के सन्दर्भ में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव, ग्राम पंचायत से की जाएगी।

अतः ईग्राम स्वराज पर दर्शित ग्राम पंचायत- बजही के वर्ष-2020-21 में व्यय की गयी धनराशि ₹0 1132657-00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री शतीष व ग्राम प्रधान श्री इन्द्राज से नियमानुसार संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
1132657.00	-	-	1132657.00

प्रस्तर -09

ग्राम पंचायत पथरहट विकास खण्ड सांथा के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 में संस्था को ₹0 683522-00 कुल अनुदान प्राप्त हुआ तथा प्रारम्भिक अवशेष ₹0 818850-87 को सम्मिलित करें तो कुल ₹0 1502372-87 आय के सापेक्ष वर्ष दौरान व्यय ₹0 शून्य किया गया । इस प्रकार संस्था द्वारा वर्ष दौरान कोई व्यय न करके गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिये तत्कालीन सचिव श्री अनिल कुमार व प्रधान श्री राधेश्याम जिम्मेदार हैं। इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
-	-	1502372.87	1502372.87

प्रस्तर -10

ग्राम पंचायत पसनारा विकास खण्ड सांथा के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि प्रथम के अभिलेख मांगोपरान्त भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे। आनलाईन फीड आंकड़ों -ई0 ग्राम स्वराज पर अंकित में आलोच्य वर्ष में ₹0 236418-00 की निकासी की गयी है।

लेखा परीक्षा में उक्त व्यय सम्बन्धी कोषबही, प्रस्ताव व स्वीकृति, व्यय प्रमाणक / कार्य पत्रावली, कार्यपूति प्रमाण पत्र, एम0बी0 बुक, मस्टररोल आदि मांगोपरान्त प्रस्तुत न कर व्यय की गयी धनराशि के उपयोगिता की पुष्टि नहीं करायी गयी। व्यय के सापेक्ष जांच में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसके लिये ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं। अतः ₹0 236418 .00 की वसूली ग्राम प्रधान-श्री हफीजुल्लाह तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव- श्री अभिषेक रावत से नियमानुसार संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
236418 .00	-	-	236418 .00

प्रस्तर -11

ग्राम पंचायत पसाई विकास खण्ड सांथा के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत-पसाई वि0ख0-सांथा के वर्ष 2020-21 में निधि प्रथम में कुल व्यय धनराशि ₹0 2492221.00 (ई0 ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार) के सापेक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव/ ग्राम प्रधान द्वारा कोई भी अभिलेख उपलब्ध न कराने के कारण पुष्टि नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 द्वारा जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा-8(क) में प्रावधान है कि-यदि दर्शाए गए व्यय के सन्दर्भ में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव, ग्राम पंचायत से की जाएगी।

अतः ईग्राम स्वराज पर दर्शित ग्राम पंचायत- पसाई के वर्ष-2020-21 में व्यय की गयी धनराशि ₹0 2492221-00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री राजेश यादव व ग्राम प्रधान श्रीमती आरफा से नियमानुसार संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
2492221-00	-	-	2492221-00

प्रस्तर -12

ग्राम पंचायत गोबड़ौरी विकास खण्ड सांथा के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 20-11-2020 को कैशबुक में ₹0 16200-00 की निकासी छिडकाव मशीन क्रय के सापेक्ष किया जाना अंकित है। लेखा परीक्षा में उपरोक्त व्यय की पुष्टि में प्रमाणक, क्रयदेश, स्वीकृति दर प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। तथा भुगतान का औचित्य स्पष्ट विवरण के अभाव में पुष्ट न हो सका। साथ ही संस्था द्वारा यह स्पष्ट न किया जा सका कि उक्त भुगतान नियमानुसार निर्धारित व प्रतिस्पर्धात्मक दर पर किया गया है अथवा नहीं। व्यय के सापेक्ष जांच में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 क के अनुसार अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसके लिये ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं। अतः ₹0 16200 .00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती गायत्री देवी व सचिव श्री अलाउद्दीन से नियमानुसार संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
16200-00	-	-	16200-00

प्रस्तर -13

ग्राम पंचायत गोबड़ौरी विकास खण्ड सांथा के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि-दिनांक 27-4-2020 को ₹0 42000-00 ग्राम प्रधान श्रीमती गायत्री देवी को मानदेय दिया जाना कैशबुक में दर्शित है। ₹0 3500-00 प्रति माह की दर से यह मानदेय 12 माह का भुगतान किया गया है। पुनः यदि धनराशि उपलब्ध है तो तत्समय ही उक्त भुगतान क्यों नहीं लिया गया। पुनः उक्त मानदेय किन माहों का है इसका उत्तर

संस्था द्वारा लेखा परीक्षा में नहीं दिया गया। केवल यह बताया गया कि यह मानदेय पिछले कार्यकाल का है। अतः पूर्व के मानदेय भुगतान के प्रमाणिक विवरण के अभाव में लेखा परीक्षा की दृष्टि से उक्त भुगतान अनियमित रहा। जिसके लिये ग्राम प्रधान श्रीमती गायत्री देवी व सचिव श्री अलाउद्दीन संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
-	-	42000-00	42000-00

प्रस्तर- 14

ग्राम पंचायत गहवा विकास खण्ड साथा के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि पंचायत- गहवा वि०ख०-साथा के वर्ष 2020-21 में निधि प्रथम में कुल व्यय धनराशि ₹ 849655-00 (ई०ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार) के सापेक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव/ ग्राम प्रधान द्वारा कोई भी अभिलेख उपलब्ध न कराने के कारण पुष्टि नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु पंचायतीराज विभाग, उ०प्र० द्वारा जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा-8(क) में प्रावधान है कि-यदि दर्शाए गए व्यय के सन्दर्भ में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव, ग्राम पंचायत से की जाएगी।

अतः ईग्राम स्वराज पर दर्शित ग्राम पंचायत- गहवा के वर्ष-2020-21 में व्यय की गयी धनराशि ₹ 849655-00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अभिषेक रावत व ग्राम प्रधान श्रीमती दीपा देवी से नियमानुसार संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
849655-00	-	-	849655-00

प्रस्तर -15

ग्राम पंचायत दुल्हीपार विकास खण्ड बेलहरकला के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में हैण्डपम्प रिबोर व मरम्मत से सम्बन्धित व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्र०सं०	दिनांक	केस रिकार्ड सं०	कार्य	भुगतानित धनराशि	भुगतानप्राप्तकर्ता
1	29-5-2020	17731914	हैण्डपम्प रिबोर	118000-00	रूद्र कांट्रेक्टर
2	18-12-2020	17731914	हैण्डपम्प मरम्मत	30000-00	रूद्र कांट्रेक्टर
			योग-	148000-00	

आपत्ति निम्नवत है-1-लेखा परीक्षा में उक्त व्यय के सापेक्ष प्रमाणक, स्वीकृति, खराब सामानों का विवरण व उसका उपयोग, भुगतानित धनराशि का विवरण, हैण्डपम्पों की खराबी की सूचना, स्थान, ठीक से कार्य करने का प्रमाणपत्र आदि पत्रावलियों के अप्रस्तुत रहने से उक्त व्यय की पुष्टि न हो सकी।

2-दोनों कार्य की वर्क आईडी एक ही है। जबकि कार्य अलग-अलग हैं। अतः भुगतान संदिग्ध है।

व्यय के सापेक्ष जांच में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसके लिये ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं। अतः ₹ 148000-00 की वसूली ग्राम प्रधान-श्री हीरालाल, ग्राम पंचायत अधिकारी-श्री पवन पाण्डे से नियमानुसार संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
148000-00	-	-	148000-00

प्रस्तर -16

ग्राम पंचायत दुल्हीपार विकास खण्ड बेलहरकला के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 29-7-2020 को 14 वां वित्त से दर्शित कार्य राजाराम के घर से रामश्री के घर तक खण्ज्वा मरम्मत पर केस रिकार्ड सं० -17731920 पर ₹ 43000-00 (श्रमांश-₹ 8000-00, प्राप्तकर्ता -हीरालाल तथा सामग्री -₹ 0

35000-00 , प्राप्तकर्ता-सौम्या इंटरप्राइजेज) व्यय दर्शित है। उल्लेखनाय है कि सामग्री भुगतान रु0 35000-00 का ट्रान्जेक्शन फेल होने के कारण उक्त भुगतान नहीं हुआ। व न ही आगामी माहों में उक्त सामग्री का भुगतान हुआ है । लेखा परीक्षा में इस सम्बन्ध में कोई उत्तर संस्था द्वारा नहीं दिया गया । तथा कार्य न होने की दशा में श्रमांश की वापसी भी नहीं हुई। स्पष्ट है कि कार्य न कराकर श्रमांश मद का भुगतानित धनराशि का अपहरण सचिव व प्रधान द्वारा कर लिया गया है। अत- रु0 8000-00 की वसूली ग्राम प्रधान-श्री हीरालाल , ग्राम पंचायत अधिकारी- श्री पवन पाण्डे से नियमानुसार संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है ।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
8000-00	-	-	8000-00

प्रस्तर -17

ग्राम पंचायत दुल्हीपारविकास खण्डबेलहरकलाके वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि- ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न तिथियों में कैशबुक अनुसार निम्नानुसार आलोच्य वर्ष में निकासी कर व्यय दर्शित किया है-

क्र०सं	कार्य	दिनांक	धनराशि	केस रिकार्ड सं०	भुगतान प्राप्तकर्ता
0					
1	अन्य मद	21-10-2020	15000	17731929	सौम्या इंटरप्राइजेज
2	प्रशासनिक मद	2-12-2020	35000	35430007	सौम्या इंटरप्राइजेज
3	अन्य मद	18-12-2020	10000	11601209	रुद्र कांटेक्टर
	योग-	योग-	60000-00		

उपरोक्त व्यय सम्बन्धित आपतियां निम्नवत हैं-

1-किसी भी व्यय की पुष्टि प्रमाणको से संस्था द्वारा नहीं करायी गयी। प्रशासनिक मद के खर्च के बाबत यह उत्तर दिया गया कि यह प्रधान द्वारा विभिन्न खर्चों पर व्यय का भुगतान है । जिसका कि कोई विवरण लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा ।

2-क्रमांक 1 व 3 पर उल्लिखित कार्य ई ग्राम स्वराज पर केवल **अन्य मद** पर व्यय के रूप में अंकित है। अतः प्रमाणकों के अभाव व औचित्यविहीन अंकन के आलोक में भुगतान संदिग्ध रहा। कार्यकाल के खत्म होने के कुछ ही दिन पूर्व इस प्रकार से भारी धनराशि का निकाल लिया जाना भी व्यय को संदिग्ध बनाता है। जबकि पूरे वर्ष केवल रु0 344426-00 का ही व्यय हुआ है। जिसमें उक्त निकासी का अर्थात् रु0 60000-00 का भारी योगदान है । अर्थात् पूरे वर्ष न के बराबर कार्य कराने के उपरान्त भी प्रशासनिक व अन्य मद के रूप में धनराशि का निकाल लिया जाना गबन को प्रमाणित करता है।

3-प्रशासनिक व अन्य मद पर कुछ ही दिनों में भारी धनराशि का प्रमाणक व विवरणविहिन भुगतान करना स्पष्ट करता है कि मात्र गबन को छुपाने के लिए केवल फीडिंग हेतु प्रशासनिक व अन्य शब्द का उपयोग किया गया है।

अत- रु0 60000-00 की वसूली ग्राम प्रधान-श्री हीरालाल , ग्राम पंचायत अधिकारी- श्री पवन पाण्डे से नियमानुसार संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है ।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
60000-00	-	-	60000-00

प्रस्तर -18

ग्राम पंचायत बटसरा विकास खण्ड बेलहरकला के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 25-9-2020 ई ग्राम स्वराज पर फीड कोषबही अनुसार रु0 84000-00 सोलर लाईट क्रय पर दीपचन्द्र कान्टेक्टर को भुगतान दिया गया है । उपलब्ध ई ग्राम स्वराज की कोषबही में उक्त भुगतान केस रिकार्ड संख्या 19583406 पर अंकित रहा। लेखा परीक्षा में उक्त व्यय सम्बन्धी प्रमाणक , टेण्डर पत्रावली , स्वीकृति , सावजनिक स्थान , पूर्व में लगे सोलर लाईटों के स्थिति आदि के विवरण अनुपलब्ध रहने से क्रय की पुष्टि व औचित्य तथा प्रतिस्पर्धात्मक दर पर खरीद की समीक्षा न की जा सकी । व्यय के सापेक्ष जांच

मे व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसके लिये ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं। अतः- रु0 84000-00 की वसूली ग्राम प्रधान-श्री मंगरू शाह, ग्राम पंचायत अधिकारी- श्री राजेश पाण्डे से नियमानुसार संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
84000-00	-	-	84000-00

प्रस्तर -19

ग्राम पंचायत बटसरा विकास खण्ड बेलहरकला के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में राज्य वित्त से कराए कार्य मुबारक के घर से नहर तक खणनजा मरम्मत में अंकित व्यय विवरण अनुसार सामग्री पर केस रिकार्ड संख्या 19583397 पर दिनांक 23-10-2020 को रु 99960-00 वारसी कंस्ट्रक्शन को भुगतान किया गया है। उल्लेखनीय है कि कोई भी कार्य बिना श्रमांश के कराया जाना असम्भव होता है जबकि उक्त परियोजना पर पूरे वर्ष किसी मस्टररोल पर भुगतान नहीं हुआ है। लेखा परीक्षा में उक्त कार्य की पत्रावली / व्यय प्रमाणक, आदि भी उपलब्ध नहीं रहे। स्पष्ट है कि कार्य कराया ही नहीं गया है तथा केवल सामग्री का फर्जी बिल लगाकर उक्त धन की निकासी कर अपहरण कर लिया गया है। अतः- रु0 99960-00 की वसूली ग्राम प्रधान- श्री मंगरू शाह, ग्राम पंचायत अधिकारी- श्री राजेश पाण्डे से नियमानुसार संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
99960-00	-	-	99960-00

प्रस्तर -20

ग्राम पंचायत भीखाडाड़ विकास खण्ड बेलहरकला के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 31-3-2021 को कैशबुक अनुसार प्रशासनिक मद अन्तर्गत रु0 21000-00 व्यय किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में उक्त व्यय सम्बन्धित विवरण व व्यय बाउचर अप्रस्तुत रहे। व्यय के सापेक्ष जांच में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसके लिये ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं। चूंकि माह मार्च में ग्राम पंचायत का कार्यकाल खत्म हो चुका था तथा प्रशासकों की नियुक्ति हो गयी थी अतः उक्त आहरण हेतु तत्कालीन सचिव व प्रशासक उत्तरदायी हैं।

अतः- रु0 21000.00 की वसूली तत्कालीन प्रशासक श्री सभाजीत व तत्कालीन सचिव श्री सरवन से नियमानुसार संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
21000.00	-	-	21000.00

प्रस्तर -21

ग्राम पंचायत मैनहवा विकास खण्ड बेलहरकला के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि प्रथम-राज्य वित्त व 15 वां वित्त के अभिलेख मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे। संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक स्टेटमेंट अनुसार दिनांक 1-4-2019 से 31-3-2020 तक की अवधि में कुल रु0 384133-00 की निकासी की गयी है।

लेखा परीक्षा में उक्त व्यय सम्बन्धी कैशबुक, प्रस्ताव व स्वीकृति, व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0 बुक, स्टाक बुक, सा0 नि0 कार्य रजि0, कार्य पत्रावली, आदि मांगोपरान्त प्रस्तुत न कर व्यय की गयी धनराशि के उपयोगिता की पुष्टि नहीं करायी गयी। व्यय के सापेक्ष जांच में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसके लिये ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं।

अतः- रु0 384133-00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री पंचम कुमार व तत्कालीन सचिव श्री पवन पाण्डे से नियमानुसार संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग

384133-00	-	-	384133-00

प्रस्तर -22

ग्राम पंचायत लंगड़ावर विकास खण्ड बेलहरकला के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 25-12-2020 (स्टेटमेंट अनुसार दिनांक-30-12-2020) को कोषबही अनुसार रु0 10000-00 सौम्या इंटर प्राइजेज को भुगतान दिया गया है। उपलब्ध ई ग्राम स्वराज की कोषबही में उक्त भुगतान केस रिकार्ड संख्या 41775017 पर कार्य के नाम पर मात्र डाक्टर के घर से इंटरलाकिंग तक यही शब्द अंकित रहा। जबकि आफलाईन कोषबही में उक्त व्यय बिनोद सिंह के घर से डाक्टर के घर तक इंटरलाकिंग कार्य पर व्यय अंकित है। उल्लेखनीय है कि उक्त परियोजना पर अन्य कोई भी व्यय वित्तिय वर्ष में नहीं किया गया है। न ही उक्त के बाबत लेखा परीक्षा में कोई स्पष्ट प्रमाण अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त रहा। स्पष्ट है कि उक्त धन के सापेक्ष केवल पोर्टल पर अथवा कोषबही में धन के गबन को छुपाने के लिए काल्पनिक कार्य का नाम अंकित कर दिया गया है। उक्त गबन हेतु जिम्मेदार सचिव श्री पवन पाण्डे व ग्राम प्रधान श्री रामचन्द्र से वसूली नियमानुसार अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
10000-00	-	-	10000-00

प्रस्तर -23

ग्राम पंचायत लंगड़ावर विकास खण्ड बेलहरकला के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि- ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न तिथियों में कैशबुक अनुसार निम्नानुसार आलोच्य वर्ष में निकासी कर व्यय दर्शित किया है-

क्र०सं०	कार्य	दिनांक	धनराशि	केस रिकार्ड सं०	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	सफाई कर्मी किट एवं दवा छिड़काव	8-5-2020	15500	17739442	कुमार एसोसिएट
2	सफाई कर्मी किट	1-10-2020	30100	41779739	सौम्या इंटरप्राइजेज
3	प्रशासनिक मद	10-11-2020	45000	5128507	सौम्या इंटरप्राइजेज
4	प्रशासनिक मद	26-10-2020	30000	41779960	सौम्या इंटरप्राइजेज
5	फार्मिंग मशीन क्रय	30-12-2020	25000	41780097	सौम्या इंटरप्राइजेज
	योग-	योग-	145600-00		

उपरोक्त व्यय सम्बन्धित आपतियां निम्नवत हैं-

1-किसी भी व्यय की पुष्टि प्रमाणको से संस्था द्वारा नहीं करायी गयी। प्रशासनिक मद के खर्च के बाबत यह उत्तर दिया गया कि यह प्रधान द्वारा विभिन्न खर्चों पर व्यय का भुगतान है। जिसका कि कोई विवरण लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा।

2-क्रमांक 5 पर उल्लिखित कार्य ई ग्राम स्वराज पर केवल फीडिंग पर व्यय के रूप में अंकित है। अतः प्रमाणकों के अभाव व विरोधाभासी अंकन के आलोक में भुगतान संदिग्ध रहा। कार्यकाल के खत्म के उपरान्त उक्त भुगतान दिया जाना भी खरीद को संदिग्ध बनाता है।

3-प्रशासनिक मद पर कुछ ही दिनों में भारी धनराशि का प्रमाणक व विवरणविहिन भुगतान करना स्पष्ट करता है कि मात्र गबन को छुपाने के लिए केवल फीडिंग हेतु प्रशासनिक शब्द का उपयोग किया गया है।

अतः समस्त धनराशि रु0 145600-00 की वसूली सचिव श्री पवन पाण्डे व ग्राम प्रधान श्री रामचन्द्र से नियमानुसार संयुक्त रूप से अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
145600-00	-	-	145600-00

प्रस्तर -24

ग्राम पंचायत समन्था विकास खण्ड बेलहरकला के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि-

- आलोच्य वर्ष में राज्य वित्त से कूप मरम्मत पर निम्नानुसार व्यय किये गये हैं-

क्र०सं०	केस रिकार्ड सं०	दिनांक	भुगतानित धनराशि	विवरण
1	28869200	9-6-2020	35632-00	1-ओम नमः शिवाय बि०मै० -10800-00 2-बी०के०एस०ब्रिक फील्ड -17850-00 3-विश्वनाथ-6982-00
2	28869364	9-6-2020	39030-00	1-ओम नमः शिवाय बि०मै० -11550-00 2-बी०के०एस०ब्रिक फील्ड -20680-00 3-विश्वनाथ-6800-00
3	37366973	25-10-2020	44424-00	1-ओम नमः शिवाय बि०मै० -16450-00 2-बी०के०एस०ब्रिक फील्ड -20150-00 3-विश्वनाथ-7824-00
		योग-	119086-00	

आपत्ति-

1- लेखा परीक्षा में उक्त व्यय सम्बन्धी प्रस्ताव व स्वीकृति, व्यय प्रमाणक /कार्य पत्रावली ,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र , एम०बी० बुक ,मस्टररोल आदि मांगोपरान्त प्रस्तुत न कर व्यय की गयी धनराशि के उपयोगिता की पुष्टि नहीं करायी गयी ।

2-व्यय को देखने से उक्त परियोजना काल्पनिक प्रतीत होती है। क्रमांक -2 पर अंकित कार्य की मजदूरी क्रमांक -1 पर अंकित कार्य के लगभग समान है। जबकि क्रमांक -2 पर ईट की खरीद अधिक है।जबकि उसके सापेक्ष बि०मै० की खरीद लगभग समान है। तथा क्रमांक -3 पर जहां रु० 20150-00 के ईट को जोड़ने के लिए रु० 16450-00 की सामग्री का प्रयोग हुआ है वहीं क्रमांक -2 पर रु० 20680-00 के ईट को जोड़ने के लिए रु० 11550-00 की सामग्री ही प्रयाप्त है।

ऐसा प्रतीत होता है कि ग्राम प्रधान व सचिव द्वारा अवर अभियंता से मिलकर काल्पनिक व्यय दर्शित किया गया है।

व्यय के सापेक्ष जांच में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार अपहरण की श्रेणी में आता है । जिसके लिये ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं । अतः- रु० 119086-00 की वसूली ग्राम प्रधान-श्री विश्वनाथ , ग्राम पंचायत अधिकारी- श्री अभिनव वत्स व तत्कालीन अवर अभियंता (काल्पनिक व्यय में भागीदार)से नियमानुसार संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है ।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
119086-00	-	-	119086-00

प्रस्तर -25

ग्राम पंचायत समन्था विकास खण्ड बेलहरकला के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि- आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प मरम्मत व प्रशासनिक मद पर निम्नानुसार व्यय दर्शित किये गये हैं -

क्र०सं०	केस रिकार्ड सं०	दिनांक	दर्शित कार्य	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	37367453	16-12-2020	प्रशासनिक मद	28000-00	कुमार एसोसिएट
2	45215309	16-12-2020	हैण्डपम्प मरम्मत	31920-00	विश्वनाथ
3	37367336	25-12-2020	हैण्डपम्प मरम्मत	47700-00	कुमार एसोसिएट
			योग-	107620-00	

आपति-

1-हैण्डपम्प मरम्मत मे भुगतान विश्वनाथ व कुमार एशोसिएट को किए जाने का अलग-अलग औचित्य समझ से परे है।

2-लेखा परीक्षा मे यह ज्ञात न हो सका कि क्या कुमार एशोसिएट हैण्डपम्प मरम्मत हेतु अधिकृत थी । यदि हां तो पूर्व मे भुगतान विश्वनाथ को क्यों किया गया ।स्पष्ट है कि मात्र भुगतान प्राप्त करने के लिए ही उक्त काल्पनिक व्यय दर्शित किए गये हैं। मरम्मत दौरान निकले खराब सामानों का स्टॉक/बिक्री के बाबत स्पष्ट उत्तर अप्राप्त रहा।

3- किसी भी व्यय की पुष्टि प्रमाणको से संस्था द्वारा नहीं करायी गयी। प्रशासनिक मद के खर्च के बाबत यह उत्तर दिया गया कि यह प्रधान द्वारा विभिन्न खर्चों पर व्यय का भुगतान है । जिसका कि कोई विवरण लेखा परीक्षा मे उपलब्ध नहीं रहा ।

व्यय के सापेक्ष जांच मे व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार अपहरण की श्रेणी मे आता है । जिसके लिये ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं । अतः रु0 107620-00 की वसूली ग्राम प्रधान-श्री विश्वनाथ , ग्राम पंचायत अधिकारी- श्री अभिनव वत्स से नियमानुसार संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है ।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
107620-00	-	-	107620-00

प्रस्तर -26

ग्राम पंचायत सियाकटाई विकास खण्ड बेलहरकला के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि-आलोच्य वर्ष मे राज्य वित्त से माह मार्च मे निम्नानुसार कार्य पर व्यय दर्शित है-

क्र0 सं0	कार्य का नाम	सामग्री पर व्यय	भुगतान प्राप्तकर्ता(सामग्री)	मजदूरी पर व्यय	भुगतान प्राप्तकर्ता(मजदूरी)	योग
1	प्रधानमंत्री सड़क से मोतीलाल के घर तक खण्ज्जा मरम्मत	46230-00	शिव शक्ती ब्रिकफील्ड	42416-00	श्री शिव शंकर चौरसिया (ग्राम प्रधान)	88646-00
2	इन्द्रजीत के घर के सामने कूप जीर्णोद्धार	23337-00 24553-00	शिव शक्ती ब्रिक फील्ड खान ट्रेडर्स	7851-00	श्री शिव शंकर चौरसिया (ग्राम प्रधान)	55741-00
3	शिवकुमार के घर के सामने कूप जीर्णोद्धार	23338-00 24554-00	शिव शक्ती ब्रिक फील्ड खान ट्रेडर्स	7851-00	श्री शिव शंकर चौरसिया (ग्राम प्रधान)	55743-00
4	अनिरुद्ध के घर के सामने कूप जीर्णोद्धार	23339-00 24555-00	शिव शक्ती ब्रिक फील्ड खान ट्रेडर्स	7797-00	श्री शिव शंकर चौरसिया (ग्राम प्रधान)	55691-00
					कुल योग-	255821-00

उल्लेखनीय है कि समस्त भुगतान माह मार्च मे 30-3-2021 को आनलाईन फीड बैकअप अनुसार किये गये हैं । जिसमे मजदूरी का समस्त भुगतान एक ही दिन ग्राम प्रधान को कर दिया गया है । जबकि माह दिसम्बर-2022 से ही तत्समय समस्त ग्राम प्रधानों का कार्यकाल खत्म हो गया था । लेखा परीक्षा मे यह बताया गया कि मजदूरी का भुगतान का ट्रांजेक्शन फेल होने के कारण उक्त भुगतान माह अप्रैल मे हुआ । तो भी मजदूरी का भुगतान पूर्व प्रधान को किया जाना औचित्य से परे है ।पुनः सामग्री व श्रमांश का भुगतान एक ही दिन किया जाना परियोजना को ही संदिग्ध बनाता है । लेखा परीक्षा मे उक्त व्यय लेखा परीक्षा मे उक्त व्यय सम्बन्धी कैशबुक , प्रस्ताव व स्वीकृति , व्यय प्रमाणक ,मस्टररोल ,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र , एम0बी0 बुक ,स्टॉक बुक , सा0 नि0 कार्य रजि0 , कार्य पत्रावली , आदि मांगोपरान्त प्रस्तुत न कर व्यय की गयी धनराशि के उपयोगिता की पुष्टि भी नहीं करायी गयी । व्यय के सापेक्ष जांच मे व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार अपहरण की श्रेणी मे आता है । जिसके लिये ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं । चूंकि तत्समय प्रशासक मे ही सम्पूर्ण

शक्तियां निहित थीं अतः स्पष्ट है कि पूर्व प्रधान ,सचिव , व प्रशासक द्वारा मिलिभगत कर बिना कार्य कराये ही समस्त भुगतान प्राप्त कर अपहरण कर लिया गया है ।

अतः रु0 255821-00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री शिवशंकर चौरसिया व तत्कालीन सचिव श्री विपिन व प्रशासक श्री सभाजीत यादव से नियमानुसार संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है ।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
255821-00	-	-	255821-00

प्रस्तर -27

ग्राम पंचायत सियाकटाई विकास खण्ड बेलहरकला के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में राज्य वित्त से विभिन्न माहों में निम्नानुसार प्रशासनिक मद पर व्यय दर्शित है-

क्र0सं0	दिनांक	धनराशि	प्राप्तकर्ता
1	5-4-2020	25000-00	कुमार एसोसिएट
2	25-10-2020	12500-00	कुमार एसोसिएट
3	22-12-2020	6263-00	कुमार एसोसिएट
4	22-12-2020	21000-00	कुमार एसोसिएट
	योग-	64763-00	

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष के शुरू से व जब कार्यकाल खत्म हो रहा था तब लगभग समस्त धनराशियों की निकासी की गयी है । पुनः इन धनराशियों के व्यय का औचित्य व विवरण लेखा परीक्षा में संस्था द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सका । लेखा परीक्षा में यह भी तथ्य प्रकाश में आया कि राज्य वित्त मद से वर्ष 2020-21 में कुल व्यय रु0 428590-00 का किया है जिसमें रु0 255821-00 अकेले माह मार्च में प्रशासक द्वारा आहरित है । तो यदि उपरोक्त कुल खर्च में से प्रशासनिक मद पर व्यय रु0 64763-00 को व मार्च में व्यय रु0 255821-00 कुल रु0 320584-00 को निकाल दें तो मात्र रु0 108006-00 के व्यय हेतु 64763 रु0 प्रशासनिक मद पर व्यय करने का औचित्य समझ से परे है । स्पष्ट है कि उक्त व्यय अनावश्यक रूप से केवल आहरण के निमित्त किया गया है । तथा सचिव व प्रधान द्वारा उक्त व्यय का अपहरण कर लिया गया है । अतः रु0 64763-00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री शिवशंकर चौरसिया व तत्कालीन सचिव श्री विपिन से नियमानुसार संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है ।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
64763-00	-	-	64763-00

प्रस्तर -28

ग्राम पंचायत अशरफाबाद विकास खण्ड खलीलाबाद के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत- अशरफाबाद वि0ख0-खलीलाबाद के वर्ष 2020-21 में निधि प्रथम में कुल व्यय धनराशि रु0 652510.00 (ई0ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार) के सापेक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव/ ग्राम प्रधान द्वारा कोई भी अभिलेख उपलब्ध न कराने के कारण पुष्टि नहीं की जा सकी । ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु पंचायतीराज विभाग,उ0प्र0 द्वारा जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा-8(क) में प्रावधान है कि-यदि दर्शाए गए व्यय के सन्दर्भ में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव, ग्राम पंचायत से की जाएगी।

अतः ईग्राम स्वराज पर दर्शित ग्राम पंचायत- अशरफाबाद के वर्ष-2020-21 में व्यय की गयी धनराशि रु0 652510.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती रजनी सिंह, प्रशासक श्री राम सुमिरन, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत एवं ग्राम प्रधान श्री मो0 इशहाक से नियमानुसार संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
652510.00	-	-	652510.00

प्रस्तर संख्या -29

ग्राम पंचायत एकमा विकास खण्ड खलीलाबाद के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत एकमा में चतुर्थ राज्य वित्त से निम्नलिखित विवरणानुसार हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर पर जी0पी0 कांस्ट्रक्शन को भुगतान किया गया है-

दि0 20-08-2020	रू035000-00	हैण्डपम्प रिबोर हेतु
दि0 20-08-2020	रू048000-00	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु
दि0 25-12-2020	रू014150-00	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु

योग-	रू0 97150-00	

उक्त की लेखा परीक्षा जांच में निम्न आपत्तियां प्रकाश में आयीं-

- 1- लेखा परीक्षा में उक्त कार्य से सम्बंधित कार्यवाही प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि वास्तव में उक्त हैण्डपम्प के मरम्मत की आवश्यकता थी अथवा नहीं।
- 2- उक्त कार्यों का अनुमोदन ग्राम पंचायत की जलप्रबन्ध समिति से नहीं लिया गया जिससे उक्त पर किए गए व्यय का औचित्य लेखा परीक्षा में सिद्ध नहीं किया जा सका।
- 3- हैण्डपम्प रिबोर के उपरान्त प्राप्त खराब सामानों को मृत स्कन्ध पंजी अथवा स्क्रेप पंजी में अंकित करते हुए उक्त की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी ।

अतः स्पष्ट है कि बिना कार्य कराए फर्म की मिलीभगत से मात्र फर्जी वाउचर प्रस्तुत कर रू0 97150-00 का अपहरण तत्कालीन सचिव श्रीमती अल्का पाण्डेय तथा ग्राम प्रधान श्रीमती सुशीला देवी द्वारा कर लिया गया है जिनसे नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
97150-00	-	-	97150.00

प्रस्तर संख्या -30

1- ग्राम पंचायत- उपरौध वि0ख0-खलीलाबाद के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि 2020-21 में निधि प्रथम में कुल व्यय धनराशि रू0 545088.00 (ई0ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार) के सापेक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव/ ग्राम प्रधान द्वारा कोई भी अभिलेख उपलब्ध न कराने के कारण पुष्टि नहीं की जा सकी । ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु पंचायतीराज विभाग,उ0प्र0 द्वारा जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा-8(क) में प्रावधान है कि-यदि दर्शाए गए व्यय के सन्दर्भ में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव, ग्राम पंचायत से की जाएगी।

अतः ईग्राम स्वराज पर दर्शित ग्राम पंचायत- अशरफाबाद के वर्ष-2020-21 में व्यय की गयी धनराशि रू0 545088.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव कौशल कुमार सिंह, प्रशासक श्री राम सुमिरन, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत एवं ग्राम प्रधान श्री श्री श्रवण कुमार से नियमानुसार संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
545088.00	-	-	545088.00

प्रस्तर संख्या -31

ग्राम पंचायत कटका विकास खण्ड खलीलाबाद के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि - ग्राम पंचायत- कटका वि0ख0-खलीलाबाद के वर्ष 2020-21 में निधि प्रथम में कुल व्यय धनराशि रू0 1463248.00 (ई0ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार) के सापेक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव/ ग्राम प्रधान द्वारा कोई भी अभिलेख उपलब्ध न कराने के कारण पुष्टि नहीं की जा सकी । ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु पंचायतीराज विभाग,उ0प्र0 द्वारा जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा-8(क) में प्रावधान है कि-यदि

दर्शाए गए व्यय के सन्दर्भ में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव, ग्राम पंचायत से की जाएगी।

अतः ईग्राम स्वराज पर दर्शित ग्राम पंचायत- कटका के वर्ष-2020-21 में व्यय की गयी धनराशि रु0 1463248.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री कौशल कुमार सिंह, प्रशासक श्री राम सुमिरन, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत एवं ग्राम प्रधान श्री जोगिन्दर से नियमानुसार संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
1463248.00	-	-	1463248.00

प्रस्तर संख्या -32

ग्राम पंचायत उमरी कला विकास खण्ड खलीलाबाद के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि -ग्राम पंचायत उमरी कलों में चतुर्थ राज्य वित्त से निम्नलिखित विवरणानुसार हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर पर जी0पी0 कांस्टक्शन को भुगतान किया गया है-

दि0 14-08-2020	रु035000-00	हैण्डपम्प रिबोर हेतु
दि0 14-08-2020	रु035000-00	हैण्डपम्प रिबोर हेतु
दि0 14-08-2020	रु091500-00	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु 15 अदद
योग-	रु0161500-00	

उक्त की लेखा परीक्षा जांच में निम्न आपत्तियां प्रकाश में आयीं-

- 1- लेखा परीक्षा में उक्त कार्य से सम्बंधित कार्यवाही प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि वास्तव में उक्त हैण्डपम्प के मरम्मत की आवश्यकता थी अथवा नहीं।
- 2- उक्त कार्यों का अनुमोदन ग्राम पंचायत की जलप्रबन्ध समिति से नहीं लिया गया जिससे उक्त पर किए गए व्यय का औचित्य लेखा परीक्षा में सिद्ध नहीं किया जा सका।
- 3- हैण्डपम्प रिबोर के उपरान्त प्राप्त खराब सामानों को मृत स्कन्ध पंजी अथवा स्क्रेप पंजी में अंकित करते हुए उक्त की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।

अतः स्पष्ट है कि बिना कार्य कराए फर्म की मिलीभगत से मात्र फर्जी वाउचर प्रस्तुत कर रु0 161500-00 का अपहरण तत्कालीन सचिव श्रीमती निधि मिश्रा तथा ग्राम प्रधान श्री धर्मेन्द्र कुमार द्वारा कर लिया गया है जिनसे नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
161500.00	-	-	161500.00

प्रस्तर संख्या -33

ग्राम पंचायत इमिलडीहा विकास खण्ड खलीलाबाद के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत इमिलडीहा में चतुर्थ राज्य वित्त से निम्नलिखित विवरणानुसार हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर पर श्री नागेन्द्र प्रसाद को भुगतान किया गया है-

दि0 14-07-2020	रु050000-00	हैण्डपम्प रिबोर हेतु
दि0 25-12-2020	रु024000-00	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु
योग-	रु074000-00	

उक्त की लेखा परीक्षा जांच में निम्न आपत्तियां प्रकाश में आयीं-

- 1- समस्त भुगतान फर्म को न करते हुए एक तृतीय पक्ष श्री नागेन्द्र को किया गया है जो औचित्यपूर्ण नहीं रहा।
- 2- लेखा परीक्षा में उक्त कार्य से सम्बंधित कार्यवाही प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि वास्तव में उक्त हैण्डपम्प के मरम्मत की आवश्यकता थी अथवा नहीं।
- 3- उक्त कार्यों का अनुमोदन ग्राम पंचायत की जलप्रबन्ध समिति से नहीं लिया गया जिससे उक्त पर किए गए व्यय का औचित्य लेखा परीक्षा में सिद्ध नहीं किया जा सका।

- 4- हैण्डपम्प रिबोर के उपरान्त प्राप्त खराब सामानों को मृत स्कन्ध पंजी अथवा स्क्रेप पंजी में अंकित करते हुए उक्त की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
- 5- हैण्डपम्पों के रिबोर के सम्बन्ध में जारी शासनादेश सं0- 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक- 19 जून 2017 के प्रस्तर-1 के अनुसार हैण्डपम्प रिबोरिंग के लिए ग्राम पंचायत जल निगम द्वारा पूर्व में तैयार की गयी प्रतीक्षा सूची को आधार मानते हुए हैण्डपम्प रिबोरिंग के कार्यों को सर्वप्रथम संतुष्ट किया जाएगा। लेखा परीक्षा में न तो उक्त प्रतीक्षा सूची प्रस्तुत की गयी और न ही इस आशय का कोई अन्य प्रपत्र ही प्रस्तुत किया गया।

अतः स्पष्ट है कि बिना कार्य कराए रु0 74000-00 का अपहरण तत्कालीन सचिव श्रीमती अल्का पाण्डेय तथा ग्राम प्रधान श्रीमती बासमती द्वारा कर लिया गया है जिनसे नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
74000.00	-	-	74000.00

प्रस्तर सं0 -34

ग्राम पंचायत इमिलडीहा विकास खण्ड खलीलाबाद के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि लेखा परीक्षा जांच में पाया गया कि ग्राम पंचायत इमिलडीहा में जोगिन्दर के घर से काली जी के स्थान तक खड्जा मरम्मत कार्य पर सामग्री रु0 13500-00 एवं मजदूरी रु06000-00 कुल रु0 19500-00 का भुगतान दिनांक- 24-12-2020 को फर्म/मजदूरों को न कर एक तृतीय व्यक्ति को करके धन का अपहरण तत्कालीन सचिव श्रीमती अल्का पाण्डेय तथा ग्राम प्रधान श्रीमती बासमती द्वारा कर लिया गया है जिनसे वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि उक्त पत्रावली भी लेखा परीक्षा जांच में प्रस्तुत नहीं की गयी।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
19500.00	-	-	19500.00

प्रस्तर सं0 -35

ग्राम पंचायत कटबन्ध विकास खण्ड खलीलाबाद के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत- कटबन्ध वि0ख0-खलीलाबाद के वर्ष 2020-21 में निधि प्रथम में कुल व्यय धनराशि रु0 600550.00 (ई0ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार) के सापेक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव/ ग्राम प्रधान द्वारा कोई भी अभिलेख उपलब्ध न कराने के कारण पुष्टि नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु पंचायतीराज विभाग,उ0प्र0 द्वारा जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा-8(क) में प्रावधान है कि-यदि दर्शाए गए व्यय के सन्दर्भ में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव, ग्राम पंचायत से की जाएगी।

अतः ईग्राम स्वराज पर दर्शित ग्राम पंचायत- कटबन्ध के वर्ष-2020-21 में व्यय की गयी धनराशि रु0 600550.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री अश्विनी कुमार गौतम , प्रशासक श्री राम सुमिरन, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत एवं ग्राम प्रधान श्री अर्जुन सिंह से नियमानुसार संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
600550.00	-	-	600550.00

प्रस्तर सं0 -36

ग्राम पंचायत घटरम्हा विकास खण्ड खलीलाबाद के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि -ग्राम पंचायत घटरम्हा में पंद्रहवें केन्द्रीय वित्त से राधेश्याम के घर से त्रिभुवन के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण पर जी0पी0 इंटरप्राइजेज को दिनांक-12-11-2020 को रु0155000-00 एवं रु064004-00 कुल रु0 219004-00 का सामग्री क्रय पर भुगतान किया गया है जिसके सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां लेखा परीक्षा में प्रकाश में आयीं-

- 1- केन्द्रीय वित्त से प्राप्त बद्ध अनुदान को अबद्ध कार्यों में व्यय किया गया है जो कि अनियमित रहा। उल्लेखनीय है कि बद्ध अनुदान को स्वस्थ, सफाई एवं जल प्रबन्धन में ही व्यय किए जाने के निर्देश हैं।
- 2- उक्त निर्माण कार्य पर वर्ष दौरान मात्र सामग्री पर ही व्यय ऑनलाइन कोषबही में दर्शित है। लेखा परीक्षा में उक्त व्यय पत्रावली के प्रस्तुत नहीं किए जाने से यह ज्ञात न हो सका कि वास्तव में मस्टररोल पर कार्य कराया गया है अथवा नहीं या फिर मजदूरी का भुगतान किस प्रकार किया गया है। उल्लेखनीय है कि बद्ध अनुदान से कराए जाने वाले कार्यों में मजदूरी का भुगतान मनरेगा आदि अन्य योजनाओं से करने के निर्देश हैं परन्तु अबद्ध अनुदान में नहीं।

अतः बिना मजदूरी के कार्य कराए जाने का औचित्य लेखा परीक्षा में सिद्ध नहीं किया जा सका। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से फर्जी सामग्री क्रय दर्शित कर रू0 219004-00 का अपहरण तत्कालीन सचिव सुश्री निधि मिश्रा तथा ग्राम प्रधान श्री संजू द्वारा कर लिया गया है जिनसे नियमानुसार वसूली की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
219004-00	-	-	219004-00

प्रस्तर सं0 -37

ग्राम पंचायत गडसरपार विकास खण्ड खलीलाबाद के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत- गडसरपार वि0ख0-खलीलाबाद के वर्ष 2020-21 में निधि प्रथम में कुल व्यय धनराशि रू0 1119861.00 (ई0ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार) के सापेक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव/ ग्राम प्रधान द्वारा कोई भी अभिलेख उपलब्ध न कराने के कारण पुष्टि नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 द्वारा जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा-8(क) में प्रावधान है कि-यदि दर्शाए गए व्यय के सन्दर्भ में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव, ग्राम पंचायत से की जाएगी।

अतः ईग्राम स्वराज पर दर्शित ग्राम पंचायत- गडसरपार के वर्ष-2020-21 में व्यय की गयी धनराशि रू0 1119861.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री कौशल कुमार सिंह, प्रशासक श्री राम सुमिरन, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत एवं ग्राम प्रधान श्री अरूण कुमार से नियमानुसार संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
1119861.00	-	-	1119861.00

प्रस्तर संख्या -38

ग्राम पंचायत धमरजा विकास खण्ड खलीलाबाद के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत- धमरजा वि0ख0-खलीलाबाद के वर्ष 2020-21 में निधि प्रथम में कुल व्यय धनराशि रू0 851777.00 (ई0ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार) के सापेक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव/ ग्राम प्रधान द्वारा कोई भी अभिलेख उपलब्ध न कराने के कारण पुष्टि नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 द्वारा जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा-8(क) में प्रावधान है कि-यदि दर्शाए गए व्यय के सन्दर्भ में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव, ग्राम पंचायत से की जाएगी।

अतः ईग्राम स्वराज पर दर्शित ग्राम पंचायत- धमरजा के वर्ष-2020-21 में व्यय की गयी धनराशि रू0 851777.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती निधि मिश्रा, प्रशासक श्री राम सुमिरन, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत एवं ग्राम प्रधान श्री इशरावती से नियमानुसार संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
851777.00	-	-	851777.00

प्रस्तर संख्या -39

ग्राम पंचायत दिक्ताली विकास खण्ड खलीलाबाद के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत- दिक्ताली वि०ख०-खलीलाबाद के वर्ष 2020-21 में निधि प्रथम में कुल व्यय धनराशि ₹0 2285370.00 (ई०ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार) के सापेक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव/ ग्राम प्रधान द्वारा कोई भी अभिलेख उपलब्ध न कराने के कारण पुष्टि नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु पंचायतीराज विभाग, उ०प्र० द्वारा जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा-8(क) में प्रावधान है कि-यदि दर्शाए गए व्यय के सन्दर्भ में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव, ग्राम पंचायत से की जाएगी।

अतः ईग्राम स्वराज पर दर्शित ग्राम पंचायत- दिक्ताली के वर्ष-2020-21 में व्यय की गयी धनराशि ₹0 2285370.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री कौशल कुमार सिंह, प्रशासक श्री राम सुमिरन, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत एवं ग्राम प्रधान श्री नन्दलाल से नियमानुसार संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
2285370.00	-	-	2285370.00

प्रस्तर संख्या -40

ग्राम पंचायत दलेलगंज विकास खण्ड खलीलाबाद के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ; ग्राम पंचायत- दलेलगंज में 15वां वित्त से दिनांक 30-09-2020 को सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य हेतु मे० जी०पी० कांस्ट्रक्शन को सामग्री क्रय हेतु ₹0 346000-00 भुगतान किया है। लेखा परीक्षा में उक्त पत्राविलियों के प्रस्तुत नहीं किए जाने से यह स्पष्ट नहीं हो सका कि इन कार्यों पर मजदूरी भुगतान कैसे किया गया तथा निर्माण हेतु क्या प्रक्रिया अपनायी गयी। उल्लेखनीय है कि उक्त कार्य पर वर्ष दौरान न तो 15वें वित्त से और न ही पंचम राज्य वित्त से ही मजदूरी पर कोई भुगतान किया है। इससे स्पष्ट है कि मात्र सामग्री क्रय के फर्जी वाउचर से ₹0346000-00 की निकासी कर धन का अपहरण तत्कालीन सचिव सुश्री पुनीता विश्वकर्मा एवं प्रधान श्रीमती पूनम द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
346000-00	-	-	346000-00

प्रस्तर संख्या -41

ग्राम पंचायत जोरवा विकास खण्ड खलीलाबाद के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि -दिनांक 09-07-2020 को ₹0 20700-00 मे०एस०के० टेडर्स को ग्राम पंचायत जोरवा में आठ अदद इंडिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत कार्य पर व्यय हेतु भुगतान किया गया है जिसपर निम्न तथ्य प्रकाश में आए-

- 1- लेखा परीक्षा में कार्यवाही पंजी प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे हैण्डपम्पों के खराब होने तथा उनके स्थान की जानकारी नहीं हो सकी। उल्लेखनीय है कि मरम्मत किए गए हैण्डपम्पों के स्थान का विवरण भी पत्रावली में संलग्न नहीं रहा।
 - 2- हैण्डपम्प मरम्मत हेतु प्राक्कलन तथा किए गए व्यय पर ग्राम पंचायत की जल प्रबन्धन समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक है जो कि नहीं लिया गया है।
1. उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि बिना कार्य कराए मात्र वाउचर संलग्न कर फर्म की मिलीभगत से ₹0 20700-00 का अपहरण तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव सुश्री निधि मिश्रा तथा ग्राम प्रधान श्री रामवृक्ष द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
20700-00	-	-	20700-00

प्रस्तर संख्या -42

ग्राम पंचायत नेहिया खुर्द बुजुर्ग वि०ख० खलीलाबाद के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत- नेहिया खुर्द बुजुर्ग वि०ख०-खलीलाबाद के वर्ष 2020-21 में निधि प्रथम में कुल व्यय धनराशि ₹0 1106831.00 (ई०ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार) के सापेक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव/ ग्राम

प्रधान द्वारा कोई भी अभिलेख उपलब्ध न कराने के कारण पुष्टि नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु पंचायतीराज विभाग, 50प्र0 द्वारा जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा-8(क) में प्रावधान है कि-यदि दर्शाए गए व्यय के सन्दर्भ में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव, ग्राम पंचायत से की जाएगी।

अतः ईग्राम स्वराज पर दर्शित ग्राम पंचायत- नेहिया खुर्द बुजुर्ग के वर्ष-2020-21 में व्यय की गयी धनराशि ₹0 1106831.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री कौशल कुमार सिंह, प्रशासक श्री राम सुमिरन, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत एवं ग्राम प्रधान श्री राजीव कुमार से नियमानुसार संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
1106831.00	-	-	1106831.00

प्रस्तर संख्या -43

ग्राम पंचायत दरुआजप्ती अदालत वि0ख0 खलीलाबाद के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत- दरुआजप्ती अदालत वि0ख0-खलीलाबाद के वर्ष 2020-21 में निधि प्रथम में कुल व्यय धनराशि ₹0 513480.00 (ई0ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार) के सापेक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव/ ग्राम प्रधान द्वारा कोई भी अभिलेख उपलब्ध न कराने के कारण पुष्टि नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु पंचायतीराज विभाग, 50प्र0 द्वारा जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा-8(क) में प्रावधान है कि-यदि दर्शाए गए व्यय के सन्दर्भ में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव, ग्राम पंचायत से की जाएगी।

अतः ईग्राम स्वराज पर दर्शित ग्राम पंचायत- दरुआजप्ती अदालत के वर्ष-2020-21 में व्यय की गयी धनराशि ₹0 513480.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री कौशल कुमार सिंह, प्रशासक श्री राम सुमिरन, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत एवं ग्राम प्रधान श्री अशोक कुमार से नियमानुसार संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
513480.00	-	-	513480.00

प्रस्तर संख्या -44

ग्राम पंचायत धरैची विकास खण्ड खलीलाबाद के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत- धरैची वि0ख0-खलीलाबाद के वर्ष 2020-21 में निधि प्रथम में कुल व्यय धनराशि ₹0 471260.00 (ई0ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार) के सापेक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव/ ग्राम प्रधान द्वारा कोई भी अभिलेख उपलब्ध न कराने के कारण पुष्टि नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु पंचायतीराज विभाग, 50प्र0 द्वारा जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा-8(क) में प्रावधान है कि-यदि दर्शाए गए व्यय के सन्दर्भ में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव, ग्राम पंचायत से की जाएगी।

अतः ईग्राम स्वराज पर दर्शित ग्राम पंचायत- धरैची के वर्ष-2020-21 में व्यय की गयी धनराशि ₹0 471260.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री कौशल कुमार सिंह, प्रशासक श्री राम सुमिरन, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत एवं ग्राम प्रधान श्री अंजनी से नियमानुसार संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
471260.00	-	-	471260.00

प्रस्तर संख्या -45

ग्राम पंचायत पोपया विकास खण्ड खलीलाबाद के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत पोपया में चौदहवां वित्त से बड़ी नहर पुलिया से रामप्रीत के खेत तक खंडजा मरम्मत कार्य पर निम्नानुसार व्यय दर्शित है-

1-	01-10-2020	रु0 60000-00	आराध्या कंस्टक्शन-	सामग्री क्रय
2-	01-10-2020	रु0 20000-00	ज्ञान बहादुर -	मजदूरी

योग- रु0 80000-00

लेखा परीक्षा जांच में उक्त व्यय से सम्बंधित पत्रावली मांगोपरान्त भी प्रस्तुत नहीं की गयी और न ही एम0बी0 तथा मस्टररोल ही प्रस्तुत किया गया। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिलीभगत से ऑनलाइन फर्जी कार्य अपलोड कर रु0 80000-00 का अपहरण तत्कालीन सचिव श्री अश्विनी कुमार गौतम तथा ग्राम प्रधान श्रीज्ञान बहादुर द्वारा कर लिया गया है जिनसे नियमानुसार वसूली की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
80000-00	-	-	80000-00

.प्रस्तर संख्या -46

ग्राम पंचायत नौहट में वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत नौहट में वर्ष-2020-21 में निम्नलिखित विवरणानुसार हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर पर व्यय दर्शित है-

क्र0 सं0	दिनांक	धनराशि	फर्म का नाम	कार्य का नाम
1	01-10-2020	32500-	अभिनव ट्रेडर्स	इंडिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत
2	01-10-2020	7000-	अभिनव ट्रेडर्स	इंडिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत
3	01-10-2020	42000-	अभिनव ट्रेडर्स	इंडिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत
4	01-10-2020	35000-	अभिनव ट्रेडर्स	इंडिया मार्का हैण्डपम्प रिबोर
	योग	116500-		

उक्त व्यय के संदर्भ में निम्न तथ्य प्रकाश में आए-

- 1- लेखा परीक्षा में कार्यवाही पंजी प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे हैण्डपम्पों के खराब होने तथा उनके स्थान की जानकारी नहीं हो सकी। उल्लेखनीय है कि मरम्मत/रिबोर किए गए हैण्डपम्पों के स्थान का विवरण भी पत्रावली में संलग्न नहीं रहा।
- 2- हैण्डपम्प मरम्मत हेतु प्राक्कलन तथा किए गए व्यय पर ग्राम पंचायत की जल प्रबन्धन समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक है जो कि नहीं लिया गया है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि बिना कार्य कराए मात्र वाउचर संलग्न कर फर्म की मिलीभगत से रु0 116500-00 का अपहरण तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री राजमन तथा ग्राम प्रधान श्रीमती उत्तम देवी द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित नियमानुसार वसूली की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
116500-00	-	-	116500-00

. प्रस्तर संख्या -47

ग्राम पंचायत नौहट वि0ख0 खलीलाबाद के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया किग्राम पंचायत नौहट की कोषबही में दिनांक- 24-04-2020 को रु0 48500-00 का भुगतान बावत कालीजी के स्थान से रामलौट के घर तक ईंट रोड़ा पटाई कार्य, फर्म एवं मजदूरों को न कर ग्राम प्रधान श्रीमती उत्तमदेवी द्वारा स्वयं प्राप्त कर लिया गया है। लेखा परीक्षा में समग्री क्रय तथा कराए गए कार्य का मस्टररोल भी प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः स्पष्ट है कि बिना कार्य कराए उक्त धन का अपहरण तत्कालीन प्रधान श्रीमती उत्तम देवी तथा सचिव श्री राजमन द्वारा कर लिया गया है जिसकी नियमानुसार वसूली की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग

48500-00	-	-	48500-00

.. प्रस्तर संख्या -48

ग्राम पंचायत भैंसहिया वि०ख० खलीलाबाद के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत- भैंसहिया वि०ख०-खलीलाबाद के वर्ष 2020-21 में निधि प्रथम में कुल व्यय धनराशि ₹0 424950.00 (ई०ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार) के सापेक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव/ ग्राम प्रधान द्वारा कोई भी अभिलेख उपलब्ध न कराने के कारण पुष्टि नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु पंचायतीराज विभाग, 30 प्र० द्वारा जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा-8(क) में प्रावधान है कि-यदि दर्शाए गए व्यय के सन्दर्भ में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव, ग्राम पंचायत से की जाएगी।

अतः ईग्राम स्वराज पर दर्शित ग्राम पंचायत- भैंसहिया के वर्ष-2020-21 में व्यय की गयी धनराशि ₹0 424950.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री आनन्द कुमार, प्रशासक श्री राम सुमिरन, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत एवं ग्राम प्रधान श्री अजय कुमार से नियमानुसार संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
424950.00	-	-	424950.00

.. प्रस्तर संख्या -49

ग्राम पंचायत बरईपार पैठान विकास खण्ड खलीलाबाद के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत- बरईपार पैठान वि०ख०-खलीलाबाद के वर्ष 2020-21 में निधि प्रथम में कुल व्यय धनराशि ₹0 886022.00 (ई०ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार) के सापेक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव/ ग्राम प्रधान द्वारा कोई भी अभिलेख उपलब्ध न कराने के कारण पुष्टि नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु पंचायतीराज विभाग, 30 प्र० द्वारा जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा-8(क) में प्रावधान है कि-यदि दर्शाए गए व्यय के सन्दर्भ में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव, ग्राम पंचायत से की जाएगी।

अतः ईग्राम स्वराज पर दर्शित ग्राम पंचायत- बरईपार पैठान के वर्ष-2020-21 में व्यय की गयी धनराशि ₹0 886022.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री कौशल कुमार सिंह, प्रशासक श्री राम सुमिरन, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत एवं ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम देवी से नियमानुसार संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
886022.00	-	-	886022.00

.. प्रस्तर संख्या -50

ग्राम पंचायत भगठान विकास खण्ड खलीलाबाद के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत भगठान में रूदल के खेत से पिचरोड तक खड़जा मरम्मत कार्य पर चतुर्थ राज्य वित्त से दिनांक-13-06-2020 को ₹0 75075-00 आदिशक्ति ब्रिकफील्ड को सामग्री क्रय पर भुगतान किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में उपरोक्त कार्य पर मजदूरी भुगतान किए जाने का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे स्पष्ट है कि बिना कार्य कराए फर्जी खरीद मात्र दर्शित कर फर्म की मिलीभगत से ₹0 75075-00 का अपहरण तत्कालीन सचिव सुश्री सुनीता मिश्रा तथा प्रधान श्रीमती बोदामा द्वारा कर लिया गया है जिनसे नियमानुसार संयुक्त रूप से वसूली की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
75075-00	-	-	75075-00

..

प्रस्तर संख्या -51

ग्राम पंचायत फेरुसा वि०ख० खलीलाबाद के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि

ग्राम पंचायत- फेरुसा वि०ख०-खलीलाबाद के वर्ष 2020-21 में निधि प्रथम में कुल व्यय धनराशि ₹0 429240.00 (ई०ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार) के सापेक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव/ ग्राम प्रधान द्वारा कोई भी अभिलेख उपलब्ध न कराने के कारण पुष्टि नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु पंचायतीराज विभाग, उ०प्र० द्वारा जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा-8(क) में प्रावधान है कि-यदि दर्शाए गए व्यय के सन्दर्भ में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव, ग्राम पंचायत से की जाएगी।

अतः ईग्राम स्वराज पर दर्शित ग्राम पंचायत- फेरुसा के वर्ष-2020-21 में व्यय की गयी धनराशि ₹0 429240.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री कौशल कुमार सिंह, प्रशासक श्री राम सुमिरन, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत एवं ग्राम प्रधान श्रीमती सुमन उर्फ बेबी से नियमानुसार संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
429240.00	-	-	429240.00

प्रस्तर सं० -52

ग्राम पंचायत महादेवा विकास खण्ड खलीलाबाद के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत महादेवा में चतुर्थ राज्य वित्त से बिना विवरण का निम्नानुसार व्यय दर्शित है-

1- 04-09-2020	₹0 62000-00	आराध्या कंस्ट्रक्शन-	सामग्री क्रय
2- 04-09-2020	₹0 48000-00	,, ,,	सामग्री क्रय
3- 04-09-2020	₹0 40000-00	मीरा देवी	मजदूरी

योग- ₹0 150000-00

लेखा परीक्षा जांच में उक्त व्यय से सम्बंधित पत्रावली मांगोपरान्त भी प्रस्तुत नहीं की गयी और न ही एम०बी० तथा मस्टररोल ही प्रस्तुत किया गया जिससे यह ज्ञात न हो सका कि वास्तव में व्यय किस कार्य पर किया गया है। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिलीभगत से ऑनलाइन फर्जी कार्य अपलोड कर ₹0 150000-00 का अपहरण तत्कालीन सचिव श्री अश्विनी कुमार गौतम तथा ग्राम प्रधान श्रीमती मीरा देवी द्वारा कर लिया गया है जिनसे नियमानुसार वसूली की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
150000-00	-	-	150000-00

प्रस्तर सं० -53

ग्रामपंचायत महुआर वि०ख० खलीलाबाद के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत- महुआर वि०ख०-खलीलाबाद के वर्ष 2020-21 में निधि प्रथम में कुल व्यय धनराशि ₹0 382688.00 (ई०ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार) के सापेक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव/ ग्राम प्रधान द्वारा कोई भी अभिलेख उपलब्ध न कराने के कारण पुष्टि नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु पंचायतीराज विभाग, उ०प्र० द्वारा जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा-8(क) में प्रावधान है कि-यदि दर्शाए गए व्यय के सन्दर्भ में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव, ग्राम पंचायत से की जाएगी।

अतः ईग्राम स्वराज पर दर्शित ग्राम पंचायत- महुआर के वर्ष-2020-21 में व्यय की गयी धनराशि ₹0 382688.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री कौशल कुमार सिंह, प्रशासक श्री राम सुमिरन, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत एवं ग्राम प्रधान श्रीमती मालती से नियमानुसार संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
382688.00	-	-	382688.00

प्रस्तर सं० -54

ग्राम पंचायत मीरगंज विकास खण्ड खलीलाबाद के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत मीरगंज के ऑनलाइन अभिलेखों की जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि चतुर्थ राज्य वित्त से दिनांक-19-08-2020 को ₹0 75000-00 अभिवन ट्रेडर्स सप्लायर को शौचालय निर्माण कार्य हेतु सामग्री का भुगतान किया गया है। उक्त के सापेक्ष निर्माण पत्रावली अप्रस्तुत रही। उल्लेखनीय है कि जांच में यह तथ्य भी प्रकाश में आया कि पूरे वर्ष दौरान उक्त कार्य पर कोई मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है। अतः बिना कार्य कराए मात्र सामग्री क्रय का फर्जी वाउचर लगाकर फर्म की मिलीभगत से ₹075000-00 का अपहरण तत्कालीन सचिव श्री अभय प्रताप सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री सर्वेश कुमार द्वारा कर लिया गया है जिनसे नियमानुसार वसूली की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
75000-00	-	-	75000-00

प्रस्तर सं0 -55

ग्राम पंचायत मीरगंज विकास खण्ड खलीलाबाद के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि बृजेन्द्र मार्य के घर से पंचायत भवन तक इंटरलाकिंग कार्य पर ऑनलाइन अभिलेखों में निम्न विवरणानुसार भुगतान दर्शित है-

22-11-2020	₹0- 130907.00	अभिवन ट्रेडर्स सप्लायर
24-12-2020	₹0- 30422.00	अभिवन ट्रेडर्स सप्लायर
24-12-2020	₹0- 21871.00	अभिवन ट्रेडर्स सप्लायर

उक्त की जांच में निम्न आपत्तियां प्रकाश में आईं-

- 1- लेखा परीक्षा में मूल पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी।
- 2- कार्य पर मात्र सामग्री क्रय हेतु भुगतान किया गया है, वर्ष दौरान मजदूरी पर कोई भुगतान नहीं किया है।
- 3- मस्टररोल एवं कार्यपूर्ति के अभाव में कार्य कराये जाने की पुष्टि नहीं की जा सकी। उल्लेखनीय है कि ऑनलाइन अपलोड की गयी स्कन्ध पंजिका में भी उक्त क्रय स्टॉक का अंकन नहीं किया गया है।

अतः स्पष्ट है कि बिना सामग्री क्रय एवं कार्य कराये फर्म की मिलीभगत से फर्जी क्रय प्रमाणक लगाकर ₹0- 183200.00 की निकासी कर धन का अपहरण तत्कालीन सचिव श्री अभय प्रताप सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री सर्वेश कुमार द्वारा कर लिया गया है जिनसे नियमानुसार वसूली की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
183200.00	-	-	183200.00

प्रस्तर सं0 -56

ग्राम पंचायत मोहिदीनपुर वि0ख0 खलीलाबाद के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत-मोहिउद्दीनपुर वि0ख0-खलीलाबाद के वर्ष 2020-21 में निधि प्रथम में कुल व्यय धनराशि ₹0 230149.00 (ई0ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार) के सापेक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव/ ग्राम प्रधान द्वारा कोई भी अभिलेख उपलब्ध न कराने के कारण पुष्टि नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु पंचायतीराज विभाग,उ0प्र0 द्वारा जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा-8(क) में प्रावधान है कि-यदि दर्शाए गए व्यय के सन्दर्भ में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव, ग्राम पंचायत से की जाएगी।

अतः ईग्राम स्वराज पर दर्शित ग्राम पंचायत- मोहिउद्दीनपुर के वर्ष-2020-21 में व्यय की गयी धनराशि ₹0 230149.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री जगलाल, प्रशासक श्री राम सुमिरन, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत एवं ग्राम प्रधान श्रीमती शाकिरा जमाल से नियमानुसार संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग

230149.00	-	-	230149.00

प्रस्तर सं0-57

ग्राम पंचायत रसूलाबाद वि०ख० खलीलाबाद के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत- रसूलाबाद वि०ख०-खलीलाबाद के वर्ष 2020-21 में निधि प्रथम में कुल व्यय धनराशि ₹0 1273208.00 (ई०ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार) के सापेक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव/ ग्राम प्रधान द्वारा कोई भी अभिलेख उपलब्ध न कराने के कारण पुष्टि नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु पंचायतीराज विभाग, 30प्र० द्वारा जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा-8(क) में प्रावधान है कि-यदि दर्शाए गए व्यय के सन्दर्भ में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव, ग्राम पंचायत से की जाएगी।

अतः ईग्राम स्वराज पर दर्शित ग्राम पंचायत- रसूलाबाद के वर्ष-2020-21 में व्यय की गयी धनराशि ₹0 1273208.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती सुनीता मिश्रा, प्रशासक श्री राम सुमिरन, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत एवं ग्राम प्रधान श्रीमती बिन्दावती देवी से नियमानुसार संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
1273208.00	-	-	1273208.00

प्रस्तर सं0-58

ग्राम पंचायत रसूलपुर वि०ख० खलीलाबाद के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि - ग्राम पंचायत- रसूलपुर वि०ख०-खलीलाबाद के वर्ष 2020-21 में निधि प्रथम में कुल व्यय धनराशि ₹0 296019.00 (ई०ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार) के सापेक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव/ ग्राम प्रधान द्वारा कोई भी अभिलेख उपलब्ध न कराने के कारण पुष्टि नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु पंचायतीराज विभाग, 30प्र० द्वारा जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा-8(क) में प्रावधान है कि-यदि दर्शाए गए व्यय के सन्दर्भ में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव, ग्राम पंचायत से की जाएगी।

अतः ईग्राम स्वराज पर दर्शित ग्राम पंचायत- रसूलपुर के वर्ष-2020-21 में व्यय की गयी धनराशि ₹0 296019.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री आनन्द कुमार, प्रशासक श्री राम सुमिरन, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत एवं ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह से नियमानुसार संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
296019.00	-	-	296019.00

प्रस्तर सं0-59

ग्राम पंचायत रामपुर वि०ख० खलीलाबाद के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत- रामपुर वि०ख०-खलीलाबाद के वर्ष 2020-21 में निधि प्रथम में कुल व्यय धनराशि ₹0 1092048.00 (ई०ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार) के सापेक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव/ ग्राम प्रधान द्वारा कोई भी अभिलेख उपलब्ध न कराने के कारण पुष्टि नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु पंचायतीराज विभाग, 30प्र० द्वारा जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा-8(क) में प्रावधान है कि-यदि दर्शाए गए व्यय के सन्दर्भ में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव, ग्राम पंचायत से की जाएगी।

अतः ईग्राम स्वराज पर दर्शित ग्राम पंचायत- रामपुर के वर्ष-2020-21 में व्यय की गयी धनराशि ₹0 1092048.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री आनन्द कुमार, प्रशासक श्री राम सुमिरन, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत एवं ग्राम प्रधान श्री इमिरता से नियमानुसार संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग

1092048.00	-	-	1092048.00

प्रस्तर सं0-60

ग्राम पंचायत विश्वनाथपुर वि0ख0 खलीलाबाद के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत-विश्वनाथपुर वि0ख0-खलीलाबाद के वर्ष 2020-21 में निधि प्रथम में कुल व्यय धनराशि ₹0 1596788.00 (ई0ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार) के सापेक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव/ ग्राम प्रधान द्वारा कोई भी अभिलेख उपलब्ध न कराने के कारण पुष्टि नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु पंचायतीराज विभाग,उ0प्र0 द्वारा जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा-8(क) में प्रावधान है कि-यदि दर्शाए गए व्यय के सन्दर्भ में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव, ग्राम पंचायत से की जाएगी।

अतः ईग्राम स्वराज पर दर्शित ग्राम पंचायत- विश्वनाथपुर के वर्ष-2020-21 में व्यय की गयी धनराशि ₹0 1596788.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री कौशल कुमार सिंह, प्रशासक श्री राम सुमिरन, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत एवं ग्राम प्रधान श्री छेदीलाल से नियमानुसार संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
1596788.00	-	-	1596788.00

प्रस्तर सं0-61

ग्राम पंचायत - विषयाहन्नु वि0ख0 खलीलाबाद के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत-बिसयाहन्नु वि0ख0-खलीलाबाद के वर्ष 2020-21 में निधि प्रथम में कुल व्यय धनराशि ₹0 2733370.00 (ई0ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार) के सापेक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव/ ग्राम प्रधान द्वारा कोई भी अभिलेख उपलब्ध न कराने के कारण पुष्टि नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु पंचायतीराज विभाग,उ0प्र0 द्वारा जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा-8(क) में प्रावधान है कि-यदि दर्शाए गए व्यय के सन्दर्भ में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव, ग्राम पंचायत से की जाएगी।

अतः ईग्राम स्वराज पर दर्शित ग्राम पंचायत- बिसयाहन्नु के वर्ष-2020-21 में व्यय की गयी धनराशि ₹0 2733370.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री आनन्द कुमार, प्रशासक श्री राम सुमिरन, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत एवं ग्राम प्रधान श्री बलदेव से नियमानुसार संयुक्त से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम प्रधान श्री छेदीलाल से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
2733370.00	-	-	2733370.00

प्रस्तर सं0-62

ग्राम पंचायत रानीपार वि0ख0 खलीलाबाद के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि - ग्राम पंचायत रानीपार में चतुर्थ राज्य वित्त से निम्नलिखित विवरणानुसार हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर पर अभिनव ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर को भुगतान किया गया है-

दि0 01-10-2020 ₹032500-00 हैण्डपम्प रिबोर हेतु

दि0 01-10-2020 ₹032500-00 हैण्डपम्प रिबोर हेतु

योग-	₹065000-00

उक्त की लेखा परीक्षा जांच में निम्न आपत्तियां प्रकाश में आयीं-

- 1- हैण्डपम्प रिबोर से सम्बंधित पत्रावली लेखा परीक्षा जांच में प्रस्तुत नहीं की गयी।
- 2- लेखा परीक्षा में उक्त कार्य से सम्बंधित कार्यवाही प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि वास्तव में उक्त हैण्डपम्प के रिबोर की आवश्यकता थी अथवा नहीं।
- 3- उक्त कार्य का अनुमोदन ग्राम पंचायत की जलप्रबन्ध समिति से नहीं लिया गया जिससे उक्त पर किए गए व्यय का औचित्य लेखा परीक्षा में सिद्ध नहीं किया जा सका।

- 4- हैण्डपम्प रिबोर के उपरान्त प्राप्त खराब सामानों को मृत स्कन्ध पंजी अथवा स्क्रेप पंजी में अंकित करते हुए उक्त की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
- 5- हैण्डपम्पों के रिबोर के सम्बन्ध में जारी शासनादेश सं0- 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक- 19 जून 2017 के प्रस्तर-1 के अनुसार हैण्डपम्प रिबोरिंग के लिए ग्राम पंचायत जल निगम द्वारा पूर्व में तैयार की गयी प्रतीक्षा सूची को आधार मानते हुए हैण्डपम्प रिबोरिंग के कार्यों को सर्वप्रथम संतृप्त किया जाएगा। लेखा परीक्षा में न तो उक्त प्रतीक्षा सूची प्रस्तुत की गयी और न ही इस आशय का कोई अन्य प्रपत्र ही प्रस्तुत किया गया।

अतः स्पष्ट है कि बिना कार्य कराए रु0 65000-00 का अपहरण तत्कालीन सचिव श्रीमती रजनी सिंह तथा ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता द्वारा कर लिया गया है जिनसे नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
65000-00	-	-	65000-00

प्रस्तर सं0-63

ग्राम पंचायत रानीपार वि0ख0 खलीलाबाद के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि चतुर्थ राज्य वित्त से ग्राम पंचायत रानीपार के नैनीडीहा में भुवरिया मार्ग से सुरेश के घर तक इंटरलॉकिंग मरम्मत कार्य पर 67063.00 अभिनव ट्रेडर्स को सामग्री क्रय का भुगतान किया गया है। उक्त कार्य पर मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया और बिना मजदूरी के कार्य किस प्रकार कराया गया इसका औचित्य लेखा परीक्षा में सिद्ध नहीं किया जा सका। अतः फर्म की मिली भगत से रु 67063.00 का अपहरण तत्कालीन सचिव श्रीमति रजनी सिंह तथा ग्राम प्रधान श्रीमति सुनीता द्वारा कर लिया गया है जिनसे नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
67063.00	-	-	67063.00

प्रस्तर सं0-64

ग्राम पंचायत शिवशंकर पुर वि0ख0 खलीलाबाद के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत शिवशंकर पुर में 15वां वित्त से दिनांक 26-11-2020 को सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य हेतु मे0 जी0पी0 कांस्ट्रक्शन को सामग्री क्रय हेतु रु0 220000-00 भुगतान किया है। लेखा परीक्षा में उक्त पत्राविलियों के प्रस्तुत नहीं किए जाने से यह स्पष्ट नहीं हो सका कि इन कार्यों पर मजदूरी भुगतान कैसे किया गया तथा निर्माण हेतु क्या प्रक्रिया अपनायी गयी। उल्लेखनीय है कि उक्त कार्य पर वर्ष दौरान न तो 15वें वित्त से और न ही पंचम राज्य वित्त से ही मजदूरी पर कोई भुगतान किया है। इससे स्पष्ट है कि मात्र सामग्री क्रय के फर्जी वाउचर से रु0220000-00 की निकासी कर धन का अपहरण तत्कालीन सचिव श्री विनय कुमार एवं प्रधान श्री आशुतोष द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
220000-00	-	-	220000-00

प्रस्तर सं0-65

ग्राम पंचायत सिकरी वि0ख0 खलीलाबाद के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत सिकरी में चतुर्थ राज्य वित्त से रु033500- प्रति हैण्डपम्प की दर से कुल 05 हैण्डपम्प रिबोर हेतु दिनांक-09-05-2020 को रु0167500-00 का भुगतान राज कांस्ट्रक्शन्स बिल्डिंग मैटीरियल एण्ड सप्लायर को किया जाना कैशबुक में दर्शित है। उक्त की लेखा परीक्षा जांच में निम्न आपत्तियां प्रकाश में आयीं-

- 1- लेखा परीक्षा में हैण्डपम्प रिबोर पत्रावली अप्रस्तुत रही जिससे उसकी शासनादेश द्वारा निर्धारित दर एवं स्थान तथा वाउचर आदि की पुष्टि नहीं हो सकी।
- 2- लेखा परीक्षा में उक्त कार्य से सम्बंधित कार्यवाही प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि वास्तव में उक्त हैण्डपम्प के मरम्मत अथवा रिबोर की आवश्यकता थी अथवा नहीं।

- 3- उक्त कार्यों का अनुमोदन ग्राम पंचायत की जलप्रबन्ध समिति से नहीं लिया गया जिससे उक्त पर किए गए व्यय का औचित्य लेखा परीक्षा में सिद्ध नहीं किया जा सका।
- 4- हैण्डपम्प रिबोर के उपरान्त प्राप्त खराब सामानों को मृत स्कन्ध पंजी अथवा स्क्रेप पंजी में अंकित करते हुए उक्त की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
- 5- हैण्डपम्पों के रिबोर के सम्बन्ध में जारी शासनादेश सं0- 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक- 19 जून 2017 के प्रस्तर-1 के अनुसार हैण्डपम्प रिबोरिंग के लिए ग्राम पंचायत जल निगम द्वारा पूर्व में तैयार की गयी प्रतीक्षा सूची को आधार मानते हुए हैण्डपम्प रिबोरिंग के कार्यों को सर्वप्रथम संतुष्ट किया जाएगा। लेखा परीक्षा में न तो उक्त प्रतीक्षा सूची प्रस्तुत की गयी और न ही इस आशय का कोई अन्य प्रपत्र ही प्रस्तुत किया गया।

अतः स्पष्ट है कि बिना कार्य कराए रु0 167500-00 का अपहरण तत्कालीन सचिव श्रीमती सुनीता मिश्रा तथा ग्राम प्रधान श्रीमती गुडिया द्वारा कर लिया गया है जिनसे नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
167500-00	-	-	167500-00

प्रस्तर सं0-66

ग्राम पंचायत सिकरी वि0ख0 खलीलाबाद के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत सिकरी में पंचम राज्य वित्त से रु035400- प्रति हैण्डपम्प की दर से कुल 07 हैण्डपम्प रिबोर हेतु दिनांक-26-03-2021 को रु0247800-00 का भुगतान राज कांस्ट्रक्शन्स बिल्डिंग मैटीरियल एण्ड सप्लायर को किया जाना कैशबुक में दर्शित है। उक्त की लेखा परीक्षा जांच में निम्न आपत्तियां प्रकाश में आयीं-

- 1- लेखा परीक्षा में हैण्डपम्प रिबोर पत्रावली अप्रस्तुत रही जिससे उसकी शासनादेश द्वारा निर्धारित दर तथा वाउचर आदि की पुष्टि नहीं हो सकी।
- 2- लेखा परीक्षा में उक्त कार्य से सम्बंधित कार्यवाही प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि वास्तव में उक्त हैण्डपम्प के मरम्मत अथवा रिबोर की आवश्यकता थी अथवा नहीं।
- 3- उक्त कार्यों का अनुमोदन ग्राम पंचायत की जलप्रबन्ध समिति से नहीं लिया गया जिससे उक्त पर किए गए व्यय का औचित्य लेखा परीक्षा में सिद्ध नहीं किया जा सका।
- 4- हैण्डपम्प रिबोर के उपरान्त प्राप्त खराब सामानों को मृत स्कन्ध पंजी अथवा स्क्रेप पंजी में अंकित करते हुए उक्त की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
- 5- हैण्डपम्पों के रिबोर के सम्बन्ध में जारी शासनादेश सं0- 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक- 19 जून 2017 के प्रस्तर-1 के अनुसार हैण्डपम्प रिबोरिंग के लिए ग्राम पंचायत जल निगम द्वारा पूर्व में तैयार की गयी प्रतीक्षा सूची को आधार मानते हुए हैण्डपम्प रिबोरिंग के कार्यों को सर्वप्रथम संतुष्ट किया जाएगा। लेखा परीक्षा में न तो उक्त प्रतीक्षा सूची प्रस्तुत की गयी और न ही इस आशय का कोई अन्य प्रपत्र ही प्रस्तुत किया गया।

अतः स्पष्ट है कि बिना कार्य कराए रु0 247800-00 का अपहरण तत्कालीन सचिव श्रीमती सुनीता मिश्रा तथा प्रशासक श्री राम सुमिरन द्वारा कर लिया गया है जिनसे नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
247800-00	-	-	247800-00

प्रस्तर सं0-67

ग्राम पंचायत सेमरा वि0ख0 - खलीलाबाद के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत- सेमरा वि0ख0-खलीलाबाद के वर्ष 2020-21 में निधि प्रथम में कुल व्यय धनराशि रु0 66810.00 (ई0ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार) के सापेक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव/ ग्राम प्रधान द्वारा

कोई भी अभिलेख उपलब्ध न कराने के कारण पुष्टि नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु पंचायतीराज विभाग, उ०प्र० द्वारा जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा-8(क) में प्रावधान है कि-यदि दर्शाए गए व्यय के सन्दर्भ में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव, ग्राम पंचायत से की जाएगी।

अतः ईग्राम स्वराज पर दर्शित ग्राम पंचायत- सेमरा के वर्ष-2020-21 में व्यय की गयी धनराशि ₹0 66810.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री आनन्द कुमार, प्रशासक श्री राम सुमिरन, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत एवं ग्राम प्रधान श्री सुरेन्द्र से नियमानुसार संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
66810.00	-	-	66810.00

प्रस्तर सं०-68

ग्राम पंचायत सिरमोहनी वि०ख० खलीलाबाद के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत सिरमोहनी में चतुर्थ राज्य वित्त से ₹0103608-00 हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर पर जी०पी० कांस्ट्रक्शन को भुगतान किया गया है जिसकी लेखा परीक्षा जांच में निम्न आपत्तियां प्रकाश में आयीं-

- 1- लेखा परीक्षा में उक्त कार्य से सम्बंधित कार्यवाही प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि वास्तव में उक्त हैण्डपम्प के मरम्मत की आवश्यकता थी अथवा नहीं।
- 2- उक्त कार्य का अनुमोदन ग्राम पंचायत की जलप्रबन्ध समिति से नहीं लिया गया जिससे उक्त पर किए गए व्यय का औचित्य लेखा परीक्षा में सिद्ध नहीं किया जा सका।
- 3- मरम्मत किए गए हैण्डपम्पों के स्थान की सत्यापन उपरान्त प्रमाणित सूची लेखा परीक्षा जांच में प्रस्तुत नहीं की गयी।

अतः स्पष्ट है कि बिना कार्य कराए फर्म की मिलीभगत से मात्र फर्जी वाउचर प्रस्तुत कर ₹0 103608-00 का अपहरण तत्कालीन सचिव श्रीमती पुनीता विश्वकर्मा तथा ग्राम प्रधान श्री लोरिक प्रसाद द्वारा कर लिया गया है जिनसे नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
103608-00	-	-	103608-00

प्रस्तर सं०-69

ग्राम पंचायत चकिया विकास खण्ड पौली के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि -1 खाते से दिनांक 4-11-2020 को रुपया 68119.00 निकासी कर उक्त धनराशि को ग्राम पंचायत में इंडिया मार्का हैंडपंप रिबोर कार्य पर व्यय किया जाना कोषबही एवं ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित है। लेखा परीक्षा में उक्त कार्य की कार्य पत्रावली, व्यय प्रमाणक, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र अप्रस्तुत रहने से कार्य कराये जाने के स्थान, जल संसाधन समिति की संस्तुति, इंडिया मार्का हैंडपंप रिबोर कार्य में जल निगम की मार्गदर्शिका का अनुपालन किया गया है या नहीं इत्यादि की जानकारी नहीं हो सकी। अतः उक्त कार्य को कराये जाने की पुष्टि नहीं की जा सकी। व्यय के सापेक्ष जांच में व्यय प्रमाणक, कार्य पत्रावली प्रस्तुत न किया जाना एवं मनमाने रूप से भुगतान किया जाना ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार धन रुपया 68119.00 अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसके लिये ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप उत्तरदायी हैं। अतः धनराशि रुपया 68119.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती कान्ति व तत्कालीन सचिव श्री कुमार रंजन विजय राज से नियमानुसार संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग

68119.00	-	-	68119.00

प्रस्तर सं0-70

ग्राम पंचायत चकिया विकास खण्ड पौली के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि -1 खाते से दिनांक 24-11-2020 को रुपया 19710.00 निकासी कर उक्त धनराशि को ग्राम पंचायत में इंडिया मार्का हैंडपंप मरम्मत कार्य पर व्यय किया जाना कोषबही एवं ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित है। लेखा परीक्षा में उक्त कार्य की कार्य पत्रावली, व्यय प्रमाणक, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र अप्रस्तुत रहने से कार्य कराये जाने के स्थान, इंडिया मार्का हैंडपंप मरम्मत की संख्या, जल संसाधन समिति की संस्तुति इत्यादि की जानकारी नहीं हो सकी। अतः उक्त कार्य को कराये जाने की पुष्टि नहीं की जा सकी। व्यय के सापेक्ष जांच में व्यय प्रमाणक, कार्य पत्रावली प्रस्तुत न किया जाना एवं मनमाने रूप से भुगतान किया जाना ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार धन रुपया 19710.00 अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसके लिये ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः धनराशि रुपया 19710.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती कान्ति व तत्कालीन सचिव श्री कुमार रंजन विजय राज से नियमानुसार संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
19710.00	-	-	19710.00

प्रस्तर सं0-71

ग्राम पंचायत भोतहा विकास खण्ड पौली के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि -1 खाते से 14 वाँ वित्त मद से (ई-ग्राम स्वराज पर फीड विवरण के अनुसार) दिनांक 23-9-2020 को रुपया 19400.00 निकासी कर उक्त धनराशि को ग्राम पंचायत में इंडिया मार्का हैंडपंप मरम्मत कार्य पर व्यय एवं संदीप बिल्डिंग मटेरियल को भुगतान किया जाना ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित है। लेखा परीक्षा में उक्त कार्य की कार्य पत्रावली, व्यय प्रमाणक, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र अप्रस्तुत रहने से कार्य कराये जाने के स्थान, जल संसाधन समिति की संस्तुति इत्यादि की जानकारी नहीं हो सकी। अतः उक्त कार्य को कराये जाने की पुष्टि नहीं की जा सकी। व्यय के सापेक्ष जांच में व्यय प्रमाणक, कार्य पत्रावली प्रस्तुत न किया जाना ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार धन रुपया 19400.00 अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसके लिये ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः धनराशि रुपया 19400.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री राम आशीष व तत्कालीन सचिव श्री धर्मन्द्र कुमार से नियमानुसार संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
19400.00	-	-	19400.00

प्रस्तर सं0-72

ग्राम पंचायत भोतहा विकास खण्ड पौली के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि -1 खाते से 15 वाँ वित्त मद से (ई-ग्राम स्वराज पर फीड विवरण के अनुसार) दिनांक 16-10-2020 को रुपया 135096.00 निकासी कर उक्त धनराशि को ग्राम पंचायत में इंडिया मार्का हैंडपंप रिबोर कार्य पर व्यय एवं संदीप बिल्डिंग मटेरियल को भुगतान किया जाना ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित है। लेखा परीक्षा में उक्त कार्य की कार्य पत्रावली, व्यय प्रमाणक, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र अप्रस्तुत रहने से कार्य कराये जाने के स्थान, जल संसाधन समिति की संस्तुति, इंडिया मार्का हैंडपंप रिबोर कार्य में जल निगम की मार्गदर्शिका का अनुपालन किया गया है या नहीं इत्यादि की जानकारी नहीं हो सकी। अतः उक्त कार्य को कराये जाने की पुष्टि नहीं की जा सकी। व्यय के सापेक्ष जांच में व्यय प्रमाणक, कार्य पत्रावली प्रस्तुत न किया जाना ग्राम पंचायत वित्त व लेखा

मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार धन रुपया 135096.00 अपहरण की श्रेणी में आता है जिसके लिये ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। अतः धनराशि रुपया 135096.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री राम आशीष व तत्कालीन सचिव श्री धर्मेन्द्र कुमार से नियमानुसार संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
135096.00	-	-	135096.00

प्रस्तर स0-73

ग्राम पंचायत शिवबखरी विकास खण्ड पौली के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि 1. ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि निम्न कार्य पर केवल सामग्री की ही खरीद की गई है ,मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है ।

क्र. सं.	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि	प्राप्तकर्ता
1	सूर्य देव के घर से लखन के घर तक एच.पी. नाली निर्माण (15 वाँ वित्त)	13-11-2020	162233.00	प्रताप कन्स्ट्रक्शन
2	नगेन्द्र के घर से तालाब तक एच.पी. नाली निर्माण (14 वाँ/15 वाँ वित्त)	13-11-2020	21105.00	विशाल ब्रिक फील्ड
			165079.00	प्रताप कन्स्ट्रक्शन
			23947.00	सूरज स्टील
	योग		372364.00	

यहाँ उल्लेखनीय है की उक्त कार्यों की कार्य पत्रावली भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही। अतः कार्य की कार्य पत्रावली तथा व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न रहने तथा मजदूरी का भुगतान न करने उक्त कार्य को कराये जाने की पुष्टि नहीं की जा सकी। स्पष्ट है की उक्त कार्यों को न करा कर केवल सामग्री मद में भुगतान कर धन का अपहरण कर लिया गया है । उक्त के लिये ग्राम प्रधान एवं सचिव उत्तरदाई है। अतः धनराशि रुपया 372364.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री कपिल कन्नोजिया व तत्कालीन सचिव श्रीमती शैलजा मिश्र से नियमानुसार संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
372364.00	-	-	372364.00

प्रस्तर स0-74

ग्राम पंचायत शिवबखरी विकास खण्ड पौली के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि

ग्राम निधि -1 खाते से 5वाँ राज्य वित्त मद से दिनांक 14-12-2020 को रुपया 236413.00 निकासी कर उक्त धनराशि को ग्राम पंचायत में इंडिया मार्का हैंडपंप मरम्मत कार्य पर व्यय एवं प्रताप कन्स्ट्रक्शन को भुगतान किया जाना ई -ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित है। लेखा परीक्षा में उक्त कार्य की कार्य पत्रावली, व्यय प्रमाणक ,स्टॉक रजिस्टर ,कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र अप्रस्तुत रहने से कार्य कराये जाने के स्थान , हैंडपंप मरम्मत की संख्या ,जल संसाधन समिति की संस्तुति इत्यादि की जानकारी नहीं हो सकी। अतः उक्त कार्य को कराये जाने की पुष्टि नहीं की जा सकी। व्यय के सापेक्ष जांच में व्यय प्रमाणक, कार्य पत्रावली प्रस्तुत न किया जाना एवं

मनमाने रूप से भुगतान किया जाना ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार धन रुपया 236413.00 अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसके लिये ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः धनराशि रुपया 236413.00 की वसूलीब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री कपिल कन्नोजिया व तत्कालीन सचिव श्रीमती शैलजा मिश्र से नियमानुसार संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
236413.00	-	-	236413.00

प्रस्तर स0-75

ग्राम पंचायत मुठई खुर्द विकास खण्ड पौली के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि -1 खाते से दिनांक 2-7-2020 को रुपया 59134.00 निकासी कर उक्त धनराशि को ग्राम पंचायत में इंडिया मार्का हैंडपंप रिबोर कार्य पर व्यय किया जाना एवं श्री गणेश शिवाय ट्रेडिंग कम्पनी को भुगतान किया जाना ई -ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित है। लेखा परीक्षा में उक्त कार्य की कार्य पत्रावली, व्यय प्रमाणक, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र अप्रस्तुत रहने से कार्य कराये जाने के स्थान, जल संसाधन समिति की संस्तुति, इंडिया मार्का हैंडपंप रिबोर कार्य में जल निगम की मार्गदर्शिका का अनुपालन किया गया है या नहीं इत्यादि की जानकारी नहीं हो सकी। अतः उक्त कार्य को कराये जाने की पुष्टि नहीं की जा सकी। व्यय के सापेक्ष जांच में व्यय प्रमाणक, कार्य पत्रावली प्रस्तुत न किया जाना एवं मनमाने रूप से भुगतान किया जाना ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार धन रुपया 59134.00 अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसके लिये ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः धनराशि रुपया 59134.00 की वसूलीब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री अखिलेश कुमार व तत्कालीन सचिव श्री धर्मेन्द्र कुमार से नियमानुसार संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
59134.00	-	-	59134.00

प्रस्तर स0-76 ग्राम पंचायत सोनहन विकास खण्ड पौली के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि ग्राम पंचायत में निम्न हेतु निम्न विवरण अनुसार भुगतान किया गया है-

क्र. सं.	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि	प्राप्त कर्ता
1	मशीन क्रय	2-4-2020	20000.00	लकी कन्स्ट्रक्शन
2	प्रशासनिक मद	2-4 -2020	25000.00	रफीक अहमद
	योग		45000.00	

लेखा परीक्षा में उक्त व्यय संबंधी कोई भी विवरण, व्यय बाउचर प्रस्तुत नहीं रहा। उक्त के बावत पूछने पर बताया गया कि उक्त भुगतान पूर्व वित्तीय वर्ष 2019-20 का है। परंतु चूंकि भुगतान वित्तीय वर्ष 2020-21 में हुआ है, अतः उक्त व्यय संबंधी व्यय प्रमाणक आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है, जो कि नहीं किया गया। अतः उक्त व्यय के अनिवार्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। व्यय के सापेक्ष जांच में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना एवं मनमाने रूप से भुगतान किया जाना ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार धन रुपया 45000.00 अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसके लिये ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः धनराशि रुपया 45000.00 की वसूलीब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री रफीक अहमद व तत्कालीन सचिव श्री धर्मेन्द्र कुमार से नियमानुसार संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
45000.00	-	-	45000.00

प्रस्तर स0-77

ग्राम पंचायत मझौरा विकास खण्ड पौली के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि

1. ग्राम निधि -1 खाते से दिनांक 19-6-2020 को 14 वाँ वित्त मद से रुपया 19224.00 निकासी कर उक्त धनराशि को ग्राम पंचायत में कूप मरम्मत पर व्यय एवं श्री प्रदीप कुमार को भुगतान किया जाना ई -ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित है। लेखा परीक्षा में उक्त कार्य की कार्य पत्रावली, व्यय प्रमाणक, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र अप्रस्तुत रहने से कार्य कराये जाने के स्थान इत्यादि की जानकारी नहीं हो सकी। अतः उक्त कार्य को कराये जाने की पुष्टि नहीं की जा सकी। व्यय के सापेक्ष जांच में व्यय प्रमाणक, कार्य पत्रावली प्रस्तुत न किया जाना ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार धन रुपया 19224.00 अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसके लिये ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः धनराशि रुपया 19224.00 की वसूलीव्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम व तत्कालीन सचिव श्री अनिल चौधरी से नियमानुसार संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
19224.00	-	-	19224.00

प्रस्तर स0-78

ग्राम पंचायत बरगदवा विकास खण्ड पौली के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा मेपाया गया कि

. माह नवंबर 2020 में रु 20000.00 चतुर्थ राज्य वित्त मद से हैंडपंप मरम्मत कार्य हेतु सुरेन्द्र कुमार कॉन्ट्रेक्टर को दिया जाना ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित है, ग्राम निधि 1 खाते के बैंक स्टेटमेंट से भी उक्त धनराशि के व्यय की पुष्टि होती है, परंतु लेखा परीक्षा में उक्त कार्य की पत्रावली, व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहने से मरम्मत किये गये हैंडपंप की संख्या, स्थान, हैंडपंप मरम्मत कार्य हेतु जल संसाधन समिति की संतुति आदि की जानकारी नहीं की जा सकी। व्यय के सापेक्ष जांच में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार धन के अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसके लिये ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं। अतः रु 20000.00 की वसूलीव्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती कैलाशी देवी व तत्कालीन सचिव श्री संतोष मिश्रा से नियमानुसार संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
20000.00	-	-	20000.00

प्रस्तर सं0-79

ग्राम पंचायत शनीचरा बाजार विकास खण्ड पौली के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा मेपाया गया कि ग्राम निधि -1 खाते से दिनांक 18-12-2020 को रुपया 101312.00 निकासी कर उक्त धनराशि को ग्राम पंचायत में इंडिया मार्का हैंडपंप रिबोर कार्य पर (ओम कन्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर को दिया जाना) व्यय किया जाना कोषबही एवं ई -ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित है। लेखा परीक्षा में उक्त कार्य की कार्य पत्रावली, व्यय प्रमाणक, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र अप्रस्तुत रहने से कार्य कराये जाने के स्थान, जल संसाधन समिति की संस्तुति, इंडिया मार्का हैंडपंप रिबोर कार्य में जल निगम की मार्गदर्शिका का अनुपालन किया गया है या नहीं इत्यादि की जानकारी नहीं हो सकी। अतः उक्त कार्य को कराये जाने की पुष्टि नहीं की जा सकी। व्यय के सापेक्ष जांच में व्यय प्रमाणक, कार्य पत्रावली प्रस्तुत न किया जाना ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार धन रुपया 101312.00 अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसके लिये ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः धनराशि रुपया 101312.00 की वसूलीव्याज सहित ग्राम प्रधान श्री विक्रम व तत्कालीन सचिव श्री संतोष मिश्रा से नियमानुसार संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
101312.00	-	-	101312.00

प्रस्तर सं0-80

ग्राम पंचायत शनीचरा बाजार विकास खण्ड पौली के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा मेपाया गया कि. ग्राम निधि -1 खाते से निम्न विवरण अनुसार ग्राम प्रधान मानदेय निकासी कर कोषबही में दर्शित किया गया है -

क्र. सं.	मानदेय	दिनांक	धनराशि
1	अप्रैल 2018 से मार्च 2019	24-12-2020	42000.00
2	अप्रैल 2019 से मार्च 2020	24-12-2020	42000.00
3	अप्रैल 2020 से नवम्बर 2020	24-12-2020	28000.00

अप्रैल 2018 से मार्च 2019 तथा अप्रैल 2019 से मार्च 2020 का मानदेय रुपया 84000.00 उक्त वित्तीय वर्ष में ना प्राप्त कर वर्ष 2020 में प्राप्त करना एवं अप्रैल 2018 से मार्च 2019 एवं अप्रैल 2019 से मार्च 2020 का मानदेय रुपया 84000.00 प्राप्त न होने की पुष्टि मानदेय रजिस्टर एवं पूर्व वर्ष की कोषबही से न कराना एवं प्रधान कार्य काल समाप्त होने के पूर्व इतनी बड़ी धनराशि मानदेय के रूप में प्राप्त करना संदिग्ध एवं अनियमित रहा। जिस हेतु प्रधान श्री विक्रम व ग्राम पंचायत अधिकारी संतोष मिश्र उत्तरदायी है। प्रकरण विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है। प्रकरण की जांच कर आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
-	-	84000.00	84000.00

प्रस्तर सं0-81

ग्राम पंचायत कोहरियावा विकास खण्ड सेमरियावा के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में प्रियासाफ्ट फिडिंग अनुसार दिनांक -31.3.2021 तक कुल रु. 1790858.00 की निकासी कर व्यय दर्शित किया गया है जिनके कैशबुक बैंक स्टेटमेंट, एम0बी0 रजिस्टर, भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र / कार्यपूति प्रमाण पत्र प्रधान मानदेय रजिस्टर, आदि अभिलेख मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिनके अभाव में दर्शित व्यय की जाँच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी। दर्शित व्यय रु. 1790858.00 के वास्तविकता एवं उपयोगिता आदि की पुष्टि अभिलेखों आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्तीय एवं लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के नियम 8(क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिस हेतु ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी है। अतः उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान फरदाना बेगम व तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार चौधरी से नियमानुसार संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
1790858.00	-	-	1790858.00

प्रस्तर सं0-82

ग्राम पंचायत मुसरद विकास खण्ड सेमरियावा के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में प्रियासाफ्ट फिडिंग अनुसार दिनांक -31.3.2021 तक कुल रु. 507093.00 की निकासी कर व्यय दर्शित किया गया है जिनके कैशबुक बैंक स्टेटमेंट, एम0बी0 रजिस्टर, भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र / कार्यपूति प्रमाण पत्र प्रधान मानदेय रजिस्टर, आदि अभिलेख मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिनके अभाव में दर्शित व्यय की जाँच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी। दर्शित व्यय रु. 507093.00 के वास्तविकता

एवं उपयोगिता आदि की पुष्टि अभिलेखों आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्तीय एवं लेखा मैनुअल के अध्याय – 8 के नियम 8(क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिस हेतु ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी है। अतः उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री चन्द्रशेखर तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शिवमूरत मौर्य से नियमानुसार संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
507093.00	-	-	507093.00

प्रस्तर सं0-83

ग्राम पंचायत छाता विकास खण्ड सेमरियावा के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में प्रियासाफ्ट फिटिंग अनुसार दिनांक -31.3.2021 तक कुल रु. 356349.00 की निकासी कर व्यय दर्शित किया गया है जिनके कैशबुक बैंक स्टेटमेंट, एम0बी0 रजिस्टर, भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र / कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रधान मानदेय रजिस्टर, आदि अभिलेख मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिनके अभाव में दर्शित व्यय की जाँच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी। दर्शित व्यय रु. 356349.00 के वास्तविकता एवं उपयोगिता आदि की पुष्टि अभिलेखों आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्तीय एवं लेखा मैनुअल के अध्याय – 8 के नियम 8(क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिस हेतु ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी है। अतः उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री शब्बीर तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार चौधरी से नियमानुसार संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
356349.00	-	-	356349.00

प्रस्तर सं0-84

ग्राम पंचायत चकमदरुल्लाहविकास खण्ड बघौली के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में प्रियासाफ्ट फिटिंग अनुसार दिनांक -31.3.2021 तक कुल रु. 1149574.00 की निकासी कर व्यय दर्शित किया गया है जिनके कैशबुक बैंक स्टेटमेंट, एम0बी0 रजिस्टर, भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र / कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रधान मानदेय रजिस्टर, आदि अभिलेख मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिनके अभाव में दर्शित व्यय की जाँच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी। दर्शित व्यय रु. 1149574.00 के वास्तविकता एवं उपयोगिता आदि की पुष्टि अभिलेखों आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्तीय एवं लेखा मैनुअल के अध्याय – 8 के नियम 8(क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिस हेतु ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी है। अतः उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती सोनी व तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री चन्द्र प्रकाश से नियमानुसार संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
1149574.00	-	-	1149574.00

प्रस्तर सं0-85

ग्राम पंचायत गंगौलीविकास खण्ड बघौली के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में प्रियासाफ्ट फिटिंग अनुसार दिनांक -31.3.2021 तक कुल रु. 512376.00 की निकासी कर व्यय दर्शित किया गया है जिनके कैशबुक बैंक स्टेटमेंट, एम0बी0 रजिस्टर, भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र / कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रधान मानदेय रजिस्टर, आदि अभिलेख मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिनके अभाव में दर्शित व्यय की जाँच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी। दर्शित व्यय रु. 512376.00 के वास्तविकता एवं

उपयोगिता आदि की पुष्टि अभिलेखों आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्तीय एवं लेखा मैनुअल के अध्याय – 8 के नियम 8(क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिस हेतु ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी है। अतः उक्त धनराशि की वसूलीब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती समीना खातून व तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दिलीप पाण्डेय से नियमानुसार संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
512376.00	-	-	512376.00

प्रस्तर सं0-86

ग्राम पंचायत संठी विकास खण्ड हैसरबाजार के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि -1 की कैशबुक की जाँच में पाया गया कि राज्य वित्त आयोग से दिनांक 3.3.2021 को ग्राम प्रधान का मानदेय रु. 28000.00 भुगतान दर्शित है। उक्त व्यय के औचित्य एवं वास्तविकता की पुष्टि में प्रमाणक / मानदेय रजिस्टर मांगोपरान्त अप्रस्तुत रहा।

इस प्रकार उक्त दर्शित व्यय की वास्तविकता की पुष्टि प्रमाणक / मानदेय रजिस्टर से न कराकर ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम -7 एवं 8 (क) के अनुसार रु. 28000.00 अपहरण किया गया है, जिसकीब्याज सहित वसूली श्री गंगा प्रसाद, प्रधान तथा श्री सुरेश बहादुर सिंह सचिव से नियमानुसार संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
28000.00	-	-	28000.00

प्रस्तर सं0-87

ग्राम पंचायत कोचरी खास विकास खण्ड हैसरबाजार के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि - 1 की कैशबुक की जाँच में पाया गया कि राज्य वित्त आयोग से निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है, जिसके प्रमाणक / मानदेय रजिस्टर लेखा परीक्षा मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं रहे

दिनांक	मद का नाम	धनराशि
15-8-20	पशु आश्रय कर्मियों / गौ सेवको का मानदेय	8000.00
16-9-20	पशु आश्रय कर्मियों / गौ सेवको का मानदेय	8000.00
29-10-20	पशु आश्रय कर्मियों / गौ सेवको का मानदेय	8000.00
18-12-20	पशु आश्रय कर्मियों / गौ सेवको का मानदेय	8000.00
19-12-20	पशु आश्रय कर्मियों / गौ सेवको का मानदेय	8000.00
26-02-20	पशु आश्रय कर्मियों / गौ सेवको का मानदेय	8000.00
	योग	56000.00

लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक / मानदेय रजिस्टर मांगोपरान्त प्रस्तुत न कर दर्शित मानदेय की वास्तविकता एवं व्यय की गई धनराशि की उपयोगिता की पुष्टि नहीं करायी गई।

इस प्रकार उक्त दर्शित व्यय की वास्तविकता एवं उपयोगिता की पुष्टि व्यय प्रमाणको / मानदेय रजिस्टर से न कराकर ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार रु. 56000.00 अपहरण किया गया है, जिसकी वसूलीब्याज सहित श्री सुग्रीव, प्रधान तथा श्री सुरेश बहादुर सिंह, सचिव से नियमानुसार संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग

56000.00	-	-	56000.00

प्रस्तर सं0-88

ग्राम पंचायत नगुआ विकास खण्ड नाथनगर के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि 1 खाता की कैशबुक में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से “ ग्राम पंचायत में सी0सी0 टी0 वी0 कैमरा एवं इंवर्टर , सोलर पैनल की स्थापना का कार्य ” मद में क्रमशः दिनांक 16-7-2020 को रु. 141405.00 तथा दिनांक 3.9.2020 को रु. 58595.00 (कुल रु. 200000.00) भुगतान दर्शित है। लेखा परीक्षा में उक्त व्यय संबंधी प्रमाणक कोटेशन / टेंडर पत्रावली , कार्यपूति प्रमाण पत्र तथा भौतिक अवस्थापना प्रमाण पत्र आदि मांगोपरान्त प्रस्तुत न कर दर्शित कार्यों की वास्तविकता एवं व्यय की गई धनराशि की उपयोगिता की पुष्टि नहीं करायी गयी ।

इस प्रकार उक्त दर्शित व्यय की वास्तविकता एवं उपयोगिता की पुष्टि संबंधित अभिलेखों से न कराकर ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम -7 एवं 8-(क) के अनुसार रु. 200000.00अपहरण किया गया है, जिसकी वसूलीब्याज सहित श्रीमती प्रभा देवी, प्रधान तथा सचिव श्री शिवप्रकाश सिंह से नियमानुसार संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
200000.00	-	-	200000.00

प्रस्तर सं0-89

ग्राम पंचायत गायघाट विकास खण्ड नाथनगर के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि -1 खाता की कैशबुक में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से दिनांक6-7-2020 को ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर इंडिया मार्का हैंड पंप मरम्मत मद में रु. 54813.00 सामग्री तथा रु. 9600.00 मस्टर रोल पर (कुल रु 64413.00) भुगतान दर्शित है। लेखा परीक्षा में उक्त व्यय संबंधी प्रमाणक , जल प्रबन्धन समिति द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव , प्रमाणित कार्यपूति प्रमाण पत्र / स्थलीय सत्यापन प्रमाण पत्र एवं लाभार्थी द्वारा निर्गत कृत कार्य प्रमाण पत्र आदि मांगोपरान्त प्रस्तुत न कर दर्शित कार्यों की वास्तविकता एवं व्यय की गई धनराशि की उपयोगिता की पुष्टि नहीं करायी गई ।इस प्रकार उक्त दर्शित व्यय की वास्तविकता एवं उपयोगिता की पुष्टि संबंधित अभिलेखों से न कराकर ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम -7 एवं 8-(क) के अनुसार रु. 64413.00अपहरण किया गया है, जिसकी वसूली ब्याज सहित श्री अजीत सिंह , प्रधान तथा सचिव श्री रमेश चंद्र से संयुक्त रूप से नियमानुसार की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
64413.00	-	-	64413.00

प्रस्तर सं0-90

ग्राम पंचायत मुखलिसपुर विकास खण्ड नाथनगर के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि -1 खाता की कैशबुक में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से दिनांक 8-9-2020 को “ राम लखन के घर से अयोध्या प्रसाद की बाउंड्री तक इंटर लॉकिंग मरम्मत कार्य ” मद में भुगतान रु. 167061.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में उक्त व्यय संबंधी प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावली व उनसे संबंधित अभिलेख यथा स्टॉक रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर, एम0बी0बुक, कार्यपूति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत न कर दर्शित कार्यों की वास्तविकता एवं व्यय की गई धनराशि की उपयोगिता की पुष्टि नहीं करायी गयी ।

इस प्रकार उक्त दर्शित व्यय की वास्तविकता एवं उपयोगिता की पुष्टि संबंधित अभिलेखों से न कराकर ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम -7 एवं 8(क) के अनुसार

रु. 167061.00 अपहरण किया गया है, जिसकी वसूली ब्याज सहित श्री रामसजीवन, प्रधान तथा सचिव श्री अनिल कुमार सिंह से नियमानुसार संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
167061.00	-	-	167061.00

प्रस्तर सं0-91

ग्राम पंचायत रेवटा विकास खण्ड नाथनगर के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि 1 खाता की कैशबुक में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से दिनांक 6-8-2020 को ग्राम प्रधान को मानदेय भुगतान रु. 42000.00 दर्शित है। उक्त व्यय के वास्तविकता की पुष्टि में प्रमाणक / मानदेय रजिस्टर माँगोपरांत अप्रस्तुत रहा ।

इस प्रकार उक्त दर्शित व्यय की वास्तविकता की पुष्टि प्रमाणक / मानदेय रजिस्टर से न कराकर ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम -7 एवं 8(क) के अनुसार रु. 42000.00 अपहरण किया गया है । जिसकी वसूली ब्याज सहित श्रीमती ऊषा देवी, प्रधान तथा कु0 एकता सिंह, सचिव से नियमानुसार संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
42000.00	-	-	42000.00

प्रस्तर सं0-92

ग्राम पंचायत मझौवा एकडंगा विकास खण्ड नाथनगर के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि 1 की कैशबुक की जांच में पाया गया कि राज्य वित्त आयोग से दिनांक 1.9.2020 को ग्राम प्रधान को मानदेय 20 माह का रु. 70000.00 भुगतान दर्शित है। उक्त व्यय के औचित्य एवं वास्तविकता की पुष्टि में प्रमाणक / मानदेय रजिस्टर माँगोपरांत अप्रस्तुत रहा ।

इस प्रकार उक्त दर्शित व्यय की वास्तविकता की पुष्टि प्रमाणक / मानदेय रजिस्टर से न कराकर ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम -7 एवं 8(क) के अनुसार रु. 70000.00 अपहरण किया गया है । जिसकी वसूली ब्याज सहित श्रीमती राजकुमारी , प्रधान तथा श्री राजदेव शुक्ल सचिव से नियमानुसार संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
70000.00	-	-	70000.00

प्रस्तर सं0-93

ग्राम पंचायत रमवापुर विकास खण्ड बेलहर कला के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि 1 खाते (राज्य वित्त /14 वाँ वित्त) से वित्तीय वर्ष 2020-21 में ई – ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित एकाउंटिंग विवरण के अनुसार कुल रु. 1426800.00 निकासी कर ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर विभिन्न कार्यों में व्यय के रूप में दर्शित किया गया है / ऑनलाईन लेखा परीक्षा प्रक्रिया में लेखा परीक्षा तिथि एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जारी किये जाने की तिथि तक ई – ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित कार्यों एवं उसके सापेक्ष किये गये व्यय संबंधी अभिलेख यथा कैशबुक, वर्ष 2020-21 का ग्राम निधि 1 खाते (राज्य वित्त /14 वाँ वित्त / 15 वाँ वित्त) का बैंक स्टेटमेंट, कार्य प्रस्ताव व स्वीकृति , कार्य पत्रावली , व्यय प्रमाणक , मस्टररोल , कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0, स्टाक बुक, सा0नि0 कार्यरजिस्टर, आदि माँगोपरान्त भी प्रस्तुत न कर ग्राम पंचायत में वर्ष 2020-21 में कराये गये कार्यों (ई – ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित) के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि रु. 1426800.00

के उपयोगिता की पुष्टि नहीं करायी गयी । व्यय के सापेक्ष जाँच में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार धन रु. 1426800.00 अपहरण की श्रेणी में आता है । जिसके लिए ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं। अतः धनराशि रु. 1426800.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती राजकुमारी व तत्कालीन सचिव श्री राजेश पाण्डे एवं देवेश गोस्वामी से नियमानुसार संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
1426800.00	-	-	1426800.00

प्रस्तर सं0-94

ग्राम पंचायत लोहरौली विकास खण्ड बेलहर कला के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि निम्न कार्य पर निम्न विवरण के अनुसार रु. 121646.00 से केवल सामग्री की ही खरीद की गई है , मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है

क्रम सं.	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि	प्राप्तकर्ता
1.	श्री राम यादव के मकान से दशरथ यादव के मकान तक इंटरलाकिंग	1-9-2020	34225.00	देव ट्रेडर्स
			2875.00	सिंह बिल्डिंग मैटेरियल
			84546.00	शिवशक्ति ब्रिक फिल्ड
	योग		121646.00	

यहाँ उल्लेखनीय है कि उक्त कार्यों की कार्य पत्रावली भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही । अतः कार्य पत्रावली तथा व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न रहने तथा मजदूरी का भुगतान न करने से उक्त कार्य को कराये जाने की पुष्टि नहीं की जा सकी । स्पष्ट है कि उक्त कार्य को न करा कर केवल सामग्री मद में भुगतान कर धन का अपहरण कर लिया गया है। उक्त के लिए ग्राम प्रधान एवं सचिव उत्तरदायी है।

अतः धनराशि रु. 121646.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती इसलावती व तत्कालीन सचिव सौरभ चौधरी से नियमानुसार संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
121646.00	-	-	121646.00

प्रस्तर सं0-95

ग्राम पंचायत छपवा विकास खण्ड बेलहर कला के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि 1 खाते (राज्य वित्त /14 वाँ वित्त) से वित्तीय वर्ष 2020-21 में ई – ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित एकाउंटिंग विवरण के अनुसार कुल रु. 1426800.00 निकासी कर ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर विभिन्न कार्यों में व्यय के रूप में दर्शित किया गया है / ऑनलाईन लेखा परीक्षा प्रक्रिया में लेखा परीक्षा तिथि एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जारी किये जाने की तिथि तक ई – ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित कार्यों एवं उसके सापेक्ष किये गये व्यय संबंधी अभिलेख यथा कैशबुक, वर्ष 2020-21 का ग्राम निधि 1 खाते (राज्य वित्त /14 वाँ वित्त / 15 वाँ वित्त) का बैंक स्टेटमेंट, कार्य प्रस्ताव व स्वीकृति , कार्य पत्रावली , व्यय प्रमाणक , मस्टररोल , कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0, स्टॉक बुक, सा0नि0 कार्यरजिस्टर, आदि मांगोपरान्त भी प्रस्तुत न कर ग्राम पंचायत में वर्ष 2020-21 में कराये गये कार्यों (ई – ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित) के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि रु. 873201.00

के उपयोगिता की पुष्टि नहीं करायी गयी । व्यय के सापेक्ष जाँच में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार धन रु. 873201.00 अपहरण की श्रेणी में आता है । जिसके लिए ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं। अतः धनराशि रु. 873201.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री हनुमंत प्रसाद व तत्कालीन सचिव श्री राजेश पाण्डे से नियमानुसार संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
873201.00	-	-	873201.00

प्रस्तर सं० -96

ग्राम पंचायत भेलाखर्ग विकास खण्ड बेलहर कला के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि 1 खाते (राज्य वित्त /14 वाँ वित्त) से वित्तीय वर्ष 2020-21 में ई – ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित एकाउंटिंग विवरण के अनुसार कुल रु. 1149939.00 निकासी कर ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर विभिन्न कार्यों में व्यय के रूप में दर्शित किया गया है / ऑनलाईन लेखा परीक्षा प्रक्रिया में लेखा परीक्षा तिथि एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जारी किये जाने की तिथि तक ई – ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित कार्यों एवं उसके सापेक्ष किये गये व्यय संबंधी अभिलेख यथा कैशबुक, वर्ष 2020-21 का ग्राम निधि 1 खाते (राज्य वित्त /14 वाँ वित्त / 15 वाँ वित्त) का बैंक स्टेटमेंट, कार्य प्रस्ताव व स्वीकृति , कार्य पत्रावली , व्यय प्रमाणक , मस्टररोल , कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एमओबीओ, स्टॉक बुक, साओनिओ कार्यरजिस्टर, आदि मांगोपरान्त भी प्रस्तुत न कर ग्राम पंचायत में वर्ष 2020-21 में कराये गये कार्यों (ई – ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित) के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि रु. 1149939.00 के उपयोगिता की पुष्टि नहीं करायी गयी । व्यय के सापेक्ष जाँच में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार धन रु.1149939.00 अपहरण की श्रेणी में आता है । जिसके लिए ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं। अतः धनराशि रु. 1149939.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती बेलौती व तत्कालीन सचिव श्री सौरभ चौधरी से नियमानुसार संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
1149939.00	-	-	1149939.00

प्रारूप-04
जिला-सिद्धार्थनगर
वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष -20-21

जिला-सिद्धार्थनगर

मण्डल-बस्ती

प्रारूप-04
जिला-सिद्धार्थनगर

ग्राम पंचायत की आपतियाँ

1- ग्राम पंचायत -जिगनिहवा उर्फ धनोहरी लेखा परीक्षा वर्ष-20-21 विकास खंड -बढ़नी

प्रस्तर संख्या.01.पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय .8 के अनुच्छेद.7 में स्पष्ट प्रावधान है -“ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी का यह संयुक्त दायित्व होगा कि संप्रक्षण हेतु संप्रक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। परन्तु लेखा परीक्षा में कार्यो /मदों से सम्बंधित पत्रावलियाँ (प्राक्कलन ,तकनीकी स्वीकृति ,मापी ,कार्यपूति प्रमाणपत्र ,टेंडर पत्रावली)एवं उनपर किये गए व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वाउचर /व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल /कैश बुक प्रस्तुत नहीं रहे।लेखा परीक्षा में प्रस्तुत बैंक स्टेटमेंट एवं प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्यो पर दर्शित व्यय का विवरण निम्नवत है -

क्रमांक	कार्य का नाम	दिनांक	दर्शित व्यय धनराशि	विवरण	टिप्पणी
1	अज्ञात	10/09/20	19996	माया बिल्डिंग	कार्य पर मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है
		10/09/20	17692	प्रधान ब्रिक	
2	सी०सी० रोड	02/10/20	77690	जुनैद ट्रे	कार्य पर मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है
		02/10/20	69472	जुनैद ट्रे	
		02/10/20	15120	प्रधान ब्रिक	
3	पंचायत भवन निर्माण	11/11/20	48640	प्रधान ब्रिक	कार्य पर मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है
		11/11/20	70055	जुनैद ट्रे	
		11/11/20	35538	जुनैद ट्रे	
		11/11/20	20815	ताज ब्रिक फील्ड	
		11/11/20	12705	प्रधान ब्रिक फील्ड	
04	सी०सी रोड	17/12/20	81600	प्रधान ब्रिक फील्ड	कार्य पर मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है
05	सत्तार के घर से रामचंद्र के घर तक सी०सी रोड	17/12/20	42033	जुनैद ट्रे	कार्य पर मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है

		17/12/20	67760	प्रधान ब्रिक	
06	अज्ञात	10/09/20	93133	माया बिल्डिंग	कार्य पर मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है
		10/09/20	75946	माया बिल्डिंग	
		योग	748195		

इस प्रकार उक्त कार्यों से सम्बंधित पत्रवालिया एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गए व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय .8 के अनुच्छेद.8 (क) के अनुसार “ यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी “ ।

इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रु० 748195.00 लेखा मैनुअल के अध्याय .8 के अनुच्छेद.8 (क) के अंतर्गत अपहरण है तथा अधिभार योग्य है ,जिसके लिए ग्राम विकास अधिकारी श्री विशाल सोनकर एवं ग्राम प्रधान श्रीमती सबा नाज़ संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। अतः उक्त धनराशि रु० 748195.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रु० 374097.50 ग्राम विकास अधिकारी श्री विशाल सोनकर से तथा रु० 374097.50 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सबा नाज़ से) अदयावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है ।।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
748195.00	0	0	748195.00

2- ग्राम पंचायत -खैरी शीतला प्रसाद लेखा परीक्षा वर्ष-20-21 विकास खंड -बढ़नी

प्रस्तर संख्या.02-पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय .8 के अनुच्छेद.7 में स्पष्ट प्रवधान है -“ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी का यह संयुक्त दायित्व होगा कि संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। परन्तु लेखा परीक्षा में कार्यों /मदों से सम्बंधित पत्रवालियाँ (प्राक्कलन ,तकनीकी स्वीकृति ,मापी ,कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र ,टैंडर पत्रावली)एवं उनपर किये गए व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वाउचर /व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल /कैश बुक प्रस्तुत नहीं रहे। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत बैंक स्टेटमेंट एवं प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्यों पर दर्शित व्यय का विवरण निम्नवत है -

क्रमांक	कार्य का नाम	दिनांक	दर्शित व्यय धनराशि	विवरण	टिप्पड़ी
01	स्ट्रीट लाइट	18/04/20	59600	शिव शक्ति कंस्ट्रक्शन	
		18/04/20	59600	शिव शक्ति कंस्ट्रक्शन	

		18/04/20	59600	शिव शक्ति कंस्ट्रक्शन	
		18/04/20	71200	शिव शक्ति कंस्ट्रक्शन	
02	अज्ञात	06/05/20	82990	चौधरी ब्रिक फील्ड	
		06/05/20	10000	श्रमांस	
03	अज्ञात	06/05/20	69300	चौधरी ब्रिक फील्ड	
		06/05/20	28300	चौधरी ब्रिक फील्ड	
		06/05/20	28300	चौधरी ब्रिक फील्ड	
		06/05/20	69300	चौधरी ब्रिक फील्ड	
		08/05/20	30000	श्रमांस	
04	सामुदायिक शौचालय	16/10/20	33745	जीशान ट्रे0	
		16/10/20	5880	चौधरी ब्रिक फील्ड	
		16/10/20	98679	चौधरी ब्रिक फील्ड	
		16/10/20	86547	जीशान ट्रे0	
05	प्राथमिक विद्यालय सी०सी रोड में	17/12/20	56610	जीशान ट्रे0	
		17/12/20	93200	जीशान ट्रे0	
		17/12/20	78780	निशा बिल्डिंग	
06	अज्ञात	17/12/20	58005	निशा बिल्डिंग	
07	प्राथमिक विद्यालय टाइल्स में	06/03/21	46849	सरीम ट्रे0	
		06/03/21	53506	सरीम ट्रे0	
		06/03/21	80425	सरीम ट्रे0	
		06/03/21	12201	सरीम ट्रे0	
		06/03/21	68251	सरीम ट्रे0	
		06/03/21	75454	सरीम ट्रे0	
		06/03/21	46693	सरीम ट्रे0	
08		10/03/21	83960	सरीम ट्रे0	
09	प्राथमिक विद्यालय में	12/03/21	56610	सरीम ट्रे0	

	अतिरिक्त कक्षा कक्ष का निर्माण				
			71176	सरीम ट्रे0	
			69165	सरीम ट्रे0	
			8379	सरीम ट्रे0	
			1752305.00		

इस प्रकार उक्त कार्यो से सम्बंधित पत्रवालिया एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गए व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय .8 के अनुच्छेद.8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम ग्राम पंचायत से की जाएगी “ ।

इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रु० 1752305.00 लेखा मैनुअल के अध्याय .8 के अनुच्छेद.8 (क) के अंतर्गत अपहरण है तथा अधिभार योग्य है ,जिसके लिए ग्राम विकास अधिकारी श्री विशाल सोनकर एवं ग्राम प्रधान श्रीमती सहीदुन्निसा संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। अतः उक्त धनराशि रु० 1752305.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रु० 876152.50 ग्राम विकास अधिकारी श्री विशाल सोनकर से तथा रु० 876152.50 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सहीदुन्निसा से) अदयावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
1752305.00	0	0	1752305.00

प्रस्तर संख्या.03-ग्राम पंचायत खैरी शीतला प्रसाद की वर्ष 20.21 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि मजदूरी रु० 24986.00 का भुगतान मजदूरों के खाते में न करके श्री जीतेन्द्र के खाते में किया गया है जबकि शासनादेश संख्या .1017/33.3.2020.11/2020 दिनांक 16/06/20 में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं की लाभार्थियों का भुगतान चेक/पीओएफ.एम एस.के माध्यम से उनके बैंक खाते में किया जाना है। परन्तु ग्राम विकास अधिकारी श्री विशाल सोनकर एवं ग्राम प्रधान श्रीमती सहीदुन्निसा द्वारा मजदूरी का भुगतान मजदूरों के व्यक्तिगत बैंक खाते में न करके श्री जीतेन्द्र के खाते में करके अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सहीदुन्निसा एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री विशाल सोनकर से ब्याज सहित बराबर बराबर किया जाना अपेक्षित है विवरण निम्न है .

क्र०सं०	कार्य का नाम	मजदूरी की धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	प्राथमिक विद्यालय में अतिरिक्त कक्षा कक्ष का निर्माण	24986.00	श्री जीतेन्द्र

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
24986.00	0	0	24986.00

3- ग्राम पंचायत - गड़रखा

लेखा परीक्षा वर्ष-20-21

विकास खंड -बढ़नी

प्रस्तर संख्या-04-पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय .8 के अनुच्छेद.7 में स्पष्ट प्रवधान है –“ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी का यह संयुक्त दायित्व होगा कि संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। परन्तु लेखा परीक्षा में कार्यो /मदों से सम्बंधित पत्रावलियाँ (प्राक्कलन ,तकनीकी स्वीकृति ,मापी ,कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र ,टैंडर पत्रावली)एवं उनपर किये गए व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वाउचर /व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल /कैश बुक प्रस्तुत नहीं रहे।लेखा परीक्षा में प्रस्तुत बैंक स्टेटमेंट एवं प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्यो पर दर्शित व्यय का विवरण निम्नवत है -

क्रमांक	कार्य का नाम	दिनांक	दर्शित व्यय धनराशि	विवरण	टिप्पणी
01	अज्ञात	11/09/20	33745	खान फ्री सेल	मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है
		11/09/20	86565	खान फ्री सेल	
		11/09/20	98689	खान ब्रिक फील्ड	
		11/09/20	5800	खान ब्रिक फील्ड	
02	आगनबाडी केंद्र का मरम्मत	27/10/20	78750	किसान ब्रिक फील्ड	
		27/10/20	73979	किसान ब्रिक फील्ड	
		27/10/20	76431	सिद्धार्थ ट्रेड	
07	प्राथमिक विद्यालय का कायाकल्प	27/10/20	10143	किसान ब्रिक फील्ड	
		02/11/20	95304	सिद्धार्थ ट्रेड	
		02/11/20	74005	सिद्धार्थ ट्रेड	
			633411.00		

इस प्रकार उक्त कार्यो से सम्बंधित पत्रावलिया एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गए व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे।लेखा मैनुअल के अध्याय .8 के अनुच्छेद.8 (क) के अनुसार “ यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी “ ।

इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रु० 633411.00 लेखा मैनुअल के अध्याय .8 के अनुच्छेद.8 (क) के अंतर्गत अपहरण है तथा अधिभार योग्य है ,जिसके लिए ग्राम विकास अधिकारी श्री विशाल सोनकर एवं ग्राम प्रधान श्रीमती सुभावती देवी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है।अतः उक्त धनराशि रु० 633411.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रु० 316705.50 ग्राम विकास अधिकारी श्री विशाल सोनकर से तथा रु० 316705.50 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुभावती देवी से) अदयावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग

633411.00	0	0	633411.00

प्रस्तर संख्या-05-ग्राम पंचायत गडरखा की वर्ष 20.21 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि मजदूरी रु0 81687.00 का भुगतान मजदूरों के खाते में न करके ग्राम प्रधान श्रीमती शुभावती देवी के खाते में किया गया है जबकि शासनादेश संख्या .1017/33.3.2020.11/2020 दिनांक 16/06/20 में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं की लाभार्थियों का भुगतान उचित के माध्यम से उनके बैंक खाते में किया जाना है परन्तु ग्राम विकास अधिकारी श्री विशाल सोनकर एवं ग्राम प्रधान श्रीमती सुभावती देवी द्वारा मजदूरी का भुगतान मजदूरों के व्यक्तिगत बैंक खाते में न करके ग्राम प्रधान श्रीमती शुभावती देवी के खाते में करके अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुभावती देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री विशाल सोनकर से ब्याज सहित बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्न है .

क्र०सं०	कार्य का नाम	मजदूरी की धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	आगनबाडी केंद्र का मरम्मत	17940.00	श्रीमती सुभावती देवी(ग्राम प्रधान)
2	प्राथमिक विद्यालय का कार्याकल्प	63747.00	श्रीमती सुभावती देवी(ग्राम प्रधान)
		81687.00	

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
81687.00	0	0	81687.00

4-ग्राम पंचायत – डेकहरी खुर्द लेखा परीक्षा वर्ष-20-21 विकास खंड –बढ़नी

प्रस्तर संख्या.06-पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय .8 के अनुच्छेद.7 में स्पष्ट प्रवधान है –“ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी का यह संयुक्त दायित्व होगा कि संप्रेशन हेतु संप्रेशन दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। परन्तु लेखा परीक्षा में कार्यो /मदों से सम्बंधित पत्रावलियाँ (प्राक्कलन ,तकनीकी स्वीकृति ,मापी ,कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र ,टैंडर पत्रावली)एवं उनपर किये गए व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वाउचर /व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल /कैश बुक प्रस्तुत नहीं रहे। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत बैंक स्टेटमेंट एवं प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्यो पर दर्शित व्यय का विवरण निम्नवत है –

क्रमांक	कार्य का नाम	दिनांक	दर्शित व्यय धनराशि	विवरण
1	अज्ञात	10/05/20	42210	मंगलम ट्रे
		10/05/20	26085	मंगलम ट्रे
		10/05/20	15442	ग्राम प्रधान

2	पंचायत भवन मरम्मत	11/07/20	66641	मंगलम ट्रे
		11/07/20	75275	खान सेल
		11/07/20	57198	खान सेल
		16/07/20	52035	खान सेल
		09/11/20	93894	खान सेल
		22/11/20	47160	श्रमांस
3	सामुदायिक शौचालय	23/09/20	52838	हामिद ब्रिक फील्ड
		23/09/20	46546	खान सेल
		23/09/20	75935	खान सेल
		23/09/20	62271	खान सेल
		23/09/20	51948	मंगलम ट्रे
		02/10/20	26169	खान सेल
07	प्राथमिक विद्यालय डेकहरी खुर्द में टाइल्स	21/11/20	60200	खान सेल
		21/11/20	21700	खान सेल
		24/02/21	33584	खान सेल
		24/02/21	20000	खान सेल
		24/02/21	88200	खान सेल
		26/03/21	38405	खान सेल
		26/03/21	10878	श्रमांस
08	सी०सी रोड मरम्मत	20/12/20	29227	खान सेल
		20/12/20	31690	खान सेल
		20/12/20	2934	श्रमांस
10	हैण्ड पंप मरम्मत	26/03/22	39677	खान सेल
		26/03/22	7000	श्रमांस
		सम्पूर्ण योग	1175142	

इस प्रकार उक्त कार्यों से सम्बंधित पत्रवालिया एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गए व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुएल के अध्याय .8 के अनुच्छेद.8 (क) के अनुसार “ यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी “ ।

इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रु० 1175142.00 लेखा मैनुएल के अध्याय .8 के अनुच्छेद.8 (क) के अंतर्गत अपहरण है तथा अधिभार योग्य है ,जिसके लिए ग्राम विकास अधिकारी श्री विशाल सोनकर एवं ग्राम प्रधान श्री रघुनाथ चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। अतः उक्त धनराशि रु० 1175142.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रु० 587571.00 ग्राम विकास अधिकारी श्री विशाल सोनकर से तथा रु० 587571.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री रघुनाथ चौधरी से) अदयावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है ।।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
1175142.00	0	0	1175142.0

5-ग्राम पंचायत – बूढ़ापार

लेखा परीक्षा वर्ष-20-21

विकास खंड –शोहरतगढ़

प्रस्तर संख्या.07-ग्राम पंचायत बूढ़ापार की वर्ष 20.21 कि लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है की वर्ष में विभिन्न कार्यों पर कुल 713112.00 की धनराशि की निकासी कर व्यय किया गया है जिसके सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गयी है

1.लेखा परीक्षा में सामग्री क्रय से सम्बंधित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया ।जिससे सामग्री क्रय पर किया गए भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

2.परियोजना पर सामग्री का भुगतान तो किया गया है परन्तु पूरे वित्तीय वर्ष में मजदूरी पर भुगतान नहीं किया गया है ,जिससे यह स्पष्ट है की कार्य प्रारम्भ ही नहीं कराया गया .जिससे सामग्री क्रय पर किए गए भुगतान का औचित्य सिद्ध नहीं है ।

3.लेखा परीक्षा में माप पुस्तिका प्रस्तुत नहीं रहा जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका की कार्य पर किया गया भुगतान माप पुस्तिका के अनुसार किया गया है कि नहीं।

4.लेखा परीक्षा में वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका की परियोजना शुरू करने से पहले सक्षम अधिकारी से तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति ली गयी थी या नहीं । पंचायतराज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 1838/33.3.2015.03/2015 दिनांक 3107.2015 विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सम्बन्ध में के बिंदु 4क में यह स्पष्ट है की 50 हजार की सीमा तक की कार्य.योजना का अनुमोदन स्वयं ग्राम पंचायत के द्वारा किया जायेगा और कार्ययोजना को टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जायेगा. बाद में पंचायतराज अनुभाग 1 के आदेश संख्या 3.2016/3038/33.1.2016 दिनांक 22.11.2016 के बिंदु 2ब के माध्यम से राज्य वित्त और केन्द्रीय वित्त आयोग के सन्दर्भ में यह सीमा बढ़ा कर 2 लाख कर दी गयी है. टेकनिकल परीक्षण.2 से 2.5लाख तक. जे0ई0 आर0ई0एस0/जे0ई0 एम0आई0/ जे0ई0 जिला पंचायत/ जे0ई0 मण्डी परिषद द्वारा किया जायेगा 2.5 लाख से ऊपर.अभियंता जिला पंचायत को सक्षम अधिकारी घोषित किया गया है .वित्तीय /प्रशासनिक स्वीकृति 2 लाख से 2.50 लाख तक सहा०वि०अधि (प०),2.5 लाख से 5 लाख तक जिला पंचायत राज अधिकारी और 5 लाख से ऊपर जिलाधिकारी द्वारा दिया जायेगा ।

5.वित्तीय नियम संग्रह खंड.1 एवं शा०सं०.ए.1.864/दस दिनांक 23.9.2008 के अनुसार निर्माण हेतु कोई सामग्री क्रय करने के क्रम में कोटेशन (रु बीस हजार से अधिक एवं एक लाख तक) एवं टेंडर (रु एक लाख से अधिक)की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिये, जब की टेंडर की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही जिस कारण इस बात की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि इस प्रक्रिया का पूर्णतया पालन नहीं किया जा रहा है

6.लेखा परीक्षा में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया । उ०प्र० पंचायतराज नियमावली 1947 का नियम 209 कार्यों के लिए अंतिम भुगतान किए जाने के पूर्व समापन प्रमाणपत्र का विवरण .इस हेतु से कि कार्य का निष्पादन स्वीकृत किए गए योजनाओ /प्राक्कलन/ मानचित्र के अनुसार किया गया है- के देने का उल्लेख करती है।

7.उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर इस बात को मानने का पूरा आधार है की ग्राम प्रधान श्रीमती प्रियंका देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री संत अखीलेश्वर द्वारा राजकीय धन को आहरित कर अपहृत कर लिया गया है जिसकी वसूली ब्याज सहित संबंधित से किया जाना अपेक्षित है।विवरण निम्न है.

क्र०स	कार्य का नाम	व्यय धनराशि	अभ्युक्ति
1	सीद्धेस्वरी के घर से अक्षेश्वर के घर तक पक्की नाली	51000	कार्य पर मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है ।
2	मुख्य सड़क से काली जी के स्थान तक खडंजा	41000	कार्य पर मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है ।
3	प्राथमिक विद्यालय में बाउन्ड्रीवाल निर्माण एवं मरम्मत	72000	कार्य पर मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है ।
4	प्राथमिक विद्यालय में टाइल्स /मरम्मत का कार्य	36000	कार्य पर मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है ।
5	रामकुमार के घर से कुकरहिया गड्ढे तक नाली	15176	
6	बुद्धिराम के घर से शर्मा के घर तक नाली निर्माण	33119	
7	सामुदायिक शौचालय	115801	
8	खडंजा से हनुमान के घर तक इन्टरलॉकिंग	78929	
9	राजेन्द्र के घर से राम चन्द्र के घर तक इन्टरलॉकिंग	82087	...
10	अनिरुद्ध के घर से खडंजा तक इन्टरलॉकिंग	113000	...
11	पंचायत भवन निर्माण कार्य	75000	
		713112.0	

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
713112.00	0	0	713112.0

6-ग्राम पंचायत - दहियाड लेखा परीक्षा वर्ष-20-21 विकास खंड -शोहरतगढ़

प्रस्तर संख्या.08-ग्राम पंचायत दहियाड की वर्ष 20.21 कि लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है की वर्ष में विभिन्न कार्यों पर कुल 672580.00 की धनराशि की निकासी कर व्यय किया गया है जिसके सम्बन्ध में निम्न अपत्तियाँ पाई गयी है-

- 1.लेख परीक्षा में सामग्री क्रय से सम्बंधित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया ।जिससे सामग्री क्रय पर किया गए भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी ।
- 2.परियोजना पर सामग्री का भुगतान तो किया गया है परन्तु कुछ कार्यों पर वित्तीय वर्ष में मजदूरी पर भुगतान नहीं किया गया है ,जिससे यह स्पष्ट है की कार्य प्रारम्भ ही नहीं कराया गया .जिससे सामग्री क्रय पर किए गए भुगतान का औचित्य सिद्ध नहीं है ।
- 3.लेखा परीक्षा में माप पुस्तिका प्रस्तुत नहीं रहा जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका कि कार्य पर किया गया भुगतान माप पुस्तिका के अनुसार किया गया है की नहीं ।
- 4.लेखा परीक्षा में वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका की परियोजना शुरू करने से पहले सक्षम अधिकारी से तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति ली गयी थी या नहीं पंचायतराज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 1838/33.3.2015.03/2015 दिनांक 3107.2015 विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सम्बन्ध में के बिंदु 4क में यह स्पष्ट है की 50 हजार की सीमा तक की कार्य.योजना का अनुमोदन स्वयं ग्राम पंचायत के द्वारा किया जायेगा और कार्ययोजना को टुकड़ों में

विभाजित नहीं किया जायेगा. बाद में पंचायतराज अनुभाग 1 के आदेश सख्या 3.2016/3038/33.1.2016 दिनांक 22.11.2016 के बिंदु 2ब के माध्यम से राज्य वित्त और केन्द्रीय वित्त आयोग के सन्दर्भ में यह सीमा बढ़ा कर 2 लाख कर दी गयी है. टेकनिकल परीक्षण 2 से 2.5 लाख तक जे0ई0 आर0ई0एस0/जे0ई0 एम0आई0/ जे0ई0 जिला पंचायत/ जे0ई0 मण्डी परिषद द्वारा किया जायेगा 2.5 लाख से ऊपर. अभियंता जिला पंचायत को सक्षम अधिकारी घोषित किया गया है. वित्तीय / प्रशासनिक स्वीकृति 2 लाख से 2.50 लाख तक सहा. वि. अधि (पं), 2.5 लाख से 5 लाख तक जिला पंचायत राज अधिकारी और 5 लाख से ऊपर जिलाधिकारी द्वारा दिया जायेगा।

5. वित्तीय नियम संग्रह खंड 1 एवं शा. सं. ए. 1.864/दस दिनांक 23.9.2008 के अनुसार निर्माण हेतु कोई सामाग्री क्रय करने के क्रम में कोटेशन (रु बीस हजार से अधिक एवं एक लाख तक) एवं टेंडर (रु एक लाख से अधिक) की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिये, जब की टेंडर की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही जिस कारण इस बात की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि इस प्रक्रिया का पूर्णतया पालन नहीं किया जा रहा है

6. लेखा परीक्षा में कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। उ. प्र. पंचायतराज नियमावली 1947 का नियम 209 कार्यों के लिए अंतिम भुगतान किए जाने के पूर्व समापन प्रमाणपत्र का विवरण इस हेतु से कि कार्य का निष्पादन स्वीकृत किए गए योजनाओं / प्राक्कलन / मानचित्र के अनुसार किया गया है- के देने का उल्लेख करती है।

7. उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर इस बात को मानने का पूरा आधार है की ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री संत अखीलेश्वर द्वारा राजकीय धन को आहरित कर अपहृत कर लिया गया है जिसकी वसूली ब्याज सहित संबंधित से किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्न है.

क्र.सं	कार्य का नाम	व्यय धनराशि	अभ्युक्ति
1	प्राथमिक विद्यालय दहियाड मरम्मत	176040.00	
2	आगंबाडी केंद्र दहियाड का मरम्मत	35883.00	
3	पंचायत भवन दहियाड में टाइल्स / रंगाई पुताई	29610.00	सामग्री पर व्यय नहीं किया गया है
4	ग्राम पंचायत के खेल मैदान में सी0सी रोड का निर्माण	22060.00	सामग्री पर व्यय नहीं किया गया है
5	ग्राम पंचायत के खेल मैदान में सोलर लाइट	5151.00	सामग्री पर व्यय नहीं किया गया है
6	सामुदायिक शौचालय का निर्माण	316895.00	
7	बाग से मंदिर तक नाली निर्माण	86941.00	कार्य पर मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है।
	योग	672580.00	

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
672580.00	0	0	672580.00

7-ग्राम पंचायत- बभनी लेखा परीक्षा वर्ष-20-21 विकास खंड -भनवापुर

प्रस्तर संख्या.09-प्रिया साफ्ट / ऑनलाईन फिडिंग में विभिन्न आई0डी0 / कार्य हेतु निम्न विवरणानुसार रु0 2019524.00 सामग्री क्रय पर व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त क्रय से संबन्धित प्रमाणक लेखा परीक्षा में

प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही उक्त कार्य से संबन्धित ग्राम पंचायत द्वारा पारित कार्ययोजना, स्टीमेट, एमओबीओ, स्टॉक बुक, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, टेंडर, कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र, कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। सभी कार्यों पर मजदुरी का भुगतान का विवरण प्रस्तुत नहीं रहने से कार्य पूर्णता पर टिप्पणी नहीं किया जा सका साथ ही सामग्री खराब होने की स्थिति भी अज्ञात रहा। कुछ कार्य का लोकेशन भी अंकित नहीं किया गया है। अतः उक्त अभिलेखों के अभाव में तत्कालीन ग्राम सचिव श्री राकेश पाठक और श्री हरिराम चौधरी तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मधू द्वारा सामग्री क्रय पर फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से वसूली बराबर-बराबर अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है -

तिथि	कार्य का नाम	वर्क आईडीओ सं०	फर्म का नाम	व्यय धन
25.04.2020	पे फार दिस वर्क	14934104	चौधरी इंटरप्राइजेज	170000
25.04.2020	पे फार दिस वर्क	14934113	चौधरी इंटरप्राइजेज	155000
15.08.2020	पे फार दिस	14934127	चौधरी इंटरप्राइजेज	124000
08.10.2020	सामुदायिक शौचालय	44811384	चौधरी इंटरप्राइजेज	217192
08.11.2020	सामुदायिक शौचालय	44811384	पाण्डेय ब्रिक फिल्ड	105808
03.12.2020	प्रा०वि० मनोहरपुर में टाईल्स, बाउन्ड्री और पेंटिंग कार्य	42293688	मंगलम ट्रेडर्स	200000
05.12.2020	उदयराम के घर से औरया के घर तक सीसी रोड	42292678	मंगलम ट्रेडर्स	230000
05.12.2020	पे फार दिस	45280722	मंगलम ट्रेडर्स	150000
25.12.2020	भुगतान	42290121	मंगलम ट्रेडर्स	38500
06.03.2021	पे फार दिस	45280786	मंगलम ट्रेडर्स	141157
06.03.2021	पे फार दिस	45280786	आज्ञाराम	30299
06.03.2021	पे फार दिस	45280786	मंगलम ट्रेडर्स	65827
06.03.2021	पे फार दिस	45280786	मंगलम ट्रेडर्स	7629
08.03.2021	प्रा०वि० बौरडीह में फर्श एवं टाईल्स	49607258	मंगलम ट्रेडर्स	65827
08.03.2021	प्रा०वि० बौरडीह में फर्श एवं टाईल्स	49607258	मंगलम ट्रेडर्स	141156
08.03.2021	प्रा०वि० बौरडीह में फर्श एवं टाईल्स	49607258	मंगलम ट्रेडर्स	7629

19.03.2021	कायाकल्प	14934120	मंगलम ट्रेडर्स	49500
19.03.2021	मनोहरपुर स्कूल मे कायाकल्प	45280786	मंगलम ट्रेडर्स	120000
			योग	2019524

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
2019524.00	0	0	2019524.00

प्रस्तर संख्या-10-.प्रिया साफ्ट / ऑनलाईन फिडिंग मे निम्न विवरणानुसार टेंडर पर रू0 5387.00 व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त व्यय से संबन्धित प्रमाणक, समाचार पत्र जिसमे टेंडर प्रकाशित हुआ, किन.किन फर्म द्वारा टेंडर डाला गया, तुलनात्मक विवरण पत्र और किस फर्म का टेंडर स्वीकृत हुआ इसका विवरण लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रहा। अस्तु उक्त अभिलेखों के अभाव मे तत्कालीन ग्राम सचिव श्री राकेश पाठक और श्री हरिराम चौधरी तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मधू द्वारा टेंडर पर फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से वसूली बराबर.बराबर अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है .

तिथि	मद का नाम	आई0डी0 सं0	फर्म/ व्यक्ति का नाम		व्यय धन
03.12.2020	टैंडर	42290354	श्री रवि प्रकाश पाण्डेय		5387
			योग		5387
		अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
		5387.00	0	0	5387.00

प्रस्तर संख्या.11-.प्रिया साफ्ट / ऑनलाईन फिडिंग मे निम्न विवरणानुसार सामग्री क्रय पर रू0135000.00 व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त व्यय से संबन्धित प्रमाणक, मृत स्कन्ध पंजिका लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रहा। उक्त अभिलेखों के अभाव मे उपरोक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । अस्तु तत्कालीन ग्राम सचिव श्री राकेश पाठक और श्री हरिराम चौधरी तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मधू द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से वसूली बराबर-बराबर अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है.

तिथि	मद का नाम	आई0डी0 सं0	फर्म का नाम	व्यय धन

04.12.2020	स्ट्रीट लाईट	14934119	श्री बाबा नीमकरौली ट्रेडर्स	135000
			योग	135000

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
135000.00	0	0	135000.00

प्रस्तर संख्या.12-प्रिया साफ्ट मे सामुदायिक शौचालय कार्य (आईडी0. 44811384) पर दि0 18.12.2020 को मजदुरी मद मे रू0 30000.00 व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त कार्य से संबन्धित मस्टररोल लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही उक्त कार्य से संबन्धित पारित कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रहा। संबन्धित मजदुरों की मजदुरी उनके बैंक खाता मे भुगतानित होने की पुष्टि बैंक स्टेटमेंट के अभाव मे नहीं किया जा सका। अस्तु तत्कालीन ग्राम सचिव श्री राकेश पाठक और श्री हरिराम चौधरी तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मधू द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से वसूली बराबर.बराबर अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
30000.00	0	0	30000.00

8-ग्राम पंचायत- बैनियाखास

लेखा परीक्षा वर्ष-20-21

विकास खंड -भनवापुर

प्रस्तर संख्या.13-प्रिया साफ्ट / ऑनलाईन फिडिंग मे विभिन्न आईडी0 / कार्य हेतु निम्न विवरणानुसार रू0 982313.00 सामग्री क्रय पर व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त क्रय से संबन्धित प्रमाणक लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही उक्त कार्य से संबन्धित ग्राम पंचायत द्वारा पारित कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, स्टॉकबुक, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, टेंडर, कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र, कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रहा। मजदुरी का भुगतान का विवरण प्रस्तुत नहीं रहने से कार्य पूर्णता पर टिप्पणी नहीं किया जा सका साथ ही सामग्री खराब होने की स्थिति भी अज्ञात रहा। कार्य का लोकेशन भी अंकित नहीं किया गया है। अतः उक्त अभिलेखों के अभाव मे तत्कालीन ग्राम सचिव श्री राकेश पाठक और श्री सर्वजीत सिंह यादव तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुनिता द्वारा सामग्री क्रय पर फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से वसूली बराबर.बराबर अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है -

क्र0 सं0	तिथि	व्यय धन	वर्क आईडी0 सं0	फर्म का नाम	कार्य / सामग्री का नाम
01	03.04.2020	145000	14703158	मे0 मंगलम ट्रेडर्स	पे फार दिस
02	16.04.2020	60000	8369002	मे0 मंगलम ट्रेडर्स	पे फार दिस

03	23.10.2020	217192	44812461	चौधरी इंटरप्राइजेज	सामुदायिक शौचालय
04	07.11.2020	105808	44812461	पाण्डेय ब्रिक फिल्ड	सामुदायिक शौचालय
05	10.12.2020	6500	42458702	मे0 मंगलम ट्रेडर्स	पे फार दिस
06	15.12.2020	6500	42458702	मे0 मंगलम ट्रेडर्स	पे फार दिस
07	22.12.2020	38288	42459409	मे0 मंगलम ट्रेडर्स	असगर के घर से राजमन के घर तक सीसी
08	22.12.2020	25515	42459409	मे0 मंगलम ट्रेडर्स	असगर के घर से राजमन के घर तक सीसी
09	22.12.2020	61259	42459409	मे0 मंगलम ट्रेडर्स	असगर के घर से राजमन के घर तक सीसी
10	23.12.2020	20171	42462338	मे0 मंगलम ट्रेडर्स	मस्जिद के गेट से लालमन के घर तक नाली
11	23.12.2020	31080	42462338	मे0 मंगलम ट्रेडर्स	मस्जिद के गेट से लालमन के घर तक नाली
12	27.03.2021	90000	50886752	मे0 मंगलम ट्रेडर्स	स्कूल बाउन्ड्री मरम्मत एवं उच्चीकरण
13	27.03.2021	85000	50886752	मे0 मंगलम ट्रेडर्स	स्कूल बाउन्ड्री मरम्मत एवं उच्चीकरण
14	27.03.2021	90000	50886719	मे0 मंगलम ट्रेडर्स	स्कूल का कायाकल्प
	योग	982313			

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
982313.00	0	0	982313.00

प्रस्तर संख्या.14-प्रिया साफ्ट / ऑनलाईन फिडिंग मे निम्न विवरणानुसार टेंडर पर ₹0 10290.00 व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त व्यय से संबंधित प्रमाणक, समाचार पत्र जिसमे टेंडर प्रकाशित हुआ, किन.किन फर्म द्वारा टेंडर डाला गया, तुलनात्मक विवरण पत्र और किस फर्म का टेंडर स्वीकृत हुआ इसका विवरण लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रहा। अस्तु उक्त अभिलेखों के अभाव मे तत्कालीन ग्राम सचिव श्री राकेश पाठक और श्री सर्वजीत सिंह यादव तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुनिता द्वारा टेंडर पर फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से वसूली बराबर.बराबर अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है.

तिथि	मद का नाम	आईडीओ सं०	फर्म/ व्यक्ति का नाम	व्यय धन
08.10.2020	टेंडर	42458255	श्री रविप्रकाश पाण्डेय	5290
22.12.2020	टेंडर	42458255	श्री अनिल मिश्रा	5000
			योग	10290

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
10290.00	0	0	10290.00

प्रस्तर संख्या.15-.प्रिया साफ्ट / ऑनलाईन फिडिंग मे आई डी सं0 42458702 से दि0 28.08.2020 को आर0 के0 इंटरप्राइजेज से स्प्रे मशिन व पीपीई किट क्रय पर रू0 17680.00 व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त व्यय से संबन्धित प्रमाणक, स्टॉक तथा मृत स्कन्ध पंजिका लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रहा। उक्त अभिलेखों के अभाव मे उपरोक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अस्तु तत्कालीन ग्राम सचिव श्री राकेश पाठक और श्री सर्वजीत सिंह यादव तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुनिता द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से वसूली बराबर.बराबर अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
17680.00	0	0	17680.00

प्रस्तर संख्या.16-.प्रिया साफ्ट/ ऑनलाईन फिडिंग मे आई डी सं0 14703171 से दि0 15.12.2020 को मानदेय मद मे रू0 38500.00 व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त व्यय से संबन्धित मानदेय पंजिका लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे बकाया मानदेय रू0 10500.00 की पुष्टि नहीं किया जा सका। अतः उक्त अभिलेख के अभाव मे तत्कालीन ग्राम सचिव श्री राकेश पाठक और श्री सर्वजीत सिंह यादव तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुनिता द्वारा मानदेय पर फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। वसूली बराबर.बराबर अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
10500.00	0	0	10500.00

9--ग्राम पंचायत- बामदेई

लेखा परीक्षा वर्ष-20-21

विकास खंड -भनवापुर

प्रस्तर संख्या.17-.प्रिया साफ्ट / ऑनलाईन फिडिंग मे विभिन्न आई0डी0 / कार्य हेतु निम्न विवरणानुसार रू0434858.00 सामग्री क्रय पर व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त क्रय से संबन्धित प्रमाणक लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही उक्त कार्य से संबन्धित ग्राम पंचायत द्वारा पारित कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, स्टॉकबुक, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, टेंडर, कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र, कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रहा। मजदुरी का भुगतान का विवरण प्रस्तुत नहीं रहने से कार्य पूर्णता पर टिप्पणी नहीं किया जा सका साथ ही सामग्री खराब होने की स्थिति भी अज्ञात रहा। कार्य का लोकेशन भी अंकित नहीं किया गया है। अतः उक्त अभिलेखों के अभाव मे तत्कालीन ग्राम सचिव श्री सर्वजीत सिंह यादव तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री बृजेश कुमार पाण्डेय द्वारा सामग्री क्रय पर फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से वसूली बराबर.बराबर अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है .

तिथि	कार्य का नाम	वर्क आई0डी0 सं0	फर्म का नाम	व्यय धन

07.10.2020	सामुदायिक शौचालय	43936632	मलिक मुस्ताक ब्रिक फिल्ड	51082
07.10.2020	सामुदायिक शौचालय	43936632	आल सप्लायर एण्ड कम्यूनिकेशन	95880
21.11.2020	पंचायत भवन	43939712	आल सप्लायर एण्ड कम्यूनिकेशन	98092
22.11.2020	सोख्ता निर्माण	45167740	आल सप्लायर एण्ड कम्यूनिकेशन	29149
22.11.2020	सोख्ता निर्माण	45167740	आल सप्लायर एण्ड कम्यूनिकेशन	1652
22.11.2020	हैण्डपम्प रिबोर	45167729	आल सप्लायर एण्ड कम्यूनिकेशन	12996
22.11.2020	हैण्डपम्प रिबोर	45167729	आल सप्लायर एण्ड कम्यूनिकेशन	1837
22.11.2020	हैण्डपम्प रिबोर	45167729	आल सप्लायर एण्ड कम्यूनिकेशन	26251
22.11.2020	हैण्डपम्प रिबोर	45167729	विजयभान	12434
23.11.2020	बाउन्ड्रवाल पेंटिंग	43939742	आल सप्लायर एण्ड कम्यूनिकेशन	62685
05.12.2020	हैण्डपम्प मरम्मत	43941571	विजयभान	25200
24.12.2020	विवरण अप्राप्त	43941571	आल सप्लायर एण्ड कम्यूनिकेशन	17600
			योग	434858

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
434858.00	0	0	434858.00

प्रस्तर संख्या.18-.प्रिया साफ्ट/ऑनलाईन फीडिंग मे दि० 24.12.2020 को आईडी० सं० 43941399 से श्री अनिल मिश्रा को टेंडर व विज्ञापन हेतु ₹० 14542.00 भुगतान दर्शित है, परन्तु उक्त व्यय से संबंधित प्रमाणक, समाचार पत्र जिसमे टेंडर प्रकाशित हुआ, किन.किन फर्म द्वारा टेंडर डाला गया, तुलनात्मक विवरण पत्र और किस फर्म का टेंडर स्वीकृत हुआ इसका विवरण लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रहा। अस्तु उक्त अभिलेखों के अभाव मे तत्कालीन ग्राम सचिव श्री सर्वजीत सिंह यादव तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री बृजेश कुमार पाण्डेय द्वारा टेंडर पर

फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से वसूली बराबर.बराबर अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
14542.00	0	0	14542.00

प्रस्तर संख्या.19-प्रिया साफ्ट / ऑनलाईन फिडिंग में निम्न विवरणानुसार सामग्री क्रय पर ₹0 30000.00 व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त व्यय से संबन्धित प्रमाणक, स्टॉक तथा मृत स्कन्ध पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। उक्त अभिलेखों के अभाव में उपरोक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अस्तु तत्कालीन ग्राम सचिव श्री सर्वजीत सिंह यादव तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री बृजेश कुमार पाण्डेय द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से वसूली बराबर. बराबर अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है -

तिथि	मद का नाम	आईडीओ सं०	फर्म का नाम	व्यय धन
11.12.2020	वृक्षारोपण	43941571	एकता स्वयं सहायता समूह	18000
11.12.2020	वृक्षारोपण	43941571	एकता स्वयं सहायता समूह	12000
			योग	30000

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
30000.00	0	0	30000.00

प्रस्तर संख्या.20-प्रिया साफ्ट में विभिन्न कार्य / आईडीओ पर मजदूरी मद में ₹0 14000.00 व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त कार्य से संबन्धित मस्टररोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही उक्त कार्य से संबन्धित पारित कार्ययोजना, स्टीमेट, एमओबीओ, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। संबन्धित मजदूरों की मजदूरी उनके बैंक खाता में भुगतानित होने की पुष्टि बैंक स्टेटमेंट के अभाव में नहीं किया जा सका। अस्तु तत्कालीन ग्राम सचिव श्री सर्वजीत सिंह यादव तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री बृजेश कुमार पाण्डेय द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से वसूली बराबर.बराबर अपेक्षित है। विवरण

क्र०सं०	तिथि	कार्य का नाम	आईडीओ सं०	मजदूरी पर व्यय धन
01	29.11.2020	विवरण अप्राप्त	45167740	2400
02	29.11.2020	विवरण अप्राप्त	45167729	1600

03	29.11.2020	विवरण अप्राप्त	43939742	10000
			योग	14000

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
14000.00	0	0	14000.00

प्रस्तर संख्या.21-प्रिया साफ्ट/ ऑनलाईन फिडिंग मे निम्न विवरणानुसार मानदेय मद मे रू0 38500.00 व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त व्यय से संबन्धित मानदेय पंजिका लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे बकाया मानदेय रू0 10500.00 की पुष्टि नहीं किया जा सका। अतः उक्त अभिलेख के अभाव मे तत्कालीन ग्राम सचिव श्री सर्वजीत सिंह यादव तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री बृजेश कुमार पाण्डेय द्वारा मानदेय पर फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। वसूली बराबर.बराबर अपेक्षित है।

क्र0सं0	तिथि	आई0डी0 सं0	मानदेय
01	14.09.2020	43941424	28000
02	24.12.2020	43941424	10500
		योग	38500

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
10500.00	0	0	10500.00

10.ग्राम पंचायत- बरगदवा लेखा परीक्षा वर्ष-20-21 विकास खंड -भनवापुर
प्रस्तर संख्या.22-प्रिया साफ्ट / ऑनलाईन फिडिंग मे विभिन्न आई0डी0 / कार्य हेतु निम्न विवरणानुसार रू0 941703.00 सामग्री क्रय पर व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त क्रय से संबन्धित प्रमाणक लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही उक्त कार्य से संबन्धित ग्राम पंचायत द्वारा पारित कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, स्टॉकबुक, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, टेंडर, कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र, कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रहा। मजदुरी का भुगतान का विवरण प्रस्तुत नहीं रहने से कार्य पूर्णता पर टिप्पणी नहीं किया जा सका साथ ही सामग्री खराब होने की स्थिति भी अज्ञात रहा। कार्य का लोकेशन भी अंकित नहीं किया गया है। अतः उक्त अभिलेखों के अभाव मे तत्कालीन ग्राम सचिव श्री राकेश पाठक तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती राजमती द्वारा सामग्री क्रय पर फर्जी व्यय दर्शाकर

राजकीय धन का अपहरण किया गया है। सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से वसूली बराबर.बराबर अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है -

क्र०सं०	तिथि	व्यय धन	वर्क आई०डी० सं०	फर्म का नाम	कार्य / सामग्री का नाम
01	14.07.2020	76146	41307358	जनता ब्रिक फिल्ड	सीसीरोड
02	14.07.2020	87680	41307358	चौधरी इंटरप्राइजेज	सीसीरोड
03	14.07.2020	73777	41307358	चौधरी इंटरप्राइजेज	सीसीरोड
04	14.07.2020	107928	41307358	चौधरी इंटरप्राइजेज	सीसीरोड
05	16.09.2020	18462	41312280	चौधरी इंटरप्राइजेज	पे फार दिस
06	16.09.2020	4488	41312280	जनता ब्रिक फिल्ड	पे फार दिस
07	16.09.2020	31240	41313769	चौधरी इंटरप्राइजेज	पे फार दिस
08	16.09.2020	7560	41313769	जनता ब्रिक फिल्ड	पे फार दिस
09	23.10.2020	217192	44823237	चौधरी इंटरप्राइजेज	सामुदायिक शौचालय
10	23.10.2020	105808	44823237	चौधरी इंटरप्राइजेज	सामुदायिक शौचालय
11	09.12.2020	46046	41307745	जनता ब्रिक फिल्ड	संजय के घर से पूरन के घर तक सीसीरोड
12	09.12.2020	161876	41307745	चौधरी इंटरप्राइजेज	संजय के घर से पूरन के घर तक सीसीरोड
13	09.12.2020	3500	41325953	मंगलम ट्रेडर्स	पे फार दिस
	योग	941703			

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
941703.00	0	0	941703.00

प्रस्तर संख्या.23-प्रिया साफ्ट / ऑनलाईन फिडिंग मे निम्न विवरणानुसार टेंडर पर रू० 12887.00 व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त व्यय से संबन्धित प्रमाणक, समाचार पत्र जिसमे टेडर प्रकाशित हुआ, किन.किन फर्म द्वारा टेंडर डाला गया, तुलनात्मक विवरण पत्र और किस फर्म का टेंडर स्वीकृत हुआ इसका विवरण लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रहा। अस्तु उक्त अभिलेखों के अभाव मे तत्कालीन ग्राम सचिव श्री राकेश पाठक तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती राजमती द्वारा टेंडर पर फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से वसूली बराबर.बराबर अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है.

तिथि	मद का नाम	आई०डी० सं०	फर्म/ व्यक्ति का नाम	व्यय धन

30.09.2020	टैंडर	41322537	श्री रवि प्रकाश पाण्डेय	5387
21.12.2020	टैंडर	41322537	श्री अनिल मिश्रा	7500
			योग	12887

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
12887.00	0	0	12887.00

प्रस्तर संख्या.24.प्रिया साफ्ट / ऑनलाईन फिडिंग मे आई डी सं0 41325953 से दि0 01.09.2020 को स्प्रे मशीन व पीपीई कीट क्रय पर रू0 27760.00 व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त व्यय से संबन्धित प्रमाणक, स्टॉक तथा मृत स्कन्ध पंजिका लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रहा। उक्त अभिलेखों के अभाव मे उपरोक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । अस्तु तत्कालीन ग्राम सचिव श्री राकेश पाठक तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती राजमती द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से वसूली बराबर.बराबर अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
27760.00	0	0	27760.00

प्रस्तर संख्या.25-प्रिया साफ्ट मे विभिन्न कार्य / आई0डी0 पर मजदुरी मद मे रू0 46800.00 व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त कार्य से संबन्धित मस्टररोल लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही उक्त कार्य से संबन्धित पारित कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रहा। संबन्धित मजदुरों की मजदुरी उनके बैंक खाता मे भुगतानित होने की पुष्टि बैंक स्टेटमेंट के अभाव मे नहीं किया जा सका। अस्तु तत्कालीन ग्राम सचिव श्री राकेश पाठक तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती राजमती द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से वसूली बराबर.बराबर अपेक्षित है। विवरण .

क्र0सं0	तिथि	मजदुरी	आई0डी0 सं0	कार्य का नाम
01	15.10.2020	7200	41312280	दिनेश के घर से पप्पू के
02	15.10.2020	7200	41313769	अरूण के घर से तालाब तक नाली
03	21.12.2020	18400	41307358	विवरण अप्राप्त
04	21.12.2020	4000	41313769	अरूण के घर से तालाब तक नाली

05	21.12.2020	10000	44823237	सामुदायिक शौचालय
	योग	46800		

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
46800.00	0	0	46800.00

प्रस्तर संख्या.26.प्रिया साफ्ट/ ऑनलाईन फिडिंग मे निम्न विवरणानुसार मानदेय मद मे रू0 35000.00 व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त व्यय से संबन्धित मानदेय पंजिका लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नही किया गया। जिससे बकाया मानदेय रू0 10500.00 की पुष्टि नही किया जा सका। अतः उक्त अभिलेख के अभाव मे तत्कालीन ग्राम सचिव श्री राकेश पाठक तथा तत्कालीनग्राम प्रधान श्रीमती राजमती द्वारा मानदेय पर फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली बराबर.बराबर अपेक्षित है।

क्र0सं0	तिथि	आई0डी0 सं0	मानदेय
01	16.09.2020	41326153	21000
02	11.11.2020	41326153	14000
		योग	35000

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
10500.00	0	0	10500.00

11.ग्राम पंचायत-डेगहाजोत कस्तूरीलेखा परीक्षा वर्ष-20-21 विकास खंड -भनवापुर

प्रस्तर संख्या-27-प्रिया साफ्ट / ऑनलाईन फिडिंग मे विभिन्न आई0डी0 / कार्य हेतु निम्न विवरणानुसार रू0 634417.00 सामग्री क्रय पर व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त क्रय से संबन्धित प्रमाणक लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नही किया गया। साथ ही उक्त कार्य से संबन्धित ग्राम पंचायत द्वारा पारित कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, स्टॉकबुक, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, टेंडर, कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र, कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नही रहा। मजदुरी का भुगतान का विवरण प्रस्तुत नही रहने से कार्य पूर्णता पर टिप्पणी नही किया जा सका साथ ही सामग्री खराब होने की स्थिति भी अज्ञात रहा। कार्य का लोकेशन भी अंकित नही किया गया है। अतः उक्त अभिलेखों के अभाव मे तत्कालीन ग्राम सचिव श्री श्याम बहादुर यादव तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अवधराम द्वारा सामग्री क्रय पर फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से वसूली बराबर.बराबर अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है -

क्र०सं०	तिथि	कार्य का नाम	वर्क आईडी० सं०	फर्म का नाम	व्यय धन
01	26.06.2020	पे फार दिस	41537306	मे० मंगलम ट्रेडर्स	7400
02	26.06.2020	पे फार दिस	41525933	मे० मंगलम ट्रेडर्स	20514
03	22.08.2020	पे फार दिस	41524660	मे० विजय ट्रेडर्स	99466
04	22.08.2020	पे फार दिस	41524660	मे० विजय ट्रेडर्स	22890
05	23.08.2020	पे फार दिस	41525251	मे० विजय ट्रेडर्स	39279
06	23.08.2020	पे फार दिस	41525251	मे० विजय ट्रेडर्स	12637
07	25.09.2020	पे फार दिस	44699436	मे० विजय ट्रेडर्स	71073
08	25.09.2020	पे फार दिस	44699436	मे० विजय ट्रेडर्स	28140
09	02.10.2020	पे फार दिस	44691113	मे० विजय ट्रेडर्स	66263
10	10.11.2020	पे फार दिस	41525933	मे० मंगलम ट्रेडर्स	7220
11	27.11.2020	सामुदायिक शौचालय	44699436	मे० विजय ट्रेडर्स	95396
12	27.11.2020	सामुदायिक शौचालय	44699436	मे० विजय ट्रेडर्स	91857
13	18.12.2020	हैण्डपम्प मरम्मत	36871123	मे० मंगलम ट्रेडर्स	40000
14	24.03.2021	पे फार दिस	36871123	मे० मंगलम ट्रेडर्स	17282
15	24.03.2021	पे फार दिस	36871123	मे० मंगलम ट्रेडर्स	15000
				योग	634417

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
634417.00	0	0	634417.00

प्रस्तर संख्या.28-प्रिया साफ्ट / ऑनलाईन फिडिंग मे निम्न विवरणानुसार टेंडर पर रू० 10500.00 व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त व्यय से संबन्धित प्रमाणक, समाचार पत्र जिसमे टेंडर प्रकाशित हुआ, किन.किन फर्म द्वारा टेंडर डाला गया, तुलनात्मक विवरण पत्र और किस फर्म का टेंडर स्वीकृत हुआ इसका विवरण लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रहा। अस्तु उक्त अभिलेखों के अभाव मे तत्कालीन ग्राम सचिव श्री श्याम बहादुर यादव तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अवधराम द्वारा टेंडर पर फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से वसूली बराबर.बराबर अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है .

तिथि	मद का नाम	आईडी० सं०	फर्म/ व्यक्ति का नाम	व्यय धन
16.07.2020	टेंडर	27697946	श्री अनिल कुमार मिश्रा	10500
			योग	10500

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
10500.00	0	0	10500.00

प्रस्तर संख्या.29-प्रिया साफ्ट / ऑनलाईन फिडिंग मे निम्न विवरणानुसार सामग्री क्रय पर रू0 165752.00 व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त व्यय से संबन्धित प्रमाणक, स्टॉक तथा मृत स्कन्ध पंजिका लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रहा। उक्त अभिलेखों के अभाव मे उपरोक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । अस्तु तत्कालीन ग्राम सचिव श्री श्याम बहादुर यादव तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अवधराम द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से वसूली बराबर.बराबर अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है .

क्र0सं0	तिथि	मद का नाम	आई0डी0 सं0	फर्म का नाम	व्यय धन
01	23.08.2020	स्ट्रीट लाईट	41524896	मे0 मंगलम ट्रेडर्स	64500
02	22.09.2020	फेस मास्क	51525933	एकता स्वयं सहायता समूह	6000
03	12.11.2020	डस्टबीन	41542750	जनता सप्लायर्स	67024
04	12.11.2020	बेबी एवं एडल्ट मशीन	41542750	जनता सप्लायर्स	5428
05	18.12.2020	पीपीई कीट	41537148	श्री बाबा नीम करैली ट्रेडर्स	22800
				योग	165752

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
165752.00	0	0	165752.00

प्रस्तर संख्या-30-प्रिया साफ्ट मे विभिन्न कार्य / आई0डी0 पर मजदुरी मद मे रू0 46185.00 व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त कार्य से संबन्धित मस्टररोल लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही उक्त कार्य से संबन्धित पारित कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रहा। संबन्धित मजदुरों की मजदुरी उनके बैंक खाता मे भुगतानित होने की पुष्टि बैंक स्टेटमेंट के अभाव मे नहीं किया जा सका। अस्तु तत्कालीन ग्राम सचिव श्री श्याम बहादुर यादव तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अवधराम द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से वसूली बराबर.बराबर अपेक्षित है। विवरण.

क्र0सं0	तिथि	कार्य का नाम	आई0डी0 सं0	मजदुरी पर व्यय घन
01	22.08.2020	विवरण अप्राप्त	41524660	6912
02	23.08.2020	विवरण अप्राप्त	41525251	6873

03	14.12.2020	सामुदायिक शौचालय	44699436	32400
			योग	46185

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
46185.00	0	0	46185.00

प्रस्तर संख्या-31-प्रिया साफ्ट/ ऑनलाईन फिडिंग मे निम्न विवरणानुसार मानदेय मद मे रू0 31500.00 व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त व्यय से संबन्धित मानदेय पंजिका लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे बकाया मानदेय रू0 10500.00 की पुष्टि नहीं किया जा सका। अतः उक्त अभिलेख के अभाव मे तत्कालीन ग्राम सचिव श्री श्याम बहादुर यादव तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अवधराम द्वारा मानदेय पर फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। वसूली बराबर.बराबर अपेक्षित है।

क्र0सं0	तिथि	आई0डी0 सं0	मानदेय
01	16.07.2020	27697946	21000
02	22.09.2020	41536691	10500
		योग	31500

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
10500.00	0	0	10500.00

12-ग्राम पंचायत-देवरिया चमन लेखा परीक्षा वर्ष-20-21 विकास खंड -भनवापुर

प्रस्तर संख्या-32-प्रिया साफ्ट / ऑनलाईन फिडिंग मे विभिन्न आई0डी0 / कार्य हेतु निम्न विवरणानुसार रू0 2399800.00 सामग्री क्रय पर व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त क्रय से संबन्धित प्रमाणक लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही उक्त कार्य से संबन्धित ग्राम पंचायत द्वारा पारित कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, स्टॉकबुक, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, टेंडर, कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र, कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रहा। मजदुरी का भुगतान का विवरण प्रस्तुत नहीं रहने से कार्य पूर्णता पर टिप्पणी नहीं किया जा सका साथ ही सामग्री खराब होने की स्थिति भी अज्ञात रहा। कुछ कार्य का लोकेशन भी अंकित नहीं किया गया है। अतः उक्त अभिलेखों के अभाव मे तत्कालीन ग्राम सचिव श्री राकेश पाठक व श्री हरिराम चौधरी तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती संजू द्वारा सामग्री क्रय पर फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से वसूली बराबर.बराबर अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है.

तिथि	कार्य का नाम	वर्क आईडी सं०	फर्म का नाम	व्यय धन
05.12.2020	पे फार दिस	17605841	मे० मंगलम ट्रेडर्स	15000
06.12.2020	प्रा०वि० मे शौचालय	43480257	मे० मंगलम ट्रेडर्स	41212
06.12.2020	प्रा०वि० मे शौचालय	43480257	मे० मंगलम ट्रेडर्स	91374
06.12.2020	बगिया के घर से घनश्याम के घर तक rcc व नाली	43468388	मे० मंगलम ट्रेडर्स	36463
06.12.2020	विन्दा के घारी से चन्द्रीका के घारी तक सीसीरोड	43467610	मे० मंगलम ट्रेडर्स	36463
06.12.2020	विन्दा के घारी से चन्द्रीका के घारी तक सीसीरोड	43467610	मे० मंगलम ट्रेडर्स	185073
06.12.2020	गूड्डू के घर से संतोष के घर तक सीसीरोड	43467435	मे० मंगलम ट्रेडर्स	36463
06.12.2020	गूड्डू के घर से संतोष के घर तक सीसीरोड	43467435	मे० निराला ट्रेडर्स	185073
06.12.2020	सामुदायिक शौचालय	44825294	मे० निराला ट्रेडर्स	105384
06.12.2020	सामुदायिक शौचालय	44825294	मे० निराला ट्रेडर्स	146747
06.12.2020	सामुदायिक शौचालय	44825294	मे० निराला ट्रेडर्स	63116
14.12.2020	पंचम के घर से सुखराम के घर तक सीसीरोड	43481075	मे० निराला ट्रेडर्स	185203
15.12.2020	प्रा०वि० का फर्श एवं टाईल्स	37253496	आर्यन ईट उद्योग	7938
15.12.2020	प्रा०वि० का फर्श एवं टाईल्स	37253496	मे० निराला ट्रेडर्स	178035
15.12.2020	पे फार दिस	43465050	मे० मंगलम ट्रेडर्स	10000
17.12.2020	रामसिंह के घर से रामभजन के घर तक नाली	43475996	आर्यन ईट उद्योग	70334
17.12.2020	रामसिंह के घर से रामभजन के घर तक नाली	43475996	मे० निराला ट्रेडर्स	57184
17.12.2020	पंचम के घर से सुखराम के घर तक सीसीरोड	43481075	आर्यन ईट उद्योग	36595
17.12.2020	प्रह्लाद के घर से पीडब्लूडी रोड तक नाली	43478944	मे० निराला ट्रेडर्स	57183
17.12.2020	प्रह्लाद के घर से पीडब्लूडी रोड तक नाली	43478944	आर्यन ईट उद्योग	54000
22.02.2021	पंचायत भवन	47860806	मे० मंगलम ट्रेडर्स	166688
22.02.2021	पे फार दिस	47860806	मे० मंगलम ट्रेडर्स	166687
22.02.2021	पंचायत भवन	47860806	मे० मंगलम ट्रेडर्स	143360
09.03.2021	पंचायत भवन	47860806	मे० मंगलम ट्रेडर्स	324225
			योग	2399800

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग

2399800	0	0	2399800

प्रस्तर संख्या-33-प्रिया साफ्ट / ऑनलाईन फिडिंग मे निम्न विवरणानुसार टेंडर पर रू0 10290.00 व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त व्यय से संबन्धित प्रमाणक, समाचार पत्र जिसमे टेंडर प्रकाशित हुआ, किन.किन फर्म द्वारा टेंडर डाला गया, तुलनात्मक विवरण पत्र और किस फर्म का टेंडर स्वीकृत हुआ इसका विवरण लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रहा। अस्तु उक्त अभिलेखों के अभाव मे तत्कालीन ग्राम सचिव श्री राकेश पाठक व श्री हरिराम चौधरी तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती संजू द्वारा टेंडर पर फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से वसूली बराबर.बराबर अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है.

तिथि	मद का नाम	आईडी0 सं0	फर्म/ व्यक्ति का नाम	व्यय धन
28.10.2020	टेंडर	43464801	श्री बृजेश कुमार	5290
28.10.2020	टेंडर	43464801	श्री करार फारूकी	5000
			योग	10290

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
10290.00	0	0	10290.00

प्रस्तर संख्या-34-प्रिया साफ्ट / ऑनलाईन फिडिंग मे निम्न विवरणानुसार सामग्री क्रय पर रू0 11928.00 व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त व्यय से संबन्धित प्रमाणक, स्टॉक अथवा मृत स्कन्ध पंजिका लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रहा। उक्त अभिलेखों के अभाव मे उपरोक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । अस्तु तत्कालीन ग्राम सचिव श्री राकेश पाठक व श्री हरिराम चौधरी तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती संजू द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से वसूली बराबर.बराबर अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है-

तिथि	मद का नाम	आईडी0 सं0	फर्म का नाम	व्यय धन
28.10.2020	स्टेशनरी	43465050	मे0 मंगलम ट्रेडर्स	6500
01.09.2020	वेट मशीन	43465050	जनता सप्लायर्स	5428
			योग	11928

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
11928.00	0	0	11928.00

13.ग्राम पंचायत-डोकंम अमया लेखा परीक्षा वर्ष-20-21 विकास खंड -भनवापुर
प्रस्तर संख्या.35-रोकड़वही मे विभिन्न कार्य पर निम्न विवरणानुसार रू0 3258863.00 सामग्री क्रय पर व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त क्रय से संबन्धित प्रमाणक लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही उक्त कार्य से संबन्धित ग्राम पंचायत द्वारा पारित कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, स्टॉकबुक, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, टेंडर, कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रहा। अतः उक्त अभिलेखों के अभाव मे तत्कालीन ग्राम सचिव श्री प्रतीक कुमार रावत तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती साफिया द्वारा सामग्री क्रय पर फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से वसूली बराबर.बराबर अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है .

तिथि	व्यय धन	फर्म का नाम	कार्य का नाम
04.05.2020	186966	कसौघन ट्रेडर्स	दयाराम के घर से मंदिर तक सीसीरोड
04.05.2020	33852	पाण्डेय ब्रिक फिल्ड	दयाराम के घर से मंदिर तक सीसीरोड
04.05.2020	17640	पाण्डेय ब्रिक फिल्ड	इम्तियाज के घर से अरबी स्कूल तक खड़जा मरम्मत
04.05.2020	33852	पाण्डेय ब्रिक फिल्ड	साथी के घर से दयाराम के घर तक सीसीरोड
03.07.2020	186646	कसौघन ट्रेडर्स	साथी के घर से दयाराम के घर तक सीसीरोड
10.08.2020	97780	कसौघन ट्रेडर्स	पीडब्लूडी रोड से कब्रिस्तान तक सीसीरोड
10.08.2020	34453	कसौघन ट्रेडर्स	कमालू के घर से पीडब्लूडी रोड तक इटरलाकिंग
10.08.2020	125184	शिवा ट्रेडर्स	कमालू के घर से पीडब्लूडी रोड तक इटरलाकिंग
25.08.2020	44854	पटेल ब्रिक फिल्ड	कमालू के घर से पीडब्लूडी रोड तक इटरलाकिंग
10.08.2020	33982	कसौघन ट्रेडर्स	ताजिर के घर से कमालू के घर तक इटरलाकिंग
10.08.2020	125184	शिवा ट्रेडर्स	ताजिर के घर से कमालू के घर तक इटरलाकिंग
25.08.2020	44854	पटेल ब्रिक फिल्ड	ताजिर के घर से कमालू के घर तक इटरलाकिंग

26.08.2020	25832	पटेल ब्रिक फिल्ड	ताजिर के घर से कमालू के घर तक इटरलाकिंग
07.12.2020	188496	पटेल ब्रिक फिल्ड	मजिबुल के घर से स्वालेह के घर तक खड़जा मरम्मत
06.10.2020	165060	पटेल ब्रिक फिल्ड	पंचायत भवन निर्माण
06.10.2020	248330	कसौघन ट्रेडर्स	पंचायत भवन निर्माण
11.11.2020	86160	एवन ट्रेडर्स	पंचायत भवन निर्माण
11.11.2020	255856	कसौघन ट्रेडर्स	पंचायत भवन निर्माण
11.11.2020	209580	पटेल ब्रिक फिल्ड	पंचायत भवन निर्माण
19.11.2020	77431	कसौघन ट्रेडर्स	पंचायत भवन निर्माण
24.12.2020	177927	कसौघन ट्रेडर्स	पंचायत भवन निर्माण
24.12.2020	58259	पटेल ब्रिक फिल्ड	पंचायत भवन निर्माण
24.12.2020	49104	एवन ट्रेडर्स	पंचायत भवन निर्माण
14.10.2020	63040	एवन ट्रेडर्स	हैण्डपम्प मरम्मत एवं रिबोर
06.10.2020	71085	पटेल ब्रिक फिल्ड	सामुदायिक शौचालय निर्माण
06.10.2020	88093	कसौघन ट्रेडर्स	सामुदायिक शौचालय निर्माण
19.11.2020	34305	पटेल ब्रिक फिल्ड	सामुदायिक शौचालय निर्माण
19.11.2020	29294	कसौघन ट्रेडर्स	सामुदायिक शौचालय निर्माण
19.11.2020	87381	एवन ट्रेडर्स (दो प्रमाणक)	सामुदायिक शौचालय निर्माण
07.12.2020	86970	कसौघन ट्रेडर्स	मंदिर से सुबाष के घर तक सीसीरोड
07.12.2020	19599	पटेल ब्रिक फिल्ड	मंदिर से सुबाष के घर तक सीसीरोड
19.12.2020	45672	पटेल ब्रिक फिल्ड	पू0मा0वि0 डोकम अमया मे बाउन्ड्रवाल निर्माण
19.12.2020	20000	एवन ट्रेडर्स	पू0मा0वि0 डोकम अमया मे बाउन्ड्रवाल निर्माण
19.12.2020	46101	कसौघन ट्रेडर्स	पू0मा0वि0 डोकम अमया मे बाउन्ड्रवाल निर्माण
19.12.2020	93219	पटेल ब्रिक फिल्ड	पू0मा0वि0 डोकम अमया मे बाउन्ड्रवाल निर्माण
18.12.2020	23296	शिवा ट्रेडर्स	सीसीरोड से अनवर के घर तक इटरलाकिंग
18.12.2020	25578	पटेल ब्रिक फिल्ड	ताजिरके घर से कमालू के घर तक इटरलाकिंग
18.12.2020	17948	कसौघन ट्रेडर्स	ताजिरके घर से कमालूके घर तक इटरलाकिंग

योग	3258863		
अपहरण		दुरुपयोग	अनियमितता
3258863.00		0	0
			योग
			3258863.00

प्रस्तर संख्या-36- रोकड़वही में निम्न विवरणानुसार टेंडर पर ₹0 12647.00 व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त व्यय से संबंधित प्रमाणक, समाचार पत्र जिसमें टेंडर प्रकाशित हुआ, किन.किन फर्म द्वारा टेंडर डाला गया, तुलनात्मक विवरण पत्र और किस फर्म का टेंडर स्वीकृत हुआ इसका विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। अस्तु उक्त अभिलेखों के अभाव में तत्कालीन ग्राम सचिव श्री प्रतीक कुमार रावत तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती साफिया द्वारा टेंडर पर फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। जाँचोपरान्त

सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से वसूली बराबर.बराबर अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है -

तिथि	मद का नाम	फर्म/ व्यक्ति का नाम	व्यय धन
05.08.2020	टेंडर	श्री अनिल कुमार मिश्रा	7274
05.08.2020	टेंडर	श्री रवि प्रकाश पाण्डेय	5373
		योग	12647
		अपहरण	दुरुपयोग
		अनियमितता	योग
		12647.00	0
		0	0
			12647.00

प्रस्तर संख्या.37-रोकड़वही में निम्न विवरणानुसार सामग्री क्रय पर ₹0 160276.00 व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त व्यय से संबंधित प्रमाणक, स्टॉक तथा मृत स्कन्ध पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। उक्त अभिलेखों के अभाव में उपरोक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अस्तु तत्कालीन ग्राम सचिव श्री प्रतीक कुमार रावत तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती साफिया द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से वसूली बराबर. बराबर अपेक्षित है विवरण निम्न प्रकार है -

तिथि	व्यय धन	मद का नाम	फर्म का नाम
22.07.2020	13120	स्प्रे मशीन व दवा	आर के इंटरप्राइजेज
22.07.2020	7000	स्प्रे मशीन	एवन ट्रेडर्स
07.09.2020	37500	पेड़	एकता स्वयं सहायता समूह
07.09.2020	14986	थर्मल स्केनर	जनता सप्लायर्स
14.10.2020	6310	स्टेशनरी	बजरंग कन्सट्रक्शन्स
07.11.2020	15000	पेड़	एकता स्वयं सहायता समूह
11.11.2020	52800	डस्टबीन	दिव्य ट्रेडिंग कम्पनी
11.11.2020	13560	फागिंग मशीन	दिव्य ट्रेडिंग कम्पनी
योग	160276		

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
160276.00	0	0	160276.00

प्रस्तर संख्या.38-रोकड़वही में विभिन्न कार्य पर निम्न विवरणानुसार मजदूरी मद में ₹0 628351.00 व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त कार्य से संबन्धित मस्टररोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही उक्त कार्य से संबन्धित पारित कार्ययोजना, स्टीमेट, एमओबी, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। संबन्धित मजदूरी की मजदूरी उनके बैंक खाता में भुगतानित होने की पुष्टि बैंक स्टेटमेंट के अभाव में नहीं किया जा सका। अस्तु तत्कालीन ग्राम सचिव श्री प्रतीक कुमार रावत तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती साफिया द्वारा मजदूरी पर फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से वसूली बराबर.बराबर अपेक्षित है।विवरण निम्न प्रकार है.

क्र०सं०	तिथि	मजदूरी पर व्यय धन	कार्य का नाम
01	19.11.2020	28693	दयाराम के घर से मंदिर तक सीसीरोड
02	18.12.2020	55275	मजीबुल के घर से स्वालेह के घर तक खड़जा मरम्मत
03	06.11.2020	16281	इम्तियाज के घर से अरबी स्कूल तक खड़जा मरम्मत
04	06.11.2020	26886	साथी के घर से दयाराम के घर तक सीसीरोड
05	02.11.2020	15654	पीडब्लूडी रोड से कब्रिस्तान तक सीसीरोड
06	02.11.2020	28092	कमालू के घर से पीडब्लूडी रोड तक इटरलाकिंग

07	02.11.2020	28092	ताजिर के घर से कमालू के घर तक इटरलाकिंग
08	24.12.2020	377501	पंचायत भवन निर्माण (6 बाउ0)
09	19.11.2020	30000	सामुदायिक शौचालय निर्माण (2 बाउ0)
10	18.12.2020	13045	मंदिर से सुबाष के घर तक सीसीरोड
11	18.12.2020	8832	सीसीरोड से अनवर के घर तक इटरलाकिंग
	योग	628351	

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
628351.00	0	0	628351.00

प्रस्तर संख्या.39-रोकड़वही मे दि0 10.08.2020 को मानदेय रू0 24500.00 (दिसम्बर 2019 से जून 2020 तक) श्रीमती साफिया को भुगतान दर्शित है, परन्तु उक्त व्यय से संबन्धित मानदेय पंजिका लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे बकाया मानदेय रू0 14000.00 (दिसम्बर 2019 से मार्च 2020 तक) की पुष्टि नहीं किया जा सका। अतः उक्त अभिलेख के अभाव मे तत्कालीन ग्राम सचिव श्री प्रतीक कुमार रावत तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती साफिया द्वारा मानदेय पर फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। वसूली बराबर.बराबर अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
14000.00	0	0	14000.00

14.ग्राम पंचायत-गदाखौवालेखा परीक्षा वर्ष-20-21 विकास खंड -भनवापुर

प्रस्तर संख्या.40-प्रिया साफ्ट / ऑनलाईन फिडिंग मे विभिन्न आई0डी0 / कार्य हेतु निम्न विवरणानुसार रू0 1484575.00 सामग्री क्रय पर व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त क्रय से संबन्धित प्रमाणक लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही उक्त कार्य से संबन्धित ग्राम पंचायत द्वारा पारित कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, स्टॉकबुक, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, टेंडर, कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र, कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रहा। मजदुरी का भुगतान का विवरण प्रस्तुत नहीं रहने से कार्य पूर्णता पर टिप्पणी नहीं किया जा सका साथ ही सामग्री खराब होने की स्थिति भी अज्ञात रहा। कार्य का लोकेशन भी अंकित नहीं किया गया है। अतः उक्त अभिलेखों के अभाव मे तत्कालीन ग्राम सचिव श्री राकेश पाठक तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुभावती द्वारा सामग्री क्रय पर फर्जी व्यय दर्शाकर

राजकीय धन का अपहरण किया गया है। सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से वसूली बराबर. बराबर अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है..

क्र० सं०	तिथि	व्यय धन	वर्क आई०डी० सं०	फर्म का नाम	कार्य / सामग्री का नाम
01	03.04.2020	160000	14718886	मे० मंगलम ट्रेडर्स	पे फार दिस
02	03.04.2020	146000	14718890	मे० मंगलम ट्रेडर्स	पे फार दिस
03	05.12.2020	149000	42448100	मे० चौधरी इंटरप्राइजेज	पे फार दिस
04	05.12.2020	100000	42448648	मे० चौधरी इंटरप्राइजेज	चेदी के घर से सालिक के घर तक सीसीरोड
05	23.12.2020	105383	45373143	मे० चौधरी इंटरप्राइजेज	पे फार दिस
06	23.12.2020	217192	45373143	मे० चौधरी इंटरप्राइजेज	पे फार दिस
07	24.12.2020	160000	42448270	मे० चौधरी इंटरप्राइजेज	पे फार दिस
08	22.02.2021	149000	48574451	मे० मंगलम ट्रेडर्स	पे फार दिस
09	22.02.2021	49000	48574451	मे० मंगलम ट्रेडर्स	पे फार दिस
10	23.03.2021	154000	42446070	मे० मंगलम ट्रेडर्स	पा०वि० मे टाईल्स, कलर, शौचालय एवं बाउन्ड्री निर्माण
11	23.03.2021	95000	42446070	मे० मंगलम ट्रेडर्स	पा०वि० मे टाईल्स, कलर, शौचालय एवं बाउन्ड्री निर्माण
	योग	1484575			

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
1484575.00	0	0	1484575.00

प्रस्तर संख्या.41-प्रिया साफ्ट / ऑनलाईन फिडिंग मे निम्न विवरणानुसार टेंडर पर रू० 10000.00 व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त व्यय से संबन्धित प्रमाणक, समाचार पत्र जिसमे टेंडर प्रकाशित हुआ, किन.किन फर्म द्वारा टेंडर डाला गया, तुलनात्मक विवरण पत्र और किस फर्म का टेंडर स्वीकृत हुआ इसका विवरण लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रहा। अस्तु उक्त अभिलेखों के अभाव मे तत्कालीन ग्राम सचिव श्री राकेश पाठक तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुभावती द्वारा टेंडर पर फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से वसूली बराबर. बराबर अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है .

तिथि	मद का नाम	आई०डी० सं०	फर्म/ व्यक्ति का नाम	व्यय धन
28.09.2020	टेंडर	42444361	श्री बृजेश पाण्डेय	5000
28.09.2020	टेंडर	42444361	श्री करार हुसैन	5000

			योग	10000

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
10000.00	0	0	10000.00

15.ग्राम पंचायत-गड़ावरलेखा परीक्षा वर्ष-20-21 विकास खंड -भनवापुर

प्रस्तर संख्या-42-प्रिया साफ्ट / ऑनलाईन फिडिंग मे विभिन्न आईडीओ / कार्य हेतु निम्न विवरणानुसार रू0 907575.00 सामग्री क्रय पर व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त क्रय से संबन्धित प्रमाणक लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही उक्त कार्य से संबन्धित ग्राम पंचायत द्वारा पारित कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, स्टॉकबुक, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, टेंडर, कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र, कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रहा। मजदुरी का भुगतान का विवरण प्रस्तुत नहीं रहने से कार्य पूर्णता पर टिप्पणी नहीं किया जा सका साथ ही सामग्री खराब होने की स्थिति भी अज्ञात रहा। कार्य का लोकेशन भी अंकित नहीं किया गया है। अतः उक्त अभिलेखों के अभाव मे तत्कालीन ग्राम सचिव श्री राकेश पाठक तथा तत्कालीन ग्रामप्रधान श्रीमती चिनकनी द्वारा सामग्री क्रय पर फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है।सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से वसूली बराबर.बराबर अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है -

क्र0सं0	तिथि	व्यय धन	वर्क आईडीओ सं0	फर्म का नाम	कार्य / सामग्री का नाम
01	25.04.2020	100000	14920655	मे0 मंगलम ट्रेडर्स	पे फार दिस
02	15.08.2020	110000	38296805	मे0 मंगलम ट्रेडर्स	पे फार दिस
03	14.09.2020	90000	14920637	मे0 मंगलम ट्रेडर्स	पे फार दिस
04	09.12.2020	6500	4425269	मे0 मंगलम ट्रेडर्स	पे फार दिस
05	11.12.2020	105383	45316673	मे0 मंगलम ट्रेडर्स	सामुदायिक शौचालय
06	11.12.2020	217192	45316673	मे0 चौधरी इंटरप्राइजेज	सामुदायिक शौचालय
07	24.12.2020	108000	42297437	मे0 मंगलम ट्रेडर्स	पे फार दिस
08	10.03.2021	170500	49800219	मे0 मंगलम ट्रेडर्स	पे फार कायाकल्प
	योग	907575			

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
907575.00	0	0	907575.0 0

प्रस्तर संख्या.43-प्रिया साफ्ट / ऑनलाईन फिडिंग मे दि० 06.12.2020 को टेंडर पर ₹0 5000.00 व्यय (आफताब आलम को) दर्शित है, परन्तु उक्त व्यय से संबन्धित प्रमाणक, समाचार पत्र जिसमे टेडर प्रकाशित हुआ, किन.किन फर्म द्वारा टेंडर डाला गया, तुलनात्मक विवरण पत्र और किस फर्म का टेंडर स्वीकृत हुआ इसका विवरण लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रहा। अस्तु उक्त अभिलेखों के अभाव मे तत्कालीन ग्राम सचिव श्री राकेश पाठक तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती चिनकनी द्वारा टेंडर पर फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से वसूली बराबर.बराबर अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
5000.00	0	0	5000.0 0

प्रस्तर संख्या.44-प्रिया साफ्ट / ऑनलाईन फिडिंग मे दि० 22.12.2020 को मास्क क्रय पर ₹0 9500.00 व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त व्यय से संबन्धित प्रमाणक, स्टॉक तथा मृत स्कन्ध पंजिका लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रहा। उक्त अभिलेखों के अभाव मे उपरोक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । अस्तु तत्कालीन ग्राम सचिव श्री राकेश पाठक तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती चिनकनी द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से वसूली बराबर.बराबर अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
9500.00	0	0	9500.0 0

16.ग्राम पंचायत-गनवरिया बुजुर्गलेखा परीक्षा वर्ष-20-21 विकास खंड -भनवापुर

प्रस्तर संख्या.45-प्रिया साफ्ट / ऑनलाईन फिडिंग मे विभिन्न आई०डी० / कार्य हेतु निम्न विवरणानुसार ₹0 347961.00 सामग्री क्रय पर व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त क्रय से संबन्धित प्रमाणक लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही उक्त कार्य से संबन्धित ग्राम पंचायत द्वारा पारित कार्ययोजना, स्टीमेट, एम०बी०, स्टॉक बुक, तकनीकी एवं प्रशासनिकस्वीकृति, टेंडर, कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र, कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रहा। मजदुरी का भुगतान का विवरण प्रस्तुत नहीं रहने से कार्य पूर्णता पर टिप्पणी नहीं किया जा सका साथ ही सामग्री

खराब होने की स्थिति भी अज्ञात रहा। कार्य का लोकेशन भी अंकित नहीं किया गया है। अतः उक्त अभिलेखों के अभाव में तत्कालीन ग्राम सचिव श्री रणविजय यादव और श्री श्यामबहादुर यादव तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मोल्हू द्वारा सामग्री क्रय पर फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से वसूली बराबर.बराबर अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है -

तिथि	कार्य का नाम	वर्क आईडी सं०	फर्म का नाम	व्यय धन
22.07.2020	सीसी रोड	40177762	मे० कसौधन ट्रेडर्स	82056
22.07.2020	सीसी रोड	40177762	मे० कसौधन ट्रेडर्स	23275
22.07.2020	सीसी रोड	40177762	मो० जमा ब्रिक फिल्ड	29286
13.12.2020	नाली निर्माण	40178142	मे० कसौधन ट्रेडर्स	115144
13.12.2020	नाली निर्माण	40178142	मो० जमा ब्रिक फिल्ड	52500
17.12.2020	नाली निर्माण	40178142	मे० कसौधन ट्रेडर्स	37762
17.12.2020	नाली निर्माण	40178142	मो० जमा ब्रिक फिल्ड	7938
			योग	347961

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
347961.00	0	0	347961.00

प्रस्तर संख्या.46-प्रिया साफ्ट / ऑनलाईन फिडिंग में निम्न विवरणानुसार टेंडर पर ₹0 10660.00 व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त व्यय से संबन्धित प्रमाणक, समाचार पत्र जिसमें टेंडर प्रकाशित हुआ, किन.किन फर्म द्वारा टेंडर डाला गया, तुलनात्मक विवरण पत्र और किस फर्म का टेंडर स्वीकृत हुआ इसका विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। अस्तु उक्त अभिलेखों के अभाव में तत्कालीन ग्राम सचिव श्री रणविजय यादव और श्री श्यामबहादुर यादव तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मोल्हू द्वारा टेंडर पर फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से वसूली बराबर.बराबर अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है .

तिथि	मद का नाम	आईडी सं०	फर्म/ व्यक्ति का नाम	व्यय धन
13.07.2020	टेंडर	40183539	श्री बृजेश कुमार पाण्डेय	5290
13.07.2020	टेंडर	40183539	श्री मनोज कुमार शुक्ला	5370
			योग	10660

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग

10660.00	0	0	10660.00

प्रस्तर संख्या.47-प्रिया साफ्ट / ऑनलाईन फिडिंग मे निम्न विवरणानुसार सामग्री क्रय पर रू0 71558.00 व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त व्यय से संबन्धित प्रमाणक, स्टॉक तथा मृत स्कन्ध पंजिका लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रहा। उक्त अभिलेखों के अभाव मे उपरोक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । अस्तु तत्कालीन ग्राम सचिव श्री रणविजय यादव और श्री श्यामबहादुर यादव तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मोल्हू द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से वसूली बराबर. बराबर अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है -

तिथि	मद का नाम	आई0डी0 सं0	फर्म का नाम	व्यय धन	
13.07.2020	स्प्रे मशीन व दवा	40204196	आर के इंटरप्राईजेज	27760	
01.09.2020	थर्मल स्केनर	40185253	जनता सप्लायर्स	13688	
01.09.2020	फेस मास्क	40185253	एकता स्वयं सहायता समूह	4000	
05.10.2020	पेड़	40185253	एकता स्वयं सहायता समूह	19800	
13.11.2020	स्टेशनरी	40185253	बजरंग कन्सट्रक्शन्स	6310	
			योग	71558	
अपहरण			दुरुपयोग	अनियमितता	योग
71558.00			0	0	71558.00

17.ग्राम पंचायत-गौरा बड़हरीलेखा परीक्षा वर्ष-20-21 विकास खंड -भनवापुर

प्रस्तर संख्या.48-प्रिया साफ्ट / ऑनलाईन फिडिंग मे विभिन्न आईडीओ / कार्य हेतु निम्न विवरणानुसार रू0 4980137.50 सामग्री क्रय पर व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त क्रय से संबन्धित प्रमाणक लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही उक्त कार्य से संबन्धित ग्राम पंचायत द्वारा पारित कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, स्टॉकबुक, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, टेंडर, कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र, कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रहा। मजदुरी का भुगतान का विवरण प्रस्तुत नहीं रहने से कार्य पूर्णता पर टिप्पणी नहीं किया जा सका साथ ही सामग्री खराब होने की स्थिति भी अज्ञात रहा। कार्य का लोकेशन भी अंकित नहीं किया गया है। अतः उक्त अभिलेखों के अभाव मे तत्कालीन ग्राम सचिव श्री श्यामबहादुर यादव तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती विन्ध्यवासिनी द्वारा सामग्री क्रय पर फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से वसूली बराबर.बराबर अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है -

क्र०सं०	तिथि	व्यय धन	वर्क आईडी० सं०	फर्म का नाम	कार्य / सामग्री का नाम
01	04.07.2020	8000	37132734	मंगलम ट्रेडर्स	पे फार दिस
02	04.07.2020	20000	41913130	बजरंग कंसट्रक्सन्स	पे फार दिस
03	04.07.2020	20514	41912479	मंगलम ट्रेडर्स	पे फार दिस
04	04.07.2020	77787	43401571	रोशनी बिल्डिंग मेटरियल्स	पे फार दिस
05	15.07.2020	4830	41911426	मो० जमा ब्रिक फिल्ड	पे फार दिस
06	15.07.2020	52710	43401571	डॉक्टर ब्रिक फिल्ड	पे फार दिस
07	23.07.2020	26748	41831157	रोशनी बिल्डिंग मेटरियल्स	पे फार दिस
08	23.07.2020	40950	41831157	डॉक्टर ब्रिक फिल्ड	पे फार दिस
09	23.07.2020	94720	41831157	शिवा ट्रेडर्स	पे फार दिस
10	27.07.2020	1875	41831157	रोशनी बिल्डिंग मेटरियल्स	पे फार दिस
11	27.07.2020	3416	41831157	डॉक्टर ब्रिक फिल्ड	पे फार दिस
12	27.07.2020	34672	43401571	रोशनी बिल्डिंग मेटरियल्स	पे फार दिस
13	30.07.2020	77787	43401660	मंगलम ट्रेडर्स	पे फार दिस
14	30.07.2020	52710	43401660	मंगलम ट्रेडर्स	पे फार दिस
15	06.08.2020	34672.50	43401660	मंगलम ट्रेडर्स	पे फार दिस
16	13.08.2020	11500	37132734	मंगलम ट्रेडर्स	पे फार दिस
17	15.08.2020	94976	41831778	शिवा ट्रेडर्स	पे फार दिस
18	06.09.2020	94976	41832048	शिवा ट्रेडर्स	पे फार दिस
19	06.09.2020	44366	41832048	डॉक्टर ब्रिक फिल्ड	पे फार दिस
20	06.09.2020	28746	41832048	रोशनी बिल्डिंग मेटरियल्स	पे फार दिस
21	06.09.2020	77787	43401768	रोशनी बिल्डिंग मेटरियल्स	पे फार दिस
22	06.09.2020	34672	43401768	रोशनी बिल्डिंग मेटरियल्स	पे फार दिस

23	06.09.2020	77787	43401814	रोशनी बिल्डिंग मेटरियल्स	पे फार दिस
24	06.09.2020	34672	43401814	रोशनी बिल्डिंग मेटरियल्स	पे फार दिस
25	06.09.2020	52710	43401814	डॉक्टर ब्रिक फिल्ड	पे फार दिस
26	06.09.2020	94976	41831437	शिवा ट्रेडर्स	पे फार दिस
27	06.09.2020	44366	41831437	डॉक्टर ब्रिक फिल्ड	पे फार दिस
28	06.09.2020	28746	41831437	रोशनी बिल्डिंग मेटरियल्स	पे फार दिस
29	12.09.2020	94976	41831778	शिवा ट्रेडर्स	पे फार दिस
30	12.09.2020	44366	41831778	डॉक्टर ब्रिक फिल्ड	पे फार दिस
31	12.09.2020	15000	41831778	रोशनी बिल्डिंग मेटरियल्स	पे फार दिस
32	24.09.2020	71073	44709975	रोशनी बिल्डिंग मेटरियल्स	पे फार दिस
33	24.09.2020	28140	44709975	डॉक्टर ब्रिक फिल्ड	पे फार दिस
34	08.10.2020	94976	41832248	शिवा ट्रेडर्स	पोखरे से मंदिर तक इंटरलॉकिंग
35	08.10.2020	28746	41832248	रोशनी बिल्डिंग मेटरियल्स	पोखरे से मंदिर तक इंटरलॉकिंग
36	23.10.2020	50837	44709975	मंगलम ट्रेडर्स	सामुदायिक शौचालय
37	23.10.2020	85475	44709975	मंगलम ट्रेडर्स	सामुदायिक शौचालय
38	23.10.2020	69615	44709975	मंगलम ट्रेडर्स	सामुदायिक शौचालय
39	30.10.2020	77787	43401719	रोशनी बिल्डिंग मेटरियल्स	खेमराज के खेत से मकसूद के खेत तक नाला
40	30.10.2020	34672	43401719	रोशनी बिल्डिंग मेटरियल्स	खेमराज के खेत से मकसूद के खेत तक नाला
41	30.10.2020	52710	43401719	डॉक्टर ब्रिक फिल्ड	खेमराज के खेत से मकसूद के खेत तक नाला

42	30.10.2020	77787	43401930	रोशनी बिल्डिंग मेटरियल्स	चेदी के खेत से पंडित के खेत तक नाला
43	30.10.2020	34672	43401930	रोशनी बिल्डिंग मेटरियल्स	चेदी के खेत से पंडित के खेत तक नाला
44	30.10.2020	52710	43401930	डॉक्टर ब्रिक फिल्ड	चेदी के खेत से पंडित के खेत तक नाला
45	30.10.2020	34672	43401660	रोशनी बिल्डिंग मेटरियल्स	फारूख के खेत से हेमराज के खेत तक नाला
46	30.10.2020	44366	41832248	डॉक्टर ब्रिक फिल्ड	पोखरे से काली मंदिर तक इंटरलॉकिंग
47	30.10.2020	28746	41831437	रोशनी बिल्डिंग मेटरियल्स	धर्मराज के खेत से पुत्तिपत के खेत तक इंटरलॉकिंग
48	10.11.2020	85294	41833910	रोशनी बिल्डिंग मेटरियल्स	चने के घर से पीडब्लूडी रेड तक नाली
49	10.11.2020	73500	41833910	डॉक्टर ब्रिक फिल्ड	चने के घर से पीडब्लूडी रेड तक नाली
50	10.11.2020	85294	41833155	रोशनी बिल्डिंग मेटरियल्स	अफसर के घर से सड़क के दोनो तरफ नाली
51	10.11.2020	73500	41833155	डॉक्टर ब्रिक फिल्ड	अफसर के घर से सड़क के दोनो तरफ नाली
52	12.11.2020	71378	41835350	रोशनी बिल्डिंग मेटरियल्स	असगर के घर से जनार्दन के घर तक सीसी
53	12.11.2020	51486	41835350	रोशनी बिल्डिंग मेटरियल्स	असगर के घर से जनार्दन के घर तक सीसी

54	12.11.2020	40845	41835350	डॉक्टर ब्रिक फिल्ड	असगर के घर से जनार्दन के घर तक सीसी
55	12.11.2020	71378	41833463	रोशनी बिल्डिंग मेटरियल्स	जनार्दन के घर से राजू के घर तक सीसी
56	12.11.2020	51486	41833463	रोशनी बिल्डिंग मेटरियल्स	जनार्दन के घर से राजू के घर तक सीसी
57	12.11.2020	40845	41833463	डॉक्टर ब्रिक फिल्ड	जनार्दन के घर से राजू के घर तक सीसी
58	19.11.2020	25400	41832896	रोशनी बिल्डिंग मेटरियल्स	भलभल के घर से पंडित के घर तक इंटरलॉकिंग
59	19.11.2020	39480	41827939	डॉक्टर ब्रिक फिल्ड	जग्गी के घर से घनश्याम के घर तक सीसी इंटरलॉकिंग
60	19.11.2020	25400	41827939	रोशनी बिल्डिंग मेटरियल्स	जग्गी के घर से घनश्याम के घर तक सीसी इंटरलॉकिंग
61	19.11.2020	39480	41827939	डॉक्टर ब्रिक फिल्ड	जग्गी के घर से घनश्याम के घर तक सीसी इंटरलॉकिंग
62	19.11.2020	85294	41825644	रोशनी बिल्डिंग मेटरियल्स	लवकुश के घर से परशुराम के घर तक नाली
63	19.11.2020	73500	41825644	डॉक्टर ब्रिक फिल्ड	लवकुश के घर से परशुराम के घर तक नाली
64	24.11.2020	99840	41832896	शिवा ट्रेडर्स	भलभल के घर से पंडित के घर तक इंटरलॉकिंग
65	24.11.2020	99840	41827939	शिवा ट्रेडर्स	जग्गी के घर से घनश्याम के घर तक सीसी इंटरलॉकिंग

66	07.12.2020	77650	45296749	रोशनी बिल्डिंग मेटरियल्स	पंचायत भवन
67	07.12.2020	92400	45296749	डॉक्टर ब्रिक फिल्ड	पंचायत भवन
68	07.12.2020	77650	45296749	मंगलम ट्रेडर्स	पंचायत भवन
69	07.12.2020	92400	45296749	मंगलम ट्रेडर्स	पंचायत भवन
70	12.12.2020	85144	41834487	रोशनी बिल्डिंग मेटरियल्स	जंगी के घर से पिचरोड तक इंटरलॉकिंग
71	12.12.2020	22680	41834487	डॉक्टर ब्रिक फिल्ड	जंगी के घर से पिचरोड तक इंटरलॉकिंग
72	12.12.2020	66304	41834487	मंगलम ट्रेडर्स	जंगी के घर से पिचरोड तक इंटरलॉकिंग
73	12.12.2020	45000	41913702	मंगलम ट्रेडर्स	हैण्डपम्प मरम्मत
74	12.12.2020	77650	45296749	रोशनी बिल्डिंग मेटरियल्स	पंचायत भवन
75	12.12.2020	77650	45296749	मंगलम ट्रेडर्स	पंचायत भवन
76	14.12.2020	87156	45355382	रोशनी बिल्डिंग मेटरियल्स	पूजी लोहार के घर से ईदगाह तक नाली
77	14.12.2020	74264	45355382	मंगलम ट्रेडर्स	पूजी लोहार के घर से ईदगाह तक नाली
78	18.12.2020	35931	41913998	मंगलम ट्रेडर्स	पे फार दिस
79	18.12.2020	33000	41913998	मंगलम ट्रेडर्स	पे फार दिस
80	18.12.2020	21474	41913998	मंगलम ट्रेडर्स	पे फार दिस
81	20.12.2020	23041	45376019	रोशनी बिल्डिंग मेटरियल्स	प्रा0वि0 मे इंटरलॉकिंग
82	20.12.2020	21903	45376019	डॉक्टर ब्रिक फिल्ड	प्रा0वि0 मे इंटरलॉकिंग
83	20.12.2020	51200	45376019	मंगलम ट्रेडर्स	प्रा0वि0 मे इंटरलॉकिंग

84	20.12.2020	54528	45376019	मंगलम ट्रेडर्स	प्रा0वि0 मे इंटरलाकिंग
85	24.12.2020	87156	45355407	रोशनी बिल्डिंग मेटरियल्स	पे फार दिस
86	24.12.2020	74264	45355407	डॉक्टर ब्रिक फिल्ड	पे फार दिस
87	24.12.2020	19250	45296742	मंगलम ट्रेडर्स	.
88	24.12.2020	1000	41832048	मंगलम ट्रेडर्स	पे
89	24.12.2020	1000	41832248	मंगलम ट्रेडर्स	पे
90	26.03.2021	89332	41914780	मंगलम ट्रेडर्स	स्कूल मे विकलांग शौचालय
91	26.03.2021	34440	41914780	मंगलम ट्रेडर्स	स्कूल मे विकलांग शौचालय
92	26.03.2021	500	41914780	मंगलम ट्रेडर्स	स्कूल मे विकलांग शौचालय
93	26.03.2021	84573	41915093	मंगलम ट्रेडर्स	प्रा0वि0 मे बाउन्ड्रीबाल
94	26.03.2021	45360	41915093	मंगलम ट्रेडर्स	प्रा0वि0 मे बाउन्ड्रीबाल
	योग	4980137.50			

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
4980137.50	0	0	4980137.50

प्रस्तर संख्या.49-प्रिया साफ्ट / ऑनलाईन फिडिंग मे निम्न विवरणानुसार टेंडर पर रू0 20951.00 व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त व्यय से संबन्धित प्रमाणक, समाचार पत्र जिसमे टेंडर प्रकाशित हुआ, किन.किन फर्म द्वारा टेंडर डाला गया, तुलनात्मक विवरण पत्र और किस फर्म का टेंडर स्वीकृत हुआ इसका विवरण लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रहा। अस्तु उक्त अभिलेखों के अभाव मे तत्कालीन ग्राम सचिव श्री श्यामबहादुर यादव तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती विन्ध्यवासिनी द्वारा टेंडर पर फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से वसूली बराबर.बराबर अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है -

तिथि	मद का नाम	आईडी0 सं0	फर्म/ व्यक्ति का नाम	व्यय धन
27.07.2020	टैंडर	41911426	श्री राजेशकुमार यादव	5631
07.09.2020	टैंडर	41911426	श्री रामकृपाल	5320
20.12.2020	टैंडर	10114412	श्री अनिल मिश्रा	10000
			योग	20951

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
20951.00	0	0	20951.00

प्रस्तर संख्या-50-प्रिया साफ्ट / ऑनलाईन फिडिंग मे निम्न विवरणानुसार सामग्री क्रय पर ₹0 113580.00 व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त व्यय से संबन्धित प्रमाणक, स्टॉक तथा मृत स्कन्ध पंजिका लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रहा। उक्त अभिलेखों के अभाव मे उपरोक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । अस्तु तत्कालीन ग्राम सचिव श्री श्यामबहादुर यादव तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती विन्ध्यवासिनी द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से वसूली बराबर.बराबर अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है .

क्र0सं0	तिथि	व्यय धन	आईडी0 सं0	फर्म का नाम	मद का नाम
01	21.09.2020	7000	41912479	एकता स्वयं सहायता समूह	मास्क
02	06.12.2020	83780	45296742	जनता सप्लायर्स	डस्टबीन
03	18.12.2020	22800	45296742	श्री बाबा नीमकरौली ट्रेडर्स	पीपीई कीट
	योग	113580			

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
113580.00	0	0	113580.00

प्रस्तर संख्या-51-प्रिया साफ्ट मे विभिन्न कार्य / आईडी0 पर मजदुरी मद मे ₹0 259273.00 व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त कार्य से संबन्धित मस्टररोल लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही उक्त कार्य से संबन्धित पारित कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रहा। संबन्धित मजदुरों की मजदुरी उनके बैंक खाता मे भुगतानित होने की पुष्टि बैंक स्टेटमेंट के अभाव मे नहीं किया जा सका। अस्तु तत्कालीन ग्राम सचिव श्री श्यामबहादुर यादव तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती विन्ध्यवासिनी द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से वसूली बराबर.बराबर अपेक्षित है। विवरण निम्न है .

क्र०सं०	तिथि	मजदूरी	आई०डी० सं०	कार्य का नाम
01	18.08.2020	23310	43401571	विवरण अप्राप्त
02	18.08.2020	20430	41831157	विवरण अप्राप्त
03	12.09.2020	20430	41832048	विवरण अप्राप्त
04	16.09.2020	18420	12680152	विवरण अप्राप्त
05	20.09.2020	27972	43401768	विवरण अप्राप्त
06	21.10.2020	21064	41832248	विवरण अप्राप्त
07	18.12.2020	2634	41913998	विवरण अप्राप्त
08	23.12.2020	10800	41914506	विवरण अप्राप्त
09	23.12.2020	32400	41914506	विवरण अप्राप्त
10	24.12.2020	11250	45355407	विवरण अप्राप्त
11	24.12.2020	11250	41834487	विवरण अप्राप्त
12	24.12.2020	3750	45376019	विवरण अप्राप्त
13	26.03.2021	22464	41914780	विवरण अप्राप्त
14	26.03.2021	33099	41915093	विवरण अप्राप्त
	योग	259273		

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
259273.00	0	0	259273.00

प्रस्तर संख्या-52-प्रिया साफ्ट/ ऑनलाईन फिडिंग में निम्न विवरणानुसार मानदेय मद में ₹0 143500.00 व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त व्यय से संबन्धित मानदेय पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे बकाया मानदेय ₹0 112000.00 की पुष्टि नहीं किया जा सका। अतः उक्त अभिलेख के अभाव में तत्कालीन ग्राम सचिव श्री श्यामबहादुर यादव तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती विन्ध्यवासिनी द्वारा मानदेय पर फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। वसूली बराबर-बराबर अपेक्षित है।

क्र०सं०	तिथि	आई०डी० सं०	मानदेय
01	07.09.2020	4782074	10500
02	03.12.2020	16506953	17500

03	17.12.2020	45376817	42000
04	20.12.2020	41912479	42000
05	23.12.2020	41911643	31500
		योग	143500

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
112000.00	0	0	112000.00

18.ग्राम पंचायत-जहदा मुस्तहकम लेखा परीक्षा वर्ष-20-21 विकास खंड -भनवापुर
प्रस्तर संख्या-53-प्रिया साफ्ट/ऑनलाईनफिडिंग/ रोकडवही मे विभिन्न आई0डी0/कार्य हेतु निम्न विवरणानुसार रू0 587936.00 सामग्री क्रय पर व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त क्रय से संबन्धित प्रमाणक लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही उक्त कार्य से संबन्धित ग्राम पंचायत द्वारा पारित कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, स्टॉकबुक, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, टेंडर, कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र, कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रहा। मजदुरी का भुगतान का विवरण प्रस्तुत नहीं रहने से कार्य पूर्णता पर टिप्पणी नहीं किया जा सका साथ ही सामग्री खराब होने की स्थिति भी अज्ञात रहा।कार्य का लोकेशन भी अंकित नहीं किया गया है। अतः उक्त अभिलेखों के अभाव मे तत्कालीन ग्राम सचिव श्री धीरेन्द्र सिंह यादव तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री कोदई द्वारा सामग्री क्रय पर फर्जी व्यय दर्शाकरराजकीय धन का अपहरण किया गया है। सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से वसूली बराबर.बराबर अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है .

क्र0सं0	तिथि	व्यय धन	वर्क आई0डी0 सं0	फर्म का नाम	कार्य का नाम
01	19.12.2020	27800	45397696	अग्रहरि खाद भंडार एवं बिल्डिंग मेटरियल	साधूराम के घर ते कामता के घर तक सीसी रोड
02	19.12.2020	75075	45397696	अग्रहरि खाद भंडार एवं बिल्डिंग मेटरियल	साधूराम के घर ते कामता के घर तक सीसी रोड
03	19.12.2020	38220	45397696	मे0 चौधरी ट्रेडर्स	साधूराम के घर ते कामता के घर तक सीसी रोड
04	09.07.2020	39096	41837937	माँ विन्ध्यवासिनी ट्रेडर्स	कामता के घर से ओमकार के धर तक नाली
05	09.07.2020	56574	41837937	मे0 चौधरी ट्रेडर्स	कामता के घर से ओमकार के धर तक नाली

06	19.12.2020	39270	45397746	मे0 चौधरी ट्रेडर्स	प्रकाश के घर ते साधूराम के घर तक सीसी रोड
07	19.12.2020	64867	45397746	अग्रहरि खाद भंडार एवं बिल्डिंग मेटरियल	प्रकाश के घर ते साधूराम के घर तक सीसी रोड
08	04.09.2020	37920	41838491	मे0 चौधरी ट्रेडर्स	शिवप्रसाद के घर से छविराज के घर तक नाली
09	05.09.2020	21069	41838491	माँ विन्ध्यवासिनी ट्रेडर्स	शिवप्रसाद के घर से छविराज के घर तक नाली
10	19.12.2020	34316	45397746	अग्रहरि खाद भंडार एवं बिल्डिंग मेटरियल	प्रा0वि0 मे अतिरिक्त कक्ष का फर्श एवं टाईल्स
11	03.10.2020	32665	41839125	माँ विन्ध्यवासिनी ट्रेडर्स	सामुदायिक शौचालय
12	03.10.2020	92836	41839125	मे0 चौधरी ट्रेडर्स	सामुदायिक शौचालय
13	19.12.2020	9437	41839526	मे0 किसान ट्रेडर्स	हैण्डपम्प रिबोर
14	19.12.2020	9331	41839526	अग्रहरि खाद भंडार एवं बिल्डिंग मेटरियल	हैण्डपम्प रिबोर
15	19.12.2020	9460	41839526	मे0 चौधरी ट्रेडर्स	हैण्डपम्प रिबोर
	योग	587936			

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
587936.0	0	0	587936.0

प्रस्तर संख्या.54- प्रिया साफ्ट/ऑनलाईन/फिडिंग/ रोकड़वही मे निम्न विवरणानुसार टेंडर पर ₹0 12647.00 व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त व्यय से संबन्धित प्रमाणक, समाचार पत्र जिसमे टेडर प्रकाशित हुआ, किन.किन फर्म द्वारा टेंडर डाला गया, तुलनात्मक विवरण पत्र और किस फर्म का टेंडर स्वीकृत हुआ इसका विवरण लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रहा। अस्तु उक्त अभिलेखो के अभाव मे तत्कालीन ग्राम सचिव श्री धीरेन्द्र सिंह यादव तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री कोदई द्वारा टेंडर पर फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से वसूली बराबर.बराबर अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है -

तिथि	मद का नाम	आई0डी0 सं0	फर्म/ व्यक्ति का नाम	व्यय धन
09.07.2020	टेंडर	41838798	श्री अनिल कुमार मिश्रा	7274
09.07.2020	टेंडर	41838798	श्री रविप्रकाश पाण्डेय	5373
			योग	12647

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग

12647.00	0	0	12647.00

प्रस्तर संख्या-55-प्रिया साफ्ट/ऑनलाईनफिडिंग/ रोकड़वही मे निम्न विवरणानुसार सामग्री क्रय पर रू0 62610.00 व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त व्यय से संबन्धित प्रमाणक, स्टॉक तथा मृत स्कन्ध पंजिका लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रहा। उक्त अभिलेखों के अभाव मे उपरोक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । अस्तु तत्कालीन ग्राम सचिव श्री धीरेन्द्र सिंह यादव तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री कोदई द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से वसूली बराबर.बराबर अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है -

क्र0सं0	तिथि	व्यय धन	वर्क आईडी0 सं0	फर्म का नाम	सामग्री/ मद का नाम
01	08.07.2020	20160	41839220	मे0 कसौधन ट्रेडर्स	स्प्रे मशीन व दवा
02	30.10.2020	7500	41839437	एकता स्वयं सहायता समूह	वृक्षारोपण
03	30.10.2020	30000	41839437	एकता स्वयं सहायता समूह	वृक्षारोपण
04	16.12.2020	4950	41839437	बजरंग कन्सट्रक्शन्स	स्टेशनरी
	योग	62610			

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
62610.00	0	0	62610.00

प्रस्तर संख्या-56-प्रिया साफ्ट/ रोकड़वही मे विभिन्न कार्य पर मजदुरी मद मे रू0 68103.00 व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त कार्य से संबन्धित मस्टररोल लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही उक्त कार्य से संबन्धित पारित कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रहा। संबन्धित मजदुरो की मजदुरी उनके बैंक खाता मे भुगतानित होने की पुष्टि बैंक स्टेटमेंट के अभाव मे नहीं किया जा सका। अस्तु तत्कालीन ग्राम सचिव श्री धीरेन्द्र सिंह यादव तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री कोदई द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से वसूली बराबर.बराबर अपेक्षित है। विवरण.

	तिथि	मजदुरी	कार्य का नाम	आईडी0 सं0
01	04.09.2020	16800	कामता के घर से ओमकार के धर तक नाली	41837937
02	05.09.2020	4020	कामता के घर से ओमकार के धर तक नाली	41837937
03	04.09.2020	10128	शिवप्रसाद के घर से छविराज के धर तक नाली	41838491
04	05.09.2020	4422	शिवप्रसाद के घर से छविराज के धर तक नाली	41838491

05	16.12.2020	30000	सामुदायिक शौचालय	41839125
06	19.12.2020	2733	हैण्डपम्प रिबोर	41839526
	योग	68103		

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
68103.00	0	0	68103.00

प्रस्तर संख्या-57-प्रिया साफ्ट/ ऑनलाईन फिडिंग/ रोकड़वही में निम्न विवरणानुसार मानदेय मद में ₹0 42000.00 व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त व्यय से संबन्धित मानदेय पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे बकाया मानदेय ₹0 10500.00 की पुष्टि नहीं किया जा सका। अतः उक्त अभिलेख के अभाव में तत्कालीन ग्राम सचिव श्री धीरेन्द्र सिंह यादव तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री कोदई द्वारा मानदेय पर फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। वसूली बराबर.बराबर अपेक्षित है।

क्र०सं०	तिथि	आई०डी० सं०	मानदेय
01	08.07.2020	41838735	21000
02	16.12.2020	41838735	21000
		योग	42000

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
10500.00	0	0	10500.00

19.ग्राम पंचायत-जिगिना हबीबपुरलेखा परीक्षा वर्ष-20-21 विकास खंड -भनवापुर

प्रस्तर संख्या-58-प्रिया साफ्ट / ऑनलाईन फिडिंग में विभिन्न आई०डी० / कार्य हेतु निम्न विवरणानुसार ₹0 716750.00 सामग्री क्रय पर व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त क्रय से संबन्धित प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही उक्त कार्य से संबन्धित ग्राम पंचायत द्वारा पारित कार्ययोजना, स्टीमेट, एम०बी०, स्टॉकबुक, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, टेंडर, कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र, कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। मजदुरी का भुगतान का विवरण प्रस्तुत नहीं रहने से कार्य पूर्णता पर टिप्पणी नहीं किया जा सका साथ ही सामग्री खराब होने की स्थिति भी अज्ञात रहा। कार्य का लोकेशन भी अंकित नहीं किया गया है। अतः उक्त अभिलेखों के अभाव में तत्कालीन ग्राम सचिव श्री प्रतीक

कुमार रावत तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुनिता द्वारा सामग्री क्रय पर फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से वसूली बराबर.बराबर अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है.

क्र०सं 0	तिथि	व्यय धन	वर्क आई०डी० सं०	फर्म का नाम	कार्य का नाम
01	12.08.2020	112948	42523488	मे० एवन ट्रेडर्स	पंचायत भवन
02	12.08.2020	37380	42523488	पाण्डेय ब्रिक फिल्ड	पंचायत भवन
03	14.08.2020	76876	42523488	मे० रोशनी बिल्डिंग मेटरियल	पंचायत भवन
04	17.09.2020	17598	42506513	मे० एवन ट्रेडर्स	हैण्डपम्प रिबोर
05	17.09.2020	11442	42506513	मो० हद्दीश	हैण्डपम्प रिबोर
06	17.09.2020	20203	42506513	मे० एवन ट्रेडर्स	हैण्डपम्प रिबोर
07	17.09.2020	11643	42506513	मो० हद्दीश	हैण्डपम्प रिबोर
08	05.12.2020	49536	42523488	मे० एवन ट्रेडर्स	पंचायत भवन
09	05.12.2020	14145	42523488	पाण्डेय ब्रिक फिल्ड	पंचायत भवन
10	05.12.2020	41489	42523488	मे० रोशनी बिल्डिंग मेटरियल	पंचायत भवन
11	17.12.2020	39370	42454619	मे० एवन ट्रेडर्स	सामुदायिक शौचालय
12	17.12.2020	28763	42454619	पाण्डेय ब्रिक फिल्ड	सामुदायिक शौचालय
13	17.12.2020	36983	42454619	मे० रोशनी बिल्डिंग मेटरियल	सामुदायिक शौचालय
14	24.12.2020	143872	42454046	मे० रोशनी बिल्डिंग मेटरियल	सीमेन्ट आदि
15	26.03.2021	27145	42523488	पाण्डेय ब्रिक फिल्ड	पंचायत भवन
16	26.03.2021	22409	42523488	मे० एवन ट्रेडर्स	पंचायत भवन
17	26.03.2021	24948	42523488	मे० रोशनी बिल्डिंग मेटरियल	पंचायत भवन
	योग	716750			

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
716750	0	0	716750

प्रस्तर संख्या-59-प्रिया साफ्ट / ऑनलाईन फिडिंग मे निम्न विवरणानुसार टेंडर पर रू० 12647.00 व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त व्यय से संबन्धित प्रमाणक, समाचार पत्र जिसमे टेडर प्रकाशित हुआ, किन.किन फर्म द्वारा टेंडर डाला गया, तुलनात्मक विवरण पत्र और

किस फर्म का टेंडर स्वीकृत हुआ इसका विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। अस्तु उक्त अभिलेखों के अभाव में तत्कालीन ग्राम सचिव श्री प्रतीक कुमार रावत तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुनिता द्वारा टेंडर पर फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से वसूली बराबर. बराबर अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है .

तिथि	मद का नाम	आई0डी0 सं0	फर्म/ व्यक्ति का नाम	व्यय धन
10.07.2020	टैंडर	42522872	श्री अनिल कुमार मिश्रा	7274
10.07.2020	टैंडर	42522872	श्री रवि प्रकाश पाण्डेय	5373
			योग	12647

	अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
	12647.00	0	0	12647.00

प्रस्तर संख्या.60-प्रिया साफ्ट / ऑनलाईन फिडिंग में निम्न विवरणानुसार सामग्री क्रय पर ₹0 280684.00 व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त व्यय से संबन्धित प्रमाणक, स्टॉक तथा मृत स्कन्ध पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। उक्त अभिलेखों के अभाव में उपरोक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अस्तु तत्कालीन ग्राम सचिव श्री प्रतीक कुमार रावत तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुनिता द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से वसूली बराबर. बराबर अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है .

तिथि	व्यय धन	आईडीओ सं०	फर्म का नाम	मद का नाम
26.04.2020	84690	20658964	शिव शक्ति कन्सट्रक्सन्स	फागिंग मशीन व दवा
28.04.2020	7000	20658964	एवन ट्रेडर्स	स्प्रे मशीन
10.07.2020	13120	42510687	आर के इंटरप्राइजेज	स्प्रे मशीन व दवा
06.09.2020	4000	42522390	एकता स्वयं सहायता समूह	मास्क
06.09.2020	14986	42522390	जनता सप्लायर्स	थर्मल स्क्रेनर
30.10.2020	6310	20658964	बजरंग कन्सट्रक्सन्स	स्टेशनरी
10.11.2020	69378	42509428	श्री बाबानीम करौली ट्रेडर्स	सोलर लाइट
08.12.2020	35200	42454849	जनता सप्लायर्स	डस्टबीन
24.12.2020	46000	42508404	श्री बाबानीम करौली ट्रेडर्स	स्ट्रीट लाइट

योग	280684			

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
280684.00	0	0	280684.00

प्रस्तर संख्या-61- प्रिया साफ्ट मे विभिन्न कार्य / आईडी0 पर मजदुरी मद मे रू0 129024.00 व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त कार्य से संबन्धित मस्टररोल लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही उक्त कार्य से संबन्धित पारित कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रहा। संबन्धित मजदुरो की मजदुरी उनके बैंक खाता मे भुगतानित होने की पुष्टि बैंक स्टेटमेंट के अभाव मे नहीं किया जा सका। अस्तु तत्कालीन ग्राम सचिव श्री प्रतीक कुमार रावत तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुनिता द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से वसूली बराबर.बराबर अपेक्षित है। विवरण.

क्र0सं 0	तिथि	मजदुरी	आईडी0 सं0	कार्य का नाम
01	08.12.2020	12798	42523488	एक मजदुर
02	17.12.2020	29600	42454619	सामुदायिक शौचालय
03	17.12.2020	8400	42454619	सामुदायिक शौचालय
04	24.12.2020	78226	42523488	दो मजदुर
	योग	129024		

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
129024.00	0	0	129024.00

प्रस्तर संख्या-62-प्रिया साफ्ट/ ऑनलाईन फिडिंग मे दि0 10.07.2020 को मानदेय मद मे रू0 24500.00 व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त व्यय से संबन्धित मानदेय पंजिका लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे बकाया मानदेय रू0 14000.00 की पुष्टि नहीं किया जा सका। अतः उक्त अभिलेख के अभाव मे तत्कालीन ग्राम सचिव श्री प्रतीक कुमार रावत तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुनिता द्वारा मानदेय पर फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। वसूली बराबर.बराबर अपेक्षित है। जो आगामी लेखा परीक्षा मे अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
14000.00	0	0	14000.00

20-ग्राम पंचायत-कमसारलेखा परीक्षा वर्ष-20-21 विकास खंड -भनवापुर

प्रस्तर संख्या-63-प्रिया साफ्ट / ऑनलाईन फिडिंग मे विभिन्न आईडीओ / कार्य हेतु निम्न विवरणानुसार रू0 658515.00 सामग्री क्रय पर व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त क्रय से संबन्धित प्रमाणक लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही उक्त कार्य से संबन्धित ग्राम पंचायत द्वारा पारित कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, स्टॉकबुक, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, टेंडर, कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र, कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रहा। मजदुरी का भुगतान का विवरण प्रस्तुत नहीं रहने से कार्य पूर्णता पर टिप्पणी नहीं किया जा सका साथ ही सामग्री खराब होने की स्थिति भी अज्ञात रहा। कार्य का लोकेशन भी अंकित नहीं किया गया है। अतः उक्त अभिलेखों के अभाव मे तत्कालीन ग्राम सचिव श्री प्रतीक कुमार रावत तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सुब्रत भाई द्वारा सामग्री क्रय पर फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से वसूली बराबर.बराबर अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है .

तिथि	कार्य का नाम	वर्क आईडीओ सं0	फर्म का नाम	व्यय धन
07.07.2020	हैम्डपम्प उच्चीकरण	43203709	मे0 संजय कुमार उपाध्याय ट्रेडर्स	14911
07.07.2020	हैम्डपम्प उच्चीकरण	43203709	पाम्डेय ब्रिक फिल्ड	13177
14.08.2020	विवरण अप्राप्त	43203256	मे0 कसौधन ट्रेडर्स	139415
14.08.2020	विवरण अप्राप्त	43203256	पटेल ब्रिक फिल्ड	30030
17.10.2020	सामुदायिक शौचालय	43202979	पटेल ब्रिक फिल्ड	71085
17.10.2020	सामुदायिक शौचालय	43202979	मे0 कसौधन ट्रेडर्स	90327
10.11.2020	कूप मरम्मत	45071433	पटेल ब्रिक फिल्ड	21436
10.11.2020	कूप मरम्मत	45071433	मे0 कसौधन ट्रेडर्स	13664
25.12.2020	सामुदायिक शौचालय	43202979	पटेल ब्रिक फिल्ड	34299
25.12.2020	सामुदायिक शौचालय	43202979	मे0 एवन ट्रेडर्स	87381
25.12.2020	सामुदायिक शौचालय	43202979	मे0 कसौधन ट्रेडर्स	21110
26.03.2021	सामुदायिक शौचालय	43202979	मे0 एवन ट्रेडर्स	87381
26.03.2021	सामुदायिक शौचालय	43202979	पाण्डेय ब्रिक फिल्ड	34299
			योग	658515

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग

658515.00	0	0	658515.00

प्रस्तर संख्या-64-प्रिया साफ्ट / ऑनलाईन फिडिंग मे निम्न विवरणानुसार टेंडर पर रू0 10645.00 व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त व्यय से संबन्धित प्रमाणक, समाचार पत्र जिसमे टेंडर प्रकाशित हुआ, किन.किन फर्म द्वारा टेंडर डाला गया, तुलनात्मक विवरण पत्र और किस फर्म का टेंडर स्वीकृत हुआ इसका विवरण लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रहा। अस्तु उक्त अभिलेखों के अभाव मे तत्कालीन ग्राम सचिव श्री प्रतीक कुमार रावत तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सुब्रत भाई द्वारा टेंडर पर फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से वसूली बराबर.बराबर अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है-

तिथि	मद का नाम	आईडी0 सं0	फर्म/ व्यक्ति का नाम	व्यय धन
28.07.2020	टेंडर	43203308	श्री मनोज कुमार शुक्ला	5645
28.07.2020	टेंडर	43203308	श्री आफताब आलम	5000
			योग	10645

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
10645.00	0	0	10645.00

प्रस्तर संख्या—65-प्रिया साफ्ट/ ऑनलाईन फिडिंग मे निम्न विवरणानुसार सामग्री क्रय पर रू0 161341.00 व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त व्यय से संबन्धित प्रमाणक, स्टॉक तथा मृत स्कन्ध पंजिका लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रहा। उक्त अभिलेखों के अभाव मे उपरोक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । अस्तु तत्कालीन ग्राम सचिव श्री प्रतीक कुमार रावत तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सुब्रत भाई द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से वसूली बराबर.बराबर अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है.

तिथि	मद का नाम	आईडी0 सं0	फर्म का नाम	व्यय धन
07.07.2020	सोलर लाइट	43203079	रवि ट्रेडर्स	70125
08.08.2020	सफाई कीट	43203615	एवन ट्रेडर्स	13120
06.09.2020	फेस मास्क	43203548	एकता स्वयं सहायता समूह	4000
06.09.2020	थर्मल स्केनर	43203548	जनता सप्लायर्स	14986
30.10.2020	स्टेशनरी	43203548	बजरंग कन्सट्रक्शन्स	6310
21.11.2020	डस्टबीन	43203188	दिव्य ट्रेडिंग कम्पनी	52800
			योग	161341

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
161341.00	0	0	161341.00

प्रस्तर संख्या-66-प्रिया साफ्ट मे विभिन्न कार्य / आईडी0 पर मजदुरी मद मे रू0 29600.00 व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त कार्य से संबन्धित मस्टररोल लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही उक्त कार्य से संबन्धित पारित कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रहा। संबन्धित मजदुरी की मजदुरी उनके बैंक खाता मे भुगतानित होने की पुष्टि बैंक स्टेटमेंट के अभाव मे नहीं किया जा सका। अस्तु तत्कालीन ग्राम सचिव श्री प्रतीक कुमार रावत तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सुब्रत भाई द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से वसूली बराबर.बराबर अपेक्षित है। विवरण.

क्र0सं 0	तिथि	कार्य का नाम	आईडी0 सं0	मजदुरी पर व्यय घन
01	26.03.2021	सामुदायिक शौचालय	43202979	9600
02	26.03.2021	सामुदायिक शौचालय	43202979	10000
03	26.03.2021	सामुदायिक शौचालय	43202979	10000
			योग	29600

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
29600.00	0	0	29600.00

प्रस्तर संख्या-67-प्रिया साफ्ट/ ऑनलाईन फिडिंग मे निम्न विवरणानुसार मानदेय मद मे रू0 28000.00 व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त व्यय से संबन्धित मानदेय पंजिका लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे बकाया मानदेय रू0 7000.00 की पुष्टि नहीं किया जा सका। अतः उक्त अभिलेख के अभाव मे तत्कालीन ग्राम सचिव श्री प्रतीक कुमार रावत तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सुब्रत भाई द्वारा मानदेय पर फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। वसूली बराबर.बराबर अपेक्षित है।

क्र0सं0	तिथि	आईडी0 सं0	मानदेय
01	07.07.2020	43203417	17500
02	02.10.2020	43203417	10500
		योग	28000

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
7000.00	0	0	7000.00

21.ग्राम पंचायत-करहिया सघनलेखा परीक्षा वर्ष-20-21 विकास खंड -भनवापुर
प्रस्तर संख्या-68-प्रिया साफ्ट / ऑनलाईन फिडिंग मे विभिन्न आईडीओ / कार्य हेतु निम्न विवरणानुसार रू0 2474112.0
सामग्री क्रय पर व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त क्रय से संबन्धित प्रमाणक लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही उक्त कार्य से संबन्धित ग्राम पंचायत द्वारा पारित कार्ययोजना, स्टीमेट, एमओबीओ, स्टॉकबुक, तकनिकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, टेंडर, कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र, कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रहा। मजदुरी का भुगतान का विवरण प्रस्तुत नहीं रहने से कार्य पूर्णता पर टिप्पणी नहीं किया जा सका साथ ही सामग्री खराब होने की स्थिति भी अज्ञात रहा। कार्य का लोकेशन भी अंकित नहीं किया गया है। अतः उक्त अभिलेखों के अभाव मे तत्कालीन ग्राम सचि श्री राकेश पाठक और श्री जयप्रकाश तथातत्कालीन ग्राम प्रधान श्री आलोक त्रिपाठी द्वारा सामग्री क्रय पर फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से वसूली बराबर.बराबर अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है -

क्र०सं 0	तिथि	व्यय धन	वर्क आईडीओ सं०	फर्म का नाम	कार्य / सामग्री का नाम
01	11.12.2020	90417	45353080	मे० मंगलम ट्रेडर्स	हरीश के घर से गौरी के घर तक नाली
02	11.12.2020	114794	45353080	आदर्श ब्रिक फिल्ड	हरीश के घर से गौरी के घर तक नाली
03	11.12.2020	182186	45353067	मे० मंगलम ट्रेडर्स	नचनू के घर से दाले के घर तक सीसीरोड
04	11.12.2020	37170	45353067	आदर्श ब्रिक फिल्ड	नचनू के घर से दाले के घर तक सीसीरोड
05	11.12.2020	173328	45353087	मे० मंगलम ट्रेडर्स	वासुदेव के घर से श्यामदीन के घर तक सीसीरोड
06	11.12.2020	45990	45353087	आदर्श ब्रिक फिल्ड	वासुदेव के घर से श्यामदीन के घर तक सीसीरोड
07	11.12.2020	173328	45353092	मे० मंगलम ट्रेडर्स	सफरतुल्लाह के घर से जगवली के घर तक सीसीरोड
08	11.12.2020	45990	45353092	आदर्श ब्रिक फिल्ड	सफरतुल्लाह के घर से जगवली के घर तक सीसीरोड
09	11.12.2020	182186	45353099	मे० मंगलम ट्रेडर्स	दाले के घर से हाथी के घर तक सीसीरोड
10	11.12.2020	37170	45353099	आदर्श ब्रिक फिल्ड	दाले के घर से हाथी के घर तक सीसीरोड
11	18.12.2020	45990	45419936	आदर्श ब्रिक फिल्ड	पीडब्लूडी रोड से अवधेश के घर तक इंटरलॉकिंग
12	18.12.2020	202500	42927048	श्री बाबा नीमकरौली ट्रेडर्स	पे फार दिस

13	18.12.2020	173328	45419936	मे0 मंगलम ट्रेडर्स	पीडब्लूडी रोड से अवधेश के घर तक इंटरलॉकिंग
14	18.12.2020	45990	45419963	आदर्श ब्रिक फिल्ड	रामदीन के घर से श्यामदीन के घर तक इंटरलॉकिंग
15	18.12.2020	182186	45419905	मे0 मंगलम ट्रेडर्स	राधेश्याम के घर से त्रिलोकी के घर तक सीसीरोड
16	18.12.2020	37170	45419905	आदर्श ब्रिक फिल्ड	राधेश्याम के घर से त्रिलोकी के घर तक सीसीरोड
17	23.12.2020	105383	45419977	आदर्श ब्रिक फिल्ड	सामुदायिक शौचालय
18	23.12.2020	217192	45419977	मे0 मंगलम ट्रेडर्स	सामुदायिक शौचालय
19	24.12.2020	53615	16632566	मे0 मंगलम ट्रेडर्स	पे फार दिस
20	24.12.2020	59500	42923759	मे0 मंगलम ट्रेडर्स	पे फार दिस
21	17.03.2021	27235	46969644	मे0 मंगलम ट्रेडर्स	स्कूल शौचालय
22	17.03.2021	25421	46969644	आदर्श ब्रिक फिल्ड	स्कूल शौचालय
23	17.03.2021	29087	46969644	मे0 मंगलम ट्रेडर्स	स्कूल शौचालय
24	17.03.2021	113400	45419914	आदर्श ब्रिक फिल्ड	स्कूल बाउन्ड्रीवाल
25	17.03.2021	7644	45419914	आदर्श ब्रिक फिल्ड	स्कूल बाउन्ड्रीवाल
26	17.03.2021	65912	45419914	मे0 मंगलम ट्रेडर्स	स्कूल बाउन्ड्रीवाल
	योग	2474112			

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
2474112.00	0	0	2474112.00

प्रस्तर संख्या.69-प्रिया साफ्ट / ऑनलाईन फिडिंग मे आडी0सं0 42929801 से दि0 24.09.2020 को टेंडर हेतु रू0 5000.00 श्री रामकृपाल को भुगतान दर्शित है, परन्तु उक्त व्यय से संबन्धित प्रमाणक, समाचार पत्र जिसमे टेंडर प्रकाशित हुआ, किन.किन फर्म द्वारा टेंडर डाला गया, तुलनात्मक विवरण पत्र और किस फर्म का टेंडर स्वीकृत हुआ इसका विवरण लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रहा। अस्तु उक्त अभिलेखों के अभाव मे तत्कालीन ग्राम सचिव श्री राकेश पाठक और श्री जयप्रकाश तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री आलोक त्रिपाठी द्वारा टेंडर पर फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से वसूली बराबर.बराबर अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
5000.00	0	0	5000.00

प्रस्तर संख्या-70-प्रिया साफ्ट / ऑनलाईन फिडिंग मे निम्न विवरणानुसार सामग्री क्रय पर रू0 27630.00 व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त व्यय से संबन्धित प्रमाणक, स्टॉक तथा मृत स्कन्ध पंजिका लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रहा। उक्त अभिलेखों के अभाव मे उपरोक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । अस्तु तत्कालीन ग्राम सचिव श्री राकेश पाठक और श्री जयप्रकाश तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री आलोक त्रिपाठी द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से वसूली बराबर.बराबर अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है .

क्र0सं 0	तिथि	व्यय धन	आई0डी0 सं0	फर्म का नाम	मद का नाम
01	01.09.2020	17680	42929801	आर के इंटरप्राइजेज	स्प्रे मशीन व दवा
02	15.12.2020	9950	42930699	मंगलम ट्रेडर्स	फेस मास्क
	योग	27630			
अपहरण				दुरुपयोग	अनियमितता
27630.00				0	0
					योग
					27630.0 0

प्रस्तर संख्या-71- प्रिया साफ्ट/ ऑनलाईन फिडिंग मे आडी0सं0 16632532 से दि0 09.05.2020 को मानदेय मद मे रू0 38500.00 व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त व्यय से संबन्धित मानदेय पंजिका लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे बकाया मानदेय रू0 35000.00 की पुष्टि नहीं किया जा सका। अतः उक्त अभिलेख के अभाव मे तत्कालीन ग्राम सचिव श्री राकेश पाठक और श्री जयप्रकाश तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री आलोक त्रिपाठी द्वारा मानदेय पर फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। वसूली बराबर.बराबर अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
35000.00	0	0	35000.0 0

22.ग्राम पंचायत-खखराव लेखापरीक्षा वर्ष-20-21 विकास खंड -भनवापुर

प्रस्तर संख्या-72-प्रिया साफ्ट / ऑनलाईन फिडिंग मे विभिन्न आई0डी0 / कार्य हेतु निम्न विवरणानुसार रू0 423356.00 सामग्री क्रय पर व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त क्रय से संबन्धित प्रमाणक लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही उक्त कार्य

से संबन्धित ग्राम पंचायत द्वारा पारित कार्ययोजना, स्टीमेट, एमओबीओ, स्टॉक बुक, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, टेंडर, कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र, कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। मजदुरी का भुगतान का विवरण प्रस्तुत नहीं रहने से कार्य पूर्णता पर टिप्पणी नहीं किया जा सका साथ ही सामग्री खराब होने की स्थिति भी अज्ञात रहा। कुछ कार्य का लोकेशन भी अंकित नहीं किया गया है। अतः उक्त अभिलेखों के अभाव में तत्कालीन ग्राम सचिव श्री राकेश पाठक तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मीना द्वारा सामग्री क्रय पर फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से वसूली बराबर.बराबर अपेक्षित है।विवरण निम्न प्रकार है।

तिथि	कार्य का नाम	वर्क आई0डी0 सं0	फर्म का नाम	व्यय धन	
16.04.2020	पे फार दिस वर्क	16836421	मंगलम ट्रेडर्स	85000	
08.10.2020	पे फार दिस	42285424	मंगलम ट्रेडर्स	7500	
30.11.2020	पे फार दिस	42286961	मंगलम ट्रेडर्स	105000	
10.12.2020	पे फार दिस	37093883	मंगलम ट्रेडर्स	6500	
17.12.2020	कपिलदेव के घर से सूर्यबली के घर तक सीसीरोड	42286645	मंगलम ट्रेडर्स	182186	
17.12.2020	कपिलदेव के घर से सूर्यबली के घर तक सीसीरोड	42286645	मंगलम ट्रेडर्स	37170	
			योग	423356	
		अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
		423356.00	0	0	423356.00

प्रस्तर संख्या-73-प्रिया साफ्ट / ऑनलाईन फिडिंग में निम्न विवरणानुसार टेंडर पर ₹0 10290.00 व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त व्यय से संबन्धित प्रमाणक, समाचार पत्र जिसमें टेंडर प्रकाशित हुआ, किन.किन फर्म द्वारा टेंडर डाला गया, तुलनात्मक विवरण पत्र और किस फर्म का टेंडर स्वीकृत हुआ इसका विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। अस्तु उक्त अभिलेखों के अभाव में तत्कालीन ग्राम सचिव श्री राकेश पाठक तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मीना द्वारा टेंडर पर फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से वसूली बराबर.बराबर अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है .

तिथि	मद का नाम	आईडी सं०	फर्म/ व्यक्ति का नाम	व्यय धन
18.09.2020	टेंडर	42285159	श्री रवि प्रकाश पाण्डेय	5290

18.09.2020	टेंडर	42285159	श्री अनिल कुमार मिश्र	5000
			योग	10290

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
10290.00	0	0	10290.00

23-ग्राम पंचायत-नावडीहलेखा परीक्षा वर्ष-20-21 विकास खंड -भनवापुर

प्रस्तर संख्या.74-प्रिया साफ्ट / ऑनलाईन फिडिंग मे विभिन्न आई0डी0 / कार्य हेतु निम्न विवरणानुसार रू0 1642916.00 सामग्री क्रय पर व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त क्रय से संबन्धित प्रमाणक लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही उक्त कार्य से संबन्धित ग्राम पंचायत द्वारा पारित कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, स्टॉकबुक, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, टेंडर, कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र, कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रहा। मजदुरी का भुगतान का विवरण प्रस्तुत नहीं रहने से कार्य पूर्णता पर टिप्पणी नहीं किया जा सका साथ ही सामग्री खराब होने की स्थिति भी अज्ञात रहा। कार्य का लोकेशन भी अंकित नहीं किया गया है। अतः उक्त अभिलेखों के अभाव मे तत्कालीन ग्राम सचिव श्री हरिराम चौधरी तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम द्वारा सामग्री क्रय पर फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से वसूली बराबर.बराबर अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है -

तिथि	कार्य का नाम	वर्क आई0डी0 सं0	फर्म का नाम	व्यय धन
06.07.2020	इंटरलाकिंग	41587627	पाण्डेय ब्रिक फिल्ड	12747
06.07.2020	इंटरलाकिंग	41587627	मे0 रोशनी बिल्डिंग मेटरियल्स	12999
06.07.2020	इंटरलाकिंग	41587742	पाण्डेय ब्रिक फिल्ड	36582
06.07.2020	इंटरलाकिंग	41587742	मे0 रोशनी बिल्डिंग मेटरियल्स	26249
06.07.2020	सीसीरोड	51586817	पाण्डेय ब्रिक फिल्ड	13167
06.07.2020	सीसीरोड	51586817	मे0 रोशनी बिल्डिंग मेटरियल्स	80311
07.07.2020	इंटरलाकिंग	41587627	मे0 चौधरी ट्रेडर्स	38682
07.07.2020	इंटरलाकिंग	41587742	मे0 चौधरी ट्रेडर्स	113792
31.08.2020	विवरण अप्राप्त	41587156	मे0 रोशनी बिल्डिंग मेटरियल्स	69944
31.08.2020	विवरण अप्राप्त	41587156	पाण्डेय ब्रिक फिल्ड	69615
24.09.2020	विवरण अप्राप्त	41587258	माँ विंध्यवासिनी ट्रेडर्स	1000

07.11.2020	विवरण अप्राप्त	41600233	पाण्डेय ब्रिक फिल्ड	37800
07.11.2020	विवरण अप्राप्त	44914929	पाण्डेय ब्रिक फिल्ड	28812
07.11.2020	विवरण अप्राप्त	44914929	मे0 रोशनी बिल्डिंग मेटरियल्स	89642
07.11.2020	विवरण अप्राप्त	44914926	पाण्डेय ब्रिक फिल्ड	28812
07.11.2020	विवरण अप्राप्त	44914926	मे0 रोशनी बिल्डिंग मेटरियल्स	89642
26.11.2020	विवरण अप्राप्त	41587156	पाण्डेय ब्रिक फिल्ड	35769
26.11.2020	विवरण अप्राप्त	41587156	रोशनी बिल्डिंग मेटरियल्स	20768
26.11.2020	विवरण अप्राप्त	41586967	एवन ट्रेडर्स	20321
26.11.2020	विवरण अप्राप्त	41587156	एवन ट्रेडर्स	36297
26.11.2020	विवरण अप्राप्त	41587051	एवन ट्रेडर्स	87283
26.11.2020	विवरण अप्राप्त	41587051	पाण्डेय ब्रिक फिल्ड	5556
26.11.2020	विवरण अप्राप्त	41587051	मे0 रोशनी बिल्डिंग मेटरियल्स	44393
15.12.2020	विवरण अप्राप्त	41587156	एवन ट्रेडर्स	66225
15.12.2020	विवरण अप्राप्त	41587156	मे0 रोशनी बिल्डिंग मेटरियल्स	16358
15.12.2020	विवरण अप्राप्त	41600233	पाण्डेय ब्रिक फिल्ड	25169
15.12.2020	विवरण अप्राप्त	44914929	पाण्डेय ब्रिक फिल्ड	12810
15.12.2020	विवरण अप्राप्त	44914929	मे0 रोशनी बिल्डिंग मेटरियल्स	38453
15.12.2020	विवरण अप्राप्त	44914926	पाण्डेय ब्रिक फिल्ड	12810
15.12.2020	विवरण अप्राप्त	44914926	मे0 रोशनी बिल्डिंग मेटरियल्स	38453
16.12.2020	विवरण अप्राप्त	44914971	पाण्डेय ब्रिक फिल्ड	18900
16.12.2020	विवरण अप्राप्त	44914971	मे0 रोशनी बिल्डिंग मेटरियल्स	11735
17.12.2020	विवरण अप्राप्त	41600384	मे0 रोशनी बिल्डिंग मेटरियल्स	96795
17.12.2020	विवरण अप्राप्त	41600384	पाण्डेय ब्रिक फिल्ड	38430
23.12.2020	विवरण अप्राप्त	44914935	मे0 रोशनी बिल्डिंग मेटरियल्स	125735
23.12.2020	विवरण अप्राप्त	44914935	पाण्डेय ब्रिक फिल्ड	40887
23.12.2020	विवरण अप्राप्त	44914940	मे0 रोशनी बिल्डिंग मेटरियल्स	75567
23.12.2020	विवरण अप्राप्त	44914940	पाण्डेय ब्रिक फिल्ड	24406
			योग	1642916

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
1642916.00	0	0	1642916.00

प्रस्तर संख्या-75-प्रिया साफ्ट / ऑनलाईन फिडिंग मे निम्न विवरणानुसार टेंडर पर रू0 10250.00 व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त व्यय से संबन्धित प्रमाणक, समाचार पत्र जिसमे टेंडर प्रकाशित हुआ, किन.किन फर्म द्वारा टेंडर डाला गया, तुलनात्मक विवरण पत्र और किस फर्म का टेंडर स्वीकृत हुआ इसका विवरण लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रहा। अस्तु उक्त अभिलेखों के अभाव मे तत्कालीन ग्राम सचिव श्री हरिराम चौधरी तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम द्वारा टेंडर पर फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से वसूली बराबर.बराबर अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है .

तिथि	मद का नाम	आईडीओ सं०	फर्म/ व्यक्ति का नाम	व्यय धन
10.07.2020	टेंडर	41586882	श्री आफताब आलम	5000
10.07.2020	टेंडर	41586882	श्री अनिल कुमार मिश्रा	5250
			योग	10250

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
10250.00	0	0	10250.00

प्रस्तर संख्या-76-प्रिया साफ्ट / ऑनलाईन फिडिंग मे निम्न विवरणानुसार सामग्री क्रय पर रू0 26594.00 व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त व्यय से संबन्धित प्रमाणक, स्टॉक तथा मृत स्कन्ध पंजिका लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रहा। उक्त अभिलेखों के अभाव मे उपरोक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । अस्तु तत्कालीन ग्राम सचिव श्री हरिराम चौधरी तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से वसूली बराबर.बराबर अपेक्षित है।

तिथि	मद का नाम	आईडीओ सं०	फर्म का नाम	व्यय धन
10.05.2020	स्प्रे मशीन	20333373	माँ विन्ध्यवासिनी ट्रेडर्स	10620
31.08.2020	फेस मास्क	41586457	एकता स्वयं सहायता समूह	4000
30.09.2020	स्टेशनरी	41586539	बजरंग कन्सट्रक्शन्स	6310
19.10.2020	बेबी मशीन	41586457	जनता सप्लायर्स	5664
			योग	26594

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
26594.00	0	0	26594.00

प्रस्तर संख्या-77-प्रिया साफ्ट मे विभिन्न कार्य / आईडी0 पर मजदुरी मद मे रू0 226073.00 व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त कार्य से संबन्धित मस्टररोल लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही उक्त कार्य से संबन्धित पारित कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रहा। संबन्धित मजदुरी की मजदुरी उनके बैंक खाता मे भुगतानित होने की पुष्टी बैंक स्टेटमेंट के अभाव मे नहीं किया जा सका। अस्तु तत्कालीन ग्राम सचिव श्री हरिराम चौधरी तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से वसूली बराबर.बराबर अपेक्षित है। विवरण.

क्र0सं 0	तिथि	कार्य का नाम	आईडी0 सं0	मजदुरी पर व्यय घन
01	11.09.2020	विवरण अप्राप्त	41587156	18000
02	26.11.2020	विवरण अप्राप्त (2 बाउ)	41587051	90734
03	16.12.2020	विवरण अप्राप्त	41600233	15477
04	16.12.2020	विवरण अप्राप्त (2 बाउ)	41587156	26000
05	16.12.2020	विवरण अप्राप्त	41587742	22277
06	16.12.2020	विवरण अप्राप्त	44914929	23883
07	16.12.2020	विवरण अप्राप्त	44914971	5819
08	16.12.2020	विवरण अप्राप्त	44914926	23883
			योग	226073

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
226073.00	0	0	226073.00

प्रस्तर संख्या-78-प्रिया साफ्ट/ ऑनलाईन फिडिंग मे निम्न विवरणानुसार मानदेय मद मे रू0 42000.00 व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त व्यय से संबन्धित मानदेय पंजिका लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे बकाया मानदेय रू0 10500.00 की पुष्टि नहीं किया जा सका। अतः उक्त अभिलेख के अभाव मे तत्कालीन ग्राम सचिव श्री हरिरामचौधरी तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम द्वारा मानदेय पर फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। वसूली बराबर.बराबर अपेक्षित है।

क्र0सं0	तिथि	आईडी0 सं0	मानदेय
01	27.10.2020	41586384	35000
02	23.12.2020	41586384	7000
		योग	42000

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
10500.00	0	0	10500.00

प्रस्तर संख्या-79-प्रिया साफ्ट / ऑफलाइन कैशबुक में दि० 27.10.2020 को आई०डी० सं० 41586457 से तकनीकी एवं प्रशासनिक मद में ₹० 20000.00 व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त व्यय से संबन्धित पंचायतराज अनुभाग.3 के शासनादेश सं०. 97/2017/2584/33.3.2017.02/2016 दि० 07.11.2017 को जारी 14 वाँ वित्त के गाईडलाइन के अनुसार प्राप्तअनुदान का 10 प्रतिशत तकनीकी एवं प्रशासनिक मद में व्यय हेतु रखने एवं 10 प्रतिशत का 64.5 प्रतिशत स०वि०अ०(पंचा०) के नाम से राष्ट्रीयकृत बैंक में खुले खाता में रखने का प्राविधान है। अनुदान पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार 14वाँ वित्त में कितना धन प्राप्त हुआ इसकी जानकारी नहीं हो सकी। अस्तु उक्त अभिलेखों के अभाव में तत्कालीन ग्राम सचिव श्री हरिराम चौधरी तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम द्वारा तकनीकी एवं प्रशासनिक मद में फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से वसूली बराबर.बराबर अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
20000.00	0	0	20000.00

24.ग्राम पंचायत-परसोहिया तिवारीलेखा परीक्षा वर्ष-20-21 विकास खंड -भनवापुर

प्रस्तर संख्या-80-प्रिया साफ्ट / ऑनलाइन फिडिंग में विभिन्न आई०डी० / कार्य हेतु निम्न विवरणानुसार ₹० 2212678.00 सामग्री क्रय पर व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त क्रय से संबन्धित प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही उक्त कार्य से संबन्धित ग्राम पंचायत द्वारा पारित कार्ययोजना, स्टीमेट, एम०बी०, स्टॉक बुक, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, टेंडर, कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र, कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। सभी कार्यों पर मजदुरी का भुगतान का विवरण प्रस्तुत नहीं रहने से कार्य पूर्णता पर टिप्पणी नहीं किया जा सका साथ ही सामग्री खराब होने की स्थिति भी अज्ञात रही। कुछ कार्य का लोकेशन भी अंकित नहीं किया गया है। अतः उक्त अभिलेखों के अभाव में तत्कालीन ग्राम सचिव श्री राकेश पाठक तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती कुबेरमती द्वारा सामग्री क्रय पर फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से वसूली बराबर.बराबर अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है .

तिथि	कार्य का नाम	वर्क आई०डी० सं०	फर्म का नाम	व्यय धन

03.04.2020	पे फार दिस वर्क	20696774	मंगलम ट्रेडर्स	173541
09.09.2020	पे फार दिस	20696774	मंगलम ट्रेडर्स	16459
09.09.2020	पे फार दिस	42253003	चौधरी ट्रेडर्स	90000
03.12.2020	सेतु के घर से संपर्क मार्ग तक सीसी	42253003	मंगलम ट्रेडर्स	60000
18.12.2020	पे फार दिस	42253634	मंगलम ट्रेडर्स	4950
22.12.2020	हैण्डपम्प रिबोर एवं उच्चीकरण	20696773	मंगलम ट्रेडर्स	40000
22.12.2020	प्रा0वि0 सफीपुर मे हैण्डपम्प रिबोर एवं उच्चीकरण	20696773	मंगलम ट्रेडर्स	40000
22.12.2020	पे फार दिस	44757519	मंगलम ट्रेडर्स	170000
03.02.2021	पे फार दिस	38348634	मंगलम ट्रेडर्स	322575
04.02.2021	पे फार दिस	48051350	मंगलम ट्रेडर्स	476735
18.02.2021	पे फार दिस	48051350	मंगलम ट्रेडर्स	399668
19.03.2021	कायाकल्प	50535979	मंगलम ट्रेडर्स	149000
19.03.2021	स्कूल का कायाकल्प	38348758	मंगलम ट्रेडर्स	149000
26.03.2021	पंचायत भवन	48051350	मंगलम ट्रेडर्स	120750
			योग	2212678

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
2212678.00	0	0	2212678.00

प्रस्तर संख्या.81-प्रिया साफ्ट / ऑनलाईन फिडिंग मे निम्न विवरणानुसार टेंडर पर रू0 10580.00 व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त व्यय से संबन्धित प्रमाणक, समाचार पत्र जिसमे टेंडर प्रकाशित हुआ, किन.किन फर्म द्वारा टेंडर डाला गया, तुलनात्मक विवरण पत्र और किस फर्म का टेंडर स्वीकृत हुआ इसका विवरण लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रहा। अस्तु उक्त अभिलेखों के अभाव मे तत्कालीन ग्राम सचिव श्री राकेश पाठक तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती कुबेरमती द्वारा टेंडर पर फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से वसूली बराबर.बराबर अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है .

तिथि	मद का नाम	आई0डी0 सं0	फर्म/ व्यक्ति का नाम	व्यय धन
09.09.2020	टेंडर	42230491	श्री अनिल कुमार मिश्र	5290
17.09.2020	टेंडर	42230491	श्री रवि प्रकाश पाण्डेय	5290
			योग	10580

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
10580.00	0	0	10580.00

प्रस्तर संख्या.82-प्रिया साफ्ट / ऑनलाईन फिडिंग मे निम्न विवरणानुसार सामग्री क्रय पर ₹053788.00 व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त व्यय से संबन्धित प्रमाणक, मृत स्कन्ध पंजिका लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रहा। उक्त अभिलेखों के अभाव मे उपरोक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अस्तु तत्कालीन ग्राम सचिव श्री राकेश पाठक तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती कुबेरमती द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से वसूली बराबर.बराबरअपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है -

तिथि	मद का नाम	आई0डी0 सं0	फर्म का नाम	व्यय धन
29.08.2020	स्प्रे मशीन व पीपीकीट	42253634	आर के इंटरप्राइजेज	17680
23.10.2020	नाव	15939746	जय माता इंटरप्राइजेज	30680
31.10.2020	बेवी व एडल्ट वेट मशीन	42253634	जनता सप्लायर्स	5428
			योग	53788

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
53788.00	0	0	53788.00

प्रस्तर संख्या-83- प्रिया साफ्ट मे विभिन्न कार्य / आई0डी0 पर मजदूरी मद मे ₹0 48204.00 व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त कार्य से संबन्धित मस्टररोल लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही उक्त कार्य से संबन्धित पारित कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रहा। संबन्धित मजदुरों की मजदूरी उनके बैंक खाता मे भुगतानित होने की पुष्टि बैंक स्टेटमेंट के अभाव मे नहीं किया जा सका। अस्तु तत्कालीन ग्राम सचिव श्री राकेश पाठक तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती कुबेरमती द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से वसूली बराबर.बराबर अपेक्षित है। विवरण.

क्र0सं 0	तिथि	कार्य का नाम	आई0डी0 सं0	मजदूरी पर व्यय घन
01	07.12.2020	विवरण अप्राप्त	20696774	28215
02	18.12.2020	विवरण अप्राप्त	42253003	19989
			योग	48204

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
48204.00	0	0	48204.00

प्रस्तर संख्या-84-प्रिया साफ्ट/ ऑनलाईन फीडिंग में निम्न विवरणानुसार मानदेय मद में ₹0 49000.00 व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त व्यय से संबंधित मानदेय पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे बकाया मानदेय की पुष्टि नहीं किया जा सका। अतः उक्त अभिलेख के अभाव में तत्कालीन ग्राम सचिव श्री राकेश पाठक तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती कुबेरमती द्वारा मानदेय पर फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। वसूली बराबर.बराबर अपेक्षित है।

क्र०सं०	तिथि	आईडी० सं०	मानदेय
01	08.09.2020	1593764	10500
02	04.10.2020	44761549	38500
		योग	49000

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
49000.00	0	0	49000.00

25.ग्राम पंचायत-पटखौली माँफीलेखा परीक्षा वर्ष-20-21 विकास खंड -भनवापुर

प्रस्तर संख्या-85-प्रिया साफ्ट / ऑनलाईन फीडिंग में विभिन्न आईडी० / कार्य हेतु निम्न विवरणानुसार ₹01000335.00 सामग्री क्रय पर व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त क्रय से संबंधित प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही उक्त कार्य से संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा पारित कार्ययोजना, स्टीमेट, एम०बी०, स्टॉकबुक, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, टेंडर, कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र, कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। मजदूरी का भुगतान का विवरण प्रस्तुत नहीं रहने से कार्य पूर्णता पर टिप्पणी नहीं किया जा सका साथ ही सामग्री खराब होने की स्थिति भी अज्ञात रहा। कार्य का लोकेशन भी अंकित नहीं किया गया है। अतः उक्त अभिलेखों के अभाव में तत्कालीन ग्राम सचिव श्री राकेश पाठक तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुशीला द्वारा सामग्री क्रय पर फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से वसूली बराबर.बराबर अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है .

क्र०सं०	तिथि	व्यय धन	वर्क आई०डी० सं०	फर्म का नाम	कार्य / सामग्री का नाम
01	03.04.2020	199500	21069734	मंगलम ट्रेडर्स	पे फार दिस
02	03.04.2020	100000	21069736	मंगलम ट्रेडर्स	पे फार दिस
03	28.04.2020	28000	16787143	मंगलम ट्रेडर्स	पे फार दिस
04	28.04.2020	25000	16787149	मंगलम ट्रेडर्स	पे फार दिस
05	04.10.2020	105383	44782760	मंसूर अहमद ईट भट्ठा	पे फार दिस
06	07.10.2020	217192	44782760	अग्रहरि खाद भंडार एवं मेटरियल	सामुदायिक शौचालय
07	07.11.2020	27760	37088963	श्री बाबानीम करैली ट्रेडर्स	पे फार दिस
08	24.12.2020	99500	42307595	मंगलम ट्रेडर्स	पे फार दिस
09	24.12.2020	72000	42307595	मंगलम ट्रेडर्स	पे फार दिस
10	24.12.2020	126000	42306679	मंगलम ट्रेडर्स	मोल्हू के घर से गोमती के घर तक सीसीरोड
	योग	1000335			

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
1000335.00	0	0	1000335.00

प्रस्तर संख्या-86-प्रिया साफ्ट / ऑनलाईन फीडिंग मे दि० 08.10.2020 को आडी सं० 42304888 से टेंडर हेतु रू० 5290.00 श्री रविप्रकाश पाण्डेय को भुगतान दर्शित है, परन्तु उक्त व्यय से संबन्धित प्रमाणक, समाचार पत्र जिसमे टेंडर प्रकाशित हुआ, किन.किन फर्म द्वारा टेंडर डाला गया, तुलनात्मक विवरण पत्र और किस फर्म का टेंडर स्वीकृत हुआ इसका विवरण लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रहा। अस्तु उक्त अभिलेखों के अभाव मे तत्कालीन ग्राम सचिव श्री राकेश पाठक तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुशीला द्वारा टेंडर पर फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से वसूली बराबर.बराबर अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
5290.00	0	0	5290.00

प्रस्तर संख्या-87-प्रिया साफ्ट / ऑनलाईन फिडिंग मे निम्न विवरणानुसार सामग्री क्रय पर ₹0 77000.00 व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त व्यय से संबन्धित प्रमाणक, स्टॉक तथा मृत स्कन्ध पंजिका लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रहा। उक्त अभिलेखों के अभाव मे उपरोक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । अस्तु तत्कालीन ग्राम सचिव श्री राकेश पाठक तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुशीला द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से वसूली बराबर.बराबर अपेक्षित है।

क्र०सं०	तिथि	व्यय धन	आई०डी० सं०	फर्म का नाम	मद का नाम
1	04.12.2020	67500	44782769	श्री बाबानीम करैली ट्रेडर्स	स्ट्रीट लाइट
2	06.12.2020	9500	44782769	मंगलम ट्रेडर्स	सफाई कीट
	योग	77000			

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
77000.00	0	0	77000.00

26.ग्राम पंचायत-पिपरा पाण्डेय लेखा परीक्षा वर्ष-20-21 विकास खंड -भनवापुर

प्रस्तर संख्या-88-प्रिया साफ्ट / ऑनलाईन फिडिंग मे विभिन्न आई०डी० / कार्य हेतु निम्न विवरणानुसार ₹0 766569.00 सामग्री क्रय पर व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त क्रय से संबन्धित प्रमाणक लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही उक्त कार्य से संबन्धित ग्राम पंचायत द्वारा पारित कार्ययोजना, स्टीमेट, एम०बी०, स्टॉकबुक, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, टेंडर, कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र, कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रहा। मजदुरी का भुगतान का विवरण प्रस्तुत नहीं रहने से कार्य पूर्णता पर टिप्पणी नहीं किया जा सका साथ ही सामग्री खराब होने की स्थिति भी अज्ञात रहा। कार्य का लोकेशन भी अंकित नहीं किया गया है। अतः उक्त अभिलेखों के अभाव मे तत्कालीन ग्राम सचिव श्री राकेश पाठक और श्री जय प्रकाश तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री त्रिभुवन द्वारा सामग्री क्रय पर फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से वसूली बराबर.बराबर अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है .

क्र०सं०	तिथि	व्यय धन	वर्क आई०डी० सं०	फर्म का नाम	कार्य / सामग्री का नाम
01	07.11.2020	9600	42740705	मे० चौधरी इंटरप्राइजेज	हैण्डपम्प मरम्मत
02	07.11.2020	101888	42338333	मे० चौधरी इंटरप्राइजेज	सीसीरोड
03	07.11.2020	33600	42338333	जनता ब्रिक फिल्ड	सीसीरोड
04	07.11.2020	28940	44790974	मे० चौधरी इंटरप्राइजेज	शौचालय मरम्मत
05	07.11.2020	105867	44790990	मे० चौधरी इंटरप्राइजेज	सामुदायिक शौचालय

06	02.12.2020	26172	44790974	मे0 चौधरी इंटरप्राइजेज	शौचालय मरम्मत
07	02.12.2020	7459	44790974	जनता ब्रिक फिल्ड	शौचालय मरम्मत
08	02.12.2020	53063	42338333	मे0 चौधरी इंटरप्राइजेज	सीसीरोड
09	02.12.2020	14710	42338333	जनता ब्रिक फिल्ड	सीसीरोड
10	13.12.2020	12222	45368179	जनता ब्रिक फिल्ड	प्रा0वि0 मे शौचालय
11	13.12.2020	55113	45368179	मे0 चौधरी इंटरप्राइजेज	प्रा0वि0 मे शौचालय
12	13.12.2020	37407	45368214	मे0 चौधरी इंटरप्राइजेज	हैण्डपम्प रिबोर
13	13.12.2020	63066	45368214	दिलिप कुमार	हैण्डपम्प रिबोर
14	13.12.2020	4557	44791014	जनता ब्रिक फिल्ड	प्रा0वि0
15	13.12.2020	44405	44791014	मे0 चौधरी इंटरप्राइजेज	प्रा0वि0
16	11.03.2021	168500	89830082	मंगलम ट्रेडर्स	कायाकल्प
	योग	766569			

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
766569.00	0	0	766569.00

प्रस्तर संख्या-89-प्रिया साफ्ट / ऑनलाईन फीडिंग मे दि0 06.12.2020 को आई डी सं0 36915890 से श्री आफताब आलम को टेंडर हेतु रू0 5000.00 भुगतान दर्शित है, परन्तु उक्त व्यय से संबन्धित प्रमाणक, समाचार पत्र जिसमे टेंडर प्रकाशित हुआ, किन.किन फर्म द्वारा टेंडर डाला गया, तुलनात्मक विवरण पत्र और किस फर्म का टेंडर स्वीकृत हुआ इसका विवरण लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रहा। अस्तु उक्त अभिलेखों के अभाव मे तत्कालीन ग्राम सचिव श्री राकेश पाठक और श्री जय प्रकाश तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री त्रिभुवन द्वारा टेंडर पर फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से वसूली बराबर.बराबर अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
5000.00	0	0	5000.00

प्रस्तर संख्या-90-प्रिया साफ्ट / ऑनलाईन फीडिंग मे दि0 24.11.2020 को आई डी सं0 36915890 से एकता स्वयं सहायता समुह को वृक्षारोपण हेतु रू0 7500.00 भुगतान दर्शित है परन्तु उक्त व्यय से संबन्धित प्रमाणक, स्टॉक तथा मृत स्कन्ध पंजिका लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रहा। उक्त अभिलेखों के अभाव मे उपरोक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । अस्तु तत्कालीन ग्राम सचिव श्री राकेश पाठक और श्री जय प्रकाश तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री त्रिभुवन द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का

अपहरण किया गया है। सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से वसूली बराबर.बराबर अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
7500.00	0	0	7500.00

प्रस्तर संख्या-91-प्रिया साफ्ट मे विभिन्न कार्य / आईडी0 पर मजदूरी मद मे रू0 62400.00 व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त कार्य से संबन्धित मस्टररोल लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही उक्त कार्य से संबन्धित पारित कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रहा। संबन्धित मजदूरी की मजदूरी उनके बैंक खाता मे भुगतानित होने की पुष्टि बैंक स्टेटमेंट के अभाव मे नहीं किया जा सका। अस्तु तत्कालीन ग्राम सचिव श्री राकेश पाठक और श्री जय प्रकाश तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री त्रिभुवन द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से वसूली बराबर.बराबर अपेक्षित है। विवरण.

क्र0सं0	तिथि	मजदूरी	आईडी0 सं0	कार्य का नाम
01	02.12.2020	2400	42740705	विवरण अप्राप्त
02	02.12.2020	8400	42338333	सीसी रोड
03	02.12.2020	3600	44790974	शौचालय मरम्मत
04	02.12.2020	30000	44790990	सामुदायिक शौचालय
05	21.12.2020	2800	45368179	विवरण अप्राप्त
06	21.12.2020	8000	44790990	सामुदायिक शौचालय
07	21.12.2020	7200	44791014	विवरण अप्राप्त
	योग	62400		

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
62400.00	0	0	62400.00

प्रस्तर संख्या-92-प्रिया साफ्ट/ ऑनलाइन फीडिंग मे निम्न विवरणानुसार मानदेय मद मे रू0 56000.00 व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त व्यय से संबन्धित मानदेय पंजिका लेखा

परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे बकाया मानदेय ₹0 28000.00 की पुष्टि नहीं किया जा सका। अतः उक्त अभिलेख के अभाव में तत्कालीन ग्राम सचिव श्री राकेश पाठक और श्री जय प्रकाश तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री त्रिभुवन द्वारा मानदेय पर फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। वसूली बराबर.बराबर अपेक्षित है।

क्र०सं०	तिथि	आईडीओ सं०	मानदेय
01	22.04.2020	20816172	28000
02	13.12.2020	42346099	28000
		योग	56000

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
28000.00	0	0	28000.00

27.ग्राम पंचायत-पिपरा लेखापरीक्षा वर्ष-20-21 विकास खंड -भनवापुर

प्रस्तर संख्या-93-प्रिया साफ्ट / ऑनलाईन फीडिंग में विभिन्न आईडीओ / कार्य हेतु निम्न विवरणानुसार ₹0 607874.00 सामग्री क्रय पर व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त क्रय से संबन्धित प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही उक्त कार्य से संबन्धित ग्राम पंचायत द्वारा पारित कार्ययोजना, स्टीमेट, एमओबीओ, स्टॉकबुक, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, टेंडर, कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र, कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। मजदूरी का भुगतान का विवरण प्रस्तुत नहीं रहने से कार्य पूर्णता पर टिप्पणी नहीं किया जा सका साथ ही सामग्री खराब होने की स्थिति भी अज्ञात रहा। कार्य का लोकेशन भी अंकित नहीं किया गया है। अतः उक्त अभिलेखों के अभाव में तत्कालीन ग्राम सचिव श्री प्रतीक कुमार रावत और श्री मो० हामीद तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री हनुमान द्वारा सामग्री क्रय पर फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से वसूली बराबर.बराबर

अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है .

तिथि	कार्य का नाम	वर्क आईडीओ सं०	फर्म का नाम	व्यय धन
06.05.2020	सीसी रोड	20247547	मे० कसौधन ट्रेडर्स	86048
06.05.2020	सीसी रोड	20247547	पाण्डेय ब्रिक फिल्ड	18060
27.07.2020	शिवचरन के घर से डी शंकर के घर तक सीसी रोड	34415674	मे० कसौधन ट्रेडर्स	21504

27.07.2020	शिवचरन के घर से डी शंकर के घर तक सीसी रोड	34415674	पाण्डेय ब्रिक फिल्ड	9805
27.07.2020	प्रा0वि0 मे इंटरलॉकिंग	28261127	मे0 कसौधन ट्रेडर्स	65116
27.07.2020	प्रा0वि0 मे इंटरलॉकिंग	28261127	पाण्डेय ब्रिक फिल्ड	9387
09.09.2020	सामुदायिक शौचालय निर्माण	42191814	पाण्डेय ब्रिक फिल्ड	86678
20.09.2020	सामुदायिक शौचालय निर्माण	42191814	मे0 कसौधन ट्रेडर्स	82901
23.09.2020	सामुदायिक शौचालय निर्माण	42191814	मे0 एवन ट्रेडर्स	56603
30.10.2020	हैण्डपम्प रिबोर	42260464	मे0 एवन ट्रेडर्स	33490
05.12.2020	सामुदायिक शौचालय निर्माण	42191814	मे0 कसौधन ट्रेडर्स	19271
05.12.2020	सामुदायिक शौचालय निर्माण	42191814	पाण्डेय ब्रिक फिल्ड	18648
05.12.2020	सामुदायिक शौचालय निर्माण	42191814	मे0 एवन ट्रेडर्स	55107
07.12.2020	प्रा0वि0 मे मूत्रालय निर्माण	42258247	मे0 कसौधन ट्रेडर्स	11830
07.12.2020	प्रा0वि0 मे मूत्रालय निर्माण	42258247	पाण्डेय ब्रिक फिल्ड	16926
07.12.2020	हैण्डपम्प मरम्मत	42260219	राजीव कुमार	7500
22.12.2020	सामुदायिक शौचालय निर्माण	42191814	मे0 कसौधन ट्रेडर्स	5000
22.12.2020	सामुदायिक शौचालय निर्माण	42191814	मे0 एवन ट्रेडर्स	4000
			योग	607874

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
607874.00	0	0	607874.00

प्रस्तर संख्या-94-प्रिया साफ्ट / ऑनलाईन फीडिंग मे निम्न विवरणानुसार टेंडर पर रू0 10290.00 व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त व्यय से संबन्धित प्रमाणक, समाचार पत्र जिसमे टेंडर प्रकाशित हुआ, किन.किन फर्म द्वारा टेंडर डाला गया, तुलनात्मक विवरण पत्र और किस फर्म का टेंडर स्वीकृत हुआ इसका विवरण लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रहा। अस्तु उक्त अभिलेखों के अभाव मे तत्कालीन ग्राम सचिव श्री प्रतीक कुमार रावत और श्री मो0 हमीद तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री हनुमान द्वारा टेंडर पर फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से वसूली बराबर.बराबर अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है -

तिथि	मद का नाम	आई0डी0 सं0	फर्म/ व्यक्ति का नाम	व्यय धन

07.08.2020	टैंडर	42261468	श्री बृजेश पाण्डेय	5290
07.08.2020	टैंडर	42261468	श्री आफताब	5000
			योग	10290

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
10290.00	0	0	10290.00

प्रस्तर संख्या-95-प्रिया साफ्ट/ऑनलाईन फिडिंग मे निम्न विवरणानुसार सामग्री क्रय पर ₹0131333.00 व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त व्यय से संबन्धित प्रमाणक, स्टॉक तथा मृत स्कन्ध पंजिका लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रहा। उक्त अभिलेखों के अभाव मे उपरोक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अस्तु तत्कालीन ग्राम सचिव श्री प्रतीक कुमार रावत और श्री मो० हामीद तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री हनुमान द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से वसूली बराबर.बराबर अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है-

तिथि	मद का नाम	आई०डी० सं०	फर्म का नाम	व्यय धन
13.07.2020	स्प्रे मशीन व दवा	13952170	मे० एवन ट्रेडर्स	11600
20.08.2020	फेस मास्क	42261468	एकता स्वयं सहायता समूह	2000
26.09.2020	पेड़	42261468	एकता स्वयं सहायता समूह	30000
14.12.2020	वेट मशीन	42261871	जनता सप्लायर्स	2832
14.12.2020	डस्टबीन	42261871	जनता सप्लायर्स	83780
23.12.2020	आक्सीमीटर	42261871	सिंह होमियो हाल	1121
			योग	131333

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
131333.00	0	0	131333.00

प्रस्तर संख्या-96-प्रिया साफ्ट मे विभिन्न कार्य / आई०डी० पर मजदुरी मद मे ₹0 60715.00 व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त कार्य से संबन्धित मस्टररोल लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं

किया गया। साथ ही उक्त कार्य से संबन्धित पारित कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। संबन्धित मजदुरों की मजदूरी उनके बैंक खाता में भुगतानित होने की पुष्टि बैंक स्टेटमेंट के अभाव में नहीं किया जा सका। अस्तु तत्कालीन ग्राम सचिव श्री प्रतीक कुमार रावत और श्री मो0 हामीद तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री हनुमान द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से वसूली बराबर.बराबर अपेक्षित है। विवरण.

क्र0सं0	तिथि	कार्य का नाम	आई0डी0 सं0	मजदूरी पर व्यय घन
01	28.07.2020	प्रा0वि0 में इंटरलॉकिंग	28261127	11929
02	11.08.2020	सीसी रोड	42183464	18891
03	07.12.2020	सामुदायिक शौचालय	42191814	29895
			योग	60715

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
60715.00	0	0	60715.00

प्रस्तर संख्या-97-प्रिया साफ्ट/ ऑनलाईन फीडिंग में निम्न विवरणानुसार मानदेय मद में ₹0 27322.00 व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त व्यय से संबन्धित मानदेय पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे बकाया मानदेय ₹0 7000.00 की पुष्टि नहीं किया जा सका। अतः उक्त अभिलेख के अभाव में तत्कालीन ग्राम सचिव श्री प्रतीक कुमार रावत और श्री मो0 हामीद तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री हनुमान द्वारा मानदेय पर फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। वसूली बराबर.बराबर अपेक्षित है।

क्र0सं0	तिथि	आई0डी0 सं0	मानदेय
01	11.06.2020	34418998	14000 (फरवरी से मई)
02	01.11.2020	42260869	7000
03	20.12.2020	42260869	6322
		योग	27322

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
7000.00	0	0	7000.00

28.ग्राम पंचायत-रोहाव खुर्दलेखापरीक्षा वर्ष-20-21 विकास खंड -भनवापुर

प्रस्तर संख्या-98-प्रिया साफ्ट / ऑनलाईन फीडिंग मे विभिन्न आईडीओ / कार्य हेतु निम्न विवरणानुसार ₹0 751559.00 सामग्री क्रय पर व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त क्रय से संबन्धित प्रमाणक लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही उक्त कार्य से संबन्धित ग्राम पंचायत द्वारा पारित कार्ययोजना, स्टीमेट, एमओबीओ, स्टॉकबुक, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, टेंडर, कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र, कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रहा। मजदूरी का भुगतान का विवरण प्रस्तुत नहीं रहने से कार्य पूर्णता पर टिप्पणी नहीं किया जा सका साथ ही सामग्री खराब होने की स्थिति भी अज्ञात रहा। कार्य का लोकेशन भी अंकित नहीं किया गया है। अतः उक्त अभिलेखों के अभाव मे तत्कालीन ग्राम सचिव श्री धीरेन्द्र कुमार यादव तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम देवी द्वारा सामग्री क्रय पर फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से वसूली बराबर.बराबर अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है।

तिथि	कार्य का नाम	वर्क आई0डी0 सं0	फर्म का नाम	व्यय धन
03.08.2020	हैण्डपम्प मरम्मत	42292184	एवन ट्रेडर्स	18575
06.12.2020	हैण्डपम्प रिबोर	42293212	मे0 संजय कुमार उपाध्याय ट्रेडर्स	10363
06.12.2020	हैण्डपम्प रिबोर	42293212	एवन ट्रेडर्स	25430
06.12.2020	बाउन्ड्रीबाल	42288646	मे0 कसौधन ट्रेडर्स	51325
06.12.2020	बाउन्ड्रीबाल	42288646	डॉक्टर ब्रिक फिल्ड	57750
16.12.2020	ईट व रोड़ी	42288646	डॉक्टर ब्रिक फिल्ड	26140
16.12.2020	सीमेन्ट, बालू	42288646	मे0 संजय कुमार उपाध्याय ट्रेडर्स	49645
16.12.2020	पेंट	42288646	एवन ट्रेडर्स	7500
06.03.2021	टाईल्स	42289197	एवन ट्रेडर्स	198912
06.03.2021	टाईल्स	42289197	कसौधन ट्रेडर्स	6709
14.03.2021	छत मरम्मत	49660664	कसौधन ट्रेडर्स	78794
14.03.2021	विकलांग शौचालय	49661000	कसौधन ट्रेडर्स और डॉक्टर ब्रिक फिल्ड	53109
24.03.2021	विकलांग शौचालय	49661000	कसौधन ट्रेडर्स, एवन ट्रेडर्स और डॉक्टर ब्रिक फिल्ड	70597
25.03.2021	टाईल्स	42289197	आशाराम	42331
26.03.2021	स्कूल	49660664	आशाराम	30701
26.03.2021	शौचालय	49661000	आशाराम	23678
			योग	751559
अपहरण		दुरुपयोग	अनियमितता	योग

751559.00	0	0	751559.00

प्रस्तर संख्या-99-प्रिया साफ्ट / ऑनलाईन फीडिंग मे निम्न विवरणानुसार टेंडर पर रू0 12594.00 व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त व्यय से संबन्धित प्रमाणक, समाचार पत्र जिसमे टेडर प्रकाशित हुआ, किन.किन फर्म द्वारा टेंडर डाला गया, तुलनात्मक विवरण पत्र और किस फर्म का टेंडर स्वीकृत हुआ इसका विवरण लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रहा। अस्तु उक्त अभिलेखोंके अभाव मे तत्कालीन ग्राम सचिव श्री धीरेन्द्र कुमार यादव तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम देवी द्वारा टेंडर पर फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से वसूली बराबर.बराबर अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है .

तिथि	मद का नाम	आईडी0 सं0	फर्म/ व्यक्ति का नाम	व्यय धन
03.08.2020	टेंडर	42293591	श्री अनिल कुमार मिश्रा	7274
03.08.2020	टेंडर	42293591	श्री रामकृपाल विश्वकर्मा	5320
			योग	12594

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
12594.00	0	0	12594.00

प्रस्तर संख्या-100-प्रिया साफ्ट / ऑनलाईन फीडिंग मे निम्न विवरणानुसार सामग्री क्रय पर रू0 35456.00 व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त व्यय से संबन्धित प्रमाणक, स्टॉक तथा मृत स्कन्ध पंजिका लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रहा। उक्त अभिलेखों के अभाव मे उपरोक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । अस्तु तत्कालीन ग्राम सचिव श्री धीरेन्द्र कुमार यादव तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम देवी द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से वसूली बराबर.बराबर अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है .

तिथि	मद का नाम	आईडी0 सं0	फर्म का नाम	व्यय धन
03.08.2020	सफाई किट	42336847	एवन ट्रेडर्स	8745
05.08.2020	सफाई किट	42336847	एवन ट्रेडर्स	5830
13.09.2020	फेस मास्क	42292184	एकता स्वयं सहायता समूह	4000
13.09.2020	पेड़	42292184	एकता स्वयं सहायता समूह	7500
11.10.2020	सेनेटाईजर	42292184	जनता सप्लायर्स	1593
11.10.2020	सेनेटाईजर	42292184	जनता सप्लायर्स	7788

			योग	35456

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
35456.00	0	0	35456.00

प्रस्तर संख्या-101-प्रिया साफ्ट मे विभिन्न कार्य / आईडीओ पर मजदूरी मद मे रू0 51364.00 व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त कार्य से संबन्धित मस्टररोल लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही उक्त कार्य से संबन्धित पारित कार्ययोजना, स्टीमेट, एमओबीओ, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रहा। संबन्धित मजदूरी की मजदूरी उनके बैंक खाता मे भुगतानित होने की पुष्टि बैंक स्टेटमेंट के अभाव मे नहीं किया जा सका। अस्तु तत्कालीन ग्राम सचिव श्री धीरेन्द्र कुमार यादव तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम देवी द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से वसूली बराबर.बराबर अपेक्षित है। विवरण.

क्र०सं०	तिथि	कार्य का नाम	आईडीओ सं०	मजदूरी पर व्यय घन
01	16.12.2020	विवरण अप्राप्त	42288646	51364
			योग	51364

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
51364.00	0	0	51364.00

29.ग्राम पंचायत-बड़हरा बिशुनपुरलेखापरीक्षा वर्ष-20-21 विकास खंड -भनवापुर

प्रस्तर संख्या-102-रोकड़वही मे विभिन्न कार्य पर निम्न विवरणानुसार रू0 874968.00 सामग्री क्रय पर व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त क्रय से संबन्धित प्रमाणक लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही उक्त कार्य से संबन्धित ग्राम पंचायत द्वारा पारित कार्ययोजना, स्टीमेट, एमओबीओ, स्टॉकबुक, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति,टैंडर, कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रहा। अतः उक्त अभिलेखों के अभाव मे तत्कालीन ग्राम सचिव श्री प्रतीक कुमार रावत तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मो० उमरद्वारा सामग्री क्रय पर फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से वसूली बराबर.बराबर अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है -

तिथि	व्यय धन	फर्म का नाम	कार्य का नाम
07.05.2020	36082	पाण्डेय ब्रिक फिल्ड	शकील के घर से पीडब्लूडी रोड तक सीसी रोड
07.05.2020	179027	रोशनी बिल्डिंग मेटरियल्स	शकील के घर से पीडब्लूडी रोड तक सीसी रोड
17.07.2020	161107	रोशनी बिल्डिंग मेटरियल्स	मुलादम के घर से छज्जू के घर तक सीसी रोड
12.10.2020	36082	पाण्डेय ब्रिक फिल्ड	मुलादम के घर से छज्जू के घर तक सीसी रोड
12.10.2020	17920	रोशनी बिल्डिंग मेटरियल्स	मुलादम के घर से छज्जू के घर तक सीसी रोड
14.12.2020	51949	रोशनी बिल्डिंग मेटरियल्स	झिनकन के घर से मेला के घर तक सीसी रोड
14.12.2020	13167	पाण्डेय ब्रिक फिल्ड	झिनकन के घर से मेला के घर तक सीसी रोड
14.12.2020	59082	रोशनी बिल्डिंग मेटरियल्स	सहाव के घर से रिप्पल बाबा के घर तक सीसी रोड
14.12.2020	14811	पाण्डेय ब्रिक फिल्ड	सहाव के घर से रिप्पल बाबा के घर तक सीसी रोड
04.11.2020	35179	पाण्डेय ब्रिक फिल्ड	प्रा0वि0 प्रागड़ मे इंटरलाकिंग कार्य
04.11.2020	172634	रोशनी बिल्डिंग मेटरियल्स	प्रा0वि0 प्रागड़ मे इंटरलाकिंग कार्य
04.11.2020	19704	पाण्डेय ब्रिक फिल्ड	पू0मा0वि0 प्रागड़ मे इंटरलाकिंग कार्य
04.11.2020	78224	रोशनी बिल्डिंग मेटरियल्स	पू0मा0वि0 प्रागड़ मे इंटरलाकिंग कार्य
योग	874968		

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
874968.00	0	0	874968.00

प्रस्तर संख्या-103-रोकड़वही मे निम्न विवरणानुसार टेंडर पर रू0 10631.00 व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त व्यय से संबन्धित प्रमाणक, समाचार पत्र जिसमे टेंडर प्रकाशित हुआ, किन.किन फर्म द्वारा टेंडर डाला गया, तुलनात्मक विवरण पत्र और किस फर्म का टेंडर स्वीकृत हुआ इसका विवरण लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रहा। अस्तु उक्त अभिलेखों के अभाव मे तत्कालीन ग्राम सचिव श्री प्रतीक कुमार रावत तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मो0 उमर द्वारा टेंडर पर फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से वसूली बराबर.बराबर अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है .

तिथि	मद का नाम	फर्म/ व्यक्ति का नाम	व्यय धन
29.07.2020	टेंडर	श्री आफताब आलम	5000
29.07.2020	टेंडर	श्री राजेश कुमार	5631
		योग	10631

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
10631.00	0	0	10631.00

प्रस्तर संख्या-104-रोकड़वही में निम्न विवरणानुसार सामग्री क्रय पर ₹0 41416.00 व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त व्यय से संबंधित प्रमाणक, स्टॉक तथा मृत स्कन्ध पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। उक्त अभिलेखों के अभाव में उपरोक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अस्तु तत्कालीन ग्राम सचिव श्री प्रतीक कुमार रावत तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मो० उमरद्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से वसूली बराबर. बराबर अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है -

तिथि	व्यय धन	मद का नाम	फर्म का नाम
22.07.2020	13120	स्प्रे मशीन व दवा	आर के इंटरप्राइजेज
29.07.2020	7000	स्प्रे मशीन	एवन ट्रेडर्स
10.09.2020	14986	थर्मल स्केनर	जनता सप्लायर्स
02.11.2020	6310	स्टेशनरी	बजरंग कन्सल्ट्रक्शन्स
योग	41416		

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
41416.00	0	0	41416.00

प्रस्तर संख्या-105-रोकड़वही में विभिन्न कार्य पर निम्न विवरणानुसार मजदूरी मद में ₹0 104164.00 व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त कार्य से संबंधित मस्टररोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही उक्त कार्य से संबंधित पारित कार्ययोजना, स्टीमेट, एम०बी०, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। संबंधित मजदूरों की मजदूरी उनके बैंक खाता में भुगतानित होने की पुष्टि बैंक स्टेटमेंट के अभाव में नहीं किया जा सका। अस्तु तत्कालीन ग्राम सचिव श्री प्रतीक कुमार रावत तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मो० उमर द्वारा मजदूरी पर फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से वसूली बराबर. बराबर अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है

क्र०सं०	तिथि	मजदूरी पर व्यय घन	कार्य का नाम
01	11.05.2020	30123	शकील के घर से पीडब्लूडी रोड तक सीसी रोड
02	12.10.2020	30098	मुलादम के घर से छज्जू के घर तक सीसी रोड
03	19.12.2020	9634	सहाव के घर से रिप्पल बाबा के घर तक सीसी रोड
04	06.11.2020	24679	प्रा०वि० प्रागण में इंटरलाकिंग कार्य
05	06.11.2020	9630	पू०मा०वि० प्रागण में इंटरलाकिंग कार्य
	योग	104164	

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
104164.00	0	0	104164.00

प्रस्तर संख्या-106-रोकड़वही में दि० 06.11.2020 को मानदेय ₹0 42000.00 (दिसम्बर 2019 से नवम्बर 2020 तक) मो० उमर को भुगतान दर्शित है, परन्तु उक्त व्यय से संबन्धित मानदेय पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे बकाया मानदेय ₹0 14000.00 (दिसम्बर 2019 से मार्च 2020 तक) की पुष्टि नहीं किया जा सका। अतः उक्त अभिलेख के अभाव में तत्कालीन ग्राम सचिव श्री प्रतीक कुमार रावत तथा तत्कालीन ग्राम प्रधानश्री मो० उमर द्वारा मानदेय पर फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। वसूली बराबर.बराबर अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
14000.00	0	0	14000.00

30.ग्राम पंचायत-भडरियालेखापरीक्षा वर्ष-20-21 विकास खंड -भनवापुर

प्रस्तर संख्या-107-प्रिया साफ्ट / ऑनलाईन फीडिंग में विभिन्न आई०डी० / कार्य हेतु निम्न विवरणानुसार ₹0 657165.00 सामग्री क्रय पर व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त क्रय से संबन्धित प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही उक्त कार्य से संबन्धित ग्राम पंचायत द्वारा पारित कार्ययोजना, स्टीमेट, एम०बी०, स्टॉकबुक, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, टेंडर, कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र, कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। मजदूरी भुगतान का विवरण प्रस्तुत नहीं रहने से कार्य पूर्णता पर टिप्पणी नहीं किया जा सका साथ ही सामग्री खराब होने की स्थिति भी अज्ञात रहा। कार्य का लोकेशन भी अंकित नहीं किया गया है। अतः उक्त अभिलेखों के अभाव में तत्कालीन ग्राम सचिव श्री विवेक कुमार कुशवाहा तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री कमलेश द्वारा सामग्री क्रय पर फर्जी व्यय दर्शाकर

राजकीय धन का अपहरण किया गया है। सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से वसूली बराबर.बराबर अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है

तिथि	कार्य का नाम	वर्क आईडी सं०	फर्म का नाम	व्यय धन
07.11.2020	सामुदायिक शौचालय	43213981	मिश्रा बिल्डिंग मेटरियल	64246
09.11.2020	सामुदायिक शौचालय	43213981	मलिक मुस्ताक ब्रिक फिल्ड	92876
09.11.2020	सामुदायिक शौचालय	43213981	मिश्रा बिल्डिंग मेटरियल	53150
24.12.2020	सामुदायिक शौचालय	45556897	किसान ट्रेडर्स	95766
24.12.2020	सामुदायिक शौचालय	45556897	मलिक मुस्ताक ब्रिक फिल्ड	12435
24.12.2020	सामुदायिक शौचालय	45556897	इन्द्रदेव सिंह	8400
24.12.2020	सामुदायिक शौचालय	43213981	मो० शमीम	21600
24.12.2020	पंचायत भवन	44557232	मिश्रा बिल्डिंग मेटरियल	98305
24.12.2020	पंचायत भवन	44557232	मिश्रा बिल्डिंग मेटरियल	72186
24.03.2020	सामुदायिक शौचालय	45556897	किसान ट्रेडर्स	95766
24.03.2020	सामुदायिक शौचालय	45556897	मलिक मुस्ताक ब्रिक फिल्ड	12435
24.03.2020	सामुदायिक शौचालय	45556897	इन्द्रदेव सिंह	8400
24.03.2020	सामुदायिक शौचालय	45556897	मो० शमीम	21600
			योग	657165

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
657165.00	0	0	657165.00

प्रस्तर संख्या-108-प्रिया साफ्ट / ऑनलाईन फीडिंग मे निम्न विवरणानुसार टेंडर पर रू० 12644.00 व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त व्यय से संबन्धित प्रमाणक, समाचार पत्र जिसमे टेंडर प्रकाशित हुआ, किन.किन फर्म द्वारा टेंडर डाला गया, तुलनात्मक विवरण पत्र और किस फर्म का टेंडर स्वीकृत हुआ इसका विवरण लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रहा। अस्तु उक्त अभिलेखों के अभाव मे तत्कालीन ग्राम सचिव श्री विवेक कुमार कुशवाहा तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री कमलेश द्वारा टेंडर पर फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से वसूली बराबर.बराबर अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है .

तिथि	मद का नाम	आईडी सं०	फर्म/ व्यक्ति का नाम	व्यय धन
04.08.2020	टेंडर	43204667	श्री अनिल मिश्रा	7274

26.10.2020	टैंडर	43204667	श्री मनोज कुमार शुक्ला	5370
			योग	12644

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
12644.00	0	0	12644.00

प्रस्तर संख्या-109-प्रिया साफ्ट / ऑनलाईन फीडिंग में निम्न विवरणानुसार सामग्री क्रय पर ₹0 220048.00 व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त व्यय से संबंधित प्रमाणक, स्टॉक तथा मृत स्कन्ध पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। उक्त अभिलेखों के अभाव में उपरोक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अस्तु तत्कालीन ग्राम सचिव श्री विवेक कुमार कुशवाहा तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री कमलेश फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से वसूली बराबर. बराबर अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है .

तिथि	मद का नाम	आई0डी0 सं0	फर्म का नाम	व्यय धन	
04.08.2020	स्ट्रीट लाईट	43214343	किसान ट्रेडर्स 72000×2 + =540000	198000	
04.08.2020	स्प्रे मशीन व दवा	43214426	बजरंग कन्सट्रक्शन्स	12620	
13.09.2020	फेस मास्क	43214483	एकता स्वयं सहायता समूह	4000	
26.10.2020	वेट मशीन	43214483	जनता सप्लायर्स	5428	
			योग	220048	
अपहरण			दुरुपयोग	अनियमितता	योग
220048.00			0	0	220048.0 0

प्रस्तर संख्या-110-प्रिया साफ्ट/ऑनलाईन फीडिंग में दि० 13.09.2020 को आईडीओ सं० 43214444 से तकनीकी एवं प्रशासनिक मद में ₹0 71479.00 भुगतान दर्शित है, परन्तु उक्त व्यय से संबंधित शासनादेश तथा केन्द्रीय वित्त का प्राप्त धन का विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा जिससे इस बात की पुष्टि नहीं किया जा सका कि संबंधित को उतना ही धन दिया गया है जितना धन देना था। साथ ही संबंधित के बैंक खाता में भुगतानित होने की पुष्टि बैंक स्टेटमेंट के अभाव में नहीं किया जा सका। अस्तु तत्कालीन ग्राम सचिव श्री विवेक कुमार कुशवाहा तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री कमलेश द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया

गया है। सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से वसूली बराबर.बराबर अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
71479.00	0	0	71479.00

31.ग्राम पंचायत-लोहरौलालेखापरीक्षा वर्ष-20-21 विकास खंड -भनवापुर

प्रस्तर संख्या-111-प्रिया साफ्ट/ऑफलाइन कैशबुक मे निम्न विवरणानुसार टेंडर पर रू0 12594.00 व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त व्यय से संबन्धित प्रमाणक, समाचार पत्र जिसमे टेंडर प्रकाशित हुआ, किन.किन फर्म द्वारा टेंडर डाला गया, तुलनात्मक विवरण पत्र और किस फर्म का टेंडर स्वीकृत हुआ इसका विवरण लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रहा। अस्तु उक्त अभिलेखों के अभाव मे तत्कालीन ग्राम सचिव श्री लाले व श्री अनूप कुमार श्रीवास्तवतथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सरिता देवी द्वारा टेंडर पर फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से वसूली बराबर.बराबर अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है .

तिथि	मद का नाम	आई0डी0 सं0	फर्म/ व्यक्ति का नाम	व्यय धन
12.10.20	टेंडर	43425306	श्री अनिल मिश्रा	7274
12.10.20	टेंडर	43425306	श्री रामकृपाल विश्वकर्मा	5320
			योग	12594

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
12594.00	0	0	12594.00

प्रस्तर संख्या-112-प्रिया साफ्ट / ऑफलाइन कैशबुक मे निम्न विवरणानुसार सामग्री क्रय पर रू0 24600.00 व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त व्यय से संबन्धित प्रमाणक, स्टॉक तथा मृत स्कन्ध पंजिका लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रहा। उक्त अभिलेखों के अभाव मे उपरोक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । अस्तु तत्कालीन ग्राम सचिव श्री लाले व श्री अनूप कुमार श्रीवास्तवतथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सरिता देवी द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से वसूली बराबर.बराबर अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है-

तिथि	मद का नाम	आई0डी0 सं0	फर्म का नाम	व्यय धन
01.10.2020	स्प्रे मशीन व पीपीई कीट	43425694	श्री साई जयमहाकाल कन्सट्रक्शन	7930

01.10.2020	पेड़	43425693	एकता स्वयं सहायता समूह	9000
30.11.2020	वेट मशीन	43425181	जनता सप्लायर्स	5428
30.11.2020	पल्स आक्सीमीटर	43425181	सिंह होमियो हाल	2242
			योग	24600

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
24600.00	0	0	24600.00

प्रस्तर संख्या-113-प्रिया साफ्ट / ऑफलाईन कैशबुक में दि० 30.11.2020 को आई०डी० सं० 43425921 से तकनीकी एवं प्रशासनिक मद में ₹ 38493.00 व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त व्यय से संबंधित पंचायतराज अनुभाग.3 के शासनादेश सं० 97/2017/2584/33.3.2017.02/2016 दि० 07.11.2017 को जारी 14 वॉ वित्त के गाईडलाईन के अनुसार प्राप्त अनुदान का 10 प्रतिशत तकनीकी एवं प्रशासनिक मद में व्यय हेतु रखने एवं 10 प्रतिशत का 64.5 प्रतिशत स०वि०अ०(पंचा०) के नाम से राष्ट्रीयकृत बैंक में खुले खाता में रखने का प्रविधान है। अनुदान पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार 14 वॉ वित्त में कितना धन प्राप्त हुआ इसकी जानकारी नहीं हो सकी। अस्तु उक्त अभिलेखों के अभाव में तत्कालीन ग्राम सचिव श्री लाले व श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सरिता देवी द्वारा तकनीकी एवं प्रशासनिक मद में फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धनका अपहरण किया गया है। सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से वसूली बराबर.बराबर अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
38493.00	0	0	38493.00

32.ग्राम पंचायत-लोहरौलीलेखापरीक्षा वर्ष-20-21 विकास खंड -भनवापुर

प्रस्तर संख्या-114-प्रिया साफ्ट/ऑफलाईन कैशबुक में निम्न विवरणानुसार टेंडर पर ₹ 12647.00 व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त व्यय से संबंधित प्रमाणक, समाचार पत्र जिसमें टेंडर प्रकाशित हुआ, किन.किन फर्म द्वारा टेंडर डाला गया, तुलनात्मक विवरण पत्र और किस फर्म का टेंडर स्वीकृत हुआ इसका विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। अस्तु उक्त अभिलेखों के अभाव में तत्कालीन ग्राम सचिव श्री लाले व श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रीना देवी द्वारा टेंडर पर फर्जी

व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से वसूली बराबर.बराबर अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है .

तिथि	मद का नाम	आई0डी0 सं0	फर्म/ व्यक्ति का नाम	व्यय धन
31.08.20	टैंडर	43297301	श्री रविप्रकाश पाण्डेय	5373
31.08.20	टैंडर	43297301	श्री अनिल मिश्रा	7274
			योग	12647

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
12647.00	0	0	12647.00

प्रस्तर संख्या-115-प्रिया साफ्ट / ऑफलाईन कैशबुक मे निम्न विवरणानुसार सामग्री क्रय पर रू0 30428.00 व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त व्यय से संबन्धित प्रमाणक, स्टॉक तथा मृत स्कन्ध पंजिका लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रहा। उक्त अभिलेखों के अभाव मे उपरोक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । अस्तु तत्कालीन ग्राम सचिव श्री लाले वश्री अनूप कुमार श्रीवास्तव तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रीना देवी द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से वसूली बराबर.बराबर अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है .

तिथि	मद का नाम	आई0डी0 सं0	फर्म का नाम	व्यय धन
31.08.2020	थर्मल स्केनर	43297567	जनता सप्लायर्स	9558
31.08.2020	पल्स आक्सीमीटर, सेनेटाईजर	43297567	सिंह होमियो हाल	7440
10.09.2020	मास्क	43297567	एकता स्वयं सहायता समूह	4000
30.09.2020	स्प्रे मशीन	43297567	श्री साई जयमहाकाल कन्सट्रक्शन	7930
04.12.2020	सेनेटाईजर	43297648	सिंह होमियो हाल	1500
			योग	30428

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
30428.00	0	0	30428.00

प्रस्तर संख्या-116-प्रिया साफ्ट / ऑनलाईन फिडिंग मे विभिन्न आई0डी0 / कार्य हेतु निम्न विवरणानुसार रू0 431047.00 सामग्री क्रय पर व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त क्रय से संबन्धित प्रमाणक लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही उक्त कार्य से संबन्धित ग्राम पंचायत द्वारा पारित कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, स्टॉकबुक,

तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, टेंडर, कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र, कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। मजदुरी का भुगतान का विवरण प्रस्तुत नहीं रहने से कार्य पूर्णता पर टिप्पणी नहीं किया जा सका साथ ही सामग्री खराब होने की स्थिति भी अज्ञात रहा। कार्य का लोकेशन भी अंकित नहीं किया गया है। अतः उक्त अभिलेखों के अभाव में तत्कालीन ग्राम सचिव श्री लाले व श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रीना देवी द्वारा सामग्री क्रय पर फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से वसूली बराबर.बराबर अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है -

तिथि	कार्य का नाम	वर्क आईडी0 सं0	फर्म का नाम	व्यय धन
04.12.2020	रामलगन का घर होते हुए फारूक के घर से सरजू के घर तक नाली	43296740	जनता ब्रिक फिल्ड	19530
04.12.2020	उपरोक्त नाली	43296740	मे0 चौधरी इंटरप्राइजेज	50749
04.12.2020	सामुदायिक शौचालय	43297737	जनता ब्रिक फिल्ड	79222
04.12.2020	सामुदायिक शौचालय	43297737	मे0 चौधरी इंटरप्राइजेज	72452
20.12.2020	सूर्यमन मौर्या के खेत से पीडब्लूडी सड़क तक सीसी	43311191	मे0 चौधरी इंटरप्राइजेज	136613
20.12.2020	सूर्यमन मौर्या के खेत से पीडब्लूडी सड़क तक सीसी	43311191	जनता ब्रिक फिल्ड	15120
20.12.2020	खड़जा से सूर्यमन मौर्या के खेत तक सीसी	43310933	मे0 चौधरी इंटरप्राइजेज	57361
			योग	431047

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
431047.00	0	0	431047.00

प्रस्तर संख्या-117-प्रिया साफ्ट/ ऑफलाईन कैशबुक में निम्न विवरणानुसार मानदेय मद में ₹0 38500.00 व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त व्यय से संबंधित मानदेय पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे बकाया मानदेय की पुष्टि नहीं किया जा सका। अतः उक्त अभिलेख के अभाव में तत्कालीन ग्राम सचिव श्री लाले व श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रीना देवी द्वारा मानदेय पर फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। वसूली बराबर.बराबर अपेक्षित है।

क्र०सं०	तिथि	आई०डी० सं०	मानदेय
01	17.08.2020	43297362	21000
02	30.09.2020	43297362	7000
03	18.11.2020	43297362	3500
04	04.12.2020	43297362	7000
		योग	38500

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
38500.00	0	0	38500.00

33.ग्राम पंचायत-तिवारीपुर पश्चिमीलेखापरीक्षा वर्ष-20-21 विकास खंड -बांसी

प्रस्तर संख्या.118-प्रिया साफ्ट / ऑनलाईन फीडिंग व कैशबुक में (15वाँ वित्त) आई०डी० सं० 42048119 सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य हेतु निम्न विवरणानुसार ₹ 326008.00 सामग्री क्रय पर व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त क्रय से संबंधित कार्य का मस्टररोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। साथ ही उक्त कार्य से संबंधित स्टीमेट, एम०बी०, स्टॉक बुक, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, टेंडर, कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र इत्यादि अभिलेख भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। मस्टररोल / मजदूरी के भुगतान का विवरण प्रस्तुत नहीं रहने से कार्य पूर्णता पर टिप्पणी नहीं किया जा सका। साथ ही सामग्री के प्रयुक्त होने की स्थिति भी अज्ञात रही। इस्तिमेट के अभाव में इस बात की भी पुष्टि नहीं की जा सकी कि सामग्री उसी मात्रा में खरीदा गया है जितना इस्तिमेट में अंकित है। अतः उक्त अभिलेखों के अभाव में तत्कालीन ग्राम सचिव श्री देवदत्त चौधरी और तत्कालीन ग्रामप्रधान श्री लवकुश द्वारा अनावश्यक सामग्री क्रय करके राजकीय धन का दुरुपयोग किया गया है। सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से वसूली बराबर.बराबर अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है -

क्र०सं०	तिथि	व्यय धन	फर्म का नाम	कार्य का नाम	वर्कआई०डी०
01	18.09.2020	103684	मे० अशोक जनरल ऑर्डर सप्लायर	सामुदायिक शौचालय निर्माण	42048119
02	23.09.2020	116962	मे० अशोक जनरल ऑर्डर सप्लायर	सामुदायिक शौचालय निर्माण	42048119
03	21.10.2020	105362	मे० अशोक जनरल ऑर्डर सप्लायर	सामुदायिक शौचालय निर्माण	42048119
	योग	326008			

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
326008.00	0	0	326008.00

34.ग्राम पंचायत-सेखुईलेखापरीक्षा वर्ष-20-21 विकास खंड -बांसी

प्रस्तर संख्या-119-प्रिया साफ्ट / ऑनलाईन फीडिंग व कैशबुक में विभिन्न आईडी / कार्य हेतु निम्न विवरणानुसार ₹ 522986.00 सामग्री क्रय पर व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त क्रय से संबंधित कार्य का मस्टररोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही उक्त कार्य से संबंधित स्टीमेट, एमबीबी, स्टॉक बुक, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, टेंडर, कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। मस्टररोल / मजदुरी के भुगतान का विवरण प्रस्तुत नहीं रहने से कार्य पूर्णता पर टिप्पणी नहीं किया जा सका साथ ही सामग्री के प्रयुक्त होने की स्थिति भी अज्ञात रही। इस्टिमेट के अभाव में इस बात की भी पुष्टि नहीं की जा सकी कि सामग्री उसी मात्रा में खरीदा गया है जितना इस्टिमेट में अंकित है। अतः उक्त अभिलेखों के अभाव में तत्कालीन ग्राम सचिव श्री देवदत्त चौधरी और तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री ओमप्रकाश द्वारा अनावश्यक सामग्री क्रय करके राजकीय धन का दुरुपयोग किया गया है। सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से वसूली बराबर-बराबर अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है .

क्र०सं०	तिथि	व्यय धन	फर्म का नाम	कार्य का नाम	वर्कआईडी
01	11.05.2020	67239	मे० अशोक जनरल ऑर्डर सप्लायर	रामविलास के घर से विक्रम के घर तक ढक्कन सहित नाली निर्माण	17246211
02	28.06.2020	72000	मे० अशोक जनरल ऑर्डर सप्लायर	राविस पट्टाई	43143141
03	22.07.2020	27755	मे० अशोक जनरल ऑर्डर सप्लायर	देबुल के खेत से गड्ढे तक नाली मरम्मत	41014736
04	22.07.2020	96041	मे० अशोक जनरल ऑर्डर सप्लायर	रामदीन के घर से रामकिशुन के घर तक सीसी	41017686
05	26.07.2020	107294	मे० अशोक जनरल ऑर्डर सप्लायर	रामदीन के घर से रामकिशुन के घर तक सीसी	41017686
06	28.07.2020	27797	मे० अशोक जनरल ऑर्डर सप्लायर	देबुल के खेत से गड्ढे तक नाली मरम्मत	41014736
07	20.08.2020	4613	मे० अशोक जनरल ऑर्डर सप्लायर	देबुल के खेत से गड्ढे तक नाली मरम्मत	41014736
08	20.08.2020	11247	मे० अशोक जनरल ऑर्डर सप्लायर	रामदीन के घर से रामकिशुन के घर तक सीसी	41017686
09	11.11.2020	28500	मे० अशोक जनरल ऑर्डर सप्लायर	हैण्डपम्प मरम्मत	2513346
10	19.11.2020	80500	मे० अशोक जनरल ऑर्डर सप्लायर	संतोष के घर से ओमप्रकाश के घर तक नाली	41014243
	योग	522986			

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग

522986.00	0	0	522986.0 0

35.ग्राम पंचायत-बरावं नानकार लेखापरीक्षा वर्ष-20-21 विकास खंड -बांसी

प्रस्तर संख्या.120-इस ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया कि 30प्र0 सरकार की वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड .5 वर्ग एक पैरा .27 अ के अनुपालन में ग्राम निधि प्रथम का कैशबुक नहीं बनाया गया है। लेखा परीक्षा अवधि के दौरान ऑन लाइन मीटिंग एजेंडा वरिक्जिजेशन टास्क तथा पत्राचार के माध्यम से भी संबंधित सचिव से लेखा परीक्षा हेतु वांछित समस्त अभिलेख जैसे.रोकड वही/निर्माण पत्रावली/व्यय बाउचर/मस्टररोल/स्वीकृत प्राकक्लन/कार्यवाही रजि0 एवं निर्धारित प्रारूप हेतु अपेक्षित अन्य सुसंगत अभिलेखों की मांग की गयी लेकिन उक्त के सापेक्ष ग्रा0नि0 प्रथम का सिर्फ बैंक स्टेटमेंट व रोकड बही ही उपलब्ध कराया गया। स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा 30प्र0पंचायतराज अधिनियम 1947 के सुसंगत धाराओं का उल्लंघन कर खाते से स्वैच्छिक आधार पर धनराशि आहरित कर फर्म की मिली -भगत व आपसी दुरभि.संधि द्वारा अनुदान में प्राप्त धनराशि का विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष सामग्री तथा श्रमांश पर काल्पनिक भुगतान दर्शाकर धनराशि का आहरण कर लिया गया । कतिपय परियोजनाओं के सापेक्ष सामग्री व श्रमांश को अलग -अलग भी नहीं दर्शाया गया है। बैंक स्टेटमेंट व रोकड बही के आधार पर वर्ष 20.21 में निम्न विवरणानुसार सामग्री व श्रमांश व अन्य मद पर भुगतान पाया गया .(विस्तृत विवरण रोकड बही में पर उपलब्धता की सीमा तक प्रारूप 01 से 03 में दिया गया है ।

क्र 0 सं 0	परियोजना का नाम	सामग्री पर कुल भुगतान	श्रमांश पर कुल भुगतान	योग
01	प्रधान मानदेय	52500	00	52500
02	राघवेन्द्र के घर से स्कूल तक मि0/ ख0 कार्य	63000	00	63000
03	ग्रा0पं0 हेतु भारोत्तोलन मशीन/सेनीटाइजर/दवा/मास्क कार्य	41400	00	41400
04	रफीकुल्लाह के घर से कोदई के घर तक इ0ला0 कार्य	207230	34650	241880
05	इंडिया मार्का हे0पं0 रिबोर कार्य	85866	00	85866
06	सामुदायिक शौचालय नि0 कार्य	505614	50000	555614
07	सूर्यनारायण के घर से मंदिर गेट तक इ0ला0 कार्य	112528	00	112528
08	14वें वि0प्रशासनिक व तकनीकी मद पर भुगतान	36350	00	36350
09	टेडर वि0	5630	00	5630
10	रोस्टर सफाई मजदूरी	00	3550	3550

11	छोटेलाल के घर से बंधिराम के घर तक इ0ला0 कार्य	286775	00	286775
12	बिजली का बिल	6000	00	6000
13	है0पं0म0 कार्य	69170	00	69170
14	सफीउल्लाह के घर से अताउल्लाह के घर क नाली लि0 कार्य	182500	00	182500
15	पंचायत भवन म0 कार्य	149090	00	149090
	योग	1803653	88200	1891853

ग्रामपंचायत के वित्त व लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय .08 के खण्ड.07 के अनुसार ग्राम पंचायत के प्रधान व सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि लेखा परीक्षा दल को व्यय से संबंधित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। साथ ही खण्ड .08 के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो वैसे समस्त व्यय को गबन मानते हुए तत्कालीन ग्राम प्रधान व सचिव को संयुक्त रूप से उत्तरदायी मानते हुए अधिभार के प्रकरण में सम्मिलित किया जायेगा। स्पष्ट है कि बिना उचित प्रक्रिया के वांछित अभिलेखों को तैयार किये बिना खाते से विभिन्न तिथियों में चेक/पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से वर्ष दौरान कुल रू0 **1891853** सामग्री व श्रमांश व अन्य मद पर भुगतान दर्शाया गया है जिससे संबंधित बाउचर/मस्टररोल वनिर्माण पत्रावली भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रही। उपरोक्त धनराशि के अपहरण हेतु उत्तरदायी व्यक्ति संयुक्त रूप से तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती अरबून एवं सचिव श्री देवदत्त चौधरी है। इस प्रकार वीभगयी कार्यवाही अपेक्षित है

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
1891853.00	0	0	1891853.00

36.ग्राम पंचायत-मंझरिया लेखापरीक्षा वर्ष-20-21 विकास खंड -उसका

प्रस्तर संख्या.121-ग्राम पंचायत मंझरिया विकास खण्ड उसका बाजार वित्त वर्ष 2020.21 में बैंक स्टेटमेंट व रोकड बही में इन्द्राज विवरणानुसार ग्राम प्रधान श्री रामसेवक द्वारा सहजनसेवा केन्द्र से आधार कार्ड द्वारा विभिन्न तिथियों में ग्रामनिधि खाते से धनराशि रू0 **71510.00** आहरित करके निजी हित में प्रयोग करके राजकीय धन का दुरुपयोग किया गया। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री रामसेवक से ततारीख ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है -

क्र0सं0	दिनांक	धनराशि	सी0यस0पी0 आउट लेट सं0
01	01.09.20	10000.00	894641
02	07.09.20	5000.00	105212
03	08.10.20	6010.00	105218

04	12.10.20	7000.00	105212
05	16.10.20	5000.00	105212
06	28.11.20	10000.00	105212
07	24.12.20	10000.00	105212
08	25.12.20	6000.00	105212
09	08.2.21	2500.00	105212
10	13.2.21	2000.00	105218
11	22.2.21	8000.00	105219
	योग	71510.00	

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
71510.00	0	0	71510.00

37.ग्राम पंचायत-गुजरौलिया लेखापरीक्षा वर्ष-20-21 विकास खंड -लोटन

प्रस्तर संख्या.122-इस ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया कि उ०प्र० सरकार की वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड .5 वर्ग एक पैरा .27 अ के अनुपालन में ग्राम निधि प्रथम का कैशबुक नहीं बनाया गया है। लेखा परीक्षा अवधि के दौरान ऑन लाइन मीटिंग एजेंडा वरिक्जिशन टास्क तथा पत्राचार के माध्यम से भी संबंधित सचिव से लेखा परीक्षा हेतु वांछित समस्त अभिलेख जैसे. रोकड वही/निर्माण पत्रावली/व्यय बाउचर/मस्टररोल/स्वीकृत प्राकक्लन/कार्यवाही रजि० एवं निर्धारित प्रारूप हेतु अपेक्षित अन्य सुसंगत अभिलेखकी मांग की गयी लेकिन उक्त के सापेक्ष ग्रा०नि० प्रथम का सिर्फ बैंक स्टेटमेंट ही उपलब्ध कराया गया। स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा उ०प्र०पंचायतराज अधिनियम 1947 के सुसंगत धाराओं का उल्लंघन कर खाते से स्वैच्छिक आधार पर धनराशि आहरित कर फर्म की मिली -भगत व आपसी दुरभि.संधि द्वारा अनुदान में प्राप्त धनराशि का विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष सामग्री तथा श्रमांश पर काल्पनिक भुगतान दर्शाकर धनराशि का आहरण कर लिया गया । कतिपय परियोजनाओं के सापेक्ष सामग्री व श्रमांश को अलग -अलग भी नहीं दर्शाया गया है। कोई अभिलेख प्रस्तुत न करने पर लेखा परीक्षा में ई.ग्रामस्वराज पोर्टल पर उपलब्ध व्यय विवरण के आधार पर वर्ष 20.21 में निम्न विवरणानुसार सामग्री व श्रमांश व अन्य मद पर भुगतान पाया गया .(विस्तृत विवरण पोर्टल पर उपलब्धता की सीमा तक प्रारूप 01 से 03 में दिया गया है).

क्र०सं०	परियोजना का नाम	सामग्री पर कुल भुगतान	श्रमांश पर कुल भुगतान	योग

01	3 नग इंडिया मार्का है0प0 रिबोर कार्य	171427.00	00	171427.00
02	परशुराम धरिंकार के घर के पीछे पुलिया म0 कार्य	88306.00	00	88306.00
03	गंगाराम के खेत के सामने पुलिया म0 कार्य	53998.00	9945.00	63943.00
04	कुमारे के घर से बेलेदीन के घर तक इ0ला0 कार्य	467072.00	00	467072.00
05	प्रा0वि0गुजरोलिया का म0 एवं रंगार्ई.पुताई कार्य	48930.00	00	48930.00
06	प्रिया साफ्ट/ऐक्शन साफ्ट व कार्ययोजना फीड्रिंग कार्य	10000.00	00	10000.00
07	पुनवासी के घर से फूलकरन के घर तक ख0म0 कार्य	43902.00	00	43902.00
08	तीरथ के घर से रामविलास के घर तक ख0म0 कार्य	103541.00	00	103541.00
09	मोहन के घर से वास अली के घर तक ख0म0 कार्य	101562.00	00	101562.00
10	टैंडर वि0	10778.00	00	10778.00
11	ग्रा0पं0 हेतु भारोत्तोलन मशीन	10500.00	00	10500.00
12	प्रधान मानदेय	49000.00	00	49000.00
13	प्रशासनिक व्यय	7000.00	00	7000.00
14	स्टेशनरी	7000.00	00	7000.00
15	स्प्रे मशीन / ग्लव्स / मास्क / जैकेट व दवा क्रय	8124.00	00	8124.00
16	2 नग पल्स आक्शी मीटर व 2 नग थर्मल स्केनर	5600.00	00	5600.00
17	सामूदायिक शौचालय नि0 कार्य	152828.00	00	152828.00
18	ग्रा0पं0गुजरौलिया में 75 ली0दवा क्रय वठेला म0 व्यय	49250.00	00	49250.00
19	रामकरन के घर से बालेदीनके घर तक ख0नि0 कार्य	25298.00	00	25298.00
20	पुनवासी के घर से गंगाराम के घर तक नाली/ख0 कार्य	21658.00	00	21658.00
	योग	1435774.00	9945.00	1445719.00

ग्रामपंचायत के वित्त व लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय .08 के खण्ड.07 के अनुसार ग्राम पंचायत के प्रधान व सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि लेखा परीक्षा दल को व्यय से संबंधित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। साथ ही खण्ड .08 के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो वैसे समस्त व्यय को गबन मानते हुए तत्कालीन ग्राम प्रधान व सचिव को संयुक्त रूप से उत्तरदायी मानते हुए अधिभार के प्रकरण में सम्मिलित किया जायेगा। स्पष्ट है कि बिना उचित प्रक्रिया के वांछित अभिलेखों को तैयार किये बिना खाते से विभिन्न तिथियों में चेक/पीओएफओएमओएसओ के माध्यम से वर्ष दौरान कुल ₹0 1445719.00 सामग्री व श्रमांश व अन्य मद पर भुगतान दर्शाया गया है जिससे संबंधित बाउचर/मस्टररोल व निर्माण पत्रावली भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रही। उपरोक्त धनराशि के अपहरण हेतु उत्तरदायी व्यक्ति संयुक्त रूप से तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री दूधनाथ एवं सचिव श्री ओमप्रकाश पंकज हैं। जाचोंपरांत धनराशि की वसूली अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
1445719.00	0	0	1445719.00

38 .ग्राम पंचायत-पनेरीलेखापरीक्षा वर्ष-20-21 विकास खंड -लोटन

प्रस्तर संख्या-123-इस ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया कि 30प्र0 सरकार की वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड .5 वर्ग एक पैरा .27 अ के अनुपालन में ग्राम निधि प्रथम का कैशबुक नहीं बनाया गया है। लेखा परीक्षा अवधि के दौरान ऑन लाइन मीटिंग एजेंडा वरिक्जिशन टास्क तथा पत्राचार के माध्यम से भी संबंधित सचिव से लेखा परीक्षा हेतु वांछित समस्त अभिलेख जैसे. रोकड वही/निर्माण पत्रावली/व्यय बाउचर/मस्टररोल/स्वीकृत प्राकवलन/कार्यवाही रजि0 एवं निर्धारित प्रारूप हेतु अपेक्षित अन्य सुसंगत अभिलेखकी मांग की गयी लेकिन उक्त के सापेक्ष ग्रा0नि0 प्रथम का सिर्फ बैंक स्टेटमेंट ही उपलब्ध कराया गया। स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा 30प्र0पंचायतराज अधिनियम 1947 के सुसंगत धाराओं का उल्लंघन कर खाते से स्वैच्छिक आधार पर धनराशि आहरित कर फर्म की मिली -भगत व आपसी दुरभि.संधि द्वारा अनुदान में प्राप्त धनराशि का विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष सामग्री तथा श्रमांश पर काल्पनिक भुगतान दर्शाकर धनराशि का आहरण कर लिया गया । कतिपय परियोजनाओं के सापेक्ष सामग्री व श्रमांश को अलग -अलग भी नहीं दर्शाया गया है। कोई अभिलेख प्रस्तुत न करने पर लेखा परीक्षा में ई.ग्रामस्वराज पोर्टल पर उपलब्ध व्यय विवरण के आधार पर वर्ष 20.21 में निम्न विवरणानुसार सामग्री व श्रमांश व अन्य मद पर भुगतान पाया गया . (विस्तृत विवरण पोर्टल पर उपलब्धता की सीमा तक प्रारूप 01 से 03 में दिया गया है)

क्र0सं	परियोजना का नाम	सामग्री पर	श्रमांश पर	योग
0		कुल भुगतान	कुल भुगतान	

01	प्रिया साफ्ट / एक्शन साफ्ट/कार्ययोजना फीडिंग कार्य हेतु भुगतान	5000.00	00	5000.00
02	के0जी0 बंधे से यूसूफ के घर तक सोलिंग नि0 कार्य	32925.00	00	32925.00
03	तिब्बर के घर से लालमन के घर तक सोलिंग नि0 कार्य	46761.00	00	46761.00
04	इंडिया मार्का है0प0 रिबोर कार्य	59257.00	22588.00	81845.00
05	टैंडर वि0	10778.00	00	10778.00
06	ग्रा0पं0 हेतु भारोत्तोलन मशीन	10200.00	00	
07	ग्रा0पं0 में ह्यूम पाइप कार्य	83310.00	3400.00	86710.00
08	कमरूददीन के घर से प्रधानमंत्री सड़क तक नाली म0 कार्य	60957.00	14436.00	7539300
09	प्रधान मानदेय	24500.00	00	24500.00
10	प्रशासनिक व्यय	7000.00	00	7000.00
11	स्प्रे मशीन / ग्लब्स / मास्क / जैकेट व दवा क्रय	8124.00	00	8124.00
12	स्टेशनरी	7000.00	00	7000.00
13	सामूदायिक शौचालय नि0 कार्य	326694.00	34000.00	360694.00
14	दवा क्रय	7500.00	00	7500.00
15	परिवार रजि0 का कम्प्यूटरीकरण व बाइंडिंग कार्य	6384.00	00	6384.00
16	बखरिया सरहद से सम्मल के खेत तक मि0/ ख0 कार्य	86678.00	16482.00	103160
	योग	783068.00	90906.00	873974.00

ग्रामपंचायत के वित्त व लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय .08 के खण्ड.07 के अनुसार ग्राम पंचायत के प्रधान व सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि लेखा परीक्षा दल को व्यय से संबंधित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। साथ ही खण्ड .08 के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो वैसे समस्त व्यय को गबन मानते हुए तत्कालीन ग्राम प्रधान व सचिव को संयुक्त रूप से उत्तरदायी मानते हुए अधिभार के प्रकरण में सम्मिलित किया जायेगा। स्पष्ट है कि बिना उचित प्रक्रिया के वांछित अभिलेखों को तैयार किये बिना खाते से विभिन्न तिथियों में चेक/पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से वर्ष दौरान कुल रू0 **873974.00** सामग्री व श्रमांश व अन्य मद पर भुगतान दर्शाया गया है जिससे संबंधित बाउचर/मस्टररोल वनिर्माण पत्रावली भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रही। उपरोक्त धनराशि के अपहरण हेतु उत्तरदायी व्यक्ति संयुक्त रूप से तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अब्दुल कलाम एवं सचिव श्री ओमप्रकाश पंकज है। जाचोंपरांत धनराशि की वसूली अपेक्षित है

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग

873974.00	0	0	873974.00
			0

39.ग्राम पंचायत-बरगदीलेखापरीक्षा वर्ष-20-21 विकास खंड -बर्डपुर

प्रस्तर संख्या.124-इस ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया कि उत्तर प्रदेश सरकार की वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड.5 वर्ग एक पैरा .27 अ के अनुपालन में ग्राम निधि प्रथम का कैशबुक नहीं बनाया गया है। लेखा परीक्षा अवधि के दौरान आनलाईन मीटिंग एजेण्डा व रिक्विजिशन टास्क तथा पत्राचार के माध्यम से भी संबन्धित सचिव से लेखा परीक्षा हेतु वॉछित समस्त अभिलेख जैसे कैशबुक, निर्माण पत्रावली, व्यय वाउचर, कार्यवाही रजिस्टर एवं निर्धारित प्रारूप हेतु अपेक्षित अन्य सुसंगत अभिलेखों की माँग की गई लेकिन उक्त के सापेक्ष ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के सुसंगत धाराओं का उल्लंघन कर खाते से स्वेच्छिक आधार पर धनराशि आहरित कर फर्म की मिली भगत वआपसी दुरभि संधि द्वारा अनुदान में प्राप्त धनराशि का विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष सामग्री पर काल्पनिक भुगतान दर्शा कर धनराशि का अपहरण कर लिया गया। कोई भी अभिलेख प्रस्तुत न करने पर लेखा परीक्षा में ई- ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध व्यय विवरण के आधार पर वर्ष 20.21 में निम्न विवरणानुसार सामग्री पर भुगतान पाया गया -

क्र०सं०	परियोजना का नाम	आई डी	सामग्री पर कुल भुगतानित धनराशि
1	प्रा०वि० बरगदी का भवन मरम्मत एवं रंगाई पुताई	18224696	115784
2	टेण्डर	3637002	10382
3	सामान्य लाभ निधि	18224708	2000
4	प्रधान का मानदेय	26687883 41662920	21000
5	प्रशासनिक मद पर व्यय		13520
6	सामुदायिक शौचालय निर्माण	41464418	349065
7	पंचायत भवन निर्माण	44857578	77700
8	सफाई कर्मी किट पर व्यय	41463023	22000
9	वेट मशीन क्रय	44857582	5950
10	ग्राम पंचायत में नाली मरम्मत	41462800	173434
11	हैण्डपम्प मरम्मत	3637003	25000
12	हैण्डपम्प मरम्मत	41464266	20000
13	हैण्डपम्प रिबोर	18224705	49000
14	प्रा० वि० बरगदी में टाईल्स कार्य	49037577	190646
15	टैन नं० पर व्यय	8361167	1000

योग		1076481

ग्राम पंचायत के वित्त व लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय .08 के खंड .7 के अनुसार ग्राम पंचायत के प्रधान व सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि लेखा परीक्षा दल को ब्यय के समस्त वाउचर एवं नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये । साथ ही खंड 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गये ब्यय के संबन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो वैसे समस्त ब्यय की धनराशि को गबन मानते हुए तत्कालीन प्रधान व सचिव को संयुक्त रूप से उत्तरदायी मान कर अधिभार के प्रकरणों में सम्मिलित किया जाएगा। स्पष्ट है कि बिना उचित प्रक्रिया के वॉछित अभिलेखों को तैयार किए बिना विभिन्न तिथियों में पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से वर्ष दौरान कुल रू0 1076481 सामग्री पर भुगतान दर्शाया गया है ,जिससे संबन्धित वाउचर ,रोकडबही तथा निर्माण पत्रावली लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा । उपरोक्त धनराशि के अपहरण हेतु उत्तरदायी व्यक्ति संयुक्त रूप से तत्कालीन प्रधान श्री राजेश एवं सचिव श्री भानू सिंह हैं । धनराशि की वसूली अपेक्षित है ।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
1076481.00	0	0	1076481.00

प्रस्तर संख्या-125-इस ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया कि वर्ष दौरान विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष श्रमांश मद में कुल रू0 64060 का भुगतान दर्शाया गया है । भुगतान की वास्तविकता की जाँच के क्रम में लेखा परीक्षा के क्रम में निर्माण पत्रावली , रोकड बही तथा मस्टर रोल एवं परियोजना स्वीकृत प्राक्कलन की माँग की गई ,जो प्रस्तुत नहीं रहा । इसके अभाव में कुशल अकुशल मजदूरों की संख्या , उनकी उपस्थिति ,कार्य की अवधि ,श्रमिकों के नाम व देय श्रमांश की धनराशि से लेखा परीक्षा अवगत नहीं हो सका। श्रमांश मद में भुगतान की उक्त गणना ऑनलाईन पोर्टल पर उपलब्ध विवरण के आधार पर लेखा परीक्षा में तैयार किया गया । विवरण निम्नवत है.

क्र0सं 0	परियोजना का नाम	आई डी	श्रमांश पर कुल भुगतानित धनराशि
1	प्रा0वि0 बरगदी का भवन मरम्मत एवं रंगाई पुताई	18224696	29560
2	सामुदायिक शौचालय निर्माण	41464418	29250
3	पंचायत भवन निर्माण	44857578	5250
योग			64060

विवरण से स्पष्ट है कि बिना निर्माण पत्रावली को तैयार किये विभिन्न तिथियों में परियोजना के सापेक्ष कुल रू0 64060 का भुगतान श्रमांश मद में कर दिया गया है । भुगतान से

संबन्धित मस्टर रोल के अभाव में भुगतान की धनराशि की पुष्टि न की जा सकी । स्पष्ट है कि तत्कालीन प्रधान श्री राजेश एवं सचिव श्री भानू सिंह की मिली भगत से अनुदान में प्राप्त धनराशि में से कुल ₹0 64060 श्रमांश मद में काल्पनिक भुगतान दर्शा कर अपहरण कर लिया गया है ,जिसकी वसूली संबन्धित पक्षों से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
64060.00	0	0	64060.00

40 .ग्राम पंचायत-बर्डपुर-07लेखापरीक्षा वर्ष-20-21 विकास खंड -बर्डपुर

प्रस्तर संख्या-126-इस ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया कि उत्तर प्रदेश सरकार की वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड.5 वर्ग एक पैरा .27 अ के अनुपालन में ग्राम निधि प्रथम का कैशबुक नहीं बनाया गया है । लेखा परीक्षा अवधि के दौरान आनलाईन मीटिंग एजेण्डा व रिक्विजिशन टास्क तथा पत्राचार के माध्यम से भी संबन्धित सचिव से लेखा परीक्षा हेतु वॉछित समस्त अभिलेख जैसे कैशबुक, निर्माण पत्रावली, ब्यय वाउचर , कार्यवाही रजिस्टर एवं निर्धारित प्रारूप हेतु अपेक्षित अन्य सुसंगत अभिलेखों की माँग की गई लेकिन उक्त के सापेक्ष ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया । स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के सुसंगत धाराओं का उल्लंघन कर खाते से स्वेच्छिक आधार पर धनराशि आहरित कर फर्म की मिली भगत व आपसी दुरभि संधि द्वारा अनुदान में प्राप्त धनराशि का विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष सामग्री पर काल्पनिक भुगतान दर्शा कर धनराशि का अपहरण कर लिया गया । कोई भी अभिलेख प्रस्तुत न करने पर लेखा परीक्षा में ई ग्राम पोर्टल पर उपलब्ध ब्यय विवरण के आधार पर वर्ष 20.21 मे निम्न विवरणानुसार सामग्री पर भुगतान पाया गया -

क्र०सं०	परियोजना का नाम	आई डी	सामग्री पर कुल भुगतानित धनराशि
1	स्ट्रीट लाईट	17623548	248500
2	बेलही में मुसे के घर से कमरुदीन के घर तक नाली निर्माण	21140647	139770
3	शुभम यादव के घर के पीछे होते हुए तौलन के घर तक एवं गढे तक नाली नि 0	17623597	59940
4	बढनी में हीरा लाल के घर से होते हुए पक्की सडक तक नाली नि 0	17623598	59985

5	मजिगवा में हरिश्चन्द्र के घर से रजिन्दर के घर तक नाली नि 0	17623613	38233
6	ग्रा0 पं0 में ह्यूम पाईप पर ब्यय	21140644	33630
7	हैण्डपम्प मरम्मत पर ब्यय	17623535	30500
8	जयराम के घर से होते हुए तौलन के घर तक एवं गढे तक नाली निर्माण	17623596	150720
9	हैण्डपम्प रिबोर	21140652	75000
10	पंडितपुर में पक्की सड़क से होते हुए जनकलाल के घर तक सी0सी 0कार्य	17623509	27500
11	स्प्रे मशीन एवं दवा पर खर्च	9522649	13520
12	ग्रा0 पं0 में ह्यूम पाईप पर ब्यय	17901974	9550
13	हैण्डपम्प मरम्मत पर ब्यय	9522649	19730
14	ग्रा0 पं0 में सामुदायिक शौचालय नि0	41618174	248500
15	रामभारी में सी0सी0 एवं इण्टरलाकिंग	36518990	139770
16	रामभारी में रंजीत के घर से जोखू के घर तक सी0सी0 कार्य	41625050	59940
17	रामभारी में नाली नि 0	41624920	59985
18	रामभारी में जोखू के घर से जोखन के घर तक सी0सी0 रोड कार्य	41625217	218144
19	हैण्डपम्प मरम्मत पर ब्यय	36539743	214000
20	हैण्डपम्प रिबोर	36539876	195000
21	पंडितपुर में प्रा0वि0 के प्रांगड में सी0सी0 कार्य	41626525	205404
22	वेट मशीन क्रय	43817419	8400
23	स्टरीट लाईट	44872877	248400
24	प्रधान का मानदेय	36540009	17500
25	स्वक्षता कीट पर ब्यय	36540285	40250
26	सिसवा में संजय के घर से होते हुए दुकान तक खडंजा मरम्मत	41626290	207900
27	ग्रा0 पं0 में इन्वर्टर बैटरी पर ब्यय	41624274 41621987	250000
28	सेनेटाईजर एवं दवा पर ब्यय	43817419	3000
29	ग्रा0पं0 के विभिन्न टोलों में सोलर एल0ई0डी0 लाईट	41624274	15000
30	ग्रा0पं0 में सोलर लाईट एवं इन्वर्टर बैटरी पर ब्यय	36538578	165000
31	प्रा0वि0 पंडितपुर का बिजली बिल भुगतान	36540118	10000

32	प्रा०वि० रमवापुर मरम्मत एवं निर्माण पर ब्यय	49013411	216615
33	प्रा०वि० रमवापुर में पेंटिंग चित्रकारी एवं पुट्टी	49013452	247160
34	प्रा०वि० रमवापुर में लाईट कार्य पर ब्यय	49034540	247998
35	ऑगनवाडी केन्द्र मरम्मत	49034619	239534
36	टैन नम्बर पर ब्यय	36540118	1000
37	पी०पी०ई० कीट पर ब्यय	17623511	1400
योग			4341761

ग्राम पंचायत के वित्त व लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय .08 के खंड .7 के अनुसार ग्राम पंचायत के प्रधान व सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि लेखा परीक्षा दल को ब्यय के समस्त वाउचर एवं नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये । साथ ही खंड 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गये ब्यय के संबन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो वैसे समस्त ब्यय की धनराशि को गबन मानते हुए तत्कालीन प्रधान व सचिव को संयुक्त रूप से उत्तरदायी मान कर अधिभार के प्रकरणों में सम्मिलित किया जाएगा। स्पष्ट है कि बिना उचित प्रक्रिया के वॉछित अभिलेखों को तैयार किए बिना विभिन्न तिथियों में पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से वर्ष दौरान कुल रू० 4341761 सामग्री पर भुगतान दर्शाया गया है ,जिससे संबन्धित वाउचर ,रोकडबही तथा निर्माण पत्रावली लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा । उपरोक्त धनराशि के अपहरण हेतु उत्तरदायी व्यक्ति संयुक्त रूप से तत्कालीन प्रधान श्री मती प्रीति सिंह एवं सचिव श्री भानू सिंह हैं । धनराशि की वसूली अपेक्षित है ।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
4341761.00	0	0	4341761.00

प्रस्तर संख्या.127-इस ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया कि वर्ष दौरान विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष श्रमांश मद में कुल रू० 110661 का भुगतान दर्शाया गया है । भुगतान की वास्तविकता की जाँच के क्रम में लेखा परीक्षा के क्रम में निर्माण पत्रावली , रोकड बही तथा मस्टर रोल एवं परियोजना स्वीकृत प्राक्कलन की मॉग की गई ,जो प्रस्तुत नहीं रहा । इसके अभाव में कुशल अकुशल मजदूरों की संख्या , उनकी उपस्थिति ,कार्य की अवधि ,श्रमिकों के नाम व देय श्रमांश की धनराशि से लेखा परीक्षा अवगत नहीं हो सका। श्रमांश मद में भुगतान की उक्त गणना ऑनलाईन पोर्टल पर उपलब्ध विवरण के आधार पर लेखा परीक्षा में तैयार किया गया । विवरण निम्नवत है.

क्र०सं 0	परियोजना का नाम	आई डी	श्रमांश पर कुल भुगतानित धनराशि
1	ग्रा० पं० में सामुदायिक शौचालय नि०	41618174	30000
2	रामभारी मे सी०सी ०एवं इण्टरलाकिंग	36518990	32085
3	रामभारी में रंजीत के घर से जोखू के घर तक सी०सी० कार्य	41625050	5439
4	रामभारी में नाली नि ०	41624920	43137
योग			110661

विवरण से स्पष्ट है कि बिना निर्माण पत्रावली को तैयार किये विभिन्न तिथियों में परियोजना के सापेक्ष कुल ₹0 110661 का भुगतान श्रमांश मद में कर दिया गया है । भुगतान से संबन्धित मस्टर रोल के अभाव में भुगतान की धनराशि की पुष्टि न की जा सकी । स्पष्ट है कि तत्कालीन प्रधान श्रीमती प्रीति सिंह एवं सचिव श्री भानू सिंह की मिली भगत से अनुदान में प्राप्त धनराशि में से कुल ₹0 110661 श्रमांश मद में काल्पनिक भुगतान दर्शा कर अपहरण कर लिया गया है ,जिसकी नियमानुसार वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती प्रीति सिंह एवं सचिव श्री भानू सिंह से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
110661.00	0	0	110661.00

41-ग्राम पंचायत-करमडीह जमुआर लेखापरीक्षा वर्ष-20-21 विकास खंड -खेसरहा
प्रस्तर संख्या.128-इस ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया कि उ०प्र० सरकार की वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड.5 वर्ग एक पैरा.27अ के अनुपालन में ग्राम निधि प्रथम का कैशबुक नहीं बनाया गया है।लेखा परीक्षा अवधि के दौरान ऑनलाईन मीटिंग एजेंडा व रिक्विजिशन टास्क तथा पत्राचार के माध्यम से भी संबंधित सचिव से लेखा परीक्षा हेतु वांछित समस्त अभिलेख,जैसे कैशबुक,निर्माण पत्रावली,व्यय बाउचर कार्यवाही रजि० एवं निर्धारित प्रारूप हेतु अपेक्षित अन्य सुसंगत अभिलेख की मांग की गई।लेकिन उक्त के सापेक्ष ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा उ०प्र० पंचायतराज अधिनियम 1947 के सुसंगत धाराओं का उल्लंघन कर खाते से स्वैच्छिक आधार पर धनराशि आहरित कर फर्म की मिली.भगत व आपसी दुरभिःसंधि द्वारा अनुदान में प्राप्त धनराशि का विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष सामग्री पर काल्पनिक भुगतान दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया।कोई अभिलेख प्रस्तुत न करने पर लेखा परीक्षा में ई.ग्रामस्वराज पोर्टल पर उपलब्ध व्यय विवरण के आधार पर वर्ष 20.21 में निम्न विवरणानुसार सामग्री पर भुगतान

पाया गया.(विस्तृत विवरण पोर्टल पर उपलब्धता की सीमा तक प्रारूप 01 से 02 में दिया गया है)...

क्रम सं०	परियोजना का नाम	सामग्री पर कुल भुगतानित धनराशि
1	टैंडर प्रकाशन	14930
2	ग्रा०पं० में सेनेटाइजर,स्प्रे मशीन,पी०पी० किट आदि	24900
3	सामुदायिक शौचालय निर्माण	112795
4	हैंडपंप मरम्मत लेबर सहित	56614
5	सी०सी० रोड निर्माण	42253
6	ग्रा०पं० में सोक्ता निर्माण	52645
7	नाली निर्माण कार्य	61200
	कुल योग.	365337

ग्राम पंचायत के वित्त व लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय.08 के खंड.7 के अनुसार ग्राम पंचायत के प्रधान व सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि लेखा परीक्षा दल को व्यय के समस्त बाउचर एवं नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। साथ ही खंड.8 के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो वैसे समस्त व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए तत्कालीन प्रधान व सचिव को संयुक्त रूप से उत्तरदायी मानते हुए अधिभार के प्रकरण में सम्मिलित किया जाएगा। स्पष्ट है कि बिना उचित प्रक्रिया के वांछित अभिलेखों को तैयार किए बिना खातों से विभिन्न तिथियों में पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से वर्ष दौरान कुल रु० 365337.00 सामग्री पर भुगतान दर्शाया गया है, जिससे संबंधित बाउचर, रोकडबही तथा निर्माण पत्रावली लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा उपरोक्त धनराशि के अपहरण हेतु उत्तरदायी व्यक्ति संयुक्त रूप से तत्कालीन प्रधान श्री सुबाष एवं सचिव श्री रमेश यादव है। धनराशि की वसूली अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
365337	0	0	365337

प्रस्तर संख्या-129-ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया कि वर्ष दौरान विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष श्रमांश मद में कुल रु० 30000.00 का भुगतान दर्शाया गया है। भुगतान की वास्तविकता की जाँच के क्रम में लेखा परीक्षा में निर्माण पत्रावली, रोकडबही तथा मस्टररोल एवं परियोजना की स्वीकृत प्राक्कलन की माँग की गई, जो प्रस्तुत नहीं रहा। इसके अभाव में कुशल.अकुशल मजदूरों की सं०, उनकी उपस्थिति, कार्य की अवधि, श्रमिकों के नाम व देय श्रमांश की धनराशि से

लेखा परीक्षा अवगत नहीं हो सका। श्रमांश मद में भुगतान की उक्त गणना ऑनलाईन पोर्टल पर उपलब्ध विवरण के आधार पर लेखा परीक्षा में तैयार किया गया,विवरण निम्नवत् है।

क्रम सं०	परियोजना का नाम	श्रमांश पर कुल भुगतानित धनराशि
1	सामुदायिक शौचालय निर्माण	30000
	कुल योग	30000

विवरण से स्पष्ट है कि विना निर्माण पत्रावली को तैयार किये विभिन्न तिथियों में कुल एक परियोजना के सापेक्ष कुल ₹ 30000.00 का भुगतान श्रमांश मद में कर दिया गया है। भुगतान से संबंधित मस्टररोल के अभाव में भुगतान की धनराशि की पुष्टि न की जा सकी।उल्लेखनीय है कि अन्य किसी भी परियोजना के सापेक्ष श्रमांश मद में अलग से भुगतान का कोई विवरण पोर्टल पर दर्ज नहीं पाया गया। स्पष्ट है कि तत्कालीन प्रधान श्री सुबाष एवं सचिव श्री रमेश यादव की मिली.भगत से अनुदान में प्राप्त धनराशि में से कुल ₹ 30000.00 श्रमांश मद में काल्पनिक भुगतान दर्शाकर अपहरण कर लिया गया,जिसकी नियमानुसार वसूली तत्कालीन प्रधान श्री सुबाष एवं सचिव श्री रमेश यादव से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
30000.00	0	0	30000.00

42 -ग्राम पंचायत-मदरहना लेखापरीक्षा वर्ष-20-21 विकास खंड -खेसरहा

प्रस्तर संख्या.130-इस ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया कि उ०प्र० सरकार की वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड.5 वर्ग एक पैरा.27अ के अनुपालन में ग्राम निधि प्रथम का कैशबुक नहीं बनाया गया है।लेखा परीक्षा अवधि के दौरान ऑनलाईन मीटिंग एजेंडा व रिक्विजिशन टास्क तथा पत्राचार के माध्यम से भी संबंधित सचिव से लेखा परीक्षा हेतु वांछित समस्त अभिलेख,जैसे कैशबुक,निर्माण पत्रावली,व्यय बाउचर कार्यवाही रजि० एवं निर्धारित प्रारूप हेतु अपेक्षित अन्य सुसंगत अभिलेख की मांग की गई।लेकिन उक्त के सापेक्ष ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा उ०प्र० पंचायतराज अधिनियम 1947 के सुसंगत धाराओं का उल्लंघन कर खाते से स्वैच्छिक आधार पर धनराशि आहरित कर फर्म की मिली.भगत व आपसी दुरभिःसंधि द्वारा अनुदान में प्राप्त धनराशि का विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष सामग्री पर काल्पनिक भुगतान दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया।कोई अभिलेख प्रस्तुत न करने पर लेखा परीक्षा में ई.ग्रामस्वराज पोर्टल पर उपलब्ध व्यय विवरण के आधार पर वर्ष 20.21 में निम्न विवरणानुसार सामग्री पर भुगतान

पाया गया.(विस्तृत विवरण पोर्टल पर उपलब्धता की सीमा तक प्रारूप 01 से 02 में दिया गया है)....

क्रम सं०	परियोजना का नाम	सामग्री पर कुल भुगतानित धनराशि
1	ग्रा०पं० में सेनेटाइजर,स्प्रै मशीन,पी०पी० किट	36900
2	खडंजा निर्माण कार्य	106920
3	खडंजा मरम्मत कार्य	72256
4	ग्रा०पं० में सफाई किट का मरम्मत	10806
5	ग्रा०पं० में 4 अदद हैंडपंप रिबोर लेबर सहित	118234
6	सामुदायिक शौचालय का निर्माण	322213
7	पंचायत भवन का मरम्मत कार्य	188555
8	टेंडर प्रकाशन	4580
9	खडंजा निर्माण कार्य	56978
10	हैंडपंप मरम्मत कार्य	27900
11	खडंजा एवं नाली निर्माण	70045
12	कोविड.19 हेतु सामग्री	7750
	कुल योग.	1023137

ग्राम पंचायत के वित्त व लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय.08 के खंड.7 के अनुसार ग्राम पंचायत के प्रधान व सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि लेखा परीक्षा दल को व्यय के समस्त बाउचर एवं नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये।साथ ही खंड.8क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है,तो वैसे समस्त व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए तत्कालीन प्रधान व सचिव को संयुक्त रूप से उत्तरदायी मानते हुए अधिभार के प्रकरण में सम्मिलित कियाजाएगा।स्पष्ट है कि बिना उचित प्रक्रिया के वांछित अभिलेखों को तैयार किए बिना खर्चों से विभिन्न तिथियों में पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से वर्ष दौरान कुल रू० 1023137.00 सामग्री पर भुगतान दर्शाया गया है,जिससे संबंधित बाउचर,रोकडबही तथा निर्माण पत्रावली लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा उपरोक्त धनराशि के अपहरण हेतु उत्तरदायी व्यक्ति संयुक्त रूप से तत्कालीन प्रधान श्री सोहन एवं सचिव श्री अमित कुमार है।धनराशि की नियमानुसार वसूली अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
1023137.00	0	0	1023137.00

प्रस्तर संख्या.131-ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया कि वर्ष दौरान विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष श्रमांश मद में कुल रू० 151563.00 का भुगतान दर्शाया गया है। भुगतान की वास्तविकता की जाँच के क्रम में लेखा परीक्षा में निर्माण पत्रावली, रोकडबही तथा मस्टररोल एवं परियोजना की स्वीकृत प्राक्कलन मॉग की गई, जो प्रस्तुत नहीं रहा। इसके अभाव में कुशल.अकुशल मजदूरों की सं०, उनकी उपस्थिति, कार्य की अवधि, श्रमिकों के नाम व देय श्रमांश की धनराशि से लेखा परीक्षा अवगत नहीं हो सका। श्रमांश मद में भुगतान की उक्त गणना ऑनलाईन पोर्टल पर उपलब्ध विवरण के आधार पर लेखा परीक्षा में तैयार किया गया, विवरण निम्नवत् है (विस्तृत विवरण प्रारूप.03 में)

क्रम सं०	परियोजना का नाम	श्रमांश पर कुल भुगतानित धनराशि
1	खडंजा निर्माण कार्य	58089
2	खडंजा मरम्मत कार्य	26331
3	सामुदायिक शौचालय का निर्माण	30000
4	खडंजा निर्माण कार्य	21909
5	हैंडपंप मरम्मत कार्य	11859
6	खडंजा एवं नाली निर्माण	3375
	कुल योग	151563.00

विवरण से स्पष्ट है कि बिना निर्माण पत्रावली को तैयार किये विभिन्न तिथियों में कुल एक परियोजना के सापेक्ष कुल रू० 151563.00 का भुगतान श्रमांश मद में कर दिया गया है। भुगतान से संबंधित मस्टररोल के अभाव में भुगतान की धनराशि की पुष्टि न की जा सकी। उल्लेखनीय है कि अन्य किसी भी परियोजना के सापेक्ष श्रमांश मद में अलग से भुगतान का कोई विवरण पोर्टल पर दर्ज नहीं पाया गया। स्पष्ट है कि तत्कालीन प्रधान श्री सोहन एवं सचिव श्री अमित कुमार की मिली.भगत से अनुदान में प्राप्त धनराशि में से कुल रू० 151563.00 श्रमांश मद में काल्पनिक भुगतान दर्शाकर अपहरण कर लिया गया, जिसकी वसूली नियमानुसार तत्कालीन प्रधान श्री सोहन एवं सचिव श्री अमित कुमार से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
151563.00	0	0	151563.00

43-ग्राम पंचायत-मिश्रौलिया लेखा परीक्षा वर्ष-20-21 विकास खंड -खेसरहा

प्रस्तर संख्या.132-इस ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया कि उ०प्र० सरकार की वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड.5 वर्ग एक पैरा.27अ के अनुपालन में ग्राम निधि प्रथम का कैशबुक

नहीं बनाया गया है।लेखा परीक्षा अवधि के दौरान ऑनलाईन मीटिंग एजेंडा व रिक्विजिशन टास्क तथा पत्राचार के माध्यम से भी संबंधित सचिव से लेखा परीक्षा हेतु वांछित समस्त अभिलेख,जैसे कैशबुक,निर्माण पत्रावली,व्यय बाउचर कार्यवाही रजि० एवं निर्धारित प्रारूप हेतु अपेक्षित अन्य सुसंगत अभिलेख की माँग की गई।लेकिन उक्त के सापेक्ष ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा उ०प्र० पंचायतराज अधिनियम 1947 के सुसंगत धाराओं का उल्लंघन कर खाते से स्वैच्छिक आधार पर धनराशि आहरित कर फर्म की मिली.भगत व आपसी दुरभिःसंधि द्वारा अनुदान में प्राप्त धनराशि का विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष सामग्री पर काल्पनिक भुगतान दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया।कोई अभिलेख प्रस्तुत न करने पर लेखा परीक्षा में ई.ग्रामस्वरज पोर्टल पर उपलब्ध व्यय विवरण के आधार पर वर्ष 20.21 में निम्न विवरणानुसार सामग्री पर भुगतान पाया गया.(विस्तृत विवरण पोर्टल पर उपलब्धता की सीमा तक प्रारूप 01 से 02 में दिया गया है)...

क्रम सं०	परियोजना का नाम	सामग्री पर कुल भुगतानित धनराशि
1	टैंडर प्रकाशन	16650
2	ग्रा०पं० में सेनेटाइजर,स्प्रे मशीन, आदि	36460
3	सामुदायिक शौचालय निर्माण	114190
4	हैंडपंप रिबोर कार्य3 अदद	84000
5	हैंडपंप रिबोर कार्य 4 अदद	112000
6	नाली मरम्मत कार्य	46911
7	खडंजा निर्माण	85340
8	सी०सी० रोड निर्माण	96189
9	सी०सी० रोड निर्माण	96189
	कुल योग.	687929

ग्राम पंचायत के वित्त व लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय.08 के खंड.7 के अनुसार ग्राम पंचायत के प्रधान व सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि लेखा परीक्षा दल को व्यय के समस्त बाउचर एवं नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये।साथ ही खंड.8क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है,तो वैसे समस्त व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए तत्कालीन प्रधान व सचिव को संयुक्त रूप से उत्तरदायी मानते हुए अधिभार के प्रकरण में सम्मिलित किया जाएगा।स्पष्ट है कि बिना उचित प्रक्रिया के वांछित अभिलेखों को तैयार किए बिना खातों से विभिन्न तिथियों में पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से वर्ष दौरान कुल रू० 687929.00 सामग्री पर भुगतान दर्शाया गया है,जिससे संबंधित बाउचर,रोकडबही तथा निर्माण पत्रावली लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा उपरोक्त धनराशि के अपहरण हेतु उत्तरदायी व्यक्ति संयुक्त रूप से तत्कालीन प्रधान श्री जाकिर हुसैन एवं सचिव श्रीमती जनकनंदिनी है।धनराशि की वसूली अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
687929.00	0	0	687929.00

प्रस्तर संख्या-133-ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया कि वर्ष दौरान विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष श्रमांश मद में कुल रु० 109339.00.00 का भुगतान दर्शाया गया है।भुगतान की वास्तविकता की जाँच के क्रम में लेखा परीक्षा में निर्माण पत्रावली, रोकडबही तथा मस्टररोल एवं परियोजना की स्वीकृत प्राक्कलन की माँग की गई, जो प्रस्तुत नहीं रहा।इसके अभाव में कुशल.अकुशल मजदूरों की सं०, उनकी उपस्थिति, कार्य की अवधि,श्रमिकों के नाम व देय श्रमांश की धनराशि से लेखा परीक्षा अवगत नहीं हो सका। श्रमांश मद में भुगतान की उक्त गणना ऑनलाईन पोर्टल पर उपलब्ध विवरण के आधार पर लेखा परीक्षा में तैयार किया गया,विवरण निम्नवत् है(विस्तृत विवरण प्रारूप.03 में)

क्रम सं०	परियोजना का नाम	श्रमांश पर कुल भुगतानित धनराशि
1	सी०सी० रोड निर्माण	22750
2	खडंजा निर्माण	45318
3	नाली मरम्मत कार्य	13131
4	सी०सी० रोड निर्माण	14070
5	सी०सी० रोड निर्माण	14070
	कुल योग	109339

विवरण से स्पष्ट है कि विना निर्माण पत्रावली को तैयार किये, विभिन्न तिथियों में कुल 5 परियोजनाओं के सापेक्ष कुल रु० 109339.00 का भुगतान श्रमांश मद में कर दिया गया है। भुगतान से संबंधित मस्टररोल के अभाव में भुगतान की धनराशि की पुष्टि न की जा सकी।उल्लेखनीय है कि अन्य किसी भी परियोजना के सापेक्ष श्रमांश मद में अलग से भुगतान का कोई विवरण पोर्टल पर दर्ज नहीं पाया गया। स्पष्ट है कि तत्कालीन प्रधान श्री जाकिर हुसैन एवं सचिव श्रीमती जनकनंदिनी की मिली.भगत से अनुदान में प्राप्त धनराशि में से कुल रु० 109339.00 श्रमांश मद में काल्पनिक भुगतान दर्शाकर अपहरण कर लिया गया,जिसकी वसूली नियमानुसार तत्कालीन प्रधान श्री जाकिर हुसैन एवं सचिव श्रीमती जनकनंदिनी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
109339.00	0	0	109339.00

44 -ग्राम पंचायत-पिपरा दोयम लेखापरीक्षा वर्ष-20-21 विकास खंड -खेसरहा

प्रस्तर संख्या.134-इस ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया कि उ०प्र० सरकार की वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड.5 वर्ग एक पैरा.27अ के अनुपालन में ग्राम निधि प्रथम का कैशबुक नहीं बनाया गया है।लेखा परीक्षा अवधि के दौरान ऑनलाईन मीटिंग एजेंडा व रिक्विजिशन टास्क तथा पत्राचार के माध्यम से भी संबंधित सचिव से लेखा परीक्षा हेतु वांछित समस्त अभिलेख,जैसे कैशबुक,निर्माण पत्रावली,व्यय बाउचर कार्यवाही रजि० एवं निर्धारित प्रारूप हेतु अपेक्षित अन्य सुसंगत

अभिलेख की माँग की गई।लेकिन उक्त के सापेक्ष ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा उ०प्र० पंचायतराज अधिनियम 1947 के सुसंगत धाराओं का उल्लंघन कर खाते से स्वैच्छिक आधार पर धनराशि आहरित कर फर्म की मिली.भगत व आपसी दुरभिःसंधि द्वारा अनुदान में प्राप्त धनराशि का विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष सामग्री पर काल्पनिक भुगतान दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया।कोई अभिलेख प्रस्तुत न करने पर लेखा परीक्षा में ई.ग्रामस्वराज पोर्टल पर उपलब्ध व्यय विवरण के आधार पर वर्ष 20.21 में निम्न विवरणानुसार सामग्री पर भुगतान पाया गया.(विस्तृत विवरण पोर्टल पर उपलब्धता की सीमा तक प्रारूप 01 से 02 में दिया गया है)....

क्रम सं०	परियोजना का नाम	सामग्री पर कुल भुगतानित धनराशि
1	टैंडर प्रकाशन	11130
2	ग्रा०पं० में सेनेटाइजर,स्प्रे मशीन,पी०पी० किट आदि	28250
3	सामुदायिक शौचालय निर्माण	114426
4	हैंडपंप रिबोर कार्य	32604
5	जु०वि० का बाउण्ड्रीवाल मरम्मत एवं गेट निर्माण	87584
6	जु०वि० में शौचालय निर्माण कार्य	190000
7	कोविड.19 हेतु सामग्री	5400
8	नाली निर्माण कार्य	43615
	कुल योग.	513009.00

ग्राम पंचायत के वित्त व लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय.08 के खंड.7 के अनुसार ग्राम पंचायत के प्रधान व सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि लेखा परीक्षा दल को व्यय के समस्त बाउचर एवं नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।साथ ही खंड.8क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है,तो वैसे समस्त व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए तत्कालीन प्रधान व सचिव को संयुक्त रूप से उत्तरदायी मानते हुए अधिभार के प्रकरण में सम्मिलित किया जाएगा।स्पष्ट है कि बिना उचित प्रक्रिया के वांछित अभिलेखों को तैयार किए बिना खातों से विभिन्न तिथियों में पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से वर्ष दौरान कुल रु० 513009.00 सामग्री पर भुगतान दर्शाया गया है,जिससे संबंधित बाउचर,रोकडबही तथा निर्माण पत्रावली लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा उपरोक्त धनराशि के अपहरण हेतु उत्तरदायी व्यक्ति संयुक्त रूप से तत्कालीन प्रधान श्री विपुल कुमार एवं सचिव श्री रामकवल यादव है।धनराशि की वसूली अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
513009.00	0	0	513009.00

प्रस्तर संख्या.135-ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया कि वर्ष दौरान विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष श्रमांश मद में कुल रु० 157029.00.00 का भुगतान दर्शाया गया है।भुगतान की वास्तविकता की जांच के क्रम में लेखा परीक्षा में निर्माण पत्रावली, रोकडबही तथा मस्टररोल एवं परियोजना की स्वीकृत प्राक्कलन की मांग की गई, जो प्रस्तुत नहीं रहा।इसके अभाव में कुशल.अकुशल मजदूरों की सं०, उनकी उपस्थिति, कार्य की अवधि,श्रमिकों के नाम व देय श्रमांश की धनराशि से लेखा परीक्षा अवगत नहीं हो सका। श्रमांश मद में भुगतान की उक्त गणना ऑनलाईन पोर्टल पर उपलब्ध विवरण के आधार पर लेखा परीक्षा में तैयार किया गया,विवरण निम्नवत् है(विस्तृत विवरण प्रारूप.03 में)

क्रम सं०	परियोजना का नाम	श्रमांश पर कुल भुगतानित धनराशि
1	सामुदायिक शौचालय का निर्माण	30000
2	नाली निर्माण कार्य	12432
3	हैंडपंप रिबोर कार्य	23472
4	जु०वि० का बाउण्ड्रीवाल मरम्मत एवं गेट निर्माण	35181
5	जु०वि० में शौचालय निर्माण कार्य	55944
	कुल योग	157029.00

विवरण से स्पष्ट है कि बिना निर्माण पत्रावली को तैयार किये, विभिन्न तिथियों में कुल 5 परियोजनाओं के सापेक्ष कुल रु० 157029.00 का भुगतान श्रमांश मद में कर दिया गया है। भुगतान से संबंधित मस्टररोल के अभाव में भुगतान की धनराशि की पुष्टि न की जा सकी।उल्लेखनीय है कि अन्य किसी भी परियोजना के सापेक्ष श्रमांश मद में अलग से भुगतान का कोई विवरण पोर्टल पर दर्ज नहीं पाया गया। स्पष्ट है कि तत्कालीन प्रधान श्री विपुल कुमार एवं सचिव श्री रामकवल यादव की मिली.भगत से अनुदान में प्राप्त धनराशि में से कुल रु० 157029.00 श्रमांश मद में काल्पनिक भुगतान दर्शाकर अपहरण कर लिया गया,जिसकी वसूली नियमानुसार तत्कालीन प्रधान श्री विपुल कुमार एवं सचिव श्री रामकवल यादव से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
157029.00	0	0	157029.00

45-ग्राम पंचायत-एकडेगवा लेखापरीक्षा वर्ष-20-21 विकास खंड -बांसी

प्रस्तर संख्या.136-इस ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया कि 30प्र० सरकार की वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड .5 वर्ग एक पैरा .27अ के अनुपालन में ग्राम निधि प्रथम का कैशबुक नहीं बनाया गया है। लेखा परीक्षा अवधि के दौरान ऑन लाइन मीटिंग एजेंडा व रिक्विजिशन टास्क तथा पत्राचार के माध्यम से भी संबंधित सचिव से लेखा परीक्षा हेतु वांछित समस्त अभिलेख जैसे रोकड वही/निर्माण पत्रावली/व्यय बाउचर/मस्टररोल/ स्वीकृत प्राक्कलन/कार्यवाही रजि० एवं निर्धारित प्रारूप हेतु अपेक्षित अन्य सुसंगत अभिलेखकी मांग की गयी लेकिन उक्त के सापेक्ष ग्रा०नि० प्रथम का सिर्फ बैंक स्टेटमेंट व रोकड बही ही उपलब्ध कराया गया। स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा 30प्र०पंचायतराज अधिनियम 1947 के सुसंगत धाराओं का उल्लंघन कर खाते से स्वैच्छिक आधार पर धनराशि आहरित कर फर्म की मिली भगत व आपसी दुरभिःसंधि द्वारा अनुदान में प्राप्त धनराशि का विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष सामग्री तथा श्रमांश पर काल्पनिक भुगतान दर्शाकर धनराशि का आहरण कर लिया गया । कतिपय परियोजनाओं के सापेक्ष सामग्री व श्रमांश को अलग.अलग भी नहीं

दर्शाया गया है। कोई प्रमाणक प्रस्तुत न करने पर केवल रोकड बही व बैंक स्टेटमेंट लेखा परीक्षा में उपलब्ध व्यय विवरण के आधार पर वर्ष 2020-21 में निम्न विवरणानुसार सामग्री व श्रमांश व अन्य मद पर भुगतान पाया गया ।

क्र०सं०	परियोजनाकानाम	सामग्रीपरकुल भुगतान	श्रमांशपरकुलभुगतान	योग
01	प्रधान मानदेय	35000	00	35000
02	सफाई किट	18000	00	18000
03	है0पं0म0 कार्य	58800	00	58800
04	ग्रा0पं0 हेतुभारोतो लन मशीनधसेनीटाइजरधदवाध्मास्कम कार्य	35850	00	35850
05	डस्टाबीन क्रय	36000	00	36000
06	14 वे वि०प्रशासनिक व तकनीकी मद पर भुगतान	14651	00	14651
07	टेडर वि०	10630	00	10630
08	रोस्टर सफाई मजदूरी	00	2100	2100
09	बिजली का बिल	6000	00	6000
10	आंगनवाडी केन्द्र म० कार्य	185002	26754	211756
14	सामुदायिक शौचालय नि० कार्य	114343	00	114343
	योग	514276	28854	543130

ग्रामपंचायत के वित्त व लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्यास 08 के खण्ड 07 के अनुसार ग्राम पंचायत के प्रधान व सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि लेखा परीक्षा दल को व्यय से संबंधित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। साथ ही खण्ड 08 के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो वैसे समस्त व्यय को गबन मानते हुए तत्कालीन ग्राम प्रधान व सचिव को संयुक्त रूप से उत्तरदायी मानते हुए अधिभार के प्रकरण में सम्मिलित किया जायेगा। स्पष्ट है कि बिना उचित प्रक्रिया के वांछित अभिलेखों को तैयार किये बिना खाते से विभिन्न तिथियों में चेक/पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से वर्ष दौरान कुल रू० 543130 सामग्री व श्रमांश व अन्य० मद पर भुगतान दर्शाया गया है जिससे संबंधित बाउचर/मस्टर०रोल व निर्माण पत्रावली भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रही। उपरोक्त धनराशि के अपहरण हेतु संयुक्त रूप से उत्तरदायी व्यक्ति तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती लाली देवी एवं सचिव श्री देवदत्त चौधरी है। उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्ति से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
543130.00	0	0	543130.00

46 .ग्राम पंचायत-धोबहा लेखापरीक्षा वर्ष-20-21

विकास खंड -खुनियांव

प्रस्तर संख्या-137-.ग्राम पंचायत की आलोच्य वर्ष की निधि प्रथम की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया कि 30प्र० सरकार की वित्तीयहस्तपुस्तिका खण्ड.5 वर्ग एक पैरा 27 अ के अनुपालन में ग्राम निधि प्रथम का कैशबुक नहीं बनाया गया है । लेखा परीक्षा अवधि के दौरान ऑन लाइन मीटिंग एजेंडा व पत्राचार के माध्यम से संबंधित सचिव से

लेखा परीक्षा हेतु वांछित समस्त अभिलेख यथा कार्यवाही रजिस्टर, बैंक स्टेटमेंट, कैशबुक, निर्माण पत्रावली, व्ययवाउचर, एमओबीओ एवं निर्धारित प्रारूप हेतु अपेक्षित अन्य सुसंगत अभिलेखों की मांग की गयी। परंतु उक्त के सापेक्ष मात्र ग्राम निधि प्रथम खाते का बैंक स्टेटमेंट ही लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराया गया।

उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय.08 के खण्ड.7 के अनुसार ग्राम पंचायत के प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्तदायित्व है कि लेखा परीक्षा दल को व्यय के समस्तवाउचर एवं नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं। साथ ही खण्ड.8क के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो वैसे समस्त व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए तत्कालीन प्रधान व सचिव को संयुक्त रूप से उत्तरदायी मानते हुए अधिभार के प्रकरण में सम्मिलित किया जाएगा। अतः यह मानने का पर्याप्त आधार है कि ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा उओप्रओ पंचायत राज अधिनियम 1947 की सुसंगत धाराओं का उल्लंघन कर खाते से स्वैच्छिक आधार पर विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष सामग्री पर काल्पनिक भुगतान दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है।

भौतिक रूप से प्रस्तुत अभिलेखों के अभाव में ई - ग्राम स्वराजपोर्टल पर उपलब्धव्यय विवरण के आधार पर वर्ष 2020.21 में निम्नविवरणानुसार सामग्री पर भुगतान पाया गया ..

क्रम सं०	परियोजना का नाम	वर्क आईओ डीओ	सामग्री पर कुल भुगतानित धनराशि
1	धोबहाप्राओविओ का सुन्दरीकरण व मरम्मत	31376290	205000.00
2	धोबहाप्राओविओ का सुन्दरीकरण व मरम्मत	26261871	211000.00
3	धोबहापूओमाओविओ का सुन्दरीकरण व मरम्मत	31374962	200000.00
4	पूओमाओविओधोबहा का बाउण्डी व सुन्दरीकरण	18555262	200000.00
5	धोबहाप्राओविओपठानडीह का सुन्दरीकरण	18555234	300000.00
6	सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य	43717275	300000.00
7	उओप्राओविओधोबहा का बाउण्डी एवं गेट निर्माण	44984487	249000.00
8	धोबहाप्राओविओधोबहा का सुन्दरीकरण	18555246	247000.00
9	पूओमाओविओधोबहा का मरम्मत कार्य	18926475	160000.00
10	प्राओविओअगरडीडीह का बाउण्डी व सुन्दरीकरण	43714974	230000.00
11	प्राओविओपियरी का बाउण्डी व सुन्दरीकरण	43715085	205500.00
12	प्राओविओअमरडीडीह का बाउण्डी व सुन्दरीकरण	43715354	290000.00
13	प्राओविओधोबहाकठेला का बाउण्डी व सुन्दरीकरण	43715217	283000.00
14	प्राओविओअमरपुरवा का बाउण्डी व सुन्दरीकरण	43715033	250000.00
	योग		3330500.00

स्पष्ट है कि बिना उचित प्रक्रिया के वांछित अभिलेखों को तैयार किए बिना ही खाते से विभिन्न तिथियों में पीओएफओएमओएसओ के माध्यम से वर्ष के दौरान कुल ₹ 3330500.00 सामग्री मद में भुगतान दर्शाया गया है, जिससे संबंधित व्ययवाउचर भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया

हैं। अतः उपरोक्त धनराशि के अपहरण हेतु तत्कालीन प्रधान श्रीमती मीना देवी एवं तत्कालीन सचिव श्री विजय कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। इस प्रकार के भुगतान की वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती मीना देवी से (रु0 1665250.00) एवं तत्कालीन सचिव श्री विजय कुमार से (रु0 1665250.00) किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
3330500.00	0	0	3330500.00

प्रस्तर संख्या.138-ग्राम पंचायत की आलोच्य वर्ष की निधि प्रथम की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया कि बिना उचित प्रक्रिया के वांछित अभिलेखों को तैयार किए बिना ही खाते से विभिन्न तिथियों में पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से वर्ष के दौरान कुल रु0 122000.00श्रमांश मद में भुगतान दर्शाया गया है, जिससे संबंधित व्ययवाउचर/मस्टररोल भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय.08 के खण्ड.7 के अनुसार ग्राम पंचायत के प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्तदायित्व है कि लेखा परीक्षा दल को व्यय के समस्तवाउचर एवं नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं। साथ ही खण्ड8क के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचरउपलब्ध नहीं कराया जाता है तो वैसे समस्तव्यय की धनराशि को गबन मानते हुए तत्कालीन प्रधान व सचिव को संयुक्त रूप से उत्तरदायी मानते हुए अधिभार के प्रकरण में सम्मिलित किया जाएगा।

भौतिक रूप से प्रस्तुत अभिलेखों के अभाव में ई - ग्राम स्वराजपोर्टल पर उपलब्धव्यय विवरण के आधार पर वर्ष 2020.21 में निम्नविवरणानुसारश्रमांश मद पर भुगतान पाया गया..

क्रमपरियोजना का नाम सं0	वर्क आई0 डी0	श्रमांश पर कुल भुगतानित धनराशि
1 धोबहाप्रा0वि0 का सुन्दरीकरण व मरम्मत	26261871	38000.00
2 धोबहापू0मा0वि0 का सुन्दरीकरण व मरम्मत	31374962	42000.00
3 सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य	43717275	42000.00
योग		122000.00

स्पष्ट है कि बिना उचित प्रक्रिया के वांछित अभिलेखों को तैयार किए बिना ही खाते से विभिन्न तिथियों में पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से वर्ष के दौरान कुल रु0 122000.00श्रमांश मद में भुगतान दर्शाया गया है, जिससे संबंधित व्ययवाउचर/मस्टररोल भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त धनराशि के अपहरण हेतु तत्कालीन प्रधान श्रीमती मीना देवी एवं तत्कालीन सचिव श्री विजय कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। इस प्रकार के भुगतान की वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती मीना देवी से (रु0 61000.00) एवं तत्कालीन सचिव श्री विजय कुमार से (रु0 61000.00) किया जाना अपेक्षित है।

उक्त प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि उपरोक्त सारणी में उल्लिखित भुगतान की गयी श्रमांश की समस्त धनराशि रु0 122000.00 को श्रामिकों के पक्ष में भुगतान न करके ग्राम प्रधान श्रीमती मीना देवी के पक्ष में भुगतान किया गया है, जो कि नियम के विपरीत है । ग्राम पंचायत प्रशासन एवं सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकृष्ट किया

जाता है। इस प्रकार के भुगतान की वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती मीना देवी से (रु0 61000.00) एवं तत्कालीन सचिव श्री विजय कुमार से (रु0 61000.00) किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
122000.00	0	0	122000.00

प्रस्तर संख्या.139.-ग्राम पंचायत की आलोच्य वर्ष की निधि प्रथम की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया कि वर्ष के दौरान कुल व्यय के सापेक्ष ऑनलाईनपोर्टल पर टेण्डर/ऑडिट/हैण्डपम्पमरम्मत/पल्सआक्सीमीटर क्रय/विज्ञापन/स्टेशनरी पर व्यय आदि मद में कुल रु0 141188.00 का भुगतान दर्शाया गया है। लेखा परीक्षा में उपरोक्तव्यय की पुष्टि में कोई भी भौतिक अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया, न ही उपरोक्त भुगतान के सापेक्ष कोई व्ययवाउचर ही प्रस्तुत किया गया।

भौतिक रूप से प्रस्तुत अभिलेखों के अभाव में ई – ग्राम स्वराजपोर्टल पर उपलब्धव्यय विवरण के आधार पर वर्ष 2020.21 में निम्नविवरणानुसार उल्लिखित मदों पर भुगतान पाया गया ..

क्रम सं0	मद जिस पर भुगतान किया गया	वर्क आई0 डी0	कुल भुगतानित धनराशि
1	टेण्डर विज्ञापन	18926485	24200.00
2	पल्सआक्सीमीटर क्रय	18926485	12000.00
3	हैण्डपम्पमरम्मत	44984564	74988.00
4	26 जनवरी पर फोटो का विज्ञापन	18926485	2000.00
5	प्रिया साफ्टफीडिंग	18926485	10000.00
6	ग्राम पंचायत के 18.19 के ऑडिट का पेमेंट	19228500	13000.00
7	कार्ययोजनाफीडिंग एवं स्टेशनरी पर	19228500	5000.00
		योग	141188.00

उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय.08 के खण्ड.7 के अनुसार ग्राम पंचायत के प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्तदायित्व है कि लेखा परीक्षा दल को व्यय के समस्तवाउचर एवं नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं। साथ ही खण्ड.8क के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई बाउचरउपलब्ध नहीं कराया जाता है तो वैसे समस्तव्यय की धनराशि को गबन मानते हुए तत्कालीन प्रधान व सचिव को संयुक्त रूप से उत्तरदायी मानते हुए अधिभार के प्रकरण में सम्मिलित किया जाएगा। स्पष्ट है कि बिना उचित प्रक्रिया के वांछित अभिलेखों को तैयार किए बिना ही खाते से विभिन्न तिथियों में पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से वर्ष के दौरान141188.00टेण्डर/ऑडिट/हैण्डपम्पमरम्मत/पल्सआक्सीमीटर क्रय/विज्ञापन/स्टेशनरी पर व्यय आदि मद में भुगतान दर्शाया गया है, जिससे संबंधित व्ययवाउचर भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त धनराशि के अपहरण हेतु तत्कालीन प्रधान श्रीमती मीना देवी एवं तत्कालीन सचिव श्री विजय कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। इस प्रकार के भुगतान की वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती मीना देवी से (रु0 70594.00) एवं तत्कालीन सचिव श्री विजय कुमार से (रु0 70594.00) किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
141188.00	0	0	141188.00

47 .ग्राम पंचायत-धोबही लेखापरीक्षा वर्ष-20-21 विकास खंड -खुनियांव

प्रस्तर संख्या-140-ग्राम पंचायत की आलोच्य वर्ष की निधि प्रथम की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया कि 30प्र0 सरकार की वित्तीयहस्त पुस्तिका खण्ड.5 वर्ग एक पैरा 27 अ के अनुपालन में ग्राम निधि प्रथम का कैशबुक नहीं बनाया गया है। लेखा परीक्षा अवधि के दौरान ऑन लाइन मीटिंग एजेंडा व पत्राचार के माध्यम से संबंधित सचिव से लेखा परीक्षा हेतु वांछित समस्त अभिलेख यथा कार्यवाही रजिस्टर, बैंक स्टेटमेंट, कैशबुक, निर्माण पत्रावली, व्ययवाचर, एम0बी0 एवं निर्धारित प्रारूप हेतु अपेक्षित अन्य सुसंगत अभिलेखों की मांग की गयी। परंतु उक्त के सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया।

उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय.08 के खण्ड.7 के अनुसार ग्राम पंचायत के प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्तदायित्व है कि लेखा परीक्षा दल को व्यय के समस्तवाचर एवं नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं। साथ ही खण्ड.8क के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाचरउपलब्ध नहीं कराया जाता है तो वैसे समस्तव्यय की धनराशि को गबन मानते हुए तत्कालीन प्रधान व सचिव को संयुक्त रूप से उत्तरदायी मानते हुए अधिभार के प्रकरण में सम्मिलित किया जाएगा। अतः यह मानने का पर्याप्त आधार है कि ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा 30प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की सुसंगत धाराओं का उल्लंघन कर खाते से स्वैच्छिक आधार पर विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष सामग्री पर काल्पनिक भुगतान दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। भौतिक रूप से प्रस्तुत अभिलेखों के अभाव में ई - ग्राम स्वराजपोर्टल पर उपलब्धव्यय विवरण के आधार पर वर्ष 2020.21 में निम्नविवरणानुसार सामग्री मद पर भुगतान पाया गया ..

क्रम सं०	परियोजना का नाम	वर्क आई0 डी0	सामग्री पर कुल भुगतानित धनराशि
1	मुन्नीलाल के घर से मो0यूसुफ के घर तक मि0/ख0 कार्य	20797659	21000.00
2	मुकीम के घर अबरार के घर तक नाली निर्माण	18712916	92925.00
3	सनऊ के घर से इमाम बख्श के घर तक मि0/ख0 कार्य	44467477	84480.00
4	बाउण्डीवाल का उच्चीकरण एवं गेट निर्माण	44678444	80544.00
5	किचन मरम्मत	44678432	39555.00
6	किचन मरम्मत + प्रा0स्कूलवर्क	44678439	90409.00
7	लल्लू के घर से तबारक के घर तक नाली मरम्मत	43474046	37766.00
8	कमल के घर से गढढे तक नाली निर्माण	44677128	39469.00

9	अब्दुलहई के घर से ताज मो0 के घर तक मि0/ख0 कार्य	45131874	53590.00
10	अब्दुलहई के घर से ताज मो0 के घर तक मि0/ख0 कार्य	45131877	53590.00
11	अयूब के घर से गडही तक नाली निर्माण कार्य	45525707	56336.00
12	प्रा0वि0 के प्रांगण में इण्टरलाकिंग कार्य	50602306	132617.00
	योग		782281.00

स्पष्ट है कि बिना उचित प्रक्रिया के वांछित अभिलेखों को तैयार किए बिना ही खाते से विभिन्न तिथियों में पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से वर्ष के दौरान कुल ₹0 782281.00 सामग्री मद में भुगतान दर्शाया गया है, जिससे संबंधित व्ययवाउचर भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त धनराशि के अपहरण हेतु तत्कालीन प्रधान श्री हदीसुल्लाह एवं तत्कालीन सचिव श्री विजय कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। इस प्रकार के भुगतान की वसूली तत्कालीन प्रधान श्री हदीसुल्लाह से (₹0 391140.50) एवं तत्कालीन सचिव श्री विजय कुमार से (₹0 391140.50) किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
782281.00	0	0	782281.00

प्रस्तर संख्या-.141-ग्राम पंचायत की आलोच्य वर्ष की निधि प्रथम की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया कि बिना उचित प्रक्रिया के वांछित अभिलेखों को तैयार किए बिना ही खाते से विभिन्न तिथियों में पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से वर्ष के दौरान कुल ₹0 187855.00 श्रमांश मद में भुगतान दर्शाया गया है, जिससे संबंधित व्ययवाउचर/मस्टररोल भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय.08 के खण्ड.7 के अनुसार ग्राम पंचायत के प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्तदायित्व है कि लेखा परीक्षा दल को व्यय के समस्तवाउचर एवं नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं। साथ ही खण्ड.8क के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो वैसे समस्तव्यय की धनराशि को गबन मानते हुए तत्कालीन प्रधान व सचिव को संयुक्त रूप से उत्तरदायी मानते हुए अधिभार के प्रकरण में सम्मिलित किया जाएगा।

भौतिक रूप से प्रस्तुत अभिलेखों के अभाव में ई – ग्राम स्वराजपोर्टल पर उपलब्धव्यय विवरण के आधार पर वर्ष 2020.21 में निम्नविवरणानुसार श्रमांश मद पर भुगतान पाया गया ..

क्रम सं0	परियोजना का नाम	वर्क आई0 डी0	श्रमांश पर कुल भुगतानित धनराशि
1	अब्दुलसमद के घर से असलम के घर तक मि0/ख0 कार्य	18712936	24752.00
2	निसार के घर से गढढे तक नाली निर्माण	18712915	11900.00
3	सनऊ के घर से इमाम बख्श के घर तक मि0/ख0 कार्य	44467477	12560.00
4	बाउण्डीवाल का उच्चीकरण एवं गेट निर्माण	44678444	25298.00

5	किचन मरम्मत	44678432	12299.00
6	किचन मरम्मत + प्रा0स्कूलवर्क	44678439	15099.00
7	लल्लू के घर से तबारक के घर तक नाली मरम्मत	43474046	14458.00
8	कमल के घर से गढढे तक नाली निर्माण	44677128	21389.00
9	अब्दुलहई के घर से ताज मो0 के घर तक मि0/ख0 कार्य	45131874	14175.00
10	अब्दुलहई के घर से ताज मो0 के घर तक मि0/ख0 कार्य	45131877	5000.00
11	अयूब के घर से गडही तक नाली निर्माण कार्य	45525707	15864.00
12	प्रा0वि0 के प्रांगण में इण्टरलाकिंग कार्य	50602306	15061.00
		योग	187855.00

स्पष्ट है कि बिना उचित प्रक्रिया के वांछित अभिलेखों को तैयार किए बिना ही खाते से विभिन्न तिथियों में पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से वर्ष के दौरान कुल ₹0 187855.00 श्रमांश मद में भुगतान दर्शाया गया है, जिससे संबंधित व्ययवाउचर/मस्टररोल भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त धनराशि के अपहरण हेतु तत्कालीन प्रधान श्री हदीसुल्लाह एवं तत्कालीन सचिव श्री विजय कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। इस प्रकार के भुगतान की वसूली तत्कालीन प्रधान श्री हदीसुल्लाह से (₹0 93927.50) एवं तत्कालीन सचिव श्री विजय कुमार से (₹0 93927.50) किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
187855.00	0	0	187855.00

प्रस्तर संख्या-142-ग्राम पंचायत की आलोच्य वर्ष की निधि प्रथम की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया कि वर्ष के दौरान कुल व्यय के सापेक्ष ऑनलाईनपोर्टल पर टेण्डर/प्लानप्लसफीडिंग/हैण्डपम्पमरम्मत/पल्सआक्सीमीटर क्रय/ऑडिट/बेबीस्केल पर व्यय आदि मद में कुल ₹0 110052.00 का भुगतान दर्शाया गया है। लेखा परीक्षा में उपरोक्तव्यय की पुष्टि में कोई भी भौतिक अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया, न ही उपरोक्त भुगतान के सापेक्ष कोई व्ययवाउचर ही प्रस्तुत किया गया।

भौतिक रूप से प्रस्तुत अभिलेखों के अभाव में ई - ग्राम स्वराजपोर्टल पर उपलब्धव्यय विवरण के आधार पर वर्ष 2020.21 में निम्नविवरणानुसार उल्लिखित मदों पर भुगतान पाया गया

क्रम सं0	मद जिस पर भुगतान किया गया	वर्क आई0 डी0	श्रमांश पर कुल भुगतानित धनराशि
1	प्लानप्लसफीडिंग व स्टेशनरीव्यय	19865729	5000.00
2	हैण्डपम्पमरम्मत	20815042	42988.00
3	टेण्डर विज्ञापन	20462622	21382.00
4	टेण्डर विज्ञापन	50602433	8182.00
5	पल्सआक्सीमीटर क्रय	20462622	12000.00
6	बेबीस्केल/पर्सनलस्केलपरचेज	20462622	2500.00
7	ग्राम पंचायत के 18.19 के ऑडिट का पेमेंट	20462622	18000.00

उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय.08 के खण्ड.7 के अनुसार ग्राम पंचायत के प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्तदायित्व है कि लेखा परीक्षा दल को व्यय के समस्तवाउचर एवं नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं। साथ ही खण्ड.8क के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई बाउचरउपलब्ध नहीं कराया जाता है तो वैसे समस्तव्यय की धनराशि को गबन मानते हुए तत्कालीन प्रधान व सचिव को संयुक्त रूप से उत्तरदायी मानते हुए अधिभार के प्रकरण में सम्मिलित किया जाएगा। स्पष्ट है कि बिना उचित प्रक्रिया के वांछित अभिलेखों को तैयार किए बिना ही खाते से विभिन्न तिथियों में पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से वर्ष के दौरान कुल ₹0 110052.00टेण्डर/प्लानप्लसफीडिंग/हैण्डपम्पमरम्मत/प्लसआक्सीमीटर क्रय/ऑडिट/बेबीस्केल पर व्यय आदि मद में भुगतान दर्शाया गया है, जिससे संबंधित व्ययवाउचर भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त धनराशि के अपहरण हेतु तत्कालीन प्रधान श्री हदीसुल्लाह एवं तत्कालीन सचिव श्री विजय कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। इस प्रकार के भुगतान की वसूली तत्कालीन प्रधान श्री हदीसुल्लाह से (₹0 55026.00) एवं तत्कालीन सचिव श्री विजय कुमार से (₹0 55026.00) किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
110052.00	0	0	110052.00

48 .ग्राम पंचायत-हरैया लेखापरीक्षा वर्ष-20-21 विकास खंड -खुनियांव

प्रस्तर संख्या-143-ग्राम पंचायत की आलोच्य वर्ष की निधि प्रथम की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया कि 30प्र0 सरकार की वित्तीयहस्त पुस्तिका खण्ड.5 वर्ग एक पैरा 27 अ के अनुपालन में ग्राम निधि प्रथम का कैशबुक नहीं बनाया गया है। लेखा परीक्षा अवधि के दौरान ऑन लाइन मीटिंग एजेंडा व पत्राचार के माध्यम से संबंधित सचिव से लेखा परीक्षा हेतु वांछित समस्त अभिलेख यथा कार्यवाही रजिस्टर,बैंक स्टेटमेंट, कैशबुक, निर्माण पत्रावली, व्ययवाउचर, एम0बी0 एवं निर्धारित प्रारूप हेतु अपेक्षित अन्य सुसंगत अभिलेखों की माँग की गयी। परंतु उक्त के सापेक्ष मात्र ग्राम निधि प्रथम खाते का बैंक स्टेटमेंट ही लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराया गया।

उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय.08 के खण्ड.7 के अनुसार ग्राम पंचायत के प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्तदायित्व है कि लेखा परीक्षा दल को व्यय के समस्तवाउचर एवं नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं। साथ ही खण्ड.8क के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचरउपलब्ध नहीं कराया जाता है तो वैसे समस्तव्यय की धनराशि को गबन मानते हुए तत्कालीन प्रधान व सचिव को संयुक्त रूप से उत्तरदायी मानते हुए अधिभार के प्रकरण में सम्मिलित किया जाएगा। अतः यह मानने का पर्याप्त आधार है कि ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा 30प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की सुसंगत धाराओं का उल्लंघन कर खाते से स्वैच्छिक आधार पर विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष सामग्री पर काल्पनिक भुगतान दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है।

भौतिक रूप से प्रस्तुत अभिलेखों के अभाव में ई - ग्राम स्वराजपोर्टल पर उपलब्धव्यय विवरण के आधार पर वर्ष 2020.21 में निम्नविवरणानुसार सामग्री पर भुगतान पाया गया ..

क्रम सं०	परियोजना का नाम	सामग्री पर कुल भुगतानित धनराशि
1	साहबदीन के घर से राम अवतार के घर तक ख०मरम्मत	40000.00
2	हरैया गोशाला में मिट्टी पटाई हेतु भुगतान	120000.00
3	सामुदायिक शौचालय निर्माण मद में भुगतान	386258.00
4	पीताम्बर के घर से श्याम के घर तक रास्तामरम्मत	18143.00
	योग	564401.00

स्पष्ट है कि बिना उचित प्रक्रिया के वांछित अभिलेखों को तैयार किए बिना ही खाते से विभिन्न तिथियों में पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से वर्ष के दौरान कुल ₹ 564401.00 सामग्री मद में भुगतान दर्शाया गया है, जिससे संबंधित व्ययवाउचर भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त धनराशि के अपहरण हेतु तत्कालीन प्रधान श्री धर्मेन्द्र कुमार एवं तत्कालीन सचिव श्री विजय कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः इस प्रकार के भुगतान की वसूली तत्कालीन प्रधान श्री धर्मेन्द्र कुमार से (₹ 282200.50) एवं तत्कालीन सचिव श्री विजय कुमार से (₹ 282200.50) किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
564401.00	0	0	564401.00

प्रस्तर संख्या-144-ग्राम पंचायत की आलोच्य वर्ष की निधि प्रथम की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया कि बिना उचित प्रक्रिया के वांछित अभिलेखों को तैयार किए बिना ही खाते से विभिन्न तिथियों में पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से वर्ष के दौरान कुल ₹ 84000.00श्रमांश मद में भुगतान दर्शाया गया है, जिससे संबंधित व्ययवाउचर/मस्टररोल भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय.08 के खण्ड.7 के अनुसार ग्राम पंचायत के प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्तदायित्व है कि लेखा परीक्षा दल को व्यय के समस्तवाउचर एवं नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं। साथ ही खण्ड.8क के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचरउपलब्ध नहीं कराया जाता है तो वैसे समस्तव्यय की धनराशि को गबन मानते हुए तत्कालीन प्रधान व सचिव को संयुक्त रूप से उत्तरदायी मानते हुए अधिभार के प्रकरण में सम्मिलित किया जाएगा।

भौतिक रूप से प्रस्तुत अभिलेखों के अभाव में ई - ग्राम स्वराजपोर्टल पर उपलब्धव्यय विवरण के आधार पर वर्ष 2019.20 में निम्नविवरणानुसारश्रमांश मद पर भुगतान पाया गया

क्रम सं०	परियोजना का नाम	श्रमांश पर कुल भुगतानित धनराशि
1	ग्राम पंचायत में अस्थायीगौशाला के कार्य हेतु	84000.00
	योग	84000.00

स्पष्ट है कि बिना उचित प्रक्रिया के वांछित अभिलेखों को तैयार किए बिना ही खाते से विभिन्न तिथियों में पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से वर्ष के दौरान कुल ₹0 84000.00 श्रमांश मद में भुगतान दर्शाया गया है, जिससे संबंधित व्ययवाउचर/मस्टररोल भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त धनराशि के अपहरण हेतु तत्कालीन प्रधान श्री धर्मेन्द्र कुमार एवं तत्कालीन सचिव श्री विजय कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः इस प्रकार के भुगतान की वसूली तत्कालीन प्रधान श्री धर्मेन्द्र कुमार से (₹0 42000.00) एवं तत्कालीन सचिव श्री विजय कुमार से (₹0 42000.00) किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
84000.00	0	0	84000.00

प्रस्तर संख्या 145-ग्राम पंचायत की आलोच्य वर्ष की निधि प्रथम की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया कि वर्ष के दौरान कुल व्यय के सापेक्ष ऑनलाईन पोर्टल पर टेण्डर/दवा छिडकाव/हैण्डपम्पमरम्मत/पल्सआक्सीमीटर क्रय/विज्ञापन/बेबीस्केल पर व्यय आदि मद में कुल ₹0 166344.00 का भुगतान दर्शाया गया है। लेखा परीक्षा में उपरोक्त व्यय की पुष्टि में कोई भी भौतिक अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया, न ही उपरोक्त भुगतान के सापेक्ष कोई व्ययवाउचर ही प्रस्तुत किया गया।

भौतिक रूप से प्रस्तुत अभिलेखों के अभाव में ई - ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध व्यय विवरण के आधार पर वर्ष 2020.21 में निम्न विवरणानुसार उल्लिखित मदों पर भुगतान पाया गया ..

क्रम सं०	मद जिस पर भुगतान किया गया	श्रमांश पर कुल भुगतानित धनराशि
	टेण्डर विज्ञापन	16344.00
	पल्सआक्सीमीटर क्रय	12000.00
	हैण्डपम्पमरम्मत	51000.00
	26 जनवरी पर फोटो का विज्ञापन	2000.00
	ग्राम पंचायत में दवा छिडकाव पर	60000.00
	बेबीस्केल/पर्सनलस्केल पर चेज	7000.00
	ग्राम पंचायत के 18.19 के ऑडिट का पेमेंट	18000.00
	योग	166344.00

उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के खण्ड 7 के अनुसार ग्राम पंचायत के प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि लेखा परीक्षा दल को व्यय के समस्त वाउचर एवं नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं। साथ ही खण्ड 8क के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो वैसे समस्त व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए तत्कालीन प्रधान व सचिव को संयुक्त रूप से उत्तरदायी मानते हुए अधिभार के प्रकरण में सम्मिलित किया जाएगा। स्पष्ट है कि बिना उचित प्रक्रिया के वांछित अभिलेखों को तैयार किए बिना ही खाते से विभिन्न तिथियों में पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से वर्ष के दौरान कुल ₹0 166344.00 टेण्डर/दवा छिडकाव/हैण्डपम्पमरम्मत/पल्सआक्सीमीटर क्रय/विज्ञापन/बेबीस्केल पर व्यय आदि मद में भुगतान

दर्शाया गया है, जिससे संबंधित व्ययवाउचर भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त धनराशि के अपहरण हेतु तत्कालीन प्रधान श्री धर्मेन्द्र कुमार एवं तत्कालीन सचिव श्री विजय कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः इस प्रकार के भुगतान की वसूली तत्कालीन प्रधान श्री धर्मेन्द्र कुमार से (रु0 83172.00) एवं तत्कालीन सचिव श्री विजय कुमार से (रु0 83172.00) किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
166344.00	0	0	166344.00

49 .ग्राम पंचायत-जबजौआलेखापरीक्षा वर्ष-20-21 विकास खंड -खुनियांव

प्रस्तर संख्या146-.ग्राम पंचायत की आलोच्य वर्ष की निधि प्रथम की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया कि 30प्र0 सरकार की वित्तीयहस्त पुस्तिका खण्ड.5 वर्ग एक पैरा 27 अ के अनुपालन में ग्राम निधि प्रथम का कैशबुक नहीं बनाया गया है । लेखा परीक्षा अवधि के दौरान ऑन लाइन मीटिंग एजेंडा व पत्राचार के माध्यम से संबंधित सचिव से लेखा परीक्षा हेतु वांछित समस्त अभिलेख यथा कार्यवाही रजिस्टर,बैंक स्टेटमेंट, कैशबुक, निर्माण पत्रावली, व्ययवाउचर, एम0बी0 एवं निर्धारित प्रारूप हेतु अपेक्षित अन्य सुसंगत अभिलेखों की माँग की गयी । परंतु उक्त के सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया ।

उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय.08 के खण्ड.7 के अनुसार ग्राम पंचायत के प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्तदायित्व है कि लेखा परीक्षा दल को व्यय के समस्तवाउचर एवं नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं। साथ ही खण्ड.8क के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचरउपलब्ध नहीं कराया जाता है तो वैसे समस्तव्यय की धनराशि को गबन मानते हुए तत्कालीन प्रधान व सचिव को संयुक्त रूप से उत्तरदायी मानते हुए अधिभार के प्रकरण में सम्मिलित किया जाएगा। अतः यह मानने का पर्याप्त आधार है कि ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा 30प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की सुसंगत धाराओं का उल्लंघन कर खाते से स्वैच्छिक आधार पर विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष सामग्री पर काल्पनिक भुगतान दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है । भौतिक रूप से प्रस्तुत अभिलेखों के अभाव में ई - ग्राम स्वराजपोर्टल पर उपलब्धव्यय विवरण के आधार पर वर्ष 2020.21 में निम्नविवरणानुसार सामग्री पर भुगतान पाया गया ..

क्रम सं0	परियोजना का नाम	सामग्री पर कुल भुगतानित धनराशि
1	मस्जिद से मुस्तफा के घर तक मि0/ख0 कार्य हेतु मिटटी	14659.60
2	सामु0 शौचालय निर्माण हेतु सामग्री क्रय	286637.00
3	पंचायत भवन निर्माण हेतु सामग्री क्रय	129731.00
4	रियाज के घर से पूरबजमील के घर तक ख0 निर्माण कार्य	156075.00
	योग	587102.60

स्पष्ट है कि बिना उचित प्रक्रिया के वांछित अभिलेखों को तैयार किए बिना ही खाते से विभिन्न तिथियों में पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से वर्ष के दौरान कुल रु0 587102.60 सामग्री मद में भुगतान दर्शाया गया है, जिससे संबंधित व्ययवाउचर भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त

धनराशि के अपहरण हेतु तत्कालीन प्रधान श्री शहबान अली एवं तत्कालीन सचिव श्री शेषदत्तमिश्रासंयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः इस प्रकार के भुगतान की वसूली तत्कालीन प्रधान श्री शहबान अली से (रु0 293551.30) एवं तत्कालीन सचिव श्री शेषदत्तमिश्रा से (रु0 293551.30) किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
587102.60	0	0	587102.60

प्रस्तर संख्या 147-ग्राम पंचायत की आलोच्य वर्ष की निधि प्रथम की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया कि बिना उचित प्रक्रिया के वांछित अभिलेखों को तैयार किए बिना ही खाते से विभिन्न तिथियों में पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से वर्ष के दौरान कुल रु0 62630.00श्रमांश मद में भुगतान दर्शाया गया है, जिससे संबंधित व्ययवाउचर/मस्टररोल भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय.08 के खण्ड.7 के अनुसार ग्राम पंचायत के प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्तदायित्व है कि लेखा परीक्षा दल को व्यय के समस्तवाउचर एवं नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं। साथ ही खण्ड.8क के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचरउपलब्ध नहीं कराया जाता है तो वैसे समस्तव्यय की धनराशि को गबन मानते हुए तत्कालीन प्रधान व सचिव को संयुक्त रूप से उत्तरदायी मानते हुए अधिभार के प्रकरण में सम्मिलित किया जाएगा।

भौतिक रूप से प्रस्तुत अभिलेखों के अभाव में ई - ग्राम स्वराजपोर्टल पर उपलब्धव्यय विवरण के आधार पर वर्ष 2019.20 में निम्नविवरणानुसारश्रमांश मद पर भुगतान पाया गया ..

क्रम सं0	परियोजना का नाम	श्रमांश पर कुल भुगतानित धनराशि
1	प्रा0वि0जबजौआ की बाउन्डीवाल का मरम्मत कार्य	36240.00
2	मस्जिद से मुस्तफा के घर तक मि0/ख0 कार्य हेतु मजदूरी	26390.00
	योग	62630.00

स्पष्ट है कि बिना उचित प्रक्रिया के वांछित अभिलेखों को तैयार किए बिना ही खाते से विभिन्न तिथियों में पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से वर्ष के दौरान कुल रु0 62630.00श्रमांश मद में भुगतान दर्शाया गया है, जिससे संबंधित व्ययवाउचर/मस्टररोल भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त धनराशि के अपहरण हेतु तत्कालीन प्रधान श्री शहबान अली एवं तत्कालीन सचिव श्री शेषदत्तमिश्रासंयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः इसप्रकार के भुगतान की वसूली तत्कालीन प्रधान श्री शहबान अली से (रु0 31315.00) एवं तत्कालीन सचिव श्री शेषदत्तमिश्रा से (रु0 31315.00) किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
62630.00	0	0	62630.00

प्रस्तर संख 148 - ग्राम पंचायत की आलोच्य वर्ष की निधि प्रथम की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया कि वर्ष के दौरान कुल व्यय के सापेक्ष ऑनलाईनपोर्टल पर टेण्डर/सफाई कार्य/हैण्डपम्पमरम्मत/प्रशासनिक मद/विज्ञापन/परिवार रजि0फीडिंग पर व्यय आदि मद में कुल रु0 94677.00 का भुगतान दर्शाया गया है। लेखा परीक्षा में उपरोक्तव्यय की पुष्टि में कोई भी भौतिक अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया, न ही उपरोक्त भुगतान के सापेक्ष कोई व्ययवाउचर ही प्रस्तुत किया गया।

भौतिक रूप से प्रस्तुत अभिलेखों के अभाव में ई - ग्राम स्वराजपोर्टल पर उपलब्धव्यय विवरण के आधार पर वर्ष 2020.21 में निम्नविवरणानुसारविभिन्न मदों पर भुगतान पाया गया ..

क्रम सं०	मद का नाम	कुल भुगतानित धनराशि
1	परिवार रजि० फीडिंग हेतु भुगतान	13777
2	टेण्डर/विज्ञापन पर भुगतान	12900
3	सफाई कार्य हेतु भुगतान	10500
4	हैण्डपम्पमरम्मत	20000
5	प्रशासनिक मद हेतु पेमेंट	5000
6	हैण्डपम्पमरम्मत	32500
	योग	94677

उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय.08 के खण्ड.7 के अनुसार ग्राम पंचायत के प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्तदायित्व है कि लेखा परीक्षा दल को व्यय के समस्तवाउचर एवं नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं। साथ ही खण्ड.8क के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचरउपलब्ध नहीं कराया जाता है तो वैसे समस्तव्यय की धनराशि को गबन मानते हुए तत्कालीन प्रधान व सचिव को संयुक्त रूप से उत्तरदायी मानते हुए अधिभार के प्रकरण में सम्मिलित किया जाएगा। स्पष्ट है कि बिना उचित प्रक्रिया के वांछित अभिलेखों को तैयार किए बिना ही खाते से विभिन्न तिथियों में पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से वर्ष के दौरान कुल ₹0 94677.00टेण्डर/सफाई कार्य/हैण्डपम्पमरम्मत/प्रशासनिक मद/विज्ञापन/परिवार रजि०फीडिंग पर व्यय आदि मद में भुगतान दर्शाया गया है, जिससे संबंधित व्ययवाउचर भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त धनराशि के अपहरण हेतु तत्कालीन प्रधान श्री शहबान अली एवं तत्कालीन सचिव श्री शेषदत्तमिश्रासंयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः इस प्रकार के भुगतान की वसूली तत्कालीन प्रधान श्री शहबान अली से (₹0 47338.50) एवं तत्कालीन सचिव श्री शेषदत्तमिश्रा से (₹0 47338.50) किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
94677.00	0	0	94677.00

50 .ग्राम पंचायत-मनकर लेखापरीक्षा वर्ष-20-21 विकास खंड -खुनियांव

प्रस्तर संख्या149-.ग्राम पंचायत की आलोच्य वर्ष की निधि प्रथम की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया कि 30प्र० सरकार की वित्तीयहस्त पुस्तिका खण्ड.5 वर्ग एक पैरा 27 अ के अनुपालन में ग्राम निधि प्रथम का कैशबुक नहीं बनाया गया है । लेखा परीक्षा अवधि के दौरान ऑन लाइन मीटिंग एजेंडा व पत्राचार के माध्यम से संबंधित सचिव से लेखा परीक्षा हेतु वांछित समस्त अभिलेख यथा कार्यवाही रजिस्टर,बैंक स्टेटमेंट, कैशबुक, निर्माण पत्रावली, व्ययवाउचर, एम०बी० एवं निर्धारित प्रारूप हेतु अपेक्षित अन्य सुसंगत अभिलेखों की माँग की गयी । परंतु उक्त के सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया ।

उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय.08 के खण्ड.7 के अनुसार ग्राम पंचायत के प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्तदायित्व है कि लेखा परीक्षा दल को व्यय के समस्तवाउचर एवं नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।

साथ ही खण्ड.8क के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचरउपलब्ध नहीं कराया जाता है तो वैसे समस्तव्यय की धनराशि को गबन मानते हुए तत्कालीन प्रधान व सचिव को संयुक्त रूप से उत्तरदायी मानते हुए अधिभार के प्रकरण में सम्मिलित किया जाएगा। अतः यह मानने का पर्याप्त आधार है कि ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा 30प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की सुसंगत धाराओं का उल्लंघन कर खाते से स्वैच्छिक आधार पर विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष सामग्री पर काल्पनिक भुगतान दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। भौतिक रूप से प्रस्तुत अभिलेखों के अभाव में ई - ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्धव्यय विवरण के आधार पर वर्ष 2020.21 में निम्नविवरणानुसार सामग्री पर भुगतान पाया गया ..

क्रम सं०	परियोजना का नाम	सामग्री पर कुल भुगतानित धनराशि
1	मनकरगौशाला पर चौकीदार रूम का निर्माण	92454.00
2	हैण्डपम्पमरम्मत	10000.00
3	सामुदायिक शौचालय निर्माण पर सामग्री हेतु भुगतान	5000.00
4	मनकर में गौशाला हेतु छत एवं टिन शेड हेतु	200000.00
5	घूरे के घर से साजिद वली के घर तक रोडा.राबिश पटाईहेतु	74000.00
	योग	381454.00

स्पष्ट है कि बिना उचित प्रक्रिया के वांछित अभिलेखों को तैयार किए बिना ही खाते से विभिन्न तिथियों में पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से वर्ष के दौरान कुल ₹0 381454.00 सामग्री मद में भुगतान दर्शाया गया है, जिससे संबंधित व्ययवाउचर भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त धनराशि के अपहरण हेतु तत्कालीन प्रधान श्रीमती शीला एवं तत्कालीन सचिव श्री शेषदत्तमिश्रासंयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः इस प्रकार के भुगतान की वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती शीला से (₹0 190727) एवं तत्कालीन सचिव श्री शेषदत्तमिश्रा से (₹0 190727) किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
381454.00	0	0	381454.00

प्रस्तर संख्या 150 -ग्राम पंचायत की आलोच्य वर्ष की निधि प्रथम की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया कि बिना उचित प्रक्रिया के वांछित अभिलेखों को तैयार किए बिना ही खाते से विभिन्न तिथियों में पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से वर्ष के दौरान कुल ₹0 192879.00श्रमांश मद में भुगतान दर्शाया गया है, जिससे संबंधित व्ययवाउचर/मस्टररोल भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय.08 के खण्ड.7 के अनुसार ग्राम पंचायत के प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्तदायित्व है कि लेखा परीक्षा दल को व्यय के समस्तवाउचर एवं नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं। साथ ही खण्ड.8क के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचरउपलब्ध नहीं कराया जाता है तो वैसे समस्त व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए तत्कालीन प्रधान व सचिव को संयुक्त रूप से उत्तरदायी मानते हुए अधिभार के प्रकरण में सम्मिलित किया जाएगा।भौतिक रूप से प्रस्तुत अभिलेखों के अभाव में ई-ग्राम

स्वराज पोर्टल पर उपलब्धव्यय विवरण के आधार पर वर्ष 2019.20 में निम्नविवरणानुसारश्रमांश मद पर भुगतान पाया गया ..

क्रम सं०	परियोजना का नाम	श्रमांश पर कुल भुगतानित धनराशि
1	मनकरगौशाला पर चौकीदार रूम का निर्माण	17079.00
2	ग्राम पंचायत में गौशाला का निर्माण कार्य हेतु	20000.00
3	मनकरगौशाला पर सीमेन्टेड टिन शेड कार्य हेतु	62000.00
4	घूरे के घर से साजिद वली के घर तक रोडा.राबिश पटाई हेतु	93800.00
		योग 192879.00

स्पष्ट है कि बिना उचित प्रक्रिया के वांछित अभिलेखों को तैयार किए बिना ही खाते से विभिन्न तिथियों में पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से वर्ष के दौरान कुल ₹ 192879.00 श्रमांश मद में भुगतान दर्शाया गया है, जिससे संबंधित व्ययवाउचर/मस्टररोल भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त धनराशि के अपहरण हेतु तत्कालीन प्रधान श्रीमती शीला एवं तत्कालीन सचिव श्री शेषदत्तमिश्रासंयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः इस प्रकार के भुगतान की वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती शीला से (₹ 96439.50) एवं तत्कालीन सचिव श्री शेषदत्तमिश्रा से (₹ 96439.50) किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
192879.00	0	0	192879.00

प्रस्तर संख्या 151-ग्राम पंचायत की आलोच्य वर्ष की निधि प्रथम की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया कि वर्ष के दौरान कुल व्यय के सापेक्ष ऑनलाईनपोर्टल पर टेण्डर/प्लानप्लस पर फीडिंग/पल्सऑक्सीमीटर क्रय/ऑडिट/फोटो पर व्यय आदि मद में कुल ₹ 51844.00 का भुगतान दर्शाया गया है। लेखा परीक्षा में उपरोक्तव्यय की पुष्टि में कोई भी भौतिक अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया, न ही उपरोक्त भुगतान के सापेक्ष कोई व्ययवाउचर ही प्रस्तुत किया गया।

उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय.08 के खण्ड.7 के अनुसार ग्राम पंचायत के प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्तदायित्व है कि लेखा परीक्षा दल को व्यय के समस्तवाउचर एवं नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं। साथ ही खण्ड.8क के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई बाउचरउपलब्ध नहीं कराया जाता है तो वैसे समस्तव्यय कीधनराशि को गबन मानते हुए तत्कालीन प्रधान व सचिव को संयुक्त रूप से उत्तरदायी मानते हुए अधिभार के प्रकरण में सम्मिलित किया जाएगा।स्पष्ट है कि बिना उचित प्रक्रिया के वांछित अभिलेखों को तैयार किए बिना ही खाते से विभिन्न तिथियों में पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से वर्ष के दौरान कुल ₹ 51844.00 टेण्डर/प्लानप्लस पर फीडिंग/पल्सऑक्सीमीटर क्रय/ऑडिट/फोटो पर व्यय आदि मद में भुगतान दर्शाया गया है, जिससे संबंधित व्ययवाउचर भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त धनराशि के अपहरण हेतु तत्कालीन प्रधान श्रीमती शीला एवं तत्कालीन सचिव श्री शेषदत्तमिश्रासंयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः इस प्रकार के भुगतान

की वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती शीला से (रु0 25922.00) एवं तत्कालीन सचिव श्री शेषदत्तमिश्रा से (रु0 25922.00) किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
51844.00	0	0	51844.00

51.ग्राम पंचायत-शनिचरालेखापरीक्षा वर्ष-20-21 विकास खंड -खुनियांव

प्रस्तर संख्या152-ग्राम पंचायत की आलोच्य वर्ष की निधि प्रथम की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया कि 30प्र0 सरकार की वित्तीयहस्त पुस्तिका खण्ड.5 वर्ग एक पैरा 27 अ के अनुपालन में ग्राम निधि प्रथम का कैशबुक नहीं बनाया गया है। लेखा परीक्षा अवधि के दौरान ऑन लाइन मीटिंग एजेंडा व पत्राचार के माध्यम से संबंधित सचिव से लेखा परीक्षा हेतु वांछित समस्त अभिलेख यथा कार्यवाही रजिस्टर,बैंक स्टेटमेंट, कैशबुक, निर्माण पत्रावली, व्ययवाउचर, एम0बी0 एवं निर्धारित प्रारूप हेतु अपेक्षित अन्य सुसंगत अभिलेखों की माँग की गयी। परंतु उक्त के सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया।

उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय.08 के खण्ड.7 के अनुसार ग्राम पंचायत के प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्तदायित्व है कि लेखा परीक्षा दल को व्यय के समस्तवाउचर एवं नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं। साथ ही खण्ड.8क के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचरउपलब्ध नहीं कराया जाता है तो वैसे समस्त व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए तत्कालीन प्रधान व सचिव को संयुक्त रूप से उत्तरदायी मानते हुए अधिभार के प्रकरण में सम्मिलित किया जाएगा। अतः यह मानने का पर्याप्त आधार है कि ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा 30प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की सुसंगत धाराओं का उल्लंघन कर खाते से स्वैच्छिक आधार पर विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष सामग्री पर काल्पनिक भुगतान दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। भौतिक रूप से प्रस्तुत अभिलेखों के अभाव में ई - ग्राम स्वराजपोर्टल पर उपलब्धव्यय विवरण के आधार पर वर्ष 2020.21 में निम्नविवरणानुसार सामग्री पर भुगतान पाया गया ..

क्रम सं0	परियोजना का नाम	वर्क आई0 डी0	सामग्री पर कुल भुगतानित धनराशि
1	हैण्डपम्पमरम्मत	4769139	10500.00
2	वर्क	43619628	523904.00
3	पेमेंट	39531798	205202.00
4	पेमेंट	45106442	159661.00
5	पेमेंट	44474663	16368.00
6	पेमेंट	45380109	131863.00
7	पेमेंट	44474704	190151.00
8	पेमेंट	45377244	143954.00
9	पेमेंट	39528653	132500.00
10	पेमेंट	45516000	142165.00
11	पेमेंट	45515797	117357.00
12	पेमेंट	45516685	59200.00
13	हैण्डपम्पमरम्मत	17500822	32950.00

14	हैण्डपम्पमरम्मत	50865164	32200.00
15	प्रा0वि0मेचुकी में बाउण्डी एवं गेट निर्माण	50865229	130130.00
16	पेमेंट	39608431	47112.00
योग			2075217.00

स्पष्ट है कि बिना उचित प्रक्रिया के वांछित अभिलेखों को तैयार किए बिना ही खाते से विभिन्न तिथियों में पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से वर्ष के दौरान कुल ₹0 2075217.00 सामग्री मद में भुगतान दर्शाया गया है, जिससे संबंधित व्ययवाउचर भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त धनराशि के अपहरण हेतु तत्कालीन प्रधान श्रीमती सावित्री देवी एवं तत्कालीन सचिव श्री विजय कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः इस प्रकार के भुगतान की वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती सावित्री देवी से (₹0 1037608.50) एवं तत्कालीन सचिव श्री विजय कुमार से (₹0 1037608.50) किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
2075217.00	0	0	2075217.00

प्रस्तर संख्या153-ग्राम पंचायत की आलोच्य वर्ष की निधि प्रथम की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया कि बिना उचित प्रक्रिया के वांछित अभिलेखों को तैयार किए बिना ही खाते से विभिन्न तिथियों में पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से वर्ष के दौरान कुल ₹0 274099.00श्रमांश मद में भुगतान दर्शाया गया है, जिससे संबंधित व्ययवाउचर/मस्टररोल भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय.08 के खण्ड.7 के अनुसार ग्राम पंचायत के प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्तदायित्व है कि लेखा परीक्षा दल को व्यय के समस्तवाउचर एवं नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं। साथ ही खण्ड.8क के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचरउपलब्ध नहीं कराया जाता है तो वैसे समस्तव्यय की धनराशि को गबन मानते हुए तत्कालीन प्रधान व सचिव को संयुक्त रूप से उत्तरदायी मानते हुए अधिभार के प्रकरण में सम्मिलित किया जाएगा।

भौतिक रूप से प्रस्तुत अभिलेखों के अभाव में ई - ग्राम स्वराजपोर्टल पर उपलब्धव्यय विवरण के आधार पर वर्ष 2020.21 में निम्नविवरणानुसारश्रमांश मद पर भुगतान पाया गया ..

क्रम सं0	परियोजना का नाम	वर्क आई0 डी0	श्रमांश पर कुल भुगतानित धनराशि
1	पेमेंट	43619628	8358.00
2	पेमेंट	39531798	24438.00
3	पेमेंट	45106442	42405.00
4	पेमेंट	44474663	3417.00
5	पेमेंट	45380109	35089.00
6	पेमेंट	44474704	20781.00

7	पेमेंट	45377244	26046.00
8	पेमेंट	39528653	12600.00
9	पेमेंट	45516000	24840.00
10	पेमेंट	45515797	21279.00
11	प्रा0वि0मेचुकी में बाउण्डी एवं गेट निर्माण पर अतिरिक्तव्यय	50865229	54846.00
	योग		274099.00

स्पष्ट है कि बिना उचित प्रक्रिया के वांछित अभिलेखों को तैयार किए बिना ही खाते से विभिन्न तिथियों में पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से वर्ष के दौरान कुल ₹0 274099.00 श्रमांश मद में भुगतान दर्शाया गया है, जिससे संबंधित व्ययवाउचर/मस्टररोल भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त धनराशि के अपहरण हेतु तत्कालीन प्रधान श्रीमती सावित्री देवी एवं तत्कालीन सचिव श्री विजय कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः इस प्रकार के भुगतान की वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती सावित्री देवी से (₹0 137049.50) एवं तत्कालीन सचिव श्री विजय कुमार से (₹0 137049.50) किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
274099.00	0	0	274099.00

52.ग्राम पंचायत-भानपुर रानी लेखापरीक्षा वर्ष-20-21 विकास खंड -डुमरियागंज प्रस्तर संख्या154-रोकड़ बही में राम जी के घर से गड़दे तक नाली मरम्मत कार्य (आई०डी -4462166) हेतु निम्न विवरणानुसारसामग्री क्रय किय गया है ।परन्तु रोकड़बही में उक्त कार्य पर मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है ।इस प्रकार तत्कालीन गर्म प्रधान श्री संतोष कुमार व तत्कालीन ग्राम सचिव श्री लवकुश प्रसाद द्वारा अनावश्यक सामग्री क्रय करके राजकीय धन का दुरुपयोग किया गया है ।जिसकी वसूली बराबर-बराबर अपेक्षित है ।विवरण निम्न प्रकार है -

क्र०स	तिथि	सामग्री मूल्य	फर्म का नाम
01	18-09-2020	48775.00	श्री बालाजी ट्रेडर्स
02	18-09-2020	30386.00	श्री बालाजी ट्रेडर्स
03	18-09-2020	21000.00	श्री बालाजी ट्रेडर्स
	योग	100161.00	

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
100161.00	0	0	100161.00

53.ग्राम पंचायत-भैसहिया लेखापरीक्षा वर्ष-20-21 विकास खंड -डुमरियागंज

प्रस्तर संख्या155-रोकड़ बही में निम्न विवरणानुसार सामग्री क्रय किया गया है ।परन्तु रोकड़ बही में उक्त कार्य पर मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है ।इस प्रकार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री संतोष कुमार व तत्कालीन ग्राम सचिव श्री लवकुश प्रसाद द्वारा अनावश्यक सामग्री क्रय करके राजकीय धन का दुरुपयोग किया गया है ।जिसकी वसूली बराबर-बराबर अपेक्षित है ।विवरण निम्न प्रकार है -

क्र०स	तिथि	सामग्री मूल्य	फर्म का नाम	कार्य का नाम	आई०डी
01	01-09-2020	10760	रहमत अली	हैण्ड पंप रेबोरे	19163083
02	03-09-2020	27000	रहमत अली	हैण्ड पंप रेबोरे	19163083
03	03-09-2020	63448	वर्मा ट्रेडर्स	04 अदद हैण्ड पंप रेबोरे	44547108
04	03-09-2020	18900	राजा ब्रिक फील्ड	04 अदद हैण्ड पंप रेबोरे	44547108
05	24-03-2021	57221	वर्मा ट्रेडर्स	हैण्ड पंप रेबोरे	50818264
06	24-03-2021	32325	राजकुमार वर्मा	हैण्ड पंप रेबोरे	50818264
		209654			

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
209654.00	0	0	209654.00

54.ग्राम पंचायत-बरगदीलेखापरीक्षा वर्ष-20-21 विकास खंड -मिठवल

प्रस्तर संख्या -156-संदर्भित ग्राम पंचायत की आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि उ०प्र० की वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड -5 वर्ग -एक पैरा -27 के अनुपालन में ग्राम निधि प्रथम का कैश बुक नहीं बनाया गया है ।ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा के दौरान बार -बात मौखिक एवं लिखित पत्राचार के माध्यम से तथा ऑडिट ऑनलाइन पर ऑडिट रिकविजिशन द्वारा सम्बंधित सचिव से लेखा परीक्षा हेतु समस्त वांछित अभिलेख जैसे -रोकड़ बही /निर्माण पत्रावली /व्यय प्रमाणक मस्टर रोल /स्वीकृत प्राक्कलन/कार्यवाही रजिस्टर /परिसंपत्ति रजिस्टर /कार्यपूति प्रमाण पत्र इत्यादि मांगे जाने के बावजूद कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया ।स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम 1947 के सुसंगत धाराओं का उल्लंघन कर खाते से स्वैच्छिक आधार पर धनराशि आहरित कर फर्म की मिली -भगत व आपसी दुरभि-संधि द्वारा अनुदान में प्राप्त धनराशि

का विभिन्न परियोजनाओं में सामग्री एवं श्रम पर काल्पनिक भुगतान कर समस्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया। कोई अभिलेख प्रस्तुत न करने पर लेखा परीक्षा में प्रिया सॉफ्ट /ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध व्यय विवरण के अनुसार वर्ष 20-21 में निम्न सामग्री, श्रम, एवं अन्य मद पर भुगतान दर्शित पाया गया। उक्त विवरण में कतिपय कार्यों के सापेक्ष एवं श्रम के व्यय को अलग-अलग न दर्शाकर संयुक्त व्यय के रूप में दर्शाया गया है। व्यय का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है -

क्र० सं०	परियोजना का नाम	आई०डी	सामग्री पर कुल भुगतान	श्रमांस पर कुल भुगतान	योग
1	प्रधान मानदेय	43211571			38500
2	सफाई कर्मी किट मास्क सैनिटाइजर	43211664	96750		96750
3	प्रशासनिक मद	43211700		28000	39689
4	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य	43211427	110176		138176
5	हैण्ड पंप मरम्मत	45296528	129609		129609
6	महेश के घर से लोहार वाली गड्ढे तक नाली निर्माण	45349944	56001	113443	69444
7	विजय प्रकाश के घर से पक्की सड़क तक नाली निर्माण	45349934	44232	8828	53060
8	हैण्ड पंप मरम्मत कार्य	43211516	44368		44368
9	पेमेंट	45293528	62115		62115
					671711

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 08 के खंड 07 के अनुसार ग्राम पंचायत के प्रधान व सचिव का यह दायित्व है कि लेखा परीक्षा दल को व्यय से सम्बंधित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। साथ ही खण्ड -08 के अनुसार दर्शाए गए व्यय से सम्बंधित कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो ऐसे समस्त व्यय को गबन मानते हुए तत्कालीन ग्राम प्रधान व सचिव को संयुक्त रूप से उत्तरदायी मानते हुए अधिभार के प्रकरण में सम्मिलित कर लिया जायेगा। स्पष्ट है कि बिना उचित प्रक्रिया के वांछित अभिलेखों को तैयार किये बिना खाते से विभिन्न तिथियों में चेक/पी०एफ०एम०एस के माध्यम से वर्ष के दौरान कुल रु० 671711.00 की सामग्री व श्रम व अन्य मद पर भुगतान दर्शाया गया है जिससे सम्बंधित वाउचर /मस्टररोल व निर्माण पत्रावली भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रही। उपरोक्त धनराशि को गबन मानते हुए रु० 671711.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री दिग्विजय नाथ एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री हीरा सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
671711.00	0	0	671711.00

55.ग्राम पंचायत-कम्हरिया खुर्द लेखापरीक्षा वर्ष-20-21 विकास खंड -मिठवल

प्रस्तर संख्या -157-संदर्भित ग्राम पंचायत की आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि उ०प्र० की वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड -5 वर्ग -एक पैरा -27 के अनुपालन में ग्राम निधि प्रथम का कैश बुक नहीं बनाया गया है। ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा के दौरान बार -बात मौखिक एवं लिखित पत्राचार के माध्यम से तथा ऑडिट ऑनलाइन पर ऑडिट रेकविजिशन द्वारा सम्बंधित सचिव से लेखा परीक्षा हेतु समस्त वांछित अभिलेख जैसे -रोकड़ बही /निर्माण पत्रावली /व्यय प्रमाणक मस्टर रोल /स्वीकृत प्राक्कलन/कार्यवाही रजिस्टर /परिसंपत्ति रजिस्टर /कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि मांगे जाने के बावजूद कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम 1947 के सुसंगत धाराओं का उल्लंघन कर खाते से स्वैच्छिक आधार पर धनराशि आहरित कर फर्म की मिली -भगत व आपसी दुरभि-संधि द्वारा अनुदान में प्राप्त धनराशि का विभिन्न परियोजनाओं में सामग्री एवं श्रम पर काल्पनिक भुगतान कर समस्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया। कोई अभिलेख प्रस्तुत न करने पर लेखा परीक्षा में प्रिया सॉफ्ट /ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध व्यय विवरण के अनुसार वर्ष 20-21 में निम्न सामग्री, श्रम, एवं अन्य मद पर भुगतान दर्शित पाया गया। उक्त विवरण में कतिपय कार्यों के सापेक्ष एवं श्रम के व्यय को अलग -अलग न दर्शाकर संयुक्त व्यय के रूप में दर्शाया गया है। व्यय का विस्तृत विवरण निम्न है -

क्र० सं०	परियोजना का नाम	आई०डी	सामग्री पर कुल भुगतान	श्रमांस पर कुल भुगतान	योग
1	प्रधान मानदेय	42629956			35000
2	सफाई कर्मी किट मास्क सैनिटाईजर	42630160	93200		93200
3	सदानंद के घर से रामचंद्र के घर तक खंडजा	45110612	179487		179487
4	हैण्ड पंप मरमत	451106411			106483
5	प्रशासनिक मद	42630332			34208
	योग				448378

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 08 के खंड 07 के अनुसार ग्राम पंचायत के प्रधान व सचिव का यह दायित्व है कि लेखा परीक्षा दल को व्यय से सम्बंधित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। साथ ही खंड -08 के अनुसार दर्शाए गए व्यय से सम्बंधित कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है। तो ऐसे समस्त व्यय को गबन मानते हुए तत्कालीन ग्राम प्रधान व सचिव को संयुक्त रूप से उत्तरदायी मानते हुए अधिभार के प्रकरण में सम्मिलित कर लिया जायेगा। स्पष्ट है कि बिना उचित प्रक्रिया के वांछित अभिलेखों को तैयार किये बिना खाते से विभिन्न तिथियों में चेक/पी०एफ०एम०एस के माध्यम से वर्ष के दौरान कुल रु० 448378.00 की सामग्री व श्रम व अन्य मद पर भुगतान दर्शाया गया है जिससे सम्बंधित वाउचर /मस्टररोल व निर्माण पत्रावली भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रही। उपरोक्त धनराशि को गबन मानते हुए रु० 448378.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती आरती सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री हीरा सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग

448378.00	0	0	448378.00

56.ग्राम पंचायत-छितौनीलेखापरीक्षा वर्ष-20-21 विकास खंड -मिठवल

प्रस्तर संख्या -158-संदर्भित ग्राम पंचायत की आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि ३००० की वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड -5 वर्ग -एक पैरा -27 के अनुपालन में ग्राम निधि प्रथम का कैश बुक नहीं बनाया गया है। ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा के दौरान बार -बात मौखिक एवं लिखित पत्राचार के माध्यम से तथा ऑडिट ऑनलाइन पर ऑडिट रिकविजिशन द्वारा सम्बंधित सचिव से लेखा परीक्षा हेतु समस्त वांछित अभिलेख जैसे -रोकड़ बही /निर्माण पत्रावली /व्यय प्रमाणक मस्टर रोल /स्वीकृत प्राक्कलन/कार्यवाही रजिस्टर /परिसंपत्ति रजिस्टर /कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि मांगे जाने के बावजूद कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा ३००० पंचायत राज अधिनियम 1947 के सुसंगत धाराओं का उल्लंघन कर खाते से स्वैच्छिक आधार पर धनराशि आहरित कर फर्म की मिली -भगत व आपसी दुरभि-संधि द्वारा अनुदान में प्राप्त धनराशि का विभिन्न परियोजनाओं में सामग्री एवं श्रम पर काल्पनिक भुगतान कर समस्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया। कोई अभिलेख प्रस्तुत न करने पर लेखा परीक्षा में प्रिया सॉफ्ट /ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध व्यय विवरण के अनुसार वर्ष 20-21 में निम्न सामग्री ,श्रम ,एवं अन्य मद पर भुगतान दर्शित पाया गया। उक्त विवरण में कतिपय कार्यों के सापेक्ष एवं श्रम के व्यय को अलग -अलग न दर्शाकर संयुक्त व्यय के रूप में दर्शाया गया है। व्यय का विस्तृत विवरण नीचे है -

क्र. सं.	परियोजना का नाम	आईडी	सामग्री पर कुल भुगतान	श्रमांस पर कुल भुगतान	योग
1	विवरण अनुपलब्ध	43329260	37326	3409	40735
2	विवरण अनुपलब्ध	43328724	12600	5226	17826
3	विवरण अनुपलब्ध	43329516	15750	6633	22383
4	विवरण अनुपलब्ध	43329219	55376	9230	64606
5	मटेरियल	43329377	48000		48000
6	मानदेय	19357949			42000
7	विवरण अनुपलब्ध	44194568	74416	11832	86248
8	फोटो कॉपी	19357948			60
9	विवरण अनुपलब्ध	43329442			17100
10	विवरण अनुपलब्ध	44895617	121865	30000	151865
11	विवरण अनुपलब्ध	43329670	75600	30150	105750
12	पेमेंट फॉर दिस वर्क	43329177			137435
13	पेमेंट फॉर दिस वर्क	45403622			26532
14	पेमेंट फॉर दिस वर्क	4339096			41102
15	पेमेंट फॉर दिस वर्क	43328516			73248
16	पेमेंट फॉर दिस वर्क	43329411			18690
17	सामुदायिक शौचालय	44895617			201273
18	प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक स्कूल में खंडजा निर्माण	44194640			102638

19	पत्रकार	19357935			5870
	योग				1203361

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 08 के खंड 07 के अनुसार ग्राम पंचायत के प्रधान व सचिव का यह दायित्व है कि लेखा परीक्षा दल को व्यय से सम्बंधित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। साथ ही खण्ड -08 के अनुसार दर्शाए गए व्यय से सम्बंधित कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो ऐसे समस्त व्यय को गबन मानते हुए तत्कालीन ग्राम प्रधान व सचिव को संयुक्त रूप से उत्तरदायी मानते हुए अधिभार के प्रकरण में सम्मिलित कर लिया जायेगा। स्पष्ट है बिना उचित प्रक्रिया के वांछित अभिलेखों को तैयार किये बिना खाते से विभिन्न तिथियों में चेक/पी०एफ०एम०एस के माध्यम से वर्ष के दौरान कुल रु० 1203361.00 की सामग्री व श्रम व अन्य मद पर भुगतान दर्शाया गया है जिससे सम्बंधित वाउचर /मस्टररोल व निर्माण पत्रावली भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रही। उपरोक्त धनराशि को गबन मानते हुए रु० 1203361.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री ब्रह्मेंद्र मणि एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री शेष दत्त मिश्र से किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
1203361.00	0	0	1203361.00

57. ग्राम पंचायत-जोगिबारी लेखापरीक्षा वर्ष-20-21 विकास खंड -मिठवल

प्रस्तर संख्या -159-इस ग्राम पंचायत की आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि उ०प्र० की वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड -5 वर्ग -एक पैरा -27 के अनुपालन में ग्राम निधि प्रथम का कैश बुक नहीं बनाया गया है। ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा के दौरान बार -बात मौखिक एवं लिखित पत्राचार के माध्यम से तथा ऑडिट ऑनलाइन पर ऑडिट रिकविजिशन द्वारा सम्बंधित सचिव से लेखा परीक्षा हेतु समस्त वांछित अभिलेख जैसे -रोकड बही /निर्माण पत्रावली /व्यय प्रमाणक मस्टर रोल /स्वीकृत प्राक्कलन/कार्यवाही रजिस्टर /परिसंपत्ति रजिस्टर /कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि मांगे जाने के बावजूद कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम 1947 के सुसंगत धाराओं का उल्लंघन कर खाते से स्वैच्छिक आधार पर धनराशि आहरित कर फर्म की मिली -भगत व आपसी दुरभि-संधि द्वारा अनुदान में प्राप्त धनराशि का विभिन्न परियोजनाओं में सामग्री एवं श्रम पर काल्पनिक भुगतान कर समस्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया। कोई अभिलेख प्रस्तुत न करने पर लेखा परीक्षा में प्रिया सॉफ्ट /ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध व्यय विवरण के अनुसार वर्ष 20-21 में निम्न सामग्री, श्रम, एवं अन्य मद पर भुगतान दर्शित पाया गया। उक्त विवरण में कतिपय कार्यों के सापेक्ष एवं श्रम के व्यय को अलग -अलग न दर्शाकर संयुक्त व्यय के रूप में दर्शाया गया है। व्यय का विस्तृत विवरण नीचे है -

क्र०स०	परियोजना का नाम	सामग्री पर कुल भुगतान	श्रमांस पर कुल भुगतान	योग
1	प्रा०वि० शौचालय व मूत्रालय व टाइल्स कार्य	82484	00	82484
2	ग्राम पंचायत में कोविड राहत कार्य	52225	00	52225
3	जी०पी०डी०पी० कार्य पर फविलेटर को भुगतान	5000	00	5000
4	ग्राम पंचायत में इंटरलॉकिंग कार्य पर व्यय	220300	28134	248434
5	मेन रोड से मस्जिद तक सी०सी रोड कार्य पर व्यय	49694	00	49694
6	ग्राम पंचायत में खडंजा मरम्मत कार्य पर व्यय	384098	12955	397053

	योग	793801.00	41089.00	834890.00

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुएल के अध्याय 08 के खंड 07 के अनुसार ग्राम पंचायत के प्रधान व सचिव का यह दायित्व है कि लेखा परीक्षा दल को व्यय से सम्बंधित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। साथ ही खण्ड -08 के अनुसार दर्शाए गए व्यय से सम्बंधित कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता हिया तो ऐसे समस्त व्यय को गबन मानते हुए तत्कालीन ग्राम प्रधान व सचिव को संयुक्त रूप से उत्तरदायी मानते हुए अधिभार के प्रकरण में सम्मिलित कर लिया जायेगा। स्पष्ट है कि बिना उचित प्रक्रिया के वांछित अभिलेखों को तैयार किये बिना खाते से विभिन्न तिथियों में चेक/पी०एफ०एम०एस के माध्यम से वर्ष के दौरान कुल रु० 834890.00 की सामग्री व श्रम व अन्य मद पर भुगतान दर्शाया गया है जिससे सम्बंधित वाउचर /मस्टररोल व निर्माण पत्रावली भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रही। उपरोक्त धनराशि को गबन मानते हुए रु० 834890.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री नितेश सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री उमेश पटेल से किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
834890.00	0	0	834890.00

58 .ग्राम पंचायत- बुढऊलेखापरीक्षा वर्ष-20-21 विकास खंड -भनवापुर

प्रस्तर संख्या -160-प्रिया सॉफ्ट मे विभिन्न कार्य पर मजदूरी मद मे रु 251828.00 व्यय दर्शित है परन्तु उक्त कार्य से संबंधित मस्टररोल लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया साथ ही उक्त कार्य से संबंधित पारित कार्य योजना ,स्टीमेट ,योजनास्टीमेट एम०बी तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृत मजदूरों के बैंक खाते की छाया प्रति वर्क आई०डी संख्या लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रहा संबंधित मजदूरों की मजदूरी उनके बैंक खाता मे भुगतानित होने की पुष्टि बैंक स्टैटमन्ट के अभाव मे नहीं किया जा सका जबकि उप जिलाधिकारी डुमरियागंज द्वारा भी अपने कार्यालय पत्रांक 2788/21-12-21 को निर्गत पत्र मे अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिए गए थे अतः उक्त अभिलेखों के अभाव मे तत्कालीन ग्राम सचिव मो० नियाज व श्री चिनकु ग्राम प्रधान द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया। जिसकी वसूली सम्बंधित से ब्याज सहित अपेक्षित है -

क्र०स०	कार्य का नाम	मजदूरी पर व्यय धन	अभुक्ति
1	नाली निर्माण	18062	कार्य का लोकेसन भी अंकित नहीं है
2	हैण्ड पंप रेबोरे	41246	कार्य का लोकेसन भी अंकित नहीं है
3	सामुदायिक शौचालय निर्माण	82751	कार्य का लोकेसन भी अंकित नहीं है
4	सी०सी रोड	72445	कार्य का लोकेसन भी अंकित नहीं है
5	स्कूल मरम्मत	37324	कार्य का लोकेसन भी अंकित नहीं है
	योग	251828	कार्य का लो

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
251828.00	0	0	251828.00

प्रस्तर संख्या -161-प्रिया सॉफ्ट मे विभिन्न कार्य पर सामग्री मद मे रु 1330273.00 व्यय दर्शित है परन्तु उक्त कार्य से संबंधित प्रमाणक लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया साथ ही उक्त कार्य से संबंधित पारित कार्य योजना ,स्टीमेट ,योजनास्टीमेट एम०बी तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृत ,टेडर ,वर्क आई०डी संख्या ,कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र ,कैश बुक एवं बैंक स्टेटमेंट लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा । जबकि उप जिलाधिकारी डुमरियागंज द्वारा भी अपने कार्यालय पत्रांक 2788/21-12-21 को निर्गत पत्र मे अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिए गए थे अतः उक्त अभिलेखों के अभाव मे तत्कालीन ग्राम सचिव मो० नियाज व श्री चिनकु ग्राम प्रधान द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया ।जिसकी वसूली सम्बंधित से ब्याज सहित अपेक्षित है -

क्र०स०	कार्य का नाम	क्रय सामग्री पर व्यय धन	अभुक्ति
1	नाली निर्माण	333559	कार्य का लोकेसन भी अंकित नहीं है
2	हैण्ड पंप रेबोरे	161615	कार्य का लोकेसन भी अंकित नहीं है
3	सामुदायिक शौचालय निर्माण	315236	कार्य का लोकेसन भी अंकित नहीं है
4	सी०सी रोड	112917	कार्य का लोकेसन भी अंकित नहीं है
5	स्कूल मरम्मत	324478	कार्य का लोकेसन भी अंकित नहीं है
6	स्कूल शौचालय	82468	कार्य का लो
		1330273-00	

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
1330273.00	0	0	1330273.00

प्रस्तर संख्या -162-प्रिय सॉफ्ट में मानदेय मद में रु०76322.0 व्यय दर्शित है परन्तु उक्त व्यय से सम्बंधित मानदेय पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे बकाया मानदेय की पुष्टि नहीं किया जा सका ,साथ ही मानदेय का दर भी अज्ञात रहा ।जबकि उप जिलाधिकारी डुमरियागंज द्वारा भी अपने कार्यालय पत्रांक 2788/21-12-21 को निर्गत पत्र मे अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिए गए थे ।अतः उक्त अभिलेखों में अभाव में तत्कालीन ग्राम सचिव मो० रियाज व श्री चिनकु ग्राम प्रधान द्वारा मानदेय पर फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है ।जिसकी वसूली सम्बंधित से ब्याज सहित अपेक्षित है ।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
76322.000	0	0	76322.0 0

प्रस्तर संख्या -163-प्रिया सॉफ्ट में टेंडर पर रु० 5000.00 व्यय दर्शित है ,परन्तु उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक समाचारपत्र जिसमे टेंडर प्रकाशित हुआ ,किन-किन फर्म द्वारा टेंडर डाला गया ,तुलनात्मक विवरण पत्र और किस फर्म का टेंडर स्वीकृत हुआ इसका विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया ।जबकि उप जिलाधिकारी डुमरियागंज द्वारा भी अपने कार्यालय पत्रांक 2788/21-12-

21 को निर्गत पत्र मे अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिए गए थे ।अतः उक्त अभिलेखों में अभाव में तत्कालीन ग्राम सचिव मो० रियाज व श्री चिनकू ग्राम प्रधान द्वारा टैंडर पर फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है ।जिसकी वसूली सम्बंधित से ब्याज सहित अपेक्षित है ।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
5000.00	0	0	5000.00

प्रस्तर संख्या -164-प्रिया सॉफ्ट मे विभिन्न कार्य पर सामग्री क्रय पर रु 61920.00 व्यय दर्शित है परन्तु उक्त व्यय से संबंधित प्रमाणक एवं मृत स्कंध पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया ,जबकि उप जिलाधिकारी डुमरियागंज द्वारा भी अपने कार्यालय पत्रांक 2788/21-12-21 को निर्गत पत्र मे अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिए गए थे अतः उक्त अभिलेखों के अभाव मे तत्कालीन ग्राम सचिव मो० नियाज व श्री चिनकु ग्राम प्रधान द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया ।जिसकी वसूली सम्बंधित से ब्याज सहित अपेक्षित है -

क्र०स०	क्रय सामग्री	व्यय धन
1	स्प्रे मशीन एवं दवा	13120
2	टेम्परेचर मशीन	14800
3	सफाई किट	30000
4	मास्क	4000
	योग	61920

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
61920.00	0	0	61920.00

59 .ग्राम पंचायत-दूल्हा दरम्यानीलेखापरीक्षा वर्ष-20-21 विकास खंड -बर्डपुर

प्रस्तर संख्या -165-इस ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया कि उत्तर प्रदेश सरकार की वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड-5 वर्ग एक पैरा -27 अ के अनुपालन में ग्राम निधि प्रथम का कैशबुक नहीं बनाया गया है । लेखा परीक्षा अवधि के दौरान आनलाईन मिटिंग एजेण्डा व रिक्विजिशन टास्क तथा पत्राचार के माध्यम से भी संबन्धित सचिव से लेखा परीक्षा हेतु वॉछित समस्त अभिलेख जैसे कैशबुक, निर्माण पत्रावली, व्यय वाउचर , कार्यवाही रजिस्टर एवं निर्धारित प्रारूप हेतु अपेक्षित अन्य सुसंगत अभिलेखों की माँग की गई लेकिन उक्त के सापेक्ष ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया । स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के सुसंगत धाराओं का उल्लंघन कर खाते से स्वेच्छिक आधार पर धनराशि आहरित कर फर्म की मिली भगत व आपसी दुरभि संधि द्वारा अनुदान में प्राप्त धनराशि का विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष सामग्री पर काल्पनिक भुगतान दर्शा कर धनराशि का अपहरण कर लिया गया । कोई भी अभिलेख प्रस्तुत न करने पर लेखा परीक्षा में ई ग्राम पोर्टल पर उपलब्ध व्यय विवरण के आधार पर वर्ष 20-21 मे निम्न विवरणानुसार सामग्री पर भुगतान पाया गया -

क्र०सं०	परियोजना का नाम	आई डी	सामग्री पर कुल भुगतानित धनराशि
1	स्प्रे मशीन एवं दवा	18933216	13520
2	टेण्डर	18933214	10382
3	सामान्य लाभ निधि	30201105	2000
4	वेट मशीन क्रय	30201105	6650
5	थर्मल स्कैनिंग मशीन क्रय	30201105	6000
6	पल्स ऑक्सी मीटर क्रय	30201105	6500
7	स्टेशनरी ब्यय	36864155	2500
8	हैण्डपम्प रिबोर	44771896	195000
9	हैण्डपम्प मरम्मत	44771874	130000
10	सामुदायिक शौचालय नि 0	40901333	3580
11	पंडितपुर में नाली मरम्मत	36856427	120628
12	सफाई कर्मी कीट पर ब्यय	40901980	31250
13	सगरहवा में चिनक के घर से गाँव के दक्षिण नाली ढक्कन नि 0	3663592	163525
14	बेचन के घर से विकास पाण्डेय के घर तक इण्टरलाकिंग	36599157	221505
15	सगरहवा में चकरोठ से अवधेश के घर तक इण्टरलाकिंग	44913781	220559
16	जमाल के घर से पी०डब्लू०डी० सडक तक इण्टरलाकिंग	44764295	211128
17	ग्राम पंचायत में एल०ई०डी० बल्ब पर ब्यय	45295771	163900
18	नसीम के घर से गढे तक नाली मरम्मत	43342169	123140
19	प्रधान का मानदेय	18933206	28000
20	राम रतन के घर से केशराम के घर तक खडंजा मरम्मत	36861592	111345
21	प्रा०वि० दुलहा दरम्यानी का बिजली बिल	8760827	10000
22	पंडितपुर में आंगनवाडी केन्द्र निर्माण व मरम्मत	49127257	129444
23	बनौली स्कूल में फर्श मरम्मत	49127111	138137
24	पंडितपुर में आंगनवाडी केन्द्र में हैण्डपम्प व शौचालय नि 0	36861068	82146
25	टैन नं० हेतु ब्यय	8760827	1000
26	पी०पी०ई० कीट पर ब्यय	8760827	1050
27	योग		2132889

ग्राम पंचायत के वित्त व लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय -08 के खंड -7 के अनुसार ग्राम पंचायत के प्रधान व सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि लेखा परीक्षा दल को ब्यय के समस्त वाउचर एवं नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये । साथ ही खंड 8 क के अनुसार यदि

दर्शाये गये व्यय के संबन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो वैसे समस्त व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए तत्कालीन प्रधान व सचिव को संयुक्त रूप से उत्तरदायी मान कर अधिभार के प्रकरणों में सम्मिलित किया जाएगा। स्पष्ट है कि बिना उचित प्रक्रिया के वॉछित अभिलेखों को तैयार किए बिना विभिन्न तिथियों में पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से वर्ष दौरान कुल ₹0 2132889 सामग्री पर भुगतान दर्शाया गया है ,जिससे संबन्धित वाउचर ,रोकडबही तथा निर्माण पत्रावली लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा । उपरोक्त धनराशि के अपहरण हेतु उत्तरदायी व्यक्ति संयुक्त रूप से तत्कालीन प्रधान श्री रामचरन एवं सचिव श्री भानू सिंह हैं । धनराशि की वसूली अपेक्षित है ।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
2132889.00	0	0	2132889.00

प्रस्तर संख्य -166-इस ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया कि वर्ष दौरान विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष श्रमांश मद में कुल ₹0 266406 का भुगतान दर्शाया गया है । भुगतान की वास्तविकता की जाँच के क्रम में लेखा परीक्षा के क्रम में निर्माण पत्रावली , रोकड बही तथा मस्टर रोल एवं परियोजना स्वीकृत प्राक्कलन की माँग की गई ,जो प्रस्तुत नहीं रहा । इसके अभाव में कुशल अकुशल मजदूरों की संख्या , उनकी उपस्थिति ,कार्य की अवधि ,श्रमिकों के नाम व देय श्रमांश की धनराशि से लेखा परीक्षा अवगत नहीं हो सका। श्रमांश मद में भुगतान की उक्त गणना ऑनलाईन पोर्टल पर उपलब्ध विवरण के आधार पर लेखा परीक्षा में तैयार किया गया । विवरण निम्नवत है-

क्र0सं0	परियोजना का नाम	आई डी	श्रमांश पर कुल भुगतानित धनराशि
1	सगरहवा में चिनक के घर से गाँव के दक्षिण नाली ढक्कन नि 0	3663592	35208
2	बेचन के घर से विकास पाण्डेय के घर तक इण्टरलाकिंग	36599157	24570
3	सगरहवा में चकरोड से अवधेश के घर तक इण्टरलाकिंग	44913781	27438
4	जमाल के घर से पी0डब्लू0डी0 सडक तक इण्टरलाकिंग	44764295	33252
5	नसीम के घर से गढे तक नाली मरम्मत	43342169	28080
6	पंडितपुर में आगनवाडी केन्द्र निर्माण व मरम्मत	49127257	97122
7	बनौली स्कूल में फर्श मरम्मत	49127111	20736
योग			266406

विवरण से स्पष्ट है कि बिना निर्माण पत्रावली को तैयार किये विभिन्न तिथियों में परियोजना के सापेक्ष कुल ₹0 266406 का भुगतान श्रमांश मद में कर दिया गया है । भुगतान से संबन्धित मस्टर रोल के अभाव में भुगतान की धनराशि की पुष्टि न की जा सकी । स्पष्ट है कि तत्कालीन प्रधान श्रीरामचरन एवं सचिव श्री भानू सिंह की मिली भगत से अनुदान में प्राप्त धनराशि में से कुल ₹0 266406 श्रमांश मद में काल्पनिक भुगतान दर्शा कर अपहरण कर लिया गया है ,जिसकी वसूली संबन्धित पक्षों से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
266406.00	0	0	266406.00